

वर्ष : १९५७

• प्रथम संस्करण : १००० प्रतियाँ

मूल्य : रु० १०)

प्रकाशक :

श्री वसंतलाल मुरारका स्मारक समिति

१५२ वी, महात्मा गाँधी

कलकत्ता-७

मुद्रक :

शशिभूषण मिश्र

मिश्रा एण्ड कम्पनी

१२, ग्रांट लेन, कलकत्ता-१२





आमुख

भाई वसन्तलालजी न तो समाज-विज्ञानके विद्वान् थे और न राजनीति के, परन्तु सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रोंमें उन्होंने दीर्घ काल तक लगन, दृढता एव साहस के साथ जो और जितना कार्य किया, उसके लिए इन दोनों क्षेत्रोंमें ही उन्हें अत्यधिक लोक-प्रियता प्राप्त हुई। सामाजिक सुधारोके क्षेत्रमें तो उनकी कार्य-च्छा और कार्य-क्षमता इतनी बढी-चढी थी कि उनका नाम और समाज-सुधार लगभग समानार्थक शब्द बन गए थे। समाज-सुधारकी कोई बात हो, वे हर क्षण उसके लिए तत्पर रहते थे। बाल-विवाहको रोकने, अनमेल विवाहको बन्द कराने, विधवाओंका पुनर्विवाह सम्पन्न कराने, पर्दा और दहेजके विरुद्ध सत्याग्रह करने, तथा जात-पात और साम्प्रदायिकताके घेरेको तोड़ने आदिका कोई काम हो, और किसी वक्त हो, वसन्तलालजी सबसे पहले और सबसे आगे तैयार मिलते थे। वे सामाजिक सुधारका कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओंके चौबीस घटोके साथी थे। समाज-सुधारके क्षेत्रमें जो गाली-गलौज, लाछना, बहिष्कार और ताडना मिलती है (आजकी अपेक्षा पहले यह सब बहुत ज्यादा था), वह सब उन्होंने सहा और झेला, बल्कि यो कहना चाहिए कि उसे निमन्त्रण देकर बुलाया। ऐसे थे वसन्तलालजी। इसलिए जब यह विचार हुआ कि उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाय, तो तुरन्त यह निर्णय हो गया कि ऐसे समाज-सुधारक के अभिनन्दन के लिए समाज-सुधारका एक विवेचनात्मक इतिहास प्रकाशित कर उनको भेंट किया जाय। जो अभिनन्दन-समिति बनी, उसकी ओरसे जब यह विचार लोगोके सामने आया, तो सभीने उसे पसद किया। और, ग्रथकी योजना तैयार की गयी। देशके विभिन्न भागोसे लेखको और कार्यकर्ताओंके साथ पत्र-व्यवहार किया गया। सब ओरसे इस विचारका स्वागत हुआ और सहयोगका भरोसा प्राप्त हुआ। इस प्रकार अभिनन्दन-ग्रन्थकी योजना को शीघ्रातिशीघ्र साकार करनेका उद्योग किया गया पर दुर्भाग्यसे ग्रथ तैयार होनेमें विलम्ब हो गया।

इसी बीच श्री वसन्तलालजीका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। उन्हें कैंसरने आक्रात कर लिया था। जब यह लगने लगा कि ग्रथ तैयार हो सकेगा, उस समय तक शायद वे न बचें तो ८ अक्टूबर, १९५६ को अभिनन्दन-समारोहका आयोजन कर लिया गया तथा उसमें ग्रथकी आशिक पाण्डुलिपि मात्र उनको समर्पित करदी गयी। हाँ, ग्रथकी योजनाके सम्बन्धमें स्वयं श्री वसन्तलालजी से चर्चा-परामर्श किया गया था। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि ग्रथका निमित्त चाहेवे हो, पर ग्रथमें जो सामग्री हो, वह "व्यक्ति" की नही, "समाज" की हो। उसमें समाजकी रचना और विकास के मौलिक तत्त्वों से प्रारम्भ करके सामाजिक जीवनके भावी विकास तकके संघर्ष और सगठनकी लम्बी

कहानी हो ताकि उसके द्वारा हम अपने अतीतकी सफलता-दुर्बलताको समझ सकें, अपने पूर्वकालीन समाज-सुधारकोके कार्योंकी पृष्ठभूमिको पहिचान सकें, उनमें प्रेरणा ले सकें और उनके कार्यमें जो त्रुटियाँ रह गई हो, उनसे बचकर चल सकें। ऐसा भी हो कि आनेवाली पीढ़ियाँ वर्तमानको, जिसके हम सब अंग हैं, देख सकें और साथ ही भावी समाज-व्यवस्थाके आचारो और मूल्योंको भी न केवल जानें, पहिचानें और समझें ही, बल्कि उनको गढ़नेमें योग दे सकें। इस ग्रंथके सम्बन्धमें यही विचार और लक्ष्य रहा है।

जिसकी 'अभिनन्दन-ग्रंथ' के रूपमें परिकल्पना की गई थी, वह काल-नातिसे 'स्मृति-ग्रंथ' के रूपमें निकल रहा है, परन्तु इससे उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ। ग्रंथका आधार तो "व्यक्ति" नहीं, "समाज" था और है, "व्यक्ति" तो निमित्त था। निमित्त वर्तमान था तो और अवर्तमान है तो, उसका कार्य तो हो गया। 'व्यक्ति' (श्री वसन्तलालजी) की स्मृतिके निमित्तसे यह ग्रंथ 'समाजका और समाजके लिये' रूपमें आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके निर्माणमें बहुतोंका बहुत तरहसे सहयोग संकलित है और वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। श्री सत्यदेव विद्यालकार का सहयोग विशेष उल्लेखनीय है। प्रयत्न किया गया है कि ग्रंथके विभिन्न खंडोंमें हमारे सामाजिक आचारो, विचारो, मूल्यो-मापदण्डो और आन्दोलनोका यथामभव पूरा क्रमागत इतिहास आ जाय और वह हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्यका निर्वैयक्तिक दर्शन हो। कई बड़े-बड़े विचारको, लेखकों और कार्यकर्त्ताओंका सहयोग पाकर भी हम इस प्रयत्नमें कितने सफल हो सके हैं, यह तो पाठक और समीक्षक ही बताएँगे। हमारा खयाल यह जरूर है कि समाज-सुधार के सम्बन्धमें इस प्रकार का कोई ग्रंथ अभी तक शायद प्रकाशित नहीं हुआ है। यदि इस ग्रंथसे उस अभावकी पूर्ति हुई तो हम अपने प्रयासको सफल मानेंगे।

यह ग्रंथ समाज-सुधारकी उत्क्रान्तिके इतिहासमें एक कड़ी है। आगे बढ़नेके लिए प्रगति-पथका एक सम्बल और सोपान है, पथका अन्तिम छोर नहीं। समाज सतत विकास-शील है और विकासके क्रममें व्यक्ति और समाज के सम्बन्धोंकी स्थिति मुख्य तौरसे क्रियाशील होती है। इन सम्बन्धोंमें जब किसी कारणसे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तब समाजमें विकारकी सृष्टि होती है और सुधारकी आवश्यकता और प्रेरणा का प्रादुर्भाव होता है। विकार और सुधारकी यह गतानुगतिकता आजतकके इतिहासपर समाज-वेत्ताओंका दर्शन और निदर्शन है। यह गतानुगतिकता और प्रवहमान विकासशीलता ही स्थायी है। समाज कभी कहीं ठहरा नहीं, ठहरता नहीं और ठहरेगा नहीं; व्यक्ति भी समाजकी इसी गतिशीलताके साथ चलता है और चलनेको बाध्य है। कभी ऐसा व्यक्ति आता है जो एक जीवनसे बहुतोंके जीवनको गड़कर या धकेलकर या तोड़कर सारे समाजका मार्ग बदल देता है और कभी समाजमें—यहाँके समाजमें, वहाँके समाजमें और सारी दुनियाके समाजमें—ऐसा बबुण्डर पैदा हो जाता है (ऐतिहासिक आचारपर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियोंके झंझावातमें) कि बड़े-से-बड़े व्यक्ति तिनकोंकी तरह उड़ जाते हैं। तभी तो कहा गया है कि इतिहास बड़े-से-बड़े व्यक्तित्व की भी परवाह नहीं करता और आवश्यकता होनेपर उसको कुचलकर फेंक देता है। तो समाजको—बल्कि, कहिए कि समाज और व्यक्तिके सम्बन्धोंपर आधारित सामाजिकता को—देखनेवाला इतिहास जितना सही होता है, उतना व्यक्तिका दर्शन नहीं क्योंकि वह

देश, काल और पात्रकी सीमाओं और उनके कारण उत्पन्न निहित स्वार्थोंकी गण्डीमें वैवा होता है। इतिहास स्वयं निर्जीव है, पर वह कितने सहस्रो वर्षोंके असह्य जीवनोके निर्माण और अवसानकी कहानी है! इसलिए उसकी दृष्टिमें सच्ची दार्शनिकता होती है और वह दार्शनिकता ही समाजको सच्चा मार्ग-दर्शन देती है। इस दृष्टिसे समाज-सुधार की कहानी व्यक्ति और समाजके पारस्परिक सम्बन्धोंके सतुलनकी कहानी है। कभी व्यक्तिपर जोर देनेकी स्थिति आती है और कभी समाजपर जोर देनेकी। कभी व्यक्ति दब जाता है और उसे बचानेके लिए सामाजिकताके बधन काँटने-छाँटने पडते हैं; और कभी व्यक्ति उच्छृंखल और स्वार्थाभिभूत होकर समाजमें शोषण और वैपम्य फैलाने लगता है, तब उसे योजनापूर्वक नियंत्रणमें रखना पडता है। इस सतुलनके प्रयासको ही व्यापक अर्थमें समाज-सुधार कहना चाहिए—राजनीतिक भाषामें समाजवाद। आज विज्ञानने भौगोलिक दीवारें तोडकर सारे विश्वको काल और स्थानकी दृष्टिसे इतना सन्निकट ला दिया है कि समाज और सामाजिकता सारे विश्वमें एक-रूप, एक-हृदय हो रहे हैं। मानवताको यह एक नया वरदान मिला है, जो सामाजिक विकासकी दिशामें सहस्रो वर्षों के सघर्ष और सहयोगाधारित प्रयत्नोका सार-फल है। प्रस्तुत ग्रन्थकी योजनाके पीछे विचारोकी यही पृष्ठभूमि रही है और नये समाजकी रचनाका यही दिशा-सकेत दिया गया है।

अन्तमें इतना ही और कहना है कि ग्रन्थमें जो-कुछ अच्छा बना है, उसका श्रेय उन लेखको और कार्यकर्ताओंको है, जिनके सहयोग और सहायताके विना यह प्रयास सम्भव न होता और जो कुछ त्रुटि रह गयी है, उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। निर्धारित पृष्ठ-सख्यासे कुछ पृष्ठ अधिक कर देनेपर भी मगाए-आये हुए सारे लेख ग्रन्थमें नहीं दिये जा सके। इसके लिये हम उन लेखकोसे क्षमा-प्रार्थी हैं, जिनके लेख सम्मिलित नहीं किये जा सके।

आज स्व० वसन्तलालजीकी प्रथम निधन-तिथिके अवसरपर श्रद्धा और सम्मानके साथ,

भँवरमल सिधो
सम्पादक

कलकत्ता,

१० अक्टूबर सन् १९५७



श्री वसंतलाल मुरारका स्मारक समिति*

अध्यक्ष :

श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन,
खाद्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

मंत्री :

श्री भवरमल सिधी
,, भालचन्द्र शर्मा

सदस्य :

डा. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या	श्री दामोदरदास खन्ना
अध्यक्ष, विधान परिषद्, पश्चिम बंगाल	" वजरगलाल लाठ
श्री शैलकुमार मुखर्जी	" कृष्णचन्द्र अग्रवाल
अध्यक्ष, विधान सभा, पश्चिम बंगाल	" आनन्दीलाल पोद्दार
" अतुल्य घोष	एम० एल० ए०
अध्यक्ष, प० व० प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी	" हरदत्तराय सुगला
" मूलचन्द्र अग्रवाल (स्वर्गीय)	" रघुनाथप्रसाद खेतान
सचालक, 'विश्वमित्र'	" कृष्णदयाल जालान (स्वर्गीय)
" ईश्वरदास जालान	" सत्यनारायण मिश्र
स्वायत्त-शासन मंत्री, पश्चिम बंगाल	" रामलगनसिंह
" भागीरथ कानोड़िया	एम० एल० ए०
" सीताराम सेकसरिया	" रामकुमार भुवालका
" प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका	एम० एल० सी०
एम० पी०	" वेणीगकर शर्मा
" रामदेव चोखानी	" नन्दकिशोर जालान
" तुलसीराम सरावगी (स्वर्गीय)	" काशीप्रसाद मोदी
" गोविन्दप्रसाद कानोड़िया	" धर्मचन्द्र सरावगी
" रामेश्वरलाल टाटिया	" पन्नालाल गुजराती
एम० पी०	" विजयसिंह कोठारी
" मंगतूराम जयपुरिया	" वहादुरसिंह
" विजयसिंह नाहर	" इन्द्रचन्द्र संचेती
प्रधान मंत्री, प० व० प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी	" रामशंकर उपाध्याय
" रामेश्वरलाल नोपानी	" मूलचन्द्र सेवक
" रघुनाथप्रसाद सिंहानिया	

अर्थ-सहायक

- २५००) श्री त्रिजमोहन विड़ला
१०००) " भागीरथ कानोड़िया
५००) " रामकुमार भुवालका
५००) " मंगतूराम जैपुरिया
५००) " राधाकृष्ण कानोड़िया
५००) " रामकुमार केजडीवाल
५००) " नन्दलाल जालान
५००) " केशरदेव झुंझनूवाला
५००) " रामेश्वरलाल नोपानी
५००) " प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका
५००) " रामेश्वरलाल टांटिया
५००) " रघुनाथप्रसाद खेतान
५००) " आनन्दीलाल पोद्दार
२५०) " सीताराम सेकसरिया
२५०) " भगवतीप्रसाद खेतान
२५०) " मूलचन्द्र अग्रवाल
२५०) " गोविन्दप्रसाद कानोड़िया
२५०) " वेणीशंकर शर्मा

रु० १०२५०]

अनुक्रमणिका

आमुख	पृष्ठ ६
श्री वसतलाल मुरारका स्मारक समिति (नामावली)	१३
अर्थ-सहायक (नामावली)	१४

प्रथम-खण्ड

जीवन-वृत्त एवं संस्मरण

जीवन-वृत्त	२२
सार्वजनिक अभिनन्दन (विवरण)	४२
अभिनन्दन-पत्र	४४
स्व० मुरारकाजी का अंतिम संदेश	४५
संस्मरण	४६
श्री उच्छंगराय नवलराय देवर, अध्यक्ष, अ० भा० काँग्रेस कमेटी, नई दिल्ली	४६
श्री गोविन्द वल्लभ पत, गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	४६
श्री जगजीवन राम, परिवहन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	४६
डॉ० हरेकृष्ण मेहता, राज्यपाल, बम्बई	५०
डॉ० पट्टाभि सीतारमैया, राज्यपाल, मध्यप्रदेश	५०
श्री जुगलकिशोर विड़ला, बनारस	५०
श्री राजबहादुर, उप-परिवहन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	५१
श्री सेठ गोविन्ददास एम० पी०, जबलपुर	५१
श्री श्रीमन्नारायण, प्रधान मंत्री, अ० भा० काँग्रेस कमेटी, नई दिल्ली	५२
श्री तख्तमल जैन, मुख्य मंत्री, मध्य भारत,	५२
श्री मिश्रीलाल गंगवाल, वित्त मंत्री, मध्य भारत	५२
श्री काका कालेलकर एम० पी०, नई दिल्ली	५३
प० ब० काँग्रेस कमेटी का प्रस्ताव	५३
श्री जयनारायण व्यास एम० पी०, अध्यक्ष, राजस्थान प्रा० का० क०, जयपुर	५४
श्रीमती जानकीदेवी वजाज, वर्धा	५५
श्री हीरालाल शास्त्री एम० पी०, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर	५७

श्री सीताराम सेकसरिया, कलकत्ता	६१
श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, दिल्ली	७१
श्री ईश्वरदास जालान, स्वायत्त-शासन मंत्री, प० ब० सरकार, कलकत्ता	७३
श्री नरोत्तमदास जोशी, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा	७३
श्री रामदेव चोखानी, कलकत्ता	७४
श्री प्रभुदयाल हिम्मतीसिंहका एम० पी०, कलकत्ता	७५
श्री कन्हैयालाल खादीवाला, इंदौर	७६
श्री भागीरथ कानोड़िया, कलकत्ता	७७
श्री कुम्भाराम आर्य, बीकानेर	८०
श्री खेमचन्द्र चौधरी, डालमियानगर	८१
श्री गंगाप्रसाद भोतिका, कलकत्ता	८२
श्री रामकुमार भुवालका एम० एल० सी०, कलकत्ता	८६
श्री राधाकृष्ण नेवटिया, कलकत्ता	८८
श्री विश्वनाथ उपाध्याय, एम० एल० ए०, सिलचर (आसाम)	९०
श्री जगन्नाथ प्रसाद जालान, कलकत्ता	९१
श्री हरदत्तराय सुगला, कलकत्ता	९२
श्री कन्हैयालाल वैद्य, उज्जैन	९२
श्री राधाकृष्ण वजाज, वर्धा	९३
श्री मोतीलाल लाठ, कलकत्ता	९३
श्री रामेश्वर अप्रवाल, खादीग्राम, जयपुर	९५
श्री बजरंगलाल लाठ, कलकत्ता	९६
श्री काशीप्रसाद मोदी, कलकत्ता	९७
श्री इयामदेव देवड़ा, कलकत्ता	९८
श्री कनक 'मधुकर', उदयपुर	१००
श्रीमती कमला कुमारी श्रोत्रिय, उदयपुर	१००
श्री भालचन्द्र शर्मा, कलकत्ता	१०१
श्री भैरवलाल नन्दवाना, वृजराजनगर	१०३
श्री भैवरमल सिंघी, कलकत्ता	१०४

द्वितीय खण्ड

समाज के मौलिक तत्त्व

- १ सामाजिक चेतना : उसका प्रादुर्भाव और विकास —श्री प्रेमनारायण माथुर एम० ए०, आचार्य, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राजस्थान) १०७
- २ समाज-निर्माण के आधार —श्री गोपीकृष्ण अरोरा, सह-संपादक, 'स्वतन्त्र भारत', लखनऊ ११५

- ३ सस्कृति के तत्त्व —श्री विष्णुदत्त शुक्ल, सम्पादक 'सहयोगी', कानपुर, १२२
- ४ समाज-सुधार और समाज-सुधारक —महात्मा भगवानदीन, राँका कोलोनी, नागपुर १२६
- ५ शास्त्र और सामाजिक क्रान्ति —पण्डित सुखलालजी, सरित्कुंज, एलिस मिज, अहमदाबाद १४६
- ६ सामाजिक क्रान्ति—उसका रूप और प्रतिक्रिया —श्री सत्यदेव विद्यालंकार, ४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली १५२
- ७ विवाह, कुटुम्ब और समाज —श्री हरिदत्त वेदालकार एम० ए०, प्राध्यापक, गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार १५६

तृतीय खण्ड

भारतीय समाज पर बाह्य प्रभाव

- १ हिन्दू समाज पर विभिन्न प्रभाव—सरदार के०एम०पणिकर, नई दिल्ली १७३
- २ भारतीय जीवन पर इसलाम का प्रभाव —श्री भगवतशरण उपाध्याय, ४ ए, थार्नहिल रोड, इलाहाबाद १८१
- ३ भारतीय समाज पर अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव —श्री भवानीशकर शुक्ल, प्राध्यापक, भारतीय इतिहास, डी० ए० वी० कॉलेज, लखनऊ १८८

चतुर्थ खण्ड

सामाजिक समस्याएँ और सुधार-आन्दोलन

- १ हिन्दू कोड बिल —श्री क्षितीशकुमार विद्यालकार, दैनिक 'हिन्दुस्तान' कनाट प्लेस, नई दिल्ली २०७
- २ चातुर्वर्ण्य का इतिहास —श्री सन्तराम वी० ए०, पुरानी बसी, पो० साधु आश्रम, होशियारपुर (पंजाब) २२२
- ३ धर्म और कानून —श्री भेंवरमल सिंघी एम० ए०, साहित्यरत्न, १६२।२६।१, प्रिंस अनवर शाह रोड, कलकत्ता-३१ २३६
- ४ परदे का अभिगाप —श्रीमती सुभद्रादेवी, ४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली २३६
- ५ वेश्या और समाज —श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डे, १४२ आज़ाद स्क्वायर, इलाहाबाद २५०

- ६ समाज-सुधार और कानून —श्री पारस दीवान, प्राध्यापक,
लॉ कॉलेज, जयपुर २७३
- ७ विधवा-विवाह —श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, ६।६२५१, देवनगर,
करौल बाग, दिल्ली.—५ २८१
- ८ भारतमें साम्प्रदायिकता का आधार —श्री रघुराज गुप्त एम० ए०,
प्राध्यापक, मानवशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ २८६
- ९ अन्तर्जातीय विवाह —श्री हरिदत्त वेदालंकार एम० ए०, प्राध्यापक,
गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार ३१३
- १० दहेज का पाप —श्री सत्यपाल शास्त्री, सह-संपादक 'दैनिक वीर अर्जुन',
नई दिल्ली ३२०
- ११ अस्पृश्यता-निवारण की ओर —श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, १६, जैन
बिल्डिंग, रोशनारा रोड, दिल्ली-६ ३२७

पंचम खण्ड

महिला-जागृति

- १ अबला, तेरी करुण कहानी ! —श्री रघुवीरशरण 'दिवाकर', रामपुर
(उत्तर प्रदेश) ३३६
- २ गांधीजी और भारतीय नारी —श्री मोहनसिंह सेंगर, सम्पादक
'नया समाज', इंडिया एक्सचेंज, कलकत्ता-१ ३४६
- ३ महिलाओंकी जागृति —श्रीमती सावित्री निगम एम० पी०, १२०,
नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली ३६३

षष्ठ खण्ड

कुछ विशिष्ट समाज-सुधारक

- १ महाराष्ट्र की पहली पीढीके प्रमुख सुधारक —आचार्य शंकरराव
जावड़ेकर, ४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली ३६६
- २ श्री गोपाल गणेश आगरकर —श्री अनन्त हरि जोशी, मराठी विभाग,
आकाशवाणी, नई दिल्ली ३७६
- ३ लाला देवराज —श्री सत्यदेव विद्यालंकार, ४० ए, हनुमान रोड,
नई दिल्ली ३८१
- ४ श्री ज्योतिबा गोविंद फुले —श्री अनन्त हरि जोशी, मराठी विभाग,
आकाशवाणी, नई दिल्ली ३९२

- ५ विघवाओके वन्धु सर गगाराम —श्री सत्य भिक्षु, ६।६२५१, देवनगर,
करोल बाग, दिल्ली-५ ३६४
- ६ कल्याण-मार्ग के पथिक स्वामी श्रद्धानन्द —श्री सत्यदेव
विद्यालंकार, ४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली ३६६
- ७ श्री हरविलास शारदा —श्री चन्द्रानन्द वानप्रस्थी, शारदा भवन,
अजमेर ४०८
- ८ महर्षि अण्णा साहव कर्वे —श्री शंकरदेव विद्यालंकार, गुरुकुल
कांगड़ी, हरिद्वार ४१०
- ९ स्वामी दयानन्द —श्री विष्णु प्रभाकर ८१८, कुदेवालान चौक,
अजमेरी गेट, दिल्ली ४१४
- १० राजा राममोहन राय —श्री विनय घोष, एम० ए०, ११ ईस्ट रोड,
यादवपुर, कलकत्ता-३२ ४२१
- ११ पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर —श्री विनय घोष एम० ए०,
११ ईस्ट रोड, यादवपुर, कलकत्ता-३२ ४२४
- १२ हिन्दी के सत कवियों की क्रांतिकारिता —श्री विश्वम्भरनाथ
उपाध्याय, ५, गांधी मार्ग, आगरा ४२७
- १३ मध्यकालीन सतों की सामाजिक क्रांतिकी परम्परा —श्री प्रभात
कुमार जोशी ४, महादेव रोड, नई दिल्ली ४३८
- १४ स्वामी विवेकानन्द —श्री सत्यदेव विद्यालंकार ४०, ए, हनुमान रोड,
नई दिल्ली ४४७
- १५ श्री स्वामी रामतीर्थ —श्रीमती निर्मला रानी तनेजा, ६२५१, देवनगर,
करोल बाग, दिल्ली-५ ४५७
- १६ सुधार-क्षेत्रमे आर्य समाज —श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड, श्रद्धानन्द
प्रतिष्ठान, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार ४६१

सप्तम खण्ड

प्रान्तीय सुधार-आन्दोलन

- १ बम्बई प्रान्तमे समाज-सुधार आन्दोलन —श्री गणेश लक्ष्मण
चन्दावरकर, प्रार्थना मन्दिर, गिरगाँव, बम्बई-४ ४६६
- २ गुजरात मे समाज-सुधार की प्रवृत्ति —डाक्टर सुमन्त मेहता,
प्रीतमनगर, अहमदाबाद ४७७
- ३ राजस्थान मे समाज-सुधार की लहर —श्री शोभालाल गुप्त
सह-संपादक, 'हिन्दुस्तान', नई दिल्ली ४८५

४	वगाल मे समाज-सुधार आन्दोलन —श्री विनय घोष, एम० ए०, ११, ईस्ट रोड, यादवपुर, कलकत्ता-३२	४६२
५	दक्षिण भारत और समाज-सुधार —एक दक्षिण भारतीय	५०२
६	उत्तर प्रदेश मे समाज-सुधार —श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०, कला प्रेस, लखपतराय लेन, इलाहाबाद	५०६
७	महाराष्ट्रमे समाज-सुधारके सौ वर्ष —श्री काशीनाथ सोमण एम० ए० साहित्यरत्न, सह-संपादक, 'केसरी' पूना	५११
८	मध्यप्रदेशमे समाज-सुधार —श्री विश्वम्भरप्रसाद वर्मा, संपादक 'आलोक', नागपुर	५२४
९	प्रार्थना समाज —श्री गदुभाई धू, सेठ मंगलदास रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद	५३२

अष्टम खण्ड

नये समाज की ओर

१	नव-निर्माणका आधार —श्री सुरेन्द्र मोहन, रिसर्च स्कॉलर डी० ए० वी० कालेज, देहरादून	५३७
२	नया समाज —श्री सुन्दरलाल, ४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली	५४३
३	सामाजिक समता और समानता —श्री जगजीवन राम, परिवहन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	५४८
४	समाज-निर्माण और सर्वोदय —श्री सुरेशराम भाई, भूदान समिति, इलाहाबाद	५५२
५	सामाजिकता के नये मूल्य —श्री चन्द्रोदय दीक्षित, सह-सम्पादक 'स्वतंत्र भारत', लखनऊ	५५६

समाजको बदल डालो !

विभिन्न विचारकोंके मत

५६३

प्रथम खण्ड
जीवन-वृत्त एवं संस्मरण

जीवन-वृत्त

एक सामान्य परिवारमें जन्म लेकर और सीमित साधनोंमें रहते हुए भी मनुष्य अपने अध्येवसाय, बुद्धि, लगन और दृढ़ मकल्पके बलपर किम प्रकार उन्नति कर सकना है, श्री वसंतलाल मुरारकाका जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है। उनका जन्म जयपुर राज्यके मुकुन्दगढ़ नामक स्थानमें शिवरात्रिके दिन फरवरी १८९३ ई० में हुआ था। उनके घरकी स्थिति साधारण थी और साधन बहुत सीमित। बाल्यावस्थामें उनका नानन-पालन उसी स्थितिके अनुसार हुआ।

शिक्षा


जब उनकी आयु शिक्षा प्राप्त करने योग्य हुई, तब उन्हें एक स्थानीय पाठशालामें विद्याध्ययनके लिए भेजा गया। उस पाठशालाके गुरु थे श्री मेढमलजी जो अपनी अनुशासनप्रियता, कठोरता और विद्यार्थियोंके प्रति निर्दय व्यवहारके लिए प्रसिद्ध थे। शायद उस समय यही समझा जाता था कि विद्यार्थियोंको डाट-डपटकर ही पढ़ाना चाहिए। वसंतलालजीका विद्यारम्भ उसी पाठशाला में हुआ। वहाँ विगेष रूपसे महाजनी ढंगकी शिक्षा दी जाती थी जिसमें हिमाद-किताबपर अधिक जोर दिया जाता था।

कुछ समय इस विद्यालयमें वितानेके बाद एक दूसरे विद्यालयमें उनको भरती कराया गया। उस विद्यालयमें हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजीकी शिक्षा भी दी जाती थी। इस प्रकार शिक्षाके दूसरे सोपानमें पहुँचकर वसन्तलालजीको आधुनिकताकी हवाके एक हल्केसे झोकेका अनुभव हुआ। परन्तु उससे उन्हें कोई विगेष प्रेरणा मिली हो, ऐसी बात नहीं थी। केवल अंग्रेजी पढ़ने और शिक्षाके पुराने ढंगसे कुछ भिन्न ढंगकी पढाईका अनुभव हुआ। यह क्रम लगभग तीन वर्ष तक चला। इसके बाद उनके पिता श्री रामदेवजी उन्हें कलकत्ता ले आये।

कलकत्ता आकर उनकी शिक्षा-दीक्षाका अधिक अच्छा प्रबंध हुआ। उस समय स्थानीय विशुद्धानन्द विद्यालय मारवाडी समाजमें सबसे अधिक उत्तम शिक्षालय माना जाता था। श्री रामदेवजीने वसन्तलालजीको उसी विद्यालयमें भरती करा दिया। यहाँ वसन्तलालजीकी प्रतिभाकी थोड़ी झलक दिखलायी पड़ी। विद्यालयकी ओरसे उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। यह सब होते हुए भी उनका शिक्षा-क्रम अधिक समय तक न चल सका।



दम्पति



- वांघीसे दाहिनी ओर—(कुरमीपर बैठे हुए) श्रीमती भागीरथी जालान (पुत्री), श्रीमती रसादेवी मुरारका (पत्नी), श्री वसंतलालजी मुरारका, श्री पुष्पोत्तमदास जालान (जामाना)
- ” (पीछे खड़े हुए) श्री मदनमोहन मुरारका (द्वितीय पुत्र), श्रीमती मुङ्गीला मुरारका (श्री मदनमोहन की पत्नी), श्री श्यामाप्रसाद मुरारका (तृतीय पुत्र), श्री भागीरथ मुरारका (ज्येष्ठ पुत्र), श्री राजेन्द्रप्रसाद मुरारका (चतुर्थ पुत्र)
- ” (मामने बैठे हुए) कुमारी नीरजा जालान (दोहित्री), बेबी मुरारका (पौत्री), प्रवीनकुमार (पौत्र), ईवा (पौत्री), मुन्ना (पौत्र), कुमारी वदना (छोटी पुत्री)

विवाह

उस समयकी प्रचलित विवाह-प्रथाके अनुसार उनका विवाह छोटी उम्रमें ही कर दिया गया। विवाह होनेके बाद उनका शिक्षा-क्रम समाप्त हो गया। हाँ, निजी तौरसे कुछ-कुछ स्वाध्याय वे बाद में भी करते रहे। इस प्रकार शिक्षा तो बहुत नहीं हो सकी, पर उनमें बुद्धि, विवेक और सूझ-बूझ अच्छी थी और आगे चलकर जो सफलताएँ उन्हें मिली, वे सब इन्हीं गुणोंके फलस्वरूप मिली।

उनकी प्रथम धर्मपत्नीका शरीरान्त थोड़े ही समय बाद हो गया। इसके बाद उनका दूसरा विवाह १९१६ ई० में फतेहपुर निवासी श्री केदारनाथ गोएनकाकी कन्या रमादेवीके साथ हुआ। इस बार उन्हें ऐसी धर्मपत्नी मिली, जो सच्चे अर्थमें सहर्षामिणी निकली। रमादेवीजीने वसन्तलालजीके सभी समाज-सुधार सम्बन्धी कार्योंमें पूरा साथ दिया। घर और बाहरके वाग्वाण सहे, महिलाओंके बीच अपमान उठाये, सार्वजनिक रूपसे भद्दी-भद्दी गालियाँ तक सुनी। साराग यह कि पथसे विचलित करनेवाले कठिनसे कठिन प्रसंग उनके सामने आये परन्तु उनका दृढ सकल्प उनके पतिके सकल्पकी भाँति ही अटल-अचल रहा और वे कभी अपने मार्गसे विचलित नहीं हुईं।

रमादेवीजीसे ही वसन्तलालजी के वर्तमान पुत्र-पुत्रियाँ हैं।

अर्थार्जन

शिक्षाका क्रम टूट जानेके बाद वसन्तलालजी अर्थार्जनके प्रयत्नमें लगे। उन्होंने दुवराजपुर जाकर कपड़ेकी दूकान की। यद्यपि इस कार्यमें उन्होंने यथेष्ट परिश्रम किया और अनेक कठिनाइयाँ उठा कर भी काममें जुटे रहे तथापि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। शायद भविष्य उन्हें दूसरी ओर खींच रहा था। दुवराजपुरके कामसे उन्हें केवल इतना ही लाभ हुआ कि व्यापार सम्बन्धी कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया।

दुवराजपुरसे वे फिर कलकत्ता आये और यहाँ आकर गल्लेकी दलाली करने लगे। दुवराजपुरके किञ्चित् अनुभवके कारण इस काममें कुछ दिन तक टिके रहे परन्तु अतमें यह काम भी उन्हें छोड़ना पडा। तब सन् १९१३ में उन्होंने विडला-बन्धुओंके यहाँ रु० ३०) मासिक वेतनपर नौकरी करली। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति इस प्रकारकी नौकरीसे कितने दिन सतोप करता? अतमें अवसर पाकर उन्होंने नौकरी छोड़दी और श्री घनश्यामदास लोयलकाके प्रतिष्ठानमें उनका शेरर सवधी काम सँभालने लगे। यहाँ आकर उन्हें सफलता मिली।

वसन्तलालजी बड़े सरल स्वभावके मिलनसार व्यक्ति थे। जहाँ-जहाँ रहे, वहाँ सब जगह मिलनेवालों से अच्छे संबंध स्थापित किये। इस प्रकार लोयलकाजीके यहाँ रहने तक उनके सवध शेरर बाजारमें तो अच्छे ही हो गये थे, सार्वजनिक कार्योंमें रुचि रखने और सेवा करनेके कारण बाहर भी उनकी बड़ी ख्याति हुई। मारवाडी समाजमें तो वे बहुत लोकप्रिय हो ही गये थे।

इसीलिये जब उन्होंने अतमें लोयलकाजीके यहाँसे पृथक होकर शेरर बाजारमें मुरारका कम्पनीके नामसे अपना कार्य शुरू किया, तब उन्हें अच्छी सफलता मिली। इस व्यापारमें उन्होंने धन भी कमाया।

व्यक्तिगत जीवन

अपने व्यक्तिगत जीवनमें वसन्तलालजी बड़े सरल, मृदु, उदार और सेवापरायण थे। सार्वजनिक रूपसे वे जो सेवा-कार्य करते थे, वह तो करते ही थे, व्यक्तिगत रूपसे भी वे लोगोका बड़ा उपकार करते थे। उनकी स्यातिके कारण उनके पास आनेवाले व्यक्तियों की कमी न रहती थी और जो आता, उसके लिए अपनी शक्ति भर सहायता करनेकी वे सदा चेष्टा करते थे। आये हुए व्यक्तियोंके काम मदा हो ही जाते थे, ऐसा न था परन्तु यह भी न होता था कि जो कुछ प्रयत्न वसन्तलालजीके लिए सम्भव हो, उसमें वे कोई कोर-कसर रखें। इस प्रकार सैकड़ों आदमियोंके काम उन्होंने किये होंगे।

अपने परिवारमें उनका बरताव सबके साथ समानताका होता था। जिन बातों को वे सभा-मंचसे कहते थे, जिन्हें करनेका दूसरोको उपदेश देते थे, उनका अपने-आप भी पालन करते थे। जिन्होंने उनके घरके वातावरणको देखा है, वे जानते हैं कि उन्होंने पत्नीकी तो बात ही छोड़ दीजिये, अपने पुत्रों, पुत्रियों, बहूओं सबको कितनी स्वतंत्रता दे रखी थी। उनके घरमें पुत्र और पुत्रीके साथ किये जानेवाले व्यवहारमें अथवा बहूओं और वेटियोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारमें कोई भेद न था। वे कडा रख रखकर कभी किसीसे बोले हों, ऐसा प्रसंग तो शायद कभी आया ही न होगा।

उनके रहन-सहन, पहनावे-श्रोढावे, घरके साज-सामान सबमें सादगी प्रमुख थी। सादगी उनका स्वभाव था। बातचीतमें भी सादगी की ही छाप रहती थी।

सामाजिक सेवाएँ

यह तो स्वाभाविक ही होता है कि आदमी अपनी स्थिति सुधारनेका, आर्थिक अवस्था सुधारनेका प्रयत्न करता है। इसीके अनुसार वसन्तलालजीने व्यापार-व्यवसायमें लग कर अर्थोपार्जन का प्रयत्न किया था; परन्तु जिसके मनमें सेवाकी भावना होती है या कोई अन्य प्रकारकी लगन होती है, वह अधिक दिनों तक परिवार और घरकी चहार-दीवारीमें ही बन्द रहना पसन्द नहीं करता। वह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का मपना देखता है और अपने सामनेके सम्पूर्ण समाजकी सेवाके लिए अग्रसर होता है। वसन्तलालजीमें भी कुछ ऐसी ही महत्वाकाक्षाएँ थी। अतः वे अपना गार्हस्थ्यक कर्तव्य पालन करते हुए सार्वजनिक सेवाके क्षेत्रमें अग्रसर हुए।

उस समयका समाज प्राचीन परम्पराओं और जर्जर रूढ़ियोंसे दुरी तरह ग्रस्त था। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, अनमेल-विवाह, परदा, मृतक विरादरी-भोज, समुद्र-यात्राका निषेध, स्त्रियोंके प्रति दुर्व्यवहार, जवर्दस्ती लादा हुआ वैधव्य और दूसरी न जाने कितनी बुराइयाँ समाजमें प्रचलित थी। वसन्तलालजीका ध्यान इन सबकी ओर गया। इन कुप्रथाओंको वे समाजोन्नतिमें बाधक मानते थे। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि इस संवधमें सुधार-कार्य करना चाहिए। सौभाग्यसे इस कार्यमें उन्हें साथी और नेता भी बड़े अच्छे मिले थे। सबको लेकर वसन्तलालजीने समाज-सुधारका बीड़ा उठाया।

मारवाड़ी ट्रेड्स एसोसिएशन

उन्होंने सबसे पहले यह प्रयत्न किया कि उस समय समाजमें जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनके द्वारा समाज-सुधारका कार्य किया जाय, परन्तु वे सब व्यक्ति पक्के रूढ़िवादी थे। पुरानी प्रथाओंसे, वे चाहे कितनी ही हानिप्रद और समय-विपरीत क्यों न हो, वे जरा भी

इधर-उधर चलना नहीं चाहते थे। उस समय मारवाड़ी समाजमें मारवाड़ी एसोसिएशन एक बड़ी प्रभावशाली सस्था थी। इसके द्वारा समाज-सुधार करवानेकी चेष्टा स्वाभाविक ही थी, परन्तु इस सस्थामें प्राचीन विचारवाले व्यक्तियोंका ही प्रभुत्व रहा। अतः यहाँसे किसी प्रकारकी आशा न थी।

वसंतलालजी तथा उनके अन्य उत्साही साथी नवयुवक समाजको नीचे धकेलनेवाली इस स्थितिको बदलनेके लिए छटपटा रहे थे। इस मित्रमंडलीमें वसंतलालजीके साथ सर्वश्री पद्मराज जैन, प्रभुदयाल हिम्मतीसिंहका, भागीरथ कानोडिया, सीताराम सेकसरिया, मोतीलाल लाठ, गंगाप्रसाद भोलीका, रामकुमार भुवालका आदि समाजके उत्साही और प्रभावशाली कार्यकर्त्ता थे। इन लोगोंने मिलकर मारवाड़ी ट्रेड्स एसोसिएशनको जन्म दिया और उसके द्वारा समाज-सेवा सम्बन्धी कार्योंमें जुट गये। मारवाड़ी ट्रेड्स-एसोसिएशनकी ओरसे अनेक कार्य हुए। आगे चलकर मारवाड़ी अग्रवाल महासभा की स्थापनाके वाद और भी अधिक विस्तृत, व्यापक और मजबूत सस्था हाथ आयी और उसके द्वारा समाज-सुधारके बहुत कार्य हुए।

मारवाड़ी अग्रवाल महासभा श्री जमनालालजी वजाजकी प्रेरणासे स्थापित हुई थी और वह सार्वदेशिक सस्था थी। अतः उमके द्वारा न केवल स्थानीय कार्यकर्त्ताओंका ही सहयोग मिला, प्रत्युत समस्त देशके कार्यकर्त्ताओं और नेताओंका साथ मिला। इससे कार्यमें आशातीत सफलता मिली।

मारवाड़ी अग्रवाल महासभा, जो आगे चलकर केवल अग्रवाल महासभा रह गयी थी, मुख्यतः समाज-सुधारके उद्देश्यसे स्थापित हुई थी। इसलिए उसके द्वारा समाज-सुधार सम्बन्धी कार्य करना उपयुक्त भी था। वसंतलालजीने इम सुविधासे यथेष्ट लाभ उठाया। वे समाज-सुधार सबंधी कार्योंमें अग्रवाल महासभाको माध्यम बनाकर जुट गये।

विलायत-यात्रा

उस समय सबसे प्रमुख चर्चा विलायत-यात्रा की थी। आज विलायत-यात्रा सरल हो गयी है, परन्तु उस समय इसका इतना प्रबल विरोध था, जिसका ठिकाना नहीं। सारा समाज विलायत-यात्राके नामसे चौंक पडता था। श्री कालीप्रसाद खेतान उन्ही दिनों वैरिस्टरी पढनेके लिए विलायत जा रहे थे। रूढ़िवादी समाजके घुरघुर महानुभाव इसका विरोध कर रहे थे। उस समय श्री वसंतलालजीने अपने साथियों सहित कानी-प्रसादजीकी यात्राका समर्थन किया। कालीप्रसादजी और उनके परिवारके अन्य भाई भी दृढ थे और वह विलायत-यात्रा हुई।

समाज-सुधार सबंधी प्रायः सभी कार्य समाजमें हलचल मचा देनेवाले होते हैं। जो परिपाटी पूर्वकालसे चली आ रही है, उसके विपरीत चलनेमें एक बार हिचकिचाहट होती ही है। परन्तु जो दूरदर्शी है, समयकी गतिको पहचाननेवाले है, समाजोन्नतिके लिए आवश्यक सुधारके पक्षपाती है, वे इस हिचकिचाहटको दबाकर सुधारकार्यमें जुटे रहते हैं और जो रूढ़ि और परंपराके गुलाम है, उनकी हिम्मत बँधी हुई लकीरसे इधर-उधर चलनेकी नहीं होती।

नवजीवन मण्डल

सन् १९२६ मे इस क्षेत्रमें अधिक द्रुतगामी और प्रभावशाली कार्य करनेके लिए 'नवजीवन मण्डल' नामसे एक सस्थाकी स्थापना हुई। इम

संस्थाके सभापति श्री घनश्यामदास विडला, मंत्री श्री त्रिजलाल वियाणी और सयुक्त मंत्री श्री वसंतलाल मुरारका बनाये गये । यह मण्डल जिग उद्देश्यमे स्थापित किया गया था, उसकी पूर्तिके लिए इसके कार्यकर्ताओं ने बड़ी चेष्टा की । इसने बाल-विवाहका अंत करनेके लिए यह निश्चय किया कि १४ वर्षसे कम आयुकी कन्या और १८ वर्षसे कम आयुके लड़केका विवाह न किया जाय । और वहाँ इसके विरुद्ध विवाह होता था, वहाँ उसको रकवानेका प्रयत्न किया जाता था । ऐसे विवाहमे मण्डलके कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं होते थे । वसंतलालजीने इनके पूर्वमे ही यह निश्चय कर रखा था कि जिग विवाहमे १२ वर्षसे कम उम्रकी कन्या और १६ वर्षसे कम उम्र का लड़का होगा उसमें सम्मिलित नहीं होंगे ।

वृद्ध-विवाह

वृद्ध-विवाहको रोकनेके लिए भी प्रबल आन्दोलन किया गया । जहाँ-जहाँमे वृद्ध-विवाहकी सूचना आती, वहाँ-वहाँ जाकर वसंतलालजी की मण्डली उनको राज्याने की चेष्टा करती थी । इनका परिणाम यह हो गया था कि जो वृद्ध अपना विवाह ठकेकी बोट करते थे, उनकी हिम्मत पस्त हो गयी और कुछ दिन लुक-छिपकर विवाह होने लगे । तिसपर भी पता लगा-लगाकर ऐसे स्थानोंमें जाकर अनेक उपायोंमे वृद्ध-विवाह रकवाने का प्रयत्न जारी रहता था । इन कार्य में नवयुवकों की तत्परता वहाँ तक थी कि कहीं-कहीं ऐसे विवाहोंमें लड़कियोंको समझा-बुझाकर विवाह-मंडपसे उठा लाया गया और उसी समय उपयुक्त वर खोजकर उनका विवाह करा दिया गया । उनके बाद वृद्ध-विवाहोंकी संख्या बहुत कम हो गयी और अब तो कदाचित् ही कहीं वृद्ध-विवाह होते हुए मुने जाते हैं ।

विधवा-विवाह

सुधारोंमें विधवा-विवाह शायद सबसे प्रमुख हैं । श्री वसंतलालजीने समाजमे विधवाओंकी अवस्था देखकर यह अनुभव किया था कि इनके पुनर्विवाहकी व्यवस्था होनी चाहिए । अत वे इसके पक्षमें आन्दोलन कर रहे थे । विधवा-विवाह जैसी 'भयंकर' बात समाजके पंच भला कब स्वीकार कर सकते थे ? वे इसका विरोध करनेमें एड़ी-चोटीका पसीना एक कर रहे थे ।

इसी बीच विधवा-विवाह करानेका एक प्रसंग आ उपस्थित हुआ । हवटाकी एक विधवा बहन पुनर्विवाह करनेके लिए राजी थी । उधर विधवा-विवाह के पक्षमें जो प्रचार-कार्य हुआ था, उसके कारण कुछ युवक भी विधवाके साथ विवाह करनेके लिए तैयार हो गये थे । अत इस बातका प्रयत्न होने लगा कि यह विवाह कराया जाय । इसके लिए झरियाके श्री नागरमल ल्हीला से बात की गयी । वे इसके लिये तैयार थे । बस, इस पुनर्विवाहकी तैयारी होने लगी । एक ओर नवयुवक दल इस विवाहकी तैयारी कर रहा था, दूसरी ओर प्राचीन पथी इसको रकवानेकी चेष्टा में थे । दोनो ओरसे पूरी ताकत लग रही थी । इस आंदोलनमें रुद्धिवादियों की ओरसे गदीसे गदी स्थिति या पैदा की गयी परन्तु नवयुवक दल अपने निश्चयसे रंचमात्रभी विचलित नहीं हुआ । अतमें यह विधवा-विवाह बड़ी धूमधामके साथ सम्पन्न हो गया ।

समाजके पक्षको यह काम बहुत बुरा लगा । उन्होंने इसका बदला नवयुवकोंसे

चुकाया। १२ नवयुवकोको, जो इस विधवा-विवाहके करानेमें शामिल हुए थे, समाजसे वहिष्कृत कर दिया। इन वहिष्कृतोंमें सर्वश्री पद्मराज जैन, भागीरथ कानोडिया, प्रभुदयाल हिम्मतीसहका, सीताराम सेकसरिया, ओकारमल सराफ, जगन्नाथ गुप्त, राम-गोपाल सराफ, फूलचन्द चौधरी, रामकुमार भुवालका, नागरमल मोदी, धर्मचन्द रानी-वाला के साथ वसतलालजी भी थे। समाज-वहिष्कार ही एकमात्र ऐसा प्रभावशाली अस्त्र था, जिसके प्रयोगसे साधारणतया लोग दब जाते थे। परन्तु वसतलालजीकी मण्डली ऐसी नरम धातुकी बनी हुई न थी। वह इस दण्डकी परवाह न करते हुए अपने निश्चयमें अटल बनी रही।

परदा प्रथा

समाजमें प्रचलित परदा-प्रथाके विरोधमें भी इन नवयुवकोका आदोलन बहुत प्रबल था। इन्होंने इस बातका अनुभव कर लिया था कि परदाके कारण नारी जातिके स्वास्थ्य, उसके ज्ञान और मानसिक विकासपर जो आघात होता है, उसके स्वास्थ्यके खराब होनेसे समाजमें उत्पन्न होनेवाले बच्चोंका स्वास्थ्य जिस प्रकार खराब होता है, संसारके नानाविध आविष्कारों और प्रगतियोंसे नारियोंको जिस प्रकार अनभिज्ञ रहना पडता है, उस सबका फल यह हो रहा है कि सामाजिक उन्नति रुक गयी है। जिस समाज का आघात अग एकदम पगु बना दिया जाय, उसकी निर्बलता और अयोग्यताका क्या ठिकाना? इसलिए परदेके खिलाफ जेहाद बोल देनेका दृढ निश्चय किया गया।

नवजीवन मण्डलके कार्यसे श्री वसतलालजीको देशके अनेक स्थानोंका दौरा करने का अवसर मिला था। अपनी इस यात्रामें वे ऐसे सभी स्थानोंमें गये जहाँ मारवाडी समाजका आवास था। इन स्थानोंमें वसतलालजीने समाज-सुधार सबधी सभी विषयों पर भाषण दिये। इन भाषणोंका अच्छा प्रभाव पडा हालांकि विरोध भी कम नहीं हुआ।

इसके बाद नवजीवन मण्डलकी ओर से एक डेपूटेशन बनाकर परदा-प्रथाका सगठित और जोरदार विरोध करनेका निश्चय किया गया। यह निश्चय किया गया कि परदा-विरोधी डेपूटेशन देशके अनेक स्थानोंका भ्रमण करके समाजमें परदा-विरोधी वातावरण उत्पन्न करे। डेपूटेशन बन गया। इसमें श्री पद्मराज जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्दादेवी, श्री नवलकिशोर भरतिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीलादेवी, श्री वसतलाल मुरारका और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमादेवी और श्री मोतीलाल लाठ सम्मिलित हुए। जिस समय इस डेपूटेशनके साथ वसतलालजीके सपत्नीक जानेकी बात उनके परिवारवालोंने सुनी, उस समय परिवारमें तहलका मच गया। सारा परिवार एक स्वरसे और कठोर से कठोर व्यवहारके साथ इसका विरोध करने लगा। मुरारकाजीकी माता तो बहुत ही अधिक नाराज हुई और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मेरी मृत्युके बाद भी वह मेरे शंवका स्पर्श न करे। परन्तु इन सब विरोधोंकी अव-हेलना करके भी वसतलालजी अपने निश्चयपर दृढ रहे।

परदा-विरोधी डेपूटेशन निकला और झरिया, भागलपुर, कानपुर, दिल्ली, रेवाड़ी, भिवानी, जयपुर, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, उज्जैन, अकोला, धामनगाँव, भुसावल आदि स्थानोंमें दौरा किया और परदाके विरोधमें जोरदार प्रचार किया। इस

दोरीमें विरोधियोने काले झंडे दिखाये, भद्दी-भद्दी गालियाँ दी, कीचड़ उछाला, ईंट-पत्थर फेंके, सभाएँ भंग करनेमें कोई कसर उठा नही रखी। ऐसे-ऐसे कार्य इस डेपूटेशनके विरोधमें किये गये जिनको देखकर गुण्डापन भी लजा जाय। खुलेआम समाजके बीच इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहारका सहन करना कोई साधारण बात न थी परन्तु जिनके हृदयोंमें लगन थी, जिनके सामने एक लक्ष्य था और जो उस लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए अधिकसे अधिक कष्ट उठाने, अपमान सहनेका पहलेसे ही निश्चय कर चुके थे, वे अपने पथसे कैसे च्युत होते ? इस डेपूटेशनने परदा-प्रथाकी जड़ें हिलादी।

इसके बाद भी प्रयत्न जारी रहे। देवोत्थान एकादशीके दिन प्रति वर्ष सारे देशमें परदा-विरोधी दिवस मनानेकी योजना बनायी गयी। कलकत्तामें दो बड़े सम्मेलन हुए जिनमें एक की अध्यक्षता श्रीमती जानकी देवी वजाजने की और दूसरेकी श्रीमती रावादेवी गायनकाने। कई वर्षों तक प्रति वर्ष परदा-विरोधी दिवस मनाया जाता रहा और उस दिनकी सभामें हजारों स्त्रियाँ परदा छोड़कर सम्मिलित होती थी। उसके बाद अ० भा० मारवाडी सम्मेलनकी समाज-सुधार समितिके तत्वावधानमें परदा-विरोधी सत्याग्रह जोरोसे शुरू हुआ। इसमें भी वसन्तलालजीने पूर्ण रूपसे सहयोग दिया। इस अभियानमें सर्वश्री सीताराम सेकसरिया, भँवरमल सिंघी, गोविन्दप्रसाद कानोडिया, रघुनाथप्रसाद खेतान, सुशीला सिंघी, माँग कुमारी भूतेडिया, चपादेवी गंगवाल, वजरंगलाल लाठ, पुरुपोत्तम केजडीवाल श्रीचंद मेहता, सुशीला भडारी, जवाहरलाल जैन आदि नवयुवक और नवयुवतियोंने मुख्य तौरसे भाग लिया। जहाँ पता लगता कि परदेके साथ विवाह हो रहा है, ये लोग पिकेटिंग करनेके लिए अपने दल-बलके साथ पहुँच जाते और परदा हटवानेकी चेष्टा करते थे।


मृतक विरादरी-भोज

दूसरी प्रथा जिसके विरोधमें आन्दोलन हुआ था, मृतक विरादरी-भोजकी प्रथा थी। यह कितना वीभत्स, हृदयहीन और अमानुषिक था कि जब एक परिवार अपने कुटुम्बीकी मृत्युके कारण शोक-संतप्त, दुखी और व्याकुल हो रहा हो तब समाजके लोग उसके यहाँ भोजन करने जायें। इतना ही नहीं, इस प्रथाकी श्रूताकी पराकाष्ठा तो तब होती थी, जब ऐसा शोक-संतप्त परिवार अपनी धनहीनताके कारण भोज देनेमें असमर्थ होता था और तिसपर भी उसे मजबूर किया जाता था कि भोज दे। जिस परिवारका एकमात्र आश्रयदाता मर गया हो, जिसके पास सम्पत्तिके नामपर भूँजी भाँग भी न हो, जिसके भविष्यके निर्वाहका कोई ठिकाना न हो, उसको मदद देनेके वजाय उससे भोजन करानेके लिए कहा जाय और इस प्रकार उसे कर्जदार बनाकर और भी गहरे गर्तमें धकेला जाय, इससे बढकर हृदयहीनता और क्या हो सकती थी ? पता नही यह किस प्रकारका भाईचारा था जिसका निर्वाह कराया जाता था।

इस कुप्रथाके विरोधमें भी सुधारक-दलने बड़ा सराहनीय कार्य किया। इसके लिए समझाने-बुझाने, कागजी आन्दोलन करने, लिखा-पढी करने आदिसे लेकर पिकेटिंग तक की गयी। जहाँ कहीं पता चलता कि मृतक विरादरी-भोज होने जा रहा है, वहाँ सुधारकोंका यह दल पहुँच जाता और जब किसी तरहसे उसको रुकवानेमें सफल न होता तो पिकेटिंग तक करता। इसके लिए भी इस दलको अनेक प्रकारके अपमान सहने पड़े। इन्हें



मच पर



आकाशवाणी पर



भूतपूर्व पश्चिम वग गवर्नर डा० कैलाशनाथ काटजू के साथ



भूतपूर्व पश्चिम वग गवर्नर डॉ० एच० सी० मुखर्जी (स्व०) के साथ

दुरा-भला सुनाने से ही विरोधियोंको संतोष न होता था । वे इनपर जूठी पत्तले तक फँकते थे । परन्तु अपनी धुनके पक्के इन वीरोका उत्साह इससे जरा भी न दबता था ।

वसंतलालजी उन दृढव्रती लोगोमे से थे जो केवल दूसरोको उपदेश देकर ही नहीं रह जाते वरन् उनके उपदेशोपर स्वयं भी अमल करते हैं । उन्होने जिन-जिन बातोके लिए समाजमें आदोलन किया, उन सबको अपने ऊपर घटित किया । आभूषणोका वहिष्कार कर अपनी पत्नीको सादगीके साथ शुद्ध खादीकी वेश-भूषामें रखा, उससे परदा छुड़ाया, उसे स्वतंत्रतापूर्वक रहने और मानवीय व्यवहार पानेके अवसर दिये और समाज-सेवामें प्रवृत्त किया । अपने पुत्र श्री भागीरथका विवाह माहेश्वरी जाति की कन्यासे किया । इस विवाहमें परदाका पूर्ण वहिष्कार किया और दहेजके नामपर एक पैसा भी नहीं लिया । इसी प्रकार अपने दूसरे पुत्रका विवाह विधवाके साथ करके समाज-सुधारका दूसरा उदाहरण उपस्थित किया । अपनी कन्याके वारेमें यद्यपि उनके घरवालो और समाजवालोका बडा विरोध था तथापि जब तक उसने मैट्रिक पास नहीं कर लिया और उसकी आयु १६ वर्षकी नहीं हो गयी तब तक उसका विवाह नहीं किया । घरके अन्दर बहुओंको भी वह स्वतंत्रता दे रखी थी जिसका प्रचार वे समाजमें करते थे । व्यवहारमे घरकी बहुओं और लडकियोमें जैसे कोई भेद ही न था । इस प्रकार जितने सुधारोका वे प्रचार करते थे, उन सबका व्यवहार अपने परिवारमें उन्होने किया ।

सेवाका सम्मान

उनके इन गुणो, समाज-सेवाओ, उदात्त भावनाओ आदिके उपलक्षमें समाजने भी उन्हें समय-समयपर सम्मानित किया । उन्हें अग्रवाल महासभाके मंत्री आदि पदोपर प्रतिष्ठित कर उनका जो सम्मान किया, वह तो किया ही, उत्कल प्रान्तीय अग्रवाल महासभाके अधिवेशनका सभापतित्व देकर और फिर अखिल भारतीय अग्रवाल महासभाके प्रयागवाले अधिवेशनमे उन्हें सार्वदेशिक सभाका सभापति बनाकर भी उनका सम्मान किया । अभी कुछ समय पूर्व गोहाटीमें मारवाडी सम्मेलनका जो आसाम प्रान्तीय अधिवेशन हुआ था, उसमें भी उन्हें सभापति निर्वाचित किया गया था । वसंतलालजी इन सब पदोके पूर्ण अधिकारी थे, यह तो निर्विवाद है ही ।

राजनीतिक क्षेत्र मे

एक वार सार्वजनिक कार्योंमें रुचि उत्पन्न हो जानेके बाद फिर किसी क्षेत्रमें क्यों न हो, कार्यकर्ता काम करनेके लिए लालायित हो उठता है । श्री वसंतलालजी इस नियम के अपवाद न थे । सामाजिक क्षेत्रमें ही सीमित रहकर काम करते, यह धायद स्वाभाविक भी न था । उन दिनों विदेशी शासनके कारण देशकी तवाही हो रही थी, स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिये देशके नेतागण छटपटा रहे थे, राजनीतिमें बडे जोरोसे हलचल हो रही थी, कांग्रेस, लिबरल फेडरेशन, होम रूल लीग, आदि अनेक सस्याएँ देशको स्वतंत्र करानेकी चेष्टामें लगी हुई थी । ऐसे समयमें सार्वजनिक कार्य की इच्छा रखनेवाले किम्य कार्यकर्ता का ध्यान उस ओर न जाता ?

रीलट एक्ट

प्रथम महायुद्ध समाप्त हो चुका था। उस युद्धमें महात्मा गांधीके आग्रहपर भारत-वर्षने जन-धनकी स्वेच्छापूर्ण सहायता दी थी। आशा यह थी कि लड़ाईके बाद अंग्रेज भारतवर्षको कुछ शासनाधिकार देंगे। परन्तु शासनकी सुविधाएँ देना तो दर किनार, उल्टा रीलट एक्ट जैसा कानून पास किया गया जिससे देशवासियोंकी रही-सही स्वतंत्रता पर भी आघात होता था। यह बात देशवासियोंके लिए असह्य थी। स्वयं महात्मा गांधीभी अंग्रेज शासकोंकी इस दुर्नीतिसे बहुत असंतुष्ट हुए और उन्होंने इस कानूनको वापस लेनेकी माँग की। सरकार अपने मदमे मत्त थी। वह इन बातों, माँगों और विरोधोंकी क्या परवाह करती ?

वह जमाना १९१६ का था। कांग्रेस देशकी सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था बन चुकी थी। महात्मा गाँधी भारतीय राजनीतिपर हावी हो रहे थे। चम्पारन और खेडाके सत्याग्रह हो चुके थे। उनमें महात्मा गांधीको पूर्ण सफलता मिल चुकी थी। सत्याग्रहका जो प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीकामें आजमाया था, वह यहाँ भी उक्त दोनों स्थानोंमें सफल हो चुका था। अतः महात्माजीका विश्वास इस प्रयोगपर और भी अधिक दृढ़ हो गया था। उन्होंने रीलट कानूनके विरोधमें भी सत्याग्रह करनेका निश्चय किया और उस निश्चयकी सूचना उन्होंने सरकारको भी दे दी।

देशव्यापी हड़ताल

६ अप्रैल सन् १९१६ का दिन इसी सिलसिलेमें देशव्यापी हड़ताल करनेके लिए निर्धारित किया गया। इसकी खूब जोरदार तैयारियाँ हुईं। सरकार हड़तालको असफल बनानेकी कोशिशमें लगी और कांग्रेसकी शक्ति उसे सफल बनानेमें। अंतमें ६ अप्रैल का दिन आया और सारे देशने ऐसी हड़ताल की जो उस समय अभूतपूर्व थी। इस हड़तालसे दो काम सिद्ध हुए। एक ओर कांग्रेसने यह देखा कि देशकी जनतामें राष्ट्रीय जागरण किस हद तक हो गया है और वह कहाँ तक कांग्रेसका साथ दे रही है और दूसरी ओर सरकारको भी यह मालूम हो गया कि देशमें उसके विरुद्ध कैसी व्यापक धारणाएँ फैल गयी हैं।

कलकत्तामें इस हड़तालका संचालन सर्वश्री पद्मराज जैन और अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी कर रहे थे। श्री वसंतलालजीने इन नेताओंके साथ कंधेसे कंधा मिलाकर ऐसा काम किया जिसकी प्रशंसा सभी लोगोंने की। पहिले कहा जा चुका है कि वसंतलालजीके साथ सहकर्मियोंका एक दल था और इन सब साथियों ने मिलकर हड़ताल को सफल बनाने का काम किया था।

दमन-चक्र

इसी सम्बन्धमें पंजावमें जो काण्ड हुआ, उसने बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर लिया। पंजावके क्रूर अधिकारियोंने जलियानवाला बागमें होनेवाली सार्वजनिक सभामें उपस्थित लोगोंपर गोलियाँ चला दी। उनमें लडके, जवान, बूढे स्त्री-पुरुष सभी हताहत हुए। इसके कारण सारे देशमें और भी भयंकर उत्तेजना फैली। उस समय उत्तेजित जनतामें हिंसा और रक्तपात तककी चर्चा होने लगी थी। यह तो कहिए कि महात्मा गांधी

जैसा शात और धैर्यवान नेता मूत्र-संचालन कर रहा था अन्यथा क्या होता, कह सकना कठिन है ।

कलकत्ताके नवयुवकोको दवानेके लिए भी पशु-बलका प्रयोग किया गया । उनपर लाठी चार्ज हुआ, वे जेलमें भेजे गये और उनपर मशीनगनें तक चलवायी गयी । मगर नवयुवकोका उत्साह इससे जरा भी गिथिल नहीं हुआ । जब सीधी कार्यवाही में सरकार सफल न हुई तब उसने व्यापार-व्यवसायमें बाबा उपस्थित करके उन्हें परेशान करनेकी युक्ति अपनायी । इस दुरभिसधिमें बंगाल चेम्बर आफ कामर्स और युरोपियन एमोशियेगन भी उनसे मिल गये । डा० कैलाशचन्द्र बोस भी, जिनका उस समय के मारवाडी समाजपर अच्छा प्रभाव था, सरकारकी हिमायत करते हुए नवयुवकोको निरत्माहित करने में लगे । मगर सब कोशिशें बेकार गयी । नवयुवकोने अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ा । इम नवयुवक मडलीमें वमतलालजी भी थे ।

असहयोग आन्दोलन

देशकी राजनीतिक अवस्था बड़ी विकट हो चली थी । उस स्थितिमें क्या किया जाय, राजनीतिक आन्दोलनका भविष्यमें क्या रूप हो इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्न सामने थे । अत इनपर विचार करनेके लिए सन् १९२० में कलकत्तामें कांग्रेसका विशेष अधिवेशन बुलाया गया । इस अधिवेशनमें महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन करनेका प्रस्ताव रखा । देशके लिए यह विलकुल नया कार्यक्रम था । लोगोका इसपर सहसा विश्वास न हुआ । परिणाम यह हुआ कि श्री मोतीलाल नेहरू और सेठ जमनालाल बजाजके अतिरिक्त प्रस्तावका और किसीने समर्थन नहीं किया । तथापि अधिकांश प्रतिनिधियोंके समर्थनसे प्रस्ताव गृहीत हो गया । इस कांग्रेस अधिवेशनमें भी वमतलालजी ने बड़ा काम किया था ।

महात्माजी देशकी स्थितिका अध्ययन कर रहे थे । जनताकी सहानुभूति प्राप्त करने और उसकी रुचि जाननेके प्रयत्न भी जारी थे । इन अनुभवोंके आधारपर महात्मा जी का विश्वास असहयोग आन्दोलनपर और भी दृढ़ हो गया था । अत उन्होंने इमका आग्रह नहीं छोड़ा । उसी वर्ष नवम्बरमें नागपुरमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ । अधिवेशनमें असहयोगके प्रस्तावपर विशेष रूपसे विचार होना था । पक्ष-विपक्ष दोनों ओर से तैयारियां हो रही थी । बगालसे देशबधु चित्तरजनदास अपने दल-बलके साथ महात्माजीका विरोध करनेके लिए पहुँचे थे । बड़ा बाजारकी ओरसे वमतलालजी और उनके कुछ साथी भी वहाँ गये थे । बड़ा बाजार दल महात्माजीका समर्थक था । अत बगाल कैम्पमें दो दल हो गये थे । एक दिन आपसी बहस-मुवाहमेमें दोनों दलोमें संघर्ष हो गया । झगड़ेकी बात सुनकर महात्माजी बगाल कैम्पमें आये । उन्होंने अपने समर्थकोको सम्बोधित करते हुए कहा कि बगालके नेता देशबधु दास हैं । बगालको उनके ही आदेश पर चलना चाहिये । उन्हें समझाया जा सकता है परन्तु उनके साथ लड़ाई नहीं की जा सकती ।

इसके बाद महात्माजीने दास बाबूसे इसी विषयमें लम्बी बातचीत की । इन बातचीतमें दासबाबू महात्माजीकी नीतिसे सहमत हो गये । फिर तो उन्होंने स्वयं नागपुर

कांग्रेसमें असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव रखा । जब इतने प्रधान विरोधी स्वयं प्रस्तावक हो गये, तब विरोध क्या होता ? असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया ।

अब व्यवहारमें असहयोगका श्रीगणेश किया गया । वकील लोग अदालतोंका, विधान सभाई अपनी-अपनी धारासभाओंका, विद्यार्थी सरकारी स्कूल-कालेजोंका वहिष्कार करके आन्दोलनमें शामिल होने लगे । अनेक व्यक्तियोंने सरकारी नौकरियाँ छोड़ी, अनेकोने सरकारी उपाधियाँ लौटाईं, विदेशी वस्त्र जलाये गये, विदेशी मालके विरुद्ध पिकेटिंग हुई और सवने एक स्वरसे यह घोषित कर दिया कि वे विदेशी शासनका अंत चाहते हैं । इस आन्दोलनसे एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि उस समय तक देशकी जनतामें जेलोंका जो भय समाया हुआ था, वह समाप्त हो गया । इस आन्दोलनमें हजारों आदमी जेल गये । इसलिये जेलका जो आतंक जन-साधारणके हृदयमें छाया हुआ था, वह समाप्त हो गया । इस आन्दोलनमें श्री वसंतलालजीने देगबधुके साथ मिलकर खूब काम किया ।

प्रिस आफ वेल्स का वहिष्कार

सन् १९२१ के नवम्बर महीनेमें प्रिस आफ वेल्स भारत आये । सरकारका स्वाभाविक प्रयत्न था कि उनका गानदार स्वागत किया जाय । परन्तु महात्माजीने इसके विलकुल विपरीत यह निर्णय किया कि उनका वहिष्कार किया जाय । १७ नवम्बरको वे बम्बई उतरनेवाले थे । उसी दिन सारे देगमें पूर्ण हड़ताल करनेका निश्चय किया गया । उसीके अनुसार सब तैयारियाँ हुईं और १७ नवम्बर १९२१ की हड़ताल अप्रत्याशित रूपसे सफल हुई । कलकत्ता में भी यह हड़ताल मनायी गयी । बड़ाबाजारमें हड़ताल करवानेमें वसंतलालजीने बड़ी कोशिश की । वह हड़ताल इतनी सफल हुई कि जिसकी कोई मिसाल आज तक नहीं है । कलकत्ताका सारा कारोबार एकदम बंद था, यहाँ तक कि पानकी दुकान तक खुली न थी । हबडा स्टेशनपर यात्रियोंको जाने-आनेकी लिए सवारियाँ न मिलती थी, सारे गहरमें सन्नाटा छाया हुआ था, रोगियोंको देखनेके लिये डाक्टरोंको छोड़कर और कोई सड़कपर चलता हुआ नजर न आता था । रातमें विजली तक फेल करदी गई । उस दिन सन् १९२१ में ही ब्लैक आउटका नजारा दिखलायी पड़ रहा था ।

प्रिस आफ वेल्सका यह वायकॉट देखकर अंग्रेज शासक बड़े क्रुद्ध हुए । और उसी समय तो नहीं, १० दिसम्बर को देगके अनेक नेताओं और कार्यकर्त्ताओंको इसी अपराधमें पकड़कर जेल भेज दिया । बंगालके नेतागण भी इस वार बचे नहीं । १० दिसम्बरको ही देशबंधु दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि पकड़कर जेल भेज दिये गये । उन्हीं के साथ श्री वसंतलालजी भी जेल भेज दिये गये । उन सबको प्रेसीडेंसी जेलमें एक साथ रखा गया । जब उनपर मुकदमा चला तब वसंतलालजीने बड़ा ओजस्वी और निर्भीक बयान अदालतमें दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेजी हुकूमत अत्याचार पर तुली है और भारतवासी अब उसको विलकुल बरदाश्त नहीं कर सकते । उस मुकदमेमें उन्हें डेढ़ वर्ष का सश्रम कारावास-दण्ड मिला ।

असहयोग आन्दोलन जोरोसे चल रहा था । देगने पहले-पहल इस प्रकारका

राजनीतिक जागरण देखा था। चारो ओर सन्नाटा-सा छाया था, लोग बड़ी उत्सुकता के साथ आनेवाले दिनकी प्रतीक्षा करते थे। अंग्रेज सरकारके लिये भी यह एक नया मोर्चा था। इस प्रकार के आन्दोलनका उसे कोई अनुभव न था। वह भी बड़ी दुविधा में पड़ी हुई थी। जेलें भरी जा रही थी। कैदियोंको रखना और संभालना उसके लिए एक समस्या बन रहा था। वह भी इस चेष्टामें थी कि किसी प्रकार आन्दोलन शान्त किया जाय। कुछ समय बाद महामना मालवीयने मध्यस्थता करके गांधीजी और वायसरायके बीच समझौतेकी बातचीत करानेकी चेष्टा की। इसी बीच चौराचौरी काण्ड हो गया, जिसमें महात्माजीको हिंसाकी गंध आयी। अतः उन्होंने असहयोग आन्दोलन स्थगित कर देनेकी घोषणा करदी।

नये नेतृत्व की माँग

यह निश्चय कुछ नेताओंको बड़ा अप्रिय लगा। उनकी दृष्टिसे देश विलकुल तैयार था और वह समय था कि आन्दोलन और आगे बढ़ाया जाता परन्तु महात्माजीने विलकुल उलटा निर्णय करके इसे स्थगित कर दिया। देशवधु दासकी पत्नी श्रीमती वासती देवी तो इतनी क्षुब्ध हुई कि फरीदपुरमें हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलनमें उन्होंने देशके नेतृत्वको बदल देनेकी माँग की। इससे सारे देशमें बड़ी खलबली मच गयी। जेलों में भी इसकी चर्चा होने लगी। उस समय वसंतलालजी देशवधु आदि नेताओंके साथ अलीपुर जेल भेज दिये गये थे। वहाँ भी यह प्रसंग छिड़ा। मगर वसंतलालजी ने सदा महात्मा गांधीके पक्षका समर्थन किया।

स्वराज्य पार्टी

कुछ समय बाद कांग्रेसमें परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दल हो गये। परिवर्तनवादी दलने स्वराज्य पार्टी स्थापित की और कौंसिल प्रवेशका समर्थन किया। इस पार्टीमें देशवधु दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल आदि थे। देशवधुका वसंतलालजी पर अच्छा प्रभाव था। परन्तु फिर भी वसंतलालजीने इस मामलेमें उनका साथ न देकर अपरिवर्तनवादी दलके ही साथ रहे। अपने सिद्धांतके समय वसंतलालजी बड़ेसे बड़े व्यक्तिसे भी समझौता करनेके लिए तैयार नहीं होते थे।

देशवधुकी मृत्युके पश्चात् श्री जे० एम० सेनगुप्त और तत्पश्चात् श्री सुभाषचन्द्र बोस बंगालके नेता बने। उन दोनों महानुभावोंके साथ भी वसंतलालजीका घनिष्ट सम्बन्ध रहा। सन् १९२८ में कलकत्तामें कांग्रेसका जो अधिवेशन हुआ था, वह बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें पूर्ण स्वतंत्रताकी चर्चा हुई थी। उसी अवसरपर सर्वदल सम्मेलन भी हुआ था। उन सबमें मुरारकाजीने बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग दिया था।

कानून अमान्य आन्दोलन

एक वर्ष बाद लाहौरमें कांग्रेसके अधिवेशनमें पूर्ण स्वतंत्रताका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। २६ जनवरीको स्वतंत्रता-दिवस मनानेका निश्चय किया गया। उस आयोजनको सफल बनानेके लिये वसंतलालजीने भी बड़ा प्रयत्न किया। उससे देशमें फिर नवजीवनकी लहर दौड़ी। अब कानून अमान्य आन्दोलनका श्रीगणेश हुआ। श्री जे० एम० सेनगुप्तने उसमें सबसे पहले काम किया। वे कानूनकी अवज्ञा करके जेल

गये । उसके बाद इस आन्दोलनको बंगालमें सफलतापूर्वक चलानेके लिए सिविल डिस-ओबीडिएन्स कमेटीकी स्थापना हुई जिसके सभापति श्री अमरेन्द्रनाथ चटर्जी और मंत्री वसंतलालजी निर्वाचित हुए । इस काम को भी उन्होंने सुचारु रूपसे चलाया ।

इधर गाधी-इरविन पैक्टकी बात चल रही थी । गाँधीजी उस समझौतेके पक्षमें थे, परन्तु भय यह था कि कहीं सुभाष बाबू इसका विरोध न करें । अतः जब सुभाष बाबू जेलसे छूटे तो वसंतलालजी जेलके फाटकपर ही उनसे मिले और सुभाष बाबूसे भी पैक्टका समर्थन करवानेमें सफल हुए । परन्तु कराँची कांग्रेसके समय नौजवान कान्फ्रेंसके सभापतिकी हैसियतसे सुभाष बाबूने फिर पैक्टका विरोध कर दिया । इससे महात्माजी बहुत चिंतित हुए । तब वसंतलालजी सुभाषबाबूसे मिले और महात्मा गाधीसे उनकी मुलाकात करवाई । इस मुलाकातके बाद सुभाष बाबूने पैक्टका विरोध बंद कर दिया ।

राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स

नमक सत्याग्रहके समय वसंतलालजीने बड़ा काम किया । जन-धनकी जो सहायता जहाँ आवश्यक होती थी, वहाँ वह सहायता यथाशक्ति पहुँचायी जाती थी । बंगालके इस आन्दोलनमें वसंतलालजीकी सहायता अनुपम थी ।

इसके बाद राउण्ड टेबुल कान्फरेंसका नाटक रचा गया । महात्माजी भी उसमें शामिल हुए । वे लन्दन गये, परन्तु वहाँसे खाली हाथ ही उन्हें लौटना पड़ा । जब राउण्ड टेबुल कान्फरेन्ससे कोई समस्या सुलझ न सकी तब यह निश्चय ही था कि सत्याग्रह आन्दोलन आगे बढ़ाया जाता । इसलिए सरकारने महात्माजी तथा अन्य नेताओंको लन्दनसे वापस आते ही जहाज पर गिरफ्तार कर लिया । देशके विभिन्न स्थानोंके नेतागण भी गिरफ्तार हुए और वसंतलालजी भी उसीमें गिरफ्तार कर लिये गये । वे दो महीनोंके लिए नजरबन्द किये गये थे । परन्तु बादमें छूटते ही अरबजाके अपराधमें फिर गिरफ्तार कर लिये गये ।

हरिजन-उत्थान

१९३२ में जेलसे मुक्त होनेके बाद वसंतलालजीने महात्माजी द्वारा संचालित हरिजन-उत्थान का कार्य अपने हाथमें लिया । कलकत्तामें हरिजन उत्थान समिति की स्थापना करके आपने उसके माध्यमसे हरिजनोंमें शिक्षा प्रचार करने, उनको साफ-सुथरा रखने, उनके निवास-स्थानोंकी सफाई करने आदिमें खूब काम किया । समय-समयपर अपने हाथमें झाड़ू लेकर हरिजन-वस्तियोंकी सफाईके लिए उनका जाना और हरिजनोंके साथ बराबरी का व्यवहार करना, उनसे गले मिलना आदि बातें समाजवालोंको असह्य थी । इसके लिए भी उनका बहुत विरोध हुआ परन्तु उसकी परवाह न करके वे इस कार्यमें जुटे रहे ।

१९३५ में रीगसकी राजनीतिक काफरेन्सके सभापतिकी हैसियतसे भी उन्होंने हरिजन-उत्थानका बहुत काम किया । वहाँ हरिजन सेवक संघकी स्थापना करके उन्होंने इस कामको बहुत आगे बढ़ाया ।

आगे चलकर वह समय आया, जब कांग्रेसकी भीतरी व्यवस्थामें थोड़ी उथल-पुथल

मची । सुभापचावू हरिपुरा काग्रेसके सभापति निर्वाचित हुए थे । उसके बाद त्रिपुरी काग्रेसके सभापतिके निर्वाचनका जब समय आया, तब सुभाप चावू और डा० पट्टाभि सीतारमैयामें सघर्ष हो गया । महात्मा गांधी डा० पट्टाभि को सभापति बनाना चाहते थे परन्तु जनताने सुभाप चावूको निर्वाचित किया । इस विवादमें वसतलालजीने सुभाप चावूका ही समर्थन किया ।

‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव

१९४२ के अगस्तमें बम्बईमें काग्रेस कमेटीकी ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें ‘अग्नेजो, भारत छोड़ो’का प्रसिद्ध प्रस्ताव गृहीत हुआ । वसतलालजी जबसे काग्रेसमें शामिल हुए थे, तबसे प्रायः प्रतिवर्ष प्रति अधिवेशनमें और काग्रेस कमेटीकी प्रायः सभी बैठकमें भाग लेते थे । वे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य थे । बम्बईमें भी वे उक्त बैठकमें सम्मिलित होने गये ।

उस समय देशका राजनीतिक वातावरण उत्तेजनाकी चरम सीमाको पहुँचा हुआ था । जनतामें उत्साहका सागर हिलोरें मार रहा था । अग्नेज अधिकारी इस स्थितिसे परिचित थे और आन्दोलनको शुरू होनेके पहले ही दवा देनेकी चेष्टामें थे । इसलिये ज्योंही यह प्रस्ताव पास हुआ, त्योही बम्बईमें उपस्थित नेता तो गिरफ्तार कर ही लिये गये, अन्य सब स्थानोंके नेता और खास-खास कार्यकर्त्ता भी गिरफ्तार कर लिये गये । वसतलालजी भी बम्बईसे लौटते ही अपने अनन्य साथी श्री सीतारामजी सेकसरिया सहित हवडा स्टेशनपर ही गिरफ्तार कर लिये गये और जेल भेज दिये गये ।

मगर आन्दोलन इसके बावजूद भी चला और उसका ऐसा प्रभाव पडा कि अग्नेजी शासनकी जड़ें हिल गयी । समय अपना काम कर रहा था । ये लोग १९४४ के फरवरी महीनेमें छोड़ दिये गये ।

१९४५में बम्बईमें काग्रेसका अधिवेशन हुआ । नेताजी मुभापचन्द्रके भाई गरुचन्द्र बोस जेलसे छूटते ही सीधे काग्रेसमें शामिल होनेके लिए वहाँ पहुँचे । वसतलालजीके साथ वहाँ उनकी मुलाकात हुई । उसके बाद कलकत्ता वापस आनेपर शरत चावूके सार्वजनिक स्वागतकी व्यवस्था की गयी । उसमें उन्हें एक लाखकी थैली भेंट की गयी । इस कार्यमें भी वसतलालजीका बहुत बडा हाथ रहा । उसके बाद शरत चावूके साथ बहुत दिनों तक उनका पूर्ण सहयोग रहा ।

साम्प्रदायिक उपद्रव

१९४६ में कलकत्तामें भयकर मारकाट हुई । हिन्दू-मुसलमानोंकी इस लडाईके पीछे अग्नेजी सत्ताका कुचक्र था । १४ अगस्तको बंगाल विधान-सभामें तत्कालीन मुख्य मंत्री सुहरावर्दीने सूचना दी कि मुसलिम लीगने सीधे कार्यवाही करनेका निश्चय किया है । दूसरे दिन इसके विरोधमें सभा हुई जिसमें वसतलालजीने इस की तीव्र निंदा की और समझदारी तथा शांतिसे काम लेनेकी अपील की । मगर १६ अगस्तको यह मार-काट छिड़ ही गई । वह स्थिति इतनी भयकर थी जिसका स्मरण करनेसे रोमाच होता है । आदमी पशु और राक्षससे भी गया-बीता हो गया था । इस अवसरपर शांति-स्थापना तथा दंगा-पीड़ितोंकी सहायता आदिके कार्यमें वसतलालजी

ने बड़ा काम किया था । जब १९२६ में पहले-पहल कलकत्तामें साम्प्रदायिक दंगा हुआ था, तब भी वसंतलालजीका सेवा-कार्य बड़ा प्रशंसनीय हुआ था ।

यह प्रयत्न हो ही रहे थे कि महात्माजी अन्य सब कार्य स्थगित करके कलकत्ता ढाँडे आये और शान्ति-स्थापनाके लिए आमरण अनशन की घोषणा की । इस अवसरपर वसंतलालजीने दोनो समुदायोके नेताओंसे मिलकर महात्माजीका अनशन भंग करवाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया । अन्तमें दोनो सम्प्रदायोके नेता महात्माजीसे मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि शांतिकी स्थापना होगी और भविष्य में भी मैत्री रहेगी, इस प्रकार की घटना फिर न हो, इसका प्रयत्न किया जायगा । तब महात्माजीने अनशन भंग किया ।

विस्थापितों की सेवा

१९४७ में स्वतंत्रता-प्राप्तिके साथ ही देशमें फिर भयकर उपद्रव हुए । इसमें अनेक परिवारोंको जन-धनकी अपार हानि उठानी पड़ी । अनेक जन विस्थापित होकर भारत आये । उस समय विस्थापितोंके निवास और पुनर्वासकी समस्या बड़ी विकट थी । दिल्लीमें विस्थापितोंकी अपार भीड़ एकत्र हो गई थी । वसंतलालजी मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटीकी ओरसे वहाँ गये और विस्थापितोंके निवास आदिके लिए यथासाध्य व्यवस्था की । बंगालकी विस्थापित समस्याको सुलझानेमें भी उन्होने बड़ा सहयोग दिया ।

विधान सभाके सदस्य

सन् १९४६ में विधान-सभाका जो आम चुनाव हुआ, उसमें बड़ाबाजार क्षेत्रसे वसंतलालजीको भी कांग्रेस की ओरसे उम्मीदवार किया गया और वे अपनी लोकप्रियता के कारण सफल होकर विधान सभा के सदस्य हो गये । वहाँ उन्होने अपनी राजनीतिक सेवाओं का अच्छा परिचय दिया ।

जब विधान सभामें कांग्रेस दलके अन्दर फूट हो गयी, उस समयके मुख्य मंत्री डॉ० प्रफुल्लचंद्र घोष और डा० सुरेशचन्द्र बनर्जीका दल एक ओर था और हुगलीके श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन और श्री अतुल्य घोषका दल दूसरी ओर । इस सघर्षमें हुगली दल विजयी हुआ । डा० घोषने इस्तीफा दिया और उनके स्थानपर डा० विधानचंद्र राय मुख्य मंत्री निर्वाचित हुए । वसंतलालजीने डा० रायका समर्थन किया ।

सन् १९५२ में वालिग मताधिकारके आधारपर प्रथम बार निर्वाचन हुआ । कांग्रेसने भी अपने उम्मीदवार खड़े किये । उस समय तक बंगालकी राजनीतिमें वसंतलालजीका अच्छा स्थान बन गया था । इसलिए कांग्रेसने इस बार उन्हें वीरभूमसे विधान सभाके लिए अपना उम्मेदवार मनोनीत किया । वसंतलालजीके मुकाबलेमें जो उम्मेदवार खड़ा था, वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति था परन्तु फिर भी निर्वाचनमें वसंतलालजी विजयी हुए । वीरभूम, जो गुट्ट बँगला-भाषी क्षेत्र था, से अपने प्रबल प्रतिद्वंदीको परास्त करना वसंतलालजीकी लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक सेवाओंके प्रति जनता के विश्वासका द्योतक था । मुरारकाजीका जन्म राजस्थानमें हुआ था परन्तु बंगालमें निवाम करनेके कारण उन्होने अपनेको बंगालीसे भिन्न कभी नहीं माना ।

जब विहार-बंगालकी सीमाका प्रश्न आया, तब भी उन्होने बंगालके पक्षका समर्थन किया । बंगालके राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंमें उनका विविष्ट स्थान था ।

वसंतलालजी जब से कांग्रेसमें शामिल हुए, तबसे यावज्जीवन उसमें बने रहे। इस सम्बन्धमें उनकी दृढ़ता इतनी अधिक थी कि पिछले दिनों स्वतन्त्रता प्राप्त हो जानेके बाद कांग्रेसमें स्वार्थपरता और पदलोलुपता आदिकी भावना देखकर जब उनके कुछ साथी उससे अलग हो गये, तब भी उन्होंने कांग्रेसको नहीं छोड़ा।

भाषा और साहित्य की सेवाएँ

वसंतलालजीका कार्य-क्षेत्र बहुमुखी था। उन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्यके क्षेत्रमें भी काम किया। जब-जब वे जेल गये, तब-तब जेलके अपने साथियोंको हिन्दी-भाषाकी शिक्षा देनेका काम वे करते रहे। सुभाष बाबूको भी हिन्दी सिखानेकी उन्होंने समुचित व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त बंगाल, आसाम और उत्कल प्रान्तोंमें हिन्दीका प्रचार करनेके लिए पूर्वं भारत हिन्दी प्रचार सभा नामसे जो संस्था स्थापित की गई थी, उसके वे सभापति थे और श्री विष्णुदत्त शुक्ल मंत्री थे। हम सभा द्वारा हजारों रुपये वार्षिक व्यय करके तीनों प्रान्तोंमें राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार किया जाता था। उत्कल प्रान्तीय राष्ट्र भाषा प्रचार समिति इसी प्रयत्नका फल था, जो आज तक उड़ीसामें हिन्दी प्रचारका अच्छा कार्य कर रही है।

मुरारका पारितोषिक

वसंतलालजीकी शिक्षा तो सीमित थी ही, इसलिए वे स्वयं साहित्य-निर्माणमें कोई विशेष कार्य नहीं कर सके परन्तु उन्होंने दूसरोंको उसकी ओर प्रेरित करनेका प्रशमनीय प्रयत्न किया। प्रयागके हिन्दी साहित्य सम्मेलनको उन्होंने एक धनराशि इसलिये दी थी कि उससे ५००) प्रति वर्ष उस लेखकको पुरस्कार स्वरूप दिये जायें जो समाजवाद पर हिन्दीमें सर्वोत्तम पुस्तक लिखकर दे। मुरारका पारितोषिकके नामसे यह पुरस्कार हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी ओरसे प्रति वर्ष दिया जाता है।

देशके विभिन्न भागोंमें जो साहित्यिक संस्थाएँ काम कर रही हैं, उनकी सहायताके लिए भी वसंतलालजीने समय-समयपर बहुत काम किया था। इस प्रकार उनकी साहित्य-सेवा अनेक प्रकारसे हुई थी।

उपसंहार

वसंतलालजीका जीवन सेवा, सादगी, सिद्धान्तप्रियता, दृढ़ता और लगनका एक तेजस्वी उदाहरण है। अनेक वर्षों तक नाना प्रकारके कष्ट, अपमान उठाकर उन्होंने यावज्जीवन समाज और राष्ट्रकी सेवाकी और अंतमें १० अक्टूबर सन् १९५६ को शान्तिपूर्वक इह-लीला समाप्त की। उनका जीवन-चरित्र अनुकरणीय है। उससे आनेवाली पीढ़ियोंको सदैव प्रेरणा और उत्साह मिलता रहेगा।

सार्वजनिक अभिनन्दन

“श्री वसंतलालजी मुरारका सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रोंमें समान रूपसे अपनी सेवाओंके लिए प्रसिद्ध हैं। न केवल बंगाल बल्कि देशमें दोनों क्षेत्रोंका समन्वय करने-वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। गत चालीस वर्षोंसे मुरारकाजीने देशकी जिस लगन, स्वार्थ-त्याग और निष्ठाके साथ सेवा की है, उसके लिए कार्यकर्ता-समाज अपनेको गोरवान्वित अनुभव करता है।” इन गन्दोंमें पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष श्री अतुल्य घोषने सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं राजनीतिक नेता श्री वसंतलालजी मुरारकाके अभिनन्दन-आयोजनपर मुरारकाजीके प्रति उद्गार प्रकट किए। उन्होंने आगे कहा कि मुरारकाजीने देशकी सर्वांगीण उन्नतिके लिए निरंतर देश एवं समाज-विरोधी तत्वोंसे मोर्चा लिया। मुरारका जीका यह सघर्ष-काल देशकी वह घड़ी थी जब राजनीतिक या सामाजिक सुधारके नामपर कार्यकर्ताओंको हर प्रकारसे तिरस्कार मिलता था। राष्ट्रके निमित्त आपने जेल-यात्रा की, परिवार और स्वजनोको भुला दिया, किसी भी प्रकारके कष्टका कभी ह्याल नहीं किया। मैं बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उसके शत-शत कार्यकर्ताओंकी ओरसे मुरारकाजीका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

कठिन कैंसर रोगग्रस्त मुरारकाजीका अभिनन्दन उनकी अत्यधिक अस्वस्थता के कारण उनके निवास-स्थानपर ही विशेष रूप से निर्मित पडालमें आयोजित हुआ। आयोजनका सभापतित्व करनेके निमित्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लोकनायक श्री जयनारायणजी व्यास आज ही हवाईजहाजसे कलकत्ता पहुँचे। समारोह में उपस्थित विभिन्न प्रान्तों और जातियोंके नर-नारियोंकी उपस्थिति मुरारकाजीके प्रति सार्व-जनिक प्रेम और उनके व्यापक सेवा-क्षेत्रकी द्योतक थी। मुरारकाजी एक चारपाईपर मंचपर लेटे हुए थे।

अभिनन्दन-ग्रथ (जो तैयार नहीं हो सका था) की रूप-रेखा का पत्रक एक चाँदी की पेट्टीमें रखकर अभिनन्दन समितिके अध्यक्ष श्रीप्रफुल्लचन्द्र सेनने आपको भेंट किया। समितिके मंत्री श्री भँवरमल सिन्धी द्वारा पढे गये एक मान-पत्रमें आपकी सेवाओंपर प्रकाश डाला गया।

माननीय श्री प्रफुल्लचन्द्र सेनने मुरारकाजीके जीवनपर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे केवल एक राजनीतिक विप्लवी ही नहीं, अपितु सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने सामाजिक दुर्नीतियोंका खुला विरोध किया।

लोकनायक श्री जयनारायण व्यासने मुरारकाजी का अभिनन्दन करते हुए कहा कि जिन कारणोंसे मुरारकाजी इतने सर्वप्रिय हुए, उनके मलमें उनकी वह भावना थी जो देश की सारी सामाजिक कुरीतियोंका उन्मूलन करने तथा समाजको अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें स्थान दिलानेके लिए व्यक्त होती रही। मुरारकाजीने वह क्षेत्र अपनाया जिसमें कोरा धिक्कार ही नहीं, शाब्दिक लांछना भी मिलती है।



अभिनन्दन-समितिके अध्यक्ष श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन (खाद्य मंत्री, पश्चिम बंगाल)
द्वारा रजत-पेटिका में अभिनन्दन ग्रथकी पाडुलिपि भेंट



परम श्रद्धास्पद श्री वसन्तलालजी मुरारका

के

कर-कर्मों में सादर समर्पित

अभिनन्दन-पत्र

आदरणीय सार्थी,

आज हमें आपका प्रतिनन्दन करने हुए अतीव धन्य हैं। ५० वर्ष पूरे आपने समाज और राष्ट्र की सेवा का जो मन्त्र और व्रत ग्रहण किया और जिस पर निरंतर ध्याना करने हुए आपने अनुपम भाद्रा मित्रा श्रद्धा भजनमि निर्भीकता एवं धृष्ट्य धैर्य का परिचय दिया, उसके लिए आपने जीवन का प्रति वर्ष, प्रति मुहुन प्रतिनन्दित रहा है।

स्वाधीनता-प्रश्न के सेनानी,

जब हम उस दिन का स्मरण करते हैं जब आप राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के प्रह्लाद पर देश की विदेशी शृंखला से मुक्त करने के लिए अहिंसक प्रश्न के समरामण में अपना सबस्य स्वीकार करते की तमशा नेकर दृढ़ पदने वाले नौजवानों की प्रेरकित में गिर्दाई परे और समस्त बाधाया, विपत्तियों एवं सङ्घटों का सामना करते हुए अविचलित भाव से उभर पर उठते गये, जब राष्ट्र-गुरु द्वारा दिये गये मन्त्र से प्रेरित होकर आप ऊँचा गिर ऊँची छाती रख कर युधिष्ठिर की साठियों और धीनियों का जन की रक्षा शृंखलाया का सामना करते हुए अपने सबस्य पर उठते गये। सुदीर्घकाल की आपकी यह श्रम-साधना एक इतिहास है और उस इतिहास का हर पृष्ठ, हर मन्त्र और हर ध्वज प्रतिनन्दनीय है।

सामाजिक क्रान्ति के अप्रहृत,

जो समाज प्रणय सामाजिक और धार्मिक ऋद्धियों में जबरन हुआ हजारों वर्षों के प्रगाढ़ निद्रा में सुगुप्त था, जिसकी सामाजिक चेनना निर्वोच हो गई थी जिसन नेके वैषम्य और अज्ञान की धार्मिक भावनाओं में संश्लिष्ट कर रखा था, जिसने मार्ग को निरा चेतनाविहीन प्रतिकारविहीन पशु बना कर रूढ़ि में रखा था, उस समाज को झरझरा कर जाग्रत करने के लिए, जो मन्त्र आपने पढ़ा उसकी सफलता आज स्वयं आपका प्रतिनन्दन कर रही है। आपके शब्द हैं ये कि 'सामाजिक क्रान्ति के इस युग में प्राचीन ऋद्धियों और अंधविश्वासों को हमें उन्नी ठगड़ जना कर नाश कर देना है जिस प्रकार जंगल और हने के कीटाणुओं में प्राणशक्ति बन्धु उन कीटाणुओं का प्रसार समाप्त करने के लिए नाश कर दी जाती है। उस समय यह नहीं देना जाता कि धर्मक बन्धु काम की है कीमतों है, उसे रख दिया जाय। काम की हाथी, कीमती भी होगी, वह है तो कीटाणुओं से मरी हुई। यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं।' समाज में इन कीटाणुओं का मत्त-मर्वा के लिए नेत्रपातुद करने के लिए आपने प्रबल ध्यानात्मकों का नेत्रण किया, ईश-शक्तियों के सामने धृष्टी ग्राह्य कर, झूठी पत्तियों का गिर पर श्रेय कर गाली-गलौज को फूट मान कर सामाजिक अहिंसक का प्रतिनन्दन मान कर और गाला पिता, बन्धु-भायक, धर्म-अन्धकारों सब के कोप-भारत बर कर भी आपने इन विचारों को अपने जीवन में उतारा, इन धारणाओं का आकार किया, और हजारों-हजारों नौजवानों को इस पथ पर चलने की प्रेरणा दी। और सामाजिक-धार्मिक अज्ञान और अंधकार से प्रेरित मार्ग का बाध विवाह, धर्ममेत विवाह, बहुपत्नी-प्रथा प्रतिनन्दनीय वैषम्य-मानन और पदा की वैचारिक मन्त्रनाया से मुक्ति प्रदान कर आपने जो जाग्रत और नवचेतना उत्पन्न की वह कभी भी विस्मृत नहीं होगी।

तृष्णों के ज्योती और,

आपका श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक तृष्णों का जीवन रहा है। तृष्णों ने आपकी प्रेरणा और शक्ति दी, आपकी सुराया नहीं। तृष्णों पर बैठकर आप युग के नये विचारों की और उठे। आज हम जिस विचार पर पहुँच गये हैं वह किन्तु तृष्णों विनये सपनों के बाद मिला है। इन बड़े-बड़े तृष्णों के बाद प्राप्त हुई राजनीतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता के नवप्राण में सदैव और हम आज हैं जमी और, धार्मिक प्रतिनन्दन करने हैं और प्रतिनन्दन करने में गौरव अनुभव करते हैं।

राष्ट्रीयता की आदर्श भावना के उद्गायक,

आपने अपने जीवन में मग राष्ट्र-बन्धुत्व की ही सबस्य स्थापना किया। राष्ट्रीयता, मानवमिक्ता और राष्ट्रीयता की पाठक मन्त्रानामों का धारण कर जगह हर समय उठ कर मुखात्मना किया और राष्ट्रीय ऐश्वर्य के उन्नयन में आप सतत प्रयत्न रहे। समस्त दग में एक राष्ट्रपिता की भावना जगुत रह हर प्रात हर प्रात हर मन्त्राय अपने-पपने श्रेष्ठ स्वाध्याय का मूल कर साधुमि के स्थापन हितों का ही सर्वोपरि मान कर जब इस आदर्श का जा उदाहरण आपने रखा, उन्का ही परिचय है कि आप सब जन प्रिय हैं—आपकी मानसप्रियता जाति धर्म, प्राण, मन्त्रा सबकी भीमाओं में पर है।

नव-निर्माण के उद्गायक,

सुधर और बर्तमान की दोषनामनी माधना के बाद आज हमारा राष्ट्र बचन-मुक्त होकर नवनिर्माण के मित्रदार पर खड़ा है। सामाजिक और धार्मिक अज्ञानों को पुरानी जग परतगाण टूट रही है—आपका स्वयं आप साकार हो रहा है। नये समाज के निर्माण की बर्तमानों धारण के लिए नमि मात ही नई है—सामाजिक और धार्मिक जीवन के क्षेत्रों में धाम्युधुन परिचयन का प्राधान्य हमारे सम्मुख मरहा है। आपने नय हम इस नवनिर्माण का स्वयं नेकर उठे थे—आज प्रतिनन्दन की सेवा से इन स्वयं की सागर दल कर हम और आप सागरित रहे।

मरलता और मोक्ष की मूर्ति,

आपका सु-गिरमा मन्त्र है—आपकी मरलता, आपकी पर-मुक्त-बातरता आपके श्रेष्ठ, आपकी निरुद्धना ने मरला रूप लेना है जो विचारों में आपने विरोधी हैं वे भी आपर इन गुणों के बाधन हैं और आपने प्रतिनन्दन के प्रणयक हैं और एकजिाल जन-समुदाय आपने स्नेह-मन्त्र में प्रसन्न है। और वे सब आपने विचारों और भावनाओं का प्रतिनन्दन कर रहे हैं—आपका जीवन है, आपका विचार्य दिनन है कि हम समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए हम सब बर्तमान उठे—आपक प्रिय मान रवि टाणुन के एकना चमर एकना चम की भावना गभर समस्त बाधाओं के बाधुद धारण ध्ये की धार धधनर काय उन्की पूर्ण श्रद्धा करें।

प्रिय सार्थी प्रतिनन्दन रूप में हमारा विनम्र श्रद्धा स्वीकार कर हमें शुक्य करें।

हम हैं

आपके सार्थी, सहयोगी और शुभचिन्तक

वसन्तलाल मुरारका अभिनन्दन समिति
१५० बी हर्गोमन रोड बनवता
मोम्बयार ता० ०७-०५-५६

स्वर्गीय मुरारकाजी का अंतिम संदेश—

“सामाजिक क्रांति जिन्दाबाद !”

आज मेरा अभिनन्दन करनेके निमित्त यह जो आयोजन हुआ है और अभी आपने मेरे वारे मे जो कुछ कहा और सुना है, उसके लिए मैं किसका और क्या आभार मानूँ ? यह आयोजन उन साथियों के द्वारा किया गया है, जिनके साथ मैंने कन्वे से कन्वा मिला कर पिछले ४० वर्षों मे स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और सामाजिक क्रान्ति का बीज बोया । उन साथियों के उत्साह और लगन से ही यह कार्य हुआ है । अतः यह अभिनन्दन जितना मेरा है, उतना ही उन सबका भी है । और, मेरा और उनका भी क्या, उन विचारों और कार्यों का है, जिनसे समाज मे परिवर्तन आया है ।

मुझे तो फिर आपसे यही कहना है कि यद्यपि हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करली है, पर आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी बाकी है । यह आज भी एक बड़ा क्रान्तिकारी कार्य है । बिना सामाजिक स्वतंत्रता के हम कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते और सामाजिक क्रान्ति बहुत कुछ निर्भर करती है पुरानी परम्पराओं के ध्वंस करने पर । जिन सड़ी-गली परम्पराओं से प्लेग के कीटाणु उत्पन्न हो गये हैं, उनसे आज हमको सघर्ष करना है । अच्छी से अच्छी वस्तु भी त्याज्य हो जाती है, जब उसमें संक्रामक रोग के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं । किसी मकान मे सगमरमर के कमरे हो, फिर भी जब वह पुराना हो जाय और नई रहन-सहन के काविल न हो, तो उसे तोड़ना ही पड़ता है । इसलिए जो परम्पराएँ पुरानी हैं, सड गई हैं, वे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी कीमती हो, उन पर निर्भय होकर आक्रमण करना है । अगर हम पुरानी परम्पराओं को बचाने मे ही फँसे बैठे रहेंगे, तो नये समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे ।


आज नये समाज का जो निर्माण हो रहा है, उसमे जातपात, साम्प्रदायिकता आदि राक्षस नहीं रहेंगे, ऊच-नीचका भाव नहीं रहेगा । मैं यह अनुरोध करूँगा कि हम सब मिलकर प्राचीन परम्पराओं के काटाणुओं को नष्ट कर नये समाज की रचना करे । तभी देश मे नया जीवन आयेगा और राष्ट्रीय नवनिर्माण की योजनाये सफल होगी । अब तो समाजवाद का जमाना है ।

देश बड़ी तेजी से बदल रहा है। इसमें जो पुरानी रूढ़ियों को पकड़े बैठे रह जायेंगे, उन्हें पीछे ही छोड़ कर देश आगे निकल जायगा। आज हम सबका एक ही कार्य है कि युग की आवाज को पहचानें और जिस प्रकार हम एक दिन राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में जुट गये थे, उसी प्रकार आज सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता के लिये जुट जायें।

सामाजिक क्रांति जिन्दावाद ! सामाजिक क्रांति जिन्दावाद !!
सामाजिक क्रांति जिन्दावाद !!!

—०००—

ता० ८ अक्टूबर सन् १९५६ को सायंकाल ६ बजे श्री वसंतलालजी का जो सार्वजनिक अभिनन्दन उनकी विशेष रुग्णावस्था के कारण उनके घर पर ही किया गया था, उसमें वे बोल नहीं सके, पर उससे एक दिन पहले जब उनकी अवस्था कुछ अच्छी थी, उनके उद्गार टेप-रिकार्डर पर भर लिये गये थे और वे ही अभिनन्दन-समारोह में सुना दिये गये। उनके इस अंतिम संदेश को समारोह में समागत हजारों नर-नारियों ने रुद्ध कंठ से सुना और वहाँ से लौटते वक्त तक वह कानों में गूँजता रहा।




अतिम दर्शन



शोक-सतप्त कटम्बी-जन श्रौर साथी



अंतिम इच्छानुसार विद्युत-मचालित दाहगृहमें रखा हुआ शव



केवल भस्म रह गये !

संस्मरण

अविस्मरणीय समाज-सेवी

श्री वसतलालजी मुरारकाने ४० वर्षों तक लगातार जो समाज-सेवा की, वह अविस्मरणीय रहेगी ।

—श्री उच्छगराय नवलराय डेवर,
कांग्रेस-अध्यक्ष

अभिनन्दीय सार्वजनिक जीवन

श्री वसतलालजी मुरारकाका ४० वर्षोंका सार्वजनिक जीवन सचमुच अभिनन्दन करने योग्य था ।

—श्री गोविन्द वल्लभ पत,
गृहमंत्री, भारत सरकार

एक कर्मठ जीवन

मुरारकाजी तो मेरे पुराने—पिछले २८ वर्षोंसे—मित्र थे । उनका जीवन एक सस्था था । कलकत्तेके सभी सार्वजनिक कार्योंमें उनका सहयोग रहता था । उनका जीवन एक कर्मठ जीवन था ।

—श्री जगजीवन राम,
परिवहन मंत्री, भारत सरकार

कांग्रेसके पुराने कार्यकर्ता

श्री वसन्तलाल मुरारका कांग्रेसके पुराने कार्यकर्ता थे । विगत तीस वर्षोंसे सार्व-जनिक क्षेत्रमें काम करते आ रहे थे । भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राममें उनका काफी श्रवदान रहा है ।

—डॉ० हरेकृष्ण मेहताव,
मुख्य मंत्री, उड़ीसा

एक कर्मठ समाज-सेवी

जिस समय श्री मुरारकाजीने समाज-सेवा का व्रत धारण किया था, उस समय समाज अन्वविश्वासोंके कूपमें इस प्रकार डूबा था कि उसके उत्थानकी कल्पना करना भी साहस का काम था । श्री वसन्तलाल मुरारका एक कर्मठ समाज-सेवी और सुधारक थे । आगा है, हमारे नवयुवक मुरारकाजीके जीवनसे स्फूर्ति लेंगे । यद्यपि आज हमारा सामाजिक स्तर ऊँचा है फिर भी अभी कई ऐसी रुढ़ियाँ हैं, जिनका निर्मूलन किए बिना राष्ट्रकी प्रगति नहीं हो सकती ।

—डॉ० पट्टाभि सीतारमैया
राज्यपाल, मध्यप्रदेश

जिनकी सेवाएँ सर्व-विदित थीं

श्री वसन्तलाल मुरारका हम लोगोंके परिवारके साथ घनिष्ठता रखनेवाले व्यक्तियों में से थे । उन्होंने राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमें देशकी जो सेवाएँ की, वे सर्व-विदित हैं ।

—श्री जृगलकिशोर विड़ला

आदर्श और स्फूर्ति-प्राप्तिके स्रोत

भाई वसंतलालजी हमारे देशके स्वतंत्रता-संग्रामके एक प्रमुख सेनानी थे । उन्होने तथा उनकी धर्मपत्नी वहिन रमादेवीजीने अपने जीवनका अधिकांश एव सर्वोत्तम भाग राष्ट्रकी सेवामें लगाया । वह देशके उन मूक मन्चे सेवकोंमें रहे, जिनका जीवन-कार्य आजके नवयुवकों और आनेवाली पीढ़ियोंके लिए कई मानोमें आदर्श उपस्थित करेगा । गुलामी और हठिवादके विरुद्ध भीषण संग्राममें भाई वसंतलालजी सपरिवार उस समय कूद पड़े, जब पर्दे, छुआछूत आदिके खिलाफ और अन्तर्जातीय एव विधवा-विवाहके पक्षमें मुँह खोलना एक बड़ी बात थी । अपने अथक परिश्रम द्वारा जो निम्नार्थ सेवा भाई वसंतलालजीने देश और समाजकी की, वह स्वर्णक्षरोमें अंकित रहेगी ।

स्वतंत्रता-संग्रामका वह सिपाही जीवन-भरके त्याग और तपस्याके वाद हम सबके लिये आदर्श और स्फूर्ति-प्राप्तिका स्रोत बन गया ।

भाई वसंतलालजीका सरल स्वभाव, निष्कपट व्यवहार और निर्मल चरित्र हम सबके लिये अनुकरणीय रहेगा । दूसरोका दुःख जीवनमें उन्होने अपना ही दुःख माना । उसको मिटानेके लिये जो कुछ भी उनकी शक्तिमें था, वह कर डालनेमें कभी कोई कोर-कसर उठा न रखी ।

—श्री राजवहादुर

उप-परिवहन मंत्री, भारत सरकार

सामाजिक जागरणके प्रतीक

श्री मुरारकाजीने सक्रिय रूपसे कांग्रेस आन्दोलनमें योग दिया । यही नहीं, सामाजिक जागरणके वे बगालके प्रतीक माने जा सकते हैं । पश्चिमी बगालकी धारामभाके वे एक क्रियाशील सदस्य थे और एकनिष्ठ कांग्रेसीके रूपमें अ० भा० कांग्रेस कमेटीके सदस्य ।

ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि उनके विचारों और कार्योसि आगे आनेवाली पीढ़ीको मार्ग-दर्शन मिले ।

जिनकी सेवाका वर्षों तक स्मरण रहेगा

श्री वसन्तलालजीके साथ मेरा बहुत वर्षों तक घनिष्ठ सन्ध्व रहा । सार्वजनिक कार्योंमें और विरोधकर कांग्रेस संस्थामें उनका उत्साह व लगन अभिनन्दनीय था । कुछ वर्षोंसे तो उनका मारा ध्यान कांग्रेसके कार्योंमें ही लगा रहा, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ । जो सेवा उन्होंने विभिन्न क्षेत्रोंमें की, उसका बहुत वर्षों तक हम सभी को स्मरण रहेगा ।

—श्री श्रीमन्नारायण
प्रधान मन्त्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

नई पीढ़ी के सामने एक आदर्श

श्री मुरारकाजीने समाज-सुधारके नानाविध आन्दोलनोंमें सक्रिय भाग लेकर देश की नई पीढ़ीके सामने एक आदर्श उपस्थित किया ।

—श्री तख्तमल जैन,
मुख्य मन्त्री, मध्यभारत

जिनसे हमेशा मार्ग-दर्शन और प्रेरणा मिलती रही

श्री मुरारकाजी लगभग ४० वर्षों तक समाज व देशकी प्रसंशनीय सेवा करते रहे । उनका क्षेत्र विशेषतः समाज-सेवाका था । समाज-सुधारमें उनकी विशेष रुचि थी । राजनीतिक क्षेत्रमें भी मुरारकाजीने जो काम किए, वे अनुकरणीय थे । उनके सहयोगी के रूपमें मुझे हमेशा उनसे मार्ग-दर्शन एवं प्रेरणा मिलती रही ।

—श्री मिश्रीलाल गंगवाल,
वित्त मन्त्री, मध्यभारत

मैंने अपने स्नेहियोंमेंसे एक वर्ग बनाया है, जिनको मैं 'प्रियदर्शन' कहता हूँ—जिनको देखते ही खुशी होती है, जो हमें प्रसन्न करते हैं—औरोंको प्रसन्न करते हैं और इस तरह अनजाने भलाई का प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों को मैं प्रियदर्शन कहता हूँ।

श्री वसंतलालजी मुरारका ऐसे ही प्रियदर्शनोंमें से एक थे। उनकी कांग्रेस-निष्ठा सब जानते हैं, किन्तु उनमें दलबन्दीका माहा नहीं था। रचनात्मक कामोंमें उनकी दिलचस्पी छिछली नहीं थी।

श्री सीतारामजी सेकसरियाके द्वारा जिन अनेक सज्जनोका स्नेह मुझे मिला, उनमें वसंतलालजी भी थे। फिर उनके द्वारा मुझे अनेक स्नेही मिले और इस तरह स्नेहकी विरादरी बढ़ती गई। सात्त्विक स्नेहकी विरादरी बढ़ाते जाना, यह आजके युगके लिये सबसे महत्वका काम है।

—काका कालेलकर

वंगालकी वड़ी क्षति हुई !

पश्चिम बंग प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी द्वारा गृहीत निम्न लिखित प्रस्तावसे स्पष्ट है कि श्री मुरारकाजीने बंगालके सार्वजनिक जीवनमें अपनेको किम प्रकार एकम्प कर लिया था

“पश्चिम-बंग प्रदेश कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारणी समिति बड़े दुःखके साथ बंगालके जनप्रिय देश-सेवक वसंतलालजी मुरारकाकी मृत्यु पर शोक प्रकट करती है। वसंतलालजी मुरारकाने कांग्रेसके एकनिष्ठ कर्मके रूप में तथा विविध समाज-सेवीके रूपमें अपना सारा जीवन बिताया। उनके मधुर स्वभावकी स्मृति सभीको अनन्त काल तक बनी रहेगा। उनकी आकस्मिक मृत्युसे बंगालकी वड़ी क्षति हुई है। यह सभा वसंतलाल मुरारका के परिवारके प्रति समवेदना ज्ञापन करती है।”

— —

सच्चा मनुष्य

श्री जयनारायण व्यास

स्वर्गीय वसंतलालजी मुरारकाके निकट सम्पर्कमें मैं संभवतः सन् १९३४ में आया, जब वे रीगसके युवक सम्मेलनकी अव्यक्षता करनेके लिए गए थे। मैं भी उस सम्मेलन में चला गया था। वहाँ पहले-पहल उनका असली स्वरूप नज़र आया। वैसे वह सम्मेलन सामाजिक-क्रांतिके मुख्य उद्देश्यसे हुआ था और उसकी प्रतिक्रिया भी विरोध और वहिष्कारके रूपमें व्यक्त हुई पर मुरारकाजीकी सारी प्रवृत्तियोंमें राष्ट्रीयतासे भरा उत्साह प्रतीत होता था।

ज्यो-ज्यो हम आपसमें निकट आए, त्यो-त्यो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मुरारकाजी कोई पराए व्यक्ति नहीं हैं। सचमुच जो उनके निकट आया, वह उनका हो गया; वे उसके हो गए।

मुरारकाजी नवीनताके उपासक थे। वे प्रत्येक वस्तुमें नवजीवनका संचार करना चाहते थे। कला हो या क्रांति, सामाजिक मुवार हो या देशके लिए त्यागकी बात, सभी में मुरारकाजी अग्रसर रहते थे। उनका कुटुम्ब भी मित्रोका समूह रहा, जिसमें लड़के-लड़कियों, बहुत्रो आदि सबको सहयोगियो और साथियोंकी तरह रहनेकी स्वतंत्रता रही। उनके यहाँ पहुँचनेपर कोई परायापन नज़र नहीं आता।

एक शब्दमें यही कहा जा सकता है कि मुरारकाजी 'मनुष्य' थे। उनमें मनुष्यके गुण थे, मनुष्यका उत्साह था, मनुष्यकी प्रगतिशीलता थी और सच्चे मनुष्यकी-सी ममाज और देशको आगे बढ़ानेकी उत्कल इच्छा थी।

—:०:—

नारी-जागरणके अग्रदूत भाई वसन्तलालजी

श्रीमती जानकी देवी वजाज

भाई वसन्तलालजी मुरारकासे जमनालालजीका बडा प्रेम था । जब वे सामाजिक क्षेत्रमें काम करते-करते राजनीतिक क्षेत्रमें आ गए तो मुझे बराबर भाई वसन्तलालजी और उनकी धर्मपत्नी बहन रमादेवीका उदाहरण देकर नए विचारोको अपनाने और आगे आनेको कहते । रमा बहन वसन्तलालजीके कहनेसे सभाओमें व्याख्यान देने लग जाती थी । यह बहुत बडी बात थी । उस जमानेमें मारवाडी समाजमें पढी-लिखी महिलाएँ उँगलियोपर गिनी जाने लायक थी । पढी-लिखी न होनेपर भी रमा बहन सार्वजनिक कामोंमें वसन्तलालजीके साथ बराबर रहती थी । हम स्त्रियाँ पति-आज्ञाके समक्ष दूसरी बडी आज्ञाको महत्व नहीं दे सकती हैं, हमारे भारतीय सस्कार कुछ ऐसे ही बने हैं । वसन्तलालजी खुद अधिक पढे-लिखे न होनेके बावजूद नारी-जागरणके बडे समर्थक थे । स्त्रियोके समानाधिकारके लिए हमेशा वे लडते रहे । इस दिशामें अपने दैनदिन जीवनमें भी उन्होने अपने विचारोको उतारा । रमा बहनको अधिकसे अधिक सार्वजनिक क्षेत्रमें लानेका उन्होने प्रयत्न किया । अपने परिवारमें भी उन्होने लडकियोको, बहुओको पूर्ण स्वतंत्रता दी । वे स्त्री-जातिके बडे हिमायती वकील थे ।

दूसरा उनका बडा गुण उनका हँसमुख स्वभाव था । उनकी याद करते ही वह प्रसन्नतासे प्लावित चेहरा आँखोके सामने धूम जाता है । किसीसे मिलते, तो हँसते हुए । दूसरा गभीर मुद्रामें भी रहता तो उनके पास जितनी देर रहता, दु ख, परिताप, असतोष, दुराशा आदि दुर्गुणोसे कोसो दूर रहता । असलमें उन्होने अपने स्वभावको कुछ इस कदर बना कर ढाल लिया था कि दु ख उनके पास फटकने भी नहीं पाता था । गाँधीजीमें भी यह गुण था । कभी-कभी इसीलिए वे अपनी इस हँसनेकी खुराकको बच्चोसे लेते—उनसे घुलते-मिलते और स्वयं भी उस समय बच्चे बन जाते ।

उनकी जानलेवा बीमारीके वक्त मैं उनसे मिलने अस्पतालमें गई । भयकर बीमारीमें भी पति-पत्नीको हँसमुख पाया । चेहरेपर कोई खास उद्विग्नता नहीं । तभी मालूम हुआ कि इलाज करानेके लिए उनको विलायत ले जाएँगे । लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था । वे चले गए ।

मुझे दिल्लीमें भाई सीतारामजी सेकसरिया मिले । बातें हुईं । उन्होने बताया कि भाई वसन्तलालजीके १२ दिनोमें ही रमा बहन वाढ-भीडितोकी सेवामें निकल गईं । यह जानकर मुझे अपार हर्ष हुआ । सोचती हूँ रमा बहनमें इतना माहस कैसे

आया ? वे इतनी ऊपर कैसे उठी ? तो मानना पड़ेगा कि उनको बनानेमें भाई वसन्त-लालजीका बड़ा हाथ रहा है ? १२ दिनके भीतर ही सार्वजनिक कामोंमें जुट जाना— कोई मामूली बात नहीं । ऐसा तो केवल गाँधीजी ही कर सकते थे । या फिर कोई अपरिग्रह करनेवाला ही । रमा वहन तो अनाथ वहनोके लिए ही जीती-मरती है । घरमें बहुओंके साथ भी वे जैसा व्यवहार करती है, देखकर किसीको भी ईर्ष्या हो सकती है ।

भाई वसन्तलालजीका समाज-सुधारके कार्योंमें जो अवदान रहेगा, उसमें विशेषतः नारी-जागरणका स्थान रहेगा । अगर उनको नारी-जागरणका अग्रदूत कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं ।

—:०.—

भाई वसन्तलालजी और उनका व्यक्तित्व

—श्री हीरालाल शास्त्री

भाई वसन्तलालजी मुरारकासे मेरा लवा व घनिष्ठ परिचय रहा। मैंने उनका नाम तो बहुत पहलेसे सुन रखा था और मिल भी चुका हूँगा। पर मुझे उनकी विशेष याद सन् १९२८ के अप्रैल मासके उस दिनकी आती है, जिस दिन वे मुझे और मेरे परिवार को लेनेके लिये सियालदह स्टेशन पहुँचे थे। उनका चेहरा सदाकी भाँति उस दिन भी खिलता हुआ और हँसता हुआ था और उनकी सीधी-सादी लापरवाही मुझे उनकी ओर खींच रही थी।

मैं जयपुरमें एक छोटा-सा छात्रावास चलाया करता था। उस छात्रावासके लडकों को न जाने क्या सूझी कि वे सब मुझसे कहे-सुने बिना ही किसी प्रकार एक तरफके किराये के पैसोका जुगाड करके, १९२८ का कांग्रेस अधिवेशन देखनेके विचारमे, एक दिन सबेरे अचानक कलकत्तेमें मेरे द्वारपर आ घमके। मैं बड़ी उलझनमें पड गया पर भाई वसन्तलालजीने लडकोंके भोजन-निवासादिकी व्यवस्था करके मुझे निश्चित कर दिया।

कुछ महीनोतक मेरा कलकत्तेमें ठहरना हुआ। उस असेमें भाई वसन्तलालजीसे मेरा काम बराबर पड़ता रहा। वसन्तलालजी मज्जेदार आदमी थे। वे विशेष पढे-लिखे नहीं थे, यह उनसे बातें करनेसे मालूम हो जाता था। पर वे नये युगकी बात बडे अधिकार के साथ करते थे। उनकी कही हुई एक बात मुझे बहुत अखरती रही। वह बात इस आशयकी थी कि वेदादि शास्त्र बेकार हैं, उन्हें समुद्रमें फेंक दिया जाय। मैं वसन्तलालजीसे कहता रहा —“भले आदमी, आप पढे-लिखे तो हो नहीं, शास्त्रका एक अक्षर आप जानते नहीं और आप वेदादि शास्त्रोको समुद्रमें फेंक देने योग्य बतते हो।” मैं याद करके देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वसन्तलालजीने एक बार भी मेरे इस कडे उपालम्भका बुरा नहीं माना। और न कभी उन्होने जरूरत समझी अपने मतमें सशोधन करनेकी। न उन्होने कभी कोई सफाई पेश की।

एक बार भाई वसन्तलालजी ‘जोडे से’ (सपत्नीक) वनस्थली पहुँचे। उन जमानेमें वनस्थलीकी यात्रा करना सबके लिये कठिन था। वसन्तलालजी व रमादेवीको विदा करनेके समय बर्पा हो रही थी। इसलिए उस अनूठे जोडेको मैंने एक वलगाडीमें बिठाया। और उनके चारो ओर मोमजामेका एक मजबूत-सा पर्दा लगवा दिया। फिर मुझे धुन सवार हुई गानेकी—

“पदकी बीबी वन गए, बावू मुरारका !”

वसन्तलालजी वीवी रमादेवीका पर्दा छूड़वानेके काममें अग्रणी रहे होंगे पर उस दिन उन्हें खुद पर्देकी वीवी बनना पड़ा । भाई वसन्तलालजीकी उस दिनकी प्रसन्नता मुझे सदा याद रहेगी ।

भाई वसन्तलालजीसे आप किसी भी विषयपर भाषण दिलवा सकते थे । वे शिक्षकना तो जानते ही नहीं थे और संकोच उनसे बहुत दूर रहता था । उनका कोई विरोध करता, तो वे विचलित नहीं होते थे । वसंतलालजी आगे बढ़कर बात करने-वाले सुधारक थे- । उनसे भूल-चूकसे भी किसी तरह की गलती हो जानेकी शंका का अवसर आ जाय तो लोग कब उन्हें बखाने वाले थे । पर ऐसा समय वे कम आने देते थे । उस दिन पुरुलियामें भारवाड़ी सम्मेलनमें वसंतलालजीके विरुद्ध लोगोंने जोरकी आवाज उठाई, पर वसन्तलालजी हँसते ही रहे । न उन्होंने बुरा माना, न उन्हें गुस्सा ही आया । विरोधियोंकी उपेक्षा करते हुए वे अपनी बात जोर-शोरसे कहते रहे । दूसरा आदमी ऐसी स्थितिमें दब जाता, बुरा मान जाता, चिढ़ने लगता, पर वसन्तलालजी उस पिताके पुत्र सावित हुए, जिनकी एक ढावेमें जीमनेकी वह कथा मशहूर है जिसमें ढावे-वालेको अपनी जानकी माफी माँगनी पड़ी थी ।

पिछली वार जब मैं कलकत्तामे था, तब भाई वसन्तलालजी काफी बीमार थे । मैं अपने कामका लोभी ठहरा । सो इनके पास भी पहुँच गया । वसन्तलालजी कमालके आदमी थे ! उस बीमारीकी हालतमें भी वे अनेको वार मेरे साथ ही लिये । और उन्होंने अपने हिस्सेका कार्य पूरा करवा दिया । वैसे अवस्थामें वे मुझे आसानीसे टाल सकते थे । पर न वसंतलालजी टालनेवाले थे, न टलने वाले थे । उन दिनो वसंतलालजी को एक दर्दनाक घटनाका टेलीफोन मिला । उन्होंने मित्रोको खटखटाया—चलो, वहाँ चलना है । पता नहीं मित्र लोगोमेंसे कौन पहुँचे और कौन नहीं । पर जहाँ तक मुझे मालूम है, बीमार वसन्तलालजी मुरारका ज़रूर पहुँचे । ऐसे अदम्य उत्साहकी हमें सराहना करनी होगी ।

समाजमें भाई वसन्तलालजी-सा व्यक्तित्व मुझे नहीं दिखायी देता । वस "वसता" जैसा तो "वसन्ता" ही था ।

—:०:—



ऐसा वह साथी था !

श्री सीताराम सेकसरिया

जब मैं १७ वर्षका था और वसंतलालजी भी प्रायः इतनीही उम्रके, तब हम लोग राजस्थानके अपने गाँव नवलगढमें पहले-पहल मिले। वसन्तलालजीके एक दूरके भाई मेरे मित्र थे, जिनको आज कोई नहीं जानता। २० वर्षकी उम्रमें ही उनकी मृत्यु हो गयी। उनमें देश और समाजकी उन्नति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। हिन्दी की उन्नतिके लिए वे बहुत ही प्रयत्नशील थे। एक प्रकारसे उन्होंने ही मुझे दीक्षित किया। मेरी धार्मिक भावनाओंको उन्होंने जगाया और देश तथा समाजकी सेवा करनेकी अभिरुचि पैदा की। हम दोनों मित्रोंके प्रयत्नसे नवलगढमें सन् १९०८ में 'नवलगढ विद्या-विवर्धन पुस्तकालय' की स्थापना हुई। उस समयकी स्थितिको जब याद करता हूँ और युगके आजके परिवर्तनके रूपको देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वह सब जैसे स्वप्न था। वास्तवमें रात और दिनमें जितना अन्तर है, उतना ही उस समयकी स्थिति और आजकी स्थितिमें है।

एक दिन उसी मित्र, भाई मोहनलाल मुरारका, ने एक समययस्क युवक को मेरे सामने लाकर खड़ा किया और कहा "यह मेरे भाई हैं वसन्तलाल मुरारका। मुकुन्दगढके हैं। इनकी इच्छा भी अपने गाँवमें पुस्तकालय खोलनेकी है।" इस घटनाके दो-चार महीने बाद ही भाई भागीरथजी और वसन्तलालजीने मुकुन्दगढमें पुस्तकालय स्थापित कर लिया। यही वसंतलालजीके साथ मेरा पहला परिचय था।

सन् १९११ में मैं कलकत्ता आया। यहाँ पहुँचनेके कुछ दिन बाद ही भाई मोहन लालजीके यहाँ वसंतलालजीसे मुलाकात हुई। उन दिनों कलकत्तामें हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशनके सभापति थे चौधरी बद्रीनारा-नारायण प्रेमधन। आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदीके सभापति होनेकी बात थी पर कई कारणोंसे वे सभापति नहीं हो पाये। मुझे उस समयकी स्थितिका ज्ञान नहीं था, पर भाई वसन्तलालजी, जिन्होंने सम्मेलनमें भाग लिया था, ने मुझे बताया कि द्विवेदीजी सभापति न चुने जानेके कारण असंतुष्ट हो गए। हम लोगोकी उम्र उस समय बहुत कम थी और हम बहुत बातोंको समझ-सोच नहीं सकते थे। आजकी तरह विकासके साधन भी उस समय उपलब्ध नहीं थे। हा, तो भाई वसन्तलालजी उसी समयसे सार्वजनिक क्षेत्रमें काम करने लगे थे।

भाई वसन्तलालजी विडला-वधुओंके यहाँ बलदेवदास जुगलकिशोर फर्ममें तीग

रूपए महीनेपर काम करने लगे और मैं सूरजमल गिवप्रसादके यहाँ पच्चीस रुपये महीनेपर । दोनोंको काम इतना अधिक रहता था कि बहुत इच्छा रहनेपर भी हम लोग आपसमें मिल नहीं पाते थे । उन दिनों टेलीफोनकी सहूलियत भी नहीं थी । हम पत्रोंके जरिए ही आपसमें मिला करते थे ।

जब मैथिलीगरणजी गुप्तकी भारत-भारती प्रकाशित हुई, तो वसन्तलालजीने पत्र द्वारा ही मुझे ये पक्तियाँ लिखकर भेजी—“हम कौन थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी । आओ, विचारें आज मिलकर यह समस्याएँ सभी ।” उन दिनों गद्दियोंमें रातमें काम करना पड़ता था । वसंतलालजीको दस वजे छुट्टी मिल जाती पर रोकड़का काम होने के कारण मुझे अधिक समय तक काम करना पड़ता था । जिस दिन मुझे जल्दी छुट्टी मिलनेकी सम्भावना मालूम होती, उस दिन हम लोग मिलनेकी व्यवस्था करते और बड़तल्ला की मोड़की कोठीके पास बैठकर घण्टो बातें करते । हमारी चर्चाका विषय होता था देश और समाजकी समस्याएँ । हम इन कामोंको कैसे करें—इस संबंधमें सोचते-विचारते थे । कभी-कभी देशके गण्यमान्य नेताओंके सम्बन्धमें भी चर्चा कर लेते थे जिनमें लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल, गोखले, लाजपतराय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा गाँधीजी और बंगालके क्रांतिकारियोंकी बातें होती थी । हमारे साथियोंमें ऐसे युवक भी थे, जो जेलकी या सरकारी दमनकी स्थितिके लिये अपनेको तैयार करनेके लिए जमीनपर सोते थे, डँटका तकिया लगाते थे और खिचड़ी खाते थे । उन दिनोंकी भावनाएँ इतनी तीव्र थी कि हर आदमी, जो जरा भी देश, समाजकी सेवाके बारेमें सोचता था, हर तरह से अपने-आपको कष्टोंमें डालना चाहता था । कुछको छोड़कर ऐसी विचारधारा रखने वालोंकी आर्थिक अवस्था शोचनीय थी । फिर भी अपनी आमदनी का एक हिस्सा वे सार्वजनिक कार्योंमें देनेके लिए वाध्य थे । संयोगसे इसी समय एक स्वामीजी आए, जिन्होंने नवयुवकोंको सादगी, सेवा, सत्य-निष्ठा और देश-प्रेमका पाठ पढ़ाया । उन्होंने सात जीवनोपयोगी व्रत दिलाए—(१) सूर्योदयसे पहले उठना (२) उपासना करना (३) व्यायाम करना (४) स्वाध्याय करना (५) स्वदेशी वस्त्र पहनना (६) स्त्री-संबंधी चारित्रिक पवित्रता बरतना (७) आमदनीका एक हिस्सा, जो कमसे कम १० प्रतिशत हो, देशके कार्योंमें देना । इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना भी जागृत की और सार्वजनिक कार्य करनेके तरीके भी बताए ।

मैं और भाई वसंतलालजी उन दिनों कार्यकर्त्ताओंकी दूसरी पक्ति थे । इसलिए सारी बातोंकी पूरी जानकारी हमें नहीं मिलती थी, पर इस गति-विधिसे हम सम्बन्धित थे और आकर्षित भी । स्वदेशी आन्दोलनने बंगालमें ही नहीं समस्त भारतवर्षमें राजनीतिक जागृति और स्वाधीनताकी प्रबल भावना पैदा कर दी थी । सामाजिक कार्य उन दिनों कम होते थे पर समाज-सुधारकी चेतना लोगोंमें जग चुकी थी । समाज-सुधारके कार्योंमें पंचोंसे, घरके बड़े-बूढ़ोंसे और समाजसे सीधा विरोध होने के कारण यह आन्दोलन मारवाड़ी-समाजमें बहुत बीमा चल रहा था । सुधारकी बात अगर कभी आती भी तो पंचोंकी मार्फत ही आती । नवयुवक विचारोंकी दृष्टिसे आगे थे पर काम करते समय उन्हें बड़ोंकी ओर देखकर ही आगे बढ़ना पड़ता । समय-समयपर इस नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ीमें समाज-सुधारके कार्योंको लेकर परस्पर संघर्ष भी होता था ।

कई वार वह सघर्ष काफी गहरा और उग्र भी हो जाता था, जैसे आर्य-समाज और सनातन धर्मके सघर्षका आन्दोलन हुआ। इस आन्दोलनका नाम चाहे जो रहा, पर वास्तवमें यह नए-पुराने विचारोका ही संघर्ष था।

उन दिनों "देशकी वात" नामक एक पुस्तक की चर्चा हम लोगोमें खूब थी। इस पुस्तकने अंग्रेजी राज्यके विरोधमें बहुत अच्छा वातावरण पैदा किया था। इस पुस्तक को पढ़कर हर भारतीय अंग्रेजोका कट्टर विरोधी बन जाता था। पुस्तक ज्वल थी। ऐसी स्थितिमें उसका किसीके पास मिल जाना खतरसे खाली नहीं था। सरकारी दमनका डर बहुत था। ऐसी वात नहीं थी कि हम डरते नहीं थे। हम डरते थे किन्तु इस प्रकारकी पुस्तक पढ़ने, नेताओके वारेमें जाननेकी जिज्ञाना रखते थे और समय आनेपर कुछ करने-घरनेका साहस भी।

सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ। इसकी प्रतिक्रिया चारो तरफ दिखाई दी। सरकार भारत-रक्षा कानून बनाकर आतकवादियोको गिरफ्तार करने लगी। अंग्रेजी राज्यके पिटू लोग युद्धमें सहायता करनेके लिए आन्दोलन और प्रचार करने लगे। मारवाडी समाज व्यापारी समाज होनेके कारण राजभक्त माना जाता था। विदेशी कपडेका व्यापार मारवाडी समाजका मुख्य व्यापार था। विदेशी कपडेका आयात अंग्रेजी आफिसोके द्वारा होता था। मारवाडी समाजके बड़े नेता या पंच इन आफिसोके दलाल या मुसद्दी थे। पर मारवाडी समाजमें कुछ युवक थे जो अंग्रेजी राज्यके खिलाफ विचार रखते थे और आतकवादी आन्दोलनकारियोके साथ उनका सम्बन्ध था। डा० कैलाशचन्द्र वोसका मारवाडी समाजके धनी और प्रभावशाली लोगो पर उन दिनों काफी दबाव था। ये सब लोग नवयुवकोके रवैयेसे सख्त नाराज थे। इसी समय एक घटनामें पाँच-सात युवक भारत रक्षा कानूनके अन्तर्गत गिरफ्तार हो गए जिनमें भाई हनुमानप्रसादजी पोद्दार, प्रभुदयालजी हिम्मतसिंहका, कन्हैयालालजी चित-लागिया, ओकारमलजी सराफ, ज्वालाप्रसादजी कानोडिया एव फूलचन्दजी चौधरी थे। श्री घनश्यामदासजी विड़ला पर भी वारंट था पर वे कलकत्तेसे बाहर होनेके कारण गिरफ्तार नहीं हो सके। इस घटनाका समाजपर ऐसा प्रभाव पडा कि सारा नवयुवक समाज भयसे काँपने लगा। साथ ही कैलाश बाबूके नेतृत्वमें पंच लोग सरकारके पाम अपनी राजभक्तिके सदेश भेजने लगे। वर्तमान मारवाडी रिलीफ सोसाइटीका नाम उन दिनों मारवाडी सहायक समिति था। इस सस्थाका संचालन नवयुवको द्वारा ही होता था। वगालमें आतकवादी आन्दोलनकी भावना रखनेवाली दो समितियाँ थी— एक, युगान्तर समिति और दूसरी, अनुगोलन समिति। 'मारवाडी सहायक समिति' नाम रहनेके कारण और नवयुवकोकी सस्था होनेके कारण कैलाश बाबूने राय दी कि इस सस्थाका नाम न बदला गया तो सरकारकी निगाहमें मारवाडी समाज शकाकी दृष्टि से देखा जाएगा। एक तो गिरफ्तारीके कारण, दूसरे पहनेके दो-तीन सामाजिक आन्दोलनोके कारण (जिनमें विलायत-यात्राका आन्दोलन मुख्य था) युवक लोग पंचों के समक्ष मुठभेड लेनेकी स्थितिमें नहीं रह गए थे। इसलिये इच्छा न रहते हुए भी मारवाडी सहायक समितिका नाम बदल कर मारवाडी रिलीफ सोसाइटी रखा जाना स्वीकार कर लिया गया। इन सब बातोका ऐसा व्यापक प्रभाव हुआ कि युवक समाज

उनसे त्रस्त हो गया और सार्वजनिक कामकी चर्चा बंद-सी हो गई; परस्पर मिलना-जुलना और विचार करना भी छूट-सा गया ।

कानपुरसे प्रकाशित 'प्रताप' उन दिनों हिन्दीके पत्रोंमें नवयुवकोका पथ-प्रदर्शक था । स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थीके लेखोंको युवक-समाज आदरकी दृष्टिसे देखता था । मारवाड़ी सहायक समितिका नाम बदलनेपर यहाँकी जो स्थिति हो गई थी, उसपर विद्यार्थीजीने 'प्रताप' में एक बहुत ही प्रभावशाली लेख लिखा । विद्यार्थीजीकी कलम में वह शक्ति थी, वह जादू था, जिसका प्रभाव सर्व-साधारणपर पड़े बिना नहीं रह सकता था और खासकर युवक वर्गपर तो उनके लेखोंका अत्यधिक प्रभाव पड़ता था ।

भाई वसन्तलालजीकी पत्नी बहुत बीमार थी । वे उसको लेकर जसीडीह गए हुए थे । 'प्रताप' के लेखको पढ़ कर मेरे मनमें जो प्रतिक्रिया हुई, उसको लिखकर विद्यार्थी जीके लेखके साथ मैंने भाई वसन्तलालजीके पास जसीडीह भेजा । मैंने उनसे यह पृच्छा था—आप विचार करें, हम लोग क्या कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके आप कलकत्ता आ जायँ । वसन्तलालजीपर उस लेखकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक ही थी । उन्होंने मुझे पत्रमें लिखा—“चाहे जो हो, हम चुप नहीं बैठ सकते; हमें कुछ-न-कुछ करना ही होगा । आप लोगोसे मिलना-जुलना गुरु करें । मैं जल्दीसे जल्दी आ रहा हूँ ।” एक सप्ताह हीमें वे आ भी गए । इस समय जो स्थिति थी, उसमें पहली पंक्तिके लोगो के साथ मिलना-जुलना या काम करना सम्भव नहीं था । दूसरी पंक्तिके लोगोमें सगठन मुश्किल हो रहा था । कई दिनोंकी कोशिशके बाद कुछ मित्रोंको इकट्ठा किया गया और एक संस्था “ज्ञान-वर्द्धिनी मित्र-मंडली” नामसे स्थापित की गई । इस संस्थाके उद्देश्योमें यह साफ़ तौरसे लिखना पड़ा कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कामोंसे इस संस्थाका कोई सम्बन्ध नहीं होगा । यह संस्था ज्ञान-वर्धनके कामो तक अपना कार्य सीमित रखेगी । उस समयकी स्थितिको ऊपरका सकेत साफ़ करता है कि राजनीतिक काममें सरकारी भय, धार्मिक काममें ब्राह्मणोंकी बाधा, सामाजिक कामों में पक्षोंका आतंक पूर्ण रूपसे नवयुवकोमें व्याप्त था । यदि ऐसा न किया जाता तो संस्था का आरंभ करना ही मुश्किल हो जाता । आज वे सब बातें कल्पनाके बाहरकी चीज हो गई हैं । मुझे स्वयं आश्चर्य होता है उस दिनकी और आजकी स्थितिकी तुलना करने पर । ज्ञान-वर्द्धिनी मित्र-मंडलीका काम शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगा । पुराने साथी भी आने लगे, स्थिति बदलने लगी, आतंक, आशंका, निराशा और भय दूर होने लगा । ज्ञान-वर्द्धिनी मित्र-मंडली तो एक साधारण वहाना था । जो काम आगे करना था, वह काम उस मंडलीके द्वारा हो नहीं सकता था । ऐसी स्थितिमें एक और संस्थाकी जरूरत महसूस होने लगी । आहिस्ते-आहिस्ते वातावरण भी बदल रहा था । पुराने लोगों के साथ सघर्ष था ही । उनकी संस्था मारवाड़ी एसोसिएशन ही उन दिनों मारवाड़ी समाजकी मुख्य संस्था थी । समाजके धनीमानी और बड़े व्यापारी सबका इस संस्था से सम्बन्ध था । सरकारमें इसी संस्था तथा इसके संचालकोका प्रभाव था । नए लोग इसके जोड़-तोड़की एक संस्था खड़ी करना चाहते थे । कई दिनोंके सोच-विचार

के वाद मारवाडी ट्रेड्स एसोसियेशन नामसे एक संस्थाकी स्थापना की गई, जिसके सभापति स्वर्गीय देवीप्रसादजी खेतान और मंत्री श्री जगन्नाथ प्रसादजी अग्रवाल चुने गए। सवाल था इस संस्थाके द्वारा वे सब काम कैसे हों, जो नवयुवक करना चाहते थे अथवा जो उन्हें करना उचित था। केवल व्यापारकी बातसे तो नवयुवकोको सतोष नहीं हो सकता था। इसलिये इस संस्थाके अन्तर्गत कई विभाग खोले गए, जैसे ज्ञानवर्द्धक विभाग, जिसमें ज्ञान-वर्द्धिनी मित्र-मडली अन्तर्भूक्त करदी गई। सेवा-विभागका मंत्री भाई बसन्तलालजी को बनाया गया और इस विभागके द्वारा बहुत काम हुआ। यो तो मारवाड़ी एसोसियेशनकी सारी धाक और महत्व को इस संस्थाने खत्म कर दिया, फिर भी समाजपर बड़े आदमियोका जो प्रभाव था, वह तो था ही।

इसी बीच स्वर्गीय जमनालालजी वजाजने समाज-सुधारकी दृष्टिसे अग्रवाल महासभा की स्थापनाकी बात सोची। कलकत्ता मारवाडी समाजका खास केन्द्र था और जमनालालजीका यहाँके युवकोसे सम्बन्ध भी था। इसलिए वे अग्रवाल महासभाकी चर्चके लिए कलकत्ता आए। नवयुवकोका तो सारा सहयोग उन्हें प्राप्त था ही, पर वे चाहते थे कि पुराने विचारवाले या पच-पचायतीवाले लोगोका भी सहयोग प्राप्त किया जाय। बहुत कोशिश करनेपर भी जमनालालजी उनका सहयोग प्राप्त नहीं कर सके। पर बम्बई तथा दूसरे प्रान्तोमें उन्हें सहयोग मिला। वर्षोंमें अग्रवाल महासभाका प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें श्री देवीप्रसादजी खेतान और भाई बसन्तलालजी नवयुवक समाज के प्रतिनिधिके रूपमें सम्मिलित हुए। लेकिन उसी समय जमनालालजीके परिवार में एक दुःखद मृत्यु हो जानेके कारण अधिवेशन विशाल रूपमें नहीं हो सका। महासभाका दूसरा अधिवेशन बम्बईमें बड़ी धूमधाम से हुआ। प्रसिद्ध सनातनी और समाजके पुराने घरानेके वयोवृद्ध श्री रामलालजी गनेडीवालको सभापति चुना गया। इस अधिवेशनमें कलकत्ताके नवयुवकोने काफी सख्यामें भाग लिया। ताराचन्द्र घनश्यामदासकी ओरसे सेठ जयनारायणजी पोद्दार भी इस अधिवेशनमें सम्मिलित हुए और कार्यवाहीमें उन्होने उत्साहपूर्ण हिस्सा लिया। यह सम्मेलन बहुत ही सफल रहा। महात्मा गाँधीभी इस सम्मेलनमें एक दिनके लिए आए और बोले। उन्होने दक्षिण भारतमें हिन्दी-प्रचारकी आवश्यकताके लिए अर्थ-संग्रहकी अपील की। इसपर पचास हजार रुपएका चन्दा तत्काल इकट्ठा करके उनको दे दिया गया। इसी अधिवेशनमें ६ लाख रुपयोसे अग्रवाल सहायक कोषकी स्थापना हुई। समाज-सुधारके प्रस्तावोमे वाल-विवाहके प्रस्तावपर काफी वाद-विवाद के वाद यह तय हुआ कि चारह वर्षसे पहले लडकी और सोलह वर्षसे पहले लडकेका विवाह न किया जाय। इसके साथही सशोधनके रूपमें यह छुट दे दी गई कि अगर किसीको इन सम्बन्ध में आपत्ति हो, तो वह स्थानीय पचायतकी अनुमति लेकर कन्याका विवाह बारह वर्षसे पहले भी कर सकता है। इस सशोधनको नवयुवकोको स्वीकार करना पड़ा। पर इससे उनको सतोष नहीं था। इसलिये बहुतसे युवकोने प्रतिज्ञा की कि बारह वर्षमें कम उम्रकी लडकी और सोलह वर्षसे कम उम्रके लडके के विवाहमें वे सम्मिलित नहीं होंगे। कहना नहीं होगा कि भाई बसन्तलालजी प्रतिज्ञा करनेवालोमे थे। इनके वाद तो प्रतिज्ञा करनेका एक अभियान-सा चल पडा, जिसमें भाई बसन्तलालजीने काफी काम किया।

आज ये सब बातें साधारण और बहुत हल्की लगती हैं, पर उस समय ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें थीं। प्रतिज्ञा करनेवालोंको कठिनाइयोका सामना करना पड़ता था। ऐसे अवसर भी आए, जब भाई अपनी वहनको चुनरी उड़ाने तक नहीं जा सका। वाल-विवाहके आन्दोलनने एक विशेष आन्दोलनका रूप लिया और भाई वसंतलालजीको अपने साथियोंके साथ काले झंडेका प्रदर्शन भी करना पड़ा।

महासभाका तीसरा अधिवेशन कलकत्तामें हुआ, जो बहुत ही प्रभावशाली और बृहत रूपमें था। पंचायतके लोग इस अधिवेशनमें सम्मिलित नहीं हुए। अधिवेशनके बाद महासभाका कार्यालय कलकत्तेमें ही रहा। भाई वसंतलालजी महासभाके प्रधान मंत्री चुने गए। भाई पद्मराजजी जैनके सहयोगसे महासभाका काम और प्रभाव मारवाड़ी समाजमें खूब बढ़ा। हज्जारो शाखाएँ भारतके बड़े-बड़े शहरो और ग्रामोंमें स्थापित हुईं, जिनके द्वारा वाल-विवाह आदिका विरोध किया गया। इन सारे अभियानोंमें वसंतलालजीका प्रमुख स्थान था। इन सामाजिक आन्दोलनोंके बराबर-बराबरमें राष्ट्रीय आन्दोलन भी जोर पकड़ता जा रहा था। पूज्य जमनालालजीके प्रयत्नसे काँग्रेस कमेटीकी स्थापना करके बड़ावाज़ारमें कांग्रेसका काम आगे बढ़ानेका प्रयत्न किया गया। भाई पद्मराजजी जैन मंत्री और वसंतलालजी सहायक मंत्री बनाए गए। इस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक कार्य साथ-साथ होने लगे।

पूज्य महात्माजीके आह्वानपर सन् १९२१ का आन्दोलन शुरू हुआ। वसंतलालजी ने इसमें प्रमुख भाग लिया। फलतः वे गिरफ्तार किये जाकर प्रेसीडेंसी जेलमें भेज दिये गये। उन दिनों जेल जाना मामूली बात नहीं थी, फिर वसंतलालजीका तो परिवार भी काफी बड़ा था। उनका विवाह हुए भी चार-पाँच वर्ष ही हुए थे। इन सब कठिनाइयोकी परवाह किए बिना वसंतलालजीने आन्दोलनमें पूरा भाग लिया। वसंतलालजीको डेढ़ वर्षके कठिन कारावासकी सज़ा सुनाई गई। मेरा खयाल है कि मारवाड़ी समाजमें देशके लिए जेल जानेका यह पहला उदाहरण था, जो भाई वसंतलालजीने ही उपस्थित किया था। वसंतलालजीकी माँ उनके जेल-जीवनकी बातेंसे बहुत ही दुखी हो गई थी। पर अन्तमें उन्होंने हम लोगोसे कहा कि “वसंतियो शिवरात्रिके दिन जनम्यो है, वो भोलो शंभु है। ऊँकी रक्षा भागवान् शिवजी महाराज ही करैगा।” इस आन्दोलनमें देशबन्धु दास, सुभाषचन्द्र बोस तथा बंगालके अनेक दूसरे नेता जेलमें गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अकरमख़ाँ (जो बादमें मुस्लिम लीगी बन गए), बड़े वाज़ारसे पद्मराजजी जैन, पं० अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी, भाई मूलचन्द्रजी अग्रवाल, भोलानाथजी वर्मन, माधोजी चुक्ल, पं० लक्ष्मण नारायणजी गर्दे आदि अनेक लोग जेलमें वसंतलालजीके साथी हो गए। बादमें पू० महात्माजीने चौराचौरी काण्डपर आन्दोलन बंद कर दिया और यह एलान कर दिया कि जो लोग जेल गए हैं, वे वहाँ न रहना चाहें, तो सरकारसे अनुरोध करके बाहर आ सकते हैं। वसंतलालजीने ऐसा नहीं किया। जो लोग जेल गए हैं, वे समझ सकते हैं कि आन्दोलनकी गति धीमी पड़ जानेपर जेलमें रहने-वालोंकी मनोदशा क्या होती है; जेलके अधिकारियोंका व्यवहार कितना क्रूर और यातनामय बन जाता है। फिर आन्दोलनका अनिश्चित काल तक बंद हो जाना कितना दुःखद होता है। जिन लोगोकी सज़ा कम थी वे तथा दूसरे लोग भी आहिस्ते-आहिस्ते

वाहर आने लगे । पर वसतलालजीकी सजा तो लम्बी थी । उनके साथ जेलमें बहुत कम आदमी रह गए थे । पर वे अपने आनन्दी स्वभावके कारण दु ख-सुखकी परवाह किए बिना जेल की अवधि पूरी कर रहे थे ।

जेलसे वाहर आनेपर वे फिर अपने सामाजिक कामोंमें लग गए । अग्रवाल महासभाका काम तथा दूसरे सामाजिक काम करने लगे—बाल-विवाहो और वृद्ध-विवाहोको रोकनेके आन्दोलनो तथा उनके परिणामोसे हम तग आने लगे थे और ऐसा सोचने लगे थे कि हमे समाज-मुधारका कोई आतिकारी कदम उठाना चाहिए, जिससे समाजमें आतिकी भूमिका तैयार हो सके । इसी समय हमने सुना कि एक बाल-विधवा जानकीदेवी साह वैधव्य-दु खसे तग आ गई हैं और पुनर्विवाह करना चाहती हैं । वह हो कैसे ? यह एक बड़ा सवाल था । काम तो बड़ा भारी था, पर जोश और उत्साह-वश इसकी कौन परवाह करता था ? जानकीदेवीको उसके घरसे तो ले आए पर अब उसके विवाहकी व्यवस्था कैसे हो, यह एक समस्या थी । पुराने आर्य-समाजी भाई नागरमलजी लील्हा विवाह करनेके लिए तैयार हो गए । नागरमलजीकी उम्र करीब छत्तीस वर्षकी थी और जानकी देवीकी बाईस वर्ष की । दोनोको एक-दूसरेको दिखला कर विवाह तय हो गया । विवाहके लिए स्थानका सवाल था । आर्य-समाज मंदिर तो मिल सकता था, पर वहाँ विवाह हो, यह हम पसंद नहीं करते थे । भाई नागरमलजी मोदी अपना मकान देनेके लिए तैयार थे । जानकी देवीको उनके घरपर ही छिपाकर रखा गया था । किन्तु वह मकान छोटा था । इसलिए स्वर्गीय छाजूरामजी चौधरी का मकान ठीक किया गया । यह मकान बहुत सुन्दर और बड़ा था । साथही यह बड़े बाजारके बीचमे था । छाजूरामजीसे बात करनेपर वे सहर्ष राजी हो गए । यह विवाह अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है । इसका इतिहास लिखनेके लिए एक अलग लेख लिखा जा सकता है । इस कार्यमें वसतलालजीका महत्वपूर्ण हाथ रहा । परिणाम स्वरूप पचायत की सभामें बारह समाज-मुधारोकोको इस विवाहमें भाग लेने के लिए अलग-अलग इल्जाम लगाकर जातिसे वाहर कर दिया गया । भाई वसतलालजीको भी जातिसे वाहर किया गया । जाति-वाहरका भी एक आन्दोलन बन गया । वसतलालजीका निजी कुटुम्ब बड़ा होनेके कारण और भाइयो आदिमें विचारोकी भिन्नता होनेके कारण उनको तथा उनकी पत्नीको काफी परेशानियाँ उठानी पडी, परन्तु वसतलालजीके पिता पूज्य रामदेवजीने उनके कामोका पूरा समर्थन किया । और उनके भाइयोने भी साथ दिया ।

वसतलालजीके छोटे भाई शुभकरणका विवाह था । इस विवाहके समय राष्ट्रीय आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन चल रहे थे । खिलाफत आन्दोलनके कारण वसतलालजीका मुसलमान भाइयोसे गहरा सम्बन्ध था । इसलिए इस विवाहमें उनको भी निमन्त्रित किया गया । स्वर्गीय देशवधु दास भी इस विवाहमें भोजनके लिए पधारे । उनके साथ मौलाना अकरमखाँ और पचासो अन्य मुसलमान भी आए थे । उन मुसलमानो को भोजन कराते समय समाज के कुछ लोगोकी नाराजगी रही । उनके भोजन करनेके वाद जूठी पत्तल उठानेके लिए नौकरोने इन्कार कर दिया । कुछ मिनटोमें ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भाई वसतलालजी ने उन मुसलमानोको बुलाकर और भोजन

करा कर एक हंगामा-सा कर दिया है। लेकिन वसंतलालजीने अपने मुसलमान दोस्तोंकी जूठी पत्तलोको उठाकर सारे लोगोंको चकित कर दिया। मुसलमानोंको बुलाकर घरपर भोजन कराना और फिर उनकी जूठी पत्तलें उठाना साधारण बात नहीं थी। इसकी चर्चा और विरोध बहुत रहा। पर वसंतलालजीका उत्साह और दृढ़ता ऐसी थी कि उनके घरके लोग तथा दूसरे विरोधी भी उनसे नाराज नहीं होते थे।

सन् १९३० तक अग्रवाल महासभाके द्वारा जो भी सामाजिक काम हुए, उनका बहुत-सा श्रेय भाई वसंतलालजी और पद्मराजजीको था। कांग्रेसके द्वारा जो राजनीतिक काम होते थे, उनमें भी वसंतलालजी पूरा-पूरा हिस्सा लिया करते थे। सन् १९३० में पू० गाँधीजीने नमक सत्याग्रहका देशव्यापी आन्दोलन चलाया। गाँधीजीकी डाडी-यात्रा के दिनोंमें बंगालमें एक आइर्न-अमान्य कमेटीकी स्थापनाकी गई। उसके सचालनमें भाई वसंतलालजीने बहुत बड़ा हिस्सा लिया। वे बड़ा वाजारासे संगठन करके नमक सत्याग्रह करनेके लिए कलकत्तेसे ७-८ मील दूर महिसावथानमें सत्याग्रहियोंके जत्थे भेजने लगे। फलस्वरूप उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बंगालके कई नेताओंके साथ उनको डेढ़ वर्षके कठिन कारावासकी सजा दी गई। जेलमें कलकत्ताके तथा बंगालके अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओंसे भाई वसंतलालजीका सम्बन्ध हो गया और वे आन्दोलनके खास आदमी माने जाने लगे। अपने विनोदी और सरल स्वभावके कारण वे जेलमें बहुत ही प्रिय रहे। कोई घटना होनेपर वसंतलालजी कहा करते थे—आनन्द हो गया। जेलमें सब लोगोंको एक-एक काँचका गिलास मिलता था। संयोगवश किसी के हाथसे गिलास गिरकर टूट जाता तो टूटनेकी आवाज सुनकर, जिस सज्जनका गिलास टूटता, उनको सम्बोधन करके वसंतलालजी तुरन्त कहते—आनन्द हो गया क्या? इस तरह वे दुःखको स्वभावतः सुखका रूप दे देते थे। उनके इस स्वभावके सम्बन्धमें एक घटना और याद आती है। सन् १९३२ में जेलसे छूटनेके बाद हम लोग स्वास्थ्य-सुधार की दृष्टिसे राजस्थान गए। वसंतलालजीके मुकुन्दगढ़ स्थित मकानमें एक ब्राह्मण-परिवार रहता था। उनके लड़केके नाकमें तकलीफ थी। इसलिए उसका आप-रेशन करानेके लिए उस लड़के और उसकी माँको पिलानी ले गए। संयोगवश उस लड़केकी माँ ऊँटसे गिर पड़ी और उसे चोट लगी। वह गर्भवती थी। वसंतलालजीने मुझे आकर सूचना दी—“भाई साहब, आज तो आनन्द जोरको होगा।” कहने का मतलब यह कि वे किसी भी घटनासे घबराते नहीं थे और उसको अपनी सरलताके कारण विनोदमें बदल दिया करते थे। जेलोके कष्ट और सामाजिक आन्दोलनोंकी तीव्रताके समय जब-जब निराशा, दुःख और असफलता सामने आती, तब-तब वे अपनी भाषामें कहते थे ‘आँटो-साँटो लागकर मुख होवा हालो है’ यानी जो दुःख आता है, या असफलता आती है, वह सुख और सफलता देनेके लिए आती है।

उन दिनों समाजमें मृतक विरादरी-भोज हुआ करता था। साधारण स्थितिके आदमीको भी अपना घर, जो भी कुछ सम्पत्ति होती, वह वेचकर अथवा ऋण लेकर मृतक विरादरी-भोज करना पड़ता था। इसका दुःखद अनुभव नवयुवक समाज किया करता था। अन्त में इसके लिए पिकेटिंग करनेका निश्चय किया गया और इस पिकेटिंगका संगठन करनेमें भाई वसंतलालजीने बहुतही उत्साहपूर्ण काम किया। मृतक विरादरी

भोजके स्थानोपर जाकर जोरदार पिकेटिंग की गई । कई जगहोपर भोजन करनेवालो के सामने लेटना भी पडा । विरोधियोकी ओरसे इस आन्दोलनका जोरदार विरोध किया गया और सत्याग्रहियोपर जूठी पत्तल और गदा पानी भी गिराया गया पर इस का कुछ ही दिनोमें इतना व्यापक और गहरा प्रभाव हुआ कि विहार, मध्यप्रदेश आदि प्रान्तोमें भी यह पिकेटिंग शुरू हुई और मृतक विरादरी-भोज बन्द हो गया ।

मारवाड़ी समाजमें पर्दा-प्रथाभी बहुत जोरोसे प्रचलित थी । नवयुवक समाजको इस प्रथाको तोडनेके लिए काफी आन्दोलन करना पडा । भाई वसतलालजीके नेतृत्व में सन् १९२६ में एक शिष्टमंडल पर्दा-प्रथाके विरोधमें आन्दोलन करनेके लिए वगाल, विहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश आदि स्थानोमें गया और जगह-जगह सभाएँ आदि करके पर्दा-प्रथाके विरोधमें आन्दोलन किया गया । इस आन्दोलनको स्थायी बनानेके लिए सन् १९२६की कार्तिक शुक्ला ११ (देवोत्थान एकादशी) के दिन सारे भारतवर्षके नगरोंमें पर्दा-निवारण दिवस मनाया गया, जिसका अधिकांश श्रेय भाई वसतलालजीको दिया जा सकता है । मतलब यह है कि विलायत-यात्रा, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, मृतक विरादरी-भोज और पर्दा-प्रथा-निवारण आदि कोई भी आन्दोलन, सन् १९२० से सन् १९५६ तक, उनकी मृत्यु पर्यन्त, नहीं हुआ, जिसमें भाई वसतलालजीने सचाई और ईमानदारीके साथ हिस्सा न लिया हो । हिस्सा ही नहीं. वे इन सारे आन्दोलनोके सूत्र-धार रहे । इसी प्रकार राजनीतिक आन्दोलनोमें सन् १९२० से लेकर सन् १९४२ के 'करेंगे या मरेंगे'—आन्दोलन तक ऐसा एक भी आन्दोलन नहीं हुआ, जिसमें वे जेल न गये हो और अधिकसे अधिक भाग न लिया हो । सेवा और शिक्षाके काममें भी वे सदा आगे रहते थे । सन् १९३४ में विहारमें जो भयकर भूकम्प हुआ था, उस समयकी बात है । उनकी स्त्रीको बच्चा होनेकी पीडा हो रही थी । ऐसी हालतमें वे उसे छोडकर भूकम्प-पीडितोकी सेवा करने चले गए । वसतलालजी एक ऐसे बहादुर ममाज-सुधारक और देश-सेवक थे, जिन्होंने अपने घरकी, अर्थकी, शरीरकी और परिवारकी जरा भी परवाह किए बिना देश और समाजकी सेवा की ।

सन् १९४५-४६ में ऐसा लगने लगा था कि निश्चय ही देश स्वाधीन होगा और तब जो विधान-सभाएँ बनेंगी, वे स्वाधीन देशकी विधान-सभाएँ होगी । इसलिए उनकी इच्छा हुई कि वे विधान-सभामें जायें । सन् १९४६ की फरवरीमें जो चुनाव हुए, उसमें वे चुनाव लडनेके लिए खडे हुए और बडे बहुमतसे निर्वाचित हुए । तबसे बराबर पश्चिम वंग विधान-सभाके सदस्य रहे । जिस प्रकार स्वाधीनता-संग्राममें भाग लेकर उन्होंने देशकी सेवा की, उसी प्रकार स्वाधीन देशके शासन-संचालन और निर्माणकार्यमें भी उत्साह और जोशसे काम करते रहे । सन् १९५२ में जो चुनाव हुए, उसमें वगालके वीरभूम जिलेसे वे वगाल विधान सभाके सदस्य चुने गये जहाँ वगाली भाइयोके निवा अन्य किंगी के बोट नहीं थे । इस चुनावकी सफलता वसतलालजीकी वगालमें लोक-प्रियताका एक सबूत था ।

वसतलालजी अपने जीवनमें हर तरहसे सफल रहे । वे अपने विचारो और गिद्वान्तो को बराबर अमलमें लाते रहे । उन्होने अपने बडे पुत्रका विवाह माहेश्वरी समाजमें किया और अपने द्वितीय पुत्रका विवाह एक बाल-विधवासे किया । उनकी स्त्री

रमादेवीने उस ज़मानेमें पर्दा छोड़ा और सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यमें हिस्सा लिया जब मारवाड़ी समाजकी इनी-गिनी महिलाएँ ही पर्दा-प्रथासे मुक्त हुई थी । इस प्रकार वसन्तलालजीका जीवन करीब ४० वर्ष तक निरन्तर देश और समाजकी सेवामें लगा रहा । वे स्वभावसे सरल, हृदयसे कोमल, व्यवहारसे उदार, देश और समाजकी सेवासे प्रेरित, सहृदय और बहुतही सच्चे साथी थे । व्यक्तिगत दृष्टिसे भी ऐसे मित्र और साथीका वियोग बड़ा ही दुःखद है । सार्वजनिक कार्यमें उतरनेसे पहले वसन्तलालजीके साथ मेरी मित्रता हुई थी । आज ४७ वर्षके बाद इतने सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनोकी स्मृतियाँ और रेखाएँ मेरे मन और मस्तिष्कपर अंकित हैं, जिनको मैं भूलना चाहूँ, तो भी भूल नहीं सकता । वे स्मृतियाँ, वे मौके, वे स्थितियाँ इस वियोगके दुःखको हर वक्त ताज़ा रखते हैं ।

पिछले कुछ वर्षोंसे राजनीतिक विचारोंमें मेरा उनके साथ मतभेद रहा, पर अन्तमें उनकी वीमारीने उस मतभेद को भी इस तरह धो डाला कि आज उसका कोई निशान भी खोजनेपर नहीं मिलता । उनकी मृत्युसे कुछ ही दिन पहले हम दोनोंने पहलेकी तरह ही हृदयकी एकताके सुखका अनुभव किया । यदि यह न होता तो आज मेरे दुःखका अन्त कहाँ था ? . यह ईश्वर की कृपा थी और थी उनके हृदयकी सरलता और सहृदयता ।

—:०.—

श्री दोनानाथ सिद्धातालकार

जवसे मैं श्री वसंतलालजीके निकट सम्पर्कमें आया, मैंने उनके भीतर समाज-सुधारके लिए एक ऐसी जोरदार आग देखी, जो सामाजिक कूडा-करकट और गन्दगीको त्वरित भस्मसात करनेके लिए उतावली हो रही थी। उनके कई साथी उन्हें धीमे-धीमे चलने का परामर्श देते पर हँसमुख और स्पष्ट-वक्ता मुरारकाजी सदा यही कहते—“भाई, आगकी लपटें चिऊँटीकी गतिसे नहीं चला करती, वह सिंहके मदन झपटा मारकर कुछ क्षणोंमें ही अपना काम पूरा कर देती है।”

एक घटनाका मुझे स्मरण आ रहा है जिसने समाजमें भूकम्प ला दिया और मुरारकाजीको समाज-सुधारकोकी प्रथम पक्तिमें ला खडा कर दिया। झरियामें कई मारवाड़ी परिवार रहते थे। प्राय सभी खुशहाल थे। वे सब सेठ हरदेवदाम अग्रवाल के प्रभावके कारण सुधारक विचारोंसे अनुप्राणित थे। इन्हींमें एक सज्जन थे श्री नागरमल लील्हा, जिनका हाल हीमें देहान्त हुआ है। वे दूध विचारोंके और विरोधकी तनिक भी परवाह न करनेवाले थे। उनकी पत्नीका देहान्त हो गया था। उन्होंने विधवा-विवाह करनेका निश्चय किया। मेरा भी उनसे अच्छा परिचय था। हम झरिया और कलकत्तामें प्राय मिलते रहते थे। कुमारी कन्या अथवा किसी अन्य विरादरी की विधवा मिलनी भी मुश्किल न थी, पर लील्हाजीका पक्का निश्चय यही था—मैं मारवाड़ी अग्रवाल विधवासे ही विवाह करूँगा ताकि मारवाड़ी समाजमें विधवा-विवाह प्रचलनको बल मिल सके। कुछ मासके प्रयत्नके बाद इस दिशामें सफलता प्राप्त हो गई।

अब प्रश्न था, विवाह किस प्रकार हो और कहाँ हो? इसी बातको लेकर कलकत्ता का पुरातन-प्रिय मारवाड़ी समाज चौखला उठा। अगर यह विवाह झरियामें या अन्यत्र किसी छोटे स्थानमें चुपकेसे हो जाता तब धर्मके इन ठेकेदारोंको कोई आपत्ति न होती, क्योंकि हिन्दुओंमें चुपकेसे साँप भी निगल जानेपर किसीके कानपर जूँ नहीं रेंगती। कुछ सुधारक भी विवाह चुपकेसे करनेके पक्षमें थे पर मुरारकाजी अपने कुछ साथियों सहित कलकत्तामें धूमधामसे इस विवाहके लिए जानेके लिए दृढ़ थे। मुझे भी इन आन्दोलन में सक्रिय भाग लेनेका अवसर मिला। विरोधियोंने बड़ा बवडर उठाया, दगा करने और मारनेकी धमकियाँ दी। मुरारकाजीके नेतृत्वमें सुधारक चट्टानकी तरह अविचलन रहे। मुरारकाजीने सारे आन्दोलनमें जिस साहस और निर्भयताका परिचय दिया, वह सचमुच ही अनोखी बात थी। आखिर चित्तरजन एवेन्सकी एक बटी कोठीके प्रांगण

में यह विधवा-विवाह बड़ी धूमधामसे सम्पन्न हुआ। इस अवसरपर सैकड़ों नही, हजारों नर-नारी उपस्थित थे।

पुराणपंथियोंकी इससे कमर ही टूट गई। उन्होंने अब अपने अन्तिम शस्त्रका प्रयोग किया। वह था “जाति वहिष्कार”। मुरारकाजी आदि युवक इसके लिए पहले ही सजग थे। इससे वह रंचमात्र भी विचलित नहीं हुए। धनका प्रलोभन देकर गुंडों द्वारा सुवारकोको डराने-धमकाने और अपमानित करनेके ओछे हथियार वरते गए। फिर भी विफल हुए। इसी प्रसंगमें कलकत्ता विश्वविद्यालयके संस्कृत-प्राध्यापक महामहोपाध्याय पं० लक्ष्मण शास्त्रीकी अध्यक्षतामें बड़ा वाज़ारमें एक विधवा-विवाह विरोधी सार्वजनिक सभाका आयोजन किया गया। पाँच-सात सौ व्यक्ति इसमें उपस्थित थे। सभास्थलके चारों ओर लट्ठ लिए गुंडे खड़े थे। वसन्तलालजी और कुछ मित्रोंके साथ मैं भी वहाँ मौजूद था। विधवा-विवाह विरोधी कुछ सारहीन और तर्कशून्य भाषणोंके बाद यह आह्वान किया गया कि “विधवा विवाहके पक्षमें यदि कोई बोलना चाहे, तो उसे १० मिनटका समय दिया जाएगा।” मैं उठा। मैंने विधवा-विवाहके पक्षमें शास्त्रीय प्रमाण देने अभी आरम्भ ही किये थे कि तड़ातड़ मेरे ऊपर और मुरारकाजी तथा अन्य साथियोंपर लाठी-वर्षा होने लगी। विरोधियोंमें कुछ ऐसे भी थे, जो इस प्रकारके असभ्य व्यवहारके विरुद्ध थे। उन्होंने हम सबको चारों ओरसे घेर लिया। लाटियाँ फिर भी बीच-बीचमें चलती गईं। किसी प्रकार वहाँसे निकलकर हम सब घर पहुँच सके।

अगले दिन कलकत्ताके सब पत्रोंमें यह घटना बड़े लम्बे-लम्बे शीर्षकोंके साथ जोरदार शब्दोंमें प्रकाशित हुई। उन दिनों कलकत्तासे “स्टेट्समैन” के अतिरिक्त “इंग्लिश मैन” नामक एक और अवगोरा पत्र निकलता था। उसने इस घटनाको लेकर कलकत्ता-पुलिसको आड़े हाथों लिया और वंगाल सरकारको फटकार वताते हुए लिखा कि वह नगरके समाज-सुधारक कार्यकर्ताओंको कुछ अनुदार धनिकोंके गुंडों द्वारा पिटाकार ब्रिटेनकी सुधार-पोपक परम्पराओंको कलकित करना चाहती है। इससे प्रान्तीय सरकार भी सचेत हो गई और फिर पुराणपंथियोंको ऐसा करनेका साहस न हो सका।

इस विधवा-विवाहके कुछ दिन बाद ही एक और विधवा-विवाह इसी प्रकार सार्व-जनिक रूपसे हुआ। उसकी भी खूब धूम रही। वसन्तलालजी मारवाड़ियोंमें इस सुधारके प्रचारके लिए अब विशेष प्रयत्नशील हो गये थे। एक और उल्लेखनीय विधवा-विवाह कलकत्तेसे कुछ मील दूर एक औद्योगिक केन्द्रमें हुआ। वहाँके मारवाड़ी बंधुओं ने अपने नगरमें ही विवाहपर इसलिए जोर दिया कि वहाँकी जनतामें भी इसका प्रचार हो सके। मुरारकाजी अपने कुछ मित्रोंके साथ वहाँ गये। मैं भी साथ था। हम सबका वहाँ बड़ा ज्ञानदार स्वागत किया गया। वहाँके मारवाड़ी युवक मुरारकाजीके भाषणमें बहुत प्रभावित हुए। वसन्तलालजी स्पष्टवक्ता तथा राजनीतिक और सामाजिक विषयोंपर एक निश्चित विचार देनेमें सक्षम और समर्थ थे।

—:०:—

समाज-सुधारक बसन्तलालजी मुरारका

—श्री ईश्वरदास जालान

श्री बसन्तलालजी मुरारका इस ससारमें नहीं हैं परन्तु आप की कीर्ति अब भी सर्वत्र व्याप्त है। सार्वजनिक जीवनसे आपका अखूट प्रेम रहा। राजनीतिक क्षेत्रमें आपने प्रारम्भसे ही कांग्रेसका अनुसरण किया। आजीवन उसके भक्त बने रहे। देशकी मुक्तिके आन्दोलनमें आपने सदैव भाग लिया। कई बार जेलकी यातना भोगी, परन्तु अपने पथसे विचलित नहीं हुए। सामाजिक क्षेत्रमें भी आपके विचार सदा प्रगतिशील रहे। जीवनके प्रारम्भसे ही सामाजिक सुधारोंमें आप अग्रणी रहे। केवल विचारों हीसे नहीं, कर्मसे भी आपने प्रमाणित कर दिया कि आप रुढिवादिताके सर्वथा विरुद्ध थे। मरने तक भी आपने जो अतिम इच्छा प्रकट की और जो आदेश दिया, वह सिद्ध करता है कि हृदयसे वे सामाजिक प्रथाओंमें आमूल परिवर्तनके पक्षपाती थे। बहुतेसे उनके विचारोंसे मतभेद रखनेवाले भी उनकी सरलता और सहृदयताके प्रति आदर रखते थे। किसी भी समय कोई भी आदमी यदि उनकी सहायता चाहता था, तो वे उसी समय उसके लिये तैयार हो जाते थे। बसन्तलालजीकी सर्वप्रियता इसीसे जानी जा सकती है कि बगला भाषामें अपने भावोंको व्यक्त करनेमें असमर्थ होते हुए भी वे बगला-भाषी-क्षेत्रसे पश्चिम-वर्ग विधान-सभाके सदस्य चुने गए और मरते समय तक भी अपने क्षेत्रमें उसी प्रकार जनप्रिय बने रहे। सदा प्रसन्नमुख, साहसी, वीर और कर्मठ योद्धा की भाँति जीवन-संग्राममें वे सफल सैनिक रहे। उनका चिर-वियोग उनके मित्रोंको सदा खलता रहेगा।

‘कीर्तिर्यस्य स जीवति’

श्री नरोत्तमदास जोशी

श्री मुरारकाजी न केवल स्वतन्त्रता-संग्रामके एक निर्भीक और कर्मठ निपाही ही थे और समय-समयपर अंग्रेजी सरकारने उन्हें कारावास भेजा किन्तु वे उत्तने ही बल, उल्हाह तथा प्रेरणासे नव-समाजके निर्माणमें लगे रहे। पर्दा-निवारण, रुढियोंकी दामतामे मुक्ति, परोपकार और सेवा-भाव उनमें कूट-कूट कर भरा था। बच्चोंका-ना सरल निष्कपट व्यवहार मिलने वालोंका हृदय स्पर्श करता था। उनके निघनमे समाजकी बड़ी हानि हुई है। उनको सच्ची श्रद्धाजलि हम तभी दे सकेंगे जब उनके अग्रदूरे छोटे हुए कार्यको पूरा करेंगे। उनके कार्य हमें अब भी उम क्षेत्रमें प्रेरित करते रहेंगे। इसीलिये शास्त्रकारोंका कथन है—“कीर्तिर्यस्य स जीवति।”

स्व० भाई बसन्तलालजी समाजके तेजस्वी और विशेष प्रतिभाशाली सुधारक थे । आपका उत्साह सदा ही दूसरोको स्फूर्ति देनेवाला होता था । मेरा परिचय आपसे इधर प्रायः तीस वर्षोंसे ही था, यद्यपि आपने समाज-सेवाका काम उसके बहुत पहले ही करना आरम्भ कर दिया था । बसन्तलालजीमें विशेष गुण यह था कि वे अपने विरोधीकी समालोचनासे कभी उद्विग्न नहीं होते थे, बल्कि उसका आदर करते थे और प्रसन्नतापूर्वक आवश्यकतानुसार उत्तर देते थे और जहाँ अपनी त्रुटि मालूम होती, उसे स्वीकार करनेमें भी संकोच नहीं करते थे ।

एक वार मैंने जब उनकी कही हुई बातोंका विरोध किया, तो उन्होंने पत्र लिखकर मुझे संतोष कराया और समाचारपत्रोंमें भी अपना वक्तव्य देनेमें किसी प्रकारका संकोच नहीं किया । ऐसी प्रवृत्ति यदि समाजके अन्य भाइयोंमें भी रहे, तो बहुत ही उत्तम हो ।

सन् १९२७ ई० में सर्वप्रथम विधवा-विवाहके प्रश्नको लेकर आपके साथियोंसे मेरे मतके लोगोका विरोध हुआ, पर आप और आपके मित्रोंने बड़ी सद्भावनासे हमलोगोके द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाहीको उचित रूपसे स्वीकार किया ।

यो तो आपके साथ बराबर ही सभा-सोसाइटियोंमें मिलना होता था, पर अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलनके अन्तर्गत परदा-विरोधी आन्दोलनको लेकर आपके साथ मेरा पूरा सहयोग रहा । आपने सुधारकी प्रगतिमें प्रगंसनीय कार्य किया, यद्यपि आपकी कई एक बातोंसे मैं सहमत नहीं था ।

दहेज-प्रथाको लेकर भी आपके साथ मेरा काफी सम्बन्ध रहा । आपने इधर इस कुप्रथाको लेकर बहुत ही जोरोका काम किया, जिससे समाजमें फैली हुई इस प्रथाके उन्मूलन में यथोचित प्रगति हुई । मैंने तो एक वार उन्हें यहाँ तक उलहना दिया था कि यदि वे और भी अधिक सचेष्ट होकर सुधार-कार्य को अग्रसर करते तो बहुत बड़ा काम हो सकता था । तो भी यह कहा जायगा कि आपने व्यवसाय-वाणिज्यका कार्य करते हुए भी समाजका बड़ा काम किया ।

राजनीतिक क्षेत्रमें भी बसन्तलालजीकी सेवा प्रशंसनीय रही । आप यद्यपि अंग्रेजी थोड़ी जानते थे, तो भी विधान सभाके मेम्बरकी हैसियतसे बंगभूमिकी सेवा करनेमें कमी नहीं की । ऐसे कर्मठ व्यक्तिके चले जानेसे समाजकी विशेष हानि हुई और उनके रिक्त स्थानको पूर्ण करना अब कठिन-सा प्रतीत हो रहा है ।

स्वयंके विषयमें यदि कभी किसीसे कोई प्रश्न किया जाय, तो उसका उत्तर देना उस व्यक्तिके लिये अत्यन्त दुःसह कार्य हो जाता है। इसी प्रकार आज भाई वसन्तलालजी मुरारकाके सम्बन्धमें अपने सस्मरण लिखनेको जब मुझसे कहा गया है, तो कुछ समझमें नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं? लगभग पिछले ३५ वर्षसे सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमें मुझे उनके साथ कार्य करनेका अवसर मिला। सदा ही साथ-साथ रहनेके कारण उनसे इतनी अधिक अभिन्न-हृदयता हो गई कि उन्हें पृथक् रूपमें देखने-समझनेका न कभी अवसर ही मिला और न कभी चेष्टा ही की। फिर भी आज उनके विषयमें कुछ लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ। कह नहीं सकता—कहाँ तक सफलता मिलेगी।

मुझे अच्छी तरह याद है, जब १९२१ के सत्याग्रहके समय बापूजीने कहा था कि यदि कांग्रेसके एक करोड़ सदस्य वन जायें तथा स्कूल-कालेजो आदिमें विदेशी शिक्षाका एवं अन्य सभी क्षेत्रोंमें विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार किया जाय और हिन्दू-मुस्लिम एकताका प्रयत्न हो तो एक वर्षमें स्वराज्य अवश्य प्राप्त हो जायगा। उनकी इस घोषणाके फलस्वरूप देशमें असहयोग-आन्दोलन आरम्भ हो गया और उसके परिणाम स्वरूप हममेंसे अनेक को जेल जाना पडा। जेल जाते समय अत्यन्त स्वाभाविक एवं सहज रूपसे भाई वसंतलालजीने घनश्यामदासजी विडलासे पूछा—“भाई साहब, जब स्वराज्य मिल जाए, तो मैं आपको कहाँ तार दूँ।” बापूमें असीम निष्ठा और पूर्ण विश्वास तथा उनकी निष्कपट सरलताका इससे अधिक और क्या उदाहरण मिल सकता है?

उनके व्यक्तित्वकी सबसे बड़ी जिस विशेषताने मुझे प्रभावित किया, वह यह है कि उन्होंने जो कहा, उसे अक्षरशः अपने जीवनमें उतार कर दिखाया। मन् १९२६ की बात है। उन दिनों हम सभी सुधारक विचारवाले व्यक्ति यह चाहते थे कि समाजमें विधवा-विवाह एवं अग्रवाल-माहेश्वरी सम्बन्ध प्रचलित हो जायें। इस प्रस्तावसे चपकनिया दलके सहमत होनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उसने इसका खूब विरोध किया। उस समय मैं तथा भाई भागीरथजी कानोडिया आदिने चपकनिया दलमें नमस्तीना करनेका विचार कर लिया, किन्तु वसन्तलालजी अपने निश्चयपर दृढ रहे। उन्होंने कहा कि ये लोग तो हमारे प्रस्तावका विरोध करेंगे ही परन्तु हमें अपनी बातपर अडे रहना है। उन्होंने केवल सैद्धांतिक रूपसे ही यह बात नहीं कही परन्तु उनके स्वयं के जीवनमें जब उसको प्रत्यक्ष प्रमाणित करनेका अवसर आया, तब समस्त विरोधोंके उपरान्त

उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भागीरथका विवाह एक माहेश्वरी परिवारकी कन्यासे (अग्रवाल-माहेश्वरी सम्बन्ध) तथा द्वितीय पुत्र मदनका एक बाल-विधवासे (विधवा-विवाह) सम्पन्न किया। उनके समान दृढप्रतिज्ञ एव दृढ निश्चयके कितने व्यक्ति आज मिलेंगे जो कि जो बातें प्लेटफार्मपर करें, उनका उदाहरण भी समाजके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें।

भाई वसंतलालजीने लोक-सेवा एव समाज-सेवाको ही सदा अपने जीवनका सबसे प्रमुख अंग माना। यदि वे चाहते तो अधिकार एवं पदलोलुपतामें फँसकर अत्यन्त उच्चतम पदपर आसीन हो सकते थे परन्तु जिस व्यक्तिके जीवनका उद्देश्य ही पीड़ित व्यक्तियोंकी सेवा था, उसे इन सबकी लालसा अपने कर्तव्यसे कैसे च्युत कर सकती थी? यदि रात्रिके १२ बजे भी उनके द्वारपर किसी व्यक्तिके आकर यह कहा कि आपके द्वारा अभी अमुक कार्य करनेसे किसी व्यक्तिकी कार्य-सिद्धि हो सकती है, तो उन्होंने उसे करनेमें किञ्चितमात्र भी सकोच प्रदर्शित नहीं किया। यदि उस मध्य रात्रिमें वह उनसे अपने साथ चलनेको भी कहता, तो 'अच्छा भाया, मैं इवार ही चालू हूँ' केवल इतना कहकर अपना कुरता और चप्पल पहननेमें उन्हें जो समय लगता, उतनी ही देर उस व्यक्तिको उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती।

आजके इस युगमें इतना आत्म-त्याग कहाँ मिलता है कि पीड़ित व्यक्तियोंकी आर्तना सुनकर मनुष्य अपना सर्वस्व त्याग दे। परन्तु भाई वसन्तलालजी मुरारका इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण थे। उनके समान निष्कपट, नि स्वार्थी एवं स्नेही व्यक्ति आज विरले ही मिलते हैं। और तो क्या लिखूँ, जितना ही अपने जीवनसे पृथक करके उन्हें देखना चाहता हूँ, उतनाही अधिक निकट वे आते जा रहे हैं। लिखनेमें कुछ कष्ट भी हो रहा है और कुछ मनोव्यथा भी। फिर भी अन्तमें केवल यही कह सकता हूँ कि उनके विषयमें जो कुछ भी कहा जाय अथवा लिखा जाय, थोड़ा ही है

—:० —

सामाजिक सुधारके क्षेत्रमें अपनेसे ही श्रीगणेश

श्री कन्हैयालाल खादीवाला

भाई श्री मुरारकाजीसे मैं कई वर्षोंसे परिचित था। राजनीतिक क्षेत्रमें तो उन्होंने काफी कार्य किया ही, लेकिन मारवाड़ी समाज में सामाजिक सुधारके क्षेत्रमें जो कार्य उन्होंने किये, वे निस्संदेह ही उल्लेखनीय हैं। विधवा-विवाहके सामाजिक सुधारके क्षेत्रमें उन्होंने अपने ही परिवारसे श्रीगणेश किया। अपने खुदके लड़केकी सुयोग्य विधवा कन्यासे शादी करके मारवाड़ी समाजमें एक अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। यह कोई छोटी बात नहीं। मैं उनके इस कदमको एक महान् क्रांतिकारी कदम समझता हूँ।

वसतलाल और मैं एक ही गाँवके होनेके कारण बचपनमें एक ही गुरुके पाम पढते थे और गुरुकी एकही बेंतसे हम दोनो पिटते थे । उस वक्त मेरी उम्र ७ वर्षकी और वसतलालकी ६ वर्षकी थी । उन दिनो हमारा जो परिचय हुआ, और सबघ जुडा, वह निरन्तर अधिकसे अधिकतर गहरा ही होता गया । वसतलालकी सरल प्रकृति, स्नेहशील स्वभाव और उदार विचारोका ही यह परिणाम रहा कि हमारे ५५ वर्षके सम्बन्धमें कभी कोई फर्क का अवसर नहीं आया ।

सामाजिक सुधारकी ओर उसकी प्रवृत्ति छोटी उम्रसे ही थी । पुराने जमानेके लोगोको याद होगा कि अपने समाजमें विवाहके अवसरपर अश्लील गीत, जिन्हें "सीठणा" कहा जाता था, गानेकी एक आम रिवाज थी । सारे गाँवमें इस बातका आन्दोलन उठा कि "सीठणें" बन्द होने चाहिएँ । इस आन्दोलनमें वसतलालने सक्रिय भाग लिया । एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार करके लोगोसे हस्ताक्षर करवाये गये । यह बात शायद सन् १९११ की है । उसके दो वप बाद उसके छोटे भाईका विवाह होनेवाला था । लडकी के पिता पुराने विचारोके जिद्दी स्वभावके थे । उन्होने कहा—हमारे यहाँ जीमनवार के वक्त सीठणें अवश्य होंगे । बात कुछ खिंच गई । वसतलालके पिता पूज्य श्री रामदेवजीके सामने धर्म-सकट-सा उपस्थित हो गया । वसतलालने कहा—सीठणें होंगे, तो मैं विवाहमें नहीं जाऊँगा और यह भी कहा कि मैंने जो हस्ताक्षर किए हैं, वह आपकी अनुमतिसे किए हैं, इसलिए आपको साहजीकी बात माननेसे इन्कार करना चाहिए । पूज्य रामदेवजीको उसकी दलील ठीक लगी और वे वसतलालके पक्षमें हो गए । लडकीका पिता बहुत नाराज हुआ, लेकिन आखिर मान गया ।

इसके पहले दिखावैके विरुद्ध भी वसतलालने एक छाटा-मोटा आन्दोलन चलाया था । किसी भी अवसरपर दिये जानेवाले या आए हुए दहेजका दिग्वावा करनेकी याने दी जानेवाली या आई हुई वस्तुओ और रुपयोको खाटोपर सजाकर सारे गाँवको बुलाकर दिखानेकी एक प्रथा हमारे समाजमें थी । शायद छोटे-मोटे रूपमें वह आज भी विद्यमान है ।

एकवार होलीमें धूल और कीचड उछालने तथा अश्लील शब्द बकनेके विरुद्ध आंदोलन करके उसने गाँव (मुकुन्दगढ) में अच्छा वातावरण पैदा किया था, जिसको लेकर वहाँ के ठाकुरसाहब बहुत नाराज हुए थे, लेकिन वसतलालने कभी किसीकी राजी-नाराजगी की परवाह नहीं की ।

गणगौर पूजकर कुएँमें डालनेकी एक रिवाज राजस्थानमें प्रचलित थी, जिसके फल-स्वरूप कुओका पानी खराब हो जाता था । उसके विरुद्ध भी वसंतलालने छोटी उम्रमें ही बालकोंकी एक टोली बनाकर कुएँपर पिकेटींग की थी और उसमें सफल हुआ था ।

छोटे-मोटे मेलो-ठेलोंके अवसरपर प्रवृद्ध करनेके लिए अक्सर स्वयसेवक दल जाया करते थे । उनमें हरएक स्वयसेवक दलके साथ वह अवश्य होता था ।

आज ये सब आदोलन और सेवाएँ बहुत छोटी लगती हैं । किसी-किसीको ये बातें हँसी आने लायक भी लग सकती हैं । लेकिन जो लोग उस जमानेसे गुजरे हैं, उन्हें मालूम है कि उस वक्त इन सबका कितना महत्व था और इनको करनेमें कितनी कठिनाई आती थी ।

जो बात वसंतलालको ठीक जँची, उसका उसने निर्भीकतापूर्वक प्रचार किया और उसके अनुसार काम भी किया । उदाहरणके लिए, उसने अन्तर्जातीय विवाहकी बात कही, तो अपने लड़केका विवाह माहेश्वरी समाजमें किया, विधवा-विवाहकी बात कही तो अपने दूसरे लड़केका विवाह बाल-विधवा लड़कीसे किया, अस्पृश्यता-निवारण की बात कही तो हँसते-हँसते उसके लिए धक्के-मुक्के और गालियाँ खाईं और हरिजन सेवक सघ, राजस्थानके सभापतिके नाते राजस्थान-व्यापी दौरा भी किया । पर्देकी बात कही, तो उसे अपने घरमें सबसे पहले उठवाया और दहेजकी बात कही, तो अपने लड़कोके विवाहमें दहेज नहीं लिया तथा आगे चलकर तो दहेजके विवाहमें शरीक नहीं होनेकी प्रतिज्ञा भी की ।

सामाजिक सुधार-आदोलनके अलावा रचनात्मक प्रवृत्ति भी उसकी छोटी उम्रसे रही । हमारे गाँवमें उसके द्वारा सन् १९०६ में स्थापित किया हुआ एक पुस्तकालय आज तक चल रहा है । उस वक्त उस पुस्तकालयके लिए कुल चन्दा १५) इकट्ठा हुआ था, जिसमें ११) की लागतसे एक जाजम बनवायी गयी थी और "वैकटेश्वर समाचार" नामका एक साप्ताहिक पत्र बम्बईसे भँगवाया गया था । कुछ फटी-पुरानी पुस्तकें ड़घर-उधर से भाँगकर इकट्ठी की गई थी, जिन्हें मरम्मत कर-कराके रखा गया था । आज तो इस पुस्तकालयका रूप, साधारण कस्बोमें ठीक-ठीक जैसा एक पुस्तकालय चाहिए, वैसा हो गया है । काफी पुस्तकें हैं, पर्याप्त पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं तथा गाँवके बहुत लोग उससे लाभान्वित होते हैं । हालहीमें भाई वसंतलालने अपने खर्चसे इस पुस्तकालयके लिए अपने पूज्य पिताजीकी स्मृतिमें एक अच्छा सुन्दर दोतल्ला भवन भी बनवा दिया है ।

कलकत्तामें जितने सामाजिक आन्दोलन हुए, जैसे सनातनधर्म और आर्यसमाजका आन्दोलन, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, विलायत-यात्रा, डीडू-कोलवार प्रकरण, हरिजन-समस्या, विधवा-विवाह, पर्दा-प्रथा, मृतक विरादरी-भोज आदि, इन सबमें उसने सुधार-पक्ष या यो कहें कि न्याय-पक्षकी ओरसे खुलकर भाग लिया तथा नेतृत्व भी किया । खुद की पढ़ाई-लिखाई कम होनेके बावजूद शिक्षा और साहित्यके प्रति विशेषकर स्त्री-शिक्षाके प्रति उसका अनुराग सदा रहा, जिसका जीवित उदाहरण हमारे गाँवमें उसकी ओर से चलनेवाला बालिकाओका एक मिडिल स्कूल है । यहाँपर करीब २५० लड़कियाँ पढ़ती हैं । उसका सुन्दर भवन भी उसने पूरा-पूरा अपने खर्चसे बनवाया है । इनके अलावा कलकत्ते की तथा दूसरी जगहकी भी ऐसी कई शिक्षण-संस्थाएँ हैं, जिनकी मदद करने-करानेका

वसतलालने सदा प्रयत्न किया। अहिन्दी प्रान्तोंमें हिन्दी प्रचारके काममें भी उसका सहयोग बराबर रहा तथा समाजवादपर अच्छा ग्रथ लिखनेवालेको मुरारका-पुरस्कार भी दिया गया।

उसकी सामाजिक प्रवृत्ति कलकत्ते तक ही सीमित नहीं रही बल्कि बाहर भी उसे बहृत जाना पडा। जब-जब जहाँ-जहाँ जरूरत पडी, वहाँ वह जरूरतके अनुसार दल-बल लेकर अथवा अकेले-दुकेले भी गया और पूरी लगन तथा ताकतके साथ काम किया।

हरिजन-आन्दोलनके दिनोंमें मुकुन्दगढमें वसतलालका जो विरोध हुआ और उमका उत्तर उसने अपने मृदुल स्वभावके अनुसार विरोधियोंको जिस तरह हैंसते-हैंसते दिया था, वह एक स्मृतिकी वस्तु है।

राजनीतिक आन्दोलनमें गाँधीजीके आह्वानपर देशमें सबसे पहले जो लोग जेल गए थे, उनमें वसतलाल भी एक था। उस वक्त उमकी आर्थिक हालत बहुत साधारण थी। सयुक्त परिवार था, दूसरा विवाह किये थोडे ही दिन हुए थे, इसलिए पत्नीकी आयु बहुत छोटी थी, घरका वातावरण अनुकूल नहीं था। लेकिन उसने किमी वातकी परवाह नहीं की—किसी वातकी चिन्ता नहीं की। उमके वाद जब-जब राजनीतिक आन्दोलन हुए, वह बराबर जेल गया। सामाजिक क्षेत्रमें वह सदा उग्र सुधारवादी रहा, राजनीतिक क्षेत्रमें अपनेको गाँधीजीका अनुयायी माना और रचनात्मक प्रवृत्तियोंमें भी उसने बराबर सक्रिय भाग लिया। खादी जिस दिन किसी दूसरे आदमीके तनपर आई, उसी दिन उसने भी धारण की और अत तक उसी प्रेम और निष्ठासे धारण किए हुए रहा।

सहृदय और सहानुभूतिशील वह इतना था कि कोई भी आदमी किमी भी तरह की आपत्तिमें पडा हुआ या जरूरतमन्द उसके पास पहुँचा, तो उसे निराश नहीं लीटना पडा। सदा-सर्वदा उसकी सहायता अपनी सुविधा-असुविधाका और समय-असमयका रयाल किये बिना की। आनेवाली पीढी वसतलालको उसकी सेवाके लिए गर्व और कृतज्ञता के साथ याद करेगी क्योंकि उसने स्वयं दुख झेलकर आनेवाली पीढीके लिए मार्ग प्रदग्मन किया है।

सरल-जीवन मुरारकाजी

श्री कुम्भाराम आर्य

श्री वसन्तलालजी मुरारका समाजके पुराने सेवकोमें से थे । मुरारकाजीका नाम जब आता है, तो पुरानी सब घटनाएँ स्मरण हो आती हैं । समस्त सामाजिक बुराइयोसे लोहा लेनेवाले लोगोंमें मुरारकाजी अग्रगणी समाज-सेवक थे । अनमेल-विवाह, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, पर्दा आदि अनेक रूढ़ियाँ समाजमें घर किए हुए थीं, जिनके कारण हिन्दू समाज का ह्रास होता जा रहा था । उन कुरीतियोके सामने किसीकी खड़े होनेकी हिम्मत नहीं थी और समाज बुरी तरहसे इन रूढ़ियोका शिकार था । समाजकी इस भयकर वीमारी को जड़-मूलसे नष्ट करनेके लिए वे सुधारकके रूपमें जनताके सामने खम्भ ठोक कर आये ।

रूढ़िवादिताको नष्ट करनेके लिए उठाए गए कदमोका जहाँ स्वागत होना चाहिए था, विरोध हुआ और समाजने बुरी तरहसे उनका तथा उनके साथियोका तिरस्कार किया । यहाँ तक कि जातिच्युत कर दिए जानेकी नौबत भी आई लेकिन उस समाज-सेवकका मन कमजोर नहीं पड़ा । उसकी लगन बढ़ती गई, समाजका विरोध बढ़ता गया ; मामला यहाँ तक आगे बढ़ा कि पारिवारिक जनो तकने इसका विरोध किया । किन्तु फिर भी उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपने कर्तव्यपर डटे ही रहे ।

वह घटना बड़ी ही आकर्षक है जब श्री वसन्तलालजी मुरारकाने अपनी धर्मपत्नीको हाथसे लाखका चूड़ा उतारनेके लिए तैयार कर लिया । पत्नीने चूड़ा उतारा कि विरोध की अनिममें घी डालने जैसा कार्य किया । घर, मोहल्ला, पारिवारिक जन सब ताने और विरोधमें उनको धायल करने लगे । धर्मपत्नीको राँड तक कहा गया फिर भी दोनो पत्ति-पत्नी अपने विचारोपर अटल रहे और जो कदम आगे बढ़ा लिया सो बढ़ा लिया । वापिस नहीं लिया । समाज-सुधारकी धुन आपको अंतिम दिन तक वैसी ही लगी रही स्त्री-शिक्षा, सामाजिक सुधार, जन-सेवा आदि कार्योंमें ही आपने अपना समय लगाया । उनका घर एक आश्रम-सा लगता था । उस समाज-सेवकके घर अतिथि बनकर ठहरने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था । परिवारके हरएक व्यक्तिके व्यवहारका आज भी वैसा ही असर और आकर्षण है । उसके घरसे विदा लेनेको किसी भी अतिथिका मन नहीं चाहता ।

उसकी धर्म-पत्नी, लड़के-लड़कियाँ और लड़कोकी बहुएँ सबके सब एक सँचिमें ढले लोग बड़े प्यारे लगते हैं । उस व्यक्तिके समाज-सुधारका कार्य अपनेसे ही प्रारम्भ किया हो, ऐसा लगता है । स्वयं वह देखनेमें बड़ा सीधा, कमबोला और लगनशील दीखता था

तो उसकी धर्मपत्नी भी इससे कम नहीं रही। पति-पत्नी दोनोंके आचार-विचार एक होनेसे बाल-बच्चीपर वैसे ही रंग चढा हुआ है। एक बार इस घरके बच्चोंसे मिल लेने और बात करनेके बाद उनको भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकारके जन-सेवकके जीवनके बारेमें मेरा जैसा साधारण व्यक्ति क्या लिखे ? मेरे कुछ समझमें नहीं आता। हाँ इतना लिखना आवश्यक समझता हूँ कि इस कर्मठ पुरुषको जन्म देनेवाली मातृभूमि राजस्थानकी शेखावाटी है। इस भूमिको कुछ ऐसा ही वरदान है। यहाँ ऐसे ही पुरुष पैदा होते हैं, जिनसे उनका और मातृभूमि दोनोंका नाम उज्ज्वल होता है। इस भूमिको मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ जिसने हमको वसन्तलाल मुरारका-जैसा समाज-सेवक दिया।

श्री वसन्तलालजी मुरारका बड़े लोकप्रिय थे। वे राजस्थानमें नहीं रहे और उनकी सेवाओंका लाभ राजस्थानको इतना नहीं मिला पर हमें इस बातकी प्रसन्नता है कि राजस्थानमें पैदा हुआ वसन्तलाल मुरारका हमारे बगली भाइयोंकी सेवा वही ही कर सका जैसी वह राजस्थानमें होता, तो राजस्थानियोंकी करता। इसका प्रमाण भी हमारे पास है। वह बगलकी असेंबलीका सदस्य ऐसे स्थानसे चुना गया जहाँ एक भी राजस्थानी नहीं। वसन्तलालजी मुरारकाको बगलकी धारा-सभामें किसीने भेजा तो वह बगली जनता थी। बगली भाइयोंने मुरारकाजीको मारवाड़ी नहीं समझा। वे उनको अपना भाई समझकर उनसे व्यवहार करते रहे थे। श्री मुरारकाजी की सेवाओंका ही यह फल था।

समाज-सेवकोंको श्री वसन्तलालजी मुरारकाके जीवनसे शिक्षा लेनी चाहिये।

वे अमर हैं !

श्री खेमचन्द्र चौधरी

मुरारकाजीकी मस्ती, उनका नौजवानोंको गर्मिन्दा करनेवाला जोश, उनका अदभ्य उत्साह, दृढता और बहादुरीके साथ विरोधसे टक्कर लेनेकी अद्भुत क्षमता, बिना धवराए धैर्यके साथ स्थितिका सामना करनेका साहस सदा समाज और साथियोंकी स्मृतिमें अमिट रहकर प्रेरणा देता रहेगा। सुधार, परिवर्तन और क्रान्तिके उस पुजारीका हँसता हुआ चेहरा आज भी इन अभागी और गीली आँखोंके सामने थिरक रहा है। सुनो ! सुनो ! वे क्या कह रहे हैं ? कहते हैं—अधूरे कामको पूरा करो, इमीने मेरी आत्माको शान्ति मिलेगी। अरे, वही हँसी, वही उत्साह, वही अपनापन ! हमें उस जोतको जगाए रखना है, उसे सजोना है।

यह माननेको जी नहीं चाहता कि वे मर गए। सचमुच वे मरे नहीं। वे मर कर भी अमर हैं।

मारवाड़ी समाजके आन्दोलन और बसंतलालजी

श्री गंगाप्रसाद भोतिका

मारवाड़ी समाजमें सामाजिक संघर्षका श्रीगणेश मारवाड़ी एसोसियेशनकी स्थापनाके बाद हुआ। एक तरफ मारवाड़ी एसोसियेशनके प्रमुख कार्यकर्ता थे, जिनमें श्री जुहारमलजी खेमका, श्री रामजीदासजी वाजोरिया, श्री केशोरामजी पोद्दार, श्री रामकुमारजी झुंझनू-वाला, श्री चिम्मनलालजी गनेडीवाला, श्री दौलतरामजी चोखानी आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। दूसरी तरफ उस समाजके युवक कार्यकर्ता श्री नागरमलजी मोदी, श्री फूलचन्दजी चौधरी, श्री रामकुमारजी जालान, श्री रामकुमारजी गोयनका, श्री वैजनाथजी केड़िया आदि थे, जिन्होंने कलकत्तेमें वैश्य सभा की शाखा स्थापित की थी और उसका एक अधिवेशन भी यहाँ बुलाया था। इन संस्थाओंका परस्पर संघर्ष चलता रहा, जो पीछे जाकर आर्यसमाज और सनातन धर्मके संघर्षमें परिणत हो गया। मारवाड़ी समाजमें आर्यसमाजके उस समयके प्रमुख कार्यकर्ता श्री जयनारायणजी पोद्दार तथा उनके पुत्र, श्री देवीवक्सजी सराफ, श्री शिवप्रसादजी सराफ, श्री नागरमलजी मोदी आदि थे। एक ओर मारवाड़ी एसोसियेशनके कर्णधार श्री केशोरामजी पोद्दार तथा दूसरी ओर श्री जयनारायणजी पोद्दारके विशेष जोर देनेपर यह संघर्ष सक्रिय हुआ। उन दिनों श्री देवीवक्सजी सराफकी माताजीका देहान्त हो गया था। उनके श्राद्धपर भोजन न कराने के लिये ब्राह्मणोंको बहुत भडकाया गया। इसी प्रकार श्री लक्ष्मीनारायणजी खेमानीने अपनी वहनको आर्यकन्या महाविद्यालय, जालन्धरमें भर्ती करा दिया था। इसपर सनातन-धर्मियों में बड़ी खलवली मची और उन्होंने मामले-मुकदमे भी किए। संघर्ष यहाँ तक बढ़ा कि मारवाड़ी एसोसियेशनके कर्णधारोंने एक गश्ती चिट्ठी तैयार की और उन सबके पास भेजी, जिनपर उन्हें आर्यसमाजी होनेका सन्देह था। उसमें यही लिखा था कि या तो वे इस बातकी घोषणा करें कि वे आर्यसमाजी नहीं हैं, अन्यथा उनपर यथोचित कार्यवाही की जायगी। श्री फूलचन्दजी चौधरी आदि कुछ सज्जन मारवाड़ी एसोसियेशनके सदस्य होना चाहते थे। उन्हें सदस्य न बनने देनेके लिए एसोसिएशनने पहले ही यह प्रस्ताव पास कर लिया कि जो गीताकी शपथ लेकर कहेंगे कि वे सनातनधर्मी हैं, वे ही सदस्य बन सकेंगे। आपसकी तनातनी यहाँ तक बढ़ी कि दोनों ओरसे इसी बातको लेकर समाचारपत्र निकलने लगे। सनातन-धर्मियोंकी ओरसे “श्री सनातन धर्म” निकला और सुधारवादियोंकी ओरसे “सत्य सनातन धर्म”। “सत्य सनातन धर्म” के सम्पादनका

कार्य श्री रावामोहन गोकुलजी करते थे और उसमें विरोध लेख श्री शिवप्रसादजी सराफ के द्वारा करते थे जिन्हें पडकर सनातनी समाजमें बड़ी खनवली मच जाया करती थी ।

इस सघर्षको मिटाने और समाजमें एकता स्थापित करनेके लिये देगभक्त सेठ जमनालालजी वजाजने सन् १९१८ में काफी दौडवृष की, किन्तु सनातनी दल किनी प्रकार भी राजी नहीं हुआ । अन्तमें उन्होने नवयुवकोके सहयोगमे ही मारवाडी अग्रवाल महासभाकी स्थापना की और उसका प्रथम अधिवेशन वर्धामें बम्बईके श्री रामलालजी गनेड़ीवालाकी अध्यक्षतामें बुलाया । मारवाडी अग्रवाल महासभाके अधिवेशन प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न स्थानोंमें होते रहे । कलकत्तेमें भी करीब ४ अधिवेशन हुए । तीनरा अधिवेशन श्री नौरगरायजी खेतानकी अध्यक्षतामें हुआ । उन अधिवेशनके बाद मारवाडी अग्रवाल महासभाका नाम बदलकर अग्रवाल महासभा कर दिया गया, जिसमें भारतवर्षके सभी अग्रवाल सम्मिलित होने लगे और इसके अधिवेशन भी स्थान-स्थानपर देशी अग्रवालों द्वारा बुलाए जाने लगे । सामाजिक आन्दोलनको प्रगति देनेमें अग्रवाल महामभासे काफी बल मिला । अग्रवाल महासभाका इतिहास बड़ा स्फूर्ति प्रदान करने वाला है । बम्बईके अधिवेशनके सभापति श्री हनुमानप्रसादजी पोटार मनोनीत किये गए थे, किन्तु वे सनातनियोसे डर कर जुलूमके बीचमें ही चले गए और श्री रंगलालजी जाजोदियाके सभापतित्वमें सभाका कार्य सम्पन्न हुआ । इसी प्रकार इलाहाबादके अधिवेशनके सभापति महाराजा नगीपुर मनोनीत किए गए थे, किन्तु शायद उन्हें किसीने वहका दिया और ठीक समयपर अस्वस्थताका वहाना करके उन्होने सभापति बननेसे इन्कार कर दिया । उस समय श्री पद्मराजजी जैनने तुरत सभापतिका भाषण तैयार करके श्री वसंतलालजीको सभापतिके पदके लिए तैयार कर दिया और अधिवेशन बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ ।

कलकत्ताके एक अधिवेशनमें बम्बईके श्री केशवदेवजी नेवटिया सभापति बनकर आए थे । उनके जुलूमपर सनातनियो द्वारा कीचड उछाला गया । जयमें श्री नागरमलजी लील्हाका विधवा-विवाह हुआ, तभीसे महासभामें विधवा-विवाहका प्रदन किसी न किसी रूपमें आता रहा, किन्तु पाम न हो सका । अन्तमें लाहौरके अधिवेशनमें श्री पद्मराजजी जैनके सभापतित्वमें वह पास हो गया । अग्रवाल महासभाके बाद ही मारवाडी समाजके अन्य उप-समाजोने भी महासभाओकी स्थापना की और उनके अधिवेशन भी समय-समयपर होते रहे । इन महामभाओके द्वारा सामाजिक सुधारोंमें काफी प्रगति मिली, किन्तु राजनीतिक आन्दोलनोंके कारण कार्यकर्ताओकी रूचि डम और जम हो गई । साथही महासभाओका महत्व कम होता गया, जैसे तो हालहीमें अग्रवाल महासभाका अन्तिम अधिवेशन नागपुरमें श्री ईश्वरदासजी जालानके सभापतित्वमें हुआ था ।

जिस समयमें आर्य समाज और सनातन धर्मका आन्दोलन चल रहा था, उन्ही दिनोंमें श्री कालीप्रसादजी खेतान वैरिस्टरी पास करनेके लिये विलायत जानेको तैयार हुए थे । यह खबर समाजमें जोरोसे फैली और सनातन-धर्मियोने इनका विरोध करनेके लिये उन समय के प्रमुख वक्ता व्याख्यान-वाचस्पति श्री दीनदयालजी शर्माको बुलाया । उनके व्याख्यान श्री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयके पुराने भवनमें हुआ करते थे । उपस्थिति

काफी होती थी। जब श्री कालीप्रसादजी विलायत चले गए, तो उन्हें जाति-वहिष्कृत किया गया। अन्तमें उन्हें साधारण-सा प्रायश्चित्त करना पड़ा और मामला ठंडा हो गया। आज तो विलायत-यात्राका कोई प्रश्न ही नहीं रहा।

मारवाड़ी समाजमें घृत-आन्दोलनका भी काफी मज्जेदार इतिहास है। समाजमें यह चर्चा जोरसे होने लगी कि व्यापारी लोग धीमें चर्ची मिलाते हैं। मारवाड़ी एसो-सियेशनका समाजपर उस समय काफी प्रभाव था। उसने मारवाड़ी पंचायतकी सभा बुलवाई और जिन-जिन व्यापारियोंका धीमें चर्ची मिलाना प्रमाणित हुआ, उनपर जुर्माना किया गया और आगेसे ऐसा न करनेकी चेतावनी दी गई। समीने जुर्माना देना स्वीकार किया। इसपर पंचायतकी धाक जम गई। किन्तु जब एक बड़े माहेश्वरी समाजके व्यापारीका मामला सामने आया, तो पंचायतके लोगोंमें मतभेद हो गया और उचित निर्णय न हुआ। इससे लोगोंकी पंचायतसे श्रद्धा उठ गई और घृत-आन्दोलन ठंडा पड़ गया।

जिस प्रकार आर्य-समाज और सनातन वर्मको लेकर अग्रवाल समाजमें आन्दोलन मचा था, उसी प्रकार श्री रामेश्वरदासजी विडलाके दूसरा विवाह एक कोलवार समाजकी कन्यासे करनेपर माहेश्वरी समाजमें आन्दोलन गुरु हुआ। जो अपनेको असली माहेश्वरी मानते हैं वे अपनेको डीडू कहते हैं अर्थात् वे अपनी उत्पत्ति डीडवानासे बतलाते हैं। कोलवारोको या तो माहेश्वरी मानते ही नहीं या निम्न कोटिके माहेश्वरी मानते हैं। माहेश्वरी समाजमें यह आन्दोलन बहुत जोरसे चला और परस्पर सामाजिक सम्बन्ध होनेमें भी अडचनें पड़ने लगीं। इसी आन्दोलनके फलस्वरूप डीडू माहेश्वरी विद्यालयकी भी स्थापना की गई, क्योंकि माहेश्वरी विद्यालयका सम्बन्ध विडला परिवारके पक्षके लोगोंसे समझा जाता था। अन्तमें किसी तरहसे समझौता होकर यह आन्दोलन शान्त हुआ और अब तो माहेश्वरी और अग्रवालोंके बीच सम्बन्ध होनेमें भी कोई आपत्ति नहीं रही।

जैसा ऊपर कहा गया है, अग्रवाल महासभाकी स्थापनाके बादसे समाजमें सामाजिक आंदोलन खूब जोर-शोरसे चले। इन सबमें श्री पद्मराजजी जैनका प्रमुख हाथ था। वे इनका संचालन किया करते थे। श्री नागरमलजी लील्हाको विधवा-विवाहके लिए तैयार किया गया और सब मित्रोंने मिलकर इसका आयोजन छाजूरामजी चौधरीके मकान में किया। सनातनियोंने बड़ा हो-हुल्लड़ मचाया, किन्तु पुलिसके प्रवन्धमें विवाह निर्विघ्न सम्पन्न हुआ। इस विवाहको लेकर सनातनियोंमें खलवली मच गई और उन्होंने पंचायत बुलाकर समाजके १२ प्रमुख सुधारक व्यक्तियोंको जाति-वहिष्कृत कर दिया। इनमें एक श्री जगन्नाथजी गुप्त भी थे। इन्होंने श्री बालचन्द्रजी मोदी आदिकी प्रेरणा से बहिष्कार करनेवालोंपर मामला भी चलाया। इससे कई दिनों तक हलचल मची रही। कुछ समय तक तो समाजमें इसकी काफी चर्चा रही और सामाजिक सम्बन्धों में भी कठिनाई आने लगी। किन्तु लोग इससे ऊब गये और बहिष्कार का कोई महत्व नहीं रह गया। सामाजिक सम्बन्ध फिरसे उसी प्रकार होने लगे और पंचायतका महत्व घट गया। इसके बाद तो कई मित्रोंने विधवा-विवाह कर लिए, किन्तु किसीके कानपर

जूं तक नहीं रेंगी । अब तो समाजमें विधवा-विवाहका कोई प्रश्न ही नहीं रह गया ।

विधवा-विवाहके आन्दोलनके साथ-साथ कई अन्य आन्दोलन भी समाजमें चलते रहे । इनमें मृतक विरादरी-भोजको बन्द करनेका आन्दोलन एक प्रमुख आन्दोलन था । इसके लिए नवयुवकोको स्थान-स्थानपर सत्याग्रह तक करनेपडे । उनपर जूठी पत्तलें डाली गईं । किन्तु अन्तमें सफलता मिली । आज मृतक विरादरी-भोजका कोई महत्व नहीं रहा और प्राय बन्द ही हो गया ।

इसी प्रकार वृद्ध-विवाहोके विरुद्ध भी आन्दोलन किया गया । इन विवाहोको रोकनेके लिए समाजके कार्यकर्ता अन्य स्थानोमे भी गये और ऐसे विवाहोको रोकनेकी काफी चेष्टा की । एक लडकीका तो एक वृद्धसे विवाह रोककर एक नवयुवक से करवा दिया गया । बाल-विवाहका कानून बनानेके लिये पहला बिल श्री रंगलालजी जाजो-दियाने दिल्लीकी विधान-सभामें उपस्थित किया था । किन्तु उन्हें सफलता न मिली और श्री हरबिलासजी शारदाका बिल पास हुआ । मारवाडी एसोसियेशनने इसके विरुद्ध में तार दिया था । इधर मारवाडी ट्रेड्स एसोसिएशनकी ओरसे इसके पक्षमें तार दिया गया । असलमें मारवाडी ट्रेड्स एसोसिएशनकी स्थापना मारवाडी एसोसिएशनके कार्योके प्रतिवादमें ही हुई थी । उसने मारवाडी एसोसिएशनको विधान-सभामें जो सदस्यता मिली थी, उसका समय-समयपर प्रतिवाद भी किया और सरकारको बतलाया कि मारवाडी एसोसिएशन समस्त मारवाडी समाजकी प्रतिनिधि सस्था नहीं है ।

समाजमें परदा-निवारक आन्दोलनको प्रगति देनेके लिये देवोत्थान एकादशीके दिन कई वर्षों तक परदा-निवारक दिवस मनाये गए । मारवाडी कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें प्रमुख हाथ श्री बसंतलालजी मुरारकाका था, के तत्वावधानमें परदा निवारक सम्मेलन कलकत्तेमें श्रीमती राधादेवीजी गोयन्काकी अध्यक्षतामें बडी धूमधामसे मनाया गया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त आन्दोलनोके द्वारा ऐसा वातावरण तैयार हो गया, जिससे समाजकी सारी कुरीतियाँ पूर्णत तो बन्द नहीं हुईं, किन्तु विचारोकी चेतना आ गई । इन सभी आन्दोलनो में श्री बसन्तलाल मुरारकाका प्राय सहयोग रहा ।

—•••—

श्री रामकुमार भुवालका

लगभग ४० वर्ष पहलेकी बात है। उस समय सामाजिक सुधारोकी बहुत जरूरत थी। मारवाडी ट्रेड्स एसोसिएशन का जन्म मारवाड़ी एसोसिएशनके विरोधमें हुआ था। उसी समय से कुछ पहले या बादमें मेरी जान-पहचान स्वर्गीय वसन्तलालजीसे हुई। निर्भीकता, उदारता और नई चेतनाकी भावना उनके प्रत्येक कार्यमें दीखती थी। उस समय सभी कार्योका सम्पादन करनेमें कार्यकर्त्ताओंमें इतना मेल था कि परस्पर कोई किसी से भिन्न नहीं था। गाँधीजीके असहयोग आन्दोलनने देशमें एक नया जोश पैदा कर दिया था। उसमें तथा अन्य राजनीतिक आन्दोलनोमें श्री वसन्तलालजी बराबर सक्रिय रूपसे भाग लेते रहे। इस लम्बी अवधि में वे एक ही ढंग से देश-सेवाके कार्यो में जुटे रहे। उनके इन कार्योसे हम लोगोको प्रेरणा मिलती रहती थी। वे जब १९२१ में जेल गए, उस समय सब बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटीमें साथ-साथ थे। वे तब बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटीके सेक्रेटरी थे।

क्या गजबका समय था वह ! स्वर्गीय पद्मराजजी जैन की स्मृति आ जाती है। उनसे जो प्रेरणा साथियोको मिलती थी, वह सचमुच अद्भुत थी। उस समय काम करनेकी सच्ची लगन तथा संगठन बेजोड़ था। भाई वसन्तलालजी पद्मराजजीके अन्यतम साथी थे। प्रत्येक कार्यमें वे वसन्तलालजीको आगे रखते थे। वे भी प्रत्येक कार्य को करनेमें फौरन अपनी स्वीकृति देते थे। वास्तवमें जो व्यक्ति निर्भीक होते हैं, उनमें साहसके कार्य करनेकी अद्भुत क्षमता रहती है। हर नई बातमें भाई वसन्तलाल जी का पहला प्रस्ताव होता—“हमें जरूर ही यह कार्य करना चाहिए।” विधवा-विवाह, छुआछूत, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, अनमेल विवाह, दहेज, फिजूल खर्ची, विरादरी भोज सभी कार्यो में वे आगे रहते थे। १९२३ में एक साप्ताहिक पत्र ‘नवयुवक मारवाड़ी’ के नामसे उन्होंने निकाला। उसमें ४-५ व्यक्तियोके लेख या विचार रहते थे। इसके अलावा समाजकी खामियोकी आलोचना-प्रत्यालोचना रहती थी। उन आलोचनाओसे समाजमें तहलका मच जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि तबका ज़माना आज जैसे सुलझे हुए विचारोका नहीं था। आज तो हर बातकी आलोचना करनेका सभीको अधिकार प्राप्त है—पर तब ऐसी बात नहीं थी।

विधवा-विवाहकी बात जब सामने आई तो सर्वप्रथम जानकी वाई का विवाह कराया गया। इसके विरुद्ध हम बारह व्यक्तियोको जाति-बहिष्कृत किया गया। सचमुच

वह समय याद करने लायक है। क्या जोश था? किसीको खयाल ही नहीं होता था कि हमें जातिसे बाहर किया गया है। वास्तवमें इन बातोंका श्रेय उस सगठनको है, जिसमें हम वँधे थे। मृतक विरादरी भोज आन्दोलन भी काफी सरगर्म रहा। इन सब कामोंमें श्री बसतलालजी तो सबसे आगे रहते थे।

नमक-सत्याग्रहमें उन्होंने काफी काम किया। जब हम लोग महेश्वथान से वापस आगये, तो उनकी राय थी कि बड़ा बाजारमें काम करना चाहिए। एक दिन वे बोले—“रामकुमारजी, मिरजापुर पार्कमें कानून तोड़नेके लिये मीटिंग करनी है, उसमें ६ आदमी चाहिए, ५ तो मिल गये हैं, एककी जरूरत है। मैंने कहा—“मैं तैयार हूँ।” वे बहुत खुश हुए। हम लोग एक घटा तक ६ आदमी मीटिंग करते रहे। उनमें यह खूबी थी कि वे जिस समयके लिए जिस कामको ठीक समझते थे, उसे करते थे। परिणाम कभी नहीं सोचते थे—इसीसे काम बहुत हुआ। जो व्यक्ति परिणाम सोचकर काम करता है, वह काम कर ही नहीं पाता। वास्तवमें उत्साहसे आधा काम तो आरम्भ में ही हो जाता है। काम करनेवाले कभी परिणाम थोड़े ही सोचा करते हैं।

उन्होंने समाजमें स्त्रियोंके परदा न रहे, इसके लिए काफी आन्दोलन किया—दौरे किए जिनमें कई जगह बसतलालजीपर लोगोंने धूल फेंकी कीचड़ फेंका, अपशब्दोंका तो कहना ही क्या—लेकिन उनको तो कामकी लगन थी! क्रोध करना या नाराज होना तो जैसे वे जानते ही नहीं थे। भला-बुरा कहना, वह हँस कर टाल देते। तभी बहुतसे भाई विचारोंसे सहमत न होते हुए भी उनसे प्रेम करते थे। आधी रातको भी अगर किसीने जाकर उनसे कह दिया—बसन्तलालजी यह काम है, उसी समय उसके साथ जाकर वे काम कर देते।

राजनीतिक विचारोंमें मर्तक्य होना मुश्किल है। लेकिन उनमें यह खूबी थी। वह इस ढंगसे बात करते कि भिन्न विचार वालेको यह पता ही नहीं चलता कि वे भिन्न विचारके हैं। काम करने और करानेकी क्षमता उनमें काफी थी। विशेषकर बंगालमें तो वे इतने ज्यादा जनप्रिय हो गए थे कि हर बंगाली भाई उनका नाम आते ही कह देता था—“तिनि तो आमादेर।” इधर करीब ७-८ वर्षसे मेरा-उनका साथ इतना अधिक था कि कोई भी काम हम दोनों मिलकर ही करनेकी कोशिश करते थे। आज वह हमारे बीचमें नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति इतनी ताजी है कि प्रत्येक काममें वह याद आते रहते हैं। मैं बराबर उनकी याद कर सोचता हूँ ऐसे साथीके चले जानेपर मनपर कितना असर पड़ता है और असर भी ऐसा जो भुलाया न जा सके। मेरे हृदयसे तो उनका स्थान हट ही नहीं सकता। उनकी बीमारीके समय भी बराबर उनसे बातें होती रहती थी। कभी-भी उनके मनपर कमजोरीके लक्षण नहीं देखे। हमेशा प्रसन्न-चित्त रहे।

दृढ़व्रती वसन्तलालजी

श्री राधाकृष्ण नेवटिया

श्री वसन्तलालजी मुरारका मेरा प्रथम परिचय मारवाड़ी ट्रेड्म एगोसियेशनमें हुआ था। उसमें श्री वसन्तलालजी का प्रभावकारी सहयोग था और मैं भी उन्हीं कार्य-कलापोंमें भाग लेता था।

ट्रेड्म एगोसियेशनके साथ एक रिजेंटिव सोसाइटी भी थी जिसमें समाज-मुष्ण सम्बन्धी विषयोंपर बह-विचार होता था। इन सोसाइटीमें वसन्तलालजी बराबर भाग लेते थे। उनकी जवान बग मुसलानी थी, इसलिए उनके बच्चों समय कभी कभी लोग हँसते और उन्हें मिन-नाहिन करनेकी चेष्टा करने थे, परन्तु वसन्तलालजी अपनी धुनके इतने पक्के थे कि इन बातोंकी परवाह न कर बराबर उनमें भाग लेते थे। इसी अन्यायके वनपर वे प्रायः बन्दार, बर्षी-बर्षी सभाओंमें भी भागण केर उपस्थित जनतापर अपना प्रभाव छोड़ते थे।

ट्रेड्म एगोसियेशन द्वारा कंगारोंके भोजन करना, गमानागरके मेलेके व्यवस्थापर यात्रियोंकी मदद करना आदि सेवा-कार्य भी किए जाने थे। इन सब कार्योंमें भी वसन्तलाल जी उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। समाज-मुष्णकी अन्य अनेक प्रकारकी हलचलोंमें भी उनका सहयोग बराबर मिलता ही था।

ट्रेड्म एगोसियेशनके अन्तर्गत चुने हुए कुछ मित्रोंकी एक मित्र-मण्डली भी थी। इसमें श्री फूलचन्द्र चौधरी, श्री प्रभुदयाल हिम्मतिहारा, श्री वसन्तलाल मुरारका, श्री पञ्चराज जैन, आदि महानुभाव योग देने थे। जो काम करना होता, वह पहले इस मित्र-मण्डली में स्वीकृत कर लिया जाता था। उसके बाद ट्रेड्म एगोसियेशनके द्वारा उसे कार्यान्वित किया जाता था। उनके मदद्योंके लिए कुछ दाने थी। उनमें मुख्य बातें थी :— प्रत्येक मदस्य रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय करे, जो काम जिसे गोपा जाय उसे वह अवश्य करे। मित्र-मंडलीमें दम-भारह आदमी ही थे परन्तु ऐसा मगटन था कि बड़ी-बड़ी सभाओंमें अपने पक्षका समर्थन करवानेमें हम लोग सफल हो जाते थे। सभाके विभिन्न कोनोंमें बैठकर जहाँ हम सब लोग समर्थन के लिये अलग-अलग आवाजें उठाते थे, वहाँ सारी सभा उसीका अनुभव करने लग जाती थी।

समाजमें सबसे पहले जो विधवा-विवाह कराया गया, वह भी इस मित्र-मण्डलीके प्रयत्नसे ही हुआ। इसमें वसन्तलालजीने बड़ा सश्रिय सहयोग दिया। श्री बालकृष्ण मोहता हवड़ासे एक विधवा बहनको लाये जिसके पुनर्विवाहके लिए क्षरियाके श्री नागरमल

लील्हाको तैयार किया गया । सर्वप्रथम उस विधवा बहनको मेरे ही घरपर लाया गया था और यहीपर उसके विवाहकी बात तय हुई थी । उसके बाद उसे श्री छाजूराम चौधरीके यहाँ रखा गया और वहीपर उसका पुनर्विवाह कराया गया ।

वसन्तलालजी समाज-सुधारके साथ राजनीतिक कार्योंमें भी अग्रगुआ रहते थे । पहले लाला लाजपतरायके लोक-सेवक सघके प्रति उनका विशेष आकर्षण था । जब उन्होंने कुछ रुपये कमाये, तब मुझे ६० १०,०००) इसलिये दिए कि ये रुपये लोक-सेवक सघको देकर उसकी और से कुछ समाज-सेवक युवक तैयार किये जायें, जो कलकत्तामें रहकर काम करें । यह रुपया कई महीनो तक बैंकमें पडा रहा, परन्तु मेरे अपने आलस्य के कारण यह काम हो नही पाया और रुपया वसन्तलालजीको वापस कर दिया गया । बादमें तो वे कांग्रेसके अन्यतम अनुयायी हो गये थे ।

जब श्री शरत्चन्द्र बोस जेलसे छूटकर आये, तब उनका स्वागत किया गया और उन्हें १,११,१०१) रुपये की थैली भेंट की गयी । इस धन-संग्रहमें वसन्तलालजीने बडा काम किया था । मैं भी उनके साथ था । थैली भेंट करते समय वसन्तलालजीने शरत् वावूसे यह कहा था कि मैं तभी तक आपके साथ हूँ, जब तक आप कांग्रेसमें हैं । यदि आप कांग्रेससे अलग हो जायेंगे, तो मैं आपके साथ न रहूँगा । उस समय शरत्वावूका बगालमें काफी प्रभाव था । साधारण अवस्थामें लोग उनकी कृपा प्राप्त करनेके लिये इस प्रकार की बात करनेका साहस न करते, परन्तु वसन्तलालजी बड़े निर्भीक आदमी थे । उन्होंने कांग्रेसको किसी भी व्यक्तिसे ऊँचा मानकर शरत् वावूसे ऊपरोक्त बातें कही थी । इतना ही नही, जब शरत्वावू कांग्रेससे अलग हो गए, तब उनके घर जाकर वसन्तलालजीने यह कहा कि अब हम आपका साथ नही दे सकते । जिस प्रातमें रहकर काम करना था, उसके एक प्रभावशाली नेतासे इस प्रकारकी बातें करना जलमें रहकर मगरसे बैर करने जैसा था । मगर वसन्तलालजी परिणामोकी जरा भी परवाह किये बिना स्पष्ट रूपसे सब-कुछ कह आये ।

मारवाडी समाजमें समाज-सुधारका काम अग्रवाल महासभाकी स्थापनाके साथ हुआ । श्री जमनालालजी वजाजकी प्रेरणासे इस महासभाका जन्म हुआ था । वसन्तलाल जीका आरम्भसे ही इसमें बडा सहयोग था । जिन लोगोने समाज-सुधारके कामोमें सहयोग दिया, उनमेंसे अनेक व्यक्ति समाजका विरोध सह सकनेमें असमर्थ होकर कार्य-विरत हो गये, परन्तु वसन्तलालजी अपने व्रतसे कभी विचलित नही हुये । उन्होंने 'परोपदेशे पाण्डित्य' का भी प्रयोग नही किया । जिस बातको उन्होने अच्छा समझा, उसीको अपनानेके लिए समाजमें आन्दोलन किया और जो आन्दोलन किया, उसे अपने ऊपर भी लागू किया । अपने परिवारसे उन्होने पर्दा हटाया, अपने लडकोके अन्तर्जातीय और विधवा-विवाह किये । अपनी कन्याका विवाह सयानी उम्रमें किया, यद्यपि इन सबके लिये उन्हें समाजका, और स्वयं अपने परिवारका बडा विरोध सहना पडा था ।

वसन्तलालजी जैसे दृढव्रती बहुत कम मिलते हैं । उनकी निर्भीकता, लोकसेवा, समाज-सुधारकी भावना, देशभक्ति, सादगी आदि सभी बातें अनुकरणीय थी । उनका निधन देगके लिए एक बहुत बडी क्षति है ।

कार्यकर्ताओंके शुभचिन्तक

श्री विश्वनाथ उपाध्याय

जब मुझे श्री वसंतलालजीकी याद आती है, तो सोचने लगता हूँ यदि वसन्तलालजी न रहे होते तो पता नहीं मेरे जीवनकी दिशा क्या हुई होती ?

सन् १९४१ की बात है । हाई स्कूलकी परीक्षा पास करनेके बाद मेरे सामने एक विकट समस्या उपस्थित थी । एक तरफ मेरे परिवारके लोगो तथा मेरे परम हितैपी श्री रामलखनजीका, जिनका मेरी शिक्षामें अधिक हाथ था, आग्रह था कि मैं नौकरी पकड़ कर परिवारकी आर्थिक स्थितिको ठीक करूँ और दूसरी तरफ अपनी शिक्षाका क्रम जारी रखनेकी मेरे हृदयमें प्रबल इच्छा थी ।

श्री रामलखनसिंह एक चाय-बगानमें सहायक मैनेजर थे और उन्होंने उसी बगानमें मेरे लिए एक क्लर्ककी जगह ठीक करदी और मुझे यह भी बताया कि निकट भविष्यमें ही मैं हेडक्लर्ककी जगहपर नियुक्त कर लिया जाऊँगा । निवास-स्थान, नौकर तथा चाय-बगानोंमें मिलनेवाली अन्य सभी सुविधाएँ मिलाकर मुझे करीब-करीब ३००) मिलनेवाले थे ।

परन्तु मैं अपने निश्चयपर दृढ़ रहा । इससे मेरे परिवारवालोको काफी दुख हुआ और उन्होंने मुझसे यह स्पष्ट कह दिया कि भविष्यमें मेरी शिक्षाके लिए किसी प्रकारकी सहायता नहीं दी जायगी ।

निम्नलिखित कारणोसे चाय-बगानकी नौकरी मेरे अनुकूल नहीं पड रही थी— पहला, वहाँ शिक्षाका क्रम जारी रखनेका कोई साधन नहीं था ; कोल्हूके बैलकी हालत थी ; दुनियाकी सारी हलचलोसे दूर एक ही स्थानपर जीवन पर्यन्त कलम घिसनेकी बात थी ! दूसरा, मैं वचपनसे ही राष्ट्रीय विचारोका था, जिसके लिए चाय बगानका वातावरण किसी प्रकार अनुकूल नहीं था ; एक अंग्रेज मैनेजर यह कैसे वर्दाश्त कर सकता था कि राष्ट्रीय विचार रखने तथा खादी पहननेवाला व्यक्ति उसके दफ्तरमें काम करे , मेरा पूरा विश्वास था कि वहाँपर मेरी अधिक दिनो तक नहीं निभ सकती थी । ऐसी परिस्थितिमें मेरे हृदयमें एक अन्तर्द्वन्द चल रहा था ।

इस समय सिलचरमें एक हिन्दी-प्रचारकसे मेरी भेंट हुई और उन्होंने श्री वसंतलालजीकी प्रशंसा करते हुए उनके नाम एक पत्र भेजनेका मुझे परामर्श दिया । मैंने किसी प्रकारकी आशा न रखते हुए केवल उनके पते पर एक पत्र भेज दिया । उस समय तो मेरे आश्चर्य और आनन्दकी सीमा नहीं रही जब मुझे शीघ्र ही उनका उत्साहवर्द्धक

पत्र मिला। उन्होंने सूचित किया कि मेरा पत्र पूर्व भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभाके मन्त्री श्री भँवरमलजी सिंघीको भेज दिया गया है। कुछ ही दिनोंके बाद श्री भँवरमलजी सिंघीका भी पत्र आ पहुँचा।

इसके बाद श्री सिंघीजी के पास मैं कलकत्तेमें करीब १० वर्षों तक रहा। और इस अवधिमें कई ऐसे मित्रोंके सम्पर्कमें आया, जिनमें मेरा पारिवारिक सदस्यका-सा सम्बन्ध स्थापित हो गया। कभी-कभी सोचता हूँ कि यदि बसन्तलालजीने कृपा न की होती, तो क्या यह संभव हुआ होता ?

जबतक मैं कलकत्तेमें रहा, श्री बसन्तलालजीके सम्पर्कमें रहा और जब उन्होंने “नव जीवन सघ” की स्थापना की तब तो मुझे और भी उनके निकट सम्पर्कमें आनेका मौका मिला। एक प्रकारसे मैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरीके रूपमें ही काम करने लग गया। वे प्रायः मुझसे देशके विभिन्न समाज-सेवकों, नेताओं तथा कार्य-कर्ताओंके नाम पत्र लिखवाया करते। कभी-कभी मैं मन ही मन उनकी भाषापर हँसता, पर उनकी भावनाओंके प्रति मेरी श्रद्धा अवश्य रहती।

इसके अतिरिक्त एक घटना मैं नहीं भूल सकूँगा। एक बार मैं अस्वस्थ हो गया। १२०, हरिसन रोडके ऊपरी तल्लेपर फर्शपर ही विस्तर डालकर लेटा हुआ था। बसन्तलालजी मेरी अस्वस्थताकी खबर पाकर बिना किसी पूर्व सूचनाके मेरे कमरेमें आ उपस्थित हुए और उसी विस्तरपर बैठकर करीब दो घंटे तक मुझसे बातें करते रहे। उस दिन मुझे पता चला कि कार्यकर्ताओंके प्रति उनके हृदयमें कितनी ममता थी। वास्तवमें, वे कार्यकर्ताओंके बहुत बड़े सहायक तथा गुभचिन्तक थे।

हिमालय की तरह दृढ़

श्री जगन्नाथ प्रसाद जालान

देशका शायद ही कोई ऐसा नगर या ग्राम होगा जहाँ पर समाज-सुधार के लिए कोई आयोजन हुआ हो और उसमें श्री मुरारकाजीकी अनुपस्थिति पाई गई हो। इसी प्रकार स्वाधीनता-संग्रामके इतिहासमें कांग्रेस द्वारा जो भी प्रयास या आयोजन हुए, श्री मुरारकाजी हर स्थितिमें उसमें अपना योगदान देते रहे। अपने विचारों एवं उद्देश्योंके प्रति तो वे सदा ही हिमालयकी तरह दृढ़ पाए गए। सामाजिक लाँछना, कटु आलोचना एवं शारीरिक प्रहार भी उन्हें कभी अपने पथसे विचलित नहीं कर पाए।

श्री मुरारकाजीका जीवन नि मन्देह महान एवं आगामी पीढ़ीके लिए प्रेरणादायक रहेगा।

का भी पूरा सहयोग रहा है । हमारे सब साथियोंमें भाई वसंतलालजीका उत्साह बहुत कुछ काम करता था ।

ज्ञान-वर्द्धिनी मित्र-मंडलीके बाद मारवाडी अग्रवाल महासभाका बहुत काम हुआ । भाई वसन्तलालजी इसके जेनरल सेक्रेटरी थे । मैं सेक्रेटरी था । बाल-वृद्ध-अनमेल विवाह बन्द करना, विरादरी-भोज बन्द करना, परदा-प्रथा उठाना, विधवा-विवाह चालू करना, शिक्षा-प्रचार, हिन्दी-प्रचार आदि कामोको हमारे ऊपरोक्त साथियोंने बहुत कुछ आगे बढ़ाया । इसके बाद हिन्दू सभा और स्वराज्य आन्दोलनका भी बहुत जोरदार काम हुआ । भाई वसन्तलालजी हर काममें सबसे आगे रहते थे । किसी समय भी पूछो—‘हाँ तैयार हूँ, चलो’ यह ही जवाब उनसे मिलता था । कभी आधी रात को भी यदि कोई भाई उनको किसी कामके लिए जाकर जगाते या टेलीफोन करते तो उनसे होनेवाले कामको वे तुरत जाकर करते थे । ऐमा उत्साह और ऐसी सेवा-भावना बहुत कम लोगोमें देखी जाती हैं ।

आजसे ४० वर्ष पहलेके समाज और आजके समाजमें रात-दिन का अन्तर है । उस समयके कार्यकर्त्ताओंको घरवालोसे और बाहरवालोसे जो-जो गाली-गलोज सुनना पडता था, और जो-जो तकलीफें उठानी पडती थी, उनका अनुभव आजकी पीढीवालोको नहीं हो सकता । पगडी और टुपट्टा बिना का पुरुष, घाघरा-ओढ़ना और घूँघट बिनाकी स्त्रीका उस समय समाजमें कोई आदर-मान नहीं था । सनातनधर्म नाम-धारियोंके मुँहसे उस समय जो निकल गया, वही ब्रह्म-वाक्य समझा जाता था । सामाजिक सुधारके कामोके लिए जहाँ भी जाना पडा, सत्याग्रह करना पडा, पिकेटिंग करनी पडी वहाँ सब जगह भाई वसंतलालजी आगे रहे । स्वतंत्रता-संग्राममें महात्मा गाँधीकी आज्ञाओंको स्वयं परमात्माकी आज्ञा मानते हुए उन्होने बराबर काम किया और कई बार वे जेल गए । स्वतंत्रता-संग्राममें घरवालोसे, जातिवालोसे और समाजवालोसे जो-जो दुर्वचन उनको सुनने पडे, उनको उन्होने शान्तिपूर्वक सुना । गालियोंके सिवाय जूठी पत्तलें, धूल और लाठियाँ भी उनपर पडी, परन्तु वे कभी विचलित नहीं हुए । हमेशा हँसमुख रहे । मुझे उनका तरीका बहुत पसन्द था और सब कामोमें मैं उनके साथ रहा, केवल जेल जानेसे बचता रहा ।

देशके वर्तमान बडे-बडे नेताओंके साथ उन्होने आज्ञादी की लड़ाईमें कंधेसे कंधा भिड़ाकर काम किया—उन सबके साथ जेल गए । वे बगाल असेम्बलीके सदस्य थे । बंगालके जिस जिलेसे वे खडे हुए, वहाँ मारवाडी तो क्या हिन्दी-भाषियोंके भी वोट नहीं थे । बंगाली भाष्योके वोटों द्वारा उन्होने निर्वाचनमें सफलता प्राप्त की, यह बहुत गौरवकी बात थी ।

अन्तमें मैं इतना ही कहूँगा कि भाई वसंतलालजी मुरारका देग और समाजके ऐसे सच्चे कार्यकर्त्ता थे, जिनका रिक्त स्थान हमे एक कमी महसूस कराता रहेगा ।

युवक-कर्मि मुरारकाजी

श्री रामेश्वर अग्रवाल

प्रसिद्ध समाजसेवी और राष्ट्रकर्मि श्री वसन्तलालजी मुरारकाकी समाज-सेवा राजस्थानके समाज-सेवाके इतिहासमें चिरस्थायी रहेगी। भाई वसन्तलालजीने जयपुर राज्य प्रदेश सम्मेलन, रीगसके अवसरपर जिस निर्भक्ता और उत्साहसे हम लोगोका मार्ग-दर्शन किया, वह आज भी हमे याद है। मैंने अजमेर जेलसे आनेपर ऐसा सोचा कि समाज-सुधारके कामोमें लगे हुए राजस्थानियोका संगठन होना चाहिए और राजस्थानमे समाज-सुधारका काम तेजीसे किया जाना चाहिए। इस काममें बड़ी कठिनाई आई। जयपुर राज्यमें सभाओपर और सस्थाओके संगठनपर कड़ी पाबन्दियाँ लगी हुई थी जिसके अलावा पुराने रूढ़िवादी लोगोसे काफी विरोध सहना पडता था और ६६ प्रतिशत से भी ज्यादा ऐसे ही विचारोके लोगोका बोलवाला था। मुट्ठी-भर लोग डधर-उधर फैले पडे थे। उन्हें मजबूर होकर उसी परिस्थितिको सहन करना पडता था। इस सबका मुकाबला करनेके लिए ही जयपुर राज्यमें एक युवक-सम्मेलन खडा करनेका विचार किया गया और इस काममें भाई वसन्तलालजी मुरारकाका उत्साहप्रद सहयोग मिला और उन्होने उस सम्मेलनकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली। इस काममें जयपुर राज्य, सीकर ठिकाने और समाज—इन इन तीनों तरफसे ही काफी बाधाएँ खडी की गई। गाँवके लोगोने सम्मेलनका बहिष्कार करनेका फैसला किया और ऐन वक्तपर सामान मिलने व रसोई करनेवालोकी भी समस्या उठ खडी हुई। सारी परिस्थितियोका साहसके साथ सामना किया गया और भाई वसन्तलालजीने काफी हिम्मत बँधाई और कहा कि कोई परवाह नही है, चने-गुड खाकर भी हम लोगोको सम्मेलनको सफल करना है। राजस्थानके कोने-कोनेसे प्रमुख लोग इसमें आए और सम्मेलन आशातीत सफलताके साथ सम्पन्न हुआ। इस तरहके और भी कई प्रसंग हैं, जिनमें भाई वसन्तलालजीकी दृढता, साहस और निष्ठासे समाज-सुधारके कामोको बल मिला।

श्रद्धेय मुरारकाजी

श्री वजरंगलाल लाठ

वैसे तो वचपनसे ही मैं भाई वसन्तलालजी को जानता रहा हूँ, पर सन् १९३१ के आन्दोलनमें सबसे पहले उनको देखा। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटीकी कार्य-कारिणी समितिका सदस्य चुने जानेके बाद मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। पिछले एक दशकसे तो मैं उनसे काफी घुल-मिल गया था। वे मुझे छोटे भाईकी तरह स्नेह करते थे, और सामाजिक तथा राजनीतिक बातोंके अलावा घरेलू बातों में भी मुझसे कोई दुराव नहीं रखते। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ राजनीतिक क्षेत्रमें काम करूँ और वे भी ऐसा ही चाहते थे, किन्तु ऐसा कुछ हो नहीं सका। मैं उनके साथ तेज़ रफ्तारसे दौड़ नहीं सका। इस दिशामें मैंने अपनेको कमजोर पाया। तो ऐसे समाज-सेवक और देशभक्तके बारेमें मैं कुछ लिखूँ, यह मेरे लिए गौरवकी बात है।

मुरारकाजीमें काम करनेकी अद्भुत शक्ति थी। उनका जोश भी गजबका था। निराशा तो जैसे जीवनमें उन्होंने देखी ही नहीं थी। “काम करते जाओ” “आगे बढ़ते जाओ”—गीताके इन प्रेरणादायक विचारोंसे वे सहमत थे और इन्हीं सिद्धान्तोंको अपने जीवनमें उतारना भी चाहते थे। जब किसी कामको लेकर सोसाइटीके कार्यमें गिथिलता झलकती, तो मुरारकाजी अपने विचारोंसे स्फूर्ति पैदा कर देते और हम लोग दूने उत्साह से काममें जुट जाते।

क्रोधपर तो जैसे उन्होंने कमालका अधिकार पा लिया था। विरोधी चाहे जो कुछ भी उन्हें कहते, उनके चेहरेपर द्वेषके या क्रोधके भाव परिलक्षित नहीं होते। यही स्थिति होती है जहाँ व्यक्तिके व्यक्तित्वको निखार पानेका और समझनेका अवसर मिलता है। उनकी प्रसन्नमुद्रा और हँसकर टाल देनेकी आदत विरोधियोंको पराजित कर देती। ऐसे वक्तमें दूसरा आदमी स्थितिको कावूमें नहीं कर पा सकता है, और बात बनते-बनते विगड़-सी जाती है। इस प्रकारकी आदतको विगेष गुण कहना चाहिए। इसी सम्बन्धकी एक घटनाका वर्णन करनेका लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता। बात विहार प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलनके रांची अधिवेशनकी है। सम्मेलनमें सामाजिक सुधार सम्बन्धी आंतिकी बात नवयुवकोंसे करनेपर विरोधियोंने ‘मुरारका मुर्दावाद’ के नारे लगाने शुरू किए। स्थिति गभीर हो गई। बादमें मुरारकाजीने अपनी वाक्चातुरी के जरिए स्थितिको कावूमें किया। विरोधियोंको शान्तिपूर्ण ढंगसे समझाया और कमाल की बात है कि जो व्यक्ति ‘मुरारका मुर्दावाद’ के नारे लगा रहे थे, वे ही सहर्ष ‘मुरारका

जिन्दावाद' के नारे लगाने लगे । इस घटनाको मामूली कहा जा सकता है, किन्तु इसमें निहित गूढ रहस्य को अगर देखा और समझा जाय, तो स्पष्ट हो जायगा कि मुरारका जीका व्यक्तित्व अद्वितीय था ।

अन्तमें यही कहना होगा कि मुरारकाजीके निधनसे समाज और देशका एक सच्चा सेवक चला गया, जिसके स्थानकी पूर्ति सम्भव नहीं । उन्होंने देश और समाजके बड़े कामोंके समक्ष अपने निजी तुच्छ स्वार्थोंको प्रमुखता नहीं दी । अनेको बार देशके लिए जेल गए—समाजसे वहिष्कृत हुए, पर एक सच्चे कार्यकर्ताके रूपमें नए समाजका निर्माण करते गए—आगे बढ़ते गए ।

क्रांति-प्रेरक श्री वसंतलालजी

श्री काशीप्रसाद मोदी

जब मैं लगभग बीस वर्ष पहले कालेजमें अध्ययन करनेके लिए कलकत्ता आया, तो श्री मुरारकाजीसे व्यक्तिगत परिचयका सुअवसर मिला । इन २० वर्षोंमें जैसे-जैसे उनकी नि स्वार्थ सेवाओंके प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आए, वैसे-वैसे उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गयी । जब कभी मुरारकाजीको किसी कार्यके लिए किसीने भी अनुरोध किया, विना व्यक्तिगत असुविधाओंका ख्याल किए वे उस के कार्य में जुट गए । अस्वस्थ होते हुए भी उनका ध्यान दूसरोंकी भलाईकी ओर ही लगा रहता था । यहाँ तक कि बबई से ऑपरेशन कराने के बाद कलकत्ता वापस आने पर भी और अस्वस्थ होते हुए भी वे कई बार कई लोगोंके मकानोंपर उनके पारिवारिक झगड़ों को मिटानेके लिए गए ।

समाजमें और देशमें सार्वजनिक कार्यकर्ता और सुधारक बहुत विद्यमान हैं किन्तु वसंतलालजीकी कोटिके प्रगतिशील भी न केवल विचारमें बल्कि उमे कार्य रूपमें परिणत करने में इनेगिने ही मिलेंगे । सामाजिक सुधारके विचारोंको अपने परिवारमें सर्वप्रथम उन्होंने कार्य रूपमें परिणत कर जनताके सामने पथ-प्रदर्शन किया । मौभाग्य से रमादेवीजी जैसी पत्नी भी सच्चे रूपमें सहकर्मिणी एव सहकर्मिणी उन्हें मिली । उनकी कार्यक्षमता और साहससे जो उनके निकट आए हैं, वे भली भाँति परिचित हैं ।

अंतमें, श्री वसंतलालजीके निम्न शब्द मेरे कानोंमें हमेशा गूँजते रहेंगे—देशके नवनिर्माण के लिए पुरातनवादका ध्वंस करना आवश्यक है ।

मुरारकाजी और उनका व्यक्तित्व

श्री श्यामदेव देवडा

भाई मुरारकाजी और भैया करीब ४० वर्षोंका संग-साथ रहा । उन्होंने भागवाडी ट्रेड्म एगोसियेशन नामकी संस्थाका कार्य-भार सम्भाल रखा था और उसीके द्वारा सामाजिक सेवा-कार्य किया करते थे । मैं भी उस संस्थाका एक सदस्य था और उनके साथ ही कार्य करता था । उनमें मुघानकी भावना कूट-कूटकर भरी हुई थी ।

भाई वसन्तलालजीके जीवनकी उन दो घटनाओंमें मैं नहीं भूना गया, जिनमें एक साधारण होते हुए भी व्यक्तिके चरित्रको उभाग्नेमें काफी भवना है और दूसरी तो व्यक्ति के बारे व्यक्तित्वको उनीचकर एगवाग्गी नामने रग देसी है और उसका चरित्र गुने पदोंके सदृश हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाना है ।

सन् १९२५ की बात है । गिलाफल-प्रान्दोलन जोरोंसे चल रहा था और हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आवाज चागे तर्फ ने आ रही थी । ऐसे समयमें श्री वसन्तलालजीके छोटे भाई श्री शुभकण्णजी मुगलकाका विवाह होना तय हुआ । आपने अपने घरमें यह प्रस्ताव रखा कि विवाहमें जैसे ब्रिगदगीवानोंको भोजन कराया जायगा, वैसे ही कुछ मुस्लिम भाइयोंको भी भोजन कराया जायगा । ऐसा सुनना था कि घरवाने एवं आपके संबंधी सरल नाराज हो गए और उनकी बात माननेसे एगदस इनकार कर दिया । मगर मुरारकाजी थे, जो अपनी बातपर दृढ़ रहे । उन्होंने नाफ कह दिया कि या तो, मैं विवाहमें सम्मिलित ही नहीं होंगा या मुगलिम भाइयोंको भी विवाहमें उनी तरहसे उसी सम्मानमें भोजन कराना पड़ेगा, जिन तरह अपने भाई-बंधु करेंगे ।

ऐसी कार्यवाही न उसके पहिले कभी हुई थी और न सायद बादमें ही हुई । बड़ी कहा-सुनी और वाद-विवादके बाद मुरारकाजीकी बात सोलह आना मान ली गई और करीब १०० मुस्लिम भाइयोंको भोजन के लिये आमन्त्रित किया गया । उनको बड़े प्रेमसे भोजन कराया गया । लोगोंको यह देखकर आश्चर्य हो रहा था और नव मुरारकाजी की दृढ़ताकी तारीफ कर रहे थे ।

जब भोजनके बाद उनकी जूठी पत्तलें उठानेका सवाल आया, तो जितने नौकर थे, उन्होंने पत्तलें उठानेसे इकार कर दिया । बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हुई, मगर मुरारका जी इससे बिल्कुल नहीं घबराए । उन्होंने अपने मित्रोंको अपना साथ देनेके लिए आह्वान किया । सभी मित्र तुरन्त तैयार हो गए और सबने मिलकर जूठी पत्तलें उठाना आरंभ कर दिया । पत्तलें उठाकर चौकियोंको, जिनपर बैठकर उन्होंने भोजन किया था,

घोकर साफ कर दिया । ऐसा साहस मैंने भाई मुरारकाजी ही में देखा, यद्यपि बात सुनी वृत्तोसे है ।

दूसरी घटना सन् १९२२ की है । स्व० सेठ जमनालालजी वजाजने वर्धामें अग्रवाल महासभाके प्रथम अधिवेशनकी तैयारियाँ आरम्भ कर दी थी । उन्होंने कलकत्तेसे कुछ कार्यकर्त्ता माँगे थे । हम लोग चार मित्र कलकत्तासे वर्धामें लिये रवाना हुए— वसन्तलालजी मुरारका, नर्मदाप्रसादजी लाठ, वासुदेवजी सराफ और मैं ।

उस समय वर्धामें की तरफ बड़े जोरोसे इन्फ्लुएन्जा फैल रहा था । ऐसा कोई ग्राम नहीं था, जहाँ रोजाना दो-चार व्यक्ति मृत्युके आस न होते हो । लोग अपने घर छोड़-छोड़कर दूसरी जगह भाग रहे थे । गाँवके गाँव खाली हो रहे थे । ऐसे समयमें महासभाका अधिवेशन वर्धामें करना और लोगोको बाहरसे बुलाकर वहाँ इकट्ठा करना सेठजीको नहीं जँचा और उन्होंने महासभाका वह अधिवेशन स्थगित कर दिया । पर हम लोग रवाना हो चुके थे । वर्धा पहुँचतेही हम सेठजीसे मिले । वे बहुत खुश हुए और बोले—“भाई, बड़े जोरोसे इन्फ्लुएन्जा फैला हुआ है, इसलिए हमने महासभाका अधिवेशन स्थगित कर दिया है । पर आप लोग जब डर आ ही गए हो, तो इस यात्राका लाभ उठाना चाहिये । यहाँसे पासही एलोराकी गुफाएँ हैं—वह देखने लायक ऐतिहासिक स्थान है । उसे देखते जाओ ।” उन्होंने वहाँ जानेकी हमारी पूरी व्यवस्था कर दी और साथमें पाँच सेर भुने हुए चने और दे दिये और कहा कि जहाँ ज़रूरत हो, यही खाना । बाजारकी कोई वस्तु खरीद कर नहीं खाना ।” हम लोग अपनी यात्रापर रवाना हुए । उस वक्त सभी नवयुवक थे—बढ़ती हुई उमरों थी । किसी तरहका दिलमें भय नहीं था । वर्धामें मनमाड स्टेगन और वहाँसे गाडी बदलकर प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर अहमदनगर पहुँचे । वहाँका प्रसिद्ध दुर्ग देखा, जिसको तत्कालीन सरकारने एक बड़ा भारी कँदखाना बना रखा था । वहाँसे ताँगा भाडा कर रातके समय एलोरा गाँवमें पहुँचे । वहाँ बीमारीके कारण पूरी अशान्ति छाई हुई थी । रात-भर रहनेके लिए कोई सुन्दर स्वच्छ स्थान की खोज की गई, मगर एक पडाजीके घरके सिवाय कोई स्थान नहीं मिला । पडाजी घरके भीतर स्वयं रहते थे, इसलिये हमें सिर्फ बाहरका स्थान ही रात बितानेको मिला । खानेके लिये सेठजीके भूने चने खाकर कुँएँका ठण्डा पानी पिया । अब हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई । हम लोग उस छोटी सी जगहको बन्द कर सोना नहीं चाहते थे । हमें दम घुटकर मरजानेका भय था । नई जगह थी, दरवाजा खुला रखना भी खतरसे खाली नहीं था । अतएव यह निश्चय हुआ कि हर एक आदमी रातको दो घंटे पहले पर रहे । बाकी लोग सोवें । तदनुसार पहरा दिया गया और किसी तरह रात बितार्ई गई । भाई वसन्तलालजीने इस सारी व्यवस्थामें बहुत ही प्रसन्नताका परिचय दिया । वे बहुत ही साहसी और वीर पुरुष थे, आपत्तिके समय घबडाना वे नहीं जानते थे । उनकी सफलताओका यही सबसे बड़ा रहस्य था ।

समाज-सेवी मुरारकाजी

श्री कनक 'मधुकर'

मैं वर्षों तक श्री मुरारकाजीके बारेमें सुनता रहा और सामाजिक क्रांति मगधी उनके विचार पढता रहा । सन् १९३८-३९ में अजमेरमें भाई ऋषिदत्तजीके साथ 'राजस्थान' साप्ताहिकमें उनकी अपीलें छापने और उन्हें समझनेका अधिक अवसर मिला । उनकी लेखनी सदा हृदयको स्पर्श करनेवाली रही । उन्होंने नामाजिक कुरीतियों और रीति-रिवाजोंके प्रति सदा पुरजोर आवाज बुलन्द की ।

सन् १९४४में कलकत्ताकी यात्रामें उनके निकट आनेका प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ । उनकी आत्मीयताने मुझे और भी काफी मोहा । महसूस किया कि समाज-सेवाके व्रतमें लगे इस महापुरुषमें उस मार्गपर अग्रसर होनेवाले जन-सेवकोंके प्रति कितनी ममता और अनुराग है । 'नवजीवन' की अपीलमें समाज-सेवाके उद्देश्योंके सतत प्रचारकी भावनासे उन्होंने जो सहयोग दिया, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता ।

सन् १९४५-४६ में वे उदयपुर पवारे और 'नवजीवन' को उसके कार्यालयमें आकर आशीर्वाद दिया । यहाँ भी वे समाज-सेवाकी भावनाको नहीं भूने और मेवाड़में पर्दा-प्रथाके जघन्य कोटके निवारणहेतु महिला-मंडलमें उद्गार प्रकट किए,

सन् १९४८ में दो बार अक्टूबर और नवम्बरमें कलकत्ता जानेका फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ और दोनो ही बार उनका पहलने भी अधिक सहयोग मिला ।

कलकत्तामें मारवाड़ी बंधुओंमें फैली दहेज, बाल-विवाह और पर्दा आदि कुरीतियोंके विरुद्ध श्री मुरारकाजी और उनके साथी लोक-सेवकोंने जो भीषण लोहा लिया, वह बड़ी प्रेरक कहानी है । दहेज प्रथा और बाल-विवाहके विरोधमें आगे आये स्वयं-सेवकों और समाजसेवामें रत अनेक राष्ट्रकर्मियोंकी दिलेरगी की कहानियाँ आज भी भुलाई नहीं जा सकती जिनमें मुरारकाजीका विशिष्ट स्थान है ।

सभीके हृदयमें स्थान बना लिया !

श्रीमती कमलाकुमारी श्रोत्रिय

नाम लेते ही उनका हँसमुख चेहरा आँखों के सामने आ जाता है । जब कभी भी कलकत्ते आई, उनका बड़े भाई का सा आत्मस्नेह मिला । उन्होंने अपनी सरलता एवं सहृदयतासे सभीके हृदयमें अपना स्थान बना लिया था । हमारा तो एक सहारा खो गया । समाजको उनके जैसे कर्मठ व्यक्तिका अभाव सदा खटकता रहेगा ।

श्री भालचन्द्र शर्मा

—हमें समाजमें क्रांतिका शख फूंकना है, नवयुवको और नवयुवतियो, समाजमे क्रातिके लिये माता-पिताके विद्रोही बनो।

—बूँघटको जवर्दस्ती हटादो, स्त्रियोकी वेप-भूपामें आधुनिक परिवर्तन करो, दहेज समाज का कोढ है।

—लडके-लडकियोका विवाह-सवध माता-पिताको नही, वरन उन्हें स्वय करनेका अधिकार है।

—तलाक-प्रथा समाजके लिये आवश्यक है।

—हर चीजमें नवीनता होनी चाहिये।

ऊपरोक्त वाक्य भाई वसन्तलालजीके भाषण और साधारण बातचीतके सिलसिले मे अति प्रिय थे।

सुधार और सामाजिक क्रातिकी लगन भाई वसन्तलालजीमें प्रारम्भसेही थी। मेरे उनके तीस वर्षके सवधमें प्रति दिन उन्हें अवनत समाजको उन्नत बनानेकी चर्चा करते ही देखा। साथ ही कार्यकर्ताओंको प्रोत्साहित करना, किसी नवीन कार्य-क्रमकी सफलतामें सलग्न रहना उनके जीवनकी दिनचर्या थी।

विफलतासे कभी भी अनुत्साहित न होना उनका एक विशेष गुण था। पिछले वर्षोंमें रुढिग्रस्त समाजमें विधवा-विवाह, विलायत-यात्रा, परदा-प्रथा, दहेज-विरोध, तलाक आदि क्रांतिकारी सुधारोका प्रचार साधारण बात नही थी। पग-पगपर विरोध और रुकावटें थी, किन्तु वसन्तलालजीने विरोध और वाधाओंकी जरा भी परवाह न की, दृढतासे अपने मार्गपर चलते रहे। उनके क्रांतिकारी विचारोके कारण उनके परिवारके लोग तथा सगे-सवधी उन्हें कई बार बुरा-भला कहते, खास अवनरोपर उनका बहिष्कार करते। किन्तु वे इससे जरा भी विचलित न होकर कहते—“अब मेरा सकल्पित सुधार शीघ्र सफल होनेवाला है, कारण मेरे सवधी सुधारोका विरोध करनेका साहम न कर केवल मेरा बहिष्कार मात्र करते हैं।” समय आया; उनके जीवनमें ही उन्होने देखा—सुधारोके कट्टर विरोधी तथा कट्टरपथियोके नेताओंने उका अभिनन्दन किया, सुधारोका समर्थन किया।

भाई वसन्तलालजीमें कार्यकी लगनके साथ-साथ अद्वितीय सहिष्णुता थी। एक बार वे परदा-प्रथाके विरोध तथा हरिजन आन्दोलनके समर्थनमें दौरा करते हुये लक्ष्मणगढ

(शेखावाटी) पहुँचे । वहाँके कट्टरपथियोंने उनके उद्देश्यकी भर्तस्ना करते हुए बाजारमें धूल, पत्थर, कौचड फेंका, गन्दे शब्दोंको उपयोग किया । किन्तु वसन्तलालजीने प्रसन्न मुद्रामें उनके उस आतिथ्यको स्वीकार किया । उग्र मुधारकके नाते उन्हें बिहार के कई मारवाडी सम्मेलनोंमें बोलनेमें रोका गया, हँसी उटायी गयी, किन्तु उन्होंने मुधारो का सदेव निर्भीकताके साथ दिया । परिणाम-स्वरूप कई स्थानोंपर पुरुषोंकी उच्छ्रा नहीं रहते हुए भी स्त्रियाँ अपने-आप सभामें भागी आई, चिकें हटा दी, धूमट-त्यागकी प्रतिज्ञा ली । साथही नवयुवकोंने अपने माता-पिताओंकी उच्छ्राके विरुद्ध दहेज तथा परदा-प्रथाके विरुद्ध मचपर प्रतिज्ञायें ली । यह निर्विवाद नृत्य है कि राजस्थानी समाजमें ममाज-मुधारकी लहर फैलानेमें भाई वसन्तलालजी की बहुत बड़ी देन रही । नए विरोधों के बावजूद उन्होंने जिन कुप्रथाओंके विरुद्ध जिहाद चाला था, समाजमें उन प्रथाओंको दम तोड़ते हुये उन्होंने अपनी आँसो देगा । बाहरमें कहनेके साथ उन्होंने अपने घरमें भी उन मुधारोको स्थान दिया, जेमें अपने एक पुत्रका विधवा-विवाह कर, और दूसरे पुत्रका अन्तर्जातीय विवाह कर ।

भाई वसन्तलालजीकी बड़ी उच्छ्रा थी कि आर्य-ममाज और ब्राह्म-ममाजकी तरह आज के युगमें एक नवजीवन ममाजकी स्थापना की जाय, जो युगकी माँगोको पूरी कर सके । अज्ञान और अन्धकार, अन्धविश्वासोको हटाकर ममाजको नव-आलोक दें । उस सवधमें मरनेसे कुछ दिनों पहले उन्होंने एक सामूहिक प्रयत्न भी किया, भारतके प्रमुख समाज-नेतियोंके पान अपने विचार प्रेषित किये, किन्तु मृत्युने उनकी यह माध पूरी न होने दी ।

जो भी हो, भाई वसन्तलालजी अपने पीछे अपने ऐतिहासिक कार्योंकी एक दिव्य स्मृति छोड़ गये हैं । आनेवाली पीढी उनके द्वारा चालित मुधारो तथा आतिकारी विचारोको अग्रसर करनेमें गति दे ; साथही उनकी तरह अपना समय ममाजके नव-गठनमें प्रदानकरे ।

भाई वसन्तलालजी समाज-कर्मिके साथ-साथ उच्च श्रेणीके राष्ट्र-कर्मो भी थे । समय-समयपर स्वतंत्रता-युद्धमें उन्होंने अपनी आहुतियाँ दी । राजनीतिमें वे इतने घुल गये थे कि देशभक्त राजनीतिक नेताओंमें बड़ी धनिष्ठता थी । बंगालमें तां वे मारवाटी होते हुए भी "बंगाली नेता" माने जाते थे । सी० आर० दाम, सुभाष बोस, जे० एम० नेन गुप्ता से लेकर वर्तमान नेता श्री विधानचन्द्र रायका उनपर अति स्नेह रहा था । कई बार वे टूटी-फूटी बंगला भाषामें बोलकर बंगाली भाइयोको मुग्ध कर देते थे । वे अपने को बंगाली कहनेमें अति गर्व अनुभव करते थे । उनकी सर्वप्रियता इतनी व्यापक थी कि बंगालकी विभिन्न राजनीतिक पार्टियोंके कार्यकर्त्ताओंसे बंधुवत् प्रीति-स्नेह था । उनकी मृत्युसे बंगालके कई कार्यकर्त्ताओंको गहरी वेदना हुई । कारण, वे तन, मन, धनसे उनकी नहायता करनेको प्रस्तुत रहते थे ।

कलकत्ताके व्यस्त तथा स्वार्थमय वातावरणमें एक-दूसरेकी सहायता करनेकी क्षमता फिरले ही सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओंमें पाई जाती है । पीड़ित व्यक्ति बड़े-बड़े नामोको सुनकर अपनी सहायताके लिये दौड़ते हैं, किन्तु उन बड़े द्वारोंसे उन्हें विना सहानुभूति प्राप्त किये ही वापस लौटना पड़ता है । श्री वसन्तलालजीमें परदुःख-कातरताका स्वभाव-प्रिय गुण था । राज्य और प्रजामें प्रिय वसन्तलालजीको पीड़ित लोग अर्ध-

रात्रिमें जाकर जगाया करते थे और वे बिना वहानावाजीके तत्काल उसके दु ख-निवारण में लग जाते थे । कहीं भी जाना होता, पीडितको अपनी मोटरमें बैठाकर ले जाते थे । कलकत्ता ही नहीं, आसपासके लोग भी उनकी इस तात्कालिक सहायताको कभी नहीं भूल सकते थे । बड़े-बड़े अधिकारी उनकी सिफारिश की बड़ी इज्जत करते थे ।

एक साथमें अनेक गुणोका सम्मिश्रण बहुत कम व्यक्तियोंमें मिलता है । आज अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा गुणोका जो अमिट प्रभाव श्री वमतलालजी जनतापर छोड़ गये हैं, उसे स्मरण करते ही प्रत्येक व्यक्तिका सिर श्रद्धासे उनके प्रति नमता है ।

उड़ीसा में वसंतलालजी

श्री भैरवलाल नन्दवाना

सन् '४२ के अप्रैल महीनेकी बात है । विजगापट्टम विदेशी आक्रमणका गिकार हो चुका था और उसपर वम पटना प्रारम्भ हो गया था । ऐसे समयमें विजगा पट्टमके समीप ही उड़ीसा मारवाडी कार्यकर्त्ता सम्मेलनका तीसरा अधिवेशन बलागीरमें श्री मुरारकाजीके सभापतित्वमें करनेकी योजना हुई । अधिवेशनकी पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी, किन्तु निर्धारित तिथियोंके ठीक सात दिन पहले विजगापट्टमपर वम पड़ गए । आसपासकी जनता धवरा उठी । अधिवेशनको स्थगित करनेकी बात होने लगी । किन्तु धैर्य और साहसकी मूर्ति श्री मुरारकाजी ऐसे भयकर समयमें भी बलागीर पधारे और उक्त अधिवेशनको उन्होंने सफलतापूर्वक सम्पन्न किया । मुरारकाजीके इस विलक्षण प्रभावसे वहाँपर हिन्दी विद्यालयकी स्थापनाके साथ ही वार्डस हजार रुपये हिन्दी प्रेमी राजस्थानी जनतासे तत्काल प्राप्त हो गए । उम विद्यालय के रूपमें मुरारकाजीकी स्मृति आज भी उस दिनकी याद दिलाती है ।

सम्मेलन उड़ीसाके मारवाडी समाजके विकास-कार्योंका सफल निर्देशन बना । उसके बाद भी वरगढ, पुरी, बलागीर तथा कटक अधिवेशनोपर और अन्य अवसरोंपर मुरारका जी की यात्रा कितनी ही बार उड़ीसामें हुई और लोगोमें समाज-मुधारकी प्रगति हुई । स्थान-स्थानपर विद्यालयोकी स्थापना हुई, वाचनालय, पुस्तकालय, युवक सघ, महिला सघ, व्यायामशालाएँ आदि मँकडो सस्थाओंको जन्म मिला । कटकका हिन्दी विद्यालय हाई स्कूलके रूपमें उन्नति कर गया । इस तरह सामाजिक विकास तो हुआ ही, राजस्थानी-समाजमें राष्ट्रीय भावनाका जागरण भी हुआ । मुरारकाजीकी भावना थी कि हम पहले भारतीय हैं और पीछे राजस्थानी, ऐसा कोई काम राजस्थानी-समाज द्वारा नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा कांग्रेसका विरोध हो अथवा राष्ट्रीय कार्योकी गति अवरुद्ध हो । मुरारकाजी की इन बातोंका उड़ीसाके राजस्थानी बन्धुओंपर बड़ा प्रभाव पड़ा । आज जो उड़ीसाकी उन्नति दीखती है, उसमें राजस्थानियोंका बड़ा हाथ रहा है और उनके पीछे मुरारकाजीकी प्रेरणा हमेशा चमकती दिखाई देगी ।

वसंतलालजी चले गये, वसंतलालजी नहीं गये !

श्री भैरवमान मिश्री

पन्ना दिन हाथोंमें भाई वसन्तलालजीको अभिनन्दन-पत्र भेज दिया, उन्हीं हाथोंमें आज उनकी जिंदा तस्वीर थी । तब ४० पदोंमें ही यह सब हो गया । भाई वसन्तलालजी स्वयं उनको अभिनन्दन-पत्रों का भिन्न-भिन्न रूप में, जिना जना कर भेज रहे थे । जिन दिनों यह पत्र लया था कि भाई वसन्तलालजी ने यह जैसी शरीर धीमारीके विचार हो गये हैं, हम सब इस दिनों की भीषणताकी रस को थे । अभिनन्दन-पत्र पढ़ने-पढ़ने ही अभिनन्दन-पत्रोंके पत्रोंका भी रसोचित निर्णय कर देना पड़ा । क्योंकि आज ही, उनकी कृपया यह हो पायगा, ऐसी कल्पना नहीं हुई थी । और, उनकी यह रसोचित पत्र पढ़कर दुःख केसा निश्चय था ।

हम सामाजिक-राजनीतिक चर्चाओंका एक वसन्तलालजीके विना है, यह सोचकर दिन पढ़ने लगता है । उनको जैसे कल्प, जिनके और साथ ही निर्णय समाज-सुधारके दिनों है ? वे हमारे साथी, कल्पना और प्रेरण थे । अगर भारतीय समाजको सारा संतों, तो आज ६० वर्षोंकी समाज-सुधारके निमित्त एक मरणा मानी उठ गई । पर वसन्तलालजी और उनके साथियों द्वारा दिया गया काम गहरी स्नेह-पत्र पढ़ा है, और नये विचारोंका हवा-पानी उनको पीनेको कहा गया है, बचावका ।

आज सुबह साठ-नाइसवाट बसे ही जब उनको पत्रोंका पत्रिका और मृत्युका मरण हो रहा था, उन्होंने कहा—“सब काम हो गया, भैरवमानजी, अब आप लोग मुझे छोड़ दीजिए । अब आगे आप लोग काम कीजिए ।”

वसन्तलालजी और अन्यत्र आज एक बहुत बड़ा पुस्तक—वसन्तलालजीके पुस्तक—विशेष-विज्ञान है, वेदना-विकल्पित है, पर विज्ञानका और विचारोंके आगे पाठ्यकार उनके अन्तिम क्षणोंके मन्त्रोंको नकल बना कर लाना है—“अब आप लोग काम कीजिए ।”

उन दिन अभिनन्दनके समय टैप-रिसार्डपर उनकी दृष्टी हुई बाणीमें हमने सुना था—‘सामाजिक चार्जका काम हमें अभी बताना करना है,’ और आज मृत्युके क्षणोंमें उन्होंने कहा—‘अब आगे आप लोग काम कीजिए ।’ हाँ, हमें काम करना है, और समाजमें वसन्तलालजीके विचारों और भावनाओंको बहाना है । यही सम्पत्ति है समाजके लिए छोड़ गये हैं, जो बिरले ही छोड़ जाते हैं ।

वसन्तलालजी चले गये, वसन्तलालजी नहीं गये !

तारीख १० अक्टूबर १९६६ को जब श्री वसन्तलालजी का शय-दाह हो रहा था, लेखक के मस्तिष्कमें ये विचार दौड़ लगा रहे थे, जो उनी वक्त एक पत्र-प्रतिनिधिको लिखा दिये गये थे ।

द्वितीय खण्ड

समाजके कुछ मौलिक तत्व



सामाजिक चेतना : उसका प्रादुर्भाव और विकास

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाजमें वह जन्म लेता है, समाजमें ही उसका पालन-पोषण होता है, समाजका वातावरण उसके संपूर्ण व्यक्तित्वको प्रभावित करता है। समाज व्यक्तिके सामने जो अवसर प्रस्तुत करता है, उनका उपयोग करनेसे ही उसकी प्रतिभा निखरती है, सामाजिक जीवनमें जिन जोखिमों को उभे उठाना पड़ता है, उसीमेंसे उसका साहस प्रस्फुटित होता है और सामाजिक सघर्षोंपर विजय पाकर ही वह अपने भावी विकास के मार्ग को प्रगस्त करता है। मनुष्य की भाषा, साहित्य, कला, उद्योग मनुष्यके जीवनके प्रत्येक अंग और प्रत्येक पक्षपर उसके समाजकी स्पष्ट छाया हमें देखनेको मिलती है। जिस प्रकार समाज व्यक्तिको प्रभावित करता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने समयके समाजका निर्माता है। इस विचित्र और महान् सृष्टि में, जिसकी विशालता और प्राचीनता दोनों ही मानवीय कल्पनासे बाहरकी वस्तुएँ हैं, मनुष्य ही विश्वकी उस अलौकिक सृजनशील शक्तिका सर्वतोत्कृष्ट नमूना है, जिसे हम अपने भावका स्वयं निर्माता कह सकते हैं। कौन नहीं जानता कि मानव सम्यताओंने समय-समयपर बुद्ध, महावीर, कल्पयूगियस, ईसा, मुहम्मद, अरविंद, और गांधी जैसे उन महान व्यक्तियोंको जन्म दिया है जिन्होंने न केवल अपने समयके समाजको ही सर्वथा एक नया जीवन और नयी चेतना प्रदान की बल्कि जिनके विचारों, आदर्शों और सिद्धान्तों तथा जीवनके व्यवहारोंका आज भी मानव-जीवनपर प्रभाव है और यह प्रभाव जब तक मनुष्य जाति है तब तक रहनेवाला है। ऐसे महान व्यक्तित्व, जिन्होंने समाजको प्रभावित किया—उसको एक नयी दिशा दी, सामाजिक जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें देखनेको मिलते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, उद्योग, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, धर्म एवं राजनीति किसी भी पक्षको हम ले, हमें महान आत्माओंकी एक शृंखला सी नजर आती है, ऐसी शृंखला जो प्रत्येक देश और कालमें पायी जाती है। हमारे कहने का आशय यह है कि व्यक्ति और समाजका अन्यान्याश्रित और आत्मिक मवध है और यह सवध मानव सम्यताके प्रारंभिक चरणोंने लेकर आज तक चला आया है और आगे भी चलता रहेगा।

प्रायः दार्शनिकों और विचारकोंने यह प्रश्न उठाया है कि समाज और व्यक्तिके इन 'द्वय' में प्रमुखता किसकी मानी जाये। आज भी यह प्रश्न हमारे सामने बार-बार उपस्थित होता है। पश्चिमी राजनैतिक विचारचाराका ही यदि हम विचार करें,

तो, एक ओर उन विचारोंका हमें ध्यान आता है जिन्होंने समाजको प्रमुखता दी है; अफलातून, अरस्तू, हीगल, ये कुछ ऐसे ही नाम हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने कैंट, जान स्टुअर्ट मिल, हरबर्ट स्पेन्सर जैसे नाम हैं, जिन्होंने व्यक्तिको प्रधानता दी है। पूर्वके विचारकोंमें यह दृष्टि-भेद सम्भवतः नहीं पाया जाता। उसका मुख्य कारण यह है कि पूर्वकी दृष्टिमें संपूर्णता और समन्वय की प्रधानता रही है और फलतः व्यक्ति और समाज दोनोंके उचित महत्त्वको स्वीकार किया गया है। सस्कृतका निम्नलिखित श्लोक हमारी इस युक्तिको पुष्ट करता है।

त्यजेदेकं कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्यं पृथिवीं त्यजेद्

अर्थात् व्यक्तिको कुलके लिये, कुलको ग्रामके लिये, ग्रामको जनपदके लिये और पृथ्वीको आत्माके लिये त्याग देना चाहिये।

ऊपरोक्त श्लोकमें जहाँ सासारिक स्तरपर छोटे स्वार्थको बड़े स्वार्थके लिये छोड़ने के लिये कहा गया है, वहाँ आत्मोन्नति के लिये समस्त सासारिक स्वार्थके छोड़नेकी बात भी कही गई है। इसका आशय यह है कि जहाँ सामान्य सासारिक स्वार्थोंमें व्यक्ति को अपने सकीर्ण स्वार्थका समाजके व्यापक हितके लिये त्याग करना चाहिये वहाँ व्यक्ति में जो आध्यात्मिक तत्त्व है, और जो व्यक्तिके व्यक्तित्वकी वास्तविक विशिष्टताका द्योतक है, उसका भी इतना महत्त्व स्वीकार किया गया है कि उसके हितमें संपूर्ण इहलौकिक समाजके हिततकका त्याग किया जा सकता है। व्यक्ति और समाजके पारस्परिक संबन्धका यह वह संपूर्ण चित्र है, जिसमें आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियोंका समावेश हो जाता है।

व्यक्ति और समाजके आत्मिक संबन्धका एक भिन्न प्रकारसे भी स्पष्टीकरण किया जा सकता है। व्यक्ति रूपी नीव पर ही समाज रूपी भवनका निर्माण किया जा सकता है। इस अर्थमें व्यक्ति साधन है और समाज साध्य। इस दृष्टिमें व्यक्तिकी अपेक्षा समाजका महत्त्व अधिक है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह वाह्य दृष्टि है या यो भी कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाजका यह संबन्ध आधिभौतिक और सांसारिक स्तरका संबन्ध है। इसके अनुसार हर व्यक्तिका यह धर्म है कि अपने सांसारिक हितों को समाजके लिये त्याग दे। लेकिन व्यक्ति और समाजके संबन्धकी एक अन्य दृष्टि भी है, जो कही अधिक गहरी है। इसको हम आन्तरिक, तात्त्विक या आध्यात्मिक दृष्टि कह सकते हैं। इस दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति में जो आध्यात्मिक तत्त्व है, उसपर जोर है। समस्त सासारिक और सामाजिक व्यवस्थाका एकमात्र लक्ष्य व्यक्ति के इस आध्यात्मिक और आत्मिक विकास में सहायक होना है। इस अर्थमें व्यक्ति साध्य है और समाज साधन; यह ससार साधन है और स्वर्ग साध्य। जिस समाजरूपी भवनका हमने ऊपर उदाहरण दिया है, वह भवन अन्ततोगत्वा व्यक्तिके निवासके लिये, उसके उपयोगके लिये ही है और इसी अर्थमें व्यक्ति साध्य और समाज साधनका रूप ले लेता है। हमारी दृष्टि में व्यक्ति और समाजका यह द्विपक्षीय संबन्ध ही उसके पारस्परिक संबन्धोंको पूर्णतया व्यक्त करता है और इसीके आधार पर सही सामाजिक चेतना का निर्माण भी किया जा सकता है।

यह जिसे हमने 'सामाजिक चेतना' कहा, क्या वस्तु है ? इसका प्रादुर्भाव कंसे हुआ ? किन-किन अवस्थाओं में से होकर और किन-किन रूपों में हमारी यह 'सामाजिक चेतना' व्यक्त होती है ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जो व्यक्ति और समाजके पारस्परिक संबंधों पर से स्वाभाविक रूप में पैदा होते हैं । अब हम इन्हींके विषयमें कुछ विचार करेंगे ।

व्यक्ति और समाज या व्यष्टि और समष्टिके जिस संबंधका विवेचन ऊपर किया गया है, उसीमें से 'सामाजिक चेतना' का प्रादुर्भाव होता है । व्यक्ति जब समाजके साथके अपने संबंधको, उसके साथ अपनी एकताको अनुभव करता है, तो उसकी इस अनुभूतिको ही सामाजिक चेतनाका नाम दिया जाता है । जिस प्रकार व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध द्विपक्षीय या द्विस्तरीय है, अर्थात् वह आधिभौतिक भी है और आध्यात्मिक भी, उसी प्रकार 'सामाजिक चेतना' के भी दोनों ही रूप देखनेको मिलते हैं । जब कोई व्यक्ति अपने पड़ोसीके कष्टको अपना कष्ट मानकर उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता है; जब समाजमें व्याप्त दुराड्योंको निकाल फेंकनेके लिये समाजसेवक अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, जब राष्ट्रकी स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रके गौरवके लिए राष्ट्र-प्रेमी जनता अपना आत्मोत्सर्ग करनेको तैयार हो जाती है, जब समाजमें स्वतन्त्रता, समानता और बहुत्वके सिद्धान्तोंकी प्रतिष्ठा करनेके लिये सामाजिक क्रांतिकारी अपने क्रांति-मार्ग का अनुसरण करता है तो इन सबमें हमें 'सामाजिक चेतना' का एक प्रकारका स्वरूप देखनेको मिलता है । व्यक्ति समाजके भलेके लिये अपने दुख-सुखकी चिन्ता न करके अपने जीवनको लगा देता है । हमारे समाज-सुधारको, राष्ट्रनायको और क्रांतिकारियोंका जीवन इस 'सामाजिक चेतना' से ही श्रोत-श्रोत जीवन रहा है । हम अपने देशके आधुनिक कालका उदाहरण लें, तो इस 'सामाजिक चेतना' से श्रोत-श्रोत व्यक्तियोंकी एक चित्रावली-सी हमारे सामने आ खड़ी होती है, जिसका दर्शनमात्र ही हमें अत्यन्त प्रेरणादायक मालूम पड़ता है । राजाराममोहनरायमे लेकर गांधी तक की इस शृंखलामें अनेक कड़ियाँ हैं और सामाजिक जीवनकी यह शृंखला कभी टूटती नहीं है, वह आज भी मौजूद है और आगे भी रहेगी । 'सामाजिक चेतना' का यह स्वरूप जिसका अभी हमने उल्लेख किया है, उसका वाह्य या आधिभौतिक स्वरूप है । प्रायः हम 'सामाजिक चेतना' के अपने विचारको उसके इस वाह्य स्वरूप तक ही सीमित मान लेते हैं । पर यह एकांगी और अपूर्ण दृष्टि है । 'सामाजिक चेतना' का जो आन्तरिक अथवा आध्यात्मिक स्वरूप है उसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए । जब 'जीवात्मा' अपने 'परमात्मा'के साथके संबंधकी अनुभूति करता है, जब हममें 'अह-ब्रह्मास्मि'का भाव जाग्रत होता है, जब हममें इस विवेकका उदय होता है कि व्यक्तिका वास्तविक लक्ष्य आत्मोन्नति है तब हममें 'सामाजिक चेतना' के इस दूसरे, अर्थात् आध्यात्मिक रूपका उदय होता है । मनुष्यके इस आध्यात्मिक लक्ष्यको महर्षि अरविन्द ने अपनी मानवीय-विकासचक्र (ह्यूमन साइकिल) नामक पुस्तक में इन शब्दों में व्यक्त किया है : "हम देखते हैं कि प्रथम दृष्टिमें मनुष्य स्वभावके दो पक्ष मालूम होने हैं, जीवमय और शारीरिक अस्तित्वका पशु स्वभाव, जो कि अपनी सहज प्रवृत्ति (इंस्टिक्ट), आवेश (इम्पल्सेज), इच्छाओं, अपने स्वाभाविक निर्देशन और प्रणाली (ओटोमेटिक ऑरियेन्टेशन

एंड मेथड,)के अनुसार अपना जीवन व्यापार चलाता है, और स्वचेतनायुक्त, बौद्धिक, नैतिक, कलात्मक, विवेकमय भावात्मक, विवेकमय गत्यात्मक अस्तित्वका अर्द्ध-दैविक स्वभाव, जो कि अपने कर्मके नियमका पता लगाने और समझनेकी तथा समझ-बूझ कर उसका उपयोग करने और उसका उन्नयन करनेकी क्षमता रखता है, एक ऐसा विचारशील मन (माइण्ड) जो प्रकृति को समझता है, एक ऐसी इच्छा जो प्रकृतिका उपयोग करती है, उसको ऊँचा उठाती है, उसको पूर्णता प्रदान करती है, एक ऐसी चेतना (सेन्स) जो विवेकपूर्वक प्रकृतिका भोग करती है। हमारे पशु-स्वभाव का लक्ष्य सांसारिक (वाइडल), स्वत्व (पजेगन) और सांसारिक आनन्द की अभिवृद्धि करना है, हमारे अर्द्ध-दैविक स्वभावका लक्षण भी अभिवृद्धि करना, सपन्न होना और भोग करना है, किन्तु एक तो शरीर और जीवकी अपेक्षा अधिकतर मनकी शक्तियोंके द्वारा विवेकपूर्वक, कलात्मक और नैतिक दृष्टिसे संपन्न होना और भोग करना है, और दूसरा, जितना एक आधार और प्रारम्भके रूपमें, एक प्रारंभिक अनिवार्यता और शक्तके रूप में, एक भूमिकाके रूप में आवश्यक है उसके अतिरिक्त, सांसारिक और भौतिक सपन्नता प्राप्त करना और भोग करना उतना नहीं है जितना कि बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक सपन्नता प्राप्त करना और भोग करना है और वाह्य-जीवन में अभिवृद्धि करना उतना नहीं है, केवल उस हद तक छोड़कर जहाँ तक यह वाह्य अभिवृद्धि हमारे मानवीय अस्तित्वकी गरिमा, सुविधा और सुरक्षाके लिए आवश्यक है, बल्कि सत्य, शिव और सुन्दरमें अभिवृद्धि करना है। यही मनुष्यकी मनुष्यता है, उसकी अपूर्व विशिष्टता है और अचेतन और आधिभौतिक प्रकृति की इस सामान्यतामें असामान्यता है।”

“इसका यह अर्थ है कि मनुष्यने अपने अस्तित्वकी एक नयी शक्तिका विकास किया है . इसे हम नयी आत्मशक्ति कहेंगे, इस आधारपर कि हम जीव और शरीरको भी एक प्रकारकी आत्मिक शक्ति ही मानते हैं और जिस अस्तित्वने इस नयी शक्तिका विकास किया है, उसका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह न केवल इस नये उच्च स्तरसे समारकी ओर दृष्टिपात करे और उसमें जो कुछ है, उसका पुनः मूल्यांकन करे बल्कि अपने सपूर्ण स्वभावको इस शक्तिकी आज्ञा पालन करनेके लिये विवश करे और एक अर्थमें उस नयी आत्मशक्तिके ढाँचे में अपने स्वभावको फिर से टाले और जहाँ तक संभव हो अपने आसपासके जीवनका भी इस महत्तर सत्य और नियमकी किसी प्रतिमूर्तिके रूपमें पुनः निर्माण करे। इसीमे उसका स्वधर्म है, उसके अस्तित्वका सच्चा नियम और मार्ग है और उसकी पूर्णता और वास्तविक सुख का मार्ग है।” जीवन के जिस आध्यात्मिक लक्ष्यकी व्याख्या ऊपर की गयी है, उसको 'वैयक्तिक मुक्ति' के आदर्श के रूप में नहीं देखना चाहिये। श्री अरविन्दको वैयक्तिक मुक्तिकी इतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी समस्त मानव-समाजको ऊँचा उठानेकी। आध्यात्मिक प्रगतिके संबंधमें विचार करते हुए श्री अरविन्दने लिखा है, “इस प्रकारका परिवर्तन, मानसिक और जीवमय स्तरसे जीवनके आध्यात्मिक स्तरका परिवर्तन अनिवार्यतः व्यक्तिमें और बहुत बड़ी मझ्यामें व्यक्तियोंमें ही होगा इसके पूर्व कि उसका समाजपर असर हो।” “प्रगतिशील और निर्माणकारी व्यक्तिके द्वारा ही आध्यात्मिकता सपूर्ण जाति के मानमके मझ एक नयी आत्ममृज्जनाकी उपलब्धि और संभावना प्रस्तुत करती है।

दूसरे शब्दोंमें श्री अरविन्द एक ऐसे आध्यात्मिक समाजकी कल्पना करते हैं, जो "उमके आध्यात्मिक व्यक्तियोंकी तरह, अपने 'अह'में नहीं किन्तु अपनी आत्मामें, सामूहिक अहके रूपमें नहीं किन्तु सामूहिक आत्माके रूपमें, निवाम करेगा।" सम्पूर्ण नमाज के स्तरको इस प्रकार ऊँचा उठाने की भावनाको हम 'सामाजिक चेतना'का आध्यात्मिक रूप नहीं तो और क्या कहेंगे ? इतिहासमें जितने भी ऋषि, महर्षि, मत, भक्त और आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुए हैं, उनमें हमें 'सामाजिक चेतना' के इमी आध्यात्मिक रूपकी अभिव्यक्तिके दर्शन करने चाहिये। परमहंस रामकृष्ण और श्री अरविन्द आधुनिक भारतके ऐसे दो उदाहरण हैं।

हमने 'सामाजिक चेतना'के दो रूपोंका ऊपर उल्लेख किया है, सांसारिक या आधि-भौतिक रूप। पर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इन दोनों रूपों का वास्तव में कोई संबंध नहीं है। सच बात तो यह है कि 'सामाजिक चेतना' का आधिभौतिक रूप जिस हृद तक उसके 'आध्यात्मिक रूप'को व्यक्त करनेका वाद्य उपकरणमात्र है उमी हृद तक उसे वास्तविक अर्थमें 'सामाजिक चेतना' कहा जा सकता है। व्यक्ति जब अपने 'स्व'को किमी 'व्यापक सत्य'का अंग मात्र मानता है और उसके साथ अपना तदात्म करना वह अपने अंतिम लक्ष्यके रूपमें समझता है, तभी उसमें 'सामाजिक चेतना' अभिव्यक्त होती है फिर चाहे वह अभिव्यक्तिका रूप इस सामाजिक स्तर पर सांसारिक कार्य-कलापोंके रूपमें हो और चाहे आध्यात्मिक स्तरपर आध्यात्मिक उन्नतिके रूपमें। 'अंग'का अपने 'पूर्ण'में मिलने का भाव और अपने समान ही दूसरे 'अंगों'के प्रति एक 'पूर्ण' के अंग होने मात्रसे उत्पन्न एकात्मक भावका नाम ही वास्तवमें 'सामाजिक चेतना' है।

'सामाजिक चेतना' की दार्शनिक व्याख्या करनेका हमने प्रयत्न किया है। अब हम उसके प्रादुर्भाव और विकासके संबंधमें विचार करेंगे।

ऐसा विचार करना संभवतः अनुचित न हो कि 'सामाजिक चेतना'का जन्म 'स्वार्थ भाव'में से ही हुआ यद्यपि उसका विकसित रूप 'समष्टि भाव'में है। अपने जीवन के अत्यन्त प्रारंभिक कालमें जब मनुष्य एक शिकारीका जीवन व्यतीत करता था या, जब वह जीवित रहनेके लिये भोजनका केवल सग्रह करनेवाला था न कि उसका उत्पादन करनेवाला, तभी हिंसक पशुओंमें अपनी रक्षाके लिये उन पर विजय पाने तथा उनका शिकार करनेके लिये मनुष्यको एक-दूसरेके सहयोगकी आवश्यकता अनुभव हुई होगी। इसी आवश्यकता में से उस सहजीवनका प्रादुर्भाव हुआ होगा जो 'सामाजिक चेतना'के विकासकी प्रथम अवस्था थी। जैसे-जैसे समय बीतता गया, मनुष्य का यह 'स्वार्थ-भाव' जागृत होता गया और 'समष्टि भाव' के साथ-साथ 'सामाजिक चेतना'का भी विकास होता गया। 'स्वार्थ भाव' और 'समष्टि भाव' में अन्तर यही है कि जब अपने सामाजिक आचरणसे प्रत्यक्ष स्वार्थमें मनुष्य प्रेरित होता है तब तो उसका भाव भाव होता है और जब मनुष्य अपने सामाजिक आचरणमें ऐसे किमी स्वार्थ भाव ने प्रेरित न होकर 'एकत्व भाव,' से सामाजिक आचरण करता है, तो वह उसका 'समष्टि भाव' कहा जायगा। जब मनुष्य किसी प्रत्यक्ष खतरसे बचनेके लिए एक सगठन और अनुशासन में काम करते हैं तो उनकी इस 'सामाजिक चेतना'के पीछे 'स्वार्थ भाव' होता है। जब मनुष्य विना किमी

फलकी आशाके या उसका ध्यान किये हुये ही अपने पड़ोसीकी सहायता करता है, तो इस 'सामाजिक चेतना' के पीछे 'समष्टि भाव' होता है। यदि हम वारीकीसे विचार करें, तो मालूम पड़ेगा कि 'सामाजिक चेतना' की शुरुआत 'स्वार्थ भाव' में और उसका चरम विकास 'समष्टि भाव' में है। मानव-समाजके विकास की यही दिशा रही है कि वह स्वार्थ-भाव को समष्टि-भावमें बदले, ठीक उसी प्रकार जैसे उसे अपनी आधिभौतिकता को आध्यात्मिकता में बदलना है। इस प्रकार देखने से मानव-जाति का संपूर्ण इतिहास 'सामाजिक चेतना' के विकास से भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाता है। एक समय रहा होगा जब मानव की 'सामाजिक चेतना' उसके परिवार तक ही सीमित होगी। पर धीरे-धीरे उसका विस्तार परिवार से कबीला (क्लान) तक और कबीला से जाति (ट्राइब) और जाति से राज्य (स्टेट) में हुआ। राज्यमें से ही आवुनिक राष्ट्रका जन्म हुआ और राष्ट्रमें से ही आजकी राष्ट्रीयताका, जो हमारी 'सामाजिक चेतना'का एक प्रबल प्रतीक समझी जाने लगी है। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता हमारी सामाजिक चेतनाका राजनैतिक सीमाओंमें मर्यादित रूप है। आज हम 'विश्व राज्य' की कल्पना करते हैं पर वास्तवमें हम है राष्ट्रीयताके विकास स्तर पर ही। एक मानव-समाजकी कल्पनाको वास्तविक रूप देनेसे अभी हम बहुत दूर हैं। 'सामाजिक चेतना' के आधिभौतिक रूपके समान ही आध्यात्मिक रूपमें भी विकास हुआ है। धर्म, (रिलीजियन) और आध्यात्मिकता (स्प्रिचुएलिटी) में भेद होते हुए भी दोनोंका घनिष्ठ संबंध है। मनुष्यने धर्म और ईश्वरकी कल्पना अपने स्वार्थकी रक्षा करनेके लिये ही सबसे पहले की। भयसे बचनेके लिये और आशाओंको फलीभूत करनेके लिये मानवने अपने प्रारंभिक देवताओंकी कल्पना की थी। श्री एच० जी० वेल्स अपनी 'इतिहासकी रूपरेखा' नामक पुस्तकमें लिखते हैं "पिताका भय अदृश्य अवस्थाओंसे होता हुआ जातीय देवता (ट्राइबल गाड) के भयमें परिणत हो गया।" जिससे मनुष्यको भय उत्पन्न हुआ उसको प्रसन्न करनेकी भी मनुष्यने आवश्यकता अनुभव की। इन्ही आवश्यकताओंमें से 'धार्मिक बलि'की प्रथाका जन्म हुआ। यही अविकसित मानवके धर्म और ईश्वरकी वह अविकसित कल्पना है जिसमें स्वार्थ-भावकी प्रधानता थी और जिसने विकसित होकर भक्ति-मार्गसे वैयक्तिक ईश्वर और ज्ञान-मार्गसे, 'ब्रह्म' का वह रूप ले लिया जिसमें 'स्वार्थ भाव' का स्थान 'समष्टि भाव' ने ले लिया। भक्ति भावसे श्रोत-प्रोत भक्त अपने सर्वस्वको अपने ईश्वरके प्रति समर्पण कर देनेमें ही अपनी सार्थकता देखता है और इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष आत्मा और परमात्माके अभेदको समझ कर आत्माको परमात्मामें विलय कर देना ही जीवनका व्यय मानता है।

'सामाजिक चेतना'के प्रादुर्भाव और विकासके आधिभौतिक और आध्यात्मिक स्वरूपकी ऊपरोक्त व्याख्याको पूरी करनेके लिये यह संकेत करना अनुचित न होगा कि 'सामाजिक चेतना' के आधिभौतिक स्वरूपने सामाजिक जीवनके विभिन्न अंगोंको विभिन्न समयमें प्रभावित किया है और इस दृष्टिसे भी उसके विकासके किसी ऐतिहासिक क्रमकी कल्पना की जा सकती है।

जब मानव-समूहने एक व्यवस्थित समाजका रूप ले लिया, उसमें राज्य-संस्था और व्यक्तिगत संपत्तिकी संस्थाका उदय हो गया और आर्थिक-सामाजिक असमानता

समाजमें फैल गयी तो समाज शासक और शासित तथा शोपक और शोपित इन दो वर्गों में विभाजित हो गया । समाज आज भी इन दो वर्गों में विभाजित है । इस वर्ग विभाजनने 'सामाजिक चेतना'के सामने शासक और शासित तथा शोपक और शोपित इन वर्गोंके पारस्परिक संबंध और पारस्परिक महत्वके बारेमें भी प्रश्न उपस्थित कर दिया । 'सामाजिक चेतना'ने, ऐसा कहा जा सकता है, एक लंबे अर्से तक, संभवतः उस समय तक जब कि उसके सामने समाजकी सुरक्षाका प्रश्न प्रमुख रहा होगा, समाजका हित सामाजिक व्यवस्था, उसको चलानेवाली सत्ता और उसकी मान्य परम्पराओं को सर्वोपरि मानने में ही समझा । व्यक्तिका परम कर्तव्य समाजमें जो उसका स्थान निश्चित था उसीके दायित्वको निभाना माना गया । प्राचीन यूनानी दार्शनिक अफलातूनने तो न्यायकी ही यह व्याख्याकी कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपना समाजमें निर्धारित कार्य करता है तभी समाजमें न्याय कायम रह सकता है । भारतीय चतुर्वर्णकी व्यवस्था के पीछे भी इसी प्रकारकी विचार धारा रही है । यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन कालमें किसी भी समय जनताके अधिकारों और उसकी स्वतंत्रताको शासक के अधिकारोंकी तुलनामें कोई महत्व ही नहीं दिया गया था । प्राचीन यूनान, प्राचीन रोम और प्राचीन भारतमें गणतंत्रोंका अस्तित्व रहा है, इम बातका इतिहास साक्षी है । फिर भी इन प्राचीन गणतंत्रोंके बादके समयमें सभी जगह जनता की स्वतंत्रता और अधिकारोंका लोप होते हुए और राज्य और राजा का वर्चस्व बढ़ते हुए हम देखते हैं । इस बीच के काल में एक प्रकार से हमारी 'सामाजिक चेतना' इस सामाजिक राजनैतिक दृष्टिसे सुप्तावस्थामें थी । पर उसके बाद योगेपमें प्रोटेस्टेंट सुधारवाद और फ्रांसकी राज्य क्रान्तिके साथ इस 'सामाजिक चेतना'का भी उदय होने लगता है । पहले यह धर्मके क्षेत्रमें उदीयमान होती है, फिर राजनीति और समाजके क्षेत्रमें यह प्रकट होती है और राजनीतिक जनतंत्रके रूपमें यह हमारे सामने आती है । अब यह राजनीतिक मर्यादाओंको पार करके आर्थिक क्षेत्रको छूना चाह रही है । आर्थिक स्वतंत्रताका जय घोष आज के युगका मुख्य जय घोष है और हमारी आजकी सामाजिक चेतना अपने आधिभौतिक रूपमें इसी आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्यको लिये हुये है । "सामाजिक चेतना'के विकासका यह क्रम केवल पश्चिम तक ही सीमित रहा हो यह नहीं कहा जा सकता । वह तो समस्त समारमें इसी क्रममें फैला है । आधुनिक भारत वर्षकोही यदि हम देखते हैं तो उसमें भी हमें उसी क्रम की पुनरावृत्ति मिलती है । भारतके पराधीनताके कालमें जिस राष्ट्रीय चेतनाका उदय होता है वह हमारी उस समयकी सामाजिक चेतनाका ही प्रतिबिम्ब था । यह राष्ट्रीय चेतना पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रमें उत्पन्न होती है । राजाराम मोहनराय और उनका 'ब्रह्म समाज' और रानाडेका प्रार्थना समाज इस चेतनाके प्रवर्तक थे । बाद में आर्य समाज, ब्रह्म विद्या समाज (थियोसोफिकल सोसाइटी) और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्दने इस राष्ट्रीय चेतना को उसके सामाजिक और सांस्कृतिक रूपमें और आगे बढ़ाया और राजनीतिक राष्ट्रीयताके लिये पृष्ठभूमि तैयार की । कांग्रेसके जन्मके साथ हमारी 'सामाजिक चेतना' अपने राजनैतिक रूपमें व्यक्त होती है । गोखले, तिलक और गांधी इस राजनीतिक चेतनाके उत्तरोत्तर विक्रमके प्रति-

निधिके रूपमें माने जा सकते हैं। आज भारत राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र है पर उसकी 'सामाजिक चेतना' आर्थिक स्वतंत्रता'के लिए छटपटा रही है।

'सामाजिक चेतना'के प्रादुर्भाव और विकासका जो विग्रह विवेचन हमने किया है, उसका सार यही है कि मानव समाजके विकासके साथ-साथ हमारी 'सामाजिक चेतना' का भी विकास होता रहा है, वल्कि 'सामाजिक चेतना' के इस विकासको ही मानव समाजका विकास कहा जा सकता है। आजका मानव समाज विकास क्रमकी एक ऐसी मोड़ पर खड़ा है जहाँसे उसका भविष्य उज्ज्वल और अन्धकारपूर्ण दोनों ही हो सकता है। मनुष्यकी वैज्ञानिक प्रतिभाने उसके हाथमें एक अद्भुत शक्ति देदी है। प्रश्न यह है कि इस शक्तिका मानव सदुपयोग करता है या दुरुपयोग। हमारी सभ्यता और सामाजिक चेतना आज इस विषम सकटकी अवस्था में है। इस संकटमें से विजयी होकर मनुष्य तभी निकलेगा जब वह अपनी आधिभौतिक प्रतिभाको आध्यात्मिक चेतना से नियन्त्रित करनेमें सफल होगा। आधिभौतिक प्रगतिका त्याग करनेका प्रश्न नहीं है। प्रश्न है इस प्रगतिको मानव हितकी दिशामें मोड़नेका। मानवकी 'सामाजिक चेतना'के आधिभौतिक और आध्यात्मिक रूपोंमें उचित समन्वय से ही यह संभव होगा। क्या इस युग से चले आने वाले सच्चे समाज सुधारको, राष्ट्र निर्माताओं और क्रांतिकारियोंके ज्वलंत और प्रेरणामूलक उदाहरण हमारा पथ प्रदर्शन करनेमें सफल होंगे? इस प्रश्नके उत्तर पर हमारे समाजका भविष्य निर्भर करता है और उसका सही-सही उत्तर देकर ही आज का मानव उन महान आत्माओंके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित कर सकता है जिन्होंने अपनी सेवाओंसे समाजके मार्गको सदा प्रशस्त किया है।



समाज-निर्माण के आधार

समाज-संबंधोंके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । अपनी कुछ आवश्यकताओंको पूरी करनेके लिये उसे दूसरोंके साथ सहयोग करना होता है । कुछके लिये दूसरोंसे सघर्ष करना पड़ता है । लेकिन सघर्ष और सहयोगमें एक सतुलन कायम रहना जरूरी है अन्यथा यदि सघर्ष हो, तो विशृंखलता तथा विनाश और यदि सघर्ष बिलकुल न हो, तो स्थिरता-निष्क्रियता और विनाश ही फल होगा । इसी सतुलनका नाम सामाजिकता है । जीवनको कायम रखने और उसे विकसित करने एवं बढ़ानेके लिए जिस सामाजिक व्यवहारकी आवश्यकता होती है उसे ही सामाजिकता कहते हैं । उदाहरणके लिए चोरी करने वालेको दंड देनेमें सहयोग करना और निर्दोषी को दंड देने वाले से सघर्ष करना सामाजिकता के उदाहरण हैं । चोरी करने वाले यदि दंड जायेंगे तो जीवन अरक्षित हो जायगा और यदि निर्दोषी को दंड देने वाले बलवान हो जायेंगे, तो भी जीवन सुरक्षित नहीं रह सकेगा ।

यह गति कभी एक स्तर पर ही कायम नहीं रहती—रह सकती ही नहीं । मनुष्य अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिकी प्रक्रियामें ही कुछ नयी आवश्यकताओंकी सृष्टि करके उन्हें भी सतुष्ट करना चाहता है । इसका फल यह होता है कि व्यक्ति और समाजके सबधों और व्यवहार में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं । जो कल मैत्रीपूर्ण सबध था वह आज उपेक्षापूर्ण बन जाता है, जो कल तक मामान्य सबध था वह आज विधिष्ट हो जाता है । शास्त्रीय भाषामें इसीको आर्थिक सबध-परिवर्तन कहते हैं । यह नाम-करण इसलिये सार्थक है कि इस नामसे इन सबधोंका एक प्रमुख आधार प्रकट होता है किन्तु सब कुछ वह ही नहीं है यह भी कह देना जरूरी है । मनुष्य-समाजके आर्थिक विकास का अर्थात् आदिम युगमें जब मनुष्य कन्दराओं में रहता था और परिस्थितिके अनुसार फल अथवा जानवरों का मांस खाकर उदरपूर्ति करता था तब से आज के अणु-युग तकका क्रमिक विवरण देनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । किन्तु यह उल्लेख करना तो आवश्यक है कि जीवनकी मौलिक आवश्यकताओंके उत्पादन तथा उपयोगकी व्यवस्था की प्रक्रियाओं में विधिष्ट सबध स्थापित होते रहते हैं । उन संबधोंका विधिष्ट वर्गीकरण भी होता रहता है । इसी प्रक्रियामें नयी-नयी ऐसी कल्पनाओंका उदय होता है, जिनका जीवित मात्र रहनेसे सीधा सबध नहीं होता किन्तु अच्छी तरह रहने, मुखसे रहने आदिका सबध अवश्य होता है । यही कलाका जन्म होता है । जब मनुष्यने लकड़ी

के टुकड़ों में गड़वा किया था तब तो उसने अपने जीवनकी एक सीधी आवश्यकता पूरी की थी किन्तु जब उसे कुछ फुसंत मिली तो उसने उस कटोरेको चिकना किया, उसे सजाया, उसे रंगा भी। स्पष्ट है कि कटोरेको सजाना उसकी उपयोगिता नहीं बढ़ाता किन्तु आवश्यकता पूर्तिके अतिरिक्त सुख और सौन्दर्यकी भावनाको मूर्त करता है। सुन्दरकी चाह, अतः असुन्दरके तिरस्कारका भाव भौतिक जीवनमें जहाँ कला को जन्म देता है वहाँ नैतिकता और क्रमशः धर्म विचारोके उदयका मानसिक आधार तैयार करता है। वह भी सुन्दरकी उपासना और असुन्दरके तिरस्कारका एक पक्ष है।

व्यक्ति और समष्टिके संबंधो, जीवनकी आवश्यकताओ, उनके उत्पादन एवं उपभोग की व्यवस्था, आदिमें परिवर्तन होते रहनेकी स्वाभाविक अनिवार्यताके साथ ही साथ उनके स्थिरताका भाव भी सर्वदा व्याप्त रहता है, क्योंकि व्यवस्थित करनेकी आवश्यकता भी उतनी ही स्वाभाविक है ताकि समाज का रूप विश्रृंखलित न हो जाय। अतः कुछ बातें गृहणीय तथा कुछ त्याज्य मान ली जाती हैं। इनके अतिरिक्त बीचकी भी कुछ बातें होती हैं, जिन्हें व्यक्तिकी इच्छापर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। सामाजिकता की श्रृंखलाको सुदृढ़ बनाये रखने वाली बातें ही गृहणीय होनी चाहिए। श्रृंखलाका लक्ष्य स्वतंत्रताको बाँधना नहीं, वरन् विश्रृंखलतासे रक्षा करना होता है। ये गृहणीय विचार ही सामाजिकताके मूल्य होते हैं। सामाजिक संगठनको स्थायी रखनेके लिए, उनको विश्रृंखल होनेसे रोकनेके लिए तथा सामाजिक-व्यवहारमें एकरूपता लानेके लिए यह आवश्यक है कि कुछ आधारभूत विचार तथा व्यवहार ऐसे हों, जिनपर कसकर व्यक्तिके विचारो तथा व्यवहारोका मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें उचित तथा अनुचितमें बाँटा जा सके। व्यवहारोका यह वर्गीकरण कुछ ऐसे आदर्शों की स्थापना कर देता है, जो मान्य होते हैं। काल्पनिक आदर्शों तथा सामाजिकताके व्यावहारिक मूल्योंमें यही अंतर है कि एक कभी प्राप्त नहीं होता केवल प्रेरणा देता है, दूसरा प्रेरक होने के साथ-साथ प्राप्त भी होता है। अहिंसा एक आदर्श है। किसीको पीड़ा न देने की प्रेरणा तो देता है किन्तु जीवनमें पूर्ण रूपेण व्यवहार्य नहीं है। जीवनसे हिंसा को बिलकुल अलग नहीं किया जा सकता। दूसरोके सम्पत्ति-अधिकारका सम्मान करना सामाजिकताका मुख्य-आधार है। इस सम्मानका अर्थ यही तो है कि दूसरेकी सम्पत्ति, अनधिकार रूपसे उसकी अनुमतिके बिना हस्तगत न की जाय अथवा उसे क्षति न पहुंचायी जाय इस नियमके उल्लंघन के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक जीवनकी सुचारुताके लिए वे उल्लंघन वांछनीय हैं। कम्युनिस्ट-दर्शनके अनुयायियोकी ओर से इस बात पर आपत्ति की जा सकती है क्योंकि उनके विचारसे सम्पत्तिके व्यक्तिगत स्वामित्वकी भावना मनुष्य की परम भावनाओमें से नहीं वरन् वर्ग-हितपर आश्रित है। कम्युनिस्ट विधि-शास्त्र में सम्पत्तिके व्यक्ति-स्वामित्वका आधार मान्य है, इसलिये सम्पत्तिके सार्वजनिक स्वामित्वकी बात और अन्यके सम्पत्ति-अधिकारका सम्मान कोई परस्पर विरोधी मत नहीं है। उनमें जनक और जन्य का सम्बन्ध है।

इस नियमको यदि ग्राह्य तथा वर्ज्य व्यवहारोकी परिधिसे परे स्वेच्छाकी श्रेणी में रख दिया जाय तो सामान्य-जीव-समूह तथा मनुष्य-समाजका स्तरान्तर सिद्ध करनेवाली

सामाजिक जीवनकी उपलब्धियाँ— कभी प्राप्त न हो सकेंगी । श्रम-संचय ही तो सम्पत्ति है । जब किमीका श्रम-संचय सुरक्षित न होगा तो कोई मचय करेगा ही क्यों ? और यदि श्रम संचित न हो, तो अवकाश प्राप्ति संभव नहीं होगी अतः कोई भी प्रगति विकास संभव न हो सकेगा । दिन पर बलवानके और उस पर उससे अधिक बलवान के आक्रमण और अपहरणका क्रम बना रहेगा । यह नियम गृहणीय होनेके कारण एक सामाजिक आदर्श है । कितनी ही लोकगाथाओंमें और कहीं-कहीं तो ऐतिहासिक विवरणोंके रूपमें भी यह सुनकर हृदय उल्लसित होता है कि मकानो पर लगानेकी कभी तालोकी आवश्यकता नहीं थी, द्वार खुले पड़े रहते थे और यदि कोई किसी स्थानपर कोई वस्तु भूल जाता, तो लौटने पर उसको वह उसी स्थान पर मिल जाती थी । आदर्श होने के साथ-साथ वह व्यावहारिक भी है और इसीलिए इसे आदर्श नहीं सामाजिकता का मूल्य माना गया है । चोरी करना अवैध एवं अनियमित है अतः दण्डनीय भी है । इस विधि का शास्त्रीय आधार और सामाजिकताका यह मूल्य अन्यके सम्पत्ति-अधिकार का अपहरण करना है ।

यह सामाजिक जीवनको विशृंखल होने से बचानेके लिये तथा सामाजिक जीवनमें और अधिक सुव्यवस्था, सुचारुता और सरलता लाने के लिए व्यावहारिक रूप से प्राप्त जो आदर्श स्थापित किये जाते हैं उन्हें ही सामाजिकता के मूल्य कहा जाता है ।

ये व्यावहारिक आदर्श सदा एक-से नहीं रहते । सामाजिक जीवनकी आवश्यकताएँ तथा परिस्थितियाँ बदलती और मनुष्यके विश्वासका दृष्टिकोण भी बदलता रहता है । उदाहरणके लिए जिस समय मनुष्य-सामूहो को जीवित रहनेके केवल चरागाह अथवा आखेट क्षेत्र ही पर्याप्त थे उस समय युद्धमें पराजित और गिरफ्तार शत्रुकी हत्या कर देना सामाजिकताका मूल्य माना गया था । जब खेती के लिए अथवा अन्य श्रम-कार्यके लिए श्रमिकोंकी आवश्यकता उत्पन्न हुई तब युद्धमें पराजित शत्रुको मारना वर्जित माना जाने लगा । उस पराजित शत्रुको गुलाम बनाना अमानवीय नहीं माना जाता था । फिर यह नियम भी बदला और अब तो समानाधिकारकी मान्यता ही सामाजिकताका स्वीकृत परम-मूल्य है ।

सामाजिकताके इन मूल्यों अर्थात् ग्राह्य और वर्ज्य व्यवहारोंमें कुछ स्यायित्व होना आवश्यक है अतः प्रारम्भिक रूपमें इनके पालनमें इनका वाह्य-रूप ही देखा जाता है । व्यक्ति के किसी व्यवहार के पीछे उसकी मन स्थिति अथवा भावना कैसी है अगर इम पर ध्यान दे तो व्यवहारों के अनेक वर्गीकरण करने की आवश्यकता होगी । ये वर्गीकरण नवोदित मूल्योंके विषयमें संभव नहीं होती । उमसे सामाजिक-जीवनमें एकरूपता भी स्थापित नहीं हो सकती । इसीलिए इन सामाजिक मूल्योंके पालन का कुछ उपहार और उनके उल्लघन का कुछ दंड निर्धारित हो जाता है । चूंकि इम उपहार अथवा दंडका देना सभी परिस्थितियोंमें संभव नहीं है इसलिए मानव-मस्तिष्क ने उनकी कल्पित पर-लोक में व्यवस्था कर डाली । धर्म और परलोककी भावना के उदयके अन्य कारणों एवं आचारोंके अतिरिक्त यह आधार भी है । सामाजिकता के मूल्य नैतिक आचरणका नाम ग्रहण कर लेते हैं । सामाजिक जीवनकी स्थिरताके लिये आवश्यक होनेके कारण चोरी न करना जहाँ सामाजिकताका एक मूल्य है धर्म-धर्म में

भी चोरी पाप और अस्तेय धर्माचरण माना जाता है । सहयोगकी भावना सामाजिकता का मूल्य है, वही धार्मिक भाषामें 'वसुधैव-कुटुम्बकम्' का रूप धारण कर लेता है ।

इस विवेचनसे यह स्पष्ट है कि सामाजिकताके मूल्यों, नैतिक-नियमों, धार्मिक-सिद्धांतों अथवा उच्च आदर्शोंका लक्ष्य समाजको शृंखलाबद्ध रखना, जीवनको अधिक सुखी, अधिक सम्पन्न, अधिक सरल तथा सुन्दर बनाना ही है । फिर भी इन सबका रूप एकदूसरेसे कुछ भिन्न होता है । इस रूप-भिन्नताका कारण मानव-ज्ञानकी सीमाएँ हैं ।

समाजके विकसित होते रहनेके साथ-साथ मान्यताओं और आदर्शोंके विकासका पूरा विवरण यहाँ देना न तो संभव है और न आवश्यक । किन्तु यह बात अवश्य ध्यान देने की है कि एक स्तर तक समाजका विकास हो चुकनेके बाद उसके राजनीतिक रूपका भी विकास होता है, और इसे ही राज्यकी संज्ञा दी जाती है । राज्यकी कल्पनाके विकासकी कहानी बड़ी रोचक है । राज्य अर्थात् समाजके उस राजनीतिक-संगठनकी शक्तिके उदयके बाद ग्राह्य और वर्ज्य-व्यवहारोका विभाजन कुछ अधिक स्पष्ट हो जाता है । कुछ व्यवहारोको राजशक्ति दंडित ठहरा देती है और कुछको नहीं । इस प्रकार ग्राह्य और वर्ज्य-व्यवहार कानूनका रूप धारण कर लेते हैं । कुछ ग्राह्य व्यवहार सार्वजनिक कर्तव्य बना दिए जाते हैं ।

कानून द्वारा नियमित इन व्यवहारोंमें एक बात विशेष रूपसे दृष्टिगोचर यह होती है कि कानूनके आदेशोंका रूप नकारात्मक होता है : जैसे चोरी न करो, किसीको क्षति न पहुँचाओ, धोखा न दो, हत्या न करो आदि-आदि । कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य रूपसे जो कर्तव्य-निर्धारण कानून द्वारा अर्थात् राजशक्ति द्वारा होते हैं उनमें "ऐसा करो" का निर्देश प्रायः नहीं होता । मानलीजिए कोई आदमी डूब रहा है और कोई अन्य तैरने वाला व्यक्ति अपनी जान खतरे में डाल कर उसे बचा ले, तो उसके कार्यकी प्रशंसा होगी किन्तु यदि वह पानीमें न कूदनेका ही निश्चय कर ले, तो कोई कानून उसे उसके लिए मजबूर नहीं कर सकता, भले ही उसके उस निश्चयका कारण शत्रु-भाव ही क्यों न हो । अतः कुछ तो व्यवस्था-विषयक सीमाओंके कारण और कुछ व्यक्तिकी स्वतंत्रताकी रक्षा करनेके आदर्शोंके कारण व्यवहारोका नकारात्मक और सकारात्मक विभाजन हो जाता है । 'पापाय पर पीडनम्' का व्यापक नैतिक-आदर्श (धर्म-सिद्धांत) सामाजिकता तथा व्यावहारिकताके स्तर पर आकर अपने पड़ोसीको क्षति न पहुँचाओकी विधिका साकार रूप धारण कर लेता है ।

देखने में यह द्विवर्गीय विभाजन कुछ अटपटा-सा अवश्य लगता है किन्तु जरा गहराई से देखा जाय, तो इसका आधार सामाजिकताकी यह परम-पुनीत मान्यता ही है कि नैतिकताका आश्रय स्वेच्छित् निर्णय है दण्ड-भय नहीं । सुख उपभोग कर सकनेकी क्षमता तथा साधन रहते हुए भी जो उसे पर-सेवाके उपयोगमें लाता है वह त्यागी कहलाता है । क्लीव ब्रह्मचारी नहीं होता । राजशक्तिके वल पर यदि डूबने वालेकी रक्षाके लिये पानीमें कूदना अनिवार्य हो, तो उसे परोपकारकी संज्ञा नहीं दी जा सकती । फिर भी नैतिक और विधि-निर्देशित आचरण ऐसे नहीं हैं, जो एक दूसरेसे विलकुल

अछूते हो। दोनोका मूल एक ही है—सामाजिक जीवनकी सुचारुता, और दोनोका भविष्य भी एक ही है—व्यक्तिका व्यवहार। अन्तर यह है कि कानून जहाँ समष्टिमें व्यष्टिके व्यवहारसे सवधित है, वहाँ नैतिकताका आग्रह केवल व्यक्तिको लेकर ही है। लेकिन आचरण की नैतिकताकी तुला तो लोक-कल्याण ही है। यही कारण है कि मनुष्य-समाजके ज्ञान और उसकी वृद्धिके साथ-साथ विधिका क्षेत्र बढ़ता जाता है। उसमें नैतिकताके नियमोका क्रमशः अधिकाधिक समावेश होता जाता है। व्यावहारिकताका ध्यान रखनेके कारण नियमोके रूपमें थोडा बहुत अन्तर अवश्य आ जाता है। जैसे “सत्य वद” के नैतिक नियमका विधि रूप केवल यही रह गया कि ‘किमी को क्षति पहुँचानेकी दृष्टिसे असद् भाषण करना दण्डनीय है।’ ‘एक पत्नी-अन्न’ की बात विधिके क्षेत्रमें आकर “एक समय में एक पत्नीका” नियम बन जाती है। इस प्रकार सामाजिकताके मूल्यमें सर्वथा नयी मान्यताओका समावेश होता रहता है और वह भी बहुत क्रमिक रूपमें, जिन्हें हम सामान्य रूपसे, सामाजिकताके नये मूल्य कहते हैं, वस्तुतः वह आचरण विषयक अन्य क्षेत्रोके नियमोको उधार लेना है।

भारतीय-संविधानकी प्रस्तावनामें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वके साथ-साथ सामाजिक न्यायकी स्थापना करना संविधानका उद्देश्य घोषित किया गया है, यह एक नयी मान्यता है।

फ्रांसीसी क्रांतिके स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वके तीन आदर्शोंने सामाजिक मान्यताओका रूप धारण कर जहाँ एक ओर सामन्तशाही समाप्त कर राजनीतिक समानता स्थापितकी, वही व्यक्तिकी स्वतंत्रताकी मान्यताने आर्थिक क्षेत्रमें एक नयी अस्मानताकी भी जन्म दे दिया। उस अस्मानता को ही दूर करनेके लिए एक ओर आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिकी स्वतंत्रतापर पूर्ण नियंत्रणकी मान्यताका उदय हुआ और दूसरी ओर सामाजिक न्यायको ही सामाजिकताका मूल्य माना गया। आज विश्वमें मूल रूपसे इन्ही दोनो मान्यताओपर सगठित दो समाज कायम हैं। इस मौलिक अन्तरके कारण ही दोनोके सामाजिकताके मूल्योमें भी व्यापक अन्तर-व्याप्त है। प्रथममें आर्थिक नियंत्रणके कारण व्यक्ति-स्वातंत्र्य जरूर समाप्त हो गया, किन्तु व्यक्ति, सम्पन्नता और कार्य-क्षमताके नये स्तर कायम हुए। दूसरी ओर राजशक्ति उतनी बलगाली नहीं किन्तु व्यक्ति-स्वातंत्र्य (कही कुछ अधिक व्यापक और कही कुछ कम व्यापक क्षेत्रोमें) कायम है।

दोनोमें ही व्यक्तिकी पूर्ण स्वतंत्रता राजशक्ति द्वारा जनहितके लिए नियंत्रित है। किन्तु एक अंतर है। एक स्वतंत्रताको ही सारे दोपोका कारण मानकर चलता है और दूसरा स्वतंत्रताके उसी अंग पर नियंत्रण करता है जहाँ समाजके हितके लिए उसका दुरुपयोग होता है अथवा होने की संभावना है। अभी तक उसका कोई तुला स्पष्ट नहीं है।

यहाँ हम इस राजनीतिक बहसमें पडना नहीं चाहते कि हमारे संविधानकी प्रस्तावना में “हम भारतीय जन—” की घोषणा न्याययुक्त नहीं है क्योंकि यह संविधान बहुत भीमित क्षेत्रके प्रतिनिधियो द्वारा ही तैयार किया गया है। यह एतराज स्वीकार करते हुए भी यह उल्लेखनीय है कि “हम भारतीय जन —” कहकर संविधान निर्माताओने,

कमसे कम सैद्धांतिक रूपमें तो यह स्वीकार किया ही है कि राजशक्ति ईश्वर प्रदत्त नहीं है और न ही बलपर आधारित है वरन् वह सार्वजनिक रूपसे जनसाधारण में व्याप्त है। यदि जनसाधारण ही राज्यशक्तिका स्रोत है, तो किसी एक व्यक्ति या एक दल या एक गुट को उस पर चिर काल तक अधिकार कायम रखने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्वतः स्पष्ट है कि निश्चित अवधियोंके बाद पुनः-पुनः जनमत लेते रहने की और सभीको अपनेमें जन-विश्वास सिद्ध करनेकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए बार-बार नियत अवधिके बाद चुनावकी व्यवस्था की जाती है चुनाव वास्तविक होना चाहिए प्रदर्शन मात्र नहीं।

संविधानकी प्रस्तावनाके अन्य अंशको हम यही इसलिए छोड़ देते हैं कि उसके अन्य भागोंमें सामाजिकताके किन्ही नये मूल्योंका समावेश नहीं, वरन् पुरानी मान्यताओंकी ही पुनरावृत्ति है। सामाजिकताके कुछ मूल्योंका विवरण संविधानके तीसरे तथा चौथे भागमें दिया गया है। घोषणाएँ सर्वथा नयी हो ऐसी बात नहीं है। तीसरे भागमें जो "मौलिक अधिकार" घोषित किये गए हैं उनका इतिहास हमें १२ वी सदी से मिलता है। पोपकी घोषणा (बुल) में इनमें से कई का उल्लेख किया गया था। कुछ अन्य देशोंके संविधानोंमें भी ये घोषणायें हैं। जो हो नागरिकके मौलिक अधिकारोंकी घोषणा पुरानी परिपाटी होते हुए भी उसका महत्व कम नहीं किया जा सकता। राज्य सर्वशक्तिमान सर्वाधिकार सम्पन्न नहीं है बल्कि उस पर भी कुछ बंधन और कुछ सीमाएँ हैं।

सकारात्मक कर्तव्योंकी घोषणा इस युगकी एक नयी मान्यता है। भावी-निर्माण का एक रूप सामने उपस्थित है जिसकी तुला पर राज्यके कार्योंको आँका जा सकता है। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्वके नारों पर की गयी फ्रांसीसी क्रांतिके बाद "लैसे-फेयर" अर्थ व्यवस्थाने एक नयी असमानता, एक नयी गुलामी और एक नया शत्रु-भाव स्थापित कर दिया था क्योंकि उस क्रांतिके उद्देश्यमें सकारात्मक निर्देश नहीं थे। इसीलिए उस क्रांतिके बाद राजनीतिक और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आर्थिक समानता के मूल्योंकी स्थापनाके बाद भी समानता पूरी नहीं होती। इसकी पूर्तिके लिए सामाजिक समानता भी आवश्यक है। सामाजिक समानता इस युग का एक नया मूल्य है। शिक्षा एवं ज्ञानके प्रसार तथा परस्पर साहचर्यसे तो वह संभव होगा ही किन्तु उसमें गति देने के लिए उसके साधन यही तो हैं कि अज्ञान अथवा अंधविश्वासों पर आधारित रुढिगत सामाजिक असमानताओं पर आचरण करना दण्डनीय बना दिया जाय, दूसरी ओर रुढिने जिन्हें अधिकारहीन कर रखा है उन्हें विधि द्वारा समानाधिकार संपन्न बना कर व्यक्तिगत विधि-व्यवस्थाके स्यान पर सभीके लिए समान विधिकी व्यवस्था करदी जाय।

स्वतंत्रता-प्राप्तिके बादसे विधि निर्माणकी जैसी गति रही है, उसे पूर्ण संतोपजनक न मानते हुए भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि इस ओर सर्वथा असावधानी उपेक्षा या उदासीनता नहीं रही। फेडररी कानूननोका नये-नये क्षेत्रोंमें विस्तार, व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति पर समाज-हितके उद्देश्यसे (वह पूरा कहाँ तक होता है यह प्रश्न भिन्न है) राज्यका नियंत्रण, स्त्रियों, पिछड़ी जातियों आदिको कुछ विशिष्ट अधिकारोंमें सम्पन्न

कर उन्हें समान स्तर पर लानेके प्रयास, बीमा-योजना आदिके विधि-निर्माण इसी ओर सकेत करते हैं ।

सामाजिक समानताकी इस नयी मान्यताने विभिन्न राष्ट्रोंकी सार्वभौमिकता के सिद्धांत को शुद्ध राजनीतिके क्षेत्रसे बाहर निकाल कर उसे एक सामाजिक अर्थ प्रदान कर दिया है । शुद्ध राजनीतिक आधारपर राष्ट्रोंकी सर्व-सत्ता, समानताकी मान्यता का कुफल इतिहास प्रकट कर चुका है । उस मान्यतापर बलहीन, छोटे और पिछड़े हुए तथा गुलाम राष्ट्रोंकी स्वतंत्रताकी माँग को कौन सामने रखे यह समस्या हल नहीं हो सकती । उसका अबसर तो तभी उपस्थित होता है जब सभी राष्ट्र समानताके स्तरपर एक ही मंचपर एकत्र हो । और यह तभी संभव है, जब सभी राष्ट्र अपनी सार्वभौमिकताकी पूर्णताका पुरानी मान्यताओपर आधारित आग्रह कुछ त्यागें । विगत दो महायुद्धों ने मानव जातिको यही शिक्षा दी है कि सभी अपनी सार्वभौमिकता का कुछ अंश “सामाजिक सहयोग” को “अर्पित” कर दें । इसी अनुभूति ने ‘लीग आफ नेशन्स’को जन्म दिया था और इसीकी द्विगुणित अनुभूति ने सस्व्याकी कुछ कमजोरियों को दूर करके वर्तमान “संयुक्त राष्ट्र सघ”को जन्म दिया ।

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह वर्तमान सघ भी अभी सही अर्थों में “संयुक्त-राष्ट्र-सघ” नहीं बना है क्योंकि सामाजिक समताका आदर्श सार्वभौम रूप में स्वीकार नहीं किया गया । एक ओर एक विशाल भूखंडके अपार जनसमुदायका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, दूसरी ओर दो विशाल शक्तियाँ—एक आर्थिक स्वतंत्रताके नाम पर और दूसरी सांस्कृतिक समताके नाम पर आश्रित राष्ट्रों पर बलात् प्रभुत्व जमाए हुए हैं अथवा उसके लिए प्रयत्नशील हैं । इस चीना-झपटीने ही विश्वमें द्वितीय महायुद्धके बाद इतनी शीघ्र सतुलन बिगाड़ दिया है और सारा वातावरण शीत-युद्धसे भयभीत है । ऐसा लगता है कि मानव जातिको सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्यायके नये मूल्यका वास्तविक अर्थ समझनेके लिए एक और युद्ध की अग्नि-परीक्षा देनी होगी—इस महा-प्रलयके काले बादलोके पीछे एक धूमिल प्रकाश रेखा स्पष्ट दीख रही है । पंचशीलकी स्वीकृति विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित मानव जातिको कदाचित् इस अनिष्टसे विरत रख सके और मानव-इतिहास में प्रथम बार सामाजिक समता, सहयोग शांति और सम्पन्नता की स्थापना सार्वभौम रूपसे हो सके ।

— ० —

संस्कृतिके तत्व

मानव समाजमें व्यष्टि और समष्टि रूपोंसे जो व्यवहार आचार-विचार आदि किये जाते हैं, उसीको संस्कृतिके नामसे अभिहित किया जाता है। हम अपने साथ एकान्तमें किस प्रकारके व्यवहार करते हैं, कैसे विचार रखते हैं, यह भी संस्कृतिका एक अंग है और समाजमें अपने मित्रों, पड़ोसियों आदिसे जो व्यवहार करते हैं, वह भी संस्कृतिका एक अंग है। इसमें सन्देह नहीं कि सामाजिक रूपसे हमारा आचरण-व्यवहार संस्कृतिका अधिक प्रख्यात अंग है और वैयक्तिक रूपसे किया गया व्यवहार उतना प्रख्यात अंग नहीं है। परन्तु यदि इनमें से किसी एकको भी हम हटा दें और तब किसी समाज विशेषकी संस्कृतिकी विवेचना करने बैठें, तो वह एकांगी होगी, अपर्याप्त होगी।

हम किस प्रकार एकान्तमें बैठकर पूजा अर्चन करते हैं, किस प्रकार भोजन पान करते हैं, कैसे सोते उठते हैं, कैसे अध्ययन अनुशीलन करते हैं, कैसे सोचते-विचारते हैं आदि सभी बातें, वैयक्तिक होते हुए भी, व्यापक रूपसे संस्कृतिका अंग ही हैं। इनकी उपेक्षा करके किसी समाजकी संस्कृतिपर क्या विचार किया जा सकता है? और उस प्रकार का विचार कैसे पर्याप्त माना जा सकता है? सम्यक विवेचनाके लिए इस अंगपर दृष्टि-पात करना आवश्यक और अनिवार्य ही है।

सामाजिक या समष्टि रूपसे संस्कृतिकी जो विवेचना की जाती है, उसमें भी हम संकीर्णतासे काम लेते हैं। इस दिशामें भी हमारा दृष्टिकोण अधिकांशमें सीमित रहता है। हम यह विचार तो करते हैं कि समाज विशेषमें अपने कुटुम्बियोंके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, अपने मित्रोंके साथ किस प्रकार मिला जुला जाता है, अपने पड़ोसियोंके प्रति कितनी सहानुभूति दिखाई जाती है और बहुत आगे जाते हैं, तो यह विचार भी कर लेते हैं कि उस समाजमें अपने नौकरोंके साथ किस प्रकारका व्यवहार वर्ताव किया जाता है। इसके आगे जाते हुए हम प्रायः नहीं मिलते।

परन्तु संस्कृतिकी विवेचना इतने हीसे पर्याप्त या सम्पूर्ण नहीं हो जाती। हमें यह भी देखाना पड़ेगा कि हम अपने अतिथियोंके साथ कैसा वर्ताव करते हैं, उन लोगोंके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है जो हमारे लिए अपरिचित हैं। इतना ही नहीं यदि किसी समाजकी संस्कृतिका सम्यक् अध्ययन करना है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वह समाज अपने शत्रुओं तकसे और कहा जाय तो पशुओं तकसे कैसा व्यवहार करता है।

जब इन सब बातोंको सामने रखकर विवेचना की जायगी तभी किसी सस्कृतिकी विवेचना ठीक-ठीक हो पायेगी और तभी हम उस सस्कृतिके साथ उचित न्याय कर सकेंगे ।

समाजमें बड़े छोटोंके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, छोटे बड़ोंके साथ किस प्रकारका व्यवहार करते हैं, समान वयवाले आपसमें कैसा व्यवहार करते हैं, स्त्रियोंके प्रति समाजका क्या व्यवहार है, वर्ग भेद या वर्णभेद आदि की क्या अवस्था है, समाजकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं, क्या रुचियाँ हैं, क्या व्यसन है, क्या रुद्धियाँ हैं, क्या परम्पराएँ हैं, क्या अंधविश्वास है इत्यादि अनेक बातोंका विचार सस्कृतिका रूप निरूपण करते समय करना पड़ेगा । संस्कृतिके इन आधारभूत तत्वोंकी उपेक्षा करके उसका उचित विवेचन सम्भव नहीं ।

इन व्यवहारों, आचरणों, मान्यताओं और धारणाओंमें अनेक बातें अच्छी हो सकती हैं और अनेक बुरी । इन्हींके आधारपर किसी समाज-विशेषकी श्रेष्ठता और कनिष्ठता का परिचय मिलता है । जो बातें अच्छी हैं, वाछनीय हैं उनके सम्बन्धमें तो अधिक कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । परन्तु जो बातें अवाछनीय हैं उनपर सहानुभूति और उदारतापूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता होती है । किसी अवाछनीय बात को देखते ही, उसपर सम्यक् विचार किये बिना, उसकी मस्कृति को निष्कृष्ट कह देना बुद्धिहीनता ही मानी जायगी । हमें यह देखना पड़ेगा कि जो अवाछनीय तत्व समाजकी सस्कृतिमें आ गए वे कैसे आए ? उनके लिए अनुकूलता कैसे मिली ? जिन स्थितियों में वे अपनाये गये थे या घुस आये थे वे स्थितियाँ बचायी जा सकती थी या नहीं ? उनके बचानेका कोई प्रयत्न किया गया या नहीं आदि । सस्कृतिविशेष उसी समय हीनताकी दोषी मानी जा सकती है जब उसने स्वेच्छासे बिना किसी स्थिति विशेषके दबाव के उस विशेष प्रथाको स्वीकार किया हो ।

और यदि ऐसा भी हो तो भी यह मानकर विचार करना पड़ेगा कि सभव है उस समय जब वह प्रथा-विशेष अपनायी गयी थी वह अच्छी मानी जाती हो । यह बात ध्यान देने योग्य है कि सस्कृतिके मूल्यांकन भी युग के प्रभावसे बदलते रहते हैं । आज जो विचारधारा समाजमें प्रचलित है वही भविष्यमें भी बनी रहेगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती और यदि आगे इसकी विचारधारा बदलती है, तो आजके आचार व्यवहार उस बदली हुई विचारधाराके युगके अनुकूल न होंगे । इसलिये उस समयके विचारक आजकी किसी सस्कृतिकी निंदास्तुति कर सकते हैं । इसी आधारपर समाज-विशेषकी भी निंदास्तुति हो जाती है ।

इसमें सदेह नहीं प्रत्येक विचारक अपने युगके धर्मसे प्रभावित होकर ही विचार करता है और उस समय प्रचलित मान्यताओं और विश्वासोंके आधारपर ही वह किसी सस्कृति की आलोचना करता है । यही स्वाभाविक भी है और उचित भी । परन्तु समालोचक के लिए समाजके प्रति उचित न्याय करनेके लिए यह भी आवश्यक है कि यह विवेचन भी किया जाय कि सस्कृतिका आलोच्य अग किन स्थितियोंमें अंगीकार किया गया और उनमें उसका औचित्य था या नहीं ?

नारीके प्रति न केवल हिन्दू समाजमें बरन् सारे ससारमें एक जमानेसे हीन धारणा प्रचलित चली आ रही है । आज भी इस धारणाका पूर्णतया उन्मूलन नहीं हुआ । परन्तु आजका विचारक इस विषयमें जागृक हो गया है । एक इतने बड़े सम्प्रदाय

के प्रति जो आन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध उसने अपनी आवाज उठाई है। दशा सुवरने लगी है। निकट भविष्य में ही उसके और भी अधिक सुधारकी आशा है। ये सब शुभचिन्ह हैं। इनका स्वागत होना चाहिए। परन्तु इसीके आधारपर सारे संसारकी सभ्यता और सस्कृतिको निन्दनीय वता देना उचित नहीं है। संस्कृतिकी आलोचनामें भी एक संस्कृति होनी चाहिए। हम कटु-शब्दोका प्रयोग करके किसीकी आलोचना न करें। इसकी अपेक्षा सहानुभूतिके साथ मधुर शब्दोंमें त्रुटियोंकी ओर सकेत करें यह अधिक सांस्कृतिक है और यही उचित है।

आजके मनुष्यमें मानवता अधिक विकसित रूपमें आयी है। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, वर्गभेद, वर्णभेद आदि देखकर यह सोचना गलत होगा कि मानवताके अधिकहोने की बात असत्य है। देखना यह नहीं है कि पूंजीवाद या साम्राज्यवाद आदि अभी मिटे नहीं हैं बल्कि देखना यह है कि उनके प्रति जन-साधारणके मनोमें कितना विद्रोह उत्पन्न हो गया है। और धीरे-धीरे किस प्रकार ये परम्पराएँ मिटती जा रही हैं। आज मानवता-विरोधी परम्परा की जड़ें हिल चुकी हैं। यही मानवताके विकासके चिन्ह है।

आजका मानव अत्याचार, उत्पीडन, शोषण आदिका प्रत्यक्ष विरोधी हो गया है। जो प्रथाएँ आजसे कुछ समय पूर्व निन्दनीय न मानी जाती थी, वे आज निन्दनीय ही नहीं घृणास्पद मानी जाने लगी हैं। आज गुलाम बनानेकी प्रथा असह्य है। इसी प्रकार जो जातियाँ वर्णभेद या वर्गभेदके कारण उच्च वर्णोंके सामने हीन, अस्पृश्य मानी जाती थी उन्हें गले लगानेका अपनी बराबरी देनेका भाव आज जितना जाग्रत है, उतना पहिले न था। मनुष्यमात्र समान है, उनमें कोई ऊँच-नीच नहीं, यह मान्यता आज जितनी प्रखर है उतनी पहिले नहीं थी। आज मनुष्य की दृष्टि में मनुष्यका मूल्य पहिलेकी अपेक्षा बढ़ा है। इसी लिए आज मानवता अधिक विकसित मानी जाती है।

पूर्वकालकी अपेक्षा आज का संसार एक-दूसरेसे अधिक निकट आ गया है। भिन्न-भिन्न संस्कृतियोंके सम्पर्क बराबर बढ़ रहे हैं। एक संस्कृतिका दूसरीपर प्रभाव भी पड़ रहा है। इस प्रकारका प्रभाव नैसर्गिक है। उसे वचाया भी नहीं जा सकता। वह तो जाने या अनजाने, इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक घुस ही आता है। आजका युग संस्कृतिकी बहुत बड़ी सन्नान्तिका युग है। सारे संसारकी संस्कृतियाँ एक-दूसरेसे टकरा रही हैं। विचारधाराओंमें बड़ी तेजीसे परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाकाल नाटकीय रंगमंचको पटपरिवर्तनके लिए घुमा रहा है। और उसीसे यह हलचल मच गयी है।

इस दशामें हम अपने-अपने राष्ट्रोंकी (जातियोंकी तो बात ही छोड़ दीजिए) पृथक्-पृथक् संस्कृतिकी बात छोड़कर विश्वव्यापी संस्कृतिकी भी कल्पना कर सकते हैं। यातायात, संवादवहन, आदिके उन्नत साधनों और नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारोंने विश्वको एक व्यापक समाज बना दिया है। इस स्थितिमें एक सार्वभौम विश्वव्यापी संस्कृति की उद्भावना हो जाय तो आश्चर्य नहीं। यदि ऐसा होता है, तो हमारी विश्वबन्धुत्व की भावना साकार बन जायगी। इस दशामें सांस्कृतिक तत्वोंकी विपमता अपनेआप समाप्त हो जायगी और सारा विश्व संस्कृतिके एक सूत्रमें पिरोया हुआ सुन्दर सुखद जयमाल बन जायगा।

उदारचेता दूरदर्शी मनीषी इस प्रकारकी सम्यक्ताकी आशा भी करने लगे हैं । सारे संसारको एक व्यापक समाजके रूपमें सोचनेकी परिपाटी बढ रही है । सारे संसार की राजनीतिक एकताकी बातें तो होने भी लगी हैं । एक ससार (one World) विद्वद् राष्ट्र सघ (World Commonwealth) की बात तो आये दिन समाचारपत्रोंमें आती ही है । सारे ससार की शासनका समीकरण करनेकी भी चर्चा है । ये सब ऐसे लक्षण हैं, जो एक विश्वसंस्कृतिकी कल्पना करनेकी प्रेरणा देते हैं । ये शुभचिन्ह हैं । हमें इसका स्वागत ही करना चाहिए । जब हम चंद्रलोक मंगललोक तकके साथ सम्पर्क स्थापित करनेकी बात सोचने लगे हैं, तब अपने इस ससारका एकीकरण भी न करें यह तो अनुदारता और बौद्धिक दरिद्रताका ही द्योतक होगा । यह अनुदारता या दरिद्रता अब सम्भव नहीं है । बुद्धिका विकास इसे होने न देगा और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो सारा ससार एक विशाल राष्ट्र होगा, सम्पूर्ण मानव समाज एक परिवार होगा और सारी संस्कृतियाँ मिलकर एक सामान्य सर्वमान्य सार्वभौम सांस्कृतिको जन्म देंगी । सारा ससार आज इसी अवस्थाको प्राप्त करनेके लिए आगे बढ रहा है । जो विचारधाराएँ इसके प्रतिकूल हैं, वे अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती । युग अपना प्रभाव डाले बिना रह नहीं सकता ।



समाज-सुधार और समाज सुधारक

समाज-सुधारका काम कबसे शुरू हुआ यह बताना कठिन है। हाँ यह बताना आसान है कि उसका कब अन्त होगा। इसका यह जवाब है। “कभी खतम नहीं होगा”। समाज सुधारके कामका खतम हो जाना और समाजका खतम हो जाना एक ही बात है।

यह काम खतम क्यों नहीं होगा ? इसका जवाब है, कि समाजका विगड़ना कभी बंद नहीं होगा। मकान नष्ट होनेपर ही मकानका साफ होना बंद हो सकता है। मकानके रहते वह बंद नहीं हो सकता। कूड़ा तो हमेशा साफ करना ही पड़ता है, विगड़े-समाजको हमेशा बनाना पड़ता है।

समाजके विगड़नेका क्या कोई और नाम है ? हाँ है, वह है, समाज का रूढ़ियो पर चलना। समाजके विगड़नेको रूढ़िवाद भी कहा जा सकता है।

रूढ़ि कहते हैं पुराने रिवाजको। रिवाज पुराने होने पर रूढ़ि नाम पाते हैं। समाज-सुधारक इसके सिवाय और करता ही क्या है कि पुराने रिवाजों की जगह नये रिवाजों को दिलवा दे। नये रिवाज फिर पुराने हो जाते हैं और रूढ़ि बन जाते हैं। सुधारकी फिर जरूरत हो जाती है। यो सुधारका काम भी कभी खतम नहीं हो पाता।

रिवाज, अनेक हैं, अनगिनत हैं। हर समय एक-दो दस-बीस रिवाज रूढ़िके रूप में रहते ही हैं। इसलिये हरदम, हर घड़ी, हर क्षण सुधारकी जरूरत है। सबके सब आदमी अगर सुधारक बन जायें तब भी यह काम कभी न निपट सकेगा। अब आपने समझ लिया होगा कि समाज-सुधारका मैदान कितना लंबा चौड़ा, कितने फैलाव और समाई वाला है।

सुनकर आप दाँतों तले उँगली दबाकर रह जायेंगे कि समाजका कोई सुधार, समाजका कुछ न कुछ विगाड़ किये बिना हो नहीं सकता। समाज-सुधारक ऐसी बात सुनकर भीचक्का रह सकता है, पर सचाई यही है।

पहले यह बताना कि लड़केलड़कियोंको मजबूत बनाना समाज-सुधार है या नहीं ? यदि हाँ, तब यह बताना कि क्या सुधार हुए समाजके लड़की-लड़के उत्तने ही बलवान होते हैं, जितने उस समाजके जिनको सुधरे समाज विगड़ा-समाज या जगली, आदिम और पिछड़ा समझते हैं ? क्या आज भी अंग्रेज और अमरीकी उस हिन्दुस्तान को पिछड़ा

दुआ देश नहीं समझते, जिसने अभी कुछ दिन हुए सुधरे-अंग्रेजी समाज को अपने देश से बाहर निकाल दिया था ?

आप कहेंगे, इतिहासकारोंका कहना है, कि हमेंगा विगाडा हुआ समाज यानी जगली-समाज लड़ाई के मैदान में सुधरे समाज को हराया करता है। इसको साबित करने के लिए इतिहासके जानकार दलील दिया करते हैं कि हिन्दुस्तानके आदिमवासी द्रविड ज्यादा सम्य थे तभी असम्य आयोंसे हार गये। इसलिये अभी कुछ दिन पहले जो अंग्रेज हिन्दुस्तानियोंसे हारे वह इसलिये हारे कि हिन्दुस्तानी जगली थे और अंग्रेज सम्य राज भी अंग्रेज सम्य है और हम जगली।

क्या इस दलीलको सच मानकर मैं यह कहूँ कि अंग्रेजी और अमरीकी जगली हैं, जिन्होंने जर्मनी और जापानको हरा दिया ? अगर मेरी यह बात इतिहासके आधार पर है, तो क्या अंग्रेज और अमरीकी इसको सच मान लेंगे ? क्या दोनों अपने को जापान और जर्मनीसे ज्यादा असम्य समझेंगे ? अगर नहीं, तो यह बात माननी होगी कि हर सुधारक विगाडको जन्म देकर अपनी जगह बनाता है।

मान लीजिये आप समाजको बलवान बनाते हैं, क्योंकि बलवान बनाना एक सुधार है तो आप जरूर समाजको उतने ही अगोमें मूर्ख भी बना देंगे। मूर्ख बनाये बिना आप समाजको बलवान नहीं बना सकते। कमजोर बनाये बिना आप समाजको बुद्धिमान नहीं बना सकते। पर हम कभी समाजको बलवान देखना चाहते हैं और कभी बुद्धिमान। इसलिए विगाड-सुधार का सिलसिला बराबर चलता रहता है।

घरोंमें आये दिन औरतें अपनी सोनेकी आरसी टुडवाकर कगन बनवा लेती हैं। पता नहीं कगन-रूपी सुधार आरसी के रूपको विगाड कर ही क्यों बनाया गया ? दलील की खातिर हम यह भी मान लें कि वह नया पाँसा टुडवा कर ही बनवाया गया पुरानी आरसी से नहीं। पर पाँसा क्या खुद सोनेका सुधरा हुआ रूप नहीं था ? कगन चोरके हाथ पड़ कर जब सराफकी दूकानपर पहुँचेगा, तो उस कगनको मुधरे रूप पाँसेकी शकलमें आना होगा। तभी तो वह सराफकी आलमारीमें जगह पानेके योग्य हो सकेगा। सभव है इस नये स्कारमें उमे कुछ टोटा भी भुगतना पड़े।

समाज-सुधारक बुरा न मानें। वे यह खूब समझ लें कि वह समाजका विगाड किये बिना कोई सुधार नहीं कर सकते। समाज-सुधारक अगर सोलहो आना सुधारक है तो सोलहो आना विगाडक भी है, जितना कम सुधारक होता है उतना ही कम वह विगाडक भी। उजाले और अंधेरे पाखमें चाँदनीके घटे एक बराबर होते हैं पर न जाने क्यों हम एक पाखको अच्छा और दूसरेको बुरा कहते हैं ? सभव है कुछ ऐसे लोग भी हों, जो अंधेरे पाखको अच्छा और उजाले पाखको बुरा समझते हों। जो अंधेरे पाखको अच्छा समझते हैं वे कौन हैं उनसे आप खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं।

एक बार एक अंगरेज और फ्रासीसीमें वाद-विवाद हो गया। अंग्रेज बोला—“हमारा राज बड़ा।” फ्रासीसी बोला—“हमारा राज बड़ा।” अंग्रेज बोला—“तुम्हारा राज कैसे बड़ा ?” फ्रासीसी बोला “हमारा राज बहुत अच्छा है। तुम बताओ तुम्हारा राज कैसे बड़ा ?” अंग्रेजने कहा—“हमारा राज नारी दुनिया

में फैला हुआ है। हमारे राजमें सूरज कभी नहीं डूबता।” फ्रांसीसी बोला—
 “यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। खुदा तुम्हारे राजमें सूरज इसलिये नहीं डूबने देता
 कि तुम चोर हो। अंधेरा हो जायगा तो चोरी करोगे।” अग्रेज विगाड़ कर बोला—
 “तब मैं यह कहूँगा कि हमारे राजमें हमेशा अंधेरा रहता है और कभी चोरी नहीं होती।”
 फ्रांसीसी बोला—“तब मैं यह कहूँगा कि खुदाने तुमको किसी पहली चोरी की सजा दी है।
 तभी तो तुमको हमेशा अंधेरे में रखता है।” हम इस कहानीसे पाठकोके दिलमें यह बात
 बैठाना चाहते हैं कि समाज-सुधारक जाने-अनजाने समाजका विगाड़ कर जाता है।
 अगर उसे यह मालूम हो जाय कि वह विगाड़ कर रहा है तो शायद वह समाज-सुधार
 की बात सोचे भी नहीं।

समाज-सुधार या समाज-सुधारकका आदर्श क्या होना चाहिये ? इसके जवाबसे
 पहले हमें यह समझ लेना चाहिये कि आदर्श कहते किसे है ?

हम तो आदर्शकी यह परिभाषा मानते हैं—“किसी कामका आदर्श उस कामकी
 वह काल्पनिक अवस्था है, जहाँ तक कभी नहीं पहुँचा जा सकता।”

आप पूछेंगे कि वह आदर्श ही क्या जिस तक न पहुँचा जा सके ? हम उसके जवाब
 में कहेंगे कि वह आदर्श ही क्या जिस तक हम पहुँच जायें ? क्योंकि आदर्श तक पहुँचने
 पर हमारे पास करनेको कुछ रह ही न जायगा और वह हालत ऐसी हालत होगी, कि हम
 चेतनसे जड़ बन जायेंगे हमारे ऋषियोंने मुक्तको आदर्श माना है। क्या दुनियामें
 कोई मुक्त जीव मिलता है ? मुक्त-जीव तो सुनने-पढ़नेकी चीज है, देखने छूनेकी नहीं।
 वास्तवमें मुक्ति या तो कभी मिलती ही नहीं या फिर वह हर क्षण मिलती रहती है और
 वह मुक्ति जिसको ऋषियोंने आदर्श माना है अगर किसी को मिल भी जाय, तो दुनिया
 की अपेक्षा वह कोरा ठूँठ बन कर रह जाय, ठूँठ। पर मुक्तिके किसी आदर्शने
 मैकड़ोंको भला आदमी बना दिया, हजारोंको बड़े काम का सावित कर दिया, लाखों
 करोड़ोंका भला कर रहा है; पर आदर्श ऐसा है, कि जिस तक कभी नहीं पहुँचा
 जा सकता।

चाँदको निशाना बनाकर तीर फेंकने से ही तीर पूरे जोर से फेंका जा सकता है,
 चाँद तक तो तीर कभी पहुँच ही नहीं पाएगा।

सुधार का आदर्श क्या हो ? यह बात कभी किसीने नहीं सोची। हमें नहीं पता
 पर हम तो अपने लेखको आगे हरगिज न बढ़ने देंगे जब तक सुधारका आदर्श तय न कर लें।
 विना आदर्श हम बटें भी किस ओर ? और फिर ऐसी दुनियामें जहाँ हर सुधार
 एक विगाड़को जन्म दे देता है। क्या इसी विचारसे बृद्ध-भगवानने मध्यम-मार्ग पसंद
 किया था ? क्या अब आठ आना सुधार और आठ आना विगाड़ के लिये छोड़ दें ताकि
 विगाड़-सुधार का समतोल बना रहे ? यानी अगर समाजमें दस-लाख पहलवान हो,
 तो दस लाख ही बुद्धिमान तैयार किए जायें, दस लाख साधु-पुरुष हो, तो दस-लाख ही
 चोर डाकू तैयार किये जायें ? पर यह सब हमारे ही तैयार किये हुए हो, अपने आप
 उठ खड़े हुए नहो। हम खेती हिसाबसे करते हैं पर प्रकृति खेती वे हिसाब करती है।
 हम ऐसा कह सकते हैं—प्रकृति देवी ऐना नहीं कर सकती। प्रकृति देवीका हिसाब
 वही जाने, वह जरूर सब कुछ किसी न किसी हिसाबसे ही करती होगी। उसके हिसाब

का हमें पता नहीं । इसमें हमें लेना-देना भी क्या ? हमें तो समाजको अपनी आंखों ही देखना, उसी हिसाबसे विगाड़-मुधार और आदर्श तय करना होगा ।

समाज-मुधारके आदर्श निम्न लिखित हो सकते हैं :

- १ सुधरे हुए समाजमें कोई अविवेकी न हो ।
- २ सुधरा हुआ समाज ग्रासन-विहीन हो यानी उस पर कोई सरकार न हो ।
- ३ अराजकता ही राजकता का रूप लेने
- ४ विवाह जैसी प्रथाका अंत हो जाय, फिर भी यौन-उच्छृंखलता न हो ।
- ५ अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, धरमशाला नामके लिये भी न हो ।
- ६ सोलह बरसकी उमरके बाद चोटके सिवा किसी बीमारीपर ध्यान नहीं दिया जाय ।
- ७ नौ बरसकी उमरके बाद वच्चे दवा लेना पसंद न करें । बारह बरस की उमरके बाद वैद्यकी मदद लेना दुरी नजरसे देखा जाय ।
- ८ जब सरकार नहीं होगी तो अदालतें भी नहीं होगी ।
- ९ कोई दो आदमी अपने झगडेको किसी तीसरेसे चुकानेमें बहुत शरम मानेंगे खुद ही अपना झगडा निपटा लेंगे ।
- १० मादरज़ाद नंगा रहना कोई अनोखी बात नहीं समझा जाये ।
- ११ अपढ गायद कोई भले ही मिल जाय, नासमझ और अज्ञानी हूँडे न मिले ।
- १२ दुबले-पतले मिलें पर निर्बल कोई न हो ।
- १३ आम तौरसे आदमी दो सतानोसे सतोप माने पर एक घरकी आवादी पाँचमे ज्यादा हरगिज़ न मिले, ।
- १४ पच्चीस बरस तक आदमी वच्चा ही समझा जाये और वच्चोकी तरह रहनेकी उसे छूट होगी ।
- १५ कोई किसीका नौकर न हो
- १६ जब सरकार ही न होगी, तब मौतकी या दूसरी सजायें भी नहीं होगी ।
- १७ गुरुजन सजाका काम “हा” जैसे शब्दोसे लिया करें ? हर एक आदमी “हा” सुनकर इतना दुःख माना करेगा जिसका ठिकाना न होगा । “बिक” शब्द तो उसकी जान लेनेके लिए काफी हो ।
- १८ धर्मका कोई नाम न होगा । धर्मग्रन्थ न होगा । उनकी जरूरत ही नहीं होगी । मंदिर न हो । उनकी जगह अजायबघर बन चुके हो ।
- १९ भगवानकी जगह सत्य और भगवानकी खोजकी जगह मत्यकी खोज ले लें । अब हमारे आदर्श साफ हैं । हमारे प्रयत्न अब उमी और होंगे । हम अपने अपने चरित्रको उमके अनुरूप ही ठीक-ठीक सगठित करके , विश्व-नागरिकताकी नींव डाल सकेंगे ।

सुधारका मतलब है—समाजका हर तरह आजाद होना । समाजके आजाद होने का मतलब है—व्यक्तिका हर तरह आजाद होना । आजाद व्यक्तियोका ही आजाद समाज बन सकता है । अब समाज-मुधार व्यक्ति-मुधारके सिवा कुछ नहीं है ।

सुधारकोको यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यक्तिके विगाडे बिना समाज-रचना नहीं

हो सकती। आजकी ईंटका नाम है “गुम्मा” ईंट। पुरानी ईंटोंका नाम होता था —“ककैया” ईंट। आजकी ईंट स्कूलसे निकले हुए लड़केकी तरह सब एक-सी होती है। पहली ईंटें घरमें पले बच्चेकी तरह होती थी। हर एकका अपना रूप होता था। कभी-कभी रंग भी भिन्न होता था। मकान बनानेमें गुम्मा ईंट तकको कही न कहीसे छीलना, काटना होता है, तोड़ना-फोड़ना होता है। ककैया-ईंटोंमें तो हर एक ईंटको छीलना और बहुत-सी ईंटोको तोड़ना-फोड़ना पड़ता था तब कही सुन्दर मकान बन पाता था। जिस तरह मकान बनानेमें ईंटोको विगाड़ना पड़ता है, वैसे ही समाजका भवन बनानेमें व्यक्तिको विगाड़ना पड़ता है।

ईंटोंमें अगर जान होती, तो वे न तो आसानीसे छिल सकती, न टूट-फूट सकती। टूटने-फूटनेका अर्थ है मरना। ठीक इसी तरह यदि व्यक्तिका बस चले, तो समाज-भवन में लगनेके लिये कभी विगाड़ना पसंद ही न करे। यह कह सकते हैं कि व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि समाजकी रचना हो और जब व्यक्ति समाज-रचनाकी बात सोचता है, तो कभी यह नहीं चाहता कि वह सुधरनेके लिये विगड़े। असलमें होता यह है कि उसमें अहंकार जागता है। अहंकारका जागना एक प्रकारका आत्म विकार ही है। पर इस आत्म-विकृतिका ही अगर ध्यान रहे, तो वह समाज-रचनाकी बात भी न सोचे। नगेमें चूर व्यक्ति जिस तरह अपनेपनको भूलकर ऐसे-ऐसे काम कर डालता है, जो दूसरो की नजरोमें गिरे हुए माने जाते हैं पर वह खुद उन कामोको गिरा हुआ नहीं समझ पाता। अगर गिरा हुआ ही समझे, तो करे क्यों? ठीक इसी तरह अहंकारी व्यक्ति जब अपनी आत्माको विकृत करके समाज-रचनाकी बात सोचता है, तो समाज रचनाका अर्थ हो जाता है—“सारे समाजका एक आदमीके काबूमें आ जाना।” इसी बातको नासमझ समझदार कवि एक सूतमें माला पिरोनेसे उपमा देते हैं। यह किससे छिपा है कि मोती मालामें आनेसे पहले ही अपनी शान खो चुका होता है—अपना पेट फडवा चुका होता है। इसलिए व्यक्ति समाज-मालामें पिरो जानेसे पहले अपना बहुत-कुछ नुकसान कर चुका होता है।

व्यक्तिने इतनी तकलीफें यूँ ही नहीं भुगती। अलग-अलग उसका जीवन खतरोंमें था। उसने इसलिए अपने सिरपर राजाका वोझा उठालिया। यह वोझा आज तक उसके सिरपर रक्खा है। आज तो हाल यह हो गया है कि वह अपने सिरसे एकको हटाता है, तो दो सवार हो जाते हैं, दोको हटाता है, तो चार। मानो उसे शहदकी मक्खियोंके झुण्डने घेर रखा हो। और व्यक्ति है कि अपनी झूठी तालीमके नगेमें इसमें रह ले रहा है। उसको अच्छा समझ रहा है।

यथा समाज-मुधारक हमें यह बता सकते हैं कि जो कुछ वह करते हैं, वह सुचारु है या विगाड़? अगर उन्हें हमारे आदर्श स्वीकार्य नहीं है, तो वे अपने आदर्श बतायें। ताकि हम देखें कितने व्यक्ति इन आदर्शोंपर जान देनेके लिए तैयार होंगे।

मूर्ख होते तो कई तरहके हैं पर सुधारमें काम करनेवाले दो तरहके मूर्ख आपसमें में मूव लड़ते हैं एक है—प्राचीन मूर्ख, दूसरे है—अर्वाचीन या नवीन मूर्ख। प्राचीन मूर्ख जो-मुद्द करतें हैं, वे यह कहकर करतें हैं कि “सदासे होता चला आया है।” ये कहलाते हैं रूढिवादी। इनको वे लोग बुरा कहते हैं, जो सुधारक या मुधारक-भक्त होते हैं,।

दूसरी ओर अर्वाचीन मूर्ख जो कुछ करते हैं यह कहकर करते हैं कि वह बात पुरानी हो गई। आजके लिये जरूरी नहीं। इसलिये उसकी जगह यह नई बात करो।" यह कहलाते हैं सुधारवादी। रूढ़िवादियोंके लिए कानून है प्रथा। सुधारवादियोंके लिए कानून है नवीनता। उदाहरणार्थ — विवाहके अवसरपर पूजाके लिये गणेशजी तैयार किये जाते हैं। पीली मिट्टीके डलेपर कलावा लपेट दिया जाता है, वस गणेशजी तैयार। ये हैं रूढ़िवादी गणेश। अब लीजिये, सुधारकोके गणेशजी। मैंगनीज या भुसपर अगर रेशमका डोरा बँधा हो, तो सुधारकोको कोई एतराज न होगा। अगर कोई वृद्ध ऊँचे दर्जेके सुधारक हुए, तो वह अक्लका बहुत जोर लगाकर रामायणके चारो तरफ कलावा लपेटकर गणेशजी बना लेंगे। अब कहिये इन सुधारवादियों और रूढ़िवादियों में क्या अंतर हुआ ?

यह बात सुनकर हमारे पाठक कहते होंगे ये क्या उदाहरण है ? कहाँ लवी-चौडी शादियाँ और कहाँ सिविल-मैरेज ? सिविल मैरेजमें कहाँ होते हैं गणेशजी ? कहाँ होता है हवन ? कहाँ होते हैं फेरे ? कहाँ होती है वरात ? यह सब सुधार नहीं तो क्या है ? जी हाँ, आप ठीक विगड रहे हैं पर मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे सिरसे अगर ब्राह्मण का जूता हटा, तो सरकारका जूता आ गया और आज नहीं तो कल इमी सिविल-मैरेज में वे शाखें फूटेंगी, जो सँभाले न सँभलेगी ? अभी सिविल-मैरेज होती ही कितनी है ? लाख पीछे एक भी तो नहीं। हम अपनी आँखो ही देख रहे हैं, जो मिलें हमें सस्ता कपडा देने आई थी वे आज हमें अधनगा रख रही है। जो नहरें हमारे खेतोकी पैदावार बढ़ाने आई थी, वह आज करोडोको अधपेट बनाए है। इसी तरह ये सिविल मैरेज इतनी खर्चीली होकर रहेंगी कि हम पुरानी-शादियोंको याद करने लगेंगे क्योंकि सिविल-मैरेजसे उस डकके निकालनेकी कोशिश नहीं की गई, जो व्यक्तिके सिरपर रहता है। वह है वधन। हम रूढ़िमें फँसकर सिरसे पैर तक इतने रूढ़िवादी बन गये हैं कि हमारा हर सुधार रूढ़िके बीज लिए हुए होता है। रूढ़िसे ही जन्मा होता है। इसका कारण यह है कि हमारे सामने कोई आदर्श नहीं होता।

समाजका आदर्श हमने ऊपर बहुत विस्तारके साथ लिख दिया। जिसके मनमें हमारा यह आदर्श अपनी जगह बना लेगा, उसमें एक खास तरहकी ताकत पैदा हो जायेगी। उसका ज्ञान साफ हो जायगा। सुधारका मार्ग उसके लिये सीधा हो जायगा। अन्वल तो उसमें भूलें होगी ही नहीं, अगर हुई भी, तो वे भूलें अपनेआप सुधर जायगी। वह अपने काममें इतना सलग्न होता है कि अपने आपको ही भूल जायगा। उसे हमारे आदर्श तक पहुँचनेके रास्ते आसानीसे मिल जायेंगे।

हम आदर्श सुधारकमें वे बातें पैदा कर देंगे कि वह मानव समाजको एक समझने लगेगा। उसके लिए अगर कोई पराया है, तो वह है मानवेतर, यानी पशु-पक्षी इत्यादि। मानव-प्रेमके सामने पशु-पक्षी प्रेमको दूरसे ही प्रणाम करना चाहिये। जो सुधारक पशु-प्रेममें फँस गया वह समाज-सुधार क्या कर मकेगा ? गायके वेजा प्रेमने मनुष्य-समाजमें क्या-क्या गजब ढाये हैं, इसमें कौन वाकिफ नहीं है ? विल्लीकी पूजा ने मिस्र देश-वासियोंका कितना नुकसान किया इसमें कौन अपरिचित है ? सूअरके द्वेषने जो-जो टटे खडे किये वे किससे द्विषे हैं ? इंद्र-पत्थरके बने मंदिर मजिदोने

आदमियोका कितना खून बहाया—इसकी कोई गिनती हो सकती है ? पत्थरकी मूर्तियोंने आदमीसे कितने नाको चने चववाये इसका कहीं लेखा-जोखा है ? सुधारक, सुधारक तब तक नहीं हो सकता जब तककि वह इस सब इतिहासका ज्ञाता न हो ।

अब सुधारकको यह मालूम हो गया होगा कि समाजमें क्या करना है ? उसका काम है कि मानव-प्रेमको शुद्धसे शुद्धतम और शुद्धतर बना दे । ऐसा करनेके लिए उसे मानवके हृदयसे पर-प्रेम यानी पशु, पक्षी, वनस्पति और जड़-प्रेमको कम से कम और बहुत ही कम कर देना होगा । यह ठीक है कि वह प्रेम मिटाये न मिट सकेगा पर सुधारकको तो कर्मोंका सर्वनाश करके अपने जीवको मुक्त करनेवाले मुनिकी तरह, मानवतर प्रेमको समाजके व्यक्तियोंसे पूरी तरह मिटानेमें ही लगना पड़ेगा—उसे यह सोचने का अधिकार नहीं है कि यह प्रेम मिटाये नहीं मिट सकता ।

सुधारक आमतौरसे समझौतेपर उतर आता है, यह वुरी बात है । समझौतेके लालचसे बड़े-बड़े ऋषि मुनि न बच सके । समझौतेका अर्थ है, उच्च आदर्शसे गिर जाना । सौ बरस जीनेवाला आदमी तत्कालीन सफलताकी खातिर आदर्शसे गिर जाना पसंद करता है । हम आज तक एक भी ऐसा महापुरुष पैदा नहीं कर पाये, जो आदर्शसे गिरा हुआ न हो । हमारी यह बात सुनकर हमारे पाठक विगड़ उठेंगे पर हम सच बात कहनेसे कैसे चुप रहें ? यह हमारे महापुरुषोंके समझौतेका ही तो फल है कि हममें से कुछ लोग हिन्दू है और कुछ मुसलमान । हममें से कुछ गिया है कुछ सुन्नी, कुछ आर्य समाजी है, कुछ सनातनी, कुछ जैनी है तो कुछ श्वेताम्बरी, कुछ दिगम्बरी, कुछ शैव है तो कुछ शाक्त । यह सब समझौते का ही फल है । ये सब सम्प्रदाय है—विजयकी आकांक्षाके बच्चे । भले ही हमारे महापुरुषोंने अपनी पूजाकी बात कभी मनमें नहीं सोची हो, न कभी मुंह से कही हो, न कभी इस ओर इंगारा ही किया हो । फिर भी उनके अंतस्तलमें पूजाकी आकांक्षा थी । नहीं तो वह पुजते ही नहीं । मोहम्मद साहबके जीमें अपनी मूरत पुजवानेकी बात कभी न आई, तभी तो इनकी मूरत नहीं बन पाई । रसूल कहलवाने की आकांक्षा थी, इमाम बननेकी आकांक्षा थी, बादशाह बनने की आकांक्षा थी, तभी तो ये सब चीजें मुसलमानों में मिलती है । जिस तरह और महापुरुषोंने समझौता किया, उन्हीं तरह मुहम्मदसाहबने कदम-कदमपर समझौते किये और समझौता करना आदर्शसे गिरना ही है । हम तो यहाँ तक कहनेके लिये तैयार है कि अगर ससारने अबतारो, महापुरुषो, रसूलो, पैगम्बरो, नवियों और सतोंको जन्म न दिया होता, तो आज सम्य समाजमें वैसे मारकाट देखने को कभी न मिलती जैनी हिन्दुस्तान सन् १९४७ में देख चुका है । हम जंगली हालत में होते तो क्या था ? नागा या एक्सिमो भी तो आपसमें बड़े प्यारसे रह लेते हैं ।

महापुरुष हममें जन्म लेकर आखिर क्या कर जाते हैं किसीने यह भी सोचा ? महापुरुषों की जिंदगी का आदर्श क्या होता है—क्या किसीने कभी इस बातका भी जवाब ढूँढा ? महापुरुष इतना बड़ा त्याग किसलिए करते हैं, क्या किसीने इसका कारण भी जाननेकी कोशिश की ? महापुरुषका दूसरा नाम क्या हो सकता है ? “महापुरुष” में से यदि “महा” हटा दिया जाय, तो “पुरुष” का क्या मतलब रह जाता है ? सुधारकको इन सब सवालोंने जवाब देना होगा ।

हम पिछले सवालको सबसे पहले लेते हैं महापुरुषका दूसरा नाम है—“महासुधारक” उत्तरप्रदेशमें कोई भी ब्राह्मण अपनेको “महान्नाह्मण” कहलाना नहीं पसंद करता । “महान्नाह्मण” का उत्तरप्रदेशमें दूसरा नाम है—“कट्या” । कट्या उसको कहते हैं जो मुर्देका कफन लेते हैं । इसी तरह हो सकता है कुछ लोगोको “महासुधारक” शब्द महापुरुषकी शान घटाता मालूम हो, पर इस देशमें ऐसा होना नहीं चाहिये । जिस देशमें ‘रसोइया-महाराज’ और ‘पानी-पाडे’ जैसे शब्द प्रचलित हो वहाँ “पॉलिश-पाडे” शब्द भी खप सकता है । इन नामोकी जडमें भी एक मार्केका इतिहास छिपा है । ये सब शब्द समाज-सुधारकोकी देन हैं । इमीसे मिलते-जुलते शब्द भगियोके लिये “भेहतर” है, कुम्हारोके लिये “प्रजापति”, चमारोके लिये “भगत” गडरियोके लिये “चौबरी” इत्यादि हैं । अब तो शायद हमारा “महासुधारक” शब्द नहीं खटकेगा । अब पुरुष का अर्थ रह गया सुधारक । और पुरुषका अर्थ है मायाका मालिक । माया का दूसरा नाम है चालाकी । इसलिये हर सुधारकको चालाक और काइयाँ होना चाहिये और वह होता भी है ।

वैज्ञानिकोका कहना है कि कबूतर कबूतरीका जोडा या दोनोमें से कोई एक अगर किसी जगह घूम आयें तो उनका बच्चा बिना रास्ता दिखाये अपने-आप वहाँ जा और आ सकता है । यह गुण उसे विरासतमें मिलता है । वह रास्ता जानता है पर क्यों, यह नहीं जानता । अभिमन्युने चक्रव्यूहमें घुसना मँके पेटमें ही सीखा था । इससे हम कहना यह चाहते हैं कि हमारे त्यागोकी तह में, बिना जाने हुए भी ग्रहण की भावना मौजूद रहती है । हम भूखे रहकर सच्चे जी से अपनी नजरो और दुनियाकी नजरोमें तपस्या जरूर करते हैं, महीनो नहीं खाते पर हमारे बिना जाने हमारे अतस्तलमें यह बात मौजूद रहती है कि इस लवे-चौडे उपवासके बाद हमारी देह निर्मल हो जायेगी । हमारी उम्र लवी हो जायेगी, हमारी देहका वजन बढ़ जायेगा । हम पहलेसे ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा खुश रहेंगे । इस तपस्यासे जो पूजा हाथ आयेगी, जो प्रतिष्ठा हाथ लगेगी वह घातेमें । अब हमें कोई बताये कि महापुरुष तपस्या करके या भूखो रहकर एहसान किस पर करते हैं ? पच्चीस-पच्चास या सौ-बरसकी तपस्याके बाद भी अगर महा-पुरुषोको अनन्तकालका परमात्म-पद मिल जाय तो क्या यह भी कोई टोटेका व्यापार है ? लाखो बरसोका विगडा हुआ मनुष्य सौ-दो सौ वर्षमें ठीक नहीं हो सकता और वह भी सिर्फ एक जन्ममें ? एकके बाद दूसरा जन्म तो तपस्याके लिए मिलता हुआ सुना नहीं गया वहाँ तो तुरन्त उधार चुका दिया जाता है । परमात्मा नहीं बनाया जाता तो देवता बनाकर उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है । यह लालच आदमीको न दिया गया होता तो क्या कोई राज-पाट छोडता ?

महापुरुषकी जिन्दगीका क्या आदर्श है यह एक ऐसा सवाल है, जो हमेशा पूछा जाता रहेगा । और उसके जवाबमें जो कुछ भी कहा जायेगा उम सबका निचोड हमेशा एक ही रहेगा, शब्द चाहे भिन्न रहें, दुनियाके सारे धर्म, सारे संप्रदाय तभी तो जडमें एक और कर्मकांड में भिन्न हैं । जिम तरह गायके रगसे दूधके रगमें अतर नहीं आता, वैसे ही शब्दोके आडम्बरसे आदर्शके निचोडमें कभी कोई अतर नहीं आता ।

महापुरुष आदमी ही होते हैं और मेरी रायमें मामूली आदमीसे भी ज्यादा मामूली, होते हैं ज्यादा भोले होते हैं, तभी तो उनको दुनियाकी बहुत मामूली बातें अनोखी मालूम होती हैं। अनोखेपनका कारण सवने मूर्खताको ही बताया है। अचरज मूर्खताका ही प्रभाव है, इसी कारण वच्चे मामूली-सी घटना देखकर हँस देते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, रो देते हैं—वेहोश हो जाते हैं। रोज ही दुबले-पतले आदमी सबकोपर फिरते रहते हैं क्या किसी बालकने उन्हें देखकर अचरज माना ? सफेद वालो वाले, कमर झुके, हाथमें लाठी लिये बूढे-बुढिया रोज ही चलते-फिरते देखते हैं, क्या किसीने इन्हें देखकर अचरज किया ? गली-गलीसे रोज ही तो मरे हुए लोगोकी अर्थियाँ निकलती हैं, क्या किसी स्कूल जानेवाले बच्चेने उसपर ज्यादा ध्यान दिया ? अगर कोई ऐसा बालक निकले, जो ऐसी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे और अचरज करे तो उसके साथी विद्यार्थी उसे निरा मूर्ख ही समझेंगे, और ऐसा समझने में वे कोई भूल नहीं करेंगे। आप खुद स्कूल जाकर देख लीजिये। इस तरहका लड़का अपनी क्लासमें हमेशा पीछे बैठा और अध्यापककी नज़रोंमें गिरा हुआ मिलेगा। हमारे अपने युगके महापुरुष गांधीजी भी अपनी क्लास में निरे बुद्धू थे और इसी आचारपर हम ये कहेंगे कि बुद्धू भगवान भी ऐसे ही बुद्धू रहे होंगे।

जिस तरहका अचरज महापुरुषको होता रहा है वैसा हम सबको नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। हम सबको भी होता है और हम उसे व्यक्त करना अपनी शानके खिलाफ समझते हैं। इन बाल-महापुरुषको इतना भी स्वाभिमान नहीं होता या यों कहिये कि इतना भी ज्ञान नहीं होता कि कौन बात कहनेकी है और कौन न कहनेकी। फिर क्या बात है कि हम सबमें से सैकड़ों-हज़ारों बरस बाद कभी कोई एक महापुरुष बन पाता है ?

यूँ तो इस सवालका जवाब बहुत सीधा है कि समाजको ऐसे महापुरुषकी जल्दी या ज्यादा सख्यामें जरूरत नहीं होती। असलमें यह सम्मान तो उसीको प्राप्त होता है, जो सच्ची लगनके साथ अपना सारा जीवन अपने आदर्शकी खोजमें लगा दे। मनुष्य के दो आदर्श हो नहीं सकते। कोई महापुरुष ऐसा आदर्श बना ही नहीं सकता जिसे दूसरे लोग आदर्श न मानते हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी का आदर्श दुखसे बचनेके सिवाय और हो ही क्या सकता है ? सब तरह सुखी होना ही आदर्श है। जो सब तरह सुखी है वह सबसे बलवान, सबसे ज्ञानी होगा ही...।

क्या अब यह साफ नहीं हो जाता कि जो इस दुनियामें सबसे ज्यादा सुखी होना चाहता है वह यह भी चाहता ही है कि सबसे बड़ा, सबसे धनवान, सबसे ज्ञानवान, सबसे बलवान, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे स्वस्थ हो। अब कहिये इतनी चीजें खरीदनेके लिये कौन आदमी अपना सर्वसुख त्यागनेको तैयार न होगा ? इस दाँवपर तो कर्जा करके भी धन लगा देगा। महाभारत कारने युधिष्ठिरको जुआ खिलाकर महापुरुषका अच्छा खाका खींच दिया है, व्यासजीने द्रौपदीसे यह कहलवाकर कि जो आदमी जुएमें खूदको हार चुका हो उसे दूसरेको दाँवपर लगानेका कोई हक नहीं रह जाता, यह साफ कर दिया है कि महापुरुष कितने हठी और अन्यायी होते हैं। युधिष्ठिर अपनेको हारकर और दास बनकर भी अपने राजापनेको नहीं भूल पाते। यही हाल जर्मनीके विलियम कैसरका था। वह गद्दीसे उतार दिया गया था फिर भी रोज राजा होनेका नाटक किया करता था और बेमतलब दस्तखत करके राजापनेकी प्यास बुझाया करता

था। अपने युगके राष्ट्रपिता गाँधीजीको ले लीजिये। वे कांग्रेसके चवन्नी वाले मेंबर भी नहीं थे, पर कांग्रेसका सभापति पद अपनी जेबमें डाले फिरते थे। जिसको चाहे सभापति बना सकते थे। बड़े-बड़े जिम्मेदारीके काम कांग्रेसकी तरफसे अपने सिर ओढ़ लेते थे और मौका पड़नेपर ऐसे साफ निकल जाते थे मानो वे कांग्रेसके कुछ हैं ही नहीं। कहते हैं जल में कमल-पत्रकी तरह रहो और यह कहावत है 'इमलि' कि जलकी बूंद कमल-पत्रको गीला नहीं करती यानी कमलपत्र जलकी बूंदसे जरा-सी भी नमी नहीं लेता। कितना वीतरागी है? पर क्या कभी किसीने सोचा कि उस कमल-पत्रका पेट पानीसे इतना भरा हुआ है कि उसमें बूंदकी नमी सोखनेके लिए भी जगह नहीं है। सोखे तो उलटी होजानेका डर है। वस हमारे महापुरुष इसी तरहका "जल-में-कमल" वत् जीवन विताते थे। राजपथको छोड़कर राजाओंके राजा बन जाते थे। नगे होकर सैकड़ों को नगा बनानेकी ताकत पा जाते थे। टोटेमें कहाँ रहते थे? जो उनका आदर्श था वह यही तो था जो हम-नुम सब चाहते हैं। आदर्शके लिहाजसे महापुरुष और हममें कोई अंतर नहीं। हम भी सुखी होना चाहते हैं—वह भी सुखी होना चाहते थे। किसी भिखारीने किसी धनवानसे विगडकर अच्छी चुटकी ली है—

“तेरा दुशाला मोलमें भारी,
तो मेरा कम्बल तोलमें भारी”

महापुरुष हमारे बीचमें जन्म लेकर क्या कर जाते हैं? इस सवालका जवाब अपढ़ भी दे सकता है और विद्वान भी। मूलमें दोनोंके जवाब एक ही होंगे। यहाँ सवाल यह नहीं है वे क्या-क्या काम कर गए? हम तो उनके कामोका फल जानना चाहते हैं। किसी चीजकी जाँच करनेके लिये दूसरी चीज से तुलना जरूरी होती है! तभी दोनो चीजोंके अन्तरका पता लग सकता है।

आज कलके वैज्ञानिक कुछ जानवरोको खास-खास चीजें खिलाकर देखते हैं कि दो जानवरोका अलग-अलग चीजें खाकर क्या हाल रहा? अपने इन्ही नतीजो को दुनियाके सामने रख देते हैं।

आइये, हम भी परीक्षा भवनमें प्रवेश करें, एक ऐसे समाजको लीजिये जिसने अपने मैं एक ही महापुरुषको जन्म दिया और एक ऐसे समाजको लिजिए जिसने अब तक किसी महापुरुषको जन्म ही नहीं दिया और फिर दोनोके आज तकके कृत्योंकी जाँच करके देखिये क्या नतीजा होता है? उदाहरण के लिये यहूदी समाजको लें इनने ईसाको जन्म दिया। हजरत ईसाका मिद्धात था तुम्हारे गालपर अगर कोई चपत मारे, तो दूसरा गाल भी थप्पडके लिये उमकी तरफ फेरदो और आज उन्हीके अनुयायी हैं, जो हिरोशिमापर ऐटम बम गिराकर लाखों जाने चट कर गये। अब इसीके मुकाबलेमें लीजिये टुङ्गाके रहनेवाले ऐक्मिमो, नागा पहाडियोंके रहनेवाले नागा या और जगहके आदिवासी। क्या किनीने भी अपनी या पराई जातिपर ऐसे अनहोने जुल्म ढाए हैं?

महापुरुषोके अनुयायी इतने क्रूर क्यों बन जाते हैं? क्या इसमें महापुरुषो का हाथ विलकुल नहीं होता? मेरे खयालसे सीके सी फीसदी यही चिल्नाकर कह बैठेंगे कि इसमें महापुरुषो का क्या दोष? उन्होने तो ऐसा कभी नहीं सिखाया। उनकी कही

हुई किताबके किसी भी शब्दसे टेढ़े सीधे ऐसे अर्थ निकलते ही नहीं कि लड़ाईमें लाखोंकी जान ले लो। फिर इसमें महापुरुषका क्या दोष ?

धर्मके रंगमें चूर माँ या बाप अपने एक बच्चेको उपवासके फलका सञ्जवाग दिखला कर उसे उपवासके लिये तैयार करते हैं। लडकेकी उम्र बारह बरसकी है। वह वहकावेमें आ जाता है। उपवासकी प्रतिज्ञा ले बैठता है। दोपहरके बारह बजेके बादसे ही उसके पेटमें खुदबुद शुरू होती है। खाना माँगना या खाना वह अपनी गानके खिलाफ समझता है। थोड़ी देरमें प्यास भी जाग जाती है। अब तो वह और भी धवराता है। उसमें सूझ-बूझ जागती है। पानीकी पट्टी पेटपर रख कर प्यास बुझानेकी कोशिश करता है। धीरे-धीरे यही पट्टी छाती तक पहुँचती है। फिर गले तक, गाल तक, ओठ तक और जीभके अग्र-भाग तक। इसी तरह तरह-तरहकी ध्यान व्रतानेकी कोशिश में लगता है। किसी तरह शामके चार बजा देता है। अब उसकी हिम्मत टूट चुकी होती है और वह चोरी पर उतारू हो जाता है। जहाँ चाह होती है, वहाँ राह निकल आती है। कहींसे लड्डू पा जाता है, खाता है। पानी पा जाता है, प्यास बुझाता है और सबकी नज़रोंमें अपने उपवासकी शान बनाये रखता है। खुलासा यह है कि वह सत्य-व्रतको लतिया देता है, अहिंसा-व्रतको भूल जाता है, अचौर्यकी खिल्ली उड़ता है, अपरि-ग्रहको वेमतलव समझता है, शील और ब्रह्मचर्यको घटा वताता है। इस तरह उपवास नामका झूठा व्रत पाँच सच्चे व्रतोंको खा जाता है ! क्या इसमें बच्चेका दोष है ? आप कहेंगे—“इसमें माँ-बापका क्या दोष है ? माँ-बापने कब कहा था कि चोरीसे लड्डू खाना, चोरीसे पानी पीना।” पाठक हमें माफ करें, बच्चेका इसमें कोई कुसूर नहीं। सोलहो आना माँ-बापका दोष है। उन्होंने न पात्र देखा, न काल, न क्षेत्र देखा, न द्रव्य, न भाव। समाज जिस तरह रह रहा है बालकने उसीका अनुकरण किया। उसने कोई गलती नहीं की।

ऊपर का उदाहरण रखकर हम यह कहना चाहते हैं कि महापुरुष समाजको एकदम भलाईके पहाड़ की चोटी पर चढा देते हैं। वह समय-असमय, पात्र-अपात्र नहीं देखते—न देख सकते हैं। वे अपने ऊपर के मनसे भले ही पूरे वीतरागी हो पर उनका अंतस्तल पूजाका भूखा होता है। वही उनके सब कामोंका प्रेरक होता है। वही उन्हें मजबूर करता है कि वह समाजको कितना ऊँचा ले जाय और ऐसी जगह ले जाय कि जहाँ वह उनकी मददके बिना एक क्षण भी न टिक सकें और अगर वह ज्यादा जीवित रहें, तो खुद ही थककर उन्हें गिरते हुए देख सकें। महापुरुष अपने अंतस्तलसे वाकिफ नहीं होते और अगर हो भी जाते हैं, तो वे अपनी प्राप्त जगहसे हटना पसंद नहीं करते। और अगर हिम्मत करके वे अपनी जगह छोड़ भी दें, तो समाज उनको उस रोगीकी तरह छोड़ताही नहीं जिसे किसी वैद्यने एक बार चमत्कार करके बहुत स्वस्थ बना दिया हो। यो महापुरुष अपने बनाये हुए जालमें आप ही फँस जाते हैं। जो समाज भलाईके पहाड़ की चोटीपर चढ चुका होता है वहाँसे गिरकर वह उस वक्त तक दम नहीं लेता जब तक कि दुराईके गतके तलमें ही न पहुँच जाय। हज़रत ईसाके अहिंसक समाजने ये सब करके दिखा दिया। बुद्ध और महावीरके अनुयायी चन्द्रगुप्त और अशोक जैसे राजा पहले ही करके दिखा चुके हैं। दयाकी मूर्ति मुहम्मदसाहबके अनुयायी जितने जुल्म ढा चुके

है वे कुछ कम नहीं हैं, नादिरगाहके कल्लेआमसे कोई अपरिचित नहीं है। हमारे युगके नये महापुरुष गांधीजीकी अहिंसा आज क्या रंग ला रही है और आगे क्या-क्या रंग लायेगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गांधीजीके ग्यारह व्रत किस रूपमें फल रहे हैं वे किसीसे छिपे हुए नहीं। इसमें लोगोको भले ही अचरज होता हो हमें अचरज नहीं। हम अच्छी तरह समझते हैं। बहुत खानेके लिए ही भूखो मरा जाता है, बहुत पहनने के लिए ही नगा रहा जाता है। बहुत मालदार बनने के लिये ही भिखारी बना जाता है। बहुत सुखकी खातिर ही तपस्या की जाती है। पर हम तो यहाँ सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि अगर संसारने महापुरुषोको जन्म न दिया होता, तो आज हम कहाँ होते।

ऊपरके सवालका जवाब विलकुल ठीक तो नहीं दे सकते—अदाजन ही बतला सकते हैं कि बिना महापुरुषोवाले इस भारतवर्षमें चाहै आज रेलें न होती, बिजली न होती, बड़े-बड़े कल कारखाने न होते, पर हम भूखो न मरते होते। हाँ, हमारे यहाँ चोर-डाकू भी होते पर वे सीमित चोरी कर रहे होते लाखोकी जाने न ले रहे होते। जिस तरह पाँच लाख हिन्दू मुसलमान मरे वैसा कभी न हुआ होता। जैसे पञ्चओको गर्भिन्दा कर देने वाले कृत्य हिन्दू-मुसलमानोने धर्मकी रूसे तुच्छ कहलानेवाले 'स्वराज'की खातिर किये वैसे कभी न होते। प्रमाणमें हम आदिम जातियोको पेश कर सकते हैं। वे आपममें एक दूसरेकी जान तो कभी लेते ही नहीं। हाँ एक दल दूसरे दलकी जान लेनेपर जरूर उतारू हो जाता है। पर वह मार-काट भी उस पैमानेपर नहीं पहुँचती जिस पैमाने तक अवतारियोकी औलाद पहुँचती है। थोड़े-से शब्दोंमें यही समझ लेना चाहिये कि महापुरुष समाजमें इतना ऊँचा सुधार कर जाते हैं कि उस ऊँचाईके नामपर पतन का गड्ढा बिना मिहनत बन जाता है। जहाँ की मिट्टीसे ईटोका पञ्जावा बनता है वहाँ पोखर अपने आप बन जाती है।

प्रकृति मनुष्य-समाजको अपने ढंगसे, अपनी चालसे आगे बढ़ाये चली जा रही है। इसकी चाल विलकुल ठीक है। भले ही कछुएकी चाल हो मगर खरगोशसे वाजी ले जानेवाली है। समाजकी दौड़में महापुरुष हमेशा खरगोश साबित होते हैं। वे बड़ी ऊँची उठाने लेते हैं। खरगोशकी तरह यह समझ बैठते हैं कि अब क्या है मारली वाजी। और फिर लवी नीद सो जाते हैं। मैकडो-हजारो बरस बाद जागते हैं, तो देखते हैं कि दुनिया उस समयसे निश्चय ही आगे बढ़ गई है जिम वक्त हमने जन्म लिया था और जब हमने इसको ऊँचा उठानेकी बात सोची थी, हमारा सुधार टिकाऊ न रहा। प्रकृति हमसे वाजी ले गई।

सुधारकने अब सारा नक्शा अपने जहनमें जमा लिया होगा और उमने अब समझ लिया होगा कि समाज-सुधारके काममें उसे आगे किन-किन बातोंपर ध्यान रखना होगा। समाज-सुधारमें कौन-सी चीजें बाधक होती हैं यह हम ऊपर गिना आए हैं। समाज-सुधारका 'स्व' क्या है और समाज-सुधारका "पर" क्या है, इसको ठीक-ठीक समझे बिना सुधारके मैदानमें कदम उठाना बेकार होगा। इस 'स्व' और 'पर' को हम फिर दुहराते हैं कि मनुष्यके मिवा और सब तर्हकी पूजा सुधार में बाधक होती है। सुधारकको उससे हमेशा दूर रहना होगा। समाज-सुधारके लिए यह-हर किसीसे इस बातको लेकर लड़ना नहीं फिरेगा पर उमका नमर्शन भीनहीं करेगा।

इस तरहकी पूजा महापुरुषोंको पसंद नहीं थी, पर उन्होंने समझौता किया । इसलिये किसी समाजमें कुछ और किसी समाजमें कुछ वच रही और वह आज तक कायम है ।

हजरत मोहम्मदकी वादत कुछ किताबोंमें लिखा है कि उन्होंने अरबके और सब सैकड़ों देवी-देवताओंकी पूजाको नाजायज ठहराकर भी एक बार अरब कौमकी तीन सबसे बड़ी देवियों लात, उजा और मनातको आदरणीय हस्तियाँ मान लिया था । कहते हैं इस विषयकी एक आयत भी उतर आई थी । पर अगले दिन ही अल्लाहने उनसे कहा कि एक दिन पहलेकी वह आयत गैतानकी 'वही' थी अल्लाहकी 'वही' नहीं । कुरानमें उसके बाद लात, उजा और मनातकी पूजाको भी नाम लेकर गलत बताया गया । पर कावेकी वो पुरानी पहाड़ियों 'सफा और भरवा' को कुरानमें भी अल्लाहकी निशानियोंमें से गिनाया गया है और इन दोनों पत्थरके तूदोकी परिक्रमाको हज्जके वक्त जायज करार दिया गया है । आजतक सब हाजी ऐसा करते भी हैं ।

समझौतोका समर्थन अपने आपको धोखा देना है । सुधारकको चाहिये कि वह समझौतेके चक्करमें न पड़े जीवन-भर सचार्डपर अडा रहे । प्रकृतिको अपनी चालपर चलने दे । उसकी गतिको रोके नहीं । तभी वह समाजका कुछ भला कर सकता है । कोई हमसे पूछे, तो हमतो यह कहेंगे कि हमें तो ऐसे सत पसद है, जो "ढायोजीनीज" सिकदर, गुरु नानक और कबीर जैसे हो । मतलब यह कि अपनी उन्नं अकेले रहकर बिता दें और कोई पंथ कायम न करें । सुधारक अगर सच्चे जीसे सुधारके काममें लगेगा और मफल होनेकी जल्दवाजी न करेगा, तो बडा ठोस काम कर जायगा । आदर्श जीवन विताने वाला सुधारक जो किसीपर सुधारका जोर नहीं देता, जितना ठोस काम कर जाता है उतना वह सुधारक नहीं कर सकता, जो किसी नामसे एक सुधार-समाज कायम कर जाय और समझौतेके चक्करमें फँसकर एक नए कर्मकाटको जगह दे जाय । नये देवालय, मठ, मत खडे कर जाय । सुधारक यह समझ ही नहीं पाता कि ऊपर बताई हुई बातें सुधार नहीं विगाड है, क्योंकि वे 'पर' पूजाकी पोपक है समाजका 'स्व', 'पर' पूजासे कमजोर हो जाता है । समाजको बँधे रखनेके लिये मानव-प्रेम काफी होना चाहिये, मंदिर मसजिद नहीं । किसीका भी घर जरूरतके वक्त मंदिर-मसजिद समझा जा सकता है । समाजको बाँधे रखनेके लिए जब तक इन पर-चीजोंसे जरूरतसे ज्यादा मदद ली जाती रहेगी तब तक समाज उठता हुआ भी गिरता रहेगा । आज तक जितने भी महापुरुष पैदा हुए मभीने समाजको एक सूत्रमें बाँधना चाहा, पर वे अपनी एक छोटी-सी नयी माला बनाकर और एक उसमें गाँठ देकर चलते बने । पर पूजा कायम करके समाजका एक टुकडा और बढा गये और फायदेकी जगह नुकसान कर गए । सुधारकको यह तथ्य अच्छी तरह कठस्थ कर लेना चाहिए । गाधीजीने कांग्रेस को न अपनाकर अगर नया संगठन बनाया होता तो बहुत टोटेमें रहते । शायद कुछ न कर पाते । हिन्दुस्तान को आजाद करनेके लिये बहुत-से नये-संगठन बन चुके थे, सब नाकामयाव रहे । आज भी कांग्रेसने हटकर जितने नये संगठन बन रहे हैं, राजनीतिक मैदानमें सब निकम्में साबित हो रहे हैं । वे निकम्मे साबित हो, तो ही लेकिन वे सब हिन्दुस्तानी समाजमें बुद्धि-भेद पैदा करके भारतका जवरदस्त नुकमान कर रहे हैं । सुधारकको नई समाज-रचनाके चक्करमें कभी न पड़कर अपना आदर्श-जीवन विताना चाहिये । उसका मुवरा हुआ

जीवन ही उसमें वह शक्ति पैदा कर देगा कि जहाँ वह जाये वही लोग सुधरा जीवन बितान लेंगे । जिस घरमें वह ठहरेगा, वही घर सुधर जायगा । जिस जगह रहेगा उस जगह अपना प्रभाव फैला सकेगा । यह सुधरा हुआ जीवन क्या हो, इसको भी हम खोलकर बता देना चाहते हैं

समाज सुधरना चाहता है, सुधारक पैदा करता है । सुधारक खड़े हो जाते हैं । सुधारक समाजको सुधारना चाहते हैं, पर यह कैसी अनोखी बात है कि सुधारक खुद सुधरे हुए नहीं होते । यह ठीक है कि हर तरह सुधरे हुए सुधारक तो समाजमें मिल ही नहीं सकते पर कमसे कम इतने सुधरे हुए तो हो ही कि जिस तरहका सुधार वे समाजमें चाहते हैं उस तरहके सुधारमें खुद पूरे रंगे हुए हो । जो रंग कपडेको रंगीन बना सके वह किसी कपड़ेपर गिरकर उसे रंगीन कैसे बना सकेगा ? उदाहरणके तौरपर अगर एक आदमी सचाईके रंगमें रंगा हुआ नहीं है, और अपने धरवालोको सच बोलना नहीं सिखा सका है वह समाजको सच्चा बनाने का साहस कैसे कर बैठता है ? और किसी भी अंशमें कैसे सफल हो जा सकता है—कह नहीं सकते । आमतौरसे जितने सुधारक देखे गये वे समाजसुधारक ही पाये गये—न पडोस-सुधारक, न घर-सुधारक—खुद सुधरे हुए तो वे होते ही नहीं !

एक बुढिया थी जो अपने लडकेको गुरुजीके पास गुड खानेकी आदत छुडानेके लिए ले गई । उसे गुरुजीने दूसरे दिन लानेके लिए कहा । दूसरे दिन गुरुजीने लडकेको सिर्फयही उपदेश दिया कि बेटा गुड न खाया करो ।' बुढियाने समझ लिया कि इतना गुरुमंत्र काफी है और वह काफी साबित हुआ भी । सुधारक यह क्यों नहीं सोचते कि सुधारके काममें लगनेसे पहले खुद उनका सुधरा होना निहायत जरूरी है । एक घोड़ी मैने कपडे पहन कर दूसरोके कपडे साफ कर सकता है, एक मैली नायन दूसरोके वदनका मैल छुडा सकती है, यहाँ तककि काला-मजन और काला अजन दाँत और आँखमें दमक तो सकते हैं, पर ये सब सफाई-उपदेशक सुधारक नहीं बन सकते न सुधारक कहला सकते हैं । वीडो पीनेवाला वाप गायद अपने बेटेसे वीडो छुडानेमें सफल हो जाय, पर वह दूसरोमें वीडो छुडानेमें उस वक्त तक सफल नहीं हो सकता जब तक खुद वीडो पीना न छोड़ दे । वीडो पीनेवाला वाप अपने बेटे की वीडो छुडानेमें अगर सफल हो भी गया है, तो उसे यही समझना चाहिये कि यह उसकी मिहनतका फल नहीं है, वह तो उम पवित्र काममें तुच्छ निमित्त मात्र बना है । उसके बेटेने जो वीडो पीना छोडा है, वह या तो किसी दूसरेके उपदेशका फल है या समयकी हवाका परिणाम या उसके भीतर बैठे ईश्वरका चमत्कार है । दूसरे को सुधारना आसान काम नहीं । सुधारनेकी क्रियाकी सिद्धि बड़ी तपस्या चाहती है । बडे त्यागसे हासिल होती है । हर वक्तके मयमकी अपेक्षा रखती है । क्या यह सब आजके सुधारकमें होते हैं ? यदि नहीं, तो वह कैसे समाजको सुधार सकता है ? ऐसे आदमियोसे समाज-सुधर भी कैसे सकता है ? आजके सुधारक समाजमें यदि एक सुधार करते हैं, तो मचा बिगाड़ कर डालते हैं । इसलिए इनके सुधारको अगर बिगाड़ कहकर पुकारा जाय, तो अत्युक्ति नहीं होगी ।

आम तौरपर सुधारक कथाके बैगन कहानीके मुख्य पात्र होते हैं । कभी-कभी सुधारक तो काफी अच्छा होता है पर समाज इतना पतित होता है कि उनकी गीमगा

पात्र नहीं होता। ऐसे समय सुधारकको चाहिए कि वह सुधारके आन्दोलनका भी नियमन करे। उसे उस वयाकी कहानीको याद रखना चाहिये, जिसने वदरको सीख देकर अपने घोसलेको वरवाद करा लिया था; और अपने वच्चोकी जान खतरमे डाल दी थी। इसी कहानीके आधारपर यह कहावत चल पड़ी है —

“सीख न दीजे बाँदरा, घर वयाका जाय”

सुधारकको सुधारके मैदानमें आनेसे पहले उसी तरह वर्दी पहनकर सजना और जहरी हथियारोंसे लैज होना होगा जिस तरह सिपाही लडाईके मैदानमें उतरता है। सुधारक की वर्दी है उसका त्याग, उसकी तपस्याकी तैयारी, उसका धैर्य, उसकी विनय-संपन्नता, शील, दृढ विश्वास, सच्चा ज्ञान, वत्सलता, निर्भीकता, निष्कामभावना, उसकी सेव तरह की सेवाकी तैयारी, उसका स्वाभिमान, समाजपर प्रभाव का खयाल, उसकी चारो प्रकार की उपगूहनता इत्यादि। हम बातें तो बहुत-सी गिना गए हैं, इन सबको अलग-अलग खोलकर हम इस लेखको बढ़ाना नहीं चाहते। यह सब गुण गिनानेमें ही बहुत मालूम होते हैं। पर असलमें एक दूसरेसे इतने गुंथे हुए हैं कि इनमेंसे कोई भी आदमी किसी एक को भी मजबूतीसे पकड़ ले तो सबके सब इतनी आसानीसे खिंचे हुए चले आयें जैसे हजारो मन सामानसे लदी नाव एक मामूली रस्सीके सहारे नदीके तलपर विना परिश्रमके खिंची चली आती है। इसलिये सुधारकको इस बड़ी गिनतीसे भयभीत नहीं होना चाहिये। गिनती तो और भी बढ़ सकती थी। हमारा “इत्यादि” यह सूचना भी दे रहा है पर यह कितनी भी लवी क्यों न होती अमलके लिए रहती उतनी ही सुगम जितनी अब है। जिस तरह रानी मक्खी अनगिनत अंडे देकर अनगिनत मक्खियाँ तैयार कर लेती है, वैसे ही समाज-सुधारककी अटूट लगन और समाज-सुधारका सच्चा ज्ञान एक क्षणमें मनुष्यमें गुण पैदा कर देता है और ये गुण जल्दी ही बढ़े होकर पंख पा जाते हैं। गहदकी मक्खियोंकी तरह भिन्नभिन्नाकर समाजकी सेवा करने लगते हैं।

जिस तरह मामूली तार और विजलीके तारमें हमारी आँखोके लिए कोई अंतर नहीं होता वैसे ही समाजके एक सदस्य और सुधारकमें देखनेमें अंतर नहीं दिखाई देगा, पर जैसे वे दो तार गुणोंमें एक-दूसरेसे बिलकुल भिन्न हैं वैसे ही ये दो व्यक्ति शील-स्वभाव में एकदम भिन्न होते हैं। गाँधीजी अपनेको मरते दम तक वैष्णव कहते रहे। और भी दुनिया जीनेसे मरने तक अपनेको वैष्णव कहती है। गाँधीजी और अन्य वैष्णव देखनेमें एक थे। वे भी यही गीत गाते थे - “वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाणे रे” यही गीत गाधीजी भी गाते, दूसरोसे गाते हुए सुनते थे, पर उनके सुननेमें औरो से भेद था। उनके गाने की लय दूसरोसे मेल नहीं खाती थी। उनके हृदयमें इन शब्दोंका जो भाव था, वह वही नहीं था जिसे आम वैष्णव या उनके अनुयायी समझे हुए हैं। यदि गाधीजीके भावको कोई समझलेगा तो खुद भी वह गाँधी ही बन जायगा। परम्-सुधारक गीतोका रस चूसते हैं छूछ नहीं। जिस तरह गन्ना धरतीसे मिटास लेता है, शेष चीजें छोड़ देता है, नीबू खटास लेता है दूसरी चीजें छोड़ देता है, नीम कड़वाहट लेता है दूसरी चीजें छोड़ देता है वैसे ही इस गीतसे वदमाग वदमागी ही खींच सकता है। पर पीडाको दूर करनेकी भावना वाला रस तो सहृदय ही चूस सकता है। गाँधीजी वैष्णव होते हुए मुसलमान भी थे, ईसाई भी, बौद्ध, जैनी, जरथुस्ती सभी थे, दूसरे वैष्णव

तो वैष्णव भी नहीं है। दूसरे वैष्णव ये गीत गाते हुए कि “वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे”, यह गीत गाते रहते हैं कि “वैष्णव जन तो तेने कहिये जो लहसन-प्याज न खाय रे”, “वैष्णव जन तो तेने कहिये जे हरिजन छकर न्हाय रे, ” “वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे नित रामके मंदिर जाय रे, ” “वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे घटे झाँझ बजाए रे” “वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे वैष्णवेत्र अलगाय रे”, “वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे सागर पार न जाय रे” इत्यादि।

सुधारकने अब समझ लिया होगा कि उसका हृदय कितना पवित्र होना चाहिये। उसके सिरपर बड़ीसे बड़ी या छोटीसे छोटी किमी भी रुढिकाबोझ नहीं होना चाहिये। अगर वह जरा भी बोझिल हुआ तो ऊँचा कैसे उठ सकेगा? रूढियोंका बोझ ही तो है, जो आदमीको दबाये रखता है। समाज-सुधारक कितना ही ऊँचा क्यों न उठ जाय, कितना ही नाम क्यों न पा जाय अगर समाजके व्यक्तित्वने एकके ऊपर एक खडे होकर उमको अपने सिरपर उठा लिया तो हमारी नजरोंमें वह दो कौड़ीका भी आदमी नहीं है। हम उस सोनेके कलसको तो मिट्टी समझते हैं जो मंदिरकी चोटीपर लगा है, क्योंकि उसका आधार है, मंदिरका गुबद, मंदिरकी दीवारें, मंदिरकी बुनियाद, उमका अपना कोई आधार नहीं होता। वह चमकनेवाली किसी और चीजका भी बन सकता है। छोटे मोनेका भी बन सकता है। स्टेनलेस स्टील चाँदीसे ज्यादा चमकता है। पर चाँदीकी कदर नहीं पा सकता। समाजमें तो ताकत है कि वह अपने मिरपर उठाकर गधेको भी पुजवा सकता है, लकड़ी और पत्थरकी मूर्तियोंको तो पुजवा ही रहा है। समाजकी कोरी पूजा पाया हुआ आदमी हमारी नजरोंमें ऊँचा नहीं है। हम तो सुधारक और परम-सुधारक उनको कहते हैं जो अपनी तपस्याके बलसे निर्विकार हो जाय, जिगमें ऊपर बत्ताए हुए गुण आ जायें और जो इन्ही गुणोंकी गैससे इतने हल्के हो जायें कि गैम भरे फुगोंकी तरह समाज-प्रार्थनाके डोरेसे बाँधकर ही रखना पड़े। अगर समाज उसे छोड़ बैठे, तो वे उड़ जायें और दुनिया भर में घूमते फिरें। समाज सुधारक वही है, जो हल्के होकर समाजसे ऊँचे तो उठ गये हैं, पर किमीके कंधेपर मवार नहीं है—कोई उनको थामें हुए नहीं है, वह अपने हल्केपनके सहारे ही समाजके सिरोपर लुढ़कने-फिरते हैं। किसीपर जरा भी बोझ सावित नहीं होते। जिसके मिरपर वे जितनी देर रहते हैं, उतनी देर उस आदमी या कुटुंबका सारा तन-मन पुलकित रहता है, आनन्द का अनुभव करता रहता है। वह यह चाहता ही नहीं कि वह उस आनन्दके वचित हो जाय। सुधारक रूढिमें फँसे हुएमोमे लडता और सिर फुडव्वल नहीं करता। वह तो अपने हल्केपन से प्रभावित करता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, वह कुछ करनेके लिये बहुत ही कम कहता है। वह तो अपने कृत्यसे उनपर अमर डालता है और उनमें अपनेआप ऐंगी भावना पैदा कर देता है कि वे उसकी नकल करने लगते हैं। वह उपदेश देगा—आदेश बहुत कम देगा। उसके उपदेशमें आदेशकी गैस भरी रहती है। तभी तो उनका उपदेश सुनकर एक-दो-दस नहीं, लाखों एकदम बदल जाते और उन्नी क्षण हल्का अनुभव करने लगते हैं। उन्हें विलकुल ऐसा मालूम होने लगता है मानो वे जमीनमें मूत-दो-सूत ऊँचे हो गये हैं। और उन्हें गमनागमनमें आसानी होने लगी है, वे अपनेका चलता हुआ नहीं—उडता हुआ सा अनुभव करने लगते हैं।

यही होते हैं समाज-सुधारक जो समाजको इस तरहका बना देते हैं। उनकी देखा-देखी समाज वैसा अपनेआप बन जाता है। अगर किसी समाज-सुधारकको देखकर समाज हल्का अनुभव न करे, तो समझना चाहिये कि समाज-सुधारकमें जरूर बहुत-सी कमियाँ हैं। समाज-सुधारक खुले मैदानमें जिसकी गालियाँ सुनता है अगर वह गाली देनेवाला घरमें या अकेलेमें किसीसे उस समाज-सुधारककी तारीफ न करे, तो समझ लेना चाहिये कि वह समाज-सुधारक झूठा है दिखावटी है। दुश्मन कितना ही बुरा क्यों न हो, अपने दुश्मनके गुणोंकी तारीफ किये बिना कोई नहीं रह सकता। यह ठीक है कि वह उसके गुण गाता नहीं फिरगा पर गुणोंकी पहिचानसे कैसे रुक सकेगा ? एक अँगरेज गाँधीको अँगरेजोंका दुश्मन कह सकता था पर गाँधीको सत्यवादी कहनेसे कैसे चुप रह जाता ? सत्य-गुण तो उसे भी पसंद है, वह उनको खुद भी तो शीघ्र नवाता है। ठीक इसी तरह सुधारकके गुण घर-घरमें गाये जाने चाहिये। बाहर उसे गाली मिलती रहें इसकी परवाह नहीं। सुधारककी कसौटी समाजका प्लेटफार्म नहीं—घरका कमरा है। उस सोनेको वहाँ कसकर देखो। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे कि परम-सुधारकको ऊँचा बनानेमें समाजका हाथ इतना नहीं होता, जितने उसके अपने भीतरी गुण। होसकता है, उनमेंसे एकसे ज्यादा गुण हममें हो; पर वे हमें दिखाई कहाँ देते हैं ? आप कहेंगे कि इस लेखके लेखकको हो सकता है पता हो, लेकिन साफ खोलकर हमें कोई बात इस लेखमें नहीं बताई गई। शका ठीक है। हमें चाहिए कि हम जरूर अपने जवानोंका रास्ता साफ कर दें। उनसे कवीरकी बोलीमें बात करें—ईसाकी बोली में मूसा, बुद्ध और महावीरकी बोलीमें नहीं, सतोंकी बोलीमें। या यो कहिये कि साफ दिल आदमियोंकी बोलीमें बातें करें।

आइए अब खरी और सीधी बातें सुनिये—

“लकडीकी बना गल माल भले, पर हाथ में लेकर जपना क्यों ?

पत्थरकी बना वेशक मूरत, पर उसके आगे नवना क्यों ?

तू एक नहीं दस नदियाँ तर पर यह होगा भवतरना क्यों ?

राजा थे दोनो रामकिशन ये ईस समझ दम भरना क्यों ?

कौसल्या नदन राम नहीं वे तुझ जैसे थे रामचंद ।

यशुदानदन भी राम नहीं वे तुझ जैसे थे श्यामचंद ।

क्या राम रहेंगे मंदिर में वो तुझे मिले कर आख वंद ।

वो तेरे भीतर बैठे हैं वो हैं तेरे आनंद कंद ।

मयखुरो मसहफ विसोजो आतिश अदर का बाजन ।

हरचि खाही कुन वलेकिन मरदुम आजारो मकुम ।

पद्य बहुत स्पष्ट है। टीकाकी जरूरत नहीं। फारसीके पद्य का अर्थ हम आगे चलकर करेंगे। उसपर अपनी राय भी जाहिर करेंगे। पर उससे पहले जरा कवीरजी भी बात सुनलें।

माला लक्कड़ ठाकुर पत्थर तीरथ सगरे पानी

रामा कुशना मरते देखे चारों वेद कहानी

अगर दुनियामें सब बोलना धर्म है, अहिंसा धर्म है, अचौर्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है और बाकीके छे ब्रत जो गाँधीजी गिनवा गये है धर्म है, तो कबीर साहब पूरे धर्मात्मा थे और भी अनेक सत उन्ही जैसे धर्मात्मा हो गये है । धर्मवादी, संप्रदायवादी, पथवादी, सतवादी, महत्वादी, बुद्धिवादी, पूंजीवादी या और कोई वादी धर्मात्मा नहीं हो सकते । अलबत्ता वादी-विवादी हो सकते है—वादी-प्रतिवादी हो सकते है । और ये सब सुधारक बने, तो असफल ही रहेंगे । असफल रहें चिंता नहीं, ये तो ढानेवाले विगाड़ और फुटारू साबित होते है । समाजके टुकड़े-टुकड़े कर जाते है, समाजमें भेद-भाव फैला जाते है , कबीर-पथ बेशक है, पर कबीरका बनाया हुआ नहीं है । कबीरके नामपर बना हुआ है । बनानेको 'गाँधीबम' बन सकता है, गाँधी चाय बन सकती है, गाँधी शराबघरकी बुनियाद पड सकती है, गाँधी कसाबघर भी खुल सकता है, पर क्या इससे यह सिद्ध होगा कि गाँधीजी की ये ही सब देन है ? सुधारक सुधार ही नहीं करते, सिर्फ सुधरा हुआ जीवन बिताते है ।

अगर मैं लकड़ी पत्थरको किसी रूपमें भी नहीं पूजता, पानीको किसी तरह भी अदर की सफाईका कारण नहीं मानता, किसी मृत या जीवित पुस्पको सब भूलोमे बरी नहीं मानता, किसी भी ग्रथको किसी ऐसेका कहा नहीं मानता, जो त्रिकालज्ञ था तो मैं सुधारक बननेके योग्य हूँ, पर मैं इसे न माननेकी डौंडी भी नहीं पीटता फिरूँगा । मेरा रहन-सहन इसको खुद बतादेगा । किसीके सीधे प्रश्न करने पर मैं सीधा जवाब देनेमें झिझकूँगा भी नहीं । अगर मैं झिझकता हूँ, तो सुधारक होनेके योग्य नहीं । अपने किसी और काममें लगूँ, जिस योग्य हूँ वह काम करूँ ।

ऊपरके फारसीके पद्य पर अपने विचार भी यहाँ बताए देते है । यह पद्य ऐसे मौलानाके है, जिसे मुसलमान पहुँचा हुआ सत समझते है । शब्दार्थ ये है —

मयखुरो—शराब पी और मसहफ विसोजो—कुरान जला और आतिश अदर का वाजन आग काबे में लगा दे । हर चिखाही कुन जो कुछ चाहे कर वलेकिन मरदूम आजारी मकुन—लेकिन आदमियो को सताने का काम न कर

यहाँ शराब पीनेकी बात कहना इस्लाम धर्मके खिलाफ है । आज ऐसे मुसलमान मिल सकते है, जो शराब पीते हो, ऐसे मौलाना भी मिल सकते है, ऐसे राजाओ का इतिहासमें जिक्र है, जो 'नूरद्दीन' यानी 'धर्मके प्रकाश' का नाम पाये हुए थे । और खूब शराब उडाते थे, पर हजरत मुहम्मदके समयमें ऐसा एक भी मुसलमान नहीं मिल सकता था कि जिसके कपडे पर अगर शराबकी एक बूँद भी गिर जाय, तो वह उसे उतार कर न फेंक दे और उसमें आग न लगा दे । आज भी शराब पीनेकी बात सुनकर मुसलमान बिगड खडे होंगे । कुरान जला डालनेकी बात तो इससे भी बुरी है और कावेमें आग लगानेकी बात और भी बढकर है । यह कहकर तो मौलाना ने हृद कर दी कि जो जी चाहे कर । यानी दुनियाका बुरे-से-बुरा पाप, कर लेकिन आदमियोको सतानेका का काम मत कर ।

जो आदमियोको सतानेका काम कर सकता है, वह चाहे किसी भी धर्मका माननेवाला क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, वही शराब पीने, कुरान जलाने, कावेमें आग लगाने और जो जी चाहे करनेके लिये तैयार भी हो सकता है । आदमियोके दिल दुखानेवाला आदमी, आदमियोको सतानेवाला आदमी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता ।

सुधारकको अपने मनमें यह अच्छी तरह बैठ लेना चाहिये कि किसी भी ग्रंथमें ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि झूठ बोलना धर्म है, हिंसा करना धर्म है, चोरी करना धर्म है, परिग्रह धन इकट्ठा करना, धर्म है या शील खो देना धर्म है। कोई बुरी बात किसी धर्मग्रंथमें नहीं मिलेगी। पद्यबद्ध होने के कारण धर्मग्रंथ ऐसी भाषामें जरूर है, जिनसे स्वार्थी लोग अपने मनके अर्थ लगाकर समाजको अधर्मके लिये तैयार कर देते हैं। कोई धर्मग्रंथ लडाई की आज्ञा नहीं देता। यह आदमीकी अपनी कमजोरी है, जो उसमेंसे यह अर्थ निकाल लेता है। हर भाषाके अक्षरोंमें यह खूबी है कि जरा डधर-उधर करनेसे कुछका कुछ अर्थ हो जाता है। एक कहावत है—“खुदा वयक नुस्ता जुदा मीशवद,” यानी खुदा विदीके हेर-फेरसे जुदा हो सकता है। फारसीके अक्षर “खे” के ऊपर विदी लगती है, और “जीम” के नीचे। विदी अगर ऊपरकी नीचे लिख जाय या लग जाय, तो फारसी अक्षरोंमें लिखा हुआ ‘खुदा’ ‘जुदा’ पढा जायगा। भाषा और लिपिकी इन छोटी-छोटी गुत्थियोंसे स्वार्थी लोग फायदा उठाकर समाजको लडवा देते हैं। सुधारकको इन सब बातोंका ज्ञान ही नहीं होना चाहिये इनसे ऊँचा होना चाहिये।

सुधारके कर्तव्य अनगिनत है। उनपर एक ग्रंथ अलगसे लिखा जा सकता है, पर हमें सुधारकको ग्रंथजालमें नहीं फंसाना, ग्रंथोंसे ऊपर उठाना है। हमें तो बताना यह है कि सुधारकके लिये सब ग्रंथ बेकार है। ग्रंथोंका जानकार वह भले ही हो, पर ग्रंथोंको प्रमाण कभी न मानें, ग्रंथोंका हवाला कभी न दें। उन्हें प्रमाणमें कभी पेश न करें, प्रमाण तो वह बुद्धि, परम-प्रमाण हृदय और परमोत्तम प्रमाण अंतरात्मा को ही माने। सुधारक जैसे ही समाजका सच्चा हितैषी बना कि उसको सब ग्रंथोंका निचोड़ इस तरह समझमें आ जायगा जैसे काला लोहा धिसे जानेपर शीशे जैसा साफ बनकर दूसरेके प्रति-विम्बको दिखाने लगता है। आदमी सर्वज्ञ बन सकता है या नहीं? पर अपने कामके लिए बहुत तो बहुत आसानीसे बन सकता है। चोरी करनेके लिये जितना ज्ञान चाहिए शाह बने रहनेके लिये उससे हज़ारोगुना कम ज्ञान की जरूरत है। झूठ बोलनेवाले को अपने झूठ छिपानेके लिये जितने झूठ तैयार करने पडते हैं और उनमें जितनी मेहनत और बुद्धिलगानी पडती है, सच बोलनेमें उससे हज़ारगुना कम बुद्धिसे काम चल सकता है। कहावत है कि बुद्धि बहुत खर्च करनेसे बढ़ती और कम खर्च करनेसे घटती है। पर यह हमारी बात और भी ठीक है कि बुरे कामोंमें लगकर बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही गंदली होती जाती है। वह फैलावमें ही लम्बी-चौड़ी होती है, लेकिन अंधेरे को बढ़ाती ही है, जिसमें फिर टटोलना ही पडता है और बुद्धि अच्छे कामोंमें जितनी ही कम लगे उतना ही प्रकाश करती है। ज्यादा लगाने पर ज्यादा प्रकाश भी कर सकती है लेकिन जरूरतसे ज्यादा लगनेपर धोखा हो जानेकी संभावना है, दियासलाई मामूली रगड़ खाकर जल सकती है, प्रकाश दे सकती है, दिया जला सकती है और हमेशाके लिए उपकार कर जा सकती है। उसी दियासलाईको अगर बहुत जोरसे रगड़ा जाय, तो उसका सिर भूँसे एक क्षण ही प्रकाश देकर नीचे गिर जायगा और अपना प्रकाश बेकार बरबाद कर जायगा। अगर दियासलाईका सिर न भी गिरा तो दूर तक हाथ जानेसे प्रकाश होकर भी हवासे बुझ जायगा और दूसरे दिये न जल सकेंगे। इसलिए बुद्धिके

इस्तेमालमें इस बातका बड़ा ध्यान रखना चाहिये कि वह बुराड्योकी खाद डेकर न पोसी गई हो । तभी तो समझदार यह कह गये हैं कि साध्यके लिये साधन भी भले होने चाहिये । पैसा ईमानदारीसे ही कमाना चाहिये वेईमानीसे नहीं । सुधारकको यह ध्यान रहे कि उमे जो कुछ समाजमें करना है, उसकी जल्दवाजी न करे । अपने उसूलोसे हरगिज न डिगें । समझौता कभी न करे । गुरु नानककी तरहसे मरदाना नामका एक साथी बनाकर ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दे । धर्म और पथ स्थापनामें न लगे । अपनी मेहनतके फल देखनेकी इच्छा न रखे । अपने पुजने की भावनाको पास न फटकने दे । वह तो रुढियोसे अलिप्त शुद्ध मोती बना हुआ समाज सीपके पेटके अंदर जगत मागरके एक कोनेमें पटा रहे और अगर उसे कोई निकाले भी तो गलेमें पडनेके लिये तैयार रहे । लेकिन उससे उन्हें पेट फडवाने के लिये मालाके डोरेमें पिरोये जाकर अपनी आज्ञादी खोनेको भी तैयार रहे । गुरु नानक और मुहम्मद साहब दोनो याद किये जाते हैं । दोनो अपने समयमें अपनी सफलता देख गये थे । गाँधीजी तो अपने समय के मालिक बन गये थे । सुधारक इस इतिहासको जानते हुए भी इतिहासके रसमें गोता मारने या डूबनेकी न सोचे । वहाँ दम घुटकर मरनेके सिवाय और है ही क्या ? उसके लिए तो एक ही पाठ है कि वह डम सब पर तैरता रहे और बादल की तरह तैरता रहे । तब और तभी वह देख सकेगा कि सुधार क्या रग लाता है ।



शास्त्र और सामाजिक क्रान्ति

समाजके विस्तार और विकासके साथ ही उसके पुराने शास्त्रमे आनेवाली आचार-विचारकी प्रणालियोंको नये युगका सामना करना पड़ता है। तब पुराने और नये विचारोमें कभी कभी देवासुर-संग्राम-सा तुमुल-द्वन्द्व भी मच जाता है। पुरानी प्रणालियोंका एकमात्र बल श्रद्धा है। नवीन युग तर्क या बुद्धिवादसे गुरु होता है। उसका कार्य पुरानी मान्यताओंकी विश्लेषण-प्रधान परीक्षा करना है। जब केवल श्रद्धाजीवी पुरातनता नवयुगीन-परीक्षाकी कसौटीके सामने ठहरनेमें असमर्थ होती है, तब पुरान पंथी शास्त्र यह मानकर छुटकारा पा लेते हैं कि आचार-विचारगत मान्यताएँ दो प्रकारकी होती है : पहली अहेतुवादी और दूसरी हेतुवादी। जिसमें दलील या तर्ककी गुजाइश न होकर, मात्र श्रद्धासे ही जिसका अनुसरण हो वह अहेतुवाद; और जिसमें तर्क या परीक्षा की भी गुजाइश हो, वह हेतुवाद कहलाता है।

पुराने और नए युगके संघर्षका फल है—इस अहेतुवाद और हेतुवादका समन्वय या समझौता। शास्त्रके पुराने स्तरके ऊपर समझौतेका यह नया स्तर भी स्थान पाता है। इस तरह शास्त्रके विषयो तथा उनके भावोमें विकास होता रहता है।

पर यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि मानव चेतना इतनी गम्भीर और सजीव है कि वह केवल श्रद्धा या तर्ककी, अथवा यो कहिए कि अहेतुवाद और हेतुवाद की सीमामें, आवद्ध रह नहीं सकती। चेतनाके उस गहरे भागसे प्रज्ञाका नया बल भी कभी-कभी उदय होता है। तब वह बल मात्र श्रद्धा और मात्र तर्ककी आज्ञाका कायल नहीं रहता; बल्कि वह प्रज्ञावल श्रद्धा और तर्क दोनोंको अपना सेवक बनाकर उनसे काम लेता है। अतएव प्रज्ञाकी सूझ अहेतुवाद और हेतुवाद इन दोनों शास्त्रीय भूमिकाओं से परे होती है। इसे ही योगियोंने 'सामर्थ्य योग' कहा है। सच्ची क्रांतिका मूल 'सामर्थ्य-योग' में है, परन्तु अहेतुवादी और हेतुवादी शास्त्रकी भूमिकावाले सामर्थ्ययोग-मूलक क्रांतिको ठीक तौरपर समझ नहीं पाते, तब वे नये उदयोन्मुख सत्यका गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखते। इसीसे हम यहूदी और ईसाई तथा वैदिक और जैन-बौद्ध आदि सभी परम्पराओंके शास्त्रोंको समय-समयपर मानवताकी प्रगतिमें साधक होनेके वजाय बाधक पाते हैं। फिर भी अन्तमें प्रज्ञावादकी ही विजय देखी गई है।

क्रांति और परिवर्तन दोनों ही एक नहीं है। परिवर्तन जड़ और पुरानी आचार-विचारकी रूढ़ या मात्र श्रद्धाजीवी प्रणालियोंका ऊपरसे सुधारमात्र है, यह सुधार

किन्हीं दवावोंके कारण लाचारीसे करना पडता है । इसे बुद्धिकी लीपापोती या मरहम-पट्टी भी कह सकते हैं । परिवर्तनमें पुरानी श्रद्धाके मूल करीब-करीब ज्योंके त्यों रहते हैं और प्रणालियोंका ऊपरी लिवास थोडा-बहुत बदल जाता है ।

क्रान्ति निराली वस्तु है । क्रान्तिकी प्रेरणा मात्रसे बौद्धिक वैभव नहीं आ सकता । उसका उद्गम प्रतिभा या सहज सूझमे है । जब कोई अन्तर्नेत्रसे पुरानी प्रथाओं तथा उनकी पोषक अविचारी श्रद्धाका मानवताघाती परिणाम देख लेता है और उसको अपने दर्शनमें सन्देह तक नहीं रहता तब उसकी प्रतिभा जग जाती है और उसे क्रान्तिकारी विचारों की ओर प्रेरित करती है ।

लोग समझते हैं कि क्रान्तिकारी तरगी और अव्यावहारिक होता है, पर सच्चे क्रान्तिकारी पर यह आरोप लागू नहीं होता । सच्चा क्रान्तिकारी वह है, जो अपनी सूझ और मानवताके भविष्यपर पूरा विश्वास रखता है । वह केवल चालू प्रथाओं का या विश्वासों का निपेध करने में ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री नहीं समझता । यह तो उसका प्राथमिक कार्य है । उसका अगला कदम नई परिस्थिति-निर्माण करनेका होता है ऐसी परिस्थिति जिसमें समाज श्रद्धा और बुद्धिका योग्य समन्वय साव सके ।

लोग यह भी समझते हैं कि क्रान्तिकारी बुद्धिवादी तो होता ही है, पर श्रद्धालु नहीं । यह धारणा भी गलत है । क्रान्तिकारीमे अन्य सबकी अपेक्षा श्रद्धाका बल अधिक होता है, क्योंकि एक तरफ तो उसे अनेक विधि-विरोधोंका सामना करना पडता है, तो दूसरी ओर अपनी सूझ और विचारमरणीको कार्यान्वित करनेके लिये उसे अडिग रहना पडता है । हाँ, इतना अवश्य है कि वह विचार-विहीन पुरानी श्रद्धाओंका निर्भयतासे विरोध करता है, पर पक्का आस्तिक होनेके लिये कुछ अगोमें नास्तिकता भी अनिवार्य हो जाती है । क्रान्तिकारी सचमुच आस्तिक होता है, क्योंकि उसे अखण्ड मानवतापर अटूट श्रद्धा और साथ ही अपनी मौलिक श्रद्धाके सशोधनमें भी पक्का विश्वास होता है ।

हम बुद्ध और सुकरातको क्रान्तिकारी समझते हैं, ईसाको भी । अन्तमें हम गाँधीजी पर आ टिकते हैं । क्यों ? इस प्रश्नका जवाब उनकी मौलिक सूझ और श्रद्धाके सशोधन-कार्यसे मिल जाता है । बुद्धने विचार और आचार दोनोंमें क्रान्तिकी । विरोध और प्रलोभन कोई उसे तिल-मात्र भी डिगा न सका । सुकरातने विचारमें क्रान्तिकी । वह अपनी सूझमें कितना पक्का था इसका सबूत तो मौका मिलनेपर भी जेलोसे न भागनेके शौर्यपूर्ण निर्णयसे मिल जाता है । और क्राइस्ट ? कितना प्रशान्त, कितना अक्षोभ्य और कितना मृत्युसे निर्भय ! उसने अन्त तक सत्यके आग्रहको नहीं छोडा ।

गाँधीजीकी बात तो विलकुल ताजा है । मानव-जीवनका, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसमें गाँधीजीने मौलिक सशोधन किया न हो । केवल विचारमें ही नहीं, आचारमें भी उन्होंने क्रान्ति की ।

रूढ-श्रद्धालुका मार्ग सरल है, क्योंकि उसे प्रचलित लकीरपर भेडिया-वसानकी तरह ही चलना है । परिवर्तनवादी या सुधारकका मार्ग भी कठिन नहीं, क्योंकि उसे आमूल-परिवर्तन करना ही नहीं पडता । उसे तो जहाँ जितना अनिवार्य रूपसे हो, सुभीतेके साथ करना है । और उतना ही करके वह कृत-कृत्य हो जाता है । पर क्रान्तिकारी स्थिति जुदा है । उसे तो जहाँ-जहाँ घुन लगा दिखाई दे, वहाँ ही सर्वत्र काट-

छाँट, कभी-कभी उच्छेद और अन्तमें नई रचना तक करनी पड़ती है । इसीसे समाजमें क्रातिकारी सहसा सुलभ नहीं होता ।

कोई क्रातिकारी आकर समाजको जीवनके नये मूल्य समझाता है । शुरूमें भले ही उसका प्रबल विरोध हो, हत्या तक हो, पर अन्तमें उसके द्वारा सुधार-मार्गको समाज अपना ले लगता है । जब क्रातिकारीकी बात समाजमें जड़ जमाती है, तब शास्त्रकारों को शास्त्र-रचनाकी खूराक मिल जाती है । फिर तो वे नई क्राति को शास्त्रमें स्थान देकर लोक-स्वीकृत करानेका प्रयत्न भी करते हैं । परन्तु ऐसे शास्त्रकार कम देखे जाते हैं, जिन्होंने खुद ही क्राति भी की हो और खुद ही उसीके आधारपर शास्त्र-रचना की हो । दूसरों द्वारा की गई क्राति की शतमुखसे प्रशंसा करना या तर्कबलसे उसकी शास्त्रीयता स्थापित करना अलग बात है, और खुद की गई क्रातिके अनुभवोंके बलपर खुद ही शास्त्र-रचना अलग है । फिर भी मानवता ऐसी सामान्य वस्तु नहीं है कि हमेशा दबी ही रहे । ऐसे व्यक्तिको भी मानवता अक्सर पैदा करती ही है जो खुद ही क्रातिकारी और शास्त्रकार दोनों हो ।

यदि समाजकी परिधि या क्षेत्र छोटा है तो क्रातिका कार्य उतना कठिन नहीं होता । जैसे-जैसे समाजकी परिधि विस्तृत होती जाती है, एक समाज दूसरे समाजके विद्योप सम्पर्क में आता है, एक देश दूसरे देशके विद्योप निकट आने लगता है; वैसे-वैसे क्रातिका कार्य जटिल और कठिन होता जाता है, क्योंकि इस दशा में अनेक देशोंके, विविध-समाजके नानाविध आचार-विचारोंको देखकर उनके आचार-विचारोंके परिवर्तन या सशोधन की बात सोचनी ही पड़ती है और उस विचारको अमली बनानेके लिए पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है । आज विश्वकी दशा ऐसी ही है । कोई एक देश या समाज केवल अपनेमें ही सीमित होकर टिक सका हो ऐसा आज सम्भव नहीं है ।

हर देश और हर समाजकी क्रातियों का अपना इतिहास भी है । कोई देश, मानव-युथ या मानव-कुल ऐसा नहीं है, जिसने समय-समयपर कमोवेश क्रान्तिका अनुभव किया न हो । जो समाज विलकुल पिछड़ा हुआ है, या माना जाता है, (जैसे अफ्रीकाके कुछ नीग्रो लोग या भारतके आदिवासी आदि) उसमें भी, सुधार मात्र ही नहीं, कभी-कभी क्रातिकी लहरें तक आई हैं; भले ही वे तीव्र न हों, व्यापक न हों, गहरी न हों । बरना वे समाज आजतक जीवित ही न रह पाते ।

भारत एक पुरानी संस्कृतिवाला देश है । इसमें अनेकविध-समाज हैं; जिनके विचार-आचार अनेक विषयोंमें भिन्न भी हैं । वे सब समाज रुढ़ि, सुधार और क्रातिकी भूमिकासे गुजरते आए हैं और आज भी कोई एक तो कोई दूसरी भूमिकासे गुजर रहा है । परन्तु सामान्य-रूपसे कहना हो तो यही कहना ठीक होगा कि आजका भारत कमोवेश क्रातिकी दिगामें ही है । सामाजिक जीवनकी परिधियोंमें केवल शादी, विरासत आदि जैसे ही प्रश्न नहीं आते; उसमें तो आर्थिक, राजकीय, धार्मिक आदि सभी प्रश्नोंका समावेश होता है । किसी एक पहलूमें सुधार या क्राति उस समय तक सफल सिद्ध नहीं हो सकती, जब तक कि जीवनके दूसरे सब पहलुओंका सुधार या उनमें क्राति न की जाय । उदाहरणार्थ, दाम्पत्य-जीवनमें स्त्री-पुरुषकी समानता सिद्ध करनी हो, तो उनके शिक्षण और आर्थिक-जीवनके विषयोंमें भी जड़-मूलसे परिवर्तन करना होगा । यह नहीं कि

नारी अपठ रहे, कम पढे व आर्थिक रूपसे विलकुल पराधीन रहे, फिर भी पुरपके साथ समानतासे बैठ सके ।

हमें यदि साम्प्रदायिक या दलमुक्त राज्यप्रणाली स्थापित करनी है, तो यह नहीं कि हम पण्डित, मौलवी, मुल्ला, दावा-साधु आदिके वहम और अन्वथ्रद्धा-प्रधान अविचारी धर्म-प्रचारको निवाहते जायें और ऐसी राज्यप्रणाली भी चालू रख सकें ।

पतिकी मृत्युके साथ ही उच्च-वर्ण या सवर्ण कही जानेवाली जातियोंमें से अनेक स्त्रियाँ सती हो जाती थी । यह एक रूढि थी । जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदायोंकी धर्म-भावना या आगे जाकर राजकीय शासनसे सती-प्रथापर प्रतिबन्ध लगे । यह सुधार अवश्य है, पर इस सुधारमें वैधव्यके सकटकी जडका मूल-संशोधन नहीं हुआ । विधवा सती होनेसे अवश्य बच गई, पर बहुधा लाचारी वग कवि श्रीहर्षके कथनानुसार, स्वीकृत वैधव्यकी अग्नि उसे आजन्म, जलाती ही रही । आजकल उसमें क्रांति प्रारम्भ हुई है । विधवा भी चाहे, तो विवाह कर सकती है । उमे कानूनी मददके अलावा समाजके एक विशेष भागकी सहानुभूति भी प्राप्त है । फिर भी यह पूर्ण-क्रांति या शुद्ध-क्रांति नहीं है । शुद्ध और पूर्ण क्रांतिमें तो पुनर्लग्न करते समय या करनेके वाद विधवाके प्रति समाजके किसी भी भागमें अवमाननाका भाव रह ही नहीं सकता । जैसे पुनर्लग्नके वाद विधुरके प्रति किमीका अवमाननाका भाव नहीं देखा जाता । यही नहीं, बल्कि पुनर्लग्न करनेवाले पुरुषकी उस विधवाके प्रति ऐसी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए कि मैं उसका उद्धार कर रहा हूँ । इस दिशामें शुद्ध-क्रांति वही कही जा सकती है, जिसमें विधवा और पुनर्वरण करनेवाले पुरुष दोनोंका हृदयगत सख्य हो, आजन्म वफादारी हो जो हर प्रकारकी कठिनाइयोंमें भी एकसा रहे ।

स्व प्रयत्न या पैतृक-विरासतासे मिली सम्पत्तिको पुण्यका फल समझना रूढिवाद है । आगामी पुण्य-उपार्जनकी दृष्टिसे या अन्य प्रेरणाओंसे इच्छानुसार सम्पत्तिका दान करना, मात्र-संग्रहमें एव अपने उत्तराधिकारीको ही देनेमें सतोष न मानना, सुधार है । स्वामित्वके वारेमें क्रांतिका प्रभाव तब होता है जब व्यक्ति सोचे कि—'जो सम्पत्ति मुझे प्राप्त है वह केवल मेरे प्रयत्नका फल नहीं है, और मैं दूसरोको गरीब या तग स्थिति में रखे बिना धन-सचय भी नहीं कर सकता । धन-सचयका अर्थ अन्यकी गरीबी होती है । जो व्यक्ति अन्यकी गरीबीको स्वीकार या नजरअन्दाज करके धन-सचय करता है, वह धनसचयके स्वामित्वके नाते पुण्यवान् हो जा सकता है पर साथ ही अनेक व्यक्तियोंकी गरीबी और लाचारीके पोषकके नाते पापी भी कम नहीं है । इस दृष्टिसे वह पुण्यकी अपेक्षा पापका ही भागी अधिक है ।' ऐसा सोचकर वह व्यक्ति धन-सचय करनेके वजाय अपनी इच्छा व समझदारीसे उपाजित धनका विवेकयुक्त वेंटवारा करे । जब समाजमें कानून या अन्य दवावके सिवा भी स्वामित्व-त्यागकी भावना और प्रवृत्ति स्थापित होकर जीवनमें घुल-मिल जाय तब ही क्रांतिकी पूर्णता मानी जा सकती है ।

कभी राजाको देव-रूप मानकर पूजासत्कार किया जाता था । उसके विलकुल नालायक व अयोग्य उत्तराधिकारीको भी निवाहना धर्म समझा जाता था । यह रूढि-वाद है । राजा वह है, जो सचमुच प्रजापालन कर सके और इस कार्य में सुयोग्य मन्त्रियों

का भी सहारा ले तथा नालायक उत्तराधिकारीको बारिस बनानेका आग्रह न रखे । तत्कालीन नरपतिके नालायक होनेकी स्थितिमें यदि प्रजा उसे पदभ्रष्ट करे, तो यह विचार सुधारवादी है ? इस दिशामें क्रान्तिका प्रारम्भ वैयक्तिक राजसत्ताके तो त्यागसे होता है, परन्तु राजसत्ताका त्याग कर देनेपर भी यदि वह परिस्थितिका लाभ उठाकर पुराने राज्य देश या समाजका अधिकृत एव उपयुक्त काम किए बिना सिंहासनपर मौजमजे उडाता और साधारणतः जनताको निठल्ले आलसीपनेका सबक सिखाता रहे तो समझना चाहिए कि अभी इस वारेमें क्रान्तिका बहुत काम बाकी है ।

पुराने ग्रंथोंमें है ब्रह्म च क्षत्र च—ब्राह्मण या क्षत्रिय ये दो वर्ण विशेष श्रेष्ठ हैं; वैश्य सेठ हैं, तो शूद्र सबका सेवक है । यह हुआ रूढिवाद । धार्मिक सुधारसे या अन्य देशोंके सम्पर्क से यह विचार आया कि उच्च-नीचका भेद न्यायोचित नहीं । यह सुधार परिवर्तनवाद है । पर जब इस वर्णभेदकी भावनामें अस्पृश्यताको जड़ मूलसे निवारणका प्रश्न आया, तब क्रान्तिका बीजवपन हुआ । यह बीज अकुरित तो हुआ । पर अभी उसके फलने-फूलनेमें कई बाधाएँ हैं । कुछ पक्के सुधारको और राज्य-शासन के बलपर जहाँ अस्पृश्यताके निवारणका प्रयत्न होता है यही दूसरी ओरसे जात-पाँतके मिथ्या अभिमानी, न्यस्त-स्वार्थ साधक, धर्मके ठेकेदार तथा दूसरे नासमझ लोग अस्पृश्यों को आगे आनेसे रोकनेमें कुछ भी उठा नहीं रखते । उच्च-नीचकी भावनाको पूर्णतः निर्मूल करके अखण्ड-मानवताके नाते समानताकी स्थापना करना ही पूर्ण क्रान्ति है, और साधना अभी बाकी है ।

हर सम्प्रदाय अपने-अपने प्रवर्तकोंको स्वतंत्र ईश्वरकी कोटिका माने तथा अपने अपने शास्त्रोंको ही अपौरुपेय, ईश्वरप्रणीत या सर्वज्ञकथित मानकर उनको इतना पूर्ण मान ले जिससे कि उन्हें किसी अन्य के शास्त्रोंसे कुछ भी समझने या लेने लायक न लगे ऐसा अतिसकीर्ण धर्मवाद धार्मिक-रूढिवाद कहलाता है । स्वयं जिज्ञासा या अन्य परिस्थितिबग्न इतर परम्पराओंके शास्त्रोंके परिचयका मन तो हो पर इसके पीछे मुख्य दृष्टि यह रहे कि इन शास्त्रोंके आचार पर जहाँ सम्भव हो वहाँ, केवल अपने शास्त्रके ही मौलिकतत्व स्थापित किये जायँ और जहाँ ऐसा सम्भव न हो, वहाँ इतर शास्त्रोंके अभि-प्रायके प्रति, बहुत हुआ, तो तटस्थ रहा जाय यह एक तरहका ढुलमुल धार्मिक सुधार है । धार्मिक क्रान्ति की भूमिका बिलकुल निराली है । उसमें अपनी या दूसरेकी परम्पराका विरोधमूलक भेद रह ही नहीं पाता । परम्परा, सम्प्रदाय, शास्त्र, प्रवर्तक, कोई भी हो, अगर उसमें मानवताके हितकी बात हो, कोई सकीर्णताका भाव न हो, किसी जाति या वर्गके स्वार्थका सम्बन्ध न हो तो वे सब क्रान्तिकी भूमिकामें मान्य होती है । इतना ही नहीं, बल्कि क्रान्तिका सच्चा अग्रदूत अपनी प्रज्ञाके प्रदीपसे ऐसी अनेक बातें नये रूपमें लोगोंको समझा जाता है जो शायद कभी किसीने सुनी भी न हो । क्रान्ति की इस भूमिकामें जो धर्मसमन्वय या सर्वधर्म समभाव पैदा होता है, वह मानवताको बहुत ऊँचा उठा ले जाता है ।

भारत ही नहीं, दुनियाँने इस युगमें ऐसी क्रान्ति की कुछ झाँकी गाँधीजीके जीवन-कार्यमें पाई है । ज्वरदंस्ती, शस्त्रबल या प्रलोभन आदिसे मानवसमाजोंमें अनेक परिवर्तन होनेका इतिहास तो मिलता ही है, पर इतिहासमें ऐसा एक भी पृष्ठ नहीं है, जिसमें यह

मिले कि किसीने जीवनके यावत्क्षेत्रोंमें अहिंसा और सत्यके बलपर इतने व्यापक प्रमाणमें मौलिक-क्रांति की हो। इसी कारण गाँधीजीका धर्म-समन्वय या सर्वधर्म-समभाव पुराने सन्तो या नये सुधारकोसे विलकुल भिन्न कोटिका लगता है।

अन्तमें, हम श्री विनोबाजीको भी नहीं भुला सकते। आज चाहे उनके विचार सरलतासे सर्वमान्य न हो, पर उनके विचारकी जड़में एक ऐसा प्रेम-सदेग—एक ऐसा अखण्ड-मानवतावादी भाव है कि अगर मानव जातिको विचारपूर्वक शान्तिसे जीवित रहना है तो सघर्ष, स्वार्थ हिंसा और वैर-प्रतिवैरकी वृत्तिसे थक जानेपर जल्दी या देरसे उसे अपना ही पड़ेगा। ऐसी ही सामाजिक क्रान्तियाँ विशुद्ध शास्त्र बन जाती हैं और वे मानव-जीवनकी स्थायी विभूतियाँ हैं।

रूढिका मूल बहममें है और सच्ची क्रांतिका प्राण धर्ममें। बहम और धर्ममें अन्तर है। बहम अज्ञानके कारण धर्मसे पैदा होता है और उसका ही नाशक रता है। सच्ची-क्रांतिको समझनेके लिये बहम और धर्मका अन्तर अवश्य समझना चाहिए। बहमके नागसे कोई हानि नहीं, पर धर्मके नाशसे हानि अवश्यम्भावी है। बहमके नाशसे ही धर्मको बचाया जा सकता है, जो क्रातिमात्रका प्राण है। भावको हम बॉल्तेयरके निम्न शब्दोंमें प्रकारान्तरसे पढ सकते हैं। ये उसने अपने एक मित्रको सम्बोधित करके लिखे थे —

“ Religion, you say, has produced countless misfortunes , say rather the superstition which reigns on our unhappy globe This is the cruelest enemy of pure worship due to the supreme Being Let us detest this monster which has always torn the bosom of its mother ; those who combat it are the benefactors of human race ; it is a serpent which chokes religion in its embrace , we must crush its head without wounding the mother whom it devours ”

—The story of Philosophy by

Will Durant p 242

—० ०—

समाजिक क्रान्ति - उसका रूप और प्रतिक्रिया

प्रकृति और पुरुष,—यह दो मुख्य तत्व हैं, जिनसे इस विश्व का निर्माण हुआ है। यह दोनों तत्व क्रान्तिके प्रभावसे अछूते नहीं रह सकते। दोनोंके लिए उसकी प्रतिक्रिया भी प्रायः एक सी होती है। दोनोंको एक-दूसरेका विरोधी इस रूपमें माना गया है कि प्रकृतिकी कठोरताको सहन न करनेके कारण पुरुषने उसपर विजय प्राप्त करनेका प्रयत्न किया और उस प्रयत्नके कारण दोनोंमें एक संघर्ष छिड़ गया। फिर भी दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनोंके पारस्परिक व्यवहारपर ही यह सारा विश्व टिका हुआ है। दोनों का क्रान्तिके प्रभाव और प्रतिक्रिया (परिणाम) से बच सकना संभव नहीं है।

प्रकृतिमें होनेवाली क्रान्तिकी आँधी, तूफान, अंझावात, भूकंप व प्रलय आदि अनेक रूपोंमें देखा जा सकता है और उसकी प्रतिक्रियाको इन परिवर्तनोंसे सहजमें समझा जा सकता है। एक वाक्यमें कहें, तो यह कहा जा सकता है कि क्रान्तिका प्राकृतिक रूप अत्यन्त भयानक एवं विनाशकारी है लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अथवा परिणाम अत्यन्त सौम्य, सुन्दर, जीवन-प्रद एवं प्राणदायक होता है। हम क्रान्तिके कालके सारे कष्ट, क्लेश व दुखोको सहसा ही भूल जाते हैं। मानव-जीवनमें होनेवाली क्रान्तिका भी यही रूप और क्रिया-प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया शब्दका प्रयोग हम यहाँ परिणामके अर्थमें कर रहे हैं। यहाँ उसका अर्थ विपरीत परिणाम किंवा रिएक्सन नहीं किया जाना चाहिये। उसके लिए ठीक-ठीक अर्थका सूचक शब्द प्रतिगामी है।

अंकुर पृथ्वीका पेट फाड़कर प्रगट होता है और पौधा सिर ऊँचा किये स्वाभिमानके साथ बढ़ता चला जाता है। पृथ्वीका पेट न फटे, तो वनस्पतिका पैदा होना रुक जाय और पौधा भी संभव न रहे। जीव-जन्तु और प्राणियों के लिये, जीवन निर्वाहकी समस्या का हल कर सकना कठिन हो जाय। इस प्रकार देखा जाय, तो क्रान्तिके गर्भसे ही जीवन के पोषक तत्व प्रगट होते हैं। इसीलिए क्रान्तिको जीवन एवं प्राण देनेवाली कहा गया है। वह मनुष्यमें स्वाभिमानकी उस भावनाका संचार करती है, जिसके बिना वह अपने मनुष्यत्वको खोकर निरा पशु बन जाता है। मनुष्य जीवनकी सार्थकता छाती फुलाकर, सिर ऊँचा करके जीवित रहनेमें ही है।

मानवकी आत्माका स्वभाव सिद्ध गुण चेतनता है और चेतनता ही जागृतिका चिन्ह है। परन्तु आत्माकी यह चैतन्य शक्ति उस चिनगारीके समान है, जो राखके नीचे ढकी हुई अपने स्वाभाविक रूप एवं गुणको भूल जाती है। इस राखकी तरह मानव-

आत्मापर भी रुद्धि, परंपरा, अंध-विश्वास, मिथ्या धारणा, भ्रात-भावना एवं निरर्थक सामाजिक मान्यता आदिसे पैदा हुई जड़ता मूढताका वास्तविकताको ढँकनेवाली अवास्तविकताका पर्दा पड़ जाता है। कभी-कभी उसकी तह इतनी मोटी हो जाती है कि उसका हटा सकना, दुस्साध्य हो जाता है। साधारण स्थिति तो यह होती है कि हवाका एक अनुकूल झोका आते ही राख उड़ जाय और दबी हुई वह चिनगारी प्रज्वलित हो उठे। उसमें ऐसी अदम्य शक्तिका संचार हो उठे कि वह घरो, नगरो भयानक जगलोको भस्मसात करनेवाले दावानलका सा भीषण रूप धारण कर ले। मानवकी आत्मापर पडा हुआ जड़ता अथाह मूढताका आवरण यदि हट जाय, तो उसकी चैतन्य-शक्ति भी इसी प्रकार प्रज्वलित हो सकती है और वह भी अदम्य बन सकती है। यही क्रांतिका काम है कि रुद्धि, परंपरा, अंध-विश्वास, मिथ्या धारणा, भ्रात भावना और झूठी कल्पना, निरर्थक सामाजिक मान्यता तथा पुराने सस्कारोके विकार को छिन्न-भिन्न कर डाले। अवास्तविकताको दूर कर वास्तविक स्थिति लाना क्रांतिका धर्म है।

प्रकृतिको परिवर्तनशील बताया जाता है। उसमें उसका जो चक्र हमारे चारों ओर बना हुआ है, वह मंदा ही धूमता रहता है। इस गति अथवा प्रगतिका नाम ही तो परिवर्तन है। दिन-रात, मुबह-शामका परिवर्तन यदि न हो, तो प्रकृतिपर निर्भर रहने वाले प्राणि मात्रका जीवन दूभर हो जाय। दिनमें सूर्य और रात्रिमें चन्द्रमाका यह क्रम सृष्टिके आदिसे चला आता है और सृष्टिके अन्त तक चलता रहेगा। बारह मासकी लडीमें वधे हुए कितने ही वर्ष मानव-जीवनमें निरंतर जुड़ते रहते हैं प्रकृतिकी इस गति-प्रगति अथवा परिवर्तनका नाम ही तो यह ससार है। यदि कहीं प्रकृतिका यह स्वभाव मन्द पड़ जाय, तो ससार निश्चय ही ससार न रहकर असार बन जाय। प्रकृतिके जिन पाँच तत्वोंसे इस ससारका निर्माण हुआ है उन सबका यही स्वभाव-सिद्ध धर्म है। पानी हवा व अग्नि आदिके वेगको कौन बाँध सकता है? पानीकी धारा, हवाका झोका और अग्निकी ज्वाला वडेसे वडे अवरोधको भी पार करके अपना रास्ता बना लेती है। आत्माके स्वभावसिद्ध चैतन्यकी भी स्वाभाविक स्थिति यही है। उसकी गतिको भी कोई सदाके लिये रोक नहीं सकता। अज्ञान, जड़ता व मूर्खताका परदा उस पर पड़ सकता है, परन्तु सदाके लिए नहीं, केवल कुछ समयके लिए।

गतिके इस प्रकार स्वभाव-सिद्ध होनेपर भी हर प्रकारकी गतिको प्रगति नहीं माना जा सकता। हर परिवर्तन वास्तविकता पैदा करनेवाला नहीं हो सकता। विनाशकी हर प्रतिक्रियाको क्रांतिका रूप नहीं कहा जा सकता। मशीनका पहिया यदि उल्टा धूमना शुरू हो जाय, तो अनर्थका कारण बन जाता है। पानीकी धारा यदि सीमालाँघ जाय तो जल-प्रलय हो जाती है। हवाकी गतिमें “अति” पैदा होनेपर तुफान या झझावात आ जाते हैं। अग्निकी शिखाएँ प्रज्वलित होनेपर दावानल बन जाती है। वेग यदि उद्वेग बन जाय, तो उसकी सराहना नहीं की जा सकती। इस कारण प्रगतिके स्वरूप को ठीक-ठीक आँक लेना आवश्यक है। क्रांति वीमारीकी औपधिसे समान है। निदान और उपचारके बिना औपधि अपना गुण नहीं दिखा सकती।

बौद्ध साहित्यकी भाषामे कहा जाय, तो क्रांतिके रूप और उसकी प्रतिक्रियाके लिए ‘वोधिसत्व’ और ‘बुद्ध’ दो शब्दोंका प्रयोग किया जा सकता है। बोधिमत्वका अभि-

प्राय है पूर्णताकी खोज एवं उसके लिये प्रयत्न करनेवाला । क्रातिकी प्रक्रियाका उद्देश्य अथवा प्रयोजन भी यही होता है । वह पूर्णता या वास्तविकताका खोज करती अथवा उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करती है । बुद्धका अर्थ है, पूर्णताकी प्राप्तिकी सीढी, जो क्रातिकी प्रतिक्रिया अथवा उसका परिणाम है । जातक-कथाओंमें बार-बार यही समझानेका प्रयत्न किया गया है कि पूर्णताकी प्राप्तिमें कितने ही जन्म-जन्मान्तर लग सकते हैं । जीवको कितनी ही योनियाँ पार करनी पड सकती है । उसकी खोज व प्रयत्न निरन्तर जारी रहने चाहिये । गौतमको कितनी लम्बी, घोर तपस्याके बाद 'बुद्धत्व' प्राप्त हुआ । आवश्यक नहीं कि क्रातिकी एक ही प्रक्रियाके बाद सफलता हाथ लग जाय । कितनी ही प्रक्रियाएँ असफल या विफल हो सकती हैं, परन्तु खोज अथवा प्रयत्नका तारतम्य टूटना नहीं चाहिये । उनकी श्रृंखला निरन्तर बनी रहनी चाहिये ।

वैदिक प्रार्थनाके शब्दोंमें क्रातिके उपासक मानवका ध्येय होना चाहिए कि "असतो मा सत् गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय ।" असत्यसे सत्य, अंधकारसे प्रकाश और मृत्युसे अमृतकी ओर जाना ही क्राति की प्रक्रिया अथवा उसका रूप है । असत्य, अन्वकार और मृत्यु वास्तविक नहीं, बल्कि उस आवरणके समान हैं, जो वास्तविक स्वभावको ढँक लेता है । क्रातिका काम उसको दूर करना है ।

सामान्यतया मानव-जीवनसे सवध रखनेवाले क्रातिके तीन क्षेत्र हैं, जिनको हम व्यवहारकी भाषामें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र कह सकते हैं । दूसरे शब्दोंमें धर्म, समाज और राजनीतिसे भी उन क्षेत्रोंको व्यक्त किया जा सकता है । इन तीनों क्षेत्रोंमें होने वाली क्रांतियोंको धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति कहा जा सकता है । धार्मिक क्षेत्र केवल व्यक्ति तक सीमित न रहकर अत्यन्त व्यापक बन गया है, क्योंकि मानव-जीवनके समस्त व्यवहारको धर्मके साथ जोड दिया गया है और धर्म-स्थानोंकी स्थापना करके समाजको उनके साथ बाँध दिया गया है । राजनीतिको भी धर्मके साथ बाँधने की निरन्तर चेष्टाएँ की जाती रही हैं । धर्मके प्रतीक पण्डे पुरोहित व पण्डित अथवा मुल्ला-मौलवी व पादरी न केवल व्यक्तिके जीवनपर हावी रहे हैं; अपितु समाज और राजनीतिको भी उन्होंने अपने फौलादी पजोमें रक्खा है । इसमें सदेह नहीं कि उनका प्रभुत्व बृहत् तेजीसे मिटता जा रहा है; फिर भी मिटते हुए समाजकी तरह वे अपनी सत्ता बनाए रखनेमें निरन्तर सलग्न हैं । राजाओं अथवा सम्राटोंकी तरह उन्होंने भी अपनी सत्ताकी रक्षाके लिये भयानकसे भयानक सघर्ष किये और कर रहे हैं । योरपमें कभी पादरियोंकी तूती बोलती थी । अनेक देशोंसे उनकी सत्ता मिट चुकी है और अनेक में केवल शोभा व नामके लिये उनका अस्तित्व रह गया है । कभी टर्कीके खलीफा सारे मुस्लिम राष्ट्रोंके अथवा समस्त मुस्लिम जगतके धर्म-गुरु माने जाते थे । उनकी खिलाफतकी गद्दीका चारों ओर बोलवाला था । कमालपागा और उनके साथियोंने गद्दीके विरुद्ध विद्रोहका झडा खडा करके क्रातिका ऐसी चक्र घुमाया, कि उसका अस्तित्व ही मिट गया । मुल्ला, मौलवी दाढी, फैज़कैप तथा दुरका आदि धर्मके सारे चिन्ह समाप्त कर दिये गये । मस्जिदोंमें विद्यालय, पुस्तकालय, अस्नानताल, अजायबघर अथवा इसी प्रकारकी अन्य लोकोपकारी संस्थाएँ कायम करदी गई । धर्म स्थानके रूपमें उनका कोई अस्तित्व तथा महत्व नहीं रहा । कुरानगरीफके अरबी भाषामें लिखे होने

से यह फैसला दे दिया गया कि वह टर्कीके लिये नहीं है। जिस धर्मने जनताको मूढ बनाकर उसमें जड़ता पैदा कर दी थी, उसकी उन्नति व प्रगतिके सब मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे और उसके जीवनपर अवास्तविकताका परदा डाल दिया था, उसका कोई चिन्ह तक टर्कीमें शेष नहीं रहने दिया गया। धर्मकी आडमें कैसी अनैतिकता पनप रही थी। खलीफाके हरममें सैकड़ों लड़कियाँ अनैतिकताका जीवन वितानेके लिये लाचार की जाती थी। महिलाओंकी आजादीका अपहरण किया गया था। वे घरके बाहर आ-जा नहीं सकती थी। घरके दरवाजे और खिड़कियोंपर मैले-कुचैले परदे टंगे रहते थे। खुली हवा और खुले प्रकाशका उपभोग करना उनके लिए वर्जित था। इस सारी स्थिति को धार्मिक क्रातिने बदल दिया। कमालपाशाकी यह मान्यता थी कि स्त्रियोंके रूपमें देशकी आधी जनताको गुलामीमें रखते हुए प्रजातन्त्रके प्रयोगको सफल नहीं बनाया जा सकता। टर्कीके इस महान परिवर्तनका प्रभाव अन्य मुस्लिम राष्ट्रोंपर भी पडा। भले ही अफगानिस्तानमें बादशाह अमानुल्लाको सफलता नहीं मिल पाई और ईरानमें रजाशाह पहलवीने क्रातिका जो चक्र घुमाया था, वह अपने पूरे वेगसे नहीं चला, फिर भी इनमें और अन्य मुस्लिम-देशोंमें बहुत तेजीसे परिवर्तन हो रहे हैं। मिश्रमें जिस तेजीसे परिवर्तन हुआ, उसकी किसीको कल्पना तक नहीं थी। वहाँ राजसत्ता और उसके आश्रित सामन्तशाहीका एकाएक अंत ही हो गया। धर्मका नारा बुलन्द करके जनता को मदान्ध बनानेवाली मुस्लिमलोग पाकिस्तानमें लड़खड़ा रही है।

हमारे देशमें राष्ट्रीय-दृष्टिसे धर्म निरपेक्ष आदर्शको स्वीकार किया जा चुका है और जनतामें असमानता, भेदभाव तथा ऊँच-नीचका विस्तार पैदा करने वाला धर्म बड़ी तेजी से लुप्त होता जा रहा है। अन्य अनेक देशोंमें भी प्रायः ऐसी ही स्थिति पैदा हो रही है। धर्मके नामपर कायम की गई जड़ता बमूढताको सर्वथा नष्ट किया जा रहा है। नये चीन और सोवियत रूसकी तो चर्चा ही क्या की जाय? उनको "नास्तिक" कहकर उनकी भर्त्सना की जा रही है। यद्यपि नये चीनमें लोगोके धार्मिक विश्वासों व मान्यताओंमें किसी भी प्रकारका कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता और धार्मिक त्योहार आदि पहलेसे भी अधिक उत्साह एव धूमधामसे मनाये जाते हैं, फिर भी राज-काजमें धर्मका कोई स्थान नहीं रहा, जनताके व्यवहारमें भी उसका महत्व कम होता जा रहा है। इस प्रकार चारों ओर जो धार्मिक क्राति हुई है, उसका प्रभाव जनताके केवल व्यक्तिगत जीवनपर ही नहीं, उसके सामाजिक जीवनपर भी पडा है और सामाजिक-क्रातिका चक्र भी उसी वेगके साथ घूम रहा है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिसे इन सभी देशोंमें जनताके जीवनका जो कायाकल्प हो रहा है, वह आश्चर्यजनक है।

इस प्रसंगमें राजनीतिक क्रातिकी चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि धार्मिक व सामाजिक क्राति राजनीतिक-क्रातिकी पूरक है। वह पहले उसके लिये भूमि तैयार करती है और बादमें उसकी कमियोंको दूर कर उमको पूर्णतापर पहुँचाती है। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ राजनीतिक-क्राति सफल नहीं हो पाती। इस प्रकार होनेवाली क्रातिकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, परन्तु उमके परिणाम अत्यन्त शुभ व स्थायी होते हैं। उदाहरणके लिये हम अपने ही देशकी स्थिति के सबधमें कुछ विस्तारसे विचार करें। अग्रज जब इस देशमें आये थे, तब हमारे देश

के लोगोमें व्यक्तिगत रूपसे किसी भी बातकी कमी न थी, किन्तु अंग्रेजोके मुकाबलेमें हमारे सामूहिक चरित्रका विकास नहीं हुआ था। मुसलमानोके मुकाबलेमें भी वह बहुत कमजोर था। राजपूत वीरता, त्याग, तपस्या उत्सर्ग एव बलिदानके धनी थे, परन्तु उनका सामाजिक एव सामूहिक जीवन सर्वथा विशुद्ध था। स्त्रियोकी स्थिति भी समाज में कुछ ऊँची न थी। लड़कीका जन्म एक अभिशाप ही समझा जाता था। ऊँच-नीच के भेद-भावकी खाई बहुत गहरी और चौड़ी बन चुकी थी। ऊँचे घरानेके राजपूत सरदार युद्धके क्षेत्रमें शत्रुका सामना करनेके लिये भी अपनेसे नीचे माने गये राजपूत सरदारोके साथ कन्वसे कन्या मिलाकर खडे नहीं हो सकते थे। इस प्रकार वे युद्धके क्षेत्रमें निरन्तर पराजित होते रहे। इतिहासके विद्वानोने स्वीकार किया है कि पेशवाओमें अपने ब्राह्मणत्व का जो अभिमान समा गया था, वह उनके राजनीतिक पतन और मराठागाहीके विनाश का मुख्य कारण बन गया। हमारी ऐसी ही कमजोरियोके कारण पहले मुसलमान और फिर अंग्रेज हम पर हावी हो गये। १८५७ की देगव्यापी प्रचंड राज्य-क्रांति भी हमारी इन्ही कमजोरियोके कारण सफल नहीं हो पाई और हम इस तरहसे गुलामीमें जकड दिए गए। इस अत्यन्त निराशापूर्ण स्थितिमें राजा राममोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द तथा स्वामी विवेकानन्द आदिके रूपमें हमारी सामाजिक एवं धार्मिक चेतनाने एक ज्वरदस्त करवट ली। इसी सामाजिक एव धार्मिक क्रातिके गर्भसे हमारी राजनीतिक चेतना अथवा राष्ट्रीयताका प्रादुर्भाव हुआ। लोकमान्य-तिलक, तथा अन्य राजनीतिक नेताओने धार्मिक एव सामाजिक मामलोकी उपेक्षा करके केवल राजनीतिक जागृति पैदा करनेमें ही अपनी सारी शक्ति लगा दी। परन्तु राज्य का सर्घर्ष बहुत लंबा खिंच गया। महात्मागाधीके रूपमें एक बार फिर देगको वह नेतृत्व प्राप्त हुआ, जिसने एक ओर मादक द्रव्य निषेध तथा हरिजनोद्वार, महिला जागरण सरीखे कार्यक्रमोको हाथमें लेकर धार्मिक एव सामाजिक क्रातिपर बल दिया और दूसरी ओर राजनीतिक क्रातिमें अपनेको खपा दिया। यह प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई कि जिस स्वराज्यको गाँधीजी एक वर्षमें प्राप्त करना चाहते थे, उसे प्राप्त करने में २७ वर्ष लग गये। परन्तु उसकी नीव अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओके बावजूद कमजोर और खोखली नहीं है। दूसरोने भी उसकी दृढता एव मजबूतीको स्वीकार किया है। स्व-राज्य-प्राप्तिके वाद अब हम फिर सामाजिक एवं धार्मिक-क्रातिके विभिन्न आदर्शोको पूरा करनेमें लगे हैं। सम्यता, समानता और बन्धुत्व भावके आदर्शके सुदृढ-आधारपर प्रजातंत्रकी नीव रखी गई है। ऊँच-नीचके समस्त सामाजिक एव धार्मिक आधार एक-एक करके नष्ट किए जा रहे हैं। स्त्री और पुरुषकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अधिकारमें जो अंतर था, वह दूर कर दिया गया है। सामाजिक व्यवस्थाके लिए समाजवादके आदर्शको स्वीकार करके हम पूरी तेजीसे उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह है सामाजिक एवं धार्मिक क्रातिका वह रूप, जिसके बिना राजनीतिक क्राति पूरी तरह निखर नहीं सकती और उस का रग ठीक तरह खिल नहीं सकता।

रूसकी सोवियत क्रातिका उदाहरण भी टर्की जैसा ही है। वहाँके क्रातिकारी युवक भी अपनेको उन आदर्शोंमें पूरी तरह डाल चुके थे जिनमें वे अपने सारे देशको डालना चाहते थे। नये चीनका उदाहरण इस दृष्टिसे अत्यन्त स्पष्ट है। चीनके राष्ट्रपिता

डा० सुनयातसेन १८९९ में जिस राज्य क्रातिके प्रयत्न करनेमें लग गये थे और जिसके लिये उन्होंने निर्वासन तककी कठोरसे कठोर यातनाएँ सहन की, वह १९११ में सफल हुई और प्रजातन्त्रकी स्थापना होकर वे उसके पहले राष्ट्रपति भी चुन लिये गये थे । परन्तु वह पूरे १२ महीने भी निभ न सकी । प्रतिगामी तत्वोंने उस पर हावी होकर उसे सर्वथा विफल बना दिया । डा० सुनयातसेन और उनके साथियोने यह अनुभव किया कि सर्व सामान्य जनताको अपने साथ लिये बिना और उसकी सामाजिक जडता एव धार्मिक मूढता को नष्ट किये बिना उनके प्रयत्न सफल नहीं हो सकते । उनको एक बार फिर अज्ञातवास एव निर्वासनका जीवन विताना पडा और वडेसे वडे जोखिमका सामना करना आवश्यक हो गया । ४ मई १९१९ को जिस क्रातिका सूत्रपात किया गया वह राजनीतिक की अपेक्षा मुख्यतः सांस्कृतिक थी, जिसका सीधा सबध जनताके सामाजिक व धार्मिक जीवनके साथ था । देशव्यापी महान युवक-आंदोलनके रूपमें उसका सूत्रपात किया गया । इस प्रकार तैयार किए गए मुदृढ आघारपर प्रारंभ की गई क्राति १ अक्टूबर १९४९ को पूरी तरह सफल हो सकी । आज भी वहाँ चार मईका दिन प्रति वर्ष सांस्कृतिक क्रातिको सफल एव व्यापक बनानेके लिए विशेष रूपसे मनाया जाता है । यह वस्तुतः नये चीनके युवकोका वह महोत्सव है जिसपर वे अपने प्रजातन्त्री राष्ट्रको नये सामाजिक एव धार्मिक आदर्शोंमें पूरी तरह रँगनेका दृढ सकल्प करते हैं । १ अक्टूबर १९४९ को ही उन्होंने अपने कार्यकी इतिश्री नहीं मान ली, बल्कि उसके बाद और भी अधिक उत्साह एव विश्वाससे अपने काममें जुट गये । इस प्रकार वे प्रजातन्त्री क्रातिको पूर्णता की सीमापर पहुँचानेमें पूरी तरह सलग्न हैं ।

यह है वह प्रक्रिया जिससे सामाजिक एव धार्मिक क्राति द्वारा राजनीतिक क्रातिके लिये अनुकूल परिस्थितिया पैदा की जाती है और उसके बाद उसीके द्वारा उसको पूर्ण बनानेका प्रयत्न किया जाता है । इस क्रातिकी लवी प्रक्रियाके सबधमें हमको डा० सुनयातसेन के साथ घटी हुई एक बहुत पुरानी घटना याद आती है । वे अपने अज्ञातवास में लदनके एक होटलमें ठहरे हुए थे । उनके पास के कमरेमें कुछ इसी क्रातिकारी युवक ठहरे हुए थे । वे भी उनकी तरह अज्ञातवास कर रहे थे । दोनोंमें परिचय होनेके बाद एक-दूसरेके देशमें सभावित क्रातिके सबधमें चर्चा हुई । रूसी नवयुवकोने डा० सुनयातसेनसे पूछा कि वे अपने देशमें क्रातिके कितने वर्षोंमें सफल होने की आशा रखते हैं । डा० सुनयातसेनने उत्तर दिया कि ३० वर्षोंमें । रूसी नवयुवक उनका यह उत्तर सुनकर कुछ स्तम्भित रह गये । उनके विस्मयका कारण यह ३० वर्षकी अवधि नहीं बल्कि यह था कि वे अपने देशमें तो ३० वर्षोंमें भी क्रातिके सफल होने की आशा नहीं रखते थे । डा० सुनयातसेन अपने देशकी जनताकी स्थितिसे भली प्रकार परिचित थे । किसी राजा या राजवशके विरुद्ध विद्रोह कर के उसको राज्यच्युत कर देना इतना कठिन नहीं है, जितना कि आम जनतामें किसी क्रातिको सफल बनाना । रूस में जारशाहीको समाप्त करनेका प्रश्न मुख्य था । जनता उमके आत्याचारोमे तग आ चुकी थी । उसके जीवनके समस्त साधनो यहाँ तक कि पानीके नोतोपर भी जार का एकाधिकार था । अनेक प्रकारके टैक्सोकी भरमार थी । यहाँ तक कि बाजार जाने और घरमें चूल्हा जलाने तक पर टैक्स लगता था । जनताको जान-बूझकर मूढ,

जड़ और अज्ञानी रखकर उसपर मनमाना शासन किया जाता था । सरा देग वादशाह की जागीर और सारे देशवासी उसके गुलाम समझे जाते थे । ऐसे अत्याचारी शासकको राजगद्दीसे च्युत करना इतना कठिन न था । लेनि चीन और भारतकी स्थिति सर्वथा भिन्न थी । यहाँ आम जनताको एक विशेष प्रकारके सामंती शासन और नौकरशाही शासनसे मुक्ति दिलानेकी समस्या बहुत टेढ़ी थी । भारतकी समस्या और भी अधिक उलझी हुई थी । यहाँ एक जातिपर दूसरी समूची जातिका शासन था । वह ऐसे दो-एक व्यक्तियोपर निर्भर नहीं था, जिनको हटा देने मात्रसे समस्या हल हो जाती । यहाँ और चीनमें भी इस समस्याको हल करनेके लिये आम जनताके चरित्रके निर्माण करनेका प्रश्न मुख्य था, जिसके बलपर तत्कालीन शासनका अंत किया जा सके । गांधीजी और डा० सुनयातसेनने उसका निर्माण किया । चालीस करोड़ और साठ करोड़ जनताके चरित्रके निर्माण करनेमें २५ या ३० वर्ष लग जाना मामूली बात थी । वैसा ही हुआ भी । इसी कारण इस क्रातिकी यह प्रक्रिया बहुत लंबी है और उसके लिए अपार धैर्य, अटूट आत्मविश्वास और निस्सीम निष्ठाकी आवश्यकता है । ससारकी सब बड़ी-बड़ी क्रातियोको इसी प्रकार सफल बनाया गया है । सामाजिक एव धार्मिक क्रातिके आधारपर की गई राजनीतिक क्राति सफल हुए बिना नहीं रह सकती और उसके परिणाम भी प्रायः सदा ही शुभ एव कल्याणकारी होते हैं । उसका रूप जितना भीषण और लम्बा होता है, उसकी प्रतिक्रिया किंवा परिणाम उतना ही सत्य, भिन्न एव सुंदर होता है ।



विवाह, कुटुम्ब और समाज

विवाह और परिवार मानव-जातिमें आत्मसंरक्षण, वधवर्धन और जातीय जीवन के मातृत्वको बनाये रखनेका प्रधान साधन है ।

विवाह सस्थाका प्रादुर्भाव

मरण-धर्मा मनुष्यको अमर बनानेवाली विवाह सस्था का मानव समाजमें प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ ? यह एक मनोरञ्जक और रोचक प्रश्न है । उद्गम सदैव अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं । भगवती श्रुतिके शब्दोंमें ऐसे उद्गमको निश्चयसे कौन जानता है ? कौन उन्हें बता सकता है ? (को अद्धा वेद, क इह प्रवोचत् ऋग्वेद १०।१२६।६) । इनपर रहस्य का आवरण पडा हुआ है ।

किन्तु मनुष्यकी अदम्य जिज्ञासा इस से सन्तुष्ट नहीं हो सकती । वह इस पदको हटाकर सुदूर अतीतके धुन्धले एव अस्पष्ट कालके सवधमें कुछ जानना चाहती है । तथ्योके अभावमें कल्पनाके पखोपर उडकर उस कालकी ज्ञाकी प्राप्त करती है ।

कामाचार द्वारा विवाहके प्रादुर्भावकी कल्पना

१६ वी शताब्दीमें समाजशास्त्रियों ने जब सर्वप्रथम इस विषयका अनुसंधान किया, तो उन्हें अनेक जातियोंमें ऐसी कथायें और प्रथायें मिली, जिनके आधारपर यह कल्पनाकी गयी कि मानव समाजमें विवाह-संस्थाका उदय कामाचार (Promiscuity) से हुआ । इसके अनुसार पहले स्त्री-पुरुषोको स्वच्छन्द सवध करनेकी स्वतन्त्रता थी । स्त्रियो और पुरुषो दोनों पर विवाहके सम्बन्धमें कोई रोक-टोक या प्रतिबन्ध नहीं थे । इस निर्वाध और उन्मुक्त स्वतन्त्रताकी दशाको कामाचार या अनावरण (Promiscuity) स्वच्छन्द विवाह (Free marriage), गण विवाह (Group marriage) स्वैरिणीत्व (Hetaerism) आदि विभिन्न नामोसे कहा जाता था और यह माना जाता था कि इस आरम्भिक कामाचारसे ही बादमें नियमबद्ध वर्तमान विवाहों का जन्म हुआ ।

भारतीय साहित्यमे महाभारतकी कुछ कथायें उपर्युक्त मतको सिद्ध करनेवाली बतलायी जाती थी । आदि पर्वमें पाण्डुने कुन्तीको नियोगकी प्रेरणा करते हुए कहा है—“पुराने जमानेमें स्त्रियाँ खुली, अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ जानेवाली और स्वतन्त्र थी (अनावृता किलपुरा स्त्रिय आसन् वरानने । कामचार विहारिण्य स्वतन्त्राचार हासिनि ॥१।१२२।३) । वे कौमार्यवस्थासे ही अनेक पुरुषोके पाम जाया

करती थीं। ऐसा करना अधर्म नहीं था। उत्तर कुरु देशमें आज तक इसका प्रचलन है। इसके बाद पाण्डुने यह बताया कि विवाहकी मर्यादा इस लोकमें देरसे प्रचलित नहीं है। इसे स्थापित करनेवाले उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु थे। एक समय जब उनके पिताके सामने एक ब्राह्मण उनकी माताका हाथ पकड़कर ले जाने लगा और श्वेतकेतुने इसपर आपत्ति की तो उद्दालकने सन्तान धर्म कहकर इसका समर्थन किया। श्वेतकेतुको यह धर्म असह्य था, उन्होंने समाजमें स्त्री-पुरुषकी मर्यादाकी स्थापना बलपूर्वक की। इसी प्रकार इसी ग्रथमें अन्यत्र विवाह-प्रथा प्रचलित करनेका श्रेय दीर्घतमा ऋषिको दिया गया है। दीर्घतमा जन्मसे ही अंधे थे, प्रद्वेपी नामक कन्यासे उनका विवाह हुआ था, उनकी कई सन्ताने भी थी। पर जब उन्होने 'सुरभिकी सन्तानसे गोधर्म (कामाचार) सीखा और निश्चक होकर यह कार्य करना शुरू किया तो अन्य ऋषि मर्यादाका उल्लंघन करनेवाले (वितथ मर्यादा) दीर्घतमासे बड़े रुष्ट हुए। उन्हें आश्रमकी मर्यादा तोड़नेके कारण वहाँ रहने योग्य नहीं समझा गया। उनकी पत्नीने भी जब दीर्घतमाके आचरणसे ऊबकर उसे छोड़नेका निश्चय किया तो दीर्घतमाने कहा—'मैं आजसे ऐसी लोक-मर्यादा स्थापित करता हूँ कि यावज्जीवन एक ही पति नारी का सहारा होगा। पतिके जीवित रहने या मर जानेपर भी कोई स्त्री दूसरे पुरुषकी शरण नहीं लेगी।' कहा जाता है कि दीर्घतमाकी व्यवस्थासे पूर्व समाजमें विवाह और परिवारकी सस्था नहीं थी।

चीनके एक पुराने इतिहासमें कहा गया है कि प्रारम्भमें पुरुष तथा अन्य प्राणियोंमें किसी बातमें अन्तर नहीं था। मनुष्य जगलोमें इधर-उधर घूमते थे। स्त्रियोंपर उनका अधिकार समान रूपसे था। बच्चोको अपने पिताका कभी ज्ञान नहीं होता था, वे केवल अपनी माताको जानते थे।" सम्राट् फौ-हीने इस आदिम कामाचारका अन्त कर विवाहकी सस्थाका श्रीगणेश किया। इसी प्रकारकी कथायें मिश्र और यूनानके प्राचीन इतिहासमें पायी जाती हैं। मिश्रमें विवाह प्रथा चलानेका श्रेय मेनेसको तथा यूनानमें केक्रोप्सको दिया जाता है।

कुछ समाज शास्त्रियोंने आज तक प्रचलित ऐसे रीति-रिवाजोका निर्देशन किया है, जो इस बातका प्रमाण है कि विवाहकी आदिम-अवस्था कामाचार ही थी। इनमें छ. प्रथाएँ विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं—(१) प्राग्वैवाहिक स्वतन्त्रता, (२) प्रथम रात्र्यधिकार (Jus Primae Noctis) (३) दार्मिक वेश्यावृत्ति (४) स्त्रियोंको उधार देना तथा उनकी अदला-बदली करना (५) कुछ पर्वों पर यौन स्वच्छन्दता (६) मातृक अधिकार (mother right)। इनके अतिरिक्त प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकोंके प्रमाणोंके आधारपर कामाचारका समर्थन किया गया।

प्राग्वैवाहिक स्वतन्त्रताका तात्पर्य अनेक, जगली जातियोंमें पायी जानेवाली उस परिपाटीसे है, जिसके अनुसार विवाहसे पहले नर-नारी को यौन-संबंध करनेकी स्वच्छन्दता होती है। कामाचारके समर्थकोका कथन है कि पहले यह स्वतन्त्रता मानव-समाजमें सार्वभौम थी, अब कुछ विशेष जातियो तक ही सीमित रह गई है। कामाचारका दूसरा प्रमाण प्रथम रात्र्यधिकार है। लार्ड एवरीने इसपर बहुत बल दिया है। उसका यह मत था कि पहले समाजमें सामूहिक विवाह (Communal marriages) की

परिपाटी थी और सब स्त्रियोपर सब पुण्योका सामूहिक अधिकार था। किसी स्त्रीपर पूर्ण वैयक्तिक अधिकार प्राचीन परंपराका उल्लंघन और खण्डन था। कोई व्यक्ति कानूनी रूपसे किसी भी स्त्रीपर तभी ऐसा अधिकार पा सकता था, जबकि वह भूत कालमें माने जानेवाले सामूहिक अधिकारोको किमी विधिसे थोड़े ममयके लिये स्वीकार करले। इस प्रकारकी स्वीकृति वह पुरुष प्रथम राज्यधिकारकी विधिमें प्रदान करता था। अनेक जातियोमें यह प्रथा है कि मुहागरातको नववधूका कौमार्य उसका पति नहीं, किन्तु पुरोहित, राजा या सामन्त भग करता है। एववरी इन्हें समाजका प्रतिनिधि बताते हुए यह कहता है कि पहले जो अधिकार सारे समाजको था, अब उसका उपयोग समाजकी ओरसे ये व्यक्ति करते हैं। उसके बाद ही व्यक्तिको पत्नीपर पूरा अधिकार होता है। कन्याओको विवाहसे पूर्व मन्दिरमें सेवा और वेश्यावृत्तिके लिये भेजनेकी प्रवृत्ति प्राचीन ग्रीकोनिया, यूनान, रोम और मिश्रमें अनेक स्थानोंमें प्रचलित थी। स्विस समाजशास्त्री वेखोफनने इसका सबध कामाचारसे जोडा है। “विवाह ब्रह्मचारी रहनेके धार्मिक आदेशोका उल्लंघन है, अतः विवाहसे पहले देवताको प्रसन्न करना आवश्यक है ताकि विवाह द्वारा ईश्वरीय नियम-भंग करनेके दण्डसे बचा जा सके। इसी दृष्टि में मन्दिरोंमें देवताकी कृपा पानेके लिये कुछ समयके लिये वेश्यावृत्तिकी जाती थी।”

अफ्रीका और ग्रीनलैण्डकी अनेक जातियोमें पत्नियोके विनिमय और उधार देनेकी परिपाटी है। मध्य-अफ्रीकाके वनयन कोलोमें जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नीके साथ मित्रके यहाँ जाता है, तो पत्नियोकी अदला-बदली अवश्य होती है। हर्वाड द्वीपमें भी यही परिपाटी है। हडसन खाडीके एकिसमो लोगोंमें अग कौत (पुरोहित) द्वारा मन्त्र पढ़े जानेके बाद पत्नी-विनिमय अनिवार्य हो जाता है, स्त्रियोको जिन पुरुषोंके घरोंमें जानेको कहा जाय, वहाँ रात बिताना आवश्यक होता है। यदि कोई स्त्री किमी पर-पुरुषके पास जानेसे इन्कार करती है, तो यह समझा जाता है कि वह अवश्य वीमार पड़ेगी। इसी प्रकार अतिथियोको स्त्रियाँ भेंट करनेकी परिपाटी भी कई जातियोमें मिलती है। त्रिफाल्टका यह मत है कि स्त्रीका विनिमय या उधार देना यह सूचित करता है कि उस जातिके सब व्यक्तियोका उसपर समान रूपसे अधिकार है और यह आदिम कामाचारका स्पष्ट सूचक है।

कुछ पर्वोपर मनुष्योको प्राप्त होनेवाली निर्वाध तथा उच्छृंखल यौन स्वच्छन्दता से भी यह परिणाम निकाला गया है कि पहले सदैव ऐसी स्वतंत्रता थी। अब उसे कुछ विशेष अवसरों तक ही नियन्त्रित कर दिया गया है। कोकोनोरमें रहनेवाले तिब्बतियो में ‘तिआओ माओ हुई’ (हैट चुननेका पर्व) नामक उत्सवके समय दो या तीन दिन तक मन्दिरकी भूमिमें पुरुषको जो स्त्री पसन्द आती है और जिसका शिरोवस्त्र या हैट पुरुष छीन लेता है, उस स्त्रीको रातके समय उस पुरुषके पास आना पडता है। मैडागास्कर टापूमें राज-परिवारमें सन्तान होनेके अवसरपर सडको और गलियोमें ऐसी निर्वाध यौन-स्वतंत्रता होती थी कि वे विशाल चकलेका रूप धारण कर लेती थी, यह काल आन्द्रो-त्पी मेती कहलाता था, उस समय कानून किसीको दण्ड नहीं दे सकता था।

मातृ-सत्ता (Mother right) का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्विस समाजशास्त्री वेखोफन तथा इसके बाद मैकलीनानने किया। त्रिफाल्टने आधुनिक कालमें

इसका प्रबल समर्थन किया है। ये सब विद्वान् यह मानते हैं कि समाजमें स्त्रियोंको प्रधान स्थान प्राप्त था, वे परिवारपर पूरा शासन करती थी, वग-परपरा पुरुषो द्वारा नहीं किन्तु स्त्रियो द्वारा चलती थी। सन्तान पिताकी नहीं, माताकी समझी जाती थी। और माताके ही परिवारमें रहती थी। आज तक भारतमें मलावार और आसामकी अनेक जातियो तथा कुछ अन्य देशोंमें यह मातृसत्तात्मक व्यवस्था पायी जाती है। वैखोफन तथा मैकलीनान इसे समाजकी सबसे पहली अवस्था समझते थे। मैकलीनानका यह कहना था कि कामाचार के कारण ही यह अवस्था उत्पन्न हुई। विवाहका कोई बन्धन तो था नहीं सन्तानका पितृत्व भी अनिश्चित था, अतः मातृवशी समाजका होना सर्वथा स्वाभाविक था। बादमें इसका स्थान पितृ सत्तात्मक समाजने लिया और वही व्यवस्था सार्वभौम हो गयी। इस समय मातृसत्ताके समाजको कुछ उदाहरण प्राचीन कालमें इस प्रथाके व्यापक रूपसे प्रचलित होनेका प्रबल प्रमाण है।

प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकोने अनेक जातियोमें कामाचारका वर्णन किया है। पश्चिममें इतिहासके पिता समझे जानेवाले हिराडोटसने सीथियन लोगोमें अगाथिरस (Agathyrse) जातिके से संबन्धनमें लिखा था—वे मनुष्यमें सबसे अधिक नजाकत रखते हैं, उनके आभूषण मुख्य रूपसे सोनेके होते हैं। उनमें स्त्रियोपर सबका समान स्वत्व होता है ताकि ये सब भाई बने रहें और निकट-संबन्धी होनेके कारण वे एक-दूसरेके प्रति घृणा और ईर्ष्याके भाव न रखे। स्ट्रैवोने ट्रोग्लो डाइट (Troglodyte) देशके संबन्धमें यह लिखा है कि वहाँ मुखियाकी स्त्रियो और वच्चोको छोडकर बाकी सब स्त्रियाँ और बच्चे सारे समाजके समझे जाते हैं। इसी लेखकने आईरीन या प्राचीन आयरलैन्डकी कैल्ट जातिके संबन्धमें इसी प्रकारकी बात लिखी है। संभवतः ब्रिटिश द्वीप-समूहमें इस प्रकारके कुछ रिवाज थे, जूलियस सीज़रने पतियो द्वारा १५-२० पत्नियोपर सामान्य अधिकार की बात लिखी है।

अमरीकी विद्वान् लुईसमोर्गन (Lewis Morgan) ने संयुक्त राज्य अमरीका के रेड-इंडियनोका अध्ययन करते हुए मानव जातिके सांस्कृतिक विकासकी कई अवस्थाओं का उल्लेख अपने "प्राचीन समाज" (Ancient Society) शिकागो १८७७ में किया। इसमें यद्यपि मोर्गनने निश्चित रूपसे तो यह नहीं कहा था कि विवाहकी पहली अवस्था कामाचार नहीं है, पर उसने यह मत रखा कि विवाहकी अगली अवस्थाओ से यह तर्कसंगत परिणाम निकाला जा सकता है कि पहली दशा कामाचार रही होगी। इसके बाद दूसरी अवस्था 'संरक्त परिवार' (Consanguine Family) की थी, इसमें भाई बहनोके अन्तर्विवाह होते थे, इसके बाद तो तीसरी अवस्था 'पुनलौन' (Punlaun) की थी, इसमें कई भाइयोकी अनेक साझी पत्नियाँ होती थी और कई बहिनोके बहुत से पति। इसके बाद बहु-विवाह (Polygamy) या एक पुरुष या स्त्री के साथ अनेक स्त्रियो या पुरुषोके विवाहकी अवस्था आयी और अन्तमें एकपत्नीव्रत (Monogamy) की। वैखोफन मैकलीनान, लार्ड एवबरी, क्रोपाट किन, ब्लाख आदि विद्वानोने इस सिद्धान्तका समर्थन, और विशद प्रतिपादन किया। इस मतको कार्लमार्क्सके साथी फ्रेडरिक एन्जेल्सने मानव समाजको पारिवारिक तथा राजनीतिक विकास प्रदर्शित करनेवाले अपने जर्मन ग्रन्थ—'परिवार और राजसत्ताकी उत्पत्तिमें न केवल स्वीकार किया बल्कि अनेक प्रयासोंसे पुष्ट भी किया।

विवाहका जीवशास्त्रीय उद्गम

विवाह और परिवारका मूल अपनी जातिको सुरक्षित बनाये रखनेकी चिन्ता है। यदि पुरुष कामाचारके मतानुसार स्त्रीसे सवध करनेके वाद पृथक् हो जाय, गर्भावस्थामें पत्नीकी देखभाल न की जाय, सन्तान उत्पन्न होनेपर उनके समर्थ और बडा होने तक उसकी सहायता न की जाय तो अवश्यमेव मानव-जातिका शीघ्र ही अन्त हो जाय। कुछ प्राणियों में अवश्य यह व्यवस्था देखी जाती है कि वे मैथुनके वाद अलग हो जाते हैं, किन्तु पक्षियोंकी अनेक जातियों तथा मनुष्यके पूर्वज कहलाने वाले बन्दरोमें ऐसा नहीं होता। गोरिल्ला और चिम्पाञ्जी परिवार बनाकर रहते हैं। जीवन-विकासकी शृंखलामें निम्न जातियोंमें बच्चोंकी उत्पत्ति सख्या बहुत अधिक होती है। बच्चे बहुत जल्दी बडे होते हैं, इन जातियोंमें अवश्य कामचार है। नर-मादा सयोगके वाद पृथक् हो जाते हैं, उनको अपनी जातिके सरक्षण की विशेष आवश्यकता नहीं है। मछलीके अडे लाखो-करोडोकी सख्यामें होते हैं, उन्हें सेनेकी जरूरत नहीं होती, बच्चे पैदा होते ही तैरकर भोजन ढूँढने लगते हैं, अतः उनमें स्त्री-पुरुषके स्थिर सवधकी, विवाह और परिवारकी आवश्यकता ही नहीं है। यही दगा साँप आदि रेंगेनवाले प्राणियों या सरीसृपों (Reptiles) के अण्डों की है। ये धूपकी गर्मीमें स्वयमेव विकसित होते हैं, अतः उनमें माता-पिताको अपने बच्चों की चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है।

किन्तु पक्षियोंमें अण्डोंको सेनेका काम मादा करती है, यदि वह न बैठे, तो उस जातिका अन्त हो जाय, इस समय नर उसे भोजन लाकर देता है। डाविनका कहना है कि वैवाहिक सवधकी स्थिरता, सतीत्व और पति-पत्नीमें एक-दूसरेके प्रति प्रगाढ प्रेमके जैसे सुन्दर उदाहरण पक्षिजगत्में मिलते हैं, वैसे मानव समाजमें सुगमतासे उपलब्ध नहीं होते। माताका दूध पीनेवाले प्राणियों (Mammals) में बच्चों को पक्षियोंकी अपेक्षा माता-पिताकी अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि उनके पूर्व विकासमें अधिक समय लगता है। ओरग-उटाङ्क ८ से १२ वर्षकी आयुमें युवा होता है, यदि उस समय माता-पिता उसकी शत्रुओंसे रक्षा न करें, पिता उसे भोजन न दे, माता उसका अपने दुग्धसे पालन न करे, तो वह जीवित ही नहीं रह सकता। अतः जातीय सरक्षणकी दृष्टिसे चिर काल तक इकट्ठा रहनेसे बच्चोंके प्रति स्नेह आदि मातृ भावनाओं एव रक्षाकी पितृ भावनाओंका उदय होता है। इनके बलवती होनेका एक कारण यह भी है कि उनमें बच्चोंकी सख्या बहुत कम होती है। इसीलिये वे एक परिवार बनाकर रहते हैं।

अनेक प्राणि-शास्त्रियोंने पशु-पक्षियों—विशेषतः मनुष्यके पूर्वज गोरिल्ला, चिम्पाञ्जी आदिमें विवाहके वाद स्थायी सवध बनाये रखने और पारिवारिक जीवन वितानेके पुष्ट प्रमाण दिये हैं। नई परिस्थितियाँ इन्हें बच्चोंके साथ परिवार बनाकर रहनेका कारण होती हैं, इन परिस्थितियोंमें निम्न बातें विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं—मन्तानकी सख्याका कम होना, गर्भकाल लम्बा होना और उस समय मादाको नरके सरक्षणकी आवश्यकता, उत्पन्न सन्तानका चिरकालतक गातुदुग्ध पर आश्रित रहना, बच्चोंका गर्भव-काल लम्बा होना, उममें असहाय होनेके कारण माता-पिताके सरक्षणकी आवश्यकता, मादाके गर्भिणी होनेपर घर बनाना, रात-भर बच्चोंकी चीत्तोंसे चौकमी करना, मादाके

लिये नरका भोजन लाना, मादा द्वारा बच्चेका पालन-पोषण बन्दरोसे मानव समाजकी जातियो तक सर्वत्र देखा जाता है। माता-पिता और बच्चेका परिवार मानव-समाज में सार्वभौम है, अतः विवाह सस्थाकी उत्पत्ति उपर्युक्त नवीन शास्त्रीय परिस्थितियोसे हुई है, कामाचारसे नहीं।

विवाहका भविष्य

जिस प्रकार विवाह-सस्थाके प्रादुर्भाव और उद्गमके सवध में मनोरजक कल्पनायें की गयी हैं, उसी प्रकार इसके भावी स्वरूपके विषयमें भी रोचक भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं। इनके अनुसार मानव-समाजमें एक ऐसा युग आनेवाला है, जब विवाह और परिवार-प्रथाका पूर्ण रूपसे अन्त हो जायगा। स्त्री-पुरुष डच्छानुसार कामसुखका उपभोग कर सकेंगे। कामाचारकी दशा अतीत कालमें भलेही कोरी कल्पना रही हो, आने वाले युगमें अवश्य सत्य सिद्ध होगी। गर्भ-निरोधके साधन उन्नत हो जानेसे स्त्री-पुरुष सवधमें बच्चे उत्पन्न होनेकी कोई सभावना नहीं रहेगी। माँ-बापको बच्चे-पालनका झझट नहीं उठाना पडेगा। राज्य द्वारा संचालित शिशुशालाओमें अनुभवी धार्ये सतान-पालनका कार्य करेंगी। सुप्रसिद्ध औपन्यासिक आल्डस हक्सले ने अपने एक उपन्यास 'नवीन साहसिक जगत्' में यहाँ तक उडान ली है कि भविष्य में विज्ञान इतना उन्नत हो जायगा कि प्रयोगशालाओमें वीर्य और रजको मिलाकर कृत्रिम रूपसे बच्चे उत्पन्न किये जा सकेंगे. स्त्रियाँ प्रसूति-व्यथासे मुक्ति पा जायेंगी।

ऐसी कल्पनाओकी पश्चिमी जगत्में पिछली डेढ शताब्दीमें होनेवाली महत्वपूर्ण क्रान्तियोसे बहुत बल मिला है। १८ वी शताब्दीके उत्तरार्धमें होनेवाले दो प्रकार के परिवर्तनोने विवाह और परिवार प्रथाको बहुत प्रभावित किया है—(१) सांस्कृतिक (२) आर्थिक। सांस्कृतिक परिवर्तनोका आगय समानता, स्वतन्त्रता, और व्यक्तिवादके नये सामाजिक आदर्शोका प्रबल होना है। फ्रेंच राज्य-क्रान्तिने राजनीतिक क्षेत्रों में ही स्वाधीनताकी भावना उत्पन्न नहीं की, अपितु सामाजिक क्षेत्र में स्वच्छन्द प्रेमके आदर्श को भी स्पृहणीय बनाया। युवक-युवती अपना जीवन-साथी चुननेमें माता-पिताका हस्तक्षेप नापसन्द करने लगे।

आर्थिक-परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनोसे भी अधिक महत्वपूर्ण थे। १८ वी शताब्दीके अन्तमें योरोपमें औद्योगिक-क्रान्ति हुई, कताई-बुनाई आदि विभिन्न उद्योग हाथकी बजाय पानी और वाष्पकी शक्तिसे संचालित होने लगे। इस क्रान्तिकी प्रगति के साथ विवाह और परिवारका आर्थिक महत्व नष्ट हो गया। पहले उत्पादनका केन्द्र परिवार था, अब उसका स्थान कारखाने ले लिया। इसमें मजदूरी करनेके लिये लोग दूर-दूर से आने लगे। परिवारका विघटन आरम्भ हो गया, स्त्रियाँ भी कारखानो और दफ्तरोंमें जाने लगी। आर्थिक दृष्टिसे स्वावलम्बी होनेके कारण वे पितृ-प्रभुतासे बहुत-कुछ स्वतन्त्र होने लगी।

पश्चिमी जगत्में वैज्ञानिक और यात्रिक उन्नतिके कारण अतीत कालमें परिवार द्वारा किये जानेवाले अनेक कार्य अन्य माध्यमो द्वारा अधिक क्षमता और कम-व्ययके साथ किये जाने लगे हैं। आर्थिक आवश्यकताओकी पूर्तिका कार्य कारखानोने ले लिया है। राज्य द्वारा स्थापित विद्यालय पहले घरमें मिलनेवाली शिक्षा देनेका कार्य कर

रहे हैं। प्रभूति और वीमारीमें परिवारकी अपेक्षा अधिक सुविधाजनक चिकित्सालय हैं। पहले वृद्धावस्थामें असहाय होनेपर पुत्रपर भरोसा रखा जाता था, अब वीमेकी पालिसीसे यह कार्य आसानीसे हो जाता है। काम करनेवाली स्त्रियोंकी सुविधाके लिये विविध प्रकारकी शिशुशालाओं तथा बालोद्यान (kinder gartens) का प्रचार बढ़ रहा है। होटलो और उपाहारगृहोंने खानेकी दृष्टिसे परिवारकी उपयोगिता कम कर दी है।

इन सब नवीन परिस्थितियोंसे पश्चिम तथा उमकी देखादेखी भारतमें विवाह और परिवारके विरुद्ध विद्रोह हो रहा है। न्यूयार्क राज्यके एक अफसरने अपने पितासे २५ हजार डॉलरका उपहार पानेवाली एक युवतीसे पूछा—“क्या इसे आप अपना घर बनाने में व्यय करेंगी?” उम तर्णनीने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—“मैं चिकित्सालयमें पैदा हुई हूँ, शिशुशालामें पली हूँ, कॉलेजमें पढी हूँ, चर्चमें मेरी भावी हुई है, होटलमें रहती हूँ, मुझे परिवार और घरकी क्या आवश्यकता?”

कुछ विचारक मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे विवाह और परिवार प्रथाको हानिकारक मानते हैं। वाटसनका कहना है कि घर अब अतीत कालकी वस्तु हो रहा है। इस समय इसका उपयोग यही है कि यहाँ कपड़े बदल लिये जायें और कुछ घटे सो लिया जाय। वह दिन दूर नहीं, जब बच्चे घरकी वजाय उससे अधिक अच्छी सस्थाओंमें बाल-शिक्षण-निष्णात व्यक्तियों द्वारा पाले जाया करेंगे, परिवार प्रथाका अन्त हो जायगा।

एक अमेरिकन लेखक श्री कैलवर्टनने विवाह और परिवारका मसिया पढते हुए लिखा है—‘प्राचीन परिवार पद्धति क्षीण हो चुकी है, पुराने घरका स्थान सिनेमा, क्लब और नृत्यशालाने ले लिया है। घरके दो ही उपयोग शेष रह गये हैं—यह भोजन करनेके लिए और मरनेके लिए है। पेनने बड़ी भावुकतामें यह गीत बताया था—(इस पृथ्वीपर) घर जैसा कोई (मधुर) स्थान नहीं है, अब इस गीतका यह रूप हो गया है—भगवान्को धन्यवाद दीजिये कि इस घरतीपर घर जैसी कोई चीज ही नहीं है (दी वैकरम्पी आफ् मैरिज लडन १९३१, पृ० २३)।

क्या वास्तवमें भविष्यमें विवाह प्रथाका लोप हो जायगा? उपर्युक्त भविष्य-वाणियाँ किये हुये चौथाई सदी बीत चुकी है, पर अभी तक इस प्रथाका उच्छेद नहीं हुआ। फिर भी अनेक विचारक तलाकोकी सख्यामें भीषण वृद्धिको इस बातका सूचक समझते हैं कि भविष्यमें विवाह-प्रथाका अन्त हो जायगा।

इसमें कोई सदेह नहीं कि पश्चिममें तलाकोकी सख्या बहुत बढ़ रही है। मयुक्त-राज्य अमरीकाके कुछ आँकड़ोंसे यह बात स्पष्ट हो जायगी। १८६७ ई० से वहाँ इस विषयके आँकड़े रखे जाने शुरू हुए हैं। उम वर्ष तलाकोकी कुल सख्या ९,९३७ थी, १९०० ई० में यह पाँचगुनीसे भी अधिक बढ़कर ५५,७५१ हो गयी, प्रथम विश्व-युद्धके अन्तिम वर्ष १९१८ में १,१६,२५४ और और १९२९ में २,०५,८७६ हो गयी, इसके बाद चार वर्ष तक विश्वव्यापी मदीके दिनोंमें यह सख्या कम हुई। १९३३ में १,६५,००० थी, इसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुई और द्वितीय विश्व-युद्धकी समाप्तिके बाद १९४६ में ६,१०,००० हो गयी, इसके बाद फिर यह सख्या घटना शुरू हुई और १९४८ में ४,०५,००० थी। यह सख्या १८६७ की सख्यासे चालीसगुना है। इसका यह अर्थ

है कि ८१ वर्षों में वहाँ तलाकोकी संख्या चालीसगुनी हो गयी है, इस संख्याको यदि वर्ष-भरके समयमें फैलाया जाय, तो मोटे तौरसे यह कहा जा सकता है कि वहाँ प्रति मिनट एक तलाक होता है। क्या यह विवाहके अंधकारमय भविष्यका सूचक नहीं है ?

यो देखनेमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है, उपर्युक्त आँकड़ों और तलाकोकी संख्या वृद्धि बड़ी भयावह है। ध्यान दिया जाय तो यह वृद्धि इतनी भीषण नहीं प्रतीत होगी। वह तथ्य यह है कि इसमें जनसंख्याकी वृद्धिका विचार नहीं किया गया। १८६७ में सयुक्त राज्य अमरीकाकी जनसंख्या ३ करोड़ ७३ लाख ७५ हजार ७०३ थी, और १९४८ में यह बढ़कर १४ करोड़ ६१ लाख, १३ हजार हो गयी है। यदि जनसंख्याके हिसाब से प्रति हजार व्यक्तियोंके पीछे तलाकोकी संख्याका औसत निकाला जाय तो १८६७ में तलाकोकी दर .३ थी और १९४८ में २.८। इस हिसाबसे तलाकोकी संख्यामें चालीस गुना नहीं किंतु नौगुना से कुछ अधिक वृद्धि हुई है। इस संख्यासे यह स्पष्ट है कि तलाक देनेवालोंकी संख्या तीन तक भी पूरी नहीं पहुँचती।

अमरीकामें तलाककी भयावहताको एक दूसरे ढंगसे भी प्रकट किया जाता है। १९४५ में अमरीकामें जितने विवाह हुए थे, उस संख्याके एक तिहाई तलाक दिये गये। यदि सौ विवाह हुए तो ३१ तलाक दिये गये। इन आँकड़ोंके आवारपर यह कहा जाता है कि अमरीकाके प्रति तीन विवाहोंमें से एक विवाहकी समाप्ति तलाक द्वारा होती है। पर इसमें भी दो बातोंका ध्यान नहीं रखा गया। पहली तो यह कि १९४५ युद्धका वर्ष था और युद्ध बंद होनेके बादसे वहाँ तलाकोकी संख्या घटी है और दूसरी यह कि एक वर्षमें हुए विवाहों और तलाकोंके पारस्परिक अनुमानसे किसी परिणामपर पहुँचना गलत है क्योंकि १९४५ में जो तलाक दिये गये, वे स्पष्टतः १९४५ में हुए विवाहोंके तलाक नहीं, १९४५ से पहले वर्षोंमें हुए विवाहोंके तलाक हैं। अतः कई वर्षोंके तलाकों और विवाहोंकी संख्या का औसत निकालकर ही दोनोंका अनुपात दिखाना चाहिये। १९३० से १९४७ के इस प्रकारके आँकड़ोंका औसत निकालनेसे यह प्रतीत होता है कि वहाँ विवाहों और तलाकोंका पारस्परिक अनुपात २० : १ है। पर इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिये कि वहाँ बीस फीसदी अथवा प्रति पाँचमें से एक विवाहका अन्त तलाकसे होता है क्योंकि उपर्युक्त वर्षोंमें होनेवाले अनेक तलाक ऐसे विवाहोंके भी हैं जो १९३० से पहले के हैं। वस्तुतः तलाकोंका सही अंदाजा इस बातसे हो सकता है कि विवाहित स्त्रियोंके तलाकोकी संख्या तथा अविवाहित स्त्रियों द्वारा किये जानेवाले विवाहोंकी संख्या की तुलना की जाय। १९४७ में इन दोनोंका अनुपात १ और १० था और १९४८ में यह घटकर एक और ८.६ रह गया। इसका अर्थ यह है कि प्रति १०० विवाहोंके पीछे २० न होकर दस या इससे कम तलाक होते हैं। इस प्रकार यह कहना सर्वथा आमक है कि वहाँ सौ विवाहोंके पीछे ३१ तलाक होते हैं।*

तलाकोकी संख्या यद्यपि उतनी नहीं है, जितनी प्रायः कही जाती है। फिर भी इस तथ्यको नहीं भुलाया जा सकता कि वहाँ तलाकोकी संख्यामें वृद्धि हो रही है। क्या यह वृद्धि विवाहके भविष्यके लिये चिन्ताजनक है? अधिकांश समाजशास्त्रियोंका

* इस प्रकारके सब आँकड़े इलियट और मैरिलके सोशल डिस् आरगैनिजेशन पृ० ४३७-४४० से लिये गये हैं।

विचार इसके विपरीत है। तलाक विवाह-प्रथाके अन्तका नहीं, उसकी उपयोगिता का सूचक है। मैरिलने लिखा है कि तलाकोकी वृद्धिका तात्पर्य यह नहीं है कि परिवार-प्रथा क्षीण हो रही है, क्योंकि तलाक देनेवाले अधिकांश व्यक्ति पुन विवाह करते हैं। उनके पुनर्विवाहसे यह सूचित होता है कि विवाह और परिवारको वे एक मामान्य व्यक्तिके लिये स्पृहणीय और उन्नत जीवन पद्धति समझते हैं। वे अपना उपयुक्त जीवन-संगी न मिलनेपर ही दूसरा जीवन-साथी ढूँढनेके लिये तलाक देते हैं।

तलाकोमें वृद्धि होते हुए भी पश्चिममें वृद्धसंख्या ऐसे दम्पतियोंकी है, जो अपने विवाहोसे पूर्ण रूपसे सुखी और मनुष्य है। इस विषयमें इंग्लैण्ड और अमरीकामें हुए विविध अनुसंधान बड़ा सुन्दर प्रकाश डालते हैं। अभी हालमें प्रकाशित ६४२ पृष्ठ की एक विस्तृत चैसर रिपोर्टमें ३७०५ विवाहित और २३२६३ ब्रिटिश कुमारी युवतियों से पूछे गये प्रश्नोंके आधारपर अग्रजोंके वर्तमान वैवाहिक जीवनका विशद प्रतिपादन है। इसके अनुसार प्रति दसमें से सात ब्रिटिश पत्नियोंने अपनेको असाधारण रूपसे सुखी या बहुत सुखी बताया है, नी पत्नियोंने अपनेको सुखी बताया है,। लगभग सभी पत्नियोंने यह कहा है कि उन्हें दुवारा विवाहका अवसर दिया जाय, तो वे पुन अपने पतियोंको ही चुनेंगी। सयुक्त राज्य अमरीकामें वर्जेंस तथा कॉट्रैल और टरमैन अपनी गवेषणाओंमें ऐसे ही परिणामोपर पहुँचे हैं। टरमैनकी अनुसंधानमें अत्यधिक सुखी दम्पतियोंकी संख्या ३० प्रतिशत तथा अत्यधिक दुखी दम्पतियोंकी संख्या केवल एक प्रतिशत थी। इन आँकड़ोमें यह स्पष्ट है कि पश्चिममें विवाहके जल्दी लुप्त होनेकी कोई आशंका नहीं है।

विवाह प्रथाके भविष्यमें वने रहनेका कारण यह भी है कि इसमें कुछ ऐसे प्रयोजन पूरे होते हैं, जो अन्य किसी साधनसे नहीं हो सकते। विवाहका एक प्रधान और महत्वपूर्ण प्रयोजन वंश-वृद्धि है। विज्ञानने अब ऐसी उन्नति कर ली है कि कृत्रिम गर्भावधान होने लगा है, किन्तु अभी तक विज्ञान ऐसा साधन नहीं ढूँढ सका कि गर्भाशयसे बाहर शिशु का विकास हो सके। इसमें भी कोई सदेह नहीं कि विज्ञान भविष्यमें ऐसे साधन ढूँढ लेगा। जे० वी० एस० हॉलडेन प्रभृति जीव-शास्त्रियोंका यह कथन कि निकट भविष्यमें ऐसी उन्नति संभव है, जिससे गर्भाशयसे बाहर कृत्रिम रूपसे पैदा किए (Ectogenetic) बच्चोंका पालन-पोषण वैज्ञानिक प्रयोगशालाओंमें सफलतापूर्वक किया जा सके। पर इसमें सबसे बड़ा भय यह है कि गर्भाशयका उपयोग न होनेसे उसमें नाना प्रकारकी योनि-संबन्धी बीमारियाँ उत्पन्न हो जायँगी। इससे मानव-समाजको कृत्रिम रूपसे चलातेवाला रज (ova) बन्द होनेमें मनुष्य जातिके लोप की संभावना है। आजकल विज्ञानने यद्यपि ऐसे भोजन ढूँढ लिये हैं, जिनमें शरीरके लिये आवश्यक सब तत्वोंको गोलियोंमें सानुरूप भरा जा सकता है और इन गोलियोंके खानेमें मनुष्यकी भूख दूर हो सकती है, पर इनका उपयोग इसलिये संभव नहीं है कि मनुष्यने विकासकी प्रक्रियामें काफी बड़ी अन्न प्रणाली (Alimentary tract) आमाशय और आंतोंको पाया है,। इनके सम्यक रीतिसे कार्य करनेके लिये यह आवश्यक है कि अन्दर जानेवाले भोजनका परिमाण और मात्रा काफी हो भोजनकी गोलियों में आवश्यक तत्व भले ही मिल जायँ, पर उन्हें खानेपर अन्न प्रणाली, पाकाशय और आँतें काम करना

वन्द कर देंगी । उनमें अनेक वीमारियाँ हो जायगी, अतः ऐसे भोजन विज्ञान द्वारा बन जानेपर भी उनका प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार विज्ञान द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न शिशुओंका विकास संभव होनेपर भी उनका प्रयोग किये जानेकी कोई संभावना नहीं प्रतीत होती । सन्तानोत्पादनके लिये विवाह और परिवारकी आवश्यकता बनी रहेगी ।

विवाहका दूसरा प्रयोजन सन्तानका पालन है । यद्यपि इस अवधिमें विज्ञानने बड़ी उन्नति करली है । पश्चिमी देशोंमें राज्य द्वारा बच्चोंको पालनेके लिये शिशुशालाओंका विकास हुआ है, पर इसमें सदेह है कि ये कभी घरका स्थान ले सकेंगे । अमरीकामें शिशुशालाओंमें पाले जाने वाले तथा घरोंमें पाले जानेवाले बच्चोंके संबंधमें अनेक तुलनात्मक अध्ययन हुए हैं । इन सबमें यही सिद्ध है कि दोनों प्रकारके बच्चों में बड़ा अन्तर होता है । यह ठीक है कि राज्य द्वारा संचालित शिशुशालाओंके कार्यकर्ता बाल-मनो-विज्ञान और बाल-शिक्षणके प्रकाण्ड पण्डित होते हैं पर वे बालकको वैसा स्नेह, प्रेम, ममता और सहानुभूति नहीं दे सकते, जो उसे घरमें मिल सकता है । राल्फ लिन्टनने लिखा है—“शिशुके समुचित विकासके लिये शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्ति पर्याप्त नहीं है ? बच्चों को वैयक्तिक ध्यान, प्रेम और अनुक्रिया (Response) के सतोपकी अधिक आवश्यकता है । शिशुशालाओं द्वारा बच्चोंको सतोप नहीं मिल सकता । शिशु-शालाओंके इस थोक उत्पादनकी परिस्थितिमें जिन बच्चोंका लालन-पालन होता है, उनमें सामान्य व्यक्तित्वका विकास नहीं हो पाता । इससे उन्हें युवावस्थामें अपनेको समाजके अनुकूल ढालनेमें बड़ी कठिनाई होती है । हमारे समाजकी नित्यताके लिये परिवारपद्धतिकी नित्यता आवश्यक प्रतीत होती है” (दी नेचुरल हिस्ट्री आफ् फैमिली पृ० ३७) ।

विवाहका तीसरा प्रयोजन दाम्पत्य प्रेम है, और यह मनुष्यको विज्ञानके किसी साधन से नहीं प्राप्त हो सकता । प्रकृतिने स्त्री और पुरुषको पृथक् रूपसे अदूरा और अपूर्ण बनाया है । शत गण ब्राह्मणके शब्दोंमें उनमें तभी पूर्णता आती है जब वे परस्पर मिलते हैं । बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा गया है कि पहले पुरुष अकेला था, वह दुःखी था, उसने दूसरा साथी चाहा, तब आत्मा द्विधा विभक्त होकर स्त्री-पुरुष बने । जीवशास्त्रकी दृष्टिसे भी स्त्री और पुरुष पृथक् रूपमें अदूरे हैं । उन्हें एक-दूसरेकी आवश्यकता रहती है और मिलकर ही वह अपना कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं । यह समझना भूल होगी कि रति सुखके लिये ही उन्हें एक दूसरेसे मिलनेकी आवश्यकता है । रति सुख यद्यपि दाम्पत्य प्रेमका एक महत्वपूर्ण अंग है, पर दाम्पत्य प्रेम केवल रति सुख ही नहीं है । वह इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है । दाम्पत्य प्रेम में एक-दूसरेके प्रति सहानुभूति और सहायता, कठिनाइयोंको एक साथ मिलकर हल करना, एक-दूसरेके सान्निध्यमें सुरक्षा, निश्चिन्तता और सुखकी अनुभूति, एक दूसरेसे प्यार किये जाने और प्रशंसित होनेकी तथा अन्य वीसियों भावनायें होती हैं । भवभूतिने उत्तर रामचरित में दाम्पत्य प्रेमका वर्णन करते हुए कहा है—“यह सुख और दुःखमें एक जैसा अपरिवर्तित रहता है, जीवनके ऊँच-नीचमें निरन्तर बना रहता है, जो हृदयका विश्रामस्थल है, इसका उन्माद बुढ़ापेसे भी कम नहीं होता । यह बहुत दिनों तक साथ रहने तथा हृदयोंके

आवरण हट जानेसे परिपाकको प्राप्त हुए प्रकृष्ट प्रेमपर अवलम्बित है ।" ७० रतिं सुख यौवन ढलनेपर घट जाता है, पर दाम्पत्य प्रेम अवस्था बढेनेके साथ बढता चलता है, दोनो अपनेको एक दूसरेका अभिन्न-मित्र और साथी समझते हैं और एक-दूसरेके प्रति ऐसी घनिष्ठताका अनुभव करते हैं, जो सभवतः ससारके अन्य बहुत कम सबधोंमें पायी जाती है ।

यह दाम्पत्य प्रेम मनुष्यको विवाहके अतिरिक्त कही नहीं मिल सकता । लेकिन इसके अलावा यह बड़ा उपयोगी और सरक्षण दाता है । अमरीकामें विवाहित और अविवाहित पुरुषोंके सबधमें एकत्र किये गये आँकड़ोंसे यह स्पष्ट होता है कि विवाहित व्यक्तियोंकी मृत्यु-संख्या अविवाहितोंसे कम होती है । न्यूयार्क राज्यमें अभी हालके एक वर्षमें एक वीमा कम्पनी द्वारा एकत्र किये गये आँकड़ोंसे यह ज्ञात होता है कि ३० से ४४ वर्षकी अवस्थामें मरनेवाले अविवाहितोंकी संख्या इसी आयुके विवाहितोंकी संख्याकी मृत्यु-संख्या से दुगुनी थी । इसका कारण स्पष्ट है, विवाहितोंका खान-पान उत्तम तथा जीवन अधिक नियमित होता है उनकी छोटी-मोटी बीमारियोंमें अधिक ध्यान दिया जाता है और शुश्रूषा अच्छी होती है । शरावसे होनेवाली मृत्युओंमें भी यही अनुमान पाया जाता है क्योंकि एकाकी व्यक्ति अपने एकान्त जीवनकी नीरसता और चिन्ताओंको दूर करनेके लिये मद्यपान का आश्रय लेते हैं । आत्महत्या करनेवालोंकी संख्यामें भी उपर्युक्त प्रकारका अन्तर दृष्टिगोचर होता है । दाम्पत्य प्रेमका कभी अनुभव न करनेवाले तथा तलाक या साथीकी मृत्युके बाद उसे खो देनेवाले व्यक्ति बन्वनोंवाले व्यक्तियोंकी अपेक्षा अधिक संख्यामें जान-बूझकर अपना जीवन समाप्त करते हैं । (मेरिल सोगल डिम आरगैनिजेशन पृ० ३६३) । बच्चोंके हितोंका सरक्षण भी विवाह तथा परिवार प्रथामें ही सबसे अधिक होता है ।

इसमें कोई सदेह नहीं कि भविष्यमें विवाह और परिवार प्रथामें बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे । प्रणयके तत्त्वको अधिक प्रधानता दी जायगी । गर्भ निरोधके साधनों को उन्नत करके सन्ताने कम उत्पन्न की जायगी, परिवारके सदस्योंकी संख्या कम होगी, नर-नारीके दाम्पत्य और आर्थिक अधिकारोंमें पूरी समानता होगी । वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण गृहस्थीका कार्य बहुत सुगम बना देंगे, स्त्रियाँ घरोंसे बाहर अधिक संख्यामें काम करेंगी । वर्तमान कालमें स्त्री-पुरुषोंकी तथा विशेष रूपसे स्त्रियोंकी जिस प्रागैवाहिक पवित्रता और सतीत्वपर बल दिया जाता है, उसका महत्व कम हो जायगा । बच्चोंकी शिक्षा स्वास्थ्य और भरण-पोषणकी व्यवस्था राज्यकी ओरसे होगी । मातृत्व ऐच्छिक तथा आयोजित होगा । बाल-विवाह कम होंगे, अविवाहित रहने और बड़ी आयुमें विवाह करनेकी प्रवृत्ति बढेगी, तलाकोंकी संख्यामें वृद्धि होगी ।

किन्तु इन सब परिवर्तनोंके होनेपर भी विवाह संस्थाके लुप्त अथवा उच्छिन्न होने की संभावना नहीं लगती । अणु-बमोने मनुष्यके अस्तित्वका भविष्य अन्वकारमय कर दिया है, पर जब तक उसकी सत्ता बनी रहेगी, तब तक उपर्युक्त जीव विज्ञानीय और

७० उत्तर रामचरित १।३६ अर्द्धत सुख दुःख धोरनुगुणं सर्वास्त्ववस्थामु यत्, विश्रामो हृद-यस्य यत्र जरसा यस्मिन्न ह्योररसः । कालेना वरणान्ययात्परिगते यत्स्नेहसारे स्थितं, भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हितप्रार्थ्यते ॥

मानसिक आवश्यकताओंकी पूर्ति विवाह तथा परिवारसे ही होगी । राल्फ लिन्टनने लिखा है—'इसमें सदेह नहीं कि माता पिता और बच्चोकी त्रिमूर्तिको अन्य मानवीय संबंधोकी अपेक्षा अधिक कठिनाईका सामना करना पड़ रहा है, पर यह त्रिमूर्ति सब पारिवारिक संगठनोकी चट्टानी नीव है । कुटुम्बकी अन्य व्यवस्थायें बाहरी शक्तियो द्वारा टूट सकती हैं, पर यह चट्टान सदैव बनी रहेगी । विज्ञान या राजनीति हमारे लिये प्रलयका निर्माण कर रही हैं, उस प्रलयमें भी अन्तिम मनुष्य अपने जीवनके अन्तिम क्षणो को अपनी पत्नी और सन्तानकी खोजमें लगा देगा' (नेचुरल हिस्ट्री आफ् फॅमिली पृ० ३८) ।

—••—

तृतीय खण्ड

भारतीय समाज पर ब्राह्म प्रभाव

हिन्दू समाज पर विभिन्न प्रभाव

भारतीय सविधानमें जिन मूलभूत अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धान्तोंकी घोषणा की गई है, उनपर अमल करानेकीदृष्टिसे यद्यपि न्यायतत्त्वोंको कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं पर वे उन आदर्शों पर अवश्य जोर देते हैं, जिनको राज्यने स्वीकार कर लिया है। इनमें से कुछ मूलभूत अधिकारों और बहुतेसे सिद्धान्तोंका समाज सम्बन्धी हिन्दू धर्माधारित परिकल्पनासे सीधा विरोध है। सविधानमें इस बातकी भी स्पष्ट घोषणा की गई है कि राज्य जन-साधारणके कल्याणके लिये अधिकसे अधिक कारगर उपायों द्वारा एक ऐसी समाज-व्यवस्था कायम करनेका प्रयत्न करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्य हो। इसमें चातुर्वर्ण्यके आधारपर रचित समाज-व्यवस्थाका निषेध है। हिन्दुओंके सामाजिक विकारोंका इसमें विलकुल स्पष्ट विरोध है। अवसरकी समानता, और एक सामान्य नागरिक संहिताके निर्माणकी आवश्यकता सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तोंके ग्रहण द्वारा यह बात और भी दृढ़ करदी गई है। सविधान से पहले जो सामाजिक परिवर्तन हो चुके थे, उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है।

वास्तवमें यह कहा जा सकता है कि सविधानने भारतीय जनताको एक प्रकारसे यह दृढ़ आश्वासन दिया है कि विधान-सभाएँ नये सिद्धान्तोंके आधारपर समाजकी पुनर्रचना करनेका पूर्ण प्रयत्न करेंगी। अतएव इस बारेमें हमें गौरसे विचार-विश्लेषण करनेकी आवश्यकता है।

भारतीय सविधानके मवधमें निस्संदेह सबसे अधिक महत्वकी बात यह है कि वालिग मताधिकारके आधारपर पूर्ण लोकतन्त्रके आदर्शको स्वीकार कर लिया गया है। यह देखते हुए कि इस देशमें चार करोड़से अधिक ऐसे लोग हैं, जिनको पिछड़ी जातियाँ कहकर मवोधित किया जाता है, और जिनको आजके पहले अस्पृश्यताके आधारपर अनेक तन्त्र की सामाजिक अयोग्यताओंका शिकार होना पडता था, यह स्पष्ट है कि वालिग मताधिकारका राजनीतिकसे अधिक सामाजिक महत्व है। पिछड़ी हुई जातियाँ सारे हिन्दु-स्तानमें फैली हुई हैं। दरअसल जातियाँ सारे हिन्दुस्तानमें फैली हुई हैं ये जातियाँ हिन्दू समाजका सबसे दबा हुआ निम्न स्तर है। उनको इतने अधिक परिमाणमें राजनीतिक सत्ता प्रदान करना न केवल उनकी ममानताका स्वीकार ही है, बल्कि उनके हाथोंमें ऐसा यत्र दे देना है कि जिनके जरिये वे अपने अधिकारोंपर अमल भी कर सकते हैं। वालिग मताधिकारके दूसरे परिणाम भी हुए हैं। कई सामाजिक समूहोंको, जिनको पहले

अपनी शक्तिका पता भी नहीं था और जिनको हालहीमें हुए राजनीतिक परिवर्तनोका स्पर्शमात्र हुआ था पहले पहल इस बातका भान हुआ कि उनकी भी कोई ताकत है। पड़िमाची—एक पिछड़ी हुई जाति जिसके बारेमें बहुत कम लोगोंने सुना भी था—सन् १९५२-५३ के चुनावके बाद मदरासकी विधान सभामें एक बहुत ताकतवर दल हो गया। उन्होंने अपने आपको बलिकुल क्षत्रिय—अग्निकुलके क्षत्रिय—कहना शुरू किया और सख्याधिक्यके बलपर वे राजनीतिक सत्तामें हिस्सा पानेके हकदार हो गये। वास्तवमें उन्होंने तामिल अचलमें एक उल्लेखनीय क्रांतिकी सृष्टि की है। हिन्दुस्तानमें सभी जगह अल्पाधिक रूपमें यही हुआ है। वालिग मताधिकारके आधारपर स्थापित नई राजनीतिक व्यवस्थामें पुरानी परम्परागत प्रभुत्वशाली जातियोका स्थान नई जातियो को मिल गया है।

सविधानका दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि पहले जिनको रियासतें कहा जाता था, उनमें सामन्तवादी व्यवस्था का गढ़ टूटा। वर्तमान भारतीय सघके लगभग आधे भागमें पहले देशी राजाओका शासन था। इन रियासतोंमें जिस वंशका राजा राज्य करता था, उससे सवधित जातियो और समूहोंके आधारपर सामाजिक संस्थान बना हुआ था। राजस्थानमें शासन-सत्तामें राजपूतोंको ही स्थान मिलता था, और दूसरी जातियोवाले, चाहे जितने भी बनी और ताकतवर हो, नगण्य से थे। मराठा राज्योंमें सत्ता मराठोंके हाथमें ही होती थी। त्रावणकोर-कोचीनमें सत्ता अधिकतर नायर तथा दूसरी जातियोंके लोगोंके हाथमें थी, जो शासनकर्ता राजाओंसे सम्बन्धित होते थे। राजाओंके जाते ही रातो-रात यह सब बदल गया। आज राजस्थानके मन्त्रिमंडलमें एक भी राजपूत नहीं है। उनकी जागीरें और ठिकाने ले लिये गये हैं। अब वह राज्य करनेवाली जाति नहीं रही। जहाँ-जहाँ राजाओका शासन था, वहाँ सर्वत्र ही इस प्रकारका परिवर्तन आ गया है। इस फेर-बदलके सामाजिक महत्वकी सहज ही कल्पना की जा सकती है, खासतौरसे जब हम इस बातको याद करते हैं कि उत्तरी भारतकी बहुत-सी रियासतें आखिरी दम तक स्थितिपालकता और रूढिवादिताके गढ़ थे।

साम्यवाद

सविधान और उसके द्वारा नित नई राजनीतिक शक्तियोको पनपनेका अवसर मिला, उनका असर निरन्तर बढ रहा है, चाहे उसको हम पूरी तौरसे देख नहीं पा रहे हो। यह परिवर्तन स्वाभाविक और तर्कसम्मत लगता है, इसलिए इसका कोई तीव्र विरोध नहीं दिखाई पडता। साम्यवादके प्रसारने हिन्दू समाजको चुनौती दी है, उसके बारेमें ठीक यही बात नहीं कही जा सकती। साम्यवाद समाजको एक बलिकुल नये आधारपर गढना चाहता है; सिर्फ उसकी आर्थिक और राजनीतिक शकल ही नहीं बदलकर सारे समाजका रूपान्तर करना चाहता है, और नये सिद्धांतोंपर उसका निर्माण करना चाहता है। साम्यवाद एक ऐसा वर्गहीन समाज बनाना चाहता है, जिसमें सत्ता नीचेके तबके के लोगोंके हाथमें हो। यह सिद्धांत हिन्दुओंके प्रत्येक विचार, जैसे जाति, संयुक्त कुटुम्ब, वैवाहिक प्रतिबन्ध, खान-पान संवधी प्रतिबन्ध आदि सबसे टकराता है। वास्तवमें हिन्दुओंके जीवनका कोई पहलू नहीं है, जिसको साम्यवाद चुनौती न देता हो। हर साम्यवादी

को अपने व्यक्तिगत और दलगत जीवन-व्यवहारमें ऐसे सिद्धांतोंको मानकर चलना होता है, जिनका हिन्दुओंके सामाजिक जीवनके परम्परागत मूल्योंसे सीधा विरोध है। तरुणों और उग्र परिवर्तनवादी विचारोवाले लोगोंका साम्यवादके प्रति आकर्षण होनेका एक कारण यह भी है, कि वे देखते हैं कि जिन सामाजिक विचारों और हृदयोंके खिलाफ वे विद्रोह करते हैं, उनको तोड़नेके लिये साम्यवादसे बढकर और कोई विचार-प्रणाली नहीं है। गांधीवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद और इस प्रकारके दूसरे राजनीति-वाद हिन्दू धर्मकी मान्यताओं और प्रथाओंके साथ समझौता कर लेते हैं, और एक सुधारवादी दृष्टिकोण रख वे कुछ तो कानून बनाकर और कुछ सामाजिक-आर्थिक कारणोंसे सामाजिक प्रथाओंमें सुधार कर लेनेकी आशा रखते हैं। साम्यवाद ही है, जो इस मामलेमें किसी प्रकारका समझौता नहीं करता, इसका कारण यह है कि हिन्दू समाजमें जो प्रथाएँ प्रचलित हैं उनका सर्वथा निषेध साम्यवादका मुख्य आधार है। साम्यवादमें जाति और सयुक्त कुटुम्बके लिये स्थान ही नहीं है। विवाह-शादीके मामलेमें भी वे हिन्दू-समाजकी मर्यादाओंको नहीं मानते। और सामाजिक प्रश्नों पर उनके आतिकारी दृष्टिकोणका असर इसलिये और भी होता है कि भारतवर्षमें साम्यवादके नेता भी तथाकथित ऊँची जातियोंके स्त्री-पुरुषोंमें से हैं।

केवल अपने दलके कार्यमें ही नहीं, बल्कि दूसरी समस्त कार्यवाहियोंमें भी साम्यवादी लोग हिन्दुओंकी सामाजिक सस्थाओंको चुनौती देनेपर जोर देते हैं। उनकी नाटक-मडलियाँ इसी आदर्शपर चलकर प्रचारकार्य करती हैं। उनके साहित्यका भी यही उद्देश्य होता है। वास्तवमें हिन्दू सामाजिक व्यवस्थापर आक्रमण करनेका उनका उद्देश्य उसको जड़मूलसे उखाडना ही होता है, जिससे कि एक सामाजिक रिक्तता उत्पन्न हो जाय और उनको निर्वाध रूपसे कार्य करनेका मौका मिले।

चाहे हम मार्क्सवादी दृष्टिकोणकी यह बात स्वीकार न भी करे कि सामाजिक सस्थान आर्थिक कारणोंसे बनता और बदलता है, इससे तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक प्रगतिके सोपान सामाजिक जीवनमें नये आधारोंकी सृष्टि करते हैं। शिकारी और मछलीमार लोगोंका तौर-तरीका बनजारा जातियोंके लोगोंसे भिन्न होता है। गाँवों में सामाजिक जीवन जिन आधारोंपर बना होता है, वे व्यावसायिक समाजमें नहीं चल पाते। पॉल विनाग्राडाफने विश्लेषण करके बताया है कि आर्थिक जीवनके विभिन्न सिद्धांतोंके आधारपर निर्मित विकसित समाजोंकी कानूनसम्बन्धी धारणाओंमें अन्तर होता है। सम्यताके विकासके साथ इन प्रथाओंको वैदिक रूप मिल जाता है और राज्य सत्ता या धर्म सत्ता द्वारा कानूनका दर्जा दे दिया जाता है। और साथही आर्थिक आवश्यकताओंके अनुसार कानूनमें हेर-फेर करनेके लिए भी आवश्यक प्रणालीका विकास हो जाता है। साम्यवादी राज्य-व्यवस्थामे कानून सिर्फ परिवर्तन का ही माधक नहीं होता, बल्कि पूँजीवादी समाजके सारे सामाजिक मगठनको नष्ट करना उमका उद्देश्य होता है। इन मान्यताके आधारपर कि पूँजीवादी समाजको सामाजिक सस्थान पूँजीवादके हित-रक्षणके उद्देश्यसे बना हुआ है, समाजवादी लोग उसपर सर्वतोमुखी आक्रमण करके उसके मूल्योंको हमेशाके लिये मिटा देना चाहते हैं और एक ऐसे समाजका आदर्श सामने रखते हैं जो सर्वथा मार्क्सवादके सिद्धांतोंके अनुसार बना हुआ हो।

यह मान बैठना विल्कुल गलत होगा कि चूँकि हिन्दू समाज-व्यवस्थाने आज तक वीद्द, इस्लाम, और ईसाई धर्म (जिनमेंसे प्रत्येकने धार्मिक और सामाजिक आधारपर हिन्दू समाजकी वुनियादी धारणाओंका विरोध किया) के आक्रमणोंसे सफलतापूर्वक मुकाबला किया है, साम्यवादके आक्रमणसे भी डरनेकी कोई बात नहीं है। आज परिस्थितियाँ विल्कुल भिन्न हैं। इस्लाम और ईसाई मजहबके आक्रमणका हिन्दू धर्मपर कोई गहरा असर नहीं पडा क्योंकि जिन लोगोंने उन धर्मोंको अग्रिकार किया, उनको हिन्दू-धर्मसे निकल जाना पडा। इम प्रकार उनका आक्रमण बाहरसे ही हुआ और हिन्दू-समाजको उससे अपनी रक्षा करनेमें कठिनाई नहीं हुई। जो हिन्दू धर्मान्तर करके मुसलमान या ईसाई हो गए, वे समाजके भीतरसे मुधारका आन्दोलन नहीं चला सके। साम्यवादियोंने इस बातको समझ लिया, इसलिये वे हिन्दू समाज-व्यवस्थाकी सारी बातोंका विरोध करते हुए भी समाजको छोड़कर अलग नहीं हुए। उनका तरीका है कि समाजमें रहते हुए जाति, विवाह-सवध, खान-पान आदिके नियम-प्रतिबंध नहीं मानना। इस स्थितिका मुकाबला करनेमें हिन्दू धर्म समर्थ नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, जिससे सब लोग एक समान व्यवहार करें।

उद्योग प्रधान समाज

हिन्दुओंके सामाजिक ढाँचेको बदलनेमें उद्योग प्रधान समाजका असर भी खास महत्व रखता है। जाति-प्रथाका सम्बन्ध बहुत हद तक ग्रामीण उद्योग-बंधों और हाथ-कारीगरीके कार्यों से है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था ही सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली और पेशेवर जाति-भेदका मुख्य आधार है। आजका उद्योग-प्रधान समाज इन दोनों बुराइयोंकी जड़पर ही कुठाराघात करता है। यह देखनेमें आ रहा है कि बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में हिन्दुओंका सामाजिक ढाँचा बहुत तेजीसे बदल गया है। अभी तक इन परिवर्तनोंका असर सारे समाजपर इसलिए सीमित रहा है कि उद्योगीकरण कुछ ही क्षेत्रों तक परिमित रहा। विगत कुछ वर्षोंमें सामूहिक विकास-योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा-योजनाओं द्वारा जो विकासकार्य हुआ है उसके द्वारा शहरोंके नये विचार ग्रामीण क्षेत्रोंमें भी पहुँच रहे हैं। वास्तवमें इन योजनाओंको (जिनका हिन्दुस्तानके गाँवोंमें बहुत प्रसार हो चुका है) ग्रामोंमें भी शहरी विचारोंका वातावरण लानेका प्रयास कहा जा सकता है।

ग्राम-सभाओंकी स्थापनाके द्वारा गाँवोंका राजनीतिक रूपान्तर तो लगभग किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप गाँवोंके परम्परागत ढाँचेको बदलने और नई सामाजिक शक्तियोंके विकासमें बड़ा योगदान मिला है। आज गाँव सभाओंमें अस्पृश्य कहे जानेवाले लोग भी ब्राह्मण और जमींदार श्रेणीके लोगोंके साथ बैठते हैं। कई स्थानों में उन वर्गोंके लोग जो पहले सामाजिक दृष्टिसे पिछड़े हुए समझे जाते थे, गाँव सभाओंके अध्यक्ष भी चुने गये हैं। इसमें खास बात गाँवकी सचालन-सत्तामें इन लोगोंका अंश ग्रहण करना नहीं है, लेकिन समानान्तर समाजका विच्छेद है, जो हिन्दू ग्राम्य जीवनकी की खास बात रही है। इस समानान्तर सामाजिकता और सवर्ण तथा वर्णहीन जातियोंके विभेदके नाते ही, हिन्दुओंके ग्राम्य-जीवनकी उन बातोंमें भी परिवर्तन हो गया है, जो हजारों वर्षोंसे चली आती थी। हिन्दू समाजकी रूढ़िवादिताका मुख्य आधार

ग्राम्य-व्यवस्था रही है। उस क्षेत्रमें न तो मुसलमान और न अंग्रेज शासक ही कभी पहुँच पाये। पहली दफा आज इस क्षेत्र में रूढ़िवादितापर आक्रमण गुरु हुआ है।

हाथ-कारीगरीके घघो और वशागत पेशोका विघटन, जो उद्योगीकरणकी और बढ़ते हुए समाजमें अवश्यम्भावी है, कई प्रकारसे सामाजिक ढाँचेपर असर डालता है। हरएक गाँवमें वहाँके लुहार, खाती, कुम्हार, तेली, जुलाहा, मोची आदि हुआ करते थे। आज भी कहीं-कहीं चाहे वे मिल जायें पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी विगड चुकी है कि सगठित जातियोंके रूपमें उनका अस्तित्व नहीं के समान है। आज कुम्हारकी जगह फँक्टरी द्वारा बनाये गये वर्तन उसके दरवाजेपर पहुँच जाते हैं। चाहे बड़े पैमानेपर सरकारी सहायता मिल जानेसे जुलाहोका कारवार चलता रह जाय पर कपडेकी मिलोने जन-साधारणकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनेका काम ले लिया है। पेशेवर जातियों के विघटनके क्रमको कोई रोक नहीं सकता।

गाँवोंमें विजलीके प्रसार और चारो ओर बड़े-बड़े उद्योगोके विस्तारके परिणाम स्वरूप हिन्दुओके सामाजिक जीवनपर कई रूपोंमें असर पड रहा है। विजलीके योगसे कई छोटे-छोटे उद्योग पनपते हैं और उनसे गाँवोंमें शहरी रूप आने लग जाता है। घरसे फँक्टरीकी तरफ कदम उठाना शुरू होते ही जातिका उच्छेद गुरु हो जाता है। छोटी-छोटी फँक्टरियाँ जाति-प्रथाको नष्ट करनेमें सब जातियोंके बच्चोके लिए खोले गए स्कूलोंसे भी ज्यादा कारगर होती है। इसलिये उद्योगोकी नियोजित तरीकेसे आचलिक आधारपर स्थापना हिन्दुओके सामाजिक जीवनके तौर-तरीकोको एक चुनौती है।

मजदूर सघोका सगठन भी जो उद्योगीकरणके साथ अनिवार्य है, हमारे जाति-विभवत समाजको बदलनेमें खास तौरसे मदद करता है। अधिकांश मजदूर नीची जातियोंके होते हैं। सघोके सघटनके द्वारा जो राजनीतिक और उद्योग-सबधी सत्ता प्राप्त होती है, उसके कारण मजदूरोंमें विचारोकी जागृति और उग्रता उत्पन्न होती है। अतएव हिन्दुस्तानमें मजदूरोंमें उत्पन्न हुई जागृति सामाजिक दृष्टिसे दलित वर्गोंके लोगोकी जागृति और उनकी अपने मानवीय अधिकारोके प्रति जागरूकता है।

उत्पादनके आधुनिक तरीको, मशीनो, यातायात और रहन-सहनके साधनोकी विस्फोटनकारी परिवर्तनशीलताको भी अभी तक हिन्दुस्तानमें पूरी तरह नहीं कूता गया है। इनके सामाजिक असर बहुत व्यापक होते हैं। रेलमें जात-पाँत और खान-पानके बधन नहीं चल सकते, वास्तवमें, छूनेसे गदा हो जानेकी जो बात प्रथम महायुद्धके पूर्व केरलमें मानी जाती थी, वह रेलके आते ही अपने आप खत्म हो गई। अस्पताल (जहाँ हरेक आदमी बिना किसी जातिगत भेद-भावके भर्ती हो सकता है), स्कूल कालेज और दूमरी सार्वजनिक सस्थाओने भी इन भेद-भावोको खत्म करनेमें मदद की है।

विज्ञान

हिन्दू समाजपर विज्ञानका भी बहुत गहरा प्रभाव पडा है। बड़ी अजीब बात लगती है कि ससारके समस्त बड़े-बड़े धर्मोंमें हिन्दू धर्म ही ऐसा है, जिमपर विज्ञानकी प्रगतिका सबसे कम असर हुआ है। कई यूरोपीय विद्वानोने तो यह भी कहा है कि हिन्दू धर्मके सिद्धांतोका आधुनिक विज्ञानकी अति उन्नत विचारधाराओके माथ मेल बैठ जाता है। विज्ञानके जिन विवादास्पद प्रश्नोने ईसाई धर्मकी दूनियादोको हिला दिया है, कापर-

नेगियन प्रणाली, और विकामका सिद्धांत, उनसे हिन्दू-धर्मका विवाद नहीं हुआ क्योंकि उसमें विचारके ऊँचे स्तरोंपर किसी भी वैज्ञानिक विचारका विरोध नहीं है। लेकिन हिन्दुओंकी बहुत सी सामाजिक प्रथाओं और सामाजिक जीवन की कुछ मुख्य सस्थाओं के बारेमें यह बात नहीं कही जा सकती। यह भली भाँति विदित है कि संसारमें मरिक् हिन्दू जाति ही है, जो ज्योतिषशास्त्रको इतना सामाजिक महत्त्व देती है और ज्योतिष की गणनाको इतना महत्त्व देती है। ज्योतिषको हिन्दू-जीवनका एक मूलभूत आधार माना जा सकता है। अच्छे पढ़े लिये परिवारों तकमें नक्षत्रोंके स्थानके हिमावसे शुभ गृहर्त देखे बिना विवाह-अनुष्ठान नहीं सम्पन्न हो सकता। बहुतसे पढ़े-लिखे लोग भी नक्षत्रकी स्थितिका पता लगाए बिना यात्रा शुरू नहीं करते। नेपालके हिन्दू राज्यमें सार्वजनिक आयोजन भी नक्षत्रोंका हिमाव देखकर किये जाते हैं। कुम्भ मेलेका हिन्दू-त्योहार भी अमुक नक्षत्रोंके एक स्थानपर आनेपर निर्भर करता है। गूर्य और चन्द्रग्रहण कुछ प्राचीन विद्वानोंके आधारपर धार्मिक दिन गिने जाते हैं। किसी बाहरी आदमीके लिये यह समझ पाना कठिन है कि हिन्दुओंके सामान्य जीवनमें ज्योतिषका किस हद तक असर है। स्वभावत ही इस प्रकारके विचारपर विज्ञानका बहुत असर है। एक शिक्षित व्यक्ति जो अपनी पुत्रीके विवाहकी शुभ तिथिके लिए ज्योतिषीने पूछना है, अच्छी तरह जानता है कि नक्षत्रोंके स्थानका दाम्पत्य जीवनपर कोई असर नहीं पड सकता। जिन राजनीतिक नेताओंने कुम्भ मेलेके अवसरपर प्रयागमें गंगा-स्नान किया, वे भी यह तो नहीं मानते होंगे कि उसी दिन स्नान करनेसे कोई खाम पुण्य होता होगा। इन सब प्रथाओं और अनुष्ठानोंमें कोई विश्वास नहीं रहा है; जो कुछ होता है, वह सब एक प्रथा मात्र रह गई है। शाकाहारकी प्रथा, जिसका हिन्दू धर्ममें कोई सबब नहीं है पर जिसको एक धार्मिक प्रथाके बतौर उच्च वर्णकी जातियोंके लोग मानते हैं, आज अर्थहीन हो गई है, जबसे विज्ञानने यह साबित कर दिया है कि पेट-पौधोंमें भी प्राण होता है और पशुओं की भाँति उनमें भी दुख-सुखकी अनुभूति होती है। इस प्रकार हिन्दुओंके रीति-रिवाज, प्रथा और सस्थाओंपर विज्ञानका बड़ा दूरगामी असर पडा है और ज्यो-ज्यो वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ेगा, उसका असर बढ़ता ही जायगा।

विचार

विज्ञानसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण (क्योंकि उसका ज्ञान बहुत कम लोगोंपर सीमित होता है) विचार होता है। विचारका असर सामाजिक मन्थानपर बहुत जबरदस्त होता है। जो व्यक्ति अपने विचारके परिणामस्वरूप किसी प्रथाके बारेमें शका करता है या किसी प्रथाकी अवहेलना या विरोध करता है, वह ऐसी शक्तियाँ पैदा करता है, जो कतिपय परिस्थितियोंमें क्रांतिकारी कही जा सकती है। खास तौरसे जो समाज रूढियों से बँधा होता है, उसमें विचार और उसकी अभिव्यक्ति परिवर्तनके बहुत शक्तिशाली साधन होते हैं और कानूनका काम केवल उन विचारोंको शकल देना और समर्थन प्रदान करना रह जाता है, जिनको जनमतका समर्थन मिल चुका होता है। हिन्दूसमाजमें विचारने अपना कार्य छोड़ नहीं दिया था। यह बराबर हिन्दू सामाजिक संस्थानका परीक्षण करता रहता था, लेकिन जिन कारणोंका हम पहले विश्लेषण कर चुके हैं, उनसे नये सम्प्रदायोंपर नये मुधारवादी समूहोंकी ही सृष्टि हुई। कानून

वना सकनेकी स्थितिके अभावमें हिन्दू रीति-रिवाजोकी सामान्य सहितामें नये विचारको जगह देनेका कोई जरिया नहीं था। राजनीतिक अनैक्य, जिसने कई विभिन्न अधिकृत क्षेत्रोकी सृष्टि कर रखी थी, के कारण भी सारे हिन्दुस्तानकी दृष्टिसे कोई सुधार सम्भव नहीं हो सका। यही कारण था कि सुधारकोका कार्य अलग-अलग क्षेत्रो (जहाँ आन्दोलन शुरू किया गया) तक सीमित रहा। सत्रहवीं और अठारहवीं गताब्दियोंमें, जबकि विचारके अखिल भारतीय माध्यमके रूपसे संस्कृतका अध्ययन भी नष्ट होने लग गया था, परिवहनकी कठिनाइयो और सांस्कृतिक आदान-प्रदानके लिए आवश्यक एक सामान्य भाषाके अभावके कारण विचारका देश-व्यापी आंदोलन, असम्भव था। उन्नीसवीं शताब्दीके तृतीय चतुर्थांशके मध्य कालमें जाकर इस स्थितिमें परिवर्तन हुआ। विचारके एक सामान्य माध्यमके रूपमें शिक्षित समुदायको अंग्रेजी भाषा मिल जानेसे सारे देशमें अपने विचारोका प्रचार करनेका साधन मिल गया।

वर्तमान शताब्दीके आरम्भसे तो विचारमें भी बड़ी क्रान्तिकारी प्रगति हो गई। पहले जब हिन्दू समाज-व्यवस्थाके मूलाधारके बारेमें भी शका की जाती थी, रुढ़िवादिता अपनी सब शक्तोमें विद्यमान थी, और यही बतानेकी कोशिश की जाती थी कि नया विचार सिर्फ सच्चे अर्थका प्रतिपादन या व्याख्यामात्र था। परन्तु राममोहन राय और केशवचन्द्र सेनने इस प्रकार का दावा न करके हिन्दू समाजपर शास्त्रके आधारपर नहीं, बल्कि विचारके आधारपर आक्रमण किया। स्वामी दयानन्द सरस्वतीने अपने सत्यार्थ प्रकाश में इसी परिपाटीका निर्वाह किया कि वे वेदका वास्तविक अर्थ बता रहे थे। मुझे इसमें कोई सदेह नहीं लगता कि उनकी शिक्षा, जिसने हिन्दुओकी बहुत सी सामाजिक प्रथाओ का विरोध किया, राममोहन राय और बंगालके दूसरे सुधारकोके बौद्धिक उदारवादकी अपेक्षा कहीं अधिक क्रान्तिकारी थी।

रुढ़िवादियोका विचार भी गतिशील हो गया था। स्वामी विवेकानन्द, जो वेदान्तके पृष्ठपोषक और सनातन हिन्दू धर्मके पुनरुद्धारक थे, एक उग्र विचारक थे और उन्होंने हिन्दुओकी कई सामाजिक सस्थाओकी निन्दा करनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं की। उन्होंने यह कहकर दुनियाको अचम्भेमें डाल दिया कि जाति-प्रथाका हिन्दू धर्ममें कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा—“बुद्धमें लेकर राममोहनराय तक हरेकने जातिको एक धार्मिक सस्था माननेकी गलती की लेकिन पुरोहितो-पंडितोकी सारी चिल्ल-पोकें वावजूद जाति अब सिर्फ एक ऐसी सामाजिक सस्था रह गई है, जो अपना काम खत्म कर चुकनेके बाद भारतवर्षके वातावरणमें सड़ांध पैदा कर रही है। निस्संदेह विचारका यह अत्यधिक क्रान्तिकारी रूप है। विवेकानन्दके समयमें जाति प्रथाका कोई समर्थक नहीं हुआ। प्रश्न सिर्फ कूड़े-करकटको साफ कर नई बुनियादोपर इमारत खड़ी करनेका था, पर जब तक हम स्वाधीन नहीं हुए, तब तक वैसा करना सम्भव नहीं था। अंग्रेजी भारतकी व्यवस्थापिका सभा अगर सामाजिक मामलोमें कानून बनानेका विचार करती भी, तो देशका केवल ३ भाग ही उस कानूनके क्षेत्रमें आता। बाकी ३ हिस्सेपर तो बगानुगत देशी राजाओका राज्य था। एक अपवादको छोड़कर बाकी सारे राजा लोग बीते हुए अतीतके ही रखक थे। अपवाद स्वरूप ये सयाजीराव गायकवाड जो सामाजिक मामलोमें एक सच्चे क्रान्तिकारी थे और जिन्होंने हिन्दू समाजको ममम्याओका ममजा

और अपनी छोटी-सी रियासतमें व्यापक रूपसे उनको हल करनेका प्रयत्न किया। लेकिन एक सयाजी राव गायकवाड़के विरुद्ध एक सौ तीस दूसरे राजा लोग थे, जिनमेंसे बहुतसे तो अपनी रियासत में अस्पृश्यताके पालनपर भी कडाई करते थे। राजस्थानकी बहुत-सी रियासतोंमें स्वाधीनताप्राप्तिके दिन तक अछूतोंको सार्वजनिक स्कूलोंमें भी नहीं जाने दिया जाता था। इन रियासतोंमें बाल-विवाह जारी था, जो स्त्री अपने पतिके घरसे चली जाती थी, उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया जाता था। त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर आदि रियासतोंमें समाज-सुधारमें कुछ प्रगति हुई थी, परन्तु साधारण तौरसे यही कहा जायगा कि सन् १९४९ में जब उनका विघटन हुआ, तब तक देशी रियासतें सामाजिक रूढ़िवादिका सुरक्षित गढ़ बने हुए थे।

सविधानमें यह सिद्धान्त रखा गया है कि हिन्दू समाजके सुधारके लिये कानून बनाना भारतीय पार्लियामेंटका एक प्राथमिक कर्तव्य होगा। सविधानका २५ वाँ अनुच्छेद इस प्रकार है—

“२५ (१) सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा इस भाग में उल्लिखित दूसरी धाराओंको ध्यानमें रखते हुए समस्त नागरिकोंको विचारकी स्वतंत्रता और किसी भी धर्मको मानने, उसपर अमल करने और उसका प्रचार करनेकी स्वाधीनता का हक होगा।

(२) इस धारा में उल्लिखित कोई बात राज्यको निम्न बातों के बारे में कानून बनानेसे नहीं रोकेगी—

(क) किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य गैर-साम्प्रदायिक प्रवृत्ति, जिसका सम्बन्ध धार्मिक मान्यता या व्यवहारसे हो, का नियमन या प्रतिबन्धन।

(ख) सामाजिक कल्याण या सुधार अथवा हिन्दू समाजकी सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओंको हिन्दुओंके समस्त वर्गों और श्रेणियोंके लिए खुली करना।”

इसमें सामाजिक कल्याण और सुधारके लिये कानून बनानेका अधिकार वचाकर रखा गया है। एक प्रकारसे सनातनपथियोंको पहलेसे ही विज्ञप्ति दे दी गई है कि धार्मिक स्वतंत्रतामें उन रूढ़ियों और रीति-रिवाजोंको संरक्षण देनेका अधिकार शामिल नहीं है, जिनको जनताकी सामाजिक चेतनाने पहलेसे ही फेंक दिया है। इस धाराका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पहली दफा सहिष्णुताकी सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं, हिन्दू धर्मकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि धार्मिक विश्वास और रूढ़ियोंमें सहिष्णुताकी सीमा कभी निर्धारित नहीं की गई थी। इस धाराके द्वारा उस दोषका परिमार्जन कर दिया गया है।

हिन्दू धर्मपर दूसरे धर्मों और समाजोंका जो असर पड़ा है, उसके बारेमें यहाँ विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है। बहुत हद तक उन्होंने भारतवर्षमें विचारकी नई आवहवा बनानेमें मदद की है। ईसाई और इस्लामी समाजोंके सहअस्तित्वने हिन्दुओंकी समाज-व्यवस्थाके बंद दरवाजेके बाहर सामाजिक जीवनमें तो नहीं, परन्तु विचार-जगत्में बहुत बड़े परिवर्तन पैदा किये, जिनके कारण आन्दोलन खड़े हुए और नये सम्प्रदाय बने। जब इससे परिवर्तनकी क्रिया शुरू हुई और हिन्दुओंमें वैचारिक क्रांति उत्पन्न हुई, तभी वचारों और संस्थाओंमें विरोध प्रकट होने लगा। —अनुवादक—भैरवमल सिंधी

भारतीय जीवन पर इसलाम का प्रभाव

भारतीय सस्कृतिपर इसलामका प्रभाव इतना व्यापक और गहरा पटा है, कि अनेक वार यह कहना कठिन हो जाता है कि इस सस्कृतिमें क्या हिन्दू है क्या मुसलमान । साहित्य, कला और जन-जीवनपर पडनेवाला वह प्रभाव अनेक दूरके छोरोको छू गया है और देशकी सस्कृतिका गायद ही कोई अंग हो, जिसमें वह प्रभाव प्रगट न हो । हमारे कवीर, नानक आदि महात्माओने तो उससे इतनी गहरी प्रेरणा पाई है कि स्थानीय धर्मको भी उन्होने नये विश्वासकी मान्यता दी और उस नये विश्वासकी नई सामाजिक चेतनाये देशके जीवनको फिरसे कूतना और सँवारना चाहा । उस दिशामें उनके प्रयत्न निस्सदेह असफल नहीं कहे जा सकते । यहाँ हम उसी प्रभावके कुछ प्रकट आँकडे प्रस्तुत करेंगे यद्यपि वे आँकडे केवल उस प्रभावकी सूची मात्र होंगे, कुछ सागोपागीण व्याख्या नहीं ।

साहित्यकी दिशामें तो इसलामका महत्व इतना बडा है कि उसके ऋणसे प्रान्तीय भाषाएँ, विशेषकर हिन्दी, उन्नत नहीं हो सकती । कमसे कम उत्तरी और पश्चिमी भारतपर जो मुसलमान शासनका सदियो प्रभुत्व रहा है, उसका देशके जनजीवनपर गहरा असर सहज ही पडता गया है । शासन, उसके विविध क्षेत्रों, विभागों और महकमों में, कानूनी व्यवहार और अदालतोंमें नये शब्दों और एवारतोंका उपयोग हुआ है, जो अरबी और, विशेषकर, फारसीसे शासनको मिले थे । यह सही है कि वह चिनगारी जो सहसा इसलामका वैश्वानर बनकर एगिया और दक्षिणी योरोप और उत्तरी अफ्रीका में भडककर उठे चाट गई थी पहले पहल अरबकी मर भूमिमें जिलाई गई, और अरबी रिसलाने ही पहले उन सारे देशोंपर कब्जा किया । पर, जब एकीभूत इसलामी साम्राज्यके शासन की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब अरबोंने ईरानियोकामुंह ताका । ईरानी शासनके कार्यमें सदियोसे प्रवीण रहे थे और प्राय एक सदीके भीतर ही वे इसलामके नये साम्राज्यके शासनके स्वामी बन गये । भारतपर काबुलकी राह इसलाम जो हावी हुआ, तो उगमें अधिकतर हाथ उनका ही था जिनकी मादरी जवान फारसी थी या कमसे कम फारसीमें प्रभावित थी । जो फारसीसे दीगर जवान बोलते थे, उन बाहरमें आनेवाले मुसलमानों का भी साहित्य कमसे कम फारसी ही था । अरबीके मुकाबले फारसीके शब्दोंके हिन्दी आदि प्रान्तीय भाषाओंमें मिल जानेका एक विशिष्ट कारण यह था कि फारसी और सस्कृत दोनों आर्य भाषाएँ थी, एक-दूसरेमें, चाहे दूरका ही सम्बन्ध रखनेवाली हो ।

साहित्यके इस क्षेत्रमें इसलामका पहला प्रभाव इस प्रकार देशकी भाषा और लिपि पर पड़ा। अरबी लिपिको ईरानियोंने नये सिरेसे साज्ज वढाकर फारसी कर ली थी। वस्तुतः ईरानी अत्यन्त प्राचीन कालसे लिपिकार रहते आये थे। स्वयं 'लिपि' शब्द का भारतमें प्रयोग प्राचीन पहुँ लवीसे आया था जहाँ 'लिवि', 'लिविर', 'दिवि', 'दिविर' लेखनके सम्बन्धमें प्रयुक्त होते रहे थे। प्रायः सारे एशियामें अरबी लिपिके वजाय फारसी लिपिका व्यवहार होने लगा था, विशेषकर इस कारण कि इसलामके दायरेमें नित्य नई आती-जाती जातियोंके उच्चारणके विभिन्न स्वरोंको अरबी लिपिमें प्रगट कर सकना सम्भव न था, यद्यपि उनके लिये अभिव्यक्तिका माध्यम ढूँढना आवश्यक था, जो अपेक्षाकृत (निश्चय केवल अपेक्षाकृत) माध्यम फारसी लिपिने दिया। वह लिपि भारतमें भी इसलामके प्रचारके साथ, उसके शासनके प्रसारके साथ प्रचलित हुई। आने वाले मुसलमान आपसमें अरबी, फारसी, तुर्की आदि विभिन्न भाषाएँ बोलते थे, पर उनकी लिपि प्रायः एक थी, फारसी। और वे यहाँ वालोंसे जिस भाषामें बोलने लगे, वह अनिवार्यतः अरबी, तुर्की, फारसी मिली 'भाषा' थी,—हिन्दी या हिन्दुस्तानी, खड़ी बोली का प्रारम्भिक रूप। परन्तु यह नई बोली लिखनेके लिये भी उसी एक फारसी लिपिका इस्तेमाल कमसे कम उन विदेशियोंके बीच होता था। इस रूपमें फारसी लिपि भाषा और उसके प्रकाशनके लिये समान आधार बन गई। यह न भूलना चाहिये कि वह लिपि मात्र इसी कारण इस देशमें प्रयुक्त हुई कि उसका प्रयोग करनेवाले विदेशी यहाँकी वैज्ञानिक देवनागरी लिपिसे अनभिन्न थे और उन्हें वाध्य होकर उस अकेली विदेशी लिपि का उपयोग करना पडा जिसकी उन्हें जानकारी थी।

भाषाके साथ यह बात न थी। भाषा, जैसे उसकी व्युत्पत्तिसे प्रगट है, विचारोंको बोलकर प्रगट करनेकी वाहन है। और उसका समझा जाना उसके प्रयोगके लिये अहम् वात है। आज जिसे हम उर्दू कहते हैं, और जिसे खड़ी बोली हिन्दीको ऋद्ध करनेवाली उसकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक शैली मानते हैं, वह मात्र इसी देशकी भाषा है, इसलामी जगत्के किसी दूसरे देशमें यह नहीं बोली जाती। इसलामकी यह देन, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हिन्दी के लिये बडी ऋद्ध सिद्ध हुई। हिन्दीमें एक नई इवारत, नया एखलाक, नये मुहावरे, नये छन्द—शेर, गजल, रुवाई आदि—आये और उससे हिन्दी समृद्ध हुई। शब्दोंका तो ससार इतना भरा कि गाँवोंकी हमारी नितात निपढ और गँवार नारियाँ तक अरबी, फारसी, तुर्की और (उनसे पहले के, उन्हीके जरिये आये) असीरी-बाबुली-मुमेरी शब्दों तकका अनायास अनजाने स्वाभाविक उपयोग आज कर लेती है। 'उजवक', 'कजाक', 'अलाय-बलाय' (अलैया-बलैया) 'रोटी' आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस सम्बन्धमें उद्धृत किये जा सकते हैं और जो साहित्य और अरवामकी बोलचालमें समान रूपसे बिना किसी आयासके प्रयुक्त होते हैं। इस सबधमें मैं उन हज़ारों शब्दोंको छोड देता हूँ जो इसलामके प्रचारके साथ आकर हमारी भाषामें घुलमिलकर संस्कृति के अंग बन गये हैं। 'उजवक' शब्दका प्रयोग आज 'वेवकूप' अर्थमें होने लगा है पर किसी ज़मानेमें बलखवदल्शासे चीनकी सरहद तक उजवक-तुर्क जातिका दबदबा था और कितनी ही बार उन्होंने आमू दरिया पारकर हिन्दुकुशकी चोटियोंपर अपने झडे फहराए थे। किस प्रकार उनकी ताकतसे बढकर उनकी वेवकूपीका द्योतक यह शब्द

वन गया यह सस्कृतिके विस्तारकी स्वतंत्र कहानी है। वस इतना ही कह देना काफी होगा कि यह शब्द हमारे गावोंमें बड़ी स्वाभाविक रीतिमें साधारण बोलचालमें, छड़ी बोलीमें ही नहीं बल्कि विविध बोलियोंमें भी प्रयुक्त होता है। 'कजाक' का अर्थ हमारे यहाँ मुनासिब ही 'कूर' और 'कसाई' के अर्थमें होने लगा है, जिस अर्थमें स्वयं विहारी ने अपने साहित्यमें उसका प्रयोग किया है, और यह अर्थ रूसकी जमीनपर बसनेवाले उन कज्जकोकी शक्ति और सक्रमणशीलता का अपूर्व प्रकाशक है जिनके रिसालोकी चोट आज भी एशियाई जातियोंकी पीठपर गहरी है। कजाक मूल रूपमें स्वयं एगियाई थे। आज सोवियत रूसके सोलह प्रधान प्रजातान्त्रिक इलाकोंमें भारतकी सरहदपर उजबकिस्तान और कुछ पीछे हटकर कजाकिस्तान अवस्थित है। 'अलाय-बलाय' शब्दकी व्युत्पत्ति जननेकी कोशिश सालोसे फारसी और अरबीके पंडित कोशकार भी करते रहे हैं, इसलिये विशेष कि अरब और फारससे भारत तक के गाँवोंमें इस पदका नितात आत्मीयतासे प्रयोग हुआ है। अथर्ववेदके प्रसिद्ध मंत्र 'आलिगीच विलिगीच पिता च माता च में 'आलिगी-विलिगी' उसी 'अलाय-बलाय' के प्राचीनतम रूप है। अगर हम उन 'आलिगी-विलिगी' का पूर्वतम और प्राचीनतम रूप ढूँढनेकी फिर करें तो वह हमें अथर्ववेदसे कमसे कम हजार वर्ष पहले लिखी उस वावुली-सुमेरी ईटपर मिलेगा जिसे डाक्टर लियोनार्ड वूलीने खोद निकाला है, जो वहाँके राजाओका कुर्सीनामा है और जिसके पाँचवें और छठें राजा 'एलूलू-वेलूलू' है। 'रोटी' के मूलके सम्बन्धमें कुछ कह सकना हम समय सम्भव नहीं सिवा इसके कि उसका प्रयोग सारे प्रान्तीय भाषाओंमें होता है। जिस शब्दका प्रयोग भारतकी प्रान्तीय भाषाओंमें समान रूप और अर्थमें होता है, उसका सम्बन्ध अनिवार्यतः सस्कृत या प्राकृतोंसे होना चाहिये। परन्तु हम जानते हैं कि रोटी शब्द मूलतः न मस्कृतका है, न प्राकृतका। कहाँसे यह आया यह कह सकना कठिन है यद्यपि ईरानसे तुर्की तक इसका इस्तेमाल होता है। कुछ अजब नहीं जो मूलतः यह तुर्की भाषाका शब्द हो। यद्यपि तुर्कीमें अक्षरोका उच्चारण मृदुल होता है, टवर्ग सर्वथा नहीं होता। उस दशामें इसका उच्चारण 'रोती' होना चाहिये। शब्द यह चाहे जहाँसे आयाहो भारतीय नहीं है, और आया यह इसलामके साथ ही है क्योंकि इसलामके आगमनके पहलेके साहित्य या भाषाओंमें इसका उल्लेख नहीं मिलता। इस शब्दका केवल भारतीय भाषाओंसे ही सम्बन्ध नहीं है वरन् यहाँके जनजीवनसे भी है क्योंकि यह एक सांस्कृतिक प्रश्न भी खड़ा करता है कि क्या हमारे यहाँ केवल फुलके और चपातियोंके द्योतक इस रोटी शब्द मात्रका प्रचलन हुआ अथवा पहले फुलके और चपातियों का भोजनमें व्यवहार ही नहीं होता था और यहकि वह व्यवहार इसलामके झडके नीचे भारत आनेवाली जातियोंने इस देशमें आरम्भ किया। चूँकि फुलके और चपातियोंके अतिरिक्त इस देशकी जीवित भाषाओं और स्वयं सस्कृत और प्राकृतोंमें तबके लिये भी, जिनपर फुलके और चपातियाँ या रोटी बनती हैं, शब्द नहीं मिलते, यह निष्कर्ष अगमत् न होगा कि पहले भारतमें रोटी-भोजनका अग्र ही न थी। यदि यह विचार वैज्ञानिक हो तो यह महत्वकी बात होगी कि छुआछूतके दुर्ह कोट चिकेमे इस शब्द और इसमें द्योतित होनेवाली खाद्यविधिका प्रवेश कैसे हो पाया, जहाँ परिवारके वाहरके मानव तन्त्रका प्रवेश पा सकना असम्भव रहा है? परन्तु मस्कृतियोंके अन्तरावनम्बनकी परम्पगमें

ऐसी घटनाओंका प्रादुर्भाव सहज और स्वाभाविक रहा है और उस क्षेत्रमें हमें बोखा विशेष कर वही होता है जहाँके सम्बन्धमें हम सर्वथा निश्चित होते हैं। रोटी शब्द और मास्कृतिक तत्वके रूपमें भारतको इसलामकी देन है।

यह तो हुई भापाकी वात। साहित्यमें भी इसलामका योग कुछ कम नहीं हुआ। जैसा हम ऊपर कह आये हैं, यहाँ इसकी सविस्तार व्याख्या तो नहीं कर पाएँगे पर इस अवधमें सकेत निश्चय कर देंगे क्योंकि साहित्य पर इसलाम प्रभावका विस्तार कुछ थोड़ा नहीं है। सूफी धर्मकी सत्ता धार्मिक सीमाओंसे बाहर निकल कर साहित्य पर भी छा गई, देशमें भी विदेशोंमें भी। विदेशसे तो वह आई ही थी। उसका उदय और प्रसार पहले फारस और अरबमें हुआ फिर सारे मध्य और पश्चिमी एशियामें और अन्तमें भारतके साथ-साथ उन सारे देशोंमें हुआ जहाँ-जहाँ इसलामकी फौजोंके बाद सूफी सत और उनके चले पहुँचे थे। भारतकी हवा सदियोंसे शकरके अद्वैतनादसे गुँज रही थी और उसकी जमीनपर सहज ही सूफीवादका अनुकूल अंकुर लग गया। कालान्तरमें विश्वास और मान्यताओंके जगत्को अपने वाससे सुवासित करता वह साहित्यके क्षेत्रमें उतरा और मलिक मोहम्मद जायसी आदिने उसी परम्पराकी प्रवृत्तियोंके आग्रहसे हमें अपने काव्य दिये। 'पद्मावत' उसी परम्पराका, उसी सूफीवादके पौधेका, अभिराम पुष्प है। नानक और विणोपत कवीर तथा उनसे प्रभावित अन्य सतोंकी भावसत्ता, इसलाम संवधी शब्दोंके अतिरिक्त, सूफीवादकी महिमासे भी प्रेरित हुई।

गुद्ध हिन्दी-खड़ी बोलीका ठाठ खडा करनेमें तेरहवीं सदीके अमीर खुसरोसे लेकर उन्नीसवीं सदीके इंशा अल्ला खाँ तक मुसलमान साहित्यकार सहायक हुए हैं। उसी परम्परामें इन दोनों छोरोंके बीच रसखान, शेख और आलम, रहीम खानखाना, वाज्र वहादुर, स्वयं अकबर आदि रहे हैं जिन्होंने हिन्दीके अगाग सजाये हैं और उनमें सौरभ भरा है। यहाँ उन उर्दूके रससचारक अद्भुत कवियोंका उल्लेख नहीं करेंगे, जिन्होंने हिन्दीकी प्रधान सास्कृतिक शैलीसे उर्दूको समृद्ध किया और जहाँ तक भापा या भापाके व्याकरण और उसकी वनावटका प्रश्न है, वे खड़ी बोलीमें लिखनेके कारण स्थानीय बोलियोंमें लिखने वाले हमारे महान् सूर, तुलसी, देव, विहारी आदिसे भी निकट आ गये।

कलाके क्षेत्रमें इसलामकी देन अत्यन्त असाधारण है। मन्दिरोंको छोड़कर बारहवीं सदीके बाद बननेवाली प्रायः सभी इमारतोंपर इसलाम द्वारा लार्ड ससानी वास्तुशैलीका प्रभाव पडा। आरम्भमें तो उस हिन्दू-मुस्लिम कला-मेलाका परिणाम वही हुआ, जो गांधारशैलीके विकासके समय हजार वर्ष पहले पंजावमें हिन्दू-ग्रीक संयोगसे हुआ था यानी हिन्दू संगसाजों, राजों और कलावन्तोंने, अधिकतर इसलामके उसूलोंसे नये धर्मकी मसजिदें बनाईं। दिल्लीसे काठियावाड़ और मालवासे पूर्वी दकन तक सैकड़ों— इसलामकी धार्मिक इमारतें आज खड़ी हैं, जो पुकार-पुकारकर हिन्दू-मुस्लिम संयुक्त वास्तु-क्रियाकी कहानी कहती हैं और आज वे सारी इमारतें मजहबके दायरेसे बाहर आकर धर्मनिरपेक्ष भारतीय जनताकी विरासत तथा गौरवकी शालीन वस्तु बन गयी हैं। फिर उनके अतिरिक्त दिल्ली, आगरा, लखनऊ गौड और अन्य उत्तर भारतीय नगरो और दकनमें जो मुसलमान राजाओंकी बनवाई इमारतें आज खड़ी हैं, और जो गुद्ध इसलाम की कलाको व्यक्त करती हैं—उसकी मसजिदें, इमामवाडे, मकबरे और किले—सभी आज

भारतीय कलाके अपने नमूने बन गयी है। वे इस देशकी मोहनजोदडोसे आज तककी कोई पाँच हजार सालके कार्यप्रसारमें बहनेवाली धाराके अग्र बने हैं। संसारकी सबसे सुन्दर वास्तुकलाका नमूना 'ताज' आज भारतीय गौवरकी चूडामणि है, जो इसलामकी देन है।

कागज और वारुद दोनोका आविष्कार चीनियोने किया परन्तु उनका इस देशमें प्रचार इस्लामने किया, चीनमें मुद्रण और कागजका आविष्कार बौद्ध साहित्य, (जिसकी माँग वहाँकी जनतामें बेहद बढ़ गई थी) के वितरणके लिए हुआ, भारतमें मुद्रण और कागज दोनोका व्यवहार उनके आविष्कारके बहुत पीछे हुआ, सदियों पीछे। पर कमसे कम आरम्भमें उनका सफल प्रयोग मुसलमान कारीगरो द्वारा सम्पन्न हुआ, आज भी कमसे कम प्रेसके संचालनमें अनेक मुसलमान मजदूर और छापेके फोरमैन, मशीनमैन जिल्दसाजी आदिमें लगे हुए हैं। वारुदका आविष्कार चीनियोने जीवनको आकर्षक बनानेके लिए आतिशवाजीके अर्थ किया था, यद्यपि मध्य और पश्चिमी एशिया तथा योरुपमें पहली बार उनका उपयोग जीवनको ध्वस्त करनेके लिए किया गया था। इस देशमें बाबरने पहली बार उसका उपयोग १५२६ ई० में पानीपतकी लडाईमें किया, अधिकतर आतिशवाजीके रूपमें जिससे इब्राहिमके हाथी भडक उठे थे, यद्यपि फतेपुर सीकरीके मैदानमें उमका उपयोग तोपोमें निरन्तर टूटते आते राजपूती रिसालोके विरुद्ध किया गया। आज भी आतिशवाजी, पटाखो आदिके लिए वारुदी काम अधिकतर मुसलमान कारीगर ही सम्पन्न कर रहे हैं।

धर्मके क्षेत्रमें तो निस्संदेह अनेक रूपसे इसलामका प्रभाव यहाँके विन्वामोपर पडा। सूफीवादकी ओर ऊपर सकेत किया जा चुका है। भारत और पाकिस्तानकी मानवता की एक बड़ी विगल सख्या मुसलमान है, जो चाहे जिस रीतिसे भी मुसलमान हुई हो, इसलामके प्रभावकी परिचायक है और आज इम धराके उत्कर्ष अपकर्षमें उसका किती न किसी अंशमें सम्मिलित योग है। मालावार और दक्षिण भारतके अनेक क्षेत्रोमें इसलामके उदयसे पहले ही अरबोकी आवादियाँ बस गई थी और धर्म के प्रतिबधोको तोड़कर सहज ही उसकी हृदोके बाहर गुद्ध मानवताका व्यवहार करनेवाले अरब मल्लाहोको 'नाखुदा' कहा गया। वह स्वयं उम सम्बन्धका परिचायक है, जिसमें इमलामकी मान्यताएँ न केवल सिद्धि थी बल्कि प्रायः सर्वथा अस्वीकृत थी। पर उन वस्तियोमें इसलाम के उदयके बाद उसके उद्गम अरबसे लगातार सवध बना रहना भारतके दक्षिणी समुद्र तटका इसलामके प्रचारके लिये एक मजिल बन जाना था। मुसलमान फकीर, कलन्दर, दरवेश और श्रीलिये लगातार उबर आठवीं-नवीं सदियोंमें एकेश्वरवादकी सत्ता घोषित करते रहे। यह जो कुछ गुननेवाले पडितोने कहा है कि आचार्य शंकरके अद्वैत एकेश्वरवादपर इसलामकी उस प्रधान मान्यताका प्रभाव है वह वेबुनियाद नहीं है। यदि तसब्बुफके बुनियादी उसूलोपर शंकरका वेदान्त हावी हो सकता था तो कुछ अजब नहीं, जो उस वेदान्तकी मिट्टीसे भी स्वयं इसलामके उम प्रधान तत्वका संयोग हो गया हो, यद्यपि यह किसी अंश और रूपमें शंकरके तर्क-नैपुण्य और महानताको ओछा नहीं करता। राजस्थानके राजपूत राजा किस हद तक मुसलमानी एखलाक और तहजीब के मजबूत पाए बन गए थे इसका सबूत देनेकी शायद जरूरत न होगी क्योंकि बात यह न तो सिद्ध

है न विवादास्पद । परन्तु राजस्थानके, कमसेकम राजाओंके, मृतक कर्मसे इसलामकी एक धार्मिक रीतिका स्पर्श हो गया है यह यहाँ बता देना समीचीन होगा । उनकी समाधियोंको 'छतरियाँ' कहते हैं । 'छतरियाँ' मुसलमानी मकबरो की परिचायक हैं । यह सही है कि संतोकी समाधियाँ पहले भी बना करती थी, यद्यपि बहुत पहले या इसलाम से सम्पर्कके पहले नहीं, परन्तु उनके ऊपर ताजियानुमा या खरबूजानुमा गुम्बज कभी नहीं बनते थे । धार्मिक वास्तुकलाका यह हिन्दू रूप इसलामके प्रभावका ही द्योतक है । स्वयं हिन्दू संतोकी छतरियाँ भी इसी प्रकारकी हैं और निश्चय वे इस देश में इसलामके उदयके बादकी हैं । अगर कवीर और नानककी समाधिके ऊपर ऐसे गुम्बज हो तो शायद कुछ लोगोंको अजब न लगे पर 'सकलागमनिगमपुराण' आदि के पंडित और असाधारण स्मार्त गोसाईं तुलसीदासकी राजापुरवाली समाधिकी ताजियानुमा छतरीका गुम्बज उस प्रतिक्रियाको चुनौती निश्चय देगा, जो कला-साधनामें हिन्दू-मुसलमानका भेद करती है ।

जनजीवन और सामाजिक व्यवहारपर इसलामका जितना प्रभाव पडा है उसे लिखने के लिये समय और विस्तार दोनो चाहिये । यहाँ केवल कुछ मोटी-मोटी बातोंकी ही ओर इशारा कर देना बस काफी होगा । देगके तनखा, आगा, बख्शी, मजूमदार, जागीरदार सरकार आदि कुल नामोंसे प्रगट है कि किस प्रकार हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसलामके प्रभावमें धीरे-धीरे आई । इसलामके उदयके बाद सम्भवतः पहली बार इस देगमें शरीरके ऊपरी भागपर सिला हुआ वस्त्र पहना गया । कुरता और पाजामा इसलामको माननेवाली संस्कृति द्वारा ही इस देशमें प्रचलित हुये । मुगलोंने जिन अचकन और पाजामेको अपना दरवारी वेश बनाया उसे लखनऊके नवाबोंने शालीनता दी और आज वही भारतका राष्ट्रीय वेश बना है । हिन्दू सधवा नारीके वैवाहिक प्रतीकोंमें सिन्दूर और चूड़ीके अतिरिक्त नाककी नथ भी है । 'नथ' शब्दका सम्बन्ध भी रोटीकी भाँति ही न संस्कृतसे है न पालीसे और न कभी इस देगमें इसका इस्तेमाल इसलामके आगमनके पहले हुआ है । प्राचीनकालसे लेकर बारहवीं सदी तककी हज़ारों-लाखों देवी-देवताओंकी मूर्तियोंके आभूषण-परिवारमें कहीं नथ नहीं देख पड़ती । उबर नथका इस्तेमाल 'नाकिल' के रूपमें अरबमें बराबर होता था । पशुओंकी नाक छेदकर उसमें नाकिल डाल रस्सी पहनाकर उन्हें ले जाया जाता था । वस्तुतः यह प्रथा और भी पुरानी थी, असीरियो या असुरोंकी, जो गन्धुको जीतकर उसके होठोंको छेदकर उसमें रस्सी पहना कर ले जाया करते थे । उसीका उल्लेख प्राचीन नवियोंकी इंजीलकी पुरानी पोथी की ललकारमें हुआ है जब वे यहूदी महात्मा असुर राजाओंकी क्रूरतासे अक्रांत जेरुसलममें खड़े होकर कहते हैं कि एक दिन आएगा जब तुम भी अपने दोनो होठ और नाक छेदाकर पशुओं और गुलामोंकी तरह हाँके जाओगे । सो नथ पशुओं और गुलामोंपर मानव और विजेता के स्वामित्वका परिचायक है, जैसे कभीकी हिन्दू नारीका वैवाहिक नथ उसके पुरुषके प्रति उसकी अकिंचन स्थितिका परिचायक था ।

अंतमें भारतीय संगीतकी ओर अब संकेत करेंगे जिसका उल्लेख किये बिना प्रस्तुत विषय सम्बन्धी लेख निस्संदेह अपूर्ण ही रह जायगा । ललित कला होनेके कारण इसका विवेचन तो वस्तुतः वास्तु आदि कलाओंके साथ ही होना चाहिये था परन्तु जीवनके

अत्यन्त निकट होने से इस प्रभावका उल्लेख अन्तमें करना उचित समझता हूँ जिससे इसकी याद बनी रहे। सगीत, कमसेकम अपने अगास्त्रीय अथवा अमार्गीय देशी रूपमें, प्राचीन मार्गीयसे उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार चित्रकलामें मुगल कलम अजन्ताकी शैलीसे। और जिस प्रकार ईरान और मध्य एशियासे चित्तेरे लाकर मुगलोंने अपने उस सोफियाने सुकुमार मुगल कलमको सँवारा जिसका सा दूसरा कलम आज न देशमें है न विदेश में। उसी प्रकार मुगलो, लखनऊ, जौनपुर और रामपुरके नवाबो या उनसे भी पहलेके मुसलमान वादगाहोंने अरबी-फारसीके गज़ल, रुवाई आदि छंदोके सयोगसे 'देशी' की अनेक उपेक्षित और गँवार समझे जानेवाले रागोको मार्ग अथवा शास्त्रीय सगीतकी मर्यादा दी। खयाल, ठुमरी आदि अनेक चीजें दरवारोमे गाई गईं और उनकी साधना ध्रुपदके साथ-साथ वादगाहो और मुसलमान आचार्योंने भी भरपूर की। सगीत में गायन, वादन और नर्तन तीनोंका सयोग होता है। तीनोपर इसलामी सस्कृतिका बडा गहरा असर पडा है। गायनके रागोके सम्बन्धमे ऊपर संकेत किया जा चुका है। उसके महायक वाजोमें अनेक ऐसे हैं, जो केवल मुसलमानोके ही बनाये हुये हैं। तबला, सारंगी, सितार (जिसके गितार, जिथार आदि अनेक योरोपीय रूप हुये), अलगोज़ा आदि मुसलमान गवैयोकी खोजके ही परिणाम हैं, वैसे ही शहनाई और रोशनचौकी भी। अगर इन्हें हमारे सगीतसे निकाल दिया जाय तो कहना न होगा कि क्या बच रहेगा। शास्त्रीय नृत्यमें आज एक शैली 'कत्यक' भी है। यह शैली सर्वथा मुसलमान दरवारो में पोषित होकर विकसी और इसने कलान्तरमें अपनी शास्त्रीय मर्यादा पाई।

अत्यन्त सूक्ष्म रूपमें केवल सकेतत, यह निबन्ध उन परिवर्तनोका उल्लेख करता है, जो इसलामके प्रभावसे यहाँ प्रवर्तित हुये। उनका व्यास बडा है जैसे भारतीय सस्कृति की परिधि बडी है। इस महान् सस्कृतिने अपनी राह आये सारे प्रभावोको अगीकार करके आत्मसात कर लिया। उसका गौरव उसकी मौलिक निर्माण-शक्तितने इम अगी-करणकी दिशामें कही अधिक महान् है।

—'०.—

भारतीय समाज पर अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचार-धारा का प्रभाव

किसी राष्ट्रके उत्थान-पतनमें शिक्षाका जो महत्व है, उसके सम्वन्धमें कुछ लिखना प्रस्तुत लेखमें अधिक समीचीन नहीं है। यह तो सभी मानते हैं कि शिक्षा ही मनुष्यके वृद्धि-प्रकाशका प्रमुख साधन है। वैसे तो सामाजिक क्रान्तियोंके पीछे अनेक कारण होते हैं परन्तु राष्ट्रीय पैमानेपर समाजको जिस विशेष प्रकारकी शिक्षा दी जाती है, उसका उनमें सर्वोपरि स्थान है। हमारी सामाजिक अथवा अन्य प्रकारकी विविध मान्यतायें भी शिक्षाकी ही प्रतिफल हैं। इसीलिए कोई भी उत्तरदायी सरकार, सामाजिक संगठन अथवा समाजसेवी व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षापर सबसे पहले ध्यान देता है। परन्तु भाषा का भी इस क्षेत्रमें कुछ कम महत्व नहीं है। भाषा हमारे विचारोकी वाहिका है। उसी के माध्यमसे किसी राष्ट्रकी भावनाएँ और आकांक्षाएँ व्यक्त की जाती हैं। समाज और संस्कृतिसे उसका गहन सम्वन्ध है। इसलिए किसी भाषाके विषयमें विचार करने के अर्थ होते हैं किसी जातिके विषयमें सोचना। किसी देशमें जिन विभिन्न भाषाओंका विकास होता है, वे उस देशके निवासियोंकी संस्कृति, रहन-सहन और चिन्तन-शक्तिकी पूर्ण संगतिमें होती हैं। अतः जब हम किसी भाषाका अध्ययन करते हैं, तो हमें उसके पीछे जितनी सांस्कृतिक परम्पराएँ होती हैं उनका भी सहज ज्ञान हो जाता है। यही नहीं उस भाषाके और उसके द्वारा व्यक्त किये हुए विविध विचारोंके माध्यमसे हम उसके बोलनेवालोंसे भी परिचित होते हैं। यह प्रायः असम्भव है कि इस परिचयका सीखनेवाले पर कोई प्रभाव न पड़े। प्रस्तुत लेखमें हम भारतीय समाजपर अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधाराके प्रभावोपर विचार करेंगे। परन्तु इस विषयमें पहले भाषा और शिक्षाप्रणालीकी महत्तापर विचार करना आवश्यक है क्योंकि अंग्रेजी शासन-कालमें जो शिक्षा भारतीय विद्यालयोंमें दी गई उसका माध्यम अंग्रेजी भाषा थी।

भाषा मनुष्यके विचारोको दूसरे मनुष्यके मस्तिष्क तक पहुँचानेका सर्वोत्तम साधन है। विश्वमें भाषाओंकी विविधता इसी तथ्यकी ओर संकेत करती है कि संसारके सभी व्यक्ति समान रीतिसे नहीं सोचते। किसी भी भाषाका समाजमें दोहरा काम होता है। एक ओर तो वह कुछ विशेष नियमोंको जो पूर्वकालसे प्रत्येक पीढ़ीमें प्रचलित है अपनेमें सुरक्षित रखती है और दूसरी ओर व्यक्तिकी आत्मीय कल्पना तथा विचारो का आधार बनती है। अपनी इन्हीं विशेषताओंके कारण भाषामें निहित तत्वोका

अध्ययन प्राचीन कालसे ही विद्वानोंका प्रिय विषय रहा है। बहुत पहले आइसोक्रेटिस (Isocrates) ने कहा था कि भाषा ज्ञान ही हमें पशुओंसे भिन्न बनाता है और शुद्ध भाषाके बोलनेकी शक्ति व्यक्तिके अच्छे और विश्वसनीय होनेका निश्चित प्रमाण है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तूने भाषाकी सर्जनात्मक, शक्तिकी ओर संकेत किया। स्टोइक विचारधाराके लोगोका तो यहाँ तक कहना था कि केवल भाषाके ही सहारे व्यक्तिके विविध बौद्धिक गुणोंको स्पष्टतया समझा जा सकता है। यह भाषा ही है, जो मनुष्यको मनुष्यतासे परिपूरित करती है। प्राचीनकालके ही नहीं आधुनिक विद्वान भी भाषाको व्यक्ति और समाजकी सांस्कृतिक चेतना एवं मानसिक प्रक्रियाओंको व्यक्त करनेका उपाय मानते हैं क्योंकि भाषाकी उपादेयता मानव समाजमें केवल पारस्परिक विचार विनिमय में नहीं है बल्कि मनुष्योंकी 'मानसिक उपज, और एक विशेषकाल और एक विशेष स्थानपर उनका तद्भव संस्कृति-रूपोंके आलेखन एवं संरक्षण^१ में भी है। किसी जातिकी सांस्कृतिक परम्पराएँ कई अंगों तक उसके साहित्य की पर्याय हैं। यह साहित्य उस जातिकी मान्यताओंको बतलाता है। फलतः यह उन परम्पराओं अथवा शिक्षाके रूपोंको कायम रखनेकी व्यवस्था भी करता है जो संस्कृतिकी गतिको बनाये रखनेके साधन हैं।^२ भाषाके माध्यमसे संस्कृतिके विविध रूपोंमें अन्तर स्थापित किया जा सकता है। यह भाषाका ही गुण है, जो व्यक्तिको न केवल इस योग्य बनाता है कि वह तात्कालिक अनुभूतिको ग्रहण कर सके बल्कि उसको अपने सन्निकट जगत्के परे भी विस्तीर्ण कर सके।

सम्प्रति, मानव समाजमें भाषाकी महत्ताको साधारण रीतिसे सिद्ध करनेके लिए उपर्युक्त विचार पर्याप्त होंगे। परन्तु राष्ट्रीयता और उसके जागरणमें भाषाका क्या स्थान है। इसके विषयमें भी कुछ विचार करना असमीचीन न होगा। यद्यपि राष्ट्रीयताकी परिभाषा लिखना कठिन है परन्तु उसका अधिकतम स्पष्ट विश्लेषण जॉन स्टुअर्ट मिलके कथनमें^३ मिल जायगा। उनके अनुसार 'मानव-समाजका एक भाग तब राष्ट्रीयताको जन्म देता हुआ कहा जाता है जब वह सामान्य सहानुभूतिसे परस्पर आवृद्ध होता है जो उसमें तथा अन्य दूसरोंमें नहीं पाई जाती और जो लोगोको दूसरोंसे अधिक स्वेच्छा और सहयोगमें काम करनेके लिए प्रोत्साहित करती है, जब वह एक ही सरकारके अन्दर रहना चाहता है—ऐसी सरकार, जो उसकी अपनी या उसमेंसे कुछ की पूर्णतया अपनी हो। राष्ट्रीयता की ऐसी भावना विविध कारणोंसे उत्पन्न हो सकती है। कभी-कभी यह जाति और जन्मकी समानताका फल होती है। भाषा और धर्मकी समानता भी इसमें बड़ा योग देती है। भौगोलिक सीमायें भी इनमेंसे एक कारण हैं।' मिलके इस कथनसे राष्ट्रीयताके विकासमें भाषाका योग भली तरह से समझमें आ जाता है। अतः हमें किसी भाषाका अध्ययन करते समय यह निश्चित रूपसे मालूम होना चाहिए कि वह भौतिक, मनोवैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक मूढम गुणियोंको सुलझानेकी एक कुञ्जी है जिनसे आज राष्ट्रोंका भाग्य निश्चित होता है। मैडेरियागाका यह कथन अक्षरशः

१. ई० ई० यूक्वैकर दि कासेप्स ऑफ सोसाइटी, पृ० १५

२. इंग्लैंडके शिक्षामंत्रालयकी २६ वीं पुस्तिका 'लैंग्वेज', पृ० ११

३. रिप्रेजेण्टेटिव गवर्नमेण्ट,

सत्य है कि 'भापायें राष्ट्रीय चरित्रकी सबसे सीधी अभिव्यक्ति है । वे मानवीय मस्तिष्क का वाह्य जगत्पर प्रथम प्रभाव है । ४ उदाहरणार्थ, एक फ्रेंच दूसरे देशके निवासी से भिन्न केवल शब्दों, योगों तथा ध्वनियोंका ही प्रयोग नहीं करता बल्कि श्रोताके ऊपर अपने व्यक्तित्वकी एक छाप भी डालता है । राष्ट्र-राष्ट्रके बीचके इस अन्तरके चाहें जो कारण हो, परन्तु अन्ततः वे मनके उस रूपसे जुड़े हुए हैं, जो उसकी भाषागत जातिपर हावी है । ५

भाषाके विषयमें इतना विचार करना स्यात् पर्याप्त है । अब हम समाजमें शिक्षाके महत्वपर विचार कर सकते हैं । शिक्षाका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थोंकी पूर्तिके लिए योग्यता प्राप्त करना नहीं है । वैयक्तिक रूपसे शिक्षाका उद्देश्य मनुष्यके जीवनको इस योग्य बनाना है जिससे उसके योगदानसे मानव-समाज सुखी और सम्पन्न हो सके । शिक्षाका प्रतिफल स्वाभाविक रूपसे संस्कृतिका विकास होना चाहिए । संस्कृति मानवीय चिन्तन-क्रियाका फल है । इस उद्देश्यकी पूर्ति ज्ञान प्राप्त करनेपर हो सकती है । शिक्षा प्राप्तिका साधन है । मनुष्य विचारशील प्राणी है । चिन्ता उसका सहज लक्षण है और इसी चिन्तनके सहारे मनुष्य अपना बौद्धिक और आत्मिक विकास करता है । व्यक्ति समाजकी इकाई है अतः किसी समाजका रूप उसके सदस्योंके अनुरूप होता है । पुस्तक-पाठ, पाठशालाओंमें अध्ययन, डिग्री अथवा अन्य ऐसी ही वस्तुओं के द्वारा कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता । शिक्षित व्यक्तिका समग्र व्यक्तित्व सम्बुद्ध होता है । परन्तु समाजमें शिक्षाका महत्व केवल बुद्धि प्रकाश (Enlightenment) में ही निहित नहीं है । उसकी उपादेयता समाज और राष्ट्रकी अनेक निजी समस्याओं के हल करनेमें भी है । जैसे, हमारे देशमें दरिद्रता, बीमारी, अनैक्य आदिको दूर करना है जो हमारे राष्ट्रीय जीवनको शताब्दियोंसे क्षीण बनाते आये हैं । हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो हमें समाज, राष्ट्र और ससारकी प्रगतिके साथ-साथ चलनेके योग्य बना सके ।

प्रत्येक समाजकी अपनी समस्याएँ होती हैं और उसकी आकाक्षाएँ भी आवश्यक नहीं हैं कि दूसरे समाजकी आकाक्षाओंके समान हो । शिक्षा किसी समाज-विशेषके आदर्शोंके अनुरूप होती है । प्राचीन यूनानमें शिक्षाके विविध रूप थे । एथेंसमें सुन्दर और सुखी जीवनका उपभोग ही अभीष्ट था । प्रकृतिकी अनुकम्पासे वे सुखी थे भी । फलतः वहाँके निवासियोंमें वैयक्तिकता प्रमुख होती गई । उसके चिन्तक भी तदनु रूप हुए । इसके विपरीत स्पार्टामें शिक्षाका आदर्श हुआ साहस एवं अनुशासन का ऐसा विकास जिससे व्यक्ति राज्यके लिए सर्वस्व बलिदान कर सके । परिणाम यह निकला कि स्पार्टाके लोग वीरकर्मा और शारीरिक शक्तिसे पूर्ण हुए । इसी प्रकार प्राचीन कालमें प्रत्येक देशकी शिक्षा उसकी आवश्यकताओंके अनुरूप थी ।

शिक्षाके वास्तविक महत्वको समझ लेनेके पश्चात् हम अधिक सुविधाके साथ अपने प्रतिपाद्य विषयपर विचार कर सकते हैं । समाज-निर्माणमें, समाजकी मान्यताओंको स्थिर करनेमें और राष्ट्रीय आकाक्षाओंकी पूर्ति करनेमें जब शिक्षा एक प्रधान कारण

४. मैडेरियागा : इंग्लिशमें, फ्रेंचमें ऐण्ड स्पैनिशमें, पृ० १८३

५. कार्ल वोल्सर : दि स्पिरिट ऑफ़ लैंग्वेज इन सिविलीजेशन, पृ० ११५

है तब भारतीय समाजपर अंगरेजी शिक्षाका असाधारण प्रभाव पडना परम स्वाभाविक ही है। वह प्रभाव व्यापक रूपसे आज हम लोगोके बीच परिलक्षित है। भारतीय समाजका पाश्चात्य शिक्षाके द्वारा यह अभिनवीकरण ससारके इतिहासकी एक विशिष्ट घटना है। परन्तु उक्त अंग्रेजी शिक्षा—फलत पाश्चात्य विचारधारा—के अनेक प्रभावोका विश्लेषण करनेके पूर्व हमें भारतीयोकी अपनी प्राचीन शिक्षा और उनके पाश्चात्य जगतके सपर्कमें आनेके पूर्वतक उसमें अनेक परिवर्तनोका इतिहास तथा भारत और योरप के आधुनिक सम्बन्धोके स्थापित होनेके समय हमारी सामाजिक दशाका सम्यक् ज्ञान भी अपेक्षित है।

प्रोफेसर येफ० डब्ल्यू० टॉमसके शब्दोंमें 'भारतमें शिक्षा विजातीय नहीं है। कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ विद्यानुराग इतना शीघ्र उत्पन्न हुआ हो या इसने इतना स्थाई एव शक्तिशाली प्रभाव डाला हो।' यहाँकी प्राचीन शिक्षाका नैतिक पहलू तैत्तरीय उपनिषद्की शिक्षावल्लीमें देखा जा सकता है जब दीक्षान्तके अवसरपर गुरु गिष्यको अपना अन्तिम उपदेश देता है। शिक्षित व्यक्तिके कर्तव्योंमें कुछ बातें अधिक महत्व की हैं, जैसे अव्ययनसे विमुख नहीं होना चाहिए। (स्वाध्यायान्माप्रमद) अथवा सत्यसे विमुख नहीं होना चाहिए (सत्यान्नप्रमिदतव्यम्) इत्यादि। शिक्षा यद्यपि कुछ विशेष वर्गके लिए थी परन्तु उसका सामाजिक महत्व बहुत अधिक इमीलिए था। जीवन का चातुर्थांश पूर्णत अव्ययनमें ही लगाया जाता था। यही नहीं एक विशेष वर्ग के लिए तो वह अनिवार्य थी। मनुने ब्राह्मणके छ कर्मोंमें पढना और पढाना सबसे पहले कहा है। समाजमें शिक्षा-प्रसारका दायित्व शासकके हाथमें न था और ब्राह्मण ही इसकी व्यवस्था करते थे। राजा और नागरिक इन व्यक्तिगत पाठशालाओंकी भूमि और धनसे सहायता अवश्य करते थे। अध्यापकोका बडा सम्मान था। गुरु को साक्षात् 'परब्रह्म' माना जाता था। गुरु और गिष्यके सम्बन्ध पिता और पुत्र के समान थे। उदारता और पारस्परिक सहयोगके वातावरणमें पले हुए एव शिक्षित लोगोका आदर्श था 'सहनाववतु। सहनीभुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। नेजस्वि-नावधीतमस्तु। या विद्वपावहै।' (कठोपनिषद्)।

वैदिक कालके प्रारम्भमें स्त्रियो को भी शिक्षा प्राप्त करनेका पूर्ण अधिकार था। इसी शिक्षाके कारण घोषा, अपाला, विश्ववारा प्रभृति विदुषियोने ऋग्वेदकी अनेक ऋचाओं की व्याख्या की। इसी प्रकार उपनिषदोके कालमें भी स्त्री-शिक्षा प्रचलित थी। गार्गी और मैत्रेयीके नाम इस कालमें अग्रगण्य हैं। परन्तु स्मृतियोके युगसे स्त्री-शिक्षा शिथिल हो गई और धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जब वे सभी प्रकारके ज्ञानसे वंचित हो गईं। भारतके समूचे इतिहासमें उक्त समयके पश्चात् स्त्रियोकी शिक्षापर तबतक कोई विचार नहीं किया गया जब तक वह समय नहीं आ गया जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं।

प्राचीन भारतमें मनुष्यके चार पुरुषार्थ माने गए थे—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें अर्थ और काम लौकिक महत्वके हैं। शिक्षाप्रणाली ऐनी थी जिमसे मनुष्य योग्य बनकर सभी पुरुषार्थोको कर सके। इसीलिए जहाँ विद्याको मुक्तिका मार्ग बतलाया गया वहाँ उसे अर्थकरी भी कहा गया। प्राचीन भारतमें न केवल व्यापक माक्षरता थी प्रत्युत उच्च शिक्षाका भी उचित प्रबन्ध था। उच्च शिक्षाके प्रसारमें वीटोका भी

बहुत बड़ा हाथ रहा है। तक्षशिला, कागी, नालन्दा, विक्रमगिरा, बलभी, काची और मदुरा आदि स्थान प्राचीन कालमें शिक्षाके प्रधान केन्द्र थे जिनमें विदेशके भी अनेक विद्यार्थी अध्ययन करते थे।

भारतके मध्यकालीन इतिहासमें भी शिक्षा-प्रसारका काम लोग प्रायः व्यक्तिगत रूपसे करने लगे थे। समाजमें शिक्षाका महत्व पहले जैसा न रह गया था। वैसे जाति धर्मके आधारपर लोग अलग-अलग अपनी परम्परागत शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मुसलमान शासक शिक्षानुरागी थे अतः उन्होंने भी देशमें अनेक मदरसों और मकतबोंको स्थापित करवाया। इनमें अधिकतर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। परन्तु विविध विषयोंकी शिक्षाका अभाव न था। अकबरने तो इस क्षेत्रमें बहुत ही अधिक उत्साह दिखलाया। उसके विचारसे एक लम्बे समय तक पाठशालाओंमें समय नष्ट करना अनुचित था। अबुल फज्जल कहना है कि अकबरने शिक्षा-सम्बन्धी एक फरमान जारी किया था। उसमें लिखा गया था कि देशके प्रत्येक बालकको नैतिकता, गणित, कृषि, भूमाप, ज्यामिति, ज्योतिष, गृह-विज्ञान, प्रशासनके नियम, आयुर्वेद, तर्क तथा विज्ञानकी शिक्षा अनिवार्यतः दी जानी चाहिए। अकबरके शासन-कालमें शिक्षाको विशेष महत्व दिया गया। उसके दरबारमें देश और विदेशके विद्वान् आपसमें वाद-विवाद करते थे। उसके उत्तराधिकारियोंमें शाहजहाँने दिल्लीमें जामी मस्जिदके निकट एक कॉलेज खुलवाया। परन्तु औरंगजेबके शासनकालमें शिक्षणमें राजकीय सहायता केवल एक धर्म तक ही सीमित कर दी गयी। उसकी मृत्युके पश्चात् मुगल साम्राज्यका विनाश प्रासाद जव बरागायी होने लगा तब भारतका ज्ञान-विज्ञान भी इतस्ततः विखर गया। उचित शिक्षाके अभावमें जैसा स्वाभाविक है हमारा पहली बार सामाजिक पतन प्रारम्भ हुआ। पुराने आश्रम, विश्वविद्यालय, पाठशालाएँ, मदरसे या मकतब बिल्कुल खत्म होने लगे। जो थे भी उनमें सुशिक्षित, उदार और प्रगतिशील अध्यापकोंकी कमी थी। समाज स्वयं अंधविश्वासी, विलासी और स्वार्थी हो चला था। उसने भी अपने सुधारकी कोई उचित व्यवस्था न की। वस्तुतः इस समय नयी, सामाजिक मान्यताओंकी आवश्यकता थी, वे मान्यताएँ जो समाजको दिक्काल के अनुकूल बना सकें।

अठारहवीं शताब्दीका भारत सम्भवतः अपने समूचे इतिहासमें सर्वाधिक ह्रासोन्मुख समाजका चित्र प्रस्तुत करता है। मुगलोंकी सत्ता विखर चुकी थी और देश अनेक छोटे-बड़े टुकड़ोंमें ठीक उसी तरह बँट गया था जैसे सिकन्दरके आक्रमणके समय पश्चिमोत्तर भारत। इन राजनीतिक इकाइयोंका पारस्परिक संघर्ष समाजके लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। राजनीतिक अस्थिरता और अशान्तिके वातावरणमें लोगोंको रोजी-रोटी कमाना कठिन होने लगा। देशके कलाकार, विद्वान और विचारकोंको संरक्षणका अभाव हो गया। हमारा व्यावसायिक ढाँचा विश्रुंखलित हुआ। सूत, रेशम और जरीका उत्कृष्ट काम करना अब बड़ा महँगा पड़ने लगा। फलतः वह विशेष योग्यता भी नष्ट होने लगी। परन्तु राजनीतिक और आर्थिक पतनसे कहीं अधिक भारतीयोंका इस शताब्दीमें सामाजिक और सांस्कृतिक पतन हुआ। समाज केवल कुछ रुढ़ियों और अंधविश्वासोंका वाहक ही रह गया। इस पतनका अनुमान इस तथ्य से

ही लगाया जा सकता है कि इस समय हमारे प्राचीन ग्रंथ लुप्तप्राय हो गये । धन्य है वे पाश्चात्य गवेषक जिन्होंने अपने विद्यानुरागके कारण अत्यन्त वैयक्तिक साथ भारतीय वाङ्मयका पता लगाया जिसके ऊपर आज हम सभी को गर्व है । वस्तुतः यह सक्रमण काल था जबकि भारतीय स्वयं अपनेको भूलने लगे थे ।

परन्तु इस सक्रमणके कारण क्या थे, जिन्होंने समाजको प्रसन्न कर किंकर्तव्यविमूढ बना दिया ? इस प्रश्नका विस्तारमें उत्तर चाहे जो हो, पर इतना अवश्य है कि किमी भी सामाजिक क्रान्तिके जो कारण होते हैं, वे सभी उक्त सक्रमणके जनक हो सकते हैं । मनुष्यका प्रधान लक्षण उसकी आत्माभिव्यक्ति है और यही बात समाजपर भी लागू होती है । जब कोई समाज अपने अन्तस्को बाह्य जगत्के सामने नहीं ला पाता, तो उसे वही व्यग्रता होती है, जिसका दर्शन किसी पार्वत्य सरितामें उसके समुद्र—उस बृहत्तम जलरागिकी और जाते समय किमी विनाल अचल शिलाके अवरोधके कारण हम देखते हैं । यहाँ यह भी न भूलना चाहिए कि परिवर्तन प्रकृतिका एक शाश्वत नियम है । समाज परिवर्तनका कोई अपवाद नहीं है । १८ वीं शतीका भारतीय समाजभी परिवर्तनकी प्रतीक्षामें था—साधारण निमित्तका भी उसके लिए बड़ा मूल्य था । सामाजिक-परिवर्तनका सबसे बड़ा कारण मनुष्यकी विचारधारा है । मनुष्य अपने मनोनुकूल समाजका निर्माण करना चाहता है । उसकी यह इच्छा ही सामाजिक क्रान्तिके पीछे गौण रूपसे काम किया करती है । देश और कालकी परिस्थितियाँ मनुष्यकी विविध इच्छाओंकी जन्मदात्री हैं । परन्तु इन परिस्थितियोंसे अवगत होनेका साधन क्या है ? हम यह पहले ही कह चुके हैं कि किसी राष्ट्र, जाति या समाजका शिक्षासे गहनतम सम्बन्ध है । अतः हम यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक उत्थान और पतनके पीछे शिक्षाका विशेष स्थान है । जो शिक्षा समाजकी आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं करती, और उसकी समस्याओंका समाधान प्रस्तुत नहीं करती वह निश्चित रूपसे समाजको विगलित बनाये रखेगी । अतः ऋणका उपाय नये विचारोंका समाजमें समावेश है । यह समावेश समाजमें प्रायः सीधे नहीं होता । शिक्षा इसका महत्वपूर्ण माध्यम है ।

भारतीय समाजकी इसी सक्रमणकालीन दशामें उसका पाश्चात्य जगत्में विशेष सम्पर्क स्थापित हुआ । वैसे तो भारतके सम्बन्ध पश्चिमके साथ अतिप्राचीन हैं जिनकी सूचना प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथोंसे प्राप्त होती है । इस समय भारत मानवीय सम्यताका एक प्रधान केन्द्र था । वौद्धोंने भी मानवताके सार्वभौमिक मित्रताओंके प्रचारके समय भारत और यूरोपके सम्बन्धोंको घनिष्ट किया । परन्तु यह पुराना समय था । जैसा के० टी० पालका कथन है इम सम्पर्कके बीच 'पश्चिमका भारतके प्रति बहुत कम या नहीके बराबर योग है । भारतने मिखलाया या दिया और बदलेमें अपेक्षाकृत बहुत कम लिया । सम्पर्क वस्तुतः एक पक्षीय था, यह पश्चिमका भारतके साथ सम्पर्क था भारतका पश्चिमके साथ नहीं ।'^६ रोमन साम्राज्यके पतनके पश्चात् परिणामतः भारतके साथ व्यापारिक सम्बन्धोंका विच्छेद हो जाना, भूमध्यसागरके इर्द-गिर्द ईसाई धर्मका प्रचार, विदेशोंमें भारतीयोंके प्रभावक्षेत्रके मध्यमें ही इम्पेरियल आकस्मिक जन्म इत्यादि अनेक कारणोंने शताब्दियों तक भारतके साथ पश्चिमको अलग

रक्खा ।^७ परन्तु जिन सामाजिक परिवर्तनोके सन्दर्भमें हम अभी विचार कर रहे थे, उनकी दृष्टिसे भारत और पश्चिमका सम्पर्क अभी नहीं स्थापित हुआ था । यह सम्पर्क वास्तव में पहली बार तब स्थापित हुआ जब पुर्तगालियोंने भारतके लिए योरपसे एक नवीन समुद्री मार्ग ढूँढ निकाला । यह सम्पर्क तब और अधिक बढ़ा जब १५०० ई० के लगभग पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी और अंग्रेज आदिने भारतवर्षमें अपनी आवादियां बसाईं । इन जातियोका रहन-सहन, विचार, इनकी भाषा और संस्कृति, शासन व्यवस्था तथा शिक्षा प्रणाली सब-कुछ भारतीयोसे भिन्न थी । जिन्होंने इन-इनैः भारतीय समाजपर अपना प्रभाव डालना प्रारम्भ किया । १७ वीं शताब्दी तक इन विदेशी जातियोमें भारत-भूमिपर पारस्परिक संघर्ष होता रहा । अन्तत अंग्रेज सफल हुए । वे मुख्यतः भारत-व्यापारके सम्बन्धमें आये थे किन्तु अवसर पाकर वे यहाँके शासक बन बैठे । शासक होनेके नाते उनकी संस्कृतिका व्यापक प्रभाव इस देशके निवासियोपर पड़ना स्वाभाविक था । प्राथमिक दशामें तो इनके सुखी और सम्पन्न जीवनका भारतीय समाजने अनुकरण करना चाहा । उसके बाद शासन इत्यादिके सम्बन्धमें भारतीयो और अंग्रेजोमें निकटता बढ़ी । परन्तु इस निकटतामें एक बाधा थी—वह थी भाषाकी । अंग्रेजोको ऐसे लोगोकी आवश्यकता थी, जो उनकी बातोको समझकर उनके अनुसार शासनप्रबन्धमें कुछ सहायता कर सकें । अतः मुख्यतः जीविकोपार्जनके लिए भारतीयोने उनकी भाषा अंग्रेजीको सीखना प्रारम्भ किया ।

भाषाकी अद्भुत प्रकृतिके विषयमें हम प्रारम्भमें चर्चा कर चुके हैं । अंग्रेजी भाषा के माध्यमसे अंग्रेजोंकी सम्यता, उनके मानसिक विकास और साथ ही योरपीय संस्कृति का परिचय मिलना भी शुरू हुआ ।

१८ वीं शताब्दीमें भारतका शासन धीरे-धीरे ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथोंमें जा रहा था । इस समय कम्पनीवालोने प्रथम तो भारतीयोकी शिक्षाकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और जो कुछ दिया भी वह केवल देगी भाषाकी शिक्षाकी ही ओर । इसके पहले ईसाई मिशनरी देगी और पाश्चात्य शिक्षाके सहारे अपने धार्मिक विचारोका प्रचार कर रहे थे । कम्पनीवालोने अंग्रेजी शिक्षाके प्रचारके लिए प्रारम्भमें कुछ भी काम न किया । उनको भय था कि भारतीय समाज उसका स्वागत न करेगा । परन्तु शीघ्र ही उनके विचारोंमें परिवर्तन हुआ और उक्त शताब्दीके अन्तिम दशाब्द (१७६२ ई०) में उनके एक प्रमुख डाइरेक्टर चार्ल्सग्राटने स्वयं लिखा कि भारतवर्षमें पाश्चात्य शिक्षा और धर्मका प्रचार होना चाहिए । इसीके अनुसार १७६३ ई० में ब्रिटिश हाउस आफ कॉमन्सने भारतकी उन्नतिके लिए 'लाभप्रद ज्ञान' और 'धार्मिक तथा नैतिक प्रगति' विषयक एक प्रस्ताव पास किया । फलतः कम्पनीने मिशनरियोको शिक्षा और धर्म प्रसारके लिए आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ किया । मिशनरियोका यह आन्दोलन भारतमें पाश्चात्य विचारोंके प्रवेगका प्रथम द्वार था । भारतीय शीघ्र ही इन प्रचारकोंके कॉलिजोंमें अपने बच्चोंको पढनेके लिए भेजने लगे । सर फिलिप हार्टंगका कहना है कि माता-पिता इन बच्चोंको ईसाई प्रभावमें लानेके लिए ही इन कॉलिजोंमें भेजते थे ।^८ जहाँ

७. के० टी०—पाल ब्रिटिश कन्वेंशन विद्व इंडिया पृ० २२

८. सर फिलिप हार्टंग : स्टडीज एण्ड रिपोर्ट्स, नं० ७, (सम ऐस्पेक्ट्स ऑफ इण्डियन एजुकेशन पास्ट एण्ड प्रेजेंट), पृ० ६.

तक इस समयकी सरकारका शिक्षासे सम्बन्ध है उसकी नीति यहाँ अधिकसे अधिक देशी ज्ञान-विज्ञानका प्रचार करना था। तदनुसार वारेन हेस्टिंग्सने १७८१ ई० में मुसलमानों के लिए कलकत्ता मदरसा और ग्यारह वर्षोंके बाद १७९२ ई० में बनारसके रेजिडेंट जोनैथन डकनने उस समयके गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिसकी रायसे हिन्दुओंके लिए मस्कृत कालिज बनारसकी स्थापना कराई।

परन्तु इंग्लैण्डमें कुछ धर्मानुरागी उत्साही व्यक्ति भारतमें देशी शिक्षासे सतुष्ट न थे। फलत १७९३ ई० में भारतमें पाश्चात्य शिक्षा और धर्मके प्रचारके लिए जो प्रस्ताव पास किया गया, उसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं।

भारतमें अंगरेजी शिक्षाके प्रचारकी दृष्टिसे १९ वीं शताब्दी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतकी आधुनिक सभ्यताका वस्तुतः यहीसे श्रीगणेश हुआ। पिछली शताब्दीमें विश्वके इतिहासमें अनेक महत्वपूर्ण घटनायें घटित हुई थी जिनमें अमरीका और फ्रांसकी व्यापक जनक्रातियाँ प्रमुख हैं। इन्होंने ससारका रूप ही बदल दिया था। यह प्रभाव असाधारण था। इस समय योरपमें बौद्धिक क्रातिकी जो लहर दौड़ी उसने वहाँके निवासियोंका जीवन-दर्शन बदल दिया। शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, दर्शन और धर्म इत्यादि सभी क्षेत्रोंमें नवीन वादोंका जन्म हुआ। १९ वीं शताब्दी पाश्चात्य जगत्के लिए शान्तिपूर्ण थी। इस समय वहाँके निवासियों में नवीन मान्यताएँ स्वीकृत की जा चुकी थी। इस अभूतपूर्व परिवर्तनसे इंग्लैण्ड अछूता न रहा। वहाँ इस शताब्दीके मध्यमें महारानी विक्टोरियाका शासन प्रारम्भ हुआ, जिनके साम्राज्यमें कभी मूयास्त नहीं होता था। साम्राज्यकी विनाशताने अंग्रेजोंके मनको वडप्पन के भावसे भर दिया। उनके विचारसे कोई भी अंग्रेजी वस्तु महान् थी। उनके कर्तव्य भी महान् थे! उस वृहत् साम्राज्यके अंग्रेजोंसे भिन्न निवासियों को सुमम्य बनाना उनका परम धर्म था। उनकी शिक्षा थी—‘इंग्लैण्डका अनुकरण करो, अंग्रेजी राजनीतिक सस्थाओंका अनुकरण करो, अंग्रेजी खेलोंका अनुकरण करो, अंग्रेजी भाषा सीखो, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास तथा दर्शनका अध्ययन करो।’ यह उस युगके अंग्रेजोंकी स्वार्थपरता होती यदि वे केवल नये देशोंको जीतते ही जाते और उनको महान् अंग्रेजी सभ्यताके सम्पर्कसे वंचित रखते।^१ भारत उनका सबसे प्रिय देश था और वहाँ अंग्रेजी तथा पाश्चात्य विचारधाराका प्रचार सबसे पहले आवश्यक था।

१९ वीं शताब्दीके भारतका सामाजिक इतिहास भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस कालमें यहाँ कुछ ऐसे गवर्नर-जनरल आये जिन्होंने विशेष उत्साहके साथ गताब्दियोंमें पिछड़े हुए समाजका सुधार कर उसको एक सर्वथा नवीन युगमें लानेका प्रयत्न किया। लॉर्ड विलियम वेंटिक और लॉर्ड डलहौजी इन प्रारम्भिक सुधारकोंमें प्रमुख हैं। ये सामाजिक सुधार मुख्यतः १८२८ ई० से १८५७ ई० तक किये गये। सती-प्रथाका अन्त किया गया। सामाजिक समानताके आधारपर सरकारी पद प्रत्येक जाति और धर्मवाले व्यक्तिके लिए उपलब्ध होने लगे। शिक्षामें भी जाति और धर्मके बन्धन हटा दिये गये। लॉर्ड डलहौजीके शासन कालमें योरोपके जिन वैज्ञानिक आविष्कारोंको भारतमें प्रविष्ट किया गया वे भी समाज पर अपना प्रभाव छोड़े बिना न रह सके। रेन,

तार, डाक, ने व्यापार और विचार विनिमयमें विशेष सुविधा प्रदान की। विज्ञानकी अद्भुत प्रगतिने जिस प्रकार योरपके ऊपर प्रभाव छोड़ा था उसी प्रकार भारतपर भी वह प्रभाव छोड़ने लगी। पहले तो भारतीयोंने इन नवीन सुविधाओंका विरोध किया किन्तु शासनकी कठोरता, भौतिक सुखका लोभ, एव सद्वृद्धिके कारण वादमें ये त्याज्य न रही। देशमें नयी-नयी मशीने स्थापित हुईं, जो महीनोका काम दिनोंमें कर देती थी। इन मशीनोंने देगका आर्थिक ढाँचा बदलना शुरू किया जिसका प्रभाव भी भारतीय समाजपर पड़ा। परन्तु ये सब परिवर्तन बाहरी है और इनका अपने-आप केवल इतना ही महत्व है कि इन्होंने हमें अपने बहुतसे पुराने विचारो और मान्यताओंको बदलनेके लिए बाध्य किया। भारतीय और पाश्चात्य मस्कृतियोंके सम्मिलनके वास्तविक प्रभाव अन्यत्र ही थे।

उपर्युक्त सभी सुधारोंमें शिक्षा सम्बन्धी सुधारोंने वस्तुतः नवीन भारतीय सम्यताकी नींव डाली। अंग्रेजी शिक्षाके माध्यमसे पश्चिमके अनेक उदारवादी सिद्धान्तोंने आकर अपनी अद्भुत शक्तिसे भारतीय समाजको झकझोर दिया। पुरानी धारणाएँ नई शिक्षाके प्रकाशमें समयके प्रतिकूल मालूम पड़ी। अत आलोचनाकी प्रवृत्ति जाग्रत हुई। अब कोई वस्तु अपने यथारूपमें सहसा नहीं स्वीकार की जाती थी बल्कि निर्णयात्मक वृद्धि ही उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृतिका आधार थी। अडिग वैज्ञानिक सत्योने अन्व विश्वासोंके महलको ढहा दिया। नैतिकता और धर्म विषयक नये विचारोंसे भी समाजका रूप बदलने लगा। समाजमें उत्साह और गतिशीलताकी एक लहर दौड़ गई। हमने पहले ही देखा है कि १८ वीं शताब्दीके अन्तमें पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानकी शिक्षाका प्रसार धर्मप्रचारक कर रहे थे। यही नहीं प्राच्य विद्वानोका अनुशीलन भी पाश्चात्य वैज्ञानिक प्रणालीसे होने लगा था जब १७८४ ई० में कलकत्तामें सर विलियम जोन्सने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगालकी स्थापना की।

सरकारकी ओरसे अंग्रेजी शिक्षाके प्रचारके लिए इंग्लैण्डमें १८१३ ई०में एक चार्टर पास किया गया, जिसके अनुसार भारतमें उसके उद्देश्योको शीघ्र पूरी करनेकी अपेक्षा थी परन्तु लापरवाही और उपेक्षाके कारण सन् १८२३ ई० तक कुछ भी न हुआ और तब कलकत्तामें एक संस्कृत कॉलिज खोलनेका निश्चय किया गया। इस समय तक अनेक प्रभावशाली भारतीय पाश्चात्य विचारवाराके पक्षपाती हो चुके थे। उनमें राजा राममोहनराय प्रमुख है। उन्होंने तत्कालीन गवर्नर-जनरल अमहूर्स्टके सम्मुख एक विरोध पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित संस्कृत कॉलिजमें 'विद्यार्थी वही सीखेंगे, जो उन्हें पिछले दो सहस्र वर्षोंसे ज्ञात है, हाँ उसके साथ मिथ्या और छिछला ज्ञान और बढ जायगा। यदि ब्रिटिश विद्वानमंडलकी यही नीति है, तो संस्कृत शिक्षा इस देशको अंधकारमें बनाये रखनेके लिए सर्वोत्तम उपाय है। परन्तु जैसा कि देगी समाज की उन्नति करना सरकारका ध्येय है, उसको उदार और प्रगतिशील शिक्षाप्रणालीका संवर्धन करना चाहिए, जिसमें गणित, दर्शन, रसायनशास्त्र एवं शरीर विज्ञान सभी सम्मिलित हो और साथमें योरपमें शिक्षित प्रतिभा और विद्यासे सम्पन्न व्यक्तियोंको रखकर तथा कालिजोंमें आवश्यक पुस्तकों और यन्त्रादिकी व्यवस्था करके अन्य लाभप्रद वैज्ञानिक

विपयोकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए ।' परन्तु सरकारपर इसका विशेष प्रभाव न पडा । अतः प्रगतिशील भारतीय शिक्षा प्रसारके कार्यमें धर्मप्रचारकोके साथ सहयोग करने लगे । यह नया आंदोलन वगालसे आरम्भ हो रहा था ।

सन् १८३३ ई० में चार्टरका सशोधन हुआ जिसके अनुसार भारतीयोको राजकीय सेवाओंमें स्थान देनेकी नीति अपनाई गई थी । शासनको अधिक शिक्षित व्यक्तियोंकी आवश्यकता थी । इस चार्टर ऐक्टके अनुसार ही लार्ड मैकाले (जिसका नाम भारतमें अंग्रेजी शिक्षाके प्रारम्भ करनेवालोंमें अमर रहेगा) सन् १८३४ में तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड विलियम बेंटिकका कानूनी सलाह बनकर भारत आया । उसने आते ही यहाँकी शिक्षा प्रणालीमें परिवर्तन किया । उच्च शिक्षा किस भापाके माध्यमसे दी जाय यह प्रश्न पहलेसे ही विना हल किया हुआ पडा था । अतः मैकालेने उस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर दिया । उसका उद्देश्य भारतीयोको पाश्चात्य शिक्षाके द्वारा अपने जैसा ही बना लेना था । इसलिए उसने कहा

“हमें एक जातिको शिक्षित बनाना है, जिसको इस समय उनकी मातृभापामें शिक्षा नहीं दी जा सकती । हमें उनको कोई विदेशी भापा पटानी चाहिए । हमारी अपनी भापाके अधिकारके विषयमें कुछ कहना व्यर्थ ही है जो कोई भी उसको जानता है उसको वह सब विस्तृत बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, जिसको पृथ्वीके समस्त सर्वाधिक बुद्धिमान राष्ट्रोंने पैदा किया है और लगभग नव्वे पीढियोसे संचित किया है । यह बडी सुविधासे कहा जा सकता है कि उस भापामें जो साहित्य आज उपलब्ध है, वह उस समूचे साहित्यसे कही बढकर है जो तीन सौ साल पहले सारे ससारकी भापाओंमें प्राप्त था । यही सब-कुछ नहीं है । भारतमें अंग्रेजी शासक वर्ग द्वारा बोली जाती है । यह सरकारी जगहोपर उच्च वर्गके देगी लोगो द्वारा भी बोली जाती है । यह सम्भवतः पूर्वके सभी समुद्रोकी व्यापारिक भापा बननेवाली है । यह योरपकी दो महान जातियोकी भापा है, जो विकासके पथपर है—एक दक्षिण अफ्रीकामें है और दूसरी आस्ट्रेलियामें, ये वे जातियाँ हैं, जो प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण होती जा रही हैं और जो हमारे भारतीय साम्राज्यसे सम्बद्ध हैं । चाहे हम अपने साहित्यकी अन्तर्निहित गरिमाको देखें और चाहे इस देशकी विशिष्ट परिस्थितियोको हमें सबसे अधिक उचित यह लगेगा कि सभी विदेशी भापाओंमें अंग्रेजी ही हमारी देशी प्रजाके लिए सर्वोत्तम रहेगी । अतः हमारे सम्मुख यह है कि जब उपयुक्त समय होगा तब हम यह भापा पढायेंगे और तब हम स्थानीय भापयें भी पढायेंगे जिनमें, सभी जानते हैं, किसी विषयकी पुस्तकें नहीं हैं जिनकी हमारी पुस्तकों से समता की जा सके । क्या जब हम योरपीय विज्ञानको पढायेंगे, हम उन प्राणानियो को भी पढायें, जो योरपसे भिन्न होनेपर और भी अधिक निम्न हैं, और क्या जब हम गभीर दर्शन तथा वास्तविक इतिहासका सरक्षण करेंगे, तब जनताके धनमे उन चिकित्सा-सवयी सिद्धान्तोका भी सामना करेंगे, ज्योतिष जो किसी अंग्रेजी वोटिंग स्कूलकी लटकियो में हँसी पैदा करदे, इतिहास जिसमें तीस-तीस फीट ऊँचे राजा हैं तथा जो तीस हजार वर्षों तक शासन करते हैं तथा भूगोल जो खाड और मकानके समुद्रोमे निमित्त है ।’

ऊपरके वाक्योसे यह स्पष्ट हो जायगा कि मैकाले भारतीयोंके ज्ञान और बौद्धिक स्तरका कितना बडा निन्दक और आलोचक था । उनकी वास्तविक योजनाका पता

उसके इन शब्दोंसे लगता है कि “हमें भारतमें इस तरहकी एक श्रेणी पैदा कर देनेका भरसक प्रयत्न करना चाहिए जोकि हमारे और उन करोड़ों भारतवासियोंके बीच, जिनपर हम शासन करते हैं, समझाने-बुझानेका काम करे। ये लोग ऐसे होने चाहिए जो कि केवल रक्त और रगकी दृष्टिसे हिन्दुस्तानी हों, किन्तु जो अपनी रचि, भाषा, भावो और विचारोकी दृष्टिसे अंगरेज हो।” वह अपनी योजनामें अन्ततः सफल हुआ और सरकारी तौरपर अंग्रेजी की शिक्षा देग-भरमें दी जाने लगी। पाठ्यक्रम तथा पुस्तकें सभी पश्चिम की थी। शिक्षाके क्षेत्रमें यह परिवर्तन असाधारण महत्वका था। अंग्रेजी भाषाके माध्यम से पाश्चात्य साहित्य और विज्ञानके अध्ययनका जो क्रम इस समय प्रारम्भ हुआ, उसका आज तक कोई अन्त नहीं है, अतः इसके वादके इतिहासका अध्ययन आवश्यक है। इस समय देगके विभिन्न भागोंमें अनेक विश्वविद्यालय खुले, जिनका सगठन पूर्णतः योरोपीय-मुख्यत लन्दन, ऑक्सफोर्ड और केम्ब्रिज विश्वविद्यालयोंके आधारपर हुआ।

उक्त शिक्षाप्रणालीसे भारतीय समाजपर अच्छे और बुरे जो भी प्रभाव पड़े उनपर अधिक विवाद नहीं है। वे प्रभाव तो स्वाभाविक ही हैं। किन्तु इन प्रभावोंके पीछे कौन-सा सामाजिक मनोविज्ञान काम करता है यह अवश्य रोचक विषय है। हम यह देख चुके हैं कि अंग्रेजोंके भारत आगमनके समय भारतीयोंकी क्या सामाजिक दशा थी। अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा के प्रभावमें पहले से ही लोग आने लगे थे। यह प्रभाव समय-समयपर नये-नये रूपोंमें परिलक्षित हुआ। हम साधारण-तया कह सकते हैं कि हमारा आजका समाज बहुत कुछ पाश्चात्य ढाँचेमें ढल गया है। पाश्चात्य विचार भी न केवल गहरोमें बल्कि दूर देहातोमें किसी न किसी रूपसे पहुँच चुके हैं। बहुतोंके वारेमें तो हम यह भी नहीं सोच पाते कि वे विदेशी हैं। वस्तुतः वे विदेशी हैं भी नहीं क्योंकि आजका मनुष्य देग, जाति और धर्मकी दीवारोंसे उतना अलग-अलग नहीं घिरा है जितना पहले था। अतः पश्चिममें किये गए अनुसन्धान सारे संसारके हैं। भारतकी किसी वैज्ञानिक प्रयोगशालामें पता लगाया हुआ सत्य सारे संसारमें व्याप्त है।

हमने पश्चिमके साथ मिल-जुलकर रहना, उनकी बातको भी सुनना, समझना और अच्छी समझकर स्वीकार करना एक दिनमें नहीं सीखा। अंग्रेजोंके सम्पर्कके पूर्व हम अपने ज्ञानको भूल चुके थे। अंग्रेजी शिक्षा और योरोपीय विचारधाराकी समता करने के लिए हमारे पास न तर्क था, न वृद्धि थी और न उत्साह था। अतः उन विचारोंको जो हमारे विश्वासोकी जड़ हिलायें दे रहे थे हमने बिना सोचे-समझे अपने विचारोंसे ऊँचे और गक्तिशाली मान लिया। यह भारतीय समाजकी पराजयकी भावना थी। श्री हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्यायने कहा भी है कि अंग्रेजीकी शिक्षाका कुपरिणाम यह निकला कि भारतीयोंमें हीनताकी भावना घर कर गई। ‘उन्होंने अपनी कला, अपने साहित्य और अपने इतिहासमें विश्वास खो दिया। वे स्वयमेव यह विश्वास करने लगे कि उनके देशकी किसी भी अच्छी चीज का मूल योरोपीय है। उनके नाटक-दर्शन और उनकी कलाएं किसी न किसी रूपमें यूनानी साहित्यकी ऋणी हैं। क्लाडव और वेलेजली इतिहासके देवता हैं। भारतीय बड़ी कुगलतासे ‘लूसी ग्रे’ और ‘दि ले ऑफ दि लास्ट मिस्ट्रल’ के उद्धरण दे सकता था पर उसने भवभूति और कालिदासका नाम तक न सुना..’^{१०}

१०. टाइम्स ऑफ इण्डिया, दीवाली सप्लीमेण्ट, १९३८.

परन्तु यह पाश्चात्य प्रभावकी पहली स्थिति थी । एक वार झुक जानेपर पश्चिमकी बौद्धिकता जिस वेगसे भारत आई उसका सामना करना सम्भव न था । हमको लगा जैसे हम कुछ नहीं हैं । इस धारामें वहनेवालोंमें बगाली मुख्य थे जहाँ कहा जा चुका है कि अंग्रेजी शिक्षा सबसे अधिक थी । बड़े श्रीर सम्पन्न परिवारके लोग पहले इस प्रभाव में आये । धीरे-धीरे मिशनरियोंके भाग्य भी खुले । पाश्चात्य समाजको समझना अब अधिक कठिन न था । उनकी सामाजिक समानता और भारतीय समाजकी असमानता दोनों का साथ-साथ चलना सम्भव न था । भारतीयोंने पाश्चात्य धर्म और रहन-सहनको अपनाया गुरु किया ।

भारतीय समाजपर पाश्चात्य विचारधाराके प्रभावकी दूसरी लहर भी बड़ी स्वाभाविक थी । लेकिन वह पाश्चात्य और भारतीय जीवनमें समझौता करानेके प्रयाम में थी । राजा राममोहन राय इस आंदोलनके नेता थे । वह अष्टादशवीं शताब्दीके तृतीय चरणमें एक ब्राह्मण परिवारमें उत्पन्न हुए थे और भारतीय समाजकी दुरवस्थासे अत्यन्त क्षुब्ध थे । उन्होंने पाश्चात्य भाषाओंका अध्ययन किया । परन्तु स्वयं अपनी जाति और धर्ममें बने रहकर भारतीय समाजका सुधार करना चाहा । उनका ब्रह्म समाज एक ऐसा ही सगठन था जो देशके शिक्षित नवयुवकोंको एक ओर तो पश्चिमके ज्ञानमें परिचित करानेके पक्षमें था और दूसरी ओर उनको अपने धर्म और साहित्यमें भी रुचि लेनेके लिए उत्साहित करता था ।

परन्तु प्राच्य विद्याओंके अध्ययनका जो प्रारम्भ सर विलियम जोसके समयमें हुआ था वह वेकार न था । उससे भारतके अतीतका ज्ञान प्रारम्भ हुआ और फलतः समाजमें प्रतिक्रियाकी एक तीसरी लहर दौड़ी । यह प्रतिक्रिया यद्यपि सतुलित मस्तिष्ककी उपज न थी परन्तु परम स्वाभाविक थी जिसने १९ वीं शताब्दीके उत्तरार्धको छा लिया । इस लहरमें पडकर लोग प्रथम पाश्चात्य प्रभावकी विपरीत दिशामें चलने लगे । देशी और विदेशी विद्वानोंने मिलकर संस्कृत साहित्यकी अमूल्य निधिका पता लगाना शुरू किया जिसने भारतीयोंको पुनः आत्म-स्फुरित किया । 'हम, बड़े हैं,' 'भारत सदासे ससारका सिरमौर रहा है।' 'भारत ससारका गुरु है' इत्यादि विचारोंने पाश्चात्य दर्शन और विज्ञानके विरुद्ध विद्रोह किया । इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका भी जन्म हुआ जिसका इतिहास ही आगे चलकर भारतका इतिहास बन गया । १९ वीं शताब्दीका उत्तरार्ध ऐसे ही आंदोलनोंसे भरा है । स्वामी दयानन्द सरस्वतीने आर्य समाजकी स्थापना की जिसके प्रचारके लिए उन्होंने अंग्रेजीके विरुद्ध हिन्दीको चुना । भारतमें पुनः वैदिक संस्कृतिको फैलाना स्वामीजीका उद्देश्य था । वेद मानवीय ज्ञानके अमित स्रोत हैं । जो-कुछ उनमें नहीं है वह ससारमें कहीं नहीं है । इम प्रकारके आंदोलनोंने एक वार फिर भारतीयोंको पाश्चात्य जगत्के प्रति उदासीन बना दिया । इन्हीं शताब्दी में श्रीरामकृष्ण परमहंसने अपने उदार धार्मिक विचारोंका प्रचार प्रारम्भ किया । परन्तु उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्दके समान भारतीय संस्कृतिको ही विश्वकी सर्वोत्कृष्ट संस्कृति मानते थे । उनके विचारमें पाश्चात्य जगत् पतित और पूर्णतया भौतिकवादी है । यह विचारधारा उसी प्रतिक्रियाके रूपमें उत्पन्न हुई थी जिमका अभी उल्लेख किया गया है ।

१९ वीं शताब्दीमें भारतमें राष्ट्रीयताकी एक लहर दौड़ गई थी। और तज्जन्य प्रभावको संवर्धन तथा उसको स्थायित्व देनेके लिए एक महासभाका भी जन्म हुआ। इस संगठनमें पाश्चात्य विद्याओंमें पारंगत भारतीय विद्वान ही पहले पहल सम्मिलित हुए, जो अपने राष्ट्रका निर्माण और समाजका सुधार करना चाहते थे। उनमें प्रायः अपनी उच्चताका न तो मिथ्या दम्भ था, न पश्चिमके प्रति घृणा थी और न पश्चिमके अन्धानुकरणकी मनोवृत्ति। वैसे इस प्रकारकी उदार विचारधारा राजाराम मोहनराय के समयमें उत्पन्न हुई थी। रामकृष्ण परमहंस भी धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रोंमें उदार विचारोंवाले थे। ब्रह्म समाजके ही समान वर्म्बर्डमें प्रार्थना समाजका जन्म हुआ जिसके प्रशंसकोंमें रामकृष्ण भण्डारकर, महादेव गोविन्द रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले प्रभृति लोग थे जिन्होंने आगे चलकर भारत सेवक संघ बनाया।

इस प्रकार १९ वीं शताब्दीके भारतीय समाजमें हम दो प्रकारके वर्ग पाते हैं। पहला जो उग्र स्वभावका था जो पाश्चात्य शिक्षा, धर्म, दर्शन और सस्कृतिको हीन मानता था और दूसरा जो भारतीय समाजको न तो अकारण ऊँचा और न पाश्चात्य समाजको नीचा मानता था बल्कि बुद्धिके द्वारा पूर्व और पश्चिमकी विचारधाराओंका अध्ययन करता हुआ अपने सामाजिक उत्थानका मार्ग प्रशस्त करना चाहता था। पहला वर्ग उन लोगोंका था जो किसी समय अपने में लघुताकी मनोवृत्ति अपना चुके थे और अब उसकी प्रतिक्रियाके कारण ठीक उल्टी दिशामें चलने लगे थे। दूसरा वर्ग उन लोगोंका था जो पाश्चात्य सम्पर्कसे विचलित नहीं हुए थे तथा जहाँ जो उचित विचार था उसको उन्होंने अपना लिया था। इस दूसरे वर्गने अपने रहन सहन, राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शनकी अनेक कमियोंको ईमानदारीके साथ स्वीकार किया और इसलिए उसने पश्चिमके ज्ञानसे लाभ उठाना चाहा। परन्तु कुछ भी हो एक बात दोनो वर्गोंमें मार्केकी है। वह यह कि दोनो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे भारतीय समाजकी अनेक कमियों और कुरीतियोंको समझ गये थे। इसीलिए पहले वर्गने भी चाहे वह पश्चिमके प्रति उग्र विचारोंवाला ही क्यों न हो उन सामाजिक दोषोंको दूर करना चाहा, जिनके कारण पाश्चात्य धर्म और विचारोंका भारतमें क्षिप्रतासे प्रचार हो रहा था।

भारतीय समाजपर पाश्चात्य विचारधाराका जो प्रभाव पड़ा उसकी चौथी तथा अन्तिम स्थिति भारतीय और पाश्चात्य सस्कृतियोंका समीकरण है। और इसी समीकरणका परिणाम आजका भारतीय समाज है। परिवर्तनकी इस दशका प्रारम्भ, हम देख चुके हैं, १९ वीं शताब्दीमें ही हुआ परन्तु उसके प्रत्यक्ष परिणाम २० वीं शताब्दीके दूसरे चरणसे परिलक्षित हुए। महात्मा गांधी इस युगके सर्वाधिक प्रभावशाली पुरुष हुए जिन्होंने अपने ऊपर पाश्चात्य विचार धाराके ऋणको स्पष्टतः स्वीकार किया।

ऊपर हमने पाश्चात्य प्रभावकी विभिन्न दशाओंको देखनेका प्रयत्न किया है जिनसे चलकर आजका हमारा समाज बना है।

आजका भारतीय समाज पाश्चात्य विचारधारा और संस्कृतिमें ही ढला है। समाजके जिस बड़े वर्गमें अभी शिक्षाका प्रसार नहीं हुआ है वहाँ भी अंग्रेजी शिक्षाका और समयके प्रभावसे आश्चर्यजनक सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि समाजके एक बड़े भागकी आत्मा अब भी भारतीय है परन्तु पाश्चात्य चिन्ताने हमारे

रहन-सहन और जीवनकी मान्यताओंको बदल दिया है। हम यहाँ भारतीय प्रभावोंको अलगसे भी देख सकते हैं।

यह कहना शायद अनुचित न होगा कि भारतमें राष्ट्रीयताकी विचारधारा पश्चिमकी ही देन है जो अंग्रेजी शिक्षाके द्वारा यहाँ आई। निस्संदेह राष्ट्रीयता शब्दसे हम प्राचीन कालमें अपरिचित न थे। इसके स्तवनमें अनेक सुन्दर वैदिक मंत्रोंकी रचना भी हुई थी तथापि वर्तमान युगमें भारतीय राष्ट्रीयताका उदय अंग्रेजी शासन और शिक्षाके कारण हुआ। हम इस युगमें वेदोंसे राष्ट्रीयताका भाव कम ले सके किन्तु जान स्टुअर्ट मिलके विचारोंने शिक्षित भारतीयोंको अधिक प्रभावित किया। इन विचारोंके ही प्रभावसे भारतमें स्वाधीनता प्राप्तिका आन्दोलन शुरू हुआ। अंग्रेजी शिक्षाके कारण बर्क, मैकाले, पेन और मैजिनी, गैरीवाल्डी भारतीय विद्यार्थियोंके निकट आ गये जिनके विचारोंका प्रभाव उनपर पढ़ना स्वाभाविक था। आगे चलकर इंग्लैण्ड और योरपके राजनीतिक दर्शकोंने भारतके राष्ट्रीय आंदोलनमें विचारोंका आधार प्रदान किया। इस प्रभावको आंदोलन के पहले उभार में अनेक भारतीयोंने साभार स्वीकार भी किया। दादाभाई नौरोजीने १८६७ ई० में ईस्ट इण्डिया एसोसियेशनके सम्मुख कहा—‘देशी लोग अब इसको जानने और इसका अनुभव करने लगे हैं कि मनुष्य-मनुष्यके बीच न्याय किसको कहते हैं। विश्वविद्यालय और शिक्षा सस्थामें इस बातके प्रमाण है कि लोगोंका कितना बुद्धि प्रकाश हो रहा है। लोग सर्वोच्च राजनीतिक दशा, जो किसी भी राष्ट्रकी आकांक्षा हो सकती है, का पाठ सीख रहे हैं।’ इसी प्रकार गोखलेने कहा—‘शान्तिका फल विधि और व्यवस्थाका सस्थापन, पाश्चात्य शिक्षा और भाषण स्वतन्त्रता और फलत उदार सस्थाओंका समुचित सम्मान’ अंग्रेजी शासनके लाभ हैं। १९ वीं शताब्दीके योरपमें राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्रवादी विचार विकसित हो रहे थे और वही भारत भी आये। २० वीं शताब्दीमें रस्किन और टॉल्स्टॉय आदिने भारतीयोंको प्रभावित किया। भारतीयोंकी राजनीतिक चेतना पश्चिमके दर्शनका प्रत्यक्ष फल है।

अंग्रेजी शिक्षाने हमारे वैधानिक विचारोंपर भी प्रभाव डाला। देशमें जो नयी न्याय प्रणाली स्थापित की गई, उसका आधार पूर्णतः पाश्चात्य था। पश्चिमी न्यायदर्शन के सहारे आजके कानून बने। वैयक्तिक कानूनोंपर भी प्रभाव पड़ा। प्रारम्भमें तो स्मृतियोंमें लिखित कानूनोंका सुधार धीरे-धीरे हुआ परन्तु बादमें हिन्दू और मुसलमान कानून बहुत कुछ बदल गये। कानूनी सशोधन असाधारण महत्वके थे। विवाह, सम्पत्ति और उसका बँटवारा इत्यादिकी नीव बिल्कुल नये सिरे से पड़ी। हिन्दू कोड ऐक्ट जिसके भावी प्रभावसे प्रायः सभी परिचित हैं, इसका उदाहरण है।

पश्चिमके सम्पर्कसे भारतीयोंकी चिन्तन प्रणाली बदली। स्वतन्त्रता, ममानता, नागरिक अधिकार, राज्य व्यवस्था और राजनीतिक दर्शन इत्यादि के विषयमें भारतीय व्यक्ति ससारके अन्य व्यक्तियोंके ममान सोचने लगा जिमका फल यह निकला कि भारतीय राष्ट्र संसारके अन्य राष्ट्रोंके निकट आया। भारतीयोंका चौद्विक पुनर्जागरण पाश्चात्य चिन्तनका सबसे महत्वपूर्ण फल है। इस युगके महानतम व्यक्ति गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू इमी जागरणके प्रतिनिधि हैं।

भारतीय समाज पर अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचार-धारा का प्रभाव

२०१

यहाँ यह भी कहना अत्युक्ति न होगी कि भारतीयोंका पाश्चात्य जगत्से सम्बन्ध न जुड़ता, तो सम्भवत आज भारतमें विज्ञान शब्दसे ही हम परिचित न होते । भारत सदा पश्चिमका इसलिए ऋणी रहेगा कि वर्तमान युगमें पश्चिमने उसको विज्ञानकी शिक्षा दी । एक बार उस सत्यको जानकर भारतीय इस क्षेत्रमें चुप न बैठे । जगदीश चन्द्रबोस, पी० सी० राय, सी० वी० रमन और आजकल के अनेक भारतीय वैज्ञानिकों की गवेषणाओंने संसारके ज्ञानका संवर्धन किया है । मशीनोसे पहले हम अपरिचित थे और इसलिये डरते थे किन्तु वैज्ञानिक शिक्षाने मशीनोके प्रति हमारे विचारोंको बदल दिया । आज भारतीय समाज बड़ी तेज़ीके साथ अपनी पुरानी कृपक संस्कृतिका त्याग करता हुआ पाश्चात्य मशीनोकी संस्कृतिमें प्रविष्ट हो रहा है । इस नवप्रवेशके फल अच्छे हो या बुरे यह प्रश्न यहाँ विचारणीय नहीं है परन्तु इतना अवश्य है कि भारत अब योरप-जैसा दिखलाई पड़ने लगा है । रेल, तार, डाक, विजली, रेडियो, हवाईजहाज तथा अन्यान्य आविष्कारोंने हमारे प्राचीन विश्वासोकी जड़को जिस प्रकार हिला दिया है, उसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं ।

पाश्चात्य विचारोंने वस्तुतः वर्त्तमान भारतीय समाजकी काया को बदल दिया है । इनका एक प्रमुख प्रभाव धर्मके ऊपर पड़ा । पहले तो धर्म अन्व विश्वास आदि के साथसे अलग हुआ और फिर उसका सामाजिक महत्व समाप्त हो गया । मानव-समाजको एकसूत्रमें बाँधनेके लिए आजकल धर्म विल्कुल असमर्थ है । यदि ऐसा होता, तो आजकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिकी दशा न जाने क्या होती । भारतके हिन्दू, मुसलमान, ईसाई तथा अन्यान्य धर्मावलम्बी और उनके पारस्परिक सहयोगका आधार धर्म कभी नहीं हो सकता । समानता और बन्धुत्वकी भावनाने सभी धर्मोंकी तात्विक एकताकी ओर लोगोंको अधिक उन्मुख किया । तत्त्वत सभी धर्म एक हैं । बहुतेके लिए तो धर्म व्यक्तिगत पसन्दकी चीज़ बन गई । परन्तु ऐसे लोग समाज-विरोधी नहीं माने जाते । योगिराट् अरविन्दमें धर्मके दूसरे पहलूका विकास हुआ । इस युग में यदि किसी नये धर्मका जन्म हुआ तो वह मानव धर्म है, जो सार्वदेशिक और सार्वभौम है । आज संसारके किसी कोनेमें जो कुछ होता है, उसका हमारे जीवनपर सीधा प्रभाव पड़ता है । हमारा सामाजिक दर्शन समाजवाद, और साम्यवादके सिद्धांतोंसे अनुप्राणित हो रहा है । और यह कौन नहीं मानेगा कि ये सभी वाद पश्चिममें उपजे हैं ?

यदि पाश्चात्य विचारोंका भारतीय समाजपर एक अन्य प्रभाव देखना है तो आधुनिक भारतीय साहित्यका अध्ययन करना पड़ेगा । और यदि यह सत्य है कि साहित्य समाजका दर्पण है, तो यह भी सत्य है कि हमारा शिक्षित वर्ग न केवल पाश्चात्य शिक्षा या विचारों से प्रभावित है प्रत्युत बहुत-कुछ उनके अनुकूल ढल चुका है । भारतीय साहित्यको ठीक समझना आजकल तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कोई पाश्चात्य साहित्यको न जानता हो । बंगालीमें यह प्रभाव सबसे पहिले परिलक्षित हुआ और फिर उसके माध्यम से यह प्रभाव हिन्दीमें आया । पश्चिमकी नयी-नयी मनोवैज्ञानिक खोजोंको आप इस साहित्यमें पायेंगे । साहित्यके पात्रोंका समझना उनके जटिल जीवनके समझनेके समान ही कठिन है । काव्यमें नये-नये प्रयोग आलोचनाके नये-नये सिद्धान्त, निबन्ध आदिका विकास पाश्चात्य साहित्यके अध्ययनका परिणाम है ।

ये सब परिवर्तन तो हमारे जीवन-दर्शनमें हुए हैं। कुछ प्रभाव अपने मूल रूपमें देख पड़ते हैं। भारतीयोंका रहन-सहन अब दूसरा होने लगा है। पाश्चात्य वेश-भूषा, प्रसाधन और शिष्टाचारके नियमोंको हम लोगोंने अपना लिया है और उनको अपनाकर हम लज्जा या श्लानिका अनुभव नहीं करते। भारतीय नगरोंमें स्थान-स्थानपर योरपकीसी दूकानें खुलती जा रही हैं। होटल, रेस्तराँ तथा अन्य ऐसे ही स्थान विलकुल योरपीय हैं। जाति-पाँतिका इनमें भेद नहीं है। शिक्षा-संस्थाओंमें अब कुर्सियोंपर बैठकर पढ़ाई होती है और गुरुकुलकी शिक्षा प्रणाली कुछ स्थानों तक ही एक नये रूपमें सीमित है। स्त्री स्वातन्त्र्यका भाव भी इस युगमें पश्चिमी विचारोंका प्रभाव है, जहाँ स्त्रियोंको पुरुषोंके समान ही अधिकार प्राप्त हैं। आधुनिक भारतीय नारी मध्यकालीन नारीमें विलकुल भिन्न है और यदि समाजका इसी प्रकारसे परिवर्तन होता गया (जो अवश्य होगा) तो रीतिकालकी किसी नायिकाका हमें अन्दाज़ तक न मिलेगा।

पाश्चात्य शिक्षा और चिन्ताका भारतीय समाजपर प्रभाव सर्वांगीण है। वह केवल शिक्षित समाज तक ही सीमित नहीं है, सुदूर गाँवमें जहाँ अशिक्षित, निर्धन अन्धविश्वासी और पिछड़ी हुई मानवताका वास है, वहाँ भी पाश्चात्य सभ्यताकी किरणें पहुँच रही हैं। क्योंकि वहाँके युवक नगरोंमें आकर अंग्रेजी प्रणालीसे शिक्षित होते हैं। आते हैं वे दूसरा रूप लेकर और जाते हैं बदलकर। हमारी लोक-भाषाओंमें भी यह पाश्चात्य प्रभाव परिलक्षित है। अंग्रेजोंके शताब्दियोंके सम्पर्कमें उनमें अनेक नये शब्द भर दिए हैं जिनसे विचारोंको व्यक्त करनेमें लोगोंको सुविधा होती है।

परन्तु आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त सभी परिणाम शुभ ही हों। जहाँ एक ओर भारतीय समाज पाश्चात्य विचारोंसे परिचित होकर अत्यधिक प्रगतिशील हुआ है वहाँ पाश्चात्य समाजके अनेक दोष भी उसमें आ गये। जिन अनेक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओंके कारण योरपके व्यक्तिका जीवन अगान्त और जटिल हो गया है, उनसे आजका भारतीय छूटा नहीं है। पश्चिमकी व्यावसायिक बुद्धि, मानवीय सुखोंके साधनोंका केन्द्रीकरण इत्यादि सभी भारतमें भी प्रवेश पा गये हैं। अंग्रेजी शिक्षाका आगमन देशमें उन परिस्थितियोंके बीच हुआ, जिन्होंने भारतीयोंकी सर्जनात्मक शक्तिका ह्रास कर दिया क्योंकि शिक्षा आजीविका दिलानेका साधन बन गई। प्रारम्भमें जब पढ़ने-लिखनेका कम मात्रामें काम था तब लोगोंको पढ़-लिखकर बेकार नहीं बैठना पड़ता था परन्तु शिक्षाकी प्रगति जिस वेगसे हुई, शिक्षित व्यक्तियोंकी आजीविकाके लिए काम उतना न बढ़ा। अत उक्त शिक्षाने आज देशके शिक्षित नवयुवकोंमें बेकारीकी विषम स्थितिको पैदा कर दिया है। हमारी उक्त पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली में प्रारम्भसे लेकर अन्त तक विद्यार्थियोंको शारीरिक श्रमसे दूर रखा जाता है। फलत सुशिक्षित व्यक्ति सिवा कार्यालय अथवा पाठशालाके अन्यत्र जीविको-पार्जनके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। शिक्षामें सतुलनका अभाव ही इस आर्थिक समस्याका रहस्य है। सांस्कृतिक दृष्टिसे उक्त शिक्षाके परिणामस्वरूप समाजमें मध्यवर्गका विकास हुआ है जो सामाजिक क्रान्तियोंका अग्रदूत है, परन्तु पाश्चात्य विधाने उत्पन्न सामाजिक अथवा आर्थिक समस्याओंसे आजका कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। विभिन्न राष्ट्रोंके परस्पर निकट आ जानेके कारण नवीन समस्याएँ अवश्य उत्पन्न होंगी

है। भारतीय समाज जो पिछली कुछ शताब्दियोंमें दूसरोसे अलग रह रहा था उसके लिए नवीन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ बड़ी जटिल मालूम पड़ रही हैं। परन्तु वह जटिलता केवल भारतीयोंके लिए नहीं है बल्कि समूचे ससारके लिए उतनी ही नहीं है, जितनी भारतके लिए।

भारत और पश्चिमके सम्बन्ध वस्तुतः अच्छे ही रहे हैं। आजके युगमें कोई जाति, समाज या राष्ट्र अकेला नहीं रह सकता। विश्वके अन्य राष्ट्रोंके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। यह मिलन यदि आकस्मिक होगा तो आपसमें भ्रम और नासमझदारीके उत्पन्न होनेकी पूरी सम्भावना है। अतः अच्छा यही होगा कि लोग पहलेसे ही एक-दूसरेको समझे रहे। इस दृष्टिसे यह कहा जा सकता है कि पश्चिमके साथ भारतीयोंका सम्पर्क पारस्परिक सहयोगकी भावनाको बल देनेवाला हुआ है। पश्चिमसे अब डरनेकी कोई बात नहीं है। योरपीय भाषाओंके ज्ञानसे और योरपीय समाजके सम्पर्कसे अब हम वहाँके लोगोंको अच्छी तरह समझ गये हैं। उनकी दुर्बलताओं और गुणोंसे पूर्णतः अवगत है। इसलिए इधर कुछ वर्षोंसे जिस नवीन भारतीय समाज और सस्कृतिका विकास हो रहा है, वह हमारी परम्पराओंके अनुकूल तथा भारतीयोंके स्वभाव और आकाशाओं का वहन करनेवाला है। इधर हमारे समाजका परिष्कार हो रहा है। पश्चिमकी उन सभी बातोंको आत्मसात् करके जिनसे मानव समाज सुखी और सम्पन्न हो सकता है भारतीय पुनः अपने प्राचीन साहित्य, दर्शन, अपनी प्राचीन कलाओं तथा आदर्शोंसे अनुप्राणित होने लगे हैं। इससे एक सर्वथा नवीन भारतीयका जन्म हो रहा है जो पूर्व और पश्चिमके सत्य, शिव और सुन्दरका प्रतीक है। संसार ऐसे व्यक्तिको शीघ्र ही देखने की प्रतीक्षामें है। यह सम्भवतः पश्चिमकी भारतको अन्तिम देन है।

—०::०—

चतुर्थ खण्ड

समाजिक समस्याएं और सुधार आन्दोलन



हिन्दू कोड बिल

समाजमें स्त्रीको उचित दर्जा दिलानेके उपायोपर विचार करनेके लिए सरकारने

इतिहास १९४१ में एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष थे श्री वी० एन० राव । इस राव कमेटीके सदस्य थे सर्वथी द्वारकानाथ मित्र, जे० आर० घरपुरे और वी० वी० जोशी । कमेटी ने उस समय विद्यमान कानूनमें कन्याओंके प्रति होनेवाले अन्याय पर विचार करके सरकारसे सिफारिशकी कि उत्तराधिकारके सम्बन्धमें सारे हिन्दू-कानूनके ही पुनर्निर्माणकी जरूरत है । सरकारने इस सुझावको स्वीकार कर लिया और फल-स्वरूप १९४२ में इस संबंधमें एक बिल भारतीय व्यवस्थापिका सभामें पेश किया गया । व्यवस्थापिका सभा की डावर-समितिके बिलपर विचार करके सुझाव दिया कि केवल उत्तराधिकार-संबंधी कानून ही नहीं, किन्तु पिछली कमेटीको पुनर्जांचित कर समस्त हिन्दू कोडका मसविदा पुनः तैयार किया जाए । इसी सिफारिशका परिणाम था १९४७ का हिन्दू कोड बिल । हिन्दू कोड बिल तैयार करवानेमें भारतके तात्कालीन विधि मंत्री स्व० श्री भीमराव अम्बेडकरने बहुत प्रयत्न किया था ।

राव कमेटीने जो हिन्दू कोड बिलका मसविदा तैयार किया उसपर १९४८ में ममदकी प्रवर समितिके विचार किया और विचारके पश्चात् उसमें चारभाग काफी परिवर्तन कर दिए । इसी प्रकार समितिके सुझावों के अनुसार सरकारने निश्चित किया कि हिन्दू कोड बिल को ४ भागोंमें विभक्त कर के प्रत्येक भागपर संसदमें अलग-अलग बहस की जाए । इस प्रकार हिन्दू कोड बिल निम्नलिखित चार भागों में विभक्त हो गया .

- (१) हिन्दू विवाह विधेयक (हिन्दू मैरिज बिल, Hindu Marriage Bill १९५५);
- (२) हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक (हिन्दू सक्सेशन बिल Hindu succession Bill १९५६);
- (३) हिन्दू अल्पवयस्कता व सरक्षणता विधेयक (Hindu minority and Guardianship Bill बिल, १९५६); और
- (४) हिन्दू दत्तक ग्रहण और निर्वाह विधेयक (Hindu adoption and maintenance Bill १९५६),

संसदमें इनमें से प्रत्येक विधेयकपर दोनो सदनोंमें वारी-वारीसे बहस हुई । हिन्दू विवाह-विधेयक १८ मई १९५५ को पास हुआ, हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक १७ जून, १९५६ को पास हुआ, हिन्दू अल्प वयस्कता व संरक्षणता विधेयक २५ अगस्त १९५६ को पास हुआ तथा हिन्दू दत्तक ग्रहण और निर्वाह विधेयक १४ दिसम्बर, १९५६ को पास हुआ । जिस-जिस दिन ये विधेयक संसदके दोनो सदनोंमें पारित हो गए उसी दिन राष्ट्रपतिने उनपर हस्ताक्षर कर दिए और उसी दिनसे ये विधेयक अधिनियम बन गए और कानूनके रूपमें लागू हो गए । इस प्रकार एक-एक कर उसके स्थानपर उसके उद्देश्य पूरा करनेके लिए ये चार नए कानून आए ।

ये चारो कानून भारत भरके समस्त हिन्दुओंपर —जिनमें हिन्दुत्वकी अनेक शाखाएँ जैसे वीरशैव, लिगायत, ब्रह्मसमाज, प्राचीन समाज और आर्य समाज आदि शामिल हैं, तथा बौद्धो, सिखों और जैनों पर लागू होंगे । दूसरे अङ्गोंमें मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदियोंको छोड़कर ये कानून भारतवासियों पर लागू होंगे ।

किनपर लागू होंगे

हिन्दू विवाह अधिनियम

विवाह हिन्दू समाजकी एक प्राचीन और आवश्यक प्रथा है । यह एक ऐसा सस्कार है, जो ऐसे प्रत्येक हिन्दूके लिये आवश्यक है, जो ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं है । हिन्दू विवाहमें कन्यादान और सप्तपदी की विधि आवश्यक मानी जाती है । हिन्दुओंमें विधवा-विवाह प्रचलित नहीं है । किन्तु 'हिन्दू विधवा पुनर्विवाह ऐक्ट १८५६'के द्वारा उसे विहित माना गया । इसी प्रकार

अधिनियम से पूर्व की अवस्था

एक ही गोत्र और प्रवरके लोगोका विवाह द्विजो अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्योंमें प्रचलित नहीं है, किन्तु 'हिन्दू विवाह अयोग्यता निवारण ऐक्ट १९४६'के द्वारा यह बाधा भी हटा दी गई । अनुलोम और प्रतिलोम विवाहोको भी 'हिन्दू विवाह वैधता ऐक्ट १९४६'के द्वारा वैध माना गया । यद्यपि हिन्दुओंमें आम तौरपर एकपत्नी-विवाहका ही रिवाज है, फिर भी बहु-विवाह निषिद्ध नहीं था । किन्तु कुछ राज्योंने कानून बनाकर बहुविवाह को निषिद्ध करार दिया । बम्बईने १९४६ में, मद्रासने १९४९ में और सौराष्ट्रने १९५० में इस तरहके कानून बनाए । विवाह-विच्छेदकी हिन्दू धर्ममें अनुमति नहीं थी क्योंकि विवाह पति-पत्नीकी आत्माका मिलन माना जाता था, जो तलाकके द्वारा विच्छिन्न नहीं हो सकता । अलवत्ता बम्बई, मद्रास, सौराष्ट्र और त्रिचिनकोर कोचीनमें कुछ अवस्थाओंमें तलाककी छूट दी गई थी । गेप भारतमें स्थिति ज्योकी ल्यो थी । इसके अलावा देशके सभी भागोंमें बाल-विवाहका भी आम रिवाज था । यद्यपि १९२९ में 'बाल-विवाह निवारण कानून' द्वारा १८ सालसे कम आयुके लड़के और १५ सालसे कम आयुकी लड़कीका विवाह दण्डनीय माना गया था फिर भी कानूनन ऐसे विवाह अवैध नहीं माने जाते थे । १९५१ की जनगणनाके समय पता लगा कि केवल उसी एक वर्षमें ९२ लाख बाल-विवाह हुए थे ।

हिन्दू विवाह अधिनियम (१९५५) के द्वारा ही विवाहके सम्बन्धमें पहले पहले एक परिपूर्ण संहिता तैयार की गई। इस अधिनियमके द्वारा उद्देश्य वैध विवाहों की सामान्य शर्तें तै करके समस्त हिन्दुओंके लिए विवाह सम्बन्धी नियमोंको सरल करनेका प्रयत्न किया गया।

इस अधिनियम द्वारा बहु-विवाह निषिद्ध कर दिया गया और कई हालतमें अदालतकी मार्फत तलाक या विवाह-विच्छेदकी अनुमति दी गई। इस अधिनियममें सभी हिन्दुओंके लिए विवाह और तलाकके सम्बन्धमें ममान प्रणाली अपनाई गई और साथ ही निषिद्ध विवाहों और तलाकसे सम्बद्ध उन रिवाजोंको जो जनताके आचार और सस्कृतिका अभिन्न अंग बन गए हैं, ज्योंका त्यों छोड़ दिया गया है।

कोई भी हिन्दू स्त्री और पुरुष परस्पर विवाह कर सकते हैं, यदि —

(१) विवाहके समय कोई और पत्नी या पति जीवित न हो। इसमें एक-विवाह की अनिवार्यता लागू होती है। यह शर्त पूरी न हो, तो विवाह की शर्तें विवाह अवैध माना जाएगा और पति या पत्नीके जीवित होनेपर विवाह करनेवाला व्यक्ति दण्डनीय होगा।

(२) विवाहके समय दोनों व्यक्तियोंमें से एक भी जड़ वृद्धि या पागल न हो। यह शर्त पूरी न होनेपर विवाह अवैध ठहराया जा सकता है।

(३) विवाहके समय वर १८ सालका और बधू १५ सालकी आयु पूरी कर चुकी हो। यह शर्त पूरी न होनेपर विवाह तो अवैध नहीं माना जाता किन्तु विवाह करनेवाला लड़का या लड़की दण्डनीय होते हैं।

(४) विवाहार्थी स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध निषिद्ध कोटिमें न आता हो, वशर्त कि उन दोनोंके समाजमें अन्यथा रिवाज न हो। यह शर्त पूरी न होनेपर विवाह अवैध माना जाएगा और विवाह करनेवाले दण्डनीय होंगे।

(५) दोनों पक्ष एक-दूसरेके मपिण्ड न हो, वशर्त कि उनके समाजमें अन्यथा रिवाज न हो। यह शर्त पूरी न होनेपर विवाह अवैध माना जाएगा और दोनों पक्ष दण्डनीय होंगे।

(६) बधूकी आयु १८ वर्षकी न होनेपर उसके मरक्षकसे विवाहकी अनुमति ले ली गई हो। इस शर्तके पूरी न होनेपर विवाह अवैध नहीं माना जाता, किन्तु यदि बधू की शिकायतपर यह पाया जाए कि मरक्षककी अनुमति जवर्दस्ती या छल-रूपमें की गई है, तो विवाह अवैध माना जाएगा। यह शर्त पूरी न होनेपर सम्बद्ध व्यक्ति दण्डनीय होगा।

निषिद्ध कोटिमें आनेवाले सम्बन्ध ये हैं —

दो व्यक्ति परस्पर विवाह नहीं कर सकते यदि एक दूसरेका वंशज हो (जैसे पिता, पितामह, माता, मातामह आदि), या यदि एक व्यक्ति दूसरे निषिद्ध सम्बन्ध व्यक्तिके वंशजका पति या पत्नी हो (जैसे माँतेली माता, पुत्रबधू, पतोह आदि), या यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति

के भाईकी या चाचाकी या मामाकी या दादाके भाईकी या नानाके भाईकी पत्नी हो, या दोनों भाई और बहन हो, चाचा-भतीजी हो, चाची भतीजी हो, या भाई और बहन के बच्चे हो।

ऊपर कहा गया है कि परस्पर सपिण्ड व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते । यह सपिण्ड

सपिण्ड

सम्बन्ध क्या है ? इस अधिनियम के अनुसार मातासे ऊपर की तीन पीढ़ी और पितासे ऊपरकी पाँच पीढ़ी तक सपिण्ड सम्बन्ध चलता है । उदाहरणार्थ पुरुषके सपिण्ड सम्बन्धी है उसकी लड़की, माता, वहन, लड़कीकी लड़की, माँकी वहन, मौमीकी लड़की, भानजी, और भानजेकी लड़की । और स्त्रीके सपिण्ड सम्बन्धी है उसका लड़का, पिता, पोता, चाचा, चाचाका लड़का और भाईका लड़का ।

सपिण्ड और निपिण्ड सम्बन्धों में प्रचलित रिवाजका जो अपवाद रखा गया है, वह महत्वपूर्ण है । पश्चिमी और दक्षिणी भारतमें यह रिवाज है कि वहाँ पुरुष अपनी वहन की लड़की, या अपने मामाकी लड़कीसे शादी कर सकता है । भाई और वहनकी सन्तान भी परस्पर शादी कर सकती है । इसी प्रकार पंजावका रिवाज है कि वहाँ पुरुष अपने भाईकी विधवा स्त्री से शादी कर सकता है । जिन इलाकोंमें ये रिवाज प्रचलित है, वहाँ इस प्रकारके विवाह वैध माने जाते रहेंगे ।

लड़कीकी आयु १८ वर्षसे कम होनेपर संरक्षककी अनुमतिकी जो आवश्यकता बतलाई गई है, उसमें अधिनियमके अनुसार संरक्षकताका क्रम यह रखा गया है :

संरक्षक-क्रम

सबसे पहले पिता, पिता न हो तो माता, माता न हो तो दादा, दादा न हो तो सगा भाई, सगा भाई न हो तो सौतेला भाई—ब्रतों कि लड़की उसीके पास रहती हो और वही लड़कीका पालन-पोषण करता हो, सौतेला भाई न हो तो सगा चाचा, सगा चाचा न हो तो सौतेला चाचा—ब्रतोंकि वह लड़कीका पालन करता हो, वह न हो तो नाना और नाना न हो तो नानी ।

इस संबंधमें खास बात यह है कि २१ वर्षसे कम आयुका कोई भी व्यक्ति संरक्षक नहीं माना जा सकता ।

अधिनियमके अनुसार इस ऐक्टके अन्तर्गत किए गए विवाहों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) जरूरी नहीं है । इस विषयमें राज्योंको छूट दी गई है कि वे चाहें, तो पंजीकरणको अनिवार्य रखें, चाहें वैकल्पिक । किसी भी हालतमें पंजीकरण न करवानेसे

रजिस्ट्रेशन

इस विवाहकी वैधता पर असर नहीं पड़ता । किन्तु यदि किसी राज्यमें पंजीकरणको अनिवार्य करार दिया जाए, तो उस राज्यकी सरकार विवाहका रजिस्ट्रेशन न करवानेवाले व्यक्तिको २५ रु० जुर्माना कर सकती है ।

इस अधिनियममें तलाककी व्यवस्था करके हिन्दू-कानूनमें भारी परिवर्तन किया गया है । इस अधिनियमसे पहले तलाक केवल कतिपय नीच जातियोंमें या कुछ राज्योंमें ही, जिनमें इसके लिए खास कानून बने थे, प्रचलित था । परन्तु इस अधिनियममें कुछ अवस्थाओंमें सभी विवाहोंके लिए, चाहे वे इस ऐक्टके बननेके पहले सम्पन्न हुए हो या पीछे, तलाककी व्यवस्था की गई है ।

तलाक या विवाह विच्छेद

पति या पत्नी निम्न आघारोपर विवाह-विच्छेदके लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, कि दूसरा व्यक्ति—

- (१) व्यभिचारी है, या
- (२) उसने मत परिवर्तन कर लिया है और वह हिन्दू नहीं रहा; या
- (३) असाध्य रूपसे पागल है और प्रार्थनापत्र देनेसे पूर्व लगातार तीन साल तक पागल रहा है, या
- (४) सक्रामक और असाध्य कुष्ठ रोगसे पीड़ित है, या
- (५) स्पर्शजन्य किसी भयकर त्वचा रोग (जैसे आतिशक या सूजाक आदि) में पीड़ित है, या
- (६) ससारसे विरक्त होकर सन्यासी बन गया है, या
- (७) लगातार सात वर्ष तक उसके जीवित रहने का कोई समाचार नहीं मिला है, या
- (८) अदालत द्वारा पृथक् रहनेकी डिक्री दिए जानेके बाद दो वर्ष तक सहवास नहीं हुआ है; या
- (९) अदालत द्वारा सहवासके अधिकारकी पुन स्थापना की डिक्री दिए जानेके बाद दो वर्ष तक उनका सहवास नहीं हुआ है ।

यही वे आघार हैं, जिनपर पति-पत्नी एक-दूसरेको तलाक दे सकते हैं । इसके अलावा इस अधिनियमके पास होनेसे पूर्व जिम स्त्रीका विवाह हो चुका है, उसको भी उम हालतमें तलाकका अधिकार दिया गया है जब कि उसके पतिने दूसरी शादी कर ली हो, या स्वयं उसके अपने विवाह-मस्कारके समय ही वह दूसरी पत्नीके रूपमें व्याहकर आई हो, भले ही उस विवाहके समय बहु-पत्नी विवाह वैध रहा हो । किन्तु इस व्यवस्था के अनुमार विवाह-विच्छेदकी प्रार्थना करनेवाली पत्नीको यह निश्चय करना होगा कि दूसरी पत्नी अभी जीवित है । यदि पति विवाहके बाद बलात्कार या अन्य प्रकारके पागविक एव कुत्सित व्यभिचार का दोषी पाया जाए तब भी पत्नी तलाकके लिए प्रार्थनापत्र दे सकती है ।

सामान्यतया विवाह-विच्छेदके लिए प्रार्थनापत्र किमी न्यायालय द्वारा विवाहकी तिथिके तीन वर्ष बाद ही स्वीकार किया जाएगा । किन्तु यदि प्रार्थीको अमामान्य कठिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा हो, तो न्यायालय तीन सालसे पूर्व भी प्रार्थनापत्र स्वीकार कर सकता है ।

जब तलाककी डिक्री दिए जानेके बाद विवाह भंग हो गया हो, तो दोनों व्यक्तियों में से कोई भी दूसरा विवाह करनेके लिए स्वतंत्र है । किन्तु तलाकके बाद इसके लिए यह पाबन्दी रखी गई है, कि दूसरा विवाह करने दूसरा विवाह से पहले यह देख लिया जाए कि विवाह-विच्छेदकी डिक्री के विरुद्ध अपील करनेकी अवधि भी ममाप्त हो चुकी है या यदि कोई अपील की गई है, तो वह रद्द हो चुकी है, यदि अपील करनेका कोई अधिकार शेष है, तो वह रद्द हो चुका है । यदि अपील करने का कोई अधिकार शेष न रहता हो,

तो दोनो पक्ष दूसरे विवाहके लिए स्वतंत्र हैं, किन्तु हर हालतमें विवाह-विच्छेद की डिक्री दिए जानेके बाद एक वर्ष तक दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता ।

आयु-संवंधी शर्त को तोड़नेपर १५ दिन तक की सादी कैद या एक हज़ार २० तक जुर्माना या दोनों दण्ड मिल सकते हैं । निपिद्ध सम्बन्धो या सपिण्डता वाली शर्तको तोड़नेपर एक मास तककी सादी कैद या एक हज़ार २० तक जुर्माना या दोनो दण्ड मिल सकते हैं । १८ वर्षसे कम आयुकी लड़कीसे उसके संरक्षक की

नियम भंग
पर दण्ड

अनुमति लिये विना शादी करनेपर एक हज़ार २० तक जुर्माना हो सकता है ।

तलाकके लिए ऊपर वर्णित आधारेके अलावा यदि किसी प्रदेशमें कोई और आधार भी कानूनका रूप धारण कर चुके हैं, तो उस कानूनसे शासित होनेवाले लोगोको उस आधारपर तलाक देनेका अधिकार प्राप्त रहेगा । उदाहरणार्थ यह व्यवस्था है कि रजिस्टर्ड दस्तावेजके द्वारा या पति और पत्नीमें से किसी एकके अदालतको दरखास्त देने पर विवाह भंग मान लिया जाएगा, चाहे इस प्रकारके तलाकके लिए कोई खास कारण न दिया गया हो । वर्तमान अधिनियम उस व्यवस्थामें बाधक नहीं होगा ।

यह अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act 1954) के अन्तर्गत हुए विवाहो पर भी कोई असर नहीं डालता । किन्तु विशेष

विशेष विवाह
विधेयक

विवाह अधिनियमके सम्बन्ध में एक खास बात बता देनी यहाँ आवश्यक है । वह ऐक्ट १ जनवरी १९५५ को लागू हुआ था, उसका उद्देश्य यह था कि भारत भरके

हिन्दुओके लिए विवाहकी कोई खास और एक जैसा कानून बनाया जाए । स्पेशल मैरिज ऐक्ट जम्मू और काश्मीरको छोड़कर सारे भारत पर लागू होता है और उसके अन्तर्गत कोई भी दो व्यक्ति, चाहे धार्मिक दृष्टिसे भिन्न मतावलम्बी हो, विवाह कर सकते हैं । वह ऐक्ट भारतसे बाहर रहनेवाले भारतीयोपर भी लागू होता है । कोई भी २१ सालका लड़का और कोई भी १८ सालकी लड़की उसके अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं, वशर्ते कि उनमें से कोई पागल न हो, उनमें से किसीकी पत्नी या पति जीवित न हो और वे दोनो सगोत्रताकी दृष्टिसे निपिद्ध सम्बन्धवाले न हों ।

अब वर्तमान स्थिति यह है कि कोई भी हिन्दू पुरुष या स्त्री चाहे तो उस स्पेशल मैरिज ऐक्ट (१९५४) के अन्तर्गत विवाह करले और चाहे तो वर्तमान हिन्दू मैरिज ऐक्ट (१९५५) के अन्तर्गत विवाह करले । कोई व्यक्ति हिन्दू मैरिज ऐक्टके अनुसार विवाह करके स्पेशल मैरिज ऐक्टके अन्तर्गत अपना विवाह रजिस्टर्ड भी करवा सकता है । परन्तु तब तलाक और विवाहकी अवैधताके सम्बन्धमें उसपर उसी ऐक्टके नियम लागू होंगे, जो इस नए ऐक्टसे कुछ अंशोमें भिन्न हैं । उदाहरणार्थ, उसमें पारस्परिक सहमति से तलाककी खास व्यवस्था है जैसी इस ऐक्टमें नहीं है । उसमें केवल पत्नीको ही निर्वाह व्यय मिलनेकी व्यवस्था है, पतिको नहीं, जबकि इस ऐक्टमें पति भी निर्वाह व्यय पानेका हकदार है ।

इसके अलावा स्पेशल मैरिज ऐक्टके अन्तर्गत विवाह करनेवाले या उसके अन्तर्गत अपना विवाह रजिस्टर्ड करवाने वालेका अपने परिवारसे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । इसका

अर्थ यह है कि उसके विवाहके दिन ही मयुक्त परिवारकी सम्पत्तिमें उसकी रुचि समाप्त समझी जाती है। वह या उसकी सन्तान मयुक्त परिवारकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारी भी नहीं बन सकते। उनके उत्तराधिकारका फैसला भारतीय उत्तराधिकार ऐक्ट १९२५ के अनुसार होगा न कि हिन्दू उत्तराधिकार ऐक्ट १९५६ के द्वारा। अब क्योंकि वर्तमान हिन्दू विवाह अधिनियममें तलाक आदिकी व्यवस्था हो गई है इसलिए अधिक सम्भावना यह है कि अब कोई हिन्दू स्पेशल मैरिज ऐक्ट १९५४ के अनुसार विवाह करने को आकर्षित नहीं होगा।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

हिन्दू कानूनकी सबसे महत्वपूर्ण किन्तु साथ ही सबसे अधिक उलझी हुई शाखा है उत्तराधिकार। उत्तराधिकारके सम्बन्धमें दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं—एकका नाम है मिताक्षरा और दूसरीका नाम है दायभाग। दायभाग प्रणाली चलती है बगलमें और रोप भारतमें चलती है मिताक्षरा प्रणाली। इसके साथ ही भारतके दक्षिण-पश्चिमी तट पर प्रचलित मरुमक्कतपाम्, अलिप-सन्तानम् और नम्बूद्रि प्रणालियोंको भी जोड़ा जा सकता है। मिताक्षरा कानूनके भी कई उपविभाग हैं—जैसे मिथिला स्कूल, बम्बई स्कूल, बनारस स्कूल, मद्रास स्कूल और मयूख स्कूल आदि। इन प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकारके सम्बन्धमें कानूनकी दृष्टिसे सर्वत्र समानता नहीं है।

इन सब प्रणालियोंमें से किसीमें भी कन्याको सम्पत्तिमें अधिकार नहीं दिया गया।

मिताक्षरा के अनुसार परिवारकी माझी सम्पत्तिमें कन्याको कोई हक नहीं मिलता और परिवारके बुजुर्ग पुरुषकी मृत्युके बाद बाकी बचे आदमी ही सारी सम्पत्तिके मानिक समझे जाते हैं।

१९३७ में 'हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार' कानूनके जरिए विधवाको पारिवारिक सम्पत्तिमें हिस्सा दिया गया था, किन्तु उसकी स्थिति अस्पष्ट थी। यदि किसी केसमें विधवाके रूपमें महिलाको सम्पत्तिका अधिकार भी दिया गया तो वह अधिकार केवल उसके जीवनकाल तक ही था। महिलाओंका पूरा अधिकार किसी चीजपर था, तो वह था स्त्रीधन। और किसी भी महिलाको उत्तराधिकारमें प्राप्त सम्पत्ति स्त्रीधन नहीं मानी जा सकती थी। केवल बम्बई स्कूल ही इसका अपवाद था। किन्तु इस स्त्रीधनकी बर्गीयतके सम्बन्धमें भी सर्वत्र एक समान व्यवस्था नहीं थी।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ इसलिए बनाया गया ताकि जिन सम्पत्ति की बर्गीयत नहीं की गई उसके उत्तराधिकारके सम्बन्धमें सब हिन्दुओंमें एक समान प्रणाली प्रचलित की जाए। कन्याओंको भी उत्तराधिकारमें सम्पत्ति प्राप्त करनेका हक दिया जाए और इस सम्बन्धमें पुरुष और स्त्रीका भेद हटा दिया जाए एवं धार्मिक उपयोगिता के बजाय प्रेम और स्नेहके आधारपर सम्पत्तिके वारिन्कोका जम तैयार किया जाए।

किसी भी मृत हिन्दूकी अचल सम्पत्तिके उत्तराधिकारका निर्णय उसी अधिनियमके अनुसार होगा, चाहे मृत व्यक्ति वही भी रहता हो, किन्तु अचल सम्पत्तिके उत्तराधिकारका निर्णय उन अधिनियमके अनुसार तभी होगा जब कि वह व्यक्ति भारतमें ही रहता हो।

इस अपवादको छोड़कर गेप सभी प्रकारकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारके सम्बन्धमें यही ऐक्ट लागू होगा ।

हिन्दू पुरुषकी सम्पत्तिमें अपने आप उपार्जित सम्पत्ति भी हो सकती है और अपने वाप-दादो द्वारा उपार्जित सम्पत्ति भी । उपहार, पृथक् उपार्जित, विद्या तथा योग्यताके कारण वेतनादिके रूपमें प्राप्त होनेवाला लाभ और सयुक्त परिवारकी सम्पत्तिके वँटवारे के समय दिया गया हिस्सा पृथक् सम्पत्ति समझी जाएगी और यह सब इस अधिनियम के अनुसार उसके वारिसोके पास जाएगी ।

अधिनियमके अनुसार हिन्दू पुरुषके उत्तराधिकारी दो श्रेणियोंमें विभक्त किए गए हैं । हिन्दू पुरुषके मरनेपर उसकी सम्पत्तिमें हक पाने उत्तराधिकारियोंकी वाले जिन उत्तराधिकारियोंको तरजीह या प्राथमिकता दी दो श्रेणियाँ गई हैं, वे सामान्यतया ये होंगे . लड़का, लड़की, विधवा पत्नी और माता—और इन सबको बराबरका हिस्सा मिलेगा ।

किन्तु यह सम्भव है कि लड़का या लड़की अपने वापसे पहले ही मर जायँ । इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि यदि पुत्र अपने पितासे पहले मर जाए, तो मृत पुत्रकी विधवा (अर्थात् पुत्रवधू) और लड़के-लड़कियाँ उस हिस्सेको परस्पर समान रूपसे बाँट लेंगे जो हिस्सा मृत व्यक्तिको जीवित रहनेपर मिलता । इसी प्रकार यदि लड़की अपने वापसे पहले मर जाए, तो उसके लड़के-लड़कियाँ उस हिस्सेको परस्पर समान रूपसे बाँट लेंगे जो उस लड़कीको जीवित रहनेपर मिलता । इसी प्रकार यदि पुत्र और पौत्र दोनों पहले मर गए हों, तो पोतेकी विधवा पत्नी और पूर्व मृत पोतेके लड़के-लड़कियाँ उस हिस्से को परस्पर बराबर-बराबर बाँट लेंगे, जो पूर्वमृत पोतेके हिस्सेमें पड़नेवाला था ।

इस अधिनियमके वननेसे पूर्व कानूनके अनुसार केवल निम्न उत्तराधिकारी बन सकते थे : (१) पुत्र, (२) पोता, (३) पड़पोता, (४) मृत व्यक्ति की विधवा पत्नी, (५) पूर्वमृत पुत्रकी विधवा पत्नी (पुत्रवधू), और (६) पूर्वमृत पौत्रकी विधवा पत्नी (पौत्रवधू) । अब इस अधिनियमके द्वारा इस सूचीमें निम्न वृद्धि की गई है: (१) माता, (२) पुत्री, (३) पूर्वमृत पुत्रीकी पुत्री, (४) पूर्वमृत पुत्रीका लड़का, (५) पूर्वमृत पुत्रकी लड़की, और (६) पूर्वमृत पौत्रकी लड़की ।

यह बात स्मरण रखनेकी है कि पौत्र और प्रपौत्र प्रतिनिधित्वके अधिकारी तभी होते हैं जब उनके माता-पिता जीवित न हों । ये १२ के १२ व्यक्ति एक साथ उत्तराधिकारी बनें, यह बात केवल किसी विरले केसमें ही सम्भव है ।

उक्त प्रथम श्रेणीके उत्तराधिकारियोंके न होनेपर दूसरी श्रेणीके उत्तराधिकारियों की वारी आती है । इस दूसरी श्रेणीके उत्तराधिकारियोंका क्रम इस प्रकार है : (१) दूसरी श्रेणी पिता, (२) लड़केकी लड़की का लड़का, भाई, वहन (३) लड़कीके लड़केका पुत्र, लड़कीके लड़केकी पुत्री, लड़कीकी पुत्रीका पुत्र, लड़कीकी पुत्रीकी पुत्री, (४) भाईका पुत्र, वहनका पुत्र, भाईकी पुत्री, वहनकी बेटी, (५) पिताका पिता, पिताकी माता, (६) पिताकी विधवा पत्नी, भाईकी विधवा पत्नी, (७) चाचा या ताऊ, बूआ या पिताकी वहन, (८) नाना, नानी (९) मामा, मौसी ।

स्त्रीकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें इस अधिनियमने सबसे अधिक दूरगामी परिवर्तन किया है। हिन्दू महिलाके अधिकारमें जो भी सम्पत्ति हो, स्त्रीकी सम्पत्ति वह चाहे उसे उत्तराधिकारमें मिली हो, चाहे बँटवारेके समय प्राप्त हुई हो, चाहे उपहार या दान-दहेजके रूपमें प्राप्त हुई हो, या उसने स्वयं खरीदी हो, या अन्य किसी भी प्रकारमें प्राप्त हुई हो, उस सम्पत्तिको वही रखेगी। उस सम्पत्तिको दानमें देने, बेचने या आगे उत्तराधिकारमें देनेका उसका और केवल उसीका अधिकार रहेगा। इस प्रकार स्त्रीकी सम्पत्तिपर स्त्रीका परिपूर्ण (Absolute) अधिकार स्वीकार करनेके बाद अधिनियममें स्त्रीकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारियोंकी सूची दी गई है, जो पुरुषकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारियों की सूची से भिन्न है।

हिन्दू स्त्रीकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारी निम्न हो सकते हैं (१) लडके और लडकियाँ और पति—में सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। यदि कोई स्त्रीकी सम्पत्तिके लडका या लडकी अपने माता-पितामें पहले मर गया हो, तो उत्तराधिकारी पूर्व-मृत माता-पिताका हिस्सा पोते-पोतियोंमें बराबर-बराबर बँट जाएगा, (२) पतिके उत्तराधिकारी, (३) माता या पिता, (४) पिताके उत्तराधिकारी, (५) माताके उत्तराधिकारी।

हिन्दू-स्त्रीको मिली सम्पत्ति उन परिवारोंमें न जाने पाए जिन परिवारोंमें सम्पत्ति का जाना न्याय और युक्तिकी दृष्टिसे उचित न हो, इसके लिए कुछ खाम नियम बनाए गए हैं ताकि वह सम्पत्ति वापिस मूल परिवारमें ही आ सके। यदि किसी हिन्दू स्त्रीको अपने पिता या मातासे सम्पत्ति उत्तराधिकारमें मिली हो और वह अपने पीछे कोई लडका-लडकी या पोता-पोती बिना छोड़े मर जाए, तो भले ही उसका पति पीछे जीवित हो, किन्तु स्त्रीकी सम्पत्ति पतिको न मिलकर वापिस पितृकुलमें लौट जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी हिन्दू स्त्रीको अपने पति या बसुरसे सम्पत्ति उत्तराधिकारमें मिली हो, और वह स्त्री अपने पीछे कोई लडका-लडकी या पोता-पोती छोड़े बिना मर जाए, तो सम्पत्ति पति-कुलमें ही जाएगी, पितृकुलमें नहीं। ये विशेष नियम चल और अचल दोनों प्रकारकी सम्पत्तियोंके बारेमें लागू होते हैं।

सामान्य नियम उत्तराधिकारके सम्बन्धमें सामान्य नियम ये हैं

(१) उत्तराधिकारियोंमें सगे सम्बन्धियों को गैर-सगे सम्बन्धियोंकी अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी—चाहे अन्य सब दृष्टियोंमें उनका एक ही रिश्ता क्यों न हो। दो व्यक्ति तब सगे सम्बन्धी कहे जाते हैं जब वे उसी पत्नीसे समान पूर्वजोंके वंशज हों, और गैर-सगे तब कहलाते हैं जब उनके पूर्वज समान हो किन्तु वे भिन्न पत्नियोंकी श्रीलाद हो। (२) बिना वसीयत किए व्यक्तिकी मृत्युके समय माँके गर्भस्थ शिशुको भी उत्तराधिकार की दृष्टिसे वही अधिकार प्राप्त होगा, जो उसे मृत व्यक्तिकी मृत्युमें पूर्व जन्म लेनेपर होता।

उत्तराधिकारके अधिनियममें उत्तराधिकारियोंकी उन अनर्हताओंका भी उल्लेख आयोग्य है, जिनके कारण वारिस बननेका उन्हें अधिकार नहीं रहता। वे अनर्हताएँ ये हैं

(१) पुत्रकी विधवा पत्नी, पोतेकी विधवा पत्नी और भाईकी विधवा पत्नी उत्तराधिकारके योग्य नहीं रहते यदि उत्तराधिकारकी घोषणाके समय उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया हो। (२) हत्या करनेवाला व्यक्ति उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता जिसकी उसने हत्या की है। (३) जो व्यक्ति हिन्दू नहीं रहा उसके वच्चे उत्तराधिकारके योग्य नहीं रहते यदि उत्तराधिकारकी घोषणाके समय वे हिन्दू न हो।

कोई हिन्दू स्त्री परिवारके रहनेके पुश्तैनी मकानमे परिवारके अन्य सदस्योंके साथ यावज्जीवन रह सकती है, किन्तु उस मकानके बँटवारेकी मकान और तब तक माँग नहीं कर सकती जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी व्यवसाय स्वयं उस जायदादका बँटवारा न करना चाहे और इसमेंसे अपना हिस्सा न ले ले। जब किसी अचल सम्पत्ति या व्यवसाय का उत्तराधिकार किन्हीं दो व्यक्तियोंको मिलता है और उनमें से कोई एक व्यक्ति जायदाद या व्यवसायका अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तान्तरित करना चाहे, तो दूसरे व्यक्तिको यह अधिकार होगा कि वह उस हिस्से को खरीद ले। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि संयुक्त परिवारका पुश्तैनी मकान, जायदाद या व्यवसाय ज्योंके त्यों रह सके।

हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षता अधिनियम

हिन्दू समाजमें सुधारकी दृष्टिसे बनाया गया यह तीसरा अधिनियम है। इस अधिनियम द्वारा अल्पवयस्कता और संरक्षता सम्बन्धी हिन्दू कानूनमें सशोधन किया गया है। इस विषयमे यह अधिनियम पूरा नहीं है। यह एक तरहसे '१८६० के गार्जियन्स एण्ड वार्ड्स ऐक्ट' का पूरक है। इस अधिनियमको पूरी तरह समझनेके लिए १८६० के अधिनियमका पूरा पारायण आवश्यक है।

इस अधिनियमके वननेसे पूर्व अवस्था यह थी कि किसी हिन्दू नावालिकके स्वाभाविक संरक्षक को यह अधिकार था कि वह नावालिक की संपत्ति को गिरवी रख सकता था, बेच सकता था, या मनचाहा उपयोग कर सकता था। परन्तु अब इस अधिनियम द्वारा स्वाभाविक संरक्षकके अधिकारोंको सीमित कर दिया गया है।

अल्पवयस्कका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु पूरे १८ वर्षकी न हो। और परिभाषा संरक्षकका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अल्पवयस्क व्यक्तिकी, उसकी सम्पत्तिकी, या दोनोकी, देखभाल करता हो।

संरक्षक चार तरहके हो सकते हैं : (१) स्वाभाविक संरक्षक, (२) अल्पवयस्क के पिता या माता द्वारा बसीयतनामेमें नियुक्त संरक्षक, (३) अदालत द्वारा नियुक्त संरक्षक, और (४) कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा नियुक्त संरक्षक।

नावालिक लड़के और अविवाहित लड़कीका स्वाभाविक संरक्षक पिता होता है पिताके बाद माता स्वाभाविक संरक्षक होती है, किन्तु लड़के की आयु ५ वर्षकी होने तक ही माता संरक्षक मानी जाएगी। अबैध लड़के या अबैध अविवाहित लड़कीके लिए स्वाभाविक संरक्षक उनकी माता मानी जाएगी और माताके बाद पिता।

विवाह हो जानेपर विवाहित लडकीका स्वाभाविक सरक्षक उसका पति माना जाएगा ।

अधिनियमके अनुसार और किमीको भी स्वाभाविक सरक्षक स्वीकार नहीं किया गया । किन्तु ऊपर वर्णित स्वाभाविक मरक्षक भी स्वाभाविक सरक्षक नहीं रह सकते यदि वे हिन्दू न रहें, या वानप्रस्थी या सन्यासी बन जाएँ । सौतेला पिता या सौतेली माता स्वाभाविक सरक्षक नहीं बन सकते ।

इस अधिनियमके अनुसार स्वाभाविक सरक्षक अल्पवयस्कके लाभके या उसकी सम्पत्तिकी सुरक्षाके लिए जो कदम आवश्यक समझे, वह उठा सकता है, किन्तु अदालतकी पूर्व-अनुमति लिये बिना अल्पवयस्ककी अचल सम्पत्तिके किसी भी हिस्सेको वह न गिर्वी रख सकता है, न बेच सकता है, न हस्तान्तरित कर सकता है, न दान या उपहारमें दे सकता है । ५ वर्ष से अधिक समयके लिए या अल्पवयस्क व्यक्तिके वयस्कता-प्राप्तिके बाद एक वर्षसे अधिक समय तकके लिए वह अचल सम्पत्तिके किसी भी भागको पट्टेपर भी नहीं दे सकता । अदालत भी इस प्रकार के किमी कदमकी तब तक अनुमति नहीं देगी जब तक उसे यह तसल्ली न हो जाए कि वह कदम अल्पवयस्क व्यक्तिके हितमें है ।

हिन्दू पिता अपनी अल्पवयस्क वैध सन्तानके लिए वसीयतनामे द्वारा सरक्षक नियुक्त कर सकता है । किन्तु पिता यदि मातासे पहले मर जाए, तो यह नियुक्ति कार्यान्वित नहीं होगी । अलवत्ता यदि माता अपने वसीयतनामे द्वारा किसी व्यक्तिको सरक्षक नियुक्त किए बिना मर जाय तो पिता द्वारा नियुक्त सरक्षक ही अल्पवयस्क सन्तानका रक्षक रहेगा । कोई हिन्दू विधवा या हिन्दू माता भी अपनी अल्पवयस्क सन्तानकी रक्षाके लिए वसीयतनामे द्वारा सरक्षक नियुक्त कर सकती है ।

इस प्रकार नियुक्त सरक्षकको अल्पवयस्क के पिता और माताकी मृत्यु के बाद स्वाभाविक सरक्षकके सब अधिकार प्राप्त हो जाएँगे । किन्तु यदि वह अल्पवयस्क लडकी हो, तो उसके विवाहके बाद सरक्षकका अधिकार समाप्त समझा जाएगा ।

अठारह वर्षसे कम आयु का कोई भी व्यक्ति किमी अल्पवयस्कका सरक्षक नहीं बन सकता ।

इस अधिनियमके लागू होनेके बाद कोई भी व्यक्ति केवल सरक्षक होने मात्रमें किसी अल्पवयस्ककी सम्पत्तिके साथ मनचाहा सलूक नहीं कर मकेगा । जहाँ सम्पत्ति मयुक्त परिवारकी हो और वह सपत्ति परिवारके किमी वयस्क मदस्यके प्रवन्धाधीन हो, वहाँ अविभक्त सम्पत्तिमें अल्पवयस्क व्यक्तिके हितोकी रक्षाके लिए कोई मरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

हिन्दू दत्तक ग्रहण और निर्वाह अधिनियम

हिन्दुओंमें गोद लेने और निर्वाह-व्यय आदिके सम्बन्धमें वर्तमान प्रणानियोंके एकीकरणके लिए यह अधिनियम बनाया गया है । इस अधिनियमके बन जानेके

वाद इससे पूर्व के इस सम्बन्धके सभी कानून अकार्यकारी
पूर्वावस्था व उद्देश्य होंगे। इस अधिनियमके बनने से पूर्व हिन्दू समाज में
लड़कीको गोद लेनेकी या पत्नी द्वारा पतिको निर्वाह-व्यय

मिलने की व्यवस्था नहीं थी।

जब तक कोई व्यक्ति गोद लेनेका अधिकारी न हो, गोद देनेवाला गोद देनेका अधि-
कारी न हो, और जिस व्यक्तिको गोद लिया जाता है, वह गोद लिए जानेका पात्र न हो,
तब तक कोई भी दत्तक ग्रहण वैध नहीं माना जाएगा।

कोई भी हिन्दू वयस्क पुरुष किसी भी लड़की या लड़केको गोद ले सकता है। पत्नी
यदि जीवित हो, सन्यासिनी न बन गई हो और हिन्दू धर्मको छोड़ न वैठी हो तो उसकी
सहमति अनिवार्य है। (यदि गोद लेनेके समय किसी व्यक्तिकी अनेक पत्नियाँ मौजूद
हो तो सभी पत्नियोंकी सहमति आवश्यक है।)

कोई भी हिन्दू वयस्क स्त्री, जो विवाहित न हो, या विवाहित हो तो विवाह भंग हो
चुका हो या पति मर चुका हो या सन्यासी बन गया हो या हिन्दू न रहा हो, किसी भी लड़के
या लड़की को गोद ले सकती है।

वच्चेके पिता या माता या संरक्षकके सिवाय और किसीको उसे गोददेनेका अधिकार
नहीं है। गोद देनेका मूल अधिकार पिताको ही है और उसे गोद देनेसे पहले पिताको

दत्तक देने के वच्चेकी माताकी स्वीकृति लेनी होगी। पिताकी मृत्युके
अधिकारी के बाद माता भी अपने वच्चेको गोद दे सकती है। जब
पिता या माता दोनों न रहें, तब वच्चेका संरक्षक भी उसे

गोद दे सकता है। किन्तु संरक्षकको इसकी अनुमति देनेसे पूर्व न्यायालय यह देख लेगा
कि इस प्रकार गोद दिया जाना वच्चेके हितमें है और संरक्षक किसी रूपमें पैसेके प्रलोभनसे
ऐसा नहीं कर रहा है।

कोई भी गैर-हिन्दू लड़का या लड़की गोद नहीं लिये जा सकते यदि पहलेसे किसीने

दत्तक बनने के उनको गोद ले रखा हो। यदि वे विवाहित हो, या उनकी
आयु १५ वर्षकी न हुई हो, तब भी वे गोद नहीं लिये जा सकते।
अधिकारी किन्तु यदि समाजके किसी वर्गमें वैसी प्रथा हो और वह प्रथा
जन-सामान्यमें प्रचलित हो, तो विवाहित लड़का-लड़की या १५ वर्षसे कम आयु के लड़का-
लड़की भी गोद लिये जा सकते हैं।

गोद लेनेकी अन्य शर्तें ये हैं :—(१) लड़का गोद तभी लिया जा सकता है जब
गोद लेनेवाले पिता या माताका कोई लड़का या पोता या
अन्य शर्तें पड़पोता न हो। (२) लड़की गोद तभी ली जा सकती
है जब गोद लेनेवाले की कोई लड़की, या पोती न हो।

(३) यदि कोई पुरुष किसी लड़कीको गोद लेता है, तो गोद लेनेवाले पुरुषकी आयु गोद
ली गई लड़कीकी आयुसे २१ वर्ष अधिक होनी चाहिए। (४) यदि कोई स्त्री किसी
लड़केको गोद ले तो स्त्रीकी आयु लड़केकी आयुसे २१ वर्ष अधिक होनी चाहिए। (५)
एक ही वच्चेको दो या अधिक व्यक्ति एक साथ गोद नहीं ले सकते। (६) गोद लिए
जानेवाले वच्चेके माता-पिता वच्चेको उसके जन्मवाले परिवारमें न रखकर उसे गोद
लेनेवाले परिवारको वस्तुतः सौंप देंगे।

गोद लिया हुआ बच्चा गोद लेनेवाले माता-पिताकी ही सन्तान माना जाएगा और जन्मके कुलसे उसका सम्बन्ध विच्छिन्न समझा जाएगा ।

यदि कोई विधुर या बर्बारा व्यक्ति किसी बच्चेको गोद ले, तो पत्नी गोद लिये बच्चे की सौतेली माता मानी जाएगी । और यदि कोई विधवा या अविवाहित स्त्री किसी बच्चेको गोद ले और दादमें स्त्री विवाह करले तो उसका पति गोद लिये बच्चेका सौतेला बाप माना जाएगा ।

गोद लेने या देनेके सम्बन्धमें रुपये-पैसेके प्रलोभनको रोकनेके लिए अधिनियममें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि गोद देनेवाला किसी प्रकार कुछ प्रतिबन्ध का रुपया-पैसा नहीं ले सकता, न ही गोद लेनेवाला कोई रुपया-पैसा दे सकता है । यदि इस प्रतिबन्धका पालन न किया गया तो ६ मास तक के कारावाग की, या जुमानेकी, या दोनोंकी सजा मिल सकती है । किन्तु राज्य सरकारकी स्वीकृतिके बिना इम प्रकारकी सजा नहीं दी जा सकती ।

कोई भी हिन्दू पत्नी, चाहे उसका विवाह इम अधिनियम बननेके बाद हुआ हो चाहे पहले, अपने जीवन-कालमें अपने पतिसे निर्वाह-व्यय पानेकी अधिकारी है । इसका अर्थ यह है कि पत्नीके लिए कपडो, निवामस्थान, शिक्षा और बीमार पडनेपर चिकित्साकी व्यवस्था करना तथा इन सब पर होनेवाले व्ययको वहन करना पतिका कर्तव्य है ।

यदि पतिने पत्नीको बिना युक्तियुक्त कारणके छोड़ रखा है, या पतिने उसके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया हो कि पत्नीका पतिके साथ रहना हानिकारक हो, या पति मन्त्रामक कुष्ठ रोगमें पीडित हो, या उसकी कोई दूसरी पत्नी जीवित हो, या पतिने इमी घरमें कोई अपनी रखेल रख छोडी हो, या घरके बाहर किसी रखेलके पास वह रहता हो, या उसने हिन्दू धर्मका परित्याग कर दिया हो, तो पत्नी अपने पतिसे अलग रहनेकी और उसमें निर्वाह-व्यय पानेकी अधिकारी है । किन्तु यदि पत्नी दुराचारिणी हो या हिन्दू-धर्म छोडकर किसी अन्य धर्मको ग्रहण कर ले, तो वह पतिसे अलग रहने या उममें निर्वाह-व्यय पानेकी अधिकारी नहीं है ।

लडकेके मर जानेपर उसकी विधवा पत्नी या पुत्रवधूके निर्वाहकी जिम्मेदारी उमके पुत्रवधू का निर्वाह स्वमुरके ऊपर है । किन्तु यदि पुत्रवधूके पाम स्वय कोई आजीविकाका साधन हो, या वह अपने पति या पिता या माता की सम्पत्तिमें से अपना निर्वाह कर सकती हो, या उसके पुत्र और पुत्री उमकी महायता करते हो, और सम्मिलित जायदादने स्वमुरको इतनी आमदनी न हो कि वह निर्वाह-व्यय दे सके, तो पुत्रवधूको निर्वाह-व्यय नहीं मिलेगा ।

प्रत्येक हिन्दूकी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने वैध या अवैध बच्चोंकी और अपने बूढे माता-पिताकी अपने जीवनकाल तक परवरिश करे । प्रत्येक वैध या अवैध बच्चा, जब तक वह १८ सालका नहीं हो जाता, अपने माता-बच्चों और बूढो का निर्वाह पिता ने अपने निर्वाहकी मांग कर सकता है । यदि किसीके बूढे माता-पिता अपनी कमाईने या किसी अन्य जायदादने अपना निर्वाह करनेमें समर्थ न हो, तो उनके निर्वाहकी व्यवस्था

करनी होगी । यदि कोई अविवाहित लड़की हो और वह अपना गुजारा करनेमें असमर्थ हो, तो माता-पिताको उसके गुजारेका भार उठाना होगा । लड़कीकी शादी के समय होनेवाला आवश्यक खर्च भी माता-पिताको उठाना होगा और वह खर्च निर्वाह-व्ययमें शामिल माना जाएगा ।

सम्पत्तिके उत्तराधिकारियोंको मृत हिन्दूके आश्रितोंके पालन-पोषणका व्यय भी उठाना पड़ेगा ।

ऊपर जिन-जिनके निर्वाहकी जिम्मेदारीकी चर्चा की गई है, यदि उनमेंसे कोई भी अपने निर्वाहके लिए व्ययकी माँग करे तो वह राशि कितनी होनी चाहिए—इसका फैसला अदालत करेगी । परन्तु इस राशि का निर्णय करते समय अदालत दोनों पक्षोंकी आर्थिक और सामाजिक स्थितिका, अलग रहनेके दावेके औचित्यका

निर्वाह की राशि

और दावेदारकी सम्पत्तिके मूल्यका ध्यान रखेगी । अदालतके द्वारा एक बार राशिका निर्णय हो जानेके पश्चात् यदि परिस्थितियोंमें महत्वपूर्ण हेर-फेर हो जाए तो वह राशि भी कम या अधिक हो सकती है ।

हिन्दू धर्मका परित्याग करनेके वाद कोई भी व्यक्ति निर्वाह व्यय पानेका अधिकारी नहीं रहता ।

भविष्य

हिन्दू समाजमें सुधार करनेकी भावना से प्रेरित होकर बनाए गए उक्त चारो कानूनोका ऊपर हमने विवरण दिया है । इनमेंसे हरेक कानूनके बननेसे पूर्वकी अवस्थाका और कानूनके अमलमें आनेके वाद होनेवाले परिवर्तनका हमने यथास्थान उल्लेख किया है । किन्तु इन नए कानूनोंमें तलाककी व्यवस्था और कन्याको उत्तराधिकार—ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो हिन्दू कानूनमें क्रांतिकारी परिवर्तन करनेवाले हैं और इनपर लोकसभा में भी गरमागरम बहस हुई है । जब एक बार देशके संविधानमें स्त्री और पुरुषको बराबरीका दर्जा दे दिया गया, तो हिन्दू कानूनमें इस प्रकारके परिवर्तन अवश्य-म्भावी थे ।

तलाकके सम्बन्धमें सबसे बड़ी आपत्ति यह की जाती है कि इस व्यवस्थासे तलाककी संख्या बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवनकी मधुरता नष्ट हो जाएगी किन्तु जिन राज्योंमें कई वर्ष पूर्वसे तलाककी छूट थी, उनके अनुभवसे इस बातकी पुष्टि नहीं होती । इसके विपरीत उन राज्यों के अनुभवोंसे यह पता लगता है कि इस व्यवस्था का अधिकतर उपयोग कष्टपीडित स्त्रियोंने ही किया है । हिन्दू समाजकी वर्तमान दशामें यह स्वाभाविक भी है ।

तलाक के गुण-दोष

विवाहकी अविच्छेद्यता एक उदात्त आदर्श होते हुए भी जब स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध विवाहकी पवित्रताको कलंकित करनेवाला बन जाए तब भी उन्हें एकत्र बाँधे रखना उनपर ज़बरदस्त अत्याचार करना है । जीवनको सुखमय बनाना और दुःखमय विवाहोंसे मुक्ति दिलाना ही इस व्यवस्थाका उद्देश्य है ।

तलाकसे भी कहीं अधिक क्रांतिकारी व्यवस्था है कन्याओंको उत्तराधिकार देनेकी । यह भी स्त्री-पुरुषकी समानताका ज़रूरी परिणाम है । जो स्त्री

पुरुषकी अर्वांगिनी कहलाती है, उसका पति की सम्पत्ति कन्या को उत्तराधिकार पर कोई अधिकार न हो, यह कैसी विचित्र बात है ? इनी के गृण-दोष प्रकार जो माता अपने पुत्रके लिए बडेसे बडा वलिदान कर सकती है, वह पुत्रकी सम्पत्तिमें जरा-सा भी हिस्सा न पाए और सदा मुहताज ही बनी रहे, यह कितनी अगोभनीय बात है ? जो अधिनियम बनाया गया है, उसमें लडके और लडकीका हिस्सा बराबर रखा गया है । इस विषयमें मुख्य आपत्ति यह की जाती है कि वहनको सम्पत्तिमें हिस्सा मिलनेसे भाई और वहनका प्रेम समाप्त होजाएगा । परन्तु जो प्रेम हिस्सा बँटानेसे काफूर हो जाता हो, वह भी कोई प्रेम है ? दूसरी आपत्ति यह की जाती है कि लडकियाँ अनपढ होनेसे सम्पत्तिका दुरुपयोग करेंगी । परन्तु यही दलील अनपढ लडकोकोके लिये क्यों नहीं दी जाती ? क्या लडके अनपढ नहीं होते ? और सब पढे-लिखे भी सम्पत्तिका सदुपयोग ही करेंगे इमकी क्या गारण्टी है ? फिर यदि दुरुपयोगकी बात मान भी ली जाए, तो इनी हेतुसे किसीको उसके अधिकारसे वचित करना न्यायकी बात नहीं है ।

लडकीको पिताकी सम्पत्तिमें, स्त्रीको पतिकी सम्पत्तिमें, और माताको पुत्रकी सम्पत्ति में अधिकार मिलना कुछ भी अनुचित नहीं है । किन्तु विवाहित लडकीको पतिकी सपत्तिमें अधिकार मिले या पिताकी सपत्तिमें—यह मुख्य विवादका प्रश्न है । और इस विषयमें बनाए गए अधिनियममें विवाहित लडकीको पिता और पति दोनोंकी सम्पत्ति में अधिकार दिया गया है । शायद कानून बनानेवालेके मनमें यह बात थी कि जब एक बार लडकीका सम्पत्तिपर अधिकार स्वीकार कर लिया तो फिर सम्पत्ति-सम्पत्तिमें भेद क्यों किया जाए । लडकीका सभी प्रकारकी सम्पत्तिपर अधिकार होना चाहिए—फिर चाहे वह पतिकी हो, चाहे पिताकी ।

बहरहाल, इन अधिनियमोके बननेसे हिन्दू-कानूनमें जो मुधार हुए हैं, उनका परिगणन हम इस प्रकार कर सकते हैं—जातीयता खत्म हो गई, बाल-विवाह और बहु-विवाहकी समाप्ति हो गई, तलाककी व्यवस्था हो गई, स्त्रीको सम्पत्तिमें अधिकार मिल गया, तथा कन्याको गोद न लिये जानेकी बाधा हट गई । जिन रुद्धियोंके अभिशापके नीचे समाज सदियोंसे कराह रहा था उनपर कठोर कुठाराघात हुआ है । और आगामी एक दशक या चौथाई सदीके पश्चात् आनेवाला समाज वर्तमान समाजसे कई दृष्टियोंमें सर्वथा भिन्न समाज होगा ।

— ०. —

चातुर्वर्ण्य का इतिहास

अपि इस समय हिन्दुओंमें कई सहस्र जातियाँ और उपजातियाँ हैं पर यह सब चातुर्वर्ण्य विभागका ही दुष्परिणाम है। आर्योंकी सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। उसमें कहीं भी ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण या वैश्य वर्ण लिखा नहीं मिलता। इन तीनों को बहुत बादमें स्मृतियों ने ही “वर्ण” का नाम दिया है। वेदमें वर्ण शब्द मिलता अवश्य है, पर इसका प्रयोग केवल “आर्य” और दासके साथ ही हुआ है।* जैसे—

यो दास वर्णमघरं गुहाऽक. । ऋ २ १२.४

अर्थात्—जो दास वर्ण को नीचे गुफामें डालता है।

हत्वी दस्यून् आर्य वर्णमावत् । ऋ ३ ३४. ६.

अर्थात्—दस्युओं को मारकर आर्य वर्णकी पूरी-पूरी रक्षा करता है।

इतना ही नहीं वेदमें वर्णोंकी संख्या भी चार कहीं नहीं बताई गई। उसमें “चातुर्वर्ण्य” भी लिखा नहीं मिलता; हाँ, दो वर्ण अवश्य कहा गया है।

जैसे—

उभौ वर्णावृषिरुग्र. पुषोष । ऋ: १ १७६. ६

अर्थात्—उग्र ऋषिने “दोनों वर्णों” को पुष्ट किया।

कुछ लोग ऋग्वेदके दसवें मण्डलका निम्नलिखित मंत्र—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यःकृतः ।

उरु तदस्य यद्वैश्य. पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥६०, १२

पेश करके कहते हैं कि वेदमें चार वर्ण हैं, पर इस मंत्रका अर्थ तो केवल इतना ही है कि उस (प्रजापति) के मुख ब्राह्मण, बाहू क्षत्रिय, उरु वैश्य थे और पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए। इस मंत्रमें वर्ण शब्द कहीं ही नहीं। ऐतिहासिक पण्डितोंका मत है कि ऋग्वेद का दसवाँ मण्डल अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। इसके अतिरिक्त उज्ज्वल और महीधर आदि भाष्यकारोंने इसमें समाजका नहीं, यज्ञका वर्णन माना है।

* बौद्धोंके ग्रंथ मज्झिम निकाय ६३ में भी लिखा है—“हे आश्वलायन, क्या तुमने सुना है कि यवन, कम्बोज और दूसरे सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते हैं—आर्य और दास। आर्य दास हो सकता है और दास भी आर्य हो सकता है।”

इसमें सदेह नहीं कि वेदमें मनुष्य-समाज कही-कही दो भागोंमें बटा मिलता है (जैसे कि आर्य और शूद्र^१ या आर्य और दास^२ या दस्यु^३), कही चारमें, कही पाँचमें^४, कही छ में^५ और कही बीसियों^६ जातियोंमें। पर वेद वर्ण केवल उपर्युक्त दो ही कहता है। कुछ लोगोकी धारणा है कि “पंचजना” का अर्थ निरुक्तके अनुसार चार वर्ण और पाँचवाँ निपाद है।

इस संबंधमें एक बातका स्मरण रखना चाहिए। निरुक्तकार यास्क वैदिक काल के बहुत पीछे हुआ है। उसे निश्चित रूपसे पता न था कि यह शब्द वैदिक कालमें किन अर्थोंमें प्रयुक्त होता था। इसीलिए उसने इस विषयमें भिन्न-भिन्न प्रचलित मत दे दिये हैं। निरुक्त का पाठ इस प्रकार है—

गन्वर्वा पितरो देवा असुरा रक्षामीत्येके

चत्वारो वर्णा, निपाद. पचम इत्यौपमन्यव । (निरुक्त, ३-७)

अर्थात् पंचजन के सब में अनेक मत है। कुछ लोग कहते हैं कि गधर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस ये पाँच पंचजन हैं। पर औपमन्यवाचार्य का मत है कि चार वर्ण और पाँचवाँ निपाद, यह पंचजन है।

आदि कालमें चार वर्णोंका वांट नहीं था। यह विभाजन पीछेसे किया गया, इसके प्रमाण महाभारत और पुराणोंमें भी मिलते हैं। उनमें से कुछ आगे दिये जाते हैं —

एक एव पुरा वेद प्रणव सर्वागमय ।

देवो नरायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण एव च ॥४॥

—श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध १।१४

श्रीधर स्वामी इसका अर्थ यह करते हैं कि पहले सर्ववागमय प्रणव (ओकार) ही एकमात्र वेद था। एकमात्र देवता नरायण थे, और कोई नहीं। एकमात्र लौकिक अग्नि ही अग्नि और एकमात्र हंस ही एक वर्ण था। पुराणमें कहा है कि प्रारभमें मनुष्यकी एकमात्र जाति हंस* थी।

महाभारत कहता है —

एक वर्णमिद पूर्वं विश्वमासीद् युधिष्ठिर ।

कर्म क्रिया विभेदेन चातुर्वर्ण्यं प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थात्—हे युधिष्ठिर, इस जगत में पहले एक ही वर्ण था। गुण-कर्मके विभागसे पीछेसे चार वर्ण स्थापित किये गये।

१. तथाऽहं सर्वं पश्यामि यश्च शूद्र उतार्यः (अथर्व ४-२०-४)

अर्थात्—मैं सबको देखता हूँ जो शूद्र है और जो आर्य है।

२. त्वताइन्द्रोभयांश्रभिजानु दासवृत्राण्यार्या च शूर (ऋ० ६-३३-३) ..

अर्थात्—हे शूर इन्द्र, रुकावट डालनेवाले दोनो प्रकारके शत्रुओंको, दासको और आर्योंको तूने मारा।

३. न यो र आर्यं नाम दस्येव (ऋ० १०-४६-३)

अर्थात् जिसने आर्य नाम दस्युको नहीं दिया।

४. जंसा कि वेदके “पंचजना.” “पंचकृष्टय.” और पंचमानव आदि शब्दोंसे प्रकट है।

५. यजु २६-२

६. यजु, अथ्याय ३० मंत्र ५-६।

* आदौ कृतयुगे नृणा हंस इतिस्मृतम् ।

वही महाभारत फिर कहता है—

न विशेषोऽस्ति वर्णाना सर्वं ब्राह्म मिदं जगत्

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णता गतम् ॥

अर्थात्—वर्णोंमें कोई भी वर्ण किसी प्रकारकी विशेषता नहीं रखता क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्ममय है। पहले सबको ब्रह्माने ही उत्पन्न किया है। पीछे कर्मोंके भेदसे वर्णोंकी उत्पत्ति हुई।

फिर वायुपुराण' कहता है—

“सत्युगमें कर्म-भेद, वर्ण-भेद और आश्रम-भेद न था। त्रेता युगमें मनुष्यों की प्रकृतियाँ कुछ भिन्न-भिन्न होने लगी। कर्म, वर्ण, आश्रम-भेद आरम्भ हुए। तदनुसार शान्त, शुष्मा, कर्मी और दुखी ऐसे नाम पड़े। द्वापर और कलियुगमें प्रकृति-भेद और भी अभिव्यक्त हुआ। तदनुसार क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र नाम पड़े।”

महाभारत के शान्तिपर्व मोक्ष धर्म ४२।१७७ में इस प्रकार लिखा है—

प्रश्न—हे भृगु मुनि, काम, क्रोध, लोभ, भय, चिन्ता, क्षुधा और श्रम आदि बातें हम सब में एक सी हैं, तब वर्णका भेद क्यों मानते हैं ?

पत्नीना, भूख, शौच, कफ, पित्त और रक्त सबके शरीरमें रहते हैं। तब एक वर्ण दूसरे वर्णसे अलग क्यों माना जाता है ?

उत्तर—इसपर भृगु ऋषि बोले—(पहले) एक ब्राह्मण ही वर्ण था। इसलिए (इस समय दिखाई देनेवाले भिन्न-भिन्न) वर्णोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं। पहले-पहल ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए हुए एक ही वर्णके लोग विभिन्न कर्मोंके कारण भिन्न-भिन्न वर्णों को प्राप्त हुये हैं।

फिर भविष्य महापुराणके ब्रह्म पर्व, अध्याय ४२ में लिखा है—

“यदि एक पिताके चार पुत्र हैं, तो उन चारोंकी एक जाति होनी चाहिये। इसी प्रकार सब लोगोका पिता एक परमेश्वर ही है। इसलिए मनुष्य-समाजमें जाति-भेद है ही नहीं। जिस प्रकार गूलरके पेड़में अगला भाग, मध्यका भाग और जड़का भाग—तीनोंमें एक ही वर्ण और आकार के फल लगते हैं, उसी प्रकार एक विराट पुरुष परमेश्वरके मुख, दाह, पेट और पैरसे उत्पन्न हुए मनुष्योंमें (स्वाभाविक) जाति-भेद कैसे माना जा सकता है ?”

भविष्य पुराण (अध्याय ४) कहता है—

तस्मान्न गोऽश्ववत् किञ्चिज्जाति भेदोऽस्ति देहिनाम्

कार्यभेदनिमित्तेन सकेत. कृत्रिमः कृत ।

* अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः शुभ पापयोः

वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च तदाऽऽसन्न संकरः

त्रेतायुगे त्वविकलः कर्मारम्भः प्रसिध्यति

वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां तु प्रकीर्त्तिताः ।

शान्ताश्च शुष्मिणश्चैव कर्मिणो दुखिनस्तथा ॥

ततः प्रवर्तमानास्ते त्रेतायां जज्ञिरे पुनः ।

—वायुपुराण ८, ३३, ४६, ५७ आदि अध्याय

अर्थात् मनुष्योंमें गाय और घोड़े जैसा कोई जाति-भेद नहीं । यह कामके भेद वनावटी* सकेत किये गये हैं ।

इतना ही नहीं विष्णु पुराण (अग्न ४, ७, १) कहता है ।

गृत्समदस्य गौनकञ्चातुर्वर्ण्यं प्रवर्त्तयिताऽभूत् ।

अर्थात्—गृत्समदके पुत्र शौनकने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था प्रवर्त्तितकी ।

इसी पुराणमें दूसरी जगह कहा है—

भार्गस्य भार्गभूमि अतञ्चातुर्वर्ण्यं प्रवृत्ति । (चतुर्य अग्न ७-६)

अर्थात्—भार्गसे भार्गभूमि उत्पन्न हुए, उनसे चातुर्वर्ण्य प्रवर्त्तित हुआ । महर्षि जैमिनिका कहना है कि सृष्टिके आदिमें पहले चतुर्मुख (ब्रह्मा) ने ब्राह्मण ही बनाए, फिर दूसरे वर्ण उन्हीं ब्राह्मणोंके वशमें अलग-अलग उत्पन्न हुये—

ससर्ज ब्राह्मणावग्रे मृष्ट्यादौ स चतुर्मुख

सर्वे वर्णा पृथक् तेषा वेगेषु जनिरे । पद्मपुराण (उत्कल खड, ३७, ४४)

हरिवंश पुराणमें भी कहा है—

पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य गौनका ।

ब्राह्मणा क्षत्रियाश्चैव वैश्या शूद्रास्तथैव च । (२६ अध्याय १५, १६, २०)

अर्थात् गृत्समदके पुत्र शुनक हुए । शुनकने शौनक कहलानेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुतसे पुत्र उत्पन्न हुये ।

इसके विपरीत बृहदारण्यक उपनिषद् कहता है कि पहले क्षत्रिय उत्पन्न हुये । उन्हीं के वशज वादको दूसरे वर्ण हुए ।

उपनिषद्के शब्द हैं —

“ब्रह्म वा इदमग्र आसीद् एकमेव तदेक सन्नव्यभवत् तच्छ्रेयोऽरुपमत्यमृजत क्षत्रम्” । (१, ४, ११)

प्राग्भ्रममें वर्ण-भेद न होनेका पता इस बातसे भी लगता है कि उपनिषद्, रामायण और महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथोंमें किमी भी नामके साथ शर्मा, वर्मा और गुप्त आदि वर्ण-सूचक शब्द लगे नहीं मिलते ।

महाभारतमें कृतवर्मा और महाभाष्यमें इन्द्रवर्मा नाम मिलता है । पर वहाँ “वर्मा” वर्ण-व्यवस्थाका द्योतक नहीं, वरन् वह नाम है जैसे—आजकल श्रीराममें “श्री”, रामजीदासमें “जी” और भगवानदासमें “भगवान” नामका ही अग्न है ।

ऐसा जान पडता है कि आदि कालमें मनुष्य-समाज गगोत्रीके निकट गगा-जलके समान निर्मल था । लोग सात्त्विक, सरल, सदाचारी और शुद्ध-हृदय थे । पहले मनुष्योंकी सख्या बहुत कम थी और खान-पानकी सामग्री प्रचुर थी । लोग फन-फून खाकर सहजमें पेट भर लेते थे । कालान्तरमें यह समाज वैसा शुद्ध, निर्व्याज और सरल न रह सका । तब अपनी-अपनी प्रकृति, रुचि और योग्यताके अनुसार लोग विभिन्न कार्य करने लगे । जैसे आजकल नाना प्रकारके व्यवसाय देखनेमें आते हैं, वैसे उस समय नहीं थे । उस समय कुछ लोग गाय आदि पशु चराते थे, कुछ दायुओंमें समाज की रक्षा करते थे और कुछ बालकोंको पटाते थे । इस प्रकार ये सब लोग मिलकर एक दूसरेकी आवश्यकताओंको पूरा करते थे । जो लोग गैती-वाडी करते और पशु चराने

थे, उनको उस समयकी भाषामें वैश्य कहा जाता था । जो शत्रुओंसे लड़ते-भिड़ते थे, वे क्षत्रिय कहलाते थे और जो पठन-पाठनका काम करते थे, उनका नाम ब्राह्मण था । कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी यह वाँट जन्मपर नहीं, कर्मपर थी । वर्तमान हिन्दू समाजमें जो वर्ण-भेद है, वह कामकी वाँट नहीं काम करनेवालोंकी वाँट है । इसमें व्यक्तिकी योग्यताका विचार न करके केवल जन्मसे किसी को ब्राह्मण का काम और किसीको भगीका काम करनेपर वाच्य किया जाता है । इसलिए उस पुरातन कालसे यह विलकुल उल्टा है । जैसे यूरोप और अमेरिकामें कोई अध्यापक, कोई सैनिक और कोई व्यापारी है और वह जन्मसे नहीं, वैसे ही उस कालमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि सांकेतिक नाम थे । कामकी वाँट होनेपर भी उन लोगोमें ऊँच-नीचका कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ था । अतएव वेद कहता है—

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधुः सौभगाया । ऋग्वेद, ५-५-६०
अर्थात् तुममें न कोई उच्च है और न ही कोई नीच । तुम सब भाई हो । इसलिये भाइयोंकी भाँति अपने-अपने भागमें उन्नतिशील बनो ।

विभिन्न काम करनेवाले लोग एक ही घरमें इकट्ठे रहते थे ।

वेद कहता है—

कारूरह ततो भिपगुपलप्रक्षिणां नना ।

नानाधियो वसूयवोऽनु इव तस्थिभेन्द्रायेन्दो परिस्त्रव । ऋग्वेद, ६-११२-३६
अर्थात्—मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता चक्कीसे अनाज पीसती है । विभिन्न व्यवसायोमें लगकर हम लोग धन और आनन्द खोजते हैं, जिस प्रकार गौएँ मैदानों में अपना-अपना भोजन खोजती हैं ।

आजके हिन्दू समाजमें विभिन्न वर्णों और जातियोंके लोग परस्पर रोटी-ब्रेटी व्यवहार नहीं करते । इससे उनका धर्म डूब जाता है और उनकी जाति चली जाती है । पर उस पुरातन कालमें ऐसी बात न थी । व्यवसायके कारण विभिन्न नामोंसे पुकारे जाने पर भी वे आपसमें ब्रेटी-व्यवहार करते थे । ऐसे विवाहोके कुछ उदाहरण आगे दिये जाते हैं । पहले अनुलोम अर्थात् कथित ऊँचे वर्णके पुरुषका कथित नीच वर्णकी स्त्रीके साथ विवाह लीजिए :—

१. शुक्राचार्य ब्राह्मणने राजा प्रियव्रत क्षत्रियकी पुत्री उर्जस्वतीसे विवाह किया ।

२. श्रृंगी ब्राह्मणने राजा लोमपादकी पुत्री (और राजा दशरथकी गोद ली हुई पुत्री) शान्तासे विवाह किया ।

३. यमदग्नि ब्राह्मणने सूर्यवंशी राजा प्रसेनजितकी कन्या रेणुकासे विवाह किया । इन्हेंके पुत्र परगुराम थे ।

४. ऋचीक ब्राह्मणने राजा गाधि क्षत्रियकी कन्या सत्यवतीसे विवाह किया ।

५. पिप्लदा ब्राह्मणने क्षत्रिया पद्मासे विवाह किया (शिवपुराण, उत्तरार्द्ध, अध्याय २०)

६. अगस्त्य ब्राह्मणने क्षत्रिया लोपामुद्रासे विवाह किया ।

७. रथिक्व ब्राह्मणने राजा जानश्रुतिकी कन्या से ।

८. सौभरि ब्राह्मणने राजा माँचाता क्षत्रिय की कन्यासे ।

६ विश्वामित्रने देवलोककी अप्सरा मेनकासे शकुन्तला उत्पन्न की। शकुन्तला का विवाह राजा दुष्यन्तसे हुआ। उनका पुत्र भरत हुआ। इसी भरतके नामसे इस देशका नाम भरतखंड पडा। (भागवत पुराण, स्कंध ४)

१० भीमसेन ने हिडम्बा नामकी राक्षसीसे विवाह किया। उनका पुत्र घटोत्कच हुआ।

अब प्रतिलोम अर्थात् कथित नीच वर्णके उच्च वर्णकी स्त्रीके साथ विवाहके उदाहरण सुनिए —

१. राजा प्रियव्रत क्षत्रियने विश्वकर्मा ब्राह्मणकी बेटी वहिष्मतीसे विवाह किया। वायुपुराण (अध्याय २८) में लिखा है कि कर्दम ऋषि की कन्या काम्या (विष्णु पुराण में इसका नाम कन्या लिखा है) राजा प्रियव्रत (क्षत्रिय) को व्याही गई। काम्यासे प्रियव्रतको दस पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं। उन्होंने क्षत्रिय-वशका विस्तार किया।

२ राजा नपि क्षत्रियने शुक्राचार्य ब्राह्मणकी पुत्री कृत्वीसे विवाह करके ब्रह्मदत्तको जन्म दिया (भागवत पुराण स्कंध ६।२१)। इसी कुलमें मुद्गल उत्पन्न हुआ जिसके नामपर ब्राह्मणोका मौद्गल्य गोत्र चला।

३ राजा ययाति ने शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री देवयानी से विवाह किया। इनके पाँच पुत्र हुए।

४ प्रमत्ता ब्राह्मणीका विवाह एक नाईके साथ हुआ। इनके पुत्र मतग महामुनि थे। (महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय २२)

५ कर्दम ऋषिकी कन्या अरुन्वती और वेश्या* के पुत्र वसिष्ठ मुनिका विवाह हुआ। इनके पुत्रका नाम शक्तृ या शक्ति था। इसका विवाह चाण्डाल कन्या अदृश्यन्तीसे हुआ। इनका पुत्र पराशर था। (लिंग पुराण, पूर्वार्द्ध, अध्याय ६३ और शिव-पुराण, पूर्वार्द्ध खण्ड १ अध्याय १३)। पराशरने धीवर कन्या सत्यवतीसे वेदव्यास उत्पन्न किया। वेदव्याससे कौरव और पाण्डव हुए।

हम पीछे लिख आये हैं कि सत्युगमें कोई वर्णभेद और आश्रम-भेद न था और इसलिए वर्णसंकरता का प्रश्न ही उत्पन्न न होता था। कालान्तरमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दो भिन्न-भिन्न वर्ण प्रकट हुए। पर तब भी वे आजकलकी भाँति जन्मसे नहीं, वरन् कर्म से या चरित्रगत थे। ब्राह्मण कहलानेवाला व्यक्ति क्षत्रिय बन सकता था और क्षत्रिय कहलानेवाला ब्राह्मण। इस प्रकार वर्ण-परिवर्तन करनेवाले अनेक लोगोंके नाम पुराणोंमें मिलते हैं। उनमेंसे कुछ नाम आगे दिये जाते हैं। कैंवत (कहार) स्त्रीसे व्यामजी का जन्म है। शवपाक (चाण्डाल) स्त्रीमें पराशर मुनिका। शुकीसे शुक, अलूकीने

* उतासि मंत्रावरुणो वसिष्ठोर्वेश्या ब्रह्मन् मनसोर्धि जातः। ऋ० ७।३३।११.

अर्थात्—मंत्रावरुणके औरस और स्वर्गकी अप्सरा उर्वशीके गर्भसे वसिष्ठका जन्म हुआ।

गणिका-गर्भ-सम्भूतो वसिष्ठश्च महामुनिः

तपस ब्राह्मणोजातः संस्कारस्तत्र कारणम्।

—भविष्य पुराण, १, ४२, ४६

कणाद् और हिरनीसे शृंग ऋषि हुए । गणिका (वेश्या) से वसिष्ठ हुए । पर तपके प्रतापसे वे सब ब्राह्मण बन गये ।

वायुपुराणमें भी ऐसे महात्माओंकी एक सूची मिलती है, जिनका जन्म यद्यपि क्षत्रिय वशमें हुआ पर तपोबलसे वे ब्राह्मण बन गये । हरिवंश पुराण, अध्याय ३२ में कहा गया है—“एक ही भार्गव वशमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र (विभिन्न वर्णोंके) पुत्र उत्पन्न हुए । ऐतरेय अहिंदास शूद्रोंका पुत्र था । आगे चलकर वह वेदका जाननेवाला ब्राह्मण हुआ । उसने वेदके सम्बन्धमें ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ लिखा । वह इतर अर्थात् अब्राह्मणका पुत्र था । इसीलिए ऐतरेय कहलाया । मालूम नहीं, उसका पिता कौन था ।”

ब्रजसूची कहती है* कि जन्मसे मनुष्य शूद्र होता है, संस्कारसे ही वह द्विज कहलाता है; वेदाभ्याससे विप्र और ब्रह्मज्ञानसे ब्राह्मण बनता है । इसी प्रकार व्यास स्मृति कहती है—“काठका बना हाथी, चमड़ेका बना मृग और अपढ़ ब्राह्मण ये तीनों नाम मात्रके होते हैं ।”

ऊपर दिए वचनोंसे दो बातें सिद्ध होती हैं । एक तो यह कि आदिकालमें वर्ण-व्यवस्था जन्मसे नहीं वरन् गुण-कर्मसे थी और जैसा आजकल है, वैसा वर्णान्तर तब असंभव न था । तब शूद्र पिताके घर जन्म लेनेवाला बालक अपने उत्तम गुणोंके प्रतापसे ब्राह्मण हो सकता था और ब्राह्मण पिताके यहाँ जन्म लेनेवाला बालक अपने दुर्गुणी होनेसे शूद्र हो जाता था । दूसरी बात यह है कि महाभारत, पुराणों और स्मृतियोंके समयमें वर्णों का लचीलापन नष्ट होता जा रहा था और वर्ण जन्मसे ही माने जाने लगे थे । तभी तो इन पुस्तकोंमें कहनेकी आवश्यकता हुई कि अपढ़ ब्राह्मण काठके घोड़ेके सदृश केवल नाम का होता है या कुल और वीर्यसे कोई ब्राह्मण नहीं होता । बात वास्तवमें यह है कि आजकल के समाजवाद और साम्यवादके सदृश वर्ण-व्यवस्था भी एक प्रयोगमात्र था । खेद है कि वह बहुत बुरी तरह विफल हुआ ।

आरम्भमें समाजके सभी प्रकारके काम करने वालोंमें कोई ऊँचा या नीचा नहीं समझा जाता था । सभी काम प्रतिष्ठित और सभी लोग समान समझे जाते थे । वादको धार्मिक कृति और पूजा-पाठ करानेवालोंका पद बहुत ऊँचा समझा जाने लगा । इससे ब्राह्मण भी धीरे-धीरे अपनी उच्च स्थितिका अनुभव करने लगे ।

उन्होंने समझ लिया कि अनायास मिलते हुए पद और प्रतिष्ठाका परित्याग करना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं । अतएव अब वे लोग अपने प्रभुत्वकी धाक जमानेका प्रयत्न करने लगे । परन्तु क्षत्रिय लोग भी अपनेको तुच्छ माननेको कब तैयार थे ? इसलिए इसी बातको लेकर आपसका एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ । जब तक समाजमें जीवन और उत्साह बना रहा, वह पुरोहितशाहीकी जड़ोंपर कुल्हाड़ा चलाने और अपने छिने हुए अधिकारोंको फिरसे प्राप्त करने का बार-बार उद्योग करता रहा । रामायण और महाभारतमें भी ऐसे प्रयत्नोंकी बात पाई जाती है । फिर आगे चलकर बौद्ध धर्मका प्रवर्तन और प्रचार करके क्षत्रियोंने ब्राह्मणोंके प्रभुत्वको विलकुल जड़से उखाड़ फेंकने का पुनः प्रबल प्रयत्न किया । पर ब्राह्मणोंके चातुर्य और बुद्धिमत्ताके सामने उनकी

* जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते,

वेदाभ्यासाद् भवेद् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ।

एक न चली । अन्तमें सिर नवाना ही पड़ा । ब्राह्मणोंने स्वयं बुद्धको विष्णुका अवतार मान भारतमें बुद्ध धर्मकी कमर तोड़ दी और इस प्रकार ब्राह्मणी सत्ताने सारे भारत पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया ।

“महाभारत मीमांसा” के लेखकका मत है कि आरम्भमें क्षत्रियोने ब्राह्मणोंकी यह बात चलने न दी । वसिष्ठ और विश्वामित्रके विवादने प्रकट होता है कि क्षत्रियोने इसके वारेमें खूब झगडा किया । ब्राह्मणोंकी यह माँग थी कि ब्राह्मणका वेदा ब्राह्मण हो और क्षत्रिय का क्षत्रिय । पर विश्वामित्रकी माँग यह थी कि क्षत्रियके बेटेने यदि अपनी बुद्धि एवं योग्यताको बढा लिया हो, तो उसके ब्राह्मण होनेमें क्यो रुकावट है ? “महाभारत मीमांसा” के मतानुसार यह प्रतिस्पर्धा बहुत प्राचीन कालसे ही आरम्भ हो गई थी । विश्वामित्रकी कथा सूर्यवंशी क्षत्रियोंके समय और पञ्जाव प्रदेशकी है । पर फिर भी महाभारत-काल तक ब्राह्मणोंकी कट्टरता पूर्ण उन्नतिको प्राप्त नहीं हुई थी । अभी तक दूसरी जातियोंके लोग अपनी योग्यता, शालीनता और सदाचारके द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते थे । ऐतरेय ब्राह्मणमें वर्णित इलूपपुत्रके कवपकी कथा और छान्दोग्योपनिषद् में दी गई सत्यकाम जावालकी कथा इस सबधमें ध्यान देने योग्य है । महाभारत और रामायणका काल समाप्त होते ही हम जाति-वचनको सुदृढ और अटूट पाते हैं । महाभारतके पहले और बादकी सामाजिक अवस्थामें हम आकाश-पातालका सा अन्तर देखते हैं । धर्मकी वागडोर ब्राह्मणोंके हाथमें थी । ये लोग सम्मान और पूजाके आसनपर बैठा दिये गये थे । धार्मिक विषयोसे सबध रखनेके कारण समाज इनको सम्मानकी दृष्टिसे देखने लग गया था । यद्यपि क्षत्रिय लोग किसी प्रकार इनसे कम नहीं थे वरन् कितनी ही बातोंमें बढे-चढे ही थे, पर धर्मकी ध्वजा इनके हाथ रहनेके कारण वे पूरी तरह इनका सामना न कर सकते थे । इसीसे झगडा आरम्भ होनेपर भी क्षत्रियोंको मुंहकी खानी पडती थी । ब्राह्मणोंके धर्मकी दोहाई देनेपर धर्म-भीरु जनता जीभ नहीं हिला सकती थी । अब उन्होंने इस सदाके रगटे-झगडेको एकदम ही मिटा देना आवश्यक समझा । उन्होंने अपने ब्राह्मण वर्णको जनतामें सबसे ऊँचा मनवा लिया । इसीके फलस्वरूप ब्राह्मण ग्रंथोंकी रचना हुई । उस कालका साहित्य जटिल धार्मिक विधानो और अनुष्ठानोसे परिपूर्ण है । वेदोंसे यज्ञोंके आवश्यक स्तोत्र चुन लिये गये । वैदिक कालकी सरल धार्मिक पद्धति कठिन और अनावश्यक रूपसे लम्बी बना दी गई । सरल और स्वाभाविक देवपूजा के स्थानमें बडे-बडे आडम्बरयुक्त यज्ञ और अग्निहोत्र प्रचलित किए गये । यज्ञोंमें अनेक प्रकारकी जटिलताएँ डाली गई । उन्हें भारी व्ययकी चीज बना दिया गया और एक प्रदर्शनसे बढकर उन्हें समझा जाने लगा । प्रतीत ऐसा होता था मानो आवश्यक और जटिल अनुष्ठानोंके अतिरिक्त धर्म कोई दूमरी शिक्षा ही नहीं दे सकता था । परिणाम यह हुआ कि धार्मिक बातें नर्व-भाधारणकी समझसे बाहरकी चीज हो गई, और जनताको धार्मिक बातोंमें हाथ खींच देनेपर विवश होना पडा । जब तक सारी आयु न लगा दी जायें, उन धार्मिक विधानो और अनुष्ठानो में पारगत होना अभभव था । ये यज्ञ वही करा सकते थे जो जन्मकालमें उन्हें देवने आण हो और इस विषयका मनन और अभ्यास कर रहे हो । इसलिए देखते-देवने ब्राह्मणों का सिक्का जमने लगा । लोग अपनी धर्म-मंघी स्वाधीनता खोने लगे ।

सौभाग्यवश इसी कालमें क्षत्रियोंमें जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी और परम मनीषि पुरुषोका जन्म हुआ । उन्होने ब्राह्मणोंके चलाये इन आडम्बरयुक्त लम्बे-चौड़े अनुष्ठानों और यज्ञ-याज्ञोकी नि सारताको देखा । उन्होने गहरे आत्मचिन्तनमें निमग्न होकर ऐसे आध्यात्मिक सत्योको खोज निकाला जिनका ब्राह्मणोंको ज्ञान तक न था । इन क्षत्रियोने उपनिषदों जैसे उच्च ब्रह्मज्ञानके ग्रंथोंकी रचना कर संसारको चकित-स्नभित कर दिया । यहाँ तक कि उनके द्वारा आविष्कृत इन नवीन सचाइयोंको सीखनेके लिए ब्राह्मणोंको भी उनके पास आना पड़ा । उपनिषदोंमें अनेक ऐसी कथाएँ पाई जाती हैं जो हमारी उपर्युक्त बातको प्रमाणित करती हैं ।

छान्दोग्योपनिषद्के पाँचवें प्रपाठकके तीसरे खण्डमें श्वेतकेतु आरुण्यकी एक कथा पाई जाती है ।

जब श्वेतकेतु आरुण्य पांचालोंकी सभामें गया तो प्रवाहण जैवलिनने उससे पूछा—
“कुमार, क्या तुम्हारे पिता ने तुमको शिक्षा दी है ?”

आरुण्य—“जी, हाँ” ।

जैवलि—“क्या तुम जानते हो, यहाँसे मनुष्य कहाँ जाते हैं ?”

आरुण्य—“जी, नहीं ।”

जैवलि—“क्या तुम बतला सकते हो कि फिर वे यहाँ किस प्रकार लौटते हैं ?”

आरुण्य—“जी, नहीं ।”

ऐसे ही और दो-एक प्रश्नोंका उत्तर भी “नहीं” पाकर वह बोल उठा—“तब तुम अपने आपको सुशिक्षित क्यों कहते हो ? जो व्यक्ति इन सब बातोंको नहीं जानता वह सुशिक्षित कैसे कहला सकता है ?”

अन्तमें आरुण्य बहुत दु खी होकर अपने पिता के पास लौट गया और कहने लगा—
“पिता, मुझे शिक्षा न देकर यो ही आपने मुझसे कह दिया कि मैं सुशिक्षित हो गया हूँ । अन्तमें उस घृष्ट राजाने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे, किन्तु मैं एकका भी उत्तर न दे सका ।”

पूछे हुए प्रश्नोंको सुनकर पिताने कहा—वेटा, मैं ही इन प्रश्नोंमें से एकका भी उत्तर नहीं दे सकता । इन प्रश्नोंने तो मेरी बुद्धि चक्करमें डाल दी । यदि मैं इन विषयोंके सर्वधमें कुछ भी जानता होता तो फिर भला कहो तुम्हें कैसे न बतलाता ?

अन्तमें कुश हाथमें लेकर पिता-पुत्र दोनों दोवारा जैवलिके पास गये । उन्होने उपर्युक्त ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उससे प्रार्थनाकी ।

पहले तो जैवलि टालमटोल करता रहा और धवराया । परन्तु अन्तमें बहुत आग्रह करनेपर उसने गौतम (श्वेतकेतुके पिता) से कहा—

“महर्षि, आप कुछ दिन मेरे पास ठहरिए, मैं आपको उस विद्याकी शिक्षा दूँगा । पर आजसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास कभी नहीं गई थी । अभी तक यह विद्या केवल क्षत्रियोंकी ही संपत्ति समझी जाती थी ।”

इतना कहकर गौतमको उसने आत्माके स्वरूप, उसका परमात्माके साथ सबध इत्यादि की सविस्तर व्याख्या हृदयंगम करा दी ।

किसी व्यक्तिके वर्णका निश्चय करना भी एक टेढ़ी खीर है । समझमें नहीं आता कि वेदव्यासको ब्राह्मण माना जाय या क्षत्रिय । द्वैपायनका जन्म महाराज शान्तनुकी

पत्नी सत्यवती और परागर ऋषिके समागमसे हुआ था । और उसीसे उत्पन्न विचित्र-वीर्यकी पत्नी अम्बिका और अम्बालिकाके पुत्र पाण्डु और वृतराष्ट्र क्षत्रिय समझे जाने लगे ।

बौद्ध कालमें क्षत्रिय लोग अपनेको ब्राह्मणोंमें अधिक प्रतिष्ठित समझने लगे थे । उस समयका साहित्य ब्राह्मणोंकी निन्दासे भरा हुआ है । सब कहीं क्षत्रियोंकी बड़ाई की गई है और ब्राह्मणोंका उल्लेख अपमानजनक शब्दोंमें किया गया है ।

तित्तर जातकमें एक कथा है कि एक बार बुद्धदेवने भिक्षुओंकी सभामें पूछा कि सबसे अधिक और सबसे पहले किसका सम्मान होना चाहिये ? इसके उत्तरमें कुछ भिक्षुओं ने कहा—“व्यक्तिय कुलापव्रजिते,” अर्थात् “क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न हुए भिक्षुओंका ।” बुद्धके समयमें और उसके बाद भी बहुत दिनों तक सब जातियोंके लोग साधु बनते थे और समाजमें उनका बहुत आदर था । भगवान् बुद्धने मातंग चाण्डालको गले लगाकर भिक्षु बनाया था । बड़े-बड़े ब्राह्मण उसकी सेवामें उपस्थित हुआ करते थे । परन्तु अब्राह्मण भिक्षुओंका सम्मान समाजमें बहुत दिन टिक न पाया ।

जब तक अशोक जैसे लोग रहे, धर्माचरणमें सबका समान अधिकार रहा । परन्तु उनके बाद अवस्था यहाँ तक गिर गई कि लोग बुद्धको भी गालियाँ देने लगे । लोग कहने लगे कि बुद्ध क्षत्रिय था, उसे धर्मोपदेश देनेका कोई अधिकार नहीं था । कुमारिल भट्टने स्पष्ट कहा है—“जिस बुद्धने क्षत्रिय होकर भी धर्मोपदेश और भिक्षावृत्ति अपनाकर स्वधर्म-त्याग किया वह ठीक-ठीक धर्मोपदेश देगा, इसपर कैसे विश्वास करलें ? और रही अहिंसादि जो वेदादि सञ्छास्त्रोंमें भी है, वह भी (बुद्ध या बुद्धके शिष्यके उपदेश से ग्रहण की जाए), तो उसी प्रकार निकम्मी और अविश्वास्य है जैसे कुत्तेकी खालमें पडा दूध (अपवित्र) निकम्मा होता है ।”

जैन साहित्यमें भी ब्राह्मणोंको क्षत्रियोंसे घटिया बताया गया है । “जैन कल्प-सूत्र” में महावीरके जन्मकी एक विचित्र कथा कही गई है । उसमें लिखा गया है कि महावीर जब पुण्योत्तर नामके स्वर्गसे जन्म लेनेके लिए उतरे, तो ऋषभदेव नामक ब्राह्मण की पत्नी देवन्दाके गर्भमें आये । परन्तु इससे पहले यह कभी नहीं हुआ था कि किसी महापुरुषने ब्राह्मणकुलमें जन्म लिया हो । इसलिए शुक्रने इस महापुरुषको देवन्दाके गर्भसे हटाकर रानी तृपलाके गर्भमें रख दिया । (“बौद्धकालीन भारत”, तीसरा अध्याय ।)

क्षत्रियोंके इस सारे प्रयासके रहते भी ब्राह्मणोंने चालाकीसे उन्हें मात कर दिया । १८४ ई० पूर्वमें मौर्योंने ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सुगने विश्वासघातपूर्वक अपने राजा बृहद्रथको मारकर मौर्य सिंहासनपर अधिकार कर लिया । पुष्यमित्रके मिहामनपर बैठते ही ब्राह्मण दबदबकी ऐसी ज़बरदस्त लहर उठी जिसने सारे भारतीय नमाजको दहला दिया । पुष्यमित्र पहला ब्राह्मण था जो कभी किसी राजसिंहासनपर बैठा और इसके बादसे ब्राह्मणोंकी गिनती भी शासक वर्णमें होने लगी । ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है कि इस घटनाके स्मारकमें पुष्यमित्रने अश्मेघ यज्ञका समारोह किया । इम यज्ञके आयोजनसे पुष्यमित्रकी इच्छा शायद वैदिक कर्मकाण्डको फिरसे चालू करना रही होगी । “मज्जुसूत्री मूलकल्प” का बौद्ध लेखक लिखता है कि सिंहासनपर बैठनेके बाद पुष्यमित्र

ने बौद्ध मठोंको गिरवा दिया, बौद्ध स्मृति-चिन्होंको बरबाद करा दिया और बड़े-बड़े सच्चरित्र बौद्ध-भिक्षुओंका वध करवा दिया ।

सुग सेनापतिके नेतृत्वमें ब्राह्मणोंकी इस प्रतिक्रियाको स्वर्गीय श्री जायसवालने रूढ़िवादी प्रतिक्रातिके नामसे पुकारा है । इस प्रतिक्रातिका पूरा चित्र हमें “मानव-धर्म शास्त्र” में मिलता है । इसी मानव-धर्मशास्त्रको “मनुस्मृति” कहा जाता है । जायसवाल के अनुसार यह धर्मशास्त्र पुष्यमित्रके समय लिखा गया । “नारद-स्मृति” के अनुसार इसका रचयिता सुमति भागव नामक व्यक्ति था; या कमसे कम उसने पुरानी मनु-स्मृतिमें दकियानुसी नई व्यवस्थाएँ सम्मिलित करदी । इस मनुस्मृतिमें नीचेके तीन वर्णों के प्रति घृणा और द्वेष भरा पडा है ।

इस प्रकार ब्राह्मणी सत्ताके प्रतिष्ठित हो जानेपर जात-पाँत तोड़कर विवाहोका होना बन्द हो गया क्योंकि ऐसे विवाह करनेवालो के लिए घोर दण्डकी व्यवस्था कर दी गई । जो लोग अपने वर्ण या जातिसे बाहर विवाह करते थे, उनको और उनकी सन्तानको समाजसे पतित और भ्रष्ट कर दिया जाता था । इस सामाजिक वहिष्कारके परिणाम-स्वरूप ही अछूत जातियोंकी उत्पत्ति हुई है । चन्द्रनगरके फ्रेंच प्रधान न्यायाधीश श्री जकलियट अपनी पुस्तक ‘भारतमें वायबिल’ में लिखते हैं—

“सुनिए, मनु उनका किन शब्दोंमें प्रतिपेघ करता है—

“जिन लोगपर (जाँत-पाँत तोडनेके) कलंकका टीका लग गया हो; उनके सब-वियोंको, क्या मातृकुल और क्या पितृकुलके, चाहिए कि उनका परित्याग करदें और करुणा एव आदरकी कुछ भी परवाह न करें ।”

“हमें उनके साथ रोटी और बेटी सबव नही रखना चाहिए । न उनके साथ मिल कर यज्ञ और पठन-पाठन ही करना चाहिए । सब सामाजिक बंधनोंसे पृथक् वे पृथ्वी पर दुःख झेलते फिरें । इस दण्डनीतिसे सारी जातिसे सर्वथा वहिष्कृत कर देनेसे अभोग और सदाके लिए अपमानित अछूत नामके मनुष्यकी उत्पत्ति हुई ।

“जब अछूत ब्राह्मणको अपनी ओर आता देखता है, तब उसे चटपट रास्ता छोड़ देना पड़ता है, और दस पगके अन्तर पर, अपनी दीनताको दिखलानेके लिए, धूलिमें लेटकर प्रणाम करना पड़ता है, नही तो ब्राह्मणके नौकर उसे पीट-पीटकर मार डालते हैं ।”

पौराणिक कालमें चालाक ब्राह्मणोंको “भूसुर” अर्थात् पृथ्वीके देवताकी उपाधि दी गई । पर अब तक भी ब्राह्मणोंको पूजनीय होनेके लिए विद्वान होना आवश्यक था । गरुड पुराणमें तो अशिक्षित ब्राह्मणका श्राद्धमें सम्मिलित होना भी निषिद्ध था । परन्तु आगे चलकर यह अड़चन भी हटा दी गई । ऐसे-ऐसे श्लोक रचकर पुराने और नये ग्रंथोंमें डाल दिये गये, जिनमें ब्राह्मण होनेके लिए एक विशेष घरानेमें जन्म लेना ही पर्याप्त बताया गया, उसके आचार-व्यवहार और योग्यताकी विलकुल परवाह नही की गई । अतएव महाभारतमें^१ लिखा मिलता है कि भले या दुरे किसी भी कर्मको करते हुए ब्राह्मण का तिरस्कार नही करना चाहिए । मनुस्मृति^२ कहती है कि ब्राह्मण यदि पूर्णतया पापोंमें लिप्त हो, तब भी उसे न मारे ।’

१. ब्राह्मणो नावमंतव्यः सदसद्वा समाचरन् । आदि पर्व, ६०-१३

२. न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेज्वपि स्थितम् । मनु, ७-३७०

ब्राह्मण जन्म लेते ही पृथ्वीके समस्त जीवोंमें श्रेष्ठ होता है, सब प्राणियोंका ईश्वर होता है और धर्मके खजानेका पोषक होता है (मनु १-६६) । जैसे अग्नि चाहे सस्कारयुक्त हो और चाहे सस्कार रहित, महान देवता है, वैसे ही ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो चाहे मूर्ख, बहुत बड़ा देवता है । जैसे महा तेजवाला अग्नि मरघटमें गवको जलानेसे भी दूषित नहीं होता, किन्तु यज्ञमें हवन किये जानेपर फिर वृद्धिको प्राप्त होता है, वैसे ही सब अनिष्ट और पाप कर्म करते रहनेपर भी ब्राह्मण सदा पूज्य ही है क्योंकि वह परम महान् देवता है (मनु ६।३१७-३१६) । पराशर स्मृति कहती है* कि ब्राह्मण चाहे बुरे चरित्रवाला भी हो, पूज्य है, पर शूद्र चाहे जितेन्द्रिय हो, पूज्य नहीं ।

गोस्वामी तुलसीदासने तो स्पष्ट ही कह दिया है—

पूजिए विप्र गील गुण हीना । शूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना ॥

ऊपरके वर्णनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्णभेद किस प्रकार गुण, कर्म, स्वभाव पर आचारित न रह कर जन्ममूलक बन गया । फिर भी जात-पाँत तोड़क विवाह एकदम बन्द नहीं हो गये । नवी शताब्दीके आरम्भ तक जात-पाँत तोड़क विवाहोकी आज्ञा थी । श्रुतियों और स्मृतियोंमें दृढ विश्वास रखनेवाले ब्राह्मण तक जात-पाँत तोड़कर विवाह करते थे । दसवी शताब्दीसे समाजका दृष्टिकोण बदलने लगा । स्मृतियों ने घोषणा करना आरम्भ कर दिया कि यद्यपि अन्तर्जातीय विवाह एक समयमें प्रचलित था पर कलियुगमें उमके लिए आज्ञा नहीं होनी चाहिये ।

वारह्वी शताब्दीमें विभिन्न जातियोंमें सांस्कृतिक भेद-भाव इतना बढ़ चुका था कि विवाह-सवध मुखदायक नहीं हो सकता था । निरामिपभोजी ब्राह्मण लडके और मासाहारी क्षत्रिय लडकीका विवाह कैसे साध्य हो सकता था ? वारह्वी शताब्दीके आरम्भमें हम पाते हैं कि हिन्दू समाज से जातपाँत तोड़क विवाहका लोप हो गया ।

ऐसी अवस्थामें भी समय-समयपर ऐसे विचारक तथा लोक-सेवक इस देशमें जन्म-ग्रहण करते रहे, जिन्होंने वर्णभेदकी हानियोंको देखकर उमे मिटानेका प्राणपणसे यत्न किया । वारह्वी शताब्दीमें कर्नाटक प्रान्तके इगलेश्वर वागेवाडी नामक एक गाँवमें मादिराजा नामक एक ब्राह्मणके घरमें बसव नामक एक लडकेका जन्म हुआ । यही लडका बड़ा होकर लिंगायक सम्प्रदायके आचार्य बसवेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुआ । इसने जाति-भेदको मिटानेके लिए घोर आन्दोलन किया । इसने मधुवय्या नामक एक ब्राह्मण कन्या और हरलव्या नामक एक नीच वर्णके युवकमें विवाह सम्बन्ध कराया जिसके कारण समाजमें बड़ी भारी खलवली मच गई और बसवेश्वरको अपने प्राणसे हाथ धोने पड़े ।

सम्राट अशोकके समयमें ही जाति-भेदकी व्याधि कुछ कम हुई थी । इसका कारण यह है कि बुद्ध भीतरी ज्ञान द्वारा अपने दुःखोंसे छूटनेका यत्न करने को कहता था । वह सुखकी प्राप्तिके लिए बाह्य सासारिक अवस्थाओंका सुधार करने पर बल नहीं देता था । वह अवस्थाओंको वैसीकी वैसी रहने देकर शान्तिपूर्वक महन करनेको कहता था । इसके विपरीत कई दूसरे मुधारक उपदेश करते थे कि व्यक्तिके दुःखको दूर करने

* दु.शीलोपि द्विजः पूज्यो न तु शूद्रो जितेन्द्रियः ।

कः परित्यज्यगां दुष्टां दुद्देच्छीलवतीम् खरीम् ॥ पराशर स्मृति ।

के लिए समाजकी बाह्य रचना या परिस्थितियोंका सुधार करना आवश्यक है। बुद्ध ने वर्णोंको मिटानेपर बल नहीं दिया, वरन् उनको जन्ममूलकके स्थानमें गुण-कर्म-स्वभाव मूलक ठहरानेका यत्न किया। हमारी रायमें यह बुद्धकी बड़ी भारी भूल थी। इसी कारण जाति-भेदका पूर्ण रूपसे उच्छेद न हुआ और बुद्ध धर्मका प्रभाव कुछ कम होते ही वर्णभेदकी विपरीतिका दवा हुआ अंकुर पुनः बड़े जोरसे पल्लवित हो उठा। कारण यह कि गुण-कर्म-स्वभावकी वर्ण-व्यवस्था व्यवहारमें कभी आ ही नहीं सकती। उसका जन्ममूलक बन जाना अवश्यम्भावी है। आर्य समाज प्रभृति वर्तमान कालकी सुधारक संस्थाएँ भी इस विषयमें वही भूल कर रही हैं, जो बुद्धने की थी। जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदिकी बाँटको नहीं मिटाया जायेगा, जब तक वर्णभेदकी जड़ हीको नहीं उखाड़ा जायेगा, समाजको इस महाव्याधिसे मुक्ति नहीं मिलेगी। सन् १२०० और सन् १६०० ईसवीके बीच कई ऐसे सन्त-महात्मा हुए जिन्होंने जाति-भेदके विरुद्ध प्रचार किया। इनमें कवीर, दादू, रैदास, वामदेव और सिख गुरु और सैकड़ों दूसरे महात्मा थे। रामानुज ब्राह्मणने अछूतोंकी दशाको सुधारनेका यत्न किया। उसने उनको वर्षमें एक दिन मन्दिर प्रवेश का अधिकार दिलाया। हिन्दू धर्मके इतिहास में यह पहला काल था। अछूतोंमें बड़े-बड़े महात्मा उत्पन्न हुए और कट्टरताके केन्द्रोंमें रहते रहे, जैसे कि चिदाम्बरमें नन्द, अयोध्यामें रविदास और महाराष्ट्रमें चोखा मेला। शूद्रोंमें तो ऐसे सन्तोंकी कुछ कमी ही न थी। ये लोग सिद्धान्त रूपसे वर्णभेदको मानते थे। इन्होंने केवल आध्यात्मिक बातोंमें ही नीच जातियोंको ब्राह्मणी शासनसे मुक्त करनेका यत्न किया। हाँ, एक ऐसा भी आन्दोलन था जिसने जाति-भेदको आमूल नष्ट कर डालनेकी घोषणा की। परन्तु यह उद्योग सफल न हो सका। दूसरे वर्णोंके लोग इस सम्प्रदायके लोगोका तिरस्कार और इनसे घृणा करने लगे। मानभाव नामसे इन लोगोकी एक अलग जाति बन गई। इस सम्प्रदायका साहित्य मराठी भाषामें है।

ब्रिटिश शासन कालमें भी अनेक सुधारक ऐसे उत्पन्न हुए जिन्होंने जाति-भेद पर कुठाराघात किया। इनमें ब्रह्मसमाजके संस्थापक राजा राममोहनराय, आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द, देव समाजके गुरु सत्यानन्द, राधास्वामी सत्सगके आचार्य साहवजी महाराज और महाराष्ट्रमें समता समाज के मुखिया ज्योतिबा फुले विगेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। इन लोगोके मार्गमें एक बड़ी बाधा यह थी कि इन्होंने कई प्रकारके काम अपने हाथमें ले रखे थे, जिससे वे जाति-भेदके उन्मूलनपर अपनी पूरी शक्ति न लगा सकते थे। इसलिए नवम्बर, सन् १९२२ में लाहौरमें जात-पात-तोड़क मण्डल नामसे एक संगठन तैयार किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य जाति-भेदको मिटाना था। मण्डल के पहले प्रधान भाई परमानन्दजी और पहला मन्त्री इन पंक्तियोंका लेखक ही था।

इस बातका शीघ्र ही अनुभव होने लगा कि जात-पातको मिटानेके मार्गमें उस समय का हिन्दू विवाह अधिनियम सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि इस अधिनियमके अनुसार दो विभिन्न जातियोंके हिन्दुओंमें होनेवाले विवाह अवैध थे और ऐसे विवाहोंकी सन्तान अपनी पैतृक सम्पत्तिकी अधिकारिणी नहीं हो सकती थी। इसलिए जात-पातको तोड़कर होनेवाले विवाहोंको वैध ठहरानेके लिए सब से पहले सन् १९१८ में श्री वी० जे० पटेलने तत्कालीन विधान सभामें एक विधेयक उपस्थित किया था परन्तु

उसे कई कारणोंसे आगे आनेवाली सञ्चोचित विधान सभाके लिए स्थगित कर देना पडा । इसके उपरान्त २७ सितम्बर १९३५ को डाक्टर भगवानदास ने उसी विधेयकको फिरसे पेश किया परन्तु तब भी वह पारित न हो सका । इसके बाद ससद् सदस्य श्री ठाकुरदास भार्गवके प्रयत्नसे आर्यसमाजियोंके लिए जात-पाँत तोडक विवाहको वैध ठहराने वाला एक विधेयक पारित होकर अधिनियम बन गया । सन् १९४७ में देशके स्वतन्त्र हो जानेके पश्चात् हिन्दू कोड विलका जितना अग्र पारित हो चुका है, उसके अनुसार सभी हिन्दुओंके लिए जात-पाँत तोडक विवाह वैध हो गये हैं । अब ऐसे विवाहोंकी सन्तानके लिए अपनी पैतृक सम्पत्ति पानेमें कोई अडचन नहीं रही । इसके अतिरिक्त हिन्दुओंकी विभिन्न जातियोंमे जो रहन-सहन, खान-पान, शिक्षा-दीक्षा तथा सस्कृतिका अन्तर था जिसके कारण उनके आपसी विवाह कठिन प्रतीत होते थे, अब शीघ्रतासे दूर होता जा रहा है । इसलिए देशमें जात-पाँत तोडक विवाह बहुत बडी सख्या में होने लगे हैं । अब हिन्दुओंने अनुभव कर लिया है कि यदि जाति-भेदको मिटाया नहीं जायेगा, तो हमारा अपना अस्तित्व नष्ट हो जायेगा और देशकी स्वतन्त्रता भी बहुत दिन तक स्थिर न रह सकेगी । इसलिये अब आशा होती है कि यह वर्ण व्यवस्था, जो हिन्दुओंके लिए मरण-व्यवस्था सिद्ध हुई है, थोडे ही दिनमें पूर्ण रूपसे मिट जायेगी । भगवान करे कि वह दिन शीघ्र आये ।

— ०. —

धर्म और कानून

हमारे देशमें सदा ही धर्मका दबदबा बहुत रहा है । हर प्रश्नको, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शिक्षाका हो, धर्मके साथ जोड़ दिया गया है, यहाँ तक कि खान-पान और रहन-सहनको भी धर्मका प्रश्न बना दिया गया है । वैसे तो धर्मका आचार अध्यात्मको माना गया है, परन्तु वस्तुतः सारी सामाजिकता, संस्कृति और साहित्यकी जिन बातोंसे अध्यात्मके साथ दूरदराजका भी सम्बन्ध नहीं हो सकता, उनको धर्मका चोला पहना दिया गया है । इसलिये साहित्य, कला, नृत्य-संगीत, शासन-संचालन और विवाहादि सामाजिक सवालोंने धर्मदिग्ग ही सब कुछ हो गए । समूचा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन धर्मके विधि-निषेधोंमें बँध गया । और उसका परिणाम यह हुआ कि जिनके हाथमें धर्मकी चोटी थी, उन्हींके हाथमें सामाजिक और राष्ट्रीय कार्योंकी चोटी भी आ गयी । सारी समाज-व्यवस्थाके सहिताकार और सूत्र-संचालक वे धर्मदेशक ही बन गए । चूँकि धर्मका एकाधिकार लगभग ब्राह्मण वर्गके हाथोंमें सीमाबद्ध था, इसलिए सारी प्रभुताका केन्द्र ब्राह्मण बन गया और इस धर्मोपजीवि ब्राह्मण सम्प्रदायने अपनी स्थितिको विल्कुल सुरक्षित बनाकर रखनेके उद्देश्यसे धर्मको ईश्वर-प्रणीत और धर्मदिग्गोको ईश्वरीय विधान बताकर मानो जन-साधारणसे इनके बारेमें किसी प्रकारकी शंका करने या इनपर अंगुली उठानेका भी अधिकार छीन लिया । ब्राह्मण वर्गमें भी जिन लोगोंने संन्यास लेकर साधुत्वका वेग पहन लिया, वे तो मानो हर प्रकारसे अखण्ड सत्ताके स्वामी बन गए और समाजका मामूली व्यक्ति ही क्या, राजा तक उनका मुखापेक्षी हो गया । इस एकछत्र सत्ता-भोगकी स्थितिने निहित स्वार्थोंकी सृष्टि करदी, जो स्वाभाविक ही थी । ये निहित स्वार्थ शासक वर्ग और साधु-संन्यासी वर्गके बीच पारस्परिक हित-लाभके लिए गठबन्धन के परिणाम थे । यह गठबन्धन हजारों वर्षों तक रहा और आज भी है । इनके हाथमें इतनी सत्ता आ गई थी कि बड़े से बड़े तूफान भी इस गठबन्धनको तोड़ न सके । अंग्रेजोंके शासन-कालमें यूरोपमें हुई औद्योगिक क्रांति और फ्रांसकी राज्य-क्रांतिके फलस्वरूप यहाँ भी नई हवाका झोंका आया तो सही, पर धर्मदिग्गो की कठोर चट्टानोंको उन झोंकोंसे क्या होता ? वे तो अडिग थीं । सन् १८५७ की क्रांतिने धार्मिक निहित स्वार्थोंको और मजबूत बना दिया और अंग्रेजोंने उनको प्रसन्न करनेके लिए यह ऐलान कर दिया कि इस देशके धार्मिक मामलोंमें वे जरा भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इस प्रकार सन् १८५७ की क्रांतिकी विफलताने जहाँ एक ओर राजनीतिक

आकाशाग्रीको धक्का पहुँचाया, वहाँ दूसरी ओर सामाजिक सुधारके कानूनी रास्तेको बन्द कर दिया । अग्रेजी शासकोने राजनीतिक और सामाजिक प्रगतिकी कीमतपर राज्य-भक्तिका सौदा कर लिया । उसके बाद कई वर्षों तक सामाजिक जडताके खिलाफ मानो कही कोई आवाज ही नहीं पनप पाई, परन्तु जो आग एक बार जल चुकी थी, वह विल्कुल बुझ तो नहीं सकती थी । शासन और धर्मका गठबन्धन किस प्रकार जनजीवन के साथ खिलवाड कर रहा था, उसपर शोषण और अत्याचार कर रहा था, यह बात उभरती चली गई । तब सामाजिक सुधारोका अभियान फिर वेग लेकर उठा । धर्म ने, धर्म-गुरुओने ईश्वरका नाम लेकर शासन द्वारा दिये गये धर्ममें अन-हस्तक्षेप के वादेकी दुहाई देकर इस अभियानको थामनेकी, विफल करनेकी कोशिश की । देशके प्रगतिशील एव प्रतिगामी तत्वोंमें जोरोका सघर्ष हुआ । समाज-सुधारके मामलो में राष्ट्रीय स्वाधीनताका आन्दोलन करनेवाले और सामाजिक प्रगति और परिवर्तन के हिमायती एक तरफ हो गये और शासक एव प्रतिक्रियावादी धर्मगुरु और धर्मोपजीवि दूसरी तरफ हो गए । यह विभाजन स्पष्ट था ।

सन् १९४७ में राजनीतिक चित्र परिवर्तित हुआ और शासनमें उन लोगोका बहुमत हो गया, जो सामाजिक मामलोमें भी प्रगतिशील दृष्टि रखते थे—कमसे कम सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक मामलो में धर्मका हस्तक्षेप और धर्मके दृष्टिकोणको कतई पसन्द नहीं करते थे । राजनीतिक उथल-पुथलसे उत्पन्न हुई स्थितिके शान्त होनेपर नए शासक दलने वर्षोंके रुके हुए समाज-सुधार सम्बन्धी कानून का दरवाजा फिरसे खोला । बहुत सारे सवालको तो सविधान बनाते समय ही सुलझा लिया और यह निश्चय करके कि धर्म-निरपेक्ष राज्यका उद्देश्य रखकर शासन किया जायगा, मानो धर्मकी रीढ़ ही तोड़ दी । इस चोटसे सारा तथाकथित धर्म-वर्ग तिलमिला उठा और अपने धर्मका महानाश, धर्मपर महान खतरा आदिके नारोसे आकाशको गुंजा दिया । पर नये विधान बनानेवालोके भारी बहुमतने इस हो-हल्लेकी परवाह न की और फिर गीघ्र ही हिन्दू कोड विलको पास किया । हिन्दू कोडको प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूने नयी सरकारका महान् कदम बताकर धर्मके घायल शेरोंको पुन चिढा दिया और उस विलके विरोधमें, धर्म-रक्षाके नामपर बहुत कुछ सगटित विरोध हुआ । इस विरोध ने राष्ट्रपतिका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया । एक बार तो ऐसा लगा कि सुधारोकी हार हो गई, पर फिर गीघ्र ही नेहरूजी की धमकने हिन्दूकोडको चुटकियोमें पाम करा दिया । एक कानून न होकर उसके अलग-अलग विभाग बनाकर पास किये गये । हमारी समझमें हिन्दू कोडका पास होना सामाजिक क्षेत्रमें कानूनका सबसे बड़ा कदम है और धर्ममें कानूनका हस्तक्षेप न हो, इस आन्दोलन पर सबसे बड़ी विजय है । आज किसे विदित नहीं है कि अगर धर्ममें हस्तक्षेप न करनेके नामपर किसी प्रश्नको छोड़ दिया जाय, तो फिर भारतमें कोई सुधार और परिवर्तन सभव ही नहीं है ।

सविधान बन गया, हिन्दू कोड बनाकर सामाजिक सुधारोका अगीकार भी हो गया पर धर्म और धार्मिकोके पड्यत्र और उमके नामपर निहित स्वार्थवानोकी पैतरेवाजी का अभी सर्वथा नाश कहाँ हुआ है ? देशमें ८० लाख साधु-सन्यामी बैठे हैं, जो निर्फ बिना कुछ काम किए अर्थात्मकी हवाई बारहखडी दोहराते हुए मुपत की रोटी खाते हैं और

आलस्य एवं काहिलीका जीवन व्यतीत करते हैं। ये ८० लाख साधु प्रगतिके विरुद्ध पुराने धर्मदिग्गोके सरक्षणके लिए वह सेना है, जिसको पूंजीपति वर्ग मन्दिरोंमें, आश्रमोंमें बिठाकर, खिला-पिलाकर तैयार रखता है। इनका काम हर मौकेपर नए विचारों, नये परिवर्तनोंका विरोध कर ईश्वर, धर्म और शास्त्रोंकी रक्षा करना है। और, अप्रत्यक्ष रूपसे, अपने अन्नदाता सेट-साहूकारों और जमीदार-जागीरदारों की सेवा करना है। इनसे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, इनकी संस्था को जब तक नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जायगा, तब तक जन-जीवन अज्ञान, अन्धविश्वास और शोषण-उत्पीड़न से बाहर नहीं निकल सकेगा। पिछले दिनों श्री नेहरुने इन ८० लाख बेकार ढोंगियों को भारतकी छाती पर एक बोझ बताया था। प्रधान मंत्रीके इन विचारोंसे उनकी जमातके कान खड़े हो गए और उनमेंसे कुछ लोगोंने पंचवर्षीय योजनाओंके शिविरमें घुसकर पाँचवे दस्तेका काम करना शुरू कर दिया। यह निश्चित है कि ये लोग नव-निर्माणका नाम लेकर नव-निर्माणकी बुनियादों के शत्रु सिद्ध होंगे। ऐसी स्थितिमें यह स्वाभाविक है कि उत्तरोत्तर यह आवाज बढे कि इन लाखों साधु-संन्यासियोंपर, उनके मठों-आश्रमों और उपायोपर कानूनी नियन्त्रण रहे, मन्दिरों आदि की धर्मादा सम्पत्तियोंपर भी नियंत्रण रहे, और चाहे जैसे साधु मूंड लेनेकी वृत्ति-प्रवृत्तिपर रोक-थाम हो। कुछ दिन पहले बम्बईकी विधान-सभामें और बादमें लोक-सभामें बाल-दीक्षा प्रतिरोधक बिल उपस्थित किया गया था, जिसको लेकर साधु-संस्था और उसके पृष्ठपोषकोंमें बहुत हों-हल्ला मचा था। बिलके विरोधमें कतिपय पूंजीपतियों और दलालोंके रूपए ही नहीं उछाले गए वरन् लाठियाँ भी उठाई गई थी। वे बिल अभी विचाराधीन ही है कि संसदमें दिल्लीके सदस्य श्री राधाचरणने साधु-संन्यासियोंके पंजीकरण एवं अनुमति-प्रदान विधेयक (दी सावजू एण्ड संन्यासीज रजिस्ट्रेशन एण्ड लाइसेंसिंग बिल) प्रस्तुत किया है जिससे बेचारे धर्मव्यजियोंकी फिर नीन्द हराम हो गई। जैसा कि विधेयकके नामसे ही प्रकट है, इसके द्वारा साधु-संस्थाका विच्छेद और विघटन नहीं हो सकेगा परन्तु चोरकी दाढ़ीमें तिनकेवाली बात है। वे लोग जानते हैं कि आज पंजीकरण और अनुमति-प्रदान होगा और कल उच्छेदकी माँग आजाएगी। वे सरकारके कानूनमें पडना ही नहीं चाहते। अगर वैसा हो तो फिर उनके काले कारनामों बहुत दिन तक छिपे नहीं रह सकते। उनका यह डर ठीक भी है, परन्तु वकरोकी माँ कब तक खैर मनायेगी? भारतके जन-जीवनको भयकर अज्ञान और पीड़नमें रखकर साधु-संन्यासियोंने उनकी प्रगतिके मार्गको अवरुद्ध रखा है और जिस तरहसे शोषक वर्गके हाथोंको मजबूत किया है, उसे देखते वे अधिक दिन तक खैर नहीं मना सकते। इन लोगोंने भारतीय सविधान के धर्म-निरपेक्षताके आदर्शकी दुहाई देकर चिल्ला-यो मचाई है कि सरकार इस प्रकार धर्म-संस्था में बाधक क्यों होती है? ऐसा करके वह अपने स्वीकृत आदर्श और विधान का उल्लंघन करती है। पर यह तर्क उन्होंने कब नहीं किया? हर सामाजिक मुद्धारके विरुद्ध उन्होंने धर्मका शस्त्र ही सबसे आसान और कारगर पाया। जब तक हम इस शस्त्रको रहने देंगे, वे इसका दुरुपयोग, विफल ही सही, करते रहेंगे। जिस कानूनसे हम ऐसा कर सकेंगे, वह सौ कानूनों का एक कानून होगा और जिस दिन वैसा हो जायगा, उस दिन देशकी भूमिपर नया आलोक और नया जीवन विकीर्ण होगा।

परदे का अभिशाप

हमारे घर और समाजमें सबसे अधिक दूषित, घृणित, पापमूलक और अन्यायमूलक यदि कोई प्रथा है, तो वह परदे, धूँघट अथवा वुरकेकी है। उसका प्रारम्भ कितना भी पुराना क्यों न हो और चाहे किसी भी कारणसे क्यों न हुआ हो, आज उसका बना रहना कुछ भी अर्थ नहीं रखता है और किसी भी तर्क अथवा युक्तिसे उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। वह सर्वथा अस्वाभाविक और ऐसी कृत्रिम स्थितिका मूचक है कि उसको और अधिक सहन करना मभव ही नहीं है। उसके समर्थनमें जो कुछ भी कहा जाता है, उस सबका प्रतिवाद उससे पैदा हुए दुष्परिणामोसे स्वत हो जाता है। जो भी कोई मनुष्य उससे सबधमें वताए जा सकते हैं, उन सबको उसने स्वत पराजित कर दिया है। इस दृष्टिसे अधिक विनाशकारी दूसरी कोई कुप्रथा नहीं हो सकती। तर्क, युक्ति, विवेक और बुद्धिकी कसौटीपर वह एक क्षण भी ठहर नहीं सकती, फिर भी आश्चर्य यह है कि जिन समाजो अथवा प्रदेशोंमें वह प्रचलित है, उसमें वह जनताके घरेलू एव सामाजिक जीवनका अनिवार्य अंग बन गया है और उसको धर्म, कुलमर्यादा, मान-प्रतिष्ठा तथा शील व सदाचारका अनिवार्य अंग माना जाने लग गया है, जात-पाँत, छून-छात तथा ऐसी ही अन्य सामाजिक रूढियो तथा परम्पराओकी तरह उससे भी चिपटे रहनेका दुराग्रह किया जाता है। धार्मिक भावना तथा सामाजिक शासनने अन्य अनेक कुप्रथाओकी तरह उसका भी निरंतर समर्थन एव पोषण किया है। अनेक कुप्रथाओको धार्मिक पक्षपात एव सामाजिक पाप अथवा अन्याय मानकर उनका अत शासकीय कानूनोसे किया जा रहा है, किन्तु डमके विरुद्ध शासकीय कानून भी बनाया नहीं जा सकता। यह व्यक्तिगत जीवन के साथ कुछ ऐसा घुलमिल गया है कि उसको किमी कानूनमे दूर करना अशक्य हो गया है। केवल व्यक्तिगत जागृति, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय प्रगति ही उसको दूर कर सकते हैं, परन्तु हमारे देशमें उम सबकी गति वहुत ही मन्द है और इस कुप्रथाके दूर होनेमें अनावश्यक रूपसे बहुत समय लग रहा है। जो जागृति, चेतना अथवा प्रगति हुई या हो रही है, उससे कुछ लाभ अवश्य मिला है, किन्तु डमकी जड़ें इतनी गहरी जमी हुई हैं कि उनको हिलाना अत्यन्त दुभाव्य हो रहा है।

परदे का प्रारम्भ

किसी भी धीमारीका उपचार करनेमे पहले उसके मूल कारणकी गोज कर लेनी आवश्यक है। ठीक-ठीक निदानके बिना ठीक-ठीक उपचार नहीं हो सकता। परदा

प्रथाके विरुद्ध सामाजिक चेतनाको जाग्रत करनेके लिए उसके प्रारंभकी कुछ छानवीन अवग्य की जानी चाहिए और उसके सम्बन्धमें वर्तमान भ्रात धारणाओंका निराकरण भी किया ही जाना चाहिए । ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे इस विषयकी छानवीन नहीं की जा सकती और यह नहीं कहा जा सकता कि किस काल-विशेषमें किन विशेष कारणोंसे इसका प्रारम्भ हुआ । सच तो यह है कि ऐसी किसी भी सामाजिक कुप्रथा और धार्मिक अंध-गक्षपातके सम्बन्धमें काल एव कारणकी दृष्टिसे ठीक-ठीक विवेचन नहीं किया जा सकता परन्तु यदि कोई प्रथा कुप्रथाका रूप धारण कर लेती है, तो सिवा एक रूढिके किसी अन्य आधारपर उसका समर्थन नहीं किया जा सकता । तर्क, युक्ति अथवा विवेककी कसौटीपर वह पूरी नहीं उतर सकती और उसके दुष्परिणाम कठोर तथ्य बन कर आँखोंके सामने नाचने लगते हैं । तब वह केवल इसलिए कायम नहीं रहनी चाहिए कि वह कोई पुरानी प्रथा है अथवा उसको किन्हीं कारणों अथवा सदुद्देश्योंसे प्रारम्भ किया गया था । फिर यह भी भुलाया नहीं जा सकता कि अधिक कुप्रथाओंका प्रारम्भ मनुष्यकी गृहित अथवा निन्दनीय कुप्रवृत्तियों, कुत्सित वासनाओं तथा संकीर्ण साम्प्रदायिकताके गर्भमें से हुआ है । परदा प्रथा भी उनमेंसे ही एक है । स्त्रीके प्रति मनुष्यकी भावनाने जब वासनाका रूप धारण किया और जब वह कुत्सित बन गई तब उसके प्रति अनेक पापमूलक एवं अन्यायमूलक परम्पराओंका सूत्रपात हो गया । ससारका कोई भी धर्म, सम्प्रदाय, समाज, देश अथवा राष्ट्र उनसे बचा नहीं रह सका । इसीलिए स्त्रीके प्रति मनुष्यके पाप तथा अन्यायका प्रादुर्भाव भी सबमें समान रूपसे हुआ है । कोई भी धर्माचार्य अथवा धर्म-ग्रंथ ऐसे नहीं है जिन्होंने स्त्रीके प्रति पुरुषकी इस हीन भावनाका प्रतिपादन न किया हो और कोई भी देश अथवा समाज ऐसा नहीं है, जिसमें उसके प्रति दीन भावनाके कारणही स्त्रीपर पुरुषका साम्राज्य कायम करके उसको पराधीन बनाया गया हो । स्त्रीको अबला एव पराधीन बताकर उसकी स्वतंत्रताका अपहरण सभी धर्मों, समाजों तथा देशोंमें समान रूपसे सभी कालोंमें किया गया है ।

परदा, बाल-विवाह, सती, जात-पाँत, छूतछात और स्त्री-शिक्षाके अभाव आदि सब कुरीतियोंके प्रारम्भ होनेका दोष एकाएक मुसलमानों अथवा मुस्लिम-कालपर मढ़ दिया जाता है । इन सबको मुस्लिम-भय और मुस्लिम सम्यताका दुष्परिणाम कहा जाता है । यह सर्वांशमें सत्य नहीं है । सच तो यह है कि इसलाम जिस अरब देशकी देन है, वहाँकी देन ये सब रीति-रिवाज नहीं हैं । हजरत मुहम्मद साहबके समयमें स्त्रियाँ पुरुषों के साथ मस्जिदोंमें अलग पक्तिमें खड़ी होकर नमाज पढ़ा करती थी, उनके साथ युद्धोंमें सम्मिलित होती थी और खलीफाओंके साथ गम्भीरसे गम्भीर विषयोंपर चर्चा-वार्ता किया करती थी । कुरानशरीफकी अनेक आयतोंका सग्रह स्त्रियोंके पाससे किया गया है । कुरान-शरीफमें स्त्री और पुरुष दोनोंके लिए एक-सी व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकारके भेद-भावसे काम नहीं लिया गया है । दोनोंको एक-दूसरेके प्रति नीची निगाह रखने के लिए कहा गया है । इसके विपरीत हिन्दुओंके रामायण तथा महाभारत सरीखे प्राचीन ग्रंथोंमें परदा सरीखी कुप्रथाका उल्लेख मिलता है । रामायणमें सीता और मन्दोदरी दोनोंके लिए "अमूर्यम्पश्या" सरीखे शब्दोंका प्रयोग करते हुए उनके राजप्रासादों में बन्द रहनेका वर्णन मिलता है । अन्य अनेक संस्कृत ग्रंथोंमें भी स्त्रीके लिए अवगुठनवती

आदि शब्द प्रयोग किये गए हैं। सच तो यह है कि परदेका प्रारम्भ हुआ है मनुष्यकी उस बुद्धिसे, जिसने स्त्रीके प्रति अन्याय, स्वार्थ और उसपर शासन करनेकी भावनाको जन्म दिया। इसी कारण उसको घरकी चहारदीवारीमें बन्द किया गया। धरोके दरवाजो पर परदे लगाये गये और उसके लिए खुली हवा और प्रकाश तकको दुर्लभ बना दिया गया। इस पराधीनताके नएसे नए बंधनोका निरन्तर आविष्कार किया जाता रहा। स्त्रीके प्रति पुरुषके समस्त दुर्व्यवहार और विवाह-मवधी सारी कुरीतियाँ इन आविष्कारोका ही दुष्परिणाम हैं। पुरुषकी स्त्रीके प्रति मन्देहपूर्ण भ्रात वारणासे उसको और अधिक समर्थन मिला। यह वारणा इतनी कुल्लित एव दूषित बन गई कि उसने निरकुशताका वीभत्स रूप धारण कर लिया। यह मव किमी आपत्कालका भी परिणाम नहीं है, अपितु सदियोंकी परम्परागत और क्रमागत सामाजिक दुर्व्यवस्थाका स्वाभाविक परिणाम है। स्त्रियोंके उदार, सरल तथा पुरुषोंके प्रति सर्वतोभावेन आत्मार्पण करनेकी स्वाभाविक प्रवृत्तिसे भी उसने अनुचित लाभ उठाया है। उनकी श्रद्धा, भक्ति एव मर्यादाओं रहनेकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, धर्ममें अथ भावना तथा ऐसे ही उनके अन्य सद्गुणोंका दुरुपयोग किया गया है। स्थिति यह पैदा कर दी गई है कि वह घरकी चहारदीवारीमें बन्द रहनेवाली अविश्वमनीय गृहिणी, सदा पराधीनताका दुःख भोगनेवाली दासी, घर परिवार तथा समाजमें त्यागी हुई अमहाय विधवा अपने पेटके लिए अपने सर्वस्व नतीत्व तकको बेच देनेवाली समाजमें तिरस्कृत एव निराश्रित बेग्या, धर्माचार्योंकी पोपलीला एवं पाप-लीलाका शिकार बनी हुई धर्ममंदिरोंमें नाच-गान करनेवाली देवदामी और दुर्व्यमनी तथा विलासी शासको एव सम्पन्न लोगोंके भोग-विलास व आमोद-प्रमोदका साधन बन राज-प्रासादों, महलों तथा अट्टालिकाओंमें राग-रग करनेको वाच्य की गई वारागना ही रह गई। उसका वीरागनाका रूप सर्वथा विनष्ट कर दिया गया। उसकी आत्मिक मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओंका अतिरजित चित्र खीचकर उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं अस्तित्व तककी अथहेलना कर दी गई। आदर्श वैदिक कालमें की गई सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त करके यह विधान बना दिया गया कि “स्त्रियोंका वैदिक कर्मकांड केवल विवाह है, पति-सेवा ही गुरुकुल वाम है और घरका चूल्हा चौका ही अग्निहोत्र है।” ऐसा प्रतीत होता है कि पौराणिक कालमें स्त्रियोंके प्रति पैदा हुई दीनता, हीनता एव पराधीनताकी कुल्लित भावनाके गर्भमें से परदा सरीखी कुरीतियोंका जन्म हुआ है। ये सब कुरीतियाँ ब्राह्मण धर्मकी अवम देन हैं जिनका प्रारम्भ पौराणिक कालमें ही हुआ है। यदि वास्तव में ही ये कुरीतियाँ मुस्लिम सभ्यता अथवा आतकका परिणाम हैं, तो उनके कम हो जानेके साथ-साथ इनका भी अंत हो जाना चाहिए। परन्तु वैसा हुआ नहीं और न हो रहा है। स्त्री और पुरुष दोनोंके ही स्वभावका परदा सरीखी कुरीतियाँ अग बन गई हैं। उनको धर्म एवं समाज दोनोंके लिए अनिवार्य माना जा रहा है। पुरुषने अपनी शूरता, वीरता, साहस एवं पुरुषार्थ आदि सब सद्गुणोंको तिलाजलि देकर स्त्रीके शील, मान-मर्यादा एव प्रतिष्ठा के लिए जिस दिन कपड़े के दो अंगुल परदेपर भरोसा करना शुरू किया वह इसकी कायरताकी घोषणा का दिन था, जिसके लिए उनको आज तो कुछ लज्जा अथवा अनुभव होनी चाहिये। परन्तु यह निर्लज्जता इस परकाष्ठापर पहुँच गई कि अनेक हिन्दू नेता इसी आचारपर परदेका समर्थन करते सुने गए।

उपहासास्पद स्थिति

यह भी अत्यन्त विस्मयजनक स्थिति है कि विवाहसे पहले उसकी रक्षाके लिए परदेकी आवश्यकता अनुभव नहीं की गई और विवाहके बाद भी मायकेमें परदा न करके केवल ससुरालमें ही परदा आवश्यक समझा गया। मानो ससुरालमें जाकर अथवा पतिको पाकर वह सर्वथा असुरक्षित हो जाती है। यह भी कुछ कम उपहासास्पद नहीं है कि अकेलेमें पतिसे अथवा भाई आदिसे परदा नहीं किया जाता, किन्तु जहाँ दोनो एक साथ उपस्थित हुए वहाँ सहसा ही परदा कर लिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? पति और भाई दोनोमेंसे किससे सुरक्षित रहनेके लिए वह परदा किया जाता है? इसी प्रकार आदिसे अत तक परदा अत्यन्त उपहासास्पद स्थितिका ही सूचक है। माता-पिता समान सास ससुरसे परदा करना सिवाय ढोंग या आडम्बरके और क्या है? स्त्रियो से स्त्रियोका परदा मूर्खताकी पराकाष्ठा है। उसको बडोके प्रति सम्मान प्रदर्शन अथवा उनकी प्रतिष्ठाकी रक्षाका प्रतीक मानना भोलापन नहीं, तो और क्या है?

स्त्रियोके सौन्दर्यकी रक्षाके साथ परदेका सम्बन्ध जोड़ना और भी अधिक बडी विवेकहीनता है। स्त्री स्वभावतः सौन्दर्यप्रिय है। इसलिए उसके साज-शृंगार के साथ परदेका सम्बन्ध जोड़कर उसको गहने-कपडेके साज-शृंगारमें कुछ ऐसा उलझाया गया है कि उसने अपनी इस गुलामी तकको अनुभव करना छोड़ दिया है और वह उसीमें सुख व संतोष व सौन्दर्य मानने लग गई है। दास जब दासताका अनुभव करना छोड़ देता है, तब उसकी दासता पराधीनताकी चरम सीमा हो जाती है। स्त्रियोकी पराधीनता भी इस चरमसीमापर पहुँच गई है। उसने यह अनुभव करना छोड़ दिया कि उसने अपने स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्वको किस ओछी कीमतपर खो डाला है। कुछ गहने कपड़े और आडम्बरके लिए अपनेपनको सर्वथा भुला बैठना उसके लिए कितना महँगा सिद्ध हुआ है। सोने-चाँदीकी हथकड़ी-वेडीको उसने आभूषण मानकर उनसे अपना साज-शृंगार करना प्रारम्भ कर दिया। इस पराधीनताके समस्त बन्धनोको काटनेके लिए परदेके साथ-साथ साज-शृंगारकी भावना, वेश-भूषाके आडम्बर और गहने व कपडेके लोभ-लालचको भी सम्पूर्ण रूपसे तिलाजलि देनी आवश्यक है। दासता अथवा पराधीनताका आंशिक रूपमें परित्याग नहीं किया जा सकता। चीनमें भी स्त्रीको भारतीय महिलाके समान पराधीनताके बन्धनोमें जकड़ दिया गया था और उसके पैरोंमें बचपनमें ही लोहेकी जूतियाँ पहनाकर उसको पंगु बना दिया जाता था। पंगु बना देनेवाले उसके ये छोटे पैर-सौन्दर्यके चिन्ह माने जाते थे। नए चीनकी नव-जाग्रत महिलाने इन लोहेकी जूतियोके साथ-साथ साज-शृंगारकी सारी सामग्रीको भी तिलाजलि दे डाली है। अन्य देशोकी स्वतंत्रताप्रिय महिलाओने भी ऐसा ही किया। हमारे देशकी महिलाओको भी ऐसा ही करना होगा। सम्भवतः वह संसारमें सबसे अधिक आभूषण-प्रिय है। इसी कारण उसमें परदेकी कठोरता भी सबसे अधिक पाई जाती है।

परदेकी वेहूदगी

परदेकी वेहूदगी तथा अनीचित्यको दिखानेके लिए बहुत कुछ लिखा जा सकता है; परन्तु यहाँ उसके विस्तारमें जानेकी आवश्यकता नहीं है। अपने घरवालोसे परदा करनेवाली महिलाएँ बाज़ार लोगोंसे प्रायः परदा नहीं करती। फेरी-

वाने, खोमचेवाले, चूडीवाले तथा ऐसे ही अन्य लोगोसे परदा नहीं किया जाता । अबध के रईसों, राजस्थानके वैद्यों तथा राजपूतों, बिहारके सम्भ्रात घरों, बगालके कुलीन कायस्थों तथा गुजरातके बड़े परिवारोंमें इस प्रथाका अधिक जोर है । उसके विपरीत दक्षिणमें उसका कहीं नाम भी नहीं है । परदेके कारण जिन सद्गुणोंकी रक्षा हुई वताई जाती है, क्या दक्षिणमें उन सबका अभाव है ? फिर, जिन गरीब एवं साधारण स्थितिके लोगोंमें परदा नहीं है और जिनमें जीवनके हर काम-काजमें स्त्रियाँ पुरुषोंका हाथ बँटाती हैं क्या उनमें भी ये सद्गुण नहीं पाए जाते ? पेट नगा कर, दो अँगुलियोंके बीच आँखें निकालकर जो देवियाँ खुले बाजार गीत गाती निकलती हैं और विवाहके अवसरपर वारातियोंपर गालियोंकी बर्षा करती नहीं लजाती उनका परदा सिवाय बेहूदगीके और क्या है ? पजाबमें स्वापेके समय स्त्रियाँ अपनी सारी लाजको उठाकर खूँटीपर रख देती हैं । ऐसे कितनेही उदाहरण परदेकी बेहूदगीके दिए जा सकते हैं ।

परदेका पाप

परदेके कारण समाजमें जिस पापकी सृष्टि हुई है, उसको प्रकट करना अत्यन्त आवश्यक है । केवल कल्पना या अनुमान से काम न लेकर हम यहाँ कुछ अनुभवी लोगों के अनुभव देना चाहते हैं । सामाजिक दृष्टिसे सम्भवत मारवाड़ी, राजपूत, कायस्थ तथा मुसलमान सबसे अधिक परदेके गिकार हैं और क्षेत्रीय दृष्टिसे सम्भवत बिहारमें सबसे अधिक कठोर परदा पाया जाता है । पजाबकी एक पुरानी सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती पार्वतीदेवी महात्मागांधीकी प्रेरणापर परदा प्रथाके विरुद्ध कार्य करनेके लिए बिहार गई थी । स्वर्गीय श्री मगनलाल भाईको भी गांधीजीने इसी कार्यके लिए बिहार भेजा था, जहाँ कि उनका, यही कार्य करते हुए, स्वर्गवास हो गया था । श्रीमती पार्वती देवीने प्राप्त किए गए अनुभवका वर्णन अत्यन्त कठोर भाषामें किया है, परन्तु परदे सरीखी जघन्य कुप्रथासे पैदा हुए अनर्थोंके लिए नरम भाषा कहाँसे लाई जाय ? वे लिखती हैं कि "स्त्रियोंमें भी जीवन है, मनुष्यत्व है, उन्हें भी सूरजकी रोगनी और प्रकृतिकी खुली हवा पानेका अधिकार है,—अभी तक बीसवीं सदीमें ये बातें भी जिनको समझानी पडती हैं, उनकी मूढता और जहालतका भी कोई ठिकाना है ? बीस वर्षोंके अपने सावजनिक जीवनके अनुभवसे मैं इस परिणामपर पहुँची हूँ कि परदा जितना व्यभिचारका कारण और आड है, उतना कोई और चीज नहीं । परदेके पक्षपाती कभी अपने विचारोंकी स्पष्ट परीक्षा नहीं करते, क्योंकि उनकी बातोंमें कोई सम्बद्धता नहीं है । वे अपने दिलसे पूछें कि वे स्त्रियों को क्या समझते हैं ? जीवनके किसी क्षेत्रमें वे स्त्रियोंको आने नहीं देना चाहते । गृहस्थीकी चिन्ता ही उनके विचारमें स्त्रियोंका एकमात्र कार्य है । लेकिन यह भी कहाँ ? गृहस्थीकी चिन्ता भी वे उनको स्वतन्त्र प्राणी और मनुष्यकी तरह नहीं करने देना चाहते । वे उन्हें सुली हवा और रोगनी तकसे वंचित कर दामियोंकी तरह बन्द रखकर उनमें काम लेना चाहते हैं ! लेकिन दाम या कँदी निश्चित दायरोंमें बन्द रहते हुए भी उनमें तो स्वतन्त्र रहते हैं और अपने नियत कार्य या मेहनत-मजूरीमें लगे रहते हैं । वे धनी मनुष्य की अर्थ-नृपणाके मूक और अभागे साधन हैं । हमारे 'अमीर' और 'कुलीन' नमाजमें ही अधिक परदा है । इन 'कुलीन' और 'अमीर' घरोंकी परदानशील स्त्रियोंको मेहनत

का कोई काम भी तो नहीं करना होता । फिर उनके समूचे जीवनका प्रयोजन क्या है ? क्या उनका एकमात्र कार्य और प्रयोजन, उनके जीवनका सर्वस्व, पुरुषोकी काम-वासना की तृप्ति करना ही नहीं है ? वे पुरुषकी काम तृष्णाको पूरा करनेकी वैसे ही साधन मात्र है, जैसे कि दास स्वामीकी अर्थ तृष्णाको पूरा करनेके साधन है । विवाहका इस समयका सस्कार इस साधन और सामग्रीको प्राप्त करनेका कानूनी उपाय है । परदा-पक्षपातियोंकी विवाह और दाम्पत्य सम्बन्धी कल्पना जइसे ही एकमात्र व्यभिचारकी कल्पना है, स्त्री उनकी दृष्टिमें केवल भोग-विलासकी सामग्री है और उनका दाम्पत्य जीवनका आदर्श केवल कानून और समाजसे स्वीकृत व्यभिचार है । इस मूक प्राणीको उसकी इच्छा पूछे बिना एक दूसरे प्राणीके आधीन कर दिया जाय और वह उसे लगातार बन्द रखकर उससे केवल अपनी विषय-वासना की तृप्ति करे मैं इसे व्यभिचारके अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकती । भले ही उस व्यभिचारपर समाज, स्त्री-धर्म और कानूनकी मुहर लगी हो ।”

श्रीमती पार्वतीदेवीके इस अनुभवपूर्ण कथनके अनुसार परदा पापका मूल ही नहीं उसको पोषण एवं संरक्षण देनेवाला एक आवरण भी है । इन दिनोंमें उससे अधिकतर पापको ढकनेका ही काम लिया जाता है । अपने स्वेच्छाचार, अनाचार एवं निरंकुशताको वह उसमें छिपाए रखना चाहता है ।

अवधकी सामाजिक स्थितिका चित्र चित्रण करते हुए एक अनुभवी सज्जन लिखते हैं कि “समाज-सुधारमें अवध सब प्रान्तोंमें पिछड़ा हुआ है और उसके सामाजिक जीवन का नैतिक घरातल बहुत गिरा हुआ है । बम्बई और कलकत्ताके बाद लखनऊमें वेश्याओं की सख्या भारतके सब नगरोसे अधिक है । इसका कारण स्पष्ट है । पुरुषका सबसे बड़ा अन्याय स्त्रीको कठोर परदेमें कैद रखना है । व्यवहारमें कुशल न रहनेसे वे अपने पतियोंको संतुष्ट नहीं कर सकती । अपनी स्त्रीके प्रति उसका असंतुष्ट हृदय इधर-उधर भटकने लगता है और वाजारू स्त्रियोंमें वह फँस जाता है । सामाजिक और नैतिक पतनका यहीसे श्रीगणेश होता है ।” पिछले ही दिनोंमें समाचार-पत्रोंमें लखनऊ नगरके सम्बन्धमें कुछ सख्याएँ प्रकाशित हुई थी, जो उसकी नैतिक स्थितिका नंगा चित्र उपस्थित करनेवाली थी । वहाँकी अदालतोंमें एक हजारसे ऊपर ऐसे मामले विचाराधीन थे जिनमें स्त्रियोंने अपने पतियों और कुमारी कन्याओंने अपने माता-पितासे अलग किए जाने की माँग इस विनापर की थी कि उनको अनैतिक जीवनके लिए बाध्य किया जाता है ।

राजपूतानाके सम्बन्धमें वहाँके पुराने राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामनारायण चौधरीने कभी ठीक ही लिखा था कि “साधारणतः जिन लोगोंमें परदेका रिवाज अधिक कठोर है, उनमें बहु विवाहका भी जोर है । मुसलमानों और राजपूतोंमें एक से अधिक पत्नी रखना साधारण बात है । राजपूतानेमें एक नरेशके सिवा सबकी अनेक स्त्रियाँ हैं और जागीरदारोंमें भी अधिकांश ऐसे ही हैं । ऐसी स्थितिमें सदाचार कैसे रह सकता है ? राजपूतानेमें प्रचलित दास-दासीकी कुप्रथाका भी यही कारण है । जब अमीर स्त्रियाँ निकम्मी रहने लगी, तभी गरीब स्त्रियाँ दासियाँ बनाकर सेवाके लिये रखी जाने लगी । राजपूतानामें उनकी संख्या १ लाख ६० हजार से भी ऊपर बताई जाती है । इनपर मालिकोंको पूरा अधिकार रहता है । वे उनको बेच सकते हैं और

दहेजमें दे सकते हैं। उनको खानेको जूठा और पहननेको उतरा हुआ कपडा दिया जाता है। उनसे कठोरतम और नीचतम काम लिया जाता है। विवाह उनके नाममात्रकी होते हैं। दासियोंके अलावा परदेवाले घरोंमें अन्य स्त्री या पुरुष नौकर भी रहते हैं। उनके कारण भी अनाचार बहुत फैलता है।” इस प्रकार परदा अनेक कुरीतियों तथा अनैतिकता और अनाचारका मूल कारण है। कठोर शासनका स्वाभाविक परिणाम पाप और पतन है। हमारे घर इसी कारण पाप व पतनके आश्रय स्थान बने हुए हैं।

वगालमें परदेके ही कारण नारी निर्यातनकी समस्या कभी बहुत भयानक थी। उत्तर भारतके उन सभी राज्योंमें इसका जोर है जहाँ परदेकी प्रथा कठोर है। वगालमें परदे ने नारी अपहरणकी समस्याको जन्म दिया, राजपूताना में वह नैतिक पतनका निमित्त बन गया, अवधमें उससे अनाचार पैदा हुआ और पंजावमें वह ढोंगका कारण बन गया।

क्षयका मूल-परदा

परदेके दुष्परिणामकी कहानी भी ऐसी ही भयानक है। सामाजिक पापकी तरह वह व्यक्तिगत रूपसे भी स्त्रियोंके लिए अनेक बीमारियोंका निर्मित्त बन जाता है। क्षय और गर्भ-सम्बन्धी अनेक बीमारियोंका मुख्य कारण खुले प्रकाश और ताजी हवा का न मिलना है। परदेमें रहनेवाली स्त्री खुली हवा तथा प्रकाशका सुख नहीं भोग सकती। सामाजिक क्षेत्रमें काम करनेवालोंका अनुभव यह है कि एक ही पीढीमें करीब ३२ लाख स्त्रियाँ केवल प्रसवके कारण अपने जीवनमें हाथ धो बैठती हैं। विहारके देहातो तकमें स्त्रियोंकी मृत्यु सख्या पुरुषोंसे कहीं अधिक है। उनकी औसत आयु भी पुरुषोंसे बहुत कम है। कलकत्ताके सम्बन्धमें वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी डा० क्रेकका अनुभव यह है कि १५ से २० वर्ष की आयुकी लड़कियाँ यक्ष्मा रोगसे लड़कोकी अपेक्षा पाँचगुना अधिक मरती हैं। ये लड़कियाँ परदेकी कैदमें खुली हवा न मिलनेसे मर जाती हैं।” वे लिखते हैं कि “मुझको विश्वास हो गया है कि खूब घने वस्त्रे हुए शहरोकी गलियोंमें परदेकी प्रथा ही इतनी युवतियोंकी मृत्युका असली कारण है। जहाँ खुले घर हैं और घरोंके साथ खुले आहाते हैं, वहाँ परदा कुछ अग तक स्वास्थ्यके लिए घातक नहीं होता। बड़े शहरोमें चू कि आसपामकी गलियोंके कारण एक घर दूसरेसे छिपा नहीं रह सकता इसलिए जवतक हवा और रोगनी भी बन्द न कर दी जाय तब तक एक घर दूसरेसे ओझल नहीं हो सकता। इसलिए घरका विलकुल भीतरी वह कमरा जनाना रखा जाता है, जिममें न रोशनी जा सकती है, न हवा और न किसीकी आँखें ही पहुँच पाती हैं।” कलकत्ता की स्वास्थ्य सम्बन्धी एक रिपोर्टमें स्वीकार किया गया था कि वहाँ की ८२ प्रतिशत बीमार महिलाएँ क्षय रोगसे पीडित थी। सन् १९२६ में २८ सितम्बरको “यंग वुमैन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन हॉल” में रेडक्रास सोसाइटीके ‘वैल फेयर’ वर्कका परिचय देते हुए डा० श्रीमती एटिय घोपने कलकत्ताके मानिकतल्लाके मकानोंके प्रत्यक्ष अनुभवका वर्णन करते हुए परदेकी बुराईयोंपर भी कुछ प्रकाश डाला था। उन्होंने बताया था कि “अनेक घर ऐसे बने हुए हैं, जिनमें एक-एक कमरेमें २० से अधिक स्त्रियाँ रहती हैं, बच्चों और पुरुषोंकी सख्या उनसे अलग है। मिट्टीका फर्ग रहता है। सामने छोट्टे-मे अहातेमें गाय, बकरी और उनके बच्चे बधे रहते हैं। मुर्गियाँ, बत्तखें बगैरह भी वहाँ ही रखी जाती हैं। घरका कूड़ा करकट भी जमीनमें जमा रहता है। बरसातमें ये नव जानवर घरमें

ही बाँधे जाते हैं और घरके चारो ओर कीचड़का तालाब बन जाता है । मकानोमें हवा और रोगनीके लिए एक भी खिड़की नहीं रहती ।” आगे उन्होंने कहा था कि “जिन-जिन वस्तियोमें परदा बहुत कठोरताके साथ किया जाता है, उनमें गर्भावस्थामें हिन्दुओकी अपेक्षा मुसलमान स्त्रियाँ बहुत अधिक कष्ट भोगती हैं । उन वस्तियोके मकानोमें हवा भली प्रकार नहीं आती । मुसलमानोके घरोंमें तो छोटीसे छोटी खिड़कीको भी बड़े गंदे और फटे टाटोसे ढक दिया जाता है । सामनेका दरवाजा भी इसी प्रकार बन्द कर दिया जाता है । विचारी जच्चाको न तो खुली हवा मिलती है, न प्रकाश और न अच्छा भोजन । परिणाम यह होता है कि उसको भयंकर वीमारियाँ आ घेरती हैं । क्षय उसको आम तौर पर हो जाता है । बिना किसी वीमारीके भी कमजोरी सदाके लिए उसको आ दवाती है । एक मुसलमान स्त्री बच्चेके साथ दवाके लिए मेरे पास आई । वह वीमार और कमजोर थी । मुझको उसपर दया आई । मैंने समझा कि उसको घरसे अस्पताल आने-जानेमें कष्ट होगा । इसलिए मैंने नर्ससे कहा कि उसके बच्चेके लिए दूध और दवा उसके घर ही भेज दिया करो । नर्सने मुझको बताया कि उसके मकानमें एक भी खिड़की नहीं है । वहाँ उसको खुली हवा और रोगनी नहीं मिलती । दूध और दवाके वहाने आने-जाने और यहाँ घंटा भर बैठनेसे उसको खुली हवा तो मिलेगी, मैंने देखा कि दो-तीन दिनमें ही उसके चेहरेपर रौनक आ गई । फिर मुझको एकवार एक स्त्रीको देखने के लिए उसके घरपर जाना पड़ा । उसको गर्भकी गड़बड़ीकी शिकायत थी । उसके घरपर जाकर देखा कि उसमें एक भी खिड़की नहीं थी । दोपहरके समय भी तेलका दिया जलाकर घरमें प्रकाश किया गया था । उसके वदनपर कपड़ेके चिथड़े लिपटे हुए थे , मैंने मुश्किलसे उसकी कलाई टटोली और उसकी नाडी देखकर मैं हैरान रह गई, वहाँ उसका जीवित रहना कठिन समझ मैं उसको ईडन अस्पताल ले आई । वहाँ खुली हवा, खुला प्रकाश और अच्छा भोजन मिलने से बिना किसी विशेष दवाके वह तीन-चार दिनमें अच्छी हो गई । मुझको इसमें रत्ती-भर भी संदेह नहीं कि घरमें हवा-रोशनी आदि न मिलने से उसको गर्भके गड़बड़ होनेकी वह शिकायत हुई थी ।” डा० वेण्टली का यह मत है कि क्षय के तीन मुख्य कारण हैं—पहला आवादीकी अविकता, दूसरा दरिद्रता और तीसरा परदा । परदेके ही कारण मृत्यु-सख्या हजार पीछे पुरुषोंकी जहाँ २४ है वहाँ स्त्रियोंकी ३६ । डा० डी० एन० मजूमदारके कथनके अनुसार “कलकत्तामें प्रति वर्ष ३० हजार क्षयके शिकार और ३ हजार मृत्युके शिकार होते हैं, जिसके मुख्य कारण उन्होंने परदा, अज्ञानता तथा लापरवाही बताए हैं । क्षय-पीड़ित ७५ प्रतिशत में से केवल ५ देहातोमें रहनेवाले होते हैं और बाई प्रतिशतको पैतृक कारणोंसे यह वीमारी होती है । शेष गहरोंके निवासी हैं, जिनको घनी आवादीमें रहनेसे हवा और प्रकाश के अभावमें यह वीमारी होती है ।” अनुभवी डाक्टरोंकी इन सम्मतियोंके बाद परदे के घातक दुष्परिणामोंके सम्बन्धमें कुछ और लिखनेकी आवश्यकता नहीं ।

राजनीतिक दृष्टिकोण

स्वर्गीय देगप्रिय श्री यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ताने १६२८ में कलकत्तामें हुई कांग्रेस के स्वागताध्यक्षके पदसे दिए गए भाषणमें देशकी, विशेषतः बंगालकी सामाजिक स्थितिका जो चित्र उपस्थित किया था वह पिछले २८ वर्षोंमें बहुत बदल चुका है फिर भी परदा

प्रयागके दुप्परिणामका राजनीतिक दृष्टिकोणसे जो विवेचन उन्होंने किया था वह आज भी वैसा ही भावपूर्ण और महत्वपूर्ण है। इसीलिये हम यहाँ उनके शब्दोंको उद्धृत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि “हमको अपनेसे यह पूछना चाहिए कि अपने देशमें बड़े-बड़े महापुरुषों द्वारा उठाए हुए आन्दोलन भी क्यों असफल हो गए, जब कि इसी तरह के आन्दोलनोंमें टर्की, जापान और चीनको इतनी सफलता प्राप्त हुई। वर्तमान युगके जीवित व्यक्तियोंमें सबसे महान् व्यक्ति हमारे नेता हैं। उनके द्वारा चलाया हुआ अहिंसात्मक अमहयोग -आन्दोलन क्यों विफल हो गया, क्योंकि अरविन्द सन्यासी बनकर अलग हो गए, जबकि कमालपागा, रिज़ाखाँ और चांग काई गेक आदि स्वतंत्र राष्ट्रोंके मंचालक बन बैठे। क्यों देशव्युत्थ निराशा हृदयसे हममें से चल बसे? क्यों महात्मागांधी अपने आश्रम सावरमतीमें जा बैठे?” इन प्रश्नोंका विवेचन करते हुए आपने यह कहा था, कि “भूतकालपर अघश्रद्धा, साम्प्रदायिकता, जात, पात, परदा, बहु विवाह, बाल विवाह और ऐसी ही अन्य कुरीतियाँ, जिनसे हमारा सामाजिक जीवन विश्रु खल हो गया है, हमारी असफलताका कारण है। हमारा सार्वजनिक जीवन टुकड़ोंमें बँटा हुआ है। हमारी राष्ट्रीयता मिवा साम्प्रदायिकताके और कुछ नहीं है। हमारा आधा राष्ट्र परदेकी कैदमें अपनी जीवन शक्तिका नाश कर रहा है। अपने देशकी इग्लैण्ड या जापानसे भी अधिक आवादी को हम अद्यत ठहराकर अपनेसे परे किये हुए हैं और उसकी छायासे भी अपनेको अपवित्र मानते हैं। क्या इन कमजोरियोंको ज्योका ल्यो बनाए रखकर हम इग्लैण्डको जरा भी झुका सकते हैं? अपनेको जीवित बनाए रखनेके लिए हमको अपने समस्त राष्ट्रको आधुनिक ढाँचेमें ढालना होगा। पुरातनकालीन घनपु-वाणसे आज कलके तोप, बन्दूक आदि शास्त्रास्त्रोंका मुकाबला नहीं किया जा सकता। शस्त्रास्त्र सम्बन्धी ऊपरकी सचाई, उनका उपयोग, करनेवाले मनुष्योंपर भी लागू होती है। भारतकी सामूहिक जनशक्तिको आजकल के आदर्शोंसे सुसज्जित और सुसंगठित करना होगा। परदा ही नहीं, किन्तु स्त्रियोंकी दीनता और पराधीनताके सब बधन एक साथ काटने होंगे। आधी जनसख्याको निकम्मा बनाकर वाकीका उद्धार आप तीन कालमें भी नहीं कर सकते। परदेके कारण आधी जनसख्या अथवा देशकी आधी जनशक्ति का विनाशकर और बाल्यावस्थामें ही मातृत्वके बोझसे दबी शक्तिका सर्वनाश कर उसके दुप्परिणामसे आप बच नहीं सकते। उस सब भेद-भावको निर्दय होकर एकदम मिटा देना होगा, जिससे राष्ट्रका सामाजिक जीवन हज़ारों टुकड़ोंमें बँटा पडा है। जात-पाँत का तो अविलम्ब ही नाश होना चाहिए। पहले समयके वे सब आर्थिक लाभ नष्ट हो चुके हैं, जिनको सामने रखकर जात-पाँतकी रचना की गई थी। इस समय उसका आचार श्रम-विभाग नहीं है।” राजपि ५० मोतीलालजी नेहरूने भी तब अध्यक्ष पद से दिए गए अपने भाषणमें समाज-सुधारका विस्तारसे विवेचन किया था और महिना जागृतिके महत्वको बताते हुए, परदा दूर करनेपर जोर दिया था। प्रतीत यह होता है कि देशके राजनीतिक नेताओंने तब १९२८ में यह भलीप्रकार अनुभव कर लिया था कि समाज-सुधारके बिना वह नैतिक घरातल बन नहीं सकता, जिसके अभावमें राजनीतिक आन्दोलनकी सुदृढ़ नींव नहीं डाली जा सकती। गाँधीजी नदा ही राजनीतिक आन्दोलनके साथ-साथ समाज-सुधारके कामको भी चलाते रहे और उनके कारण सामाजिक

क्षेत्रमें अद्भुत प्रगति की गई। महिला जागृतिको विशेष प्रेरणा तब मिली, जब उन्होंने नमक सत्याग्रहके लिए की गई ऐतिहासिक डाडी यात्राके बाद उसका नेतृत्व श्रीमती सरोजनी नायडूको सौंपते हुए महिलाओंसे कार्यक्षेत्रमें उतरनेकी अपील की थी और उनसे विदेशी वस्त्रोंकी दुकानोंपर धरना देनेका विरोध अनुरोध किया था। १९३० के बाद राजनीतिक आंदोलनमें भाग लेनेवाली महिलाओंकी बाढ़-सी आ गई थी और उनके लिए विरोध जेलखानोंकी अनेक राज्योंमें व्यवस्थाकी गई थी। गांधीजीने तब विहारमें भी परदा प्रथाके विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए कुछ विशेष लोगोंको वहाँ भेजा था। ऐसे महिला जागरणका कार्य हमारे देशमें बहुत पहले प्रारम्भ हो चुका था। उत्तर भारतमें आर्यसमाज, बंगालमें ब्राह्म समाज और दक्षिणमें प्रार्थना समाज ने जो कार्य प्रारम्भ किया था, उसमें महिला जागृतिका भी मुख्य स्थान था। लाला देवराज, राजा राममोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, श्री ज्योतिर्बावा फुले, न्यायमूर्ति श्री महादेव गोविन्द रानाडे, महर्षि कर्वे सरीखे अनेक महापुरुष भी ऐसे हुए जिन्होंने महिला जागृतिके महान् कार्यमें अपनेको खपा दिया। १९२० के लगभग अनेक समाजोंमें सामाजिक चेतनाका विरोध रूपसे प्रादुर्भाव हुआ और अनेक ऐसी संस्थाओंका जहाँ तहाँ गठन किया गया जिनका मुख्य कार्यक्षेत्र समाज-सुधार था। प्रायः उन सभी संस्थाओंने महिला-जागृतिपर ध्यान दिया और परदेकी कुप्रथा को दूर करनेका आन्दोलन भी उनकी ओरसे किया गया। अग्रवाल महासभाकी ओरसे देवोत्थान एकादशी और महेश्वरी महासभाकी ओरसे महेश नवमीके दिन 'परदा निवारण दिवसके' रूपमें मनाए जाने लगे। ऐसे ही आयोजन अन्य अनेक संस्थाओंकी ओरसे भी किए गए। विदेशों विरोधतः टर्की, अफगानिस्तान, ईरान आदि मुस्लिम देशोंमें पैदा हुई सामाजिक चेतना तथा परदा निवारणका हमारे देशपर अनुकूल प्रभाव पड़ा।

इस समय स्थिति बहुत बदल चुकी है। हमारे प्रजातन्त्रीय संविधानमें स्त्रियोंको सभी प्रकारके अधिकार पुरुषोंके समान दिए जा चुके हैं। हमारे प्रजातन्त्रका आवार वालिग मताधिकार है। वह पुरुषके समान स्त्रीको भी प्राप्त है। उसके समस्त धार्मिक पक्षपात और सामाजिक भेद-भावमूलक बन्धन काट दिए गए हैं। विधान अथवा कानूनमें उनकी कोई मान्यता नहीं है। स्त्रीके लिए पुरुषोंके समान प्रगति व उन्नति करनेके समस्त द्वार खोल दिए गए हैं। आर्थिक विपमताका भी अंत कर दिया गया है, समाजवादके अनुसार कायम की जानेवाली सामाजिक व्यवस्थामें स्त्रीके प्रति किसी भी प्रकारकी सामाजिक दीनता, हीनता अथवा पराधीनता शेष नहीं रह सकती।

परदा निवारण तो केवल प्रतीक है इस चहुँमुखी महिला जागृतिका। सच तो यह है कि किसी भी ओछे उपायसे कोई भी ऊँचा आदर्श पूरा नहीं किया जा सकता। परदेके पक्षपाती कुछ भी क्यों न कहें परन्तु वास्तविकता यह है कि उनके द्वारा प्रतिपादित तर्कसे समर्थित कुप्रथासे किसी भी सदुद्देश्यकी पूर्ति नहीं की जा सकती। परदेकी कुप्रथा उतनी ही निरर्थक सिद्ध हो चुकी है, जितनी कि सीताकी कुटियाके चारों ओर लक्ष्मण द्वारा बनाई गई रेखा सावित हुई थी। वह सीताकी रक्षा नहीं कर सकी थी और परदाकी यह कुप्रथा हमारे समाजके किसी भी सद्गुणकी रक्षा नहीं कर सकी, अपितु सीताके अपहरणके समान इसके कारण हमारे समस्त सामाजिक सद्गुणोंका ह्रास अथवा विनाश

हो चुका है। इस प्रकार परदेकी यह कुप्रथा केवल निरर्थक ही नहीं है, किन्तु घोर अनर्थकारी भी है। पिछले ही दिनोंमें मंयुक्त राष्ट्रीय सघके शिक्षा, सस्कृति और विज्ञान-परिपदके भारतमें हुए अधिवेशनके अवसरपर प्रकाशित हुए अनेक लेखोंमें एक लेख देहातो में प्राथमिक शिक्षाके अनिवार्य करने और प्रौढ शिक्षाके प्रसार करनेके सम्बन्धमें लिखा गया था। उसमें यह बताया गया है कि हमारे देशमें देहातोमें प्रौढ शिक्षाके प्रसारमें परदा बहुत बड़ी बाधा है। विकासके अनेक कार्यक्रम शिक्षा प्रसारके समान परदेके ही कारण पूरे नहीं किए जा सकते। इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान जागृति एवं प्रगतिके वाद भी परदा निवारणकी दिशामें अभी हमें बहुत-कुछ करना है और जो कुछ हो गया है उसको बहुत मानकर आत्मवचनानाके मायाजालमें उलझना आत्महत्याके समान घातक हो सकता है।

~ ~ ~

वेश्या और समाज

ढाई हजार वर्ष पहलेकी बात है ।

भगवान बुद्ध अपने उपदेशोका प्रचार करते हुये वैशाली पहुँचे । भिक्षु दलके साथ एक अमराईके नीचे उन्होने अपना आसन विछाया ।

अम्बपाली वेश्याको ज्ञात हुआ कि भगवान वैशाली आये है और उसके अपने आश्रममें विहरते है । अम्बपाली भद्र यानोको जुतवाकर एक सुन्दर रथपर आरूढ हो सुन्दर यानोके साथ वैशालीसे निकली और जहाँ उसकी अमराई थी वहाँ चली । जहाँ तक रथका मार्ग था वहाँ तक रथसे जाकर फिर रथसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँची । उन्हें अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी हुई अम्बपाली को जब भगवान अपने उपदेशोका अमृत पिला चुके तब अम्बपाली गणिकाने कहा :—

“भन्ते ! भिक्षु संघके साथ मेरे यहाँ कलका भात स्वीकार करें ।”

भगवानने मौन भावसे स्वीकृति दी । अम्बपाली स्वीकृति समझ कर आसनसे उठकर भगवानकी परिक्रमा और अभिवादन करके चली गई ।

×

×

×

वैशालीके महापराक्रमी लिच्छवियोने भी सुना कि भगवान वैशाली आये हैं और अम्बपालीकी अमराईमें विहरते है । लिच्छविगण अपने भद्र यानोको जुतवाकर सुन्दर रथारूढ हो, सुन्दर यानोके साथ वैशालीसे निकले । उनमें कोई-कोई नील वर्ण, नील परिधान, नील अलंकारवाले थे, कोई-कोई पीत वर्ण, पीत परिधान और पीत अलंकारवाले थे, कोई-कोई लोहित वर्ण, लोहित परिधान और लोहित अलंकारवाले थे और कोई-कोई श्वेत वर्ण, श्वेत परिधान और श्वेत अलंकारवाले थे ।

भगवानने दूरसे लिच्छवियोको आते देखकर भिक्षुओंसे कहा :—

“देखो भिक्षुओ ! लिच्छवि परिपदको देखो ! भिक्षुओ, लिच्छवि परिपद को देव परिपद समझो !”

जहाँ तक रथका मार्ग था वहाँ तक रथसे जाकर फिर रथसे उतरकर पैदल ही लिच्छवि भगवानके पास पहुँचे । अभिवादन कर वे एक ओर बैठ गये । भगवान जब लिच्छवियोको अपना उपदेश दे चुके तब वे लिच्छवि बोले :—

“भन्ते भिक्षु-संघके साथ हमारे यहाँ कलका भात स्वीकार करें ।”

“लिच्छवियो ! कल तो मैंने अम्बपालीका भात स्वीकार किया है ।”

तव वे लिच्छवि उँगलियाँ चटकाते हुये बोले —

“अरे हम इम वेण्यासे पराजित हो गये । हमें इम गणिकाने वचित कर दिया ।”

तव वे लिच्छवि भगवानके वचनोका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवानकी परिक्रमा और उनका अभिवादन कर चले गये ।

×

×

×

भगवानके प्रमुख शिष्य आयुष्मान आनन्द इस घटनाका मर्म न समझ पाये । जिज्ञासु भावमे भगवानके निकट जाकर अपना कौतूहल प्रकट करके बोले —

“भन्ते ! अम्बपाली वैशालीकी नगरवधू है, गणिका है, वेण्या है !”

“हाँ, आयुष्मान !”

“भन्ते ! लिच्छविगण श्रेष्ठ आर्यकुमार है !”

“हाँ, आयुष्मान !”

“भन्ते ! किन्तु आपने लिच्छवियोंके भातमे गणिकाके भातको श्रेष्ठ ठहराया ।”

“हाँ, आयुष्मान !”

“भन्ते ! क्या इसलिये कि लिच्छवियोंके हृदयसे अहम्मन्यता मिट सके और समाज के हृदयसे उसकी केन्द्रीभूत अपवित्रताका कलक वुल सके ?”

“हाँ, आयुष्मान !”

“भन्ते ! क्या वेण्या भी पवित्र हो सकती है ? समाजके अभिगापसे मुक्त हो सकती है ?”

“हाँ, आयुष्मान ! गणिका भी मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्ममे, मैत्रीपूर्ण कायिक कर्ममे और मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्मसे निर्वाण भावनमें लगकर शीघ्र ही अपना स्रव हो सकती है । पुरुषकी कामवामनसे अभिगप्त नारीको धर्म-कयामे नदर्शित और समुत्तेजित करना होगा, आयुष्मान !”

×

×

×

उस रातके व्यतीत हो जानेपर अम्बपाली गणिकाने अपने आराममें उत्तम खाद्य-भोजन प्रस्तुत कर भगवानको समयकी सूचना दी । पूर्वाह्नके समय परिहित, पात्र, चीवरयुक्त भगवान अम्बपालीके परोमनेके स्थानमें गये और वहाँ विद्ये हुये आसन पर बैठे । तव अम्बपाली गणिकाने बुद्ध-प्रमुख-भिक्षु-सघको अपने हाथमे उत्तम खाद्य-भोजनसे जिमाया । भगवानके भोजन कर पात्रमे हाथ खींच लेनेके उपरान्त गणिका अम्बपाली एक नीचे आसनपर एक ओर बैठकर भगवानमे बोली —

“भन्ते ! मैं इम आरामको बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघको देती हूँ ।”

भगवानने आरामको स्वीकार किया ।

(२)

एक दूसरी घटना ।

परम दयालु क्षमावन्त ईनाका जीवनकाल ।

फैरिनी और इस्काडव निरन्तर ईनाके उपदेशोका उपहान करनेमें व्यस्त थे । अहिंसा पर आधारित नये नियम-विधानको भला वे कैसे स्वीकार कर सकते थे ? पुराने विद्यान के अनुसार यदि कोई पुरुष व्यभिचार करते हुए पाया जाता था तो उसे व्यभिचारिणीके

पतिको पाँच दीनार जुमानिकी रकम अदा करनी पड़ती थी । किन्तु उसी अपराधपर स्त्रीको पत्थर मार-मारकर मार डाला जाता था । मौतसे बचनेका केवल एक रास्ता था । यदि व्यभिचारिणी वेश्या बनना स्वीकार कर ले ।

एक बार ये फ्रैरिसी और स्काइव एक व्यभिचारिणी स्त्रीको हजरत ईसाके पास लाये । पत्थर लिये हुए पीछे-पीछे एक भीड़ थी । विचारके लिये उन्होने तीन प्रश्न हजरत ईसाके सामने रखे —

१. व्यभिचारिणीको क्षमा कर दिया जाय, या
२. उसे वेश्या बनने दिया जाय, या
३. उसे पत्थरोंसे मार डाला जाय !

विरोधी समझते थे कि ईसा धर्म-संकटमें पड़ जायेगे । व्यभिचारिणीको क्षमा करनेकी बात कहेंगे तो लोक-भावना उनके विरुद्ध हो जायगी । वेश्या बननेकी बात कहेंगे, तो नैतिक अपराधके दोषी होंगे और व्यभिचारिणीकी हत्याका समर्थन करके वे अपने अहिंसाके सिद्धान्तसे गिर जायेंगे ।

विरोधियोने उद्भट और ऊँचे स्वरमें ईसासे फैसला करनेके लिये कहा । क्षमा-वन्त ईसाने करुण दृष्टिसे अपराधिनी नारीकी ओर देखा, जो एक ओर बैठी हुई नतशिर नाखूनसे जमीन खोद रही थी । फिर कहा इसे एक शर्त पर पत्थरोंसे मार डाला जाय ! उत्सुक वाणीमें विरोधियोने शर्त जाननी चाही ।

ईसाने उत्तर दिया—“इसे पहला पत्थर वह व्यक्ति मारे, जिसने अपने जीवनमें कभी मनसे, बचनसे और कायासे व्यभिचार न किया हो ।” यह कहकर उन्होने आँखें बन्द करली ।

थोड़ी देर बाद जब उन्होने आँखें खोली, तो वहाँ केवल उसी नारीको बैठे पाया । आपत्ति लगानेवाले सब एक-एककर वहाँसे जा चुके थे ।

प्रभु ईसाने अपराधिनी नारीको उपदेश देते हुये कहा—“नारीको पापके पथपर अग्रसर करनेवाला पुरुष है ! नारीको जघन्य वेश्या जीवन बितानेके लिये विवश करने वाला पुरुष है । नारीकी विवशतासे समर्थ पुरुषको लाभ उठाना शोभा नहीं देता । जाओ, मनसा-वाचा-कर्मणा संयमशील बनो । परम पिता तुम्हें क्षमा करेंगे ।”

(३)

ईसासे दो हजार वर्ष बादकी एक तीसरी घटना !

पूर्वी बगालमें वरीसालका नगर ।

सितम्बर सन् १९२१ का पहला सप्ताह !

अहिंसात्मक असहयोगका प्रचार करते हुये विध्वन्ध महात्मागांधी वरीसाल पहुँचे । सार्वजनिक सभाके बाद १४ वर्षकी एक बालिकाने उनकी चरणवृत्ति लेकर हाथ जोडकर उनसे विनती की :—

“बापू ! नरकतुल्य वेश्या-जीवनसे हमारा उद्धार करो ! हम वरीसालकी वेश्याएँ आपसे सामूहिक रूपसे बात करना चाहती हैं । आप महात्मा हैं ! क्या आप हम पतिताओंसे बात करेंगे ?”

“क्यों नहीं, जरूर बात कहूँगा।” वापूने उत्तर दिया। “तुम लोग कल तड़के प्रातःकालकी प्रार्थनाके बाद मुझसे मिलो। पाँच बजे आ सकोगी?”

दूसरे दिन वरीसालकी एक सौसे अधिक ‘पतिता वहिनें’ महात्मागांधीसे मिली। उस भेंटका वर्णन स्वयं गान्धीजीने इस प्रकार किया है—

“इन वहिनोंके साथ जो दो घटेका समय मैंने बिताया, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने मुझे बताया कि वरीसालकी वीम हज़ारकी जनसंख्यामें, जिसमें स्त्री, पुरुष और बालक सब शामिल हैं, वेश्याओंकी संख्या साठे तीन सौ से अधिक है। ये वहिनें वरीसाल के पुस्पोकी हया और गर्मकी प्रतिनिधि हैं। वरीसाल जितनी जल्दी अपनी इस गर्म को दूर कर सके, उतना ही उसके बड़प्पनके लिये फायदेमंद है। और जो कैफियत वरीसालकी है वही मैं समझता हूँ, प्रत्येक शहरकी है। वरीसालकी चर्चा तो मैं केवल उदाहरण के तौरपर कर रहा हूँ। क्या वरीसाल इस बातकी शावानी लेगा कि उसने इस पापको अपने नगरसे धो डाला?”

इन वहिनोंकी कष्ट कहानियाँ सुनकर गान्धीजीकी कोमल आत्मा पीडा और वेदना में तड़प उठी। उनका मन पुरुष वर्गके इस महान अपराधके कारण ग्लानिसे भर उठा। इन शब्दोंमें गान्धीजीकी वह ग्लानि फूट पड़ी—

“इन सौ वहिनोंके सामने, पुरुष होनेके नाते, लज्जासे मेरा मस्तक जमीनमें गड़ गया। इन वहिनोंमें कुछ प्रौढ थी, अधिकांश वीम और तीस वर्षकी आयुके भीतरकी थी और कुछ बारह वर्षकी आयुसे भी कम की थी। इन वहिनोंके मनकी इस पक्की भावनाको देखकर कि इस नरकतुल्य जीवनमें उनका कभी उद्धार न होगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसीने मेरे हृदयमें छुरा भोक दिया। फिर भी ये वहिनें मुझे विनम्र और बुद्धिमान लगी। उनकी बातचीतमें शील और एक मर्यादा थी। उनके उत्तर सीधे और स्पष्ट थे।”

इन वहिनोंमें बातें करते हुए गान्धीजीका ध्यान भारतकी आध्यात्मिक महात्ता की ओर गया। तब इस समस्याकी विषमता उनके निकट और भी तीव्र हो गई। उनके मुँहसे बरबस ये शब्द निकल पड़े—

“जिन पापोंके लिये पुरुष उत्तरदायी हैं, कोई पाप इतना कल्पित, इतना हृदय-विदारक और इतना अमानुषिक नहीं है, जितना मानवताके अर्थाङ्गके प्रति यह दुराचार। पुरुष और नारी दोनोंमें, आज नारी ही अधिक श्रेष्ठ है। इस युगमें भी वही बलिदान, मूक कष्टसहन, विनम्रता, विश्वास और ज्ञानकी साकार प्रतिमा है। पुरुषकी अहम्-मन्यता और ज्ञान-धारणाकी अपेक्षा नारीकी सहज बुद्धि ही बहुधा सच साबित होती है। रामके पहले भीता और कृष्णके पहले राधाका नाम जोड़नेमें यही गूढ अभिप्राय है। यह ममझकर अपने को धोखा नहीं देना चाहिये कि मन्मथताकी प्रगतिमें वेश्याओंका कोई अनिवार्य स्थान है। वेश्याओंके आधिक्य और नम्य यूरोपमें उनके वैधानिक अस्तित्वको देखकर हमें भ्रमित नहीं होना चाहिये। भारतमें इसकी परम्परायें हैं— इन आधारपर भी हमें इस पापको नहीं चलने देना चाहिये। जिस समय हम पाप और पुण्यमें फरक करनेकी विवेक बुद्धि खो देंगे और उस पुरातनकी, जिसे हम पूरी तरह नहीं जानते, नकल करते रहेंगे उनी समय हमारी प्रगति रुक जायगी। हम बीने

युगकी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम विरासतके अभिमानी उत्तराधिकारी हैं। पिछली भूलो को दोहराकर हमें उस उत्तराधिकारका अपमान नहीं करना चाहिये। आत्मसम्मान-पूर्ण भारत देगमें प्रत्येक पुरुषकी दृष्टिमें प्रत्येक स्त्रीकी अस्मत्का वही मूल्य होना चाहिये जो स्वयं उसकी अपनी वहिनकी अस्मत्का है। स्वराज्यका अर्थ वह योग्यता है जिसके अनुसार हम प्रत्येक भारतवासीको अपने सगे भाई और वहिनके समान समझ सकें।”

×

×

×

गाँधीजीके जीवन-प्रसंगके ही एक दूसरे अवसर की बात है।

ईसवीका १९२५वाँ साल और अप्रैलका दूसरा सप्ताह।

घटना-स्थल मदुराईका पवित्र तीर्थ-क्षेत्र।

महात्मागान्धी दक्षिण भारतका भ्रमण कर रहे थे। डाक्टर राजन् गान्धीजीकी इस भ्रमण-व्यवस्थाके प्रमुख आयोजक थे। मद्रासमें उन्होने झिझकते हुये गान्धीजीसे मदुराके कार्यक्रमकी ओर सकेत करते हुए पूछा —

“वापू! मदुराकी देव-दामियाँ आपको अभिनन्दनपत्र भेंट करना चाहती है। मैं वेहद पेशोपेगमें हूँ कि उन्हें क्या उत्तर दूँ। देवदासियोका अभिनन्दन कार्यक्रम आपको कैसे स्वीकृत होगा?”

“तुमने नहीं तो नहीं किया न?” वापूने सौम्य उत्सुकतासे पूछा। मेरे कार्य-क्रममें उनका अभिनन्दन अवश्य शामिल करो। मैं इन अभागिन वहिनोसे अवश्य बातें करूँगा।”

देवदासियोके अभिनन्दन पत्रका गान्धीजीके दयालु हृदयपर जो प्रभाव पडा वह यहाँ उन्हीके शब्दोंमें उद्धृत है —

“दक्षिण भारतमें मुझे जितने अभिनन्दन पत्र मिले, उनमे सबसे अधिक करुण और हृदयको छूनेवाला देवदासियोका अभिनन्दन पत्र था। यहाँ वेग्याओके लिये ‘देवदासी’ एक सु-शब्द सजा है। चाहे उन्हें वेग्या कहा जाय या देवदासी शब्द परिवर्तनमात्रसे समस्याका समाधान नहीं होता। यह कितनी गहरी गर्म, दुःख और ज्वरवस्त जिल्लत की बात है कि अनेको स्त्रियोको पुरुषकी वासना पूर्तिके लिये अपने सतीत्वको बेंचना पडता है। तथाकथित अवला जातिको पतनके गर्तमें गिरानेके लिये व्यवस्था बनाने वाले स्मृतिकारको भयंकर सजा भुगतना पड़ेगी। जिस दिन नारी छलिया पुराणोंके जालसे मुक्त होकर अपनी पूर्णता प्राप्त करेगी, उस दिन पुरुषोंके बनाये हुये नियम-विधानो और सस्याओके विरुद्ध वह सफल अहिंसात्मक विद्रोह करेगी। भारतीय पुरुष अपना दिल थामकर जरा सोचे कि उसकी अनियमित और अनैतिक वासनाओकी पूर्तिके लिये लगभग माटे दस लाख वहिनोको गर्मनाक जीवन विताना पडता है। अफसोस इस बातका है कि इन नारकीय अड्डोंमें जानेवाले पुरुषोकी बहुसख्या विवाहित पुरुषोकी है और इसीलिये वे दोहरे पापके भागीदार हैं। न केवल वे अपनी पत्नियोंके प्रति विश्वासघातके दोषी हैं जिनके प्रति अग्निको शाही करके उन्होने वफादारीकी कसम खाई थी वल्कि उन वहिनोके सतीत्व भंग का पाप करना है जिनके शील और सतीत्वको उन्हें उसी प्रकार रक्षा करनी चाहिये कि जिस प्रकार वे स्वयं अपनी सगी वहिनोकी रक्षा करते हैं। यदि भारत के पुरुष अपनी मर्यादाको समझ लें, तो भारतमें यह पाप एक दिन भी अधिक नहीं टिक सकता।”

गावीजीके ये उद्गार ३१ वर्ष पूर्व प्रकट किये गये थे किन्तु आजके भी वातावरणमे गूँज-गूँजकर भारतके प्रत्येक पुरुषको चुनौती देकर पूछ रहे हैं कि क्या स्वतन्त्र और पवित्र भारत देग अबला नारीके प्रति इम भयकर पापसे मुक्त हुआ ? मानवता गहरे तकाजे के माथ भारतके पुरुषोंसे यह प्रश्न कर रही है कि जो देग सांस्कृतिक प्रगति और आध्यात्मिकताके क्षेत्रमें मागी दुनियाका अडावरदार होनेका दावा पेग कर रहा है वह नारीके प्रति इम जघन्य अपराधका अन्त करनेमें क्यों नहीं सफलता प्राप्त कर सका ?

क्या इस समस्याकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें उन्हें ममूल नष्ट करनेमें इतनी कठिनाईका सामना करना पड रहा है ? आर्ये इन पृष्ठोंमें हम समस्याके मूलमें जाकर जग विचार करें ।

(४)

लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्वका एक दूसरा दृश्य ।

स्थान .—यूनानका प्रसिद्ध नगर एथेंस ।

यूनानके महान दार्शनिक महात्मा मुकरातके परम शिष्य और यूनानकी ज्ञान-गरिमा के आगार और साहित्य अकादमीके अध्यक्ष सन्त अफलातून (प्लेटो) अपने शिष्योंके साथ वार्तालाप कर रहे हैं । अरिस्टोमेन नामक शिष्य गुरुमे जिज्ञामु भावने पूछता है — अरिस्टोमेन गुरुदेव समाजमें नागीका महत्व और स्थान क्या है ?

अफलातून वही जो पुरुषोंका है, न कम न अधिक । स्त्री और पुरुष दोनों रथके दो पहियोंके सदृश हैं । यदि एक कमजोर और घटिया हुआ, तो ममाज का रथ निविघ्न आगे नहीं बढ़ सकता । स्त्री और पुरुष नभमें उडने वाले पक्षीके दो टैनोंके समान हैं । यदि एक डैना छोटा या अशक्त रहा, तो पक्षी नभमें उन्मुक्त विचरण नहीं कर सकता ।

अरिस्टोमेन ममाजमें वेद्यावृत्तिके प्रचलनमे क्या स्त्री-पुरुषके पारस्परिक सम्बन्धकी मर्यादा भग नहीं होती ?

अफलातून ममाजमें पुरुषको कर्ताका स्थान प्राप्त है । वही चल श्रीय अचल सम्पत्ति का स्वामी है । उत्पादन, वितरण, व्यापार, वाणिज्य नवपर पुरुषका ही अधिकार है । अपनी जीविकाके लिये स्त्री-पुरुषके ही आश्रय है । ऐसी परिस्थितिमें यदि स्त्रीको अपनी जीविका-निर्वाहके लिये वेद्यावृत्ति जैसे अशोभनीय उद्यमका सहारा लेना पडता है, तो इममे अधिक लज्जाकी और कौनसी बात हो सकती है ?

अरिस्टोमेन गुरुदेव ! क्या वेद्यावृत्ति केवल मात्र आर्थिक प्रश्नपर ही आधारित एक समस्या है ?

अफलातून यदि अधिक गहगईमें जाकर विचार करोगे, तो तुम पाद्योगिक वेद्यावृत्ति की चुनियाद धर्मके नाकार तत्वोंमें डाली गई है ।

अरिस्टोमेन . वह कैसे गुरुदेव ?

अफलातून मनुष्यने अपने ही रूपमे देवताओंकी नाकार कल्पना की । उनने उनकी प्रशंसाके गीत बनाये । उनके भोगके निग छतीनों मुन्वाहु व्यजन बनाये । उन्हें रिज्ञानेके नित्रे गायन-वादन और अपनी नृत्य-कलाका प्रदर्शन किया ।

देवताओंमें भी पिता, माता, पत्नी, पुत्र और पुत्रीकी परम्परा चलाई । उनके सोने, जागने, आरती और भोगके समय निश्चित किये । यही नहीं, उसने पौराणिक कथाओंमें यदि एक ओर देवताओंकी अलौकिक प्रतिभा के गीत गाये, तो दूसरी ओर उन्हें प्रेम-विरह, छल, कपट, और व्यभिचार का भी दोषी बताया । न मालूम जमानेके धुंधले प्रकाशमें मनुष्यको अपने देवता विष्कूल अपनी ही तरह प्रतीत हुये ।

अरिस्टोमेन गुरुदेव देवताओंका यह इतिहास अत्यन्त दिलचस्प है ।

अफलातून : भक्तोको यह बताया गया कि यदि वे इस जन्ममें देवताओंको प्रसन्न करेंगे, तो देवता जन्म जन्मान्तर तक उन्हें प्रसन्न और सुखी रखेगा । परिणाम यह हुआ कि देवताओंके मन्दिर राजसी ठाठसे जगमगा उठे । राजा देवताका प्रधान सेवक बना । राज्यका समस्त ऐश्वर्य देवताके चरणोपर लोटने लगा । नरमेघ, अश्वमेघ, गोमेघ और तरह-तरहके बलिदानोसे देवताको सन्तुष्ट करनेके प्रयत्न किये जाने लगे । देवताको सिंहासन पर बैठानेका समारोह मनाया जाने लगा । उसके राजसी जुलूस निकाले गये और देवियोंके साथ देवताओंके विवाह समारोह रचाये गये । भक्त परम श्रद्धाके साथ इन उत्सवोंमें शामिल होते थे । धीरे-धीरे मानव कुमारियोंके साथ देवताओंके विवाहकी प्रथा चली । राजकुमारी का विवाह देशके प्रमुख देवताके साथ होने लगा । राजाकी देखा देखी सरदारोंने भी अपनी रूपवती कन्याओंको देवताओंकी पत्नीके रूपमें समर्पित किया । अलवत्ता राजकन्या देवताकी पटरानी रहती थी । भला अन्य नागरिक कैसे पीछे रहते ? एक-एक देवताकी सैकड़ों मानव-कुमारियाँ पत्नी बन गईं । मन्दिरोंके प्रागण देवताओंकी इन मानव-पत्नियोंसे भर गये ।

अरिस्टोमेन : गुरुदेव ! इस प्रथाके दुष्परिणाम आज हमें अपने यूनान देशमें अपोलो, जूसपेनर और दिमित्रिके मन्दिरोंमें देखनेको मिल रहे हैं । इन मन्दिरोंकी अग्रणित देवदासियाँ नारकीय वेश्या जीवन बिता रही हैं ।

अफलातून : हाँ वत्स ! अनेक समय तक देवताकी ये विवाहित पत्नियाँ पवित्र ब्रह्मचर्य मय जीवन बिताकर अपनी आयु काट देती थी; किन्तु धीरे-धीरे देवताओं ने पुरोहितोंके माध्यमसे अपनी इन पत्नियोंके साथ शरीर-सम्बन्ध कायम किया । फिर मन्दिरमें आनेवाले हर अजनबी व्यक्तिको देवताका प्रतिनिधि मान लिया गया । धीरे-धीरे देव दासियोंकी यह सस्था खुल्लम-खुल्ला वेश्याओंकी संस्था बन गई । इनके पेशेसे जो आमदनी होती थी, वह मन्दिरके चढावेमें जाती थी । प्रत्येक यूनानी मन्दिरके साथ इन देवदासियोंके सैकड़ों आवासगृह जुड़ गये और यह धार्मिक वेश्यावृत्ति मन्दिर की आयका बहुत बड़ा साधन समझी जाने लगी । इस तरह हम देखते हैं कि वेद्यावृत्तिने देवमंदिरके प्रागणमें ही सबसे पहले जन्म लिया ।

अरिस्टोमेन : गुरुदेव ! केवल देव-पूजा वृत्ति ही नारीके इस पतनका एकमात्र स्रोत है ?

अफलातून : नहीं गिप्य ! विजेताओंकी विजयथ्री भी डमके लिये कम उत्तरदायी नहीं है ।

अरिस्टोमेन : वह कैसे गुरुदेव ?

अफलातून विविध देशोंके उद्धत विजेता प्रतिस्पर्धियोंके देशोंको रौंदते दृष्टे अपनी लक्षवाहिनी सेनाओंके साथ विजयका सेहरा वाँचकर लौटते थे । अपने साथ वे लाते थे हज़ारों ऊँटों और खच्चरोंमें लादकर पराजित देशोंकी अपरिमित धन-सम्पदा, सदियोंका संचित कोष, मणियों, मुक्ताओं और हीरोंके अनुपम हार और रत्नजटित आभूषण । साथही साथ वे लाते थे लाखों नवयुवक कँदियोंके जल्ये, जो प्रत्येक सैनिकको इनामके रूपमें बाँट दिये जाते थे और वे इन विजयी नागरिकोंके जर खरीद गुलाम कहलाते थे । विजय-वाहिनी सेनाएँ और भी लाती थी अपने साथ पराजित देशोंकी चुन-चुनकर परम मुन्दरी सहस्रों नवयुवतियाँ । रूप और पदकी उत्कृष्टताके अनुसार वे राजाओं, सरदारों और सैनिकोंमें बाँट दी जाती थी । कालान्तरमें एक-एक सैनिकके अन्त पुरमें सैकड़ों रूपवती नवयुवती दासियाँ एकत्रित हो जाती थी जिनके तन-मन-धनपर उसका एकाधिकार होता था । व्यक्तिगत भोगकी एक मीमा होती है । कतिपय मुन्दरियोंको छोड़कर शेषको वेश्याओंका पेशा करना पड़ता था और उनकी आमदनीमें प्राप्त धन उनके स्वामीको मिलता था । इन परिस्थितियों ने दाम-दामियोंके क्रय-विक्रय या गुलामोंके व्यापारको जन्म दिया ।

अरिस्टोमेन गुरुदेव ! तो महान विजेताओंकी विजयथ्री लाखों नागरियोंके अभिशप्त वेश्या-जीवनसे कलकित है !

अफलातून निश्चय ही ।

अरिस्टोमेन नारीके डम अभिशप्त जीवनका और कौनसा स्रोत है गुरुदेव ?

अफलातून वत्स ! वेश्यावृत्तिका तीमरा स्रोत हमारी नगर-मन्यता है ।

अरिस्टोमेन वही नगर मन्यता जिनपर हम यूनानियोंको अनुपम गर्व है ?

अफलातून हाँ, वत्स !

अरिस्टोमेन वह कैसे गुरुदेव ?

अफलातून : स्वभावमें मनुष्य प्रकृति-पुत्र है । मानवकी मूल सस्कृति ग्राम-सस्कृति है । मन्यताने ग्रामोंको उजाड़कर नगरोंका निर्माण किया । नगर बिलासिता और मौन्दर्य प्रमायनके केन्द्र बने । हज़ारोंके साथ-साथ मज़ूरी का वर्ग बना । समाज श्रीमन्तो और श्रमिकोंमें बँट गया । स्वाभाविक और स्वास्थ्यप्रद वातावरण छोड़कर अमन्य पुष्प अपने परिवारों से विलग, नगरोंमें निवास करने लगे । आहार, निद्रा और रति—मनुष्यके जीवनकी ये तीन प्रमुख आवश्यकताएँ हैं । लाखों परिवारहीन पुरपोंके लिये इनके प्रबन्धकी आवश्यकता थी । इन प्रबन्धने ही नगरोंमें व्यापारिक वेश्यावृत्तिको जन्म दिया ।

अभिजाप लगा हुआ है ?

अफलातून : हाँ, वत्स ! समाजमें वेश्यावृत्तिके यही तीनो मूल स्रोत हैं । जड़में ही जाकर हमें सम्यताके इस महारोगका उपचार करना होगा । जब तक नारी इस कलंक-कालिमासे मुक्त नहीं होगी, तब तक मानव आत्माके समक्ष पुरुष अपना सर ऊँचा नहीं उठा सकता ।

यूनानके इस प्रकाण्ड दार्शनिक और महान सन्त की वाणीमें नारी जीवनके इस कलकित अध्यायके दुखदायी पृष्ठ हमारी आँखोंके सामने चमकने लगते हैं । सारी दुनियाकी वेश्या-वृत्तिके इतिहासके लिये अफलातूनका यह निदान अक्षरशः सत्य उतरता है ।

(५)

पाँच हजार वर्ष पूर्वकी सुमेरी सम्यतामें, जो मध्यपूर्वकी सम्यताओका आदि-स्रोत थी, इस धार्मिक वेश्यावृत्तिका प्रचलन था । दक्षिण भारतके हिन्दू-मंदिरोंकी तरह सुमेरमें भी देवदासियोंका रिवाज था । देवताओका स्त्रियोंके साथ विवाह किया जाता था । कानूनने इन स्त्रियोंको समाजमें वैधानिक पद दे रखा था । देवतासे अपनी कन्याके विवाहके अवसरपर पिताको अपने देवता जामाताको प्रचुर दहेज देना पड़ता था, जो मन्दिरके कोपमें जमा होता था । सुमेरी देवदासियोंमें कई श्रेणियाँ थी ।

सबसे ऊपर देवताकी पटरानी होती थी, जो 'एन्तु' कहलाती थी । वह देवताकी धर्मपत्नी समझी जाती थी । साधारणतया वह राजा या किसी सरदारकी लड़की होती थी । देवदासियोंमें उसका सबसे ऊँचा स्थान होता था । उसे जीवन पर्यन्त निर्दोष और अकलंक चरित्र रखना पड़ता था । उसके मन्दिरकी 'एन्तु' सदा सुमेरी सम्राटकी कन्या होती थी । एन्तुके चरित्रपर इतना ध्यान रखा जाता था कि अगर वह किसी मदिरालयमें दिखाई दे जाय, तो उसे जीवित जला दिया जाता था ।

दूसरी श्रेणीकी देवदासियाँ 'सालमें' कहलाती थी । वे सरदारोंकी लड़कियाँ होती थी । वे मन्दिरमें ही रहती थी । मन्दिरकी ओरसे व्यापार वाणिज्य भी करती थी । इनकी 'पितृनामहीन' सन्तानें भी होती थी ।

तीसरी श्रेणीकी देवदासी 'सिकु' या 'कदिस्तु' कहलाती थी । वे साफ-साफ मंदिरकी वेश्याएँ थी । वे निकृष्ट देवदासियाँ समझी जाती थी । उनकी वेश्यावृत्तिसे जो आमदनी होती थी उसका एक-एक पैसा मन्दिरके कोपमें जाता था । समझा जाता था कि किसी भी स्त्रीके लिये इससे बढ़कर क्या वलिदान हो सकता है कि वह अपना कौमार्य देवताके चरणोंमें चढ़ा दे ।

(६)

साइप्रस, फीनिशिया, कारथेज, फ़लस्तीन, आर्मीनिया और लोकरिस आदि सभी देशोंमें यह धार्मिक वेश्या वृत्ति प्रचलित थी^१ ।

इतिहास लेखक हेरोडोटस और स्ट्रैबोके अनुसार रोम और समस्त इटलीमें धार्मिक वेश्या-वृत्तिका प्रचलन था । वहाँ देवताके मन्दिरमें अभिजात वर्ग और साधारण वर्ग

^१ "Contributions to the Etymology of Psychopathia Sexualis", vol. I, pp. 84, 85.

की स्त्रियोको जीवनमें कमसे कम एक बार किसी भी अजनबी उपासकको अपने सनीत्व की भेंट देनी होती थी। सम्राट कान्स्टैन्टाइनके समय इन प्रथाको बन्द किया गया^१।

मध्ययुगीन फ्रासमें यह प्रचलित धारणा थी कि पादरियोके साथ जिन स्त्रियोका यौन सवध हो चुका है वे "पवित्रात्मा" बन गई हैं। पादरियोसे सवधित वेश्याओंको 'समर्पित देवी' कहा जाता था^२।

भारतके पश्चिम घाट और कोकण प्रदेशमें "लिंगम" पूजाका बहुत प्रचार था। देवदासियोकी प्रथाके साथ-साथ यह आवश्यक था कि "लिंगम" के साथ अघत योनि कुमारियोका सस्पर्श कराया जाय^३।

सरकारी आँकड़ोके अनुसार मद्रास प्रान्तमें नन् १९०१ में देवदासियो की मर्यादा वारह हजारसे अधिक थी^४। धार्मिक वेश्यावृत्तिकी पृथा दक्षिण अमरीका, काम्बोडिया वोनियो इत्यादि देशोंमें भी प्रचलित थी^५। करशनदाम मूलजीके अनुसार वल्लभाचार्य के महाराजा सम्प्रदायकी भी यही प्रवृत्ति थी^६।

इन अनेको उदाहरणोके आधारपर हम धार्मिक वेश्यावृत्तिको दो समूहोंमें बाँट सकते हैं

१ देवताके सम्मानमें जीवनमें केवल एकवार अस्यायी वेश्यावृत्ति, और

२ स्थायी धार्मिक वेश्यावृत्ति।

एक वारकी धार्मिक वेश्यावृत्तिके अन्दर जो सिद्धान्त निहित था, वह यह था कि, स्त्री देवताको अपना 'कौमार्य' समर्पित करती थी। यह क्रिया नमारके भिन्न-भिन्न देशोंमें भिन्न-भिन्न रूपमें वरती जाती थी। दक्षिण भारतमें यह नितान्त जघन्य रूपमें प्रचलित थी। हाथीदाँत, चन्दन या पत्थरके 'देवलिंगम' से कौमार्य भगवो प्रथा पूरी की जाती थी। कही-कही कुमारीको देवताके प्रतिनिधि पुजारी या राजा द्वारा कौमार्य भगकी यह धार्मिक क्रिया पूरी करानी पडती थी।

समझा यह जाता था कि देवताके साथ यौन-सवध होनेके बाद पति-पत्नी उन पाप के भागी नहीं होंगे जो यौन-सवधके साथ जुडा हुआ है। इन रिवाजको इतना महत्त्व दिया जाता था कि गाजे-बाजेके साथ देव-मन्दिरमें जाकर यह क्रिया नमन की जाती थी। वैवीलोनमें मिलित्तके मन्दिर, मिस्रमें आइमिसके मन्दिर, यूनानमें 'एफादिने' के मन्दिर, यहूदाओं 'बाल' के मन्दिर और रोममें फ्लोराके मन्दिरमें कौमार्य भगकी यह क्रिया बडी घूमघामके साथ सम्पन्न की जाती थी। ऐनी विवाहिता स्त्रियाँ जिन्होंने

^१ "The Legend of Tanaquil, an investigation concerning Orientalism in Rome and Italy." P 43.

^२ J A Dulaure, "Des Divinites generatrices," etc.

^३ "East Indian Journey," P. 161.

^४ "Annotations on the sacred writings of the Hindus," P. 3

^५ Plos-Bartels, "Das Weile in der Natur-und Völker-Kund." Vol I, P. 580

^६ Karsandas Mulji History of the Sect of Maharajas or Vallabhacharyas in Western India," P. 161.

देवताओंको अपना कौमार्य अर्पित नहीं किया है देवमन्दिरमें अजनबी या पुरोहितको अपना सतीत्व अर्पित कर प्रारम्भिक गुनाहसे मुक्ति पा सकती थी^१ ।

स्थायी धार्मिक वेद्यावृत्तिकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं । भारतकी देवदासियों की तरह फिनीशियामें देवदासियोंको 'कादे' और यूनानमें 'हाइरोडूल' कहा जाता था । फिनीशियामें वे 'वेनस की पुजारिनी' और यूनानमें 'एफ्रादितेकी दासी' समझी जाती थी । वे मन्दिरोंमें ही रहती थी । कोरिन्थके एफ्रादितेके मन्दिरमें एक हजार देवदासियाँ मन्दिरके प्रागणमें ही वेद्यावृत्ति करती थी । उत्तर भारतमें इस प्रकारकी देवदासी 'नायक' कहलाती थी ।^२

(७)

महाकवि गेटे लिखता है—“इसमें कोई सन्देह नहीं कि धार्मिक वेद्यावृत्तिसे ही आधुनिक वेद्यावृत्तिका जन्म हुआ । हमारी आधुनिक वेद्याओंके समान देवदासियाँ भी अनासक्त भावसे अपनेको किसी भी ऐसे पुरुषको समर्पित कर देती थी जो उनके पेशेकी कीमत चुकाता था । किन्तु वह कीमत देवदासियोंको नहीं बरन् देवता या चतुर पुरोहितके हाथोंमें जाती थी । ये पुरोहित आधुनिक चकलेदारोंसे मिलते-जुलते थे ।”^३

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शापनहावर आधुनिक वेद्या वृत्तिके सम्बन्धमें लिखता है — प्रत्येक देशमें आधुनिक वेद्यावृत्ति बड़े नगरोकी उन्नतिका ही परिणाम है । आधुनिक वेद्या-वृत्तिका विकसित रूप हमें केवल बड़े नगरोमें ही देखनेको मिलता है । मध्य युगमें, जबकि वेद्या वृत्ति सामाजिक जीवनका आवश्यक अंग समझी जाती थी, वेद्याओंके चकले हमें छोटे-छोटे नगरो और कसबोंमें भी देखनेको मिलते थे । किन्तु यौन रोगोंके आक्रमण स्वरूप कसबोंसे ये चकले घर समाप्त हो गये और आज दिन तो गाँवोंमें वेद्याओंका नाम-निशान भी नहीं है । गाँवोंमें उन्मुक्त और मस्ताने प्रेमकी घटनायें होती रहती हैं किन्तु उनका वेद्यावृत्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं । वेद्यावृत्तिकी समस्या केवल बड़े नगरो तक ही सीमित है । नगरोमें पुरुषोंकी कामवासनाकी तृप्तिके लिये वेद्याओंकी माँग है किन्तु इस माँगके अनुपातमें वेद्याओंकी सख्या बड़े नगरोमें अत्यधिक बढ़ गई है । नगरोमें पुरुषोंकी सख्याके अनुपातसे वेद्याओंकी सख्या कहीं अधिक बढ़ी है ।^४

आधुनिक वेद्यावृत्तिकी परिभाषा करते हुए प्रसिद्ध फ्रांसीसी डाक्टर रे लिखता है :- “वेद्यावृत्ति वह वृत्ति, पेशा या कार्य है, जिसके अनुसार कोई स्त्री धन पाकर या धन पाने की आशामें बिना किसी तमीजके हर पुस्पको अपना तन हवाले कर देती है । इस क्रियामें दो विशेषताएँ हैं—(१) बिना भेद-भावके कोई भी पुरुष उसके तनका उपभोग कर सकता है और (२) इस समर्पण क्रियाके एवजमें नारीको पुरस्कार या मेहनताना मिलता है । वेद्यावृत्तिकी एक तीसरी विशेषता और है वह यह कि विविध पुरुषोंके साथ यह समर्पणकी क्रिया सम्पन्न हो ।”^५

^१ “Sexual life of our Time” by Iwan Bloch, P. 100-103.

^२ W. H. Roscher, “Nectar and Ambrosia, P.P. 86-89.

^३ Goethe, “Der Gott und die Bajadere.”

^४ Journal for the suppression of Venereal Discases, Vol II, P.P. 311-312.

^५ Rey, “Public and Secret Prostitution, P. 1

अनेक पाश्चात्य आलोचक वेश्यावृत्तिके लिये नारीको ही दोष देते हैं। उनके अनुसार वेश्यावृत्ति ग्रहण करनेवाली नारियोंमें जन्मसे ही वेश्याओंके लक्षण होते हैं^१। किन्तु फ्रैंडरिक हैमर ऐसी विचारधाराका खडन करते हुए कहता है कि “जिस व्यक्ति ने भी वेश्यावृत्तिका गम्भीर अध्ययन किया है, उसमें यह बात छिपी नहीं है कि एक सम्माननीयमहिला किस तेजीके साथ परिस्थितियों और वातावरणसे विवश होकर वेश्यावृत्तिकी ओर फिसलती है। कुछ सप्ताह पहले तक वह पवित्र, विनम्र, सम्मानपूर्ण और नादगी से भरी होती है। किन्तु पतनके चक्रमें फँसकर और परिस्थितियोंकी चक्कीमें पिसकर उसकी पवित्रता चूर-चूर हो जाती है। अपनी अमहायतापर वह आँसू बहाती है किन्तु उस नरकसे निकलनेका उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता”^२।

इस शताब्दीके प्रारम्भमें अनेक देशोंके समाज सुधारकोंका ध्यान वेश्याओंकी समस्या की ओर गया। यूरोपीय देशोंमें वेश्यावृत्तिने अनेको गम्भीर समस्याएँ पैदा कर दी हैं जिनमें भयकर यौन रोगोंकी एक लम्बी तालिका भी शामिल है। समस्याका हल ढूँढ निकालनेके लिए विविध देशोंके यौन रोगोंके विशेषज्ञों और समाज-सुधारकोंने अपने अनुभवोंपर आधारित अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये*।

सन् १८५० के लगभग डाक्टर लिपटेंके ग्रन्थने सबसे पहले वेश्याओंकी हृदयविदारक कहानियाँ यूरोपकी जनताके सामने रखी। डाक्टर लिपटें अपने ग्रन्थमें लिखते हैं — “वेश्यावृत्तिका दानव सहस्रमुखी है। यह गिरगिटकी तरह अपना रंग बदलता है। अगणित कुलवधुओंको यह दर-दरकी खाक छनवाता है, असह्य वर्णमंकर मन्तानों का यह जन्मदाता है। मयखानों और नाचघर इसीके सहारे चलते हैं। इसके चकला घरोंमें हत्याओं और डाकोंकी योजनाएँ बनती हैं। अगणित आत्महत्याओंकी यहाँ भूमिमा तैयार होती है। भयकर यौन-रोगोंका यहाँ सृजन होता है। जन्मान्धों और जन्म-वक्रोंके आगमनकी यहाँ ही दागवेल पड़ती है। समाजके दानव निधन कुलवधु या कुमारीको सहसा अपने नागपागमें जकड़ लेते हैं। मुक्तिके लिये छटपटाकर वह अवग हो जाती है। मत्रमुग्ध-सी ये श्रवलाये दर्जनोंकी मर्यामें नारकीय चकलाघरोंमें रहने को विवशकी जाती है। इन्हें सजाकर कोठेपर बिठाया जाता है। सम्मोहन अन्न देकर इन्हे शिकार फँसानेके लिये सड़कोंपर धुमाया जाता है। मानिकों द्वारा दैनिक मानिक और

^१ C. Lombroso, “Woman as Criminal and Prostitute, P 550

^२ Friedrich Hammer, “The Regulation of Prostitution, P. 380

* कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं —

- 1 Dr. Michael Ryan, “Prostitution in London ”
- 2 Dr William Tait, “Prostitution in Edinburgh ”
- 3 Rev Ralph Ward Law, “Prostitution in Glasgow.”
4. Berand, “Prostitution of Paris ”
- 5 F J. Behrend, “Prostitution in Berlin and the Measures against Syphilis ”
- 6 H Lippert, “Prostitution in Humburg ’
7. Joseph Schrauk, “Prostitution in Vicuna ”
- 8 W Acton, “Prostitution in its various Aspects ”
9. J. Jeanel, “Prostitution in Large Towns ”
10. C. Strohmberg, “Prostitution a Socio Medical Study.”

वार्षिक ठेकोपर उन्हें उठाया जाता है । ३० या ३२ वर्षकी अवस्था तक, जब तक उनकी जीवन-श्री अक्षुण्ण रहती है, उनके खरीदार उनकी कद्र करते हैं और फिर मरणान्तक वीमारियोंमें ग्रस्त, वेआसरा वेसहारा उन्हें ठोकर मारकर सड़कोपर निकाल दिया जाता है । तुरन्तउनके रिक्त स्थानकी पूर्ति कर ली जाती है । घरेलू नौकारानियोका वर्ग, जब तक है तब तक वेग्याओकी पक्ति क्षीण नहीं हो सकती ।”

उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें वेग्याओकी हित चिन्तनाका सर्वाधिक श्रेय डाक्टर अलफ्रेड व्लाखोको है । सन् १८९२ में उन्होंने मेडिकल सोसाइटी, बर्लिनकी ओरसे वेग्यावृत्तिके विनाशके लिये एक विश्व सम्मेलन किया । यूरोप, अमरीका और एशियाके अनेक विद्वानो, चिकित्सको और समाजशास्त्रियोने समस्याके विवादपूर्ण अध्ययन में भाग लिया । इस सम्मेलनके परिणामस्वरूप दो नारे बलुन्द किये गये :—

- १ वेग्या वृत्तिकी वैधानिक मान्यता समाप्त की जाय,
- २ चकलाघरोको बन्द किया जाय ।

इस शताब्दीके शुरूमें ही संसारके सम्य देशोंमें वेग्यावृत्तिके लिये सुकुमारी लडकियो को फुसलाकर उड़ाये जाने और बेचे जानेके विरुद्ध जिहाद गुरु किया गया । सन् १९०५ में फ्रैंक-फर्टमें इस सिलसिलेमें एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International conference for the Suppression of the Traffic in Girls) बुलाया गया और वहाँ किशोर बयस्का बालिकाओके इस व्यापारके विरुद्ध रचनात्मक निर्णय किये गये^१ ।

फेलिक्स बोमेनके अनुसार सन् १९१२में अकेले न्यूयार्कके नगरमें कमसिन लडकियो के अनैतिक व्यापारियोकी सख्या लगभग बीस हजार थी । ये व्यापारी अँगरेज, जापानी, जर्मन, तुर्क, भारतीय, यूनानी, फ्रासीसी, हंगेरियन सभी प्रकारकी लडकियोको यूरोप और एशियासे फुसलाकर अमरीकी चकला-घरो या कस्बीखानोकी मांग पूरी करते थे^२ । सन् १९२३ के लीग आफ नेशन्स कन्वन्शन के अनुसार विविधि देशोकी सरकारें इस जघन्य राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारको बन्द करनेके लिये काफी प्रयत्नशील हैं ।

प्रसिद्ध अग्नेज इतिहास लेखक और चिन्तक ड्रेपरने बड़े मार्मिक शब्दोंमें वेग्यावृत्ति मे समाजकी निवृत्तिकी ओर विचारकोका ध्यान आकर्षित किया है । वह लिखता है —

“विचारकोमें भी एक वर्ग है, जो इस घृणित व्यापारको ‘आवश्यक पाप’ बताकर जारी रखनेके पक्षमें है । वह उसपर सरकारी मोहर लगाकर उसे कानूनी छाप देना चाहता है । वह वेग्याओका सूची बद्ध रजिस्टर रखनेकी सलाह देता है । वह कस्बी खानोको भी सरकारी नियंत्रणमें चलानेके पक्षमें है । वह वेग्याओके अनिवार्य और नियमित शारीरिक परीक्षणके पक्षमें है । ऐसे भोले लोगोकी अक्लपर तर्स आना चाहिये । ये लोग दुनियाके हर दुर्गुणको, समाजमें प्रचलित हर बुराईको, सरकारी छाप लगाकर न्याय्य ठहराना चाहते हैं । वेग्यावृत्ति यदि और पेगोकी तरह एक पेगा है, तो हिन्दुओकी जाति-पाँतिकी तरह ये उसे अपरिवर्तन शील रखना चाहते हैं । क्या वे अपनी बहिनी

^१ Revelations Regarding the International Traffic in Girls, P.P. 207-208.

^२ “Sexual Life of our Time,” by Iwan Block, P. 338

और वेदियोंको नि सकोच वेश्यावृत्तिका पेशा स्वीकार करने दंगे ? इस पेशेमें फँसी बहिनोको स्वस्थ सामाजिक जीवन वितानेका जीवनमें कोई अवसर प्राप्त न होगा—क्या यह हृदयको कैपा देनेवाली स्थिति नहीं है ? 'समाजकी आवश्यकता' के नामपर लाखो असहाय नारियोंको आतशक, सूजाक और तपेदिक की नारकीय यंत्रणा भोगनेके लिये छोड़ देना—यह किस प्रकारका न्याय है ? पुरुष इन धृणित रोगोके कीटाणुओको वेश्याओसे उपहारमें पाकर अपनी भोलीभाली विश्वासी पत्नीको भेंट करता है । इन यौन रोगोके परिणाम उसकी सन्ततिको जीवनपर्यन्त भुगतने पडते हैं । वेश्यावृत्तिको आवश्यक वतानेवाले समाजशास्त्री अपने कलेजेपर हाथ रखकर जरा सोचें कि वे कैसा भयानक कुफ्र बक रहे हैं ? 1”

वेश्याको सम्बोधन करते हुये प्रसिद्ध इतिहासज्ञ और विद्वान विलियम लैकी लिखता है .—

“कलुप और पतनकी प्रतीक उस एक नारीपर वासनाओका एक ऐसा केन्द्रीभूत बोझ लदा हुआ है कि जो यदि बिखर जाय, तो सारा ससार लज्जासे भर जायगा । धर्म आते हैं और जाते हैं, सम्यताएँ फलती-फूलती हैं और समाप्त हो जाती हैं । किन्तु कर्षणा की वह साकार मूर्ति, वेश्या, मानवताकी अमर पुजारिनी पुरुषोकी काम-लिप्साकी लपटों में युग-युगसे ईंधनकी तरह जीवित घोंप-घोंप जल रही है 2 ।”

(८)

संसारके अन्य देशोकी तरह भारतमें भी वेश्यावृत्ति का अभिशाप विविध रूपोंमें दिखाई देता है । भारतका कोई नगर ऐसा नहीं है, जहाँ यह अभिशाप अपने तीव्र रूपमें न हो । उदाहरणके तौरपर हम १९५१ में लिये हुये इलाहाबाद नगरके आँकडे यहाँ पेश कर रहे हैं ।

चकला घरो की सख्या	सार्वजनिक वेश्याओ की सख्या	गुप्त वेश्याओ की सख्या	आयु श्रेणी			आतशक और सूजाक आदि यौन रोगो से पीडित वेश्याओ की संख्या
			११ से १६ वर्ष	१७ से २५ वर्ष	२६ से ३५ वर्ष	
२९	५८७	१३९	२१८	२५४	१०६	४६३

गुप्त वेश्याओमें उन विवाहिता स्त्रियोंकी भी गणना है जिनके पतियोकी आमदनी पचास रुपयेके भीतर है या जिनके पति बेकार हैं । इन बहिनोकी वेश्यावृत्तिने ही परिवार का भरण-पोषण होता है 3 । ऊपरके आँकडोमें केवल उन्ही वेश्याओका शुमार है जिनके नाम पुलिस स्टेशनो और म्युनिमिपल स्वास्थ्य विभागकी जाँच-पडताल डायरी में दर्ज हैं ।

भारतकी विविध नगरपालिकाओने वेश्याओको आवागृहोसे दूर नगरके एकान्त भागमें रखनेकी नीति अपनाई है । किन्तु इसकी उपादेयतापर गम्भीर मतभेद है । पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इलाहाबाद म्युनिमिपैलिटीके अध्यक्ष थे,

1 Draper, "The Social Diseases," P 71

2 Religion and Science, by William Lecky, P 128

3 B. N. Pande, "Allahabad . Retrospect and Prospect," P. 460

उस समय वैश्याओंके वास स्थानका प्रश्न उनके समक्ष आया । समस्यापर अपने विचार प्रकट करते हुए श्रीनेहरूने लिखा था :—

“वैश्याओंके निवासस्थानका प्रश्न म्यूनिसिपैलिटीके सामने गत कई वर्षोंसे है । मैं चाहता हूँ कि केवल निवासस्थानके सीमित प्रश्नपर ही विचार न किया जाय बल्कि समस्याके व्यापक रूपपर विचार किया जाय । गत वर्ष म्यूसिपैलिटीने वैश्यावृत्तिको नगरसे ममाप्त करनेका साहसपूर्ण निर्णय किया था । इस प्रस्तावको मूर्त रूप देनेके लिये एक समितिका भी निर्माण किया था । किन्तु वह प्रयास जैसा कि सबको पता था, असफल सिद्ध हुआ । दुनिया कितनी बदल जाय यदि हम प्रस्तावोंके द्वारा बुराइयों और अपराधोंको दूर कर सकें । यह दु खकी बात है कि हमें नवनिर्माणके काममें सम्मूह-सम्मूहकर क्रम रचना पडता है ।

“यह एक मानी हुई बात है कि वैश्यावृत्ति एक पाप है और समाजके पहलूमें वह एक नासूरकी तरह है । इतिहासके उपाकालसे वैश्यावृत्ति प्रचलित है और हममें इतनी अहम्मन्यता नहीं होनी चाहिये कि हम कहें कि हम उसका यकायक अन्त कर देंगे । किन्तु ससारके प्रत्येक देशमें नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्यको दृष्टिमें रखकर उसकी बुराई को कम करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । पश्चिमके अनेक नगरोंमें वैश्यावृत्तिको नियमबद्ध और सूचीबद्ध करनेका प्रयत्न किया गया किन्तु उससे उद्देश्यकी सिद्धि नहीं हुई । कुछ नगरोंमें मान्यताप्राप्त चकलाघर हैं, जिनका नियमित निरीक्षण होता है किन्तु पुलिसके लाख प्रयत्न करनेपर भी अधिकांश वेध्याएँ नियमबद्ध होने या रजिस्ट्री करानेसे साफ इनकार करती हैं । इस प्रश्नको हल करनेका एक दूसरा तरीका है कि क्लिनिक खोले जायँ जहाँ यौन बीमारियोंके इलाजका प्रबन्ध हो । इन चिकित्सालयोंमें इन बीमारियोंके सम्बन्धमें लोगोंको ज्ञान कराया जाय । इनके परिणामोंसे वैश्या-गामियोंको सचेत किया जाय । नियम और अधिनियम बनाकर प्रत्येक देशमें वैश्या-वृत्तिको कम करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । अनेक देशोंमें कुटनेपनको भी एक जघन्य अपराध समझा जाता है ।

“यह एक माना हुआ सत्य है कि वैश्यावृत्तिके दो कारण हैं—एक आर्थिक और दूसरा मानवीय दुर्बलता । यदि हम स्त्रियोंको आर्थिक दृष्टिसे अपने पैरोपर खड़े होनेमें सहायता पहुँचायें तो हम नियम और अधिनियम बनाकर वैश्यावृत्तिको बन्द करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक सफलतापूर्वक उसे बन्द करनेमें सहायता करेंगे । मानवीय दुर्बलताको दूर करना अति कठिन है, किन्तु स्त्री-पुरुषोंकी आर्थिक और सामाजिक बराबरीसे समस्याके सुलझने में मदद मिलेगी । वैश्याओंको अपने बीचमें रखनेसे हमें बदनामी महसूस होती है किन्तु वेध्याएँ अपना पुरातन पेशा एकमात्र अकेले नहीं चला रही हैं । वे वेध्यागमन के अपराधकी केवल एक पक्ष हैं । दूसरे पक्षकी बुराई मेरे कानोंमें कभी नहीं पडती । यह दूसरा पक्ष पुरुषोंका है, जो असहाय स्त्रीकी असमत् लूटकर सारा दोष उसीके सर मढ़ देता है । यदि वैश्यावृत्ति हमें बन्द करनी है, तो वैश्याओंको हम जितना दोष देते हैं, उतनाही दोषी हमें वैश्यागामी पुरुषोंको ठहराना चाहिये ।

“यदि हम इस प्रस्तावको स्वीकार करलें कि वैश्याओंको नागरिकोंके रहनेके मुहल्लो से या व्यापारक्षेत्रसे हटाकर अलग कर दिया जाय, तो उसका परिणाम यह होगा कि

वे शहरसे बाहर एक जगह इकट्ठा रहने लगेंगी । इस कार्यको व्यावहारिक रूप देना सरल नहीं है । वे खुल्लमखुल्ला कोठोपर बैठनेके वजाय चुपचाप अपना पेशा करेंगी । किन्तु यदि हम उन्हें शहरसे बाहर निकालनेमें सफल भी हो गये, तो इसका परिणाम क्या होगा ? इस विषयके एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञकी राय मैं यहाँपर उद्धृत करना चाहता हूँ । वे कहते हैं —“वेश्याओंकी स्थितिकी जाँच-पडताल करनेमें मैं यूरोपके लगभग सभी बड़े नगरोंमें गया —ग्लासगोसे वुडापेस्ट तक और रोमसे क्रिस्टिनिया तक । मुझे एक भी पुलिस आफिसर ऐसा नहीं मिला, जो इस रायका हो कि वेश्याओंको एक ही मुहल्लेमें एकत्रित कर देना चाहिये । उनका इस प्रकार एकत्रित करना अत्यन्त अवाञ्छनीय है । अपराधकी तरह वेव्यावृत्ति भी यदि एक जगह मघन हो जाय, तो अत्यन्त खतरनाक हो जाती है । जिस तरह अपराधियोंको एक जगह एकत्रित कर देना खतरनाक है, उसी तरह वेश्याओंको एक जगह एकत्रित करना आपत्तिजनक है ।”

वेश्यावृत्तिकी हानियोंको कम करनेके लिये श्री नेहरूने निम्नलिखित सुझाव पेश किये —

१. वेश्याओंके आवास-स्थान स्कूलो, कालेजो और होस्टलोंके निकट न हों ।
२. कुटनियोंकी प्रथा बन्द करदी जाय ।
३. वेश्याओंका कोठोपर बैठना बन्द कर दिया जाय ।
४. अधिक से अधिक महिला कल्याण गृह खोले जायें जहाँ अमहाय और विधवा स्त्रियाँ सुरुचिपूर्ण जीवन बिता सकें ।
५. यौन रोगोंके सम्बन्धमें लोगोंको जानकारी करानेका प्रयत्न किया जाय !
६. चकलेघर या कस्त्रीखाने कानूनन बन्द कर दिये जायें । स्त्रियोंकी सम्भोग-स्वीकृति आयु (Age of consent) बढ़ा दी जाय ।
७. लडकियोंको फुमलाकर उडाना और बेचना बड़ा अपराध समझा जाय और उनके उल्लघनपर अत्यन्त कठोर दंड दिया जाय ।

वेश्याओंको नगरने बाहर हटानेका घोर विरोध करते हुए पंडित नेहरूने कहा — “वेश्याओंको नगरसे बाहर एक अलग मोहल्लेमें बसानेका मैं तीव्र विरोध करता हूँ । यदि आप उन्हें एक अलग मोहल्लेमें बनाना चाहते हैं, तो फिर वेव्यागामी पुरषोंको भी आप शहरसे बाहर एक दूसरे अलग मोहल्लेमें बसानेका आयोजन करें ।”*

यौन रोग वेश्यावृत्तिकी ही औरम मन्तानें हैं । मन् १९१३ में यौन रोगोंके सर्वांगीण परीक्षणके लिये डगलिस्तानमें एक रायल कमीशन मुकर्रर किया गया । कमीशन की सिफारिशोंके अनुसार उस देशमें यौन रोगोंके बचने और उनकी चिकित्साके लिये ठोस कदम उठाये गये । भारतीय चिकित्साके इतिहासमें पहली बार मार्च मन् १९१७ में यौन बीमारियोंका मुकाबला करनेके लिये बम्बईके चिकित्सकोंकी एक लीग कायम हुई । पाश्चात्य देशोंकी चिकित्सा प्रणालीको बम्बईके डाक्टरोंने भी अपनाया ।

भारतके अन्य अनेक नगरोंके समान इलाहाबादमें भी यौन रोग अपनी पगमाफ्टा पर है । म्युनिसिपैलिटीके अपने अध्यक्ष कालमें मैंने मन् १९५१ में अम्नानां और व्यक्तिगत चिकित्सकोंमें जो आँकड़े एकत्रित करवाये उनके अनुसार उन वर्ष इलाहाबाद

* Allahabad Municipal Gazzete 10th June 1923

नगरमें १०,८३७ व्यक्तियोंकी यौन रोगोके लिये चिकित्सा की गई, * भारत सरकारके स्वास्थ्य मंत्रालयकी विज्ञप्तिके अनुसार भारतमें इस समय १,३०,००,००० स्त्री और पुत्र आतङ्गक और सूजाक आदि यौन रोगोसे पीड़ित हैं। वेद्यावृत्ति समाजसे जो भयकर बदला चुका रही है ये आँकड़े उसकी कर्ण कथा सुना रहे हैं।

(६)

स्वतन्त्रता प्राप्तिके बादसे भारतमें वेद्यावृत्ति निरोधकी ओर जनता और जन-प्रिय सरकार, दोनोंका ध्यान शनै-शनै आकर्षित हो रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्डने २४ दिसम्बर सन् १९५४को 'सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य परामर्श समिति' मुकरर की। समितिकी अध्यक्ष श्रीमती वनवन्ती रामाराव थी और सदस्याएँ श्रीमती शान्ति कबीर, श्रीमती विमला देशमुख, श्रीमती मैत्रेयी वोस, श्रीमती पी० पारिजातम नायडू और मंत्री सदस्य श्री वी० वी० गास्त्री थे। समितिने ३० सितम्बर सन् १९५५ को अपनी विचारपूर्ण रिपोर्ट केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्डके समक्ष प्रस्तुत की है। अन्य बातोके अतिरिक्त समितिको लड़कियोंके अनैतिक व्यापारकी जाँच पड़तालका काम भी सँपा गया था और उन्हें यह भी सलाह देनेका काम सँपा गया था कि स्त्रियो और बालिकाओको नारकीय वेद्या जीवनसे कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है।

समितिकी रिपोर्टसे कुछ अत्यन्त उपयोगी तथ्योका पता चलता है। जैसे भारतमें अकेला एक कुर्म ही ऐसा राज्य है जहाँ वेद्यावृत्ति नहीं है। भारतमें चार प्रकारकी वेद्याएँ हैं—(१) वेद्याओकी अपनी कन्याएँ, (२) देवदासियाँ और धार्मिक वेद्याएँ, (३) सामाजिक परिस्थितियोंसे विवग होकर जिन्होने वेद्यावृत्ति स्वीकार की है और (४) अत्यधिक यौन भावनाओसे पूर्ण नारियाँ जिन्होने व्यक्तिगत कारणोंसे वेद्यावृत्ति अपनाई है।

पहली श्रेणीकी वेद्याएँ गोआ में 'गौमन्तक' सावन्तवाडीमें 'कोलाती', आध्रमें 'वसावी' और 'कोयी' और उत्तरप्रदेश और बिहारमें 'नट' और वेड़िनियाँ कहलाती हैं। दूसरी श्रेणीकी वेद्याओकी परम्परा मद्रास, बम्बई और उडीसा में पाई जाती है। मद्रास और बम्बई दोनों जगह देवदासी विरोधी कानून बनाये गये। मद्रासमें एक बहुत बड़े अग तक देवदासी प्रथाका अन्त करनेमें सफलता प्राप्त हुई है। राजकीय सहायता, जनमत और समाज सेवकोकी सतत चेष्टाओसे उमे इसमें सफलता प्राप्त हुई है। किन्तु बम्बईमें देवदासियोंकी प्रथा अब भी यल्लामा, दुर्गा और मगेगके मन्दिरोंमें प्रचलित है। बम्बईके चकलाघरोमें कर्नाटक, खानदेश और राज्यके दूसरे क्षेत्रोंसे लाई हुई इस प्रकारकी देवदासियाँ समितिको मिली। चकलाघरोकी भालकिनें जो 'घरवाली' कहलाती हैं इन देवदासियोंकी आधी आमदनी हड़प जाती है। ये घरवालियाँ इन्हें गहने कपडोंके लिये कर्ज देती हैं और रहनेको कोठरी। इनमेंसे प्रत्येक लड़की यौन रोगो से पीड़ित दिखाई दी। इनमें से अधिकांश स्त्रियाँ पाँच रुपयेसे लेकर १० दस रुपया रोज तक कमाती हैं। आठ आना प्रति व्यक्तिके हिसाबसे ये दससे लेकर बीस आदमियों तक की कामवासना रोज तृप्त करती हैं।

*B.N. Pande, "Allahabad - Retrospect and Prospect," P.P. 94-95

तीसरी श्रेणीकी वेश्याओमें, जिन्हें परिस्थितियोंने वेध्या वननेपर विवश किया, समितिको ऐसी निर्धन किन्तु सम्माननीय परिवारोंकी स्त्रियाँ मिलीं—(१) जिन्हें बेकारी और भुखमरीने वेश्या वननेपर विवश किया; (२) नवयुवती विधवायें, जिन्हें परिवार वालोने क्रूर व्यवहार करके घरसे बाहर निकलने और वेश्याएँ वननेपर विवश किया, (३) पतियों, सासो और ससुरालके अन्य सदस्यों द्वारा सताई गई नवयुवतिया जिन्होंने घरके असहनीय अत्याचारोंसे वेश्यालयोका जीवन कहीं कम कष्टकर समझा और (४) वे युवतिया और बालिकायें जो पितृहीना और अनाथ थी और जिन्हें उनके ही अभिभावकों ने वेश्या वननेके लिये आजाद छोड़ दिया। हैदरावाद दक्षिणमें ऋणग्रस्त परिवार साहूकारोंको अपने लड़के लड़कियाँ सदाके लिये दे देते हैं। यह प्रथा 'परवरदा' कहलाती है। अकेले हैदरावाद और सिकन्दरावाद के नगरोंमें इस प्रकार के तैईन हज़ार बच्चे समितिको मिले जिनमें एक तिहाई से अधिक बालिकायें थी। इनमेंसे अधिकांश बालिकायें वेश्याओंके चकलाघरोंको आवाद करनेपर विवश की जाती हैं। बगालमें अनेको बालविधवायें हैं। इनके पिता या अभिभावक इन्हे काशीमें विध्वनायक मन्दिरमें भजन करनेके लिये छोड़ जाते हैं। इन सुकुमार बंगाली बाल विधवाओंमें से एक बड़ी मर्या कुटनियों द्वारा दालमडीमें पहुँचा दी जाती है।

चौथी श्रेणीकी वेश्याएँ पूरी-पूरी वेश्याएँ नहीं हैं। वे मप्ताहमें दो-तीन बार वेश्यालयो, होटलो, या बॉडिंगोंमें जाकर अपनी असाधारण जिन्नी भूख बुझाती हैं। इनके एवजमें इन्हें आर्थिक आमदनी भी हो जाती है।

वेश्या वृत्तिके व्यापारको चलानेमें चार प्रकारकी एजेन्सियाँ भाग लेती हैं — (१) लड़कियाँ फुसलाकर उड़ानेवाले या कुटनियाँ, (२) चकलाघर या कस्त्रीखानेकी मालकिन जिसे दक्षिणमें 'घरवाली' और उत्तरमें 'नायिका' या 'नायक' कहा जाता है, वेश्याओंकी पंचाम प्रतिशतसे अधिक आमदनी इन मालकिनोंके वटुयेंमें चली जाती है, (३) दलाल जिनमें टैक्सी ड्राइवर, रिक्सावाले, टाँगावाले या दूसरे लोग शामिल होते हैं और (४) मवान मालिक।

समितिके अपनी रिपोर्टमें एक अलग अध्यायमें उन सब कानूनों, नियमों, अधिनियमों और उपनियमोंकी चर्चा की है जो स्त्रियोंको भगाने, बेचने, पेशा करानेके लिये किन्नी एक जगह रखने या उनसे कामवानना परितृप्त करनेमें सम्बन्धित है। अपनी विविध धाराओंके अनुसार भारतीय दण्ड विधान (धारा ३६६, ३६६ अ, ३६६ ब, ३७२, ३७३ और ३७६) निम्नलिखित बन्दिग लगाता है —

(१) सोलह वर्षमें कम आयुकी अविवाहित बालिकाने उसकी महमति के होते हुए भी यौन सम्बन्ध वर्जित है।

(२) किसी भी स्त्रीके साथ उसकी महमति और मरजी के प्रतिकूल उग्र धमकाने फुसलाकर या बेहोशीकी दवा पिलाकर यौन सम्बन्ध वर्जित है।

(३) विवाहिता स्त्रीके साथ उसकी सहमतिके यौन सम्बन्ध जुर्म नहीं है बसकि कि इसमें उसके पति की सहमति हो या वह इसमें आँख बचाता हो।

(४) अपहरण अभिभावकके अधिकारोंके विरुद्ध जुर्म है।

(५) किसी स्त्रीका अपहरण इन उद्देश्योंके कर्ना कि उसे अपने व्यक्तिगत यौन सम्बन्ध करनेपर विवश किया जाय जुर्म है।

(६) नाबालिग लड़कियोंको वेद्यावृत्तिके लिये वेचना या देना कानूनी अपराध है । लड़कियोंके अनैतिक व्यापारको रोकनेके लिये भारतके विविध राज्योंमें जो कानून प्रचलित हैं उनकी तालिका इस प्रकार है —

१. बम्बई वेद्यावृत्ति निरोधक कानून, १९२३,
२. मद्रास अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९३०
३. बंगाल अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९३३,
४. उत्तरप्रदेश अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९३३,
५. पंजाब अनैतिक व्यापार निरोधक कानून १९३५,
६. मैसूर अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९३६,
७. जम्मू-काश्मीर अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९३४,
८. बिहार अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९४८,
९. त्रावणकोर-कोचीन अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९५२
१०. हैदराबाद अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९५२,
११. मध्य प्रदेश अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९५३,
१२. अजमेर अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १९५३ ।

मद्रासका कानून आन्ध्रमें प्रचलित है और बंगालका दिल्लीमें । बम्बईका देवदासी कानून, १९३४, और मद्रासका देवदासी कानून , १९४७ विशेष कानून है जिनके द्वारा दोनों राज्योंमें बालिकाओंको देवार्पित करके देवदासी बनानेकी प्रथा गैरकानूनी करार दी गई है । सन् १९२९ का यू० पी० नायक बालिका कानून १८ वर्ष तक की आयुकी बालिकाओं पर रोक लगानेका अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटको देता है ।

समितितने इस बातकी सिफारिश की है कि विविध राज्योंके कानूनोंमें जो असमानता है उसे दूर करके सब कानूनोंको एक-सी-उपविधियोंके अन्तर्गत लाया जाय । समिति की इस सिफारिशके अनुरूप ही नवम्बर १९५५ में भारतीय लोक सभाने इस सम्बन्धमें दो महत्वपूर्ण कानून स्वीकार किये हैं । वे हैं — (१) सप्रेगन आफ डम्मारल ट्रेफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स विल और (२) चकलाघरोको गैर कानूनी करार देने वाला कानून ।

लड़कियोंका व्यापार और चकलाघरोको समाप्त करनेके सम्बन्धमें समितितने एक दर्जनसे अधिक उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव दिये हैं ।

अपनी रिपोर्टके साथ समितितने अनेकों उपयोगी तालिकायें दी हैं जो वेद्याओंकी समस्यापर काफी रोशनी डालती हैं । कलकत्तामें १३० वेद्याओंको अचानक चुनकर उनके जीवनके विविध पहलुओंपर उनसे जो जानकारी प्राप्त की गई उन्हें तालिकाओंके रूपमें रिपोर्टमें शामिल किया गया है । ये तालिकायें काफी आँखें खोलनेवाली हैं । उदाहरणके रूपमें हम यहाँ कुछ तालिकायें उद्धृत कर रहे हैं ।

(१)

वर्ष	आयु ममूह	संख्या	प्रतिशत
"	१५-१८	१	१
"	१९-२५	६५	५०
"	२६-३०	३९	३०
"	३१-४१	१८	१४
"	४० और अधिक	४	३०

१३० वेद्याएँ

(२)

विशेष धर्मावलम्बी	सख्या
हिन्दू	१११
मुसलिम	१२
बौद्ध	४
ईसाई	२
अनजान	१
	<u>१३०</u>

(३)

सामाजिक वर्ग	सख्या	प्रतिशत
किसान	२३	३७
निम्न व्यापारी	६	१४.५
चाकर	६	१४.५
वेश्या परिवार	७	११.३
शिल्पी	४	६.५
क्लर्क परिवार	४	६.५
जमीदार और धनी किसान	२	३.३
अन्य	४	६.४
	<u>६२</u>	

(४)

विवाहित स्थिति	संख्या	प्रतिशत
विवाहिता	४३	३३.१
विधवाएँ	४१	३१.५
अविवाहिताएँ	४०	३०.८
वेश्यापुत्री	६	४.६
	<u>१३०</u>	

(५)

कारण	सख्या	प्रतिशत
पुरुषो द्वारा फुसलाई हुई	४२	३२.३
निर्वनताके कारण	३३	२५.५
कुटनियो द्वारा लाई हुई	१८	१४
पतियो द्वारा सताई हुई	१५	११.५
वेश्या पुत्री	८	६
पतियो द्वारा परित्यक्त	६	४.६
घरोमे निकाली हुई	३	२.३
पतिकी चरित्रहीनताके कारण	२	१.५
पति द्वारा वेश्या बनाई गई	२	१.५
विमाताओके अत्याचारो के कारण	१	०.८
	१३०	

(६)

आमदनी	सख्या	प्रतिशत
सौ रुपयासे कम	४५	३४.६
सौ और ढाई सौ रुपयाकेबीच	५५	४२.३
ढाई सौ और पाँच सौकेबीच	२०	१५.४
अन्य	१०	७.७
	१३०	

उपरोक्त तालिकाओसे कई बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि उन्नीससे पच्चीस वर्ष तककी आयुकी अधिकसेअधिक बालिकायें वेश्यावृत्तिके लिये इकट्ठी की जाती हैं। दूसरी यह कि वेश्याओमें सबसे अधिक संख्यां हिन्दू स्त्रियोकी हैं। जिन बर्मावलम्बियो में विधवा विवाह, विवाह विच्छेद और पुनर्विवाहका प्रचलन है उनमें वेश्यावृत्ति नगण्य है। तीसरी बात यह है कि निर्वनताकी प्रतिभूति किसानोकी बालिकायें ही सबसे अधिक संख्यामें फुसलाकर वेश्यावृत्तिके लिये लाई जाती हैं। चौथी बात यह कि विधवायें और विवाहिता स्त्रियाँ, इस आकस्मिक सरवेके अनुसार, वेश्याओका लगभग ६५ प्रतिशत

है। पाँचवीं बात यह कि २० प्रतिशत स्त्रियोंको वेदिया बनानेके लिये पति जिम्मेदार है २५ प्रतिशतके लिए निर्धनता जिम्मेदार है और ३२ प्रतिशतके लिये लम्पट पुरुष जिम्मेदार है। छठवीं बात यह साफ होती है कि आमदनीके अनुपातसे ५५ प्रतिशत वेध्याएँ उन परिवारोसे आती है जिनकी आय सौ और ढाई सौ रुपयेके बीच है।

समितितने ऐसे अनेक आश्रमोका भी निरीक्षण किया, जो उद्धार को हुई वहिनोकी देखभाल करते है। समितिकी रायमें इनमें से अधिकांश आश्रमोकी व्यवस्था अत्यन्त असन्तोषजनक है। इन आश्रमोका विस्तृत वर्णन पढकर इनके प्रति पाठकको किसी प्रकारकी सहानुभूति वाकी नहीं रह सकती। इन नारी कल्याण-भवनोकी सन्तोषप्रद व्यवस्थाके लिये समितितने उपयोगी सुझाव दिये है।

समितितने एक अलग अध्यायमें भारतमें यौन-रोगोकी समस्यापर भी अपने विचार व्यक्त किये है। सर जान मेगाके अनुसधानोके अनुसार भारतमें लगभग एक करोड तीस लाख व्यक्ति यौन रोगोसे पीडित है। इनमेंसे केवल ७,७५,००० रोगी इलाजके लिये अस्पतालो और दवाईखानोमें आते है। मद्रास और बंगालमें ये रोग सबसे अधिक फैले हुए है। काश्मीरकी उपत्यका और पहाडो पर भी यह रोग बहुत अधिक प्रचलित है। समितितने यौन रोगोसे छुटकारेके लिये कई उपयोगी सुझाव दिये है।

(१०)

यह है सक्षेपमें इन वेध्या वहिनोकी सतप्त और अभिशप्त कहानी। मानवताके सभी प्रेमियोको इस समाचारसे अत्यन्त हर्ष हुआ जब अखिल भारतीय हिन्द-चीन मैत्री सघके अध्यक्ष पण्डित सुन्दरलालने चीनसे लौटकर सूचना दी कि चीनी समाज और सरकार दोनोने मिलकर चीनसे वेध्यावृत्तिका सर्वथा अन्त कर दिया है। आध्यात्मिकता जिमके कण-कणमें है और सदावार जिसकी साँस-साँसमें है—ऐसा भारत देश क्या अपनी पवित्र भूमिसे वेध्यावृत्तिके इस कलकको समूल नष्ट करनेके लिये ठोम कदम नहीं उठायेगा ? जिस देशका मूल सांस्कृतिक मन्त्र है—‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’—वह क्या नारीके इस अवोभनीय रूपको और अधिक समय तक सहन करेगा ?

आज हमें प्रौढ वेध्याओकी फिरसे नैतिक सस्थापना करनी है। आज हमें नववयस्क वेध्याओको फिरसे समाजमें स्वीकार कर उन्हें मृदुल गृहस्थ जीवनका मुख प्रदान करना है। आज हमें वेध्या सन्तानोको प्रेमसे गले लगाकर स्वतन्त्र भारतमें आदरणीय नागरिकका पद प्रदान करना है। भारतने पुरातन युगमें ऐसा ही किया है। आखिर ऐतरेय उपनिषदके महान रचयिता क्या एक निकृष्ट हरजाई स्त्रीके पुत्र नहीं थे ? उनमें जब गुरुने उनका गोत्र और पिताका नाम पूछा तो क्या अपनी भाँसे पूछकर उन्होंने यही उत्तर नहीं दिया था कि—‘मैं नहीं जानता कि मेरा गोत्र क्या है ? मैं नहीं जानता कि मेरा वर्ण क्या है ? मैं नहीं जानता कि मेरा पिता कौन है ? मेरी माताने नागरिकों की सेवकाई करके न जाने किससे मुझे प्राप्त किया है।’ ऋषिने यदि इन वेध्यापुत्र का तिरस्कार किया होता तो भारतीय मस्कृति ‘ऐतरेय’ ऐमे महान उपनिषद् ग्रन्थकी रचना से वचित हो जाती। भारतीय राष्ट्रके निर्माता चक्रवर्ती नम्राट् भरत अपनी जिन भाँ शकुन्तलाके पेटसे जन्मे थे, वह आखिर किमकी पुत्री थी ? इन्की वेध्या मेनका की, जिसे विश्वामित्रको तपभ्रष्ट करनेके लिये भेजा गया था। किन्तु क्या इनके लिये कभी भारतने अपने महान निर्माता का तिरस्कार किया ?

भारतीय समाजमें वैश्या वृत्ति का अस्तित्व भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय स्वाधीनता, भारतीय आध्यात्मिकता, भारतीय धर्म—सबके लिये एक लज्जा और कलक का विषय है। देशको शपथ लेकर निकट भविष्यमें ही मानवताके इस कलकसे अपनेको उन्मुक्त करना है।

—•—

समाज-सुधार और क़ानून

भारतकी सामाजिक व्यवस्थामें सुधार-क्रांतिकारी सुधारों-की आवश्यकतासे आज कोई इन्कार नहीं कर सकता है। भारतवामियोंके वैयक्तिक मामलोंमें हस्तक्षेप न करना अंग्रेजी शासनकी नीतिका एक अंग रहा था। फल यह हुआ कि जहाँ-हाँ एकआध सुधारके कानून पास करनेके अतिरिक्त भारतवामियो — हिन्दू और मुसलमानकी संस्थाएँ, नियम, रीति एव रिवाज वही चलते रहे, जो कि अंग्रेजी राज्यकी स्थापनाके पूर्व थे। अंग्रेजी शासनने मती प्रयापर प्रतिबन्ध लगाया, हिन्दू विधवा विवाहको कानूनी मान्यता दी। पर ये दो चार उदाहरण ही ऐसे हैं जहाँ अंग्रेजी शासन ने समाज सुधारकी आवश्यकताको स्वीकार करके कानून पास किए। इसका कारण स्पष्ट है। अंग्रेजी शासनकी सर्वप्रथम नीति यह रही कि भारतपर उनका शासन कायम रहे, और इसके लिए उनका मत यह था कि भारतको जितना भी पिछड़ा हुआ रखा जाए उतना ही अच्छा है। इसके भाव यह भी बात थी कि यदि वे समाजसुधारके कानून पास करते तो उन्हें रुढ़िवादी भारतवासियोंके विरोध से भी टक्कर लेनी पडती। यह स्मरण रखनेकी बात है कि अंग्रेजी शासनकाल के प्रारम्भिक कालमें भारतमें रुढ़िवादियोंका बोलवाला था। अंग्रेजी राज्यके विरुद्ध सर्वप्रथम आन्दोलन राष्ट्रीयता के नामपर न होकर रुढ़िवादके नामपर हुआ है। प्रथम महायुद्ध तक भारतमें राष्ट्रीय आन्दोलन कभी भी प्रवल नहीं हो सका। १८५७की क्रांति यद्यपि स्वतन्त्रताकी प्राप्ति थी, परन्तु उसमें रुढ़िवादी एव सामन्तवादी भावनाओंका ही बाहुल्य था। मन्त्री राष्ट्रीयता का जन्म भारतमें प्रथम महायुद्धके पञ्चात प्रथम असहयोग आन्दोलन ने होता है।

ऐसी स्थितिमें अंग्रेजी शासनने यही उचित समझा कि भारतमें रुढ़िवाद को कायम रखा जाए। रुढ़िवाद और प्रतिक्रियावादका जो सौजन्य है, उन्हे अंग्रेजी शासनक मूल अच्छी तरहसे समझते थे। हुआ यह कि जिन रुढ़िवादने अंग्रेजी राज्यके प्रारम्भिक दिनोंमें उसका विरोध किया था उन्हींने बादमें उसका भाग दिया। रुढ़िवादका महान्ग लेकर हिन्दू मुसलमानोंके बीच विरोधके बीज बोए गए जिन्होंने पनप कर, धर्मके नामपर भारत को दो राष्ट्रों में बाँटने पर जोर दिया और अन्तमें भारतके विभाजनकी मान्यता मिल ही गई !

अंग्रेजोंके भारतमें आनेके पूर्व भारतकी दोनों मुख्य जातियों के रीति-रिवाज, सामाजिक संस्थाएँ, नियम और वैयक्तिक कानून भिन्न-भिन्न थे। इन भिन्नताका अर्थ यह

निकला कि हिन्दू मुसलमान सामाजिक मंचपर कभी भी नहीं मिल सके । अंग्रेजोंने इस भिन्नताका लाभ उठाकर हिन्दू मुसलमानोंकी सामाजिक भिन्नताको बढ़ावा देकर उसे राजनैतिक और राष्ट्रीय भिन्नतामें परिवर्तित कर दिया । इस कूटनीतिमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली ।

इसका फल यह हुआ कि हिन्दू मुसलमानोंके वैयक्तिक और पारिवारिक कानूनोंके एक होनेका तो प्रश्न ही नहीं उठ सका, बल्कि हिन्दू एव मुसलमानोंकी संस्थाओं, रीति-रिवाज, कानून-नियममें भी पृथक्-पृथक् रूपसे भी सुधार नहीं हो सके और रुढ़िग्रस्त हिन्दू समाज एव मुसलमान समाज रुढ़ियोंके बीच फँसा कराहता रहा और प्रतिक्रियावाद अट्टहास करता रहा ।

अंग्रेजी शासनने भारतमें दीवानी और फौजदारी Civil एवं Criminal कानूनोंको तो बदलकर अपने यहाँके कानून लागू किए, परन्तु वैयक्तिक एवं पारिवारिक मामलोंमें हिन्दू मुसलमानोंके पृथक् वैयक्तिक और पारिवारिक कानून जारी रहे ।

हिन्दुओंके पारिवारिक एवं वैयक्तिक कानूनोंका आचार्य श्रुति स्मृति एवं हमारे आचार्यों द्वारा की गई टीकाएँ ही रही । इसी भाँति मुसलमानोंकी पारिवारिक एवं वैयक्तिक कानूनोंका आचार्य गरियत ही रही । परन्तु इन कानूनोंको लागू करनेका उत्तरदायित्व अंग्रेजी न्यायाधीशोंपर रहा । प्रारम्भिक कालमें अंग्रेज-न्यायाधीशोंकी सहायताके लिये पंडित और मुल्ले नियुक्त किये गये थे, परन्तु उनकी टीका और व्याख्याको मानना अंग्रेज न्यायाधीशोंके लिये आवश्यक नहीं था । यदि उन्हें पंडित और मुल्लोंकी व्याख्या और टीका उचित प्रतीत होती थी तो मान लेते थे, अन्यथा नहीं । स्पष्ट ही है कि अंग्रेजी न्यायाधीश चाहे वे कितने ही न्याय पंडित क्यों न रहे हों, भारतके प्राचीन ग्रंथोंमें वताए गए नियमोंको समझने और लागू करनेमें पूर्णतया योग्य नहीं थे । न तो वे यह समझ सकते थे कि किस वातावरणमें किस तात्पर्यसे अमुक नियम हमारे आचार्योंने बनाया है और नहीं वे यह निर्धारित कर सकते थे कि वर्तमान समाजव्यवस्थाके अनुकूल वे नियम हैं या नहीं । अंग्रेज न्यायाधीशोंने हिन्दू-कानूनके नियमोंको दो भागोंमें बाँटा : एक वे जिन्हें मान्यता मिलनी चाहिये और दूसरे वे जो आचार्योंने केवल सिफारिश के लिए लिखे थे । परन्तु वे नियमोंको पूर्णतया न समझ ही सके और न ही उनकी अच्छाई-बुराईको आँक सके । फल यह हुआ कि अनेक बातें जिनको मान्यता हमारे आचार्योंने दी थी, अंग्रेज-न्यायाधीशों द्वारा स्वीकार नहीं की गई और बहुतसे नियम, जिन्हें हमारे आचार्योंने मान्यता नहीं दी, स्वीकार कर लिये गये । उदाहरणके लिए हिन्दू आचार्योंने अन्तर्जातीय विवाहको मान्यता दी थी, पर न्यायालयोंने कहा कि हिन्दुओंमें अन्तर्जातीय विवाह गैरकानूनी है । आचार्योंने पागलोकी शादीको निषिद्ध बताया पर न्यायालयोंने यह निर्णय दिया कि पागलोकी शादी हिन्दू-कानूनके अन्तर्गत जायज है । आचार्योंने 'स्त्री-सपदा' की स्थापना नहीं की, परन्तु न्यायालयोंने उसे स्थापित किया । इस भाँति हिन्दू-कानूनका रूप बहुत अंश तक विगड़ गया । यहाँ यह कहनेका तात्पर्य नहीं है कि हमारे आचार्योंने ऐसे नियम बनाए थे जो अनन्त तक औचित्यपूर्ण ठहराए जा सकते थे, बल्कि यहाँ कहना यह है कि हिन्दू-कानून की प्रगतिशील व्याख्या और टीका की जा सकती थी वह नहीं की गयी ! बहुत अंश तक यह बात मुसलमानोंके कानूनपर भी लागू होती

है। सम्भवतः इसके लिए हम अंग्रेज़-न्यायाधीशोंकी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित था। इसके लिए तो दोष शामन-व्यवस्थाको ही दिया जा सकता है, क्योंकि उसकी नीति हिन्दू-मुसलमान समाजके कल्याणकी न थी।

अंग्रेज़ी शासन-व्यवस्थाको कायम रखनेके लिए अंग्रेज़ोंके लिए भारतके Civil और Criminal कानूनको बदलकर अंग्रेज़ी कानून लागू करना आवश्यक था, वह उसने किया। यह कहना अनौचित्यपूर्ण नहीं होगा कि अपनी सच्चा कायम रखनेके लिए उन्होंने रुढ़िवादको पाला-पोसा और रुढ़िवादको पालने-पोसनेके लिए ही उन्होंने हिन्दू मुसलमानोंके वैयक्तिक एवं पारिवारिक कानूनोंको ज्योका त्यो रखनेकी व्यवस्था की।

भारतमें ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता रहा, ज्यो-ज्यो स्वतंत्रताका अर्थ नहीं माननेमें समझमें आने लगा, त्यो-त्यो समाज-सुधार राष्ट्रीय आन्दोलनका एक अंग बनने लगा। स्वतंत्रताकी मांग, स्वतंत्रताके लिए आंदोलन, के साथ समाज-सुधारकी मांग समाजसुधारके लिए आन्दोलन भी बढ़ता रहा। भारतके राष्ट्रीय आंदोलनने यह ममज्ञा कि जब तक रुढ़िवादको, पिछले पनको त्याग नहीं दिया जाता है, तब तक सच्चा राष्ट्रीय आन्दोलन पनप नहीं सकता। रुढ़िवाद सदैव प्रतिक्रियावादमें बदलकर राष्ट्रीय आंदोलनके सम्मुख आ सकता है और राष्ट्रीय आन्दोलनकी प्रगतिमें बाधा उपस्थित कर सकता है। यही समझकर समाजसुधारका आंदोलन राष्ट्रीय आन्दोलनका अंग बना। कभी-कभी यह भी हुआ कि समाज-सुधारका आन्दोलन-राष्ट्रीय आन्दोलनसे पृथक रह कर भी पनपा। आर्य-समाज आंदोलन ऐसा ही आंदोलन था—यह मूल रूपसे हिन्दू समाजमें सुधार और हिन्दू समाजके कल्याणके लिए था, यद्यपि बादमें इसने कुछ ऐसा रूप धारण किया कि वह मुसलिम विरोधी समझा जाने लगा, जिसके कारण राष्ट्रीय एकताको भी कुछ ठेस लगी।

राष्ट्रीय आन्दोलनके साथ-साथ चलनेवाले समाज-सुधार आन्दोलनका अपना महत्व है। पर यहाँ एक प्रश्न सामने उपस्थित हुआ। समाज-सुधारके कार्यको क्या कानूनी मान्यता मिलनी ही चाहिए? क्या बिना कानून पान किए समाज-सुधारका काम अधूरा रह जाता है?

इन प्रश्नोंका उत्तर तब ठीकसे दिया जा सकता है जब कि हम यह ममझले कि समाजसुधारके लिए कानूनका कितना महत्व है। यह तो ठीक है कि कुरीतियों, दृष्टिग्रस्त संस्थाओं और नियमोंको बदलनेके लिये वैसा कानून पान होना आवश्यक है। पर क्या कानून पास कर देनेसे ही समाजसुधार हो जाता है? मती प्रथाको रोकनेके लिए पास किए गए कानूनकी एक शताब्दी बीत चुकी है, परन्तु फिर भी एक-आय नहीं होनेका समाचार आये वर्ष हमें मिल ही जाता है। जो बात मती प्रथाके नाश हेतु की जात बात अन्य समाजसुधारके कानूनोंके नाश घटित हो सकती है। कानूनी परिस्थितियोंमें तलाककी व्यवस्था उचित मानी जा सकती है, यह भी उचित माना जा सकता है। यदि पति पत्नी पारस्परिक अनुमति द्वारा विवाह-विच्छेद करना चाहें, तो उन्हें कानून अनुमति मिल जानी चाहिए। पर फिर प्रश्न यह है कि क्या हमारे समाजका धार्मिक ऐसा है, जिसमें पति या पत्नी तलाककी आवश्यकता होनेपर भी तलाककी मांग म्यनप्रति-

पूर्वक कर सकते हैं—यहाँ कानूनी स्वतंत्रताकी या अधिकारोकी बात नहीं कही जा रही है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वतन्त्रताकी बात कही जा रही है। क्योंकि आवश्यकता होनेपर तलाककी इच्छा पैदा तो हो सकती है, पर ऐसी कौन-सी नारी है, जो समाज और परिवारके बहिष्कारको सहन कर सकेगी। समाज तलाक लेनेवाली पत्नीको पतित समझकर उसे बहिष्कृत करके क्या उसके साथ अत्याचार नहीं कर सकता है? क्या कानून समाजकी इस प्रतिक्रियाको रोक सकता है? निस्संदेह, नहीं।

इस लेखककी रायमें यही जटिल प्रश्न है। अतः कानूनी काररवाईकी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी जो सबसे बड़ा प्रश्न है, वह समाजके वातावरण का है। समाज का वातावरण ऐसा बन जाये कि कानून द्वारा किए गए समाज सुधारके कार्योंको कार्यान्वित करनेमें सुविधा रहें, ताकि समाज-सुधार यथार्थ रूप ले सके।

यह कार्य, स्पष्ट ही है, कानून द्वारा नहीं किया जा सकता। कानून वातावरण नहीं बना सकता। वातावरण तो समाज-सुधारके आन्दोलन द्वारा ही बन सकता है और समाज-सुधारके आन्दोलनकी सफलताके लिए न केवल सच्चे और त्यागशील कार्यकर्ताओकी आवश्यकता है बल्कि जनताकी सुचारु पढ़ाई-लिखाईकी भी आवश्यकता है। पढ़ाई-लिखाईके साथ शिक्षाका अटूट सम्बन्ध है; पढ़ने लिखनेपर शिक्षा आ सकती है। तात्पर्य यह है कि समाज-सुधार के आन्दोलनका यह आवश्यक अंग होना चाहिए कि जनताको शिक्षित किया जाए। स्वतंत्र देशोंमें समाज सुधारके आन्दोलनको सरकारी योग और सहायता मिलना आवश्यक है।

अतः समाज सुधारके लिए आन्दोलन और समाज सुधारके लिए कानून पास करना इन दोनोंका अपना एक विशेष सम्बन्ध है। समाज-सुधारके लिए आन्दोलन किया जाता है। जनता—विशेषकर रूढ़ि अस्त जनता-आन्दोलन द्वारा समाज सुधारकी आवश्यकता को समझने लगती है, वह सोच उठती है कि समाज-सुधार आवश्यक है, वह यह स्वीकार करने लगती है कि सचमुच वर्तमान समाज-व्यवस्था उसकी समृद्धि और प्रगति में बाधा उपस्थित करती है; वह समझने लगती है कि वर्तमान समाज-व्यवस्थामें सुधार होना उसके कल्याण, उसकी सन्तानके कल्याण, उसके समाजके कल्याण और उसके राष्ट्रके कल्याणके लिए आवश्यक है। जब समाज-सुधारके लिये आन्दोलन इस स्थितिमें पहुँच जाता है, तो समाज-सुधारको मान्यता देनेके लिए कानून पास किया जा सकता है। ऐसी स्थितिमें पास किया गया कानून लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि समाज-सुधारके आन्दोलन द्वारा समाजमें वैसा वातावरण पैदा हो जाता है और जनता उस कानूनसे पूरा लाभ उठानेके लिए तत्पर हो जाती है।

ऐसा भी हो सकता है कि समाजका वातावरण समाज-सुधारके कानूनको स्वीकार करनेके लिए पूर्णतया अनुकूल नहीं है, पर समाजकी स्थितिको देखकर वैसा कानून पास करना आवश्यक है। तो वैसा कानून पास किया जा सकता है। हो सकता है जनता उसका विरोध न करे, पर यह भी हो सकता है कि जनता उसका पूरा लाभ न उठा सके। जब इस भाँति कानून पास हो, तो फिर समाज-सुधारके आन्दोलनकी आवश्यकता बनी रहती है और यह आवश्यक हो जाता है कि समाज-सुधारके कानूनको पूरी तरह समझने

के लिए आन्दोलन जारी रखा जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाए, तो कानून तो पान हो जाता है, परन्तु वह कानूनकी किताबोंमें ही सीमित रह जाता है। जनता उनका पूरा लाभ नहीं उठा सकती और रुढ़िवाद दवा-दवा कर अपने पूर्ण अधिकारके नाश, समाजके गरीरको धीरे-धीरे, घुनकी तरह, खाता रहता है, और अधिकार होते हुए भी नर-नारी उस अधिकारका उपभोग नहीं कर सकते। अमीम वेदनामें कराहते हुए समाजके कोढ़को पोसतेही रहते हैं।

अतः जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि कानून पास कर देने में ही समाज-सुधार हो सकता है वे भ्रममें हैं। कानून तो किसी कार्यके करने या न करनेमें महायत्ना ही दे सकता है, वह उस कार्यको न करा ही सकता है और न पूर्णतया रोक ही सकता है। यदि कानून ऐसा कर सकता तो विश्वमें आज एक भी जुर्म (Crime) न होता। परन्तु ऐसा है नहीं, कानूनके होते हुए भी आज दिन जुर्म होते हैं। यह इसलिए है कि कानून केवल एक भाव्यम है, एक रोक है, रामबाण आपधि नहीं है।

सथमें यह भी स्मरण रखनेकी बात है कि कानून यथार्थमें कुछ ही व्यक्तियोंके लिए होता है। दंड-विधान दोषियोंके लिये ही है क्योंकि जनसाधारण और दोषियोंकी गत्यामें बहुत अन्तर है। जुर्म कुछ ही लोग करते हैं अतः कानून उन्हें मखा दे सकता है, पर यदि समस्त जनता जुर्म करने लगे, तो क्या कानून उसे सजा दे सकता है? अंग्रेजी शासन का विरोध करना अंग्रेजी शासन कालमें जुर्म था, भारतके अनेक स्वतन्त्रताप्रेमी उन कानूनके अन्तर्गत जेलमें डाल दिए गए, फाँसीपर लटका दिए गए। परन्तु जब ममन्त जनता ने उस 'जुर्म' को करना आरम्भ किया और जब भारतकी जनता बगावत कर उठी, तो वह कानून टूटकर छिन्न-भिन्न हो गया।

यही बात समाज-सुधारके कानूनोंपर भी लागू होती है। यदि जनता समाज-सुधारके कानूनोंको स्वीकार नहीं करे, उसे ग्रहण नहीं करें, तो क्या केवल कानून पान करने से समाज-सुधार हो जाएगा? स्वतन्त्र भारतमें किमी को 'अछूत' मानना कानूनी जुर्म है। पर क्या इस कानून द्वारा भारतने 'अछूतपने' का रोग मिट गया है?

अतः समाज-सुधारके कानूनोंका एव समाज सुधारके आन्दोलनका अभिन्न गन्धर्व है। दोनों एक-दूसरेके पूरक हैं। स्वतन्त्रता आन्दोलनके कालमें भी इनकी गन्धर्वताको स्वीकार किया गया था। हमारे राष्ट्रीय नेताओंके मजल प्रश्न यही था कि किमभानि वे स्वतन्त्रता-आन्दोलनके साथ साथ समाज-सुधारके आन्दोलनकोच नायें।

कुछ भी हो, राष्ट्रीय-आन्दोलनके साथ-साथ समाज-सुधारकी आवश्यकताको स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय नेताओंने यह माना की समाज-सुधारने पृथक् स्वतन्त्रता आन्दोलन अवूरा रह जाना है।

ज्यो ही विधानमंडलमें भारतवासियोंको स्थान मिला, उन्होंने समाज-सुधारके अर्द्ध कानून विधान मंडलमें पारित किए। यही कारण है कि मन् १९३० के पश्चात् हिन्दू कानूनमें कई संशोधन विधान पान करके किये गये। १९३० में मृतकी विधवा, पुन की विधवा, एवं पौत्रकी विधवाको मपत्तिमें हिस्सा देनेका कानून पान किया गया। १९३७ में ही आर्यनमाजके अन्तर्गत किए गए विवाहोंको कानूनी बन्ध देनेका कानून पास किया गया। १९२९ में बाल-विवाहपर प्रतिबन्ध लगानेका कानून पान हुआ।

इसी वर्ष उत्तराधिकारके कानूनमें सशोचन करनेका कानून बना । १९४६ में सगोत्र विवाहको मान्यता देनेका कानून पास हुआ । इसी वर्षमें पत्नीको अदालत द्वारा पृथक होने और भरण-पोषण मिलनेका कानून पास हुआ । १९४९ में हिन्दू अन्तर्जातीय विवाहको कानूनी मान्यता दी गई । इसी भाँति मुसलमानोंके कानूनोंमें भी कुछ सुधार विधान पास करके किया गया ।

परन्तु समाज-सुधारके इन कानूनोंका आकार बहुत ही सीमित रहा । इसका कारण यह था कि अंग्रेजी कालके केन्द्रीय विधानमंडल एव प्रांतीय विधान मंडलोंको पूरे अधिकार नहीं थे । निस्संदेह परतन्त्र देशके विधान मंडलोंको समस्त शक्तियाँ मिल भी नहीं सकती । अंग्रेजी शासनको समाज-सुधारके कानूनो और समाज-सुधारके आन्दोलन के साथ सहानुभूति नहीं हो सकती थी ।

अतः यह आवश्यक था कि समाज-सुधारको कानूनी रूप देनेके लिए भारतके विधान मंडल को पूरी शक्तियाँ प्राप्त हो, और यह तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि भारत का विधानमण्डल पूर्णतया स्वतन्त्र न होता । इस भाँति समाज-सुधारका सम्बन्ध भारतकी स्वतन्त्रताके साथ अटूट था । भारत स्वतंत्र होनेपर समाज-सुधारके कानून पास कर सकता था । यही बात समाज-सुधारके आन्दोलनपर भी लागू होती है । परतन्त्र देशमें न तो समाज-सुधारका आन्दोलन पूरे वेगसे चल सकता है और न समाज सुधारके कानून पास किए जा सकते हैं ।

भारतके स्वतन्त्र होनेके पश्चात् सबसे जटिल प्रश्न जो राष्ट्रके समक्ष उपस्थित था, वह था भारतकी प्रगति और समृद्धिका । प्रगति और समृद्धिके लिए यह आवश्यक है । कि देशकी आर्थिक दशा सुधरे, देशका पिछड़ापन समाप्त हो और रूढ़िवाद नष्ट हो जाये ।

भारतीय संविधानके चौथे भागमें समाज-सुधारके कुछ नियमोंका उल्लेख किया गया है । इस भाग द्वारा भारतकी केन्द्रीय एवं राज्य सरकारोंको संविधान यह आदेश देता है कि राज्यकी नीति बनाते समय इन नियमोंका पालन किया जाए ।

यह भाग मुख्यतया भारतकी भावी आर्थिक एव सामाजिक नीतिके नियमोंको निर्धारित करता है । सामाजिक नीतिके कुछ मुख्य नियम निम्नलिखित हैं :—

१. पुरुष और स्त्रीको एकसे कामके लिए बराबर वेतन दिया जाना चाहिए ।
२. बालकोको समुचित शिक्षा दी जानी चाहिये और किसी भी कारणसे या किन्हीं भी परिस्थितियोंमें उनका शोषण नहीं होना चाहिए ।
३. जिस भाँति भी हो, बेरोजगारीको दूर करना चाहिए ।
४. प्रत्येक नागरिकको अपनी प्रगतिका पूरा अवसर मिलना चाहिए ।
५. कारखानों और खानोंमें अमानवीय वातावरणको दूर करना चाहिए ।
६. भारतके नागरिकोंके लिए समस्त भारतमें एक ही कानून होना चाहिए ।
७. भारतके शोषित वर्गको विशेष रूपसे प्रगति और समृद्धिके साधन उपलब्ध कराने चाहिए ।

यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि उपर्युक्त नियम भारतवासियोंके अधिकार (Fundamental rights) नहीं हैं, जिन्हें भारतका हर नागरिक न्यायालयों

द्वारा प्राप्त कर सकता है; बल्कि वे राज्यकी नीतिके नियम हैं, जिन्हें हर सरकारको मान्यता देनी चाहिए। यह ठीक है यदि कोई सरकार उन्हें मान्यता न दे तो न्यायालयों द्वारा इन नियमोंको मान्यता नहीं दिलाई जा सकती; परन्तु यह भी ठीक है कि यदि सरकार इनकी अवहेलना करे, तो वह अमवैधानिक कार्य करेगी।

स्वतन्त्र भारतके केन्द्रकी एव राज्योंकी सरकारोंने कुछ भीमा तक इन सिद्धान्तोंको अपनानेका प्रयत्न किया है। आज किमीको अछूत कहना गैर कानूनी है। इन्हीं सिद्धान्तोंके अन्तर्गत हिन्दू कानूनमें सुधार किए गए हैं। हिन्दुओंका विवाह एव उत्तराधिकारका कानून अब बिलकुल बदल गया है। समाज-सुधारके अन्य कई कानून विधेयक के रूपमें ससद और विधानमंडलोंमें पारित हो चुके हैं।

अब भारतको, जहाँतक समाज सुधारके कानून पास करनेका प्रश्न है, पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह चाहे जैसा कानून पास कर सकता है—वह क्रांतिकारी समाज-सुधार करनेवाले कानून भी पास कर सकता है। परन्तु समाज-सुधारके कानून पास करना एक बात है और समाज उनसे पूर्ण लाभ उठा सके, यह दूसरी बात है। स्वतन्त्र भारत में समाज-सुधारका आन्दोलन लगभग समाप्त सा ही हो गया है। बड़े-बड़े आन्दोलनों की बात छोड़ दीजिए—जो कानून पास होते हैं उनका भी पूरा प्रचार नहीं हो पाता। न पत्र पत्रिकायें ही उनका प्रचार करती हैं और न उनका प्रचार आकाशवाणी टांग ही होता है। फल यह हुआ है कि अधिकांश जनता आज भी हिन्दू-कानूनमें हुए सुधारोंको समझनेमें समर्थ नहीं हो पाई है और जब वह ममझ ही नहीं पाई है, तो उनका पालन भी नहीं कर सकती है। फिर समाजका वातावरण भी उन योग्य नहीं बन सका है, जिनमें भारतके नर नारी नए कानूनको लाभ स्वतन्त्रतापूर्वक उठा सके। गांधीजी वात तो जाने दीजिए, शहरोका भी वातावरण उस योग्य नहीं बन सका है। आज भी कोई बिरली ही नारी ऐसी होगी, जो पूर्ण स्वतन्त्रताके माय विवाह विच्छेदकी माँग कर सके, जो एक-आध तलाक माँगती भी हैं, वह डम्पीपर साहन कर मकी है कि जीवनने उनको उस कगारेपर फेंक दिया है जहाँसे मुडा नहीं जा सकता और कूदनेका अर्थ मौत ही है। विवाह विच्छेदका अर्थ, फिर, केवल एक असहनीय स्थिति में ही मुक्ति देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ यह भी है कि फिरसे एक सुखी शान्तिपूर्वक जीवनका आरम्भ किया जाये। आज कितने व्यक्ति ऐसे भारतमें मिलेंगे, जो तलाक देनेवाली स्त्रीने विवाह करनेको स्वेच्छासे तत्पर हो जाएंगे, यही बात अन्य समाज-सुधारोंके कानूनोंके साथ है। किसीको अछूत मानना अब गैरकानूनी है, पर क्या यद्यार्थमें ऐसा हो सका है कि भारतमें अछूत अब न रहे हो ?

अतः केवल कानून द्वारा समाज-सुधार होना नम्भव नहीं है। समाज-सुधारके कार्यको कानून केवल सुविधा दे सकता है। सारा समाज-सुधार तो समाज-सुधारके आन्दोलन द्वारा ही हो सकता है। अर्थ समाजके आन्दोलनके अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह की आवश्यकता, विधवा विवाहकी आवश्यकता, पतिन कहलानेवाली नारियोंके माय विवाहकी आवश्यकता को प्रोत्साहन दिया गया—आर्यसमाजके नियमोंको मानने वालोंने उसे ग्रहण किया और आर्यसमाजकी प्रथाएँ ऐसे अनेक विवाह हुए। ऐसे विवाहोंके कानूनी मान्यता मिली है १९३७ में। श्री धनश्यामसिंह गुप्त द्वारा प्रस्तुत विधेयकने

भी ऐसे विवाह हुए । दूसरा उदाहरण विधवा विवाहका है । एक गताब्दी पूर्व विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ था, पर अब तक भी इस कानूनका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका है । अब तक जिन विधवाओंने पुनर्विवाह किया है, उनकी संख्या बहुत ही कम है ।

अतः समाज-सुधारके लिए अनुकूल वातावरण बनना आवश्यक है और वातावरण समाज सुधारके आंदोलन द्वारा ही बन सकता है । जब वैसा वातावरण हो तो कानून तो समाज-सुधारके कार्यकी सहायता ही कर सकता है, उसका पूरक ही हो सकता है, स्वयं एकाकी रूपसे वह अपूर्ण रह जाता है ।



विधवा-विवाह

“धर्म या रिवाजसे लादा हुआ वैधव्य असह्य जुआ है और वह गुप्त पाप द्वारा घरको अपवित्र और धर्मको पतित बनाता है। यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं, हिन्दू धर्मको बचाना चाहते हैं, तो हमें जवरन लादे जानेवाले वैधव्यके इस जहरसे छुटकारा पा लेना चाहिए। यह सुधार उनसे शुरू होना चाहिए, जिनके यहाँ बाल विधवाएँ हैं। वे साहस जुटाएँ और यह देखें कि उनकी देखभालमें रहनेवाली बाल विधवाओंका केवल विवाह ही न हो, बल्कि बाकायदा और, अच्छी तरह विवाह हो। वास्तवमें उनका कभी विवाह हुआ ही नहीं था।”

युगद्रष्टा महात्मा गांधीके ५ अगस्त १९२६ के “यग इडिया” में लिखे यह शब्द आज लगभग एक चौथाई सदीके बाद उतने ही सत्य हैं, जितने उस समय थे। गाँधीजीने एक बार कहा था कि हिन्दू जाति दो बारूद-धरोपर बैठी है और जब भी इनमें से कोई एक या दोनो फटेंगे, तब जाति तहस-नहस हो जाएगी। यह दोनो बारूद घर अस्पृश्यता और बलात् वैधव्य हैं जिनके दुष्परिणाम आज भी समाजको भोगने पड़ रहे हैं। १९३६ में ब्रिटेनके प्रधान मंत्री सर रेम्जे मेकडानलने “साम्प्रदायिक निर्णय” (कम्यूनल एवार्ड) दिया था। इसके विरोधमें गांधीजीको यरवदा जेलमें आमरण अनशन करना पड़ा था। यह पहला प्रबल विस्फोट था जिसका निराकरण गांधीजीको अपने प्राणों की बाजी लगाकर करना पड़ा। स्वतंत्रताके बाद अस्पृश्यताको कानूनन न केवल समाप्त कर दिया गया है किन्तु उसे ऐसा अपराध बता दिया गया है, जिसमें पुलिस स्वयं सीधी कार्यवाही कर सकती है (कागनिजेबल आफेंस)। इस कानून और सरकार द्वारा उठाये जा रहे अन्य कई कदमोंके कारण अस्पृश्यताका सर्वथा अन्त हो गया है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता पर इस दुर्गकी दीवारें ढह रही हैं—यह नि सदेह कहा जा सकता है।

पर विधवाओं—विशेषत बाल-विधवाओं—का प्रश्न जिन्हें घरकी चहार दीवारी के अन्दर बंद रखा जाता है, इससे अधिक टेढ़ा है। अस्पृश्यता निवारण एक सामाजिक दोष है जिसमें अब कानून पूरा आपके साथ है। विधवाका प्रश्न, मूलतः एक पारिवारिक प्रश्न है, एक निजी मामला है। स्वभावतः किसीके पारिवारिक और निजी मामलेमें आप सहसा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किसीके घरके भीतर जानेकी स्वतंत्रता तो हर किसीकी नहीं दी जाती। कानून भी इसमें आपका विशेष सहायक नहीं है। अगर

कोई अपनी विधवा पुत्रीका पुनर्विवाह नहीं करता तो कानून उसे बाध्य नहीं कर सकता । कानून तो इतना ही कर सकता है—जैसा कि विधवा पुनर्विवाह एक्टमें कहा गया है— कि अगर कोई पिता-माता व संरक्षक अपनी विधवा पुत्री व पुत्रवधूका पुनर्विवाह करना चाहे, और विरादरी उसके काममें रुकावट डाले अथवा उसका वहिष्कार आदि करे, तब वह उनपर मुकदमा चला सकता है । मुकदमेका फैसला उसके हकमें ही होगा—ऐसा निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता । इसलिए अस्पृश्यता निवारणकी अपेक्षा विधवा-विवाहके लिए अधिक नैतिक साहसकी आवश्यकता है । यही कारण है कि कई प्रसिद्ध समाजसुधारक इस मामलेमें आकर पिछड़ जाते हैं ।

अब घरमें विधवाके साथ क्या वर्त्ताव होता है ? माता-पिता, भाई-भावजका जीवन तो भोग विलासपूर्ण है पर युवती कन्या और पुत्रवधूसे यह आशा की जाती है कि वह सारी आयु व्रत, उपवास और पूजा-पाठमें ही गुजार दे । क्या शरीरको भूखा रखनेसे मनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं ? नहीं । तभी सर्वथा स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ अपना उपगमन करनेके लिए अन्य मार्ग तलाश करती हैं । गांधीजीके शब्दोंमें विवाह जीवनमें एक स्वाभाविक वस्तु है और इसे किसी भी तरह हेय समझना विल्कुल अनुचित है । (हरिजन २२-३-४२) हिन्दू धर्ममें, इसीलिए, गृहस्थ आश्रमको सन्याससे भी श्रेष्ठतर मानते हुए इसे सागरके समान विनाल, गम्भीर और अन्य आश्रमरूपी सब नदियोंको अपनेमें समेटनेवाला कहा गया है । मनुके शब्दोंमें “तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृह” —गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है—ऐसा कहा गया है ।

हिन्दू विवाह-संस्था में परिवर्तन हो

युवती विधवाओंको जब बलात् वैधव्यमें रखा जाता है और इस स्वाभाविक और पवित्र गृहस्थ आश्रममें उनके प्रवेशको सर्वथा रोक दिया जाता है, साथ ही उसके साथ परिवारमें दुर्व्यवहार, अत्याचार और उत्पीड़न किया जाता है तब प्रकट और गुप्त व्यभिचार, दुराचार, वेश्या-वृत्ति और गर्भपात सदृश नयी सामाजिक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं । इन सब समस्याओंका हल करनेके लिए जहाँ एक उपाय युवती विधवाओंका विवाह है, वहाँ हिन्दुओंकी विवाह संस्थामें आमूलचूल परिवर्तन भी है । विधवाका प्रादुर्भाव जिन स्रोतोंसे होता है, उनका विरोध भी तो अन्यत्र आवश्यक है । यह स्रोत हैं, बाल-विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह, कन्या विक्रय, जातपातके बंधन और दहेजकी प्रथा । गाँधीजीने निम्नलिखित शब्दोंमें इन दुराइयोंकी कितनी तीव्र निन्दा की है —

“मैं बालविवाहसे घृणा करता हूँ । मैं बाल-विधवाको देखकर काँप उठता हूँ और जब किसी पतिको विधुर बनते ही पाशविक उपेक्षाके साथ पुनर्विवाह करते देखता हूँ, तो क्रोधके मारे काँपने लगता हूँ । मुझे उन माता-पिताओंकी अपराधपूर्ण उपेक्षा पर दुःख होता है जो अपनी लड़कियोंको सर्वथा अज्ञान और निरक्षर रखते हैं और उनके पालन-पोषण सिर्फ इस गरजसे करते हैं कि किसी साधन सम्पन्न युवकसे उनका विवाह कर दिया जाए । (यग इंडिया २६-७-२१)

जिन माता-पिताने किसी बच्चीको किसी बूढ़ेके साथ या कुमारअवस्था वाले लड़केके साथ व्याहकर अपनी संरक्षताका दुरुपयोग किया है, वे अपने पापके प्रायश्चित्तके रूपमें कमसे कम यही कर सकते हैं कि जब वह लड़की विधवा हो जाए,

तब उसका दूसरा विवाह कर दें । इस प्रकारकी शादियाँ शुरूसे ही रद्द मानी जानी चाहिए ।” (यग इंडिया ११-११-२६)

स्वतंत्रताप्राप्तिके बाद कुछ ऐसे कानून बने हैं, जिनसे इस दिशामें सराहनीय पग उठाये गये हैं पर ये दोष केवल शासन बलसे दूर नहीं किये जा सकते । इसके लिए तो सामाजिक बल और प्रबल जनमत अपेक्षित है । बाल-विवाह रोकनेके लिए शारदा एक्ट बने आज लगभग ३०-३१ वर्ष हो गये हैं पर आज भी खुल्लमखुल्ला बाल-विवाह होते देखे जाते हैं । ऐसा क्यों ? क्योंकि जनमत और सामाजिक बल इतने प्रबल नहीं हैं कि किसीको ऐसा करनेका साहस ही न हो । बाल-विवाह, वृद्ध विवाह और बहु विवाह कन्याके माता पिता और सरक्षकोंके भयकर षड्यंत्र, गृहित अर्थ लोलुपता और अपने कुल और जातिके मिथ्या और दम्भपूर्ण अभिमानके कारण ही होते हैं । इनके कारण , कुछ ही घटोमें विवाहके ढोंगके बाद, बड़े पैमानेपर किस प्रकार विधवाओं का प्रादुर्भाव हो जाता था, इसका उदाहरण, प्रसंगवश, यहाँ देना अनुचित न होगा ।

वृद्धके युगपत् १०० विवाह

विधवाओंकी दयनीय अवस्थाकी ओर ध्यान देनेवाले और विधवा-विवाहके पक्षमें सबसे प्रथम अपनी आवाज़ उठानेवाले प० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर थे । विधवा-विवाह करनेकी स्वतंत्रता देने और उसमें रुकावट डालने वालेको अदालतकी ओरसे दंड दिये जाने का कानून बंगालके इसी महापुरुषके प्रबल आन्दोलन और प्रेरणासे बना था । कुलीन ब्राह्मण होते हुए भी आप तत्कालीन भारतमें प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा विधवा-विवाहकी पुष्टि की यद्यपि रूढिवादियों और पोगापथियोंकी ओरसे आप पर विविध प्रकारके अत्याचार और उत्पीडन करनेमें कोई कसर नहीं रखी गयी । आप के जीवन-चरित्रमें लिखा है कि कुलीन ब्राह्मणसे ही अपनी कन्याका विवाह करनेकी उत्सुकता में वृद्ध और मृत्युशय्याग्रस्त ब्राह्मणके साथ दर्जनो दुधभूँही वच्चियोंके फेरे दे दिये जाते थे । चूँकि एक कुलीन ब्राह्मणका एक ही समयमें सब कन्याओंके घरोंमें पहुँचना सम्भव नहीं होता था, इसलिए उस के प्रतिनिधि स्वरूप कदली खम्भ अथवा विल्वशाखाके साथ ही विवाह कर दिया जाता था । कुछ ही घटो व दिनोंके बाद तथाकथित कुलीन ब्राह्मण देवता तो ससारसे कूचकर जाते थे और अपने पीछे दर्जनो गोदमें खेलेवाली वच्चियोंके माथेपर वैधव्यका आजन्म अभिशाप विरासतमें छोड़ जाते थे । विद्यासागर महोदय ने अपनी एक पुस्तकमें पूर्वबंगाल (अब पूर्वी पाकिस्तान) के बरीसाल, मैमनसिंह, फरीदपुर, ढाका इत्यादि जिलोंके कई कुलीन ब्राह्मणोंकी ऐसी विस्तृत और सप्रमाण तालिका दी है, जिन्होंने एक सौसे भी कुछ अधिक ऐसे विवाह किये थे और जिनके मरनेके बाद ही बड़े पैमानेपर यह सब शिशु-कन्याएँ सारी आयु ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करनेके लिये वैधव्य के गर्तमें धकेल दी गयी थी । इन तथाकथित विधवाओंकी उम्र प्राय ६ माससे लेकर ७-८ वर्षों तक ही होती थी । विभाजनसे पूर्व १९२६ से, १९४० तक हमें कई बार बंगालका और विशेषत पूर्व बंगालका दौरा करनेके अवसर मिले । कई स्थानोंपर हमें ऐसी बालिकाओंको दिखाया गया, जिन्हें सिंदूर लगाने और चूड़ी पहननेका अधिकार नहीं था और जिनकी आयु ८-१० वर्षसे कम ही थी । साँपको भी दूब पिलाने और चिड़ैटीको भी आटा देकर अपनेको उदाराशय और सर्वभूतहिते रता (प्राणिमात्रके

कल्याणमें लगा हुआ) कहलानेवाला हिन्दू अपनी ही सन्तानके प्रति इतना क्रूर और निर्दयी हो सकता है, यह एक विचित्र मनोवैज्ञानिक स्थिति है ।

शास्त्रोके प्रमाण

विधवा-विवाहके विरोधमें शास्त्रोकी दुहाई, प्रायः दी जाती है । वृद्ध-विवाह, बहु-विवाह, भ्रूणहत्या और अन्य प्रकारके कदाचार करते समय तो शास्त्रोको ताममें रख दिया जाता है, पर जब विरादरी समाज और कामी, लोलुप पुरुषोके अत्याचारोंसे पीड़िता, अपमानिता और धर्षिता बाल व युवती विधवाके जीवनको सुखी बनानेके लिए कुछ प्रयत्न किया जाता है तब डूबतेको तिनकेके सहारेके समान शास्त्रोको बीचमें लाकर खड़ा किया जाता है । स्मृति और सूत्र ग्रंथ तो अपने समयकी व्यवस्था देनेवाले ही हैं, वह त्रिकालधर्मी तो नहीं है । समयके अनुसार समाजके रीति-रिवाज और स्वरूपमें परिवर्तन आता रहता है । यह शास्त्र अपने समयके मानवके कल्याण और हितके लिए बनाये जाते हैं न कि मानवको सदाके लिए उसकी बेदीपर बलि दे देनेके लिए । फिर भी ऐसे शास्त्र भक्तोका भ्रम दूर करनेके लिए हम यहाँपर वेद और शास्त्रोके कुछ प्रमाण देते हैं, जिनमें विधवा-विवाहकी स्पष्ट आज्ञा दी गयी है :—

वेद

(१) उदीर्ष्वनार्यभि जीव लोकं गतासु भेत मुप शेष एति । हस्तग्रामस्य दिधि-पोस्त वेद पत्युर्जनित्व मभिसंवभूव ॥ अथर्वका १८, सूक्त ३, मंत्र २, और ऋग् मंडल १० सूक्त १८, मंत्र ८। और तैत्तिरीय आरण्यक ६-१-१४

इस मंत्रका सायणाचार्यने जो अर्थ किया है, उसका भावार्थ यह है—

हे पुत्री तू इस मृत पतिके साथ पड़ी हुई है । उठ और जीते हुए इन प्राणियोंके समूहके आगे आ और तू किसी विधवाका हाथ पकडनेवाले पुनर्विवाहकी इच्छा करनेवाले पतिकी स्त्री हो ।

(२) कुहस्विहोपा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्व करत. कुहोपतुः । कोवा शयुभा विधवेव देवरं भयं न पोपा कृणुते सधस्थ आ ॥

ऋग्, मंडल १०, सूक्त ४०, मंत्र २

अर्थ—हे स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों रात्रिको कहाँ रहते हो और दिनमें कहाँ वास करते थे ? तुम्हारा शयनस्थान कहाँ है ? तुम कौन व किस देशके रहनेवाले हो ? जैसे विधवा देवरको और विवाहिता स्त्री अपने पतिके साथ समान स्थान, अर्थ्यामें एकत्र होते हैं, ऐसे तुम भी होओ ॥

(३) अदेवृध्न्य पतिष्नी हैवि शिवा पशुम्यः सुपमा सुवर्चाः । प्रजावती वीर सूर्यदेवृकाभा स्योनेभमग्निं गार्हपत्यं सपर्य ॥

अथर्व, कांड, १४, अनु २, मंत्र १८

पति और देवरको दुख न देनेवाली हे स्त्री तू इस घरमें पशुओंके लिए कल्याण करनेवाली, अच्छे प्रकार नियममें रहनेवाली, रूप और विद्यायुक्त, उत्तम सन्तान सहित, वीर पुत्रोको जननेवाली, देवरके साथ सम्बन्ध रखनेवाली पति व देवरको प्राप्त होकर इस गृहस्थके अग्निहोत्रका सेवन किया कर ।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि देवर शब्दका अर्थ पतिका छोटा भाई ही नहीं होता किन्तु यास्कमुनि कृत निरुक्तके अध्याय ३ खड १५ में कथित वचनके अनुसार “देवर कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते”—अर्थात् विधवाका पति दूसरा होनेसे ही देवर कहा जाता है ।

वेदके निम्नलिखित मन्त्रमें तो ४ पति और पुरुषके लिये ४ पत्नी तक करनेका विधान है ।

(४) सोम प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा ॥

ऋ० म १०, सूक्त ८५ मन्त्र ४०

हे स्त्री तेरा विवाहित पहला पुरुष तेरा पति तुझे प्राप्त होता है, वह सोम है, दूसरा गन्धर्व और तीसरा “अग्नि” है । इसके बाद जो पति है वह मनुष्य है । ऋग्वेदके मंडल १०, सूक्त ८५, मन्त्र ४५के अनुसार “पतिमेकादश कृधि” पत्नी ११ पति तक कर सकती है ।

स्मृति

इस कलियुगमें सबसे अधिक प्रारम्भिक स्मृति पाराशर स्मृति है । “कलौ पाराशर स्मृति” ऐसा स्मृतियुगका वचन है । इस स्मृतिका निम्न श्लोक विधवा-विवाहकी कितनी स्पष्ट आज्ञा देता है —

(५) नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबेच पतितेपतौ ।
पचस्वायत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

अध्याय ४, श्लोक २२

पतिके गुम हो जाने, मर जाने, सन्यासी हो जाने, नपुंसक होने और धर्मभ्रष्ट होनेपर नारीको दूसरा पति करनेका अधिकार है । लीजिए, यहाँ तो पतिके जीवित रहते भी पुनर्विवाहकी आज्ञा दे दी गयी ।

मनु स्मृतिका प्रमाण —

(६) या पत्या वा परित्यक्ता विधवावा स्वेच्छ्या ।
उत्पादयति पुनर्भुवा स पौनर्भव उच्यते ॥
(७) साचेदक्षतयोनि. स्यादगत प्रत्यागताऽपिवा ।
पौनर्भवेन भर्त्रासा पुन सस्कार मर्हति ॥

अ० ६, श्लोक १७५-१७६

जिस स्त्रीको पतिने त्याग दिया हो अथवा जो विधवा हो वह अपनी इच्छासे पुनर्विवाह करके जो सन्तान उत्पन्न करे, उसे पौनर्भव कहते हैं ।

यदि वह स्त्री अक्षत योनि हो (पतिसे जिसका समागम न हुआ हो) व पतिको छोड़कर दूसरे पुरुषका आश्रय करे और फिर पहले पतिके घर आ जाए, तो उसका फिर सस्कार हो सकता है ।

स्मृतियोंके प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लूभट्टकी टीकामें यह अर्थ किये गये हैं ।

(८) कन्यैवाक्षत योनिर्वा पाणि ग्रहण द्रुपिता ।
पुनर्भू प्रथमा प्रोक्ता पुन. सस्कारमर्हति ॥

नारदस्मृति १२/४६

कन्या वा अक्षत योनि विधवा—जिसका केवल पाणिग्रहण मात्र हुआ है—वह “पुनर्भू” कहलाती है, उसका पुनर्विवाह होना योग्य है ।

(६) अक्षताश्चक्षताश्चैव पुनर्भू संस्कृतापुनः ॥

याज्ञवल्क्य स्मृति, विवाह प्रकरण ३, श्लोक ६७१

अक्षत योनि हो वा क्षत योनि, दोनों दूसरा विवाह करके “पुनर्भू” कहलाती है ।

(१०) यदि सा बाल विधवा पत्यात्यक्ता अथवा क्वचित् ।

तथा भूयस्तु सस्कार्या गृहीत्वा येन केन चित् ॥

बौधायन, प्रश्न ४, अ० १२, श्लोक १६

यदि वह बाल विधवा है, अथवा पतिसे छोड़ी गयी है, या अन्य कोई ऐसी अवस्था आ गयी है, तब माता-पिता व संरक्षकके अभावमें अन्य कोई भी उसके पुनर्विवाहका प्रवन्ध करदे ।

(११) पत्नि नाशेयथा पुंसा भर्तृनाशे तथा स्त्रियः ।

पुनर्विवाह कर्त्तव्यः कलावपि युगेतथा

व्याघ्रपाद् स्मृति

कलियुगमें पत्नीके मर जानेपर जैसे पुरुषका पुनर्विवाह हो सकता है, उसी प्रकार पतिके मर जानेपर स्त्रीको भी पुनर्विवाह कर लेना चाहिए ।

(१२) ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राः स्वकुल पोषिताम् ।

पुनर्विवाहः कुर्वीरन्नन्यथा पाप सम्भवः ॥

जाबालि ऋषि ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको चाहिए कि वे अपने कुलकी विधवा स्त्रियोंका पुनर्विवाह कर दें, अन्यथा पाप होनेकी सम्भावना है ।

ऐतिहासिक प्रमाण

ऐतिहासिक प्रमाणोंसे भी विधवा विवाहकी पुष्टि होती है ।

रामायणमें लिखा है कि रावणके मर जानेके बाद उसकी पत्नी मन्दोदरीने विभीषण के साथ पुनर्विवाह कर लिया था यद्यपि उससे मेघनाद पुत्र हो चुका था ।

इसी प्रकार श्रीरामने बालीका वध कर उसकी पत्नी ताराका विवाह बालीके छोटे भाई सुग्रीवसे कराया था । ताराका पुत्र अंगद भी था । तारा वह स्त्री है, जो उन पंच कन्याओंमें एक है जिन्हें बड़ा पवित्र माना जाता है और जिनका स्मरण प्रति दिन हिन्दूको करना चाहिये । “पंचकन्यांस्मरेन्नित्यम् ।”

महाभारतके भीष्म पर्वके अध्याय ९ में लिखा है कि अर्जुनने नागराज ऐरावतकी विधवा कन्या उलूपीसे विवाह किया था ।

पद्मपुराणके पातालखण्डमें लिखा है कि काशीराज देवदासने अपनी कन्या विद्यामती का पुनर्विवाह २१ बार किया । पतिके मर जानेके बाद पिता उमका तत्काल पुनर्विवाह कर देता था । इस प्रकार वह भाग्यके साथ अन्तिम समय तक लड़ता रहा । आखिर उसकी लड़कीने पति सुख प्राप्त किया ।

इस प्रकार वेद शास्त्र और इतिहासके प्रमाणोंसे सिद्ध है कि विधवाविवाह शास्त्र सम्मत है और प्राचीन कालमें इसका चलन खूब था । ऐसा प्रतीत होता है

कि जब मध्य युगमें विदेशियोंके आक्रमण हुए, और हिन्दुओंमें ऊँच-नीचका भेद तथा जाति-पाँतिके बधन कड़े हो गये, उस समय विधवा-विवाहपर रोक लगाना और पत्नीका मृत पतिके साथ सती होना—दोनोंको अभिजात्यका चिन्ह मान लिया गया। इसकी देखादेखी अन्य जातियोंने भी अपने यहाँ विधवा-विवाह बंद कर दिया और कुछ समय बाद इसे छोटी जातियोंका ही रिवाज समझा जाने लगा। बंगालके प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० सर प्रफुल्ल चन्द्र राय विधवाविवाहके कट्टर पक्षपाती थे। उन्होंने अपने एक भाषणमें कहा था कि उन्होंने अपनी छोटी अवस्थामें बंगाल विशेषतः पूर्वी बंगालके हिन्दुओंकी कई जातियोंमें—जिन्हें प्रायः छोटा कहा जाता है—विधवा-विवाहका चलन देखा था पर आज उनमें कुछ बड़प्पन का, अभिमान आ जाने से विधवा-विवाहको हेय समझा जाने लगा है।

सामाजिक सन्तुलन रखनेके लिए

सामाजिक सन्तुलन बनाये रखनेकी दृष्टिसे भी विधवा-विवाहका शीघ्र और विस्तृत चलन आवश्यक है। सामान्यतः, एक स्वस्थ, योग्य और स्वाश्रित पुरुषको स्त्री और स्वस्थ, नीरोग, और समझदार स्त्रीको पतिकी आवश्यकता है। इसीसे समाज का सन्तुलन रहता है। यदि स्त्रियाँ अधिक हो और पुरुष कम हो, अथवा पुरुष अधिक हो और स्त्रियाँ कम हो, तब समाजका सन्तुलन बिगड़ जाता है और गुप्त व्यभिचार तथा अन्य सामाजिक दोषोका प्रादुर्भाव हो जाता है। इस दृष्टिसे भी देखा जाए तो हिन्दुओंका सामाजिक सन्तुलन बड़ा अव्यवस्थित है। सारे भारतकी दृष्टिसे, हिन्दुओंमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ कम हैं। बच्चे और बूढ़ी निकालकर विवाह योग्य नारियाँ तो और भी कम रह जाती हैं। इनमें बाल और युवती विधवाएँ भी शामिल हैं। उनके विवाहपर रोक होनेसे विवाह योग्य नारियोंकी संख्यामें और भी कमी हो जाती है। इसका फल यह हो रहा है कि अन्य जातियोंके मुकाबलेमें हिन्दुओंका क्रमशः ह्रास हो रहा है। आजसे आधी सदी पहले भारतके जिन भागों और प्रदेशोंमें हिन्दू बहुसंख्या में थे, आज वे अल्पसंख्यामें हो गये हैं। राजनीतिक दृष्टिसे यह विपमता कितनी घातक हो सकती है, यह देशके विभाजनसे पूर्व और बादकी लोमहर्षक घटनाओंसे स्पष्ट है।

१९५० की जनगणना के आकड़े

१९५० की जनगणनाके अनुसार निम्नांकित आँकड़ोंसे हमारे उपर्युक्त वक्तव्यकी पुष्टि होती है। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि १९५० की जनगणनाके समय भारत का विभाजन तो हो चुका था और उसकी सीमा सकुचित हो गयी थी तथा आवादी भी कम हो गयी है।

भारतमें विधवाओंकी कुल संख्या २ करोड़ १८ लाख ११ हजार १४ है और विधुरोंकी संख्या ६० लाख ३३ हजार ४ सौ ५८ है। इनमें ऐसी विधवाओंकी जिनकी आयु ५ से १४ तक है संख्या १ लाख ३४ हजार है।

प्रति १० हजार व्यक्तियोंमें ५,१३३ पुरुष और ४,८६७ स्त्रियाँ हैं। इनमें २,५२१ (४६१ प्रतिशत) पुरुष और १,८८६ (३८८ प्रतिशत) स्त्रियाँ अविवाहित हैं।

पुरुषोंमें ४५ न प्रतिशत विवाहित हैं और ५.० प्रतिशत विधुर हैं। स्त्रियोंमें ४८.४ प्रतिशत विवाहित और १२ न प्रतिशत विधवाएँ हैं।

आयुके अनुसार विधवाओंकी संख्या इस प्रकार है :—

आयु
५ से १४
१५ से २४
२६-३४
३५-४४

संख्या
१,३३,८२६
८,२६,५८२
२१,२६,४३६
३,३८,७६,३०६

प्रदेशोंके अनुसार विधवाओंकी संख्या इस प्रकार है :—

प्रदेश
उत्तरप्रदेश
बिहार
पश्चिमी बंगाल
आसाम
उड़ीसा
मद्रास
बम्बई
मध्यप्रदेश
मध्य भारत
राजस्थान
पंजाब

संख्या
३,५५,०५०
१,६७,६११
१,६६,३६६
४२,३४६
६६,५०२
४,२४,१५६
२,२६,२२४
१,३८,५६५
४७,३४६
७७,६७६
४०,५६६

—:०:—

भारतमें साम्प्रदायिकताका आधार

“गुद्ध मनुष्यके मस्तिष्कमें प्रारम्भ होते हैं, अतः शान्तिकी सुरक्षाका निर्माण मनुष्य के मस्तिष्कमें ही होना चाहिए ”

(संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सगठनके सविधानकी भूमिकासे)

अत्यन्त प्राचीन कालसे भारत में विभिन्न सम्प्रदायो, सस्कृतियों और नस्लोका निवास रहा है तथा इस देशके विभिन्न एशियाई देशोसे घनिष्ट सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक सम्बन्ध रहे हैं। अतः जब अरब, पारसी, पठान, शक या मंगोल का इस्लाममें दीक्षित होनेके बाद भारतमें आना जारी रहा, तो उनके प्रति स्थानीय जनताके व्यवहार या धारणाओंमें कोई विशेष अन्तर नहीं आया। न इस्लामने ही किन्हीं अशोमें इन भौगोलिक समुदायोके दृष्टिकोणमें कोई विरोध परिवर्तन उपस्थित किया। एक धर्मके माननेवाले हो जानेपर भी इनमें आपसी सघर्ष और पार्यव्य की भावना जीवित रही और कभी भी धर्मके आधारपर यह आपसमें नहीं मिल सके। मध्यकालका समस्त इतिहास इस तथ्यकी ज्वलन्त साक्षी है। फिर भी हमारे अधिकांश इतिहास लेखक आँख मूँदकर, समस्त ठोस तथ्योकी उपेक्षाकर, केवल सस्ती साम्प्रदायिकता या अज्ञान के वशीभूत हो, मध्यकालके इतिहासको हिन्दू-मुस्लिम सघर्षके इतिहासके रूपमें चित्रित करनेके अभ्यस्त रहे हैं। किसी भी साम्प्रदायिक या सामूहिक वैमनस्य को शक्तिशाली और स्थायी रखनेके लिये यह आवश्यक है कि प्रारम्भसे ही यहाँ विद्वेष दिखाया जाए। इस प्रकारका विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्यसे गढा गया इतिहास किन्हीं भी सामूहिक सम्बन्धोके लिए कितना भयकर सिद्ध हो सकता है, इसका वीभत्स दृश्य हम अपनी आँखोके सामने देख चुके हैं। आज स्वाधीन होनेके बाद भी हमने उस मिथ्या इतिहासको सुधारनेकी चेष्टा नहीं की है। इतिहासज्ञ प्रो० जयचन्द विद्यालकार ने १९३५ के लगभग इस तथ्यकी ओर हमारा ध्यान प्रबल रूपसे आकर्षित करने और अपनी पुस्तक 'इतिहास प्रवेश' द्वारा भारतका साम्प्रदायिक और सच्चा इतिहास प्रस्तुत करनेकी कोशिश की लेकिन तत्कालीन साम्प्रदायिकतापूर्ण वातावरणमें उमे लोगोने अनसुना किया। देश का साम्प्रदायिकतापरक और पोषक इतिहास वर्तमान साम्प्रदायिकताको जाग्रत करने और जीवित रखनेका एक मजबूत हथियार है, इससे इकार नहीं किया जा सकता।

साम्प्रदायिकता शब्दका प्रयोग हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यके अर्थमें रूढ़ हो गया है। हिन्दू शब्दके बदलते अर्थपर विचारकर हम सरलतासे साम्प्रदायिकताकी जड़में पहुँच

सकते हैं। कमसे कम अग्नेजोके भारतमें शासन स्थापित हो जाने तक हिन्दू शब्द भारत में उत्पन्न समस्त भारतवासियोंके लिए प्रयुक्त होता था। हिन्दू नाम भी भारतवासियोंके भारतवासियोंकी देन है। यही कारण है कि लाखों भारतवासी इस्लाममें दीक्षित होने के बाद भी हिन्दूके हिन्दू ही रहे। हिन्दू धर्मवाचक न होकर स्थानवाचक शब्द था। सिन्धु नदीके परे रहनेवाले सभी भारतवासी चाहे वे किसी भी धर्मके माननेवाले थे, पश्चिमी एशिया, फारस, अफगानिस्तान, और मगोलियाके रहनेवालोंकी दृष्टिमें हिन्दू थे। अरब और पश्चिमी एशियाके देशोंमें आज भी भारतके मुसलमान हिन्दू या हिन्दी ही कहे जाते हैं। आठवीं शताब्दीसे लेकर अठारहवीं शताब्दी तक भारतके विभिन्न प्रान्तोंके करोड़ों भारतवासी इस्लाममें दीक्षित हुए, पर वे हिन्दू ही रहे और देशवासियों और विदेशी मुसलमानों द्वारा हिन्दू ही समझे गये। वस्तुतः यह समस्त हिन्दू भी भारत के मूल निवासी नहीं कहे जा सकते। मानव शास्त्रीय खोजोंसे यह स्पष्ट है कि भारतकी जनता नस्ली दृष्टिसे नेग्रिटो, आस्ट्रेलायड, मंगोलायड, भूमध्यसागरीय (द्रविड) पश्चिमी गोलसिरगले और नार्डिक (आर्य) छ. नस्ली विभागोंमें बाँटा जा सकता है। इसमेंसे विभिन्न नस्लोंके लोग विभिन्न समयोंमें भारतके विभिन्न भागोंमें आकर बसे हैं।

पूर्वी बगालके प्रायः समस्त मुसलमान तथा भारतके अन्य भागोंके मुसलमान स्थानीय जनसंख्य में से ही इस्लाममें दीक्षित हुए हैं। दीक्षित होनेवालोंमें भी हिन्दुओंकी निम्न उत्पीड़ित जातियोंसे अधिकांश लोगोंने इस्लामको ग्रहण किया। इस्लामके समानता के सिद्धान्तसे आकर्षित होना, उनके लिए सर्वथा स्वाभाविक था। भारतमें इस्लाम के प्रसारमें मुसलमान फकीरों और दरवेशोंका प्रमुख हाथ रहा है। अतः नस्ली या भौगोलिक किसी भी दृष्टिसे भारतीय मुसलमान कम भारतीय नहीं है। बल्कि नस्ली दृष्टिसे तो वह, उच्च जातीय वर्तमान हिन्दू जिनपर कि आर्य नस्लकी अधिक छाप है, अधिक पुराने भारतीय है।

हम कह चुके हैं कि अरब और पश्चिम और उत्तरके विभिन्न देशोंका इस्लामके उदय से पूर्व भारतवासियोंसे घनिष्ठ सम्पर्क था। उस समय ये देश भारतकी तुलनामें अत्यन्त पिछड़े हुए थे और साथ ही भारतवासी आजके समयकी भाँति तब तक उतने समुचित दृष्टि वाले भी नहीं हुए थे। ऐसी स्थितिमें यह स्वाभाविक ही था, कि इन विदेशियोंने भारतके साथ सौहार्दपूर्ण व्यावसायिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किए। यही नहीं, अरबके निवासियोंका तो यह कहना है कि भारतके साथ उनका सम्बन्ध केवल कुछ हज़ार वर्षों का ही नहीं है, बल्कि मानव जातिकी उत्पत्तिके आरम्भसे ही यह देश उनका पैतृक स्थान है।

हदीसाँ और कुरानकी टीकाओं आदिमें जहाँ हज़रत आदमकी कथा है, वहाँ विभिन्न प्रवादोंके आधारपर उल्लेख मिलता है कि जब हज़रत आदम आकाशकी जन्नत या स्वर्ग से निकाले गये, तब वह इसी देशकी जन्नत या स्वर्गमें, जिसका नाम "हिन्दुस्तान जन्नत निशान" या स्वर्गतुल्य भारत है, उतारे गये थे। सरन्दीप (स्वर्ण दीप या लंका) में उन्होंने पहला चरण रखा, जिसका चिन्ह वहाँके पर्वतपर अब तक वर्तमान है। ह्वे जजीर, ह्वे अबी हातिम और हाकिमका कहना है कि भारतके जिस प्रदेशमें हज़रत आदम उतरे थे, उसका नाम दजनाय है। यह दजनाय सम्भवतः भारतका दक्षिण भाग

है। एक और प्रवाद यह भी है कि जन्नत या स्वर्गमें से चार नदियाँ निकली हैं, जिनमें से एक सैहून है। सैहूनके सम्बन्धमें कहा गया है कि यह भारतकी नदीका नाम है जो या तो गंगा है या सिंधु। मीर आजाद बिलग्रामीने "सुवहतुल मरजानफी आसारे हिन्दोस्तान" में भारतवर्षके महत्वके वर्णन में कई पृष्ठ भेंट किए हैं। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि जब हज़रत आदम सबसे पहले भारतमें उतरे और यहीपर उनपर ईश्वरीय आदेश आया, तो यह समझना चाहिए कि यह वह देश है, जिसमें सबसे पहले ईश्वरका सदेश आया। यह भी माना जाता है कि मुहम्मद साहबकी ज्योति हज़रत आदमके मालमे अमानतके तौरपर रखी थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि हज़रत मुहम्मद साहबका आरम्भिक अवतार या प्रकाश इसी देशमें हुआ था। इसीलिए आपने कहा है, "मुझे भारतवर्षकी ओरसे ईश्वरीय सुगन्ध आती है।" इससे यह बात तो भली भाँति प्रमाणित होती है कि साधारणतः जो यह समझा जाता है कि मुसलमानोका सम्बन्ध महमूद गज़नवीकी विजयोके क्रममें हुआ और वे इसके उपरान्त यहाँ आकर बसे, वह कहाँ तक मिथ्या या भ्रमपूर्ण है। बल्कि वास्तविक बात तो यह है कि वह इस देशको अपना विजित देश न समझकर अपनी पुरुषानुक्रमिक पैतृक जन्मभूमि समझते थे। ऐतिहासिक दृष्टिसे मुसलमान लोग महमूद से सैकड़ों वर्ष पहले भारतमें आ चुके थे और जगह-जगह उनके उपनिवेश स्थापित थे। भारतके साथ अरबोका व्यापारिक सम्बन्ध ईसासे कमसे कम दो हजार वर्ष पहलेका है।

दक्षिण भारत अरबी व्यापारियोका मुख्य केन्द्र स्थल था। इब्न बतूताने दक्षिण भारतके समुद्री तटोकी यात्रा करते हुए स्थान-स्थानपर लिखा है कि यहाँके हिन्दू राजा इन अरब व्यापारियोको अप्रसन्न नही होने देते क्योंकि कोरो मण्डलके राजा इस समुद्री व्यापारके कारण असीम सम्पत्तिके स्वामी थे।

दूसरी भाषाओंके शास्त्रो आदिका अनुवाद करानेका विचार अरबोंमें हिजरी पहली शताब्दीके मध्यमें ही हो चुका था। आनेवाले दो सौ सालोंमें सैकड़ों श्रेष्ठ और उत्तम संस्कृत ग्रंथोका अरब विद्वानोंने अपनी भाषामें अनुवाद किया। इन अनुवादोके कारण अरबोंके हृदयमें भारतके लिए अत्यन्त आदर भाव उत्पन्न हुआ। प्रसिद्ध अरबी दार्शनिक और तार्किक जाहिजने, जिसका कि सन् २५५ हि० में देहान्त हुआ, ससारकी गोरी और काली जातियोंमें कौन श्रेष्ठ है, इस विषयपर काली जातियोके पक्षमें निर्णय देते हुए लिखा था .—

"परन्तु हम देखते हैं कि भारतके निवासी ज्योतिष और गणितमें बढे हुए हैं और उनकी एक विशेष भारती लीपि है। चिकित्सामें भी वे आगे हैं और इस शास्त्रके कई विलक्षण भेद जानते हैं। उनके पास भारी-भारी रोगोकी विशेष औषध होती है। फिर मूर्तियाँ बनाने, रंगोंसे चित्र बनाने और भवन आदि बनानेमें वे लोग बहुत योग्य होते हैं वे तलवारों बहुत अच्छी बनाते हैं उनका संगीत भी बहुत मनोहर है। उनके यहाँ सब प्रकारके नृत्य भी हैं। उनके यहाँ अनेक प्रकारकी लिपियाँ हैं। कविता का भंडार भी है और भाषणोका अंश भी। दर्शन, साहित्य और नीतिशास्त्र भी उनके पास है "अस्तु। दूसरा अरब यात्री जिसका कि देहान्त २७८ हि० मे हुआ अपने यात्रा-वृत्तातमें लिखता है, "भारतवर्षके लोग बुद्धिमान और विचारशील हैं, और इस विचारसे

वे सब जातियोंसे बढकर है कि गणित और फलित ज्योतिषमें इनकी बातें सबसे अधिक ठीक निकलती है । . चिकित्साशास्त्रमें इनका निर्णय सबसे आगे है । .”

खलीफा मन्सूर और हारुन रशीदके संरक्षणमें और वरामका (एक ब्राह्मण वंश) की गुणग्राहकता और उदारताके कारण भारतके वीसियो पंडित और वैद्य बगदाद पहुँचे और राज्यके चिकित्सा तथा विद्या विभागोंमें काम करने लगे ।

अरब और भारतके सांस्कृतिक सम्बन्धोंको सुदृढ करनेमें जिन सैकड़ों अरबी यात्रियों और विद्वानोंने अपना योगदान दिया, उनमें अबू रैहान बेरूनी प्रसिद्ध है । यह ३६३ हि० में भारत आया और इसने यहाँ ४० वर्ष बिताए । भारतमें वह उस समय आया, जब इस देशमें सुल्तान महमूदकी चढाईयोंके कारण हलचल मची हुई थी । पर ठीक उसी समय विद्या और गुणका ग्राहक यह सुल्तान शाति और सुखसे अकेला विद्या विषयक विजय प्राप्त करनेमें लगा हुआ था और इस राजनीतिक लड़ाई भिड़ाईसे मन ही मन कुढ़ रहा था । बेरूनीने वीसियो संस्कृत ग्रंथोंका अरबीमें और अरबी ग्रंथोंका संस्कृतमें अनुवाद किया और इस प्रकार अरब इरान और भारतके बीच विद्या विषयक दूतका काम किया ।

अरबोंमें इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेनेपर भी भारतवासियों और उनके सौहार्दपूर्ण सम्बन्धोंमें कोई अन्तर न पड़ा । यही कारण था, कि जब मुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेनाने गुजरातसे कोरोमण्डल तक उथल-पुथल मचा दी उस समय कोरो मण्डल के राजाकी ओरसे, जिसकी राजधानी बेरवूलमें थी, इराक और अरबके मुसलमानोंने आक्रामक तुर्कोंका सामना किया । होयगल वंशके बल्लालदेव राजा के एक लाख सैनिकोंसे २०,००० अरबके मुसलमान थे । दक्षिण भारत स्थित अरबी मुसलमानों के सदियों तक अपने पड़ोसी हिन्दुओंके साथ अत्यन्त स्नेह और सहिष्णुतायुक्त सम्बन्धों का ही परिणाम था कि अरब हिन्दुस्तानीने अपनी जन्मभूमिकी प्रशंसामें इन पंक्तियोंकी रचना की थी, “अपने प्राणोंकी सौगन्ध, यह वह भूमि है, जब इसमें पानी बरसता है, तब उससे उन लोगोंके लिये दूध, मोती और लाल उगते हैं, जो शृंगारसे रहित हैं यहाँ हथियारोंमें तलवारें हैं, जिनको कभी सिकलीकी आवश्यकता नहीं होती, और ऐसे भाले हैं कि जब वे हिलें, तब उनसे सेनाकी सेना हिल जाय ।

“तोम्या मूर्खोंके सिवा कोई ऐसा है जो भारतके इन गुणोंको अस्वीकार कर सकता है ?”

इतिहास इस बातका साक्षी है कि मुस्लिम अरबोंका शासन सिन्ध में अच्छा रहा और शेष हिन्दू राज्योंकी भाँति उनका भी अन्त तत्कालीन मुसलमान खैबरकी जातियोंने किया । ईरान, तूरानमें इस्लामका प्रचार हो जानेके बाद खैबरसे जो मुस्लिम दल देशमें उतरा, उसने पहले मुस्लिम शासकपर हाथ साफ किया तो फिर हिन्दू राज्यपर । अतएव फातेह मफतूह (विजयी और विजित) की दृष्टिसे भारतमें कभी भी मुस्लिम-हिन्दू भेद नहीं हुआ; यह बात दूसरी है कि आज हमारी इतिहासकी पाठ्यपुस्तकों या साम्प्रदायिक प्रचारकों द्वारा सर्वत्र प्रचार किया जाता है कि अग्नेजिक आनेसे पहले यहाँ मुसलमानों फातेह और हिन्दू मफतूह थे ।

आजकलके अग्नेजी पढ़े-लिखे पंडितोंके इतिहासमें मुसलमान और हिन्दू का प्रत्यक्ष भेद भले ही दिखाई दे, परन्तु भारतके किसी प्राचीन लेखमें इसका प्रमाण न मिलेगा ।

चन्द्रवली पाण्डेने ठीक ही कहा है कि यदि हम खैवरसे अपने चिरपरिचित, परम्परागत सम्बन्धोपर दृष्टिपात करें, तो हमें यह समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर खैवर का सारा दोष इस्लामके सिर मढा जाना कहाँ तक जायज है? क्या महमूद गजनवी से लेकर अहमदशाह दुर्गानी तक सभी खैवर जातियोने मुस्लिम शासनका कचूमर नहीं निकाला? उनकी तलवार हिन्दुओं और अपने धर्मानुयाइयोपर समान रूपसे नहीं पड़ी?

सौ साल पहले तक भारतवासी सदैव यह मानते रहे हैं कि वस्तुतः उनका शत्रु इस्लाम नहीं सर्वत खैवर है। यही कारण है कि उन्होंने कभी हिन्दू-मुस्लिम विवाद नहीं खड़ा किया, प्रत्युत सदा उनके सामने हिन्दू तुरुकका भेद बना रहा। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतकी किसी भी प्रशस्ति या शिलालेखमें सर्वत्र म्लेच्छ, शक, यवन, पारसीक और तुरुक शब्दोका ही प्रयोग हुआ है, कहीं भी मुस्लिम या मुसलमानके दर्शन नहीं होते। इसके अतिरिक्त इसका क्या कारण हो सकता है कि भारत सदासे उक्त जातियोकी नीति से परिचित रहा है और कभी भूलकर भी उसका दोष इस्लामके सिर नहीं थोपता। और तो और, स्वयं मुसलमानोके संस्कृत शिलालेखोंमें मुसलमान शब्दका व्यवहार नहीं होता, वहाँ भी परम्परागत शक दिखाई देता है। उदाहरणके लिए सुल्तानत महमूदके जलाल खोजाके गोमठ (वारिहागढ, दमोह) में प्राप्त शिलालेखपर संस्कृतमें जो लेख उद्धृत है, उसका अर्थ है - "शकोका स्वामी कलियुगमें पृथ्वीपति है। वह योगिनीपुरमें समस्त पृथ्वीका योग करता है, और उसने भूपतियोको वशमें किया है। उस महमूद सुरत्राण नामके राजाकी वृद्धि हो।"

यह दृष्टव्य है कि भारतवासियोने कभी खैवर और इस्लामको एक नहीं किया, प्रत्युत सदा उक्त आततायियोंको जातिगत रूपमें ही लिया। आप भारतके प्राचीन इतिहास में जिन शक, यवन, तुरुक आदि जातियोका आतक देखेंगे, उन्हीका मध्यकालमें उनके मुसलमान बन जानेपर भी आपको किसी प्रशस्तिमें यह नहीं मिलेगा कि अमुक हिन्दू राजाने अमुक मुस्लिम सुल्तानको पछाडा अथवा अमुक मुस्लिम बादशाहने हिन्दू सामन्तसे अमुक सम्बन्ध जोडा। वहाँ तो सर्वत्र मुस्लिमके स्थानपर शक, तुसाष्क, यवन और पारसीक प्रमृति शब्द दिखाई देंगे। इसका एकमात्र और अकेला कारण यही था कि तब तक इतिहासमें धर्म और सम्प्रदायको नहीं वाँधा गया था। यही नहीं, यहाँके तथाकथित मुस्लिम शासकोने भी कभी खैवर और इस्लाममें एकता स्थापित न की और तुर्क और पटानके भेदको कायम रखा।

हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द्व अथवा साम्प्रदायिक विचारधारामें महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजीका मुख्य उल्लेख होता है और उन्हें मुस्लिम सत्ताके विरुद्ध विद्रोहका झंडा खडा करनेका श्रेय दिया जाता है। किन्तु इन दोनो महानुभावोने भी कभी मुसलमानके विरुद्ध सगठित होनेका उल्लेख नहीं किया है। १३४२ वि० के आवक शिलालेखकी प्रशस्ति को ही लीजिए। उसमें कहा है, "जिन्होंने तुपस्क रूपी सागरमें निमग्न गुर्जर पृथ्वीका उद्धार किया " १४८५ वि० के श्रुगी ऋषिके शिलालेखमें कहा है, "जो अपनी तलवार के बलसे अमीशाहको जीता तथा अशेष यवनोको मार अपनी राजधानीमें लौट आए।" प्रवाद है कि वीकानेरके राजा रामसिंहके छोटे भाई पृथ्वीराजके पत्रके उत्तर में

स्वयं महाराणाने कहा; “प्रताप कभी अकबरको वादगाह नही कह सकता वह तो उसे सदा तुरक ही कहता रहेगा।” यहाँ कही भी मुसलमानकी गंव नही है। इस प्रकार शिवाजीने हिन्दुत्वका झडा खडा किया, इस्लामके विरोधमें नही बल्कि मुगलके विरोध में। औरंगजेवके वाप-दादोने हिन्दू और तुरकको अलग-अलग देखा था, तो उनकी मर्यादा भी स्थापित कर दी थी और वेद तथा कुरानकी सीमा भी अलग-अलग निर्धारित कर दी थी। साराश यह कि राजनीति को धर्मनीतिका आसन नही दिया था। परन्तु जब औरंगजेवने राजनीति और धर्मनीतिको एकमें साटनेके प्रयत्न किए तब शिवाजीने उसका विरोध किया। यह विरोध इस्लामके विरुद्ध न था। उसने मुसलमानो और कुरान मजीदका आदर किया। यही कारण था उसकी सेनामें ऊँचे-ऊँचे पदोंपर भी मुसलमान विराजमान थे। औरंगजेवके खैवरी अत्याचारसे व्यथित हो, शिवाजीके पुत्र सम्भाजीने जयपुरावीश रामसिंहको लिखा कि हमें इस दुष्ट यवनाधिपसे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और उसके स्थानपर उसके आत्मज उदार अकबरको स्थापित करना चाहिए। कही यह नही लिखा कि मुसलमानको खदेडकर हिन्दू राज्य स्थापित करना चाहिए। अतः शिवाजीके समयमें हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द्वके खोजनेका प्रयत्न सर्वथा भ्रामक है।

औरंगजेवके समयमें हिन्दू-तुरक ही संघर्ष चल रहा था, किन्तु अंग्रेजी शासनकी स्थापना ने उसे भी समाप्त कर दिया और १८५७ में भारतके सभी सम्प्रदायो और सभी देशी और विदेशी मुसलमानोने कन्वेसे कन्वा भिड़ाकर अंग्रेजी राज्यके विरुद्ध संघर्ष किया। यदि साम्प्रदायिक भाषामें ही कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि इस तथाकथित विद्रोहमें हिन्दुओकी तुलनामें मुसलमानोने अधिक उत्साह और वलिदानका परिचय दिया। अभी तक भारतके मुसलमान अन्य भारतीय अमुस्लिमोकी भाँति अपनेको हिन्दू या हिन्दुस्तानी कहनेमें गर्वका अनुभव करते थे। १८८० के लगभग सर सय्यद अहमदखाँ जैसे मुसलमान ने, जो कि अपने अंतिम दिनोमें अंग्रेजी प्रभावमें हिन्दू-मुसलमानोंकी पृथकताके पोषक हो गये थे कहा था, “मैं इन दोनो कौमोको जो हिन्दुस्तानमें आवाद है, एक लफ्जसे तामीर करता हूँ कि ‘हिन्दू’ यानी हिन्दुस्तानकी रहनेवाली कौम।”

भारतीय इतिहासके तथाकथित मुस्लिम कालपर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट होगा कि खैवरसे जो मुसलमान आये उन्होने पहले मुसलमानको साफ किया और फिर हिन्दू पर हाथ फेरा। शिहाबुद्दीन गौरीसे लेकर अहमद गाह दुर्गानी तक सभी इसकी पुष्टि करते हैं। भारतके मुसलमानोका इतिहास, जिनकी कि जनसंख्या कुल मुस्लिम जनसंख्याका शायद ६० प्रतिशत से कम नही है, वस्तुतः पराधीनताका ही इतिहास है। सैयद् अहमद अब्दुल अल्लाह साहवने ठीक ही फरमाया है कि, “ईरानी नज़ाद (वंश) हज़रत हिन्दुओ और हिन्दुस्तानी मुसलमानोको एक ही निगाहसे देखते है।”

भारतीय जनताके एक बड़े भागके इस्लाम अंगीकार कर लेनेसे, उनकी बफादारी में तथा पड़ोसी भिन्न धर्मावलम्बियोंके साथ उनके व्यवहारमें कोई अंतर नही आया। यही नही किन्तु अल्पसंख्यक विदेशी, साथ ही प्रबल मुसलमान, जो कि भारतके ही स्थायी निवासी होकर रहने लगे तथा स्थानीय जनताके बीचमें जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें सहयोग और सम्मिलनकी प्रवृत्ति पुष्ट हुई। दक्षिण भारतमें तो प्रथम मुस्लिम सम्पर्क बहुत

ही शांतिपूर्ण था। पश्चिमी तट पर उनकी महत्वपूर्ण वस्तियाँ बन गईं। भिन्न धर्मों और विदेशी होते हुए भी इनके सम्बन्ध स्थानीय जनतासे अत्यन्त सौहार्दपूर्ण थे। यही कारण था हिन्दू राजाओंने उन्हें बड़े-बड़े पद दिये। सुन्दर पण्ड्याने तकीउद्दीनको अपना मंत्री और सलाहकार नियुक्त किया और फख्रुद्दीनको कुबलाईखानके दरबारमें अपना दूत बनाकर भेजा। विदेशी मुस्लिम आक्रामकोंके हमलाका हिन्दू मुसलमानोंने मिलकर सामना किया। मालिक काफूरकी सेनाका राजा वीर वल्लालने मुकाबिला किया। उसकी सेनामें २०,००० मुसलमान थे। वस्तुतः भारतमें तथाकथित मुस्लिम शासनका इतिहास विभिन्नदेशीय और विभिन्न वंशीय मुसलमानोंके परस्पर सघर्षका इतिहास है। पानीपतके ऐतिहासिक मैदानमें बाबरने अपने ही धर्मावलम्बी इब्राहिम लोदीका मुकाबिला किया। इस इतिहासकी पुनरावृत्ति हुई जब अफगान शेरशाहने हुमायूँको नीचा दिखाया।

दक्षिणकी स्थिति इससे भिन्न न थी। बाबरने इसके कि विजयनगर साम्राज्यका अपने पड़ोसी मुस्लिम राज्यसे निरन्तर युद्ध चलता रहा, वहाँपर अत्यन्त धार्मिक सहिष्णुता और एक-दूसरेकी सस्कृतिके प्रति सम्मानकी भावना व्यक्त होती है। वीजापुरके आदिल-शाही और अहमदनगरके निजामशाही सुल्तान मुक्त हस्त हो मराठा सरदारोंको सरक्षण देते थे और हिन्दू अधिकारियों और हिन्दू सेनाओंको अपने यहाँ स्थान देते थे। अहमदनगरकी निजामशाहीने तो मराठी भाषाको अपने सरकारी कार्यकी भाषा बनाकर बहुत ही प्रोत्साहन दिया विजयनगरके हिन्दू राजाओंने इन भावनाओंका प्रतिदान किया। उन्होंने भी अपनी सेनाओंमें मुसलमानोंको भर्ती किया, मुस्लिम व्यापारियोंको प्रोत्साहित किया और उनकी इबादतके लिए मस्जिदोंका निर्माण किया। मुगल बादशाहों और दक्षिणके बहमनी राज्योंके बीच दीर्घ सघर्ष इन युद्धोंके वंशीय रूपकी पुष्टि करता है।

धर्मके क्षेत्रमें भी यह सहयोगकी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। अकबरसे बहुत पहले काश्मीरका सुलतान जैनुल आबदीन अपनी सहिष्णुता और विद्वत्ताके लिए प्रसिद्ध था। उसने जज़िया समाप्त कर दिया और विभिन्न सस्कृत ग्रंथोंका स्वयं फारसीमें अनुवाद किया। पन्द्रहवीं शताब्दीके अन्तमें गौड़में हुसैनी वंशके प्रथम बादशाह अलाउद्दीन हुसैनशाह (१४६३-१५१६) ने बगालमें एक नए युगका सूत्रपात किया। उसके सरक्षणमें विभिन्न सस्कृत ग्रंथोंके बगला अनुवाद हुए और विभिन्न धर्मों और वर्गोंके बीच सौहार्दकी नीति अपनाई गई। शेरशाह (१४८६-१५४५) द्वारा स्वयं इसी नीतिका अनुसरण किया गया। उल्लेमाओंकी रायके विरुद्ध उसने अपनी प्रजाके भिन्न वर्गोंको समान न्याय प्रदान करने और पूर्ण सहिष्णुता वरतनेकी नीति अपनाई। अपनी हिन्दू प्रजामें शिक्षाको प्रोत्साहन देनेके लिए उसने उन्हें बक्फ किए। उसकी इस उदार नीति का उसकी प्रजाके समस्त वर्गोंने स्वागत किया। अकबरकी सहिष्णुता और उदारता की नीति तो सर्वविदित ही है। यह स्मरणीय है कि जिस समय कि योरोपमें रोमन कैथलिक प्रोटेस्टेंट लोगोंको जला रहे थे और प्रोटेस्टेंट रोमन कैथलिकोंको मूलीपर चढ़ा रहे थे, उस समय अकबरने केवल विभिन्न सम्प्रदायोंमें ही नहीं प्रत्युत विभिन्न धर्मोंके बीच शांति स्थापित की। योरोपमें यह वह समय था, जबकि राज्यनत्ता अपनी

प्रजाके धर्मको निर्धारित कर रही थी । इस तथ्यको दृष्टिमें रखते हुए तत्कालीन मुगल एक महत्वपूर्ण अपवाद थे ।

सहिष्णुता, सांस्कृतिक समन्वय और असली मिश्रणने धर्म और दर्शनके क्षेत्रमें सम्मिलनकी प्रवृत्तिको पुष्ट किया । आक्रामक देशोंमें स्थायी रूपसे बस गए । समय और परम्पराओंने विभिन्न समुदायोंके बीचकी दीवारोंको गिराया । राज्य दरवारोंमें समान रूपसे हिन्दू और मुसलमान विद्वानों और कलाकारोंका आदर हुआ और इस प्रकार एक सम्मिलित सांस्कृतिक विकास प्रारम्भ हुआ । हिन्दुओंने फारसी और अरबीमें दक्षता प्राप्त की और मुसलमानोंने संस्कृतका अध्ययन किया । अमीर खुसरो और दारा गिकोहका नाम तो इस समन्वयमें चिरस्मरणीय रहेगा । इस्लामके एकेश्वरवाद आतृत्व और समानताके सिद्धांत ने हिन्दू विचारधारापर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा । कबीर, नानक, तुकाराम और चैतन्य दो धर्मोंके संगमका ही सुन्दर परिणाम थे । विदेशी मुसलमानों तकने हिन्दीमें रचनाएँ प्रारम्भ की । अब्दुल रहीम खानखाना और रसखानके नाम तो इस प्रसंगमें प्रसिद्ध ही हैं ।

इस प्रकार वास्तुकला, संगीत और चित्रकलाके क्षेत्रमें हिन्दू और मुसलमानोंके सपर्क से एक नई समृद्धि और समन्वयात्मक शैलीका विकास हुआ । संगीतके क्षेत्रमें तो समान परम्पराएँ सदियों पुरानी हैं और एक हिन्दू उस्तादके मुसलमान और मुसलमान उस्तादके हिन्दू शिष्य होना तो सामान्य सी बात है । यही नहीं, बल्कि मुसलमानोंने तो भारतीय संगीतमें विशेष दक्षता प्राप्त की । आजके भारतीय संगीतके आचार्योंमें मुसलमानोंका प्रमुख स्थान है ।

राजनीतिक क्षेत्रमें भी धर्मके आधारपर संघर्ष या पटोका विभाजन नहीं हुआ । यहाँ तक कि सोमनाथ मंदिरके भंजक महमूद गज़नीने हिन्दू सेनापति तिलकको अपने मुस्लिम सेनापति नियालतगीनको कुचलनेके लिए नियुक्त किया । सुल्तानका लड़का मसूद तो उससे भी आगे बढ़ा और उसने उसे अपनी समस्त भारतीय सेनाका सेनापति नियुक्त किया । अकबरके हिन्दू सेनापति तो सर्वविदित हैं, किन्तु औरंगजेब जैसे तास्सुवी शासकोंने भी हिन्दुओंको उच्चतम पदोंपर रखा । जसवन्त सिंह और जयसिंह मनसबदारीके अतिरिक्त राज्योंके गवर्नर पद पर भी सुशोभित हुए । इसी प्रकार गिवाजी की सेनामें भी मुसलमान उच्चतम पदोंपर आसीन थे । सिद्धी हलाल और नूरखान सेनापति पदपर नियुक्त हुए । उसकी नौसेनामें कमसे कम तो तीन मुस्लिम नौसेना-धिपति—सिद्धि सम्बल, सिद्धि मिश्री और दौलतखान मुसलमान थे । मालगुजारी और वित्त विभागमें तो सदा ही हिन्दुओंका प्रभुत्व रहा । यह कोई अपवाद स्वरूप उदाहरण नहीं है । सर विलियम हन्टरने बहुत ध्यानवीनके वाद लिखा कि अघिकांग मुसलमान उमरा अपनी जमीनोंके प्रबन्धके लिए और किसानोंसे कर वसूल करनेके लिए हिन्दू-कारकुन ही रखते थे ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार हिन्दू और मुसलमान धर्मके आधारपर नहीं, किन्तु समान स्वार्थों और समान सांस्कृतिके आधारपर एक सहयोगकी परम्पराको स्थापित कर रहे थे । आज अनेक ऐसे प्रचारक हैं, जो कि इस परम्पराको माननेसे इन्कार करते हैं, पर भारतके पुराने इतिहासकी साक्षी उनके विरुद्ध हैं ।

पृथक मुसलिम राजनीति का उदय

तब यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि यह साम्प्रदायिक कटुता कहाँसे शुरू हुई ? १८५७ की क्रातिमें मुसलमानोंका प्रमुख हाथ था । यह क्राति असफल रही और राष्ट्रीय मुसलमानोंपर ब्रिटिश सरकारका मजबूत वार हुआ । यो तो गदरसे पहले ही मुसलमानों का दमन शुरू हो गया, पर गदरके बाद इसमें और तेजी कर दी गई और अन्ततः स्वाभिमानी और वीर मुसलमान निस्सहाय और अशिक्षित हो गए ।

ऐसे समयपर सर सय्यदने उन्हें ऊँचा उठानेका बीडा उठाया । अपने प्रारम्भिक कालमें सर सय्यद पक्के राष्ट्रवादी थे और अपनी कविसुलभ भावुकतामें वह हिन्दू मुसलमानोंको भारत-वधुकी दो सुन्दर आँखें कहा करते थे । किन्तु १८८५ के लगभग उनमें हठात् एक परिवर्तन घटित होने लगा । अलीगढ कालेजके अग्रज प्रिंसिपलका प्रच्छन्न प्रभाव उनपर काम करने लगा । धीरे-धीरे उनपर यह असर डाला गया कि मुसलमानोंकी उन्नतिके एक मात्र और सर्वोत्तम उपाय सरकारका समर्थन है । परिणामतः उनके असाधारण प्रभावका उत्तर भारतमें मुसलमानोंको कांग्रेससे दूर रखनेमें प्रयोग किया गया ? किन्तु ऐसे मुसलमानोंकी भी कमी न थी जो कि शुरूसे कांग्रेसके साथ थे । यह कांग्रेस-समर्थन भावना केवल नवशिक्षितों तक ही सीमित न थी, बल्कि उसे सबसे अधिक समर्थन उलेमाओंसे प्राप्त हुआ । पर फिर भी सर सय्यदके प्रबल प्रभावसे बहुत से शिक्षित मुसलमान कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत भारतीय राष्ट्रवादसे पृथक रहे ।

उन्नीसवीं सदीके अन्तमें, सर सय्यदकी मृत्युके ठीक बाद हिन्दी-उर्दूका विवाद छिड़ गया और इस प्रकार एक नई दीवार खड़ी हो गई । उस समय तक उत्तर भारतकी अदालतोंमें फारसी लिपिका प्रयोग हो रहा था । कुछ हिन्दुओंने उसके स्थानपर नागरीकी माँग की । नये मुसलमान नेताओंने उर्दू भाषापर इस आक्रमणका विरोध किया । इस आन्दोलनकी इति श्री अजु-मन उर्दूकी स्थापना में हुई । नवाब मोहसिन उल-मुल्क जो कि अलीगढ कालेजके सेक्रेटरी थे, इसके भी सेक्रेटरी बन गये । पर सरकारको यह वर्दाश्त नहीं हुआ और उनपर यह दवाव डाला गया कि उन्हें इसमेंसे किसी एकको चुनना होगा । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकारने मुसलमानों का सगठन तभी पसंद किया, जबकि वह उनके हकमें हो । १९०४ में यह स्पष्ट हो गया, जब कि लार्ड कर्जनने वगाल के विभाजनकी योजना प्रस्तुत की और स्वयं उसने ढाकामें उसका मुस्लिम प्रान्त कहकर विज्ञापन किया । ढाकाके प्रभावशाली मुस्लिम नेता, नवाब सलीमुल्ला खाँको, जोकि अभी तक विभाजनके विरोधी थे, सरकार अपनी ओर करनेमें सफल हुई । १९०६ में सरकारी प्रेरणासे आगाखाँ की अध्यक्षतामें कुछ मान्य मुसलमानोंका एक प्रतिनिधि-मंडल लार्ड मिन्टोसे मिला और उसने पृथक् निर्वाचन की माँग की । उनकी माँग मन्जूर हुई । प्रतिनिधि मण्डलकी सफलताने उसके प्रणेताओंको प्रोत्साहित किया और उसी वर्ष मुस्लिम लीगकी स्थापना हुई । मुसलमानों में ब्रिटिश सरकारके प्रति वफादारीकी भावनाकी वृद्धि करना उसका एक उद्देश्य था ।

१९०८ में लीगने स्थानीय सभाओंमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके विस्तारकी माँग की । १९०९-१० में भारतीय मुसलमानोंके जीवनमें एक महत्वपूर्ण घटना घटित

हुई। तत्कालीन अलीगढ़ कालेजके सेक्रेटरी, जो कि लीगके भी मंत्री थे तथा कालेजके प्रिंसिपलमें अनवन हो गई और क्रमशः लीग एक स्वाधीन संस्था बनने लगी।

१९११ में वंगालके विभाजनके अंतकी घोषणासे मुसलमानोंको काफी धक्का पहुँचा, क्योंकि इसके बारेमें उनकी कोई राय नहीं ली गई थी। इस धक्केने एक बार मुसलमानोंको पुनः राष्ट्रवादी धाराकी ओर धकेला। उस समय योरोपमें होने वाले परिवर्तनोंने भी इस प्रवृत्तिको बल दिया। तरुण तुर्क आन्दोलनने भी उसे प्रभावित किया और धीरे-धीरे लीगमें रूपान्तरण होने लगा। १९१३ में लीगका उद्देश्य ब्रिटिश ताजके नीचे स्वराज्य प्राप्त हो गया। लीगके अगले अधिवेशनमें डा० अन्सारी, अबुलकलाम आज़ाद और हकीम अजमलख़ाँ जैसे व्यक्ति सम्मिलित हुए। उन्होंने हिन्दू मुस्लिम सौहार्दपर विशेष जोर दिया।

१९१४ के महायुद्धने पुनः मुसलमानोंमें जीवनका संचार किया। शेखुल हिन्द मौलाना महमूद लहसन देवचन्दीने अपने एक शिष्य मौलाना अब्दुल्ला सिन्वीको काबुल स्थित तुर्की और जर्मन राजदूतोंसे बातचीत करने तथा वहाँके अमीरको अंग्रेजोंके विरुद्ध खड़े होनेके लिए प्रेरित करनेको भेजा। राजा महेन्द्र प्रतापके प्रथम राष्ट्रपतित्वमें मौलाना ने स्वाधीन भारतकी कल्पना की। मौलाना और उनके सहयोगी मौलाना हुसेन अहमद नदवी और मौलवी अजीज गुलको माल्टामें कैद कर दिया गया। बादमें मौलाना मुहम्मदअली और शैकतअली, मौलाना आज़ाद और हसरत मोहानीको भी नज़रबन्द कर दिया गया।

१९१५ का साल लीगके इतिहासमें महत्वपूर्ण है, जबकि उसका और कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन एक ही स्थान और समयपर बुलाया गया। इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि लीगके स्थायी सभापति आगाख़ाने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रवादी मुसलमान गिमला और व्हाइट हालके शिकजेसे लीगको मुक्त करनेमें सफल हुए। १९१७में लीगके सभापति राजा महमूदावादाने घोषणा की कि देशका स्वार्थ सर्वप्रथम है। १९१८ में लीगके स्वागत समितिके अध्यक्ष डा. अन्सारीका भाषण सरकारने जव्त कर लिया। इस अधिवेशनकी अन्य विशेषता राजनीतिमें उलेमाओंका पुनरागमन था। इस अधिवेशन में लीगने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को कार्यान्वित करनेकी माँग की।

१९१९ में जमीयत-उल-उलेमा-ए-हिन्दकी स्थापना हुई। १९२१ में उसने अपना प्रसिद्ध फतवा दिया जिसमें असहयोग और वायकाट मुसलमानोंके लिए धार्मिक कर्तव्य बताया गया। जमीयतके प्रथम सभापति मोहम्मदुल हसनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उनके बाद मुफती किफायतुल्लाने इसका दायित्व सम्भाला। उनके नेतृत्वमें जमीयतने १९३० और १९३२ के पूर्ण अवज्ञा आन्दोलनका समर्थन किया और उसके नेता अनेक बार जेल गये। जमीयत १९३९ के आज़ाद मुस्लिम सम्मेलनकी सबसे प्रबल समर्थक थी।

१९१९ में लीग, खिलाफत और जमीयत तीनोंने जलियाँवाला हत्याकांडपर विचार करनेके लिए एक साथ अमृतसरमें अधिवेशन किए। लीगके अगले अधिवेशन का सभापतित्व डा० अन्सारीने किया और उन्होंने कांग्रेसके अवज्ञा आन्दोलनको पूर्ण सहयोग

दिया। १९२१ में भी लीग और कांग्रेसके अधिवेशन साथ-साथ हुए। १९२३ के बाद लीगमें पुन शिथिलता आनी शुरू हुई और १९२३ में तो लीगमें लखनऊ अधिवेशन का कोरम भी पूरा न हो सका। अगले तीन अधिवेशनोंमें मुख्यत विगड़ती साम्प्रदायिक अवस्थापर विचार हुआ। वस्तुत वे निर्जीव रहे और उनकी पुरानी आग ठंडी हो गई। १९२७ में लीगके प्रतिगामी पक्षने जो अभी तक बाहर पड़ा था, पुन जोर मारा। इसका तात्कालिक कारण साइमन कमीशनकी स्थापना थी। लीगमें दो दल हो गये। राष्ट्रवादी दलने कलकत्ते तथा प्रतिगामी पक्षने लाहौरमें अधिवेशन बुलाए। अधिकृत अधिवेशनमें जो कि कलकत्तेमें बुलाया गया था, मुहम्मद अली जिन्नाने सभापतित्व किया। उसने साइमन कमीशनके वायकाट तथा बिना मुकदमा किए नजरबन्द राजनीतिक बन्दीयो की रिहाईके प्रस्ताव पास किए। १९३३ तक लीग पुन नरम दलियोंके हाथमें तथा अपनी १९१०की पूर्व अवस्थामें पहुँच गई। १९३१ में भारतके समस्त भागोंके राष्ट्रीय मुसलमानोंने लखनऊमें एक सम्मेलन किया जिसका सभापतित्व सर अली इमामने किया। उन्होंने कहा कि “मुझे पूछा जाय कि क्यों मेरी राष्ट्रवादमें इतनी श्रद्धा है, तो मैं यही कहूँगा कि इसके बिना स्वाधीनता असम्भव है। पृथक निर्वाचन राष्ट्रवाद का विरोधी है। सम्पूर्ण मुस्लिम बुद्धिवादी वर्ग पार्यक्य की योजनाका विरोधी है।”

१९३४ के बाद लीग पुनसंगठित की गई और उसने नई लाइन अस्त्रियार की। मि० जिन्नाने आक्षेप किया कि कांग्रेसके वर्तमान नेतृत्वने पिछले दस सालोंमें एकान्तत हिन्दू नीति अपनाकर क्रमश मुसलमानोंकी सहानुभूति खो दी है। फञलुल हकने इस्लाम के नामपर मुसलमानोंसे एक होनेकी अपील की और घमकी दी कि “अगर थानेश्वर और पानीपत फिरसे दोहराया जाता है, तो मुसलमानोंको अपने पूर्वजोंके उज्ज्वल नामको बचानेके लिये तैयार हो जाना चाहिए।” १९३६ में लीगकी प्रेरणापर हैदरावादके डा० अब्दुल लतीफने साम्प्रदायिक आचार पर भारतके सांस्कृतिक क्षेत्र निर्माणकी योजना तैयार की। सितम्बर १९३६ में कांग्रेस सरकारोंने इस्तीफा दे दिया और लीगको पुन अपनी स्थिति मजबूत करनेका मौका मिला। १९४० मार्चके लाहौर अधिवेशनमें दो राष्ट्रोंका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और पाकिस्तानकी माँग की गई। इसके कुछ सप्ताह बाद ही दिल्लीमें खानबहादुर अल्लावकशकी अध्यक्षतामें अखिल भारतीय आजाद मुस्लिम सम्मेलनका आयोजन हुआ। इसमें पाकिस्तानकी माँगका विरोध किया गया। जमीयतके अध्यक्ष मुफती किफायत उल्लाने मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके प्रारम्भिक शब्द थे “हिन्दुस्तान बिना नस्ल और धर्मके भेद के उन सब नागरिकों की समान मातृभूमि है, जो कि इसके साधनोंके समान रूपसे स्वामी है। वह अपनी अपनी भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओंके साथ एक अविभाज्य इकाई है।” इसमें अपने अन्य देशवासियोंके साथ कच्चा से कच्चा मिलाकर स्वाधीनताके लिये लड़नेकी घोषणा की गई।

मुस्लिम राजनीतिके ब्रिटिशकालीन इतिहासके इस सक्षिप्त अध्ययन से हम अवश्य जान सकते हैं कि मुस्लिम राजनीतिक चेतना दो विरोधी दृष्टिकोणोंमें विभक्त रही है, एक तो भारतके राष्ट्रवादसे अपनेको मिलानेके लिए व्यग्र रहा है, दूसरा उसने पृथक् ही

अपना रास्ता ढूँढना चाहता है। १९१६से १९२४ तक उस पर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का जोर रहा। उसके बादसे भारतके विभाजनके समय तक उस पर पृथकतावादियों का प्रभुत्व बढ़ता गया।

इस विविध प्रवृत्तिको समझनेके लिए उन समाजशास्त्रियों और अबौद्धिक शक्तियों का जानना भी आवश्यक है, जो कि पिछले सौ सालोंसे भारतीय राजनीतिमें कार्य कर रही हैं तथा जिन्होंने समय-समयपर विदेशी सरकारकी नीतिको प्रभावित और परिवर्तित किया है।

साम्प्रदायिकता के विकास में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हाथ

“फूट डालो और शासन करो” की नीतिमें दक्ष अंग्रेज शासकोंने भारतमें अपना पैर जमाते ही इस पर अमल करना शुरू किया। माउन्ट स्टुअर्ट एलिफसटनने कहा कि “फूट डालो और शासन करो” रोमन नारा था, यही हमारा भी होना चाहिए।” अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धनके शब्दोंमें “अंग्रेजोंने हिन्दू और मुसलमानोंके बीच अपने को रखनेका निश्चय किया और इस प्रकार एक साम्प्रदायिक त्रिकोणका निर्माण किया जिसका कि वह स्वयं आधार बने।”

अंग्रेजी हकूमतके एक वार समस्त देशको एक केन्द्रीय शासनके नीचे ले आनेसे यह सम्भावना की जा सकती थी कि इस विदेशी और अनुत्तरदायी सरकारके विरुद्ध एक सामान्य चेतना विकसित होती। यह सम्भावना वेवुनियाद न थी। १८५७ के विद्रोहने इसे सत्य कर दिखाया था। इस विद्रोहसे पहले भारतीय सेनाका रूप असाम्प्रदायिक था। वहाँ वर्ग और कवीलेका भेद न था। इसमें मुसलमान, सिक्ख, पुरबिए सभी मिले हुए थे और इस प्रकार प्रत्येक ही एक-दूसरेके प्रति अपनी जातीय दुर्भावना को खो बैठता और एक समान भावनासे प्रेरित होता था। यह वर्धमान एकता खतरनाक थी। सर जान लारेन्स, जिसने बादमें विद्रोहको दवानेमें महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया, इस वारेमें स्पष्ट था। उसके ही शब्दोंमें “विद्रोहसे पहलेकी सेनामें सबसे भयकर ढोप बंगाल सेनामें विद्यमान मातृत्व और एकता थी और इसका एक ही उपाय है—भेदनीति पहले तो योरोपीयनो द्वारा और फिर देशीय जातियों द्वारा।” इस प्रकार सेनामें एकता और राष्ट्रीयताकी भावनाको नष्ट करना ब्रिटिश सरकारका मुख्य उद्देश्य बन गया। सेनाके पुनःसंगठनकी योजनामें सैनिक टुकड़िया कवीले, सम्प्रदाय और जातिगत आधार पर बनाई गईं। यह समूह इस प्रकार बनाये गये ताकि यह अपनी कवायली और साम्प्रदायिक निष्ठाको और एक दूसरेके प्रति भेदनीतिको कायम रख सकें।

भेदनीतिकी नीतिके महत्वपूर्ण परिणाम हुए और दोनो सम्प्रदायोंके बीच की खाई निरन्तर गहरी होती गई।

अंग्रेजोंके आनेसे पहले सैनिक सेवा ही मुसलमानोंका मुख्य पेशा था। नये शासन ने उन्हें उससे पृथक कर दिया। १८७१ में सर विलियम हंटरने लिखा, “सेनाके द्वार अब उनके लिए बन्द है। कोई खानदानी मुसलमान अब सेनामें प्रविष्ट नहीं हो सकेगा।”

परम्परागत सैनिक पेशा छूट जानेपर अपने को दीवानी वावूगिरीमें रूपान्तरित करना बहुत कठिन था। हिन्दुओंने मुसलमानोंसे कहीं पहले अपनेको अंग्रेजी शासनके

अनुरूप ढाल लिया था। यह एक दृष्टव्य तथ्य है कि मुसलमान शासकोंके नीचे भी हिन्दू कर्मचारी ही राज्यके मालगुजारी विभागको चलाते थे। अंग्रेजी शासनके प्रारम्भ में यह ही मुख्य दीवानी विभाग था।

हिन्दू अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनेमें अग्रणी रहे। पर अंग्रेजी शिक्षाके साथ-साथ उसके माध्यम द्वारा उन्होंने अनेक महान व्यक्तियोंके नेतृत्वमें स्वाधीनता और लोकतंत्र के विचारोंको भी ग्रहण किया। हिन्दुओंमें शीघ्र ही राष्ट्रीय चेतनाका उदय हुआ और वे ब्रिटिश सरकारके लिए एक चिन्ताका विषय बन गए। इस चिन्ताजनक स्थितिका सामना करनेके लिये सरकारने मुसलमानोंको अपनी ओर खींचना आवश्यक समझा। यहाँ पुन भेदनीतिकी आवश्यकता थी। इस महत्वपूर्ण कार्यको नवमंस्थापित केन्द्रीय मुस्लिम सस्था अलीगढ़ कालेजके प्रिंसिपल वेकने सम्पन्न किया।

मि० वेकने जो पहला काम किया वह इस्टीमेट गजटको, जिसका कि सम्पादन पिछले पाँच सालसे सर सय्यद अहमदख़ाँ कर रहे थे, अपने हाथमें लेना था। उन्होंने इस बातके लिए अथक प्रयत्न किया कि वह सर सय्यदको राष्ट्रवाद, हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द की नीति और उनकी उदारवादी विचारधारासे अलग करें और वे इसमें सफल हुए। १८८७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके विरुद्ध, जिसको कि स्थापित हुए अभी तीन साल हुए थे, सर सय्यदने उसके विरुद्ध अपना प्रथम महत्वपूर्ण भाषण दिया। लेकिन अभी भी उलेमाओ और मुस्लिम व्यापारियोंका एक बड़ा वर्ग कांग्रेसका समर्थन करता रहा।

धीरे-धीरे सरकारने मुसलमानोंके प्रति, जो अभी तक सर्वथा उपेक्षित थे, अधिकाधिक अनुराग प्रदर्शित करना शुरू किया। १९०६ में अलीगढ़के तत्कालीन प्रिंसिपल आर्क-वाल्डकी प्रेरणासे मुसलमानोंका एक प्रतिनिधि मण्डल आगा ख़ाँकी अध्यक्षतामें वाड-सराय लार्ड मिन्टोसे मिला। १९०९ में उन्हें पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया। इसने पहले ही १९०५में वगालके विभाजनके रूपमें सरकार हिन्दू-मुसलमानोंके बीच भेद करने का प्रयत्न कर चुकी थी। वगभगका स्पष्ट उद्देश्य वगालियोंकी एकताको तथा राष्ट्रीय भावनाकी राजनीतिक प्रवृत्तियोंको नष्ट करना था।

वग-भग मुसलमानोंको साम्राज्यवादी उद्देश्योंके साधन बनानेका चतुर प्रयत्न था। स्वयं स्टेड्समैन जैसे अखबारने लिखा कि इसका लक्ष्य पूर्वी वगालमें मुस्लिम शक्तिकी भावनाको पोषित करना है, जिससे कि हिन्दू समुदाय भी निरन्तर बढ़ती शक्तिके रोकने की आशा की जाती है।

१९०७ में भारत सरकारके सर होल्ड स्टुअर्टने सुधारकी योजना प्रस्तुत की, भारतीय के विरुद्ध भारतीयका सतुलन जिसका मुख्य आवार था। फिर पृथक् निर्वाचन आया। रैमजे मैक्डोनेल्डने स्पष्ट ही लिखा कि सरकारी अधिकारी ही पृथक् निर्वाचनकी माँग और उसके कार्यान्वित करनेके लिए उत्तरदायी थे। यही नहीं, सरकारने मुसलमानों को ही हिन्दुओंसे अलग करनेके प्रयत्न नहीं किए, बल्कि हिन्दुओंको भी आपनमें अलग अलग करनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी। सीदक्षिणके अन्नाहण आदोलनके पीछे सरकारी प्रेरणा थी। १९१९ में सरकारी सेवाओंमें भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रस्थापित किया गया।

१९३५के एकटने मताधिकारको पर्याप्त विस्तृत कर दिया । ब्रिटिश भारतमें २७ ४३ प्रतिशत वयस्कोको मताधिकार प्राप्त हो गया, किन्तु १९१९ में जो मतदाता १० भागोंमें विभाजित थे, अब वे १७ टुकड़ोंमें बँट गये । राजाओको संघमें सम्मिलित होनेके लिए प्रेरित किया गया और रियासतोंकी २३ प्रतिशत जनसंख्याके लिए उनके राजाओको निम्न सदनमें ३३ प्रतिशत और उच्च सदनमें ४० प्रतिशत मत शक्ति प्रदान की गई ।

यह सब घटनाएँ उस महत्वपूर्ण सिद्धान्तके अनुरूप थी, जिसे कि लार्ड मिन्टोने सम्मुख रखा था, “किसी समुदायकी स्थिति उसकी सख्या द्वारा नहीं बल्कि उसने साम्राज्य की कितनी सेवा की है, उस आधारपर आँकनी चाहिए ।” दूसरे शब्दोंमें किसी भी समुदायका महत्व अंग्रेजी सरकारके लिये राष्ट्रवाद के प्रति उसके विरोध और शासकों के लिए उसके राजनीतिक महत्वपर निर्भर था । इसके लिए सब प्रकारकी विरोधी युक्तियोंका सहारा लिया जा सकता था । उदाहरणार्थ १९१९ में पृथक निर्वाचन इसलिए स्वीकार किया गया कि हिन्दू और मुसलमान उससे सहमत थे, १९३५ में इसलिए कि वह उसपर एक मत न हो सके ।

उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी सरकारका सदा यह उद्देश्य रहा कि वह राष्ट्रवादका विरोध करे और जनताकी एकताको भंग करे । अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धनने ठीक ही लिखा था कि तथाकथित हिन्दू मुस्लिम समस्या एक त्रिकोण है । इसमें एक अदृश्य हाथने उनके बीचके संदेह और शत्रुताको बढ़ानेमें महत्वपूर्ण भाग लिया है । इस सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारके भागकी उपेक्षा कर हम उस आधारको ही नहीं जान सकते, जिसने कि हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धोंको यह दुखद दिशा प्रदान की ।

वावजूद इसके यदि हम केवल ब्रिटिश सरकारकी फूट डालो नीतिसा साम्प्रदायिक समस्याको समझना चाहें, तो यह ठीक न होगा । ब्रिटिश सरकारको जो इतनी असाधारण सफलता मिली है, इसका यही कारण था कि उसे अनुकूल जमीन मिली । हमारे सामाजिक जीवनमें पहलेसे वह दरारें मौजूद थी, जिनका कि वह फ़ायदा उठा सकी । उन सामाजिक शक्तियोंपर भी संक्षेपमें विचार कर लेना जरूरी है ।

साम्प्रदायिक समस्या का समाज-शास्त्रीय आधार

सर जान सीलेने स्पष्टतापूर्वक स्वीकार किया कि १८५७ के गदरको बहुत हद तक एक भारतीय समुदायको दूसरे समुदायसे लड़ाकर खत्म किया गया और जब तक हम ऐसा करनेमें सफल हैं, हमारे साम्राज्यको कोई खतरा नहीं और ज्यों ही यहाँकी जनताने एक राष्ट्रका रूप धारण किया हमें अपने साम्राज्यकी आशा छोड़ देनी चाहिये । जिस समय यहाँपर अंग्रेज आये, उस समय सत्ता मुसलमान शासकोंके हाथमें थी और इसी सत्ता को अंग्रेजोंको समाप्त करना था । हिन्दुओंकी सहायतासे अंग्रेज इस सत्ताको तोड़नेमें सफल हुए । मि० एस० पी० हिलने अपनी बंगालमें १७५६-५७ पुस्तककी भूमिका में उल्लेख किया है कि ब्रिटिश शासनके सबसे बड़े समर्थक हिन्दू और उनके आश्रित थे । कारण था कि प्रायः समस्त व्यापार इन्हींके हाथोंमें था और इन्हींका अंग्रेज व्यापारियों के सम्पर्कमें आना अधिक स्वाभाविक था । इस प्रकार इनके तथा अंग्रेज व्यापारियोंके बीच आर्थिक स्वार्थोंपर मैत्री कायम हुई ।

बंगालके मुसलमान जो कि सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमतके नीचे आये, स्वाभिमानी और सैनिक लोग थे। नई सरकारने इस्तमरारी बन्दोबस्त (१७६२) द्वारा उनपर जबर्दस्त चोट की। लगान वसूल करने वाले हिन्दू कारिन्दे रातो रात खड़े-खड़े जमीदार बन गए और उन्हें सम्पत्ति सग्राहकी सुविधा प्राप्त हुई, जो कि मुस्लिम शासनमें मुसलमानो को प्राप्त होती। साथ ही साथ सेनाके द्वार मुसलमानोके लिए बन्द कर दिये गये। सैनिक सेवा मुसलमानोको सर्वप्रिय थी। इसका इतना विनाशात्मक परिणाम हुआ कि १८७० में बंगालके मुसलमानोके बड़े-बड़े खानदान तबाह हो गए। विलियम हटर ने अपनी १८७१में प्रकाशित पुस्तक “भारतीय मुसलमान” में इसका प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है। सरकारी सेवाओ, विगोपकर उच्च पदो पर, मुसलमानोकी नियुक्ति असम्भव थी।

१८७१ में जो स्थिति थी उसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है, जहाँ कि बंगाल में ११३ हिन्दू डिप्टी कलक्टर थे वहाँ मुसलमानोकी सख्या ३० थी। इसी प्रकार इनकम टैक्स, असेसर विभागमें हिन्दुओ और मुसलमानोकी सख्या क्रमश ४३ और ६, रजिस्ट्रेशन विभागमें क्रमश २५ और २, सवीरडिनेट जजी में २५ और ८, मुस्लिफद पर क्रमश १७८ और ३७ पुलिस विभागमें ३३ और ० थी, चिकित्सा विभाग में ६५ और ४, शिक्षा विभागमें १४ और १, जन निर्माण इजीनियरिंग विभागमें १६ और ०, जन निर्माण अकाउन्ट विभाग में ५४ और ० थी। हिन्दुओकी तुलनामें मुसलमानो का अनुपात सातवाँ भाग है। डा० हटरके शब्दोंमें कलकत्तामें शायद ही कोई ऐसा सरकारी दफ्तर हो, जिसमें कि एक मुसलमानको एक मजदूर, हरकारे, दवातोमें स्याही भरनेवाले या होल्डर साफ करनेवालेसे ऊँचा काम मिल सके। सम्मानित खुले पेशोकी भी यही दशा थी। १८५१ तक कानूनके क्षेत्रपर मुसलमानोका एकाधिकार था। किन्तु नये शासनने पुरानी कानूनी शिक्षाको रद्द कर दिया। १८५२ और १८६८ के बीच २४० भारतीयोको हाईकोर्टमें वकालत करनेकी इजाजत दी गई। इनमें मे केवल एक व्यक्ति मुसलमान था। उस समय मुसलमानोको जान-बूझकर सरकारी नौकरीसे अलग रखा जाता था और हिन्दुओको तरजीह दी जाती थी।

मुसलमानोको आर्थिक दृष्टिसे ही नहीं कुचला गया, प्रत्युत शिक्षा और सामाजिक दृष्टिसे भी उन्हें जानबूझकर पीछे फेंका गया। सरकारी दफ्तरोंमें मुस्लिम त्योहारोके लिए कोई छुट्टी न थी। शिक्षाके क्षेत्रमें अरबी और फारसीका अध्ययन बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। जब बंगालमें अंग्रेजोंने पदार्पण किया था उस समय सारे प्रान्तकी लगभग चौथाई जमीन मन्दिरों-मस्जिदो या शिक्षा कार्यके लिए करमुक्त जमीनके रूपमें प्राप्त थी, किन्तु १८२८ तक उस जमीनको पुन सरकारने हथिया लिया। ऐनी स्थिति में क्या आश्चर्य था, कि एक सदीके निरन्तर उत्पीडनके बाद मुसलमानोकी हिम्मत न टूटती और वह अपनेको भूखसे पीडित और अपमानित न समझते? डा० हटरके शब्दोंमें उस समय वह ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत एक रौंदी हुई जाति थी।

१८८५ तक मुसलमानोका यह उत्पीडन चलता रहा। इसने स्वभावत भारतके दोनो समुदायोके बीच पर्याप्त असमानता उत्पन्न कर दी। जो मुसलमानने ग्योया, वह हिन्दुओने पाया। जब कि एक सदीके दमनचक्रने मुसलमान नम्प्रदायकी कयर

तोड़ दी, वहाँ एक सदीके राजाश्रयने हिन्दुओंमें सामूहिक चेतनाके उद्भवका वीजारोपण किया। राजा राममोहन राय, रामकृष्ण, दयानन्द, सरस्वती और रानाडे जैसे लोगों ने इस उदीयमान चेतनाको एक राष्ट्रीयताकी दिशा और रूप प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यद्यपि १८८५ में सरकारके तत्वावधानमें स्थापित हुई, किन्तु वह शीघ्र ही उसके लिए खतरा बन गई। सरकारने इस प्रवृत्तिको रोकनेके लिए अपनी कृपाको मुसलमानोपर स्थानान्तरित करना आवश्यक समझा।

इस पक्षपातने मुसलमानोको अंग्रेजोकी और खीचा और हिन्दुओको उनसे अलग किया। इस प्रकार अंग्रेजी राज्यके प्रति विरोध दो रूपोंमें व्यक्त हुआ। उसका एक रूप साम्राज्य विरोधी था, दूसरा अंतसाम्प्रदायिक।

साम्प्रदायिक समस्याका अवैदिक और भावात्मक पक्ष

पिछले पचास सालकी मुस्लिम राजनीतिका अध्ययन इस बातकी पुष्टि करता है कि मुस्लिम राजनीतिमें भावनाओंने बड़ा भाग लिया है। भावना वह विश्वास है जो कि युक्ति और तथ्य पर आधारित नहीं होता। वह एक प्रकारका संवेदन और इच्छा है। मुस्लिम नेताओंने मुसलमानोकी अल्पसंख्याको लेकर उनमें इस बातका पुरजोर प्रचार किया कि कोई भी लोकतन्त्रीय व्यवस्था उनके लिए खतरसे खाली नहीं, वह केवल हिन्दुओका राज्य होगी। संरक्षणके विकासमें भी हम इस भावनाको देख सकते हैं। विशिष्ट संरक्षणोंने मुसलमानोको हिन्दुओसे अलग कर दिया। पृथक्करण ने उनकी असुरक्षाकी भावनाको और भी प्रबल किया। प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं ने इस असुरक्षाकी भावनाको भडकानेमें कोई कसर नहीं उठा रखी। कुछ लोगोंका ख्याल था कि आर्थिक दृष्टिको अपनाकर इस समस्याका समाधान किया जा सकता था। पर उन्हें निराश होना पड़ा। साम्प्रदायिकताके इस वातावरणमें जनताके लिए अपने आर्थिक स्वार्थोंको समझना भी मुश्किल हो गया। साम्प्रदायिक भावना आर्थिक स्वार्थोंसे अधिक मजबूत सिद्ध हुई।

१९३६-३७ में कांग्रेसने आर्थिक दृष्टिकोणको कार्यान्वित करनेकी चेष्टा की पर मुसलमानोके ऊपर कांग्रेसी हिन्दू-राजके जुलुमके प्रचारके सामने सफलता न मिली। किसी भी समान वस्तुके प्रति घृणा किसी भी समुदायको एक करनेका अच्छा साधन है। अपनी सफलताके लिए सदा दूसरोपर दोष डालकर, और भेदनीति पैदाकर किसी भी समुदायको गुमराह किया जा सकता है और फिर ऐसे प्रचारके लिए एक योग्य दैवी गुण सम्पन्न नेता मिल जाय, तो उसकी सफलता भी सुलभ है। हिटलरने इस विधिको सफलतापूर्वक किया था। मि० जिन्नाके रूपमें मुस्लिम लीगको एक ऐसा नेता भी मिला। उसने जब पाकिस्तान का नारा मुसलमानोके सामने रखा, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तोंके मुसलमानोंने भी बिना यह जाने कि उनके लिए उसका क्या परिणाम होगा, उसका हार्दिक समर्थन किया।

दो राष्ट्रवाद

भारतमें हम दो प्रकारके राष्ट्रवादका उल्लेख कर चुके हैं। एक असाम्प्रदायिक, धर्म-निरपेक्ष और साम्राज्य विरोधी था, दूसरा साम्प्रदायिक। यह सत्य है कि १९३७ और १९४७के बीच अधिकांश मुसलमान साम्प्रदायिक राष्ट्रवादकी ओर आकर्षित हुए,

पर हिन्दू भी इससे अछूते नहीं रहे। मुस्लिम लीग, और हिन्दू महासभानें, यह एक रोचक तथ्य है कि एक ही प्रकारकी नीति, मनोवृत्ति और नैतिकताका परिचय दिया। १९३७ में श्री सावरकरने घोषणा की कि भारतमें हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। १९३८ में मुस्लिम लीग भी इसी सिद्धांतको सामने लाई। उसी साल लीगने पूर्णतया राष्ट्रीय और प्रगतिशील होने और मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि सस्या होनेका दावा किया। हिन्दू महासभाने भी उसी साल घोषणाकी कि वही एकमात्र राष्ट्रीय संस्था है।

अपने उग्र रूपमें धार्मिक या साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद केवल दूसरे समुदायकी पृथक चेतना को ही नष्ट नहीं करना चाहता, प्रत्युत वह उस समुदायको ही नष्ट करना चाहता है। फजलुल हकने कहा, “जब एक आठ सालका लडका मुहम्मद बिन कासिम १८ नैनिकोंकी मददसे सिन्धको जीत सकता था, तो क्या नौ करोड़ मुसलमान सारे हिन्दुस्तान को नहीं जीत सकते।” लाला हरदयाल एक हाथ आगे बढे और उन्होंने सलाह दी, “यदि हिन्दुओंको अपनी रक्षा करनी है, तो उन्हें अफगानिस्तान सीमातके कबीलोंको जीतना और उनको हिन्दू धर्ममें दीक्षित करना चाहिए।”

हर दिशामें लीग और महासभाके परस्पर विनाशात्मक विचार थे। जबकि लीग ने भारतके राष्ट्रभाषा पदके लिए उर्दूका प्रस्ताव रखा, महासभाने संस्कृतनिष्ठ हिन्दीकी माँग रखी। १९३८ में मिन्घ मुस्लिम लीगने मुसलमानोंको मुसलमानोंसे काम कराने और सामान खरीदनेका आदेश दिया। महासभाने हिन्दुओंके लिए वैसी ही बात कही। लीगने मुस्लिम मन्त्रि मण्डलके विरुद्ध “जुलुम आन्दोलन” चलाया। महासभाने भी पंजाब और बंगालमें हिन्दुओंपर अत्याचार का नारा लगाया। दोनों ही संस्थाओंने बड़ी सिद्धांत पर बल दिया। हिन्दू सभाने कहा जब कि हम मुसलमानोंसे बदला लेनेकी स्थितिमें होंगे, मुसलमानोंको एक दिनमें अक्ल आजायेगी। लीगने भी उसी टोनमें बात की। इस प्रकार हम दोनों साम्प्रदायिक दृष्टिकोणोंमें विरोधी समानताएँ देख सकते हैं।

इसका अन्य अच्छा उदाहरण भारतीय रियासतोंके बारेमें दोनों दलोंकी नीति थी। मुस्लिम लीग उन रियासतोंमें जहाँ मुस्लिम शासक थे जन आन्दोलनका विरोध करती थी, किन्तु उन रियासतोंमें जहाँ हिन्दू शासक थे, इनका स्वागत करती थी। महासभा की नीति इससे उल्टी थी। उनके लिए जनताके लोकतन्त्रीय अधिकारोंका सवाल नहीं था। इसी प्रकार दोनोंही संस्थाओंका हिंसाकी ओर खास झुकाव था। नक्षेप में, उनकी राजनीति मानव-कल्याण-अभिमुखी न हो शक्ति-अभिमुखी थी।

हिन्दू साम्प्रदायिकता

भारतीय साम्प्रदायिकताके विकासमें हिन्दुओंने कुछ कम महत्वपूर्ण पार्ट अदा नहीं किया है। हिन्दू सम्प्रदायवाद जहाँ एक ओर मुस्लिम सम्प्रदायवादकी प्रतिक्रिया है, वहाँ दूसरी ओर वह उसका बडा उत्तेजक है। प्रत्येकने इसमेंने एक दूसरेको उद्दीप्त किया है और पारस्परिक भोजन जुटाया है।

यह कहना गलत न होगा कि हिन्दू-मुसलमानोंको अलग करनेमें जाति प्रथाका बडा हाथ है। भारतीयोंका जब इस्लामसे सम्पर्क हुआ तब तक यह व्यवस्था बडी ही कठोर बन चुकी थी। हिन्दू-समाज मुसलमानोंको अपनी जाति व्यवस्थामें नम्भावित स्थान देनेके लिए तैयार न था। उसने उन्हें अपने दायरेसे बाहर कर उनके साथ अछूतोंके

समान व्यवहार किया। किन्तु जब तक मुसलमान शासक वर्गसे अपनेको सम्बन्धित मानते रहे, उन्होने इसे अधिक महसूस नहीं किया। किन्तु राजनीतिक शक्तिके छिन जाने पर, यह उन्हें बहुत खला। फिर हिन्दुओं और मुसलमानोंमें १९ वीं शतीके अंतसे प्रारम्भ हुए पुनरुद्धार आन्दोलनने इस प्रवृत्तिको दृढ किया। एक अहरार नेता ने इस पक्षको अपनी पुस्तकमें विस्तारसे हमारे सम्मुख रखा। आर्य नसलके मुसलमान सूफी सम्प्रदायके मुसलमान, ऊँचे खानदानोके मुसलमान, उच्च शिक्षित मुसलमान सभी के साथ हिन्दू समाजका व्यवहार अछूतोका सा था। आप पक्के राष्ट्रवादी और सोलह आने गांधीवादी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हिन्दूको यह पता चलेगा कि आप मुसलमान हैं, वह आपसे अछूतका-सा व्यवहार करेगा। हिन्दू इसकी चाहे कितनी ही कैफियत दें, चाहे वह इसके लिए अपने को कितना ही निरपराध ठहराएँ अगर मुसलमान उनके प्रति दुर्भावनाएँ रखें, तो वह उसकी शिकायत नहीं कर सकते।

उक्त उद्धरणमें अतिशयोक्ति है, पर सत्यका अंश भी है। हिन्दू यह नहीं समझते कि इस सामाजिक पार्थक्यसे वह अपना कितना नुकसान करते हैं। यह दुर्भाग्यका विषय है कि मुसलमानोंपर इस पार्थक्यकी प्रतिक्रिया उनकी ओरसे पार्थक्यमें व्यक्त होती है।

पुनरुद्धारवाद

पीछे हम भारतमें दो प्रकारके राष्ट्रवादोका उल्लेख कर चुके हैं। डा० वेणीप्रसाद ने इन दो प्रवृत्तियोंको आधुनिकवाद और और पुनरुद्धारवाद कह कर सम्बोधित किया था। उनकी अन्त क्रिया और सहअवस्थित राजनीतिक प्रतिक्रियासे वर्तमान हिन्दू-मुस्लिम समस्याका जन्म हुआ। एक अन्य लेखकने इसी प्रकारका निष्कर्ष निकालते हुए लिखा, "इस स्कूल (पुनरुद्धारवादी) के लिए अपनी राजनीतिक विचारधाराको धार्मिक और साम्प्रदायिक शब्दोंमें व्यक्त करना स्वाभाविक था। राष्ट्रवादको आर्यसमाज और आश्रमसे संयुक्त होना था स्पष्ट ही इसमें भारतीय मुसलमानके लिए कोई जगह न थी वह 'वेदोकी ओर लौटो' चिल्लाकर गौरव बोध नहीं अनुभव कर सकता था उसे एक ऐसे मानसिक यंत्रकी जरूरत थी, जिससे वह अपनी गुलामीपर पर्दा डाल सके। और अपने स्वाभिमानकी रक्षा कर सके। अतः उसने इस्लामके कृत्योंका गुणगान प्रारम्भ किया। उसने वगदाद और ग्रन्दाकके गीत गाने शुरू किए। और उस दिनके जब मुसलमान दुनियापर हकूमत करते थे। हरएक अरब और तुर्ककी विजय उसकी थी। रजा और कमालकी विजयपर उसका हृदय उछलता था। उसका विश्वास था कि गुलामी एक अस्थायी अवस्था है और युद्धोका परिणाम है। एक युद्धमें वह हार गया। उसे अगले दिनकी इन्तजार करनी चाहिए। वह गुलाम नहीं, यह हिन्दू गुलाम है, क्या तुर्की और ईरान उसके बतन नहीं हैं? और वादमें उसका भी कारवाँ चला जोकि अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे सम्प्रदायवाद तैयार हो रहा है।"

इस प्रकार दोनो समुदायोंने समानान्तर दिशाएँ अपनाईं। इस प्रकार आप देखेंगे कि सम्प्रदायवादभी राष्ट्रवादकी एक अवस्था है।

मुसलमानोंकी तुलनामें हिन्दुओंमें यह पुनरुद्धारवाद ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय-कारणोंसे कहीं आगे बढ़ गया। हिन्दुओंके लिए अपने सम्प्रदायवादको राष्ट्रवादसे मिला

देना आसान था। किन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, कि इस पुनरुद्धारवादाने हिन्दू-मुस्लिम समस्याको पर्याप्त जटिल बना दिया। इस जटिलताको हम केवल इसी बातपर जोर देकर सुलझा सकते हैं कि धर्म और सस्कृति दो भिन्न वस्तुएँ हैं और भिन्न धर्मोंके माननेवालोंके लिए भी एक समान सास्कृतिक दायपर गर्व करना सम्भव है। उदाहरणके लिए ग्रीक ईसाई नहीं थे, किन्तु किसी भी योरोपीयनको उनके सास्कृतिक ऋणपर गर्व है। विना एक-दूसरेके धर्ममें हस्तक्षेप कर हिन्दू और मुसलमानोंने इस सामान्य सास्कृतिक दायका पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किया।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

१९३७ से १९४७ का समय भारतीय सम्प्रदायवादके विकासमें विशेष महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर धर्म-निरपेक्ष सच्चे राष्ट्रवादकी शक्ति बढ़ी, वहाँ दूसरी ओर साम्प्रदायिक राष्ट्रवादकी असाधारण प्रगति हुई। पाकिस्तानके नारेने भोले मुसलमानो पर जादूका काम किया। साम्प्रदायिक हिन्दुओंने उसका जितना ही विरोध किया, उससे उतना ही उसमें उनका आकर्षण बढ़ा। ऐसे अविश्वास और अवैदिकताके वातावरणमें ठंडे दिलसे पाकिस्तानके हानि-लाभपर विचार करना सम्भव नहीं था। उधर भारतकी स्वाधीनता प्राप्त होती देखने लगी। विभाजनकी माँग स्वीकार कर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। देशके सामने एक ही विकल्प था—पराधीन अविभक्त भारत और साम्प्रदायिक रक्तपात, अथवा स्वाधीन विभक्त भारत। हमारी रायमें कांग्रेसने उस समय विभाजनकी माँगको मानकर एक समझदारीका काम किया। पाकिस्तानका विरोधकर पाकिस्तानके बुखारको नहीं उतारा जा सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि यह पाकिस्तानका ही परिणाम है कि जो इतनी भीषण मारकाट हुई। लेकिन कौन कह सकता है कि पाकिस्तान न बननेपर इससे कहीं अधिक भीषण मारकाट न होती ?

पाकिस्तान बननेसे कमसे कम भारतवासी मुसलमानोको तो यह अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि इससे उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। स्वयं पाकिस्तानवासी मुसलमान भी अब यह समझने लगे हैं कि उनके शत्रु हिन्दू नहीं, जोकि अब वहाँ सर्वथा दुर्बल है, वल्कि स्वयं उनके अपने धर्मावलम्बी हैं। इस प्रकार पाकिस्तानकी हम चाहे कितनी ही हानियाँ क्यों न दिखायें, उसने कमसे कम पहली बार गुमराह मुसलमानोको साम्प्रदायिकता के परिणाम देखनेपर मजबूर किया। वास्तविकता और नारेमें क्या अन्तर है, यह उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। इसी प्रकार जो साम्प्रदायिक हिन्दू हर समय मुसलमानो की शक्तिका हव्वा बनाकर हिन्दुओंको डराते और उनके विरुद्ध भडकाते रहते थे, अब अपनेको निकम्मा पा रहे हैं। हिन्दू यह जानता है कि मुसलमान भारतमें निर्बल है और उसकी कृपाका पात्र है। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि पिछले दस वर्षोंमें अन्त साम्प्रदायिक संघर्षमें पर्याप्त कमी हुई है। फिर भी जहाँ साम्प्रदायिक संघर्षकी उग्रता शांत हो गई है, वहाँ अभी भी दोनो सम्प्रदायोंमें पृथकताकी भावना विद्यमान है, जोकि अभी भी कभी-कभी अपने भोडे रूपमें व्यक्त होती है। १९५६ में हुए कुत्ते और किताबके आन्दोलन इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

आखिर हिन्दू-मुस्लिम भावना और वैमनस्यके वह कौनसे स्थायी आधार हैं, जिनका उपकार साम्प्रदायिक सौहार्दके लिए आवश्यक है ?

वर्तमान स्थिति और भविष्य

इस सम्बन्धमें हाल ही में एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय गवेषणा प्रकाशित हुई है जिसमें कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यके वैज्ञानिक अध्ययनका प्रयास किया गया है। उससे वर्तमान साम्प्रदायिक वैमनस्यको बहुत हद तक समझा जा सकता है।

भारतकी स्वाधीनता और मताधिकार ने देशकी जनसंख्याके समस्त भागोंमें नई चेतना उत्पन्न की है। इस चेतनाने नई इच्छाओं और आकांक्षाओंको जन्म दिया है। उदाहरणके लिए, हरिजन गाँवमें मरे जानवरोको उठानेसे इन्कार करते हैं और एक काश्तकारकी हैसियतसे बसना चाहते हैं। हर कोई सरकारमें अपनी सुनवाई चाहता है। एक वर्गकी अल्पसंख्यक समूहके प्रति आक्रमणात्मक बननेकी प्रवृत्ति है। दूसरे वर्गमें राजनीतिक ताकत हथियाने की हविस है।

चूँकि परिस्थितियाँ बहुतसे वर्गोंको अपनी इच्छाओंको संतुष्ट करनेके अल्प अवसर प्रदान करती हैं, उनकी मानसिक शक्ति प्रतिगामी प्रवृत्ति धारण करती हैं। समस्याओंको अतिसरल रूप दिया जाता है। ऐसी स्थितिमें विभिन्न वादोंकी पूजा और काल्पनिक उद्देश्योंकी ओर झुकाव होता है और बहुतसे वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग, बिलकुल साहस छोड़ बैठते हैं। प्रायः समस्त जनसंख्या अपने वातावरणको अपने अनुकूल ढालने में असहाय अनुभव करती हैं। जाति, सम्प्रदाय और पुनरुद्धारवादी समूहोंकी कड़ियाँ मजबूत हो खतरेकी सृष्टि करती हैं।

इस प्रतिगमनका सम्बन्ध पर-समूहोंसे होता है। मुसलमानोंको हिन्दू आक्रामक लगते हैं। इसी प्रकार हिन्दू यह महसूस करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ है और विभिन्न राजनीतिक दलोंमें विभिन्न गुट एक दूसरेके विरुद्ध विपवमन करते हैं।

यह प्रतिगमन सामाजिक और भौतिक क्षमता विकसित करनेके स्थान पर निरन्तर राजनीतिक साधनोंमें जादुई और सर्वशक्तिमत्ताके विश्वासको दृढ़ करता है। उदाहरणके लिए, हर शहरमें सैकड़ों किशोर अपने अवकाशको लाठी चलानेकी योग्यता प्राप्त करनेमें व्यय करते नज़र आते हैं। वे वहाँ पुराने तरीकेपर काल्पनिक किलेपर हमला करनेके खेल खेलते हैं। लेकिन उनके पास, लोहा, लकड़ी, कपास, कागज़ द्वारा नये कौशल सीखनेकी सुविधाएँ नहीं हैं। कुछ बड़ा होनेके बाद इनमेंसे कुछको इस बातका पश्चात्ताप होता है कि उनके द्वारा अर्जित कौशलका कोई उपयोग नहीं है। कालिज-स्तर पर होनेवाले अनेक अपराधोंमें किशोरावस्थामें अर्जित कौशल व्यक्त होता है। अनेक साल लाठी-अभ्यासमें गुज़ार देना, एक शत्रुसे घिरे होनेका मान पैदा करता है और एक काल्पनिक शत्रुके विरुद्ध यह कौशल नष्ट होता है। बहुतसे अपर्याप्त रूपसे रोज़गार में लगे हुए लोग, जिनमें नये काम सीखने या पैदा करनेकी क्षमता नहीं है आन्दोलनकर्ता बननेको अग्रसर होते हैं।

इस प्रकार वह उस पदको प्राप्त कर लेते हैं, जोकि उपयोगी और रचनात्मक कार्यों में लगे हुए लोगोंके पदसे कहीं अधिक श्रेष्ठ और सम्मानजनक है। प्रायः यह प्रचारक

और आन्दोलनकर्ता अपनी प्रतिष्ठा और अनुयायियोंकी वृद्धिके लिए विरोधको पैदा करते और बढ़ाते हैं ।

भारतमें व्यक्त नयी चेतना जनताकी उस समान इच्छाको व्यक्त करती है, जिसके अन्तर्गत लोग अपने भौतिक और सामाजिक वातावरणपर अपना अधिकार करना चाहते हैं । नैतिक पतन और प्रतिगमन इन उद्देश्योंमें असफल होनेके नैराभ्यका परिणाम हैं ।

इस नैतिक पतनसे किस प्रकार बाहर निकला जा सकता है ? इसका उत्तर परसराम ने इस प्रकार दिया है लोगोमें प्राप्त साधनोकी सहायतासे अपनी तात्कालिक परिस्थिति को सुधारनेके लिए अभिशुचि उत्पन्न करना, उनके जीवनकी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियोंका वैज्ञानिक अध्ययन; उनके साधनोके सफल उपयोगके लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना ।

परसरामके अध्ययनके कुछ निष्कर्ष बहुत ही विचारणीय और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ५० मेंसे केवल २ हिन्दू सूचनादाताओंने भारतीय मुसलमानोंको अनिवार्यतः पाकिस्तान भेजे जानेकी माँग की । उनमेंसे अन्य ४ सकटकालीन व्यवस्थामें मुसलमानों द्वारा गडबड की सम्भावनाका भय करते हैं, लेकिन यह वह नहीं चाहते कि मुसलमानोंको जबरदस्ती पाकिस्तान धकेला जाये । यह मज्जेकी बात है कि इन दो अति-मुस्लिम विरोधी हिन्दुओंमें कोई भी शरणार्थी नहीं है । इन दोनों व्यक्तियोंका व्यक्तित्व ध्यान देने योग्य है । यह दोनों ही जन समूहमें जोशीला भाषण देना चाहते हैं । इन दोनोंकी आर्थिक स्थिति अरक्षित है, और यह जीविकोपार्जनके लिए कुछ करनेमें असमर्थ हैं । इनकी मनोवृत्ति उस प्रकारकी है, "अमुककी मिनिस्टर, जिला बोर्ड या म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्षसे अच्छी पटती है, अतः मुझे उसके लिए काम करना चाहिए ।" उन्हें अपने काल्पनिक उद्देश्यके लिए कार्य करनेमें एक विशेष प्रकारकी तृप्ति प्राप्त होती है । कुछ प्रकारके विद्यार्थियोंमें उनके पर्याप्त अनुचर हैं । इससे वह अपनेको शक्तिशाली अनुभव करते हैं । उन्हें यह विश्वास है, कि अगर वे चाहें, तो विद्यार्थियोंकी मददसे पुलिसपर हावी हो सकते हैं । उनके अपने कथनानुसार आर्थिक कठिनाईयोके कारण उनकी विश्वविद्यालय-शिक्षा छूट गई थी । अन्य ४ व्यक्तियोंमें से ३ शरणार्थी हैं, जोकि मुसलमानोंसे हानिकी आशंका करते हैं । यह अपने पुनर्वासनमें पूर्णतः लिप्त हैं । १२ हिन्दू सभी स्तरपर मुसलमानोंका स्वागत करते हैं, किन्तु उनके मनमें भी मुसलमानोंके गन्दे, गौहृत्यारे, क्रूर व्यक्ति होनेका चित्र है ।

भारतीय समाजके विभिन्न स्तरोंपर विरोधके विभिन्न प्रतिमान हैं । गाय-स्तर बिना परिणामकी चिन्ता किए भयकर विरोधको व्यक्त करता है । भाषाके स्तरपर पर्याप्त बहस-मुवाहिजा है । जो लोग मुसलमानोंमें विचारधारात्मक स्तरपर लडते हैं, वह इन सभी प्रतिमानोंका लाभ उठाते हैं । विरोधके विचारधारात्मक स्तरपर ममीकरण और सशोषणके चिन्ह दृष्टव्य हैं । राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ और हिन्दू महासभाने मुननमानोंके प्रति अपने दृष्टिकोणमें कुछ सशोषण किए हैं । अतः विचारधारात्मक स्तरपर मुसलमानोंके विरोधकी सम्भावना बहुत कम हो गई है ।

हिन्दुओंके प्रति मुसलमानोंके विरोधसे सम्बन्धित निम्न निष्कर्ष दृष्टव्य हैं यद्यपि वास्तविक जीवनमें मुसलमानोंकी कठिनाइयाँ हिन्दुओंसे अधिक नहीं हैं, किन्तु मुसलमान

हिन्दुओंकी तुलनामें कही अधिक नैराध्य अनुभव करते हैं। मुसलमानोंकी तुलनामें गायद हिन्दुओंमें अपना अपमान सहनेकी कुछ अधिक क्षमता है। मजदूर पेया मुसलमान को अगर रोजगार मिलता रहे, तो वह संतुष्ट है। वह अधिक आशावादी है और वह अन्य वर्गोंके मुसलमानोंकी भाँति उत्पीड़नकी कल्पनाएँ नहीं करता। मध्यवर्ग और उच्चवर्गके मुसलमानोंको उत्पीड़नका अधिक भय है। परिणामतः उनमें हिन्दुओं और सरकारके प्रति अधिक विरोध है।

हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच एक-दूसरेकी अवस्थासे घनिष्ट परिचय का अत्यन्त अभाव है। बहुत ही थोड़े हिन्दू मुसलमानोंकी कठिनाइयों और वेचैनीको समझते हैं। मुसलमानोंकी तुलनामें हिन्दू विभिन्न प्रकारके समाचार पत्र पढ़ते हैं। मुसलमान अखबार हिन्दुओं द्वारा उत्पीड़नकी घटनाओंको अनुचित प्रमुखता देते हैं और इन घटनाओंका अंत असहायता व्यक्त करता है, जिसका कि मुस्लिम जनतापर निराशाजनक प्रभाव पड़ता है।

मुस्लिम विरोधको समझनेके लिए परसरामने कुछ संकेत मुझाये हैं। वे हैं : सार्वजनिक सेवाओंमें विगेष वेटेज तथा विधान सभाओंमें पृथक प्रतिनिधित्व समाप्त हो जानेसे मुसलमानोंके पद को ठेस पहुँची है। विभिन्न धर्मावलम्बी और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमें पले अधिकार-च्युत जमींदारों, राजाओं और उनके सम्बन्धियोंकी प्रतिक्रियाओंकी मुस्लिम मध्यवर्गसे तुलना कर, मुस्लिम विरोधके इस प्रतिमानको समाप्त किया जा सकता है।

स्वाधीनता प्राप्तिके पहले दस सालोंमें प्रभावशाली मुसलमान नेताओंने आम मुसलमानोंमें यह चेतना लानेका प्रयत्न किया कि वह अपने को पृथक वर्ग नमझें। पाकिस्तान का लाभ उन्हें हुआ तो भारत छोड़कर चले गये, लेकिन जो यहाँ रह गये उनके लिए, यह सफलता दायित्व बन गई। उनके पुराने कृत्य अब निन्दित हो गये। हिन्दुओंसे पार्यक्य, जो कि एक समय उनके विश्वासका अंग बन चुका था, अभी भी विभिन्न मसलोंपर उनके विचारोंको रंग देता है।

लेकिन हमें साम्प्रदायिक समस्याके कुछ गतिशील पहलुओंसे आँख नहीं मूंद लेनी चाहिए। भारतीय मुसलमानोंके एक बड़े वर्गमें पाकिस्तानके प्रति भीषण प्रतिक्रिया हुई है। वह अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि उन्हें उनके नेताओंने बेवकूफ बनाया। इससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। न पाकिस्तान बनता और न यह मुसीबतें आतीं। पाकिस्तानमें उसके लिए जगह नहीं। वार्षिक जोब ठंडा होनेपर प्रान्तीय भेद उभर आये हैं। बंगाली मुसलमान, विहारी मुसलमानको फूटी आँख नहीं देखता। पंजाबी मुसलमानको यू० पी० के मुसलमान नहीं मुह्राते : पाकिस्तानमें उनके लिए कोई सम्मान नहीं, ऐसी स्थितिमें यह सर्वथा स्वाभाविक ही है कि पाकिस्तानके प्रति उनके मनमें भीषण प्रतिक्रिया हो। वास्तवमें ऐसा हुआ भी है। फिर भी जब बहुतसे समझदार हिन्दू हर मुसलमानपर एक पाकिस्तानी एजेंट होनेका संदेह करें, तो क्यों न उन्हें इसका खेद हो और क्यों न वह अपनेको उत्पीड़ित और पृथक अनुभव करें ?

साम्प्रदायिक समस्याके कुछ और गतिशील पहलू भी विचारणीय हैं। आज भारतमें यह स्थिति है कि एक हिन्दू सम्प्रदायवादी की तुलनामें मुसलमान सम्प्रदायवादी

अपनेको अधिक अरक्षित समझता है। उसमें स्पष्ट राजनीतिक कारणोंसे साम्प्रदायिकता फैलानेका साहस नहीं रह गया है। मुस्लिम लीग, हिन्दू-मुस्लिम विरोधको गरम रखना जिसका मुख्य अस्त्र था, अब मर चुकी है। ऐसी स्थितिमें मुसलमानोंमें साम्प्रदायिक प्रचारके साधन, सस्था, नेता क्रमशः समाप्त हो रहे हैं। नयी पीढ़ीको साम्प्रदायिकता की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पुरानी पीढ़ीकी साम्प्रदायिकताको निरन्तर ताजा नहीं किया जा रहा है।

यह दुर्भाग्यकी बात है कि मुसलमानोंमें अभी तक प्रभावशाली असाम्प्रदायिक नेतृत्व पैदा नहीं हो सका है। लेकिन परिस्थितिकी यह माँग है कि मुसलमानोंको नये ढाँचेमें अपना स्थान बनानेके लिए उसका विकास करना होगा। इसमें अवश्य कुछ देरी लगेगी। लेकिन यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। मुसलमान नवयुवकोंका एक बड़ा वर्ग, हिन्दुओंकी तुलनामें कहीं अधिक धर्मनिरपेक्ष, यहाँ तक कि धर्म विरोधी और समाजवादी सस्थाओंकी ओर आकर्षित हो रहा है। हम इस तथ्यसे आँख नहीं मूंद सकते। भारतमें ही नहीं, पाकिस्तानमें भी यह प्रतिक्रिया प्रबल और तेजीपर है। भावी साम्प्रदायिक सम्बन्धोंकी दृष्टिसे यह एक शुभ चिन्ह है।

पिछले दस सालोंमें मुसलमान बच्चोंकी एक नयी पीढ़ी तैयार हुई है, जो कि स्वाधीनता से पहलेके साम्प्रदायिक जहर और घृणाके प्रभावसे बहुत कुछ अछूती है। धर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र और समाजवादकी नई विचारधाराएँ उनसे टकरा रही हैं। मुल्ला और मस्जिदका दबाव उनसे हट रहा है। यही अवस्था नई हिन्दू पीढ़ीकी है। छूतछात और खानपानके बन्धन टूट रहे हैं। हिन्दुओं और मुसलमानोंके सामाजिक दृष्टिसे मिलने के अवसर बढ रहे हैं।


पाकिस्तान बननेके सात-आठ साल तक विशेष रूपसे भारत और पाकिस्तानके सबध बहुत ही तनातनीके रहे हैं। इस तनातनीने हमारे साम्प्रदायिक सबधोपर सीधा प्रभाव डाला है। पाकिस्तानमें साम्प्रदायिकताकी साक्षात प्रतिमूर्ति और प्रतिष्ठाता मुस्लिम लीगकी पराजय और धर्मनिरपेक्ष दलका जन्म और उदय भावी साम्प्रदायिक सबधों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक घटनाएँ हैं। इससे स्पष्ट है भारतमें ही नहीं, साम्प्रदायिकताके गढ पाकिस्तानमें भी साम्प्रदायिकता—केवल पडौसी समुदायसे घृणाकी अपील और उसीके विनाशमें मुक्तिका सदेश ढूँढनेकी मनोवृत्ति ममाप्त हो रही है।

अतमें हम इसी बातपर बल देंगे कि धर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र और समतापरक विचारधाराओंका प्रसार साम्प्रदायिकताके विनाश का प्रमुख साधन है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म-विरोध नहीं। धार्मिक होते हुए भी लोकतन्त्र और समानतामें विश्वास साम्प्रदायिक सौहार्दका स्थायी सिद्धांत है। वास्तवमें दूसरे सम्प्रदायके सदस्यके प्रति उस प्रकार न देखनेकी अयोग्यता, जिस प्रकार व्यक्ति अपनी ओर देखता है, विरोधका मूल है। सामुदायिक जीवनके विभिन्न स्तरोंपर लोकतन्त्रीय जीवन रीतिको अपनाना इस विरोधके शमनका सबसे प्रभावयुक्त उपाय है। इसके लिए यह जरूरी है कि विभिन्न सम्प्रदायोंके सदस्योंमें धनित संचार हो। वह एक-दूसरेकी कठिनाइयोंमें पूर्णतः अवगत हो। राष्ट्रके प्रत्येक सदस्यके समान अधिकार और समान कर्तव्योंमें उनकी आस्था दृढ हो। विभिन्न धर्मोंकी पुस्तकों और पैगम्बरोंका ममान आदर हो। बच्चोंमें

साम्प्रदायिक अहंकार न विकसित होने देनेके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें दोनों ही सम्प्रदायोके राष्ट्र-भक्तो, विद्वानो, कवियो, कलाकारो और संतोकी जीवनीसे परिचित कराया जाये । हमारी पाठ्य पुस्तको, विशेषकर हमारी इतिहासकी पुस्तकोमें तत्काल सशोधन होना आवश्यक है ।

साम्प्रदायिक दृष्टिसे इतिहासका विश्लेषण, जनताका उत्कर्ष और अपकर्ष दिखाना, मिथ्या इतिहास ही नहीं पढाता, प्रत्युत सदाके लिए बच्चोके दिमागमें साम्प्रदायिकताके बीज बो देता है । इसलिए अपनी पाठ्य पुस्तकोसे यदि हम हिन्दू और मुसलमान जातिका ही बहिष्कार कर सकें, तो साम्प्रदायिक सौहार्दमें बडा योगदान कर सकते हैं ।

अतत सच्चा साम्प्रदायिक सौहार्द तभी स्थापित हो सकता है, जब कि हम उन सामाजिक उद्देश्योकी ओर अग्रसर हो जिनकी प्राप्तिके लिए हम विना जाति, वर्ण या सम्प्रदायके भेदके समान रूपसे प्रयत्न कर सकें ।



को, दो भाग वैश्य जातीय पत्नीके पुत्रको तथा एक भाग शूद्रा पत्नीके पुत्रको दिया जाना चाहिये ।

स्मृतिकारो द्वारा निन्दित ठहराये जानेके बावजूद भी विभिन्न वर्णोंके मध्य युग तक वैवाहिक सवध होते रहे । प्राचीन साहित्यमें और शिलालेखोमे इनके अनेक उदाहरण मिलते हैं । दूसरी श० ई० पू० में मौर्योंके उत्तराधिकारी शुंगवशी ब्राह्मण थे । कालिदासने मालविकाग्नि मित्र नामक नाटकमें ब्राह्मण पुष्यमित्रके पुत्र अग्निमित्रका विवाह विदर्भके क्षत्रिय राजा यज्ञसेनकी कन्या मालविकासे कराया है । वाकाटक राजा ब्राह्मण थे, किन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीयकी पुत्री प्रभावती गुप्ता वाकाटकवशी रुद्रसेन द्वितीय (३६५ ई०) की मुख्य रानी हुई । वाकाटक वशी राजा देवसेनके मंत्री सोम नामक ब्राह्मणने एक ब्राह्मणी तथा एक क्षत्रिया स्त्रीके साथ पाणिग्रहण किया ।

सातवी शती ई० में यद्यपि मुआन च्वांगने लिखा है कि भारतीय अपनी जातिके अन्दर विवाह करते हैं, पर उस समयमें तथा उसके बाद भी वर्णान्तर विवाहोंके अनेक उदाहरण मिलते हैं । वाणने हर्षचरितके प्रथम उच्छ्वासके अन्तमें अपने पारशव अर्थात् ब्राह्मण पिताके द्वारा शूद्रा स्त्रीसे उत्पन्न चन्द्रसेन तथा भ्रातृसेन नामक दो भाइयों का उल्लेख किया है । हर्षकी वहिन राज्यश्री वैश्यजातीय थी, पर उसका विवाह मैखरी-वंशके राजा ग्रहवर्णसे हुआ । दसवी शतीके प्रारम्भमें मायावट ब्राह्मण तथा संस्कृतके प्रसिद्ध कवि राजशेखरने चौहानकुलकी गुणवती कन्या अवनिसुन्दरीसे परिणय किया । ६७७ई० का आठपुरका अभिलेख यह बताता है कि गुहिल वंशके सस्थापक गुहदत्र ब्राह्मण के वंशज भ्रातृपुत्रने राष्ट्रकूट राज कन्यासे शादी की । विजयनगरके राजा बुक्क प्रथम (१२६८-१२६८) की कन्या निरुपादेवीका विवाह आरग प्रान्तके शासक ब्रह्म या वोमन्न वोडेय नामक ब्राह्मणसे हुआ था । इससे यह स्पष्ट है कि १३ वी शताब्दी तक विभिन्न वर्णोंके लोगोमें परस्पर विवाह होते थे ।

किन्तु १३ वी शती ई० से निवन्धकारोने असवर्ण विवाहको कलिवर्ज्य अर्थात् कलि-युगमें न किया जानेवाला कार्य कहा और इसका निषेध किया । स्मृतिचन्द्रिका (१२००-१५२५) ने इसकी पहले पहल चर्चा की । हेमाडि (१२६०-७७) ने चतुर्वर्ग चिन्तामणिमें इन विवाहोंका विरोध किया । बादमें पराशरमाधवीय (१३००-१३८०), रघुनन्दन (१२२०-७५) तथा कमलाकर भट्टने (१६१०-४०) भी इसे कलिवर्ज्य समझा । इन सब निवन्धकारो का आधार बृहन्नारदीय और आदित्य पुराणके कुछ वचन हैं । इसके बाद अपने वर्ण, जाति और उपजातिमें ही विवाहका नियम हिन्दू समाजमें सार्वभौम हो गया ।

जातीय उच्चता तथा अभिमानके अतिरिक्त मध्ययुगमें सतजातीय विवाहोको इस बातसे भी प्रोत्साहन मिला कि उस संकटपूर्ण युगमें शास्त्रकारोने इसलामसे हिन्दू धर्मकी रक्षाके लिये वर्ण व्यवस्था और जातपाँतके वन्धनीको कठोर बनाना शुरू किया । मुसलमानोंके साथ जिन हिन्दुओंका कुछ भी सम्पर्क हुआ, उन्हें जाति बहिष्कृत करना शुरू किया और जब इनकी पर्याप्त संख्या होती थी—तो इनकी एक अलग जाति बन जाती थी । कुछ उदाहरणोंसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । जाटोका एक भेद दरवारी जाट कहलाता है । रोजने इनके उद्भवकी एक मनोरञ्जक कथा दी है । एक बार वादशाह अकबर शिकारके लिये निकले । उनकी फौज अकस्मात् एक कुँए

के पास आ निकली । वहाँ एक जाटिनी सिरपर पानी का घड़ा लिये खड़ी थी और उसके एक तरफ भैंस और दूसरी ओर बछड़ा था । फौजसे भैंस और बछड़ा विदकने लगे । किन्तु जाटिनीने बड़ी हिम्मतसे एक हाथसे भैंसका एक सींग पकड़ा, दूसरेसे सिरपर पानीके घड़ेको सँभाला और बछड़ेको उसकी रस्तीपर पाँव रखकर नियंत्रित किया । अकबर जाटिनीका यह पौरुष और शौर्य देखकर विस्मित रह गया और उसने कहा कि ऐसी औरततो वहादुरोकी माँ होनी चाहिये । बादमें उसने उस जाटनीसे विवाह कर लिया, उसके सबधियोको मुगल दरवारमें ऊँची प्रतिष्ठा मिली और वे दरवारी जाट कहलाये । इन्होंने अपनेको ऊँचा समझना शुरू किया और जाटोके अन्य वर्गोको अपनी लड़की देना बन्द कर दिया । इस प्रकार जाट विवाहकी दृष्टिसे कई अन्य जातियो में बँटने लगे । अग्रवालो में राजसाही भेद इसी प्रकार शुरू हुआ । इनके पूर्वजोको मुगल दरवारमें बड़ी प्रतिष्ठा मिली थी, मुसलमानोके साथ सम्पर्क होनेसे ये अन्य अग्रवालो से शादी-व्याह की दृष्टिसे पृथक् वर्ग बन गये । बगालमें यह किम्बदन्ती प्रसिद्ध है कि ठाकुर अथवा टैगोर ब्राह्मणोके एक पूर्वज मुस्लिम वादशाहके यहाँ दरवारमें ऊँचे पदपर थे, एक वार उन्होने वादशाहको यह कहा कि आज उनके यहाँ गोश्त बड़ा स्वादिष्ट बना है, जब वादशाहने उनसे पूछा कि यह कैसे पता लगा, क्या उन्होने इसे खाया, तो उत्तर मिल, नहीं, इसकी गन्ध उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, इससे उन्हें इसके लजीज होनेका परिचय मिला । दूसरे ब्राह्मणोने सूँघनेको आधा खाना (घ्राणमर्घ भोजनम्) मानते हुए उन्हें अपने वर्गसे बहिष्कृत कर दिया और इस प्रकार शादी-व्याह और खानपानकी दृष्टिसे उनकी एक पृथक् उपजाति बनी । इसमें कोई सदेह नहीं कि उपर्युक्त कथाओमें कल्पना और गप्पका अंश बहुत अधिक है, पर यह एक निर्विवाद तथ्य है कि मुस्लिम सम्पर्क कुछ हद तक हिन्दुओमें जाति भेद बढ़ानेमें सहायक सिद्ध हुआ ।

इसके अतिरिक्त मध्य कालमें आवागमनके साधनोके अधिक विकास होनेसे लोगो की परम्पराओ, रूढियो रहन-सहन, रीति-रिवाज, भाषा आदिमें अन्तर बढ़ने लगा । अपनी जातिसे बाहर रीतिरिवाजोकी विभिन्नताके कारण पत्नीको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था, वह सर्वथा नये वातावरणमें होनेके कारण बड़े कष्ट और प्रयत्नसे अपनेको उसके अनुकूल बना पाती थी, अतः उस समय यह अच्छा समझा गया कि अपनी ही जाति या उपजातिमें विवाह हो ।

हिन्दू समाजमें सजातीय विवाह नियमके कारण अनेक भीषण दुष्परिणाम उत्पन्न हो गये हैं । पहला दुष्परिणाम यह है कि इससे वर-वधूके चुनावका क्षेत्र बहुत छोटा और सकुचित हो गया है । डा० भगवानदासजी ने लिखा है कि अवधके जिलोंमें पच-गौडान्तर्गत सरयूपारीण, द्विवेदी और त्रिपाठी पवित्र पावन ब्राह्मणोमें विवाह सबध योग्य व्यक्ति इतने कम रह गये हैं कि अब सगोत्र विवाह होने लगा है और केवल दूधका वचाव किया जाता है अर्थात् एक माँका दूध पीनेवाले भाई-बहिनमें विवाह नहीं होता, शेष सबधियोमें विवाह होते हैं । (पुरुषार्थ पृ० ४९०-१) छपराके सनाढ्य ब्राह्मणोकी भी यही स्थिति है, कई उप जातियाँ इतनी छोटी हैं कि उनमें केवल आठ व्यक्ति हैं ।

विवाह योग्य व्यक्तियो की संख्या कम होने के कारण दहेज और वेमेल विवाहोकी कुरीतियाँ समाजमें खूब बढ़ रही हैं । कन्याका विवाह तो हिन्दू समाजमें रोका नहीं

जा सकता, वह अवश्य करणीय कर्तव्य है। किन्तु साथ ही उसके लिये वर अपनी जातिसे बाहर नहीं ढूँढ़ा जा सकता, अतः अपने वर्ग तक सीमित लड़कोके साथ ही शादी करनी पड़ती है। लड़के कम हैं और उन्हें चाहनेवाले अधिक हैं, इस स्थितिमें लड़कोकी माँग अधिक होनेसे अर्थशास्त्रके माँग-पूर्तिके सुप्रसिद्ध नियमके अनुसार लड़कोका मूल्य बढ़ जाता है। लड़कोके माता-पिता लड़कियोंके मातापिताकी लाचारी खूब जानते हैं, अतः दहेजके लिये बड़ी-बड़ी रकमें माँगते हैं।

इस दशामें कन्याके माता-पिताके सामने दो ही विकल्प होते हैं—या तो वे भारी कर्ज लेकर कन्याका विवाह करें या फिर ऐसे किसी धनी वृद्धके साथ अपनी लड़कीका व्याह करें, जो दहेज कम माँगता हो या न माँगता हो। पहली दशामें वे जीवन-भर के कर्जदार बन जाते हैं, उनकी आयु ऋण उतारते-उतारते समाप्त हो जाती है और दूसरी अवस्थामें वे जान-बूझकर अपनी लड़कीको कुँएमें धकेलते हैं।

किन्तु इसके सिवाय उनके पास चारा भी क्या है? दहेज देनेकी शक्ति नहीं है और लड़कीको क्वारी रखा नहीं जा सकता। माता-पिता बूढ़े ऊँटके गलेमें बकरी बाँधकर भले ही इस बातसे संतोष करलें कि उन्होंने कन्याविवाहके धार्मिक कर्तव्यका पालन कर लिया है पर वस्तुतः वे अपने गलेसे बला टालते हैं। पर वे यह भूल जाते हैं या जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करते हैं कि उन्होंने कन्याके गलेमें वृद्ध पतिकी फाँसी डाल दी है। अब उस कन्याके लिए रोनेके सिवाय और कुछ नहीं रहता। जो कन्यायें कुछ हिम्मत रखती हैं, वे स्नेह लताकी भाँति आत्महत्या कर अपने तथा अपने माता-पिताके कष्टोका अन्त करती हैं।

वाल-विवाहकी बुराईको भी इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। कन्याके माता-पिता यह चाहते हैं कि वह किसी बरके साथ जल्दीसे जल्दी अपनी लड़कीको व्याह दें। वे लड़कोके माता-पिताके पास पहले पहुँचनेका यत्न करते हैं और उनकी यह कोशिश रहती है कि शादी जितनी जल्दी हो सके, अच्छा है। यदि शादी देर तक टाली गई तो सम्भव है, कि लड़केको कोई दूसरा अधिक दहेज देनेवाला मिल जाय या अधिक योग्य कन्या मिल जाय। अतः कन्याके पिताका प्रयत्न यही होता है कि विवाह शीघ्र हो जाय। इससे वाल-विवाहोकी संख्या बढ़ती है और समाजको इससे बड़ी हानि पहुँचती है। छोटी आयुमें विवाह होनेसे कन्याको मातृत्वका बोझ अपने शारीरिक विकासके पूर्ण होनेसे पहले ही उठाना पड़ता है, इससे वह प्रसूतिमें नाना व्याधियोंका शिकार बनती है, उसकी सन्तान निर्बल होती है, जातीय ह्रासको प्रोत्साहन मिलता है, वृद्धोके साथ अनमेल विवाहोंमें उसके शीघ्र विधवा होनेकी संभावना रहती है और हिन्दू समाज केवल इन वाल-विधवाओंके उत्पादन सामर्थ्य से वंचित होकर अपनी जातीय क्षीणता करता है। किन्तु इन वाल-विधवाओंके बाधित वैधव्यसे समाजमें अनैतिकता, दुराचार, भ्रूण हत्या और गर्भपातोकी संख्यामें वृद्धि होती है।

जातियाँ छोटी होनेसे कई बार युवकोको जबरदस्ती अविवाहित रहना पड़ता है। इस दशामें ये युवक अन्य स्त्रियोंसे अनुचित संबन्ध रखते हैं, इन युवकोके लिये स्त्रियाँ भगा कर लायी जाती हैं और इस तरह समाजमें व्यभिचारकी मात्रा बढ़ती है, स्त्रियोंको बेचने, बदला करने और किरायेपर अस्थायी पत्नियोंके तौरपर रखनेके समाज-विरोधी तथा धृष्ट रिवाज चल पड़ते हैं।

जब कन्याओंके विवाहमें सजातीय विवाहके नियमके कारण इतनी कठिनाई हो तो उनकी उपेक्षा होना स्वाभाविक है। इसी कारण पहले हमारे समाजमें कन्यावध की दूषित परिपाटी प्रचलित थी। अब यद्यपि वह बन्द हो गई है, किन्तु कन्याओंके साथ बुरा बर्ताव नहीं बन्द हुआ। हिन्दू समाजमें कन्याओंकी दुर्दशाका प्रधान कारण कन्याके लिये वर ढूँढने तथा दहेज जुटाने तथा जँवाईको सतुष्ट रखनेकी कठिनाइयाँ हैं। कन्या पैदा होते ही घरमें जो शोककी लहर दौड़ जाती है, उसका मुख्य हेतु कन्याकी विवाह विषयक चिन्ता होती है और इसका प्रधान कारण सजातीय विवाहका कठोर बन्वन है।

सबसे बड़ी हानि यह है कि यह जातीय एकता, सघटन, सामूहिक चेतना तथा राष्ट्रीय एकानुभूतिका सबसे बड़ा बाधक है। जब तक सजातीय विवाहका नियम है, सब जातियाँ अपने को पृथक् पृथक् समझती रहेंगी, वे अपने वैयक्तिक हितों तथा स्वार्थोंकी अधिक चिन्ता करेंगी। राष्ट्रीय हित अथवा राष्ट्रीय एकताकी कोई परवाह न करेंगी, जातीयता के विषयका वीज हमारे यहाँ पनपता रहेगा और सामाजिक सगठन तथा एकताको पुष्ट न होने देगा। डा० भगवानदासजीने यह सत्य ही लिखा है कि "हम आत्म सन्तोषके लिये भले ही यह दावा करें कि भारतमें हिन्दुओंकी बहुसंख्या है, किन्तु यह दावा विल्कुल थोथा और गलत है। वास्तवमें हिन्दू समाज आपसमें लडते हुए अल्प संख्यक समुदायों का—कोई तीन हज़ार जातियों और उपजातियोंका—जो सब भोजन और विवाहके विषयमें एक-दूसरेको अस्पृश्य समझती हैं—एक प्रतिक्षण विशीर्णकाय ढेर है।" निरन्तर क्षीण होते हुए भी हम आपसके जातिभेदको नहीं भूलते। सगठित होकर उन्नतिके लिये यत्न नहीं करते। हिन्दू जातिके विभिन्न वर्गोंमें सौहार्द उत्पन्न करनेके लिये और उन्हें एक सूत्रमें ग्रथित करनेके लिये अन्तर्जातीय विवाहका प्रारम्भ करना अत्यन्त आवश्यक है।

आधुनिक युगमें पिछली शताब्दीमें जब हमारे देशमें नव जागरण आरम्भ हुआ और समाज-सुधार आन्दोलन आरम्भ हुए तो अन्तर्जातीय विवाहकी ओर विशेष ध्यान दिया गया। ब्राह्म समाज, तथा आर्य समाजके सुधार कार्यक्रमोंमें जाति भेद का विनाश और अन्तर्जातीय विवाह एक महत्वपूर्ण अंग थे। ब्राह्म समाजियोंने अपने अनुयायियोंमें अन्तर्जातीय विवाहको वैध करानेके लिये १८७२ का विशेष विवाह-कानून पास कराया। कांग्रेसके अधिवेशनोंके साथ होनेवाली समाज-सुधार परिपदोंके प्रस्तावोंमें इसपर बहुत बल दिया जाता रहा। उत्तर भारतमें जातपात-तोड़क-मण्डल तथा अन्य सुधार करने वाली संस्थाओंने इन विवाहोंको प्रोत्साहित किया।

पर इसमें सबसे बड़ी बाधा कानूनी थी। वर्तमान न्यायालय प्राचीन शास्त्रोंका अनुसरण करते हुए अनुलोम विवाहोंको वैध मानते थे पर प्रतिलोम विवाहोंको अवैध माना जाता था अर्थात् ऐसे विवाहोंमें स्त्री पतिसे गुज़ारेकी माँग नहीं कर सकती थी, उसके पुत्रोंको पिताकी सम्पत्तिमें कोई अधिकार नहीं मिल सकता था। इससे स्त्रियों तथा बच्चोंके साथ किस प्रकार घोर अन्याय होता था, यह निम्न लिखित उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा। बम्बई हाईकोर्टके सामने आये एक मुकद्दमेंमें १६ वर्षकी एक लडकी काशीने अपनेसे हीन जातिके जमनादास नामक युवकसे शादी की। २५ वर्ष तक दोनों साथ रहे,

इनके आठ वच्चे हुए, इसके बाद पतिने पत्नीको छोड़ दिया। हिन्दू स्त्री होनेसे संकोचवश ६ वर्ष तक वह अदालतमें नहीं गयी किन्तु अन्तमें वृद्धापे और भूखसे तग आकर उसने गुजारा पानेके लिये अदालतमें आवेदनपत्र दिया। बम्बई हाईकोर्टने यह फैसला दिया कि बधू ब्राह्मणी है और वर शूद्र। हिन्दू कानूनके अनुसार प्रतिलोम होनेके कारण यह विवाह जायज नहीं, अतः काशीको जमनादाससे गुजारा पानेका कोई अधिकार नहीं है। पच्चीस वर्ष तक इकट्ठा रहनेके बाद भी अदालतने शास्त्रीय आधारपर उन्हें पति-पत्नी स्वीकार करनेसे इन्कार किया, पत्नीको कोई सरक्षण नहीं प्रदान किया, इससे अधिक क्रूर उपहास की क्या बात हो सकती थी ?

हिन्दू-कानूनके इस दोषको सुधारनेके लिये सर्वप्रथम श्री विट्ठल भाई पटेलने अन्तर्जातीय विवाहको वैध बनानेका एक प्रस्ताव १९१८में केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद् में प्रस्तुत किया। इसके पेश होते ही रूढ़िप्रिय, अनुदार कट्टरपंथी हिन्दुओंने इसका घोर विरोध किया। एक कट्टरपंथीके शब्दोंमें “यह विल जाति-वन्धनको टुकड़े-टुकड़े कर देनेवाला और उन कुकर्मियोंके सुभीतेके लिये है, जो हिन्दू-परिवारकी प्रत्येक पवित्र और प्रिय वस्तुको पाँव तले रौंदना चाहते हैं, जो दुराचार व आवारागर्दीका जीवन विताना चाहते हैं।” इन शब्दोंमें विरोधकी उग्रताका अनुमान किया जा सकता है। तीव्र विरोधके कारण यह विल नहीं पास हो सका। इसके १९ वर्ष बाद २८ जनवरी १९३७ को डा० भगवानदासजीने केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्में श्री पटेलवाला विल पुनः उपस्थित किया। उन्होंने इसके समर्थनमें प्रबल शास्त्रीय प्रमाण रखे, किन्तु यह सब अरण्यरोदन ही सिद्ध हुआ। १९३७ ई० में श्री घनश्यामसिंहजी गुप्तके प्रयत्नसे आर्य-विवाह-वैधता कानून पास हुआ। आर्य समाज प्रारम्भसे जातिभेद तथा सजातीय विवाहको विरोधी था, आर्यसमाजियोंमें ऐसे अन्तर्जातीय विवाह होते थे, बम्बई हाईकोर्टके उपर्युक्त निर्णय के अनुसार प्रतिलोम विवाह अवैध थे। आर्यसमाजियोंमें किये गये इन विवाहोंको वैध बनानेके लिये यह कानून पास किया गया।

किन्तु अभी तक ब्राह्मणसमाजियों तथा आर्यसामाजियोंके अतिरिक्त शेष हिन्दूसमाजमें अन्तर्जातीय विवाह वैध नहीं थे। आर्यसमाज, कांग्रेस तथा विभिन्न समाजसुधार-आन्दोलनोंके कारण अन्तर्जातीय विवाहोंकी संख्या बढ़ रही थी। राजनैतिक क्षेत्रमें इस प्रकारका एक प्रतिलोम विवाह वैश्यजातीय महात्मागाधीजीके एक पुत्रका ब्राह्मण-जातीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारिकी एक पुत्रीके साथ था। इस प्रकारके विवाहोंके बढ़नेके साथ इन्हें वैध बनानेका आन्दोलन प्रबल हुआ और श्री ठाकुरदास भार्गवके प्रयत्नो से १९४६ का हिन्दू-विवाह-वैधता कानून पास हुआ। इस कानूनकी तीसरी धारा का स्वरूप इस प्रकार है—“इस समय लागू होनेवाले हिन्दू कानूनके किसी ग्रंथ, नियम या व्याख्याके अथवा किसी रूढ़ि और रिवाजके होते हुए भी हिन्दुओंमें कोई विवाह केवल इस कारण अवैध नहीं समझा जायगा कि उसमें वर-बधू विभिन्न धर्मों, जातियों या सम्प्रदायोंसे संबंध रखते थे।” यह कानून अनुलोम, प्रतिलोम, दोनों प्रकारके विवाहोंको वैध बनाता है। इस कानूनने असवर्ण विवाहके शास्त्रीय नियमको विल्कुल विलुप्त कर दिया है। यह रूढ़िवादपर सुधारवादकी विजयका प्रतीक है। यह कानून भविष्यमें होनेवाले विवाहोंको ही वैध नहीं बनाता अपितु इस कानूनके पास होनेसे पहले

किये गये विवाहोको भी जायज बनाता है । नि सदेह वर्तमान युगमें हिन्दू विवाहके क्षेत्रमें यह बडा क्रान्तिकारी और महत्वपूर्ण कानून है । १९५५ के हिन्दूविवाह कानूनमें इस कानूनको सम्मिलित कर लिया गया है ।

वर्तमान कालमें हिन्दू समाजमें जाति भेदकी प्रथाका विघटन करनेवाली अनेक प्रवृत्तियाँ अन्तर्जातीय विवाहोके प्रोत्साहनमें सहायक सिद्ध हो रही हैं । औद्योगिक क्रान्ति, मशीनो द्वारा कारखानोमें बृहत् परिणाममें वस्तुओका उत्पादन, व्यापारके विकास, रेल, तथा आवागमनके अन्य साधनोके अभूतपूर्व विकाससे पुरानी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थामें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं । गाँवोमें पुराने उद्योगोकी समाप्तिसे पुराने पेशोका अन्त हो रहा है । ककालत, डाक्टरी आदिके नये पेशे बढ रहे हैं । इससे वृत्ति, धन्वे अथवा व्यवसायके आधारपर वनी पुरानी जातियोका प्रभाव और महत्व कम हो रहा है । रेलगाडियोमें, होटलोमें तथा बडे शहरोकी भीडभाडवाली सडकोपर जातीय शुद्धि और पवित्रताके नियमोकी रक्षा सम्भव नही है । स्वतन्त्रताप्राप्तिके बाद हमारे देशके नये सविधानमें सब नागरिकोके समान अधिकार स्वीकार किये गये हैं । कांग्रेस का लक्ष्य वर्गहीन समाजका निर्माण है । जाति-भेद प्रथाको पुष्ट करनेवाली अस्पृश्यता का १९५५के अस्पृश्यता-अपराध-कानून द्वारा कानूनी तौरपर उन्मूलन हो चुका है । जाति-सूचक पदोको अपने नामोके पीछे लगाना बुरा समझा जाने लगा है और हटाया जाने लगा है । ऐसी दशामें जाति-भेदके आधारपर किये जानेवाले सजातीय विवाहके नियमके पालनमें भविष्यमें पर्याप्त शिथिलताकी तथा अन्तर्जातीय विवाहोकी वृद्धिकी पूरी सम्भावना है । नि सदेह यह हमारे समाजके उज्ज्वल भविष्यका सूचक है ।

— ० —

दहेज का पाप

दहेजकी प्रथा हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवनको घुनकी तरह खाये जा रही है। यह कहना कठिन है कि उसका प्रारंभ कब और क्यों हुआ? ऐसा विवेचन किसी भी सामाजिक बुराईके संबंधमें करना कठिन है। सच कहा जाए, तो इस ऐतिहासिक विवेचनकी ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि किसी भी बुराईका समर्थन केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि वह बहुत पुरानी है अथवा उसका प्रारंभ किसी ऊँचे आग्रह अथवा किसी सद्भावनासे किया गया था। देखना तो यह है कि आज समाजको उसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है।

ऐसा लगता है कि विवाह संस्कारके समय किये जाने वाले कन्यादानकी प्रथाने दहेज की कुप्रथाको जन्म दिया होगा, क्योंकि अकेली कन्याका "दान" कोई अर्थ नहीं रखता। जब तक "दान" को साज-सँवारकर न दिया जाए, तब तक उसकी ठीक-ठीक कीमत नहीं आँकी जा सकती। कन्यादानके साथ गोदानको जोड़नेसे दहेजके जो बीज विवाह-संस्कार में विद्यमान रहते हैं, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के अस्त-व्यस्त होनेपर बट-बृक्षका-सा रूप धारण कर लिया है। उस गोदानकी ही वे शाखा-प्रशाखाएँ हैं, जिन्होंने दहेजके नामसे नाना रूप धारण कर लिये हैं। गोदानके स्थानपर आजकल प्रायः निश्चित धनराशि अथवा सोनेकी अंगूठी आदि दे दी जाती है और गौ खरीदनेकी बात कह दी जाती है। न कोई गौ खरीदता है और न कोई गौ पालता है। बड़े-बड़े शहरोंमें तो नगरपालिकाओं की ओरसे ऐसे प्रतिबंध लगे हुए हैं कि वहाँ साधारणतः गौ नहीं रखी जा सकती। जहाँ रहनेके लिए घर मिलना एक समस्या बन गया है, वहाँ गौ रखनेके लिए स्थान कहाँ मिल सकता है? फिर भी गोदान किया जाता है और गोदानकी इस भावनाने ही दहेजकी कुप्रथाका भयानक रूप धारण कर लिया है। कन्यादान और गोदान दोनों मिलकर समाजके लिए इतने भारी बन गये हैं कि वे उसकी सामर्थ्यसे बाहर हो गये हैं। विवाह संस्कारमें वैदिक मर्यादाकी लकीर पीटनेवाले भी आँखें खोलकर यह नहीं देखना चाहते कि कन्यादान और गोदानका प्रतिपादन किसी भी वेदमंत्रमें नहीं किया गया। स्मृति ग्रंथोंमें उसका उल्लेख मिलता है, किंतु स्मृति ग्रंथ वैदिक आचार-विचारके आधारभूत ग्रंथ नहीं हैं। वे तो समय विज्ञेपकी सामाजिक व्यवस्था के निर्देशक हैं। मनु, याज्ञवल्क्य अथवा पाराशर ने अपने-अपने समयकी सामाजिक व्यवस्थाके लिए जो नियम अथवा विधान बनाये थे, वे उनके दिनोंमें लागू हो सकते थे। आज भी उन्हें लागू रखनेका आग्रह करना वैदिक

मर्यादाका पालन करना नहीं माना जा सकता। स्मृतिकारोकी व्यवस्था उनके अपने समयकी व्यवस्था हो सकती है। वह वेदकालीन नहीं है और उसे वैदिक मर्यादाका अंग नहीं माना जा सकता। इसलिए हमारी मान्यता यह है कि कन्यादान और गोदान न तो वेद प्रतिपादित हैं और न वैदिक मर्यादाका अनिवार्य अंग है। यह स्पष्ट है कि कन्यादान और गोदानकी भावनाके गर्भमेंसे ही दहेजकी कुप्रथाका जन्म हुआ है।

हमारे समाजमें विद्यमान अनेक सामाजिक, विशेषत वैवाहिक, कुप्रथाएँ ब्राह्मण धर्मकी देन हैं। ब्राह्मणधर्मसे हमारा अभिप्राय उस धर्मसे है, जिस पर ब्राह्मण वर्गका एकाधिपत्य था और उनके मुहसे निकले वाक्यको वावा वाक्यकी तरह प्रमाण माना जाता था। वे श्रुति और स्मृतिके नामसे जो कुछ भी कह देते थे, वह धार्मिक व्यवस्था मानली जाती थी। समाज आँखें मूढ़कर उसे माननेके लिए वाध्य होता था। स्त्री और शूद्रके प्रति समस्त हीन भावनाओंका प्रारम्भ उनके ही द्वारा किया गया। शासक वर्ग सदा ही भेद नीतिसे काम लेता है। जब समाजपर ब्राह्मण वर्गका धार्मिक शासन कायम हुआ, तब स्त्री और शूद्रको हीन ठहराकर भेदनीतिसे काम लिया गया। स्त्रीको हीन ठहराकर ही ब्राह्मणोंने घर-घरमें अपना वर्चस्व कायम किया, क्योंकि हीन ठहराई गई स्त्री अपने व्यक्तित्व, अस्तित्व और महत्वके लिए एक मात्र ब्राह्मणोपर निर्भर रह गई। आज भी हमारे समाजकी बहुत-कुछ ऐसी ही स्थिति है। पडो, पुजारियो, पुरोहितो आदिका प्रपच और मायाजाल पुरुषोकी अपेक्षा अधिकतर स्त्रियोके ही सहारे चलता है। दयनीय स्थिति यह है कि जिस धर्म और धर्माचार्योंने स्त्रीको नितात दीन-हीन स्थिति में डाल दिया, वे ही उनका आश्रय बनी हुई हैं और उनके ही सहारे धर्म और धर्माचार्य दोनो फूलते-फलते हैं। स्त्रीकी हीनता असहाय स्थितिकी इस चरम सीमा तक पहुँच गई कि उसने अपनेको पतनकी गहरी खाईमें धकेलनेवालेको ही अपना सरक्षक मान लिया है। जब एक वार कन्या, स्त्री अथवा महिलाको दीन-हीन स्थितिमें डाल दिया गया, तब यह आवश्यक हो गया कि अन्य साधनोसे समाजमें उसकी कीमत अथवा महत्व बढ़ाया जाए। शिक्षासे उसे वचित कर दिया गया और शिक्षाके माध्यमसे उसकी कीमत अथवा महत्व बढ़ाना संभव न रहा था। बाल-विवाहके रहते उसके लिए शिक्षा प्राप्त कर सकना संभव ही न रहा था। इसलिये केवल भौतिक पदार्थ कपडा, गहना और अन्य धन संपदा ही ऐसे पदार्थ रह गये थे, जो उसकी कीमत अथवा महत्व बढ़ा सकते थे। एक कन्या पिताके घरसे ससुराल जाए और वहाँ उसका मान-सम्मान हो, ऐसी भावना प्रत्येक माता-पितामें अपनी पुत्रीके लिए होना स्वाभाविक है और यह तभी हो सकता था, जब उसके साथ ऐसे भौतिक पदार्थ अधिकसे अधिक मात्रामें दिये जाएँ। इस मान-सम्मानकी भावनासे कन्याको स्वाभाविक रूपसे जो-कुछ भी दिया गया, वह अतमें एक बंधन बन गया और वह बंधन भी ऐसा बना कि उसके लिए न केवल माँग, अपितु गर्त भी पेश की जाने लगी।

हिन्दू समाजमें कन्याएँ सदाही एक भार समझी जाती रही। उनके लिए उन घरमें कोई स्थान न रहना, जहाँ वे जन्म लेती हैं, एक भयानक सामाजिक अभिशाप है। कहा जा सकता है कि यदि कन्या दूसरे घरमें न जाए, तो समाजका काम कैसे चले? परन्तु इसका अर्थ यह नहीं ममझा जाना चाहिए कि वह पशुओकी तरह दूसरे घरकी नपत्ति

मान ली जाए और अपने मायकेके साथ उसका कोई संबंध ही न रहे । वह एक माध्यम होनी चाहिए दो परिवारोको मिलानेकी । विवाह सस्कार द्वारा दो व्यक्तियोका ही नही, अपितु दो परिवारोका मिलन होना चाहिए । परंतु ऐसा नही होता । दो परिवार एक नही बनते, अपितु वर पक्ष कन्यापक्षपर चढाई करके कन्याका अपहरण करता है और उसे सदाके लिए अपने उपभोगकी वस्तु मान बैठता है । वरात लेकर जाना ऐसा ही है, जैसे सेना लेकर किसी पर चढाई करने जाना हो । पुरुषमें पति होनेका जो झूठा अभिमान घर कर गया है, वही अभिमान कुछ छिपा हुआ वरात ले जानेमें भी विद्यमान है । तभी तो वर पक्ष कन्या पक्ष से शिष्टाचारकी सीमाका उल्लघनकरके भी अपनी आवभगत और आतिथ्यसत्कार करवानेकी इच्छा रखता है और उसके लिए भी तरह-तरहकी शर्तें पेश की जाती है । हम यहाँ वर यात्रा और विवाह संस्कारके साथ जुडी हुई अन्य कुप्रथाओके विस्तारमें नही जाना चाहते । हम केवल इतना ही दिखाना चाहते हैं कि कन्या पक्षको हीन मानकर वर पक्ष अपना जो प्रभुत्व अथवा वर्ताव उसपर कायम करना चाहता है, वह हमारी अनेक सामाजिक वुराइयोका मूल कारण है । “वर” को राजा कहकर जब कन्यापक्षके यहाँ पहुँचाया जाता है, तब उस राजाका यथोचित मान-सम्मान होना ही चाहिए और उस मान-सम्मानमें वह सब सामान सम्मिलित है, जिसे दान मान लिया गया है । उसका सम्मान और स्वागत-सत्कार कन्या-पक्षकी सामर्थ्य पर निर्भर न रहकर “राजा” की मान-प्रतिष्ठाका प्रश्न बन जाता है । दान कम हुआ कि उसकी नाक कट जाती है और यह समझा जाता है कि कन्यापक्ष वालोने उसे अपने यहाँसे अपमानित करके भेजा है । इसलिए उस अपमानको टालनेके लिए अब मनमाना दान माँगने और उसके लिए शर्तें पेश करनेमें कुछ भी संकोच नही किया जाता अपितु वैसा करना अपना अधिकार माना जाता है । अधिकारकी कोई सीमा नही रहती । इसलिए दानकी माँग सीमा पार कर गयी है । आश्चर्य यह देखकर होता है कि दान या दहेज भी विशुद्ध व्यापार बन गया है और इस व्यापारको चलानेवाले दलालोकी श्रेणी भी समाजमें पैदा हो गई है ।

दहेजकी यह कुप्रथा प्रायः बिना किसी अपवादके भारतके सभी राज्यों, जातियो समाजों और वर्गोंमें पाई जाती है । आश्चर्य यह है कि जो समाज या वर्ग अथवा जाति जितनी अधिक सम्पन्न है, उसमें दहेजका उतना ही अधिक प्रावलय है और उसकी मात्रा भी उतनी ही अधिक है । इतना ही नही वरकी शिक्षा, आमदनी और स्थितिके अनुपात से भी उसमें वृद्धि होती रहती है । कम आमदनीवाला अथवा कम शिक्षित दहेजकी थोड़ी मात्रा से सतुष्ट हो जाता है तो अधिक आमदनी करनेवाला और अधिक शिक्षित उतने ही अधिक दहेजकी माँग करता है और उसके लिए प्रायः अड जाता है । दहेजकी मात्राके सामने कन्याकी शिक्षा, उसके गुण अवगुण अथवा रूप रंगको प्रायः विलकुल भी देखा नही जाता । इस दृष्टिसे दहेजके ही कारण समाजमें अनमेल विवाह होकर अनैतिकता को निरंतर आश्रय मिलता रहता है । मैट्रिक पास अथवा १००-१५० कमाने वाला यदि एक हजार से संतुष्ट हो जाता है, तो एफ० ए० पास २००-२५० रुपये वाला ढाई-तीन हजारकी और वी० ए० पास ४००-५०० कमानेवाला पाँच, दस और १५ हजार तककी माँग करनेमें संकोच नही करता । सगाई और विवाहपर नियत रकम

चुकानेके वाद भी पीछा नहीं छूटता । हर तीज-त्योहारपर वर-पक्षका मुँह भरना ही पडता है और हिन्दू-समाजमें तीन सौ पैसठ दिनमें तीन सौ साठ तीज-त्योहार होते ही रहते हैं , इन सभी पर कन्याके माता-पिताको वर पक्ष और वर महोदयकी आरती और पूजा करनी ही पडती है । तीन-चार लड़कोके पिताका लखपती बन जाना साधारण बात है और तीन-चार कन्याओके माता-पिताके सिरपर सहसा ही कगाली छा जाती है । सिंधी समाजमें तीन-चार लड़कोके पिताको न कोई नौकरी करनेकी आवश्यकता है और न कोई व्यापार व्यवसाय । लड़कोका विवाह उसके लिए सबसे बड़ा व्यापार होता है और उसीसे वह मालामाल हो जाता है । अपनी ही जातमें अपनी कन्याके विवाहके लिये लाचार होनेसे दहेजको और भी अधिक बढ़ावा मिलता है । जात-पातके सीमित दायरेसे दहेजको बढ़ावा और उत्तेजन मिलता है । जिस समाजमें लड़कोकी कमी है, उसमें लड़केवालोकी वन आती है और उनकी मनमानी खूब चलती है ।

दहेजकी भीषणता इसीसे प्रकट है कि उसकी माग करनेवालोकी इच्छा और आकाक्षा की कोई सीमा नहीं रही । रुपया, पैसा, कपडा, गहना, गाडी, मोटर और मकान तक ही यह माँग सीमित नहीं, अपितु नौकरी दिलाने, व्यापार करवाने, शिक्षाके खर्च और विदेशयात्राके खर्च तककी निर्लज्जतापूर्वक माँग की जाती है । पिछले दिनो दिल्लीका एक समाचार था कि अपने लड़कोको कालेजमें प्रवेश दिलानेकी शर्त भी दहेजके रूपमें पेश की गई थी, क्योंकि कालेजमें प्रवेश मिलना बहुत कठिन हो गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि जीवनकी जो भी कठिनाइयाँ अथवा समस्याएँ सामने आती हैं, वे सब दहेजके नामपर कन्यापक्षपर लाद दी जाती हैं । कन्यापक्षसे ऐसी झूठी आशाएँ, भिय्या आकाक्षाएँ और गलत धारणाएँ बना ली जाती हैं कि औसतन माता-पिता उन्हें पूरी नहीं कर सकते । परिणाम यह होता है कि विवाह होते ही “धोखा दिया गया” की भापा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है और यह भापा राग, द्वेष, कलह और वैमनस्यका कारण बन जाती है । कन्या पर ताने ही नहीं कसे जाते, अपितु उसके प्रति अत्यन्त कठोर और निर्दय व्यवहार करनेमें भी कुछ उठा नहीं रखा जाता । बेचारी कन्याओको मारना-पीटना, धरसे निकाल देना, मायके भेजकर वापस न बुलाना और इसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना साधारण बात हो गयी है । सास, पति अथवा अन्य ससुरालवालो द्वारा बहूकी नृशस हत्या तकके समाचार पत्रोंमें जब तब पढनेको मिल जाते हैं । ऐसी घटनाएँ भी प्रायः सुननेमें आती हैं, जिनमें कन्याओको केवल इसलिए जीवनसे हाथ धोना पडता है कि दूसरा विवाह होकर कुछ अच्छा दहेज मिल जायगा, क्योंकि लड़कोके विवाहपर ऐसा कोई प्रतिवध नहीं है । वे एक पत्नीकी मृत्यु (अपने हायोकी गई हत्या) के वाद भी बहुत सरलतासे दूसरी और तीसरी शादी कर सकते हैं । हमारा सारा समाज ऐसा निर्लज्ज बन गया है कि वह ऐसे पापीको कोई दंड न देकर तुरत पुनर्विवाहकी व्यवस्था कर डालता है । नृशसता और हृदयहीनताकी यह पराकाष्ठा है । साधारण तौरपर समझा जाता है कि दहेजकी कुप्रथा पैसेवालोमें ही अधिक प्रचलित है, परन्तु वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है । मध्य स्थिति और साधारण स्थितिके लोगोमें भी दहेजकी कुप्रथा बुरी तरह घर कर गयी है । आदिवासी, भील, भिलालो आदिमें चरम नीमाकी गरीबी पाई जाती है, किंतु दहेजकी कुप्रथासे वे भी मुक्त नहीं । उनमें अनेक स्थानोपर लड़की

वाले को कमसेकम १०० रु० तो देना ही होता है और जो नहीं दे संकता, उसकी लडकी का विवाह होना प्रायः असभव हो जाता है। उड़ीसा और छत्तीसगढमें इसका विशेष जोर है। अन्य गरीब वर्गोंमें भी इसी प्रकारकी स्थिति पाई जाती है। कुछ प्रदेशों और जातियोंमें कुछ उलटी-सी प्रथा चल पडी है। उनमें लडकीवालोकी अपेक्षा लडके वालोको निश्चित रकम देनी पडती है। इसे आम तौर पर कन्या विक्रय कहा जाता है। जिन प्रदेशोंमें कन्याएँ ससुरालमें आकर खेती-बाड़ी अथवा घर-गृहस्थीके काममें उपजाऊ दृष्टिसे कुछ हाथ बँटा सकती है, उनमें उनकी कीमत पैसोंमें आँकी जाती है। कुछ पहाडी प्रदेशोंमें यह कुप्रथा अधिक पाई जाती है। जिन समाजोंमें वृद्ध-विवाहका रिवाज प्रचलित है अथवा कन्याओका विक्रय होता है, उनमें भी पैसा देकर कन्याएँ ली जाती हैं। इसे भी दहेजका ही रूपांतर समझा जाना चाहिए। परन्तु इस लेखमें हम वर-पक्षकी ओरसे की जाने वाली ज्यादतियोंकी ही विवेचन रूपसे चर्चा करना चाहते हैं।

इस कुप्रथाके कारण समाजमें जो अनर्थ छाया हुआ है, वह भी प्रायः प्रति दिन के अनुभवका विषय बन गया है। कितनी ही अनर्थकारी दुर्घटनाओके समाचार पत्रों में पढने और सुननेको मिल जाते हैं। एक मध्यम स्थितिका पिता किसी प्रकार दहेजकी कुछ व्यवस्था करता है और वर पक्षके लोग वरात ले आनेके बाद भी दुगुनी-तिगुनी माँग करनेमें संकोच नहीं करते। उनकी माँग पूरी न की जा सकी, तो वे विवाह किये बिना वापस लौटनेमें भी नहीं शरमाते। कन्याका पिता अपनी किस्मतको कोसकर और माथा ठोककर रह जाता है और उसके दिलपर इतनी गहरी चोट लगती है कि वह बीमारीके विस्तरपर जो पड़ता है, तो फिर उठ नहीं सकता और कालका ग्रास बनकर सारे परिवार को निराश्रित बनाकर इस संसारसे उठ जाता है। अभी उस दिन बवई विधान-सभा में एक सदस्यने अपने अनुभवकी जो घटना सुनाई, वह कितनी अनर्थकारी है। एक व्यक्तिये अपनी दूसरी कन्याका विवाह किसी प्रकार चार हजार रु० दहेज देकर किया, तो चार वर्ष पहलेकी विवाहिता उसकी पहली कन्याके ससुरालवाले और पति महोदय इस बुरी तरह विगड़े कि कन्याको यह कहकर घरसे निकाल दिया गया कि चार हजार रु० लाओगी, तो घरमें रखा जाएगा। इस प्रकारके हृदयहीन निर्वासनकी जितनी चाहें, उतनी घटनाएँ इकट्ठी की जा सकती हैं। परिणाम यह है कि घर-घरमें कष्ट, क्लेश, कलह और वैमनस्य छाया हुआ है। सारा समाज इस विद्वेषकी आगमें झुलस रहा है। कितनी ही कन्याएँ जो माता-पिताके इस सतापको सहन नहीं कर सकती, वे स्नेहलता और हेमप्रभाकी तरह कपड़ोंमें आग लगाकर, विष खाकर, कुएँ या नदीमें कूदकर अथवा अन्य किसी प्रकार से आत्महत्या करके समाजके मुखपर कलकका टीका लगा जाती हैं। कभी तो स्थिति यह थी कि कन्याको एक असह्य भार मानकर जन्मके साथ ही उसका गला घोट दिया जाता था—न रहे वाँस और न बजे वाँसुरीकी कहावत के अनुसार कन्याको अपने निठुर हाथोंसे यमलोक पहुँचाकर सारे झंझटसे छुटकारा पा लिया जाता था। यह निर्मम व्यवहार सदियों तक अनेक जातियों और प्रदेशोंमें चलता रहा। आज भी कन्याके जन्मको अधिकांश समाजमें अपशकुन माना जाता है और जीवन भर उसके प्रति उपेक्षाका ही व्यवहार किया जाता है।

दहेजका समर्थन करनेवाले प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि कन्याको कुछ तो दिया ही जाना चाहिये और क्या पिताकी संपत्तिमें उसका कुछ भी भाग नहीं ? यह ठीक है कि कन्याको कुछ मिलना चाहिए, परन्तु वह विवाहके अवसरपर ही बचन अथवा शर्त के रूपमें क्यों दिया जाए अथवा माँगा जाए ? उसे देनेके अनेक अवसर, साधन अथवा मार्ग हो सकते हैं । विवाह मंस्कारकी मर्यादा अथवा पवित्रताको उससे क्यों नष्ट किया जाता है और क्यों विवाहको एक भार बना दिया जाता है ? कन्या पक्षसे कितना भी धन क्यों न ले लिया जाए, उसके आधारपर वरपक्ष सुखी, सपन्न अथवा निश्चित होता नहीं देखा गया क्योंकि वर पक्षको भी किसी न किसी कन्याका विवाह तो करना ही होता है और उसके सामने दहेजकी समस्या उसी रूपमें उपस्थित हो जाती है । बहुतसे माता-पिता लड़कोंके दहेजसे अपनी पुत्रियोंके विवाहकी व्यवस्था करनेका हिसाब-किताब लगाते देखे गये हैं, परन्तु वे सहसा ही यह भूल जाते हैं कि वे अपने पुत्र और बहूको इम प्रकार दुखी बनाकर सारे घरको सदाके लिए दुखी बना देते हैं । ऐसे पुत्र और बहू बहुत ही कम मिलेंगे, जो स्वेच्छा या दहेजमें मिली संपत्तिका दूसरे के लिए त्याग करनेको तैयार हो । यह जोर-जबर्दस्तीका व्यापार किमी भी घरको सुखी नहीं रहने देता । अपने हाथोंसे इस संकटको मोल लेनेसे अधिक बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है ? अब तो कन्याओंको पिताकी जायदादमें पुत्रोंके समान हिस्सा पानेका अधिकार कानून द्वारा सम्मत हो गया है । इसलिए दहेजके रूपमें चलनेवाला लेन-देन तो सर्वथा बंद हो ही जाना चाहिए ।

कुछ लोग कानून द्वारा इस प्रथाको बंद कराना चाहते हैं । केवल कानूनको सब वीमारियोका इलाज मानलेना बहुत ही बड़ी भूल है । कानून केवल कुछ अशोमें अनुकूलता पैदा कर सकता है, परन्तु जड मूलसे किसी भी कुप्रथाको नष्ट नहीं कर सकता । बाल-विवाह और मृतक भोजादिके विरुद्ध बनाये गये कानून इन कुप्रथाओंका अंत नहीं कर सके जनताकी भावनाको बदले बिना और विरोधमें लोकमतको जाग्रत किये बिना कानून भी सफल नहीं हो सकता । फिर भी पंजाब और बंबईमें इस कुप्रथाके विरुद्ध कानून बनानेका प्रयत्न किया गया । उन कानूनोंके मसविदोंमें दहेजपर प्रतिबन्ध लगानेकी अपेक्षा उसे मर्यादित करनेका ही प्रयत्न किया गया । समझौतेकी इम मनोवृत्तिसे कोई भी सुधार, परिवर्तन अथवा क्रांति नहीं की जा सकती । किसी कुप्रथाको मर्यादामें बाँधना कुछ अशोमें ठीक हो सकता है, परन्तु उस मर्यादाके टूटनेमें अधिक समय नहीं लगता । इसलिए आवश्यक यही है कि किसी भी कुप्रथाको मर्यादामें बाँधकर मंत्तुष्ट न हुआ जाए और उसे समूल नष्ट करनेके ही प्रयत्न किये जाएँ । क्रांतिका यही तकाजा है, इसलिए दहेजकी कुप्रथाके नष्ट करनेके लिए आवश्यक है कि कन्याओंके प्रति समाजकी हीनताकी भावनाको जड-मूलसे नष्ट किया जाए । उन्हें भार न मानकर लड़कों के समान महत्व दिया जाए । उन्हें पालना-पोसना और शिक्षित बनाना निरर्थक न समझा जाए । एक कर्तव्यके रूपमें उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी पूर्ण की जाए । विवाह-संस्कारमें किये जाने वाले कन्यादान और गोदानकी पद्धतिको सर्वथा समाप्त किया जाए । वह कितनी भी शास्त्रसम्मत क्यों न हो, उसे तुरत बंद किया जाए । कन्या के साथ "दान" शब्दका प्रयोग अपमानास्पद और लज्जाजनक समझा जाए । गहने,

कपड़े आदिके सब आडंबर समाप्त किये जाएँ । कन्याके जन्मको पुत्रके जन्मके समान ही माना जाए ।

कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं कि जो कुछ भी दिया जाए, उसका दिखावा नहीं किया जाना चाहिये । इसका मतलब यह हुआ कि लुक-छिपकर और लोगोंसे अदृश्य रखकर किया गया पाप पाप नहीं है । दहेज यदि त्याज्य और निन्दनीय है, तो छिपाकर देनेसे वह पुण्य नहीं बन सकता । समाजमें बहुत-सा पाप इसलिए फैलता चला जाता है कि वह छिपाकर किया जाता है । सच तो यह है कि छिपाव अथवा अघकारमें ही पाप पनपता और फूलता-फलता है । इसलिए दिखावा न करना दहेजको और भी अधिक बढ़ावा देना है । पापका सर्वांशमें ही अंत होना चाहिए, इस लिए दहेजकी कुप्रथाका अंत भी सर्वांशमें ही किया जाना चाहिए ।

कुछ स्थानोपर दहेजके विरुद्ध लोकमत जाग्रत करनेके लिए धरना दिया गया है और वह सफल भी सिद्ध हुआ है । दहेजकी कुप्रथा प्रायः सभी समाजों, जातियों और देशोंमें पाई जाती है । पिछले दिनों कान्यकुब्ज समाजमें इसके विरुद्ध लोकमत जाग्रत करनेके लिये स्थान-स्थानपर एक सप्ताहका आयोजन किया गया था । श्रीमती लीलावती मुशीने ववईमें इस सप्ताहके उपलक्षमें की गई सभामें यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि लड़कियाँ उन लड़कोंसे विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा करें, जो अथवा जिनके माता-पिता दहेजकी माँग करें । अणुन्नत आंदोलनके प्रवर्तक आचार्य तुलसीने भी अणुन्नतोकी प्रतिज्ञामें दहेज न लेने अथवा ठहराव न करनेकी प्रतिज्ञाको सम्मिलित किया है । ऐसी प्रतिज्ञाएँ अथवा धरना आदिके प्रदर्शन लोकमतको जाग्रत करनेके लिये निश्चय ही सहायक हो सकते हैं और यह एक प्रभावशाली कदम हो सकता है । परंतु इतनेसे ही संतोष करना उचित न होगा ।

सौ बातोंकी एक बात यह है कि विवाह-संबंधी सारी भ्रांत धारणाएँ एकदम बदली जानी चाहिएँ । कन्याके पितृगृहमें रजस्वला हो जानेको कभी नरकका निमित्त माना जाता था । इसी प्रकार पुत्रकी प्राप्ति नरकसे बचानेके लिए अनिवार्य मानी जाती थी । ऐसी भ्रात धारणाओंसे विवाह और कन्याका बाल-विवाह करना अनिवार्य हो गया था । अब भी ऐसी बहुत-सी भ्रात धारणाएँ विवाहके साथ जुड़ी हुई हैं और उनके कारण विवाहका किया जाना अनिवार्य मान लिया गया है । अनिवार्य माने गये व्यवहार के साथ बहुत-से कुव्यवहार अपने आप जुड़ जाते हैं । जब विवाह अनिवार्य हो गया, तब उसके साथ दहेज भी जुड़ ही गया और वह अनिवार्य भी बन गया । इसलिए हमारा विनीत निवेदन यह है कि विवाहकी अनिवार्यताका ही अंत किया जाना चाहिए । लड़के और लड़की दोनोंके लिए विवाहकी समान आवश्यकता है । दोनोंमें कोई हीन नहीं है । विवाहके कारण यदि लड़केके प्रति कोई हीन भावना नहीं है, तो लड़कीके प्रति क्यों हो ? इस दृष्टिसे चीनने एक आदर्श उपस्थित किया है । वहाँ विवाहकी प्रथाके साथ जुड़ी हुई सारी कुप्रथाओंका एकाएक अंत कर दिया गया है और महिलाओंके प्रति समाजकी पुरानी भावना अथसे इति तक बदल दी गयी है । वैसा ही हमें भी करना होगा । तभी हम दहेज सरीखी राक्षसी कुप्रथासे अपना पिंड छुड़ा सकेंगे । बीच का कोई मार्ग नहीं है । समाज-सुधार और सामाजिक क्रांतिके क्षेत्रमें बीच-बचाव अथवा समझौतेकी नीति काम नहीं दे सकती ।

अस्पृश्यता निवारण की ओर

हिन्दू जातिमें अस्पृश्यता और छूतछातकी जिस प्रधाने सनातन रूप धारण कर लिया था वह वस्तुतः सनातन नहीं है। प्राचीन कालमें यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। वर्ण व्यवस्थाका सूत्रपात केवल कर्मोंका विभाजन मात्र था, इसका जन्मके साथ कोई संबंध नहीं था। भगवान् मनुने 'जन्मना जायते शूद्र' कहकर यह स्पष्ट घोषणा की थी कि वेदाम्याससे विप्र होता है। जो जैसे काम करेगा, उसे वैसी सजा दी जायगी। भगवान् कृष्णने भी गीतामें यह घोषणा की है कि "चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण-कर्म विभागशः।" गुण-कर्मोंके भेदसे भगवान्ने चारो वर्णोंकी सृष्टि की है। इन वर्णोंका केवल जन्मसे कोई संबंध नहीं है। यदि ब्राह्मण कुलमें पैदा हुआ कोई व्यक्ति नीच कर्म करेगा, तो शूद्रकी तरहसे उसका बहिष्कार करनेकी भी घोषणा मनुने की थी। चारो वर्णोंके काम गिना दिये गये थे और कामके अनुसार उन्हें वर्णकी सजा दी जाती थी। अनेक ऋषि जन्मसे बहुत ऊँचे कुलोमें उत्पन्न नहीं हुए थे। आदि कवि वाल्मीकिका भगी कुलमें जन्म श्रुति परम्परागत है, किन्तु वे महान् ऋषि कहलाये। अन्य भी अनेक ऋषियोंके जन्मकी कथाएँ यह बताती हैं कि वे ऊँचे कुलोमें उत्पन्न नहीं हुए थे। परन्तु जन्मके कारण उनका तिरस्कार नहीं किया जाता था, वे अपने गुण व कर्मके कारण समाजमें गौरव व सम्मानपूर्ण पद पाते थे।

यह कहना कठिन है कि अस्पृश्यता व जातिपाँतिकी प्रथा कबसे चली, परन्तु इतना निश्चित है कि प्राचीन कालमें यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। वैदिक कालमें तो आर्यों का आदर्श ही 'कृष्णवतो विश्वमार्यम्' या सबको आर्य बनाना था। कुछ अनार्य देवगण तक देवताओंमें सम्मिलित किये गये थे। छान्दोग्य उपनिषदमें जावालि ऋषि अज्ञात कुल थे, महाभारतमें विश्वामित्र क्षत्रिय वर्णसे और मातंग ऋषि चाण्डाल कुलसे ब्राह्मण हो गये थे। अनार्यों के साथ विवाह-संबंधोंके भी उदाहरण प्राचीन इतिहासमें कम नहीं मिलते। अर्जुन व भीमने अनार्य जातिकी उलूपी हिडिम्बासे विवाह किये थे। 'म्लेच्छदेशस्त्वत् पर' कह कर जिन विदेशियोंसे सम्पर्क भी स्थापित न करनेकी घोषणा वादमें की गई दूसरी तीसरी सदी तक उन्हें बौद्ध व हिन्दू धर्ममें दीक्षित किया जाता था। यूनानी, यूची व शक जातियोंने वैष्णव-धर्म स्वीकार कर लिया था। उन लोगोंको भारतके वृद्धिमान ब्राह्मणोंने आत्मसात कर लिया था। रुद्र दमन या जय दमन मिहिरकुल आदि प्रसिद्ध राजा विदेशी ही थे। भारतीय आचार्य दूसरे देशोंमें भी जाते थे और वहाँ बौद्ध या हिन्दू धर्मका प्रचार करते थे।

मुस्लिम काल मे

यह कहना कठिन है कि जन्मना अस्पृश्यताकी प्रथा कवसे प्रचलित हुई, पर इसके उदाहरण इतिहासमें अवश्य मिलते हैं कि १० वी, ११ वी सदीमें और कुछ समय बाद भी मुसलमानोको और मुसलमान बने हुआ को हिन्दू धर्ममें दीक्षित कर लिया जाता था। अलवेरुनीने अपने प्रसिद्ध ग्रंथमें इस प्रकारका उल्लेख किया है। एक निम्वालकर सरदार के मुसलमान बन जानेके बाद भी शिवाजीने उसे हिन्दू धर्ममें सिर्फ दीक्षित ही नहीं कर लिया, बल्कि उसके साथ अपनी लडकीका विवाह कर लिया था। किन्तु यह मानना पड़ेगा कि इस समय ऐसे उदाहरण अपवाद रूपसे रह गये थे। जन्मसे जातिपाति और छूतछात की प्रथा फैल चुकी थी। विभिन्न स्मृतियोंमें, जन्मके कारण अस्पृश्य जातियों की गणना की जाने लगी थी, उनके साथ भेद-भावमूलक व्यवहार रखनेके विधान जारी कर दिये गये थे। मनु स्मृतिमें भी इस प्रकारके श्लोक सम्मिलित कर लिये गये, जिनसे इस कलंकपूर्ण प्रथाको अधिकाधिक प्रश्रय मिला। हम उनसे प्रमाण उद्धृत करके इस लेखका कलेवर नहीं बढ़ाना चाहते, पर इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि पौराणिक ब्राह्मण नेताओंके इसपर निरंतर दल देनेके कारण अस्पृश्यताका कलंक हिन्दू जातिके हृदयमें सस्कार-स्वभावका एक अंग बन गया था। अस्पृश्योकी स्थिति दीनसे दीनतर होती जाती थी। इस पतनकी पराकाष्ठा यह थी कि वे स्वयं भी भगवानका अभिगाप समझकर इस स्थितिको स्वाभाविक समझने लगे थे। उनके हृदय और मस्तिष्कमें यह बात बैठ गई थी कि सवर्ण उनसे कोई अन्याय नहीं करते, यह तो भगवानका वनाया हुआ नियम है। इसे बदलनेकी कोई इच्छा भी उनके हृदयमें उत्पन्न नहीं होती थी। अपने से छोटेको हीन व अस्पृश्य माननेकी परम्परा इन जातियोंमें भी जड जमाती गई। अस्पृश्य जातियोंमें अपनी दयनीय स्थितिके विरुद्ध असंतोष व विद्रोहकी भावना आनेकी संभावना ही नहीं थी। वे यह कल्पना करना भी भूल गई कि सब मानव समान रूपसे मंगलमय भगवानकी सृष्टि है और कोई छोटा बडा नहीं है। केवल शारीरिक रूपसे नहीं, उनका मन और मस्तिष्क भी इतना परतन्त्र और पतित बन गया था कि वे इसे सनातन धर्मका अंग मानकर जहाँ स्वयं भी इस प्रथाका पालन करते थे, वहाँ इसमें किसी प्रकारका अनौचित्य भी नहीं देख सके। देखते भी कैसे, वे स्वयं भी अपने से हीन जातियोंके साथ अस्पृश्यताका अमानुष व्यवहार करनेमें कतई असुविधा अनुभव नहीं करते थे। अस्पृश्यता-युक्त हिन्दू धर्मपर पूर्ण निष्ठा व आस्थाका ही यह परिणाम था कि सदियों तक कुत्तोसे भी बुरा व्यवहार सहते हुए उन्हें हिन्दू धर्म छोड़नेकी कभी इच्छा भी नहीं हुई। वे यह सम्भावना भी नहीं कर सके। वस्तुतः संसारके इतिहास का यह बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जिन करोड़ों भाइयोंको सवर्णोंने सदियों तक इस प्रकार पददलित किया, उन्हें मानव तक समझनेसे इन्कार किया, वे सवर्णों की सी और वस्तुतः उनसे भी अधिक आस्थाके साथ राम-कृष्णकी पूजा करते रहे, हिन्दू देवी देवताओंकी आराधना करते रहे और उनकी दयनीय स्थितिके एकमात्र कारण भूत ब्राह्मणों तथा स्मृतियोंको भी अनन्य आदरकी दृष्टिसे देखते रहे, उनके प्रति असंतोषकी चिनगारी भी उनमें पैदा नहीं हुई। इस प्रकार का उदाहरण इतिहासमें दुर्लभ ही है।

संतोकी शिक्षाएं

समय-समयपर अनेक सन्त व भक्त हुए, जिन्होंने छोटे-बड़े व छूत-अछूतका भेद भूल जानेका उपदेश दिया । उन्होंने कहा कि सब भंगलमय भगवानकी सृष्टि है, उनकी दृष्टिमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान हैं । हरिका भजन करनेसे कोई भी हरिका प्यारा बन सकता है । इन सन्तोंके उपदेशोंका प्रभाव कुछ समय तक रहता, पर अस्पृश्यताके बढ्दमूल संस्कार गिथिल नहीं हो पाते थे । अस्पृश्य जातियोंकी स्थिति इन सन्तोंके उपदेशोंसे ऊँची न हो सकी । इसका कारण था कि इन संतोंने अछूत-पनके विरुद्ध जोरोंके साथ वैसा आन्दोलन नहीं किया जैसा सदियोंमें चली आनेवाली डम प्रथाको दूर करनेके लिए आवश्यक था । कहीं एक चाकूने वृद्धका तना कट सकता है, उसके लिए जवरदस्त कुल्हाड़ा चाहिए था । सन्त उसका प्रयोग नहीं कर पाये । कुछ सन्त तथाकथित हीन जातियोंमें भी हुए, किन्तु उनकी गिथ्य श्रेणीमें भवर्ण सम्मिलित नहीं हो सके, वे केवल उनका आदर करके रह गये ।

अस्पृश्यताकी चरम सीमा

डम तरह छूतछातकी यह कलंकपूर्ण प्रथा सदियों तक अविच्छिन्न भावने निरन्तर चलती गई और फैलती गई । दक्षिण-भारतमें इसे जो पोषण मिला, वह चरम सीमा तक पहुँच गया । वहाँ अछूतोंके जानेके लिये अलग रास्ते नियत कर दिये गये, ताकि उनकी परछाईं भी ब्राह्मणोंपर न पड़ जाय । वेद मंत्रों या गायत्रीका मुन लेना भी अनवर्ण जातियोंके लिए पाप करार दिया गया । अनेक दलित जातियोंको विवाह या अन्य किमी मीक्रेपर पालकीमें बहूको ले जाने, घोड़ेपर बरके चढ़ने तथा मोने-चाँदीके जेवर पहननेपर भी कठोर प्रतिबन्ध लगाए गए । उत्तर प्रदेश तकमें भगीका कंधेपर लाठी उठाना, या चमारिलका पैरोमें बिछुए पहनना, भी भारी अपराध माना जाता था । यह सब केवल शाब्दिक कानून नहीं थे, बल्कि इनका उल्लंघन करनेपर हरिजनको वे कठोर यातनाएँ दी जाती थी, जिनको देखना या सुनना भी हृदयको कँपा देता था । कुओपर सबणों के साथ पानी भरना एक अज्ञान्तव्य अपराध माना जाता था ।

पंजाब, सिन्ध और सीमाप्रान्त आदि उत्तर भारतके भागोंमें अस्पृश्यता इस चरम सीमा तक नहीं पहुँची थी, इनका भी संभवत एक कारण था । उत्तर भारत तथा विद्येय-कर पंजाबके निवासियोंको सदियोंसे विदेशियोंके सम्पर्कमें रहना पडा, जो विदेशी आक्रामक आते थे, उनमेंसे बहूतसे वहाँ बन जाते थे । उनके साथ निकट सम्पर्कमें रहने के कारण हिन्दू धर्मके कठोर कर्तव्य, व्रत, जप-स्तप आदिके अनुष्ठान और पालन उत्तरी भारतमें संभव नहीं रहे थे । विदेशोंसे आनेवाली आक्रामक जातियों—यूची, हूण और शक और बादमें पठानों व मुगलोंके आक्रमणोंकी परम्परा थोड़े या बहुत समयके अन्तर से प्रायः जारी रही । इनके सम्पर्क और व्यवहारके कारण हिन्दू अपने "धर्म" के अत्यन्त सकीर्ण दरवाजोंमें बंद नहीं रह सकते थे । फिर समय-समय पर होनेवाले संतोकी वाणियोंका भी कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पडा, ऐसा मानना चाहिए ।

उन्नीसवीं सदीमें राजा राममोहनराय और ऋषि दयानन्दने जो आतिकारी भेद दिए, जिसके कारण अस्पृश्यता व छूतछात और जात-पातके दृष्ट मंस्कारोंको पहली बार चोट लगी । अस्पृश्यताका मूल वस्तुतः जन्मसे जात-पातमें था । ऋषि दयानन्द

ने उसीपर चोट की। उन्होंने प्राचीन धर्मशास्त्रोके आधारपर सिद्ध किया कि जात-पाँतका कोई महत्व नहीं।

ऋषि दयानन्दकी शिक्षाओंको आर्य समाजने अपना लिया। पंजावमें अछूतपनके विरुद्ध उसने एक तीव्र आन्दोलन किया और महात्मा मुंशीराम (पीछेसे स्वामी श्रद्धानन्द) ने मेधोको अपनाया शुरू किया। उन्हें शिक्षा देने, उनका उपनयन संस्कार करने, उनके साथ भोजन करने आदिकी प्रथा आर्यसमाजोंमें चल पड़ी। हीन जातियोंमें उत्पन्न अनेक भाई आर्य कहे जाने लगे और समाजकी वेदीपर उनके धर्मोपदेश होने लगे। गुरुकुलोंमें दलित और सवर्ण बालक बिना किसी भेद-भावके एक साथ रहने, खाने और पढ़ने लगे। आर्य समाजने वस्तुतः उस कुसंस्कारपर चोट की थी, जो जंगकी तरह हमारे हृदयोंपर जम गया था परन्तु आर्यसमाजका क्षेत्र पंजाव तक ही सीमित रहा। उत्तर प्रदेश तथा अन्य अनेक समीपवर्ती राज्योंमें भी आर्य समाजने इस दिशामें कुछ प्रयत्न किए।

कांग्रेसके मंचसे

यह समय था जब भारतमें राजनीतिक चेतना जाग्रत होकर नागरिक अधिकार प्राप्त करनेकी अभिलाषा देशवासियोंमें उत्पन्न हो चुकी थी। दक्षिण भारतके दलित वर्गमें और विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त दलितोंमें विदेशी दासतासे मुक्त होनेके साथ-साथ सवर्णोंकी दासतासे भी मुक्त होनेके लिए असतोष व जागृतिके लक्षण दिखाई देने लगे थे। अंग्रेज शासक उनकी इस नई भावनासे लाभ उठानेकी दूर-दर्शितापूर्ण नीतिके महत्वको समझने लगे थे। मुसलमानों और हिन्दुओंमें ही नहीं सवर्णों और दलितोंमें भी परस्पर विरोध, घृणा, और द्वेषभाव उत्पन्न करके अपने शासनको मजबूत रखा जा सकता है, कमसे कम स्वराज्य आंदोलनको अधिक प्रभावशाली होनेसे बचाया जा सकता है, यह विचार अंग्रेजोंके हृदयमें उत्पन्न हो चुका था। इस तरह एक नया खतरा देशपर आने लगा था। यह भय था कि करोड़ों भारतीय राजनीतिक स्वराज्य के संघर्षसे अपनेको पृथक् कर विदेशी शासनके पोषक बन जायेंगे। दलितोंके सम्माननीय नेता श्री शंकरन नायरके भाषणोंसे इसका आभास मिलने लगा था। स्वामी श्रद्धानन्दकी दूरदृष्टिने इस खतराको अनुभव किया और उन्होंने कांग्रेसके राजनीतिक मंचसे पहली बार अछूत-छातको मिटानेके लिए अपनी अोजस्विनी बाणीमें राष्ट्रका आह्वान किया। अब तक अस्पृश्यताका यह कलक देश और हिन्दू समाजको बहुत उच्छृंखल और कमजोर नहीं कर पाया था पर अब हमारी इस जातिगत भीषण दुर्बलताको समझकर विदेशी शासक उसका पूरा लाभ उठानेकी चिन्तामें था। ईसाई मुक्ति फौजके व्यूटकर ने रिफार्म स्कीम कमेटीके सामने गवाही देते हुए कहा था कि भारतके ६१ करोड़ अछूतोंको विशेष अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि ये भारतमें ब्रिटिश सरकार रूपी जहाजके लगर हैं। स्वामी श्रद्धानन्दने इस घटनाका उल्लेख करते हुए अमृतसर कांग्रेसमें एक हृदयस्पर्शी अपील की थी—“इस पवित्र राष्ट्रीय मन्दिरमें बैठे हुए अपने को मातृभूमिके प्रेम-जलसे शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि आजसे वे साढ़े छः करोड़ हमारे लिये अछूत नहीं रहे, वल्कि हमारे भाई-बहन हैं।” स्वामीजीने मद्रासके गोखले हालमें भाषण देते हुए गभीर चेतावनी दी कि यदि आपने अछूतोंको अपने साथ नहीं मिलाया, तो वह दिन

दूर नहीं जब आपके वे दलित भाई, जिन्हें आप पचम कहते हैं, आपसे सब तरहका सवध तोड़ देंगे ।

स्वामी श्रद्धानन्दने उन्ही दिनों यह सब देखकर महात्मागांधीके पास एक सुझाव भेजा था कि सभी कांग्रेसी अपने घरेलू कामोंके लिये एक-एक दलित नौकर रखें । स्वामीजीके सन्देशकी गभीरता तथा महत्वको महात्मागांधीने अच्छी तरह अनुभव किया और अपने रचनात्मक कामोंमें अस्पृश्यता निवारणको सदा महत्वपूर्ण स्थान दिया । इस तरह महात्मागांधीके से महान व्यक्तित्व का बल पाकर अस्पृश्यता निवारणका सदेश देशमें बल पकड़ने लगा ।

कम्यूनल एवार्ड

परन्तु अभी तक देश इस सदेशके महत्वको हृदयगम नहीं कर पाया था । सदियों से लोगोंके दिलमें जड़ जमाये इस कुसस्कारको उखाड़नेके लिए एक जवर्दस्त प्रहार की आवश्यकता थी और वह चोट की इंग्लैण्डके प्रधान मंत्रीके साम्प्रदायिक निर्णय (कम्यूनल एवार्ड) ने । उन्होने नए राजनीतिक सविधानमें ६ करोड़ अछूतोंको पृथक् करके अलग जाति बना दिया और उन्हें पृथक् चुनाव का अधिकार दे दिया । इसका अर्थ था कि हिन्दू जाति सदाके लिए दो बड़े सघर्षशील भागोंमें विभक्त हो जाय । जो दलित जातियाँ सदियोंके अमानुष अत्याचार सहकर भी हिन्दू धर्मके प्रति अपनी आस्थाको शिथिल नहीं कर सकी थी, वे इस निर्णयसे सदाके लिए हिन्दू जातिसे पृथक् हो जाती थी । सरकार पंजाबमें सिखोंको हिन्दुओंसे पृथक् राजनीतिक इकाई बनानेमें सफल हो चुकी थी । यह नई चोट बहुत बड़ी और घातक थी । राष्ट्रपिता महात्मागांधीकी दूरदृष्टिने इस खतरोंकी गभीरताको समझ लिया और यह अनुभव कर लिया कि समझौतेको मानने का अर्थ है विशाल हिन्दू-समाजकी समाप्ति । उन्होने इस निर्णयको बदलनेके लिए जब आमरण अनशनके व्रतकी घोषणा की, तब समस्त देश इस नए खतरोंकी गभीरताको समझने लगा ।

महात्मा गांधीका हरिजन-आन्दोलन

महात्मागांधीके महत्वपूर्ण उपवास, पूना में निर्णयकी कहानी देनेकी आवश्यकता नहीं है परन्तु यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि इस के बादसे हिन्दू जातिमें सामाजिक प्रगतिका नया अध्याय लिखा जाने लगा । महात्मागांधी यरवदा जेलसे ही हरिजन-आन्दोलन अथवा अस्पृश्यता-निवारण-आन्दोलनका संचालन करने लगे । उनके बलशाली व्यक्तित्व का सहारा पाकर यह आन्दोलन देशव्यापी हो गया । सब जगह हरिजनको अपनाते, उनकी उन्नति करने व उनकी सहायता करने की प्रवृत्तियोंने साकार रूप धारण कर लिया । हरिजन-सेवक-सघकी स्थापना हुई, हरिजन बालकोंके लिये पाठशालायें खुली, उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जाने लगी, उनकी बस्तियोंकी सफाई होने लगी, बालकोंको साबुन, कपड़े बाटे जाने लगे और उनके लिए पानीकी व्यवस्थाकी गयी । सैकड़ों कुएँ हरिजन बस्तियोंमें खोदे जाने लगे । किन्तु इन सबसे अधिक महत्व दिया गया मदिरोंमें हरिजनको देव-दर्शन अधिकार को । धर्म-प्राण हरिजन जनता जिस तरह सवर्ण हिन्दुओं द्वारा दुरदुराये जानेपर भी राम-कृष्ण या शिवकी भक्ति

करती आ रही थी, उसे मंदिरोमें प्रवेश और देव-दर्शनका अधिकार जिस तरह संतुष्ट कर सकता था वैसी भौतिक सामग्री नहीं। मंदिरोमें आकर वे हिन्दू धर्मसे सम्पर्क घनिष्ट कर सकते थे। नानाविध पड़्यंत्रोंसे उनकी इस आस्थाको शिथिल करके विशाल हिन्दू समाजको ही जिस तरह-दुर्वल करनेका प्रयत्न किये जा रहे थे, उनको तोड़ने के लिए देव-दर्शनका अधिकार एक अमोघ साधन था। देवोंके मन्दिरोमें ही सबसे घोर अमानुषिकताके कलंक पूर्ण कृत्यको समाप्त होना चाहिए था। वहाँ यदि समानता कायम होती है, तो फिर अन्य सांसारिक क्षेत्रोंमें भी उसे प्राप्त करना कठिन न था। देव मन्दिरसे पवित्र स्थान कौन है, वहाँ उनका निर्वाह प्रवेश हिन्दू-जनताके मानसको बंदल सकता था। और हरिजनोमें भी आत्मविश्वास और समानताका गौरवपूर्ण भाव उत्पन्न कर सकता था। फलत बहुत-से मंदिर हरिजनोके लिए खोल दिए गए। कुछ मंदिरो में प्रवेशके लिए संघर्ष भी करना पड़ा। अबतक भी यह संघर्ष कहीं-कहीं जारी है। महात्मा गांधीने अस्पृश्यता निवारणको सर्वप्रथम हिन्दुओंकी गृद्धि और आत्म-सुधारके लिए प्रायश्चित्तका नाम दिया। उन्होंने घोषणा की कि हिन्दुओंने मानव जातिके एक बड़े भागको दलित करके अमानुषिक अत्याचारका जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित्त उसे करना होगा। हरिजनोके विकास या सुधारका प्रश्न नहीं, सर्वणोंको आत्मोद्धार करना होगा और प्रायश्चित्त स्वरूप हरिजनोकी उन्नतिके लिए सब प्रकारका त्याग करना होगा। महात्मा गांधीने हरिजन कार्यके लिये देशव्यापी दौरे किए और जनताने मुक्तहस्त होकर उनकी झोली भर दी। इस प्रकार उनके नेतृत्वमें हरिजन सेवा और अस्पृश्यता-आंदोलन का नेतृत्व देशमें जड़ पकड़ने लगा।

धीरजकी सलाह ठुकरा दी गयी

कुछ सनातन धर्म भाइयोंने महात्माजीको यह सलाह दी कि सदियोकें संस्कार एक झटकेमें दूर नहीं हो सकते। आप बहुत तेज दौड़ना चाहते हैं। यह काम शनैः-शनैः करना होगा, इसके लिए धीरज रखिए, मन्दिर प्रवेशके लिए एकदम आग्रह मत कीजिए। परन्तु अब धीरजके लिए समय नहीं था। यह हिन्दू जातिके अस्तित्वका, उनके जीवन-मरणका प्रश्न था। अस्पृश्यता निवारण बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, इसमें देर नहीं की जा सकती थी। विरोधको सहन किया जा सकता है, परन्तु धीरज और प्रतीक्षा का तत्त्वज्ञान बड़ा भयंकर है। अमेरिकन स्वातंत्र्य-वीर विलियम लायड गैरिसनने जब कमर कसके गुलाबीका विरोध करना शुरू किया, तो व्यवहार-कुशल लोग उससे कहने लगे—“ऐसी बेवकूफी मत करो, जरा सोच-समझकर काम करो।” तब उसने गुस्से में आकर यह जवाब दिया था, कि “धीरे-धीरे कदम रखना मैं नहीं जानता। तुम्हारे घरमें आग लग रही हो, तब तुमसे कोई यह कहे कि नल जरा धीरे-धीरे खोलो और पानी जरा थोड़ा-थोड़ा डालो, तो तुम उसकी बात कितनी सुनोगे? अपना घर लूटनेवाले चोरका विरोध धीरे-धीरे तुम कैसे करोगे? अपनी मातापर अत्याचार करनेमें प्रवृत्त नराधमका प्रतिकार धीरे-से किस तरह कर सकोगे?” सुधार या प्रगति भले ही आराम के साथ हो, परन्तु अन्यायकी जड़ तो एक ही झटकेसे उखाड़ फेंकनी चाहिए, या खुली आँखों उसे देखते रहने वाल हम लोगोंका सर्वथा नाश हो जाना चाहिए। गांधीजीने भी इस आंदोलनको और अधिक तेजीसे चलानेका निश्चय कर लिया।

जनमतके प्रभावमें आकर सरकारोने भी हरिजनको अनेक सुविधाएँ प्रदान की । स्थान-स्थानपर हरिजनके विकास और उन्नतिके लिये प्रयत्न किए गए, इसका प्रभाव भी अच्छा हुआ और हरिजन कार्यकर्त्ताओंमें आत्माभिमान जाग्रत होने लगा । हरिजनको नौकरियोंमें भी तरजीह दी जाने लगी । पूना पैन्टके कारण भी हरिजनको ऊँचा उठने का अवसर मिला । विभिन्न राज्योंमें उन्हें धारा सभाओंकी सदस्यता मिली ।

दूसरा पहलू

किन्तु इस समस्त हरिजन-आन्दोलनका एक दूसरा पहलू भी है । वस्तुतः इस आन्दोलनमें हरिजन-सेवाका रूप, जात-पाँतकी समाप्ति, अस्पृश्यता निवारणपर अधिक हावी हो गया । लोगोंमें यह भावना उत्पन्न हुई कि मानवताका तकाजा है कि कोई वर्ग उपेक्षित, अनुन्नत या हीन न रहे । हरिजन भी हमारे एक अभिन्न अंग हैं, उनके साथ सामाजिक व्यवहार, रोटी-बेटीका सवध भी हमें करना चाहिए, यह भावना हृदयमें घर नहीं कर सकी । हरिजन सामाजिक और शिक्षा-सवधी उन्नति अवश्य कर रहे थे, पर वे सवर्ण हिन्दुओंमें आत्मसात् नहीं हो रहे थे । असवर्ण और सवर्णका भेद-भाव मिटाकर एकआत्मकता नहीं आ रही थी । आर्यसमाजने इस दिशामें कुछ काम किया था । गढवालके हरिजन अपनेको आर्य कहने लगे थे । उनके साथ खान-पान भी चलने लगा था, किन्तु गांधीजीके हरिजन-आंदोलनमें एक ऐसी पृथक जाति खड़ी कर दी, जो अपनी एक स्वतंत्र सत्ता और अधिकारोपर जोर देने लगी । अपनी योग्यता बढ़ाकर—अपनी सामाजिक कमजोरीको दूर करके सवर्णोंके साथ अपनेको आत्मसात् करनेकी भावना उनमें उत्पन्न नहीं हुई । सरकारी कानूनने भी उन्हें पृथक विशेष प्रतिनिधित्व देकर आर्यसमाजके किए हुए कामको भी धूलमें मिला दिया । जो दलित शिक्षा प्राप्त करके अपनेको आर्य कहने लग गए थे वे भी कानूनका लाभ उठाकर पुन अपनेको हरिजन कहने और उनका प्रतिनिधि बनकर धारा-सभाओंमें जानेका प्रलोभन नहीं रोक सके । शेष दलित साधारण जन हरिजनको दी जानेवाली सुविधाओंका लाभ उठानेके लिए प्रयत्नशील हुए । यह स्वाभाविक था और इसके लिए हरिजनो या उनके कार्य-कर्त्ताओंको दोष नहीं दिया जा सकता । कुछ हरिजन नेताओंने हरिजन जनतामें उत्पन्न आत्माभिमानको हिन्दू सवर्णोंके विरुद्ध अपने नेतृत्वके लिए भी प्रयुक्त करना आरम्भ किया । इस सवका परिणाम यह हुआ कि “हरिजन” नामसे एक पृथक शक्ति संगठित हो गई, जो अपने नागरिक अधिकारोंके लिए सघर्षमें प्रवृत्त हो गई । कर्त्तव्यकी अपेक्षा अधिकारकी भावना स्वभावतः आकर्षक व प्रबल होती है । यह भी ठीक है कि सवर्ण हिन्दुओंने भी हरिजनो व दलितोंको सर्वात्मना नहीं अपनाया ।

अस्पृश्यता निवारण का कानून

१९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ और सबसे पहले उसे अपना सविधान बनाना था । आजकल किसी भी देशमें सविधान बनाते हुए नागरिकके अधिकारोंका निश्चय करना होता है । भारतीय सविधान निर्माताओंने गांधीजीके नेतृत्वमें हरिजन-आंदोलनमें सक्रिय भाग लिया था । सविधानके निर्माणका कार्य डा० अम्बेदकरं कानून मंत्रीको सौंपा गया था । वे स्वयं हिन्दुओंकी इस पापमूलक प्रथाके कटु अनुभव प्राप्त कर चुके

थे । कांग्रेसने अस्पृश्यता निवारणकी प्रतिज्ञाको बीसियों वार दुहराया था । परिणामतः सविधानने दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की —

१—कानूनकी दृष्टिमें सभी नागरिक एक समान हैं । नौकरी, कारोबार आदि में जात-पाँत, लिंग व धर्मकी दृष्टिसे कोई भेद भाव नहीं किया जायगा ।

२—अस्पृश्यताको कानूनी तौरपर अपराध ठहरा दिया गया ।

नयी प्रवृत्तियाँ

इन दोनों घोषणाओंका हरिजनोकी दृष्टिसे बहुत महत्व था, हरिजनोकी उन्नति में आनेवाली सब बाधाएँ इससे दूर हो जाती थी । किन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे अस्पृश्यता व छूत-छातको दूर करनेके लिए केवल कानून काफी नहीं है । हृदय या मानस संस्कार केवल कानूनसे ही नहीं बदलते । इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं । एक तो यह कि समस्त समाजका वातावरण बदलना होता है । लोगोमें शनै-शनै निरन्तर प्रचार व परिस्थिति द्वारा ऐसा वातावरण बना देना चाहिये, जिससे लोग छूत-छातके ख्याल तक को दिलमें न लावें ? कानून तो केवल मार्ग साफ करता है, परन्तु उस पर चलनेके लिए विवश नहीं करता । इसका प्रयत्न किया गया कि दलित जातियोंके प्रतिनिधि ऊँचे स्थानोपर लिये जाय । वे जिन पदोपर पहुँचे, वहाँ उनका सम्मान आवश्यक और अनिवार्य था । अस्पृश्यताका पालन वहाँ संभव ही नहीं था । फिर भी अवनत को उठानेके लिए विशेष सहारेकी आवश्यकता होती है । आखिर सदियोंसे पददलित भाई, सामाजिक योग्यता व संस्कृतिमें दूसरे नागरिकोके समान घरातल पर एकदम आ नहीं सकते थे । उन्हें विशेष सहारा देना आवश्यक कर्तव्य था और ऐसा करनेमें कोई सकोच नहीं किया गया । चुनाव वालिग मात्र तक व्यापक कर दिया गया था । इससे जन सामान्य तक उम्मीदवारोको पहुँचना पडा और राजनीतिक शिक्षाका प्रसार हुआ । उन्होने दलित जातियोंकी भी उपेक्षा नहीं की और यदि वे ऐसा करते, तो उन्हीके लिए खतरा सिद्ध होता । सर्वर्ण शिक्षित व सम्पन्नोको वोट लेनेके लिए दलित जातियोंका हार्दिक सहयोग अनिवार्य होनेसे छूत-छातकी समाप्तिमें बहुत बडी सहायता मिली । दूसरी ओर उनको सम्मान मिला, जिससे उनका जीवन स्तर भी ऊँचा होने लगा । सविधानमें यो सबको समान अधिकार दिया गया, सम्मिलित चुनावकी प्रथा डाली गई, किसी वर्ग-विशेषको विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तथापि दलितोकी स्थिति ऊँची करनेकी दृष्टिसे एक और व्यवस्था की गई और वह यह कि सविधानमें १० वर्षोके लिए दलितोंके लिए कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं । चुनाव सम्मिलित होना था, परन्तु सुरक्षित स्थानोपर दलित भाई ही जा सकते थे । इस व्यवस्थासे ससद और राज्योकी विधान सभाओमें दलितोके प्रतिनिधि काफी संख्यामें पहुँच गए । केन्द्र व राज्यके मन्त्रिमडलोमें भी दलित जातिमें उत्पन्न योग्य व्यक्ति लिये गये । इससे न केवल उनका सम्मान बढ़ा, उन्होने अपने नये पदोपर जाकर हरिजनोको सब स्थानोपर प्रोत्साहित करनेके विविध उपाय किये । अनेक नये कानून बनाए गये । इन कानूनोंके विस्तारमें जाने की आवश्यकता नहीं, परन्तु इनका रूप समझनेके लिए सक्षेपमें कुछ पंक्तियाँ लिख देना आवश्यक है ।

शिक्षणालयो व उच्च शिक्षणालयोमे हरिजनोके लिए विशेष सुविधाएँ दी गई । जहाँ विद्यार्थियोंकी सीमित संख्या हो वहाँ उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गए भलेही वे योग्यताकी दृष्टिसे कुछ नीचे स्तर पर भी हो । उन्हें छोटी-बड़ी छात्र-वृत्तियाँ विशेष रूपसे दी गई । आयुकी मर्यादाका बन्धन शिक्षणालयो और नौकरियोंमें उनके लिए कुछ गिथिल कर दिया गया । सार्वजनिक स्थानो, दुकानो, होटलो, कुओं, शिक्षणालयो, पार्को व मन्दिरों आदिमें उनके प्रवेशको कानूनी तौरपर अधिकार सम्मत करनेकी घोषणा की गई और इसमें बाधा डालना कानूनी जुर्म करार दिया गया । हरिजनोको पढ़ने-पढ़ानेकी सब सुविधाएँ दी गई । उनके लिए छात्रावास बनाए गए, उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें व स्टेशनरी आदिकी सुविधाएँ विशेष रूपसे दी गई । हरिजन वस्तियों के सुधारपर विशेष ध्यान देनेके प्रयत्न किये गये । इस प्रकारकी कानूनी सुविधाएँ देनेसे इसमें सदेह नहीं कि हरिजनोको विकासमें बहुत सहायता मिली । होटलो, दुकानो, बप्पाउओमें उनके लिए पृथक व्यवस्था कानूनी तौरपर जुर्म करार दी गई ।

अनेक सार्वजनिक और सामाजिक सस्याएँ तथा केन्द्र व राज्योंकी सरकारें अस्पृश्यो व दलितोकी स्थिति सुधारनेमें लगी हुई है । कुछ समय पूर्व भारत सरकारने पिछड़ी हुई जातियोंकी उन्नतिके लिए काका कालेलकरकी अध्यक्षतामें एक उपसमिति नियत की थी । उसने अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों की है, यद्यपि इनपर सरकारका अभिमत अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है तथापि यह निश्चित है कि इनमेंसे अधिकांशपर अमल किया जायगा । स्वयं दलित भाई भी शिक्षा और आर्थिक स्थितिके सुधारमें लगे हुए हैं । सरकारकी विभिन्न आर्थिक योजनाओकी पूर्तिसे भी जन सामान्यको अत दलितोको भी उन्नत होनेका अवसर मिलनेवाला है । समयका प्रवाह भी अस्पृश्यता व छूतछातको समाप्त कर रहा है । यह सब शुभलक्षण है और यह आशा की जानी चाहिए कि निकट भविष्यमें ही अस्पृश्यताका अमानुषिक कलक सदाके लिए इतिहासकी वस्तु बनकर रह जायगा ।

—••—



पंचम खण्ड

महिला-जागृति



अबला, तेरी करुणा कहानी !

नर और नारी दोनों ही मनुष्य हैं और दोनोंमें एक बहुत ही घनिष्ठ नैसर्गिक व प्राकृतिक सम्बन्ध है। एक तरहसे दोनों मनुष्यके आवे-आवे अंग हैं। नर-नारीके अभावकी पूर्ति करता है और नारी नरकी कमी पूरी करती है। पूर्ण मनुष्यकी निष्पत्ति नर-नारी दोनोंके सयोग व एकात्मकारमें ही है। शिवजीके विषयमें हिन्दुओंकी जो यह मान्यता है कि उनका आधा शरीर नर-रूप है और आधा शरीर नारी-रूप है, वस्तु-स्थितिकी दृष्टिसे असत्य या काल्पनिक मात्र होते हुए भी यह अनादि-अनन्त या चिरन्तन सत्य है। उससे बहुत ही सुन्दरताके साथ प्रगट होता है कि नर और नारी दोनों मनुष्य के अर्द्धाङ्ग हैं और दोनोंका सयोग ही पूर्ण मनुष्यकी प्रतिष्ठा या स्थापना है। अनेक देव-देवियोंकी कल्पना तथा सीता-राम, लक्ष्मी-नारायण व राधा-कृष्ण आदिकी युगल रूपमें प्रतिष्ठा भी यही दृष्टिकोण प्रकट करती है। वैज्ञानिकोंकी यह धारणा कि आदि कालमें या सृष्टिके आरम्भमें एक ही व्यक्ति नर और नारी दोनों होता था, अथवा यह कि वस्तुतः नर और नारीके शरीर पूर्णतः समान हैं। केवल नरके कुछ विशेष अंग और नारीके कुछ दूसरे अंग विशेष उन्नत व विकसित हुए हैं, वह भी इसी सत्यका प्रतिपादन करती है कि नर और नारी मनुष्यके दो रूप हैं जिनमें परस्पर कोई विशेष या मौलिक अन्तर नहीं है। यौन-परिवर्तनकी घटनाएँ भी यही प्रतिपादित करती हैं।

कुछ विशेषज्ञोंका मत है कि नर और नारीकी शरीर-रचनामें जो विभिन्नता है, उसके कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे भी दोनोंके विकासमें अन्तर पडा है। इस मतके अनुसार समाज-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था, राज-व्यवस्था आदि अन्य बाह्य परिस्थितियोंको नर और नारीके मनोवैज्ञानिक या मानसिक विकासके अन्तरका श्रेय उतना नहीं है जितना शरीर-रचना-भेद-जन्य सम्पूर्ण स्वभाव व प्रकृतिके मूल या आधारभूत भेद को है। इस तरह भिन्न-भिन्न विशेषज्ञ अपनी खोजसे अलग-अलग परिणामोपर पहुँचे हैं। यूँ नूकम विश्लेषण करें तो उनके परिणामोंमें परस्पर विरोध भी दिखाई देगा और ऐसी हालतमें मूल और अमूलका, कृत्रिम व प्राकृतिकका अथवा अतरंग और बाह्यका अलग-अलग रूपोंमें देखना कठिन ही नहीं, असम्भव है। साथ ही जिन गण-भेदोंके सम्बन्धमें मतैक्य है, उनमेंभी ऐसी सीमा निर्धारित करना दुःसाध्य है जिनके एक ओर स्वभाव हो और दूसरी ओर विभाव हो अथवा जो प्राकृतिक व कृत्रिमके ठीक मध्यमें हो। यही कारण है कि इसके विरुद्ध कुछ विद्वानोंका यह भी मत है कि नर-नारीके शरीर-रचनाकी दृष्टिसे

अन्तर होते हुए भी गुणोकी दृष्टिसे कोई मौलिक अन्तर नहीं है । जो कुछ अंतर दिखाई देता है, उसका कारण हजारों वर्षोंसे चले आए हुए सस्कारों तथा परिस्थितियोंकी वह विपमता है जिससे नर और नारीको विक्रासके लिये समान रूपसे सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं । अनेक विशेषज्ञोंने मानव-प्रकृतिका गंभीर अध्ययन करके यह निर्णय किया है कि वास्तवमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे नर और नारी मूलतः एक हैं । शरीर-रचनाका भेद परिस्थितियोंमें-भेद लाता है और फिर इन परिस्थितियोंके प्रभावसे नर-नारीके विकासमें अंतर पड़ता है ।

सच यह है कि नर और नारी दोनो मानवके ही दो रूप हैं जिनमें मौलिक दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है पर शरीर-रचनाकी विभिन्नता या लिंग-भेदके कारण जो परिस्थितियों में अनिवार्य रूपसे विभिन्नता होनी चाहिए उनके फल-स्वरूप दोनोके मनोवैज्ञानिक व मानसिक विकासमें अन्तर पड़ना भी अनिवार्य हो जाता है और उसके परिणामस्वरूप नारीमें कुछ गुणोका विकास नरसे ज्यादा और नरमें कुछ गुणोका विकास नारीसे ज्यादा होता है, जबकि दोनो ही मनुष्य होनेके नाते समान हैं, एक ही सिक्केके दो बाजू हैं, एक दूसरेके पूरक हैं, नर-नारी दोनो मिलकर पूर्ण मनुष्यका निर्माण करते हैं । नारी नर ही की अर्द्धांगिनी नहीं है, नर भी नारीका अर्द्धांग है या दोनो नर—नारी पूर्ण मनुष्यके अर्द्धांग हैं । वास्तवमें दोनोका व्यक्तित्व अलग-अलग है, स्वतन्त्र है, कोई किसीमें समा-विष्ट नहीं है । नर स्वामी है, तो नारी स्वामिनी है, नारी दासी है, तो नर दास है । दोनोमें न कोई छोटा है, न बड़ा है । दोनो बराबर हैं ।

पर जैसाकि सदैव होता आया है, पार्श्विक शक्तिने स्वार्थ और अहकारके उन्माद में नर-नारी—समानताके इस ध्रुव सत्यके साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया है । पुरुषने प्रकृति-दत्त शरीर-बल तथा अन्य सुविधाओंसे अनुचित लाभ उठाकर नारीको दीन-हीन पराधीन बनानेमें कोई कमी नहीं की और जब भी जैसा भी मौका मिला है, उसे अपनी सम्पत्ति, दासी, रस-केलि-पुत्तलिका बनाकर, उसे जडतुल्य व स्पन्दनहीन मानकर निर्दयता-पूर्वक रौंदा है, भस्मीभूत किया है और उसकी राखपर अपनी प्रभुताका, महत्ताका अपने भोग-विलास व ऐश्वर्यका, अपने आमोद-प्रमोदका महल खड़ा किया है ।

यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि मानव-जीवनका इतिहास अपूर्ण और एकांगी हो, यदि उसमें चिर-शोपिता नारीके उत्पीडनकी कथन कहानीका वर्णन न हो । अतीत के अंधकारको चीरकर जहाँ तक इतिहासकी प्रकाश-किरण पहुँचती है, नारीका स्वतंत्र व्यक्तित्व ढूँढने पर भी नहीं मिलता है । यूँ नारीकी प्रशंसाके नामपर बहुत कुछ लिखा गया है पर यथार्थमें वह स्वत्वशालिनी नारीकी प्रशंसा नहीं है बल्कि उस नारीकी प्रशंसा है, जिसने अपना व्यक्तित्व, अपना सम्पूर्ण स्वत्व पुरुषके चरणोपर समर्पित कर दिया है और इस प्रकार वह नारीकी प्रशंसा नहीं, नरकी श्रेष्ठता व महत्ताका गुणगान है । खुलकर होनेवाली नारी-निन्दा तक ही नारी-निन्दा सीमित नहीं है, बल्कि नारी-प्रशंसाकी भूल-भुलैयामें भी नारी-निन्दा का सागर उमड़ रहा है । इतना ही नहीं जीवन के हर अंगमें नारी-निन्दा व्याप्त है । और नारीके वैपम्यकी जड़ें इतनी गहरी उतर गई हैं और हमारे दैनिक जीवनमें उनको कुछ ऐसा स्थान मिल गया है कि सहज उसकी अनुभूति ही नहीं होती । हमारी भाषा और मुहावरोंमें, अर्थ-व्यवस्थामें समाजके

ढाँचेमें , धर्म और राजनीतिमें, गरज यह कि जहाँ भी दृष्टि डालिए, नर महोदय अपने पैरोपर, वृक्षके सदृश खड़े हैं और वेचारी नारी लताकी तरह उस वृत्तक्षसे लिपटी और टिकी हुई है ।

नरका दमन शोषणचक्र इतने जोरोंसे चला है कि उसने दृष्टि ही बिगाड़ दी है, यहाँ तक कि नारीकी सार्वजनिकता ही निन्दनीय मानी जाने लगी है । परिणाम यह है कि नरका सीधा सबध समाजसे है किन्तु नारीका सम्बन्ध समाजसे नरके द्वारा अथवा नरकी अर्धाङ्गीके रूपमें ही है । रोजमर्राकी बोल-चालके मुहावरोको लीजिए, अंग्रेजीमें सार्वजनिक पुरुष (Public man) गौरव-सूचक शब्द है लेकिन सार्वजनिक स्त्री (Public woman) निन्दात्मक शब्द है, गाली है । विश्व-पुरुष विशेषण गाली नहीं है, पर विश्व-स्त्री गाली है । बात यह कि पुरुषने व्यापक दृष्टिसे स्वयको देखा है पर स्त्रीको केवल यौन दृष्टिसे, और इसी भेदने नारीको नरकी सम्पत्ति समझी जानेकी वृत्ति-प्रवृत्तिको जन्म दिया है । नरको महान और नारीको हीन माननेकी छाप भापा व उसके व्याकरणपर तथा मुहावरोपर भरपूर है । स्त्री-सज्ञाका छोटी चीजके लिए प्रयुक्त होना यून ही आकस्मिक नहीं है । पुरुषको ईश्वरकी सज्ञा मानना प्रयोजनहीन नहीं है । ऐसे सभी शब्द प्रयोगो व मुहावरोका निर्माण व प्रचार पुरुषने अपनी प्रतिष्ठा व महत्ताको स्त्रीपर थोपनेके लिये किया है और उसे पूर्ण सफलता मिली है ।

समाज-व्यवस्थापर दृष्टि डालें, तो वहाँ भी नारीकी यही दुर्दशा है । वह चिर-आश्रिता है । बचपनमें पिताके सरक्षणमें, यौवनमें पतिकी छायाके तले और वृद्धावस्थामें पुत्रके सहारे जीना ही उसके भाग्यमें बदा है । कभी भी उसका अपना अलग व्यक्तित्व नहीं है । न सम्पत्तिमें उसका अधिकार है, न सम्पत्ति-निर्माणपर उसका वश व नियंत्रण है । स्वावलंबन उसके जीवनसे दूर है, बहुत दूर है । पतन यहाँ तक है कि वह स्वय एक देय पदार्थ है । विवाहमें उसका दान (कन्यादान) होता है । जिसके हाथोंमें चाहिए उसे सौंप दीजिए, और वह उसे हाँक ले जायगा, और पाले-पोसेगा । इसी स्थितिको लक्ष्यमें रखकर मैरोने कहा है¹ कि वह नारी, जो वेश्या बनकर अपना गरीर बेचती है और वह नारी जो विवाह-बंधनमें बँधकर अपना गरीर बेचती है, दोनोंमें मौलिक अंतर नहीं है, अंतर केवल मूल्यमें व मुआयदे (Contract) की अवधिमें है । फोरेलने उसी बातको इस तरह कहा है² कि विवाह वेश्या-वृत्तिका एक फैंजनेविल रूप है, जिसके द्वारा काम्य पदार्थका खुला सौदा होता है । और भी विचारकोने ऐसी ही चुभती हुई खरी सच्चाईसे काम लिया है । सच यह है कि नारीको जो पद या स्थान समाज व

¹ The difference between the woman who sells herself in prostitution and the woman who sells herself in marriage is only a difference in price and duration of the contract.

—Marro

² Marriage is a more fashionable form of prostitution, that is to say, a mode of obtaining or disposing of, for monetary consideration and sexual commodity

—Forel

परिवारमें मिला है, और विवाह-संस्थाको पुरुषने जिस तरह अपने स्वार्थ व अहंकारकी पूर्तिका साधन बनाया है, उससे सचमुच नारी बहुत ही नीचे गिरी है, या गिराई गई है और उससे समाजका सारा ढाँचा तरंगित हुआ है ।

सम्प्रदाय वाद या धर्मने नारीके इस शोषण व उत्पीडनपर दैवी छाप लगाकर तो गजब ही कर दिया । किसी भी सम्प्रदाय या धर्मका साहित्य देखिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसने स्त्रीको सदा तिरस्कृत व पददलित किया है ।

हिन्दू धर्म वा हिन्दू सस्कृतिको लें तो हम देखेंगे कि यहाँ नारीको निकृष्ट स्थान मिला है । हिन्दू-धर्म-ग्रथोंमें स्त्री-निन्दापर जितनी सामग्री है, यदि उसे संग्रहीत किया जाय, तो एक अच्छे-खासे ग्रथका निर्माण हो सकता है । वेदोंसे लेकर उपनिषदों, पुराणों, स्मृतिग्रथों और साधारण काव्य ग्रंथों तकमें नारी-निन्दा भरी पड़ी है । मनु, याज्ञवल्क्य, दत्तात्रेय, शंकराचार्य, से लेकर सूर, तुलसी, कवीर सभीने नारी-निन्दा की है । उस निन्दापरम्परामें नारीपर बुरेसे बुरे वाक्य व्यवहार किये गये हैं ।

इस तरह हिन्दू धर्म-ग्रथोंमें असख्य स्थलोपर स्त्रीकी खूब जी-भरकर निन्दा की गई है और शायद कोई भी ऐसे बुराई, जिसकी कल्पनाकी जा सकती है, स्त्रीसे अछूती नहीं रखी है । दुनिया-भरके सभी दोष बेचारी स्त्रीपर लाद दिये गये हैं : हर तरह उसे लाञ्छित किया गया है । यह कहावत “त्रिया-त्रित जाने ना कोई, पतिको मारके सत्ती होई”—कितनी प्रचलित है और नारीका यह कितना बड़ा अपमान है ? और भी ऐसी बहुत-सी बेहूदी कहावतों व पेटेन्ट गालियोंका काफी रिवाज है जिनमें स्त्री निन्द्य है । यह तो रही हिन्दू-धर्म व हिन्दू-संस्कृतिकी बात, । पर बौद्ध-धर्म व जैन-धर्ममें अथवा श्रमण-संस्कृतिमें भी नारीको निकृष्ट स्थान ही मिला है, बल्कि शायद इस विषय में हिन्दू धर्मसे वहाँ होड ही की गई है ।

जैन-धर्मने नारीको विषकी बेल कहकर त्याज्य कहा है^१ । जानार्णवमें शुभचन्द आचार्यने कहा है—स्त्रियाँ वाणीमें अमृत रखती हैं, लेकिन हृदयमें विष भरे हुए हैं और वे स्वभावसे ही कुटिल हैं । स्त्री-पुरुषोंको वज्राग्निकी ज्वालाके समान और सर्पिणी दाढ़के समान भय तथा सताप देनेवाली हैं । क्रोधसे फुंकार मारती चलती हुई सर्पिणी का आलिंगन करना श्रेष्ठ है किन्तु स्त्रीको कौतुक मात्रसे आलिंगन करना भी उचित नहीं है क्योंकि सर्पिणी यदि काटे तो एक ही वार मरण होता है पर स्त्री तो नरककी पद्धतिके समान है । वह एक वार नहीं, वार-वार मरण कराकर नरकमें ले जानेवाली है^२ ।

^१ संसारमें विष-बेलि नारी तज गए योगेश्वर ।

^२ धारन्त्यमृतं वाचि हृदि हालाहलं विषम् ।

निसंगं कुटिला नार्यो न विद्मः केन निर्मिताः

वज्र ज्वलनलेखैव भोगिदंष्ट्रेव केवलम् ।

वनितेयं मनुष्याणा संतापभयदायिनी ।

वर मालिगता क्रुद्धा चलल्लोलान्न सर्पिणी

न पुनः कौतुके नापि नारी नरकपद्धतिः ।

(जानार्णव, अ १२-२, ३, ५)

विधाताने यमराजकी जीभ अग्निकी ज्वाला, विजली और विप, इस सबके सार भागका संग्रह करके यह स्त्री बनाई है, स्त्रियोंके दोष-समूहको कहनेके लिये बृहस्पति समर्थ नहीं और सुननेके लिये इन्द्र भी समर्थ नहीं, कोई भी स्त्रियोंके दोषोका वर्णन नहीं कर सकता। यही नहीं, यदि स्त्रियोंके दोष किसी प्रकार मूर्त्तिमान हो जाएँ, तो निश्चय ही उन दोषो से यह त्रिलोक परिपूर्ण हो जाय। निर्दयता, अनार्यता, अपवित्रता, मूर्खता, अति चपलता, वंचकता और कुशीलता, ये दोष स्त्रियोंके स्वाभाविक होते हैं। स्त्रियाँ ऐसी निर्दय होती हैं कि दान, सन्मान, सभोग, नमस्कार, आदर, शिष्टाचार, आदि खुशामदके कार्योंसे सेवा करनेमें तत्पर पति को भी मार डालती हैं^१। यह दोषारोपण स्वयं इतना भयंकर है और नारीके प्रति किये जाने वाले अपमानजनक व्यवहारका इतना बीमत्स उदाहरण है कि इसके आगे और कुछ कहनेकी आवश्यकता न थी। परन्तु यही तक विप उगलकर शुभचन्द्रको संतोष नहीं हुआ। आगे बढ़कर उन्होंने विना किसी अपवादके सभी स्त्रियोंको दुराचारिणी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी स्त्रियाँ कामदेव सरीखे पतिको परकर भी अन्य पुरुषकी वाछा करती हैं। उन्होंने यह भी कह डाला है कि इस जगतमें कोई भी ऐसा मन्त्र औपधि या विद्या नहीं है जिससे स्त्री सद्भावको प्राप्त हो या कुटिलता रहित हो^२। इन शब्दोंमें स्त्रियोंको कुटिल ही नहीं कहा गया है बल्कि उनकी कुटिलताको अपरिहार्य भी ठहरा दिया है। अन्य जैन ग्रंथोंमें भी स्त्री-निन्दा काफी है। सुभाषित रत्न-सदोहमें अमित गति आचार्यने कहा है कि स्त्रियाँ सर्वदा माया करती हैं, इनका मन कभी स्थिर नहीं रहता, ये उपकारीका भी कभी उपकार नहीं मानतीं। ये झूठ बोलनेमें चतुर होती हैं,

^१ यम जिह्वानल ज्वाला वज्र विद्युद्विषंकुरान् ।

समाहृत्य कृता मन्य वेधसेयं विलासिनी ॥

यद्वक्तुं न बृहस्पतिः शतमुखः श्रोतुं न राक्षसमः ।

तत्स्त्रीणामगुणं व्रजं निगदितुं मन्ये न कोऽपि प्रभुः ॥

यदि मूर्त्ताः प्रजायन्ते स्त्रीणां दोषाः कथंचन ।

पूरयेयुस्तदा नूनं नि.शेषभुवनोदरम् ॥

निर्दयत्वमनार्यत्वं मूर्खत्वमतिचापलम् ।

वंचकत्वं कुशीलत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥

दान सन्मान संभोग प्रणति प्रतिपत्तिभिः ।

अपि सेवा परं नायं घ्नन्ति नायोंऽतिनिर्दयाः ॥

(सान्तर्णव अ० १२-२०-५४, ५०, ६, ३८)

^२ स्मरोत्संगमपि प्राप्य वाञ्छन्ति पुरुषान्तरम्

नार्यः सर्वा स्वभावेन वदन्तीत्य मलाशयाः

न तदस्ति जगत्यस्मिन् मणि मन्त्रोपवान्वनम्

विद्याश्च येन सद्भावम् प्रयासन्तीह योषित.

(ज्ञानार्णव, अ० १२-३१, २६)

श्रवला, तेरो करुण कहानी !

कुलमें घन्ना लगा बैठती हैं^१ । आगे यहीं उन्होंने स्त्रीको 'धर्मारामभक्तनी' धर्मकी जड़ काटनेवाली, निन्दनीय, आदि अनेक पदवियाँ भी दी हैं । प्रसिद्ध जैन-ग्रंथ सागर-धर्मामृतमें भी स्त्री-निन्दा की गई है । दिगम्बर जैन पंथने स्त्रीके लिये मोक्षका द्वार ही बन्द कर दिया है । इस तरह हम देखते हैं कि जैन-धर्म स्त्री-निन्दामें हिन्दू-धर्मसे पीछे नहीं है और व्यावहारिक जीवनमें जैन-नारी हिन्दू-नारीकी तरह ही दबी-पिसी हुई है । यहाँ भी वही शोषण और उत्पीडन है, वही पद-दलन है, वही मरण है ।

बौद्ध-धर्मके साहित्यमें भी स्त्री-निन्दाकी भरमार है । वहाँ कहा गया है कि स्त्रियाँ असाध्वी होती हैं । उनका कोई समय नहीं होता, जैसे दीपककी शिखा सबको जला देनेवाली होती है, वैसे ही वे रागानुरक्त तथा प्रगल्भ होती हैं^२ । स्त्रियाँ माया हैं, मरीचि हैं, शोक हैं, रोग हैं, उपद्रव हैं, बंधन हैं, मृत्यु-पाण्ड हैं, गुहा आशय हैं । जो मनुष्य उनका विश्वास करे, वह नरोमें अधम नर है^३ । स्त्री बौद्धाचार्यने उपदेश देते हुए कहा है कि जैसे नदी, महामार्ग शरावखाने, धर्मशालाएँ तथा पियाऊ सबके लिये आम या सामान्य हैं, वैसे ही लोकमें स्त्रियाँ सबके लिये सामान्य होती हैं । बुद्धिमान लोग उनके विषयमें क्रोध नहीं करते^४ । यहाँ नारीको कितना नीचा गिरा दिया गया है ? और भी काफी स्त्री-निन्दा बौद्ध साहित्यमें है । हिन्दू-धर्म व जैन-धर्मसे स्त्री-निन्दामें बौद्ध-धर्म पीछे नहीं है ।

ईसाई-धर्ममें भी स्त्री-निन्दा कम नहीं है । वाइविलमें नारीको सारे अनुर्योंकी जड़ कहा है । योरोपके प्रसिद्ध लेटिन धर्म याजक टारटुलियनने नारीको संबोधित करते हुए लिखा है तू शैतानका दरवाजा है और तू दैवी नियम या धर्मका सबसे पहले परित्याग करनेवाली है ।

सेन्ट अगस्टिन प्रत्येक स्त्रीमें चाहे वह माँ हो या बहिन हो हौएका निवास मानते थे । और भी ईसाई धर्मके साहित्यमें जगह-जगह स्त्री निन्दाके के वाक्य मिलते हैं । इसी तरह इसलाम यहूदी आदि भी सभी सम्प्रदायो ने कम ज्यादा स्त्रीकी बुराई की है । उसे 'नाकिसउल-अक्ल' मूर्ख कहा गया है । यहूदियोंमें तो प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि हमें स्त्री नहीं बनाया । कुरानमें एक जगह ऐसा लिखा है कि

^१ शाश्वन्मायां करोति, स्थिर पति न मनो मान्यते नोपकारं ।

या वाक्यं वक्त्यसत्यं, मलिन पति कुलं, कीर्त्ति बल्लीलुनाति ॥

(सु० २० संदीह, ११६)

^२ असा लोकित्थियो नाम वेला तासं न विज्जति ।

सारत्ता च पगम्भा च सिखो सन्वघसो यथा ।

ता हित्वा पब्ब जिस्सामि विवेक मनु दूहयं ॥

^३ माया चेवा मरिचि च सोको रोगी चुपद्दवो ।

खरा च बन्धना चेता मच्चुपासो गुहासयो ।

ता सुयो विस्ससे पीसी से नरेस नराघमो ।

^४ यथा नदी च पन्था च पाणागारं सभापया ।

एवं लोकित्थियो नाम नासं कुज्जान्ति पंडिताः ॥

जब उसने (मुहम्मद साहबने) वहिश्तका नजारा देखा, तो उसे मालूम हुआ कि वहाँ रहनेवालोंमें बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं और जब दोजख या नरककी तरफ देखा तो पता चला कि जो कम्बख्त वहाँ बन्द हैं उनमें ज्यादातर औरतें हैं। चीन देशमें यह कहावत बहुत प्रचलित है कि ज्ञान जिस प्रकार पुरुषोंकी शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अज्ञान स्त्रियोंकी सुन्दरता बढ़ाता है। गरज यह कि जिस धर्म व देशके साहित्यको देखिये, स्त्री-निन्दा वहाँ परिपूर्ण है।

इस तरह हिन्दू-धर्म, जैन-धर्म, बौद्ध-धर्म, इस्लाम और ईसाई-धर्म, इन सभी महान धर्मोंमें नारीको निकृष्ट स्थान मिला है। और छोटे-छोटे धर्मों या पन्थोंमें भी यही रफ्तारबेढगी है। नारीकी निन्दा सर्वत्र ओत-प्रोत है। स्त्री-प्रशंसाके वाक्योंका जहाँ प्रयोग किया गया है, वहाँ भी छलना है, घोखा है, क्योंकि वहाँ भी उसी नारीकी प्रशंसा है जो अपना स्वतंत्र स्थान नहीं रखती है बल्कि जो नर-रूपी वृक्षके ऊपर टिकी हुई बेल मात्र है। देशमें, समाजमें, परिवारमें, खुद अपने घरमें स्त्रीको कोई मान प्राप्त नहीं है। जब तक पुरुषकी कृपा-दृष्टि है वह सब-कुछ है, जहाँ पुरुष महोदय की दृष्टि फिरी कि वह कुछ नहीं, केवल पगकी जूती है, दामी है, अबला है।

—•—

गाँधीजी और भारतीय नारी

गाँधीजी केवल एक राजनेता ही नहीं, एक सच्चे हितू और हृदयवान सखा भी थे । इसीलिये लोग राजनीतिके सिवा उनसे अपने घरेलू, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं की भी चर्चा किया करते थे । उस दृष्टिसे उन्होंने जितनी स्त्रियोंके मनको जीता, उनकी कष्ट-कठिनाइयोंमें मदद की, उतनी शायद ही और किसी भारतीय नेताने की होगी । इसका एक विशेष कारण था और वह यह कि चूँकि गाँधीजीकी राजनीति मानवतावादी थी, वे मानव और उसके भले-बुरे, नीति-अनीतिपर गभीर नजर रखते थे । दूसरे घर्मालु और नैतिकतावादी होनेके कारण गाँधीजी किसी भी अन्याय, अत्याचार या अनीति को सहन करनेको तैयार न थे । और जब उन्होंने राष्ट्रीय कार्यके सिलसिलेमें देशके विविध भागोंकी नारियोंके सम्पर्कमें आकर अनुभव किया कि वे कितनी पराधीन और पिछड़ी हैं, तो उन्होंने उनकी अवस्था सुधारनेके कार्यको अपने कार्यक्रमका एक प्रमुख अंग बनाया । इसीलिए विशेष रूपसे वहनोके विश्वास-भाजन बन सके ।

अपने राष्ट्रीय आन्दोलनके दौरानमें गाँधीजीने अनुभव किया कि जिनका भारतीय सभ्यता और संस्कृतिमें इतना महत्वपूर्ण स्थान और योग रहा है, जो मनुष्यकी सहर्षमिणी रही है, वे आज शिक्षा-स्वत्वहीन पाँवकी जूती-सी बनी हुई हैं । और जब तक उनकी यह अवस्था है, देश क्या स्वराज्य हासिल कर सकेगा ? क्या वह उससे लाभ उठा सकेगा ? और यह बात उनके मनमें ऐसी कौध गई कि न सिर्फ अपनी स्त्रीके प्रति उनका रुख बदला, बल्कि समूचे देशकी नारियोंके उद्धार, उनकी समानता और स्वतंत्रताके लिए उन्होंने आन्दोलन करना शुरू किया । धर्म और परम्पराके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और यहाँ तक कहा कि “यदि धर्मशास्त्र नारीकी समानता और स्वतंत्रता के विरोधी हैं, तो मेरे लिए वे मान्य और पवित्र नहीं हैं ।” उन्होंने बाल-विवाह, जवरन थोपे गए वैधव्य, पर्दा, देवदासी-प्रथा, वेश्यावृत्ति, दहेज, विवाहिता स्त्रीकी अर्थनीतिक दासता आदिके खिलाफ बोल और लिखकर ज़बर्दस्त आवाज़ उठाई और डकेकी चोट कहा कि “स्त्री और पुरुष हर दृष्टिसे बराबर हैं । जहाँ तक स्त्रियोंके अधिकारोंका सवाल है, मैं कोई समझौता नहीं कर सकता ।” यही कारण है कि अपने आश्रमों और आन्दोलनोंमें गाँधीजीने स्त्री-पुरुषोंमें कभी भेद नहीं किया । उनके चर्खा-संघमें तो वहनोका ही प्रभुत्व हो गया । उन्होंने नारीको त्याग और सहिष्णुताका प्रतीक माना है और कभी भी प्रलोभनमें आकर अपने-आपको न बेचनेका उपदेश दिया

है। वे नारीको 'अवला' या 'दुर्वला' न मानकर सदा उससे अपनी आत्मा और शरीरको बलवान बनाने तथा विना पुरुषके सरक्षणके रहने लायक बननेका अनुरोध करते रहते थे।

२० फरवरी, १९१८ के बम्बई भगिनी-समाजकी अध्यक्षता करते हुए आपने कहा था—“जब हम नारीके पुनरुद्धारकी बात कहते हैं, तो स्वभावतया उसमें यह बात तो आ ही गई कि उनकी स्थिति बड़ी खराब है।” इसके बाद आपने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि—“देशके विभिन्न भागोंमें घूमकर मैंने यह अनुभव किया कि देशकी स्वाधीनताका जो आंदोलन चल रहा है, वह केवल १५ प्रतिशतमें ही; बाकी ८५ प्रतिशत इससे एकदम उदासीन है। ये शहरो या गाँवोंमें रहते हैं। कुछ करते भी हैं। एक-दूसरेकी मदद भी करते हैं। पर इनके जीवनमें एक तरहकी अपूर्णता है। इनमें स्त्रियोकी जो दुरवस्था है, वह शास्त्रोकी देन है और जिसे अघ-परंपराके रूपमें स्त्रियाँ मान रही हैं। हमारी स्मृतियोंमें स्त्रियोके बारेमें जैसे आक्षेप हैं, उन्हें पढ़कर लज्जा आती है। पर शायद जल्दी ही हम उन्हें भूल जायेंगे।” पर उन्होंने कहा कि इनसे नारियोको मुक्त करनेका काम स्त्रियोकी ही करना होगा। इस मन्वन्धमें उन्होंने कहा—“इसके लिए पहला प्रयत्न इस बातका करना होगा कि अधिकाधिक स्त्रियोके मनमें उनकी वर्तमान स्थिति के संबन्धमें एक जागरूकता पैदा करनी होगी। मैं यह नहीं मानता कि यह केवल पुस्तकीय शिक्षासे ही हो सकता है। उस दृष्टिसे काम करना इस कार्यको अनिश्चित कालके लिए स्थगित कर देना होगा, क्योंकि वैसा होने तक ठहरना कतई आवश्यक नहीं है। हमारे देशकी स्त्रियोको विना शिक्षित किए ही उन्हें उनकी मौजूदा दयनीय अवस्थासे परिचित तो कराया ही जा सकता है।” आगे चलकर उन्होंने कहा—“नारी नरकी सच्ची सखा है और उसीके समान उसकी दिमागी क्षमता है। उने भी उतनी ही स्वतंत्रता है, जितनी कि पुरुषोको और उसके हर काममें शामिल होनेका उसे भी पूरा अधिकार है। जिस प्रकार आदमी का अपने क्षेत्रमें उच्च स्थान है, उसी प्रकार नारी का भी उसके क्षेत्रमें उच्च स्थान है। यह स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिये, पटने-लिखने के दादकी नहीं। पर दुर्भाग्यवश केवल हानिकर परम्पराके कारण बड़े अज्ञ और निकम्मे पुरुष तक स्त्रियोपर ऐसा प्रभुत्व पाए हुए है, जिसके न वे योग्य हैं, और न जो उन्हें मिलना ही चाहिए। हमारे अनेक आन्दोलन इसीलिए अचूरे रह जाते हैं कि हमारी स्त्रियोकी स्थिति बड़ी दयनीय है।”

केवल शिक्षाके अभावके कारण कोई स्त्रियोकी दवाकर रखे या उन्हें कोई अधिकार न दे, इस विषयकी चर्चा करते हुए आपने कहा—“मैंने समय-समयपर कहा है कि केवल इसलिए कि स्त्रियाँ अशिक्षित हैं, आदमीके लिए उन्हें समान स्वतन्त्रता एवं अधिकारोंमें वंचित रखना उचित नहीं है, यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि इन नैसर्गिक अधिकारोका उपयोग करने तथा उनका वृद्धिमत्तापूर्वक उपभोग करनेके लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है। विना शिक्षाके करोडोके लिए अपने आपको समझना भी मुश्किल है। अनेक ग्रथ हैं, जिनसे आनन्दकी उपलब्धि हो सकती है। पर जो शिक्षित नहीं, वे इनमें वंचित ही रहते हैं। ऐसा कहना अत्युक्ति न होगा कि विना शिक्षाका मानव पशुमें बहुत भिन्न नहीं है।”

भगिनी-समाजके अपने भाषणके दौरानमें गाँधीजीने स्त्री-शिक्षाके सम्बन्धमें कहा—
 “शिक्षा स्त्रीके लिए भी उतनी ही जरूरी है, जितनी कि पुरुषके लिए । पर इसका मतलब यह नहीं कि दोनोकी शिक्षा-प्रणाली भी एक ही हो । हमारी मौजूदा शिक्षा-प्रणाली गलतियोंसे भरी है और इससे स्त्री-पुरुष दोनोको समान रूपसे वचना चाहिए । यदि आजकी शिक्षा-प्रणाली दोषहीन होती, तब भी मैं इसे सब दृष्टियोंसे स्त्रियोंके उपयुक्त न मानता ।” इस विषयको उन्होने और भी अधिक स्पष्ट किया २७ नवम्बर, १९२७ को जाफना (लंका) के रामनाथन गर्ल्स कालेजकी भारतीय छात्राओंके सामने दिए गए अपने भाषणमें, जिसमें उन्होने कहा—“यह कहना आसान है कि आप लोग जरा अधिक सादा और परिश्रमका जीवन वितायें । पर यह स्त्री-शिक्षाके प्रश्नके साथ खिलवाड़ करना-मात्र होगा । इस कालेजमें आप लोगोको धार्मिक शिक्षा दी जाती है, यह अच्छा ही है । आपके यहाँ एक सुन्दर मन्दिर भी है । आपके टाइम-टेबुलसे पता चलता है कि आपका कार्यक्रम पूजा और प्रार्थनाके साथ शुरू होता है । यह सब अच्छा और व्यक्तिको ऊपर उटानेवाला है । पर यदि इस पूजा-प्रार्थनाको आप लोग नित्य-नैमित्तिक जीवनमें किसी व्यावहारिक कार्यके रूपमें परिणत न करें, तो यह सब एक सुन्दर दिखावे के सिवा और कुछ भी नहीं है ।” आगे चलकर वापने कहा—“आपके कालेज की पत्रिकामें वडे गर्वके साथ यह विज्ञापित किया गया है कि पुरानी छात्राएँ क्या कर रही हैं । मैंने ४-५ ऐसे नोटिस भी देखे कि अमुकने अमुकसे विवाह कर लिया है । पर इन नोटिसोंमें मुझे एक भी लड़कीका उल्लेख नहीं मिला, जिसने केवल सेवा-कार्यके लिए अपना जीवन दे दिया हो । इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि शिक्षा द्वारा आप लोग गुड़िया बनें और शिक्षण-संस्था छोड़ते ही सार्वजनिक क्षेत्रसे अदृश्य हो जायें, तो आपकी शिक्षाके लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं एवं जो खर्च किया जा रहा है, उसका कोई बड़ा फल नहीं निकल रहा । हर लड़की, हर भारतीय लड़की, केवल शादी करनेके लिए ही पैदा नहीं हुई है । मैं ऐसी कई लड़कियोंको जानता हूँ, जिन्होंने एक आदमीकी सेविका न बनकर सार्वजनिक सेवाके लिए जीवन उत्सर्ग कर दिया है ।”

नारीकी सामाजिक स्थिति

यद्यपि गाँधीजीने नारीके लिए सेवा और पवित्रताके आदर्शकी बात कही है, पर मूलतः वे उसका क्षेत्र घर ही मानते थे । किन्तु इसमें उसकी आजकी-सी पराधीनता या हीन स्थिति वे कदापि स्वीकार करनेको तैयार न थे । उनका कहना था कि “यदि पुरुषके लिए कोई कानूनी अयोग्यता नहीं है, तो स्त्रीके लिए भी नहीं होनी चाहिए । स्त्रीके अधिकारोके मामलेमें मैं कोई समझौता करनेको तैयार नहीं ।” पर स्त्रीके सांपत्तिक अधिकारोके बारेमें उनका कहना था—“अधिकांश स्त्रियाँ विवाहिता होती हैं और (सांपत्तिक अधिकार-संबंधी) कानूनी अयोग्यताके बावजूद अपने पतियोंकी सत्ता-सुविधाओं में हाथ बँटाती हैं । अक्सर वे इसी स्थितिमें खुश रहती हैं और विषमता दूर करनेके लिए उग्र सुधारो-संबंधी गरमागरम बहसोंमें चाहे जितना भाग लें, पर इस स्थितिको छोड़ना नहीं चाहती । इसलिए जहाँ मैं नारियोंकी सभी प्रकारकी कानूनी अयोग्यताओं

को दूर करनेकी सदा वकालत करता आया हूँ, मैं चाहूँगा कि भारतकी जाग्रत नारियाँ जड़-मूलसे इस समस्याका इलाज करें। नारी चूँकि त्याग और सहिष्णुताका प्रतीक है, अतएव उसका सार्वजनिक क्षेत्रमें आना इसे पवित्र बनानेके लिए होना चाहिए एव उसे अबाध महत्वाकाक्षा और सम्पत्ति बनानेके लोभको सवरण करना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि लाखो व्यक्तियोंके पास अपने उत्तराधिकारियोंके लिए छोड़ जानेकी सम्पत्ति नहीं होती। इससे हमें यह नसीहत लेनी चाहिए कि जो इने-गिने लोग वच रहते हैं, उन्हें भी किसी पैतृक सम्पत्तिकी आशा नहीं करनी चाहिए। असली सम्पत्ति तो वह चरित्र और शिक्षा है, जो माँ या बाप अपनी सन्ततिके लिए समान रूपसे छोड़ सकते हैं। माँ-बापको अपने लड़के-लड़कियोंको आत्म-निर्भर और अपने पसीनेकी कमाईसे ईमानदारीके साथ जीविकोपार्जन करने लायक बनाना चाहिए। इसके विपरीत जो धनी अपने बच्चोको माकूल शिक्षा न देकर पैतृक सम्पत्तिका गुलाम बना जाते हैं, वे उनकी प्रेरणाको मारकर उनमें ऐसी अकर्मण्यता पैदा कर जाते हैं, जिससे वे आलसी और आराम तलब ही होते हैं। आजके धनी घरोंके अधिकांश बच्चोके अविासका यही कारण है। जाग्रत महिलाओं का यह विशेष कर्तव्य है कि वे इस युगातीत बुराईको दूर करें।”

२८ नवम्बर, १९३६ के “हरिजन” में गाँधीजीने बेजवाडासे प्रकाशित “इंडियन स्वराज्य” के उस लेखकी चर्चा की है, जिसमें स्मृतियोंके आधार पर स्त्रीके सम्बन्धमें कहा गया है—(१) पति चाहे जैसा भी चरित्रहीन, कामुक और दुर्गुणी क्यों न हो, स्त्री उसे परमेश्वर समझे (मनु० ५-१५४)। (२) स्त्रीका सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपने पतिकी आज्ञाका पालन करें (याज्ञवल्क्य, १-१८)। (३) स्त्रीके लिये कोई अलग त्याग, तपस्या या व्रत-उपवास नहीं है। वह तो पतिकी सेवा करने-मात्रसे ही स्वर्ग में जाती है (मनु० ५-१४५)। (४) जो स्त्री पतिके जीतेजी व्रत-उपवास करती है, वह पतिकी आयु कम करती है और नरकमें जाती है। जो स्त्री पतिके पाँव या सारा शरीर धोकर पी जाती है, उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है (अत्रि, १३६-३७)। (५) पतिसे ऊँचा स्थान स्त्रीके लिए और कोई नहीं है। जो पतिको अप्रसन्न रखती है, वह कभी भी उसके लोक को नहीं जा पाती। इसलिए उसे कभी भी पतिको अप्रसन्न नहीं करना चाहिए। (वशिष्ठ, २१-४१)। (६) जो स्त्री अपने पतिकी आज्ञा न मानकर पितृ गृहमें गर्वपूर्वक रहती है, राजाको चाहिए कि उसे जनताके सामने कुत्तोसे नुंचवा दे (मनु० ८-३७१)। (७) पतिकी आज्ञा न माननेवाली स्त्रीके हाथका भोजन किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री दुराचारिणी कही जानी चाहिए (आगीरस, ६६)। (८) यदि पतिकी दुश्चरित्रता या शराबखोरी या बीमारीके कारण स्त्री उसकी आज्ञा न माने, तो उसके कीमती वस्त्राभूषण छीनकर उसे तीन मास तक अलग रखा जाना चाहिए (मनु० १०-७८)।

इसपर टिप्पणी करते हुए गाँधीजीने लिखा—“यह दु खकी बात है कि स्मृतियोंमें ऐसी बातें हैं, जिन्हें अपने समान ही नारीको स्वतंत्र देखनेवाला तथा उने जगतजननी माननेवाला कोई भी व्यक्ति इज्जतकी निगाहसे नहीं देख सकता। यह हमने भी अधिक दु खकी बात है कि पुराणपथियों द्वारा प्रकाशित एक पत्रमें स्मृतियोंकी ये बातें ऐसे छपें,

मानो ये धर्मका ही अंग हो । यथार्थमें तो स्मृतियोंमें ऐसी बातें भी हैं, जो नारीको उसका उचित स्थान देती और उसे सम्मानकी दृष्टिसे देखती हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि जिन स्मृतियोंमें ऐसी परस्पर-विरोधी बातें हो, और जिनसे आदमीकी नैतिक मान्यताओ को ठेस पहुँचती हो, उनका क्या किया जाय ? जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि यद्यपि इन्हें धर्मशास्त्रके नामपर प्रचारित किया गया है, हमें इसे ईश्वर-वाक्य या इलहाम ही नहीं समझना चाहिए । फिर हर एक के लिए यह तय करना भी मुश्किल है कि क्या अच्छा और अधिकृत है एवं क्या बुरा और प्रक्षिप्त है । इसलिए अधिकारी विद्वानोकी कोई ऐसी सस्था होनी चाहिए, जो धर्मशास्त्रोके नामपर चलनेवाले इन सब ग्रथोको दोहराये और इनमेंसे जिन बातोका नैतिक मूल्य नहीं है अथवा जो धर्म और नैतिकताके मूलभूत सिद्धान्तोके विपरीत हैं, उन सबको निकाल दे और हिन्दुओके मार्ग प्रदर्शनके लिए इनका अधिकृत संस्करण तैयार कराये ।” एक अन्य स्थानपर उन्होने लिखा—

“जो स्त्री सम्यकरूपेण अपने कर्तव्य का पालन करती है, वह अपनी प्रतिष्ठापूर्ण स्थितिसे अपरिचित नहीं । वह घरकी दासी नहीं, रानी है ।” (हरिजन, १२-१०-३४)

२४-२-१९४० के “हरिजन” में गाँधीजीने स्त्रियोकी स्थितिके सम्बन्धमें एक वहनका पत्र छापकर लिखा है—“जब तक हम यह समझते रहेंगे कि स्त्रीके साथ पुरुषसे भिन्न व्यवहार होना चाहिए, इस समस्याका कोई सही हल संभव ही नहीं । अतः यह निर्णय तो अधिकारपूर्वक स्त्रीको ही करना पडेगा कि वह क्या चाहती है ? मेरा अपना खयाल यह है कि चूँकि मूलतः स्त्री और पुरुष एक है, सार रूपमें उनकी समस्याएँ भी एक ही होनी चाहिए । दोनोकी आत्मा एक है । दोनोकी भावनाएँ एक है दोनो एक-सा जीवन बिताते हैं । दोनो एक-दूसरेके पूरक है । दोनो एक-दूसरेकी सक्रिय सहायताके बिना नहीं रह सकते । किन्तु किसी प्रकार युगोसे पुरुष नारीपर प्रभुत्व करता आया है और इसी कारण स्त्रीमें एक प्रकारकी हीनता की भावना है । उसने आदमीकी इस स्वार्थपूर्ण शिक्षाको ही सच माना है कि वह पुरुषसे हीन है । पर पुरुषोमें जो उच्चात्मा हुए है, उन्होने सदा स्त्री-पुरुषकी समानताको ही माना है ।”

महिलाएं और शान्ति

जब गाँधीजी पहली गोलमेज कांफ्रेंसमें लदन गए थे, तो लौटते हुए वे इटली आदि यूरोपके कुछ देशोमें भी रुके थे । वहाँ हुई महिलाओकी एक सभामें उनसे पूछा गया कि क्या स्त्रियाँ सैनिकवादके खिलाफ लड़ सकती हैं ? इसके उत्तरमें गाँधीजीने कहा—

“यदि स्त्रियाँ सिर्फ यह भूल जायँ कि वे दुर्बल हैं, तो वे युद्धके खिलाफ पुरुषसे कही अधिक काम कर सकती हैं । इस प्रश्नका उत्तर आप लोग अपने मनमें दीजिए कि यदि आपके महान् सेनपतियो और सिपाहियोकी पत्नियाँ, पुत्रियाँ और माताएँ उनके सैनिकवादमें भाग लेनेका विरोध करें, तो वे क्या कर सकेंगे ?”

लूसेनकी एक दूसरी महिला-सभामें बोलते हुए उन्होने कहा—“मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि यूरोपने कभी अहिंसाका महत्व समझा तो वह यहाँकी स्त्रियोके द्वारा ही संभव होगा । स्त्री आत्मोत्सर्गका प्रतीक है । पर दुर्भाग्यवश आज वह महसूस नहीं कर रही है कि पुरुषके मुकाबलेमें उसकी कितनी अधिक शक्ति है । टाल्स्टायका कहना था कि वे पुरुषके

जादूके प्रभावमें रह रही है । यदि वे स्वयं अहिंसाकी शक्तिको महसूस करलें तो अपने आपको दुर्वल कहलाना भी पसन्द नहीं करेगी ।”

इसी संबंधमें इटलीकी एक अन्य सभामें बोलते हुए आपने कहा—“अहिंसाकी लडाई की विशेषता यही है कि इसमें स्त्री भी पुरुषकी तरह ही भाग ले सकती है । हिंसात्मक युद्धमें स्त्रियोंको यह सुविधा नहीं है । भारतके पिछले अहिंसात्मक सग्राममें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक महत्वपूर्ण भाग लिया । इसका कारण बड़ा सरल है । अहिंसात्मक सग्राममें अधिकतम त्याग करना पड़ता है और स्त्रियोंसे अधिक श्रद्धा और भलमंसाहतसे कौन त्याग कर सकता है ? भारतीय महिलाओंने पर्दा फाड़ फेंका और राष्ट्रके लिए काम करनेको घरोसे बाहर आ गईं । उन्होंने देखा कि आज देश उनमें केवल घरोंकी देख-भालसे कुछ ज्यादा काम की अपेक्षा रखता है । (यंग इंडिया, १४-१-३२)

उपर्युक्त बातें गांधीजीने उस समय कही थीं जब कि हिटलर, मुसोलिनी और तोजो की दुरभिसाधिके कारण युद्धकी आशंकासे यूरोप त्रस्त था । पर कुछ समय बाद जब यह आशंका कम हो गयी तब एक अंग्रेज महिला मित्रने उन्हें लिखा—“जब मानवता विनाशके किनारे पहुँची हुई थी, आपका इस सम्बन्धमें कुछ कहना सर्वथा स्वाभाविक ही था । पर प्रश्न तो यह है कि क्या दुनिया आपकी बात सुनेगी ?—जब यह समाचार आया कि फिलहाल लडाई टल गई है, तो हमें जो राहत मिली, जो खुशी हुई, ईश्वरके प्रति हमने जो कृतज्ञता दिखाई, वह मुझे जीवन-भर न भूलेगी । पर क्या वर्णनातीत विनाश, कष्ट-सहन, अपने कुटुम्बी लोगोंको एक देशके दूसरे द्वारा जलील किये जाने का भय ही हमारे युद्धसे घृणा करनेका कारण नहीं है ? क्या हमें इस बातकी खुशी है कि एक दूसरे राष्ट्रको जलील कर युद्ध टाला गया है ? यदि हमसे अपना आत्ममम्मान खोनेकी बात कही जाती, तो क्या हम इससे कुछ भिन्न महसूस करते ? क्या हम इस लिए युद्धसे घृणा करते हैं कि हम इसे आपसी झगड़े तय करनेका एक गलत तरीका समझते हैं या इसके प्रति हमारे मनमें जो घृणा है, वह हमारे भयका कारण है ? यदि ससारसे सचमुच युद्धका विनाश होना है, तो इन प्रश्नोंका भलीभाँति उत्तर दिया जाना चाहिए । सकट टल जानेके बाद हम देखते हैं कि पहलेसे भी अधिक तगड़ी दौड़ पुनः शस्त्रीकरणके लिए शुरू हो गई है और युद्धकालमें स्त्री-पुरुष, साधनो और ज्ञानका जितना बड़ा संग्रह नहीं होता, उतना अब हो रहा है । कोई यह नहीं कह रहा कि युद्ध नहीं होगा । क्या इसका यह अर्थ नहीं कि यद्यपि आज युद्ध टल गया है, पर उसकी सभावना डेमोकनीजकी तलवारकी तरह हमारे सिरपर लटक रही है ? एक स्त्रीके नाते मैं यह महसूस कर रही हूँ कि मेरी जाति अपनी भावना और विशेषाधिकारोंके कारण विश्व-शातिके लिए जितना कुछ कर सकती थी, नहीं कर सकी ।” इस पत्रको विना किमी मकोचके ५-११-१९३० “हरिजन” में प्रकाशित कर गांधीजीने लिखा—“मैरा यह विद्वान है कि स्त्रीका यह मिशन है कि वह अहिंसाका उच्चतम और श्रेष्ठतम रूप उपस्थित करे । लेकिन इसकेलिए यह जरूरी क्यों हो कि पुरुष उनका हृदयमथन करे ?—नभव है कि कभी स्त्रियोंमेंसे कोई एक ऐसी निकले, जो मेरी कल्पनामें भी आगे जा नके, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अहिंसाके क्षेत्रमें अधिक प्रयोग करने तथा अधिक दृढ़तामें कार्य करनेकी

क्षमता रखती है। आत्म-त्यागके साहसमें स्त्री पुरुषसें कही ऊँची है, भले ही पशु-बलमें पुरुष उससे कितना ही ऊँचा क्यों न हो।” इसी सवधमें जुलाई १९४० में एवटावाद में हुए महिला-सम्मेलनके प्रस्तावपर टिप्पणी करते हुए आपने लिखा—“मेरी ही तरह इन वहनोका भी विश्वास है कि युद्ध-विरोधी सघर्षमें ससारकी महिलाएँ ही अग्रणी हो सकती हैं। यह उनकी विगिण्टता है।”

आधुनिक नारीके सम्बन्धमें गाँधीजीकी गलत धारणा

जहाँ गाँधीजीने नारीके युद्ध-विरोधी कर्तव्यका जिक्र किया है, इसके लिए उसकी अद्भुत क्षमताकी दाद दी है। वहाँ उन्होंने यह भी लिखा है—“मेरी रायमें यह स्त्री और पुरुष दोनोका पतन है कि स्त्रीसे घर छोड़कर उसकी रक्षा के लिए बंदूक धारण करनेका अनुरोध किया जाय या उसे मजबूर किया जाय। यह तो फिर वर्वरताको लौट जाना और अंतका आरम्भ है। जिस घोड़ेपर पुरुष चढा, उस पर चढनेकी कोशिश कर नारी अपनेको और उसको गिराती है।”

यहाँ हम अपने-आपको गाँधीजीके मतसे सहमत नहीं पाते। अगर स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं, अगर दोनो एक-दूसरेके पूरक और सहायक हैं, अगर स्त्री पुरुषकी सह-धर्मिणी और सहगामिनी है, तो घरकी रक्षाको निरा पुरुषका कार्य और कर्तव्य समझकर छोड़ देना अन्याय होगा। फिर आक्रमणात्मक और रचनात्मक युद्धमें अन्तर भी करना होगा। गाँधीजीके हिसाबसे तो पिछले महायुद्धमें जिन महिलाओंने अपूर्व कार्य किया, वे सब गुमराह थीं? युद्ध केवल पुरुषको या उसके घरको ही नष्ट नहीं करता, स्त्रियो और बच्चोको भी; अतः उसकी विरतिका उपाय करना पुरुषके साथ स्त्रियोका भी कर्तव्य है।

इसी प्रकार गाँधीजीने स्त्री द्वारा वाहरी काम करनेके सम्बन्धमें भी कहा है—“यदि लाखो स्त्रियाँ मजबूरन घर छोड़कर रोजी कमाने लगती हैं, तो यह भी गलत है—यद्यपि बंदूक धारण करने जितना गलत नहीं। मूलतः परिश्रम करनेमें कोई वर्वरता नहीं है। स्त्रियाँ घरकी देख-रेख करती हुई स्वेच्छासे खेतोंमें काम करें, इसमें कोई वर्वरता नहीं देखता। मेरी कल्पनाकी नई व्यवस्थामें सभी अपनी क्षमताके अनुसार काम करेंगी और उन्हें श्रमके अनुपातसे ही पारिश्रमिक मिलेगा। नई व्यवस्थामें स्त्रियाँ अल्पकालिक काम ही करेंगी, उनका प्राथमिक कार्य तो घरकी देखभाल करना ही होगा।” (हरिजन, १२-३-४०)

युद्धमें नारीने बंदूकतो धारण नहीं की, पर पुरुषकी सहायिकाके रूपमें उसने जो कार्य किया, वह सर्वविदित है। किन्तु देशके विभाजनके फलस्वरूप शहरी अर्थव्यवस्था का जो ढाँचा टूटा, तो अनेकोको घर छोड़कर अथवा घरकी देख-भालके साथ ही अपने और अपने परिवारके जीविकोपार्जनके लिए बाहर आकर काम भी करना पड़ा। अगर किसान-स्त्रीका खेतमें काम करना अनुचित नहीं तो यह कैसे खराब हो गया? इस बातको भुलाया नहीं जा सकता कि कामकाजी स्त्रियोने जाने कितने परिवारोको भूख और दरिद्रताका शिकार होनेसे बचाया है।

वाल और अनमेल विवाह

गारदा-विल जब केन्द्रीय धारा मसामें पेश किया गया, तो श्रीमती डोरोथी जिनराज-दासनने उसके समर्थनके लिए एक पत्र भेजकर गाँधीजीसे भी अनुरोध किया। इनके उत्तरमें गाँधीजीने लिखा—“मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं विलसे अनभिज्ञ हूँ, पर लडकियों के विवाहकी उम्र बढ़ाकर १४ नहीं, १६ करनेके जोरोसे पक्षमें हूँ। विवाहकी तथाकथित रस्म-अदाईसे १४ वर्षकी लडकीके साथ हुए विवाह-रूपी एक अनैतिक और अमानवीय कार्यको कानूनी नहीं माना जा सकता। जो कार्य अपने-आपमें अनैतिक है, उसे मदिग्ध सस्कृत श्लोकोंने पवित्र नहीं बनाया जा सकता। मैंने बहुत-सी वाल-माताओंकी तन्दु-रस्ती चौपट होते देखी है और जब वाल-विवाहके माय वाल-बंधव्यकी विभीषिका भी मिल जाती है, तब तो मानवकी यह दुखान्त कहानी सम्पूर्ण हो जाती है।” (यंग इंडिया, २७-८-२५) इसके बाद गारदा-कानून बना, पर १४ वर्षसे कम उम्रकी शादियाँ खुलेआम गाजे-बाजेके साथ जारी रही। हालहीमें पास हुए विवाह-कानूनमें यद्यपि लडकीकी विवाहकी उम्र १८ वर्ष कर दी गई है, तथापि १४ और इससे भी कम उम्रकी लडकियोंके विवाह बदस्तूर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रोंमें तो १४ वर्षकी कोई लडकी शायद ही कुमारी मिले। इससे देशमें जो अहित हो रहा है, उसकी महज ही कल्पना की जा सकती है।

श्रीमती मार्गरेट ई० कजिन्तने गाँधीजीको मद्रासकी अदालतमें चले एक मुकदमेका विवरण भेजा था, जिसमें १३ वर्षकी बालिकाका २६ वर्षके एक पुरुषमें विवाह हुआ था और जो विवाहके १३ दिन बाद ही कपडोंमें आग लगनेसे जल मरी थी। अपने बयानमें लडकीने कहा था कि उसके पतिने उसके कपडोंमें आग लगा दी, पर जूरीका निर्णय था कि अपने कामासक्त पतिके अमानुषिक दुर्व्यवहारको सह सकनेमें असमर्थ होनेके कारण लडकीने कपडोंमें आग लगाकर आत्महत्या करली थी। इसपर टिप्पणी करते हुए गाँधीजीने लिखा था—“कामान्वता कोई विवेक या दया नहीं जानती। लडकी कैसे मरी यह मुख्य प्रश्न नहीं है। निर्विवाद तथ्य तो ये हैं कि (१) लडकीका केवल १३ वर्षकी आयुमें विवाह हुआ, (२) लडकीको कामेच्छा नहीं थी, इसीलिए उसने अपने 'पति' की ज्वदस्तीका भी विरोध किया, (३) “पति” ने उसके साथ क्रूरताकी और (४) वह मर गई। इस तरहके क्रूर रिवाजको धार्मिक स्वीकृति देना धर्म नहीं, अधर्म है। स्मृतियाँ परस्पर विरोधी बातोंसे भरी पडी हैं। उचित बात यही लगती है कि इसमें जो अग स्वीकृत नैतिकताके —और खानतौरने स्मृतियोंकी नैतिक मर्यादाके—प्रतिकूल हो, उन्हें प्रक्षिप्त मानकर निकाल देना चाहिए। आत्म-मयमकी प्रेरणादायक बातें उसी लेखनीसे कदापि नहीं लिखी जा सकती, जिनमें कि मानवके भीतरके पशुको प्रोत्साहन देनेकी बातें लिखी गई हो। जो आदमी आत्ममयमसे अनभिज्ञ और पापमें डूबा हुआ है, वही रजस्वला होते ही लडकीका विवाह न करनेको बुरा कहेगा। रजस्वला होनेके कई वर्ष बाद भी लडकीका विवाह कर देना पाप समझा जाना चाहिए। रजस्वला होनेके बाद कोई भी लडकी वैसे ही गर्भावधानके योग्य नहीं हो जाती, जैसे कि रेव निकलने पर कोई भी लडका पिता बननेके उपयुक्त नहीं हो जाता। वाल-विवाह-की यह बुराई नैतिक और शारीरिक दोनों दृष्टियोंसे बुरी है, क्योंकि इनमें नैतिकता तो नष्ट होती ही है,

शारीरिक ह्रास भी होता है । ... सामान्यतया १८ वर्षसे कम उम्रकी किसी लड़कीका विवाह होना ही नहीं चाहिए ।” (यंग इंडिया, २६-८-२६)

गांधीजीके उपर्युक्त विचारोकी आलोचना करते हुए “यंग इंडिया” के एक पाठकने वाल विवाहके समर्थनमें उन्हें एक लम्बा-चौड़ा पत्र लिखा, जिसपर टिप्पणी करते हुए गांधीजीने लिखा—“पर क्या लेखक यह कह सकते हैं कि जिन कई मूल स्मृतिकारोंने आत्म-संयमपर अत्यधिक जोर दिया है, उन्होंने ही छोटी बालिकाओंसे विवाह करने की बात लिखी होगी ? क्या यह समझना अधिक उचित न होगा कि ऋषिलोग अपवित्रता अथवा मानव-शरीरके विकासकी मूल बातोंसे अनभिज्ञ नहीं हो सकते । पर यदि उन्होंने बाल-विवाहकी बात लिखी भी हो, तो हमें वैज्ञानिक जानकारी और सुनिश्चित अनुभव के आधार पर उसे अस्वीकार कर देना चाहिए । मैं इस कथन को सही नहीं मानता कि हिन्दू समाजमें सर्वत्र बाल-विवाह प्रचलित रहा है । यह जानकर मुझे दुःख होता है कि लाखों अवोध बालिकाओंका विवाह कर दिया जाता है और वे पत्नी बनकर रहनेको मजबूर होती हैं । पर हिन्दू-जाति कभीकी खत्म हो चुकी होती यदि उसमें लाखों लड़कियों का ११ वर्षकी उम्रमें विवाह हुआ होता ।” (यंग इंडिया, ६-६-२६)

बंगालकी एक बहनने एक दस वर्षीय कन्याके दो रात अपने “पति” के साथ रहने के बाद उसके पास जानेसे इन्कार कर देने और फिर एक दिन पति द्वारा मार डाले जानेकी एक घटनाका विवरण भेजा और बंगालकी बाल-विधवाओंकी दुरवस्थासे उन्हें अवगत कराया । इसपर गांधीजीने लिखा—“मैं एक ऐसे डाक्टरको जानता हूँ जिसने अपनी लड़कीकी उम्रकी एक बालिकासे विवाह किया और अब वे दोनों “पति-पत्नी” की तरह रह रहे हैं । एक और ६४ वर्षीय शिक्षणशास्त्रीने एक ६ वर्षकी बालिकासे विवाह किया । अपनी और अपने मित्रोंकी जानकारीके और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं । इसमें कोई शक नहीं कि मूलतः इस स्थितिकी जिम्मेदारी पुरुषोंपर ही है । पर क्या स्त्रियोंके लिए यह उचित है कि वे सारा दोष पुरुषोंके मत्थे मढ़कर अपने मनको सान्त्वना दे ले ? क्या प्रगतिशील महिलाओंका यह कर्तव्य नहीं है कि वे इस स्थितिको सुधारने के लिए कुछ करें ? यदि वे केवल अपने पतिकी गुड़िया ही बनें और समयसे पहले ही बच्चे पालने लगे, तो उनको दी गई शिक्षाका क्या अर्थ ? . ऐसी वीर महिलाएँ कहाँ हैं, जो बाल-पत्नियों और बाल-विधवाओंमें काम करें और उस समय तक न स्वयं आराम करें और न पुरुषोंको करने दें जब तक कि बाल-विवाह असम्भव न हो जाय और जब तक कि हर लड़की अपने-आपमें इतनी शक्ति महसूस न करे कि पूरी उम्र हुए बिना और अपनी पसंदके आदमीके सिवा किसीसे भी शादी करनेसे साफ इन्कार कर दे ।” (यंग इंडिया, ७-१०-२६)

१९३५ में बाल-विवाह-निषेध समितिने एक बुलेटिन प्रकाशित किया था, जिसमें १९३१ की मर्दमशुमारीसे बालिकाओंके विवाह, वैधव्य, सन्तान-जन्म और मृत्युके आँकड़े उद्धृत किए गए थे । बाल-विवाहोंके परिणामस्वरूप इसमें १ से १५ वर्ष तक की बाल-विधवाओंकी संख्या लाखोंमें दिखाई गई थी । इसमें कहा गया था कि बाल-विवाहों की संख्या यदि कम भी मान ली जाय, तब भी दो लाख बाल-माताओंका प्रतिवर्ष मरना तथा १००० में से १८१ बच्चोंका पैदा होते ही मर जाना कम चौंका देनेवाले आँकड़े नहीं

है। इसपर गाँधीजीने लिखा—“इन आँकड़ोको देखकर हम सबको गर्भसे सिर झुका लेना चाहिए। पर इससे रोगका कोई इलाज तो न होगा। यह रोग गाँवोंमें भी उतना ही व्याप्त है, जितना कि शहरोंमें। यह काम स्त्रियोंका है, यद्यपि पुरुषको भी अपना कर्तव्य पालन करना होगा। जब आदमी पशु हो जाता है, वह कोई तर्क नहीं सुनता। यह काम तो शिक्षित माताओंका ही है कि वे अपने इस विशेषाधिकार और पुरुष से न कहनेके कर्तव्यको भलीभाँति समझें। यह बात स्त्रियोंके सिवा उन्हें कौन सिखा सकता है?” (हरिजन, १६-११-३५)

अनमेल विवाह और उसके दुष्परिणामोपर भी गाँधीजीने काफी लिखा है और लड़के-लड़कियोंको लगभग हर अवसरपर कहा है कि वे २०-२५ के होने, स्वावलंबी होने और अपनी पसंदका साथी मिले बिना विवाह न करें। शिक्षित युवक-युवतियों और विगेष रूपसे स्त्रियोंसे उन्होंने बराबर अनुरोध किया है कि वे बाल-विवाहके विरुद्ध आन्दोलन करें और इसे असम्भव कर दें।

दहेज या विक्री

१९२७ में ८-९ वर्षके दो बच्चोंके एक ६० वर्षीय विधुर पिता द्वारा १२ वर्षकी एक लड़कीसे विवाह करनेका कारण गाँधीजीको भेजा गया, जिसमें कहा गया कि धन देकर लड़कीको खरीदा गया है। इसी वर्ष दम्बईके एक सुशिक्षित सरकारी अफसर ने अपने विवाहमें दहेजके रूपमें २०,००० रुपए लिए। शोलापुरके एक माहेश्वरी युवकने गाँधीजीको लिखा कि उसकी जातिमें अशक्त और अपाहिज बूढ़े भी रुपया देकर अबोध बालिकाओंको खरीदते हैं। सिंधके एक भाईने गाँधीजीको एक खबरमें छपी खबर दिखाई, जिसमें एक नौजवानने सगाईके समय ही २०,०००) लिए थे। उनमें बताया कि आजकल सिंधमें लड़कीकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस पर गाँधीजीने लिखा—“दहेजकी पातकी प्रथाके खिलाफ ज़बरदस्त लोकमत बनाया जाना चाहिये और जो नौजवान इस प्रकार ग़लत टगमे लिए गए धनमें अपने हाथोंको अपवित्र करें, उन्हें जाति बहिष्कृत कर देना चाहिये। लड़कियोंके माँ-बापको भी अंग्रेज़ी डिग्रियोंका मोह छोड़कर अपनी कन्याओंके लिए सच्चे और बहादुर वर तौजने अपनी जाति और प्रान्त के बाहर जानेमें भी झिझकना नहीं चाहिए।” (यंग इंडिया, २१-६-२८)

इसके कुछ समय बाद “स्टेट्समैन” ने अपने पाठकोंके कई पत्र इस सम्बन्धमें छापकर इसपर सम्पादकीय टिप्पणी भी की थी। इसपर टिप्पणी करते हुए गाँधीजीने लिखा था—“इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि यह एक हृदयहीन बुराई है। यद्यपि करोड़ों ग्रामीणोंमें यह नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि इसकी उपेक्षा की जाय। इन रिवाज का अन्त होना ही चाहिए। विवाह वर-बधूके माता-पिता के लैन-देनका मीदा नहीं रहना चाहिये। पर इस रिवाजका जाति-व्यवस्थाने घनिष्ठ भवध है। जब तक वर-बधू का चुनाव जाति-विगेषके कुछ सौ लड़के-लड़कियोंमें से ही होगा, यह रिवाज रट्टेगा ही-भले ही हम उसके खिलाफ चाहे जो-कुछ करें। अत यदि इन बुराईको दूर करना है, तो लड़के-लड़कियोंको या उनके माता-पिताको जातिकी सीमाओंको तोड़ना होगा। विवाहकी उम्रको भी बढ़ाना होगा, ताकि योग्य वर न मिलनेपर लड़कियाँ कुमारी रह

सकें । यह सब उस चरित्र-निर्माणकी शिक्षासे ही होगा, जो कि देशके युवा समाजमें क्रांति लायगा ।” (हरिजन, २३-५-३६)

लड़कियो से छेड़छाड़

वैसे तो भारतमें प्रायः सर्वत्र लड़कियोको छेड़ने, आवाजें कसने, सीटियाँ वजाने और इशारे आदि का रिवाज-सा है; पर पंजावमें यह कुछ अधिक उग्र रूप में रहा है । १९३८ में किसी कॉलेजमें पढनेवाली एक लड़कीने इसके कुछ उदाहरण देते हुए गाँधीजीको लिखा कि आखिर ऐसी स्थितिमें वे क्या करें ? इसपर गाँधीजीने लिखा—“लखनऊकी एक वहनने भी अपनी सहेलियोके कुछ इसी तरहके अनुभवोको लिख भेजा है । सिनेमा-थियेटरोमें उनके पीछे बैठे लड़के उन्हें छेड़नेके लिए न सिर्फ गंदी भापाका ही प्रयोग करते हैं, बल्कि ऐसी गंदी हरकतें भी करते हैं, जिनको मैं यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहता । शरीर-बलका प्रयोग इसका एक इलाज है और आजकल तो लड़कियोको आत्म-रक्षाकी शिक्षा देनेका एक फैशन-सा हो गया है । पर क्या यह इस बढ़ती हुई वुराईका इलाज है ? जहाँ कहीं लड़कियोसे गंदी बातें कही जायँ, उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए और न इसकी उपेक्षा ही करनी चाहिए । ऐसे मामले पत्रोंमें प्रकाशित करा देने चाहिए जहाँ ऐसे अपराधियोका पता चल जाय, वहाँ उनके नाम भी छपा देने चाहिए । इस प्रकार इस वुराईका पर्दाफाश करनेमें व्यर्थ वदनामीका संकोच नहीं होना चाहिए ।—पर मुझे भय है कि आधुनिक लड़की मनसे आवे दर्जन रोमियोकी जूलियट बननेमें आनन्द का अनुभव करती है । उसे साहसिक कार्योंमें आनन्द आता है । आधुनिक लड़की घृष, वर्षा और हवासे बचनेको नहीं, आकर्षक बननेके लिए कपड़े पहनती है । वह अपने प्रकृत रूपको बना सिंगारकर असाधारण दिखनेवाली बनती है । ऐसी लड़कियोके लिये अहिंसा का रास्ता नहीं है । मैंने अक्सर उन निश्चित नियमोका जिक्र किया है, जिनसे हममें अहिंसाकी भावना जाग्रत हो सकती है । यह बड़ी मेहनतका प्रयास है । इससे आदमीके विचारो और रहन-सहनमें एक प्रकार क्रांति हो जाती है । इससे लड़कियाँ देखेंगी कि उनके सामने फिर जो भी युवक आयेंगे, वे उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करेंगे और सद्-व्यवहार करेंगे । पर कभी ऐसा मौका आए कि उन्हें अपनी अस्मत् खतरोंमें नज़र आए, तो उनमें इतनी ताकत पैदा होनी चाहिए कि वे आदमीकी पशुताको आत्मसमर्पण करने के वजाय मर जायँ । यदि कोई कहे कि अगर किसी लड़कीको बाँध दिया जाय, तो वह संघर्षकर या मर भी कैसे सकेगी तो मैं यह कहूँगा कि प्रतिरोधकी तीव्र भावना वाली लड़कीमें इतना बल आ जायगा कि वह बचन तोड़ दे और मर जाय ।” (हरिजन, ३१-१२-३८)

गाँधीजीने “यंग इंडिया” (२१-७-२१) में कटककी श्रीमती सरलादेवीका एक पत्र प्रकाशित किया था, जो इस प्रकार था—“क्या आप यह नहीं मानते कि स्त्रियोके साथ होनेवाला व्यवहार भी उतनी ही खराब बीमारी है, जितनीकी अपृथ्यता । मैं जिन नौजवान, राष्ट्रवादियो के सम्पर्कमें आयी हूँ, उनमें १०० में से ९० का व्यवहार एकदम पागविक ह । भारतमें ऐसे कितने असहयोगी हैं, जो स्त्रीको केवल भोगकी वस्तु न समझते हो । क्या उस समय तक आत्म-शुद्धि संभव है, जब तक पुरुषोका स्त्रियोके प्रति रुख न बदले ।” इसपर टिप्पणी करते हुए गाँधीजीने लिखा था—“अपनेआपको

सच्चे स्वराज्यके उपयुक्त बनानेके लिए हमें नारी और उसकी पवित्रताके प्रति अधिक सम्मानपूर्ण रख अपनाना होगा। यदि एक भी स्त्रीके प्रति हमारा रख भोग का है, तो सारे मनुष्योका सिर शर्मसे झुक जाना चाहिए। पेश्तर इसके कि हम ईश्वरकी एक सर्वश्रेष्ठ कृतिको अपने भोगका हेतु बनाये, सारी मानव जाति का खत्म हो जाना मैं ज्यादा पसन्द करूँगा।” पर न तो मानव-जाति ही खत्म हुई और न उसकी यह बुराई ही।

गाँधीजीके उपर्युक्त कथनपर आध्रकी एक लडकीने लिखा कि उसकी सहेलियोकी सादी पोशाक भी उनकी रक्षामें सहायक नहीं होती। पंजावकी ११ लडकियोने सयुक्त पत्रमें गाँधीजी द्वारा एक आधुनिक लडकीके आघ दर्जन रोमियोकी जूलियट बननेकी उक्तिपर आपत्ति करते हुए लिखा कि कुछ लडकियाँ भले ही ऐसी हो, पर सब जूलियट नहीं हो सकती। उन्होने लिखा कि आज जब स्त्रियाँ वद दरवाजोसे बाहर आ रही हैं और जीवनके बोझका अपना पूरा हिस्सा ले रही हैं, तो यह बडी अजीब बात है कि पुरुषो द्वारा दुर्व्यवहार किए जानेपर भी दोष उन्ही पर मडा जाता है। यहाँ गाँधीजी की उक्तिमें हमे दो कारणोंसे थोडी अत्युक्ति और असगति लगती है (१) भारतीय युवतियोको केवल पोशाक या वनाव-श्रृंगारके कारण लोग छेडते हैं, यह यदि सत्य भी हो, तो भी अनुचित और निन्द्य है। स्त्रियाँ कब क्या पहनें, कैसे घरसे बाहर निकलें, यह तय करना पुरुषोका कार्य नहीं है। फिर विदेशोकी स्त्रियाँ तो भारतीय नवयुवतियोकी अपेक्षा कही अधिक वनाव-श्रृंगार कर निकलती हैं। पर इम कारण वहाँके पुत्रप तो उन्हें छेडनेको लालायित नहीं होते। फिर जैसाकि आध्रकी बहनने लिखा है, सादी पोशाकवाली लडकियाँ भी पुरुषोकी लुब्ध दृष्टिसे बच नहीं पाती। (२) अच्छे कपड़े पहनकर निकले किसी सुन्दर पुरुषको किसी स्त्रीने छेडा हो, ऐसा आज तक नहीं सुना गया तब पुत्रपको ही यह अधिकार कैसे प्राप्त है कि वह अच्छे कपडोवाली या सुन्दर आकर्षक स्त्रीको छेडे? फिर १०-१२ वर्षकी बच्चियोका छेडा जाना कहाँ तक समीचीन है?

महिलाएँ और गहने

१९२७ में भारतके भूखो-नगोके लिए चढा करने गाँधीजी लका गए थे। वहाँ कोलवोमें हुई महिलाओकी एक सभामें उन्होने घन-सग्रहके लिए की गई अपीलमें गहने भी माँगते हुए कहा—“गहने माँगनेमें मेरा एक और भी उद्देश्य है और वह यह कि महिलाओ को इनके मोहसे मुक्त करूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि पुरुषकी अपेक्षा स्त्री अपने आपको अधिक सजाती क्यों है? कई महिला-मित्रोने मुझे बताया है कि वह पुरुषको रिझाने के लिए ऐसा करती हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मसारके कार्यों में अपना कर्तव्य पूरा करना है, तो आप पुरुषको रिझानेके लिए अपने-आपको कभी भी न सजाइए। यदि मैं स्त्री पैदा हुआ होता, तो पुरुषकी इम धारणाके खिलाफ बग़ावत करता कि स्त्री उसके हायका खिलाना-भर है। —अपने प्रलोभनो और पुरुषोकी गुलाम न बनिए। अपने आपको ड्र और लेवेण्डर ने नजाइए मन। यदि आप कोई खुशबू फैलाना चाहती है, तो वह आपके हृदयमें से निकलनी चाहिए।” (यग इडिया, ८-१२-२७)

तामिलनाडुकी एक लेडी डाक्टरने एक राजाके वारिस पैदा होनेपर मिली हीरेकी अंगूठी और कानके वुदे गाँधीजीको भेजते हुए लिखा—“१२ वर्षसे ये चीजें बराबर साथ रही हैं। पर अब जब मैं इनकी ओर देखती हूँ, मेरे मनमें कटुता पैदा होती है, जो दूसरे ही क्षण उन लाखों भुखमरे भारतीयोंके प्रति सहानुभूतिमें बदल जाती है और मैं आपसे कहती हूँ कि क्या ये गहने जनताके धनसे नहीं बने हैं? फिर मैं उन्हें अपना समझकर रखनेकी अधिकारिणी कैसे?” इस तरहकी वहिर्न अधिक नही होती। अधिकांश तो पत्तियोंकी कमाईका बहुत बड़ा अंग इन्हींमें लगाकर अपना शरीर सजानेमें ही सुख और गर्व अनुभव करती है।” (यंग इंडिया, ५-४-२८)

एक पत्रने गाँधीजी द्वारा दानमें गहने लेनेकी प्रतिकूल आलोचना की। इसपर उन्होंने लिखा—“इस देशमें जहाँ कि करोड़ों आदमी नाम-मात्रका पोषण पाते हो और ८० प्रतिशत पर्याप्त पोषण पाते हो, गहने पहनना अपराध है। फिर अधिकांश गहनों में कलाका कोई आभास नहीं। बहुतसे देखनेमें बड़े भद्दे होते हैं, जिनमें मिट्टी जम जाती है। मेरी रायमें कीमती गहने पहनना देशके लिए सरासर हानिकर है। इनके रूप में बहुत बड़ी रकम बेकार रुद्ध हो जाती है या धीरे-धीरे छीजती है।” (हरिजन, २२-१२-३३)

गाँधीजी और तथाकथित पतिताएँ

जब गाँधीजी १९२१ में तिलक स्वराज्य फण्डके सिलसिलेमें दक्षिण का दौरा कर रहे थे, तो एक दिन रातको १० बजे कोकनदमें दो बेग्याएँ उनके “दर्शन” करने आईं। जब उन्होंने गाँधीजीको अपना परिचय दिया तो वे बड़े दु खी हुए और बोले कि क्या तुम कोई और कार्य नहीं कर सकती? उन्होंने कहा कि “हाँ, यदि हमारी जीविकाका प्रबंध हो जाय, तो अवश्य कर सकती हैं।” इसपर गाँधीजीने लिखा—“जब मैं पूरी तरह समझा कि वे कौन हैं, तो जैसे मैं जमीनमें बँसने लगा। इस कलंकको दूर किया ही जाना चाहिये। यह उचित नहीं है कि हमारी विषय-वासनाके लिये किसी एक भी वहनको शर्म और जिल्लतकी जिन्दगी वितानी पड़े।” (यंग इंडिया, ११-५-२६)

कुछ समय बाद एक अँगरेज मित्रने गाँधीजीको लखनऊके बेग्याओंके वारमें लिखा—“भिरा हृदय लखनऊकी इन पतिता वहनोंके साथ है। उन्हें मजदूरन शर्मकी जिन्दगी वितानी पड़ रही है और मानवके भीतरके पशुने इस घृणित जुर्मको भी एक कमाईका पेगा बना दिया है।”

आध्रके बाद वरीसालकी १०० से अधिक बेग्याएँ गाँधीजीसे मिली। उनसे मिलनेके बाद गाँधीजीने लिखा—“जिन वुराइयोंके लिये आदमीने अपने-आपको जिम्मेदार बनाया है, उनमें से स्त्रियोंके इस दुरुपयोगसे ज्यादा आघात देनेवाली, क्रूर और पतनकी ओर ले जानेवाली और कोई वुराई नहीं है। हमें इस भ्रममें नहीं रहना चाहिए कि यह वुराई हमारे विकासका एक आवश्यक अंग है। या किसी अन्य उदाहरणसे हमें इसे कायम रखनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि हम विना वुराई-भलाईका भेद किए मानसिक दासतासे अज्ञाने अतीतका अंशानुकरण करने लगेंगे, तो हमारा विकास रुक जायगा। हमें अतीतकी गलतियोंको दोहराकर अपनी सांस्कृतिक विरासतका अपमान नहीं करना चाहिए। आत्म-सम्मानवाले भारतमें क्या हर स्त्री के सतीत्व

की रक्षा, हर आदमीकी अपनी वहनके सतीत्वकी रक्षा की तरह आवश्यक नहीं है?" वरीसालकी वेश्याओंने बताया कि २० हजारकी आवादीमें ३५० वेश्याएँ हैं। इसपर गाँधीजीने लिखा—“इस हिसाबसे समग्र भारतमें कम से कम १०॥ लाख स्त्रियाँ ऐसी होगी, जो अपनी इज्जत बेचकर जी रही हैं। इन वहनोको उनकी पतनावस्थासे उबारने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिएँ। हम पुरुषोको अपने आवेगो पर काबू पाना चाहिए और इन वहनोंके लिए ऐसे काम ढूँढने चाहिए जिन्हें करके ये सम्मानपूर्वक अपनी जीविका कमा सकें। इन वहनोको विवाहकी बात नहीं सोचनी चाहिए। इन्हें तो सच्ची सन्यासिनी बनकर, जीवनकी सब चिन्ताओंसे मुक्त होकर, सेवा-भावसे कातना-बुनना चाहिए।” (यंग इंडिया, १५-६-२१)

नौआखालीमें इस सम्बन्धमें बोलते हुए उन्होने कहा—“जब तक कोई असाधारण पवित्रता और चरित्र-बलवाली महिला आगे आकर इन पतिता वहनीको ऊपर उठाने का काम अपने हाथमें नहीं लेती, वेश्यावृत्तिकी समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता। इसी प्रकार जो आदमी अपनी विषय-वासनाकी तृप्ति के लिए अपने-आपको गिराते और कमसिन लड़कियोको अपना शरीर बेचनेपर मजबूर करते हैं, उन्हें रोकनेके लिए आदमी भी बहुत-कुछ कर सकते हैं। यद्यपि वेश्यावृत्ति इतनी पुरानी है, जितनी कि दुनिया पर मुझे भय है कि यह आज की तरह कभी नागरिक जीवनका एक आवश्यक अंग रही हो। पर जो कुछ भी हो, वह समय अवश्य आयगा जब कि मानवता इस बुराईके खिलाफ खड़ी होगी और वेश्यावृत्तिको अतीतकी बात बना देगी। (यंग इंडिया, २८-५-२५)

वरीसालकी जिन वेश्याओंसे पेशा छुड़वाकर उन्हें कातनेका कार्य दिया गया था, उनका जब वहाँके नौजवानोपर बुरा असर पडने लगा तो गाँधीजीने उनकी मस्याको भग करनेकी सलाह दी। यह पढकर बगालके एक पाठकने उन्हें चटगाँव डम आशयका एक पत्र दिया कि बँगलामें अपहरण, भ्रष्टाचार आदि काफी व्यापक है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर-बगालके जिलोमें इसका बहुत जोर है। जूटके हल्को, बाजारो, मेलो, कचहरी या जमीदारके घरके पास वेश्यालयोका होना एक रिवाज-सा बन गया है। इसपर गाँधीजीने लिखा—“मैं जानता हूँ कि वेश्यावृत्ति एक बड़ी और फैलनेवाली बीमारी रही है। कलाके पवित्र नाम या भावुकताकी ओटमें बुराईमें भी भलाई देखने अथवा बुराई को माफ कर देनेकी भावनाने ही इस पातकी प्रवृत्तिको एक प्रकारका सम्मान दे दिया है, जो इस नैतिक कोढके प्रसारका बहुत बडा कारण है। पर मुझे यह नहीं मालूम कि बगालमें स्थिति इतनी भयकर है। मुझे भय है कि कही उन्होने अत्युक्ति तो नहीं की है। यदि कानूनसे इसका इलाज हो सकता, तो यूरोपके सुव्यवस्थित देशोंने डमका कभी अन कर दिया होता। मेरे जैसे सुधारकोंके लिखने पर भी कोई खाम असर नहीं पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि ब्रिटिश शासनसे पहले भारतमें वेश्यावृत्ति नहीं थी, पर उसके कालमें यह बढी है। पहले यह ऊपरके कुछ तबकोमें थी, पर अब तो मध्य श्रेणीके नौजवानो का भी नाश कर रही है। फिर भी मेरी आशा तो नौजवान ही है। जो डम बुराईमें फँसे हैं, वे स्वभावसे बुरे नहीं हैं। अविचार और अमहायावन्त्या ने ही वे इन ओर फिसलते हैं। इससे उन्हें और समाजको जो हानि हुई है, उसे उन्हें महनूम करना चाहिए,

उन्हें यह समझना चाहिए कि कठोर संयमपूर्ण जीवन ही उन्हें और देश को सर्वनाशसे बचा सकता है। “य० इंडिया, ९-७-२५)

दक्षिण-भारतके दौरेमें देव-दासियोंके द्वारा दिए गए मानपत्रके उत्तरमें उन्होने कहा था—“ये अभागी वहनें चाहे देवदासी कहलायें चाहे और कुछ, इनकी समस्या तो एक ही है। यह बड़े दुःख, शर्म, और जिल्लतकी बात है कि इतनी बड़ी संख्यामें स्त्रियोंको पुरुषोंकी हविस पूरी करनेके लिए अपनी अस्मत् वेंचनी पड़े। समाज-व्यवस्थाके कानून बनानेवाले पुरुषको तथाकथित दुर्बल नारीको इस भयंकर गह्वरमें धकेलनेके लिए भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। पर दुःखकी बात तो यह है कि बुराईके इन अड़्डोपर जानेवाले अधिकांश पुरुष विवाहित होते हैं और इस प्रकार वे दोहरा पाप करते हैं। एक पाप तो वे उन पत्नियोंके प्रति करते हैं, जिनके प्रति वफादार रहनेको वे वचनबद्ध हैं और दूसरा पाप उन अभागिनोके प्रति करते हैं, जिनकी अस्मत् उनके लिए अपनी सगी वहनोकी अस्मत्की तरह ही प्यारी होनी चाहिए। यदि हम भारतीय पुरुष अपनी मर्यादाको महसूस करे, तो यह बुराई एक क्षणको भी नहीं रह सकती। (यंग इंडिया, १६-४-२५)

विधवाओंकी समस्या

१९२६ में सर गंगारामने विधवाओंके आँकड़े प्रकाशित किये थे। इसपर टिप्पणी करते हुए गाँधीजीने लिखा—“इनसे और भी स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू-वाल-विधवाओं की क्या दुरवस्था है? हम गो-रक्षाके लिए तो चिल्लाते हैं, पर वाल-विधवा रूपी इन मानवी गायोंकी रक्षा नहीं करते हैं। धर्मके नामपर हम अपनी तीन लाख ऐसी अशुभ बालिकाओंपर वैधव्य थोपे हुए हैं, जिनको विवाह-संस्कारका अर्थ तक भी मालूम नहीं। छोटी बालिकाओंपर वैधव्य थोपना एक ऐसा जुर्म है, जिसके लिये हमें नित्य भुगतना पड़ता है। अगर सचमुच हमारी आत्मा जाग्रत होती, तो हम १५ वर्षसे कम की किसी लड़कीकी शादीही नहीं करते और यह घोषणा कर देते कि इन तीन लाख बालिकाओंकी धर्मानुसार शादी ही नहीं हुई। इनपर इस प्रकार का वैधव्य थोपनेकी अनुमति तो किसी भी शास्त्रमें नहीं है।” (य० इ०, ५-६-२६)

एक व्यक्तिके यह लिखनेपर कि यदि सब विधवाएँ शादी करने लगी, तो कुमारियों का मिलना मुश्किल हो जायगा, गाँधीजीने लिखा—“सभी विधवाओंकी शादी होनी ही चाहिए, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। सर गंगाराम द्वारा एकत्रित जिन आँकड़ोंकी मैंने चर्चा की, वे बेचारी पतिव्रत धर्म क्या जानें? प्रेमका उनसे कोई वास्ता नहीं। यह कहना ज्यादा सही होगा कि उनकी कभी शादी ही नहीं हुई। (य० इ०, १९-६-२६) इसी संबंधमें आपने एक और जगह लिखा है—“भरे कहनेका आशय यही है कि जिन माँ-बापने अपनी लड़कियोंको कच्ची उम्रमें व्याह देनेका पाप किया है, वे कम उम्रमें ही विधवा हो जाने पर ऐसी कन्याओंका पुनर्विवाह कर अपने पापका प्रायश्चित्त करें। पर जो बड़ी उम्रमें जाकर विधवा हो, वे फिर शादी करें या विधवा ही रहें, यह उन्हींके तय करनेकी बात है। यदि कोई ५० वर्षका विधुव शादी कर सकता है, तो इसी उम्रकी विधवाको भी ऐसा ही करनेका अधिकार होना चाहिए।” (यंग इंडिया, १४-१०-२८)

स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध और गांधीजी

एक बार एक व्यक्तित्वने गांधीजीमें एक प्रश्न पूछा कि हिन्दुस्तानमें धर्मके अनुसार पत्नीको पतिकी अनुगामिनी होना और अपने आपको पतिमें विल्कुल विलय कर देना ही उसका चरमोत्कर्ष है। पर यदि किसीका पति मांस खाता हो और पत्नीको वह बनाने और खानेमें मजबूर करे, तो उसे क्या करना चाहिए? इसका उत्तर देते हुए गांधीजी ने लिखा—“एक स्त्रीके लिए यह जरूरी नहीं कि वह अपने पतिके जुर्मोंमें भी भाग लेने को तैयार हो। और जब वह किसी चीजको गलत समझे, तो उसमें सही करनेका साहस होना चाहिए।” यहाँ हमें भय है कि गांधीजीकी सलाह दाम्पत्य जीवनके सुख और शान्तिके लिए शायद बहुत ठीक नहीं बैठती। उन्होने स्त्रीको गलत समझने और साहसकी जो बात कही है, अज्ञान और अंधविश्वासके कारण वह बहुत अशोमें अनेक परिवारोकी अशान्ति और विनाशका भी कारण बनी नजर आती है। यदि वास्तवमें स्त्रीका धर्म पतिकी अनुगामिनी नहीं बल्कि सहगामिनी और सहवर्मिणी होना है, तो उसे अपने, अपने पतिके और परिवारके सुख तथा शान्तिके लिए दोनोंके विचारो, आदतो और आदर्शोंमें सघर्षके बजाय समझौतेके मार्गको ही अपनाना अधिक श्रेयस्कर लगता है। फिर केवल खान-पानके सम्बन्धमें सही और गलत का निर्णय कोई डाक्टर या विज्ञानवेत्ता ही अधिक कर सकता है। धर्म और नीतिको इसमें घसीटना अनावश्यक ही नहीं हानिकर भी जान पड़ता है।

एक बार एक आदमीने गांधीजीसे पूछा कि मैं तो खद्दर पहनता हूँ, पर मेरी पत्नीको वह पहनना इसलिये स्वीकार नहीं है कि वह उसे मोटा लगता है। एक अन्य भाईने पूछा कि मैं तो हरिजनोद्धारके कार्यमें लगा हूँ, पर मेरी पत्नीका इसमें विश्वास नहीं। इस सम्बन्धमें गांधीजीने लिखा—“मैंने अक्सर कहा है कि चूँकि पति अधिक शक्तिशाली और शिक्षित है, वह पत्नीके लिए शिक्षकका काम करे और अगर उसमें कुछ कमियाँ हो, तो उन्हें दूर करे। पर आदमी मजबूर करके नहीं, प्रेमसे पत्नीको जीते।” यहाँ ध्यान देनेकी बात है कि गांधीजीने यही सलाह खान-पानके बारेमें भी क्यों नहीं दी?

विवाह का उद्देश्य

एक बार एक व्यक्तित्वने गांधीजीको लिखा कि हिन्दू-शास्त्रोंमें जोर देकर कहा गया है कि विवाहका एकमात्र उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति है और एक पुरानी कहावतके अनुसार विवाह के समय वडे-बूढे बघूको यह आशीर्वाद दिया करते थे कि तुम आठ बच्चोंकी माँ हो। पर आपका कहना है कि विवाहके बाद स्त्री-पुरुषका नसर्ग एकमात्र सन्तानोत्पत्तिके लिए ही नहीं होना चाहिए बल्कि एक ही सन्तान होना चाहिए—चाहे वह लडकी हो या लडका। इस व्रतका पालन करनेवाले ही ब्रह्मचारी हैं। पर अधिकांश विवाहित नोगोंके लिए ऐसा करना व्यावहारिक नहीं देख पड़ता। वे केवल एक बार सन्तानकी इच्छासे मनगं करें और फिर सन्तान होनेके बाद जीवन-भर समय एव ब्रह्मचर्यमें रहें, यह आदर्श हो सकता है किन्तु व्यावहारिक जीवनमें कितने इन आदर्शोंको निभा सकते हैं? कामेच्छा आदमीकी प्राकृतिक भूल है, जबकि नयम और नियंत्रण एक प्रकारका कृत्रिम गुण। अतः जो लोग प्राकृतिक कामेच्छाका दमन न कर सकें, उन्हें पतित या दया अथवा कृपाका

पात्र नहीं समझा जा सकता। वशिष्ठकी पत्नी अरुन्धती के १०० पुत्र होनेपर भी विष्णुमित्रने उसे ब्रह्मचारिणी कहकर सम्बोधित किया था। इसपर टिप्पणी करते हुए गाँधीजीने लिखा—“यदि विवाहको पवित्र माना जाय, तो इसमें एक सन्तानके लिए ही स्थान है। इसीलिए शास्त्रोंमें पहली सन्तानको “धर्मज” और बाकीको “कामज” कहा गया है। लड़के और लड़कीमें मैं कोई अन्तर नहीं करता। .. केवल क्षणिक आनन्दके लिए होनेवाला मैथुन तो पशुताको लौटना है। इसलिए मनुष्योका यही प्रयत्न रहना चाहिए कि वे इससे ऊपर रहें।” (हरिजन, ५-६-३७)

इस प्रकार गाँधीजीके विचार विवाह अथवा स्त्री-पुरुषके सम्बन्धोंके बारेमें शायद कोई नया प्रकाश नहीं डालते। शास्त्रोंकी बात मानवके शरीर-धर्मके इतनी प्रतिकूल लगती है कि यौन-विज्ञानका सामान्य ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति उसपर हँसे बिना नहीं रहेगा। दाम्पत्य-जीवनमें यौन-संबंधकी सीमाका निर्धारण एक कठिन और पेचीदा काम जरूर है, पर एक सन्तानके वादके शरीर सम्बन्धको किसी भी युगमें यथार्थमें व्यावहारिक माना गया हो, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इसके विपरीत इस प्रकारके कल्पित आदर्शकी अवमाननाको पाप, अब्रह्मचर्य या जुर्म कहना या समझना भी कम हास्यास्पद नहीं है। कदाचित्त इसीलिए गांधीजीने परिवार-नियोजनकी वैज्ञानिकताको स्वीकार नहीं कर अपने शास्त्रीय धर्मकी ही दुहाई दी है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि देशकी अवाध गतिसे बढ़ती हुई आवादी और उसके साथ ही साथ बढ़ती हुई दरिद्रता तथा सामाजिक असन्तुलनको रोकनेमें उनके विचारोंसे जितनी चाहिए उतनी मदद नहीं मिल सकी है।

—:०:—

महिलाओंकी जागृति

स्वातन्त्र्य-संग्रामने युगोकी मुपुप्त नारीके कानोमें जागरण-सन्देश फूका और युग-प्राचीन मानसिक तथा शारीरिक सघर्षोकी रगड़से चिरसतप्त हृदयमें नवचेतनाकी चिन-गारी प्रज्वलित हो उठी ।

नारीको जब अपनी स्थितिका ज्ञान हो चुका तो उसे चिन्ता हुई कि वह परदेके मन्दिर में पली हुई पापाणी देवीके रूपको बदलकर अधिकार, सामाजिक सम्मान और सुख पूर्वक जीनेका अधिकार प्राप्त करनेवाली मानवी बन जाये । उसने जब सचेत होकर अतीत पर दृष्टि डाली, तो उसे लगा कि उसे सब कुछ सुधारना होगा, आगे दृष्टि उठाई, तो देखा कि उसको अभी अनेक मजिलें पार करनी होगी क्योंकि वह अभी बहुत पीछे है । और सामने है अनेक सामाजिक कुरीतियोंके ऊँचे टीले, रुढियो और अमानवीय परम्पराओ की गहरी खाइयाँ, पीठपर परिवारका बोझ और सिरपर नवनिर्माणका गठुर । उसने कुछ ठहरकर सोचा और सिर पर हाथ रखकर वह कह उठी कि "मुझे स्वयं भी तो युगो का रटा हुआ धार्मिक अन्धविश्वासो एव मान्यताओका और रीति-रिवाजोका पाठ भुलाकर मानसिक दासता तथा हीनत्वकी भावनाका परित्याग करना है । मानवता तथा समानताके नये अध्यायोको पढकर आत्मसात् करना है । इतना ही नहीं उसे पातिव्रत्य, सतीत्व श्रद्धा एव सदाचारसे अनुरजित भारतीय संस्कृति तथा युगोकी दलित दमित इच्छाओकी प्रतिक्रिया रूपमें उत्पन्न उच्छृंखलता, विकलता, अधिकार-प्राप्तिकी जल्दवाजी, एव देश-विभाजन, तथा आज्ञादीकी गुलामीसे उत्पन्न नैतिकतामें समन्वय करना है । तभी वह समाजोपयोगी तत्वोके चयनसे नव युगके स्वस्थ निर्माण का गुस्तम कार्य सफलतापूर्वक कर सकेगी ।

उसे और सभीको यह विदित है कि भापणो, नसीहतो, आदेशो और मुझावोमे उनका कल्याण न होगा । उसके सामने टोस समस्याएँ हैं, उनका समाधान ही नारी जातिकी सबसे बड़े सेवा और उपकार है ।

उसे आज यह ज्ञात हो चुका है, कि शिक्षा, ज्ञानप्राप्ति, प्रगिक्षण तथा आर्थिक स्वावलम्बन और घर तथा बाहरके कानूनोका संशोधन उसकी नमस्याओको सुनझानेके नये रास्ते निकाल सकता है ।

पर कितने ऐसे जीवनसगी या नरक्षक और अभिभावक हैं, जो उने ऐसे अवसर पानेकी सुविधायें देंगे । चाहे पिता हो, अथवा पति, बडा भाई हो या जेठ, चिरकालने

अपने और अपने धर्म गुरुओंके द्वारा वर्णित नारीका जो रूप मान चुके उसे बदलना उन्हें उनकी स्वतन्त्रता, सुख और सुविधा तथा जाति और धार्मिक बंधनों और आचार-विचार तथा रूढ़ियों और रिवाजोंके विपरीत प्रतीत होता है।

धार्मिक पक्षपातपूर्ण मान्यतायें उन्हें प्रिय हैं, नारीका पापाणवत् गुड़ियाका-सा मनोरंजक रूप उन्हें प्रिय है। पतिव्रता तथा वीरांगना पद्धति दोनों पर उन्हें विश्वास है क्योंकि अपने सुख-सुविधाको वे खतरेमें डालना नहीं चाहते। वे चाहते हैं बहु-बेटियाँ कुलकी लज्जापर मर मिटनेकी परम्पराको न तोड़ें। चार साड़ियाँ, दो रोटी और कंकड़-पत्थर-से चार सोने-चाँदीके जेवर देकर वे संतोषकी सास लेते हैं। पर जो लोग आर्थिक कारणोंसे इच्छुक हैं कि स्त्रियाँ बाहर निकलें और शहरकी हवाने उन्हें तय्यार भी कर दिया है कि वे उन्हें पढायें, उनकी समस्यायें दूसरी हैं। नौकर रखनेके लिये पैसे नहीं हैं; रोटी-पानी सफाई करके पत्नी या बेटी स्कूल चली जाये पर उसे भेजने और लानेवाला चाहिये। स्कूलका खर्च यदि मार-पीटकर जुटा भी लिया, तो घरमें बच्चे कौन संभाले? वीमारी, मेहमान, त्योहार और रिश्तेदार एक बोझ बनकर मध्यम-वर्गीय नारीपर छाये हैं। भोजन-संबंधी उलझन-भरी आदतें बदलनेका नाम नहीं लेती। कमसे कम ५-७ चीजें थालीमें न हों, तो चैन कहाँ? चाहे पापड़, कढ़ी, बरी, मुगौरी, सेवई जैसी पोषक तत्वोंसे हीन ही वस्तुयें क्यों न हो और पूरा भोजन स्वास्थ्यके लिये न होकर केवल जिह्वादेवीके स्वाद संस्थानको सन्तुष्ट करनेके लिए ही हो। पर विचारी गृहणीकी तो मुसीबत ही रहती है। स्कूलका काम कब करे, फाइलें कैसे देखे? दोहरा काम, चौगुनी जिम्मेदारियाँ, न घरमें कोई खुश, न आफिसमें ही सन्तुष्ट और जो उद्यमशील महिलापर वीतती है या वह जानती है या उसके भगवान। भोजन सम्बन्धी आदतें तथा अतिथि सत्कारकी प्रथामें सशोधन करना अत्यन्त आवश्यक है।

अगर पति और उसके विचारोंमें मेल न खाया, तो मुसीबतोंका नया प्रकरण खुल जाता है। बच्चोंका बोझ सामाजिक उपेक्षाका भय आदि अनेक ऐसी बातें हैं, जो सैकड़ों स्त्रियोंको भीतर ही भीतर घुट-घुटकर सब-कुछ सहनेको विवश करती हैं। आँसू पोछ कर ऊपरसे पाउडर लगाकर दफ्तर या स्कूल जानेवाली स्त्रियोंकी संख्या लाखोंमें है। बच्चोंकी निगरानीको लिये क्रिश्च और बालवाड़ी तथा सस्ते भोजनकी सहकारी या सरकारी संस्थायें शीघ्र खुलनी चाहियें।

दफ्तरोंका भी वातावरण ऐसा विचित्र है कि जिसपर वीतती है, वही जानता है। अपनी स्त्रियोंको सात परदेमें बंद रखकर सहयोगिनी स्त्रियोंका सम्मान करना केवल उँगलियोंपर गिननेवाले ही लोग जानते हैं। वेचारी कम उम्र लड़कियोंको डरा-धमका कर या तरक्कीका लालच दिखाकर गुमराह करनेकी कोशिशमें लगे रहना साधारण बात है क्योंकि जन-साधारणकी दृष्टि इतनी कुंठित है कि वे स्त्रीको महिमामयी माँ या पोषक पालक बहिनके रूपमें नहीं देखते।


उन्हें आदत पड़ी हुई है “स्त्री” को मनोरंजनका साधन माननेकी। जब तक देशके शिक्षक और विचारक स्त्रीका सम्मान करना सीखनेके तरीकोंपर विचार करके इस दिशा में कुछ नये नियम निर्धारित न करेंगे, लोगोंके दृष्टिकोणमें अन्तर लाना बड़ा ही कठिन होगा। और दफ्तरोंमें भी नारी-जीवन अत्यन्त संघर्षमय बना रहेगा। सम्पन्न एवं

विदेशी शिक्षाप्राप्त या ऊँची नौकरियोंमें पहुँचनेवाली बहिने या तो बड़ी नौकरियोंवाले पति हूँदकर नवाबो राजाओ और मिल-मालिको तथा राष्ट्रपति भवनकी पार्टियोंकी शोभा बढ़ाती है या उन्हें "क्लब" "बाल" और "डिनरोसे" अवकाश नहीं रहता। अक्सर उन्हें विलासपूर्ण जीवन वितानेके लिये इतने अधिक धनका उपार्जन करना पड़ता है कि वे उसीमें जुटी रहती है फिर भला देशकी अशिक्षित बहिनोकी कुटियोंके द्वार-द्वार पर जाकर उन्हें कैसे जगायें ? कैसे देशकी करोडो बहिनोमें जागृति फैले ?

अधिकतर देखा जाता है कि मध्यम वर्गकी जाग्रत अर्धशिक्षित महिलाओपर ही सारे नारी समाजके जागरणकी जिम्मेदारी पड़ जाती है। जो वही भाग्यशाली स्त्रियाँ उठा पाती हैं, जो पत्नीत्व, मातृत्व और गृहणीत्व सभी परीक्षणोको पास करले। जो इतनी सौभाग्यशालिनी हो कि उनको पति तो अच्छा मिले पर नौकर भी विश्वासी मिले। यही बहिनें सस्थाओको सँभालती हैं। यही भाषण तथा आयोजन करनेका भार उठाती हैं। इन्हें सर्वगण सम्पन्न बनना पड़ता है। सस्थाओके लिये रुपया जुटाने, चन्दा माँगनेके हुनरके साथ ही साथ आफिसका हिसाब-किताब, पत्र-व्यवहार करनेके लिये क्लर्ककी योग्यता, दरी, फर्श तथा माईककी व्यवस्था करनेके लिये चपरासीकी दक्षता और मच बनाने फर्श लगानेके लिये एक कारीगरका चातुर्य भी उनमें होना चाहिये।

इतना ही नहीं नेताओ, भाषणकर्ताओके घरका चक्कर काटनेके लिये टैक्सीके किराये के लिये पैसोसे भरे बटुएकी स्वामिनी बनना भी उनके लिये आवश्यक है। इनके अन्य सस्थाओके सदस्योंकी कटू आलोचना प्रतिक्रियावादी व्यक्तियोंके व्यग सुननेके लिए उनमें कुलवधू के शील का होना भी जरूरी है। अन्यथा विचारी बहुत-सी बहिनें कार्य छोडकर इसीलिए घर बैठ जाती हैं कि सेवाके वाद नाम न मिले, तो न सही पर व्यर्थके व्यग नहीं सुने जाते। इतना ही नहीं गान, कविता, व्याख्यान, साथियों की खुशामद चापलूसी व नखरे बर्दाश्त करना अबैतनिक कार्य करनेकी क्षमता उदारता व सच्चाई भी उनमें अवश्य होनी चाहिये। तभी वे महिलाओमें जागृति फैला सकती हैं। इस लिये विचारकोको ऐसी बहिनोको प्रशिक्षित करनेके लिये सरकारी तौरसे ऐसी योजना बनानी चाहिये, जिससे बहिनें सीखकर सिखा भी सकें।





षष्ठ खण्ड

कुछ विशिष्ट समाज-सुधारक



महाराष्ट्रकी पहली पीढ़ीके प्रमुख सुधारक

महाराष्ट्रमें सुधारक प्रवृत्तिका प्रारम्भ सन् १८४० के आसपास हुआ था। श्री बालशास्त्री जांभेकरने सन् १८३२ में "दर्पण" नामक मासाहिक तथा "दिग् दर्शन" नामक मासिक पत्रोंका प्रकाशन बम्बईसे पहले-पहल प्रारम्भ किया। महाराष्ट्रके प्रथम सुधारक यही कहे जा सकते हैं। श्री बालशास्त्रीने सन् १८४० में श्री गंगाधरशास्त्री फडके द्वारा विधवा-विवाहके समर्थनमें एक पुस्तक लिखवा कर विधवा-विवाहके आंदोलन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्रीपाद शेपाड्रि नामक ईसाई बने हुए व्यक्तिको पुन हिन्दू-धर्ममें प्रविष्ट करके आधुनिक कालमें पतितोको पुन स्वधर्ममें सम्मिलित करनेकी प्रवृत्तिका पहला उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री बाल शास्त्रीने अपने सामयिक पत्रों द्वारा इस बातका भी भान कराया कि पाश्चात्य विद्याओंके प्रसारके बिना हिन्दुओंका उद्धार नहीं हो सकता। सन् १८४२ में बालशास्त्री बम्बईके एलफिन्स्टन कॉलेजमें अध्यापक नियुक्त किए गए। श्री बालशास्त्रीका जन्म सन् १८१० में हुआ था और उनका अवसान १८४६ में हुआ। छत्तीस वर्षके अपने छोटेमें जीवनमें उन्होंने पश्चिमी ज्ञान-विज्ञानका प्रसार किया, सामयिक पत्रोंका प्रकाशन किया, विधवा-विवाहको प्रोत्साहन दिया और अन्य धर्मोंमें गये हुए लोगोंको पुन हिन्दू-समाजमें सम्मिलित करनेकी प्रवृत्ति को सक्रिय सहायता दी। इन कार्यों द्वारा उनकी प्रतिभा, विचारोंकी उदारता, धर्म-निष्ठ सुधार वृत्ति, एव सार्वजनिक हिताकाक्षा आदि नद्गुणोंका परिचय मिलता है। अल्पजीवी होनेके कारण महाराष्ट्रको उनके गुणों और कार्योंका वाञ्छित लाभ नहीं प्राप्त हुआ।

श्री बालशास्त्रीको उन दिनों मराठीके प्रख्यात व्याकरणकर्ता श्री दादोबा पाडुरग तखंडका भी सहयोग प्राप्त हुआ था। श्रीपाद शेपाड्रिको ईसाई-धर्ममें पुन हिन्दू-धर्म में सम्मिलित करनेके कारण श्री बालशास्त्रीके विरुद्ध बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया था। उस समय उनके बचावके लिए बम्बईमें तत्कालीन नगरमेड श्री जगन्नाथ शंकरमेड ने अच्युती सहायता की थी। श्री जगन्नाथ शंकर सेठकी मरकारी दरवारमें अच्युती प्रतिष्ठा और प्रभाव था। नती-प्रथा बंद करनेके लिए उनके पक्षमें अपना विचार प्रकट करने-उन्होंने सरकारकी नहायता की थी। परन्तु उन दिनों, महाराष्ट्रमें अर्थात् बम्बई और पुनामें सार्वजनिक जीवनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। समाचार-पत्र भी नहीं थे। सामयिक पत्रों द्वारा सार्वजनिक विचारोंपर प्रभाव डालनेका प्रथम श्रेय श्री बालशास्त्रीको

है। उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया। सती-प्रथा कानून द्वारा बंद हो चुकी थी। उस समय स्त्री-स्वातंत्र्यकी दृष्टिसे विधवाके पुनर्विवाहका प्रश्न, स्वामी रामतीर्थके शब्दोमे कहे तो “जीवित सती” का प्रश्न, समाजके सामने खड़ा था। इस क्षेत्रमे बंगालके सुधारको की अपेक्षा महाराष्ट्रीय सुधारकोमें कुछ विशेषताएँ थी।

श्री दादोवा पाडुरंगने सन् १८४० मे ही बम्बईमे “परमहंस मडली” नामक एक गुप्त संस्था जातिभेदके उन्मूलनके उद्देश्यसे बनाई थी। इस संस्थाके विषयमें श्री दादा पदमजीने अपनी आत्मकथामें इस प्रकार लिखा है—

“इस मंडलीकी मुख्य मान्यताएँ इस प्रकार थी—जाति-भेद नहीं मानना चाहिए। विधवाओंके पुनर्विवाहका समर्थन करना चाहिए तथा मूर्तिपूजा नहीं करनी चाहिए। इसके सिवाय धर्म विषयक उनका विचार किस प्रकारके होने चाहिए, इसका कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया था। मंडलीके सदस्यों की संख्या खूब न बढ़ जाय तब तक इन मान्यताओंको गुप्त रखना चाहिए। मंडलीके अधिवेशन गुप्त रूपमे किये जाते थे। .”

राजनीतिके क्षेत्रमें तो हमने इस प्रकारके गुप्त मंडलोंकी बातें बहुत सुनी हैं, परन्तु जाति-भेद ऐसी सामाजिक संस्थाके विनाशके लिए ऐसी गुप्त संस्था स्थापित हुई हो, ऐसा सुननेमें यह पहली बार आया है। इस सभाके सदस्योंमें इसाई और मुसलमान भी थे। इसकी शाखाएँ बम्बईसे बाहर अन्य स्थानोपर भी थी। इस सभाके दिशा-दर्शनके लिए श्री दादोवा पाडुरंगने “पारमहंसिक ब्रह्मधर्म” नामक एक पद्यमय ग्रंथ भी लिखा था।

इस गुप्त मंडलीका काम बीस वर्ष (सन् १८६०) तक चलता रहा। एक सदस्य ने संस्थाकी बातें सार्वजनिक रूपमें प्रकट कर दी, तथा उसके सदस्योंके नाम भी प्रकट कर दिए। फलतः सब सदस्य संस्थासे संबंध तोड़कर स्वतंत्र हो गए और सामाजिक बहिष्कारके भयसे अपने-अपने स्थानोपर चुपचाप बैठ गए। नैतिक साहसके विना समाज-सुधार नहीं हो सकता था? तथापि इस संस्थाकी राखमें से सन् १८६७ में प्रार्थना समाजका उद्भव हुआ। प्रार्थना समाजको न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे और डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर सदृश मनीषी और चारित्र्यके धनी महानुभाव मिले। इस कारण कुछ समय तक यह समाज खूब प्रगतिशील रहा। परन्तु बंगालके ब्राह्म समाजकी तरह इस समाजको महाराष्ट्रके जीवनमें विशेष महत्त्व नहीं मिल सका। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि सन् १८८० में श्री विष्णुगास्त्री चिपलूणकर, श्री गोपालगणेश आगरकर तथा लोकमान्य तिलक सदृश महाप्राण तीन विभूतियोंने आगे बढ़कर महाराष्ट्रमें राष्ट्रवाद और बुद्धिवादकी स्थापना की। महाराष्ट्रमें १८८० के आसपास श्री तिलक-आगरकर आदि कर्मवीरोंने देशपूजाका व्रत लेनेवाले लोगो का एक संप्रदाय बनाकर, एक अपूर्व प्रथाको प्रारंभ किया। उसकी प्रभाके आगे प्रार्थना-समाजकी सुधारक-मंडलीका तेज फीका पड़ गया। महाराष्ट्रके तरुणोंके मन अन्य लोगोंने आकृष्ट कर लिए।

सुधारका जो श्रुम कार्य सन् १८४० में श्री वालशास्त्री, दादोवा पाडुरंग तर्खड, तथा डॉक्टर भाऊदाजी लाड आदि महानुभावोंने प्रारम्भ किया था उसे वास्तविक रूप प्रदान करनेका तथा सर्वांगीण सुधार करनेका सत्कार्य सरदार गोपालराव हरि देशमुख

उर्फ "लोकहितवादी" ने किया। श्री लोकहितवादी बहुमुखी प्रतिभावाले व्यक्ति थे। श्री बालशास्त्री, दादोबा पाडुरंग, श्री डॉक्टर भाऊडाजी आदिमें किसीको भी सच्चे अर्थमें सर्वांगीण सुधारक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने देशकी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितिकी ओर ध्यान नहीं दिया। पहली पीढीके लोगोमें इस बातका श्रेय लोकहितवादीको ही देना चाहिए। अगली पीढीके लोगोमें यह मान श्री रानाडेको दिया जाना उचित है। दूसरी पीढीमें न्यायमूर्ति रानाडेने जो-जो कार्य किए उनकी भूमिका में विद्यमान तात्विक विचारोके बीज लोकहितवादीके लेखोमें दृष्टिगत होते हैं। कितने ही विषयोमें तो लोकहितवादी लेखोमें श्री रानाडे की अपेक्षा भी अधिक मूलग्राही दृष्टि और साहसिक वृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

लोकहितवादीने अपने लेखोका प्रारंभ सन् १८४८ में किया। उस समय उनकी उम्र २५ वर्षकी थी। उनका जन्म सन् १८२३ में पूनामें हुआ था। तब मराठी राजसत्ताको समाप्त हुए पाँच ही वर्ष हुए थे। लोकहितवादीके पिता श्री हरिपत देशमुख वीरवर वापू गोखलेके हिसाब-नवीस थे। वापू गोखलेने पेशवाईकी रक्षाके लिए अंतिम दम तक लड़ते हुए रणक्षेत्रमें अपना शरीर छोड़ा था। श्री हरिपत देशमुख एलफिन्स्टन साहबके दुलानेपर भी, उनके पास नहीं गए थे। इस कारण उनकी जागीर जप्त कर ली गई थी। बादको पेशवा द्वारा सिफारिश करनेपर लौटा दी गई थी, परन्तु उनकी मृत्युके पश्चात् पुनः जप्तकर ली गई थी। फलतः गोपालराव देशमुख (लोकहितवादी) को विभिन्न पदोपर नौकरी करनी पड़ी। पहले वे मुन्तिफ बने। बादको सहायक न्यायाधीश और अन्तमें स्माल काज कोर्टमें न्यायाधीश बनाए गए। सन् १८७८ में वे नौकरीसे निवृत्त हुए और सन् १८६२ में उनहत्तर वर्षकी उम्रमें उनका देहावसान हुआ।

इस प्रकार अंग्रेजोके शासनमें शिक्षा-दीक्षा पाए हुए प्रथम पीढीके लोगोके साथ सार्वजनिक कार्यका प्रारंभ करके रानाडे, भांडारकर, तैलग आदिकी दूसरी पीढीको तथा चिपलूणकर, तिलक, आगरकर आदिकी तीसरी पीढीको देशसेवा करते हुए देखनेका सौभाग्य लोकहितवादीको प्राप्त हुआ था। वे अपने सम सामयिक सुशिक्षित लोगोकी तुलनामें अधिक विद्वान्, अधिक तेजस्वी और अधिक दूरदर्शी थे।

ब्रिटिश राज्यके विरुद्ध बलवा करके स्वराज्य प्राप्त किया जा सकेगा तथा हमारे सामान्य सरदार तथा जागीरदार एकत्र हो कर अंगरेजोको यहाँसे हाँक निकालेंगे, इत्यादि बातोको सुनकर लोकहितवादी कहा करते थे कि यह तो ऐसी बात हुई कि सब पशु मिलकर यह सोचने लगे कि हम सब ग्वालेकी सत्ताको नष्ट कर देंगे।

उस समयके ब्राह्मण अंग्रेजी राज्यपर गालियोकी वर्षा किया करते थे। इस राज्यके कारण ही हमारी वह अपदथा हुई है, इस प्रकार कहते हुए पेशवाईको याद कर कर के वे रोया करते थे। परन्तु अंग्रेजी राज्यका प्रतिकार किम प्रकार किया जा सकता है, इस बातका कुछ भी स्याल उन्हें नहीं था। पूनाका पतन हो जानेपर वहाँके ब्राह्मणोंने एक छोटा-सा बलवा किया था, परन्तु एलफिन्स्टनने उसे तुरन्त ही दबा दिया था। उनके पश्चात् वे ब्राह्मण अंग्रेजोके आगे इस तरह दब गए कि दो पीढियो तक कोई अपना माया ऊँचा नहीं कर सका। इस प्रकारके डरपोक, अज्ञानी और व्यक्तिगत स्वार्थमें रचेपचे

रहनेवाले ब्राह्मणोंसे अंग्रेज हार जाएँगे यह सर्वथा असम्भव था । इसलिए इस प्रकारके ब्राह्मणोंके गापो और गाली वर्षणोंसे अंग्रेजोंका कुछ भी नुकसान नहीं हो सका । उन लोगोंके विश्वासो और प्रलापोसे एक लाभ अवश्य हुआ । वह यह कि पूना में रहनेवाले समझदार व्यक्ति यह समझने लगे कि अंग्रेजोंके शासनमें हम कंगाल और सत्ताहीन होते जा रहे हैं । बगदेशीय हिन्दुओंकी तरह पूनाके ब्राह्मण ऐसा नहीं समझते थे कि मुसलमानोंके अत्याचारोंसे छूटवानेके लिए परमेश्वरने यहाँ अंग्रेजी राज्य भेजा है । यह अनुभव करनेका भी कोई कारण नहीं था कि इस राज्यमें हम खुशहाल हो रहे हैं ।

हाँ, अंग्रेजी विद्याके प्रसार होनेपर, कोकणके पर्वतीय प्रदेशसे कंधेपर झोली लटका कर मैदान (देश) में आने वाले और अंग्रेजी पढ़कर तहसीलदारकी नौकरी मिल जानेपर स्वर्ग प्राप्तिका-सा आनन्द अनुभव करनेवाले कतिपय ब्राह्मणोंको कुछ समयके लिए इस राज्यकी अच्छाईका आभास अवश्य हुआ था । परन्तु पूनाके सरदार परिवारमें पैदा होकर पिताकी जागीर जप्त हो जानेके कारण, लाचारीमें सरकारी नौकरी स्वीकार करने वाले विचार शील गोपालरावको इस सचाईका अनुभव करनेमें अधिक समय नहीं लगा कि अंग्रेजी शासनमें हमारा देश दरिद्र हुआ जा रहा है और दरिद्रताको दूर करनेके लिए हमें सामाजिक और राजनीतिक सुधारोंकी विशेष आवश्यकता है ।

लोक हितवादीने पचीस वर्षकी उम्रमें, बम्बईसे श्री भाऊ महाजनके संपादकत्वमें प्रकाशित होनेवाले “प्रभाकर” साप्ताहिक पत्रमें लेख लिखने प्रारम्भ किए । १३ अगस्त सन् १८४८के दिन उन्होंने “प्रभाकर” में “राज्य सुधारण” शीर्षक एक लेख लिखा था । उसका निम्नलिखित अंश पठनीय है—

देशकी गरीबीको दूर करना हो, तो सर्वप्रथम राज्यको सुधरना चाहिए । उत्तम प्रकारसे राज्यके संचालनके लिए कोई न कोई उपाय खोज निकालना चाहिए । मुझे ज्ञात है कि लोग मूर्ख हैं और उनमें इस बातके विचारकी शक्ति नहीं है । तथापि मुझे जो उपाय सूझ पड़ता है, वह मैं प्रस्तुत करता हूँ । इस समय भारतके एक बड़े भाग पर कंपनी सरकारका राज्य है । इस शासनमें जनताका कुछ भी अधिकार नहीं है । यदि हम अंग्रेजोंके अपने देशके शासनपर दृष्टिपात करें, तो पता चलेगा कि वहाँ ऐसा नहीं है । वहाँकी जनताको शासनमें हिस्सा लेनेका तथा कानून बनानेका अधिकार है । लोगोंकी सभा (पार्लमेंट) कानून बनाती है और उसके आधारपर राजा राज्यका प्रबन्ध करता है । भारतवर्षमें भी इसी प्रकारकी शासन-व्यवस्था होनी चाहिए ।

इसके बाद कंपनी सरकारको अगले २० वर्षोंके लिए शासनको नई सनद प्राप्त होनेपर भी लोकहितवादीने एक लेख लिखकर इस बातका आंदोलन किया था कि हिन्दुस्तान में लोगोंके प्रतिनिधियोंका शासन शुरू किया जाना चाहिए ।

ब्रिटिश भारतमें प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन होनेसे देशी राज्योंपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसपर भी लोक हितवादीने उस जमानेमें बड़े सुन्दर और दूरदर्शी विचार प्रकट किए थे ।

लोक हितवादीके इन लेखोंसे उनकी बुद्धि, देशप्रेम और प्रतिभाका ठीक-ठीक परिचय मिलता है । यूरोपमें उन दिनों जो क्रान्तियाँ और मौलिक परिवर्तन हो रहे थे उन सबके विषयमें लोकहितवादी अपने तात्त्विक विचार लोगोंके सामने मराठी भाषामें व्यक्त किया

करते थे। लोकहितवादीने जिन सर्वांगीण सुधारोका पहले पहल तत्त्व दर्शन किया वे आगे जाकर फल लाए। लोकमान्य तिलकने उससे प्रेरणा लेकर प्रगतिशील राजनीतिको जन्म दिया। सुधारक शिरोमणि आचार्य आगरकरने महाराष्ट्रमें समाज सुधारका शंखनाद किया। महामना गोखलेने वैधानिक राजनीतिको प्रगति प्रदान की।

लोकहितवादीके युगमें ही महाराष्ट्रमें श्री० विष्णुवुवा ब्रह्मचारीने एक प्रकारके समाजवादका सदेश अपने “सुखदायक राज्य प्रकरण” नामक निबंधमें सुनाया। यह वस्तुतः बड़े विस्मयकी वान है। श्री विष्णु वुवा ब्रह्मचारीका जन्म सन् १८२५में और देहावसान सन् १८७१ में हुआ था। अपने धर्मपर उनकी दृढ़ श्रद्धा थी। अपनी तेजस्वी वक्तृत्व-शक्ति द्वारा वे ईसाई धर्म प्रचारकोको ललकारते थे और हिन्दुओंमें स्वधर्म की निष्ठा और अभिमान प्रवृद्ध करते थे। उन्होंने धर्म-विषयक कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। परन्तु उनके “धर्म” शब्दका अर्थ बहुत व्यापक था। उसमें समाजके ऐहिक अपराधका भी समावेश था। वे कहते थे कि हमारे समाजमें अनेक सुधारोकी आवश्यकता है। परन्तु साथ ही वे यह भी कहते थे कि उन सुधारोके लिए पाश्चात्य सस्कृतिका आश्रय लेनेकी आवश्यकता नहीं। अपनी प्राचीन सस्कृतिमें से ही हमें अपनी उन्नतिका मार्ग प्राप्त हो सकेगा। आध्यात्मिक वृत्ति वाले इस ब्रह्मचारीने समाज सत्ताके विषयमें जो विचार पहले पहल मराठी भाषामें व्यक्त किए, वे जानने योग्य हैं उनका कहना यह था कि “प्रजाद्वारा सारी जमीनकी खेती कराई जानी चाहिए। जहाँ जो फसल हो, सकती हो, वहाँपर वह अनाज बोना चाहिए। अनेक प्रकारके अनाज, फल, कद, शाक तथा आहारकी अन्य वस्तुएँ पैदा करके ग्राम-ग्राममें उनके भंडार भरकर रखने चाहिए। उन भाडागारोंमेंसे सब ग्रामवासियोंको वाञ्छित वस्तुएँ देनी चाहिए तथा पशुओंके लिए घास चारा मिलना चाहिए। इस प्रकार सर्दी-गर्मी और चौमासे में सारी जमीनमें से वाञ्छित फसल लेनी चाहिए। यह सारी माझी उपज एकत्र करके एक व्यक्तिके पास रखनी चाहिए। जिसे जितनी आवश्यकता हो, उसे उतनी वस्तुएँ मिलनी चाहिए। राजा को रुईके, ऊनके, रेशमके और सन के कपड़े तैयार रखने चाहिए और ग्राम-ग्राममें उनके भण्डार भर कर रखने चाहिए। उसमेंसे जिसको जितना कपडा जट्टरी हो, उतना मिल जाना चाहिए। गृहस्थोंके लडके-लडकियाँ पाँच वर्षके हो जायँ, तो वे राजाको सौंप देनी चाहिए। राजा उनके लिए सब विद्याओंके मीरानेकी व्यवस्था करे। जिसमें जिस कामकी निपुणता हो, उसे वह काम राजा द्वारा सौंपा जाना चाहिए। स्त्री-पुरुषोंके वृद्ध हो जानेपर उनसे काम-धंधा नहीं कराना चाहिए। उनके लिए विश्वशांतिपूर्वक रहने और खानेकी व्यवस्था होनी चाहिए।”

विष्णु वुवा ब्रह्मचारीके साम्यवादसे मिलते-जुलते इन विचारोको पटक आज कल के शिक्षित जनोको आश्चर्य होगा कि कार्लमार्क्सके ग्रंथोंके पढ़े बिना इन व्यक्तिको साम्यवाद (कम्युनिज्म) की बात कहाँमें सूझी। परन्तु इसमें आश्चर्य की कुछ बात नहीं। जो अपने स्वार्थ की होलीकर चुका हो, जिसका मन्यामी हृदय वर्ग न्यायमें मुक्त हो, जो व्यक्ति प्राचीन ऋषियों द्वारा अपनी प्रतिभामें नीचे हुए ध्येय को अपने आचरण में उतारनेका सतत प्रयत्न करता रहा हो, ऐसा पुरुष रेनगाठी, तार आदि धनोत्पादक यंत्रोंको देखकर शीघ्र ही वह अनुभव कर सकता है कि उन यंत्रोंने

उत्पन्न मालकी स्पर्धामें स्वदेश के कुटीर उद्योग और शिल्प नष्ट हुए जा रहे हैं, लोग दिनो दिन बेकार बन रहे हैं और देशमें दरिद्रता और हीनता बढ़ती जा रही है। यह सब यंत्रकला और भौतिक-विद्या अन्य देशोको चुसनेके काममें प्रयुक्त हो रही है। इन यंत्रोकी सहायतासे मुट्ठी-भर लोग स्वयं करोड़पति बनकर करोड़ो लोगोको अपना गुलाम बना रहे हैं। यदि इस यंत्रकला और विज्ञानका उपयोग अपनी संतान की तरह प्रजाका पालन करनेवाली राजसत्ता करने लग जाय और प्राचीन ऋषियो द्वारा साक्षात्कार किए हुए विष्णु कुटुम्बके सिद्धान्तका स्थापन किया जाय, तो उत्तम होगा— इस प्रकारकी कल्पनाके लिए कार्लमार्क्सके ग्रथोको पढनेकी आवश्यकता नहीं है। संन्यासी वृत्तिवाले और लोक कल्याणमें ही आनन्द माननेवाले शुद्ध सात्त्विक चैता मनुष्य को ऊपर लिखित परिणामोंतक पहुँचनेमें देर नहीं लग सकती।

लोकहितवादीके जमानेमें ही महाराष्ट्रमें एक बड़े सुधारक श्री ज्योतिराव गोविन्दराव फुले हुए हैं। वे महाराष्ट्रमें ब्राह्मणेतुर आंदोलनके पुरस्कर्ता कहे जाते हैं। समाज-सुधारके आन्दोलनको सामाजिक वर्णविग्रह का स्वरूप प्राप्त हुआ, इसमें श्री फुले द्वारा स्थापित “सत्य शोधक समाज” की विचारसरणी ही कारणभूत हुई थी।

निचले स्तरके विशाल समाजको साक्षर बनाकर और उनकी गुलाम-वृत्ति मिटाकर उनमें समताका प्रचार करनेके लिए इन्होंने बड़ा प्रयत्न किया।

अपनी इन समाज-सुधार प्रवृत्तियोंको वेग प्रदान करनेके लिए सन् १८७३ में उन्होंने “सत्यशोधक समाज” की स्थापना की। इनके मित्र कृष्णराव पांडुरंग भालेकर ने सन् १८७५ में इन सुधार-प्रवृत्तियोंके प्रचारके लिए “दीनबंधु” नामक साप्ताहिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ज्योतिराव फुले इस पत्रमें बराबर लेख लिखकर समाज-सशोधनका काम करते रहे। महाराष्ट्रमें अस्पृश्यता निवारणका आन्दोलन पहले-पहल श्री फुलेने ही प्रारंभ किया। सन् १८६३ में पूनामें सारस्वत जातिमें पुनर्विवाह करानेमें वे अग्रसर थे। प्राथमिक शिक्षा और विशेषतः ग्रामोमें तालीमके प्रसारके वे बड़े पक्षपाती थे। ये कहा करते थे कि किसानके सुखी होनेपर ही सारा देश सुखी हो सकता है। दीन दरिद्रको निहार कर इनका हृदय द्रवित हो जाता था। अपना समस्त जीवन इन्होंने लोकसेवामें ही व्यतीत किया। महाराष्ट्रमें एक व्यापक आंदोलनको इन्होंने प्रारंभ किया। ठेठ देहातो तक पहुँचने वाला पहला समाज-सुधारक आंदोलन यही था। समाज-रचनामें मौलिक परिवर्तन लानेके लिए इन्होंने रुढिप्रतिपादक शास्त्रो का खूब खण्डन किया। अपने विचारोके प्रसार के लिए इन्होंने १०-१२ ग्रंथ भी लिखे। इनकी सेवा, तपस्या और त्यागवृत्तिको देखकर जनता इनको “महात्मा” नामसे आज भी याद करती है। महाराष्ट्रमें समाज-सुधारके इतिहासमें इनका नाम अमर है। महामति रानाडे आदि पुरुषोने भी आपकी प्रवृत्तियोका अभिनंदन किया था। इनका अवसान सन १८९० में हुआ। (इनका संक्षिप्त जीवन-परिचय अन्यत्र दिया गया है— सम्पादक)

सन् १८७६में बम्बईमें “प्रार्थना समाज”की स्थापनामें लोक हितकारी का भी हाथ था। श्री दादोबा पांडुरंग तर्खंड और उनके बंधु डाक्टर आत्माराम पांडुरंग इस समाजकी प्रवृत्तिके अगुवा थे। महामति रानाडे और महाविद्वान डॉ० रामकृष्ण गोपाल

भाडारकर तथा श्री वामन आवाजी मोडक प्रवृत्ति महानुभाव इस समाजके अग्रनायक रहे। उन्हें हम महाराष्ट्रकी दूसरी पीढीके महान समाज सुधारकोमें स्थान दे सकते हैं।

प्रार्थना समाजकी कल्पना यद्यपि बंगालके ब्राह्म समाजसे प्रेरणा पाकर हुई थी, परन्तु यह समाज हिन्दू-धर्मसे पृथक होना नहीं चाहता था। श्री केशवचन्द्र सेनने ब्राह्म समाजको जो स्वरूप प्रदान किया था, वह ईसाई मतकी ओर बुरी तरह झुक गया था। यह बात महामान्य रानाडे तथा डाक्टर भाडारकरको सर्वथा पसन्द नहीं थी। मूर्ति-पूजा तथा अवतार कल्पनाका प्रार्थना समाजी खूब खंडन करते थे परन्तु वे इस बात का सदा प्रतिपादन करते रहते थे कि प्रार्थना-समाज हिन्दू-धर्मका ही एक सुधारक पथ है। महामति रानाडे और डा० भाडारकर दोनो ही हिन्दू धर्मके कट्टर अभिमानी थे और अपने “ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति”के सिद्धान्तके लिए वे बहुत गौरव अनुभव किया करते थे। डा० भाडारकर एक स्थानपर कहते हैं कि—परमेश्वर हमारे समीप ही वास करता है। वह हृदयस्थ है। इस अत्युत्तम विचार का हमारे समाजमें विशेष विस्तार है। तथापि वे जीवात्मा और परमात्माके अद्वैत तथा “अह ब्रह्मास्मि” के सिद्धान्तको नहीं मानते थे। वे अव्यक्त परमात्मा की उपासना करते थे और मूर्तिपूजा के विरोधी थे, तथापि परमात्मा को सगुण मानते थे। गकराचार्यका निर्गुण परमब्रह्म और “मायावाद” भी उनको मान्य नहीं था। वे भक्तिमार्गी, सगुणोपासक और द्वैतवादी थे, परन्तु मूर्तिपूजा और अवतारवादके विरोधी थे। उन्हें प्रार्थना आवश्यक प्रतीत होती थी, परन्तु वे प्रार्थना द्वारा भौतिक फलकी प्राप्ति नहीं मानते थे। उनका विशेष आग्रह था कि प्रार्थना केवल आध्यात्मिक उन्नतिके लिए ही करनी चाहिए। इस प्रकार भौतिक व्यवहारोंमें मे अशास्त्रीय चमत्कारोंको प्रार्थना समाजने दूर कर दिया था।

मूर्ति-पूजाके विषयमें डाक्टर भाडारकरके विचार जानने योग्य है। एक स्थान पर वे कहते हैं कि—

“अमुक देवता अथवा प्रतिमाको ही भज या उसकी शरणमें जा, यह कहना ठीक नहीं केवल प्रतिमाको दृष्टिके सामने रखकर भजन-पूजन करनेसे अनेक अनिष्ट परिणाम होते हैं। प्रतिमा पुरुषकी हो या स्त्रीकी, सच्चे देवताके स्वरूप और महिमाका विस्मरण तो ही ही जाता है और उस देवके उपासक उसके ऊपर मनुष्यके क्रिया-कलापका आरोपण कर बैठते हैं। देव यदि पुरुष हो, तो उसके लिए पत्नी खोज लाते हैं, यदि देवता स्त्री हो तो उसके लिए पतिकी व्यवस्था की जाती है। फिर उसके लिए मनुष्योंकी नी गध्या तैयार की जाती है। उपासक यदि तमाकू मेवी हो तो उनके लिए पान, मुपाटी तथा तम्बाकूकी पीकदानकी व्यवस्था देवगृहमें की जाती है। इस प्रकार प्रभुकी केवल विडम्बना ही की जाती है। ऐसे अनिष्टोका समावेश धर्ममें न होने पाये इमीलिए धर्माचरणमें मूर्तिपूजाको स्थान नहीं देना चाहिए।”

इस प्रकार महाराष्ट्रके आद्य सुधारकोंके कार्योंका विचार करते हुए हम १८७० के समय तक पहुँच जाते हैं। इनके पश्चात् महाराष्ट्रके इतिहासको एव नवीन मोट प्राप्त होता है।

अनुवादक—श्री गकरदेव विद्यालकार

श्री गोपाल गणेश आगरकर

महाराष्ट्रमें समाज-सुधारकी भावनाका प्रसार करनेवाले इस मनीषी पुरुषका जन्म मन् १८५६ में सतारा जिलेके टेंगू नामक गाँवमें हुआ था । करहाडमें तीसरी श्रेणी तक अंग्रेजीका शिक्षण करनेके बाद कुटुम्बकी आर्थिक कठिनाइयोंके कारण इनकी पढाई छूट गई तथा इन्होंने मुन्सिफ कोर्टमें काम शुरू किया । परन्तु अध्ययन और अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करनेकी उत्कट आकांक्षाके कारण वे अधिक समय तक काम नहीं कर सके और मुन्सिफ नागपुरकर से ७५ रु० की सहायता लेकर अधिक अध्ययन करनेके लिए रत्नगिरि चले गये । वहाँ भी इनको अपने ध्येयमें सफलता नहीं मिली । ये जिस सद्गृहस्थ के यहाँ गये थे उसकी मृत्यु हो गई । दूसरोंके यहाँ वारी लगाकर भोजन करनेकी भी व्यवस्था नहीं हो सकी । अतः वे पुनः करहाड लौट आये और वहाँके अस्पतालमें कम्पा-उन्डरके रूपमें नौकर हो गये । परन्तु अध्ययनकी लालसासे इनका मन वहाँ भी स्थिर नहीं रह सका और वे वहाँसे अपने मामाके साथ अकोला चले गए । अकोलामें अनेक पारिवारिक सकटों और विपदाओंका मुकाबला करते हुए उन्होंने १८७५ में मैट्रिककी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली ।

एक दिन ये किसी कारणवश स्कूलमें विलम्बसे पहुँचे । इसपर अध्यापकने इन्हें बुरी तरह फटकारा और कहा “तुम इस प्रकार पिछड़ते जाओगे, तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर सकोगे ।” इसपर गोपालने तत्काल उत्तर दिया “यदि मैं आपकी तरह ही एम० ए० न कर लूँ, तो मेरा नाम आगरकर नहीं ।” बचपनमें रोपसे ही निकले इन उद्गारोंको उन्होंने पूरा कर दिखाया ।

गोपालकी शिक्षणकी अत्यधिक अभिलाषा और प्रवृत्ति देखकर इनके अध्यापकोने स्वयं चन्दाकर ६० रु० एकत्र किये तथा कालेजकी प्रथम तिमाही की फीस इन्हें दे दी । इस राशिको लेकर ये डेक्कन कालेजमें प्रविष्ट हो गये । कालेजमें अपने खाने-पीने तथा पुस्तकों आदिको जुटानेके लिए इन्हें घोर परिश्रम करना पडा । समाचार-पत्रों में ये कुछ लिखा करते थे, उससे इन्हें ५) प्रति मास मिलता था । प्रति तीन मास वाद जूनियर छात्र वृत्ति भी मिलती थी । परन्तु इससे भी आर्थिक समस्या हल नहीं होती थी । कालेजमें इनके पास विस्तरके रूपमें केवल १ चादर ही थी । कालेजकी भाषण व निदन्व प्रतियोगिताओंमें विजयी होनेपर इन्हें ५०-५० रु० पुरस्कारमें मिले । बहुत मितव्ययी जीवन वितानेपर भी ये एम० ए० की परीक्षाके लिए फीसके पैसे न जुटा

सके । इन्होंने नाटक लिखकर पैसे प्राप्त करनेका उपक्रम किया और इसके लिए रात-रात-भर जगकर लेखन-कार्य करने लगे । इनके एक प्राध्यापक श्री छत्रेको यह बात मालूम हुई और उन्होंने उनकी फीस भर दी । आर्थिक नकटोके साथ जूझते हुए इन्हें दमेकी व्याधिने भी बर दबोचा । दर्शन व इतिहास लेकर इन्होंने सम्मानपूर्वक एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की । मिल और स्पैन्मर जैसे बुद्धिवादी और अज्ञेयवादी दार्शनिकों का इनपर गहरा प्रभाव पडा और ये प्रत्येक बातको बुद्धिकी तुलापर तोलनेके आदी हो गए ।

जीवन का नया ध्येय

उस समय इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवालोंके लिए मोटी तनखाह की नौकरी तथा मान-सम्मान मिलना अत्यन्त सहज था । परन्तु अपने ध्येयवाद और डेक्कन कालेजमें ही तिलकके साथ हुए सम्पर्कके कारण उन्होंने अपने जीवनका मूल्यांकन और ही दगसे किया । इस सम्बन्धमें उन्होंने अपनी माताजीको जो पत्र लिखा था, वह स्मरणीय है । उन्होंने पत्रमें लिखा था—“भरे पुत्रने बडी ऊँची परीक्षा दी है तथा उसे खूब बडी वेतन वाली नौकरी मिलेगी और हमारे दु खके दिन फिर जायेंगे ऐसी आशाएँ तुमने लगा रखी होगी । परन्तु माता ! मैं अभीसे ही तुम्हें यह कह देना चाहता हूँ कि विशेष सम्पत्ति और विशेष सुखकी मुझे कोई आकांक्षा नहीं है । मैं केवल अपनी उदर-पूर्तिके लिए ही आवश्यक पैसे रखकर शेष सब परोपकारके लिए ही व्यय कर दूंगा ।”

१८८० में श्रीविष्णु शास्त्री त्रिपलूणकरने जिस समय न्यू इंग्लिश स्कूलकी स्थापना की उस समय उनके सहकारी केवल आगरकर और तिलक ही थे । उनके बाद १८८१ में जब “केसरी” और “मराठा” पत्रोंको गृह किया गया तब केसरीके प्रथम सम्पादक श्री आगरकर ही थे । अगले वर्ष छत्रपति कोल्हापुर नरेशके पक्षका समर्थन करनेके कारण इन्हें तथा श्री तिलकको १०१ दिनोंके कारावासाका दण्ड मिला । उस समय उनकी मन स्थिति क्या थी, इसका स्पष्ट आभास उनकी “डोगरीकी जेलमें एक सौ एक दिन” नामक पुस्तकमें मिलता है ।

न्यू इंग्लिश स्कूल बंदकर फर्गुसन कालेजके काममें परिवर्तित हो गया । इन कार्य में भी श्री आगरकर श्री तिलकके साथी थे । जननामें जान प्रसारके लिए उन्होंने यद्यपि “केसरी” में तर्क और बुद्धिकी कमौटीके आधार पर बडे विद्वत्तापूर्ण लेख लिखे तथापि उनका मन निरन्तर सामाजिक सुधार सम्बन्धी बातोंकी ही चिन्तना करता था । १८८४ में मलावारके शेटजीने यह प्रस्ताव रखा कि सरकारी कानूनोंकी महायताने वाल-विवाह पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । श्री आगरकरको यह मत पूर्णतया मान्य था, किन्तु इनके सब सहकारी इनके विश्द थे अत इस बातको दबाया जाने लगा ।

श्री तिलक से विरोध

इसी समय ‘पहले सामाजिक सुधार या राजनीतिक सुधार’—विवाद उठ गया हुआ । लोकमान्य तिलक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे । उनका मारा ध्यान इन बातकी ओर था कि विदेशी सत्तासे देशको बाह्य निदान पँकनेके लिए ग्नि प्रसार चक्रव्यूह रचा जाय । उनका यह विचार था कि सर्वप्रथम विदेशी सत्ताको समाप्त

करना चाहिए, इस कार्यको करते हुए यदि सामाजिक सुधारका कार्य कुछ विलम्बित हो जाय, तब भी कोई चिन्ताकी बात नहीं। लोकमान्यको यह चिन्ता थी कि राजनीतिक आन्दोलनके लिए जनताको साथ लेनेके लिए कोई ऐसा कार्य न किया जाय जिससे उनके अनुयायियोंमें ही किसी विषयको लेकर बुद्धि-भेद हो जाय और वे राजनीतिक संघर्षके मार्गसे विचलित हो जायें। श्री तिलककी यह मान्यता थी कि हम अपने समाज में जो सुधार करना चाहते हैं उसे हमें स्वयं करना चाहिये। इसके लिए विदेशी सरकार अपने कानूनोंसे हमें अमृत भी दे, तो वह हमें स्वीकार नहीं। उनका यही कथन था कि एक बार जब विदेशी सत्ता यहाँसे चली जायगी तब हम जो सुधार करना चाहते हैं, स्वयं कर लेंगे।

इसके विपरीत श्री आगरकरका यह मत था कि हिन्दू-समाजका यह वट-वृक्ष अनेक स्थानोंसे खोखला हो गया है, उसकी तूफानोंसे मुकाबला करनेकी शक्ति क्षीण हो गई है। उसमें विद्यमान अनिष्ट प्रवृत्तियों और घातक रूढ़ियोंको निर्दयतापूर्वक काट-छाँटकर निकाल देना चाहिए। इसे नये विचारों और ज्ञानका खाद-पानी मिलना चाहिए। यदि समाजके घटक व्यक्तियोंमें आंतरिक बल और सामर्थ्य आ जाय, तो विदेशी सत्ताको समाप्त करनेमें अधिक समय नहीं लगेगा। इसके विपरीत यदि समाज निर्बल और क्षीण रहा, और उसे स्वतंत्रता मिल भी गई, तो भी वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता।

केसरी से त्यागपत्र : नये पत्र का प्रारम्भ

इस विवादमें श्री तिलक और श्री आगरकरके मूल मतभेदके कारण केसरीके अन्य सहकारी जो श्री तिलकके पक्षमें थे, श्री आगरकर की अवज्ञा करने लगे। यह परिस्थिति जब असह्य हो गई तब २५ अक्टूबर १८८७ को उन्होंने "केसरी" से त्यागपत्र दे दिया तथा समाज-सुधारके ध्येयसे १८८८ में उन्होंने "सुधारक" नामका एक पत्र प्रारम्भ किया।

श्री आगरकरने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि "सुधारक" पत्र उसी बातकी उद्घोषणा करेगा जो बुद्धि और तर्क सम्मत होगी। इस कार्यके लिये किसी भी पक्षसे आनेवाले विरोधका प्रतिकार करनेके लिए वे पूर्णतः तैयार थे। प्रथम वर्ष खर्च निकाल कर "सुधारक" को ३० रु० का लाभ हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति मास उनका वेतन २।। २० पडा।

समाज सदासे ही प्राचीनताका अभिमानी रहा है। इस प्रकारके प्रतिकूल समाजमें भी उन्होंने अपने लेखों द्वारा अपने विचारोंका निर्भीकतापूर्वक प्रचार किया। इन्हें इस प्रकार के नवीन विचारोंका प्रचार करनेके कारण मार देनेकी धमकियाँ दी गईं। इतना ही नहीं इनके विरोधियोंने इनके जीवनमें ही इनका पुतला बनाकर अर्थाँ निकाली तथा उसकी अन्त्येष्टि की। परन्तु श्री आगरकर अपने अगीकृत मार्गसे एक क्षणके लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उस समय विद्यमान सभी अनिष्टकारी रूढ़ियों और अन्य विश्वासोपर निर्भर आक्रमण किए।

उन्हीं दिनों होल्कर सरकारने उन्हें ५०० रु० की नौकरीपर बुलाया, किन्तु उन्होंने इसे अस्वीकार कर अपने स्वार्थ त्यागके मन्दिरपर स्वर्ण कलश मंडित कर दिया।

१८६२ में प्रिंसिपल आप्टेके निघनके वाद उन्हें फर्ग्युसन कालेजका प्रिंसिपल बनाया गया। कुछ समय बाद ही कालने, जो बहुत समयसे इनकी प्रतीक्षामें था, इनके दरिद्री, दमा-पीडित, मिताहार और समाज-सेवासे जीर्ण शरीरको १८६५ में ग्रास बनाकर ही दम लिया।

उस समयका महाराष्ट्रीय मध्यम वर्गका जीवन-क्रम आर्थिक कठिनाइयोंके कारण परिवर्तित हो रहा था। नवीन परिस्थितिके अनुसार होने वाले इन परिवर्तनोंका समर्थन करनेके कारण नवीन पीढी इन्हें अपना मार्ग-दर्शक समझती थी। इस प्रकार यह कहना अत्युक्ति न होगी कि श्री आगरकर उन व्यक्तियोंमें अग्रणी थे, जिन्होंने समाज-सुधार के कार्यकी नींव रखकर मध्यम वर्गके जीवनमें क्रांतिकारी परिवर्तनका समावेश किया।

सामाजिक विवेचना

श्री आगरकरने अपनी लेखनीको समाजके किसी भी विषयसे अछूता नहीं छोड़ा। उन्होंने समाजमें विद्यमान प्रत्येक रीति-रिवाजको तर्ककी कसौटीपर परखकर उसके गुण-दोष को प्रकट किया। समाज की वेश-भूषा क्या हो इस प्रकार के वाह्यविषयो से लेकर उन्होंने परलोक, चातुर्वर्ण्य, ग्रथ-प्रामाण्य, जाति-भेद, अन्वविश्वास जैसे गूढ विषयो पर भी अपनी लेखनी चलाई। इसी प्रकार राजा, प्रजा, कानून, स्वराज्य, स्वतंत्रता अन्न-वस्त्रकी समस्या आदि प्रश्नपर भी उन्होंने निर्भीकतापूर्वक अपने विचार प्रकट किए। यद्यपि उनकी ख्याति समाज-सुधारकके रूपमें थी तथापि राजनीतिक विचारोंमें भी वे सबसे आगे थे। “धर्मशास्त्रोंकी आज्ञाके समान सरकारके कायदे-कानून भी किसी मर्यादा तक ही पालन किए जा सकते हैं। सत्य बोलने वाले व्यक्तियोंको रूढ़ि-वादियोंसे या शासकसे भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं। प्रारम्भमें विरोध होनेपर भी अन्ततः जनताको यह मालूम हो जायगा कि सच बोलने वाला कौन है। वाह्य राज्यक्रातिकी अपेक्षा सामाजिक क्राति—अन्तः क्रांति—अधिक महत्त्वकी है। सक्षेपमें अन्तः क्रातिके बिना राज्यक्राति भी निरर्थक हो जायगी।” इस प्रकारके विचार उनके लेखोंमें यत्र-तत्र ध्वनित होते हुए देखे जा सकते हैं।

श्री आगरकर जहाँ दार्शनिक-क्रांतिकारी थे वहाँ श्री तिलक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। अनावश्यक और सहज रूपसे सिद्ध न होनेवाली बातोंको कहकर लोगोंका व्यर्थमें विरोध क्यों मोल लिया जाय, यह श्री तिलकका कहना था। इसके विपरीत श्री आगरकर को ऐसा लगता था कि जो सत्य है, उसे न कहना, या केवल स्वार्थके लिए ही उसे बोलना सत्यके अपलापका दोषभागी होना है। इसी बातको लेकर इन दोनों महान कर्तव्य-निष्ठोंमें मतभेद हो गया।

आज श्री आगरकरके विचारोंको सब मानने लगे हैं। राजकीय परिस्थितियोंमें सुधार करनेकी इच्छा होनेपर भी अब सब इन बातोंको माननेके लग गये हैं, कि समाजके दोषोंको दूर किया जाना चाहिए, तथा लोगोंमें व्यक्तिगत गुणोंका विकास किया जाना चाहिए।

व्यक्तिका विकास, उसका आचरण, सामाजिक रीति-रिवाज और म्त्रियोंकी उन्नति के सम्बन्ध में उनके अनेक लेख अत्यधिक पठनीय और माननीय हैं। जीवन-दर्शन, कर्म और समाज-सेवाके लिए व्यग्रताके सम्बन्धमें उनके विचार चुद्धिग्राह्य हैं।

श्री आगरकर द्वारा सुझाए गए अनेक समाज-सुधारोको महाराष्ट्र-समाजने आज पूर्णतया स्वीकार कर लिया है । आज सीधी-सादी लगनेवाली इन बातोंके लिए इस मनस्वीको कितना कष्ट और अपमान सहना पड़ा यह आजके लोग पूरी तरह नहीं समझ सकते । समाजका स्वरूप ही आज इतना बदल गया है कि जिस व्यक्तिकी जीवित अवस्थामें अर्थी निकाली गई आज उसे ही लोग अपने भालका गौरव समझने लगे हैं । हालही में इस महापुरुषकी जन्म शताब्दी मनाकर तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि समर्पित कर समाजने अपने पूर्व पापोंका प्रायश्चित्त किया है ।

—:०::०:—

लाला देवराज

“लालोमें एक” ये शब्द स्वर्गीय लाला देवराजजीके सम्बन्धमें १९०५ में पञ्जाव-सरकारके शिक्षा सचालक श्री डब्ल्यू० वेलने कहे थे और उन दिनोंमें इन्ही शब्दोंमें उनके व्यक्तित्व और कार्यका दिग्दर्शन कराया जा सकता था। लाहोरके क्वीन मेरी कालेज के साथ कन्याओंके लिए बोर्डिंग हाउस कायम करनेका प्रस्ताव सरकारके सामने विचारके लिए उपस्थित था। उसकी सम्भावनाओंकी जाँच करनेके लिए श्री डब्ल्यू० वेलको सरकारकी ओरसे जालन्धर भेजा गया था, क्योंकि सारे पञ्जावमें, लालाजी द्वारा सस्थापित जालधर कन्या महाविद्यालय ही एक ऐसी सस्था थी, जिसके साथ बोर्डिंग हाउस लगभग दस वर्षोंसे कायम था। १८८४ के लगभग कन्या विद्यालयकी स्थापनाकी कल्पना करना एक असाधारण बात थी, सदियों पुरानी यह धारणा कि “स्त्री शूद्रा नाधीयाताम्” इतनी बद्धमूल हो चुकी थी कि अपनेको जाग्रत और प्रगतिशील माननेवाले आर्य समाजियोंको भी उसके लिए तैयार करनेके लिए लालाजीको बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उनको तैयार कर लेनेके बाद भी दो बार तो विद्यालय इसलिए नहीं चल सका कि उसके लिए पहली बार अध्यापिका न मिल सकी और दूसरी बार जब अध्यापिका मिली, तब कन्यायें न मिल सकी। लालाजी अपनी जेबमें खिलौने और मिठाइयाँ ले जाते थे और घर-घर जाकर लड़कियोंको मिठाई व खिलौना का लालच देकर पढानेके लिए लाते थे। आज एक लड़की आती तो कल कोई भी उसका रिश्तेदार आकर उसको उठा ले जाता अथवा उसको घर पर ही रोक लिया जाता।

लाला देवराजजीने स्वयं अपने एक व्याख्यानमें इन कठिनाइयोंकी चर्चा की थी। १९१० में जालन्धर आर्यसमाजके उत्सवपर उन्होंने कहा था कि “जब कोलम्बमने पाताल देश अमेरिकाका पता लगाया था, तब उसको अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पडे थे। उसके पास किसी प्रकारकी कुछ भी सामग्री नहीं थी। मगने बटी दिक्कत यह थी कि उसकी बातपर कोई यकीन न करता था। कोई यह नहीं मानता था कि कोई पाताल है भी।

“मैं कन्या महाविद्यालयके कामको कोलम्बनके कामने उपमा दूंगा। अन्तर केवल इतना है कि कोलम्बस दस वर्षकी मेहनतके बाद पाताल-देशके तटपर पहुँच गया, मगर विद्यालयके कार्यकर्ताओंको बीस वर्षके अर्मेंके बाद अभी सिर्फ किनारा नजर आने लगा है। विद्यालयरूपी पाताल देशके कोलम्बस उनके अधिचारी लाला बन्नीदानजी,

लाला रामकिशनजी, लाला कर्मचन्दजी व लाला जेठामलजी है और हमारी इजावेला वह थी, जिसने उस समय हमें इस महायज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये प्रेरित किया था, जबकि उसको शुरू करनेके लिए हमारे पास केवल ८५ रु० की पूंजी थी। सदियोंसे गिरी हुई स्त्री-शिक्षाकी ध्वजाको उड़ाकर फिरसे ऊँचे आकाशमें फहरानेवाली वह देवी थी हरियानाकी माई भगवती। आज जमाना बदल चुका है। समाज-सुधारके मैदानमें हम काफी हद तक आगे बढ़ गए हैं। आज ये देवियाँ विना चिक व परदेके यहाँ बैठ सकती हैं। मगर हरियानाकी इस इजावेलाने ऐसे समय पर काम करना शुरू किया था, जबकि स्त्रियोंके लिए नंगे मुँह फिरना, कलंकित करनेवाला कार्य था। हम हरियाना को ऐसा ही पवित्र समझेंगे, जैसे हरिद्वारको।

“विद्यालय एक वृक्ष है। इसकी शाखाएँ बहुत-सी हैं। इनमें से किसीमें कुछ लगा हुआ है और किसीमें कुछ। पहली शाखा विद्यालय, स्कूल या कालेज है, दूसरी शाखा आश्रम है। तीसरी शाखा विधवा-भवन और चौथी कन्या अनाथालय।

“सज्जनो, विद्यालय एक आर्यसमाजी संस्था है। इसकी प्रबन्धकारिणी समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि समस्त आर्य समाजकी है। कुछ लोग ऐतराज करते हैं कि विद्यालय सामाजिक संस्था कैसे हो सकता है? विद्यालयकी प्रबन्धकारिणी सभा में आर्यसमाजके प्रतिनिधि आते हैं। जो संस्था अपनी पहली जमातकी लड़कियोंको आर्यसमाजके नियम याद कराती है, और स्वामीजी के ग्रंथको वाक्यायदा पढाती है, यदि वह संस्था सामाजिक नहीं, तो और कौन सामाजिक संस्था हो सकती है? यह समाजका वच्चा है, सामाजिक संस्था है और ईश्वर करे कि यह समाज की ही रहे।

“लोग कहते हैं कि विद्यालयके अधिकारियोंके दिमागमें खलल आ गया है। उन्होंने ऐसी बहुत-सी बातें जारी करदी हैं, जो शास्त्र विरुद्ध हैं जैसे गाना बजाना। यदि बाइबिल या कुरानका माननेवाला ऐसा ऐतराज करे, तो क्षमा किया जा सकता है। लेकिन, यदि वेदोका माननेवाला ऐसा कहे, तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। उसके लिए निहायत अफसोस है। हमारा तो गानेके साथ सृष्टिके प्रारम्भसे गहरा सम्बन्ध है। यहाँ तक कि चारमें से एक वेद, सामवेद, केवल गान-विद्याके लिए है।

“दूसरी शंका पहरावेपर है। कोई कहता है कि लँहगेको लिवासमें शामिल करो। हमारे यहाँ देश-देशान्तरोसे कन्याओंको आना है। यदि आश्रम या विद्यालय किसी खास प्रान्तके लिए होता, तो हम भी वैसा ही पहरावा नियत कर लेते। मगर, यह सारे देशके लिए है। किसी खास प्रान्तके लिए नहीं। सारे देशकी प्रतिनिधि कन्याएँ हैं। इसलिए हमें ऐसा ही पहरावा रखना होता है जिसको अपनाने और पहिननेमें किसी भी प्रान्तकी लड़कियोंको आपत्ति न हो।

“मातामें पिताकी अपेक्षा सन्तानके लिए अधिक हित होता है। इसलिए माता पिताकी अपेक्षा कुरवानी भी अधिक कर सकती है। यदि किसी संस्थाके छात्रोंमें त्याग है, तो वह अमृत देनेवाला है। विद्यालयमें जब आप ड्योढीमें प्रवेग करेंगे, तो आपको इन छात्राओंके नाम देखनेको मिलेंगे, जिन्होंने छः मास या उससे अधिक समय, अपने आरामको कुरवान करके, विद्यालयकी सेवा है।

“अभी हमें बहुत काम करने हैं। लड़कियोंके लिए एक टैकनिकल स्कूलकी आवश्यकता है। जिल्दसाजी, घडीसाजी, आदिके काम लड़कियाँ घर बैठे कर सकती हैं। कन्याओंको विदेश भेजकर विद्यालाभ करानेके लिए “विदेश-यात्रा फंड” कायम करनेकी जरूरत है। ‘सिक-नरसिंग’ की शिक्षा लड़कियोंको दी जाती है, इसको अधिक बढ़ाने की जरूरत है। जगह-जगह विद्यालयकी शाखाएँ कायम करना जरूरी है। पहाडपर लड़कियोंके लिए ‘रेस्ट हाउस’ बनानेकी आवश्यकता है। किस्ती चलाने और घुडसवारी सिखानेके लिए सामान जुटाना आवश्यक है। स्त्री प्रचारिकाएँ भी पैदा करनी हैं।

हम अपनी सारी कन्या पाठशालाओंमें एकही पाठ-विधि प्रचलित करके एक “महिला विश्व विद्यालय” की स्थापना करना चाहते हैं।”

लालाजीने अपनी और अपने साथियोंकी कोलम्बससे ठीक ही उपमा दी थी। उनके इस भाषणसे यह प्रकट है कि उनके मार्गकी कठिनाइयाँ १९१० में भी दूर नहीं हो सकी थी। आर्यसमाजी भी स्त्री-शिक्षाको आर्य समाजके कार्यका अंग नहीं मानते थे। वे लड़कियोंकी पढाई और पहरावेतक पर आपत्ति करते थे। इस भाषणमें स्त्री-शिक्षाके सम्बन्धमें लालाजीके ऊँचे विचारों और महत्वाकांक्षाकी भी एक स्पष्ट झलक मिलती है। आज देशमें स्त्री-शिक्षाके क्षेत्रमें काम करनेवाली ऐसी संस्थाओंकी कुछ कमी नहीं है जिनका कि स्वप्न लालाजीने १९१० में देखा था, परन्तु उन दिनोंमें वह स्वप्न देखना भी कोई साधारण बात नहीं थी। अन्य प्रदेशोंमें स्त्री-शिक्षाका काम करनेवालोंको भी ऐसे ही विरोध और बाधाओंका सामना करना पडा है, परन्तु लालाजी और उनके साथियोंको विशेष विरोध और बाधाओंका सामना मुख्यत दो कारणोंसे करना पडा है। एक यह था कि जब उन्होंने अद्वैतारहवीं सदीके अन्तिम चरणमें काम किया तब स्त्री शिक्षाके लिए कोई बात तक करनेवाला नहीं था और दूसरा यह कि जिस प्रदेशमें उन्होंने काम शुरू किया, वह परदा सरीखी उन रुढियोंका गढ था जो स्त्रियोंके प्रति पुरुषोंके अन्याय तथा पक्षपातकी प्रतीक थी। महर्षि कर्वेको भी भयानक विरोध और विपम परिस्थितियोंका सामना करना पडा था, किन्तु उनमें भी वे परिस्थितियाँ कहीं अधिक विपम थी, जिनमें लालाजीने स्त्री-शिक्षाका वीजारोपण किया था। लालाजीकी स्त्री-शिक्षाके सवधमें जो महत्वाकांक्षाएँ थी, वे भी प्रायः अघूरी इसलिए रह गई कि जब उनके अनुकूल वातावरण बना तब वे चल बसे, फिर भी उस वातावरणके बनानेका जो काम उन्होंने किया, उसका भी महत्व कुछ कम नहीं है।

यहाँ केवल कुछ घटनाएँ इसलिए दी जा रही हैं कि उनमें लालाजीके मार्गकी कठिनाइयोंके साथ-साथ देशकी उस समयकी परिस्थिति पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उनकी चर्चा करते हुए लालाजीकी समाज-सुधार सम्बन्धी कुछ प्रवृत्तियोंकी चर्चा करनी भी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि लालाजीने स्त्री-शिक्षाका कामकाज समाज-सुधारकी भावनासे ही प्रारम्भ किया था। पंजावमें भी स्त्रियोंके सवधमें अत्यन्त गह्रित मामाजिक रुढियाँ प्रचलित थी। परदा, स्यापा, गदे गीत आदि उनमें प्रमुख थे। नानाजी अपनी युवावस्थासे ही अपनी डायरी नियमित रूपमें लिखना करने लगे। १८८३ में ५ मार्चको अपनी डायरीमें उन्होंने लिखा था कि “वहाँ स्त्रियाँ गदे गीत गा रही थी।

तोवा ! अफसोस !! ऐसा कोई भी नहीं, जो इन बेचारियोंको जहालतके पल्लेसे छुड़ा दे। स्त्रियोंका क्या दोष ? दोष इनके पतियो और रिश्तेदारोंका है। मैं हमेशासे स्त्रियोंका तरफदार रहा हूँ। मेरे दिलमें यह खूब अच्छी तरह बैठा हुआ है कि स्त्रियाँ आदमियोंकी निस्वत नेक और रहमदिल होती हैं। आह ! इनकलावे दौरा !! स्त्रियाँ इतनी जाहिल हो गई हैं कि गन्दे और अच्छे गीतोंमें कुछ फर्क नहीं कर सकतीं, ऐ आर्यावर्त ! इस गिरोहके डकवालका सितारा कम चमकेगा ?” फिर ११ नवम्बर १८८६ की डायरीमें उन्होंने लिखा था कि “हमारे लडके लडकियाँ विद्या नहीं पढते। मुझे इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोई न कोई समय इनकी तालीमके लिए निकालना चाहिए।”

लालाजीने जिन परिस्थितियोंमें काम शुरू किया उसका वर्णन महाविद्यालयकी मुख पत्रिका “जलविद सखा”में बहुत सुन्दर शब्दोंमें किया गया है। वह लेख उनकी ७४ वीं वर्ष गाँठके उपलक्षमें लिखा गया था। उसमें लिखा गया है कि “जब स्त्री-शिक्षा के प्रेमियोंपर ईंटो और पत्थरोकी वीछार होती थी, लोग उनपर अनेक लाछन लगानेमें संकोच नहीं करते थे, शिक्षा पाप कर्म समझा जाता था, किसी कन्याके हाथ “अक्षर-दीपिका” होना इतना बड़ा अपराध समझा जाता था कि उसकी सगाई छूट जाती थी, तब श्रद्धेय चाचाजीने कन्या-महाविद्यालयकी स्थापना कर बड़ी दूरदर्शिताका काम किया। १९६६ विक्रमीकी बात है कि जब मैं वहाँ पढनेके लिये आई, तो विरादरीने घरवालोंको सामाजिक बहिष्कारका भय दिखाया। विरादरीवालोंको डर था कि मैं ऐसे आर्यों में जाकर अष्ट हो जाऊँगी, जो कि विधवाओंकी शादी करते हैं। कुलको दाग लगाकर अपने बाप-दादोकी ममर्यादाका उल्लंघन कर डालूँगी।” लालाजीने स्वयं भी एक जगह लिखा है कि “पंडित श्रीपतिने कन्या-शिक्षाका काम तब आरम्भ किया था, जब स्त्री शिक्षाका नाम लेनेवालोंको मूर्ख, पागल, धर्मनाशक और देशको तबाह करनेवाले कहा जाता था,। यह उन दिनोंकी बात है, जब हरियानाकी देवी माई भगवतीके सगे भाइयों तकने उनसे स्त्री-शिक्षा और धर्म प्रचारकी वजहसे सम्बन्ध तोड़नेमें अपनी कुशल समझी और पूजनीया माईजीको गालिया ही नहीं दी, किन्तु उनपर फौजदारी मुकदमे चलाकर उन्हें अदालतोंमें घसीटा। माईजीको यदि पजावमें स्त्री-शिक्षाकी पथ-प्रदर्शिका कहा जाय, तो अत्युक्ति नहीं। उन दिनों यदि किसी कन्याके हाथमें कोई पुस्तक होती, तो उसकी सगाई छूट जाती थी, क्योंकि भूली भटकी अज्ञानता-असित जनता यह समझती थी कि लड़की पढ़ी-लिखी कि हाथसे गई।”

दूसरोकी बात क्या की जाय आर्यसमाजी भी स्त्री-शिक्षाके सम्बन्धमें सामान्य जनता के समान ही विचार रखते थे और महिलाओंके सम्बन्धमें भी उनके विचारोंमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। पंडित श्रीपतिजीने १८ जून १८८६ को जालन्धर आर्यसमाज में यह मुझाव उपस्थित किया था कि स्त्रियोंको भी साप्ताहिक सत्सगमें उपस्थित रहने का अवसर दिया जाय, परन्तु उसको स्वीकार नहीं किया गया, जब जालन्धरके आर्य-समाजियोंकी यह मनोवृत्ति थी, तब दूसरोकी मनोवृत्तिका अनुमान लगाना कुछ भी कठिन नहीं होना चाहिए।

आर्य समाजने शिक्षाका जो कार्य किया है उसका मुख्य लक्ष्य शिक्षाके क्षेत्रमें ईसाई पादरियोकी राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियोका सामना करना था । जब भी कभी देशमें राष्ट्रीयताके विचार प्रबल हुए तब सदा ही अंगरेजी शिक्षाके विरुद्ध राष्ट्रीय शिक्षाके प्रारम्भ किए जानेकी आवश्यकता अनुभव की गई । दक्षिणमें जो काम शिक्षाके क्षेत्रमें श्री आगरकर, लोकमान्य तिलक, चिपलूणकर और उनके साथियोने किया वही काम उत्तरमें १८५०में लाहौरमें दयानन्द एग्लो वैदिक कालेजकी स्थापना करके आर्यसमाजने शुरू किया था । कन्या महाविद्यालयकी स्थापनाके लिए जालन्धर आर्यसमाजको प्रेरित करनेवाली ऐसी ही एक घटना हुई । लाला मुशीराम जी, वादमें स्वामी श्रद्धानन्द की लडकी वेदकुमारी स्कूलसे लौटकर एक दिन यह गा रही थी कि "एक बार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल ?" लाला मुशीराम इसको सहन नहीं कर सके । उसी सप्ताह आर्यसमाजमें इस पर चर्चा हुई और २६ दिसम्बर १८८६को कन्या विद्यालय स्थापित करनेका निश्चय करके एक रुपया मासिक खर्च उसके लिए स्वीकार किया गया । उमी वर्षको आर्यसमाजकी रिपोर्टमें यह लिखा मिलता है कि अध्यापिका न मिलनेसे वह विद्यालय बन्द कर दिया गया और आर्यसमाजने १) ६० खर्च देना भी बन्द कर दिया । माता काहनदेवी माई लाडी, जो कि मिशन स्कूलमें अध्यापिका थी १) ६० महीना और चार रोटी लेकर किसी प्रकार उसको चलाती रही, परन्तु कन्याओके अभावमें उनका प्रयत्न भी अधिक दिन नहीं चल सका । ३० अगस्त १८८६ को लाला देवराजजीके प्रस्तावपर आर्यसमाजने एक बार फिर विद्यालयको चलानेका निश्चय किया । उमके लिए बनाई गई कमीटीने कोई काम नहीं किया तो २४ सितम्बर, १८९० को एक और कमीटी बनाई गई । परन्तु उसने भी केवल कागजी योजना बनाई और यह कहकर उसको कार्यमें परिणत नहीं किया कि उसके लिए योग्य अध्यापिका मिल नहीं सकती । ५ जुलाई १८९१ को फिर प्रयत्न किया गया और केवल १०) महीनेका वजट बनाया गया । अध्यापक श्रीपतिजी २) और अध्यापिका ४) ६० महीनेपर काम करने लगी । केवल ८ लडकियोसे एक कमरेमें काम प्रारम्भ किया गया । यह प्रयत्न सफल हो गया और दो ही वर्षमें कन्याओकी सख्या ५५ तक पहुच गई । यह सारा विवरण केवल यह दिखाने के लिए दिया गया है कि किस प्रकार सर्वथा विपरीत और अत्यन्त विषम परिस्थितियोमें कन्या-शिक्षाका वीजारोपण किया गया था । वह बट-बीज किस प्रकार एक बड़ा वृक्ष बन गया और किस तेजीसे उस विद्यालयका विकास हुआ इनके विस्तारमें न जाकर यहाँ कुछ आवश्यक बातोका उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा ।

१५ अप्रैल १८९२ को उस पाठशालाको विशाल रूप देनेका निश्चय किया गया । यह विचार किया गया कि उसके साथ आश्रम (बोर्डिंग हाउस), अनाथ गृह और विधवाओ के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाय । इस योजनाका सर्वत्र स्वागत होनेपर भी टी० ए० वी० कालेज लाहौरकी ओर से कडा विरोध किया गया । उसके मचालकोने इस योजनाको अपना प्रतिद्वन्दी समझ लिया और उनके पत्र "आर्य गजट" में उनका विरोध ही नहीं, अपितु तरह-तरहके लाछन भी लगाए जाने लगे । विरोध इतना बढ़ गया कि पंजाब आर्य-प्रतिनिधि-सभा में भी उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया । इतना ही अच्छा था कि

ईस विरोधी प्रस्तावका समर्थन करनेवाली ६८ समाजोमें से केवल १४ थी और शेष ५४ उसकी विरोधी थी । इसी कारण यह विरोध चल नहीं सका और विद्यालय समस्त विघ्न-बाधाओंको पार करता हुआ विकास, उन्नति व प्रगतिके पथपर अग्रसर होता रहा । १४ जून १८९६ को विद्यालयको कन्या महा विद्यालय नाम दे दिया गया । १२ अप्रैल, १८९५को आश्रम, छात्रावास अथवा बोर्डिंग हाउसकी स्थापना की गई । इसका प्रारंभ लालाजीने अपने घरमें कई वर्ष पहले कर दिया था । कोई और व्यवस्था न होने से बाहरसे आनेवाली लड़कियोंको वे माताजीकी निगरानीमें रख लेते थे । आश्रममें रहनेवाली कन्याओंकी सख्या निरन्तर बढ़ती गई । पहले वर्षमें ५, दूसरे में १६ और तीसरेमें २२ हो गई । शहरमें सस्थापित अनाथालयका प्रबन्ध आर्यसमाजके हाथमें आनेसे उसको १२ अक्टूबर १८९८ को कन्या महाविद्यालयकी संचालक सभाके अधीन कर दिया गया और उसकी एक शाखाके रूपमें उसका संचालन किया जाने लगा । महा-विद्यालयकी पहली आचार्या वहन सावित्री देवीजी दक्षिणके दौरेपर गई थी । तब उन्होने पूनामें महर्षि कर्वे द्वारा संचालित विधवा आश्रमका निरीक्षण किया था । उनके जालन्धर लौटनेपर उनकी ही प्रेरणासे मार्च १९०९ में महाविद्यालय के साथ "विधवा आश्रम" की भी स्थापना की गई । इस प्रकार संस्थाको चतुर्मुखी ब्रह्माका रूप प्राप्त हो गया और वह महिला-उत्थान और महिला-जागृतिके क्षेत्रमें चहुँमुखी कार्य करने लग गया ।

१८९१ में विद्यालयमें पढ़नेवाली लड़कियोंकी सख्या केवल ८ थी । १९०० में वह १२० और १९१० में ३०० तक पहुँच गई, आश्रममें भी लगभग २०० लड़किया रहने लगी । इससे भी बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि महाविद्यालय और आश्रममें प्रायः सभी प्रान्तोंसे आई हुई लड़किया सम्मिलित थी और बर्मा, फिजी तथा अफ्रीका तकसे उन्होने आना प्रारम्भ कर दिया था । यद्यपि आधुनिक अर्थोंमें महा-विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं बन सका था, फिर भी अपनी स्वतन्त्र शिक्षा प्रणाली, पाठ्य-पुस्तको और उन पाठ्य पुस्तको के अन्य अनेक कन्या विद्यालयोंमें चालू होनेसे निश्चय ही उसको विश्वविद्यालयका रूप प्राप्त हो गया । पंजावमें १२५ से भी ऊपर ऐसे विद्यालय थे, जिनमें महाविद्यालय के पाठ्य-क्रम और पाठ्य-पुस्तकोको स्वीकार किया गया था । इसी कारण महाविद्यालयकी अनेक पुस्तकोंके २०, २५ और ३० हजार तकके कई संस्करण प्रकाशित हुए । यह भी उल्लेखनीय है कि इन पुस्तकोंके लेखक स्वयं लालाजी ही थे । उन दिनों कन्याओंके लिए उपयोगी पुस्तकें लिखनेवाले लेखक हिन्दी में कहाँ थे ? लालाजीका लक्ष्य कन्याओंको केवल साक्षर बनाना नथा वे उनके चरित्र का भी निर्माण करना आवश्यक समझते थे । उनको वर्तमान अथ रूढियों और सामाजिक परम्पराओंसे ऊपर उठाकर उनके जीवनको आर्य-संस्कृतिके ढाँचेमें ढालना चाहते थे । इसलिए उनकेलिए वैसे ही साहित्यकी परम आवश्यकता थी । ऐसे सम्पूर्ण साहित्य और पाठ्य पुस्तकोका निर्माण पहली श्रेणीसे लेकर दसवी श्रेणी तक लालाजीने स्वयं किया । १९१३ में शहरसे दो मीलकी दूरीपर महाविद्यालयके अपने भवनकी आधारगिला रखी गई । शहर में शाखाविद्यालय रखा गया । दोनों बहुत अच्छी स्थितिमें फलने-फूलने लग गए । नगरके शाखा-विद्यालयमें लड़कियोंकी

संख्या इस समय १००० के लगभग है, और बाहर भी लगभग ५०० कन्याएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं। लालाजी को सब लड़कियाँ चाचाजी कहा करती थी और अध्यापिकाओंके लिए भी छोटी बहनजी तथा बड़ी बहनजी आदि शब्दोंका प्रयोग किया जाता था। अभिप्राय इसका यह था कि महाविद्यालयका संचालन विगुद्ध पारिवारिक भावनासे किया जाता था और उसको एक बड़ा परिवार कहा जा सकता था। विद्यालयमें अनुशासन तथा नियंत्रण कायम करनेका सबसे बड़ा और प्रभावशाली तरीका यही था कि लालाजी कुछ दिनोंके लिए वहाँ जाना बन्द कर देते थे और लड़कियाँ स्वयं व्यवस्था कायम कर लेती थी। कभी किसी लड़कीको कोई दंड देनेका प्रसंग नहीं उपस्थित होता था। विद्यालयकी शिक्षाप्रणालीमें कुछ सर्वथा मौलिक बातें अपनाई गई थी और वे लालाजीके अपने ही दिमागकी उपज थी। उनकी सूक्ष्म-बुद्धि, प्रतिभा और कल्पना कमालकी थी। इस समयके किडर गार्डनकी तरह उन्होंने “संगीत बालोद्यान” का और कुछ खेलोका ऐसा आविष्कार किया था कि बच्चे गीतों और खेल-कूदके साथ बहुत कुछ सीख लेते थे। अक्षराम्यास और प्रारम्भिक शिक्षा प्रायः खेल-कूदमें ही दी जाती थी। छोटे-छोटे बच्चोंकी ‘हो मडली’ और बड़ी लड़कियोंकी “जलविद माता” उनकी ही सूझ थी। हिन्दी भाषाके माध्यमको शुरूसे ही अपनाया गया था। शारीरिक एवं धार्मिक शिक्षाके साथ-साथ शिल्प, गृहकार्य, स्वच्छता, आरोग्यता एवं संगीत शिक्षाके अनिवार्य अंग थे। परदा-प्रथा, जात-पात साम्प्रदायिकता तथा प्रादेशिकता आदिकी सब सकीर्णताओंका महाविद्यालयने अतिक्रमण कर दिया था। लड़कियों में स्वाभिमान तथा स्वदेशाभिमानकी भावनाका संचार कर अपने देशके अतीतमें श्रद्धा, वर्तमानमें आशा तथा भविष्यमें विश्वास पैदा करनेका पूरा ध्यान रखा जाता था। दीनता, हीनता तथा पराधीनता की कोई छाया तक उनमें न रहने दी जाती थी। यही महाविद्यालयकी शिक्षाका एकमात्र लक्ष्य था। सादगी, सरलता, मात्त्विकता और सेवा तो मानो महाविद्यालयके मूलमंत्र ही थे। देश-मेवा और सार्वजनिक सेवाकी भावना उनमें स्वाभाविक ढंगसे पैदा की जाती थी अनेक अवसरोंपर महाविद्यालयकी लड़कियोंने अपने भोजनादिमें कमी करके चंदा किया। गाँधीजीके दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहके लिए उन्होंने इसी प्रकार १५०) प्रदान किया। भारतमाताकी बन्धना, राष्ट्रीय ध्वजाके अभिवादन और राष्ट्रीय नेताओंके पुण्य-दिवसके आयोजन महाविद्यालय में नियमित रूपसे किए जाते थे। समाज-सुधार-परिपदों और कांग्रेसके अधिवेशनोमें भी लालाजी उनको ले जाया करते थे। गाँधीजीके आन्दोलन, आर्यमहाजके प्रचार और कन्या-शिक्षा के प्रसार में बड़ा की पट्टी हुई कन्याओं ने विशेष भाग लिया। ऐसी आदर्श सस्या के सस्थापक लाला देवराज जी का जन्म ३ चैत्र १९१७ वि० तदनुसार ३ मार्च १८६० को पञ्जावके सुप्रसिद्ध शहर जालन्धरमें उन मोधी परिवार में हुआ, जिसको उनके भाई नुप्रसिद्ध वैरिस्टर लाला भक्तराम और नुप्रसिद्ध देश-भक्त लाला हसरामजीको जन्म देनेका सौभाग्य प्राप्त है। उनके पूर्वज अपने पराक्रमसे जालन्धरमें आकर बसे थे। मुस्लिम गानकोंके साथ नघर्पमें लगे रहनेके कारण उनको अनेक वर्ष खानाबदोश लोगोंकी तरह बिताने पड़े थे। परन्तु जब वे जानन्धर

में जम गए तब उन्होंने शहरके एक बड़े हिस्सेपर अपना अधिकार जमा लिया था । शहर के बाहरका कोट तथा उसके आसपासका बहुत सा हिस्सा आज भी उनके परिवारके लोगोंके हाथमें है । माता काहन देवीने बचपनमें उनका लालन-पालन बड़े चावसे किया, । बचपनमें वे प्रायः बीमार रहते थे और रंग भी उनका दूसरे भाइयोंकी अपेक्षा गहरा था । इसलिए सब लोग उनको साँवले शाह कहा करते थे । पिताका नाम सालिगराम था । शहरके बड़े रईसोंमें उनकी गिनती की जाती थी । लेन-देन व साहूकारी बश परम्परागत धंधा था । कुछ समय उन्होंने सरकारी नौकरी भी की थी परन्तु नौकरीकी अपेक्षा स्वतंत्र धंधे और जीवनकी सादगी, सरलता, पवित्रता तथा सात्विकता पर वे बहुत जोर देते थे । सनातन धर्ममें उनकी गहरी निष्ठा थी । यह सब संस्कार देवराजजीमें खूब फले और फूले । उनको तीन भाई, बालकराम, भक्तराम व हंसराज और एक बहन शिवदेवी थी । आयुकी दृष्टिसे वे दूसरे थे । शिवदेवीका विवाह आर्यसमाजके सुप्रसिद्ध नेता लाला मुशीराम (अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द) के साथ हुआ था ।

वे बचपन और कुमार अवस्थामें बहुत चंचल और खिलाड़ी वृत्तिके थे । उन्होंने अपनी डायरीमें उन दिनोंके सम्बन्धमें लिखा है कि "मैं बड़ा खिलाड़ी था । मेरे जमानेमें क्रिकेट आदिका रिवाज न था । हम गुल्ली डंडा, कोडला जमालशाही, दौड़ लगाना, कुश्तियाँ और तैरना आदि खूब चावके साथ खेला करते थे, कोटके लड़कोंने एक फौज बना रखी थी । मैं उसका सेनापति था । हमने लकड़ीकी तलवारें और बाँसकी कमानें बनाई हुई थी । हमारी फौजका एक झण्डा भी था । फौजमें करीब २० लड़के थे । विगुल बजाते ही सब धावा बोलनेको तैयार हो जाते थे, । लोड़ीके दिनो में तो धावा बोलकर कोटके पासके पेड़ भी काट लिया करते थे । ऐसा ही हुड़दंग होली पर भी मचाया करते थे ।"

युवावस्थासे ही उनके विचार बड़े उदार और स्वतंत्र थे । इसलिए उनके साथी उनको मिस्टर लिबर्टी अथवा सत्यप्रकाश के नामसे पुकारा करते थे । उनकी शिक्षा जालन्धर और होशियारपुरमें हुई । अपने उदार और स्वतंत्र विचारोंके कारण उनमें कुछ स्वच्छन्दता भी पैदा हो गई थी । उन्होंने स्वयं लिखा है कि "कुसंगतिमें पड़कर, छात्रावस्थामें, मेरा कुछ समय ऐसा खराब हो गया था कि उसकी याद मुझे बहुत दुःख देती है । उन दिनों मैं बोर्डिंग हाउसमें रहा करता था । मुझे कुछ अरसेसे शराब पीनेकी आदत पड़ गई थी । यह अरसा मेरे जीवनका "डार्क पीरियड" था । यह "डार्क पीरियड" अधिक दिन नहीं रहा । छोटी से छोटी घटनाको भी वे बहुत बारीकी से देखा करते थे और उन घटनाओंके प्रकाशमें मुमुक्षु दृष्टिसे सदा ही आत्म-निरीक्षण करते रहते थे । आप बीती घटनाओंकी गहराईमें जाकर उनका कारण ढूँढ़ने और उनकी पुनरावृत्ति न होनेके लिए वे सदा ही जागरूक रहते थे । इस वृत्तिके कारण वे तुरन्त संभल गए और जीवनके, उत्कर्षका जो मार्ग एक बार पकड़ा उसपर निरन्तर अग्रसर होते गए ।" "कर्म फल" और ईश्वरमें उनकी दृढ़ आस्था थी इस लिए जरा सा पैर फिसलते ही वे एकाएक सावधान हो जाते थे । मातासे प्राप्त हुए संस्कारोंके संबंधमें

उन्होंने स्वयं लिखा है कि "मैं एक हिन्दू परिवारमें पैदा हुआ हूँ । अन्य हिन्दुओंकी भाँति मेरा भी ईश्वर-प्रार्थना पर कुछ न कुछ विश्वास था । मैं मूर्तिपूजा किया करता था व्रत भी रखा करता था । बहुत छोटी आयुमें भूत-चुड़ैलोंको भी मानता था, मगर था निडर, पन्द्रह वर्षकी आयु तक मैंने गोश्त नहीं खाया । मेरे पिता और दादा गोश्त खाया करते थे । लेकिन घरके चौकमें कभी गोश्त नहीं आया । माताजीने मुझे कई गीत सिखाये थे । मैं उनका पाठ बड़े प्रेमसे किया करता था ।" स्वदेशी और देश-भक्तिकी भावना भी उनमें विद्यार्थी अवस्थामें ही पैदा हो गई थी । २३ वर्षकी आयुमें सन् १८८३में स्वदेशीका जो व्रत लिया, उसको जीवन भर निभाया । महाविद्यालयकी कन्याओंमें भी स्वदेशी और देशभक्तिकी जो भावना पैदा की उसकी चर्चा यथास्थान की जा चुकी है । अन्य स्थानीय विद्यालयों और आर्य समाजमें भी अपने भाषणोंमें वे स्वदेशी और देशभक्ति पर पूरा जोर दिया करते थे ।

लालाजी स्वभावतः समाज-सुधारक थे । जात-विरादरीमें फैली हुई कुरीतियोंको हटाने, महिलाओंके प्रति पैदा हुए धार्मिक पक्षपात एवं सामाजिक अन्यायको दूर करने और यथासंभव अपने व्यक्तिगत जीवन एवं अपने घरमें प्रत्येक सुधारको लागू करने पर सदा ही विशेष ध्यान दिया करते थे । उन्होंने अपनी माताजी और धर्मपत्नीको स्वयं शिक्षित किया और इसी प्रकार कन्याओं तथा महिलाओंकी शिक्षाका सूत्रपात किया, साधारण हिन्दू घरों तथा परिवारोंकी तरह उनका विवाह भी दस-न्यारह वर्षकी आयुमें हो गया था, परन्तु अपने प्रयत्नोंसे उन्होंने अपने गृहको आदर्श बना लिया । धर्मपत्नीका मायकेका नाम "सुन्दरी" और ससुरालका नाम "टहल देवी" था । वे अपने पतिके हर काममें, यहाँ तक कि कन्या महाविद्यालयके काममें भी पूरा हाथ बँटाया करती थी । स्थानीय स्त्री-आर्य-समाजके काममें भी वे बहुत रुचि लेती थी । कन्या महाविद्यालयमें आश्रमकी स्थापनाका सूत्रपात घरसे ही किया गया था, आर्य समाजके प्रवेश करनेके बाद अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवारको भी पक्का आर्यसमाजी बनानेमें आपने कुछ भी उठा न रखा । "सत्य प्रकाश" नाम पूरी तरह सार्थक हो गया और समाज-सुधारकी भावनाएँ भी पूरी तरह विकसित हो गईं । पढ़ने-लिखनेका लालाजीको बहुत शौक था । बचपनमें ही तुकवन्दी शुरू करदी थी । छोटी-छोटी कहानियाँ और छोटे-छोटे नाटक भी लिखने शुरू कर दिए थे । १८८० में २० वर्षकी आयु में डायरी लिखने का नियम बनाया और उसको जीवनके अन्तिम दिन तक निभाया । इन डायरीमें जीवनके उतार-चढ़ावका इतना सुन्दर चित्र अंकित किया गया है कि वह दूसरोंके लिए दीपकका काम दे सकता है । स्वाध्यायकी प्रवृत्ति भी कुछ स्वाभाविक थी । चरित्र-निर्माणकी ओर जब ध्यान गया, तो उसके बाद कदाचित् ही कोई भूल की होगी । नमा-चार पत्रोंमें लिखनेकी जो रुचि पैदा हुई उससे शीघ्र ही सफल पत्रकार बन गए । प्रारम्भ में लालाजी "किसरी" के सम्पादक हुए । लाला मुगीरामजीके साथ मिलकर "मदभं प्रचारक" निकाला गया । उसका भी काफी समय तक सम्पादन किया, फिर "महायक" नामसे एक पत्र शुरू किया । "पाञ्चाल पडिता", "भारती" और "जनविद् मत्ता" नामसे मासिक पत्रिकाएँ भी निकाली गईं । लालाजीके साहित्यिक रूपकी चर्चा

पीछे की जा चुकी है। उनको निस्सदेह एक सफल और प्रगतिशील लेखक व पत्रकार कहा जा सकता है। वे वक्ता भी अच्छे प्रभावशाली थे।

समाज-सुधारकोको जिस धर्म-संकटका प्राय सामना करना पड़ता है उससे लालाजी भी बच नहीं सके। १८७६ के फरवरी मासमें धर्मसंकटके ही कारण घरका परित्याग कर वे रगून जानेको निकल पड़े। डायमन्ड हारवरसे जहाजसे उतारकर उनको घर वापस लाया गया। घर तथा जात-विरादरीका विरोध तो इस धर्म-संकटसे दूर हो गया, किन्तु इससे भी बड़ा धर्मसंकट उस विरोधसे पैदा हुआ जो आर्य समाज की ओरसे किया गया गया। उनपर यह आक्षेप किया गया कि वे महाविद्यालयके सर्वेसर्वा बन जाना चाहते हैं। इस विरोधका सामना भी उन्होंने बड़े धैर्य, साहस और आत्म-विश्वासके साथ किया। उन्होंने स्वयं लिखा है कि "यह मेरा कसूर नहीं, मेरा मन स्त्री-समाजके अर्पण हो चुका है। इसलिए अधिक काम मुझे अपने हाथसे करना पड़ता है। मैं यह काम मुक्तिका साधन समझकर करता हूँ। प्रबन्ध-कर्तृ-सभा द्वारा यह तय हुआ कि मेरी जगह महाविद्यालयके प्रबन्धकर्ताका काम लाला रामकृष्ण जी और आश्रमका मास्टर सन्तरामजी करें। जिस समय यह विचार हो रहा था, मैं पागल की तरह महाविद्यालयकी दीवारोकी तरफ देख रहा था। मेरे होश-ह्वाश गायब थे। मेरे मनमें यही विचार उठ रहे थे कि हाय ? क्या मैं विद्यालयसे अलग हो रहा हूँ ! विद्यालयका क्या हाल होगा ? कन्याओकी देखभाल कौन करेगा ? निस्सदेह लाला रामकृष्ण और लाला मुशीराम मुझसे अधिक योग्य हैं, लेकिन मैंने तो इस कामको अपनी जिन्दगीका मकसद बनाया हुआ है। मैं तो कन्याओका माता-पिता बना हुआ हूँ। सवके घरोंमें चला जाता हूँ। इन साह्वानसे ऐसा न हो सकेगा। इतना समय भी इनके पास कहाँ है ? महाविद्यालयका जरूर नुकसान होगा। लगा हुआ पौदा मुर्दा हो जायगा। हाय ! यह क्या हो रहा है ? मुझे अपनी कन्याओसे अलग किया जा रहा है। ईश्वर इच्छा। सारी रात नीद नहीं आई। मैं रोता रहा। सोचता था कि शायद ये साह्वान मेरे कामको नहीं समझे। ये कन्याओके प्रति मेरे मातहत को नहीं जानते। कन्याओ ! मैं जब तक जीऊँगा, तुम्हारी ही सेवा करूँगा।" गृह कलहके कारण जिस धर्म-संकटका सामना लालाजी को करना पडा, उसका परिचय इन पंक्तियोसे मिल जाता है। इसमें भी वे पूरी तरह सफल हुए और महाविद्यालयका सारा कार्य उनको ही सौंप दिया गया। सच तो यह है कि वे उसके कार्यको मुक्तिके लिए की जानेवाली साधनाके रूपमें करते थे और जीवनकी अंतिम घड़ी तक वे उसीमें लगे रहे।

लालाजीके महान व्यक्तित्वके सम्बन्धमें एक वाक्यमें यही कहा जा सकता है कि वे मातृ-जातिके लिए एक चलती-फिरती संस्था थे। पंजावके ही नहीं, परन्तु समस्त देशके मातृ जातिके कल्याण व उद्धार और समाज सुधारके लिये किए गए उनके महान कार्यका उल्लेख अत्यन्त गर्व एव गौरवके साथ किया जा सकता है। लाहौरमें १९०६ में कांग्रेसके साथ हुए समाज सुधार सम्मेलनका उनको अव्यक्त चुना गया था। उन दिनों की भावनाके अनुसार उनको भी घरवालोंके आग्रहके कारण जेलदारी और अँगरेजी मजिस्ट्रेटी करनी पड़ी, किन्तु वे तो अपना मिशन मातृ-जातिकी सेवा बना चुके थे। उसमें

एकान्त साधककी तरह निमग्न होनेसे उन्होंने उनको जल्दी ही तिलाजलि देदी । वित्तेष्णा, लोकेष्णा और बहुत कुछ पुत्रेष्णाको भी उन्होंने उसीके कारण त्याग दिया था । ऐसे कर्मशील महान जीवनका अन्त १७ अप्रैल १९३५की अर्धरात्रिमें हृदयकी गति रुक जाने से एकाएक हो गया । उनका महाविद्यालय उनके स्मारकके रूपमें दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है । महापुरुषोंके वास्तविक स्मारक उनके कार्योका चहुँमुखी विकास ही है ।

—०.—

श्री ज्योतिबा गोविन्द फुले

महाराष्ट्रमें समतावादकी स्थापना करनेवाले इस प्रथम समाजसुधारकका जन्म पूनामें १८२७ में हुआ था। जातिके यह माली थे। १ वर्षकी आयुमें ही इनकी माता का देहान्त हो गया। अतः पालन-पोषणका भार इनके पिताको ही सभालना पड़ा।

सात वर्षकी आयुमें इन्होंने स्कूल जाना प्रारम्भ कर दिया। स्कूलके वाद वागका काम भी करते रहते थे। वादमें इनके पिताने इन्हें एक अंग्रेजी स्कूलमें दाखिल करा दिया। जहाँ इनकी पाँच वर्ष तक और पढाई हुई। महाराष्ट्रके प्रसिद्ध वंडखोर वासुदेव वलवन्त फडकेके माँग जातिके गुरु लहूजी वुवाके पास रहकर इन्होंने लाठी-गतका व पटेवाजीका अभ्यास किया। इन्ही दिनों इनपर ईसाई-धर्म-प्रचारकोकी कार्यपद्धति तथा समाजसेवा की भावनाका प्रभाव पडा और इन्होंने भी उनका अनुकरण कर समाज को शिक्षित बनाने व ऊँच-नीचका भेद मिटाकर समता स्थापित करनेका अपना कार्य जोरशोरसे शुरू कर दिया।

लड़कियोंकी शिक्षा

सर्वप्रथम १८४१ में इन्होंने कुछ ब्राह्मण मित्रोकी सहायतासे पूनेमें एक लड़कियोका स्कूल खोला। इस कार्यमें इन्हें समाजका तथा समाजका विरोध करनेसे डरने वाले अधिकारियोका तीव्र विरोध सहन करना पडा। इनकी पत्नी सावित्री वार्डेने समाजके मानापमानकी चिन्ता किये बिना तथा पुरानी परम्पराका परित्याग कर इस कार्यमें पूरा योग दिया। शीघ्र ही इस स्कूलकी १८४३ में दो शाखाएँ और खुल गई। संस्थाके दूसरे वर्षके वार्षिक समारोहमें ३००० लोग उपस्थित थे। इस नवीन और अभिनन्दीय कार्यके लिए इनका सार्वजनिक रूपसे स्वागत किया गया तथा सरकारकी ओरसे २०० रु० मूल्यका शाल भेंट किया गया।

अस्पृश्योके लिए स्कूल

लड़कियोकी शिक्षाका प्रवन्ध करनेके वाद इन्होंने १८४२ में अपने व्ययसे अस्पृश्यो के लिए भी पूनामें ही दो स्कूल चलाए महार माँग आदिको शिक्षा देनेके लिए इन्होंने १८४३ में एक समिति बनाई। स्कूलके लिए जगहकी तंगी होनेपर २० व० गोवडे ने अपनी जगह स्कूलके लिए देदी। १८४८ में इस स्कूलमें २५८ लड़के हो गए और तीन शाखाएँ खुल गई। लड़कोको पानी पिलानके लिए इन्होंने एक टंकी बनवाई। तथा अपने घरकी टंकियाँ भी इनके लिए खुलवा दी।

ब्राह्मणादि उच्च वर्णोंमें विधवा स्त्रियोके कष्टोको देखकर इन्होंने विधवा-विवाह का प्रचार किया। तथा इस प्रकारका एक विवाह १८६४ में सम्पन्न भी कराया। इसी प्रकार पथभ्रष्ट होनपर गर्भपात करानेकी स्थिति न आए इसके लिए इन्होंने अपने घरके पास ही १८६४ में वाल-हत्या-प्रतिबन्धक गृहकी स्थापना की। यहाँपर गुप्त रूपसे प्रसूतिकी व्यवस्था की गई थी। पढरपुरका सुप्रसिद्ध "वाल-हत्या-प्रतिबन्धक गृह" भी इन्हीकी प्रेरणाका परिणाम था।

इस प्रकार समाजके विरोधका मुकाबला करते हुए इनका समाज-सेवाका कार्य जारी रहा। इस कार्यको ठोस आधारपर खडा करनेके लिए इन्होंने २४ सितम्बर १८७३ में "सत्य-शोधक-समाज" की स्थापना की। ब्राह्मणादिकोकी दासतासे तथा उनके कृत्रिम व कर्मकाण्डी ग्रथोसे समाजको मुक्त करनेके लिए ही इस समाजकी स्थापना की गई। परमेश्वरकी प्राप्तिके लिए किसी मध्यस्थकी आवश्यकता नहीं है—यह इस सस्था का ध्येय वाक्य था। इस समाजमें प्रति रविवारको प्रार्थना व १५ दिनमें १ वार व्याख्यान होते थे। पुरोहितके बिना ही विवाह करने व मराठीमें ही मगलाष्टक बोलनेका उपदेश दिया जाता था। इस समाजकी अन्य भी शाखाएँ खुल गई तथा सदस्य संख्या ३०० से भी अधिक हो गई। १८८५ में इस समाजका एक जुलूस निकला। इसमें भाग लेनेवालोमें न्यायमूर्ति श्री रानडे भी थे।

कोल्हापुर-प्रकरणमें श्री तिलक और श्री आगरकरपर मान हानिका मुकदमा चला था। उस समय श्री फुलेने ही उन्हें अपने यहाँ छिपाकर रखा, उनकी जमानतकी व्यवस्था की तथा जब वे जेलसे छूटकर आए तब बम्बईमें उनका सार्वजनिक स्वागत किया।

अनिवार्य शिक्षाके बिना समाजकी स्थितिमें सुधार संभव नहीं है—यह इनका दृढ मत था। तथा इन्होंने इस बातका प्रचार भी किया। हण्टर कमेटीके सामने दिए गए अपने वयानमें भी इन्होंने इसी बातपर बल दिया। रायगढमें स्थित शिवाजीकी समाधिके जीर्णोद्धारका प्रश्न भी इन्होंने ही उठाया और उसे सुधारनेके लिए प्रयत्न किया। जिस समय ड्यूक आफ यार्क पूना आए उस समय भारतके किमानोकी वास्तविक स्थिति दिखानेके लिए वे गरीब किसानोकी घोगडी व पचाकी पोपाक पहिनकर ही उनसे मिलने गए।

समाजगास्त्रियोने निरन्तर अभ्यास करके जो सिद्धान्त हँट निकाले, उनका इन्होंने आत्मप्रेरणासे प्रतिपादन किया। अन्य सुधारकोकी तरह इन्होंने केवल सुधारके लिए उपदेश या मार्ग-प्रदर्शन करके ही अपनी कार्यपूर्ति नहीं समझी अपितु उसके लिए नक्षिय कार्य किया। समाजकी रचनाको मूलसे बदलनेके लिए उन नमाजके आधार ब्राह्मणों तथा वेद-पुराणोपर ही इन्होंने तीव्र आक्रमण किया। इन्होंने उन कार्यके लिए बड़ी सरल और मनमें बैठनेवाली भाषाका प्रयोग किया। इन गण्डन-मण्डनके कार्यमें आनेवाली विपत्तियोको इन्होंने महर्ष झेला। इन्होंने प्रचारका नया ही प्रकार स्वीकार किया। यदि यह कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि इन्होंने प्राय नभी नमाज-सुधारके कार्योंका श्रीगणेश किया और उनकी गणना हम महाराष्ट्रके प्रथम नमाज सुधारकोमें कर सकते हैं। उनका देहावास हो १८९० में गया।

विधवाओंके बन्धु सर गंगाराम

“मृत्युने सर गंगारामको क्या उठाया, हमारे बीचसे एक सुयोग्य और व्यवहारदक्ष, खेती-गास्त्रके जानकारको, एक महान दाता और विधवाओंके बंधुको उठा लिया। सर गंगाराम यो तो वयोवृद्ध थे, किन्तु उनमें उत्साह युवकोका सा था। उनकी आगा-वादिता भी उतनी ही प्रबल थी, जितना कि उनका अपने विचारोंसे आग्रह। इधर मुझे उनसे निकट सम्बन्ध प्राप्त करनेका सुअवसर मिला था और यद्यपि हम अनेक बातों में एक-दूसरेसे भिन्न मत रखते थे, तथापि मैंने देखा कि वे एक सच्चे सुधारक और लगन के महान कार्यकर्त्ता थे।

भारतको हर तरहसे इस बातका अभिमान है कि सर गंगारामके समान पुरुष उसके विख्यात सपूतोंमें से एक हैं। उनकी अकस्मात् मृत्युकी बात सुनकर मुझे कितना दुःख हुआ होगा—यह पाठक अनुमान कर सकते हैं।”

आजसे लगभग ३० वर्ष पूर्व हिन्दी नवजीवनमें २१ जुलाई १९२७ को लिखे महात्मा गांधीजीके यह शब्द उस महापुरुषका सच्चा चित्र उपस्थित करते हैं, जो देशके ठोस और मौन कार्यकर्त्ता थे तथा बाह्य प्रदर्शन, जलूस, सार्वजनिक सत्कार, मानपत्र, फूलोंके हार, पुष्प-वर्षा इत्यादिसे सर्वथा दूर रहनेवाले थे। सर गंगारामका सारा जीवन सरकारी नौकरी-और ब्रिटिश सरकारके साथ सहयोग करनेमें ही बीता। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उनमें देशभक्तकी भावना किसी से कम थी। देशकी सेवा केवल राजनीति द्वारा ही नहीं हो सकती है। बहुधा त्वरित यशप्राप्तिके लिए राजनीतिक क्षेत्र सर्वोत्तम होता है। सर गंगाराम भी सरकारी सेवासे निवृत्त हो तत्कालीन राजनीतिक क्षेत्रमें चमक सकते थे। देशकी उस समयकी अवस्थाके अनुसार यह शायद, सहज होता।

पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप जानते थे कि विदेशियोंको गाली देकर देशभक्त बनना आसान है, किन्तु अपने घरके फोड़ोंकी चीर-फाड़ करना दुष्कर है। इसमें यश मिलना तो दूर रहा, घरवालोंसे ही निन्दा और भर्त्सना सुननी पड़ती है। सर गंगाराम का यह दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक सुधारके बिना राजनीतिक उन्नति और स्वतंत्रता लँगड़ी है। इसलिए उन्होंने सामाजिक सेवाको अपना क्षेत्र चुना और इसमें भी उस समस्याको हाथमें लिया, जो सबसे अधिक नाजुक है, अर्थात् विधवाओंका प्रश्न। उस समय वाचाल समाज-सुधारकोकी कमी नहीं थी, पर ऐसे साहसी बहुत कम थे, जिन्होंने विधवाओंके प्रश्नको हाथमें लिया हो। इस समस्याका सम्बन्ध, प्रधानतः हिन्दू समाजके साथ

है। यही ऐसा समाज है, जिसमें ६ माससे लेकर ९० वर्ष तककी विधवाएँ हैं और जिनकी संख्या उस समय लगभग दो करोड़ थी। इन विभिन्न आयुकी विधवाओंकी समस्याका हल एक साथ नहीं हो सकता। बाल विधवाओंकी समस्याका यदि एक हल है, तो दीर्घायुकी विधवाओंकी समस्याका हल दूसरा है।

सौ हाथ से कमा, हजार हाथ से दे

सर गंगाराम बड़े दूरदर्शी, कालज और स्थिति परीक्षक थे। इसके साथ, वह नमृद और साधनसम्पन्न भी थे। जहाँ एक ओर उनका कोमल हृदय विधवाओंके कल्याण क्रन्दनसे द्रवित होता था, वहाँ साथ ही उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारतकी दरिद्रता की अमोघ औषधि उद्योग और कृषिके विक्राममें है। सर गंगाराम पहले पंजाब सरकारके चीफ एग्जेक्यूटिव इंजीनियर थे, वहाँसे निवृत्त होकर पटियाला रियासतमें चीफ एग्जेक्यूटिव इंजीनियर नियुक्त हो गए। वहाँसे विमुक्त होकर आपने जिला मिंटगुमरीके रेनालाखुर्द गाँवके पास पंजाब-सरकारसे कई सौ बीघे जमीन ठेकेपर लेली जिसे बजर घोषित कर दिया गया था। सर गंगाराम पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने आजसे ३५ वर्ष पूर्व वैज्ञानिक ढंगसे खेतीके परीक्षण किए, कृषि साधनोंमें यंत्रोंका प्रयोग किया और उनमें नफलता प्राप्तकी। उन दिनों पंजावकी मडियोंमें "गंगाराम फार्म" के गेहूँ, कपास, चना, तोरिया इत्यादि आदर्श समझे जाते थे और मँहगे विक्रते थे। गंगारामने अपने पुह्यार्थ और बाहुबलसे कृषिसे खूब धन कमाया और उसका प्रयोग विधवाओंके कष्ट निवारणकी दिशामें किया।

अपने समयके अनोखे इस समाज-मुधारकने विधवाओंको चार श्रेणियोंमें बाँटा।

(१) बाल विधवाएँ अथवा ऐसी युवती विधवाएँ जिन्हें पुनर्विवाहके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

(२) ऐसी युवती विधवाएँ, जो किसी कारणसे पुनर्विवाह नहीं करना चाहती परन्तु शिक्षा प्राप्त करके अपना निर्वाह करना चाहती हैं।

(३) मध्यम आयुकी विधवाएँ जो किसी प्रकार दस्तकारी आदिसे अपना और अपनी सन्तानोंका पालन करना चाहती हैं।

(४) निराश्रिता विधवाएँ, जिनके पालन-पोषणका कोई प्रबन्ध नहीं है अथवा अत्यन्त वृद्ध होनेसे अभाव ग्रस्त हैं और उन्हें कोई पूछनेवाला नहीं है।

सर गंगारामने अपनी विशाल सम्पत्तिमेंसे लगभग १ करोड़ २० का ट्रस्ट "सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी" के नामसे स्थापित किया। यह ट्रस्ट एक दिनमें ही कायम हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। इनकी भी एक दिलचस्प कहानी है और प्रभुकी वृषामे शुभ कार्य करने वालोंकी कित्त प्रकार श्री वृद्धि होती है, इनका एक मुन्दर उदाहरण है।

विधवा-विवाह का कार्य

सर गंगाराम जिन समय १९१३ में पटियाला रियासतने कार्यमुक्त हुए उनमें पहने ही आर्यममाजके साथ सम्बन्ध होनेके कारण, आपके हृदयमें हिन्दू विधवाओंका कष्ट निवारण करनेकी प्रबल भावना थी। १९१४ में आपने लाहौरमें अपनी कोठीके एक कमरेमें आशिक समयके लिए काम करनेवाले एक सज्जनके माय "विधवा-विवाह-सहायक सभा" कायम की। उनी वर्ष आपको जिला मिंटगुमरीके रेनालाखुर्द गाँवके पा

सरकारकी ओर कई मुरब्बे जमीन ठेकेपर खेतोके लिए मिली । इधर, विधवाविवाह का काम ज्यो-ज्यो बढ़ता गया त्यो-त्यो आपको इन मुरब्बोसे अधिक आमदनी होने लगी । आपने और भी जमीन ले ली और लाहौरमें कई अच्छी इमारतें खरीद ली । यह सब अचल सम्पत्ति और कई लाख रु० नकद देकर आपने “विधवा-विवाह-सहायक-सभा” सहित “सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी” स्थापित की । “मार्डन रिव्यू” कलकत्ताके सम्पादक श्री रामानन्द चैटर्जीने सर गंगारामकी मृत्युपर उन्हें श्रद्धाजलि भेंट करते हुए कहा था कि इस सामय भारतमें इसके सदृश सुव्यवस्थित, नियमित और सदुद्देश्य युक्त ट्रस्ट बहुत कम है । १९२६ में स्थिति यह थी कि जहाँ यह ट्रस्ट लगभग १ करोडकी सम्पत्ति— (चल-अचल)—का मालिक था वहाँ विधवा-विवाह-सहायक-सभाका कार्य सारे भारतमें फैल गया था । इसके कार्यालयमें दर्जनसे अधिक व्यक्ति काम करते थे, लगभग २५ उपदेगक और प्रचारक थे, १० विधवा-आश्रम थे और लगभग सभी प्रान्तोके मुख्य नगरो व राज-धानियोमें उप-कार्यालय थे तथा अवैतनिक कार्यकर्ताओ सहित लगभग ६०० विधवा-विवाह-सहायक-सभाएँ सारे देशमें थी । हिन्दीमें “विधवा बन्धु” और अंग्रेजीमें “विडोज कौज” दो मासिक पत्र निकलते थे । इसके अतिरिक्त लाखोकी सख्यामें प्रति वर्ष हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजीके अतिरिक्त प्रांतीय भाषाओमें पैम्फलेट और पुस्तिकाएँ मुफ्त बाँटी जाती थी । प्रारम्भमें विधवा-विवाहका बडा विरोध होता था । सर गंगाराम रुण होते हुए भी, लाहौरमें, प्रत्येक विधवा-विवाहमें उपस्थित होते थे । वादमें उनका आदेश था कि प्रत्येक विधवा-विवाहमें देवीको एक साड़ी और कुछ रुपया उनकी ओरसे भेंट दिया जाए । जब विधवा-विवाहका अधिक प्रचार हो गया तब इस की आवश्यकता नही समझी गई ।

अन्य प्रकार की विधवाओ के लिए

दूसरी प्रकारकी विधवाएँ जो पुनर्विवाह न करके शिक्षा प्राप्त कर अपनी जीविका चलाना चाहती थी, उनके लिए आपने लाहौरमें एक “विडोज होम” स्थापित किया, जिसमें एस० ए० बी० और जे० ए० बी० की ट्रेनिंग दी जाती थी । सर गंगारामने इस संस्थाका सारा प्रबन्ध, वादमें सरकारको दे दिया था । इस संस्थाकी इमारत आपने खरीदकर सरकारको दे दी इससे प्रत्येक विधवाको छात्रवृत्ति दी जाती थी ।

तीसरी प्रकारकी विधवाओके लिए आपने लाहौरके बच्छोवाली मुहल्लेमें एक “इंडस्ट्रियल स्कूल” खोला जहाँ अपने पाससे मशीने इत्यादि देकर सिलाई, कटाई आदि सिखाई जाती थी तथा वहाँ जो सामान तैयार होता था, उसे बेचनेके लिए आपने एक दूकान खोल रखी थी ।

चौथी प्रकारकी विधवाओके लिए जहाँ एक ओर मासिक सहायताका प्रबन्ध था, वहाँ दूसरी ओर लाहौरमें छोटी रावीके पास एक “अपाहज आश्रम” खोला गया था जिसमें एक ओर निराश्रित और अभावग्रस्त पुरुषोका और दूसरी ओर विधवाओका प्रबन्ध था । यहाँ भोजन वस्त्र, औषधि, दूध, फल सब मुफ्त मिलता था । खाली समयमें चर्खा, निवार इत्यादि कातने-बुननेकी व्यवस्था थी । इस आश्रमके साथ विशाल बाग, बिजलीसे पानी खींचनेवाला स्नानानागार, तालाब इत्यादि सब सुख-सुविधाएँ थी और एक प्रार्थना-स्थान था, जहाँ प्रति दिन प्रातः सायं कथा-सत्संग आदि होता था ।

जन्म, शिक्षा और वसीयत

सर गंगारामका जन्म १३ अप्रैल १८५१ ई० वैशाखीके दिन जिला शेखपुराके माँगटावाला गुरुद्वारेमें हुआ था। आपके पिता अमृतसरमें थाना-मुंशी थे। मैट्रिक पास करनेके बाद आपने रुडकीसे इंजीनियरी पास की। पहले आप लाहौरमें ही नियुक्त हुए।

आपने जो ट्रस्ट कायम किया था, उसमें सारा धन आपका ही था। जनतासे किनी भी रूपमें एक पैसा भी नहीं माँगा गया। विधवा-विवाह-सहायक-सभाके अतिरिक्त इस ट्रस्टके आधीन निम्नलिखित सस्थाएँ थी।

(१) सर गंगा राम फ्री अस्पताल, बच्छोवाली, लाहौर

(२) लाइब्रेरी और हिन्दू-छात्र-सहायक-समिति (इस लाइब्रेरीमें केवल वैज्ञानिक और टेकनिकल पुस्तकें थी और इसीकी पढाईके लिए हिन्दू छात्रोको सहायता व कर्ज दिया जाता था।)

(३) सर गंगाराम गर्ल्स स्कूल—सर गंगारामके पुत्रोंने आपकी मृत्युके बाद डम् स्कूलको कालेज बना दिया और साथ ही लडकियोके लिये ट्रेनिंगकी कक्षाएँ खोल दी।

(४) टेली कालेज आफ कामर्स (आन्तरिक प्रवच सरकार को दे दिया)

१९२१ में पंजाबमें “गुरुके वाग” का प्रश्न आया, जहाँ अकाली आदोलन चला था। अकालियोके सत्याग्रह से सरकार बड़ी परेशान थी क्योंकि गाँधीजी का वहिष्कार आदोलन भी जोरोपर था। सर गंगारामने अपनी उदारतासे दोनोकी महायता की। वह सारा वाग मोल लेकर अकालियोको दानकर दिया।

सन् १९२६ में भारत सरकारने लार्ड लिनलिययो—जो बादमें वायसराय हुए—की अध्यक्षतामें एक कृषि कमीशन नियुक्त किया था। सर गंगारामजी इसके सदस्य थे। पर आपने सदस्य होनेके नाते सरकारसे भत्ता, मार्ग व्यय तथा अन्य खर्च कुछ भी नहीं लिया और सारा व्यय अपने पाससे किया। इसी सम्बन्धमें आप अप्रैल १९२७ में इंग्लैण्ड गए थे। आपके स्वास्थ्यको देखते हुए आपके पुत्रो और सम्बन्धियोने आपको रोका पर आपने कहा—“मेरा निश्चय अटल है पर साथही मैं वापस नहीं आऊँगा। प्रस्थान करनेसे पूर्व आप अपनी वसीयत एक मोहरबन्द लिफाफेमें पंजाब नेशनल बकमें जमा कर गए थे और मरनेके बाद खोलनेका आदेशदे गए थे। १० जुलाई १९२७ को लदन में ७५ वर्षकी आयुमें आपकी मृत्यु हृदयगति रुक जानेसे हुई। आपके स्वर्गवानके पश्चात् जब वसीयत खोली गई, तब उसके ट्रस्ट सोसाइटीको १० लाखकी अतिरिक्त राशि देनेके साथ-साथ अपने निकट व दूरके सम्बन्धियो और घरके चापलूमियो तथा खानसामो तक के लिए आजीवन पेंशन इत्यादि की व्यवस्था कर गए थे।

दानी पिता के दानी पुत्र

सर गंगारामके तीन पुत्र थे और वे भी अपने पिताके ममान दानी थे। प्रत्येक कुशल व्यवसायी और सम्पन्न था। सबसे बड़े राय बहादुर सेवरु राम थे। उन्होंने अपने नामसे एक अलग ट्रस्ट कायम किया। उनमें भी विधवा-अनाथोकी नहायना मिलती थी। दूसरे लाला बालकराम थे। इन्होंने लाहौरमें लगभग २० लाख रु० में “बालकराम मेडिकल कालेज” स्थापित किया था, जो सरकारने मजूर हो गया था।

सरकारकी ओरं कई मुरव्वे जमीन ठेकेपर खेतोके लिए मिली । इधर, विधवाविवाह का काम ज्यो-ज्यो बढ़ता गया त्यो-त्यो आपको इन मुरव्वोसे अधिक आमदनी होने लगी । आपने और भी जमीन ले ली और लाहौरमें कई अच्छी इमारतें खरीद ली । यह सब अचल सम्पत्ति और कई लाख रु० नकद देकर आपने “विधवा-विवाह-सहायक-सभा” सहित “सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी” स्थापित की । “माडर्न रिव्यू” कलकत्ताके सम्पादक श्री रामानन्द चैटर्जीने सर गंगारामकी मृत्युपर उन्हें श्रद्धाजलि भेंट करते हुए कहा था कि इस सामय भारतमें इसके सदृश सुव्यवस्थित, नियमित और सदुद्देश्य युक्त ट्रस्ट बहुत कम हैं । १९२६ में स्थिति यह थी कि जहाँ यह ट्रस्ट लगभग १ करोड़की सम्पत्ति— (चल-अचल)—का मालिक था वहाँ विधवा-विवाह-सहायक-सभाका कार्य सारे भारतमें फैल गया था । इसके कार्यालयमें दर्जनसे अधिक व्यक्ति काम करते थे, लगभग २५ उपदेशक और प्रचारक थे, १० विधवा-आश्रम थे और लगभग सभी प्रान्तोके मुख्य नगरो व राजधानियोमें उप-कार्यालय थे तथा अवैतनिक कार्यकर्ताओ सहित लगभग ६०० विधवा-विवाह-सहायक-सभाएँ सारे देशमें थी । हिन्दीमें “विधवा बन्धु” और अंग्रेजीमें “विडोज कौज” दो मासिक पत्र निकलते थे । इसके अतिरिक्त लाखोंकी सख्यामें प्रति वर्ष हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजीके अतिरिक्त प्रातीय भाषाओमें पैम्फलेट और पुस्तिकाएँ मुफ्त बाँटी जाती थी । प्रारम्भमें विधवा-विवाहका बड़ा विरोध होता था । सर गंगाराम रुग्ण होते हुए भी, लाहौरमें, प्रत्येक विधवा-विवाहमें उपस्थित होते थे । बादमें उनका आदेश था कि प्रत्येक विधवा-विवाहमें देवीको एक साड़ी और कुछ रुपया उनकी ओरसे भेंट दिया जाए । जब विधवा-विवाहका अधिक प्रचार हो गया तब इस की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

अन्य प्रकार की विधवाओं के लिए

दूसरी प्रकारकी विधवाएँ जो पुनर्विवाह न करके शिक्षा प्राप्त कर अपनी जीविका चलाना चाहती थी, उनके लिए आपने लाहौरमें एक “विडोज होम” स्थापित किया, जिसमें एस० ए० वी० और जे० ए० वी० की ट्रेनिंग दी जाती थी । सर गंगारामने इस संस्थाका सारा प्रबन्ध, बादमें सरकारको दे दिया था । इस संस्थाकी इमारत आपने खरीदकर सरकारको दे दी इससे प्रत्येक विधवाको छात्रवृत्ति दी जाती थी ।

तीसरी प्रकारकी विधवाओंके लिए आपने लाहौरके बच्छोवाली मुहल्लेमें एक “इडस्ट्रियल स्कूल” खोला जहाँ अपने पाससे मशीने इत्यादि देकर सिलाई, कटाई आदि सिखाई जाती थी तथा वहाँ जो सामान तैयार होता था, उसे बेचनेके लिए आपने एक दूकान खोल रखी थी ।

चौथी प्रकारकी विधवाओंके लिए जहाँ एक ओर मासिक सहायताका प्रबन्ध था, वहाँ दूसरी ओर लाहौरमें छोटी रावीके पास एक “अपाहज आश्रम” खोला गया था जिसमें एक ओर निराश्रित और अभावग्रस्त पुरुषोका और दूसरी ओर विधवाओंका प्रबन्ध था । यहाँ भोजन वस्त्र, औषधि, दूध, फल सब मुफ्त मिलता था । खाली समयमें चर्खा, निवार इत्यादि कातने-बुननेकी व्यवस्था थी । इस आश्रमके साथ विशाल वाग, विजलीसे पानी खीचनेवाला स्नानानागार, तालाब इत्यादि सब सुख-सुविधाएँ थी और एक प्रार्थना-स्थान था, जहाँ प्रति दिन प्रातः सायं कथा-सत्संग आदि होता था ।

जन्म, शिक्षा और वसीयत

सर गंगारामका जन्म १३ अप्रैल १८५१ ई० वैशाखीके दिन जिला शेखपुराके माँगटावाला गुरुद्वारेमें हुआ था। आपके पिता अमृतमरमे धाना-भुंजी थे। मैट्रिक पाम करनेके बाद आपने रुडकीसे इजीनियरी पास की। पहले आप लाहौरमें ही नियुक्त हुए।

आपने जो ट्रस्ट कायम किया था, उसमें सारा धन आपका ही था। जनतासे किमी भी रूपमें एक पैसा भी नहीं माँगा गया। विधवा-विवाह-सहायक-सभाके अतिरिक्त इस ट्रस्टके आधीन निम्नलिखित सस्थाएँ थी।

(१) सर गंगा राम फ्री अस्पताल, बच्छोवाली, लाहौर

(२) लाइब्रेरी और हिन्दू-छात्र-सहायक-समिति (इन लाइब्रेरीमें केवल वैज्ञानिक और टेकनिकल पुस्तकें थी और इसीकी पढाईके लिए हिन्दू छात्रोंको सहायता व कर्ज दिया जाता था।)

(३) सर गंगाराम गर्ल्स स्कूल—सर गंगारामके पुत्रोंने आपकी मृत्युके बाद इन स्कूलको कालेज बना दिया और साथ ही लडकियोंके लिये ट्रेनिंगकी कक्षाएँ खोल दी।

(४) टेली कालेज आफ कामर्स (आन्तरिक प्रबन्ध मरकार को दे दिया)

१९२१ में पंजावमें "गुरुके वाग" का प्रश्न आया, जहाँ अकाली आदोलन चला था। अकालियोंके सत्याग्रह से सरकार बड़ी परेगान थी क्योंकि गाँधीजी का वहिष्कार आदोलन भी जोरोपर था। सर गंगारामने अपनी उदारतासे दोनोंकी नहायता की। वह सारा वाग मोल लेकर अकालियोंको दानकर दिया।

सन् १९२६ में भारत सरकारने लार्ड लिनलियगो—जो वादमें वायमराय हुए—की अध्यक्षतामें एक कृषि कमीशन नियुक्त किया था। सर गंगारामजी इनके सदस्य थे। पर आपने सदस्य होनेके नाते सरकारने भत्ता, मार्ग व्यय तथा अन्य खर्च कुछ भी नहीं लिया और सारा व्यय अपने पाससे किया। इमी मम्बन्धमें आप अप्रैल १९२७ में इंग्लैण्ड गए थे। आपके स्वास्थ्यको देखते हुए आपके पुत्रों और मम्बन्धियोंने आपको रोका पर आपने कहा—“मिरा निश्चय अटल हूँ पर मायही मैं वापस नहीं आऊँगा। प्रस्थान करनेसे पूर्व आप अपनी वसीयत एक मोहरबन्द लिफाफेमें पंजाब नेशनल बँकमें जमा कर गए थे और मरनेके बाद खोलनेका आदेश दे दिए। १० जुलाई १९२७ को लदन में ७५ वर्षकी आयुमें आपकी मृत्यु हृदयगतिके म्क जानेसे हुई। आपके स्वर्गवानके पश्चात् जब वनीयत खोली गई, तब उसके ट्रस्ट मोनाइटीको १० लाखकी अतिरिक्त राशि देनेके साथ-साथ अपने निकट व दूरके मम्बन्धियों और धरके चापनूनियों तथा खानसामों तक के लिए आजीवन पेंशन इत्यादि की व्यवस्था कर गए थे।

दानी पिता के दानी पुत्र

सर गंगारामके तीन पुत्र थे और वे भी अपने पिताके ममान दानी थे। प्रत्येक कुशल व्यवनायी और मन्पन्न था। सबसे बड़े राय बहादुर मेवक राम थे। उन्होंने अपने नामसे एक अलग ट्रस्ट कायम किया। उनमें भी विधवा-अनायाँकी नहायता मिलती थी। दूसरे लाला बानकराम थे। इन्होंने लाहौरमें लगभग २० लाख रु० में "बालकराम मेडिकल कालेज" स्थापित किया था, जो सरकारने मंजूर हो गया था।

विधवाओं के बन्धु सर गंगाराम

तीसरे लडके लाला हरिराम थे । वह भी अपने दोनो भाइयोंके सार्वजनिक कार्योंमें पूरा साथ देते थे । इस समय इन तीनों पुत्रोंका देहान्त हो चुका है ।

गीतामें आदर्शदानीका लक्षण इस प्रकार किया गया है :—

दातव्यमिति यद् दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद् दानं सात्त्विकं स्मृतं ॥१७॥२०

कर्तव्यकी भावनासे और उपकार न करनेवालेके लिए भी तथा देश, काल और पात्र को देखकर जो दान दिया जाता है, वह सात्त्विक दान कहलाता है ।

सर गंगाराम इस प्रकार एक आदर्श दानी और सच्चे समाज-सुधारक थे । गाँधीजी के शब्दोंमें वह, वस्तुतः “विधवाओंके वधु” थे ।

—:०:—

कल्याण-मार्ग के पथिक स्वामी श्रद्धानन्द

“कल्याण-मार्गके पथिक” के नामसे स्वामी श्रद्धानन्दजीने अपनी आत्मकथाका कुछ अंश लिखा है। उसको वे पूरा नहीं कर सके उसमें आपने अपनेको जिस रूपमें उपस्थित किया है, वह आपके यथार्थ स्वरूपको प्रगट करता है। अन्य अनेक महापुरुषोंकी तरह आपने भी जब पतनकी ओरसे विमुख होकर आत्मोन्नतिकी ओर अपनेको लगाया, तब आप सदा उसी मार्गपर अग्रसर होते गए। वास्तवमें ही आपकी जीवन-गाथा कल्याण मार्गके पथिककी सफल यात्राकी स्फूर्तिदायक कहानी है। वह किसी भी विवेक अष्ट व्यक्तिको शतमुखी पतनसे बचा सकती है और कल्याण-मार्गकी ओर अग्रसर होनेके लिए प्रेरित कर सकती है। मालूम नहीं कि आपमें कवके सस्कार थे, जो इस प्रकार खिल उठे और जिनके कारण आपका कायाकल्प होकर आप महात्मा पदपर प्रतिष्ठित होनेके बाद आदर्श संन्यासीके रूपमें प्रकट हुए। अपने चरित्रसे आपने यह सिद्ध कर दिया कि अपने यौवनमें भोग विलास और ऐश्वर्यके उपभोगमें फँस जानेवाला व्यक्ति भी ब्रह्मचर्यका उद्धारक, महात्मा और आदर्श संन्यासी बन सकता है, गुरुकुल सरीखी महान शिक्षा-संस्थाकी स्थापना करके अट्ठारह वर्ष तक उसके आचार्यपद पर सुशोभित रह कर ब्रह्मचर्य प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणालीके पुनरुद्धारका यश सम्पादन कर सकता है। एक तहमीलदारके घरमें जन्म लेकर और नायब तहसीलदारीके साथ जीवनमें प्रवेश करनेवाला सरकारी नौकरीका परित्याग कर अतमें सत्याग्रही एव राजद्रोही बनकर जेल तकमें जा सकता है। नास्तिकता की लहरमें वह जानेवाला भी धर्मके लिए सर्वमेघ यज्ञका अनुष्ठान कर आदर्श धर्म वीर बन सकता है। गहरे पतनके बाद इतने महान उत्कर्षमय आदर्श जीवनकी प्राप्ति आपके जीवनकी लम्बी कहानी का सार है, जो ज्योति स्तम्भकी तरह दिव्य प्रकाशको फैलाकर दूसरोंके लिए पथ-प्रदर्शन कर सकता है।

अपका जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी सवत १९१३ विक्रमीको जिला जानन्धरमें तलवन ग्राममें उस परिवारमें हुआ था जो अपने ही परिश्रमसे असाधारण ग्निवतिकी प्राप्त हुआ था। भगवत भक्ति, सज्जनता, वीरता, निर्भीकता, स्पष्टवादिता और नत्य परायणता आदि गुण आपको विरासतमें मिले थे। पिता लाला नानकचन्द बहुत ही स्पष्टवादी थे इसीलिए नौकरीमें कहीं टिक नहीं सके। कपूर्यलामे धानेदार थे कि त्यागपत्र देकर चले आए, फिर नियालकोटमें फौजदारीमें खजाची नियुक्त हुए। वहाँने अफनर

से लड़कर चले आये। अमृतसर और लाहौरमें की गई सरकारी नौकरी भी निभ न सकी। १८५७ की राज्य क्रांतिमें उनका भाग्य भी खिल उठा। निराश हो उन्होंने दिल्लीका रास्ता पकड़ा और हिसार पहुँचे थे कि दिल्लीमें विद्रोहका शंख फूँक दिया गया। हिसारमें गोरी फौजका साथ देने और एक चौधरीके यहाँसे ब्रह्मभोज के लिए तैयार की गई भोजन-सामग्री लेकर गोरी फौजकी भोजन-व्यवस्था कर देनेके फलस्वरूप उनको हिसारका कोतवाल नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद मेरठ, सहारनपुर तथा नैपाल में मेलाघाटमें हुई लड़ाईमें अंगरेजोंका साथ देनेके कारण उनको वाँस वरेलीकी पुलिस लाइन्सका चार्ज दे दिया गया। इन्ही दिनोंमें छठी सन्तानके रूपमें चरित्रनायकका जन्म हुआ। जन्मका नाम बृहस्पति रखा गया, जो व्यवहारमें नहीं आया। व्यवहार का नाम मुगीराम था। पिताजीकी वदार्युं, बनारस, मिर्जापुर फिर बनारस और बलिया आदिमें पदवृद्धि होकर बढ़ती होती रही। मुगीरामकी पढाईका सिलसिला कही न जम सका। बनारस और बलियामें कुछ नियमित पढाई हो सकी। बलियासे पिताजी ने बनारस भेजकर क्विंस कालेजमें भरती करा दिया। तब लगातार साढ़े चार वर्ष तक पढाई का क्रम जारी रह सका। कुछ समय आचारागर्दीमें भी बीता। इन्हें दिनोंमें कुछ दुर्गुण भी आचारागर्दीके कारण लग गए। एक आघ घटना चरित्रकी निर्बलता सम्बन्धी भी घट गई, परन्तु सहसा ही सावधान हो गए। विचारोंमें पहले कुछ नास्तिकताका संचार हुआ फिर एक बार इसाई बन जानेका भी निश्चय किया गया। मांस, मदिरा, जुआ तथा हुक्का आदिके दुर्व्यसनोका प्रारम्भ भी इन्ही दिनोंमें हुआ।

आपका विवाह पंजावमें स्त्री शिक्षाके प्रवर्तक लाला देवराजजीकी बहनके साथ हुआ। उस समयकी सामाजिक स्थिति और आपकी मनोदशाका कुछ पता आपके अपने गव्दोसे लगता है। अपने विवाहकी चर्चा करते हुए आपने लिखा है कि "मैं विवाह के धूम-धड़ककेसे निवृत्त होकर बहुत निराश हुआ। मैंने समझा था कि बच्चू युवा मिलेगी परन्तु अभी वह बाल्यावस्थामें ही थी। फिर यह निश्चय किया कि मैं उसे स्वयं पढ़ाऊँगा और इस विचारने मुझे बहुत सतोष दिया। मैंने उसी समय बाल-विवाह कुप्रथाके भयकर परिणाम अनुभव किये थे और इसीलिए आर्यसमाजमें प्रवेश करते ही मैंने इसके सगोवनमें बड़ा भाग लिया। मेरा निश्चय है कि यदि उस समय विवाहका ख्याल ही मेरे अन्दर न डाला जाता, तो काशीसे ग्रेजुएट बनकर मैं किसी अन्य ऊँची दशामें चला जाता। कमसे कम यदि धर्मपत्नीकी आयु सोलह वर्षकी होती और परस्पर की प्रसन्नतासे आँखें खोलकर विवाह होता, तो मैं उस अन्वकूपमें गिरनेसे बच जाता, जिसमें आगामी दो-ढाई वर्ष गिरा रहा।"

विवाहके बाद डेढ़ वर्ष तलबनमें बिताकर पिताजीके वरेली चले जानेसे आप भी वहाँ चले गए। इलाहाबादमें एफ० ए० की परीक्षामें बैठे। किन्तु सफल न हो सके। वरेलीका डेढ़ वर्षका जीवन नाच, रंग, तमाशोंके अन्वकूपमें बीता। मदिरापानका दुर्व्यसन चरमसीमापर पहुँच गया। उन दिनोंकी मानसिक स्थितिका चित्र चित्रण करते हुए आपने फिर लिखा है कि "मैं अपने जीवनमें मुझे दूसरी बार ऐसा पतित हुआ कि पुरानी गिरावटका सस्कार फिर जाग उठा। घंटो बेहोश सा पड़ा रहा, परन्तु आत्मामें कोलाहल मचा हुआ था। प्रातःकाल भ्रमणार्थ दूर निकल गया और एकान्तमें बैठकर अनुताप

करता रहा। उस दिन शामको ही लौटकर भोजन किया। दूसरे दिनसे ही काया फिर पलट गई। नाच, तमाशे, दावतोंमें जाना बन्द हुआ और फिलासफीका स्वाध्याय शुरू हो गया। बोतल और गिलास भी कुछ कालके लिये विदा हो गये।” इस वारके पतनमें आशाकी झलक केवल वह अनुसत्ताप था, जो आत्मा अनुभव करती रहती थी। पश्चात्तापकी यह भावना परीक्षा देनेके लिए अलीगढ जानेपर कुसगतिके कारण फिर मन्द पड़ गई।

बरेलीके इस घोर अन्वकारमय जीवनमें १४ श्रावण सवत् १९३६ को स्वामी दयानन्द सरस्वतीके बरेली आनेपर उनका जो सत्संग मिला, वह कुछ ऐसे सस्कार छोड़ गया कि उसके बादमें आपका कायाकल्प हो गया। आप दुपहरके समय शका समाधान और रातको व्याख्यानके समय सबसे पहले उपस्थित होते और अत तक बने रहते। जीवनका यह उतार-चढाव निरन्तर बना रहा। पत्नीकी सेवा-भावनाने भी कुछ जादू किया, परन्तु धूप-छायाका सिलसिला काफी समय बना रहा।

पुत्रका मन पढाईमें लगता न देख पिताजीने अपने प्रभावसे आपको नायब तहसीलदार बनवा दिया। एक ही मास बाद स्थानापन्न तहसीलदारका पद मिल गया। परन्तु अग्नेज अप्सरोके साथ मेल नही बैठ सका। तीन ही मास चाकरीका यह क्रम चल सका। पिताजीके सामने सिवाय पुलिसकी नौकरीके दूसरा कोई विचार न था परन्तु आपका मन उधर से फिर चुका था। पिताजीने अतमें घरका कामकाज सँभालने और लाहौर जाकर वकालतकी परीक्षा देनेके लिए घर भेज दिया। घरका काम-काज और परीक्षा की तैयारी साथ-साथ चलने लगी। दो बार असफल होनेके बाद तीसरे वर्ष मुक्त्यारी की परीक्षा पास की जा सकी। इस बीच उत्थान-पतनका सिलसिला भी बना रहा। पिताजी भी पेंशन लेकर घर आ गए। आपने जालन्धरमें मुक्त्यारीका घंघा शुरू कर दिया। १३, कार्तिक सवत् १९४० को स्वामी दयानन्दका देहान्त होनेपर आपके ही प्रयत्नोंसे जालन्धरमें शोक सभा का आयोजन किया गया, परन्तु जालन्धरमें भी पुराने व्यसनोने आ घेरा और मदिरा-मासका अव्याहत दौर चलता रहा। इस बीच कुछ समय फिल्लौर में वकालत करनेमें भी बिताया। जालन्धरमें अपने एक मित्रके मदिरापानमें चूर होकर वेद्यागमन करनेकी घटनाकी हृदयपर कुछ ऐसी चोट लगी कि घर आकर शराबकी बोतल को पासकी गलीमें जो फेका, तो उस व्यननसे सदाके लिए छुट्टी मिल गई और एक नए जीवनका सूत्रपात हो गया। इसी कारण दूसरे दिन सबेरे ही आप लाहौर चल दिए। वहाँ वकालतकी परीक्षा पास की। जालन्धरमें हृदयने जो चोट खाई थी उसने जब गहरा रग पकडा, तब आपका झुकाव ब्राह्म-समाज और उसके बाद आर्य-समाजकी ओर हुआ। ब्राह्म-समाजके सारे साहित्यको पढनेके बाद भी जब आत्माको सन्तोष न हुआ, तब “सत्यार्थ प्रकाश” का अध्ययन किया और आर्य-समाजके विधिवत सदस्य बन गए। पहले ही दिन आर्य-समाजमें आपका जो व्याख्यान हुआ, उसका सार यह था कि “हम सबके कर्तव्य और मन्तव्य एक होने चाहिए। जो वैदिक धर्मके एक-एक सिद्धान्तके अनुकूल अपना जीवन नही टाल सके, उसको उपदेशक बननेका माहस नही करना चाहिए। भाडेके टट्टुओंसे धर्मका प्रचार नही हो सकता। इन पवित्र कार्यके लिए स्वार्थत्यागी पुरुषोंकी आवश्यकता है।” इन शब्दोंमें उनके भावी नव-

जीवनका स्पष्ट चित्र देखा जा सकता है। मांस और हुक्के आदिका भी परित्याग उन्होंने उसी प्रकार किया जैसे शराबका किया था और वह केवल इसलिए किया था कि स्वामी दयानन्दने उनका निषेध किया है। अपनेको सच्चा आर्यसमाजी बनानेकी भावना का हृदयमें संचार होना था कि सारे दुर्व्यसन छूट गए और जीवन सहसा ही एक नए ढाँचेमें ढल गया।

जीवनके उत्थान-पतनकी लम्बी कहानीका यह संक्षिप्त विवरण केवल यह दिखानेके लिए दिया गया है कि स्वामीजी सुधारकी पहली सीढ़ी आत्म-सुधारको मानते थे और आत्म-सुधार प्रारम्भ होता है व्यक्तिगत जीवनसे। उस व्यक्तिगत जीवन का निर्माण स्वामीजी ने जिस रूपमें किया वह निराशसे निराश हृदयमें भी दिव्य आशाका संचार कर सकता है। इस प्रकार लाला मृशीरामने कल्याण-मार्गका पथिक बनकर महात्मा पदकी प्रतिष्ठा प्राप्त की और बादमें संन्यासी बनकर लोक कल्याणके महान कार्यपर अपनेको न्योछावर कर दिया। उसकी जीवन-कहानी भी अत्यन्त प्रेरणाप्रद और स्फूर्तिदायक है।

आर्यसमाजकी स्थापना तो स्वामी दयानन्दने की, किन्तु उसका वर्तमान रूपमें निर्माण और सगठन आपने ही किया। प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओ और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभाके रूपमें उनका सगठन स्थापित करने वाले आप ही हैं। स्वयं दृढ़ आर्य बननेकी जो धुन आपमें समाई, तो कितनोको ही दृढ़ आर्यसमाजी बना डाला। आर्य समाजमें डी० ए० वी० कालेजकी शिक्षा पद्धतिके सम्बन्धमें जो चर्चा शुरू हुई उसने सहसा ही मासाहारके विवादका रूप धारण कर लिया और उसके कारण दो दल बन गए। आप स्वभावतः कट्टर आर्यसमाजी बन जानेसे मासाहारके विरोधी थे और विरोधी दलके अगुवा थे। इस नाते सारे पंजाबमें और बादमें समस्त भारतमें आप आर्यसमाजके अद्वितीय नेता माने गए। आर्यसमाजियोंको आर्यसमाजके आदर्शों तथा सिद्धान्तों और कार्यक्रमपर सुदृढ़ रहनेकी आप हमेशा ही प्रेरणा देते रहते थे। बीसवीं सदीके पहले चरणमें १९०७ में लाला लाजपतराय तथा भाई परमानन्द आदिके कारण सारे ही आर्यसमाज को राजद्रोहका मूल कारण बताया जाता था और यह कहा जाता था कि जहाँ आर्य-समाज का जोर है वहाँ राजद्रोह भी प्रबल है इसी कारण आर्यसमाजियोंके घोर दमनका सिलसिला शुरू किया गया, अनेक आर्य समाजियोंपर जहाँ-तहाँ मुकद्दमे चलाए गए। “सत्यार्थ प्रकाश” को जन्त करनेके लिए राजद्रोही ग्रन्थ बतानेको भी कुछ मामले दायर किए गए और पटियालामें आर्यसमाज मन्दिरपर ताला लगाकर सभी सदस्योंपर राजद्रोहका मुकद्दमा चलाया गया। ऐसे कठिन अवसरपर आर्य समाजको अपनी नैतिकतापर कायम रखकर आर्य समाजियोंमें कोई दीन-हीन भावना न पैदा होने देनेका सारा श्रेय एकमात्र आपको है। पंजाब-केसरी लाला लाजपतरायकी १९०७ में भाडलेमें की गई नजरबन्दी पर जब कुछ क्षेत्रोंमें उनके आर्यसमाजी न होनेकी बात कही गई तब लाहौर पहुँचकर आपने बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिए। आर्यसमाजपर कही कोई संकट आता, तो वहाँ सबसे पहले आप पहुँचते। पटियालाके मुकद्दमेकी पैरवी की सारी व्यवस्था आपने ही की। वर्यो आप पंजाब-आर्य-प्रतिनिधि-सभा और सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि-सभाके अध्यक्ष रहे।

आर्य समाजकी दृष्टिसे गुरुकुल की स्थापना आपका सबसे बड़ा काम है और शिक्षा के क्षेत्रमें भी वह अपने ढंगका एक अद्भुत प्रयोग था। विक्रमी १९५३में आपने उसके सम्बन्धमें अपने पत्र "सद्धर्म प्रचारक" में चर्चा प्रारम्भ कर दी थी। नवम्बर १९५८ तक यह चर्चा चलती रही। तब पञ्जाब आर्य-प्रतिनिधि-सभाने गुरुकुल स्थापित करने और स्वामी दयानन्दके वेद भाष्यको पूरा करनेका निश्चय किया। जो बोले सो कुड़ा खोलें वाली बात हुई। अगस्त १८९८ को आपने ३० हजार रुपया जमा करनेका संकल्प करके यह घोषणा कर दी कि यह धनराशि जमा होने तक मैं घर नहीं लौटूंगा। ८ अप्रैल १९०० को केवल नौ मासमें आपने ४० हजार रुपया जमा कर लिया। इन्ही दिनोंमें आपको आर्य जनताने महात्मा पदसे विभूषित किया। २ मार्च १९०२ को गुजरात्वाला से ३४ ब्रह्मचारियोंको लेकर हरिद्वारके उस पार गंगाके किनारे कागडी गाँवके समीप गुरुकुलकी स्थापना की गई और होलीकी छुट्टियोंमें २१ से २४ मार्च तक विशेष उत्सव मनाकर उद्घाटन-विधि सम्पन्न की गई। दिन दूनी और रात चौगूनी उन्नति करते हुए गुरुकुल एक स्वतंत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया, जिसके लिए स्वामीजीने सर्वमेव यज्ञ का अनुष्ठान कर न केवल अपना तन किन्तु मन और धन भी अर्पित कर दिया। अपना पत्र, प्रेस, पुस्तकालय और जालन्धरकी कोठी आदि सब कुछ उसकी भेंट कर दिया। आर्य जनताने भी प्रति वर्ष हजारो लाखोंकी भेंट करते हुए धनकी कमी नहीं रहने दी। कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मटि, गुजरातमें, सूपा आदिमें उसकी शाखाएँ स्थापित की गईं। आप बंगाल और मद्रासमें भी उसकी शाखाएँ स्थापित करनेके यत्नमें रहे। बहुत वर्षोंके बाद स्त्री-शिक्षाके लिए भी गुरुकुलके ढंगपर कन्या गुरुकुल स्थापित किया गया, जो इस समय देहरादूनमें चल रहा है। विक्रमी १९८० में जब गुरुकुलका रजत-जयन्ती-महोत्सव मनाया गया तब उसमें विद्यार्थियोंकी संख्या १००० से ऊपर थी और २० लाख से भी अधिक रुपया जनता उसके लिए दे चुकी थी। गुरुकुलके स्वरूप-महत्व और विशेषताओंके सम्बन्धमें जितना लिखा जाय थोड़ा है। यहाँ हम केवल दो-एक सम्मतिर्याँ ही उद्धृत कर रहे हैं। इंग्लैण्डके भूतपूर्व प्रधान मंत्री मि० रैमजे मैकडानल्ड १९१४ में गुरुकुल आए थे। उन्होंने इंग्लैण्ड लौटकर 'डेली क्रानिकल' में जो लेख लिखा था वह उसके राष्ट्रीय स्वरूप पर अच्छा प्रकाश डालता है। उन्होंने लिखा था कि "भारतके राजद्रोहके सम्बन्धमें जिन्होंने कुछ थोड़ा सा भी पढ़ा है, उन्होंने गुरुकुल नाम अवश्य सुना होगा जहाँ कि आर्य समाजियोंके बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। आर्योंकी भावना और सिद्धान्तोंका यह अत्यन्त उत्कृष्ट मूर्त रूप है। इस उन्नतिशील धार्मिक संस्था आर्यसमाजके सम्बन्धमें जितने भी सन्देह किए जाते हैं, वे सब इस गुरुकुलपर लाद दिए गए हैं। इसीलिए सरकारकी इसपर तिरछी नजर है, पुनिश अफमरोंने इनके सम्बन्धमें गुप्त रिपोर्ट की है और अधिकांश एंग्लो इंडियन लोगोंने इसकी निन्दा की है सरकारी लोगोंके लिए गुरुकुल एक पहली है, अघ्यापकोंमें एक भी अंगरेज नहीं है। अंगरेजी साहित्य की पटाई और उच्च शिक्षाके लिए पञ्जाब युनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त पुस्तकें भी यहाँ काममें नहीं लाई जाती, सरकारी विश्वविद्यालय की परीक्षाके लिए यहाँ ने किन्ही भी विद्यार्थियोंको नहीं भेजा जाता और विद्यार्थियोंको विद्यालयमें अपनी ही उपाधियाँ दी जाती हैं। सबमुच यह सरकारकी अज्ञानता है। धवराएँ हुए सरकारी अधिकारोंके मुँहमें

इसके लिए पहली बात यही निकलेगी कि यह स्पष्ट राजद्रोह है। परन्तु गुरुकुलके विषयमें यह अन्तिम राय नहीं हो सकती। सन् १८३५ के प्रसिद्ध लेखमें मैकालेके सम्मति प्रकट करनेके बाद भारतके शिक्षाके क्षेत्रमें यह पहला ही प्रचस्त प्रयत्न किया गया है। उस लेखके परिणामोंसे प्रायः सभी भारतवासी असन्तुष्ट हैं, किन्तु जहाँ तक मुझको मालूम है गुरुकुलके संस्थापकोंके सिवा किसी औरने उस असंतोषको कार्यमें परिणत करते हुए शिक्षाके क्षेत्रमें नया परीक्षण नहीं किया।”

उसके क्रांतिकारी सामाजिक स्वरूपका परिचय लन्दनके एक और पत्र “दि न्यू स्टेट्स-मैन” के २० जून सन् १९१४ के लेखसे मिलता है। उसमें लिखा गया था कि “भारतीय दृष्टिसे इस संस्था की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता जात-पातके भेद व अंतरको मिटाना है। उसमें ब्राह्मणसे लेकर मेहतर तक सभी जातियों के बालक शिक्षा पाते हैं। सबका एकसा जीवन और रहन-सहन है। जात-पातका भेद भारतमें खूब गहरी जड़ें पकड़े हुए हैं, पश्चिमकी शिक्षा और आदर्शोंके सहारे भी उसकी जड़ोंको खोदना कठिन है। परन्तु यहाँ गुरुकुलमें उसकी जड़ें बड़ी सफलताके साथ काट दी गई हैं, पश्चिमके नामपर उसके अनुकरणपर नहीं किन्तु पूर्वके पुराने और सुन्दर आदर्शोंको पुनर्जीवित करनेकी दृष्टिसे। आर्य समाजके शिक्षाके कार्यका यह नमूना है और शिक्षाका यह कार्य उस महान समाज-सेवाके कार्यका छोटा-सा हिस्सा है, जो आर्य समाज उत्तरी भारतमें कर रहा है। आध्यात्मिकता एवं नैतिकतासे प्रायः रहित प्रतिभाशून्य ब्रिटिश अधिकारी एकाएक धवरा जाते हैं। वे नहीं समझ सकते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए वे उसमें राज-द्रोहका का सन्देह करनेके आदी हो गए हैं।”

गुरुकुलके आकर्षण और विशेषताओंके सम्बन्धमें इन दो सम्मतियोंके बाद कुछ और कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती। हिन्दीके माध्यमसे सम्पूर्ण शिक्षा देनेवाली वह पहली संस्था है। मेहनत मजदूरी करके और भोजनमें कमी करके गुरुकुलके ब्रह्मचारियों और कर्मचारियोंने १५००) दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके लिए भेजा था। उसी समय से गांधीजीका गुरुकुलने प्रेम सम्पादन कर लिया था गांधीजीके लिए महात्मा गन्ध का प्रयोग सबसे पहले गुरुकुल द्वारा दिए गए मानपत्रमें ही किया गया था। गांधीजीने गुरुकुलके उत्सवकी व्यवस्था को कांग्रेसके लिए अनुकरणीय बताया हुआ उसकी अनेक बार प्रशंसा की थी, यहाँ यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि शिक्षाके प्राचीन वैदिक आदर्श को पुनर्जीवित करनेके लिए गुरुकुलकी स्थापना की गई थी और उन आदर्शोंको मूर्त रूप देनेका पूर्ण प्रयत्न आपके ही कारण किया जा सका।

१२ अप्रैल १९१७ को सम्बत् १९७४ की पहली वैशाखको आपने हरिद्वार और कनखलके बीच स्थित मायापुर वाटिकामें सन्यास आश्रममें प्रवेश किया और यह कहते हुए स्वयं अपना नाम श्रद्धानन्द रखा कि मेरे सम्पूर्ण जीवनमें मुझे एकमात्र श्रद्धाका ही सहारा रहा है। गुरुकुल और आर्यसमाज तक अपनेको सीमित न रखकर विस्तृत कार्य-क्षेत्रमें पदार्पण किया। प्रत्यक्ष राजनीतिसे पृथक रहते हुए भी आपकी वृत्ति राष्ट्रीयता से ओत प्रोत थी। धर्मको आप जिस व्यापक दृष्टिसे देखते थे राजनीति उसका एक अंग थी। गुरुकुलकी स्थापना और उसका संचालन भी मुख्यतः राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे किया गया था। अपनी धर्म प्रधान वृत्तिके कारण ही आप गांधीजीके सत्याग्रहको धर्मयुद्ध

कहकर उसमें सम्मिलित हुए थे। गुरुकुलसे अलग होते हुए आपने उनके प्रधानको २५ सितम्बर १९२० को लिखे गए पत्रमें लिखा था कि “इस समय मेरी सम्मतिमें असहयोग की व्यवस्थाके क्रियात्मक प्रचारपर ही मातृभूमिका भविष्य निर्भर है। यदि यह आन्दोलन अकृतकार्य हुआ और महात्माजीको सहायता न मिली तो देशकी स्वतंत्रता का प्रश्न ५० वर्ष पीछे जा पड़ेगा। यह जातिके जीवन व मृत्युका प्रश्न हो गया है। इसलिए मैं इस काममें शीघ्र ही लग जाऊँगा। यदि आपकी सम्पत्तिमें इस काममें लगने के लिए मुझे गुरुकुल व आर्य-समाजके अन्य कामोंसे अलग हो जाना चाहिए, तो जैसा पत्र आप तजवीज करेंगे, मैं पत्रिकामें प्रकाशित करूँगा। मैं इस कार्यसे रुक नहीं सकता, मुझे यह काम इस समय सर्वोपरि दीखता है।”

इस पत्रसे स्पष्ट है कि स्वामीजीको गांधीजी के आन्दोलनने कुछ स्वाभाविक रूपसे ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। गुरुकुल और आर्यसमाजमें रहते हुए भी आप राजनीति से पृथक् नहीं थे, परन्तु उसमें कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते थे। सूरत कांग्रेसके भंग होनेपर राजर्षि गोखलेने आपको अत्यन्त मर्मस्पर्शी पत्र लिखा था और आपके साथ उनका बहुत ही निकटका सम्पर्क बना रहा। गुरुकुलसे आकर दिल्लीमें स्वामीजी गांधीजीसे मिले। स्वामीजीकी योजना यह थी कि देशमें कुछ क्षेत्र ऐसे तैयार किए जायें, जिनमें असहयोगको पूर्ण बनाकर लगानवन्दीका सत्याग्रह शुरू किया जाय और आन्दोलनको कहीं भी केन्द्रित न रखा जाय। आपने पंजावमें पाँच जिले इस प्रकार तैयार करनेका दायित्व लेनेकी इच्छा प्रकट की और गांधीजीसे गुजरातमें पाँच जिले तैयार करने को कहा। दिल्लीमें रहकर रौलेट एक्टके विरुद्ध हुए आन्दोलन का संचालन, घटाघरके नीचे गुरखोकी नगी किरचोके सामने हज़ारों लोगोंका नेतृत्व करते खड़े होना, जामा मस्जिदकी वेदीसे वेद मन्त्रोंके उच्चारणके साथ भाषण देना और कई सप्ताह तक दिल्लीसे अंग्रेज़ी राजको समाप्त करके सच्चा स्वराज्य कायम करना आदि ऐसी घटनाएँ हैं जो इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें अंकित हो गई हैं। पंजाव जब फौजी शासनके भीषण अत्याचारों तथा अमृतसरके जलियानवाला बागमें हुए हत्याकांड सरीखे नृशंस दमनसे कराह रहा था और बाहरसे किसीका भी वहाँ आना-जाना निषिद्ध था तब सबसे पहले अमृतसर और लाहौर पहुँचनेवाले स्वामीजी थे। समाचार पत्रों में वहाँ की स्थिति पर आपने प्रकाश डाला और कांग्रेसपर जोर डालकर जाँच समिति की नियुक्ति करवाई, जिनमें गांधीजी, देशबन्धु दास और पंडित मोतीलाल जी नेहरू सरीखे नेता सम्मिलित थे। अमृतसरमें कांग्रेसका अधिवेशन होना असंभव बना दिया गया था। वह आपके ही प्रयत्नसे हो सका और आपही उसके स्वागताध्यक्ष चुने गए। मुहावरदार ठेठ हिन्दीमें कांग्रेसके मंचसे दिया गया वह पहला ही भाषण था और उसमें आपने राष्ट्रके नैतिक जीवन के निर्माण और हरिजनोके उद्धार अदि विषयोंको कांग्रेस के मंचसे पहली ही बार चर्चा की थी। राजनीतिक दृष्टिसे तब पहली ही बार समाज-सुधारके महत्त्वका प्रतिपादन किया गया था। फिर आपको ‘निखोके गुरुका वाग’ सत्याग्रहके कारण अमृतसरमें कारावासका दंड भी दिया गया। कलकत्ताके कांग्रेसके विशेष अधिवेशन और नागपुर तथा अहमदाबादके अधिवेशनोमें भी आप गांधीजीका समर्थन करनेके लिए उपस्थित हुए थे।

यह देगका दुर्भाग्य ही था कि आप कांग्रेसमें अधिक दिन न रह सके—कारण इसका यह था कि आप समाज-सुधारको राष्ट्रनिर्माणके लिये अनिवार्य मानते थे । एक करोड़ की तिलक-स्वराज्य-निधि के विनियोगका प्रश्न जब लखनऊमें कांग्रेस महासमितिके सामने विचारके लिए उपस्थित हुआ तब आपका सुझाव यह था कि पाँच लाखकी धनराशि हरिजनोके उद्धारके लिए अलग रख देनी चाहिए । कांग्रेसके दूसरे नेता इससे सहमत नहीं हुए । उन्होंने आपके इस प्रस्तावका कुछ उपहास भी किया । बस, आपने कांग्रेस छोड़ दी और दिल्ली लौटकर दलितोद्धार सभाकी स्थापना करके हरिजन सेवाका काम शुरू कर दिया । कुछ मुस्लिम नेताओंसे दलितोके सवधमें जो मतभेद, विवाद तथा वितंडा प्रारम्भ हुआ, उसके कारण आपने शुद्धि तथा संगठनका आन्दोलन भी प्रारम्भ किया और हिन्दू महासभामें एक नया जीवन फूँक दिया । कुछ वर्ष बाद समाज-सुधार के दूसरे प्रश्न विधवा-विवाहपर हिन्दू नेताओंके साथ आपकी पटरी बैठ नहीं सकी । महामना पंडित मदनमोहनजी मालवीयने कांग्रेस-स्वराज्य-पार्टीके विरुद्ध नेशनलिस्ट पार्टीका संगठन करके हिन्दू महासभाका उपयोग कांग्रेसके विरुद्ध अपनी पार्टी और चुनावके लिए करना चाहा, तब आपने विधवा-विवाह और चुनावके प्रश्नपर हिन्दू महासभाको भी छोड़ दिया । चुनाव में आपने प० मोतीलाल नेहरू का साथ दिया । हिन्दू-समाजमें नव-जीवन पैदा करनेकी आकांक्षा रखते हुए और उसके लिए प्रयत्न करते हुए भी आप हिन्दू महासभाकी साम्प्रदायिकतासे कभी सहमत नहीं हुए और साम्प्रदायिक दृष्टिकोणसे आपने मुसलमानोका विरोध नहीं किया ।

दो विषयोकी चर्चा करनी आवश्यक है । एक तो यह कि जब आपने आर्य-समाजमें प्रवेश किया तब पिताजी और घरवालोके कट्टर सनातनधर्मी होनेसे आपको भी भीषण धर्म-संकटका सामना करना पड़ा । जात-विरादरीवालोके विरोध और बहिष्कारकी घमकियाँ भी आपको अपने मार्गसे विचलित नहीं कर सकी । गुरुकुलके उत्सवसे लौटते हुए आर्यसमाजियोपर हरिद्वारमें कुछ पडोंके बहकानेपर एक उत्तेजित भीड़ने हमला कर दिया । बलबेके अपराधमें अनेक हिन्दू गिरफ्तार किए गए । आपने उस मुकदमें में सरकारका साथ न देकर सब मुकदमें वापस लेनेके लिए उसको मजबूर किया । जब भी कभी इस प्रकारके प्रसंग उपस्थित हुए तब आपने सदा ही सत्याग्रही वृत्तिसे काम लिया । देशमें कहीं भी अकाल, बाढ़ तथा भूकम्प आदिके दैविक संकट उपस्थित होते तब गुरुकुल से सदा ही एक अच्छी धनराशि जमा करके भिजवाते और यथासभव स्वयं भी वहाँ पहुँच जाते ।

दूसरे जिस विषयकी चर्चा करना आवश्यक है, वह है आपका हिन्दी-प्रेम, सम्बन्ध विक्रमी १९४६ में आपने कुछ साथियोके साथ मिलकर आर्य समाजके प्रचारके लिये उर्दू में "सद्दर्म प्रचारक" पत्र निकालना प्रारम्भ किया । यह अनुभव होते ही कि आर्य-समाज का सारा काम हिन्दीमें होना चाहिये आपने १ मार्च १९०७ को अपने पत्रको एकाएक हिन्दी में प्रकाशित करना शुरु कर दिया । आर्य-समाजमें हजारो लोगोंने केवल "सद्दर्म प्रचारक" के हिन्दीमें किए जानेसे हिन्दीका अभ्यास किया । आर्यसमाजकी छोटी-बड़ी कन्या पाठशालाओं में हिन्दीको ही अपनाया गया था किन्तु गुरुकुलमें आदिसे अंत तक सारी शिक्षाका माध्यम हिन्दीको रखकर जो परीक्षण किया गया था वह अपने ढंगका पहला था । गुरुकुलसे १९१८-१९ में "श्रद्धा" नामसे साप्ताहिक पत्रिका आपने निकाली ।

दिल्लीसे १९१६-२० में "विजय" और १९२४-२५ में "अर्जुन" दैनिक पत्र प्रारम्भ किए गए थे। हिन्दीपर आपका पूर्ण अधिकार था। अमृतसर कांग्रेसके स्वागताध्यक्षके पदसे मुहाबरेदार ठेठ हिन्दीमें आपने जो भाषण दिया था उसका अंगरेजीमें अनुवाद करना कठिन हो गया था। अनेक ग्रंथ भी आपने लिखे। उर्दूके गढ़ दिल्लीमें हिन्दीको रोपनेका श्रेय आपको ही है। आपके ही कारण दिल्लीमें हिन्दी और हिन्दी पत्रकारिता प्रतिष्ठित हुई है। दक्षिण भारत तथा मद्रासमें आपने १९१६में हिन्दीका प्रचार गुरुकुलके कुछ स्नातकोको भेजकर सबसे पहले गुरु किया था। आपकी इस हिन्दी सेवाके कारण विक्रमी सवत् १९७० में भागलपुरमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके चौथे वार्षिक अधिवेशनका आपको अध्यक्ष चुना गया था। सम्भवतः वह पहला ही अवसर था जब कि साहित्यिक योग्यताकी अपेक्षा हिन्दी-सेवाको प्रधानता दी गई थी।

यह भी आपके जीवनकी समाज-सुधारकी दृष्टिसे एक उल्लेखनीय घटना है कि ३१ अगस्त १८९१ में केवल ३६ वर्षकी आयुमें धर्मपत्नीका देहान्त हो जानेपर घर, परिवार तथा जात विरादरी वालोके अत्यन्त आग्रह पर भी आपने विवाह करनेका विचार तक नहीं किया। समाज-सुधारकी दृष्टिसे इसने भी अधिक बड़ी बात यह है कि अपनी सतानोका विवाह जात-विरादरीके बन्धन त्यागकर किया। कन्या अमृतकलाके विवाहपर काफी तूफान खड़ा हो गया, परन्तु आप अपने विचारसे टससे मस नहीं हुए। गुरुकुलमें जात-विरादरीके सामाजिक भेदभाव और धार्मिक पक्षपात आदिको जड़मूलसे मिटा दिया गया था। कांग्रेस और हिन्दू महामाभमें समाज-सुधारकी आवाज बुलन्द करनेका श्रेय आपको ही है।

एक वर्षान्ध मुसलमान अब्दुल रशीदको २३ दिसम्बर १९२६ को (४ पीप नम्बर् १९८३) मृत्युने अपना निमित्त बनाकर आपके साथ बहुत बड़ा विद्वत्सघात किया और उससे आपके महान व्यापक जीवनपर सकीर्ण साम्प्रदायिकता का एक काला परदा पड़ गया। महीनोंमें आप बीमार चले आ रहे थे और आपके पारिवारिक चिकित्सक डा० अन्सारी आपकी चिकित्सा कर रहे थे। उनको पूरा विश्वास था कि वे आपको मृत्यु से बचा लेंगे। लेकिन, अब्दुल रशीदने बीमारीके विस्तरपर पड़े हुए आपकी छातीपर गोलियाँ दागकर ७१ वर्षकी आयुमें आपकी इहलीला समाप्त कर दी। नच तो यह है कि आपकी मृत्यु ने डा० अन्सारी और अब्दुल रशीदके रूपमें मानवके दो रूप उपस्थित किए। एक वह है जो स्वामीजीको बीमारीके मुँहसे बचानेके लिए मृत्युके साथ जूझ रहा था। और दूसरा वह जिम्ने उनको मृत्युके घाट उतार दिया। एक मानव-हृदयमें विद्यमान प्रकाशका प्रतीक है, तो दूसरा अघकारका। सभी देशों, जातियों, समाजों, सम्प्रदायों और नमयोंमें ऐसे देव और अनुर पाए जाते हैं। उनका सम्बन्ध किमी विशेष देश, जाति, समाज, सम्प्रदाय अथवा नमयके साथ नहीं है।

स्वामीजीकी इन गौरवमय जीवनगाथाके बाद उनके महान् व्यक्तित्वके सम्बन्धमें कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नहीं। आप ने अपने जीवनको प्राचीन वैदिक प्रणालीके ढांचे में ढालकर जो आदर्श उपस्थित किया वह हमें नईव कन्याप मार्ग की ओर प्रेरित करता रहेगा। देशके सार्वजनिक जीवनका कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिन् पर पड़े हुए आपके पद चिन्ह हमारा पथ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

श्री हरविलास शारदा

बाल-विवाहपर प्रतिबन्ध लगानेके लिए शारदा कानूनके प्रस्तुतकर्ता दीवान बहादुर श्री हरविलासजी शारदाका जन्म अजमेरमें उनके पूर्वजोके 'गणपत पुरा' मुहल्लेके पुराने मकानमें ३ जून सन् १८६७को हुआ था। वे बचपनसे ही बड़े कुशाग्र बुद्धि, सुन्दर, स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट थे। अपनी कक्षामें हमेगा पहले रहते थे। १८८८ में उन्होने कलकत्ता विश्वविद्यालयसे बी० ए० आनर्स की परीक्षा पास की थी। १८८९-९१ के बीच वे देग विदेश की अनेक साहित्यिक तथा अन्य संस्थाओके सदस्य बन गए। उनमें रायल एशियाटिक सोसाइटी, रायल सोसाइटी आफ लिटरेचर, रायल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, टीचर्स गिल्ड, रायल आर्कियोलोजिकल इन्स्टिट्यूट मुख्य हैं। ८८ वर्षकी आयुमें सन् १९५५ में जब उनका देहान्त हुआ तब उनके परिवारके सदस्योकी संख्या १०० से ऊपर थी। उनके निधनपर केन्द्रीय एसेम्बलीके पुराने सदस्य होनेके कारण ससदमें शोक प्रकट किया गया और अजमेरके बाहर राजस्थान तथा समस्त भारतमें भी अनेक स्थानोपर शोक साभाएँ की गईं। समाज-सुधारके क्षेत्रमें उनका अभाव विशेष रूपसे अनुभव किया गया।

१९२४ में वे अजमेर-मेरवाडा से केन्द्रीय एसेम्बलीके सदस्य चुने गए थे और १९३६ तक उसके सदस्य रहे। अजमेर नगरपालिकाके वे १८९४ में सदस्य नियुक्त किए गए थे। १९३४ से १९३७ तक उसके उपाध्यक्ष रहे। १९२५ में उन्होने केन्द्रीय एसेम्बलीमें शारदा-कानून उपस्थित किया था। विधवाओ को पतिकी जायदादमें हिस्सा देने और बच्चोंके धूम्रपान निषेधके लिए भी विवेक उपस्थित किए थे। १९३३ में वे केन्द्रीय एसेम्बलीमें महामना मालवीयजीकी नेशनलिस्ट पार्टीके उपनेता चुने गए। अजमेर तथा पश्चिमोत्तर प्रदेशकी प्रारम्भिक शिक्षा कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए।

आर्य समाज की सेवा

शारदाजीका आर्य समाजके साथ बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। अजमेरमें उनको आर्यसमाजका निर्माता कहना चाहिए। स्वामी दयानन्दके वे अन्यतम भक्त थे। सन् १८८८में उन्होने अजमेरमें आर्यसमाजकी स्थापना की। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवाकी भी उन्होने १८८९ में स्थापना की और उसके प्रथम सभापति चुने गए। उसी वर्ष उन्होने अजमेरमें दयानन्द हाई स्कूल स्थापित किया जो आजकल

दयानन्द कालेजके रूपमें चल रहा है । सन् १८६० में वे परोपकारिणी सभाके सभासद और १८६३ में उसके मंत्री चुने गए । ६२ वर्ष तक वे मंत्रीपदका काम करते रहे । दयानन्द निर्वाण अर्धशताब्दी सन् १९३३ में बड़ी घूमघामसे अजमेर नगरमें उनके ही कारण मनाई गई । उसके साथ अखिल भारतवर्षीय औद्योगिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया ।

साहित्य-सेवा

शारदाजीकी साहित्य सेवा भी बहुत अधिक है । उन्होने निम्नलिखित पुस्तके लिखी —

१—हिन्दू सुपीरियोरिटी २—अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्रिक्टिव, ३—महाराणा कुम्भ ४—महाराणा गग ५—हम्मीर आफ रणथम्बौर ६—दयानन्द सरस्वती स्मृति ग्रथका सम्पादन ७—स्पीचेज एंड राइटिंगस ८—वर्क्स आफ महर्षि दयानन्द एंड परोपकारिणी सभा । ९—शकराचार्य एंड दयानन्द १०—लाइफ आफ विरजानन्द सरस्वती, गुरु आफ स्वामी दयानन्द सरस्वती । ११—दि परोपकारिणी सभा एंड सत्यार्थ प्रकाश । १२—लाइफ आफ स्वामी दयानन्द सरस्वती । १३—रिकलेक्शन्स एंड रेमिनिसेंसेज १४—महात्मा गांधी हिज पर्सनलिटि एंड हिज टीचिंगस

स्वामी दयानन्दके अन्यतम शिष्य सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री व्यामजी कृष्ण वर्माके साथ भी आपका पुराना सम्बन्ध था । उनकी जीवनी लिखनेकी आपकी प्रबल इच्छा थी । वर्माजीने लन्दन तथा वर्मामें अनेक वर्ष रहकर भारतीय क्रांति के लिए जो कार्य किया है उसपर इस जीवनीसे अच्छा प्रकाश पडा होता ।

सन् १८८९ में शारदाजी गवर्नमेंट कालेज अजमेरमें तृतीय अध्यापक , १८९२ में अजमेर राज्यके कमिश्नरकी कचहरीमें अनुवादक १८९४ से १९०२ तक हिज हाइनेम महारावल साहब जैसलमेरके गाजियन व अध्यापक, १९०२ में अजमेरके कमिश्नरके दफ्तरमें सुपरिण्टेण्डेण्ट, १९०८ में व्यावरके सव जज, १९०९ में स्माल काज कोर्ट (खलीफा कचहरी) के रजिस्ट्रार, १९१२ में अजमेरके फर्ट व्लास स्पेशल सव जज और जज खलीफा, १९१९ में व्यावरके डिप्टी मजिस्ट्रेट व सव जज, १९२१ में फिर अजमेरके जज खलीफा और १९२३में अजमेर मेरवाडाके डिस्ट्रिक्ट और मेशन जज रहे । सन् १९२४ में उन्होने सरकारी नौकरीसे अवकाश ग्रहणकर लिया और मार्दजनि क कार्य करनेमें लग गए । १९२५—२६ में वे जोधपुर हाईकोर्टके जज नियुक्त किए गए । १९२४ में बरेलीमें हुई अखिल भारतीय वैश्य महासभा और १९२९ में लाहौरमें हुई कांग्रेसकी अग्निव भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सेवा-सभाके भी वे सभापति मनोनीत हुए । शारदाजीका जीवन देश-सेवा, समाज-सेवा तथा सरस्वतीकी उपाननामें ही व्यतीत हुआ । भारतको विशेषकर राजस्थानको अपने ऐसे सपूतपर गर्व है । वे अपने ढगके निराले व्यक्ति थे और अपने देशकी विभूति थे । वे सदा लोकप्रिय बने रहे । यह उनके जीवनकी विशेषता है ।

—..००.—

महर्षि अण्णा साहव कर्वे

सन् १८७४ की एक भयकर रात्रि । सितम्बरका महीना । आकाश भी डरावना सा हो रहा था और गीतल पवन वेगसे वह रहा था । सतारा जिलेकी पर्वतमाला और भी अचिक भयावह प्रतीत हो रही थी । ऐसे समय में सत्रह वर्षका एक ब्राह्मण कुमार अपर्याप्त कपड़ोंके कारण एक चट्टान पर बैठ हुआ गीतसे काँप रहा था । यह कुमार कोकण प्रदेशके मुरुड गाँवसे ११० मील पैदल चल कर आया था । सत्रह वर्षका यह विप्र-कुमार मैट्रिक की परीक्षा देनेके लिए सतारा नगरमें पहुँचा था । अगले दिन यह युवक परीक्षा भवन में प्रविष्ट हुआ । उमर ठीक होने पर भी डील डील में छोटा प्रतीत होनेके कारण इसको परीक्षामें नहीं बैठने दिया गया । इस घटनाके समय इस कुमार के कोमल मनको कितना घक्का लगा होगा—इसकी कल्पना करना कुछ कठिन नहीं । दुर्भाग्यके कठोर आघात को धीरतासे सहन करके यह युवक पुनः अपने गाँव मुरुडको वापस लौटने लगा । इस तरुणके जीवनकी इस प्रारम्भिक घटनासे उसकी धीरता और ध्येय-निष्ठा का सहज ही भान हो सकता है । इसी तरुणने आगे जाकर पूनामें “हिन्दू विधवा-आश्रम” और “भारतीय महिला-विद्यापीठ” की स्थापना करके भारतके महान समाज-सेवक और सुधारकका गौरव प्राप्त किया । यही युवक संप्रति अपनी त्यागवृत्ति, तपस्या, सेवा, भावना और ध्येय-निष्ठाके कारण महाराष्ट्र और भारत-राष्ट्रमें महर्षि अण्णा साहव घोडो केगव कर्वे के रूपमें पूजित हो रहा है । इसी तपस्वीने भारतकी विधवाओं के करुणक्रन्दनको सुनकर, उनके उद्धारको ही अपने जीवनका ध्येय बनाया था ।

१८ अप्रैल, सन् १८५८ में कोकण प्रदेशके मुरुड नामक गाँवमें कर्वेका जन्म हुआ । उन दिनों गाँवकी पाठशाला मंदिरमें ही लगा करती थी । वहीपर ग्राम-गिक्षक द्वारा इनका गिक्षण प्रारम्भ हुआ । उन दिनों गाँवमें लकड़ीकी पटियापर धूल विछाकर अक्षर जान कराया जाता था । ऐसी लकड़ीकी पटियापर ही बालक कर्वेने मराठी अक्षरोंका परिचय प्राप्त किया । प्राथमिक गिक्षण तथा अंग्रेजीकी चार कक्षाएँ मुरुडमें ही पूरी हुई । इसके बाद वे बम्बई आ गए और आगेकी शिक्षा वही प्राप्त की । सन् १८८४ में एल-फिन्स्टन कॉलेजसे बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की । गणित इनका प्रिय विषय था । कॉलेजमें महामना गोपालकृष्ण गोखले इनके सहपाठी थे । बी० ए० पास करके बम्बई में ही रहकर यह आई० सी० एस० की तैयारी करनेवाले दो छात्रोंको गणित पढ़ाया करते थे ।

उन्ही दिनों पूनाके सुविख्यात फरग्यूसन कॉलेजमें महामना गोखले अध्यापन-कार्य कर रहे थे । उनके निमंत्रणपर ये पूना आ गए और उक्त कालेजमें गणित शास्त्रके प्राध्यापक बन गए । और कालेजकी स्वामिनी सभा “दक्षिणशिक्षा-समिति” के आजीवन सदस्य बन गए । वहाँ बीस वर्ष तक यशस्वी रूपमें सेवा-कार्य करके सन् १९१४ में निवृत्त हुए । फरग्यूसन कॉलेजमें अध्यापन करते समय ही आपका वहाँ के कई त्यागी, तपस्वी लोक-सेवकी और समाज-सुधारकोसे परिचय हुआ । आपके अतिनिकटके आत्मीय जन डॉक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम पराजपे (गणित केसरी) ने भी आपकी छत्रछायामें ही विद्या और लोक-सेवाकी शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त की ।

उस कालकी प्रथाके अनुसार चौदह वर्षकी उम्रमें ही आपका विवाह हो गया था । उस समय पत्नीकी उम्र आठ वर्षकी थी । महाराष्ट्रमें वह जमाना घोर रूढ़िवादका था । अपने गाँव मुरुडमें रहते हुए तरुण कवनें अपने सगे सवधियोंके घरमें विधवाओं के प्रति होने वाले असह्य अत्याचारको अपनी प्रबुद्ध आँखोंसे निहारता था । हिन्दू-विधवाओं के दुःखभरे चीत्कारको सुनकर कवनें काँप उठता था । वैधव्यकी यातनाओंको निहार-निहारकर उनकी मनोव्यथाका कोई पार नहीं रहा ।

पूना आकर प्राध्यापक बननेके दूसरे वर्ष में ही आपकी पत्नीका देहान्त हो गया । उस समय द्वितीय विवाहके लिये आपके पास अनेक कुलीन कुटुंबोंकी कुमारी कन्याओंके अभिभावकोंके प्रस्ताव आए । परन्तु आपका निश्चय था कि विवाह करूँगा, तो विधवा से ही करूँगा ।

उस युगमें विधवा-विवाह करना कोई मामूली बात नहीं थी । सगे-सवधियोंका क्रोध और विरादरीका वहिष्कार सहन करना पड़ता था । माता-पिता और भाई-बहनोसे भी सवध छोड़कर अकेला और असहाय हो जाना पड़ता था । इन सब सकटोंकी सभावना होते हुए भी आपने विधवाके साथ ही विवाह किया । विवाह के पश्चात् दोनों अपने माता-पिताके पास गए । उस समय माता-पिताने एक दरीपर उनके नाथ बैठनेसे इन्कार कर दिया । बहुत दिनों तक बोलने चालनेका सवध भी नहीं रखा । अन्तमें बहुत दिन बीत जानेपर उनके हृदय परिवर्तित हुए । तथापि आपकी विरादरी बालोने आपका सामाजिक वहिष्कार कर दिया जो अब तक चालू है । आपका यह विवाह आपके द्वारा उठाये हुए विधवा-विवाह आन्दोलनके लिए मार्गदर्शक हो गया । विवाहके कुछ समय पश्चात् आपने विधवाओंके विवाहकी व्यवस्था के लिए एक मस्था स्थापित की । इसके प्रथम महापति महाविद्वान रामकृष्ण गोपाल भांडारकर बने । अपने साहस त्याग तपस्या और निष्ठाके कारण इस प्रवृत्तिमें श्री कवनें अनेक गण्यमान्य महानुभावोंका सहयोग और स्नेह प्राप्त हुआ । समय बीतनेपर श्री कवनें अनुभव किया कि विधवाओंकी सेवा और सहायताका मद्दमे अच्छा उपाय यह है कि उनको शिक्षा दी जाय तथा स्वावलंबी बनाया जाय । तभी वे समाजमें अपना जीवन मानपूर्वक बिता सकेंगी । यही मोचकर सन् १८९६ में आपने “हिन्दू विधवा-आश्रम” की स्थापना पूनासे चार मील दूर हिंगणें नामक एकांत स्थानमें की । आज इस आश्रम में भवनोकी कीमत कोई दो लाख रुपया है । परन्तु प्रारम्भमें एक छोटी नी पणमानामे इसका श्रीगणेश किया गया था । वहाँ तक पहुँचनेके लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं था ।

अनेक बार आश्रम कुटीरके छप्परोसे वर्षाका पानी टपकता रहता था और बालिकाओंके शरीरको पानीसे बचानेके लिए घासकी चटाइयाँ ओढानी पड़ती थी । वर्षा ऋतु में तो आश्रम तक पहुँचना भी बहुत कठिन था । परन्तु श्री कर्वे प्रति दिन आश्रम जानेमें चूकते नहीं थे ।

कॉलेजमें दिन-भर कठोर परिश्रम करनेके बाद आप प्रति दिन आश्रम जाने के लिए आठ मीलकी यात्रा पैदल तै किया करते थे । घरमें गृहिणी अथवा बालकोंकी बीमारी होनेपर भी आश्रममें जाना उनके लिए देव-मन्दिरमें जानेके समान आवश्यक था । इस आश्रमके विकासका सम्पूर्ण श्रेय आपको ही है । यह दुःसाध्य और महान कार्य आपकी साधना और तपस्यासे ही हुआ है । आजकल इस आश्रममें कुमारी, परिणीता और विधवाओंको मिलाकर ढाई सौ से ऊपर विद्यार्थिनियाँ हैं । इस आश्रममें इन दिनों एक हाई स्कूल, एक ट्रेनिंग स्कूल, एक प्रेक्टिसिंग स्कूल और एक छात्रावास चल रहा है । अनेक स्त्रियोंको उच्च शिक्षाके लिये विदेश भी भेजा गया है । पूना ही नहीं वरन समस्त महाराष्ट्रमें यह सस्या अपना विशेष स्थान रखती है ।

आपने स्त्री-शिक्षापर अपना सारा जीवन लगा दिया है । आपमें वस्तु स्थितिको भाँपकर शीघ्र ही निर्णयपर पहुँच जानेकी अद्भुत क्षमता है । आपके विचारके अनुसार स्त्री-शिक्षाका उद्देश्य सुयोग्य गृहिणी, प्रेममयी माता और उत्तम पढ़ाईसी बनाना होना चाहिए । प्रकृतिने स्त्रियोंको जो विशेष शक्ति, क्षमता और कार्य सौंपे हैं, उनका सुन्दर विकास स्त्री-शिक्षाका सच्चा ध्येय है । इस दृष्टिसे जापानमें चलनेवाली स्त्री-शिक्षाकी प्रणाली आपको बहुत पसंद आई । आपने एक महिला विद्यापीठ स्थापित करनेका निश्चय किया । आपके इस विचारकी पहले बड़ी कटु आलोचना और विरोध किया गया । परन्तु आप धीर, गंभीर और वीर पुत्र हैं । विरोधियोंकी टीकाओं की कुछ भी परवाह न करके आपने सन् १९१६ में विधिवत् महिला विद्यापीठकी स्थापना की । इसके प्रथम कुलपति डॉ० रामकृष्ण गोपाल भांडारकर तथा उप कुलपति डॉक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम पराजपे बनाये गए । शीघ्र ही इसकी एक नियामक सभा बनाई गई और बम्बईकी राष्ट्रीय सामाजिक परिषद्में विद्यापीठकी घोषणा की गई ।

आपकी यह सम्पूर्ण योजना और कार्यशैली बम्बईके प्रसिद्ध उद्योगपति सर विठ्ठल दास ठाकरसीको बहुत पसंद आई । उन्होने इस महिला-विद्यापीठको पंद्रह लाख रुपये का एक बड़ा दान दिया । सर विठ्ठलदासजीकी माताजीके नामपर संस्था का नाम श्रीमती नाथी वाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ रखा गया । आपने स्वयं भी समस्त देशमें घूमकर बहुत द्रव्य एकत्र किया । महाराष्ट्र और गुजरातमें इसकी कई शाखाएँ खोली गईं । इस प्रकार संप्रति हजारों कन्याएँ और महिलाएँ इन संस्थाओंमें अपने जीवनोत्कर्षकी सर्वांगीण तालीम प्राप्त कर रही हैं । यह संस्था अपने स्वरूपमें पूर्ण राष्ट्रीय रही है । पचास वर्ष पूर्व एक मामूली-सी झोपड़ीमें केवल ४-५ विधवाओं और कुमारी कन्याओंको लेकर जिस कार्यका सूत्रपात किया गया था वह आज एक महान बट-वृक्षकी तरह फैल गया है ।

इन सब संस्थाओंको आपने अपने खूनसे सींचकर बड़ा किया है । आज भारतका कोई भी शिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो इस यशस्वी संस्थाके नाम और कार्यसे परिचित न हो ।

७१ वर्षकी बड़ी उम्रमें श्री कर्वेने अपने इस आदर्श शिक्षणालयका परिचय देनेके लिए तथा उसके लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त करनेके लिए विश्वका परिभ्रमण किया। इन विश्व यात्रामें आपको पर्याप्त सफलता मिली। गुस्देव रवीन्द्रनाथ ठाकुरने पत्र द्वारा सस्था का अभिनन्दन किया और महात्मा गाधीजीने स्वयं हिंगणें जाकर अनाथ बालिका और महिला विद्यापीठको आशीर्वाद दिया। महिला उन्नतिके किसी भी कार्यकी आपने अपेक्षा नहीं की। आपके शिक्षणालयमें शिक्षा पाई हुई महिलाओंमें एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास पैदाहो जाता है। कुटुम्बमें, समाजमें और विश्वमें स्वावलम्बन और स्वातन्त्र्यके साथ अपना कर्तव्य पूर्ण करनेकी क्षमता और दृष्टि उनमें समा जाती है। सन १८१८ से १८२७ तक इस विद्यापीठने २३ ऐसी महिलाएँ तैयार की जो सर्वथा स्वावलम्बनके आधार पर लोक-सेवा का कार्य कर रही थी। यह विद्यापीठ महिलाओंके लिए बरदान सिद्ध हुआ है और अतर्भारतीय सस्कृति का सगम बन गया है। महाराष्ट्रमें इसने महिलाओंकी उन्नतिके क्षेत्रमें जो कार्य किया है वह उसके सामाजिक समुत्थानमें विशेष महत्व रखता है। महर्षि कर्वे आदर्श समाज-सेवक है। आपकी भावना मकीर्ण राष्ट्रवादी नहीं है, आप तत्त्वतः मानवतावादी है। मानवता और समताके उपासक है। सबके सुखमें सुखी होना और दुःखमें दुःखी होना यही आपका धर्म है।

आपने अपने जीवनकी इन सारी क्रांतिकारी गाथाओंको मराठीके “आत्म वृत्त” नामक ग्रथमें विस्तारसे लिखा है। “यह आत्म वृत्त” भारतीय साहित्यके आत्मचरित्रोंमें विशेष महत्व रखता है। इसमें महाराष्ट्रके लगभग एक शतीके सामाजिक समुत्थान, महिला जागरणकी स्फूर्तिदायक कहानी दी गई है। इसको पढ़कर अनेक पुराणमतवादियोंके विचारोंमें अद्भुत परिवर्तन आया है। इस परिपक्व वृद्धावस्थामें भी आपका जीवन अतिशय नियमित, सयत और परदुःखकातर है। आपके ज्येष्ठ सुपुत्र डा० रघुनाथ कर्वे वम्बईके विल्सन कालेजमें प्राध्यापक थे और कामशास्त्रमें विशेषज्ञ थे। द्वितीय अफ्रीकामें चिकित्सा-व्यवसाय करते हैं और तृतीय पुत्र डॉक्टर दिनकर कर्वे पूनाके सुप्रसिद्ध फरग्यसन कॉलेजके प्रधान आचार्य हैं। आधुनिक युगके इस महर्षिको हमारा शतत प्रणाम है।

— ०० —

स्वामी दयानन्द

फ्रिडनेण्ड लासेलने लिखा है . “शासन पद्धति सम्बन्धी प्रश्न मुख्यतः अधिकारका प्रश्न नहीं वरन् शक्तिका प्रश्न होता है । किसी देशकी वास्तविक शासन-पद्धतिका अस्तित्व उस देशमें पाई जानेवाली शक्तिकी वास्तविक दशामें ही होता है । इसलिये राजनीतिक रचनाओंका मूल्य और स्थिरता तभी होती है जब वे समाजमें कार्यत विद्यमान शक्तियोंकी अवस्थाओंको ठीक-ठीक प्रकट करती है । . इसलिए जो भी शक्ति अपनी सफलता चाहती है उसे पहले समाजकी शक्ति को माप लेना जरूरी है । जिन देशोंने गुलामीके बन्धन तोड़े हैं, या किसी और रूपमें प्रगति की है, उन्होंने सबसे पहले ऐसी ही सामाजिक शक्तिका सचय किया था । अरब जातिकी अद्भुत राजशक्तिका कारण हजरत मोहम्मद का इस्लाम मत था जिसने उस क्षीण जाति में सामाजिक क्रांति पैदा करके उसे ऊपर उठा दिया । लूथरने जिस सुधार घोषणाका स्वर उठाया था उसीने आगे चलकर सारे यूरोपमें राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी । प्राचीन भारतमें तथागत बुद्धकी सामाजिक क्रांतिकी नीवपर ही चन्द्रगुप्त और अशोकके साम्राज्य स्थापित हुये थे । गुरु नानककी सामाजिक विचारधारा गुरु गोविन्दसिंहके समयमें आकर राजनीतिक शक्तिका कारण बनी । हमारी वर्तमान मुक्तिका आधार भी पिछली शताब्दीकी सामाजिक क्रांति ही थी । उसीकी नीवपर बादमें स्वतंत्रता-संग्रामका महल खड़ा हुआ ।

वैसे तो भारतमें यह क्रम ऐतिहासिक रूपसे तथागत बुद्धसे आरम्भ होता है । परन्तु तेरहवीं शताब्दी और उसके आसपास जितने सुधार-आन्दोलन का जन्म हुआ उनका कारण मुस्लिम सम्पर्क था । उसी प्रकार १९ वीं शताब्दीमें जितने सुधार-आन्दोलनो का जन्म हुआ उनका कारण यूरोपियनों विशेषकर अंग्रेजोंका आगमन था । मुगल साम्राज्य यो तो सन् १८५७ तक चलता रहा किन्तु वास्तवमें उसका अन्त १७५७ में ही हो गया था । १९ वीं शताब्दीकी द्वितीय दशाब्दीमें मराठोंकी शक्तिका अन्त भी हो गया और चौथी दशाब्दीमें (१८३९) सिक्ख साम्राज्यके नेता महाराज रणजीतसिंह की मृत्यु हो जानेपर अंग्रेज भारतके वास्तविक शासक बन गए । जैसा कि सदा होता है इन विजेताओंके साथ इनकी सम्यता और सस्कृति भी इसदेशमें आई । शुरु-शुरुमें ईसाई धर्म प्रचारकोने हिन्दू धर्मपर खुले हमले किये । उस समय दोष चुन-चुनकर उसकी खिल्ली उड़ाना ही पादरियोंका धर्म रह गया था । इसलिये इस कालमें सुधार-आंदोलनो उसकी के जन्मका एक कारण इस आक्रमणका प्रतिकार करना था । परन्तु मात्र यही कारण

नहीं था। आक्रमणके वावजूद पश्चिमी सम्यता और शिक्षा ने भारतवासियोंको बहुत प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन और ईसाई प्रचारकोंके सम्पर्कसे उनमें नई चेतना उसी प्रकार पैदा होने लगी कि जिस प्रकार द्वार बन्द हो जानेपर भी सूर्यका प्रकाश अन्दर पहुँच ही जाता है। राजा राममोहन राय (१७७४-१८३३) ने सन् १८२८ में ब्राह्म समाजकी स्थापना और सन् १८२९ में सती और बाल हत्या जैनी वर्वर प्रथाओंको राज्य के कानून द्वारा बन्द करवानेकी चेष्टा की। आचार्य जावडेकरके शब्दोंमें, "हिन्दू धर्ममें सुधार किए जाएँ, एकेश्वरी धर्मका सर्वत्र प्रचार करके यह बताया जाए कि सब धर्मोंका अंतरंग एक ही है और इस तरह ससारके धर्मभेदोंका अन्वकार दूर करनेवाले सार्वत्रिक विश्व-धर्मके सूर्यका प्रकाश सर्वत्र फैलाना उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा थी।" (आधुनिक भारत पृष्ठ ५२) वे ईसाई धर्मको हिन्दू धर्मसे किमी प्रकार अच्छा नहीं मानते थे। परन्तु वे मानते थे कि ईसाइयोंमें बहुत से अच्छे लोग हैं।

ब्राह्म समाजी पश्चिमी शिक्षासे बहुत प्रभावित हुए और आगे चलकर ब्रह्मानन्द केगव वावूके समयमें तो वे वेदोंके 'ब्रह्म' से बहुत दूर हट गए। ब्राह्म समाजका प्रभाव केवल बंगाल ही तक सीमित रहा। लेकिन बम्बई और अहमदाबादमें इसीमें मिलते-जुलते एक और सुधार-आन्दोलन का आरम्भ हुआ। महाराष्ट्रमें सुधार-आन्दोलन १९ वीं शताब्दीके आरम्भसे ही चल पडा था। इन्हींकी नीवपर सन् १८६७ में प्रार्थना समाजकी स्थापना हुई। लेकिन इसके नेता हिन्दू धर्मके बड़े नेता थे और प्रार्थना-समाज को उसका एक सुधारक पथ मानते थे। यह समाज भी बहुत जोर नहीं पकड़ सका, क्योंकि सन् १८८० में तिलक और आगरकरने आजन्म देश-सेवाकी दीक्षा लेने वालों का दल खडा करने की जो अपूर्व प्रथा डाली उसमें प्रार्थना-समाजकी सुधारक-मडली का तेज फीका पडने लगा। इस कालके दूसरे समाज-सुधारक-आन्दोलनोंमें ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का विधवा-विवाह-आन्दोलन उल्लेखनीय है। रामकृष्ण परमहंस यद्यपि इस प्रकारके सुधारक नहीं थे लेकिन उन्होंने विवेकानन्दका निर्माण करके लोक-सेवा और राष्ट्रीयताको प्रमुखता दी। "भौतिक प्रगति को और प्रवृत्ति-परताको प्रधानता देकर वेदान्तको कर्म-प्रवल बनाना, ईसाई पादरियोंकी तरह धर्माचरणमें लोक-सेवाको प्रधानता देना और धर्मके आचारपर राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमानकी ज्योति जलाकर लोगोंमें स्वाधीनताके विरुद्ध क्रांतिका भाव फैलाना स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशनका उद्देश्य था।"

स्वामी दयानन्द सरस्वती भी इसी कालमें आर्य समाजको लेकर नामने आए। कई रूपों में यह आन्दोलन सबसे व्यापक था। यद्यपि पंजाब इसका मुख्य केन्द्र माना जाता था परन्तु इसका प्रभाव आजके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, बिहार आदि पर भी पडा था और खूब पडा था। स्वामी दयानन्द एक बातमें भिन्न थे। दूसरे आन्दोलन किनी न किनी रूपमें पश्चिमी नम्यताने प्रभावित थे परन्तु स्वामी दयानन्द प्राचीन नम्यताके प्रवल नमर्थक थे। वे नस्कृतके प्रकाण्ड पठित थे और अंग्रेजीमें अनभिज्ञ तथा संन्यासी होनेके कारण पश्चिमी नम्यताका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं था। उन्होंने मयुराके दण्डी स्वामी विरजानन्दसे शिक्षा ग्रहण कर्के उन्हींकी आज्ञामें नव्यानीन भारतमें फैलाने हुए पाखण्ड और अविद्याके विरुद्ध जहाद बोल दिया। इनकी नमान

शिक्षाये वेदोपर आधारित थी। इन्होंने वेदोंसे प्रमाण देकर सिद्ध किया कि परमेश्वरके शुद्ध स्वरूपका ज्ञान वेदोमें है। वेदाध्ययनका अधिकार सब मनुष्योंको है। मूर्ति-पूजा, वेद-विरुद्ध है। श्राद्ध भी वेद-विरुद्ध है। चातुर्वर्ण जन्म सिद्ध नहीं किन्तु गुण और कर्म पर अवलम्बित है। समुद्र-यात्रा, खान-पान और अतर्जातीय विवाह वर्जित नहीं है। विधवा-विवाह भी उचित है। अस्पृश्यता त्याज्य है।

स्वामी दयानन्दकी विचारधारा कुछ अंशोंमें राजा राममोहनरायकी विचारधारा से मिलती थी। लेकिन बादमें उनमें बहुत अन्तर आ गया। आज बीसवी शतीके उत्तरार्धमें इन सुधारोका मूल्यांकन करनेमें वेशक हम समर्थ न हों सकें लेकिन आजसे १०० साल पहलेकी स्थितिमें अपनेको रखकर यदि हम उनपर विचार करेंगे, तो निस्संदेह इस निर्णयपर पहुँचेंगे कि स्त्री शिक्षाका व्यापक प्रचार तथा अछूतपन और वर्जनगीलता का घोर विरोध करके ही स्वामी दयानन्दने भारतकी राजनीतिक क्रांतिका मार्ग प्रगस्त किया था। उस कालमें जब विवाहित स्त्री पुरुषका दिनमें एक-दूसरेका मुँह देखना पाप समझा जाता था, तब स्वामी दयानन्दने यह घोषणा की—“प्राचीन कालमें स्त्रियो को विद्या प्राप्तिका अधिकार था। वे आजन्म ब्रह्मचर्यव्रत धारण करती थी और साधारण स्त्रियोके भी उपनयन और गुल्गुहमें वास आदि सस्कार होते थे।” उन्होंने ‘स्त्री शुद्राना-विधाताम्’ का खडन करके “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” इस मन्त्रकी घोषणा की। वस्तुतः एक नेताके शब्दोंमें “ऋषि दयानन्द १९ वी शताब्दीमें नारी जातिको अपने गौरव-शाली पूर्व पदपर स्थापित करानेके लिए मसीहाके रूपमें अवतरित हुए।”

हमारे समाजके जिस दूसरे अंगके लिए स्वामी दयानन्दने अपने जीवनकी बाजी लगाई वह तथाकथित शूद्रोका था। तथागत बुद्धके कालसे लेकर अनेक सन्त और महात्मा इस बुराईको मिटानेकी चेष्टा कर रहे थे लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव समाज पर नहीं पड़ सका था। इसका प्रमुख कारण यह था कि ये लोग धर्म और समाज-व्यवस्था को एक मानकर चलते थे। वे धार्मिक अधिक सुधारक कम थे। दयानन्द पहले सुधारक थे जिन्होंने इस ओर सक्रिय कदम उठाया। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणीमें उनके लिए समानाधिकार का प्रतिपादन किया। बतलाया “यदि परमेश्वरका अभि-प्राय शूद्रोको पढानेके विषयमें न होता तो उनके शरीरमें वाक और श्रोत्र इन्द्रियाँ क्यों रचता। जहाँ कही निषेध किया है उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढने-पढाने से कुछ नहीं आवे वह निर्दुर्द्धि और मूर्ख होनेसे गूढ़ कहाता है।” श्री सत्यव्रत सामश्रमी ने ऋषि दयानन्दके प्रमाणोंके आधारपर ही शूद्रोको वेद पढानेके अधिकारकी व्यवस्था की। ‘यथे माम वाचनम् कल्याणी मा वदानि जनेभ्य’ आदि मंत्रोका ठीक-ठीक अर्थ समझाया। किसानोको वास्तविक राष्ट्र निर्माता बतलाते हुए स्वामीजीने लिखा— “राजाओका राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और राजा उनका रक्षक हैं।” अपने जीवनके अन्तिम कालमें तो उन्होंने तत्कालीन वर्ण व्यवस्थाको मरण व्यवस्था कहा। उनका मत था कि प्राचीन कालमें एक वेदोक्त धर्म होनेके कारण खान-पान और विवाह आदि व्यवहार सारे भूगोल में परस्पर होते थे। जबसे ईसाई मुस्लिम आदिके मत मतान्तर चले, आपसमें वैर-विरोध हुआ, उन्होंने मद्यपान और मांस आदि का खान-पान स्वीकार किया उसी समयसे भोजनादिमें बखेड़ा हो गया।”

इस प्रकार समुद्र यात्राका समर्थन करते हुए उन्होने कहा—“प्रथम आर्यवर्त देशी लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमणके लिए सब भूगोलमें घूमते थे । और जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होनेकी गंका है, वह केवल मूर्खोंके वहकाने और अज्ञान बढ़नेसे है । धर्म हमारी आत्मा और कर्तव्यके साथ है । जब हम अच्छा काम करते हैं, तो हमको देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर जानेमें कुछ दोष नहीं लग सकता । दोष तो पाप करनेमें लगता है ।”

इस प्रकार सहस्रो वर्षोंसे रूढियों और अन्धविश्वासोंसे ढके हुए हिन्दू धर्मको स्वामी दयानन्दने उसके सच्चे रूपमें प्रकट किया । उन्होने धीरे-धीरे चलनेकी नीति नहीं अपनाई । बल्कि घनकी चोट की । इस दृष्टिसे वे अपने समकालीन सुधारकोंसे बहुत आगे हैं और इसी कारण वे उग्र भी मालूम देते हैं । उन्होने नीर्मिकताके साथ या कह सकते हैं किसी सीमा तक क्रूरताके साथ जो कुछ उन्हें बुरा लगा उसे स्पष्ट रूपमें कहा । उन्होने वेदोंके अतिरिक्त किसी भी धर्मग्रन्थको माननेसे इन्कार कर दिया । उन्होने मूर्तिपूजा, अवतारवाद, तीर्थ और पौराणिक कर्मकाण्डको एकदम निपिद्ध घोषित किया । उनकी इन बलाग और उग्र बातोंका एक परिणाम यह हुआ कि उनका विरोध अति प्रबल हो उठा । वे प्रचण्ड तार्किक थे । विद्वान भी थे । लेकिन जिस समय वे उग्र हो उठते थे उम समय भारतीय सन्त परम्परासे बहुत दूर दिखाई देने लगते थे । उन्हींके समकालीन रामकृष्ण परमहंस जब उनसे मिलनेके लिए गए तो उस भेंटका उन पर जो प्रभाव पडा उसका वर्णन उन्होने इस प्रकार किया है—“दयानन्दसे भेंट करने गया । मुझे ऐसा दिखा कि उन्हें थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त हो चुकी है । उनका वक्षस्थल सदैव आरक्त दिखाई पडता था । वे वैखरी अवस्थामें थे । रात दिन लगातार शास्त्रोंकी ही चर्चा किया करते थे । अपने व्याकरण ज्ञानके बल पर उन्होने अनेक शास्त्र वाक्योंके अर्थमें उलट फेर कर दिया है । मैं ऐसा कहूँगा । मैं अपना मत स्थापित कहूँगा ? ऐसा कहने में उनका अहंकार दिखाई देता है ।”

एक सन्त पर दयानन्दका यही प्रभाव पड सकता था । परन्तु ऊपरसे दिखाई देनेवाले इस रूपके भीतर वह कुछ और भी थे । अहंकार उनमें भले ही रहा हो, पर अपनेको उन्होने बडा कभी नहीं माना । उन्होने बहुत बडा दावा भी नहीं किया । वे तो अपने चारों ओर फैले हुए पाखण्ड को देखकर तिलमिला उठे थे और उसको दूर करनेके लिए उन्होने चारों ओर प्रहार करना भी आरम्भ कर दिया था । पर इन प्रहार में द्वेष नहीं था, घृणा नहीं थी । बेशक उनका मूल्यांकन सही न हो लेकिन उद्देश्य सदा था । उन्होने कहा है—“मेरी कोई नवीन कल्पना या मत मतान्तर चलानेका नेश-मात्र भी अभिप्राय नहीं है । किन्तु जो सत्य है उसे मानना मनवाना और जो असत्य है, उसको तोडना-नुडवाना अभीष्ट है । यदि मैं पक्षपात करता, तो आर्यावर्तके प्रचलित मतों में से किसी एक मतका आग्रही होता । किन्तु जो-जो आर्यवर्त व अन्य देशोंमें अधर्म-युक्त चाल चलन है, उनका स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं, उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य-धर्मके बाहर है ।”

इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका उद्देश्य क्या था । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है उन्होने वेदोंके अतिरिक्त किसी भी धर्म-ग्रन्थ को माननेसे इन्कार कर दिया था । इन्हीं

मान्यताके परिणामस्वरूप उनका वह एकता सम्मेलन विफल हो गया था, जो उन्होंने जनवरी सन् १८७१ के कैसरी दरवारके अवसरपर बुलाया था। वर्तमान भारतमें विभिन्न धर्मावलम्बियोंको एक मंचपर लानेवाला वह पहला सम्मेलन था। स्वामीजी ने इसमें यह प्रस्ताव रखा था कि यदि हम सब लोग एकमत हो जाएँ और एक ही रीति-से देशका सुधार करें, तो आशा है, देश शीघ्र सुधर जाएगा।

लेकिन ऐसा हो न सका। इस सभाके एक सभासद वावू नवीनचन्द्ररायके शब्दों में—“इस विषयमें बहुत बात-चीत हुई। पर मौलिक विश्वास में हम लोगोंका उनसे मतभेद था इसलिए जैसा वे चाहते थे एकता न हो सकी।” वावू केशवचन्द्र सेन की जीवनीमें भी इस घटनाका स्पष्ट उल्लेख है—“वावू केशवचन्द्र सेन जब फिर दिल्लीमें स्वामीजीसे मिले, तो उन्होंने कहा कि वे बहुत बातोंमें उनसे सहमत हैं लेकिन एक बात उनकी समझमें नहीं आती कि बिना वेदका सहारा लिए धर्म शिक्षा कैसे दी जा सकती है।” इन बातोंसे और उनके तमाम जीवनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे वेदोंको ही सब कुछ मानते थे। आज वेदोंको अपौरुपेय कहना वेगक हँसीकी बात जान पड़ती हो लेकिन उस कालमें इसीके आधारपर उन्होंने अपने आन्दोलनको चलाया। इससे जान पड़ता है कि व्यावहारिकतामें वे बहुत निपुण नहीं थे। लेकिन बात ऐसी ही नहीं है। तसवीरका एक और पहलू है जिसे उनके अनुयायी देखनेसे इन्कार कर देते हैं। हमने उनके जीवनको और भी कई लोगोकी दृष्टिसे देखनेका प्रयत्न किया है। उसमें कई अद्भुत बातें मालूम हुई हैं। वावू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्यायने अपने जीवनके २० वर्ष खपाकर स्वामी दयानन्दकी जीवनी के सम्बन्धमें बहुत सी सामग्री इकट्ठी की है। वे आर्यसमाजी नहीं थे लेकिन जिस अपूर्व श्रद्धासे उन्होंने स्वामीजीके जीवनपर प्रकाश डाला वह उनकी लगनको प्रमाणित करता है। उन्होंने लिखा है कि “इस सम्मेलनके तीन साल बाद दिसम्बर १८८० में स्वामीजी आगरा गए और सेंट पीटर्सके विशप महोदयसे उन्होंने कहा—“यदि हम और आप तथा अन्य धर्मोंके बुद्धिमान नेता केवल उन बातों का प्रचार करें, जिन्हें सब मानते हैं, तो एकता स्थापित हो सकती है। हमारे मुकाबले पर फिर नास्तिक ही रह जाएँगे।”

इस बातसे जान पड़ता है कि स्वामीजीने उस समय वेदोंपर जोर देना छोड़ दिया था। अहमदाबादके सामाजिक नेता रायवहादुर भोलानाथ सारा भाईके जीवन चरित्र में एक और अद्भुत घटनाका वर्णन मिलता है। स्वामी दयानन्दको उसमें डिप्लोमेटिक रिफॉर्मर कहा है। “एक समय भोलानाथने दयानन्दसे कहा, ‘स्वामीजी आप वेदोंको ईश्वर प्रणीत बतानेका प्रयत्न करते हो सो बुद्धिमान लोगोके सामने तो व्यर्थ है।’ इस पर दयानन्दने कहा—“यह सब बात तो सच है परन्तु भोलानाथजी ऐसा समझाए सिवाय लोग सब अपने संग कैसे आने वाले और अपनी गाडी चले कैसे।”

इसी सम्बन्धमें एक और बातका पता चला है। कहते हैं कि स्वामीजी ने देहरादून के वावू ज्योति प्रसादजीको एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि वेदोंमें अनेक गलतियाँ हैं। पहले मैं उन सबका अर्थ कर लूँ फिर उसके बाद उन गलतियों को छाटूँगा। एक समय आर्य समाजमें उस पत्रको लेकर बड़ा आदोलन उठा था। पर बादमें कहते हैं, वह पत्र नष्ट कर दिया गया। हमें इस विवादमें पड़नेकी जरूरत

नहीं है लेकिन उनके जीवनका अध्ययन करनेपर हम इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि स्वामी दयानन्दका निरन्तर विकास हुआ है। हमारा अनुमान है कि प्रारम्भमें वे वेदोपर बहुत जोर देते थे परन्तु अन्तमें वे इस बातको समझने लगे थे कि यह बात इतनी आवश्यक नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश लिखते या लिखते समय उनकी जो मान्यताएँ थीं पूनाके व्याख्यानमें वह उनसे बहुत आगे बढ़ गए हैं। उन्हीं व्याख्यानोमें उन्होंनेविषवा-विवाहको स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है।

स्वामीजी समयको भी देखते थे। खानपानमें भेद न मानकर भी उन्होंने सर सैयदके घर भोजन नहीं किया। ऐसा करेंगे, तो लोग हमें मुसलमान कहेंगे और हमारी बात न सुनेंगे। ऐसा उनका मत था। हमारा विश्वास है कि यदि वे कुछ दिनों और जीवित रहते, तो वेदोपर उनके नए मन्तव्योका हमें लाभ मिलता। उन्होंने पंडित हरिश्चन्द्रसे कहा था—मेरा उद्देश्य सबको आपसमें मिलाना है। जैसे जुड़े हुए हाथ। मैं कोलसे लेकर ब्राह्मणतकमें जातीयताकी ज्योति जगाना चाहता हूँ। मेरा खडन हित सुधारके लिए है।” इस कथनमें उनके सारे जीवनका उद्देश्य समा गया है। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि उन्हें मुसलमानोका सबसे बड़ा विरोधी कहा गया है लेकिन आर्यसमाजकी नींव एक मुसलमानके ढंगलेपर ही रखी गई थी। उनकी मृत्युके उपरांत सर सैयद अहमदने जिन शब्दोंमें उन्हें याद किया था वह इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि स्वामीजी किसीके विरोधी नहीं थे। वे सबके मित्र थे। सबका सुधार चाहते थे।

स्वामीजीने किसी नए धर्मका न प्रचलन किया और न किसी नए दर्शनका ही प्रतिपादन किया है। बल्कि उनकी मान्यताका आधार विष्णु वेदान्तही है। वैसे उन्हें विशिष्टाद्वैतका प्रतिपादक माना गया है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, वे तीनोंको स्वतंत्र रूपमें स्वीकार करते थे। लेकिन बहुतसे विद्वान मानते हैं कि वे मूलतः अद्वैतके ही उपासक थे। वस्तुतः एक महान समाज-सुधारकके रूपमें उनका जो योगदान है, दर्शनके क्षेत्रमें उनकी वैसी कोई मौलिक मान्यता नहीं जान पड़ती। उनके ‘एकेश्वरवाद’ को पैगम्बरी एकेश्वरवादके विरोधमें वैदिक एकेश्वरवाद कहा जाता है। पर हमारी मान्यता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी वे द्वैतवादके समर्थक थे या अद्वैतके इस वाद-विवादमें पडकर हम तो यह मानते हैं कि वे परम आस्तिक थे। यहाँ तक कि उन्होंने छहों दर्शनोंको एक नमान आस्तिक माना। इस क्षेत्रमें उनका सबसे बड़ा योग वेदोके अर्थ करनेकी रीतिमें है। उन्होंने महिषर, सायण और दूसरे पाश्चात्य विद्वानोकी प्रचलित मान्यताओं का खडन करके निरुक्त प्रणालीको स्वीकार किया। उन्होंने कहा—वेदमें केवल धर्म की ही बातें नहीं हैं, उसमें विज्ञानकी भी सारी बातें प्रच्छन्न हैं। इस क्षेत्रमें उन्हें सबसे बड़ा ममेथन मिला योगी अरविन्दसे। उन्होंने लिखा “वेदोके भाष्यके विषयमें मेरा पूर्ण विद्वाम है कि अन्तमें चाहे वेदोका कोई भाष्य प्रामाणिक माना जाए, परन्तु स्वामी दयानन्दकी प्रतिष्ठा नवमें बढकर ही की जाएगी। क्योंकि उन्होंने नत्य अर्थोंको न्वाज निकाला। अर्थात् धातुका अर्थ यौगिक शब्दोंने निकालना उनकी काम था।”

“जब भारतमें गडबड और अविद्या तथा अन्धकारके घोर वादन छाए हुए थे और सदियोंसे जनता भ्रम जालमें फँसी हुई थी तब दयानन्दके चक्षुओंने दीर्घ दृष्टिमें उन दृश्यको देखा जिसने सत्यको प्रकट किया और जो कुछ भारतके लिए आवश्यक था उनपर वह

चट्टान के समान दृढ़ हो गए । उसने उस द्वारकी कुजीको पा लिया जो सहस्त्रो वर्षोंसे बन्द पड़ा था । और बन्द पड़े हुए स्रोतको तोड़कर शुद्ध पवित्र जलकी धारा बहा दी ।

इस प्रकार स्वामी दयानन्दमें सतीकी नम्रता और निरहंकारिता भले ही न हो (और तत्कालीन हिन्दुत्वको निन्दित और आक्रान्त देखकर उनसे ऐसी आशा करना दुराशा ही थी), लेकिन इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उन्होंने जो मार्ग अपनाया था, उसीपर चलकर नए भारतके निर्माताओंने एक ऐसे तंत्रका निर्माण किया जिसकी परिणति हमारी राजनीतिक ही नहीं मानसिक मुक्ति में भी हुई । ऊपरसे देखनेपर ऐसा लगता है कि स्वामीजीने देशमें कई नूतन अघविश्वासोंको जन्म दिया और उनके अनुयायियोंकी संकीर्णता के कारण ऐसा हुआ भी तो नहीं, आर्यसमाज निर्जीव होकर क्यों रह जाता । लेकिन फिरभी यह दोष लगानेवाले इस बातको भूल जाते हैं कि उन्होंने ही आत्मविश्वासकी वह ज्योति जगाई थी, जिसके प्रकाशमें हमने आगे बढ़ना सीखा । विकास-क्रममें वह एक अनिवार्य कडी थे । जनतंत्र और तर्कके इस युगमें जिसके सस्थापकोंमें वह स्वयं थे, सबको मत प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता है लेकिन इस तथ्यसे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि जिस सत्य की खोजमें दयानन्दने राजसी वैभवको त्यागकर फकीरीका बाना पहना था वह आज प्रकट हो चुका है कि मनुष्य सब समान है । जन्मसे न कोई बड़ा है न छोटा ।



राजा राममोहन राय

सन् १७७२ ई० में राजा राममोहन रायका जन्म, वर्तमान हुगली जिलाके आराम-वाग महकमेके खानाकूल-कृष्णनगरके निकटवर्ती राधानगर गाँवमें हुआ था। उनके दादा कृष्णचन्द्र बन्दोपाध्यायको तत्कालीन नवाबकी ओर से 'राय-रायान्' उपाधि मिली। तभीसे वे लोग 'बन्दोपाध्याय' की जगह राय उपाधि धारण करने लगे। नवाबी शासन के कर्मचारी, विशेषकर राजस्व विभागके कर्मचारी अर्थोपार्जनकी विशेष सुविधा पाते और इसी कारण अपने नामसे वे जमीन्दारी आदि खरीद कर जमीन्दार और ताल्लुकदार बनते। राजा राममोहन रायका परिवार भी इसी प्रकारसे बना हुआ जमीन्दारी घराना था। नवाबी शासनके कर्मचारी स्वभावत ही अरबी और फारसीका अध्ययन कर मुसलमानी श्रद्ध-कायदा बरतते। राममोहनरायके परिवारमें भी नवाबी श्रद्ध-कायदेका प्रचलन था। कुलीन ब्राह्मणोका घराना होते हुए भी उनके परिवारमें सकीर्णता को स्थान नहीं था।

राजा राममोहन रायके बाल्य-जीवनका पूरा विवरण नहीं मिलता। फिर भी कुछ इधर-उधरकी बातोंके आधारपर पता चलता है कि आरम्भमें उनको गुरु पाठशालामें भेजा गया। घरमें वे फारसी पढ़ते थे। साधारणत उस समय उच्च हिन्दू परिवार के बच्चोंको फारसी पढ़ानेके लिए मुशी नियुक्त किए जाते। इसके बाद उनको पटना और काशीमें अरबी तथा संस्कृत पढ़ानेके लिए भेजा गया। बाल्यकालमें ही राममोहन रायके तीन विवाहोंकी बात बताई जाती है। कुलीन ब्राह्मण घरानेमें जन्म ग्रहण करके उन्होंने बाल-विवाह, बहु-विवाह और सती-प्रथाके विरुद्ध बातें जान ली थीं। बड़े होने पर उन्होंने उक्त सामाजिक कुसकारोंके विरुद्ध सग्राम छेड़ा।

जीवनका अधिक समय अर्थात् प्रायः पचीस वर्ष परिवारके कार्योंमें ही बीत गया। उस समय तक उनके कार्यकलापोसे रवीन्द्रनाथके शब्दोंमें 'भारत पथिक राममोहन राय' के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुए थे। अंग्रेज कलेक्टरोंके साथ दीवान, मुस्तार आदि बनकर उनको भारतवर्षके अनेकों स्थानोंमें जाना पड़ा। प्रायः १८०० ई० में उनका कलकत्ता आना-जाना आरम्भ हुआ। यहाँ धीरे-धीरे अंग्रेजी राज्यके कर्मचारियों और व्यवसायियोंसे उनका परिचय बढने लगा। स्थायी रूपसे उन्होंने कलकत्तेमें १८१४ ई० के आसपाससे रहना आरम्भ किया। उस समय वे एक धनी व्यक्तिके रूपमें थे। स्थायी रूप से जब वे तिजारत करने और कम्पनीके कागज़ोंकी खरीद-बिक्री करने तथा भूमि-संपत्तियों

आय-वृद्धि करने लगे थे एव बीच-बीचमें सरकारी काम अथवा सरकारी नौकरी करने लगे थे उस समय उनकी वार्षिक आय वारह हजार रुपया थी । अर्थोपार्जनकी दृष्टिसे उनकी प्रवृत्ति आधुनिक यूरोपियन षणिकोंकी सी थी । अर्थ और विद्याका समन्वय एक साथ हुआ था ।

मध्ययुगमें सामाजिक प्रतिष्ठाका मानदण्ड वंश गौरव और स्थायी सम्पत्ति अथवा जमींदारी था । आधुनिक अर्थयुगमें आरम्भसे ही इस मापदण्डका गौरव क्षीण होने लगा और उसके बदलेमें चल सम्पत्ति अर्थात् रुपए और विद्याने स्थान ग्रहण कर लिया । राममोहन रायने युग धर्मके अनुरूप यथेष्ट धन और विद्याका अर्जन किया था । अरबी फारसी और सस्कृतके अलावा उन्होने अंग्रेजोंके सम्पर्कमें आकर अंग्रेजीका भी अच्छा अभ्यास कर लिया था । अतः कलकत्तेमें जब उन्होने अपना कारोबार आरंभ किया उस समय उनके पास धन तो था ही विद्याकी कमी भी नहीं थी । फलस्वरूप कलकत्ते के सामाजिक जीवनमें उनकी प्रतिष्ठा अच्छी थी ।

राजा राममोहन रायके कर्म-जीवनके कुल सोलह वर्ष हम कह सकते हैं । यह अवधि १८१४ ई० से १८३० ई० है । उम्रकी दृष्टिसे विचार करने से हम कह सकते हैं कि वे जीवनके सक्रिय क्षेत्रमें ४०-४२ वर्षकी उम्रमें उतरे और ५६-५८ वर्ष तक काम करते रहे । १९ नवम्बर १८३० ई० को उन्होने विलायत यात्रा की और २७ सितम्बर १८३३ ई० को उनकी मृत्यु हो गई । काफी परिपक्व अवस्थामें उन्होने जीवन-क्षेत्रमें प्रवेग किया था—यह उनके जीवन-चरित्रसे प्रकट है । इसके पूर्व वे धर्म-संस्कारकी ओर आकृष्ट हुए थे और इसपर उन्होने गंभीर चिन्तन भी किया था । पटनासे लौटने के बाद उन्होने अरबी और फारसीमें एक पुस्तक लिखी । सम्भवतः इसी पुस्तकका नाम 'मनाजेरातुल आदियान' था, जिसमें विभिन्न धर्मोंपर गंभीर आलोचना थी । उनकी 'तुहफातुल मुवाहीदीन' नामक पुस्तकमें इसका उल्लेख है । इस पुस्तकके रचना कालके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद माना जाता है । मिस कलेटका कहना है कि इस पुस्तककी रचना १८०३ ई० में हुई थी और डॉ० कार्पेन्टरका कहना है कि १८११ ई० में इस पुस्तकका मुद्रण मुर्शिदाबादमें हुआ था, किन्तु रचना कब हुई, इसके बारेमें उन्होने विशेष कुछ नहीं बताया । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह पुस्तक एक प्रौढ रचना है । इस पुस्तककी भूमिका अरबीमें है और मूल फारसीमें । अरबी और फारसीके विद्वानोंका कहना है कि उनका इन दोनों भाषाओंके ऊपर असाधारण अधिकार था और उसका प्रमाण उनकी यह पुस्तक है । साथही इस पुस्तकमें वाल्टेयर और वलनी आदि प्रमुख यूरोपीय दार्शनिकोंके विचारोंका प्रभाव भी दिखाई देता है । इसी प्रकारकी बातें इस पुस्तकके सम्बन्धमें आचार्य ब्रजेन्द्रनाथ गोलने भी कही हैं । डाका गवर्नमेंट मदरसेके सुपरिन्टेन्डेन्ट मौलवी अब्दुल्लाने सर्वप्रथम १८८४ ई० में इस पुस्तकका एक 'ए गिफ्ट टू डीस्ट' नामसे अनुवाद किया । भूमिकामें राजा राममोहन रायने यह लिखा है कि उन्होने कई देशोंका भ्रमण किया और सभी जगह उन्होने देखा कि जगतका पालनकर्ता एक ही है । लेकिन उसके स्वरूप और स्वभावके सम्बन्धमें सभी जगह एक ही मान्यता नहीं है । उक्त पुस्तकके अन्तमें हाफिजके दो दोहोंका उल्लेख है—जिनका भाव यह है—

“अत्याचारी मत बनो । मनुष्य-जीवनमें इससे बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है ।”

इसी प्रकारका एक फारसी दोहा भी उन्हे बड़ा प्रिय था—जिसका भाव है—

“जीवनमें सेवा धर्मसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है । जपमाला और आसान धर्म नहीं दिखावा है ।”

इस पुस्तकके अलावा भी राजा राममोहन रायने प्राचीन हिन्दू शास्त्रो (वेद-वेदान्त) और अग्नेजोके धर्म-शास्त्रोकी आलोचना-प्रत्यालोचना की है । सभी स्थानोमें उन्होने स्वतंत्र चिन्तनपर जोर दिया है । जोर-जबर्दस्तीसे वे किसी पर धर्म लादनेके पक्षमें नहीं थे । धर्म प्रचारको लेकर वे केवल हिन्दू-समाजके ही कोप भाजन हुए हो सो नहीं, क्रिश्चियन मिशनरियोका कोपभाजन उन्हें बनना पडा था । राममोहन रायके ऐकेग्वर-वादमें प्राचीन हिन्दू धर्म, मुसलमान धर्म और इसाई धर्मका सार तत्व समन्वित हुआ था । स्वदेशकी सभी वस्तुएँ खराब है और विदेशकी सारी चीजें अच्छी है—ऐसा उन्होने कभी भी स्वीकार नहीं किया । मातृभूमिके घरातलपर खड़े होकर उन्होने नए विदेशी भावादर्शको विचार-विश्लेषण करके ग्रहण किया था ।

शिक्षा और सामाजिक सस्कारके क्षेत्रमें श्री राममोहन रायने इती आदर्शका पालन किया । अपने इसी आदर्शको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए उन्होने ‘ब्राह्म समाज’ की स्थापना की । वादके समाज-सुवारकोने उनके कामको कितना आगे बढ़ाया—इस पर विचार करना अपना काम नहीं । उनके द्वारा प्रतिष्ठित ‘ब्राह्म समाज’ के द्वारा समाजमें जो प्रगति आई और एक नई रोगनी दिखाई दी वह आज भी याद करने लायक वस्तु है ।

इसी प्रसंगमें राममोहन रायके एक और अवदानकी बात कह देनी है । बंगला गद्य-साहित्यके वे पहले महारथी थे । काव्यकी भाषा तो अनुभूति और आवेशकी भाषा ममझी जाती है लेकिन गद्य-भाषाका विकास घरातल युक्तियाँ और विचारवृद्धि को कहा जायगा । सामाजिक जीवनमें युक्ति और विचार-वृद्धिकी प्रतिस्थापना होने के बाद गद्य भाषाका विकास हुआ है—जब कि काव्यगत-भाषाका बहुत पहलेने ही विकास हो गया था । भारतवर्षकी सभी भाषाओके मन्बन्धमें यही कहा जाता है और देखा भी जाता है कि १९ वी शताब्दीसे उनके गद्य-साहित्यका विकास-कार्य आरम्भ हुआ । उन्होने मातृभाषापर भी जोर दिया है और उसके सवर्षमें भी काफी काम किया है । उनकी युक्तिवादी रचनाओमें बंगला भाषाके गद्यका आरम्भिक विकास देखा जा सकता है ।

इन्ही सब कारणोको देखकर और उनके द्वारा देण, समाज और माहियमें की गई सेवाओके कारण ही उन्हें नवीन भारत का प्रवर्तक कहा जाता है । कवि गुरु रवीन्द्र नाथकी भाषामें हम कह सकते हैं—“आज जिन नवीन भाग्यको हम देख रहे हैं, उगके निर्माणमें काम करने वालोमें से राजा रायमोहन राय भी एक थे । उन्होने समाजमें नए विचारोकी क्रांति सर्वप्रथम फूँकी थी । वे विचार कोई नए नहीं थे । बल्कि प्राचीन ऋषि-महर्षियोके विचार थे, जिन्हें आधुनिक जामा पहनानेका काम उन्होने किया था । भारतवर्षकी यह वाणी कि ‘अपावृनु’ ही मत्य है—‘अपना आवरण अनावृत्त करो’ केवल भारतके लिए ही नहीं थी—नारे विश्वके लिए थी । और सभी कालोके लिए थी । इन्हीलिए जिन किसी ने इन मनीषियोकी वाणीका प्रचारकायं किया है वे सर्वदेशीय और सर्वयुगीन हैं और राजा राममोहनराय भी इन्हीमें से एक थे ।”

पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

जब राजा राममोहन राय कलकत्ता महानगरीमें अपने धार्मिक विचारोका प्रचार कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय २६ सितम्बर, सन् १८२० ई० को पश्चिम बंगालके एक छोटेसे ग्राममें पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागरका जन्म हुआ। उस वक्त राममोहन रायकी उम्र ४६-४८ के लगभग थी। इससे मालूम होता है कि राममोहन रायकी और ईश्वरचन्द्रजीकी उम्रके बीच काफी व्यवधान था। लेकिन दोनोके जन्म स्थानोमें अधिक व्यवधान नहीं है। दोनोका जन्म हुगली नदीके जहानाबाद (आरामवाग) परगनेमें हुआ था। दोनो ही बन्धोपाध्याय वंशके कुलीन ब्राह्मण परिवारके थे। विद्यासागर जीका जन्म वर्तमान मेदिनीपुर जिलेके घटाल परगनेके वीरसिंह ग्राममें हुआ था। सचमुच १९ वी सदीके इन दो महापुरुषोके जन्मका सादृश्य आश्चर्यमें डाल देनेवाला है। यदि दोनोके बीच कहीं फर्क था, तो वह केवल पारिवारिक मर्यादाओमें था राजा राममोहन राय उस जमानेके अभिजात वंशमें पैदा हुए थे जिस पर नवाबी (मुसलमानी) शिक्षा-संस्कृतिका यथेष्ट प्रभाव था। दूसरी तरफ विद्यासागरजीका जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवारमें हुआ था, जिस पर तत्कालीन ब्राह्मणवादका पूरा प्रभाव था। ऐसे परिवारमें जन्म लेकर विद्यासागरजीमें उदारता, सहिष्णुता, तेजस्विता और दृढताका जो अपूर्व समन्वय देखा गया, यह आश्चर्यमें डाल देनेवाली बात है।

गाँवकी पाठशालामें पढ़ लेनेके बाद विद्यासागर ८ वर्षकी अवस्थामें अपने पिताके साथ कलकत्ता चले आये। यहाँ संस्कृत कॉलेजके व्याकरणकी तृतीय श्रेणीमें उनको भरती किया गया। इस समय प्रसिद्ध हिन्दू कॉलेज और संस्कृत कॉलेज पाश्चात्य और प्राच्य विद्याके दो ऐतिहासिक केन्द्र थे। कलकत्तेके गोलदिघी (वर्तमान कॉलेज स्क्वायर) अंचलके एक ही हातेमें ये अवस्थित थे। एकही इमारतके एक भागमें संस्कृत कॉलेज था और दूसरी तरफ हिन्दू कॉलेजके जुनीयर और सीनियर विभाग थे। हिन्दू कॉलेज में धनियोके बच्चे पढ़ते थे और संस्कृत कॉलेजमें गरीब ब्राह्मणोके लड़के। शिक्षा-पद्धतिकी दृष्टिसे दोनोमें विभिन्नता थी। सन् १८२९ सालके जून महीनेसे सन् १८४१ के दिसम्बर महीने तक अर्थात् १२ वर्ष ५ महीने तक विद्यासागरजीने संस्कृत कॉलेजमें अध्ययन किया। इन १२ वर्षोंके एक युगको बंगालके सामाजिक सुधारके इतिहासमें जागरण काल कहना चाहिये। १८२९ ई० में राजा राममोहन राय कलकत्तेमें थे। १८२९ ई० में वॉटिंगने सती-प्रथाको कानून बनाकर बन्द किया। हिन्दुओने धर्मसभा

की स्थापना करके वेंचिंगके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया । दूसरी तरफ हिन्दू कॉलेजके शिक्षित छात्रोंने शासनके विरुद्ध बगावत की घोषणा करदी । इस समय एक तरफ मिशनरियोंके द्वारा धर्म परिवर्तनकी चेष्टा भी चल रही थी । कहनेका तात्पर्य यह कि इस समय बंगालमें वाद-विवाद, तर्क-वितर्क, आन्दोलन-प्रतिआन्दोलनकी एक वाद-सी आई हुई थी । संक्रमण कालके इन सुदीर्घ १२ वर्षोंमें विद्यासागरजीने अपना छात्र-जीवन व्यतीत किया । सघर्षके इन दिनोंमें उनका व्यक्तित्व प्रस्फुटित होने लगा । सामाजिक और राजनीतिक घटनाओंके इन घात-प्रतिघातोंमें ही उनके भावी जीवनका निर्माण हुआ ।

छात्र-जीवन शेष होनेके बाद विद्यासागरजीकी नियुक्ति सस्कृत-कॉलेजके अध्यापक पदपर हुई । हम यह भी कह सकते हैं कि बंगालके शिक्षा विद्का जीवन विद्यामन्दिर से प्रारम्भ हुआ । इसके बाद १८४६ में उनकी नियुक्ति संस्कृत कॉलेजके सहायक मंत्रीके पदपर हुई । किन्तु कॉलेजकी पठन-पाठन व्यवस्थामें परिवर्तन करनेके विषयमें उनका कॉलेजके मंत्री श्री रसमय दत्तसे मतभेद हो गया और उन्होंने १८४७ ई० में के जुलाई महीनेमें अपने पदसे इस्तीफा दे दिया । बादमें वे फोर्ट-विलियम कॉलेजके कोषाध्यक्ष बने पुन साहित्यके शिक्षककी हैसियतसे उनकी नियुक्ति सस्कृत कॉलेजमें हुई । उस समय उन्होंने पठन-पाठनमें शिक्षा-पद्धतिमें परिवर्तन सम्बन्धी जो रिपोर्ट शिक्षापरिषद् में उपस्थित की उसका बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है । इस वक्त विद्यासागरजीकी उम्र ३०-३२ वर्षकी थी ।

१८५१ से १८५३ तक के शिक्षापद्धतिमें आमूल परिवर्तनके महान कार्यमें जुटे रहे । सचमुच उस समय प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा-पद्धतिका संयोग सस्कृत कॉलेजमें हुआ । बादमें मातृभाषाके माध्यमसे शिक्षाके प्रचलनमें, गाँवोंकी मिडिल स्कूलोंकी स्थापनामें स्वतंत्र विद्यालयोंकी स्थापनामें (मेट्रोपोलिटन इन्स्टीट्यूट), स्त्री-शिक्षाके प्रसारमें और पाठ्य पुस्तकोंकी रचनामें विद्यासागरजीका पूरा हाथ रहा । इन कार्योंमें उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धिका परिचय दिया । राजा राममोहन रायने धर्मके क्षेत्रमें जो काम किया, जिस रास्तेको अपनाया उन्नी रास्तेको अपनाकर विद्यासागरजीने सामाजिक क्षेत्रमें काम करके आदर्श उपस्थित किया । धर्मके सम्बन्धमें विद्यासागरजीने इन्मीलिए कभी कुछ नहीं कहा, न किसी धार्मिक आन्दोलनमें उन्होंने योगदान ही दिया । उन्होंने शिक्षाके द्वारा समाजके कल्याण, मस्कार और प्रगतिका काम किया । बंगालकी शिक्षाकी उन्नति का जो अजस्र स्रोत विगत एक सौ वर्षोंसे बहता चला आ रहा है, उनके प्रवर्तक वे पं० ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ।

व्यक्तित्वकी दृष्टिसे विद्यासागरजीके समान उदार व्यक्ति बहुत कम मर्यादा पाए जाते हैं । बंगालके अधिवासीयोंके लिये वे 'विद्यासागर' के रूपमें जितने परिचित हैं, उतने ही या उससे भी अधिक वे 'दया सागर' के रूपमें परिचित हैं । उनकी आयका अधिकांश भाग गरीबों और असहायोंकी सेवामें खर्च होता । मैकजे विद्यालयियोंकी शिक्षाका भार वे अपने खर्चने चलाते । अनेकों विधवाएँ उनके दानने अपना प्रतिपादन करती । विधवा-विवाह कानूनके बन जानपर उन्होंने अनेको विधवाओंका पुनर्विवाह

कराया और इस पुनीत कार्यमें उनको इतना खर्च करना पडा कि वे ऋणी हो गए । वे कभी भी प्रकाश रूपमें दान नहीं करते । उनका दान गुप्त होता था ।

एक बार माइकेल मधुसूदनने विदेशसे पत्र द्वारा विद्यासागरजीसे आर्थिक सहायता मांगी थी—“आप हमारे देशके प्राचीन ऋषियोंकी तरह जानी हैं एवं यूरोपियन लोगो की भाँति संयमी और दृढ़व्रती हैं तथा माँके समान आपका स्वभाव स्नेहयुक्त एव कोमल है । अतः आपको छोड़कर मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ ?” माइकेलके उक्त वर्णित गुणोका सम्मिश्रण विद्यासागरजीमें था ।

वंगल गद्य-साहित्यमें विद्यासागरजीका अवदान बड़े महत्वका है । उनके द्वारा ही वँगला भाषाकी बहुत-कुछ वुनियाद रखी गई । वे साहित्यमें नई पद्धति अथवा नई स्टाइलके प्रवर्तक के रूपमें अमर हैं । इसीलिए तो रवीन्द्रनाथने उन्हें वँगला गद्य साहित्यका आदि गद्यकार बताया है ।

वंगला सन् १२६८ के १३ श्रावणको उस शिक्षा-विशारदकी मृत्यु हुई । १३०२ में विद्यासागरजीकी चतुर्थ मृत्यु वार्षिकीके अवसरपर कविगुरु रवीन्द्र नाथने कहा था—“विद्यासागरका समाज-निर्माण में बहुत बड़ा हाथ रहा है । जहाँ उन्होने शिक्षाके क्षेत्रमें बड़ा काम किया है, वही साहित्यमें भी उनका बड़ा महत्व है । उन्होने निर्वनो और अनाथोको आर्थिक दान देकर समाजका जो कल्याण किया, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता । आज वे इस संसारमें नहीं हैं—लेकिन उनके महत् चरित्रका जो अक्षयवट समाजमें फैला हुआ है—उसके नीचे बैठकर आनेवाली संतानको एक नया संकेत मिलता है—एक नई दीक्षा मिलती है ।”



हिन्दीके संत-कवियोंकी क्रांतिकारिता

‘क्रांतिकारी’ शब्दके अनेक अर्थ हैं। सामान्यतः स्वीकृत विचार व व्यवहारकी अस्वीकृतिका नाम क्रांति है। इस सामान्य अर्थमें तो सुधार भी क्रांति ही है यहाँ तक कि आज तो आदर्शवादी, यथार्थवादी सभी अपने-अपने अर्थोंमें ‘क्रांति’ शब्दका प्रयोग करते हैं। यहाँ तककि सामान्य अशान्ति हलचल आदिको भी लोग क्रान्तिके नामसे पुकारने लगते हैं। वस्तुतः प्रकारके परिवर्तन या उसके प्रयत्नका नाम ही ‘क्रान्ति’ है।

परन्तु भारतीय मेवा अपनी स्थिर-चित्तता तथा परोक्षपरकताके कारण ‘क्रांति’ शब्दका प्रयोग राजनीतिक-अशान्तिके प्रसंगमें ही करती है, विचारोंके क्षेत्रमें नहीं। इस विचार-धारासे जब १९वीं शताब्दीमें सर्वप्रथम योरोपीय विचारधाराका परिचय हुआ, तब योरोपीय विचारधाराको क्रांतिकारी और भारतीय आस्थावादको ‘परंपरावाद’ का नाम मिला। भारतीय परम्पराके रक्षकोंमें दो प्रकारके दल पुनर्जागरणकालमें दिखाई पड़े। एक—वे विचारक, जो योरोपीय विचारधाराको पूर्णरूपेण अस्वीकारकर भारतीय परम्परावादके गुण गाते थे और सभी स्थितियोंमें प्राचीन वैदिक व्यवस्थाका पुनरुत्थान चाहते थे, दूसरे—वे विचारक जो प्राचीनकी बूल झाड़कर, उनके केवल तात्कालिक परिस्थितियोंमें उपयोगी रूपको स्वीकार करते थे और योरोपीय विचारधारा को भी एक मीमा तक अपनी रचि व दृष्टिकोणसे अपनाते थे। इनमें प्रथम परम्परावादी कहलाए। आजके “सनातन धर्म समाज” इमी गतानुगतिक परम्पराओंमें है और दूसरे वर्गमें थियोसोफी, बुध-समाज, आर्य-समाज, आदि आन्दोलन आते हैं। इस दूसरी विचारधाराको उस समय क्रांतिकारी कहा गया क्योंकि वह कुछ आवश्यक परिवर्तनों की समर्थक थी। परन्तु आज उसे क्रांतिकारी नहीं सुधारवादी कहा जाता है। क्योंकि आज सबसे अधिक आमूल परिवर्तन करनेकी पुकार लगानेवाला दर्शन है मार्क्सवाद। अतः मार्क्सवादकी दृष्टि से समाजमें, अब तक छोटे-मोटे परिवर्तनोंकी पुकार मचानेवाले लोग सुधारवादी हैं। मुख्य परिवर्तन तो आर्थिक व्यवस्थामें होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्थाको यथावन् रखकर केवल ऊपरी ढाँचोंमें (Super structure) छोटे-मोटे परिवर्तनोंकी पुकार ‘सुधारवादी’ प्रयत्न है अतः नमाजके मम्मून् आज प्रश्न है कि आर्थिक क्रान्तिका, पूँजीके ममान वितरणका, आज प्रश्न है परोक्षप्रियताके न्यान पर अर्थात् प्राचीन धर्म-दर्शन, तथा आचार-व्यवहार (Pattern of life) के न्यानपर एक सर्वहारा संस्कृतिके विकासका, जनवादी संस्कृतिके निर्माणका।

तब क्या सन्त कवि-कवीर, दादू, नानक, रज्जव, सुन्दरदास आजके अर्थमें ही क्रांति-कारी थे ?

यदि उस समयकी परिस्थितिको ध्यानमें रखा जाय, तो पता चलेगा कि यद्यपि सन्त कवियोंके सम्मुख भविष्य अस्पष्ट था, एकान्त चिन्तक होने से समाजकी व्यवस्था-सवधी प्रश्न उनसे दूर थे और उन्होने “मसि कागद छूयो नही, कलम गही नहिं हाथ” । इसलिए निश्चित रूपसे सन्त उस कालमें किसी ऐसी स्थितिमें नही ले जा सकते थे जिसमें हमारे सारे आजके सामाजिक प्रश्न हल हो पाते परन्तु तो भी सन्त कवि तात्कालिक समाजको आलोचककी दृष्टिसे तो देख ही सकते थे । और सन्तोने ऐसा किया भी है ।

परन्तु पुनः प्रश्न उत्पन्न होगा कि आलोचककी दृष्टिसे तो भक्त कवियो—सूर, तुलसी, आदिने भी समाजको देखा है, विशेषकर तुलसीने अनेक सम्प्रदायोंकी तटस्थ आलोचना की है अतः सन्तकवियोंके साथ भक्त कवियोंका अंतर स्पष्ट होना चाहिए ।

थोड़ा-सा पीछे से देखें, तो स्पष्ट होगा कि इस देशमें देव-सम्भ्यताके विनाशके पश्चात् जो आर्य-सम्भ्यता स्थापित हुई, वह विपम-उत्पादन व विपम-वितरणके सिद्धान्त पर स्थापित हुई थी, अपने प्रारम्भिक आदिम रूपमें—कबीलेके भीतर अवश्य आदिम साम्य दिखाई पडता है, उदाहरणतः ऋग्वेद के प्रारम्भिक सूक्तोंमें । परन्तु ऋग्वेदके दशम मण्डलके निर्माण तक अर्थात् मध्य देशमें आर्य सम्भ्यताका केन्द्र स्थापित हो जानेपर समाजका विभाजन वर्णोंमें हो चुका था जो कि हमें सर्वप्रथम पुरुष सूक्तमें मिलता है । पुरुष सूक्तके समय आर्य सम्भ्यताका रूप इस प्रकार था :—

- (१) यज्ञवाद
- (२) वर्णवाद—(पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, दास, असुर-राक्षस आदि)
- (३) पुरुष-प्रधान पारिवारिक प्रथा
- (४) उत्पादनका आधार—पशुचारण तथा कृषि
- (५) शासनका रूप—सभा, समितिके परामर्शसे राजाओंका शासन ।

ये तत्त्व आर्य सम्भ्यताके मुख्य आधार हैं, ब्राह्मण-कालमें ये तत्त्व-स्थिर हो गए और वर्णों व वर्गोंकी अतर्भुक्ति जो पहले सहज थी, वह समाप्त हो गई । ब्राह्मण कालमें समाजका संचालन पुरोहितो व विजेताओंके हाथमें आ गया और वर्णोंको जातिके रूपमें स्वीकार कर लिया गया । आरण्यक व उपनिषद् कालमें एक परिवर्तन या कहें क्रांति दिखाई पड़ी, जो सन्त-साहित्यकी क्रांतिकारिताका रूप निश्चित करनेमें हमारी सहायता करती है । यह क्रांति थी क्रिया व योगकी क्रांति, आचार व चिन्तनकी क्रांति, व्यवहार व परमार्थकी क्रांति ।

उपनिषद् युगमें तत्त्वज्ञानी ऋषि दिखाई पड़े । यहाँ तत्त्व शब्द हमारे कामका है क्योंकि आगे सन्त इसी शब्दसे अपना व्यक्तित्व स्पष्ट करते हैं । तत्त्वज्ञानका अर्थ यह है कि कोई भी क्रिया, आचार या व्यवहार ज्ञानरहित होनेसे व्यर्थ है । यह एक महान् आश्चर्य था, जिसे आर्योंने—आर्योंमें ब्राह्मणों व विजेताओंने सहज ही स्वीकार कर लिया । सहजका अर्थ यह है कि क्रियाप्रधान यज्ञवादके स्थानपर संन्यासवर्म—परिव्राजकतावाद का प्रचार सहज ही हो गया । शायद योरोप होता तो यज्ञवादियों व ब्रह्मवादियोंमें रक्तक्रांति हो गई होती और इस सहजताका कारण था शायद अनार्यप्रभाव । अथर्ववेद

में जिस 'माया' की इतनी महिमा है, उसी 'माया' को शक्तिके रूपमें स्वीकार कर तथा ब्राह्मणकी तपस्या व अनार्य-दर्शन (साख्य) के योगको ग्रहीतकर ब्रह्मऋषियोंने ब्रह्मवाद व परिव्राजकतावादका प्रचार किया और अपरोक्ष व परोक्ष चेतनाको एक माना, उसे नित्य शुद्ध-बुद्ध अविभाज्य, अनन्त और निर्विकार कहा । इस चेतना (चैतन्य) से अपरिचित रहकर बाह्य क्रिया व्यवहार, आचार सब व्यर्थ है और केवल मूर्खोंके लिए है इस प्रकार कर्मकाण्ड गौण हो गया और ज्ञान-योग, तपस्या-सन्यास मुख्य हो गए और विचारकके क्षेत्र में ये बातें मुख्य हो गईं —

- (१) जीवनके प्रति तटस्थता
- (२) चेतनाकी उच्चतम्, अद्वय, अवाङ्मनसगोचर स्थितिकी कल्पना
- (३) गौण रूपसे कर्मकाण्डकी स्वीकृति ।
- (४) वर्णव्यवस्था, जातिवादका व्यावहारिक जीवनमें समर्थन परन्तु साधनात्मक जीवनमें खंडन ।
- (५) आश्रम व्यवस्थाका विकास ।
- (६) जीवनका उद्देश्य आत्यन्तिक मुक्ति ।

जो जाति व्यावहारिक जीवनमें जितने ही अधिक वधनो, द्वन्द्वो, विरोधो व दु खोंसे पीडित रहती है, वह उतनी ही अधिक वधन-रहित, द्वन्द्वरहित, तथा आनन्दमय मानसिकता की कल्पना कर लेती है । इस जीवनका क्रूर दमन पारलौकिक जीवनकी उन्मुक्त उच्छालमें बदल जाता है । भारतीय दर्शन व साधनाके क्षेत्रमें यही हुआ अत उपनिषद्-युगमें इस जीवनके द्वन्द्वो व दु खोंके दर्शनने आध्यात्मिक आनन्दमय, निर्विकल्प स्थितिकी कल्पना की और उस स्थितिकी एक झलक, एक आभास मात्र पाकर ही ऋषियो, माधको, व दार्शनिकोंने कवित्वपूर्ण भाषामें उसका वर्णन प्रारम्भ कर दिया । जीवनका यही ध्येय स्वीकृत हो गया । विषमसे समकी ओर, द्वन्द्वसे निर्द्वन्द्वकी ओर, विकल्पसे निर्विकल्पकी ओर, और इसलिए भोगसे, रागसे, सन्यासकी ओर समाजकी गति हो गई । यदि गति है, तो गतव्य कहाँ है ? यदि इति है, तो अथ कहाँ है ? यदि मिति है, तो अपरिमित कहाँ है, सीमा है तो नि सीमा कहाँ है, अशांति है, तो शांति कहाँ है, मर्त्य है तो अमरता कहाँ है, धागे क्यों है ? अँगुली क्यों है ? चरखा क्यों है ? कौन यह सब चल रहा है ? क्यों ? इन प्रश्नोंमें समाजका एक वर्ग—श्रवकाश प्राप्त वर्ग लग गया और दूसरी ओर यज्ञवाद चलता रहा, सामन्तभोग करते रहे, वर्ण-व्यवस्था कसती गई, जातियाँ वनती गई । दास, शूद्र तथा वैश्य कमाते रहे, और २५ वर्ष तक आश्रमोंमें पढ़कर, २५ तक सतान उत्पन्न कर लोग सन्यास लेते रहे वैसे जन्मसे ५० पचान वर्ष भी मन्थानकी तैयारी थी, मुक्तिके लिए वधनको स्वीकार करना था क्योंकि पिता व गुरुका ऋण जो चुकाना था ।

इस परिव्राजकतावादमें भी वैदिक यज्ञवाद अग्रण्ड रहा, बौद्धो व जैनियोंके पयन से यज्ञ अहिंसात्मक होने लगे क्षत्रियोंकी जगह वैद्योका प्रभुत्व बढ़ना गया । और गणोंमें ब्राह्मण विचारकोकी जगह क्षत्रिय माधकोने ले ली और वैद्योंने उनका समर्थन किया । उपनिषद्युग कल्पनाकी चरमनीमापर पहुँच चुका था उनमें आगे जानेकी गुंजाइश न थी अत बौद्ध जैन साधकोंने 'चेतनाकी अन्तिम स्थिति' को स्वीकार किया

परन्तु उसे ब्रह्म नाम न दिया और चेतनाको मानकर भी उसे आत्मा नाम नहीं दिया । तथा बौद्ध-जैन-सघोने ब्राह्मण-पुरोहितोका स्थान ले लिया ।

परन्तु समाजका मूल-ढाँचा न बदला जा सका । जातिवाद, वर्णवाद कुछ नरम हो गया । ब्राह्मणोका एकाधिकार ढीला हो गया और पौराणिक धर्मके रूपमें, जो आगे वैष्णव धर्मके रूपमें विकसित हुआ, ब्राह्मण धर्मको अपना वेश बदलना पड़ा परन्तु मूल बातें—वर्ण व्यवस्था, कर्मकाण्ड, ब्राह्मणोकी प्रधानता आदि वैसीकी वैसी ही रही । बौद्धोने कठोर ब्राह्मण-व्यवस्थाको नरम कर दिया परन्तु मूल सामाजिक ढाँचा न हिला क्योंकि आर्थिक व्यवस्था अपरिवर्तित रही । कृषक व शिल्पीकी दृष्टिसे ब्राह्मणो व बौद्ध-भिक्षुओमें केवल वेशमें अंतर था दोनो उपजीवी थे । हाँ इतना अंतर अवश्य था कि बौद्ध सघोमें कर्जदारोको छोड़कर सम्पन्न निम्न जातियोको भी 'निर्वाण' का अधिकार मिल जाता था ।

इस प्रकार बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तथा अन्य सम्प्रदायोमें अपने-अपने शास्त्रोंकी मान्यताओ के अनुसार विभिन्न प्रकारकी साधनाएँ चल पड़ी । शास्त्रकी मान्यता अतिम थी, उसे स्वीकार करनेको सब बाध्य थे । शास्त्रमें क्या था ? जो व्याख्याकार समझा दे । अतः एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई ।

परिस्थितिमें परिवर्तन हो जानेसे नाना सम्प्रदायोके अनेक शास्त्र बन जानेपर प्रत्येक सम्प्रदायमें अपने प्राचीन शास्त्रोंकी व्याख्या करनेके प्रयत्न हुए और दिलचस्प बात यह है कि ये सब व्याख्याएँ भी अलग-अलग सम्प्रदाय बनाती गई उदाहरणके लिए आर्योंमें पङ्दर्शनका विकास हुआ । जिसमें एक-एकमें अनेक अवान्तर मतोका प्रतिपादन हुआ । बौद्धोमें प्रथम दो मत हीनयान व महायान चले और फिर उनमें शतशः भेद होते गए । प्रत्येक प्रबल व्याख्याकारने अपना मत अलग बना लिया । अश्वघोष, नागार्जुन, वसु-वधु, असंग जैसे विद्वानोंके प्रयत्नोसे यहीं कहना कठिन हो गया कि अंततः गौतमबुद्धका वास्तविक कथन क्या था ।

इस सब शास्त्रीय प्रयत्नोके समानान्तर बहुत प्राचीन कालसे ही योगियोकी परम्परा चलती आ रही थी । इन्हें "अशास्त्रीय योगी" कह सकते हैं । अथर्ववेदके युगमें 'ब्रात्य' यही थे परन्तु चतुर ब्राह्मणोने 'ब्रात्यस्तोम' यज्ञ कर जब इन्हें स्वीकार कर लिया तब ये आर्योंमें ही मिल गए । उपनिषद् युगके ऋषि इसी योगद्वारा से प्रभावित थे परन्तु उपनिषद् कर्मकाण्डको स्वीकार कर लेती हैं अतः उपनिषद् युगके इन ऋषियोके समानान्तर योगियोमें शैव या शाक्त योगी स्वीकार किये जा सकते हैं । रुद्र, शिव, गर्व मूलतः अनार्योंके देवता थे, वेदोमें रुद्रको स्वीकार कर ब्रह्मके साथ ऋषियोने उनको एक कर दिया था परन्तु अशास्त्रीय योगियोने अपने योगका सम्बन्ध रुद्रसे ही जोड़ा ।

श्वेताश्वर उपनिषद्में शैव योगियोकी उपासनाको भी स्वीकार कर लिया गया । इस युगके पश्चात् अनार्य-परम्परामें विकसित अशास्त्रीय योग व उपासनाके दो रूप दिखाई पड़ते हैं (१) स्वतंत्र योगी विचारक (२) ऐसे शैव या शाक्त साधक जो अनार्य तत्वोको स्वीकार करके भी अपना सम्बन्ध वेदसे स्थापित करते हैं और किसी न किसी प्रकार अपनेको वैदिक मतके अनुकूल ही सिद्ध करनेपर तुल जाते हैं । इनमें वैष्णव पाँच रात्र मत तथा वैदिक कहलानेवाले शैव व शाक्तमत स्वीकृत किए जा सकते हैं । उदाहरण

के लिए शाक्त-उपासनाका सम्बन्ध दत्तात्रेयसे जोड़ा जाता है (देखिए परशुराम तंत्र) तथा पाँचरात्र-उपासनाका सम्बन्ध नारदसे है। नारद वैदिक युगमें वामदेव कहलाते थे और सारे अनार्य तत्वोंके आर्य-धर्ममें सन्निवेश को स्वीकार करते थे इसीलिये वे वामदेव (वामधर्मका समर्थक) कहलाते थे। अब रह गए शैव सो वे स्पष्ट ही अवैदिक खरके उपासक थे और शैव स्पष्टतः वामाचारके समर्थक हैं यद्यपि उसे वे वैदिक सिद्ध करते हैं। इस प्रकार रुद्र, नारद व दत्तात्रेय ये तीन प्राचीन तथा गौतम बुद्ध-युगीन अनेक अन्य अवैदिक विचारोंने योगकी एक विगिष्ट पद्धतिको स्वीकार किया जिसमें जान-बूझकर अवैदिक आचारकोको साधनाका माध्यम माना जाता था और जिसमें योगके साथ-साथ भावनाका भी पर्याप्त स्थान था। आगे चलकर नारदका सम्प्रदाय अपनी भावनाके लिए प्रसिद्ध होकर वैदिक परम्परामें पूर्ण रूपेण स्वीकृत हुआ। और शैवो व शाक्तोंके साथ बौद्ध साधकोका एक वर्ग सघोकी शास्त्रीयता व कठोर सयमसे क्लान्त होकर आमिला जिन्हें तान्त्रिक बौद्ध कहते हैं और जिसमें वज्रयान व सहजयान स्वीकार किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वैदिक मतोंमें योग स्वीकृत नहीं हुआ। वैदिक मतोंमें योग स्वीकृत तो हुआ पर उसका जो प्रारम्भमें कर्मकाण्डसे बँर था, ईश्वरसे बँर था (यथा कपिलके योगमें) वह मिटा दिया गया।

इस प्रकार ईसाके पश्चात् सारे देशमें वैदिक व अवैदिक सम्प्रदायोंका पुष्कल विकान हुआ। अवैदिक मत वर्णव्यवस्था, यज्ञ, जाति तथा ब्राह्मणोंके एकाधिकारको स्वीकार न करते थे। और वैदिक मतमें अनार्य तत्वोंको इस प्रकार मिलाया गया था कि मूल आर्य-सम्यता जिसमें वर्णव्यवस्था, जातिवाद, वेदवाद आदि मुख्य तत्वोंकी प्रधानता रहती थी, वैदिक मतावलम्बी कभी-भी साहसके साथ स्मृति, सूत्र, व वेदोंका खडन नहीं कर सकता था। पारमार्थिक सत्यके क्षणोंमें इनकी आवश्यकता नहीं थी परन्तु व्यवहारमें इनका मानना अनिवार्य था इसीलिए हिन्दीके वैष्णव कवि—सूर-तुलसी-नन्ददास, हरिदाम, आदिमें से किसी कविने मूल आर्यसामाजिक व्यवस्थाका जिसमें वेद-ब्राह्मणकी प्रधानता थी, स्मृतियोंकी प्रधानता थी, सूत्रकारोंकी प्रधानता थी, खडन नहीं किया किन्तु वर्ण-व्यवस्थाके व्यवस्थापक शकराचार्य जिस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूतिमें नभी प्रकारके भेदोंका खडन करते थे उन्ही प्रकार तुलसी भी “हरिको भजै मो हरिको होई, जाति-पाति पूछै नहिं कोई” की भावनाको मानते थे। फिर नाथ ही भक्तिमें सबका अधिकार मानकर भी यज्ञ व वेदमें ब्राह्मणोंकी प्रधानता बल्लभ भी मानते थे और तुलसीदास भी। अतः वह सामाजिक व्यवस्था जिसका आधार विभाजन व विषमता था, जिसमें कुछ वर्गोंका एकाधिकार था, जिसमें करोड़ों मनुष्योंको धन, बुद्धि, विद्याकी योग्यता, होनेपर भी केवल वर्ण व जातिके नामपर अपमानित होनेको विवद कर दिया गया था उन अशास्त्रीय अवैदिक साधकोकी आलोचनाका विषय नदा रही है। यह बात हमें स्मरण रखना चाहिए और यही इन अवैदिक साधको व मन्तोंकी को नातिकारिता है।

अवैदिक शैव व शाक्तों व तान्त्रिक बौद्ध-धर्मका सम्बन्ध उन्हाको छठी शताब्दीमें नवी शताब्दी तक स्थापित हो चुका था। और इन नामजन्मती प्रतिध्वनि वैदिक शैव-मतोंमें भी मिलती है? जिसका अकाट्य प्रमाण है वाग्मीरी शैवमत। उनपर नाथ मतका भी प्रभाव था तथा इनमें भी नाथ मतको प्रभावित किया था। वाग्मीरी शैव-

मतका अविगिष्ट प्रभाव स्पष्टतः सन्तों व नाथोंमें दिखाई पड़ता है । इसके अतिरिक्त अवैदिक ऋषयों व वौद्धतांत्रिकोंके वामाचार विरोधतः योनिपूजा, योगिनीरमण, मदिरा पान आदिका विरोधकर नाथ पंथने गंकरके अद्वैतवाद व नागार्जुनके शून्यवादसे मायाका सिद्धान्त गंकर से ब्रह्मका सिद्धान्त लेकर तथा उसमें पातंजलि हठयोगका मिश्रण कर एक प्रबल योगमत तैयार किया था जिसका अविकल अनुवाद सन्त-कवि अपनी कवितामें करते देखते हैं । परन्तु १० वीं शताब्दीके पञ्चात् काश्मीरी शैवों व सूफियोंके प्रेम तथा आवेश सिद्धान्तों तथा वैष्णवोंकी भक्ति भावनाने भी सन्तोंको प्रभावित किया था । अतः सन्तोंमें ब्रह्म व आत्माकी एकता, जगतके मिथ्यात्वके सिद्धान्त, शंकराचार्य व वौद्धों के हैं, परन्तु अलौकिक अनुभूति व सत्ताके वर्णनकी पद्धति वौद्धों व नाथोंकी है अर्थात् पूर्णतया अवैदिक है, जिसमें सर्वत्र सत्ताको भावात्मक मानने वाले ब्राह्मणोंको नीचा दिखानेकी प्रवृत्ति है क्योंकि सन्त कवि सत्ताको भाव व अभावकी कोटियोंके परे मानते हैं । शैवोंका आवेश सिद्धान्त वेदान्तियोंके तर्कोंकी जगह सन्तोंमें प्रतिष्ठित हुआ, जब कि सन्तोंपर सूफियोंकी मस्ती व भक्तोंकी विह्वलताका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है । सन्तों तक आकर योग अपने अवैदिक रूपको भूलता गया क्योंकि नाथोंने उसमें बहुत-सा वैदिक अंश स्वीकार कर लिया था ।

सिद्धांतकी दृष्टिसे उपनिषद्में जिस अवाङ्मनसगोचर स्थितिका वर्णन मिलता है, वही अनुभूति सन्तोंकी भी प्राप्तव्य है । और यहाँ एक बात समझ लेना आवश्यक होगा कि यह रहस्यमय परोक्ष अनुभूति समाजके साथ लड़नेका एक दृढ़ माध्यम रही है ? बात विचित्र सी लगेगी किन्तु है सही । भारतमें सर्वदा रहस्यसाधकोंने ही समाजके बाह्य कठोर अनुशासनका विरोध किया है । सगुणवादी भक्त यह कार्य नहीं कर सके । यह दूसरी बात है कि जीवनके नाना पक्षोंका समावेश कर लेनेके कारण आगे चलकर उसका प्रचार अधिक हुआ और गोपितोंने भी उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि मुसलमानों के आते ही भक्तिका अधिकार सर्वसाधारणको दे दिया गया था परन्तु हिन्दू इस्लाम दोनों धर्मोंके बाह्याचारोंके विरुद्ध खड़े होनेवाले, पंडित व मुल्ला दोनोंकी गत बनानेवाले कौन लोग थे ? उत्तर होगा योगी और रहस्यवादी सिद्ध-सन्त-कवि । उपनिषत्का सूक्ष्म चिन्तन यदि यज्ञवादको गौण रूपसे स्वीकार न कर लेता, तो गायद वौद्ध धर्मकी भयंकर प्रतिक्रिया वैदिक धर्मके लिए इतनी दारुण प्रमाणित न होती परन्तु उपनिषद् के रहस्यवादी समझौतावादी निकले । आगेके अवैदिक शैवों, शाक्तों व वौद्धोंने बौद्ध धेराओ, विहारपतियों तथा ब्राह्मण कर्मकाण्डियों, महन्तों आदिके विरुद्ध एक सर्वदेश व्यापी आन्दोलन छेड़ दिया ! हमें धर्मके साथ वौद्धसिद्धान्तों, नाथों, शैवों, शाक्तों व सन्तों के साहित्यको पढ़ना चाहिए । आपको एक ही बात मिलेगी कि ये सारे सिद्ध सन्त समाजके विधि-निषेधके भयंकर विरोधी हैं । जो समाज मानता है, उसके ये विरुद्ध चलते हैं । विरोध प्रदर्शनकी चरमसीमा वौद्धमिथ्या व कापालिकों तथा शाक्तोंके वामाचारमें दिखाई पड़ती है । ये सिद्ध नाथ-सन्त ७ वीं शताब्दीसे लेकर संगठित रूपमें १४ वीं शताब्दी तक ब्राह्मण व्यवस्था तक टकराते रहे अतः वैष्णव धर्मको भी उदार होना पड़ा था । इनकी क्रांतिका आधार तब मार्क्सवाद न होकर “अज्ञेय अनुभूति” थी, आप चाहें इसे ईश्वर का नाम दे सकते हैं । तब कहना होगा कि अज्ञेय सत्ता (ईश्वर) के माध्यमसे

सिद्धों व सन्तोंने समाजमें क्रांतिका स्वर-मन्वान किया । ईश्वर ऐसी बन्तु है कि उसके माध्यमसे क्या नहीं हुआ ? यदि उसके माध्यमसे सन्तो व नायो आदिने क्रांतिकी, तात्कालिक व्यवस्थाको चिन्ता दी तो यह स्वाभाविक ही था ।

विरोध निराधार नहीं चल सकता । सन्तोको राम (निर्गुण राम) का बल था अपनी सहानुभूतिके आधारपर ही उन्होंने सारे मम्प्रदायो व उनके नेताओको देखा । वह अलौकिक अनुभूति वही थी जिसे उपनिषद् “मुक्ति”, कपिल “कैवल्य”, बौद्ध “निर्वाण” शैव “समरसता” तथा सूफी “वस्ल” कहते हैं । असीमको आवार बनाकर, पिण्डमें ही षड्पाण्डकी झाँकी पाकर अपने अंतरमें अपरिमित शक्तिका भण्डार देखकर मन्तोंने ज्ञान-गर्दभ, वाचाल, विलासी, विपमतावादी, जातिवादी, पाखण्डी वेद-कुरान, मूर्ति, चन्दन, चोटी, रोजा, नमाजको ही धर्म समझनेवालोको आडे हायो लिया और उन उच्चतम दिव्य मानसिक राज्यमें सर्वत्र समता, सुख, अनहद नाद तथा अमर वारुणी का अपनेको अधिकारी पाया ।

आप कह सकते हैं यह तो पलायन था परन्तु तब सन्त क्या करते ? अतत बाह्य जीवन की व्याकुलताका समाहार वे कहाँ करते ? समाजशास्त्रसे अपरिचित सामाजिक रूपसे अमगठित सन्तोका कार्य यह कुछ कम नहीं कि उन्होंने बडे माहससे सभी धर्मों व मम्प्रदायो के दम्भको तोड दिया और अनजाने ही ऐसे धर्मकी ओर मकेत किया जो धर्म मानवीय मूल्योमें हैं, निरपेक्ष मनमाने सिद्धातोमें नहीं । मानवीय गुण ही धर्म हैं । धर्मका बाह्याचार मे कोई सम्बन्ध नहीं ।

कुछ विचारक यह देख ही नहीं पाते कि रहस्यवादियोका भारतीय सांस्कृतिक इतिहासमें यह उपर्युक्त रूप कितना महान रहा है । यह ठीक है कि अर्वादि क मतावलम्बी बहुतसे बहक गए । आचारोका विरोध करते-करते अनाचारोमें फँस गए परन्तु सवाल तो अत्याचारके विरोधका है, वह वहाँ है उस युगमें उनका एकातिक साधनाके आधार पर स्थित विरोध समाजको झकझोर ही सकता था और वह बराबर हुआ है ।

कुछ लोग इस शताब्दियोकी क्रांतिकारिताको दो रूपोंमें देखते हैं (१) परोक्ष अनुभूति, द्रविडोंके सम्पर्कसे आई अत ब्राह्मणोंके विरुद्ध यह द्रविड या अनार्य विद्रोह था (२) सिद्ध सन्तो व नायोका विरोध केवल निम्न जातिका विद्रोह था जो सवर्णों के विरुद्ध था ।

स्पष्ट है कि दोनो तथ्य अमात्मक हैं । प्रथम तो आर्य द्रविड वादके पक्षपान मे पीडित है । अनार्योंमें द्रविडोंके सिवा नाग, किन्नर, गधर्व, वानर, ऋद्ध, अमुर आदि अनेक थे । और फिर भारतमें शताब्दियोके वाद जो अतभुक्त नमाज मिलना है, उनमें जातियोंके आधारपर वैमनस्यकी खोज करना अपराध है ।

(२) दूसरे सिद्धातमें ऐतिहासिक मत्याय अवश्य है । यह ठीक है कि निम्न जातियाँ रहस्यानुभूतिके आधारपर सवर्णोंके विरुद्ध खडी हुई थी परन्तु जातीय आधार इमे बहूत वादमें मिला था । दूसरे अनेक रहस्यवादी व मर्मो मन्त नवर्णों मे भी आए है । यहाँ तक कि प्रथम सिद्ध सत्पाद ब्राह्मण था । अनेक ब्राह्मण जो बौद्ध हो गये थे, वे मन्चाई की खोजमें बौद्ध हुए थे, जातिका प्रश्न नहीं था अत उन जातिकारी पन्थगरो मेगे नमझने राष्ट्रीय ऐतिहासिक परम्परा मानना चाहिए जिनमें अन्यायका विरोध लोग

वरावर करते रहे हैं, वर्ण व जातिसे ऊपर उठकर भी । यह माननेपर भी सर्वर्ण रहस्य-
वादियोंकी संगति आप अछूत रहस्यवादियोंके साथ विठा सकते हैं ।

अब सन्तोकी क्रांतिकारिताका रूप देखिए—

ब्रह्मणो हिम जाणन्त भेउ
एवइ पढ़ि अउ एच्चउ वेउ ।
मही पाणी कुस लइ पढ़न्त
घरह वइसी अगि हुणन्त
कज्जे विरहइ हुअवह होमें ।
अक्खि डहाविअ कडुएँ घुम्मँ

सरहपाद

अर्थ—कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न हुए थे । पहले कभी हुए होंगे ।
किन्तु आज प्रत्यक्षमें तो वे भी दूसरे लोगोकी तरह योनिसे ही पैदा होते हैं । तब फिर
ब्राह्मणत्व कैसा ? और यदि संस्कारसे ब्राह्मणत्व होता है, तो अन्त्यज भी संस्कार
लेकर ब्राह्मण हो सकता है । अतः इससे जाति सिद्ध नहीं होती ।

वे चारो वेद पढ़ते हैं, जातिभेद मानते हुए । वेदोको अन्त्यज चाण्डाल भी तो पढ़
सकते हैं ।

फिर ये ब्राह्मण हाथमें कुश-जल लेकर घर बैठे हवन कराते हैं । आगमें घी इत्यादि
डालनेसे मोक्ष मिलता है, तो क्यों नहीं सबको, अन्त्यजोको भी डालने देते ? होम करने
से मोक्ष मिले या नहीं, कड़वा धुआ लगने से आँखा को पीडा अवश्य होती है ।

एहु घम्म जो आयरइ, वंभणु सुद्धु विकोई ।

सो सावउ कि सावयहँ, अण्णु कि सिर मणि होई ॥ —मुनिदेवसेन

धर्मका जो भी आचरण करता है, फिर चाहे वह ब्राह्मण ही हों, चाहे शूद्र, कोई भी
हो वही श्रावक है । श्रावकके सिरपर क्या कोई मणि लगी रहती है ?

समताका उद्घोष जैसा इन पंक्तियोंमें मिलता है, वैसा क्या कही और मिल
सकता है ?

कासु समाहिं करऊँ को अंचउ
छोप अछोप भणिवि को वंचउ
हलसहि कलह केण सम्माणउ
जाहिं जाहिं जोवउं ताहिं अप्पाणउं

—मुनि रामासिंह

समाधि किसकी लगाऊँ ? पूजुँ किसे ? छूत-अछूत कहकर किसे छोडूँ ? भला
कलह किसके साथ करूँ ? जहाँ भी देखता हूँ, सर्वत्र अपनी ही आत्मा दिखलाई
पड़ती है ।

हिन्दू पूज देहुरा, मुसलमान मसीत ।

नामा सोई सेविया, जहँ देहुरा न मसीत ।

—नामदेव

संतन जात न पूछो निरगुणियाँ
साध ब्राह्मन, साध छत्तरी, साध जाती बनियाँ ।
साधुन माँ छत्तीस कौम है, देढ़ी तोर पुछनियाँ
हिन्दू तुरक दोड दीन बने हैं, कछू नहीं पहचनियाँ ।

—कबीर

साधो , पांडे निपुन कसाई
बकरी मारि भेड़िको घाये, दिलमें दरद न आई
वेद-कितेव छाँड़ि देउ पांडे, ई सब मनके भरमा ।
कहिहि कबीर सुनहु हो पांडे, ई तुम्हरे हैं करमा ।

मेरा तेरा मनुवां कैसे इक होय रे ।
मं कहता आंखिनकी देखी, तूं कागदकी लेखी रे ।
मं कहता सुरझावनहारी, तूं राख्यो अरुसाइ रे ।

—कबीर

कृष्ण करीम राम हरि राघव, जबलगि एक न देखा ।
वेद कितेव कुरान पुरानन, सहज एक नहि देखा ।
जोड़-जोड़ पूजिय, सोई-सोई कांची, सहजभाव सति होई !
कहि रंदास मं ताहिको पूजूं, जाके ठाँव नाँव नहि होई ।

—रंदास

सन्तोंने शास्त्रोकी सर्वजता पर कैसा बज प्रहार किया है—

कवणु सुवेला बखतु कवणु
कवणु तियि कवणु वारु,
बेल न पाइया पंडती
जि होवे लाखु पुराणु
बखतु न पाओ कादीआ
जि लिखनि लेखु कुराणु

—नानक

वह कौन सा नमय था, जब मृष्टि रची गई ? वह क्या तियि थी ? और कौन
सा दिन था ? पंडितोको यदि पता होता तो पुराणोमें अव्यय लिखते और काजियोको
पता होता, तो कुरानमें वे अव्यय लिखते—कोई नहीं जानता ।

नाम फकीरं पातिसाहु मूरख पंडित नाउ ।
अंधे का नाउ पारसू, एवं करं गुआऊ ॥

—गुरु अंगद

जो भिखमगेको तो कहा जाता है वादशाह, और भून्को दे दिया है नाम पंडितव ।
अंधेको कहने है पारन्वी—ऐनी बातें ही जगतमें चलती हैं—

हिन्दू तुरक न जाणों दोई ।

साईं सबनका मोई है रे, और न दूजा देसों फोई—

दादू

संतों ऐसा यह आचार ।
पाप अनेक करे पूजामें, हिरदं नहीं विचार ।
पाती फूल सदाही तोड़ें, पूजन कूं पाषाण ।
छार पतंगा होहिं आरती, हिरदं नहीं विनाण
सगले जनम जवि संहारे, यह खोटे खटकर्म ।
पाप प्रपंच चढ़े सिरि ऊपरि, नाम कहावै धर्मा

—रज्जब

वड़ा भया सो कहा बरस सो साठका ।
घणा पढ़्या तो कहा चतुर्विधि पाठका ।
छापा तिलक बनाय कर्मंडल काठका
हरि , हाँ, वाजिद एक न आया हाथ पसेरी आठका

—वाजिद

चिन्ह विना सब कोई आए, इहाँ भये दोइ पन्थ चलाए
हिन्दू तुरक उठ्यो यह भर्मा, हम दोऊका छाड्या धर्मा—

—सुन्दरदास

पंडित ! काह करे पंडिताई
त्यागदे बहुत पढ़व पोथीका, नाम जपहु चितलाई
पढ़व पढ़ाउव बेधत नाहीं, वकि दिन रैन गँवाई

—जगजीवनदास साहब

भीतर महल चहलकें लागी, ऊपर तनका धोवें है
अविगत मुरति महलकें भीतर , वाका पंथ न होवें है

—दरियासाहब (विहारी)

पंडित ग्यानी बहुत मिले, वेद ग्यान परवीन ।
दरिया ऐसा ना मिला, राम नाम लवलीन
वक्ता खोता बहु मिले, करते खँचातान ।
दरिया ऐसा ना मिला, जो सम्मुख शैलें वान—


—दरिया (भारवाड़ी)

ब्राह्मन तो भयें जनेऊको पहिरि कें
ब्राह्मनीके गले कुछ नाहीं देखा
आधी सूद्विनि रहै धरैके बीचमें—
करै, तुम खाहु यह कौन लेखा

—पलटूसाहब

इन कुछ उदाहरणोंमें ही स्पष्ट है कि यह कोरा दोष-दर्शन नहीं है । इस आलोचना के पीछे सन्तोका स्वतः अनुभूत रामरस है जो अनिर्वचनीय है । अतः डा० नगेन्द्र का यह विचार गलत है कि हीनताकी भावनाने सन्तोंसे ऐसे वचन कहलवाए है । सन्तों को दुःख यह है कि व्यर्थका वितंडवाद् धर्मके नामपर हो रहे है और समताके सच्चे सिद्धान्त

को लोग भूल गए हैं। सन्त आजके कोरे आलोचकोकी तरह अहवादी नहीं हैं न परपक्ष खडन वे अपनी विजय-दुन्दुभी निनादित करनेके लिए करते हैं। सन्त सर्वप्रथम सन्त हैं, सहज हैं, मानवताका सहज रूप चाहते हैं, उस मनुष्यताके ऊपर गोपण, वर्ण, वर्ग, जाति, यज्ञ, रोज़ा, नमाज़ और न जाने किन-किन कुत्सित पदार्थोंकी धूलि जमा हो चुकी है। धूलिको झाड़नेके लिए ही सन्त धक्का देते हैं, किसी भी व्यक्ति या समाजकी योही खीचतान जैसा कि आजका स्वभाव है, उन्हें इष्ट नहीं है। शताब्दियोंसे मनुष्य अपनेको घोखा देता आ रहा था, उस आत्मवचनासे सावधान करनेवाले मर्मी सन्त ही हैं। सन्तोका लक्षण ही है कि वे किसी भी प्रकारका कोई अत्याचार सहन नहीं कर सकते, जो अनुभव करते हैं वही कहते हैं, तोतोकी तरह दूसरोके उद्धरण सुनकर पांडित्य वधारना और महन्त बन जानेको वे बुरा समझते हैं। जबकि वे जीवोके प्रति सहज प्रेम, गृहस्थ जीवनका सहज रूप ही उनकी साधना है। न सन्यास है, न चमत्कार, न विद्याका देन है न गरीबी व शूद्रता-जन्य हीनता। वस जैसे पूर्ण व्यक्तित्व अपूर्णताके विरुद्ध ऋति करता है, वैसी ही ऋति इन सतो ने की है। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम व सद्भाव चाहिए। आजके युगमें भी इन सतोकी वाणी सम्यता प्रभुता व समृद्धिमें मदोन्मत्त, विनाशतत्पर जनतत्र व फ्री वर्ल्डके अभिमानी राक्षसोके विरुद्ध हमारे शांति-पथको प्रगस्त कर रही है। सन्तो की खरी और प्रेमसे भीगी वाणी हमारा आज भी पथप्रदर्शन कर सकती है।



मध्यकालीन सन्तोंकी सामाजिक क्रांतिकी परम्परा

मानव इतिहासमें दो परम्पराएँ स्पष्ट दीख पड़ती हैं । वे दोनो रेलकी पटरीकी तरह समानान्तर चलती हैं । एकका सम्बन्ध उन प्रतापी राजाओं व सम्राटोंके साथ है, जो अपनी लालसा और महत्वाकांक्षाके वशीभूत हो छोटे बड़े राज्य तथा साम्राज्य कायम करनेके प्रयत्नोंमें लगे रहते हैं । दूसरीका सम्बन्ध उन साधुओं, संतों और महात्माओं के साथ है, जिन्होंने समस्त सासारिक लालसा तथा महत्वाकांक्षापर विजय प्राप्त करके अपनेको लोक कल्याणके महान मिशनपर न्योछावर कर दिया और अपना सारा जीवन उसमें खपा दिया । यहाँ हम केवल दूसरी परम्पराके सम्बन्धमें अपने देशके मध्यकालीन इतिहासकी दृष्टिसे कुछ विचार करेंगे । हमारे देशका ही नहीं, किन्तु समस्त मानवका भी इस परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाला इतिहास ऐसा है जिसपर आजका मानव उनका उत्तराधिकारी होनेसे कुछ गर्व और गौरव अनुभव कर सकता है । उस परम्पराके प्रवर्तक संतो महात्माओंने अपने जीवन-कालमें मानव हृदयोंको एक करके सुख शान्ति एवं समृद्धिकी वर्षा करनेवाले मानव-धर्मकी स्थापना करनेका प्रयत्न किया ।

ऐतिहासिक दृष्टिसे मध्यकालके सम्बन्धमें काफी मतभेद है । इतिहासके विद्वान उसकी गणना भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे करते हैं । हम यहाँ इतिहासके इस विवादमें न पड़कर गीतमबुद्ध और महावीर स्वामीके समयसे मध्यकाल मान लेते हैं, क्योंकि उससे पहलेका काल रामायण, महाभारत तथा अन्य वैदिक ग्रंथोंकी दृष्टिसे अति प्राचीन माना जाता है । हम यहाँ जिस विषयका विवेचन करना चाहते हैं, उसका सम्बन्ध इतिहास के साथ नहीं है, किन्तु हमारे धार्मिक एवं सामाजिक जीवनके साथ है और हम यह बताना चाहते हैं कि समाज सुधार अथवा सामाजिक क्रांतिकी प्रवृत्ति जितनी ही प्राचीन है, जितनी कि संत परम्परा । इस परम्पराका संवध श्रीकृष्णके साथ भी जोड़ा जा सकता है । गीता समाज-सुधारकी दृष्टिसे एक अपूर्व ग्रंथ है । महाभारतके समय भारतका धार्मिक एवं सामाजिक जीवन अनेक दृष्टियोंसे बहुत गिरा हुआ था । यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं कि कुल-धर्म और जाति-धर्मके नाना भेद जात-पातके समान उस समय भी समाजमें घर कर चुके थे । जन्मगत वगका अभिमान भी विपैला रूप धारण कर चुका था, ऊँच-नीचकी भावना सर्वत्र व्यापी हुई थी । स्पर्शास्पृश अथवा छूतछात का रोग भी आरम्भ हो चुका था । स्त्रियों और शूद्रोंको अत्यन्त हीन दृष्टिसे देखा जाता था । पतितके अंधा होनेके कारण गांवारीको आजन्म आँखोंपर पट्टी बाँधकर रहना

पडा । द्रौपदीको पाँच पतियोकी पत्नी बननेको लाचार होना पडा था । विवाहके लिए कन्या अपहरणकी घटनाएँ भी उन दिनोमे गुरु हो गई थी । कर्णको मूत-भुत्र कहकर अपमानित किया गया । एकलव्यको द्रोणाचार्यसे शस्त्रास्त्र विद्या भीखनेका अनधिकारी केवल नीच जातिके कारण माना गया और उसका अंगूठा उस विद्याके सीख लेनेके कारण छल-कपटसे कटवा दिया गया । जुआ राज दरवारमें खेलना, हारे हुए पाइवोका अपनी पत्नीको दाँवपर लगा देना और उसके हारनेके बाद कौरवोका दरवार तकमें उसको नंगा कर उसके सतीत्वके अपहरण करनेकी कुचेष्टाएँ चुरी नही मानी जाती थी । बोखेने किसी राजाके राज्यका अपहरण करना बड़ा पौरुष माना जाता था । महाभारतके कदाचित ही कोई पात्र ऐसे होंगे, जिनका जन्म वैध अथवा जायज कहा जा सकता है । धृतराष्ट्रके १०० सन्तान होना बहु-विवाहका द्योतक है । श्रीकृष्णके अपने शब्दोंमें धर्मकी ग्लानि और दुष्कृत्य किंवा अधर्माचरण करनेवालोकी सख्या इस चरम सीमापर पहुँच चुकी थी कि उनके लिए अवतार लेना आवश्यक हो गया था । इस सारे अनर्थको दूर करने अथवा सामाजिक एव धार्मिक क्रान्तिका सुदर्शन चक्र हाथमें लेकर श्रीकृष्ण अवतरित हुए थे और अपने उस महान मिशनकी पूर्तिके लिए ही उन्होने गीतामें “मवं धर्म-परित्याग और “चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः” का शखनाद किया था । आज धर्म परित्यागकी बात सहन नही की जा सकती और जन्मगत जात-पातकी मर्यादा का उल्लघन धर्मके विरुद्ध माना जाता है । लेकिन अवतारी महापुरुष श्रीकृष्णने उनका प्रतिपादन करनेमें सकोच नही किया ।

मध्यकालीन सत और महात्मा इसी मिशनको सामने रखकर कार्यक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए थे । उन सभीने जन्मगत जाति-पाति, स्पर्शास्पर्शकी मकीर्णता, रोटी-ब्रेटीके व्यवहार की ऊँच-नीचकी भावना और ऐसे ही सब धार्मिक एव माजिक रूढियो, परम्पराओ तथा अध धारणाओके विरुद्ध सत्रिय कदम उठाया था । मानवको मानवमे अलग करनेवाली समस्त धार्मिक एवं सामाजिक दीवारोको गिराकर मानव-धर्मके सम्पादन करनेका महान् कार्य किया था । धर्मको सैद्धान्तिक रहस्यवाद और कर्मकांडके प्रपचमे मुक्त करके उसको लोक जीवनका सीधा-साठा एव सरल स्वरूप प्रदान किया था । बंगानुगत धर्म और जन्मगत परम्पराओका अंत करके उन्होने जीवनके विकासका सरल मार्ग प्रदर्शित किया था । पोथी-पुस्तक, पूजा-माठ, पंडे-पुरोहित-पुजारीके बन्धन-परक धर्ममे उन्होने नमाज को स्वतंत्र किया था । तीर्थ-मठ, मंदिर तथा व्यक्ति पूजाके अंधकारमे उद्धार किया था । उन्होने श्रीकृष्णके “ये यथा माम् प्रपद्यन्ते तान्तरथैव भजाम्यहम्” के आदर्शका प्रतिपादन “जात पात पूछे न कोई हरिको भजे सो हनिका होई” के रूपमे किया था । वे उस लोकधर्मके प्रवर्तक थे जो लोकाचारकी रूढियो और शास्त्राचारके बन्धननिर्बंधथा रहित था ।

गीतम बुद्ध और महावीर स्वामीने पहले हमारी धार्मिक एव नामाजिक न्यनि श्रीकृष्णके समयमे भी वही अधिक विगड चुकी थी । धर्मके नामपर सब तन्हा गदानार, अनाचार और अत्याचार नमाजमें व्याप चुका था । धार्मिक कर्मगणो नत्र में पशु-बनि और नरबनि दी जाने लगी थी । धर्म विरुद्ध होकर केवल धिक्कार पैदा करनेका निमित्त बन गया था । दोनो महान मतांने उन सबके विरुद्ध प्रचल विद्रोह किया ।

सामाजिक अपमान और तिरस्कारकी तर्निकभी परवाह नही की । जापि-पात, के भेद को समूल नष्ट कर दिया । पोथी-पत्रेके सिद्धान्तवादी शास्त्राचार एवं वंशानुगत लोकाचारपर आधारित धर्म कर्मका सम्पूर्ण अंत करके लोक जीवनपर आधारित धर्मका प्रतिपादन किया । इसी कारण अत्यन्त प्रचड वेगके साथ दोनो संतोके सदशने भारतीय जनताको अपनी ओर आकर्षित कर लिया । अशोक तथा कनिष्क को पाकर बौद्ध धर्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लिया और वह प्राय समस्त एशियापर छा गया और महावीरके संदेशको भी भारतीय जनताके जीवनमें समरस होनेमें अधिक समय न लगा । ब्राह्मण धर्मका रूढिगत और परम्परागत माया-जाल सर्वथा छिन्न-भिन्न हो गया ।

भागवत धर्मका प्रादुर्भाव भक्तिप्रधान धर्मके रूपमें हुआ । उसमें जाति-पाति परक रोटी-बेटी-व्यवहारकी सकीर्णताओके लिए कोई स्थान नही था । वे यह मानते थे कि "विप्रद्विपद् गुणयुताम-चण्डालो अपि द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण ।" भक्ति परायण होना ही उनमें श्रेष्ठतम द्विज वननेके लिए आवश्यक समझा जाता था । चैतन्य महाप्रभुको प्रेम-भक्तिके सामने जाति व सम्प्रदायका भेद स्वीकार नही था । अद्वैताचार्य ने यवन हरिदासको श्राद्धपात्र दिया था । श्री नित्यानन्द तो भक्तोके हाथका जूठा खानेमें सकोच नही करते थे । उनको इसी कारण अवधूत कहा जाने लग गया था ; क्योंकि अवधूतोके लिए धर्म-कर्म अथवा जात-पातका कोई बन्धन नही था । चैतन्य महाप्रभु शूद्रादिहीन जातियोको ब्राह्मणादिके समान मंत्र-दीक्षा का अधिकारी मानते थे । इसी कारण वैष्णव समाजमें यह आवश्यक नही कि गुरुके पदपर केवल ब्राह्मणको प्रतिष्ठित किया जाय । अब्राह्मण भी उस पदपर प्रतिष्ठित किए जाते हैं और ब्राह्मण उनके प्रति वैसी ही श्रद्धा भक्ति रखते हैं ।

महाराष्ट्रमें हरिजन सत, साधु और महात्मा ब्राह्मणोकी अपेक्षा भी कही अधिक पूजे गए । नामदेव और तुकाराम ब्राह्मण नही, शूद्र थे । गोस्वामी तुलसीदास सामाजिक दृष्टिसे कुछ अधिक प्रगतिशील नही थे, परन्तु ब्राह्मण-कुलोत्पन्न होते हुए भी उन्होने क्षत्रिय-कुलोत्पन्न रामको आराध्यदेवके रूपमें स्वीकार किया ।

दक्षिणमें श्री वसवदेव चन्नवासव और एकान्त रमय्या आदि शिव-भक्ति-प्रधान जिस परम्पराकी नीव डाली थी उसमें भी जातिभेदपर भीषण आक्रमण किया गया था । शंकराचार्यको गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी द्वारा की गयी धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिगामी और वैदिक धर्मको पुनर्जीवित करनेवाला कहा जाता है । परन्तु उन्होने हिन्दू समाजमें फैले हुए सभी धर्मोंके स्थानमें वेदान्तके नामसे जिस विचारधाराको जन्म दिया, उसका द्वार बिना किसी धार्मिक एवं सामाजिक भेदके सबके लिए समान रूपसे खुला हुआ था । इस प्रकार उन्होने धार्मिक एवं सामाजिक भेदभावको जडसे मिटानेका प्रयत्न किया । उनका वेदान्त ब्रह्म और मनुष्यमें भी विद्यमान अन्तरको स्वीकार नही करता था । वे "अहं ब्रह्मास्मि"के माननेवाले थे । इसी कारण उनके वेदान्तको नास्तिक तक कहा गया है और उनको प्रच्छन्न बुद्ध कहकर उनकी भर्त्सनाकी गई । उन्होने संन्यासका विधान भी ब्राह्मणसे शूद्र तक सबके लिए समान रूपसे किया । उनका कहना यह था कि "कोई भी तत्वदर्शी मेरा गुरु हो सकता है भलेही

वह ब्राह्मण हो या चाडाल ।” रामानुज आदि आचार्य भी एकेश्वरवाद, भक्ति, प्रपत्ति, गुरुभक्ति तथा जाति भेदका हीलापन मानते थे ।

इन आचार्योंके बाद कबीर, दादू तथा नानक आदिका प्रादुर्भाव होता है । इन सबको हम जनताके संत कह सकते हैं । इन्होंने जनताकी भाषामें अत्यन्त सरल तरीके से धार्मिक एवं सामाजिक क्रान्तिके आदर्शका प्रतिपादन किया । कबीरकी गणना महान ममाज-मुधारकोमें की जानी चाहिए । वे सर्वथा स्वतंत्र विचारक थे । वे मतमतान्तरो के भेद और हरतरहके कर्मकांड और रूढियोंके कट्टर विरोधी थे । हिन्दू-मुस्लिम एकताके वे अत्यन्त समर्थक थे । दोनोंके बीचकी दूरीको वे एकदम मिटा देना चाहते थे । वे अन्वविश्वासके ऐसे विरोधी थे कि गोरखपुरमें १५ मील पश्चिममें मगहरके वारेमें यह कहा जाता था कि वहाँ मरनेवाले को गधेकी योनिमें जन्म लेना पडता है और उन्हींने वहाँ जाकर ही अपनी इहलीला समाप्त की । उनके मरनेके बाद उनको दफनाने या जलानेके सम्बन्धमें उनके अनुयायी हिन्दू मुसलमानोंमें नवर्ष पैदा हो गया । वे जाति-भेदके कट्टर विरोधी थे । वेद या कुरान किसीको भी इलहाम नहीं मानते थे । उन्हींने पूरी निर्भीकतासे दोनोंमें प्रचलित रूढियों, परम्पराओं और अशुभविश्वासाका जोरदार खंडन किया । उनका यह पद्य बहुत मगहर है कि—

मोको कहाँ ढूँढे बन्दे, मैं तो तेरे पासमें ।

ना मैं देखल ना मैं मतजिद, ना कावे कैलासमें ॥

खोजी होय तो तुरते मिलिहीं, पल भरकी तालाशमें ।

कहें कबीर सुनो भई साथो, सब स्वासोकी स्वांसमें ।

जात पांत, छुआछूत और ब्राह्मणोंके प्रभुत्वपर आचारित ममाज व्यवस्थाके वे कट्टर विरोधी थे । वे अवतारवाद तथा मूर्तिपूजा आदिको भी नहीं मानते थे । वेद तथा अन्व ग्रथोंमें अवश्रद्धा नहीं रखते थे । उन्हींने हज्ज, रोजे, नमाज कुरान और मोहम्मद साहबमें अशुभविश्वासका भी उनी कठोरतासे खंडन किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर और दक्षिणमें उनके बाद हुए हिन्दू-मुस्लिम मतोंने उनकी विचारधाराने प्रेरित होकर ही मानव धर्मका प्रतिपादन कर एवं सामाजिक दृष्टिसे लोक-जीवनमें क्रान्ति अथवा अमलचल परिवर्तन करनेका प्रयत्न किया ।

गुरु नानकने भी धार्मिक और सामाजिक क्रान्तिका इन्हीं प्रकार शून्याद किया । उत्तर भारतमें उनके द्वाराकी गई विचार-क्रान्ति अपने समयका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न है जिनने जनताकी मूढ़ अथ भावनाओंको झकझोर दिया । अपने सुप्रसिद्ध गीय्य मरदांन के साथ फकीर बनकर वे ३० वर्षकी आयुमें घरने निकल पडे । दक्षिणमें लका और पश्चिममें अरब तककी यात्रा उन्हींने की । अनेक भाषु मत्तो, फकीरो और नूफी महात्माओं का मलग किया । वे भी कबीरकी तरह हिन्दू मुसलमानके भेदसे ऊपर उठे हुए थे और उनके देहावनानके बाद भी उनको दफनाने या उनका दाह नस्कार करनेके सम्बन्धमें हिन्दु-मुसलमानोंमें मतभेद पैदा हो गया था । रावीके किनारे नमाजि और बत्र के रूपमें उनके दो स्मारक बनाए गए, जो कि बाटमें बह गए । उनका धर्म भी सम्प्रदायातीत था जो एकता और प्रेमपर आधारित था । गक्या और हरिद्वार आदि ज्य वे गए तब वहाँ उन्हींने किनी भी सम्प्रदायकी रूढिया पालन नहीं किया । तीर्थयात्रा, मूर्ति-

पूजा, जप-तप, पूजापाठ और गंगास्नान तथा वेदशास्त्र आदि उनकी दृष्टिमें सब व्यर्थ थे अवतारवाद, जात पांत, छूतछात आदिको वे नहीं मानते थे। उन्होंने दोनोंके सम्बन्धमें यह कहा है कि—

बन्दे इक्क खुदाय दे, हिन्दू मुसलमान ।

दावा राम रसूलकर, लड़ते वेईमान ।

× × ×

ना हम हिन्दू ना मूसलमान

दोनों बिच्च बसै शैतान ।

एकै , एकी, एक सुभान,

गुरुजी कहिया सुन अब्दुर्रहमान

दावा मूलो तां इक्क पिछान ।

× × ×

हिन्दू जपते राम-राम, मुसलमान खुदाय,

इक्को राम रहीम है, मनमें देखो लाय ।

× × ×

तग न हिन्दू पाइया, तग न मुसलमान

दोए भूले राह ते, गालिब भया शैतान ॥

धन्ना जाट, पीपा, सेना नाई और रैदास चमार आदि भी संतोमें गिने गए और उन सबने कवीर तथा नानकके पद-चिन्होका अनुकरण किया। इन सबने मूर्ति-पूजा, तीर्थ-यात्रा जात-पांत आदिका उसी प्रकार खंडन किया।

गुरु नानकके बाद सभी सिख गुरुओंने उनकी विचार क्रांतिको बल प्रदान करनेका सराहनीय काम किया और वे हिन्दू-मुसलमानके साम्प्रदायिक भेद भावसे ऊपर उठकर निरन्तर सम्प्रदायातीत मानव-धर्मका प्रतिपादन करते रहे। हिन्दू-मुसलमान दोनोंको रूढ़िवाद, परम्परावाद तथा अंधविश्वासोंसे मुक्त करनेका प्रयत्न करते रहे। और तो और अमृतसरमें गुरुद्वारेकी स्थापना की आघारगिला रखनेके लिए उस समयके लाहौर के महान मुस्लिम संत मिर्या मीरको निर्मंत्रित किया गया और उनके हाथोंसे वह सम्पन्न कराया गया। औरंगजेबकी धर्मान्विताकी वेदीपर नौवें गुरु तेगवहादुरकी महान बलि हो जानेके बाद भी गुरु नानककी परम्पराको छोड़ा नहीं गया। दसवें गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज ने उस परम्पराको जब धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाका मूर्त रूप प्रदान किया, तब पहले गुरुजी द्वारा प्रवर्तित धार्मिक एवं सामाजिक क्रांतिको चरम सीमा पर पहुँचा दिया। पचप्यारोंको दी गई दीक्षा द्वारा उन्होंने एक नए मानवको जन्म देकर नए समाजकी स्थापना की। वह मानव और वह समाज पुराने धार्मिक एवं सामाजिक अंध विश्वासो और रूढ़िगत सामाजिक विचारोंसे सर्वथा निर्लिप्त था। उसके नाम रूप और शकल सूरत तक को उन्होंने बदल दिया था। उनका खालसा पंथ उस समय की समस्त धार्मिक एवं सामाजिक बुराइयोंसे मुक्त था। उनके अकालियोंको काल खा नहीं सकता था। क्योंकि अमृत छकाकर वे उनको मृत्युसे सर्वथा निर्भय कर देते

थे । उन्होने पुराने नाम बदलकर सिंहपरक नाम रखनेकी प्रथा इसीलिए डाली कि जीवनमें पराजित होनेकी दीन हीन भावना जड़मूलसे नष्ट हो जाय कडा, कच्छ, कृपाण, केश और कचेकी व्यवस्था मानव-जीवनकी आवश्यकताओंको सीमित कर उसको भौतिक दृष्टिसे निर्मोही बनानेवाली थी । गुरु गोविन्दसिंहजीका वह तव-निर्माण-किसी भी दृष्टिसे मुस्लिम-विरोधी नहीं था । मुसलमानोंकी अपेक्षा पहाड़ी हिन्दू राजा उससे अधिक भयभीत और उसके वैसे ही विरोधी थे, जैसे कि पुरातन पथी सदा ही नई विचारधाराके विरोधी रहे हैं । उन्होने ही औरगजेवको भी उनका विरोधी बना दिया था । सरहिन्दमें पराजित होकर जब उन्होने अज्ञातवास किया तब अनेक मुसलमानो ने उनको अपने यहाँ पनाह दी थी । उनको माननेवालोंमें मुसलमानोंकी सख्या काफी थी ।

अकबरके समय हुए सतोंमें दादू प्रमुख हैं । उन्होने भी कवीर और नानककी विचार-परम्पराको आगे बढ़ाया । वे धार्मिक सकीर्णताके विरोधी, हिन्दू मुस्लिम एकताके हामी और सम्प्रदायातीत सार्वभौम धर्मके उपदेशक थे । उन्होने लिखा है कि—

सब घट एक आत्मा, हिन्दू मुसलमान ।

× × ×

अलह राम छूटा भ्रम मोरा ।

हिन्दु तुरक भेद कछु नार्ही, देखौं दरसन तोरा ॥

× × ×

दोनो भाई हाथ पग, दोनो भाई कान ।

दोनो भाई नैन है, हिन्दू मुसलमान ॥

× × ×

ना हम हिन्दू होहिंगे, ना हम मुसलमान ।

पद दरशनमें हम नहीं, हमराते रहिमान ॥

पडितो, मुल्लाओ, जातपांत, मूर्तिपूजा, तीर्थस्थान, हज्ज इत्यादिके विषयमें दादूके विचार ठीक वैसे ही थे, जैसे कवीरके । बाबा मलूकदास भक्तनामी, बाबालाल, दारा गिकोह, प्राणनाथ और घरनीदास, जगजीवनदास, बुल्ला साहब, केशव, चरनदास, सहजोवाई, दया वाई, गरीबदास, शिवनारायण, राममनेही इत्यादिके उपदेशोका भी ठीक यही सार था । उनके शिष्योंमें ब्राह्मण, ठाकुर, चमार और मुसलमान सब जातियोंके लोग शामिल थे, मुसलमान फकीरो के हिन्दू शिष्य और हिन्दू फकीरो के मुसलमान शिष्य उन दिनों बहुत अधिक सख्यामें पाए जाते थे । अठारहवीं सदीमें महजानन्द दुलहन दान, गुलाल, मीका और पलटूदास काफी प्रसिद्ध थे, पलटूदास का यह पद कैसा भावपूर्ण है -

पूरवमें राम हैं पच्छिम खुदाय है,

उत्तर श्री दक्षिन कहौ कौन रहता ।

साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है,

हिन्दू और तुरक तोफान करता ॥

हिन्दू और तुरक मिलि परे हं छेचि में,

आपनी चर्ग दोउ दीन बहुता ।

दास पलटू कहँ साहिब सन्नमें रहँ,

जुदा ना तनिक में साँच कहता ॥

इस तरह उत्तर भारत में इन संतो ने सदियों तक धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति का जो दिव्य सदेश सुनाया था उसकी लहरें बंगाल, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारतमें भी दूर-दूर तक जा फैली थी। बंगालमें वारहवीं सदीमें हिन्दुओंका मुसलमानोंकी दरगाहोंमें मिठाई चढाना कुरान पढ़ना और मुसलमानोंके त्योहार मनाना और इसी तरह मुसलमानोंका हिन्दुओंके धार्मिक रिवाजोंकी ओर क्रियात्मक आदर दिखाना आम बात थी। इसी मेल-मिलापसे बंगालमें 'सत्यपीर' की पूजा शुरू हुई। गौड़का बादशाह हुसेनशाह इसका प्रवर्तक था। दोनों हिन्दू-मुसलमान उसको पूजते थे। चैतन्य महाप्रभु पन्द्रहवीं सदीमें हुए। श्री दिनेशचन्द्र सेनने ठीक ही लिखा है कि "चैतन्यके जन्मसे पहले ब्राह्मणोंका प्रभुत्व बहुत कष्टकर हो गया था। कुलीनताकी भावनाके साथ-साथ जाति-भेद और भी कठोर होता गया। ब्राह्मण लोग कहनेके लिए अपने धर्ममें ऊँचे आदर्शोंका बखान करते थे, किन्तु जाति-बन्धनके कारण मनुष्य-मनुष्यमें अंतर बढ़ता जा रहा था। नीची जातियोंके लोग ऊँची जातियोंके लोगोंके स्वेच्छाचारके नीचे आहँ भर रहे थे। इन ऊँची जातिके लोगोंने नीची जाति वालोंके लिए शिक्षाके दरवाजे बन्द कर रखे थे। इन लोगोंके लिए अधिक ऊँचे जीवनमें प्रवेश करनेकी मनाही थी और नए पौराणिक धर्मपर ब्राह्मणोंका ठेका हो गया था, मानो वह कोई बाजारी चीज थी।" चैतन्य ने इस स्थितिको बदलनेके लिये सेवा और भक्तिका उपदेश दिया, जातिभेदका कड़ा विरोध किया और ब्राह्मणोंके कर्मकाण्डको त्याज्य बताया। उनके गिष्योंमें हिन्दू मुसलमान दोनों समान रूपसे शामिल थे। उनके सम्प्रदायके आचार्योंमें भी दोनों समान रूपसे मिलते हैं।

दक्षिण अथवा महाराष्ट्रमें भी यह लहर पहुँच गई थी। न्यायमूर्ति श्री महादेव गोविन्द रानाडेने लिखा है कि "इस्लामका कठोर एकेश्वरवाद कबीर, नानक इत्यादि सन्तोंके चित्तमें साफ धर गर गया था। हिन्दू त्रिमूर्ति दत्तात्रेयके उपासक अक्सर अपने देवताको मुसलमान फकीरके से कपडे पहनाते थे। यह प्रभाव महाराष्ट्र जनता के चित्तपर और भी जोरोंके साथ काम कर रहा था। ब्राह्मण और अब्राह्मण दोनों तरहके प्रचारक वहाँ लोगोंको उपदेश दे रहे थे कि राम और रहीमको एक समझो, कर्मकाण्ड और जातिभेदके बन्धनोंको तोड़ दो और ईश्वरमें विश्वास और मनुष्य मात्रके साथ प्रेमसे सब मिलकर अपना एक समान धर्म बनाओ।"

लोगोंको जातिभेद, कर्मकाण्ड और धार्मिक सकीर्णताके बधनोंसे मुक्त करके स्वतंत्रता, प्रेम और भक्तिका उपदेश देनेवाले महाराष्ट्र सतोंमें नामदेवका वही स्थान है, जो उत्तर में कबीरका है। नामदेवके गुरु खेचर थे। वे मूर्ति-पूजाके कट्टर विरोधी थे। उनका कहना यह था कि "पत्थरका देवता कभी नहीं बोलता, तो फिर वह हमारे इस जीवनके दुःखोंको कैसे दूर कर सकता है? पत्थरकी मूर्तिको लोग डेढ़र समझ बैठते हैं, किन्तु सच्चा ईश्वर विलकुल दूसरा ही है। यदि पत्थरका देवता हमारी इच्छाएँ पूरी कर सकता, तो गिरानेपर वह टूट क्यों जाता? जो लोग पत्थरके बने हुए देवता की पूजा करते हैं, वे अपनी मूर्खतासे नव-कुछ खो बैठते हैं। जो लोग यह कहते हैं, और जो यह सुनते हैं कि पत्थरका देवता अपने भक्तोंसे बातचीत करता है, वे दोनों मूर्ख हैं।"

नामदेवके शिष्यों और अनुयायियोंमें स्त्री और पुरुष, हिन्दू और मुसलमान, ब्राह्मण और मराठा, कुनबी, दरजी, कुम्हार, अन्धज, महार और वेश्याएँ तक सम्मिलित थी।

चोला मेला नामदेव के शिष्योंमें बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। वे जातिके महार (चमार) थे। उनकी आज तक भी बड़ी मान्यता है। वहिराम भट्ट, शेख मुहम्मद और तुकाराम भी बहुत प्रसिद्ध सन्त हुए हैं। तुकाराम सर्वमान्य सन्त थे। वे कवीर आदि की तरह जात-पात, मूर्ति-पूजा, यज्ञ, हवन आदि कर्मकाण्डके कट्टर विरोधी थे। इन सतोंके उपदेशकी महाराष्ट्रमें जो प्रतिक्रिया हुई उसके सम्बन्धमें न्यायमूर्ति श्री रानाडे ने लिखा है कि “नामदेव और दूसरे सतोंके उपदेशोका नतीजा यह हुआ कि मराठी भाषा के साहित्यकी उन्नति हुई, जाति-भेद ढीला हुआ, स्त्रियोंका पद ऊँचा हुआ, उदारता और दयालुता फैली, इसलामके साथ हिन्दूमतका एक दरजे तक मेल हो गया। कर्मकाण्ड, तीर्थयात्रा इत्यादिका महत्व घटा, प्रेमका महत्व बढ़ा, अनेक देवी-देवताओंकी पूजा कम हुई और विचारो तथा क्रियाओं दोनोंके क्षेत्रमें राष्ट्रकी ताकत बढ़ी।”

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अकबरका ‘दीने इलाही’ इन सतों महात्माओं द्वारा की गई धार्मिक एवं सामाजिक क्रांतिका ही परिणाम था। औरंगजेबकी घोर धर्मान्यता के अघकारमें भी दारा शिकोहके रूपमें सत परंपराकी धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति की एक किरण विद्यमान थी। उन्हींके कारण उसको औरंगजेबके भीषण प्रकोपका शिकार बनना पड़ा था। उनके दो महान ग्रंथ ‘मजमेउल वहरैन’ (दो महासमुद्रोंका संगम) और ‘सिरे अकबर’ (महान रहस्य) अनन्तकाल तक दाराके क्रांतिकारी स्वल्पकी साक्षी देते रहेंगे।

निस्संदेह इस महान सत परंपराके कारण हिन्दू, बौद्ध और इस्लाम आदिके मथनके लिए की गई धार्मिक एवं सामाजिक क्रांतिके फलस्वरूप ममस्त भारतमें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिममें एक सुन्दर सार्वजनिक सम्प्रदायातीत धर्मकी नींव रखी जा रही थी जिसका मूलमंत्र एकता, प्रेम, भक्ति और सबकी उन्नति था और जिसका मूल उद्देश्य समस्त रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविद्वानोंका अंत करके एक नए समाज और सामाजिक जीवनको जन्म देना था। इस धार्मिक एवं सामाजिक नवनिर्माणके साथ-साथ भाषा, साहित्य तथा सस्कृतिके क्षेत्रमें भी मिला-जुला नव-निर्माण बहुत तेजीसे हो रहा था। यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इन सभी सतों, साधुओं और महात्माओंके अनुयायियोंने उनकी इच्छाके सर्वथा विपरीत उनके नामसे कितने ही नये पंथ व सम्प्रदाय चालू करके नए गिरोह और नई हृदयवन्दिया कायम कर लीं और इन महापुरुषोंके एकताके सारे स्वप्न एवं प्रयत्न छिन्न-भिन्न कर दिए गए। उनकी धार्मिक एवं सामाजिक क्रांतिका महान स्वप्न भी सर्वथा भंग कर दिया गया। उनके द्वारा प्रवाहित पवित्र धारा वाटकी तरह उतनी गदी, मैली और दूषित कर दी गई कि उसका वास्तविक स्वरूप नर्व्या नष्ट हो गया। उनके कारण उनके किनारोंपर एक-दूसरेपर जमनेवाली मिट्टीकी परतोंकी तरह ममाजमें नए जाति-भेद, दूतछात तथा स्पृशास्पर्शकी नई रूढ़ियों और कर्मकाण्ड के नए प्रपञ्च तथा अंध-विद्वानोंके नए मायाजालकी तहें बुनीं तरह जम गईं। पुराने बंधन टूटे नहीं और उन पर नई गाँठें बांध दी गईं। इस प्रकार हुई प्रतिक्रियाके विस्तारमें जानना यह न्यान नहीं है।

अंगरेजी राज्यके प्रारम्भके साथ मध्यकाल समाप्त हो गया। परन्तु मध्यकालीन सत परंपरा समाप्त नहीं हुई। वर्तमान कालीन क्रांतिकारी

समाज-सुधारक उसीकी देन है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्या-सागर, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, ज्योति बाबा फूले और श्री आगरकर आदिने उन्हीकी परम्पराको आगे बढ़ानेका सराहनीय प्रयत्न किया। ब्राह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाजका जन्म भी इस परम्पराके गर्भमें सेही हुआ। लेकिन, दुख यह है कि जो दिव्य-ज्योति प्रकाश-स्तम्भके रूपमें प्रस्थापित की गई थी वह टिमटिमाते दीएकी तरह छोटे-छोटे सकीर्ण सम्प्रदाय बन गई। साम्प्रदायिकता मानव-समाजकी सबसे बड़ी दुर्बलता और सबसे बड़ा अभिशाप है, जो कि इन सब महापुरुषोंके क्रांतिकारी प्रयत्नोंको राहु व केतुकी तरह ग्रस गया है फिर भी निराश होने या हार माननेका कोई कारण नहीं है। जब कि मानवने किसी भी अन्य क्षेत्रमें निराशा अथवा पराजयको स्वीकार नहीं किया तब समाज सुधारके ही क्षेत्रमें क्यों निराश अथवा पराजित हुआ जाय। मानवकी आत्मा स्वभावतः चैतन्य स्वरूप और प्रगतिशील है। प्रगतिमें ही मानव-जीवनकी शोभा और सार्थकता है। पिछले डेढ़ दो सौ वर्षोंके बाद फिर वह समय आया है जब कि राजनीतिक एवं शासकीय दृष्टिकोण भी समाज-सुधार अथवा सामाजिक क्रातिके सर्वथा अनुकूल है। इसीलिए यह समय है, जबकि पूरे निश्चय, विश्वास और श्रद्धाके साथ समाज-सुधार अथवा धार्मिक एवं सामाजिक क्रातिको सम्पन्न करनेमें हमें जुट जाना चाहिए। मध्यकालीन सतोंके स्वप्नको पूरा करनेका यही अनुकूल अवसर है।

—:०:—

स्वामी विवेकानन्द

उन्नीसवीं सदीके मध्यमें १८५७की राज्यक्रांतिके सर्वथा विफल हो जानेके बाद प्रत्यक्ष रूपमें भारतीय राष्ट्रीयताका प्रकट अथवा विकसित होना सम्भव न रहा। इसलिए वह स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द और राजा राममोहन राय मरीखे महा-पुरुषोंके रूपमें अन्तर्मुखी होकर प्रकट हुई। अंगरेज कूटनीतिज्ञोंने इन देगमें अपने साम्राज्यको सुदृढ़ बनानेके लिए भारतीयोंके स्वाभिमान तथा स्वदेशाभिमानको सर्वथा कुचल डाला था और उनके लिए उन्होंने जिन उपायोंका अवलम्बन किया था, उनमें ईनाइयतका प्रचार और पश्चिमी शिक्षाका प्रसार मुख्य थे। दोनोंका लक्ष्य एक ही था। वह यह कि भारतीयोंमें अपनी किमी भी चीजके लिए गर्व एवं गौरवकी अनुभूति नहीं रहनी चाहिए और पश्चिमी लोगोंकी तुलनामें उनमें दीनता व हीनता व्याप जानी चाहिए। इसी दृष्टिसे लार्ड मैकालेने भारतीय, भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास इत्यादि सभीको अत्यन्त तुच्छ ठहराकर पश्चिमकी भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान तथा इतिहास आदिकी अंगरेजी शिक्षा पद्धति द्वारा प्रतिष्ठा की थी। ईनाई पादरी भी भारतीय धर्म, सस्कृति तथा इतिहाससे भारतीयोंको विमुख कर उनमें ईसामसीहके प्रति श्रद्धा व प्रतिष्ठा पैदा किया करते थे और उनकी तुलनामें भारतीय मतां, महापुरुषों तथा धर्म सस्थापकोंके प्रति अश्रद्धा एवं अनादर पैदा किया करते थे। इन सबका प्रतिकार करके देशवासियोंमें स्वाभिमान तथा स्वदेशाभिमानकी भावनाका मचार करने और राष्ट्रीयताको पुन जाग्रत एवं प्रस्थापित करनेके लिए ही स्वामी विवेकानन्द और स्वामी दयानन्द मरीखे महापुरुषोंका जन्म हुआ था।

स्वामी विवेकानन्दने जो कार्य अमरीका और योरोप जाकर किया वही कार्य स्वामी दयानन्दने देशके कोने-कोनेमें धूमकर किया। वेद और वेदान्तकी प्रतिष्ठा कर दोनों ने यह सिद्ध किया कि पश्चिमकी तुलनामें भारतकी भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, सस्कृति तथा धर्म कहीं अधिक उन्नत और नमृद है। किमी भी बातके लिए भारतको इंग्लैण्ड, अमरीका तथा योरोपपर निर्भर रहनेकी आवश्यकता नहीं है। स्वामी दयानन्द अंगरेजी भाषा और साहित्यने नवथा अनभिज्ञ थे इसलिए उनपर यह मदेह नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपने विचारोंके लिए कुछ भी किमी विदेशी विद्वानके ग्रंथोंमें किया हो। स्वामी विवेकानन्दका अंगरेजी भाषा एवं साहित्यपर पूर्ण अधिग्रहण था, परन्तु उन्होंने अपने किमी भी विचारके लिए पश्चिमके किमी भी विद्वानको मान्यता प्रदान

नहीं की। अमरीका और योरप जाकर उन्होंने उनकी ही भाषामें उनको जो चुनौती दी उसका वे कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। ईसाइयतकी लहरके विरुद्ध दोनोंने जो आवाज उठाई, उसका भी कोई उत्तर उनके पास न था। थियोसोफीकी प्रवर्तक मैडम ब्लेवत्स्कीको स्वामी दयानन्दने लिखा था कि मेरे देशमें किसी भी वातकी कमी नहीं है और अमरीकाके लोग हमें कुछ भी नई वात नहीं सिखा सकते। इसलिये यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँ। तुमको चाहिए कि तुम मेरे साथ मिलकर कार्य करो। स्वदेशवासियोंमें उन्होंने कूट-कूटकर यह भावना भरी थी कि हमें विदेशियोंसे कुछ भी लेनेकी आवश्यकता नहीं है। नकल करने वालेको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। ब्राह्म समाज और प्रार्थना समाजकी उन्होंने पश्चिमकी नकल करनेके कारण ही तीव्र आलोचनाकी थी। वे विदेशी आचार-विचार वेश-भूषा, रहन सहन, तथा खान पान आदिके कट्टर विरोधी थे। अपने देश और देशवासियोंकी दीनता व हीनता वे किसी भी रूपमें महन नहीं कर सकते थे। उन्होंने लिखा है कि लोहेको सोना बनानेवाली पारस-मणिकी वात तो झूठी है परन्तु एक पारसमणि अवश्य है और वह है मेरा देश आर्यावर्त, जिसको छूनेके साथ ही दरिद्र विदेशी मालामाल हो जाते और सोना बन जाते हैं। उनका रोम-रोम इसी प्रकारकी उत्कृष्ट राष्ट्रीय भावनाओंसे ओत-प्रोत था।

यही स्थिति स्वामी विवेकानन्दकी थी। जब वे शिकागोके सर्व-धर्म-सम्मेलनमें बोलनेके लिए खड़े हुए, तब उन्होंने समानताके नाते उपस्थित जनताको भाइयों और बहनो कहकर सम्बोधित किया और स्वाभिमान तथा स्वदेशाभिमानकी भावनासे ओत-प्रोत शब्दोंमें कहा कि मैं संसारके सबसे युवा देशको विष्वक्के महानतम देशको पुरातन संन्यासी परम्पराका प्रतिनिधि बनकर उसका आशीर्वाद देने आया हूँ। दीन-हीन और प्राचीन भारतके स्वाभिमान और स्वदेशाभिमानकी विदेगियोपर अमिट छाप लगानेवाले पहले व्यक्ति स्वामी विवेकानन्द थे। एक और अवसरपर सिंह गर्जना करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे देशवासी यदि भारतीय महासागरका सारा कीच अपने हाथोंमें लेकर पश्चिमपर फेंकना शुरू करें तो उनका वह कृत्य इतना जघन्य नहीं होगा, जितनी जघन्यता तुम्हारे यहाँके ईसाई पादरी मेरे देशमें जाकर करते हैं। क्या तुम उनको इसी कामके लिए मेरे देशमें भेजते हो और उनपर इतना खर्च करते हो? पेरिसके सर्व-धर्म-सम्मेलन में उनको इसी कारण बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी कि वे ईसाई धर्मकी तुलनामें भारतीय धर्मको श्रेष्ठ महान और पुरातन बनाते थे। मनुष्यको पापी माननेके ईसाई धर्मके सिद्धान्तकी निन्दा करते हुए जब वे यह कहते थे कि मनुष्यकी आत्मा दिव्य प्रकाशके पुंज परमात्माकी ही प्रतीक है और वह अपनी साधनासे परमात्मा पदको प्राप्त कर सकता है तब ईसाई धर्मके बड़ेसे बड़े विद्वान भी यह माननेको बाध्य हो जाते थे कि ईसाई धर्मके अलावा भी संसारमें कोई दूसरा धर्म है, जो उस की अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन, महान तथा उन्नत है। पेरिस, इंग्लैण्ड तथा योरपके अन्य देशोंमें भी उन्होंने यह बार-बार कहा कि योरप और इंग्लैण्डमें भी जब जगल खड़े थे, तब मेरे देशमें ज्ञान-विज्ञानका सूर्य अपने पूरे तेजके साथ प्रकट हो चुका था इसलिए उनका यह दावा था कि योरप व अमरीका भारतसे आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस प्रकार अपने देशकी दीनता व हीनता और पश्चिमकी श्रेष्ठताके विरुद्ध जो विद्रोह उन्होंने किया, वह उनकी देशभक्तिका सबसे

बड़ा प्रमाण है और वह ही उनकी सबसे बड़ी देश-सेवा है। अमरीकाके लोगोंके हृदयमें उन्होंने यह भावना सुदृढ़ करदी थी कि हमें ईसाई पादरी भारत न भेजकर वहाँसे ही मिशनरी अपने देशमें बुलाने चाहिए। उनकी इस भावनाकी पूर्तिके लिए स्वामीजीने अमरीकाके बड़े-बड़े शहरोंमें वेदान्तके प्रचारका आयोजन किया था और अनेक विद्वान मन्यासियोंको उसके लिए वहाँ भेजा था। यह कहा जा सकता है कि पश्चिमके कूट-नीतिज्ञोंने धर्म और सस्कृतिके प्रसारकी जो धारा पश्चिमसे भारतकी ओर वहाँई थी, उसके प्रवाहको स्वामीजीने बदल दिया था और भारतसे पश्चिमकी ओर एक नई धारा का प्रवाह शुरू कर दिया था। पश्चिमपर भारतकी महत्ता की छाप लगानेवाले पहले देशभक्त राष्ट्रमहापुरुष स्वामी विवेकानन्द थे।

उनका जन्म ९ जनवरी १८६२ को एक कायस्थ परिवारमें हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके परिवारके लोग वग-परंपरासे ही धार्मिक एव सात्त्विक वृत्तिके थे। उनके दादा, कहते हैं, कि जीवनके अंतिम दिनमें मन्यासी बन गये थे। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्तामें एटोर्नी-एट-ला थे। उनकी माता अप्रतिम प्रतिभाशाली महिला थी। उनमें गहरी साधना, मुमुक्षु दृष्टि और तीव्र प्रतिभाके बीज वग परंपरा से ही रोप दिए गए थे। उनका जन्म-नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था और बचपनमें ही उनमें महानुभूति-सहृदयता, सात्त्विकता, श्रद्धा, साधना, ईश्वर-भक्ति और आध्यात्म-वृत्ति के गुण पैदा हो गए थे, जो कि जीवनमें उत्तरोत्तर विकसित होते गए। स्वभावतः उनमें श्रद्धा, भक्ति एव दार्शनिक दृष्टि विद्यमान थी। युवावस्थामें उन्होंने पूर्व और पश्चिम के दर्शन शास्त्रका तुलनात्मक अध्ययन किया था। हर्वर्ट स्पेंसर और जान स्टुअर्ट मिल आदिको उन्होंने कालेजके दिनमें अध्ययन किया था। हर्वर्ट स्पेंसरको उन्होंने एक आलोचनात्मक तर्कपूर्ण पत्र लिखा था जिसकी यथार्थताको उमने भी स्वीकार किया था। उनके प्रिंसिपल मि० हेस्टीकी यह सम्मति थी कि "वे वास्तवमें ही अत्यन्त प्रतिभा सम्पन्न हैं। मैंने जर्मनीके विश्वविद्यालयोंमें भी उन जैसा गुणी दार्शनिक युवक नहीं देखा। वे जीवनमें अवश्य ही अपूर्व ख्याति प्राप्त करेंगे।"

युवावस्थामें उनका झुकाव नास्तिकवादकी ओर हुआ परन्तु वे तुरन्त संभल गए। इसपर उन्होंने स्वयं ही एक व्याख्यानमें कहा था कि "मैं यह नहीं मानता कि कोई हिन्दू अनीश्वरवादी बन सकता है। पश्चिमका साहित्य पढ़कर वह भौतिकवादी बन सकता है परन्तु पाँच माससे अधिकके लिए नहीं, क्योंकि वैसा बनना उनके खूनमें नहीं है।" वह स्वभावतः भावुक, आस्तिक एव ईश्वरवादी थे। इनके बाद उनका मुकाब ब्रह्म-वादियोंकी ओर हुआ, किन्तु उन्होंने अनुभव किया कि वे अत्यन्त मकीर्ण हैं और उनकी आत्माको उनसे सतोप नहीं मिल सकता। इनके बाद उनको उम मानसिक स्थितिमें ने गुजरना पडा जिसमेंसे प्रायः प्रत्येक महापुरुष और त्रातिकारी मुधारक को गुजरना पटना है। उस समय ही उनमें अध्यात्म धुंधा जाग्रत होती है जो मत्पकी खोजमें उनको लगा देती है। बी० ए०पान करनेके बाद उनके पिता उनको कानून पढाना चाहते थे, परन्तु उन दिनमें अपनी इस मानसिक स्थितिके ही कारण वे कानूनका अध्ययन नहीं कर सके और उस गुरुकी खोजमें लग गए जो उनकी अध्यात्म-धुंधाकी तृप्ति कर सकना।

इन्ही दिनोंमें उनको श्री रामकृष्ण परमहंस वैसे ही मिल गए जैसे स्वामी दयानन्द को प्रजाचक्षु गुरु विरजानन्द मिले थे ।

कहते हैं कि पहली ही भेंटमें गुरु और गिष्य दोनोने एक-दूसरेको अपनी और आकर्षित कर लिया । गुरुने गिष्यकी योग्यता और गिष्यने गुरुकी योग्यताको भाँप लिया । शिष्य गुरुसे वेदान्तका नियमित अध्ययन करने लग गया और अपनी आगकाओका उनसे उत्तर पाकर सत्यकी खोजमें गहरा उतरता चला गया । श्री रामकृष्ण परमहंसका १६ अगस्त १८८६ को निधन हो गया । उनके सभी गिष्योने संन्यास आश्रममें प्रवेश करके उनके कार्य और मिशनकी पूर्तिमें अपनेको खपा देनेका संकल्प कर लिया । और रामकृष्ण मिशनकी स्थापना की, जिसकी इस समय ११० से अधिक शाखाएँ सारे संसारमें विद्यमान हैं । नि.संदेह श्री नरेन्द्रनाथदत्त भी उनमें एक थे, जो संन्यास धारण करने के बाद स्वामी विवेकानन्दके नामसे प्रसिद्ध हुए । जिस व्यक्तिने विवेकके प्रकाशमें अपने जीवनका निर्माण करना प्रारम्भ किया था उसको विवेकमें ही लोकोत्तर आनन्दके दर्शन हो सकते थे, । इसी कारण उनका यह नाम सर्वथा सार्थक सिद्ध हुआ ।

संन्यास धारण करनेके बाद वे हिमालयकी ओर चल दिए और तिब्बतमें रहकर उन्होंने तपस्या एवं अध्ययनमें अपनेको लगा दिया । कुछ समय बाद वे वहाँ से दक्षिणकी ओर कुमारी अन्तरीप अथवा दक्षिणेश्वर चले गए । वहाँसे मद्रास आए जहाँ कुछ मित्रोंने उनको गिकागोके सर्व-धर्म-सम्मेलनके लिए अमरीका भेजनेका निश्चय किया । कुछ चन्दा करके ३१ मई १८९३को उनको जापानके रास्ते वहाँ भेज दिया गया ।

वहाँ पहुँचकर उनको भयानक आर्थिक तंगीका सामना करना पडा । घर-घरसे भीख माँगकर वे अपना काम चलाने लगे । एक दिन एक वृद्धा स्त्रीने कौतुहलवग उनको अपने वहाँ भोजनके लिए निमंत्रित किया और अपने कुछ साथियोको भी इस विचार से बुलाया । वे उस युवा संन्यासीको देखकर प्रसन्न हुए । यह कौतुक उनके लिए बडा कीमती सिद्ध हुआ । जो वहाँ आए थे उनकी विद्वत्ता, वक्तृता, तर्कशक्ति, युक्ति तथा गम्भीर अध्ययनसे बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने दर्शनके एक उपाध्यायसे उनकी चर्चा करवाई । वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उनको सर्वधर्म-सम्मेलनके अध्यक्ष डा० वैरोजके पास ले गया । कठिनाई यह भी थी कि स्वामीजी न तो किसी धर्म विरोपके प्रतिनिधि थे और न किसी धार्मिक संस्थाने ही उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर वहाँ भेजा था । इसी कारण सम्मेलनके सयोजकोने उनको उसमें सम्मिलित नही होने दिया । केवल अपनी योग्यता विद्वत्ता और वक्तृत्व-शक्तिके सहारे जब उनको उसमें प्रवेश मिला तब वे सहसा ही सबके आकर्षणके केन्द्र-बिन्दु बन गए और ११ सितम्बर, १८९३ को अपने पहले ही भाषणसे सब पर छा गए । सम्मेलनमें सबकी आँखें उनपर लगी रहती थी । सब उनका भाषण सुननेके लिए आतुर रहते थे । सम्मेलनके अध्यक्ष उपस्थितिको बनाए रखनेके लिए उनको सबके बाद समय देते थे और बीच-बीच में उनके भाषणकी सूचना देते रहते थे । वे जादूकी तरह सबको मोह लेते थे ।

“न्यूयार्क हेरल्डने तब लिखा था कि “उस सर्व-धर्म-सम्मेलनमें बिना किसी सन्देहके स्वामी विवेकानन्द सबसे महान व्यक्ति थे । उनका भाषण सुननेके बाद हमें यह अनुभव हुआ कि ऐसे विद्वान् के देगमें ईसाई मिशनरी भोजना कैमी भयानक भूल है ?” “न्यूयार्क

क्रिटिक" ने लिखा था कि "वे दैवी शक्ति प्राप्त वक्ता हैं। उनकी मनोहर वेप भूपामें उनका प्रतिभा सम्पन्न चेहरा कुछ कम आकर्षक नहीं है, किन्तु उनकी वाणीमें जो तेज व ओज है, वह और भी अधिक आकर्षक है।"

सर्वधर्म-सम्मेलनमें उनकी उपस्थितिका सारे अमरीकापर अद्भुत प्रभाव पड़ा। स्थान-स्थानसे निमंत्रण प्राप्त होनेपर उन्होंने अमरीकाका व्यापक दौरा किया, कई स्थानों पर भाषण दिए और वेदान्तके प्रति जनतामें आस्था पैदा की। इसमें उनको तीन वर्ष लग गए।

वहाँसे वे इंग्लैण्ड आए और लन्दनमें दो मास रहकर उन्होंने वेदान्तपर अनेक व्याख्यान दिए। तब समाचार-पत्रोंमें लिखा गया था कि लन्दनमें सभी तरहके लोग रहते हैं, परन्तु इन दिनोंमें वह महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ आया हुआ है जिमने धिकागोके सर्वधर्म-सम्मेलनमें हिन्दू धर्मका प्रतिनिधित्व किया था। उनके व्याख्यानोका ऐसा प्रभाव पडा कि अनेक उनके शिष्य बन गए। उनमें मि० मैण्डनवर्ग (जो बादमें स्वामी कृपानन्द कहलाए), मैडम लुई (बादको स्वामी अभयानन्द), मिम मार्गरेट नोबल (बादको सिस्टर निवेदिता), जे० जे० गौडविन और कैप्टेन मीवियर आदि थे।

१६ दिसम्बर १८६६ को वे स्वदेश लौट आए। वे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने पश्चिम के भौतिकवादी लोगोंके सम्मुख भारतके अध्यात्मवादका ऊँचा, महान और पुरातन आदर्श उपस्थित करके अपने देशकी महानताका चित्र उनके सामने रखा था। जो भारतको अत्यन्त दीन हीन दृष्टिसे देखते थे उनको उसके वास्तविक स्वरूपका पहली बार परिचय मिला और वे उमपर चकित रह गए।

श्रीलकामें जहाजसे उतरकर वे स्वास्थ्य लाभके लिए अल्मोड़ा गए। जगह-जगह पर जनताने उनका विजयी वीर महा सेनापतिकी तरह स्वागत एव अभिनन्दन किया। वे केवल कोरे वक्ता ही नहीं थे, अपने विचारकोके प्रति उनमें बड़ी गहरी निष्ठा और आस्था थी। उनको क्रियात्मक रूप देनेके लिए वे अत्यन्त आतुर रहा करते थे। उनको यह हार्दिक अभीलापा थी कि वेदान्त सारी मानव जातिका धर्म बन जाय और नैतिक, आध्यात्मिक एव दैवी गुणोंमें हिन्दू जातिका सिक्का मारे विध्वपर एक बार फिर लग जाय। उन्होंने इसी दृष्टिसे हिन्दू-जातिकी अतरात्माको जगानेका प्रयत्न किया। उसके जीवनके व्यवहार और धार्मिक आदर्शोंके बीच जो गहरी खाई बन गई थी, उमको पाटनेका भी उन्होंने यत्न प्रयत्न किया। उन्होंने पुरानी रटियों, कुप्रथाओं और अधविश्वामोको भी दूर करनेके लिए आवाज उठाई। रामकृष्ण मिशनका नए निरे से मगठन करके उसकी शाखाएँ जहाँ-तहाँ स्थापित की। १८६७ के भयानक प्लेग और दुर्भिक्षमें सेवाका कार्य भी सगठन किया।

उनका स्वास्थ्य एकाएक बिगडना शुरु हो गया। डाक्टरोंकी मलाहपर वे जून १८६६ में इंग्लैण्ड होते हुए फिर अमरीका गए। नान फ्रान्सिस्कोमें उन यात्रामें उन्होंने 'शान्ति आश्रम' और 'वेदान्त मोमाइटीकी' स्थापना की, जो उन समय ग्व फन-शून नहीं है। वहाँसे वे फ्रान्समें सर्वधर्म सम्मेलनमें सम्मिलित होनेके लिए आए। नौटने हुए उन्होंने योरोपके कई देशोंका दौरा किया। स्वास्थ्य कार्यका उनका भान महान नहीं कर सका और जानकी अपेक्षा कहीं अधिक गिरा हुआ स्वास्थ्य लेकर वे स्वदेश जापन

आए । यहाँ आकर स्वास्थ्यकी परवाह किए बिना ही फिर अपने काममें जुट गए । बनारसमें संस्कृत और वेदान्तके अध्ययनके लिए उन्होंने एक पाठशाला कायम की और कलकत्ताके सामने हावडाके नीचे वेलूरमें श्री रामकृष्ण परमहंसकी स्मृतिमें एक मठ कायम किया । इमी मठमें जुलाई १९०२ को उनके इस नश्वर देहको उनकी आत्मा सदाके लिए छोड़ गई । बहुत सवरे ही उन्हें अपने शरीरान्त होनेका आभास मिल गया था । कुछका कहना यह भी है कि बहुत पहले ही उन्होंने उसके सम्बन्धमें भविष्य-वाणी कर दी थी । बड़े सवरे सदाकी भाँति वे समाधि अवस्थामें ध्यानमग्न रहे । फिर अपने साथियोंके साथ संस्कृतमें कुछ चर्चा-वार्ता की । दोपहरको भी वैदिक विषयोपर चर्चा-वार्ता की गई और शामको वे फिर समाधिस्थ हो गए । उसके बाद कुछ थोड़ा सा टहलने गए और लौटकर फिर ध्यानमग्न हो गए । यह उनकी अंतिम समाधि थी, जब कि रातको नौ बजे उनकी जाग्रत दिव्य आत्माने नश्वर शरीर का यह चोला छोड़ दिया ।

पश्चिमके लोगोपर अपने देगकी महत्ता व प्राचीनता और उसके धर्म, सस्कृति, साहित्य तथा ज्ञान विज्ञानकी गहरी छाप लगानेके साथ-साथ उन्होंने स्वदेशवासियोंमें स्वाभिमान और स्वदेशाभिमानकी जिस भावनाका संचार किया, वह उनकी बहुत बड़ी सेवा है । उसीमें उनका देश-प्रेम और राष्ट्र-भक्ति समाई हुई है । वे वचनसे ही सुधारक और प्रगतिशील विचारके थे । अपने देशके युवकोको वे प्रायः यह कहा करते थे कि किसी भी बातको इसलिए मत मानो कि वह किसी महापुरुषने कही है अथवा किसी महापुरुषके नामसे लिखे गए ग्रथमें पाई जाती है । हर बातको तर्क और विवेककी कसौटीपर कसनेके बाद ही स्वीकार करो । इसी प्रकार वे यह भी कहा करते थे कि नाक पकड़कर लम्बे सास लेने अथवा आँखें मूँदकर कोरा जाप करनेसे फुटवालके मैदान में घंटा भर खेल लेना कही अधिक अच्छा है । उस खेलसे पैदा होनेवाली शक्ति की देगको कही अधिक आवश्यकता है । वचनमें ही उन्होंने भूत-प्रेत आदिके मिथ्या विश्वासोको माननेसे इनकार कर दिया था । अपने पासके मकानमें लगे हुए एक पेड़ पर चढ़कर वे और उनके साथी बड़ी धूम मचाया करते थे । मकान-मालिकने लड़को को डराने और भगानेके लिए भूतका भय बताना शुरू किया । बाकी सब साथियोंने डरकर वहाँ आना छोड़ दिया, परन्तु नरेन्द्र वहाँ जाता, सिर नीचे करके पेड़पर लटक जाता और कहता कि बतानो वह भूत कहाँ है ? पढनेमें इतने कुशाग्र बुद्धि थे कि कहते हैं कि पुस्तकके पन्नेकी एक एक पंक्ति न पढकर सारा पन्ना एक साथ पढ लेते थे और अध्यापको जो पाठ पढाना होता था उसको वे पहले से ही स्वयं तैयार कर लेते थे । कालेजमें उनको प्रवेश नहीं मिल सका, तब उनके पुराने अध्यापकने उनकी योग्यतापर मुग्ध होकर उनको बिना पढ़े हुए ही ऊँची कक्षामें दाखिल करवा दिया और परीक्षामें भी बैठनेका अवसर दिला दिया ! यही वह प्रतिभा थी, जिसने योरप व अमरीकाके लोगोको भी मंत्रमुग्ध कर डाला ।

उनकी दृष्टिमें धर्म साधनाका विषय था और इसीको वे लोगोके दिल व दिमागमें बैठा देना चाहते थे । वे इस विचारको जड़ मूलसे नष्ट कर देना चाहते थे कि धर्म अंध अज्ञानका विषय है और उसमें तर्क अथवा युक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है । इसके

विपरीत वे यह वताना चाहते थे कि "यस्तर्कैणानुसन्धात्ते स धर्मम् वेद नेतर" अर्थात् जो तर्कके अनुकूल है वही धर्म है। आत्माकी प्राप्ति उनकी दृष्टिमें धर्मका लक्ष्य था। दूसरा उनका विचार यह था कि आत्मा अनन्त है। उसका कोई औरछोर नहीं है। कुछ लोगका यह कहना था कि ऐसा माननेसे नैतिकताका आधार नष्ट हो जायेगा। उनका उत्तर यह था कि ऐसा सोचना पान्थविक वृत्तिका सूचक है, जिसको कि केवल चाबुकसे काटू में रखा जा सकता है। वे नैतिकताका अर्थ दूसरोकी भलाई करना किया करते थे, जो कि सभी धर्मोंका सार है। अद्वैतमें इस विचारकी सर्वोत्तम व्याख्या की गई है। उसकी मान्यता यह है कि जो भी कोई दूसरेकी हानि करता है, वह अपनी ही हानि करता है। वे इसाई धर्मके इस विचारको विलकुल भी नहीं मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य पापी है। इसके विपरीत वे यह मानते थे कि प्रत्येक मनुष्यमें आत्माकी दिव्य ज्योति विद्यमान है। अमरीकामें जब उन्होंने इस विचारका प्रतिपादन किया था तब वहाँके लोग स्तब्ध रह गए थे। पापात्मा होनेके विचारसे जो निराशा मानवमें छापी रह सकती है, उसको दूर करनेवाला यही विचार है कि वह अपनेको तेजोमय भगवानका अग्र या उसका प्रतिनिधि माने। उनका तर्क, तथा युक्ति अत्यन्त सरल उदाहरणोंसे स्पष्ट की जाती थी। वे प्रायः कहा करते थे कि विजलीका बटन दबाते ही उसकी जो लहर दौड़ पड़ती है और उससे जो प्रकाश होता है, उसका स्रोत कहीं दूर वने हुए विजलीघरमें है। विजलीघर वह भगवान है और हम सबकी स्थिति भिन्न-भिन्न वस्तियोंके समान है। स्विच ठीक हुआ कि हम सबमें सहसा ही प्रकाश का संचार हो जाता है।

वे किसी व्यक्ति-विशेष अथवा पदार्थ-विशेषको परमात्मा मानकर पूजनेके सर्वथा विरुद्ध थे। उनका कहना यह था कि जिस पूर्ण व्यक्तिमें परमात्माकी कल्पना की जाती है, वह परमात्मा नहीं हो सकता; केवल उसकी प्रतिमा ही हो सकती है। मूर्तिपूजामें निहित भावना यही है कि हम उसको परमात्मा नहीं किन्तु परमात्माकी केवल प्रतिमा मानकर पूजते हैं।

उन्होंने सहिष्णुताका भी निरन्तर उपदेश दिया। जोर जवर्दस्ती तथा बनावत्कार उनकी दृष्टिमें धर्मके विरोधी थे। धर्मको साधनाका विषय मानते हुए विभिन्न सम्प्रदायों को वे साधन मात्र मानते थे। एक मनुष्य मुसलमान, इसाई अथवा बौद्ध होते हुए भी पूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक ही विजली घरको जोड़नेवाले अनेक तार हो सकते हैं और एक ही शहरको जानेवाली अनेक सड़कें भी हो सकती हैं। इन्हीं आधारपर वे सहिष्णुताका प्रतिपादन किया करते थे।

वे सार्वभौम धर्मका प्रतिपादन करते हुए यह कहा करते थे कि वह विध्यमात्मक नहीं, निर्माणात्मक है। उसको प्राप्त करनेका मार्ग यह नहीं है कि किसी एक धर्मको अपनाकर दूसरोकी निन्दा की जाय। हर एक धर्ममें अपना-अपना दर्शन, पुराण और कर्मकाण्ड है। नवका अपना-अपना महत्व है। फिर यह भी नहीं बूलना चाहिये कि मनुष्योंके स्वभाव भी भिन्न-भिन्न हैं? कोई विचारक अथवा दार्शनिक है, तो दूसरा भक्तिवादी, तीसरा रहस्यवादी और चौथा कर्मकाण्डी हो सकता है। इंगीनिए योगके ध्यानयोग, राजयोग, हठयोग, भक्तियोग, और कर्म योग आदि कितने ही भेद बताए गए हैं। लक्ष्य सबका एक ही है और वह है आत्माकी प्राप्ति।

समाज-सुधारके सम्बन्धमें भी उनके विचार विलकुल स्पष्ट थे । उन्होंने धर्मान्विता, रुढ़िवाद और मिथ्या-विश्वासोको दूर करनेपर पूरा जोर दिया । वे लोगोके कूप-मंडूक न बने रहकर खुली आँखोसे दुनियाको देखनेके लिए कहा करते थे । पीछेकी ओर न देखकर आगे बढ़नेके लिए प्रेरित किया करते थे । वे कहा करते थे कि जीवन प्रगतिशील है और आजका हमारा जीवन पिछली अनेक सदियोंमें की गई प्रगति एव विकासका परिणाम है । उनका यह भी कहना था कि समाज-सुधारका कार्य आम जनताके जीवनसे प्रारम्भ होना चाहिए । उसको केवल कुछ ऊँचे लोगो तक सीमित रखनेसे कोई लाभ नहीं मिल सकता । पिछली एक सदीमें किए गए समाज सुधारके कार्यको वे केवल शोभाकी वस्तु कहा करते थे, क्योंकि उनकी दृष्टिमें उसका सम्बन्ध केवल उच्च वर्णके लोगोके साथ था और आम जनता तक उसकी पहुँच नहीं हो सकी थी, उनका यह भी कहना था कि ये सुधार केवल विदेशियोंके सामने वन ठन कर आनेके लिए किए जाते हैं । ये वास्तविक सुधार नहीं हैं, समाज-सुधारका आधार उनकी दृष्टिमें विदेशियोंकी नकल करना न था, अपितु वे राष्ट्रीय जीवनको उसका आधार बनाना चाहते थे । अपने जीवनमें विदेशी जीवनकी कलमें लगाना उनको विलकुल भी पसन्द न था । वे यह भी कहा करते थे कि जो दूसरोके लिए अमृत है, वह हमारे लिए विष हो सकता है । उनकी सामाजिक सस्थाएँ आचार, विचार, रहन, सहन आदि उनके लिए उत्तम हैं, परन्तु हमारे लिए वह ग्राह्य नहीं है । वर्तमान जात-पातके सम्बन्धमें उनका कहना यह था कि ब्राह्मणोको नीचे गिरानेकी अपेक्षा स्त्रीको उनके धरातलमें ले आना चाहिए । ब्राह्मणोंके एकाधिकारके दिन लद गए । संस्कृतके अव्ययनका वे सबको समान रूपसे अधिकारी मानते थे । उनका कहना यह था कि हर जातिको अपनेको ब्राह्मण घोषित करके संस्कृतका अध्ययन शुरू कर देना चाहिए और अपनी सामाजिक-प्रतिष्ठा उनके समान बना लेना चाहिए । ब्राह्मणोंको वे अपनी अव-धरणाओसे ऊपर उठनेकी प्रेरणा दिया करते थे और कहा करते थे कि अपनेको ऊँचा माननेवालोको अपने ही हाथोसे अपनी उच्चताकी कन्न खोद डालनी चाहिए । वे जितनी जल्दी ऐसा कर सकेंगे, उतना ही उनका भला है ।

वर्तमान शिक्षाप्रणालीके भी वे विरुद्ध थे । उनका कहना यह था कि यह शिक्षा मानव और उसके चरित्रका निर्माण नहीं करती । यह ऐसी निपेधात्मक शिक्षा है कि उससे तो मृत्यु कहीं अधिक अच्छी है । शिक्षाका अर्थ अपने दिमागमें सब तरहकी जानकारी भरकर उसको वाटरलूकी लडाईका मैदान बना लेना नहीं है । जीवन-निर्माण चरित्र-निर्माण और मानव-निर्माण उसका लक्ष्य होना चाहिए, जिसका कि उसमें सर्वथा अभाव है । सारे पुस्तकालयको दिमागमें भर लेनेसे किन्ही भी पाँच बातोको लेकर अपने जीवनका निर्माण कर लेना कहीं अधिक सच्ची शिक्षा है । उनका यह भी कहना था कि हमारी इस ममयकी हालत विलकुल पशुओके समान है और समाजके चावुकका हमपर नियंत्रण है । हमारी नैतिकताका आधार पुलिस है । यदि कहीं समाज और पुलिसका भय न हो तो कौन सा ऐसा क्रुर्म है जिसको करनेमें हम न लग जायें ।

अमरीकामें अपने व्याख्यानोमें में वे प्रायः यह कहा करते थे कि “मेरे देशवासियोंको तुम्हारे धर्मकी आवश्यकता नहीं है। रोटीकी आवश्यकता है और तुम रोटी न देकर उनको पत्थर दे रहे हो।” अपने देशवासियोंसे वह कहा करते थे कि “हमारी कोमलता ने हमें रूईका गाला बना दिया है। अब हमारे देश और जातिको जिन चीजोंकी जरूरत है, वह है—लोहेके हाथ-पैर फौलादके पुट्टे और दृढ़ सकल्प शक्ति, जिसको दुनियाकी कोई शक्ति रोक न सके।” अपने देशके सुधारकोके सम्बन्धमें उनका यह कथन कितना प्रेरणादायक था कि “क्या भारतमें कभी सुधारकोकी कमी रही है? क्या कभी तुमने भारतका इतिहास पढ़ा है? रामानुज कौन थे? शंकर कौन थे? नानक कौन थे,? चैतन्य कौन थे? दादू कौन थे? क्या रामानुज नीची जातियोंकी और से लापरवाह थे? क्या वह आजीवन इस बातका यत्न नहीं करते रहें कि चमारो को भी अपने सम्प्रदाय में सम्मिलित करलें? क्या उन्होंने मुसलमानोको अपनी मडली में मिलानेकी कोशिश नहीं की थी? क्या गुरु नानकने हिन्दू-मुसलमान दोनों जातियों को मिलाकर एक बनाना नहीं चाहा था? इन सब महापुरुषोंने सुधारके लिए यत्न किए, और उनका नाम अभी तक कायम है। अन्तर इतना है कि वह लोग कट्टवादी न थे। उनके मुँहसे जब निकलते थे, मीठे वचन ही निकलते थे। वह कभी किसीको गाली नहीं देते थे, किसीकी निन्दा नहीं करते थे। निस्सदेह सामाजिक जीवनके इन गुरुतर और महत्वपूर्ण प्रश्नोकी हमने उपेक्षा की है और प्राचीनोने जो मार्ग स्वीकार किये थे, उससे विमुख हो गए हैं।”

स्वदेशाभिमानसे श्रोत-श्रोत उनके ये शब्द प्रत्येक भारतवामीको अपने हृदयपर अंकित कर लेने चाहिए कि “प्यारे देशवासियो! पुनीत आर्यावर्तमें बसनेवालो! क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरतामे वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे, जो केवल वीर पुरुषोका अधिकार है? हे वीर पुरुषो! मर्द बनो और तलवारकर कहो, मैं भारतीय हूँ। भारतका रहनेवाला हूँ। हरएक भारतवामी चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अपढ, निर्धन, ऊँची जातिके और नीची जातिके सब भारतीय मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन और मेरा प्राण है। भारतके देवता मेरा भरण-पोषण करते हैं। भारत मेरे वचनका हिंडोला, मेरे जीवनका विलास-भवन और बुढ़ापे का बैकुण्ठ है।”

स्वामीजीके विचार सर्वथा मौलिक थे। वे अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। उनकी तर्कशैली कमालकी थी। दृष्टि बड़ी पैनी थी। उनका व्यक्तित्व हिमालयके नमान महान, पांडित्य सागरके समान अगाध और वक्तृत्व शक्तिमें गंगाकी धाराका-न्ना अजन्म प्रवाह था। इन्ही कारण उनके तेजमय और त्यागमय जीवनमें एक विचित्र आकर्षण था। जो कि हर किसीको मंत्रमुग्ध कर लेता था। उनकी साधना व तपस्या चरमगामीपर पहुँची हुई थी। उनकी मच्चाई और ईमानदारी नदेहने नबंया रहिन थी। उनका चरित्र स्फटिक मणिके समान पवित्र था। उन्होंने अपना नवस्व अपने देश और मानद-नमाज की सेवामें अर्पित कर दिया था। उनका तेजस्वी जीवन और अज्ञेयी विचार आज भी हमारा पय-प्रदर्शन कर सकते हैं। सामाजिक जटला तथा धार्मिक मृटना को दूर

करनेका उन्होंने वैसे ही प्रयत्न किया जैसे किसी तालाबके सड़े हुए पानीको साफ किया जाता है। ऐसे आदर्श एवं महान जीवनका केवल ५० वर्षकी आयुमें अंत हो गया। महापुरुषोंके जीवनकी ज्योति के इतनी जल्दी बुझ जानेके सम्बन्धमें उन्होंने स्वयं ही एक वार कहा था कि “उनका जीवन उस मोमवत्ती जैसा होता है, जो दोनों ओरसे जलती और जल्दी ही समाप्त हो जाती है।”

---:०:---

श्रीस्वामी रामतीर्थ

“बाहरी रीति-रिवाज पूरा करना, तीर्थयात्रा करना, ब्राह्मणोंको दान देना, मंदिर, स्कूल, अस्पताल, आदि बनाना धर्म नहीं है। सिर्फ पूजा-पाठमें ही नमय बिताना धर्म नहीं है। यह सब बातें पाखंड, दिखलावा और दूसरोको ठगनेका जरिया भी बन सकती है। सच्चा धर्म समाज-सेवा और सामाजिक उन्नतिमें है। जिन नमाजकी जडमें कुरीतियों और सामाजिक दोषोका धुन लगा हुआ है, वह धर्मका ठीक पालन कैसे कर सकता है। धर्म तो नि स्वार्थ-सेवा, समबुद्धि, निर्भयता और दलित तथा अत्याचारसे पीड़ितोंके माय सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार में है। इस प्रकारके उच्च नैतिक-जीवनका अटूट आभाम ही धर्मकी निशानी है।”

“जब राम अछूतोका ख्याल करता है, तब उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है।”

“जात-पाँतकी भावना बराबरीकी दुश्मन है और मानसिक उन्नतिको रोकती है। उपनिषदों और वेदान्तकी शिक्षा बहुत अच्छी है, पर आज कलके हिन्दू तो क्या खाये, कैसे खाएँ, क्या पहिनें—इत्यादिके दलदलमें ही फँसे हुए हैं। हिन्दुओंमें गायकी पूजा का भाव भी अक्लकी सीमामे गुजर चुका है।”

ये धार्मिक और सामाजिक क्रांतिकारी शब्द १६ वीं और २० वीं सदीके मधिकालमें भारतमें हुए एक महान सुधारक स्वामी रामतीर्थ के हैं, जिन्होंने १६०२ मे १६०४ तक जापान अमेरिका और मिश्रकी यात्राके बाद भारत वापस आनेपर कहे थे। गिकागोंके सर्वधर्म-सम्मेलनमें आप भारतके प्रतिनिधि बनकर गये थे। स्वामी विवेकानन्दके बाद आप दूसरे सन्यासी थे, जो भारतीय व मस्कृति विद्या और आध्यात्मिक ज्ञानका प्रचार करनेके लिए विदेशोंमें गए। अमेरिकाके प्रमुख नगरोंमें आपके व्याख्यानोकी धूम मच गई थी। आपके युक्तिमगत प्रभावोत्पादक और तर्कपूर्ण भाषणोंका अमेरिकी जनतापर गहरा प्रभाव पडा। वहाँकी भौतिकवादी जनता वेदान्त और आध्यात्मिक तत्वोंकी ऐसी विषद, हृदयग्राही और दैनिक जीवनमें कार्यान्वित की जा सकने वाली व्याख्या सुनकर दग रह गई।

अमेरिका जाते हुए स्वामी रामतीर्थ जापान भी दो मप्ताह तक ठहरे थे। आगो जापानकी तीन चीजोने सबसे अधिक प्रभावित किया। आने अपने प्रिय गिष्य प्रोफेसर पूर्णसिंहको एक पत्रमें लिखा—

“जापानकी तीन बातें विशेष तौरपर जिक्र करने योग्य है । एक तो यह कि वहाँ दस्तकारी ऊँचे दर्जेकी थी । बड़ी-बड़ी मिलोंके अलावा घरेलू घघे इतने विस्तृत पैमाने पर थे कि मानो हर घर कारखाना बन गया था । पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे अपने हाथों से बड़े शौकसे काम करते थे । वे हम भारतीयोंकी तरह सुस्त नहीं हैं और न ही शारीरिक मेहनतसे दूर भागते हैं । दूसरी बात यह है कि वहाँ धार्मिक पागलपन नहीं । उन्हें ऐसी बातोंपर झगड़ा करनेकी फुरसत नहीं । भारतमें तो लोग निकम्मी बहसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं । तीसरी बात यह कि जापानी फूलोंसे बहुत ही प्यार करते हैं ।”

भगवे कपड़े का त्याग

इस विदेश यात्रासे स्वामीजीके विचारोपर गहरा प्रभाव पडा । देशकी परतंत्रता और सामाजिक कुरीतियोंको देखकर हृदयमें बड़ी ग्लानि हुई । भगवे कपड़ोंकी आड़ में होनेवाले पापोंको देखकर वह बड़े उद्विग्न हुए और एक दिन पूर्णजीसे बोले—

“रामको यह कभी मालूम न था कि यह भगवे-कपड़े इस देशमें अब आजादीकी निशानी नहीं रहे । गुलामोने भी भगवे कपड़े पहनना शुरू कर दिया है । यह ऐसी दिखलावेकी चीज बन गई है कि अब जी नहीं चाहता कि इन्हें पहनूं । आजादीकी पोशाक न होनेसे मैं इन भगवे कपड़ोंको एक आम सभामें फाड़ डालूंगा ।”

इस निश्चयके अनुसार स्वामी रामने भगवी पोशाकका त्याग कर दिया ।

स्वामी राम के समाज का स्वरूप

स्वामी रामतीर्थ एक ऐसे भारतका स्वप्न देखते थे जिसमें जात-पात, ऊँच-नीच और छूत-अछूतकी विषमता न हो, जहाँ बाल विधवाएँ न हो और जहाँ स्त्री-पुरुषके बीच सर्वथा समानता हो । आपने एक व्याख्यानमें कहा था—

“जब तक भारत सामाजिक दोषोंसे मुक्ति नहीं पाता है, तब तक वह विदेशी शासनसे भी छुटकारा नहीं पा सकता है । वही समाज उन्नत है, जिसमें निर्धन बच्चे और स्त्रियाँ सुखी हैं । समाजके यह तीनों अंग उसकी उन्नतिके माप-तौल हैं । भारतमें विभिन्न आन्दोलन इसीलिए विफल हुए क्योंकि समाजकी इन जड़ोंको ठीक प्रकार सींचा नहीं गया । देशभक्तोंकी ताकत समाजके ऊपर के अंश राजा, अमीर-उमराव जमींदार इत्यादिकी सेवामें ही खर्च हुई । यह तो समाजके पत्ते और शाखाओंके समान ही है ।”

स्वामी रामके निम्नलिखित शब्द कितने सारपूर्ण हैं —

“किसीको बढ़िया दान देना हो, तो उसे ज्ञानका धन दान करो । तुम किसीको आज खाना खिला दो, कल फिर वह बैसा ही भूखा होगा । उसे कोई हुनर सिखा दो वह उन्नत भरके लिए रोटी कमाने लायक हो जाएगा ।”

“पहले जाओ गरीब, पतित, दलित, अछूत और अज्ञानियोंकी सेवा करो । फिर आकर मुझसे वेदान्तपर बहस करना ।”

“ब्राह्मणोंने शूद्रोपर अत्याचार किये इसीका फल यह अछूत है । गीता और वेदान्त को माननेवाले हिन्दुओंके माथेपर यह कलंक ही है ।”

स्वामी रामतीर्थ धर्मकी आड़में, निरर्थक रीति-रिवाज और रुढ़ियोंके कट्टर विरोधी थे । यद्यपि उनका जीवन, अविकाश, भक्तिमय और ब्रह्म-साधना तथा वेदान्त-चर्चामें

लगता था, पर हिन्दू समाजमें घर किए हुए दोपके निराकरण में आप किसीसे पीछे नहीं थे। धर्ममें दम्भ और छल-कपटके और किसी पुस्तक-विशेषको ही ज्ञानका एकमात्र स्रोत माननेके स्वामी राम कट्टर विरोधी थे। आप अनुभव और स्वतंत्र विचारको प्राथमिकता देते थे। आपके व्याख्यान-संग्रहमें निम्नलिखित शब्द बड़े मार्केके हैं—

“जो बात हमने अपने अनुभवसे आजमाकर देखली है, उससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? भारतकी वेवसी और गिरावटकी वजह यह है कि यहाँ लोग जीवनके अनुभवसे लाभ उठानेके वजाय पुरानी पुस्तकोकी व्याख्याके दास बन गये हैं। धर्म-शास्त्रोंमें सच्चाईयाँ भरी पडी हैं लेकिन वह सबकी सब तब तक बेकार है, जब तक कि हम उनकी छान-बीन न करलें और निजी अनुभवसे उनके सत्य होनेकी गवाही न दे दें।”

“भारतमें विचारोकी स्वतंत्रता एक महापाप माना जाता है। जैसे बन्दरी मरे हुए बच्चेको चिपटाए रहती है, ऐसे ही भारतवासी निर्जीव, भ्रान्त और निरर्थक सामाजिक रीति-रिवाजोको चिपटाए हुए हैं। हम यही समझते हैं कि जो कुछ मुर्दा भापासे आता है, वही पवित्र है।”

“अपनेको धार्मिक कहनेवाले लोग न अपनी आँखोंसे देखते हैं, और न ही अपने कानोंसे सुनते हैं। अपनी बुद्धिको तो वह धार्मिक बातोंमें डस्टेमाल करते ही नहीं। वह धर्म, जिसका आधार किसी औरकी गवाहीपर निर्भर हो, धर्म ही नहीं। सत्य वही है जिसका आधार तुम्हारी अपनी गवाही पर हो।”

“समाज ऐसा हो, जो युक्तिहीन और ऊटपटाग नियमोकी कैदमें न हो।”

“किसीपर अपने विचार ठूसना मूर्खता है क्योंकि अगर आजादीकी हमें जरूरत है, तो दूसरोको भी उन्नतिके लिए मानसिक स्वतंत्रता चाहिए। हर नर-नारीका यह अधिकार है कि वह किसी दूसरेके सत्यको स्वीकार करे या न करे और अपने अनुभवोंसे सीखे।”

गिरावट के कारण

देशकी गिरावटके कारणोपर प्रकाश डालते हुए स्वामी रामतीर्थ कहते हैं—

“भारतके लोगोमें उद्योगसे घृणा पाई जाती है। धार्मिक विठ्ठाम और जात-पाँतके आधारपर फिरके देखे जाते हैं। विदेश-यात्राको बुरा समझा जाता है। बचपन में शादी हो जाती है। स्त्रियोंको अज्ञानतामें रखा जाता है। इन बातोंने साफ प्रकट होता है कि लोगोमें अक्लकी कमी है। मुघारका काम करनेमें लडाई होगी। लकीर के फकीर होना और अपनी आँखोंपर पट्टी बाँधकर चलना मौतकी राह है। एक श्रीमत दर्जेके हिन्दुस्तानी घरका ख्याल करें। आमदनी कम है पर हर साल नया बच्चा घरमें आ जाता है, जिसे पालना होता है। माय ही बेकार रीति-रिवाजोपर मामथ्यमें ज्यादा खर्च करना पडता है। यह जहरीला नियम भुला दो—कि व्याह करो, अज्ञानतामें सन्तान पैदा किए जाओ और गुलामीमें मरो। पति पत्नीका नवय नवने पवित्र है। पर हम बेपरवाहीने इस अति पवित्र कर्त्तव्यको गदा बना लेते हैं और बजी मरगामें कमजोर और नालायक बच्चे पैदा कर देशकी आवादीको बढ़ाते हैं। इन अत्रायुन्त्र छोटी आयुकी शादियोंको बन्द कर देना चाहिए। इन छोटी आयुकी शादियोंने ही विधवाएँ बनती हैं, जो हिन्दू समाजका एक और कोट है।”

“हिन्दुओमें भोजनके प्रश्नपर हृद से ज्यादा जोर दिया जाता है । हिन्दू धर्मको इसीलिए कुछ लोग तानेमें रसोईका धर्म कहते हैं ।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी रामतीर्थ भारतके एक प्रमुख समाज-सुधारक थे । आध्यात्मिक उन्नतिके शिखरपर पहुँचकर भी वह समाजमें प्रचलित दोषोकी उपेक्षा नहीं कर सके । इनके निवारणके लिए वह सदा प्रयत्न करते रहे ।

प्रारम्भिक जीवन

आपका जन्म जिला गुजरावाला (अब पश्चिमी पाकिस्तानमें) के मुरालीवाला ग्राममें २२ अक्टूबर सन् १८७३को गोस्वामी हीरानन्दके घर हुआ था । माताका वचनमें ही देहान्त हो गया था । उस समय आपका नाम तीर्थराम था । धार्मिक कथाओमें आपकी विशेष रुचि थी । पिता निर्धन थे और अधिक पढ़ानेमें असमर्थ थे । तीर्थराम बड़ा कुशाग्रबुद्धि परिश्रमी और तपस्वी बालक था । मैट्रिक पास करनेके बाद अपने ही पैरोपर आप खड़े होकर लाहौरके मिशन कालेजसे गतिणमें एम० ए० पास किया । वहाँ आपने अत्यन्त कष्टसे दिन गुजारे पर अपने लक्ष्यसे विचलित नहीं हुए । वी० ए० में प्रथम रहे, जिससे आपको वजीफा मिलने लगा । एम० ए० में भी पंजाब विश्वविद्यालयमें प्रथम रहे । उसी कालेजमें गणितके प्राध्यापक हो गए ।

२ वर्षकी आयुमें ही आपकी सगार्ड हो गई थी और १० वर्षकी आयुमें विवाह हो गया । पिताने दूसरा विवाह करके आपकी उपेक्षा वचनसे ही करदी थी । पर आप अपने वजीफे और वेतनमें से सदा माता-पिताकी सेवा करते रहे ।

आपका जीवन प्रारम्भसे ही वैराग्यपूर्ण था । स्वामी विवेकानन्द लाहौर आये थे । उनके सत्संगसे आपपर गहरा प्रभाव पड़ा । १९०१ में २८ वर्षकी आयुमें आपने सन्यास ले लिया और तीर्थ रामसे रामतीर्थ बन गये । १९०२ में शिकागो और टोकियोमें विश्व-धर्म-सम्मेलनमें गए । सन्यास लेकर आप उत्तराखण्डकी गुफाओ में ही ध्यानमग्न रहते थे । महाराजा टिहरीकी विशेष प्रेरणापर आप इन विश्व-धर्म-सम्मेलनोंमें भारतकी ओरसे गए । विदेशोंमें आपके भाषणोका गहरा प्रभाव पडा ।

अब आप ऋषिकेशमें आश्रम बनाकर रहने लगे और साथ ही सारे देशमें प्रचार-यात्रापर भी जाते । आपके भाषण बड़े मधुर, अनुभूतिपूर्ण और हृदयस्पर्शी होते थे । हजारोकी सख्यामें जनता मन्त्रमुग्ध हो आपके भाषण सुनती । देशमें सर्वत्र आपके उपदेशो और व्याख्यानोकी धूम थी ।

आश्रममें आप कई दिन तक अस्वस्थ रहे । स्वास्थ्यमें तनिक सुधार होते ही आपने गंगामें जाकर स्नान करनेका निश्चय किया । १७ अक्टूबर १९०६को दीवालीके दिन ऋषिकेशमें गंगा-स्नान करते हुए आपका पैर फिसल गया और आपका शरीर गंगाकी जलधारामें ही विलीन हो गया ।

आपकी इच्छा ऋषिकेशसे ऊपर किसी एकान्त और रम्य स्थानमें प्रकृतिकी गोदमें वेदान्तके लिए अंतर्राष्ट्रीय सस्था कायम करनेकी थी । उसीका स्वप्न देखते हुए आप इस ससारसे अकस्मात ही विदा हो गए ।

सुधार-क्षेत्रमें आर्य-समाज

सुधारके क्षेत्रमें महर्षि दयानन्द द्वारा प्रवर्तित आर्यसमाजकी जो विशिष्ट देन है, उसका इस लेखमें दिग्दर्शन करानेसे पूर्व उम समयकी धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति का निर्देश करना आवश्यक प्रतीत होता है ।

वैसे तो महाभारत युद्धसे लगभग १ हजार वर्ष पूर्वमें आर्यावर्तकी अवनति प्रारम्भ हो गई थी । वेदादि सत्य शास्त्रोंकी शिक्षाको त्रियात्मक रूप देने और जीवनमें परिणत करनेकी ओर लोगोका पर्याप्त ध्यान न रहा था, ईर्ष्या द्वेष तथा पारिवारिक कलहोसे हमारा यह पवित्र देश रसातलमें जा रहा था, किन्तु महाभारतके पश्चात् तो भयकर अन्वकारयुग प्रारम्भ हो गया । एक मत्स्य-सनातन-मार्वाभीम-वैदिक धर्मके स्थानमें सैकड़ों मतमतान्तर चल पडे । एक पर-भेष्ट्वरके स्थानपर सैकड़ों पौराणिक देवी-देवताओं, स्वार्थी गुरुओं और मूर्तियोंकी पूजा प्रारम्भ हो गई । वैदिक अष्ट्वरो अर्थात् अहिन्सात्मक यज्ञोंके स्थानपर घोर हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्भ हो गए जिनमें घोड़ों, बकरो, भेड़ों तथा अन्य पशुओं यहाँ तक कि गौओंकी बलि कल्पित देवताओंकी तृप्तिके लिए दी जाने लगी । गुण कर्म स्वभावपर आश्रित वेदोक्त चार वर्णों का स्थान जन्म पर आश्रित हजारों जाति उपजातियोंने ले लिया जिसने आर्योंका मगटन छिन्न-भिन्न हो गया । सर्वत्र परस्पर घृणा, ईर्ष्या-द्वेष और वैर-विरोधका ताण्डव नृत्य दीप्त पडने लगा । धृद्र कुलोत्पन्न मव पुरुषों और सभी स्त्रियोंकी ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंकी वेदोक्त मर्यादा नवंधा लुप्त हो चुकी थी और बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, विपम-विवाह, बहु-विवाह आदि कुंगितियोंने प्रचार पा लिया था । दो तीन वर्ष तक की कन्याओंके विवाहको धर्मशास्त्रियोंने धर्मानुमोदित और रजस्वला विवाहको सर्वथा शास्त्र-विरुद्ध और घोर पाप रूप घोषित कर दिया था । ब्रह्मचर्यकी प्रथा लुप्तप्राय हो जानेसे शारीरिक, मानसिक आत्मिक शक्तियोंका ह्रास हो रहा था और विधवाओंकी मर्यादा दिन प्रति दिन घट रही थी । छुआ-छूतका भयकर रोग सर्वत्र फैला हुआ था और लगभग ६ करोड़ व्यक्तियोंको नदाके निग्न अस्पृश्य वा अछूत कह कर मवर्ण लोगोंने अपनेने घृणापूर्वक नवंधा पृथक कर रखा था । स्वामी विवेकानन्दके शब्दोंमें हिन्दुओंका धर्म Kitchen Religion अथवा ग्नोईटा धर्म रह गया था । माम, शराब, अफीम, गाजा तथा अमध्य पदार्थोंका सेवन कर्त्त और व्यभिचार करते हुए कोई भी आदमी जातिमें अपनी प्रतिष्ठा बनाये रू नरना था पर चौकेने बाहर अथवा अन्य जातिके लोगोंके साथ एक पवित्रमें बैठकर गानेपर उभे जातिने

वहिष्कृत कर दिया जाता था । इस प्रकार जातिसे निकालनेके सब द्वार हिन्दुआने खोल रखे थे पर किसीको अपनेमें मिलानेकी प्रवृत्ति उस समयके हिन्दुओंमें न थी । वेद-शास्त्रोका स्थान अधिकतर पुराणो और तन्त्रोकी साम्प्रदायिक तथा अनेक अशोमें कुत्सित शिक्षाने ले लिया था और बड़े-बड़े धुरन्वर सस्कृतके विद्वान् भी वेदोके अर्थोको समझने में असमर्थ थे । ऐसी शोचनीय धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति थी जब आर्य-समाज के प्रवर्तक वैदिक धर्मोद्धारक महर्षि दयानन्दने कार्यक्षेत्रमें पदार्पण किया । चारो ओर घोर अन्वकार छाया हुआ था ।

अन्य आचार्य और सुधारक

मेरे कथनका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि महर्षि दयानन्दसे पूर्व सस्कृतके धुरन्वर विद्वान् आचार्य तथा सुधारक—महाभारतके पश्चात्के अन्वकारयुगमें हुए नहीं थे । श्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, (स्वा० आनन्द तीर्थ) वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि कई सुप्रसिद्ध आचार्य इस मध्य युगमें हुए जिन्होंने प्रस्थानत्रयी (वेदान्तशास्त्र, उपनिषदो और गीता) पर अपने-अपने सम्प्रदायकी दृष्टिसे भाष्य किये किन्तु, दु ख इस बातका है कि इनमेंसे मूल वेदोकी ओर श्री मध्वाचार्य, स्वामी आनन्दतीर्थको छोडकर अन्योका ध्यान बहुत कम गया और वे भी अपने समयके पौराणिक विचारो तथा वैष्णव साम्प्रदायिक विचारोसे बहुत अधिक प्रभावित रहे । बाल्य-विवाह, वृद्ध तथा विपम-विवाह, जन्मसिद्ध जातिभेद, बाधित-वैधव्य, दहेज-प्रथा इत्यादि कुप्रथाओके विरुद्ध इन आचार्योंने कोई प्रबल आन्दोलन किया हो ऐसा इतिहाससे प्रतीत नहीं होता । अद्वैत-वाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद और गुद्धा द्वैतवाद इत्यादि दार्शनिक वादोके समर्थन और विरोधी मतोंके खण्डनमें ही अधिकतर ये आचार्य लगे रहे । प्रायः ऐसे ही विचार अन्य मध्यकालीन आचार्यों और कवीर, तुलसीदास, आदि साधु सन्तोंने प्रकट किये । मध्यकालीन सन्तो से स्वामी रामानन्दजीके शिष्य कवीरजी और गुरु नानकजी आदिकी गणना सुधारकोमें की जासकती है क्योंकि इन लोगोंने मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, मृतक-श्राद्ध और तर्पण, जाति-भेद आदिका प्रबल खण्डन करके समाजमें प्रचलित अधविश्वासोको दूर करनेका प्रशंसनीय प्रयत्न किया किन्तु इनके सुशिक्षित विद्वान न होनेके कारण शिक्षित मण्डलीपर उनका प्रभाव न पड़ा । सर्वसाधारण उनकी वाणियोसे अवग्य प्रभावित हुए ।

गत शताब्दी का अंग्रेजी शिक्षित सुधारक

उन्नीसवी शताब्दीमें भी कई सुधारक हुए जिनमें ब्राह्म-समाजके प्रवर्तक राजाराम मोहनराय, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर श्री राजनारायण बोस, श्री केशवचन्द्र सेन आदिका नाम विशेष उल्लेखनीय है । राजा राममोहन रायने क्रूर सती-प्रथाको कानून द्वारा बन्द करवाकर विशेष स्याति प्राप्त की । जाति-भेद, बाधित वैधव्य, बहुविवाह, मूर्ति-पूजादि कुरीतियों कुप्रथाओ और अन्वविश्वासोके विरुद्ध भी उन्होंने आन्दोलन किया किन्तु खेदकी बात यह है कि वे पाश्चात्य सस्कृति, सभ्यता और भापासे अत्यधिक प्रभावित होकर उन्हीके प्रवाहमें स्वयं इतना बह गये कि संस्कृत शिक्षाके प्रोत्साहनके विरुद्ध सरकारको आवेदन पत्र देकर उन्हीने अंग्रेजी शिक्षा पद्धतिको देशमें प्रचलित करानेमें उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

ऐसी अवस्थामें श्री राजाराममोहन राय श्री केशवचन्द्र सेन तथा उनके अनुयायियों द्वारा यद्यपि समाज-सुधारका कुछ कार्य हुआ जिसके लिये वे प्रदासाके पात्र हैं किन्तु पाश्चात्य सभ्यता और ईसाइयतकी ओर उनका अधिक झुकाव होनेके कारण आर्य सभ्यता और प्राचीन पवित्र आर्य धर्मका उद्धार करनेमें वे असमर्थ रहे ।

महर्षि दयानन्दको अंग्रेजी शिक्षित युवक वर्गकी अपने देशकी सभ्यताको तिलाजलि देकर पाश्चात्य सभ्यताके प्रवाहमें बहते जाना और समाजसुधार तथा स्वतंत्रताके नामकी दुहाई देकर उनका अन्धाधुन्ध अनुसरण बहुत बुरा लगा । उन्होंने इस नवशिक्षित वर्गके अन्दर स्वदेशभक्तिकी न्यूनता और पाश्चात्योकी मानसिक दामताको तीव्रतामें अनुभव करते हुए बड़े दुःखके साथ लिखा 'जो कुछ ब्राह्मणसमाज और प्रार्थना ममाजियों ने ईसाई मतमें मिलनेसे थोड़े मनुष्योंको बचाया और कुछ पापाणादि मूर्तिपूजाको हटाया, अन्य जालग्रथोके फन्देमें भी कुछ को बचाया, परन्तु इन लोगोमें स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है । ईसाइयोके आचरण बहुतसे लिये है ।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि दयानन्दको सत्यके एक वीर नैतिकके रूपमें चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ी । एक ओर जहाँ मूर्ति-पूजा, मृतक-श्राद्ध और तर्पण, यज्ञादि में पशुहिंसा, जन्मसिद्ध जाति-भेद, अस्पृश्यता पाप मिटानेके उद्देश्यमें तीर्थयात्रा बाल्य विवाह विपम-विवाह, पर्दा और दहेजकी प्रथा, वाधित-वैधव्य आदि धार्मिक और सामाजिक मिथ्या विश्वासो तथा कुप्रथाओके विरुद्ध उन्हें प्रबल आन्दोलन करना पडा वहाँ दूसरी ओर जो उस समयका अंग्रेजी शिक्षित वर्ग प्राचीन आर्य सभ्यताके प्रवाहमें बहता जा रहा था तथा मास मद्य सेवनादिको उच्च सभ्यताका चिन्ह समझकर कल्पित समाज-सुधार में तत्पर था उसका भी उन्हें विरोध करना पडा । ईसाई मुसलमान आदि जो विधर्मों भारतीयोको अनेक प्रलोभन देकर तथा उनकी आन्तरिक ऋटियोंका लाभ उठाकर अपने जालमें फँसानेका दिन-रात प्रयत्न कर रहे थे उनका भी महर्षिको डटकर मुकाबला करना पडा ।

महर्षि दयानन्दने मृतप्राय आर्य जातिमें नव जीवनका मचार कर दिया, इनको सभी स्वीकार करते हैं यद्यपि कईयोका नैद्धातिक विषयोमें उनमें मतभेद भी हो सकता है । दलितोद्धार और अस्पृश्यता-निवारणका कार्य आर्य-समाजके अतिरिक्त अन्य कुछ संस्थाओ ने भी किया । जगद्वन्द्व महात्मा गान्धीजीके नेतृत्वमें इस विषयमें जो कार्य हुआ उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता किन्तु दुःखकी बात यह है कि हरिजनोकी एक पृथक जाति भी बन गई है जिमको विशेषाधिकार प्राप्त है । विधानमन्त्रालय, लोक-मन्त्रालय और राज्य-मन्त्रालय इत्यादिमें सर्वत्र इसका पृथक प्रतिनिधित्व है । ये लोग इस प्रकार हिन्दुओमें घुल-मिलकर एक नहीं हो गए किन्तु उनको एक पृथक मत्ता नवत्र दिखाई देती है, जो एकतामें मायक नहीं, बाधक ही है । महर्षि दयानन्दजी और उनके पीछे स्वामी श्रद्धा नन्दजी, लाला लाजपतरायजी आदि के नेतृत्वमें अस्पृश्यताको पूर्णतया समाप्त करनेका कार्य किया गया । उन्हें आर्योंमें सर्वथा नमानताके आधारपर सम्मिलित कर लिया गया । गुरुकुलादिमें जब उनके बालक प्रविष्ट हुए, तो किमी प्रकारका भेद-भाव न रखा गया, न किमीको उनकी जन्मगत जातिका ज्ञान तक होने पाया । उनमेंने अनेकाने विद्यालकार, वेदान्तकार आदिकी उपाधियाँ प्राप्तकर समाजमें अन्वेषित नमान, बन्धि उनमें

भी बढ़कर गौरव प्राप्त किया। यह आर्यसमाजकी इस क्षेत्रमें विगिष्ट देन है जिसकी कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वेदोंको पढने, पढाने, यज्ञो और सस्कारोके करने कराने आदिके सब अधिकार उनको प्राप्त हो गये। उनमें हजारो पण्डित और पुरोहित उपदेगक आदि प्रतिष्ठित पदोको प्राप्त हुए और अब भी हो रहे हैं।

जाति-भेदके निवारणके सम्बन्धमें भी आर्य-समाजकी एक विशिष्ट देन है जो उल्लेखनीय है। अन्य सुधारकोने भी जातिभेदके विरुद्ध आन्दोलन किया। किन्तु उनको वह सफलता प्राप्त न हो सकी जो आर्यसमाजको इस क्षेत्रमें प्राप्त हुई। आर्यसमाज के कार्यकर्ताओंने यज्ञोपवीतको ब्राह्मण जातिका चिन्ह नहीं समझा अपितु शरीर, वाणी और मनकी पवित्रता, गारीरिक मानसिक, और आत्मिक शक्तियोका विकास, ज्ञान, कर्म और भक्ति तथा उनके प्रतिपादक वेदोंके अव्ययनका चिन्ह समझकर उसे स्वयं धारण किया तथा अस्पृश्य कहे जाने वाले नर-नारियोको भी आर्य धर्मकी दीक्षा देकर धारण करवाया। इससे जात्यभिमानकी भावनाको सर्वथा समाप्त करनेका आर्यसमाज ने अत्यन्त प्रगसनीय और महत्वपूर्ण कार्य किया। अन्य कुछ सुधारकोने जातिभेद के साथ शास्त्रीय वर्णाश्रम धर्मका भी विरोध करके अपनेको सामान्य हिन्दू जनतासे पृथक् कर लिया किन्तु आर्यसमाजने जहाँ जन्मसिद्ध जाति-भेद वा जात-पाँतका घोर विरोध किया और उसके विरुद्ध प्रबल आन्दोलन किया वहाँ शास्त्रोक्त गुण कर्मानुसारिणी वर्णाश्रम व्यवस्थाका उन्होंने प्रबल समर्थन किया और उसे कार्य रूपमें परिणत करनेका सदा प्रयत्न किया। जात-पाँत-तोड़क-मण्डल और जाति-भेद निवारक आर्य-परिवार संघ द्वारा जहाँ युवको और युवतियोको जान बूझकर जात पाँत तोड़कर विवाह करनेकी प्रेरणा दी गई वहाँ शास्त्रीय वर्ण-व्यवस्थाका (जो केवल गुण कर्म स्वभाव पर ही आश्रित है जिसका जन्मसे कोई सबंध नहीं) मौखिक और लिखित रूप में समर्थन किया गया जिसका प्रभाव हिन्दू जनतापर भी यहाँ तक पडा कि काशी आदि स्थानोकी विद्वन्मण्डलीने यह घोषणा की कि परम्परागत जन्मपरक वर्णव्यवस्थाके समान ही 'कर्मणावर्ण' का सिद्धान्त भी भारतीय आर्य हिन्दू धर्मको मान्य है (भारतीय सस्कृति सम्मेलन प्रधान कार्यालय काशी द्वारा प्रकाशित।) यह इस जाति-भेद और अस्पृश्यताके निवारणके क्षेत्रमें आर्य-समाजकी अद्भुत देन है।

वाल्य विवाहकी कुप्रथाके निवारणमें आर्यसमाजके एक उत्साही नेता, महर्षि दयानन्द मरस्वती द्वारा सस्थापित परोपकारिणी सभाके मन्त्री स्व० श्री हरविलास शारदाने सन् १९३९ में वाल्यविवाह निरोधक विधान बनाकर समाज-सुधारके क्षेत्रमें अपना नाम अमर कर दिया। वृद्ध-विवाह, बहु-विवाह, विषम-विवाह आदि कुप्रथाओके विरुद्ध भी आर्यसमाजने सर्वत्र आन्दोलन किये जिनसे इनके विरुद्ध प्रबल जनमत जाग्रत हो चुका है। दहेजकी घातक प्रथाके विरुद्ध जिसकी वेदीपर स्नेहलता जैसी कई कुमारियोने अपने जीवन की वलि देदी आर्यसमाजो और कुमार परिपदोने प्रबल आन्दोलन करके उसे भी दूर करनेमें पर्याप्त अग्र तक सफलता प्राप्त की यद्यपि अब भी इस विषयमें बहुत कुछ करना शेष है। शिक्षा-सुधारके क्षेत्रमें आर्यसमाजके मान्य नेता महात्मा मुन्शीरामने गुरुकुल खोलकर जो अद्भुत कार्य किया और शिक्षाके क्षेत्रमें एक क्रांति करके दिखाई वह सर्वविदित है। सबसे पूर्व महर्षि दयानन्दने ही आर्यभाषा (हिन्दी) को राष्ट्रभाषा

वनानेके लिये आन्दोलन किया था और गुरुकुलोंमें उन्हे समस्त विषयोंकी उच्च शिक्षा का भी माध्यम बनाया था जिसके महत्त्वको अब भारतीय सविधानमें हिन्दीको राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करके स्वीकार किया गया है । इस विषयमें अभी अधिक उस्ताह और तत्परताके साथ कार्य करनेकी आवश्यकता है । संस्कृतके प्रचारका भी सर्वप्रथम और सर्वोत्तम प्रयत्न आर्यसमाजकी गुरुकुलादि संस्थाओं द्वारा ही किया गया । स्त्री-शिक्षाके लिए सर्वोत्तम प्रबन्ध आर्य कन्या पाठशालाओं और गुरुकुलोंकी स्थापना द्वारा आर्यसमाजने किया । वेदादिशास्त्रोंकी शिक्षाका उन संस्थाओंमें विशेष प्रबन्ध करके महिलाओंमें धार्मिक भावना भरने और अपनी प्राचीन भारतीय आर्य सस्कृतिकी रक्षा करनेका आदर्श अपने सामने सदा रखनेका यत्न किया गया जिसके अभावमें प्रायः अंग्रेजी शिक्षित महिलाएँ पाश्चात्य महिलाओंका अन्वाबुन्ध अनुसरण करनेमें ही अपना गौरव समझती हैं ।

आर्यसमाजके शिक्षाविषयक कार्यकी निम्नलिखित तालिका जो The Arya Samaj & International Aryan League Delhu मन् १९४७ में सार्व-देशिक आर्यप्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तिकासे ली गई है उसके एतद्विषयक कार्य पर प्रकाश डालनेमें पर्याप्त है ।

बालकोके लिये गुरुकुल	३०
कन्या गुरुकुल	१०
आर्यमहाविद्यालय	१५
बालकोके लिये प्रारम्भिक पाठशालाएँ.	१६२
" माध्यमिक "	१५१
उच्च माध्यमिक "	२००
कन्याओंकी प्रारम्भिक पाठशालाएँ	७००
कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय	१०
रात्रि पाठशालाएँ	१४२
दलित विद्यालय	३२२
शिक्षा कार्यके अतिरिक्त आर्यसमाजकी संस्थाओंकी तालिका इस प्रकार है	
दलितोद्धार सभाएँ	४३
शुद्धि सभाएँ	३७
प्रकाशनालय	१००
आर्य प्रेस	३०
धर्मार्थ औपघालय "	१४
विधवाश्रम	४१

अनायालयोंकी संख्या इन तालिकामें नहीं दी गई किन्तु उनकी संख्या नैकडोही होगी । प्रायः प्रत्येक मुख्य आर्यसमाज के अधीन अनायालय विद्यमान हैं । मन्ने पहने महर्षि दयानन्दजीने ही फिरोजपुरमें आर्य अनायालयकी स्थापना कराई थी जिमने पूर्व केवल ईसाइयोंके अनायालय होते थे ।

इस प्रकार समाज-सुधारके क्षेत्रमें आर्यसमाजकी बहुत बड़ी देन है ।

— ० :: ० —



सप्तम् खण्ड

प्रान्तीय सुधार-आन्दोलन

Handwritten text, possibly a signature or name.

Handwritten text, possibly a signature or name.

बम्बई प्रांतमें समाज-सुधार आन्दोलन

सन् १८१८ ई०में किरकीके मैदानमें हुई मराठोकी पराजयने, अंग्रेजोको चर्हाका एकमात्र शासक बना दिया और मराठा राज्य मदाके लिए विलीन हो गया। उसके बादके ४०-५० वर्षोंमें आनेवाली पीढियोने नई सत्ताके अधीन एक नई रोशनीका अनुभव किया। यह रोशनी और कुछ नहीं, अंग्रेजी शिक्षा थी, जो देशके नवयुवकोको प्राप्त हुई। बम्बईके तत्कालीन गवर्नर माउन्ट स्टुअर्ट एलफिन्स्टनने शिक्षा-सम्बन्धी अपने १० मार्च, १८२४ के प्रतिवेदनमें अंग्रेजी शिक्षाके उद्देश्यको दर्शाते हुए कहा था —“हमें अंग्रेजी शिक्षाके द्वारा आफिसोके लिए क्लर्क नहीं तैयार करने हैं, बल्कि भारतीयोंमें वे विशेषताएँ भरनी हैं और उस ज्ञानके दीपकको प्रदीप्त करना है, जिसके आलोकमें वे यूरपके अन्य लोगोंके समकक्ष खड़े हो सकें।” एलफिन्स्टन साहबकी इस आशाको बहुत हद तक नई पीढीने साकार किया। १८५०-५१ ई० में शिक्षा-बोर्डने अपनी रिपोर्टमें कहा—“एलफिन्स्टन इन्स्टी-ट्यूशनके शिक्षित नवयुवको द्वारा संचालित वालिका विद्यालय, आवश्यक ज्ञान-प्रसार सम्बन्धी, साहित्य और विज्ञानपर मातृभाषामें दिए जानेवाले भाषण आदि तथ्य ऐसे हैं, जिनकी एकवारगी उपेक्षा नहीं की जा सकती।” इन सब बातोंसे यह साफ जाहिर है कि उन नवयुवकोने अपने कंधेपर समाजकी बौद्धिक और नैतिक उन्नति का बड़ा काम ले रखा था और इस दिशामें वे काफी प्रयत्नशील थे। नवयुवकोके इस दलमें दादा भाई नौरोजी, जगन्नाथ शंकर शेट, डॉ० भाऊ दाजी और मंगलदास नाथू भाई आदि थे। १८४५ ई०में शिक्षा परिषद्ने एक ट्रेनिंग कॉलेजकी स्थापना की जिनके प्रथम डायरेक्टर प्रतिभाशाली शिक्षित नवयुवक बालशास्त्री जम्भेकर बनाये गये। जम्भेकरका निश्चित समाजमें काफी नाम था और उनका चारित्रिक व्यक्तित्व भी अद्भुत था। तीन वर्षके बाद उन्होंने कॉलेजका कार्य सुरू किया और तभी उक्त नवयुवक दलके प्रयत्नने छात्रोंकी साहित्य और विज्ञान परिषद की स्थापना हुई। इन परिषदोका उद्देश्य छात्रोंमें शिक्षा और समाज सम्बन्धी सुन्दर वातावरण तैयार करना था। ट्रेनिंग कॉलेजने रामगृष्ण गोपाल भण्डारकर और वामन आवाजी मोदक जैसे शिक्षाविदोको उत्पन्न किया। इनो वर्षके सितम्बर मासमें छात्रोंकी ओरने दो मातृभाषा सम्बन्धी मन्स्याओंको जन्म दिया गया। पहली मन्स्याका नाम था मराठी ज्ञान-प्रसारक नभा, और दूसरीका गुजराती ज्ञान प्रसारक मण्डली। वेने इन मन्स्याओंका उद्देश्य ज्ञानका प्रसार करना था, किन्तु शिक्षित नवयुवकोके दलकी प्रधानताके कारण उन मन्स्याओंके द्वारा समाज-सुधार सम्बन्धी कार्य काफी बड़े परिमाणमें होने नगा।

क्रियाशील तत्त्व

उस समयके भारत-प्रसिद्ध समाज-सुधारक सर नारायण चन्द्रावरकरके शब्दोंमें कहा जा सकता है कि "शिक्षाने समाज-सुधारके कार्यको सबसे आगे बढ़ाया, अंग्रेज शासको ने कई सामाजिक कानून बनाकर समाजमें परिवर्तन लानेमें बड़ी मदद की। हिन्दू-समाज, जो कई पुरानी रूढ़ियोंसे प्रसिद्ध था, सुधारकी ओर प्रवृत्त होने लगा। १८२६ में सती प्रथा बन्द कर दी गई। १८३२ ई० में एक कानून बना, जिसके द्वारा नवजात बच्चियोंको मारा जाना बन्द कर दिया गया। यह प्रथा कुछ राजपूतोंमें उस समय बड़ी घोर कर गई थी। बादमें १८५६ ई० में विधवाओंके पुनर्विवाहका कानून पास हुआ। तथा इसी प्रकारके अन्य सामाजिक कानूनोंके द्वारा समाजमें जवर्दस्त परिवर्तन देखने लगा। इस कार्यमें न्यायालय भी पीछे नहीं रहे। जैसा कि सर चन्द्रावरकर ने कहा है, "हमारे न्यायालयों और न्यायाधीशोंका समाजकी बदलती हुई मान्यताओंमें बड़ा प्रमुख हाथ है।" साथ ही रेलके प्रचलनने भी हमारे समाजको आगे बढ़ानेमें बड़ी मदद की। रेलके द्वारा सारा भारत सिमटकर एक इकाईमें आ गया। दूर-दूरके निवासी एक-दूसरेके काफी नजदीक आने लगे। इन रेलोंने भाईचारेको बढ़ानेमें और छूआछूत तथा जाति-पाँतिके बंधनको काफी ढीला करनेमें बड़ा काम किया। लोग जाति-धर्म और फिरके का खयाल बिना किए ही एक ही डब्बेमें बैठकर सफर करने लगे। घण्टों भिन्न-भिन्न स्थानोंके रहनेवालोंको एक जगह बैठनेका जरिया मिल गया और इस तरह बन्धुत्वकी भावना तो बड़ी ही, एक-दूसरे के रीति-रिवाजों, आचार-व्यवहारों और रहन-सहनसे परिचित होने का अवसर भी मिला। परोक्ष रूपसे इन सब बातोंका बड़ा असर होना लाजिमी था और फलस्वरूप समाजके ढाँचेमें युगान्तर उपस्थित हो गया। एक अंग्रेज लेखक, जो उस वक्त पत्रकारकी हैसियतसे बड़ा प्रसिद्ध था, ने अखबारोंमें इस बात की बड़ी तारीफ की कि पारसी लोगोंने विभिन्न स्टेशनोपर सोडा बर्गरह वेंचकर जात-पाँत के बन्धनको शिथिल करनेमें बड़ा हाथ बँटाया है। ईसाई मिशनरियोंने भी समाज-सुधार के काममें बड़ा पाँट अदा किया है। उनका उद्देश्य तो था भारतीयोंमें ईसाई-धर्मका प्रचार करना, किन्तु अनजानेमें ही उनके कुछ काम ऐसे हो रहे थे, जिनके द्वारा समाज-सुधारके कार्यको प्रगतिकी ओर बढ़नेकी प्रेरणा मिल रही थी। उनके इस प्रकारके प्रचार-कार्यसे बुद्धिमान जन-समुदायमें सामाजिक बुराइयोंके प्रति जागरूकता बढ़ी और वे दुगुने जोगके साथ समाज-सुधार आन्दोलनमें जुट गए। सचमुच यह काल हिन्दू-समाजके लिए परिवर्तनका काल था।

बदलता हुआ जमाना

यहाँ उस समयकी कुछ मज्जेदार घटनाओंका वर्णन कर देना अनुचित नहीं होगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि समाज किन-किन दायरोंसे गुजर कर नवीनताका जामा पहननेमें कामयाब हुआ। पूनाके एक ब्राह्मण गंगाधर दीक्षित फड़केने बम्बईमें कुछ आफिसरोंको मराठी पढ़ानेके उद्देश्यसे यात्रा की। उसे वहाँ ५-६ वर्षके असें तक रहना पड़ा। जब वह बम्बईसे पूना लौटा, तो समाजके व्यक्तियोंने उसका यह कहकर बहिष्कार कर दिया कि बम्बई जानेपर उसने सामुद्रिक यात्रा की है। बादमें प्रायश्चित्त करने

के पश्चात् उसे समाजमें पुन सम्मिलित कर लिया गया । उसकी मृत्युके उपरांत जब सरकारने उसके उत्तराधिकारियोंको पेन्शनके रूपए देने चाहे, तो लोगोंने यह कह कर रूपए लेना स्वीकार नहीं किया कि वे 'म्लेच्छों' के हाथसे रूपया नहीं लेंगे । कुछ समय बाद उनके विचार बदले और वे उस रकमके लिए सरकारके पास मिन्नतें करने लगे, जिसको उन्होंने पहले लेनेसे इन्कार कर दिया था ।

इसी प्रकारकी एक घटना और है कि १८५२ ई० में एक पारसीने अपनी जातिकी एक लड़कीसे शादी की । शादीके कुछ ही दिन बाद नवदम्पती गाडीमें बैठकर बाजार में घूमने लगे और बम्बईकी अग्रेजी दूकानोंमें जाने लगे । सरे आम भला नमाज इन प्रकारकी निर्लज्जताको कैसे बरदाश्त करता ? और पारसियोंके अस्वभावोंमें नव-दम्पतीकी कडे शब्दोंमें निन्दा की जाने लगी ।

तभी एक घटना और घटी, जिसको लेकर विशेष हो-हल्ला नहीं हुआ । उस समय एक सका फ्रांसरकस आया हुआ था । इसका आयोजन बम्बईके उस विशाल मैदानमें हुआ, जहाँ आज सेंट जेवियर्स कॉलेजका भवन अवस्थित है । बडी सख्यामें हिन्दू-नमाजके लोग इसे देखनेके लिए गए । बहुतसे लोग सपरिवार सरकम देखने गए । यह बडे ताज्जुबकी बात थी—उस समयके लिए ।

दादाभाई नौरोजीके सम्बन्धमें भी एक घटना बडी दिलचस्प है । एक बार उनकी इंटरव्यू लेनेके लिए सर जमशेदजी जीजी भाई ने उनको बुलाया । यह इंटरव्यू पारसी पंचायतके कार्यालयमें हुई । श्री दोसाभाई सोरावजी मुन्शी, जो उस समयके प्रतिष्ठित और पुराने खयालातके व्यक्ति थे, वहाँ उपस्थित थे । दादा भाई नौरोजी स्त्री-शिक्षा के बडे हिमायती थे । उनसे इसी विषयपर बात कर चुकनेके बाद सर जमशेदजीने मुन्शीजीसे कहा—“मुन्शीजी, यह नवयुवक लडकियोंमें शिक्षा-प्रचारके लिए कहता है—आपकी क्या राय है ?” मुन्शीजीने कहा—“लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आखिर लडकियोंको शिक्षित करके हम क्या करेंगे ? मेरे खयालमें शिक्षाके द्वारा उनका फायदे के स्थानपर नुकसान ही होगा । हमें इसे याद रखना चाहिए कि दीपकमें उतना ही तेल डालें, जितना उसमें समाए । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम स्पष्ट है ।”

जमशेदजीने जवाब दिया—“यह नवयुवक लडकियोंको उतनी शिक्षा नहीं देना चाहता, जो उनकी आवश्यकतासे अधिक हो ।”

महिला जागृति

उक्त घटनाएँ बताती हैं कि समाज-सुधारकी प्रगतिमें रुढ़िवादी दलने किंग तद्द रोडे अटकाए और सुधारप्रेमियोंको कितनी कठिनाइयोंका सामना करना पडा । नैविन इन सब बातोंसे सुधार-प्रेमी अपने पथमें विचलित नहीं हुए । वे तो दूने जंगले मार समाज-सुधारके कार्यको अग्रसर करते रहे ।

छात्रोंकी परिपदोंकी शोरने २१ अक्टूबर, १८५७ को बालिकाश्रमोंके तीन स्कुलोंकी स्थापना की गई । नाथ ही अन्य और चार स्कुल पागनी बालिकाश्रमोंके लिए खुले । बम्बईमें बालिकाश्रमोंका नव प्रथम स्कुल स्वनामधन्य नाना शार मेटजी प्रोग्राम १८५७

ई० में खुला । इस प्रकार स्त्री-शिक्षाकी प्रगतिमें इन विद्यालयोंने काफी मदद पहुँचाई । फिर भी शिक्षा-प्रेमी व्यक्ति शिक्षा-प्रचारकी दृष्टिसे और अधिक ठोस काम चाहते थे । धीरे-धीरे उन्हें महसूस हुआ कि समाजमें फैले बाल-विवाहके कारण स्त्री शिक्षामें बड़ी बाधा पड़ती है । बहुत कम उम्रमें ही उस समय लड़के-लड़कियोंकी शादी हो जाती थी । अतः उन लोगोंने इस प्रथाके विरुद्ध आवाज उठाई । साथ ही विधवाओं का प्रश्न भी बढ़ा जटिल था और विशेषकर छोटी उम्रमें हो जानेवाली विधवा लड़कियों का सवाल तो प्रमुख था । समाज-सुधारकोने इन प्रश्नोंको एक साथ लेकर भारी आन्दोलन का सूत्रपात किया और परिणामस्वरूप १८५६ ई० में विधवा-विवाह-कानून बना । इस आन्दोलनको सफल बनानेमें विष्णुशास्त्री पंडितने बड़ा काम किया, जिनके ऊपर महादेव गोविन्द रानाडेकी बड़ी कृपा थी । बम्बईमें सबसे पहला विधवा-विवाह सन् १८६२ में हुआ, लेकिन इसको गुप्त रखा गया । बादमें १८६५ ई० में विधवा-विवाह को बल देनेके लिए—“विधवा-विवाहोत्तेजक मण्डली” का गठन हुआ । इस मण्डलीको श्रेष्ठ माधवराव विनयुटकरका पूर्ण सहयोग प्राप्त था । मण्डलीके सेक्रेटरी विष्णुशास्त्री पंडितको बनाया गया और महादेव गोविन्द रानाडे इसके प्रमुख सदस्य रहे । रूढ़िवादियोंको यह बुरा लगा और उन्होंने विधवा-विवाहके विरुद्धमें ‘हिन्दू-धर्म-व्यवस्थापक सभा’ की स्थापना की । उनके इस कार्यकी शंकराचार्यने हृदयसे सहायता की । वर्षों तक इन दोनों दलोंमें काफी प्रतिद्वन्द्विता होती रही, लेकिन विष्णुशास्त्री और उनके मित्र अपने पथपर दृढ़ रहे । १८६९ ई० में विधवा-विवाहोत्तेजक मण्डलीकी ओरसे हजारों आदिमियोंकी उपस्थितिमें एक विधवाका विवाह कराया गया ।

विवाह योग्य आयु

१८८६ ई० में श्री वैरमजी एम० मालावारीने इस बातपर जोर दिया कि बाल-विवाह को रोकनेके लिए विधान सभाएँ हस्तक्षेप करें । इस सम्बन्धमें उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करनेके लिए एक पुस्तिका भी लिखी । इस पुस्तिकाका बड़ा असर हुआ और उनके विधान सभा द्वारा हस्तक्षेप करनेके सुझाव के विरुद्ध बम्बईके माधव वागमें महती जन-सभा हुई और उनके विचारोंका खलकर विरोध किया गया । श्री मालावारीका ज़वर्दस्त विरोध करनेवालोंमें एल्फिस्टन कॉलेजके प्रो० वर्ड्सवर्थ और श्री के० टी० तैलंग थे । बादमें उक्त दोनों महानुभावोंने महसूस किया कि उनके इस प्रकार विरोध करनेपर प्रगतिमें काफी बाधा हुई है । वास्तवमें वे खुद भी श्री मालावारी के सुवार्तात्मक विचारोंके अनुयायी थे और उन लोगोंने रखमावाइके केसमें मदद दी, जिसमें उसने पुनर्विवाहकी इच्छा प्रकट की थी । श्री मालावारी अपने उद्देश्यमें लगे रहे । अंतमें १८६१ ई०में गवरनर जेनरल की—लेजिस्लेटिव कौंसिलमें बाल-विवाह बन्द करने के सम्बन्धमें एक बिल पेश हुआ । इसका विरोध करनेके लिए पूना और बम्बईमें सभाएँ हुई । इधर श्री मालावारी और उनके साथियोंके प्रयत्न स्त्रियोंमें जागृति पैदा की गई और पूना तथा बम्बईकी प्रायः दो हजार महिलाओंके हस्ताक्षर युक्त एक प्रस्ताव गवरनर जेनरलके पास बिलके समर्थनमें भेजा गया । और उसी वर्ष बाल-विवाहको बन्द करनेके निमित्त बिल पास हो गया ।

जाति-प्रथाके विरुद्ध अभियान

अन्य क्षेत्रोंमें भी समाज-सुधारका कार्य आगे बढ़ा। जाति-पाँतिकी बुराईको समाप्त करनेकी दिशामें भी काम हुआ। श्री पाडुरगके द्वारा एक ऐसी संस्थाकी स्थापना हुई, जिसने जाति-प्रथाके विरुद्ध आवाज उठाई। १८४०में ई० पाडुरगके द्वारा परमहंस सभाकी स्थापना हुई। इस संस्थाके वे ही व्यक्ति सदस्य बन सकते थे जो वास्तवमें जाति-प्रथामें विश्वास नहीं करते थे और इसके लिए उनको सभाकी कुछ शर्तोंको पूरा करना पड़ता था। सदस्य होनेवाले व्यक्तिको ईसाई रसोइएके द्वारा बना हुआ टोस्ट और मुसलमानके हाथका पानी पीना पड़ता था। इस सभाके द्वारा कुछ दिन तक कार्य होता रहा बादमें सभाका कार्य बन्द हो गया और सभाके भग्नावशेषोंमें से २० वर्ष के बाद एक ऐसी संस्थाका उदय हुआ, जिसने इन क्षेत्रमें जाति उपस्थित की। यह संस्था थी—'प्रार्थना-समाज'। ४० वर्षके बाद इसी प्रकारके कार्यको अग्रसर करनेके लिए बम्बईमें कस्मोपोलिटन क्लबकी स्थापना हुई। १८६५ ई० में क्लब द्वारा एक भोजका आयोजन हुआ। सभी जमातके लोग इकट्ठे हुए। किंगी नदस्य ने भोजमें सम्मिलित होनेवालोंके नामोंको अखबारोंमें प्रकाशित करा दिया। बड़ा हंगामा हुआ और क्लब भी समाप्त हो गया। १७ वर्ष बाद 'आर्यन ग्रादरहुड' नामक संस्थाकी स्थापना हुई। बम्बईके सालीनीटर श्री दफ्तरी और नर नारायण चन्द्रावरकर ने इसमें काफी काम किया। इस संस्थाके द्वारा कई वर्षों तक जाति-प्रथाके विरोध में ठोस कार्य हुआ।

अस्पृश्यता-निवारण

मन् १८५५ ई० में कुछ शिक्षित नवयुवकोंने अछूतोंद्वाराका कार्य शुरू किया। १८७० ई० में ब्रह्म समाजके नेता श्री केजवचन्द्र सेन जब लन्दन में लौटे, तो बम्बईमें वे कुछ दिन रुके। इस अवधिमें उन्होंने फ्रामजी कावमजी इन्स्टीट्यूटमें भाषण दिये। उन्होंने अपने भाषणोंमें इनी समय गठित प्रार्थना समाजके सदस्योंमें इन बातोंकी प्रार्थना की कि वे अछूतोंकी स्थिति सुधारनेमें अपना पूरा योगदान दें। प्रार्थना-समाजने पूरे जोशके साथ इस कार्यको करनेका बीडा उठाया। समाजकी ओरने कई राशि पाठशालाओं को प्रारंभ किया गया, जिनमें ने दो पाठशालाएँ अछूतोंके लिए खुली। १८६१ ई० में श्री दामोदर दाम सुत्रादवालाने अपने खर्च में एक तीनरी पाठशालाकी स्थापना वाडकुलामें की। इसके कोई १५ वर्ष बाद श्री विठ्ठल रामजी जिण्डेने अछूतोंद्वारा समिति नामक एक अखिल भारतीय संस्थाको जन्म दिया। जिनके प्रथम महापति सर नारायण चन्द्रावरकर निर्वाचित हुए। इन संस्थाके द्वारा अछूतोंद्वाराके कई रचनात्मक कार्य हुए।

महाराष्ट्रमें हुए समाज-सुधारके इतिहासमें श्री ज्योतिराव फुन्ने द्वारा की गई सेवाएँ स्वर्णक्षरोंमें अंकित रहेंगी। उन्होंने १८७३ में नव्यगोत्रक समाजकी स्थापना की।

भारतीय राष्ट्रीय समाज-सुधार-सम्मेलन

शुरुमें जब बम्बईमें १८८५ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना हुई तो उस समय यह सोचा गया था कि इन संस्थाका मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिकी ही गति करना

बम्बई ग्रान्तमें समाज-सुधार आन्दोलन

नहीं होगा—वल्कि समाज-सुधारकी दिशामें भी अपना काम करती रहेगी । किन्तु वादमें काँग्रेस पूरी राजनीतिक सस्था हो गई । अतः सुधारकी इच्छा रखनेवालोको समाज-सुधारका अभाव खटकने लगा । इसलिए भारतीय राष्ट्रीय समाज-सुधार सम्मेलन नामक सस्थाको जन्म दिया गया । इस संस्थाका वार्षिक अधिवेशन काँग्रेस के मण्डपमें ही काँग्रेस अधिवेशनोके समाप्त होनेपर शुरू हो जाता था । महादेव गोविन्द रानाडेके तत्वावधानमें इस संस्थाने अखिल भारतवर्षीय पैमानेपर समाज-सुधारके कार्य को अग्रसर कर दिया । इसके द्वारा स्त्री-शिक्षाका प्रचार और बाल-विवाह, जाति-प्रथा आदिके विरुद्ध आन्दोलन किए गए । साथ ही अछूतोके हितार्थभी आन्दोलन हुए । श्री रानाडे अपनी मृत्यु पर्यन्त—संस्थाके कार्योंमें प्रमुख भाग लेते रहे और संस्थाके कार्यको आगे बढ़ाते रहे । उनके स्वर्गस्थ होनेपर संस्थाके प्रधान मंत्री का भार बम्बईके ही श्री एन० जी० चन्द्रावरकरको सौंपा गया । चन्द्रावरकरने भी रानाडेकी भाँति ही कार्य किया और समाज-सुधारके कार्यको प्रगतिशील किया । वादमें लोगोंने बम्बई प्रान्तमें समाज-सुधारके कार्यको अग्रसर करनेके निमित्त, मद्रास हिन्दू समाज-सुधार एसोसिएशनके अनुसार बम्बई प्रेसिडेंसी समाज-सुधार एसोसिएशनकी स्थापना की । सर नारायण चन्द्रावरकर इसके सभापति बने और यह संस्था आज भी समाज-सुधारके काममें पूरा हाथ डेँटाती है । इसने शारदा विल, १९३५के हरिजन प्रवेश विल आदिका समर्थन किया और हिन्दू कोडविलका समर्थन अभी भी करती है । विधवाओंके लिए भी इस संस्थाने काफी काम किया है । सोसल वेलफेयर लीग नामकी भी एक संस्था १९११ ई० में स्थापित हुई । इस संस्थाने भी बम्बईमें पिछले ४०-५० वर्षोंमें समाज-सुधारका खूब काम किया है । इसके प्रमुख कार्यकर्ता श्री एन० एम० जोशी, जो ट्रेड यूनियन आन्दोलनके जन्मदाता थे, ने मृत्युपर्यन्त अपनी सेवाएँ इस संस्था को अर्पित की ।

आर्य-समाज और प्रार्थना-समाज

पुरानी सस्थाओंमें, जिन्होंने अपनी सारी शक्ति समाज-सुधारके कार्योंमें लगाई, आर्य-समाज और प्रार्थना समाजका नाम आदरके साथ लिया जा सकता है । दोनों ही संस्थाओंने पद-दलित जातियोंके उद्धारके प्रयत्न किए । प्रार्थना-समाजके संस्थापको और नेताओंमें रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर, माधव गोविन्द रानाडे, नारायण गणेश चन्द्रावरकर, सदाशिव पाण्डुरंग केलकर और वासुदेव बाबाजी नवरंगका नाम आदरके साथ लिया जा सकता है, जिन्होंने बम्बई शहरमें सबसे पहले निम्न वर्णकी शिक्षाके लिए रात्रि पाठशालाओंको आरंभ किया । इनके कार्योंसे प्रोत्साहित हो कर वादमें भारतीय पिछड़ा वर्ग-मिशन-सोसाइटीकी स्थापना हुई । इस संस्था के जन्मदाता थे—श्री विठ्ठलरामजी शिण्डे । प्रार्थना समाजके प्रमुख कार्यकर्ता श्री लाल शंकर उमीयागकरने १८७५ ई० में पण्डरपुरमें अनाथालयकी स्थापनाकी । इस संस्थाके द्वारा पिछले ८० वर्षोंमें समाज की बहुत बड़ी सेवा हुई । यह भारतवर्षकी प्रमुख संस्थाओंमेंसे एक है, जिसमें हजारों-लाखों अनाथ बच्चोंको आश्रय मिला है । साथही इस संस्थाने हजारों अनाथ लड़कियों और महिलाओंको आश्रय देकर उन्हें शिक्षा आदि देनेमें बड़ा काम किया है । इस अनाथ

आश्रम और इसके अन्तर्गत और सस्थाएँ १८८१ ई० से प्रार्थना-समाजके संरक्षणमें हैं ।

आचार्य कर्वे और भारतीय महिला-विश्वविद्यालय

पश्चिमी भारतके समाज-सुधार आन्दोलनमें दोडो केसव कर्वेका नाम अमर रहेगा । प्रो० कर्वे अभी भी जीवित हैं और अपने सौवें वर्षमें प्रवेग कर रहे हैं । आपने १८६३ में एक विधवासे विवाह किया था । उसके तीन वर्ष बाद आपने पूनामें बाल-विधवाओं और अनाथ बच्चोंके लिए अनाथ बालिकाश्रमकी स्थापना की । धीरे-धीरे इस मस्याकी कई शाखाएँ खुल गईं और इसके बड़े विभागोंके रूपमें महिला-विद्यालय और भारतीय महिला-विश्वविद्यालय बादमें प्रो० कर्वेके द्वारा आरम्भ हुए । प्रो० कर्वेकी शिक्षाके प्रति की गई सेवाओंको देखकर आज लोग उन्हें महर्षिके नामसे पुकारते हैं ।

सेवा-सदन

दूसरी सस्था जो बड़ा अच्छा काम कर रही है—वह है सेवा-सदन—जिसकी स्थापना १९०८ में बम्बईमें श्री वी० एम० मलावारी द्वारा हुई थी । इस मस्यामें एक महिला छात्रावास है तथा एक महिला प्रशिक्षण कॉलेज है और अन्य कई औद्योगिक कार्य भी स्त्रियोंके लिए होते हैं । पूनाके सेवा-सदनकी स्थापना श्रीमती रमाबाई रानाडे और उनके साथियोंके द्वारा १९०६ ई० में हुई थी । पूनाकी यह सस्था भी अपने-आपमें अद्वितीय है ।

पत्र-पत्रिकाएँ

समाज-सुधारके इतिहासमें अगर प्रेसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा जायगा तो शायद यह लेख पूर्ण नहीं होगा । १८४६ ई० में पूनासे एक ममाचार-पत्र मराठीमें प्रकाशित हुआ, इसका नाम था—ज्ञान प्रकाश । इसके बाद प्रभाकर और धूमनेतु निकले । इन तीनों पत्रोंने समाज-सुधारके कार्यमें बड़ा हाथ बँटाया । इन्होंने पुरानी रूटियों और सामाजिक बुराइयोंके विरुद्ध प्रशमनीय कार्य किया । इन्होंने शास्त्रोक्त उक्तियाँ देकर विरोधियोंका मुँह बन्द कर दिया । इसी प्रकारके कार्यको मदद देनेमें बम्बईके 'इन्दु प्रकाश' का काम भी नहीं भुलाया जा सकता । यह पत्र मराठी और अंग्रेजीमें एक साथ ही छपता था । गोपालहरि देशमुखको जो विनोपकर लोकहितवादीके नामसे विख्यात हैं, नहीं भुलाया जा सकता, जिनके सतत प्रयत्नसे बम्बईके इन्दुकाण्ड और पूनाके ज्ञान प्रकाशका प्रकाशन हुआ । उनकी मनना थी ममाज-सुधार और समाज-सुधारको के प्रचारमें हाथ बँटानेकी । और इन दिनामें उन्होंने अभूतपूर्व काम किया था । बाद में दोसाभाई फ़ामजी कामाके प्रयत्नसे 'स्त्री-बोध' निकला । इन पत्रमें दादा भाई नारोजीने १८५१ ई० में पारसी और गुजराती, जनताके लिए 'राष्ट्र गोपनार' का प्रकाशन किया । गोपाल गनेश आगरकर और बालगंगाधर तिलकने १८८१ ई० में पूनामें दो पत्रोंका प्रकाशन किया, जिनके नाम हैं—केसरी (मराठी) और मराठा (अंग्रेजी) । बादमें श्री आगरकरका अपने साथियोंके मतभेद हो गया और उन्होंने उच्च दोनों पत्रों में सम्बन्ध विच्छेद करके अपना माप्ताहिक 'मुबारक' निकाला । श्री आगरकर पर

निकालनेके वाद केवल ७ वर्ष ही जिन्दा रहे—लेकिन इस बीचमें ही उनका पत्र बड़ा प्रसिद्ध हो गया था और समाजसुधारके कामोंमें तो उसने युगान्तर ला दिया था । इसके वाद प्रार्थना-समाज तथा क्रिश्चियन मिशनरियोंकी ओर से क्रमशः 'सुवोध पत्रिका' (मराठी अग्रेजी) और 'ज्ञानोदय' (मराठी-अग्रेजी) पत्र निकले । यहाँ श्री के० नटराजन का नाम भी श्रद्धाके साथ लिया जा सकता है जिन्होंने अपने साप्ताहिक के द्वारा लगातार ५० वर्षों तक समाज-सुधारके काममें हाथ बँटाया ।

कार्य और लक्ष्य

विगत सौ वर्षोंमें बम्बईमें समाज-सुधारकका कार्य बहुत कठिनाइयोंका रहा । किन्तु एक महान् लक्ष्यको सन्मुख रख अदम्य साहस और आशावादिताके साथ वह उसे करता रहा । समाज-सुधार-आन्दोलनके एक महान् नेता रानाडेने ठीक ही कहा है कि " बाल-विवाह, वाधित-वैधव्य, दुर्व्यसनको दूर करनेकी दिशामें किये गये सुधार, अन्तर्जातीय विवाह, अछूतोंद्वारा, धर्म और जातिसे बहिष्कृत लोगोंको पुनः समाजमें मिला लेने और धर्मादा सम्पत्ति सम्बन्धी नियमोंमें सुधार आदिके आन्दोलनोंने पुराने विचारोंकी जगह नयी चेतना और प्रवृत्तिको जन्म दिया । वास्तवमें सुधारकको अपने आपको और अपने चारों ओरके समाज को सुधारनेका कार्य निरन्तर करते रहना, उसे अपने परिवार, गाँव और जाति तथा देशको नये सँचेमें ढालना है और इसलिए समाज-सुधार एक कर्तव्य और साधना है न कि मात्र शौककी चीज ।

अनुवादक—श्री शक्तिकुमार शर्मा

—:०.—

गुजरातमें समाज-सुधारकी प्रवृत्ति

हिन्दी भाषामें “संसार” शब्द बड़े व्यापक अर्थोंमें प्रयुक्त होता है। उसका अर्थ है—समस्त जगत्। गुजराती भाषामें कौटुंबिक तथा विरादरी (जाति) के अदर प्रचलित जीवन-व्यवहारको “संसार” कहते हैं। एक व्यक्तिको परिवार तथा जातिके घेरेमें रहकर जिन रीति-रिवाजों और रुढ़ियोंका पालन करना पड़ता है, तथा जिस प्रकार का जीवन व्यतीत रना पड़ता है, उसे गुजराती लोग “संसार” कहते हैं। उक्त “संसार” में सुधार करनेकी प्रवृत्तिके लिए गुजरातीमें “संसार-सुधार” शब्द चलता है।

समस्त हिन्दू-समाज अथवा सारी भारतीय प्रजाकी सामाजिक और आर्थिक जीवन व्यवस्थाका सुधार करनेकी प्रवृत्तिके लिए गुजरातीमें “समाज-सुधारण” शब्द व्यवहृत होता है। इसके अतिरिक्त दीनो, दरिद्रो, दु खियो, रोगियो, पिछड़ी हुई जातियो, शोपितो और दलित जनोंके कल्याण व उत्कर्षके लिए जो कार्य किए जाते हैं, उन्हें गुजराती में “समाज-सेवा” कहा जाता है। ऊपर लिखित तीनों शब्दोंकी कार्यसीमा बहुत स्पष्ट तो नहीं है, तथापि तीनों शब्दोंका प्रयोग बहुलतासे होता है। अपने देशकी प्रजाओंके नवजागरणके प्राथमिक युगमें गुजरातमें केवल “संसार-सुधार” शब्द ही प्रयुक्त होता था, उसका स्पष्ट अभिप्राय “सामाजिक सुधारण” था।

×

×

×

इस प्राकृतिक नियमकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक जीवित वस्तु (प्राणी अथवा वनस्पति) में सदा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। आस-पासके वातावरण के प्रति अनुकूलता स्थापित करनेके लिए ऐसे परिवर्तन आवश्यक होते हैं। निर्जीव वस्तुओंमें इस प्रकारके परिवर्तन नहीं होते। मानवीय सस्याओंमें भी यह नियम लागू होता है। जब तक किसी सस्यामें परिवर्तित होते हुए वातावरणके साथ अनुकूलता स्थापित करनेकी वृत्ति रहती है, तब तक वह उपयोगी रहती है। उन वृत्तिके नष्ट हो जानेपर सस्याओंमें जड़ता और सड़ाई प्रविष्ट होने लगती है। सड़ाई प्रविष्ट होने और उसके बढनेका स्पष्ट यही अर्थ है कि उस सस्याकी सजीवनी शक्ति समाप्त हो रही है।

भारतमें हिन्दू-समाजने लगभग एक सहस्र वर्ष तक विदेशोंसे आनेवाली अनेक जातियों का पूरी तरह सामना किया। हिन्दुओंने अपनी जाति-सस्याद्वारा अपने सत्कारो और परम्पराओंको सुरक्षित रक्खा। ग्रीक, हूण, शक, तुर्क, अफगान और ईरानी आदि

अनेक जातियाँ भारतमें आईं और हमारे साथ घुलमिलकर रहने लगी। हिन्दुओंने उन सबको अपनेमें आत्मसात् कर लिया। उनके पञ्चात् भारतमें पुर्तगीज़, डच, फेंच और अंग्रेज आदि योरोपीय जातियाँ आईं ! उन्होंने हमारे सामाजिक और आर्थिक, जीवनको नष्ट करनेका भयकर प्रयत्न किया। प्रधानत उनका हेतु आर्थिक था। क्योंकि वे यहाँसे सस्ते मूल्यमें कच्चा माल ले जाकर अपने कारखानोंमें नई-नई वस्तुएँ बनाकर मालामाल होना चाहते थे। इस प्रकार हमारे हुनर, उद्योग और गृहशिल्प नष्ट हो गए। एक धोती जैसी मामूली वस्तु भी माचेस्टरसे बनकर आने लगी थी। नि.संदेह ये जातियाँ प्रगतिशील थी। ज्ञान-विज्ञानके क्षेत्रमें वे अधिक अग्रसर थी। लगभग एक हजार वर्षके पराये शासनमें हमने स्वराज्य तो खोया ही था अपने स्वाधीन व्यवसाय भी खोये। ज्ञानके प्रति हमारी उत्सुकता नहीं रही। हमारी धार्मिक तथा सामाजिक बातोंमें भी शिथिलता आ गई !

सन् १८५७में भारतीयोंने अंगरेज़ी शासनसे छूटनेका प्रथम प्रयास किया। परन्तु हमारा संगठन ठीक नहीं था अतः उसमें हम असफल रहे। परन्तु प्रजाकी चेतनामें स्वाधीनताकी तीव्र आकांक्षा जाग उठी। वह अपना मनोबल भी बढ़ाने लगी। परिणाम यह हुआ कि एक ओर ज्ञानप्राप्तिका यज्ञ आरम्भ हुआ और दूसरी ओर धर्ममें आई हुई जड़ता और सडाँद दूर करनेका उद्योग होने लगा। हिन्दू लोग वेद-वेदातका अव्ययन करके हिन्दू धर्ममें प्रविष्ट हुई अगुद्ध धारणाओं और मान्यताओंको दूर करने लगे। समझदार लोग हिन्दू-समाजमें आये हुए दुष्ट रीति-रिवाजोंको साफ करने लगे।

उस युगमें हमारे भारत देशकी राजधानी कलकत्ता थी। वहाँपर यूरोपियन विद्वानों का भारतीय विचारको और प्रगतिप्रिय महानुभावोंके साथ संपर्क होने लगा। उनके साथ विमर्ग और विचार विनिमय होने लगा। इस संपर्कका फल यह हुआ कि समझदार भारतीयोंने आत्म-गुद्धि और समाज-संगोधनके आंदोलन प्रारंभ किये। इन आन्दोलनोंमें राजर्षि राममोहन राय, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित प्रवर श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा ब्रह्मानन्द केजवचन्द्र सेन जैसे मेधावी और देशभक्त प्रमुख थे। इन महानुभावों ने धर्ममें आई हुई अनिष्ट पौराणिक मान्यताओंको और सामाजिक जीवनमें घुसी हुई दूषित रूढ़ियोंको दूर करनेका भगीरथ प्रयत्न किया।

उन्ही दिनों बंगालमें ब्राह्मसमाज नामकी धर्म-सुधारक संस्थाकी स्थापना हुई। इस संस्था द्वारा समाज-सुधारका काम भी उठाया गया। ववई प्रातमें भी उन्ही दिनों ववई, पूना और अहमदाबादमें ब्राह्म समाज जैसी प्रार्थना-समाज नामक संस्था स्थापित की गई। इसके प्रमुख विवायक महामान्य महादेव गोविन्द रानाडे, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर और श्री भोला नाथ साराभाई जैसे सुविचारक थे। ब्राह्मसमाज ने जहाँ नवीन संप्रदाय स्थापित करनेका प्रयत्न किया वहाँ प्रार्थना समाजने कुछ एक परिवर्तनोंके साथ हिन्दू-समाजके द्वारा ही सामाजिक और धार्मिक सुधारणा करना पसंद किया।

इसी प्रकार सौराष्ट्रकी वीरभूमिके प्रतापी पुत्र महर्षि दयानन्द सरस्वतीने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रमें प्रबल सुधारके लिए सन् १८७५ में ववईमें आर्यसमाजकी स्थापना की। प्रस्तुत लेख में धार्मिक सुधारोंका विषय प्रासंगिक नहीं है तथापि यह कहना

आवश्यक है कि ब्राह्मणसमाज प्रार्थना-समाज और आर्यसमाजके य नवीन सुधारक हजारों ईश्वरोंमें विश्वास न रखते हुए एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और निराकार परमेश्वरकी उपासनामें श्रद्धा रखते थे। लगभग १८८०के सालमें गुजरातके वीर कवि नर्मदागकर ने गुजराती प्रजाको आह्वान किया —

सौ चलो जीतवा जंग विगुल वाजे !

वा होम करीने पड़ो, फतह छे आगे ! !

अर्थात्—“विगुल वज चुका है, सब लोग जग जीतनेके लिए चल पड़ो ! होमाग्नि में अपनी आहुति प्रदान करो, विजय तुम्हारे सामने है।”

उस युगमें गुजरातमें समाज-सुधारणामें निम्नलिखित बातोका समावेग होता था —

- (१) विद्या-संपादनके लिए समुद्रपार करके विदेश-यात्रा करनेमें सकोच नहीं करना चाहिए।
- (२) भील और कोली आदि अज्ञान और सस्कारशून्य जातियोंके सपर्कसे हिन्दू समाजमें अनेक प्रकारके वहम और दूषित मान्यताएँ प्रविष्ट हो गई हैं। उनका समूल नाश करना चाहिए। उस समय लोग माता (देवी) के नामसे सिर धुनते थे। भूत, प्रेत, चाडाल, डाकिनी, शाकिनी आदिमें विश्वास रखते थे। रोग निवारण के लिए डोरे बँधवाते थे। यह भी मानते थे कि माता (देवी) की नजर लग जानेसे अमुक-अमुक रोग हो जाते हैं। सुधारक इन सब बातोका खडन करते थे।
- (३) सुधारक लोग बाल-विवाहका विरोध करते थे। सामान्यतया गुजरातमें ऋतु-दर्शन होनेमें पूर्व ही, आठ वर्षकी नन्ही उमरमें ही, कन्याओका विवाह कर देनेकी प्रथा थी। गरीबीके कारण दूसरी कन्या चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसका विवाह भी पहली कन्याके विवाहके समय ही कर डालते थे। इस प्रकारकी कथाओका शिक्षण भी दस वर्ष की उमरके बाद वद कर दिया जाता था। इन प्रथाओके विरोधमें आवाज उठाई गई क्योंकि यदि स्त्रियाँ अशिक्षित रहेंगी, तो फिर गृहजीवन सुखी कैसे हो सकेगा ?
- (४) ऊपरकी प्रथाओका परिणाम यह हुआ था कि समझदार होनेसे पूर्व ही देशमें लाखों की सख्यामें स्त्रियाँ विधवा हो जाती थी। विधवाएँ विवाहकी कामना न करें यह विचार ऊँचा अवश्य था परन्तु प्रत्येक बाल-विधवा पुनर्विवाहसे वंचित रहनी चाहिए इस रिवाजके कारण विधवाओपर अनेक प्रकारके अत्याचार होते थे। यह बात स्पष्ट है कि बलात् वैधव्य पालनके दूषित रिवाजके कारण विधवाएँ मुसलमान बन जाती थी। अतः सुधारकोने विधवा-विवाहके पक्षमें जोरदार आवाज उठाई थी।
- (५) उन दिनों हिन्दू समाजमें अनेक लोग स्त्री-शिक्षाके विरोधी थे। अतः सुधारकों को प्राचीन शास्त्रों तथा इतिहासके प्रमाण देकर यह प्रचार करना पडा कि स्त्रियों को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। उनके प्रयत्नसे गुजरातमें उन दिनों कई कन्या शालाएँ स्थापित हुईं और उनके लिए अध्यापिकाएँ तैयार करनेके लिए अध्यापन कलाके विद्यालय भी खुले। पाठकोको यह पढकर विस्मय होगा कि उन दिनों गुजरातमें विधवाएँ, परित्यक्ताएँ और सबवाएँ शिक्षाप्राप्तिके लिए

विद्यालयमें जाते समय मार्गमें अपनी पुस्तकें साड़ीमें या ओढ़नीमें छिपाकर ले जाती थी, मानो वे कोई अपराध कर रही हो ।

- (६) सुधारक लोग पर्दा-प्रथाके विरोधी थे । उत्तरीय भारतमें पर्देका विशेष जोर था । मुसलमान शासकोंके समयमें मुसलमान पुरुषोंसे पृथक् और अदृश्य रहने के लिए यह प्रथा प्रारंभ हुई होगी । पंजाब, उत्तरप्रदेश, विहार, बंगाल, राज-पूताना और मध्य प्रदेशमें पर्दे पर बहुत जोर दिया जाता था । परन्तु गुजरात और महाराष्ट्रमें इसका जोर बहुत कम था । दक्षिण भारतमें तो यह प्रथा थी ही नहीं । स्पष्ट है कि पर्देके कारण शिक्षा नहीं मिल सकती, व्यायाम नहीं किया जा सकता, खुली हवामें धूम नहीं सकते, पुरुष वर्गके साथ सहचार कम होनेसे बौद्धिक विकासमें बाधा आती है । इस प्रकारके अनेक दूषित रिवाजों के कारण सुधारक लोग इस प्रथाका विरोध करते थे ।
- (७) विचारशील लोग यह समझने लगे थे कि हिन्दुओंकी जात-पात (संकुचित जाति-प्रथा) के कठोर रूढ़ि बंधनोंके कारण प्रजाकी प्रगति रुक रही है । अतः सुधारक लोग जातपातका जोर तोड़नेके लिए भी प्रयत्न शील थे ।

इन प्रवृत्तियांकी फलश्रुति

गुजरातमें समाज-सुधारको द्वारा चलाये गये आंदोलनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यह अधोलिखित विवरणसे स्पष्ट हो जायगा :—

- (१) गुजरातमें परदेश-गमन (समुद्रपार) करनेवाले को क्या सहन करना पड़ता था, यह एक शिक्षण अविकारीके उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा । गुजरातके प्रसिद्ध विद्वान् और शिक्षा-शास्त्री श्रीमहीपतराम रूपराम नीलकंठ इंग्लैण्डसे विद्याभ्यास करके लौटे थे । विदेशयात्राके लिए दण्ड स्वरूप उनको लगभग तीन हजार रुपए अपनी विरादरीको देने पड़े थे । उनसे प्रायश्चित्त विधि कराई गई थी, फिर भी विरादरीके भोजमें उनको सम्मिलित नहीं किया गया था ।

लेखकके पिताजीको भी दण्ड रूपमें रु० २८००० देने पड़े थे तथा सारी विरादरीको भोज देना पड़ा था । परन्तु मैंने तथा मेरे भाइयोंने विदेश यात्रासे लौटनेपर किसी प्रकारका प्रायश्चित्त नहीं किया । सुधारकोंके बराबर प्रयत्नोंसे बादको विदेशयात्राकी सामाजिक अड़चनें दूर हो गईं ।

- (२) वहमो और अनार्य मान्यताओंका जोर भी अब कुछ ढीला पड़ गया है । भूत पिशाचोंका डर पहलेसे कम हो गया है । परन्तु खेदका विषय है आज सन् १९५६ में भी गुजरातके हिन्दू-समाजमें अनेक छोटी मान्यताएँ और वहम विद्यमान हैं । आज भी अविकाश लोग सूर्य-ग्रहण और चन्द्रग्रहणके समय छुआछूत मानते हैं । अनेक लोग बुधवारको यात्रा करनेमें सकोच करते हैं । अमावस्याके दिनको अशुभ मानकर घबराहट अनुभव करते हैं । गुजराती भाषाके गिष्ट और प्रतिष्ठित दैनिक समाचारपत्रोंमें प्रति सप्ताह पूरे एक पन्नेमें भविष्य कथन की बातें छपती हैं । लाखों मनुष्योंका भविष्य बतानेका आडम्बर अभी तक चालू है । बवईमें एक ज्योतिषीको भविष्य-कथनके कारण ही कोई वीस हजार रुपए मासिकसे अधिक की आमदनी होती है । यह सब कुछ वहममें ही

सम्मिलित हैं, तो भी पढ़े-लिखे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा मुहूर्त निकलवाकर विवाह करनेपर भी स्त्रियाँ विधवा होती हैं। लाखों विवाह दुःखप्रद सिद्ध होते हैं। अच्छा मुहूर्त देखकर चलनेपर भी रेलगाडी, मोटर और वायुयानमें मनुष्योंकी मृत्यु होती है। अभी तक करोडो लोग इन वहमों से चिपटे हुए हैं। सुधारकोके अथक प्रयत्नोंके बावजूद इस दिशामें समाजमें कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई है।

(३) बालविवाहके प्रतिवधके लिए बडोदाके दिवंगत महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने आजसे कोई आधी शताब्दी पूर्व १९०४में एक कानून बनाया था। उसमें बाल विवाह करानेवाले पिता या सरक्षकको दण्ड देनेका विधान किया गया था। उस समय इस कानूनपर बडी गरमागरम चर्चाएँ हुई थी। परन्तु बाल-विवाहकी सख्यामें विशेष कमी नहीं हुई। कुछ वर्षोंके पश्चात् एक नया कानून बनाया गया और उसके द्वारा बाल-विवाह करनेवाले पुरोहितो (ब्राह्मणों) को दोषी मानकर उनके लिए दण्ड नियत किया गया। परन्तु प्रजा इस प्रथा की बुराईको समझते हुए भी, इस सुधारणाको अपना नहीं सकी।

आज तो यह अवस्था आ गई है कि शिक्षित समाज (यह वर्ग बढता जा रहा है) में कन्याको अच्छा शिक्षण प्राप्त न हुआ हो तो उसका विवाह नहीं हो सकता। जो लोग पहले मना करनेपर यह बात नहीं समझ पाते थे वे अब परिस्थितियोंसे हारकर बाल-विवाहकी बुराईको समझने लगे हैं। शहरोंमें तो विवाहकी उमरमें अच्छी वृद्धि हुई है।

(४) चौथी समस्या विधवा-विवाहकी थी। सुधारकोके प्रयत्नोंका यह परिणाम हुआ कि पहले तो अक्षत योनि विधवाओंको विवाह करनेकी छूट मिलने लगी। अब स्थिति यह पैदा हो गई है कि विवाह करनेवालेको तो कुछ सहन नहीं करना पडता, परन्तु उनके सगे-सवधियोंके मन बहुत विकल रहते हैं।

बडोदा राज्यमें "ज्ञाति-त्रास-प्रतिवधक" नामक एक कानून बनाया गया था। उसमें यह निश्चय किया गया था कि यदि विरादरी (जाति) के लोग किसी व्यक्तिको दण्ड देंगे या उसे कष्ट देंगे, तो वे लोग अपराधी माने जायेंगे। इस प्रकार बडोदा राज्यमें रहने वाले अठ्ठाईस लाख गुजरातियोंके लिए विरादरी द्वारा दिए जाने वाले कष्टोंका जोर कम हो गया था।

(५) स्त्री-शिक्षाके विषयमें गहरो और बडे ग्रामों में विघेपतया शिक्षित समाजमें उन दिनों अच्छी प्रगति हो रही थी। तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि गुजरात में सन १९१६ में भी अंगरेजी पढनेकी इच्छुक कन्याओंको छात्र वृत्तियाँ देनी पडती थी। अब तो स्त्री-शिक्षा इतनी अधिक बढ गई है कि गुजरात कॉलेज अहमदाबादमें (विज्ञानकी कक्षाओंको छोडकर) कन्याओंकी सख्या पुरुष छात्रों जितनी ही है। विवाहके विषयमें कन्याका कॉलेजमें पढा होना, प्रमाणपत्र के समान गिना जाता है।

(६) गुजरातमें राजपूत आदि थोडी-सी जातियोंमें पर्दा-प्रथा चालू थी। इनके अतिरिक्त परिवारके पुरुष वर्गीय बडे बूढोंके सामने एक प्रकारकी लाज (इज्जत

काढी जाती थी । साठ वर्ष पहले स्त्रियां पर-पुरुषोसे बात नहीं करती थी । अपने स्वामी (पति) का नाम तो ले ही नहीं सकती थी । सौराष्ट्र (काठियावाड़) और कच्छमें पर्दा और लाज काढनेका रिवाज अवश्य था परन्तु अब वातावरण बदल गया है ।

- (७) स्मरण रहे विरादरियोका जोर जुल्म तो कम हो गया है पर विरादरिया ज्योकी ल्यों कायम है । विरादरियोके अदर कई उप-विरादरियाँ हैं । उनका भी सगठन नहीं हो पाता है । पहले विरादरीके बाहर विवाह करना बड़ा अपराध समझा जाता था । अब विरादरीके बाहर विवाह हो सकता है और समाज उसे सहन कर लेता है या यो कहिए कि विरादरियाँ आँख मिचौनी कर लेती हैं । तथापि यह तो स्पष्ट है कि ६०-६५ प्रतिशत विवाह अपनी विरादरीमें या उप-विरादरीमें ही होते हैं । गुजरात अपनी उपविरादिरियोके लिए प्रसिद्ध है । सुधारकोके प्रबल प्रयत्नोके बावजूद भी विरादरियाँ कायम हैं ।

सामाजिक सुधारणाकी अन्य वाते

- (१) आरम्भमें ही सुधारकोने वेमेल विवाहोके विरोधमें खूब प्रचार किया था । वेमेल-विवाह दो प्रकारके होते थे—(क) एक तो उमरका वेमेलपना । राजपूतोमे कन्या पुरुषकी अपेक्षा ५-७ वर्ष बड़ी हो सकती थी । अथवा बड़ी उमरके विधुर ४०-५०, या ६० वर्ष की उमरमें १२-१३ वर्षकी कन्याके साथ विवाह करते थे । इस विषयमें लोकमत पर्याप्त शिक्षित हो चुका है और इस प्रकारके अनमेल विवाहोंकी संख्या घटती जा रही है ।
- (ख) अनमेल विवाहोका दूसरा प्रकार “गुण” की दृष्टि से था । पुरुष अच्छा पढ़ा-लिखा होता था तो कन्या सर्वथा निरक्षर होती थी । एक कविने उन दिनोंके इस प्रकारके अनमेलपनेको देखकर कहा था—स्वामी तो भूगोल और खगोलकी बातें करता है और पत्नीका लक्ष्य केवल चूल्हेमें ही रहता है । यह आवस्था ग्रामोंमें तो अब भी पूर्वतवत् विद्यमान है । नगरोंमें स्थिति सुधरी है । सभी जानते हैं कि अपने भारत राष्ट्रकी ८० प्रतिशत जनता ग्रामोंमें रहती है । अतः इस दिशामें संतोषकारक सुधार नहीं हो सकता है ।
- (२) गुजरातमें विवाहपर और मृत्युके पश्चात् लोग अपनी सामर्थ्यसे अधिक व्यय किया करते थे । उनके विरोधमें युवकोने समय-समयपर प्रबल आन्दोलन चलाकर कुछ सुधार करवाया है । परन्तु दूसरी ओर धनी पुरुष विशेषतया कालाबाजार आदि करने वाले लोग पुष्कल व्यय करके वातावरणको कुत्सित बनाते हैं । विवाह खर्चकी अपेक्षा मरणके बाद अधिक खर्च किया जाता था, वाधित रूपमें पुराने समयमें दी-तीन विशाल मरण भोज विरादरीको देने पड़ते थे । युवकोने उनको “लहूके लड्डू” कहकर उनका खूब धिक्कार किया है । जिससे लोकमतमें अच्छा जागरण हुआ है ।
- (३) गुजरातमें विशेषत बड़ोदा राज्यमें विभिन्न विरादरियोके साथ मिलकर सहभोजन करने में खूब प्रचार किया गया था । अब सहभोजनके विषयमें समाजकी

वाधा नहीं रही है। युगके वातावरणने इस समस्याका समाधान स्वयं ही कर दिया है। वरवई तथा अन्य वडे नगरोमे विद्याध्ययनके लिए जानेवाले असह्य विद्यार्थी होटलो तथा जलपानगृहोमें भोजन करने लगे है।

(४) रोटी-व्यवहारकी तरह बेटी-व्यवहार (अन्तर्जातीय विवाह) के लिए भी पर्याप्त प्रचार किया गया था। परन्तु वह सीधी रीतिसे सफल नहीं हुआ। अब अन्य प्रकारसे अन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं। स्कूलो और कॉलेजोमें लडकियाँ और लडके साथ-साथ पढते है, नाटक-गोष्ठी और सगीत-सम्मेलन आदिके सांस्कृतिक कार्योंमें साथ-साथ भाग लेते है। इस प्रकार एक-दूसरेके निकट परिचयमे आते है। इन परिचयोके कारण अन्तर्जातीय विवाहोकी सख्या वढ रही है। सख्या अधिक भले न हो, परन्तु अब इस प्रकारके विवाहोको रोकनेका प्रयत्न नहीं होता। हाँ यदि लडके-लडकीमें अपलक्षण होतोहै, तो रकावट डाली जाती है।

(५) अब १७-१८ और २० वर्षकी कन्याएँ अपनी पसदगीसे विवाह करने लगी है। कुछ एक विचारशील विरादरियोमें कन्याकी सम्मति लिये विना उसका विवाह नहीं करते।

वडोदाके प्रगतिशील और सुविचारक दिवगत महाराजा सयाजीरावके सतत प्रयत्नो के फलस्वरूप अनेक प्रकारके सामाजिक सुधार किये गये थे। इस क्षेत्रमें उनका नाम आदरपूर्वक याद किया जायगा। उन्होने वाल-विवाहपर प्रतिवध लगवाया था। सब प्रकारके बालकोंके लिए नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षाका प्रवध किया था। विरादरीके त्रास-निवारणके लिए कानून बनवाया था और अत्यजोके उद्धारके लिए स्पृहणीय प्रयत्न किया था।

(६) वडोदा राज्यमें महाराजने इस सदीके प्रारभमें सन् १९१० में सिविल मैरेज कानून लागू किया था। इस कानूनके द्वारा किसी भी विरादरीके लोग किमी धार्मिक विवाह विधिके बिना भी केवल रजिस्टर्ड कराकर विवाद कर सकते थे। इस कानूनसे वडोदा राज्यके बाहरकी जनताने भी लाभ उठया है।

(७) न्यायालयमें यदि ऐसा न्याय दिया जाता था कि अमुक परिणीता स्त्रीको अपने पतिके साथ रहना ही चाहिए तो उस स्त्रीका शारीरिक अधिकार प्राप्त करके वह पतिको सौप दी जाती थी। यह कानून बादमें रद्द कर दिया गया।

(८) प्रारम्भिक समाज-सुधारक मदिरा निषेधका खूब प्रचार करते थे। ५०-६० वर्षके बाद आज यह अवस्था आई है कि कई प्रातीय सरकारोने कानूनके बलसे शराबवदीका प्रयत्न किया है। उस प्रयासकी सफलताके विषयमें मतभेद है। नि सदेह अमुक वर्गको इस कानूनसे लाभ हुआ है, परन्तु गुप्त रूपसे शराब खूब बन रही है और विक रही है। सरकार इस प्रकारके शराब बनानेके विषयमें जो प्रयत्न किया करती है, वह व्यर्थ है।

(९) वडोदा राज्यमें महाराजाके आग्रहसे विवाह-विच्छेद (तलाक) का कानून भी चालू हो गया था।

(१०) अब तो समस्त भारत देशमें स्त्रियोको उत्तराधिकारके हक भी मिल गए है।

गुजरात सामान्यतया अधिक परिश्रमी और धनवान् है अतः यह कानून गुजरात के लिए विशेष उपयोगी हो सकेगा ।

- (११) पुराने सुधारक इस बातका विरोध किया करते थे कि शिष्ट समाजमें पेग़ेवर नाचने वालियाँ बुलाई जायँ । इस दिशामें सारा वातावरण बदल गया है । एक तो यह बात हुई कि पेग़ेवर नाचनेवाली स्त्रियोंका बुलाना बंद हो गया है । दूसरी ओर देशमें अपनी प्राचीन शिष्ट नृत्यकलाका प्रचार बढ रहा है और अच्छे शिक्षित और सस्कारी परिवारोकी स्त्रियाँ शिष्ट नृत्य करने लगी है ।
- (१२) गुजरातमें विद्यालयो तथा महाविद्यालयो (कॉलेजो) में लडके-लडकियोंके सहशिक्षणको अब कोई हौवा नही समझता । स्त्रियोंकी पृथक् सस्थाएँ भी है तथापि सहशिक्षाके प्रति गुजरातमें विरोध नही है ।
- (१३) अंत्यजोद्वार (अछूतोद्वार) के लिए भी गुजरात और काठियावाड़में प्रबल लोकमत जाग उठा है । परन्तु लज्जापूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि गुजरातमें कुछ धार्मिक संप्रदायोका विशेष प्रभाव होनेके कारण अस्पृश्यताका व्यवहार उग्रतासे होता था । महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा अछूतोद्वारकी आवाज़ उठानेपर गुजरातपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा । महाराजा सयाजी रावने अछूतोद्वारके लिए जो प्रयत्न किये थे, वे भी अभिनदनीय थे । अन्तमें महात्मा गाँधीजीने अस्पृश्यता निवारणकी प्रवृत्तिको राजनीतिक कार्यक्रमके साथ जोड़कर उस विकट समस्याके समाधानके लिए अच्छा प्रयत्न किया था । परन्तु हमें कहना पड़ेगा कि अभीतक अस्पृश्यताका निवारण बहुत कम हुआ है ॥

अनुवादक—श्री गंकरदेव विद्यालंकार

—०—

राजस्थानमें समाज-सुधार की लहर

राजस्थान त्याग, वलिदान और शौर्यके लिए इतिहासमें प्रसिद्ध रहा है। जब देशमें स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमानकी ज्योति मद्द पड गई थी, या वृक्ष गई थी, तब भी राजस्थानने उसे जलाए रखे इसलिए राजस्थानका इतिहास देगवासियोंको सदा प्रेरणा देता रहा है और भविष्यमें भी देता रहेगा। किन्तु वह समय भी रहा, जब राजस्थान गहरी नीदमें सो गया और जब देशके दूसरे प्रान्त जागते जा रहे थे और जीवनके विविध क्षेत्रोंमें आगे बढ़नेके लिए जूट पडे थे, राजस्थान अचेता ही पडा रहा। देशमें जो विविध राजनीतिक और समाज-सुधारके आन्दोलन हुए, उनके वह बहुत अशमें अप्रभावित ही रहा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि राजस्थानमें राजनीतिक और समाजसुधारके आन्दोलन हुए ही नहीं। असलमें उनको तीव्र बाधाओंका सामना करना पडा और उनकी रफ्तार अपेक्षाकृत काफी मद्द रही।

जिस भ-भागको हम राजस्थानके नामसे जानते हैं, वह कुछ वर्षों पहले तक २०-२१ छोटी-बड़ी रियासतोंमें विभक्त था। इन रियासतोंमें राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ प्रायः एक-सी थी। राजस्थानकी रियासतोंमें सदियों सामन्तवादी व्यवस्था का बोलबाला रहा। समाजकी सारी सत्ता, शक्ति और साधन राजा-महाराजाओंके हाथोंमें केन्द्रित रहे। राजा-महाराजाओंके वाद उनके सामन्तों अर्थात् जागीरदारों का वर्ग काफी प्रभावशाली था। रियासतोंके एक बडे भागपर उनका कब्जा था। समाजपर उनका दबदबा छाया रहता था। वही समाजके नेता और सम्मानके पात्र समझे जाते थे। राजा-महाराजाओंको अपने ऐश-आराम और भोग-विलाससे फुर्लत नहीं थी। नये-नये कर लगाकर वे प्रजाका धन-अपहरण करते थे और उसे अपने भोग-विलासमें उडात रहते थे। एक ओर प्रजा-पीडन और दूसरी ओर शान-शौकत और उडाऊपनके लिए उन्होंने ह्याति प्राप्त की। जनता राजा-महाराजाओंके अत्याचारोंको मूक होकर सहन करती थी और यदा-कदा सिर उठानेके अलावा जीवनका भार टो रही थी।

राजस्थानकी रियासतोंमें राजा-महाराजाओं और उनके सामन्तोंको यह पनद नहीं था कि लोगोंमें शिक्षा और ज्ञानकी नई रोशनी फैले और वे दुनियामें होनेवाले परिवर्तनोंकी जानकारी प्राप्त करें, उन्हें भय था कि तब उनकी मनमानी और स्वेच्छाचारिता नहीं चल पाएगी और लोग अपने अधिक रोका दावा करने लगेंगे। उस समय शिक्षा-मन्थ्याएँ

इनी-गिनी ही थी और पोलिटिकल एजेण्डोसे प्रगतिशीलताका प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके लिए उनकी स्थापना की जाती थी ।

सामाजिक क्रांतिके अग्रदूत स्वामी दयानन्दने राजस्थानको विद्येय रूपसे अपना कार्यक्षेत्र बनाया । हमारे देशमें 'यथा राजा, तथा प्रजा'की उक्ति चरितार्थ होती रही है । स्वामी दयानन्दने सोचा कि यदि राजस्थानके राजा-महाराजाओंको सीधी राहपर ले आया जाए, तो जन-जीवनको भी तेजीसे बदला जा सकेगा । उन्होने अजमेर को अपना केन्द्र बनाया, जो उस समय ब्रिटिश राज्यके अधीन था और जहाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र वातावरण था । उन्होने राजस्थानके कई राजा-महाराजाओंके साथ-सम्पर्क स्थापित किया, जिनमें उदयपुर, जोधपुर, शाहपुरा आदिका विद्येय रूपसे उल्लेख किया जा सकता है । उदयपुरके महाराणा सज्जनसिंह वडे सज्जन प्रकृतिके पुरुष थे और स्वामी दयानन्दने उन्हें मनुस्मृतिका अध्ययन कराया । जोधपुरके महाराजा विलासी प्रकृतिके थे और इसके लिए स्वामी दयानन्दको एक बार उनकी भर्त्सना भी करनी पड़ी थी । यही प्रसंग आगे चलकर स्वामी दयानन्दके प्राणोंके लिए सकटका कारण बन गया । उन्हें विष देकर उनके जीवनको समाप्त करनेकी चेष्टा की गई, जो सफल हुई और सामाजिक क्रातिकी ज्योति वीचमें ही शान्त हो गई ।

अजमेर आर्यसमाजका एक सुदृढ़ दुर्ग बन गया । वहाँ आर्यसमाजने एक हाई-स्कूल चलाया, जो अब कॉलेजका रूप धारण कर चुका है । इससे निकले हुए नवयुवकोने समाज-सेवा और सामाजिक क्रांतिका संदेश राजस्थानमें फैलाया । राजस्थानमें आर्य समाजकी शाखाएँ स्थापित हुईं और उनके द्वारा भी सामाजिक अंध-विश्वासों और रूढ़ियोंके विरुद्ध प्रचार किया गया । अजमेरमें एक बड़ा यत्रालय भी स्थापित किया गया और उसके द्वारा वैदिक साहित्यका प्रकाशन और प्रचार हुआ । अनाथालय और विधवा-आश्रमकी भी आर्यसमाजने अजमेरमें स्थापनाकी जो देशकी प्राचीनतम मस्थाओंमेंसे है । स्वामीजीने जिस परोपकारिणी सभाकी स्थापना की थी, उसका केन्द्र भी अजमेरमें ही था । एक प्रकारसे यह कहा जा सकता है कि राजस्थानमें समाज-सुधार कार्यका श्रीगणेश करने का श्रेय आर्यसमाजको है । उसीने लोगोंमें सामाजिक चेतना पैदा की और समाज-सेवाका मंच प्रदान किया । वह धार्मिक कट्टरताका युग था । छुआछूत, ऊँच-नीच और जाति-पाँतिकी भावना समाजमें व्याप्त थी । विधवा-विवाहको अत्यन्त नीची निगाहमें देखा जाता था और बाल-विवाहोंका दौर-दौरा था । इन तमाम सामाजिक कुरीतियोंके खिलाफ आर्यसमाजने प्रचार व आन्दोलन किया । किन्तु उसे काफी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा । बूढ़ी रियासतका एक वारका जिन्न है । कोई आर्यसमाजके प्रचारक वहाँ गए और सभाकी योजना की । जब यह बात महाराजाको ज्ञात हुई तो उन्होने पूछा—यह क्या बखेड़ा है ? महाराजाके अनुचर ने उन्हें बताया कि आर्यसमाजकी माजी साहिबा (राजमाता) का फिरसे ब्याह कराने आए हैं । बस फिर क्या था, सभा दरवारके हकसे बंद करा दी गई और प्रचारक अपनी बात भी नहीं कह पाए ।

आर्यसमाजकी प्रेरणासे और स्वतंत्र रूपसे भी राजस्थानमें कई जगह सेवासमितियोंकी स्थापना हुई । इन सेवा-समितियोंका काम मेलोटेलेमें व्यवस्था करना, पानी पिलाना,

दवा-दारू देना होता था । किन्तु इन सेवासमितियोंकोभी राज्य अथवा जागीरदारो के कोपका गिकार होना पड जाता था । सन् १९१७ में भरतपुरमें सेवासमिति इसीलिए वन्द करदी गई कि सेवासमितिके एक स्वयसेवकने महाराजाको मंदिरमें उस द्वारमे प्रविष्ट नही होने दिया, जो स्त्रियोंके लिए सुरक्षित कर दिया गया । जयपुरमें विसाऊ के ठाकुरसाहबने सेवा समितिके कार्यकर्त्ताओंको पकडकर जेलमें डाल दिया और उन्हें रिहा करानेके लिए समाचारपत्रोंमें बडा आन्दोलन करना पडा । यह असहयोग आन्दोलनके दिनोकी बात है । सेवामितिके कामका भी असहयोग आन्दोलनसे सबध जोड दिया गया, जो निराधार था । वीकानेरमें १९३० में राजद्रोहका जो मुकदमा चलाया गया था, वह चूरुकी उस सस्थाको लेकर चलाया गया था जिसका मुख्य काम शिक्षा-प्रसार, समाज-सेवा आदि था । पुस्तकालयकी स्थापनाके अपराधमें दो चार और ६ वर्षकी लम्बी सजाएँ दी गई थी । उदयपुरमें डा० मोहनसिंह मेहताने स्काउट आन्दोलन का श्री गणेश किया और बादमें विद्याभवन नामक शिक्षण-सस्थाकी स्थापना की । यद्यपि यह शिक्षा-सस्था आज विगाल रूप धारण कर चुकी है, किन्तु शुरूमे उमे सामाजिक कट्टरता और शासकीय सकीर्णताके बीचसे अपना रास्ता निकालना पडा ।

देशमें वाल-विवाहकी प्रथा काफी व्यापक थी । छोटी और कच्ची उम्रमें लडके-लडकियोंकी शादी कर देनेका आम रिवाज था । इस प्रथाको शास्त्रसम्मत माना जाने लगा था । ऐसे भी उदाहरण सामने आए, जिनमें माता-पिताने अपनी गर्भ-स्थित सन्तान का मवध स्थिर कर लिया । यह आम दृश्य देखा जा सकता था कि माता-पिता गोदमें उठाकर वर-वधूको विवाह-मण्डपमें ले जाते थे । वाल-विवाहकी इस प्रथाके विरुद्ध पुरानी केन्द्रीय व्यवस्थापक सभामें अजमेरके प्रतिनिधि श्री हरविलासजी शारदाने एक विधेयक पेश किया, जिसमें लडके-लडकियोंकी शादीकी एक न्यनतम उम्र निर्धारित की गई और उससे कम उम्रकी शादियोंको अपराध ठहराया गया । लडकीकी आयु १४ वर्ष और लडकेकी १६ वर्ष निर्धारित की गई । यद्यपि सनातनी वर्गने इस विधेयक का तीव्र विरोध किया, किन्तु उसके वावजूद वह व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और शारदा कानूनके नामसे विख्यात हुआ । कानूनमें कुछ त्रुटियाँ थी और वह देशी राज्योपर लागू नही थी जिसके कारण राजस्थानको उसका लाभ नही मिला और वाल-विवाह होते रहे । फिर भी समाज-सुधारकी दिशामें यह एक बडा कदम था । उसका श्रेय एक राजस्थानी समाज-सुधारकको ही देना होगा । समाज-सुधारके क्षेत्रमें उनकी सेवाओंको आदरके साथ स्मरण किया जाएगा ।

सामन्ती युगमें घरमें कन्याका पैदा होना ही एक भारी अभिशाप माना जाता था । राजपूत कुटुम्बोंमें तो स्थिति इस हद तक पहुँच गई थी कि लोग अपनी नवजात कन्याका जन्मके साथ ही गला घोट देते थे या खाटके पायेके नीचे दवाकर मार डालते थे । राज-पूतोंमें अहकारकी मात्रा विशेष होती थी और कन्या-पक्षको वर-पक्षके आगे झुकना ही पडता था । इस कथित अपमानसे बचनेके लिए ही नवजात कन्याओंको भीतके घाट उतारनेकी प्रथा अस्तित्वमें आई थी । यद्यपि इन प्रथाका लोप हो चुका है, किन्तु अभी भी कन्याके जन्मका आम तौरपर स्वागत नही किया जाता । कन्या माता-पिता के लिए एक भारी बोझ समझी जाती है । लडके-लडकियोंके लालन-पाननमें भेद-भाव

तो होता ही है। कन्याका उतना लाड-चाव नहीं होता, जितना पुत्रका। कन्याका विवाह माता-पिताके लिए एक सबसे कठिन समस्या बन गई है। तिलक और दहेजकी प्रथा के कारण ही यह हो रहा है। वर-पक्षकी माँगें बढ़ती ही जा रही है। उनके कारण समाजमें योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया है। यह खेदका विषय है कि दहेजकी प्रथा के विरुद्ध कोई प्रभावशाली कानून नहीं बन सका, जो अनेक परिवारोंकी आर्थिक तबाही का कारण बन रही है।

राजस्थानमें अनमेल विवाहकी कुप्रथाका भी जोर रहा है। वैश्य वर्गमें धनसम्पन्न व्यक्ति प्रौढ अथवा वृद्धावस्थामें निरीह किशोरीके साथ विवाह करनेमें सफल हो जाते हैं और माता-पिता पैसेके लोभमें अपनी कन्याका भविष्य अन्धकारमय बना देते हैं। ऐसे अनमेल विवाहोंके विरुद्ध अब समाजका अन्त करण जाग्रत हो रहा है। विशेषकर नवयुवकोंमें उनका विरोध करनेकी शक्ति प्रकट हो रही है। उसके फलस्वरूप कई अनमेल विवाह नहीं हो पाए हैं। राजस्थानमें राजपूत और उनसे संबन्धित वर्गोंमें बहु-विवाहकी प्रथा भी प्रचलित रही। कोई विरला ही ऐसा राजा-महाराजा या जागीरदार होगा, जिसका एकसे अधिक विवाह न हुआ हो। इसके अलावा अनैतिक संबंधोंकी तो कोई गिनती ही नहीं। राजा-महाराजाओं और जागीरदारोंके वे पुराने ठाठ-वाट अब समाप्त हो गए हैं। उनकी आय सीमित हो गई है और कानूनन भी बहु-विवाहपर रोक लगा दी है, अतः यह प्रथा धीरे-धीरे मिट रही है।

राजस्थानमें पर्दा-प्रथाका भी खूब बोलवाला रहा। इस प्रथाको उच्चता और सम्पन्नताकी निशानी समझा गया। उच्च घरानोंमें स्त्रियोंको कड़े पर्दोंमें रहना पड़ता है। स्त्रियाँ पुरुषोंसे ही नहीं, बड़ी-बूढ़ी स्त्रियोंसे भी पर्दा करती हैं। राजपूत और वैश्य वर्गमें पर्देका रिवाज विशेष है। राजस्थानके इतिहासमें राजपूत रमणियोंने युद्ध-क्षेत्रमें अपने जौहर दिखाये थे। किन्तु जब मुसलमानी शासन-कालमें स्त्रियोंकी इज्जत अरक्षित हो गई, तो उन्हें पर्दोंमें रखनेका रिवाज चल पड़ा। सामन्ती युगमें भी यह अरक्षाकी भावना बनी रही। यदि कहीं कोई सुन्दर स्त्री दिखाई देती, तो उसे येन-केन-प्रकारेण गढमें पहुँचा दिया जाता था और फिर उसका कोई पता न चलता था। बलात अपहरणके ऐसे किस्से होते रहते थे और राजस्थानकी एक बड़ी रियासतके महाराजाके रनवासमें ऐसी डेढ़ हजार स्त्रियाँ बंद थी। इस रनवाससे निकली हुई एक महिलाने उसका जो हाल सुनाया, वह रोगटे खड़े कर देनेवाला था। पर्दा प्रथाके शुरू होनेका जो भी कारण रहा हो, उसने स्त्री-समाजको पंगु और परावलम्बी बनादिया। अब जैसे-जैसे शिक्षाका प्रसार हो रहा है, पर्दा-प्रथाकी कठोरता कम होती जा रही है। जो लोग पर्दा-प्रथाको तोड़नेका साहस करते हैं, उन्हें समाजके बड़े-बूढ़े निर्लज्ज कहनेमें संकोच नहीं करते।

मृतक भोजका भी राजस्थानमें आम रिवाज है। समाजमें अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनेके लिए मृतक भोजका आयोजन आवश्यक समझा जाता है। समाजके सभी वर्गोंमें यह रिवाज प्रचलित है। इसे एक धार्मिक और सामाजिक कर्त्तव्य मानलिया गया है और उसे पूरा करनेके लिए लोग कर्जदार तक बन जाते हैं। मृतक भोज करनेकी यह प्रथा सामाजिक अपव्ययकी निशानी बन गई है। जिन दिनों अभावके कारण

खाद्य पदार्थोंपर नियंत्रण लागू कर दिए गए थे, उन दिनोंमें चोरी-छिप इस प्रकारके बड़े-बड़े भोज होते रहते थे। राज्य कर्मचारी कुछ ले-लिवाकर उनकी ओरसे आँख बंद कर लेते थे। उस जमानेमें करौली रियासतमें एक भयंकर काण्ड ही गया। राज्य-कर्मचारियोंके एक दलने मृतक भोजको रोकनेका प्रयास किया, तो ग्रामीणोंने वीसो राज्य-कर्मचारियोंको मौतके घाट उतार दिया।

राजस्थानमें समाज-सुधारके आन्दोलनको जन्म देनेका अधिकतर श्रेय उन प्रवानी राजस्थानियोंको है, जो व्यापार-व्यवसाय तथा उद्योग आदि के लिए देशमें दूर-दूर तक चारो ओर फैले हुए हैं। राजस्थानके अधिकतर मरुभूमि ही होनेसे जीवन-निर्वाहकी समस्याको हल करनेके लिए इनको राजस्थानसे प्रवास करनेके लिए बाध्य होना पड़ा। जिन प्रदेशोंमें जाकर ये बस गए, उनके निवासियोंके जीवन तथा आन्दोलनसे इनका प्रभावित होना स्वाभाविक था। कलकत्ता, बम्बई आदिमें इनके द्वारा अनेक ऐसी सामाजिक सस्थाएँ कायम की गईं कि जिनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक जीवनमें सुधार करना था। उनमें पैदा हुई सामाजिक चेतनाका लाभ राजस्थानको भी मिला क्योंकि उनके सामाजिक जीवनका सम्बन्ध अपने जन्म-प्रदेश राजस्थानके साथ ही था। शादी, गमी आदिके अवसरोंपर उनको यहाँ आना ही होता था। उन सामाजिक सस्थाओंमें मारवाडी अग्रवाल महामभा, महेस्वरी महासभा, ओमवाल महामम्मेलन, खडेलवाल महासभा, ब्राह्मण महासभा, मारवाडी कार्यकर्ता सम्मेलन तथा अ० भा० मारवाडी सम्मेलन आदि मुख्य हैं। इनमेंसे अनेकके वार्षिक अखिल भारतीय अथवा प्रादेशिक सम्मेलन राजस्थानमें अनेक स्थानोंपर हुए। शेखावाटी रुढिवादका गढ है, धार्मिक व सामाजिक कट्टरताका वहाँ बोलवाला है। इन्हीं कारण फतहपुरमें मारवाडी अग्रवाल महासभाका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसकी बहुत चर्चा रही। इन सस्थाओंके कारण अनेक बार कुछ शिष्ट-मडलोंने भी राजस्थानके विभिन्न भागोंका दौरा किया। इनकी ओर से समाज-सुधार-सवधी कुछ साहित्यका भी राजस्थानमें प्रचार किया गया, इनकी देखा-देखी अन्य जातीय सस्थाओंका भी प्रादुर्भाव हुआ। उनमें राजपूत महामभा, जाट महासभा, दिगम्बर जैन महासभा, दिगम्बर जैन परिषद आदि मुख्य हैं। धीरे-धीरे अन्य जातीय सस्थाएँ भी संगठित हुईं। गुर्जर, मीणा व नाई आदि ने भी अपनी सामाजिक सस्थाओंको संगठित किया। अनेक युवक-नगठन भी जहाँ-तहाँ पनप गए। उनका विरोध भी किया गया। रीगसमें स्वर्गीय श्री वनन्तलालजी मुरारकाके नभापतित्वमें जिस युवक सम्मेलनका आयोजन किया गया था, उसका विरोध समाजके पचो और जयपुर राज्यके अधिकारियोंने यहाँ तक किया था कि उनमें बाहरने आनेवालोंके लिए ठहरनेके स्थान और भोजन आदिकी व्यवस्था बहुत कठिनाईने की जा सकी थी। शेखावाटीमें जब वे दौरे पर गए तब स्थान-स्थानपर काले झंडोंके विरोधमें प्रदर्शन किए गए और लक्ष्मणगढमें उन पर धूल, मिट्टी व पत्थर तक फेंके गए। ऐसा विरोध समाज-सुधारकोका प्रायः मारे ही राजस्थानमें किया जाता था। फिर भी धीरे-धीरे सामाजिक चेतनाको प्रभय मिलता गया और पिछड़ा होनेपर भी राजस्थान समाज-सुधारकी लहर ने अछूता नहीं रह सका। समयके नर्वया अनुकूल होते हुए भी समाज-सुधारके क्षेत्रमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अनेक स्थान ऐसे हैं, जिनमें समाज-सुधारको हवाका

राजस्थानमें समाज-सुधारकी लहर

४८६

एक भी झोंका अभी नहीं पहुँचा और वहाँके अधिकांश लोग बाबा आदमके दिनोकी दुनिया में रहते हैं ।

राजस्थानमे सामन्तवादी व्यवस्थाके कारण हरिजनोकी स्थिति काफी दयनीय रही । छुआछूतका खूब बोल-वाला था । शिक्षा-सस्थाओ जलागयो और देव-मंदिरोके द्वार उनके लिए बन्द थे । राजस्थानके कुछ भागोमें तो-इतनी दयनीय स्थिति थी कि हरिजनोंको खेलसे पानी लेना पडता था । कुओपर एक हौज बना होता था, जिसमें जानवरोके लिए पानी भर दिया जाता था । उसीसे हरिजन अपनी प्यास बुझाते थे । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रेरणासे राजस्थानमें भी हरिजन-उत्थानका सगठित प्रयत्न हुआ । हरिजन सेवक संघकी राजस्थान-शाखा स्थापित हुई । जगह-जगह हरिजनो के लिए स्कूल खोले गए । कुएँ बनवाए गए । राजस्थानमें सबसे पहले झालावाड़के महाराजाने हरिजनोके लिए अपने राजमन्दिरके द्वार खोले । हालमें उदयपुरका प्रसिद्ध जगदीगका मन्दिर भी हरिजनोके लिए खुल गया है । हरिजनोपर राजस्थानमें और भी तरह-तरहके प्रतिबंध लगे हुए थे । जैसे वे चीनीकी मिठाई नहीं बना सकते थे, घोड़ेकी सवारी नहीं कर सकते थे, चाँदी-सोनेके जेवर नहीं पहन सकते थे, । ये सब प्रतिबन्ध धीरे-धीरे टूट रहे हैं । अब तो राज्यने भी कानून द्वारा सब भेदभावको खत्म कर दिया है और वह उनकी उन्नतिके लिए विशेष प्रयत्न कर रहा है ।

राजस्थानमें सामन्तवादने एक और कुप्रथाको जन्म दिया, जिसे दास-प्रथा कहा जा सकता है । राजा-महाराजाओ और जागीरदारोके यहाँ बडी सख्यामें दास-दासी रहते थे, जिनको चाकर, दरोगा, बाँदी आदि नामोंसे पुकारा जाता था । सन् १९२१ की मर्दुमशुमारीमें इनकी संख्या १ लाख ६० हजार गिनी गई थी । ये लोग पीढी-दर-पीढी अपने मालिकोकी गुलामी करनेके लिए बँधे हुए थे और मालिकोको उनके गरीरपर भी पूरा अधिकार प्राप्त था । मालिक अपनी लड़कियोके दहेजमें धन-सम्पत्तिके अलावा दरोगोके कुटुम्बके कुटुम्ब दे दिया करते थे । इन गुलाम स्त्री-पुरुषोको उनके मालिक चाहे-जैसी यत्रणा दे सकते थे । उनकी स्त्रियोके सतीत्वके साथ चाहे जैसा वर्ताव किया जा सकता था । नामके लिए उनका पति भलेही कोई हो, किन्तु वे अपने 'अन्नदाता' की इच्छाकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी । अलवर-राज्यमें एक बाँदीके मुक्त होजानेके विरुद्ध अदालतमें दावा दायर किया गया था और उसपर कानूनी अधिकार जताया गया था । अब राजा-महाराजाओ और जागीरदारोके लिए पहले जितनी संख्यामें दास-दासी रखना सभव नहीं रह गया है । इसलिए उन्होने बहुत-से पुराने दास-दासियोको मुक्त कर दिया है । अब इस प्रकार मुक्त हुए दास-दामी, अपनेको निराश्रित अनुभव कर रहे हैं और समाजके स्वाभिमानी और स्वावलंबी नागरिक बननेमें अभी उन्हें समय लगेगा ।

देशके स्वतंत्र होनेके बाद राजस्थानकी भी कायापलट हो गई है । सामन्तवाद समाप्त हो गया है । राजा महाराजाओके हाथोसे सत्ता निकलकर जनताके प्रतिनिधियो के हाथोमें पहुँच गई है । जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई है । लोकसत्ताका उदय हो चुका है । सारा राजस्थान अजमेर सहित एक इकाईमें सगठित हो गया है । इन बडे और क्रातिकारी परिवर्तनोंसे राजस्थानके सामाजिक जीवनपर अनिवार्य रूपसे गहरा

असर पड़ेगा । आनेवाले जमानेमें स्त्री और पुरुषका दर्जा समान होगा और पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी सामाजिक जीवनमें बराबरीके नाते भाग ले सकेंगी । किन्तु हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक परिवर्तनोंकी तुलनामें सामाजिक परिवर्तन धीमी गतिसे होते हैं । और सामाजिक कुप्रथाओंको तोड़नेके लिए अधिक दृढता और साहस की आवश्यकता होती है । यदि पर्दा प्रथाको तोड़ना है, दहेजकी प्रथाको समाप्त करना है या मृतक भोजको बन्द करना है, तो व्यक्तिको स्वयं ही इस दिशामें प्रयत्न करना होगा । समाज-सुधारके क्षेत्रमें केवल उपदेग काफी नहीं हो सकता, बल्कि अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा एक मिसाल स्थापित करनी होगी । आशा है राजस्थानकी नई पीढ़ी हानिकर सामाजिक बंधनोंको तोड़ फेंकेगी और भविष्यमें कोई यह अगुली-निर्देश नहीं कर सकेगा कि राजस्थान समाज-सुधारके क्षेत्रमें अन्य प्रान्तोंसे पिछड़ा हुआ है । राजनीतिक और आर्थिक उन्नतिके साथ उसे सामाजिक प्रगति भी करनी होगी अन्यथा वह उन्नति अधूरी ही रहेगी ।

— ० —

बंगालमें समाज-सुधार आन्दोलन

जब समाजमें विकार उत्पन्न हो जाता है, तब उसके शोषन-संस्कारकी आवश्यकता पडती है। समाज कभी भी स्थिर नहीं रहा है और जब कभी उसकी परिवर्तनशीलता के गति-पथमें कुसंस्कारो और जड़ विचारोके कारण बाधा आयी है, तब समाजके अन्दर से ही कुछ ऐसी परिस्थितियोका आविर्भाव हुआ है, जिनसे प्रगति-पथको मुक्त करनेकी चेतना जाग्रत हुई है। युग-वैशिष्ट्यके अनुसार यह चेतना कभी कम और कभी अधिक होती रही है। इस प्रकारकी चेतना भारतमें प्राचीन युगसे ही चली आती है और मध्य युगमें भी वह नितान्त सुपुप्त नहीं थी। एतरेय ब्राह्मणकी एक कहानीमें राजकुमार रोहितको देवताओने जो उपदेश दिया, वह इस प्रसंगमें स्मरणीय है। वर्षों तक चलते रहने के बाद थककर जब राजकुमार रोहित विश्रामके लिए घरकी ओर लौटने के लिए उद्यत हुए, तब पथमें वृद्ध ब्राह्मणरूपी इन्द्रने उनसे कहा—“हे रोहित, जो चलते-चलते थक जाय, उसकी श्रीका कहीं अन्त नहीं है। मैंने युगसे यही बात सुनी है। जो चलता है, देवराज इन्द्र भी उसके मित्र होकर साथ-साथ चलते हैं। जो चलना नहीं चाहता, वह श्रेष्ठ होते हुए भी क्रमशः अवनतिको प्राप्त होता है। अतः ‘चरैवेति, चरैवेति’ चलते चलो—चलते चलो। इस प्रकार इन्द्रने रोहितको यह ‘चरैवेति’ मंत्र पाँच बार सुनाया। आगे चलना ही मनुष्यका धर्म है—समाजका धर्म है। भारतके समाजका धर्म और आदर्श प्राचीन और मध्य युगमें भी यही रहा है। किन्तु जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में, उसी प्रकार सामाजिक जीवनमें भी आदर्श की विकृति और विच्युति हमेशा ही होती रही है। अपने लक्ष्य और नीतिके प्रशस्त राजपथको छोड़कर मनुष्य और समाज दुराचार-दुर्नीति के मार्गपर बढ़ चला है और कुमंस्कार एवं जड़ विचारकी आवर्जनासे वह पथ टक गया है। धर्मकी विकृति हुई, सदाचारकी जगह व्यभिचारने लेली, उसी समय समाजमें सकटकी सृष्टि हुई और सकटसे मुक्तिके मार्गकी खोज आरम्भ हुई। जिन्होंने इस सकट मुक्तिका मार्ग बताया, वे ही युगपुरुष और युग सुधारक कहलाए। इसी प्रकार एक युग-संकटके सवि कालमें शंकर और चैतन्यका हमारे देशमें आविर्भाव हुआ था। आधुनिक युगमें राममोहन, रानाडे, दयानन्द और विद्यासागरने भी इसी संकट-मुक्तिके उद्देश्यसे समाज-सुधारका व्रत ग्रहण किया।

आधुनिक युगमें समाज-सुधारके जिन आदर्शोंसे नयी शिक्षा-प्राप्त भारतवासी अथवा बंगालवासी उद्बुद्ध हुए उनका सारा श्रेय केवल अंग्रेजों और उनकी शिक्षाको ही दिया

जाय तो ठीक नहीं होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अंग्रेजोंने परिस्थिति और सुयोग की सृष्टि कर अप्रत्यक्ष रूपसे समाज-सुधारका पथ सुगम किया।

नई शिक्षा और पश्चिमी सभ्यताके सस्पर्शके परिणामस्वरूप ही इस प्रकारके वातावरणकी पनपनेका अवसर प्राप्त हुआ। १७५७ ई० के प्लासीके युद्धसे लेकर १८५७ ई० के स्वातन्त्र्य-संग्राम तक प्रायः १०० वर्ष ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राज्य रहा। उस समय कम्पनीके सञ्चालकोका प्रधान लक्ष्य भारतके घरेलू मामलोंमें और विशेषकर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रोंमें किसी भी भौतिक हस्तक्षेप करना नहीं था। इसी नीति का पालन कर वे केवल अर्थोपार्जनकी ओर उन्मुख होकर भारतवासियोंके आस्थाभाजन बनना चाहते थे। कम्पनीके शासन-कालमें राज-प्रतिनिधियोंमें कुछ लोग व्यक्तिगत रूपसे उदारपथी और सुधारपथी थे। उन्होंने ही यहाँके शिक्षित वर्गके लिये सुधार-सुविधा सम्बन्धी माँग की। इसी माँगको लेकर इगलैण्डके शासकोंके साथ सघर्ष किया। और जनमत संगठित किया। इसीलिए हम देखते हैं कि सिपाही-विद्रोहके समय सभी अंग्रेजोंने एक स्वरसे यह कहा कि बिना सोचे-समझे कुछ राज-प्रतिनिधियोंने यहाँके शिक्षित और धार्मिकोंके बीच हस्तक्षेप करके विद्रोहकी ज्वाला जलाई। उन्होंने सती-प्रथा बन्द करने, विधवा-विवाहका कानून बनाने, अंग्रेजी शिक्षाका प्रचार करने और पादरियों द्वारा धर्म-प्रचारके अत्युत्साहको ही विद्रोहके प्रधान कारणोंमें बताया है। अतः अंग्रेज शासक सरकारी तौरसे कम्पनीके शासन-कालमें समाज-सुधारका खास कार्य नहीं कर सके, यह स्पष्ट है। प्रधानतः इस देशके नव शिक्षा-प्राप्त युवकोंने ही विभिन्न प्रदेशोंमें समाज-सुधारके कार्यमें अपनेको सलग्न किया और इस दिशामें बंगाल भी पीछे नहीं रहा।

अंग्रेज शासकोंकी अपेक्षा पादरियोंने हमारे देशके समाज-सुधारके काममें विशेष हाथ बँटाया है। इसीलिए अंग्रेज शासक सजातीय होनेपर भी पादरियोंको अच्छी निगाहसे नहीं देखते थे। भारतवर्षमें आकर धर्म-प्रचार करनेकी उन्हें पूरी आजादी नहीं दी थी। १८३३ ई० तक पादरियोंको भारतवर्षमें आनेके लिए "लाइसेन्स" की आवश्यकता होती थी और तब भी उनको पूर्ण स्वाधीनताके साथ काम करनेका सुयोग प्राप्त नहीं था। इतना होनेपर भी बहुतसे पादरी भारतवर्षके विभिन्न स्थानोंमें पहुँच गये और उन्होंने देशवासियोंके हृदयमें समाज-सेवाकी भावना जाग्रत की। १७६२ ई० में "वैपतिस्त मिशनरी सोसाइटी" की स्थापना होनेके बाद १७६३ ई० के अन्तिम दिनोंमें विलियम केरी और जॉन टामस कलकत्ते आये। जॉन टॉमस ही बंगालमें आनेवाले पहले वैपतिस्त मिशनरी थे। १७८३ ई० में वे एक जहाजके डाक्टरके रूपमें बंगालमें आये और तभी उनके मनमें धर्म-प्रचारकी भावना जागी। १७६५ ई० में लन्दन मिशनरी सोसाइटीका कार्य गुरु हुआ और सोसाइटीकी ओरसे नैथेनियल फॉरनाइड ने कलकत्तेमें प्रचार-कार्य गुरु किया। आरम्भमें लन्दन सोसाइटीका विद्येय कार्य कर्नाटक प्रदेश और दक्षिण भारतमें केन्द्रित था। १८१२ ई० में उन्होंने बंगालमें पूरे जोशके साथ कार्य शुरू किया। १७६६ ई० में चर्च मिशनरी सोसाइटी की स्थापना हुई। १८१४ ई० से इन्होंने बंगालमें एव दक्षिण भारतमें कार्य शुरू किया। १८०४ ई० में "वाइविल सोसाइटी" एव १८१४ में ई० में कलकत्ता डॉयसिज सोसाइटीकी स्थापना

हुई। १८२० ई० से वेसेलियन मिशनरी सोसाइटीने अपने प्रतिनिधि भेजने आरम्भ किये। १८३० ई० में अलेक्जेंडर डॉफ़के आगमनके बादसे स्कॉटिश मिशनरी सोसाइटी का काम बंगालमें आरम्भ हुआ। जैसा कि कहा गया है, १८३३ ई० तक इन मिशनरियोंको काम करनेकी पूरी स्वाधीनता नहीं थी। कम्पनीके शासकोमें से अनेक पादरियोंका मन-ही-मन तो समर्थन करने थे, किन्तु प्रत्यक्ष रूपसे वे कुछ नहीं कर सकते थे। इस देशके निवासी भी स्वभावतः ही उनको अच्छी निगाहसे नहीं देखते थे। इन बाधा-विपत्तियोंके पथसे गुजरकर भी मिशनरियोंने शिक्षा और समाज-सुधारके कार्य को किया और यह कहना अत्युक्ति न होगी कि १८ वीं शताब्दीके उत्तरार्द्धसे लेकर उन्नीसवीं शताब्दीके पूर्वार्द्ध तक भारत और बंगालमें इन्हीं मिशनरियोंके द्वारा सामाजिक चेतनाका विकास हुआ।

मिशनरियोंके कार्य-कलापका प्रधान केन्द्र बंगाल था और उनका प्रधान कार्य था ईसाई धर्मका प्रचार करना। धर्म-प्रचारके लिये स्वभावतः ही उन्हें इस देशके आचारित धर्मकी खामियाँ निकालकर लोगोंके सामने रखना और उनको विशेष तूल देना पड़ता था। विशेषकर उन्होंने हिन्दू धर्मकी शास्त्रीय विकृति और पूँजीभूत सस्कारोंके विरुद्ध आवाज़ उठायी। विकृतिका मुख्य रूप था तैतीस कोटि देवताओंकी मूर्ति-पूजा, उत्कट ब्राह्मणवाद और जातिवाद। पादरी लोग बात-बातमें इन बुराइयोंका उल्लेख करते और ईसाई धर्मकी विशेषता प्रतिपादित करते थे। हिन्दू धर्मका सुधार करना उनका उद्देश्य नहीं था बल्कि उनका उद्देश्य हिन्दू-धर्मको लोक-समाजमें हेय प्रतिपन्न कर ईसाई धर्मकी प्रतिस्थापना करके इस देशके निवासियोंका धर्म परिवर्तन करना था। समाज-सुधार भी उनका प्रथम उद्देश्य नहीं था। अपने धर्म-प्रचारके कार्योंकी सफलता के लिए ही उन्हें कुछ ऐसे सुधारके कार्य करनेके लिए बाध्य हो जाना पड़ा जिनके बिना सफलता नहीं हो सकती थी। मिशनरियोंके इन कार्य-कलापोंको हम बंगालके धर्म-सुधार और समाज-सुधार आन्दोलनकी पृष्ठ-भूमिका कह सकते हैं। यदि इनको भारतवर्षके सुधार-आन्दोलनकी भित्ति कहें, तो भी कोई अत्युक्ति न होगी।

उन्नीसवीं शताब्दीके दूसरे दशकमें प्रायः सभी मिशनरी सोसाइटियोंने अपने प्रतिनिधि बंगालमें भेजना शुरू किया और वे धर्मके प्रचारका कार्य बड़े आत्म-नियोगसे करने लगे। इनके इस कार्यके साथ ही समाज-सुधारका प्रवृत्त खड़ा हुआ। इसी समय १८१४ ई० के आसपास राजाराममोहन राय स्थायी रूपसे कलकत्ता आकर रहने लगे। क्यो राममोहनरायकी दृष्टि पहले पहल धर्मकी ओर आकृष्ट हुई, क्यो उन्होंने धर्म-सस्कारकी आवश्यकता अनुभव की, इन बातोंको मिशनरियोंके कार्यकलापकी पृष्ठ-भूमिमें आसानीसे समझा जा सकता है। इसके अलावा उस समय धर्म ही सम्पूर्ण सामाजिक आचार-विचार, रीति-नीति और ध्यान-धारणाका मूल उत्स था। धर्मको छोड़कर उस समय समाज-सुधारकी कल्पना करना भी सम्भव नहीं था। इसीलिए राममोहनरायने पहले मूल उत्सकी ओर ही ध्यान दिया। साथ ही ईसाई मिशनरियोंके धर्म-प्रचारने भी उनकी दृष्टि विशेष रूपसे धर्म-सस्कारकी ओर आकृष्ट कर दी थी।

कलकत्ता आनेके बाद राममोहनरायने १८१५ ई० में वेद ग्रंथोंका अनुवाद प्रकाशित करवाया। वेद-उपनिषदोंकी चर्चा उस समय बंगालमें कम होने लगी थी। संस्कृत पंडितों

के बीच ही उनकी चर्चा होती थी। बाहर उनका कोई प्रचार नहीं था। पोथियो तक वेद-उपनिषदकी वाणी बन्दी थी। राममोहनरायका युग मुद्रण-युग कहलाता है। इसके पूर्वसे ही पादरी लोगोंने छापेखाने खोलकर इसाई धर्म-ग्रंथोंको छापकर प्रचार करना शुरू कर दिया था। राममोहनरायने भी वेदान्त ग्रंथोंको बंगलामें अनुवाद करके बिना मूल्य वितरण करना आरम्भ कर दिया। पोथियोंके रूपमें जो दुर्लभ था और सस्कृत भाषा के कारण जो दुर्घोष था, वह मातृभाषामें और मुद्रित अवस्थामें आनेपर बोधगम्य और सहज प्राप्य हो गया। ज्ञान-जगतमें एक नए विप्लवकी सृष्टि हुई और उसमें महायक थे छापनेकी मशीन और मातृभाषा। हिन्दू धर्म के विरुद्ध मिशनरियों द्वारा जो कुप्रचार हो रहा था, उसका राममोहन रायने इसी प्रकार प्रतिरोध किया। उन्होंने कतिपय उपनिषदोंका अनुवाद कर प्रकाशित कराया। उनकी यह प्रमाणित करनेकी इच्छा थी कि निराकार ब्रह्मकी साधना ही हिन्दू धर्मकी श्रेष्ठ साधना और एकेश्वरवाद अथवा अद्वैतवाद ही हिन्दू धर्मका स्वीकृत सत्य है। वही सत्य और वही साधना नमय-समय पर जन-साधारणमें विकृत होती रही और शास्त्रकार तथा पुरोहित लोग ही उस विकृति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं। इसाई धर्म भी तो इसी प्रकारसे मध्यकालीन युगमें पादरियों द्वारा विकृत किया गया था। किंतु जिस प्रकार उससे सच्चा इसाई-धर्म उपेक्षित नहीं हुआ, उसी प्रकार हिन्दू धर्म भी उपेक्षणीय नहीं है। राममोहनरायकी इस अकाट्य युक्तिके सामने विलक्षण बुद्धिशाली पादरी लोग भी विभ्रत हो गए। एक दिन नए इस्लाम धर्मका सामना होनेपर और हिन्दू धर्ममें प्रचलित कुमस्कारोंसे व्यथित होकर शकरीने अद्वैतवादका प्रचार किया था। राममोहनने भी बहुत-कुछ इसी प्रकारकी ऐतिहासिक आवश्यकतावश हिन्दू धर्ममें सुधार करनेके लिए निराकार ब्राह्म-धर्मका प्रचार किया। मूर्ति-पूजा, बहुदेवोपासना हिन्दू धर्मका एकमात्र अथवा श्रेष्ठ सत्य नहीं है, इस बातका वेद-उपनिषद के माध्यमसे प्रचार करके राममोहनने उस नमय हिन्दू धर्म और हिन्दू समाजको एक विपर्ययसे बचा लिया।

इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए ब्राह्म-समाजकी स्थापनाके बहुत पहले राममोहनरायने १८१५ ई० में 'आत्मीय सभा' नामक एक सभा प्रतिस्थापित की थी। इस सभामें नियमित तौरसे धर्मालोचना होती थी, वेद-पाठ और ब्रह्म-संगीत होता था। किंतु, चूंकि धर्म-सुधारके साथ उस नमय समाज-सुधार अविच्छेद्य रूपमें जुड़ा हुआ था, इसलिए आत्मीय सभाके अधिवेशनमें धर्मके माय मामाजिक समस्याओंकी भी आलोचना होती थी। तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओंमें इस सभाके अधिवेशनोंकी जो कार्यवाही बीच-बीचमें प्रकाशित होती थी (जैसे 'कलकत्ता जरनल'में) उससे इसका आभास मिलता है। १८ मई, सन् १८१६ के 'कलकत्ता जरनल' में प्रकाशित विवरणसे मालूम होता है कि आत्मीय सभाके अधिवेशनोंमें नियमित रूपमें धर्मालोचनाके अतिरिक्त विभिन्न मामाजिक समस्याओंकी भी आलोचना होती थी। जाति-भेद समस्या, पवित्र-भोजन और निषिद्ध ग्राहकी समस्या, बाल-विधवाओं द्वारा कठोर ब्रह्मचर्य पालनके औचित्यानीचित्य, बहु विवाहकी प्रथा, सती-प्रथा अथवा मह-मरण कुमस्कार और मूर्ति पूजा-मवधी विभिन्न प्रकारके कदाचार इत्यादिके सबधमें इस सभाके अधिवेशनोंमें आलोचनाएँ होती थी। आत्मीय-सभा केवल ब्राह्म-धर्म-प्रचार अथवा ब्रह्मोपामनाकी सभा ही नहीं थी, समाज-सुधारकी

भी सभा थी, यह इस विवरणसे स्पष्ट मालूम होता है। इस दृष्टिसे विचार करनेपर राममोहनराय द्वारा स्थापित इस आत्मीय सभाको ही वर्तमान बंगदेशकी प्रथम समाज-सुधारकी संस्था कहा जायगा। बादमें बंगालमें और सारे भारतवर्षमें जिन सब सामाजिक कुप्रथाओं और जड़ विचारोंके विरुद्ध सुधारक गणने संगठित रूपसे आन्दोलन किया, राममोहनरायकी आत्मीय सभामें उन्हींके विषयमें नियमित तौरसे चर्चा-वार्ता होती थी।

आत्मीय सभा बहुत दिन नहीं चली, क्योंकि राममोहनरायके धार्मिक और सामाजिक मतामतका बाहर प्रचार होनेपर उनके विरुद्ध स्थितिपालक और प्रतिव्यथावादी हिन्दुओं ने तुमुल प्रतिवाद करना शुरू किया, भाँति-भाँतिके निम्नकोटिके उपायो द्वारा उनको और उनके दलके कुछेक लोगोंको अपदस्थ करनेकी चेष्टा की। इससे आत्मीय सभा विखर गई। राममोहनने सन् १८२१ में यूनिटेरियन सोसाइटीकी स्थापनाकी और उसमें ईसाई ढंगसे उपासना करनेकी विधि आरम्भ की, किन्तु उससे भी संतुष्ट न हो कर सन् १८२८ में ब्राह्म-समाजकी स्थापना की। राममोहनका यह ब्राह्म-समाज किसी दिन भी हिन्दुओंका अथवा किसी भी विशिष्ट धर्मसम्प्रदायका समाज नहीं था। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब ब्राह्म-समाजकी उपासनामें सम्मिलित होते थे। तदनन्तर देवेन्द्रनाथ ठाकुरके पिता और केगवचन्द्र सेनके समयमें ब्राह्म-समाजकी नीतिमें अनेक परिवर्तन हुए। तथापि यह समझ रखना चाहिए कि ब्राह्म-समाज ही बंगालमें समस्त सामाजिक प्रगतिशील आदोलनका अगुवा था और समाज-सुधारके कार्य में इसीने नई प्रेरणाके युगकी सृष्टि की। राममोहनरायके धर्मसे दूर चले जाने तथा क्रमशः एक नई साम्प्रदायिकताकी चहारदीवारीमें आवद्ध हो जानेके बावजूद ब्राह्म-समाज किसी दिन राममोहनकी सामाजिक नीति और आदर्शसे विच्युत नहीं हुआ। एक नयी साम्प्रदायिकता में सीमावद्ध होजानेके फलस्वरूप जन-साधारणमें विस्तृत प्रभाव विस्तार करना ब्राह्म-समाजके लिए संभव नहीं रहा? किन्तु उमका सामाजिक आदर्श प्रगतिशील लोगोंको बराबर अनुप्राणित करता रहा।

समाज-सुधारके क्षेत्रमें सती-प्रथाका निवारण राममोहनका चिरस्मरणीय अवदान रहेगा। इस अमानुषिक प्रथाके कारण भारतके विभिन्न स्थानोंमें, विशेषतः बंगालमें ऐसी वीभत्स सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दिन शायद भारतीय वीरागनाओंको आत्म-रक्षाके लिए जिस क्रियाका प्रयोजन हुआ था, परवर्ती युगमें वही प्राणहीन स्थूल आचार और प्रथाके रूपमें परिणत हो गई, धर्मका सहारा पाकर। सती अर्थात् सहमरणकी वीभत्स प्रथाको वंद करनेके लिए मुगल बादशाह अकबरने भी चेष्टा की थी, किन्तु भिन्न-धर्मी होनेके कारण उसके लिए दूसरेके धर्ममें हस्तक्षेप करना संभव नहीं था। अंगरेजोंके शासन-कालमें भी यही हुआ। एकाधिक विदेशी यात्रियों और ईसाई मिशनरियोंने इस सह-मरणकी प्रथाका आँखों देखा वर्णन लिखा है। १९ वीं शताब्दिके प्रारम्भसे ही मिशनरी लोग सती-प्रथाके विरुद्ध आदोलन कर रहे थे। श्रीरामपुरके वैपतिस्त मिशनरियोंने १८०३-४ ई० में कलकत्ताको केन्द्र रखकर ३० मीलके दायरेमें सती-प्रथा पालन की सख्या और आनुष्ठानिक विवरण संग्रह करनेका कार्य हाथमें लिया। विलियम कैरीने फोर्ट विलियम कॉलेजके पंडितोंसे इस विषयमें शास्त्रीय मतामत भी संग्रह किया। मृत्युञ्जय विद्या-

लंकार जैसे धुरंधर संस्कृतज्ञ पंडितोंने भी यह मत दिया कि सती-प्रथा शास्त्र-सम्मत नहीं है। मिशनरियों द्वारा सग्रहीत तथ्योका जब इंग्लैण्डमें प्रचार हुआ, तो वहाँके जन-साधारणमें हलचल हुई। इंग्लैण्डके विख्यात सुधारक विलियम विलवरफोर्सेने सन् १८१३ में ईस्ट इंडिया क० की सनदपर स्वीकृति देते समय कॉमन सभामें अपनी वक्तृतामें सती-प्रथाका विवरण प्रस्तुत किया और मानवताकी दृष्टिसे अविलम्ब इस प्रथाको वद करनेके लिए निवेदन किया। नाना प्रकारसे सती-प्रथाको वद करनेकी चेष्टा की गई। किन्तु कानूनके जोरसे कोई भी गवर्नर-जनरल इस कुप्रथाको खत्म करनेका साहस नहीं कर सका। इसका प्रधान कारण यह था कि इस देशके लोग धर्मके डरसे इस कुप्रथाके विरुद्ध खुले तौरसे आगे नहीं आए। मिशनरी विदेशी धर्म-प्रचारक थे। उनके मतामतके आधारपर कुछ भी करना विदेशी शासकोके लिए संभव नहीं था। आखिरमें राममोहन रायने खुले रूपमें सती-प्रथाके विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किए और सन् १८१८ तथा १८१९ में उनके 'सह-मरणके विषयमें प्रवर्तक और निवर्तक सवाद' तथा 'सह-मरणके सम्बन्धमें प्रवर्तक और निवर्तकका द्वितीय सवाद' प्रकाशित हुए। सख्यामें कम होनेपर भी राममोहन रायके समर्थकोका इस देशके लोगपर मिशनरियोंकी अपेक्षा अधिक असर पड़ा। सह-मरण शास्त्र-सम्मत प्रथा नहीं है, शास्त्र-विकृत कुसस्कार है, यह राममोहनने बताया। किन्तु धर्मका व्यामोह उस समय भी प्रबल था। इसलिए राममोहनराय भी एकाएक सती-प्रथाको वद करानेके लिए आवेदन करनेका साहस न कर सके। अतमें विलियम बैंटिकने राममोहन रायके आदोलनका आश्रय लेकर ४ दिसम्बर, सन् १८२९ को सती-प्रथाको गैर-कानूनी घोषित कर दिया। सन् १९२९ में 'सह-मरण विषय' नामसे राममोहनने एक पुस्तिका लिखी। अंगरेजीमें भी उनकी कुछ पुस्तिकाएँ और अपीलें प्रकाशित हुईं। मधुमक्खीके छत्तेको छेड़नेके समान इस कानूनसे समाजमें एक बबडर-जैसा खडा हो गया। सनातनी लोगोंने 'धर्मका नाश' नारा लगाकर प्रतिवाद करना शुरू किया और धर्म-सभा नामसे सन् १८३० में एक सभा का गठन किया गया। इंग्लैण्डमें भी इस कानूनको रद्द करानेके लिए आवेदन-निवेदन किया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि वेथी नामक एक अंगरेज भी इस धर्म-सभाका प्रतिनिधि होकर विलायत गया। लेकिन इस सारी चेष्टासे कुछ भी नहीं हुआ। नवम्बर सन् १८३० में राममोहन राय विलायत गए और वही सन् १८३३ में उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश वापस आकर अपने प्रारम्भ किए हुए सुधार-कार्यको पूरा करनेका सुयोग राममोहन रायको न मिला। सिर्फ सहमरण ही नहीं, कुलीन प्रथा, बहुविवाह, वाल्य-विवाह, हिन्दू नारीके साम्प्रतिक अधिकार, जाति-भेद और मूर्ति-पूजा आदि प्रत्येक सामाजिक समस्याके विषयमें उन्होंने विचार किया था और उनके बारेमें खुले रूपमें आलोचा प्रत्यालोचना करनेमें उन्होंने कभी पीछे पैर नहीं रखा।

राममोहन रायकी मृत्युके पञ्चात् १९ वी सदीके तृतीय और चतुर्थ दशक-कालमें उनकी ज्योतिको जाग्रत रखते हुए 'यंग बंगाल' और 'तत्त्वबोधिनी सभा' के मदस्य सामाजिक सुधारके पथपर बढ़ते रहे। २० जनवरी, सन् १८१७ में हिन्दू कॉलेजकी स्थापना हुई। यह हिन्दू-कॉलेज ही बंगालमें पाञ्चात्य विद्या और अंगरेजी शिक्षाका प्रधान प्रतिष्ठान बन गया। हिन्दू-कानेजसे ही बंगालमें नवयुगके बुद्धिजीवी वर्गका

विकास हुआ। इस विश्वविद्यालयके अंगरेज शिक्षक हेनरी डिरोजिओने अपने निर्भीक युक्तिवादी विचारों और जीवन-दर्शन द्वारा छात्र-समाजमें गम्भीर प्रभाव उत्पन्न किया। वेकन, लॉक, ह्यूम, रूसो, टाम पेन आदि नवयुगके मनीषियोंकी भावधारारके साथ उन्होंने विद्यालयके छात्रोंका परिचय करवाया। स्वाधीन, संस्कार-मुक्त बुद्धि और युक्तिके प्रकाशमें विचार करनेकी दृष्टि उन्होंने छात्रोंमें पैदा की। सन् १८२७-२८ में 'एकेडेमिक एसोसिएशन' नामसे एक सभाकी स्थापना कर उन्होंने विद्यार्थियोंके मध्य विभिन्न दार्शनिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयोंपर आलोचना प्रारम्भ की। हिन्दू कॉलेज में शिक्षित बंगाली युवकोंमें डिरोजिओके नैतिक प्रभावने प्रतिक्रियावादी सनातनी लोगों के मनमें आतंक पैदा कर दिया। डिरोजियोपंथी इन युवकोंको ही उस समय 'यंग बंगाल' कहा जाता था। १९ वीं शताब्दीमें बंगालके श्रेष्ठ प्रतिभाशालियोंमें अधिकांश लोग इस 'यंग बंगाल' दलके सदस्य थे। नया जीवन-दर्शन, शिक्षा और विद्या-बुद्धिके आलोकमें वे कुछ अंशमें अन्ध-पाठ्यात्यपंथी बनकर दिग्भ्रांत हो गए थे, ऐसा भी कहा जा सकता है। हिन्दू-समाजकी रूढ़िवादिता और कुसंस्कारके कारण उसके प्रति श्रद्धा छोड़कर वे स्वधर्म-विरोधी हो गए थे और अलैकजेंडर डॉफकी तरह प्रभावशाली मिशनरियोंके प्रभावमें पड़कर कुछको तो ईसाई-धर्ममें दीक्षित होनेमें भी द्विविधा नहीं हुई। रेवेरेण्ड कृष्ण मोहन बघोपाध्याय और माइकेल मधुसूदन दत्तके समान प्रतिभाशाली युवकोंके धर्मान्तरसे उस समय बंगाली समाजमें विपुल हलचलकी सृष्टि हो गई। उच्च समाजके हिन्दू युवकोंमें उस समय (१९ वीं सदीके तृतीय और चतुर्थ दशकोंमें) और भी कई लोगोंने धर्मान्तर किया था। अद्यावधि मिशनरियोंकी दृष्टि अर्धहेलित और उपेक्षित हिन्दू-समाजकी ओर ही निवृद्ध थी और उसी वर्गमें के लोगोंको धर्मान्तरित करनेमें सफल हुए थे, किन्तु उच्च वर्गके हिन्दुओंमें भी जब इस प्रकारसे टूट-फूट शुरू हुई, तो स्वभावतः ही सभी लोग शक्ति हो उठे। धर्म-सभा सौगुने उत्साहसे 'यंग बंगाल' के विरुद्ध विरोध करने लगी। उनके आर्तनाद और प्रतिवादी ध्वनि क्रमशः जोरदार होने लगी। यंग बंगाल-दल उन लोगोंको 'गुड्डम सभा' कहकर विद्रूप करता था और उनके प्रतिवाद से ज़रा भी विचलित न होकर अपना मतामत व्यक्त करता रहा। दोनों दलोंकी उग्रता समान थी। धर्म-सभाकी रूढ़िवादिता जिस प्रकार उग्र थी, 'यंग-बंगाल' का प्रगतिवाद भी उन्नी प्रकार उग्र था। धर्म-सभा जिस प्रकार सब-कुछको वाँचकर रखना चाहती थी, 'यंग बंगाल' उसी प्रकार सब-कुछको तोड़-फोड़कर तहस-नहस करनेके लिए उद्यत था। इसी समय 'यंग बंगाल' दल अपने मुखपत्र बंगला 'जानान्वेषण' और अंगरेजी-बंगला 'बंगाल स्पेक्टेटर' में बाल-विवाह और जाति-भेदके विरुद्ध और विधवाओंके पुनर्विवाहके पक्षमें निर्भय होकर कलम चलाता था। उनके प्रचारके फलस्वरूप बंगाल के नवशिक्षित युवकोंमें हलचल मच गई और प्राचीनता भयातकित और सत्रस्त हो गई। इधर राममोहन रायके धर्मदर्शके सुयोग्य उत्तराधिकारी महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर सन् १८३६ में 'तत्त्वबोधिनी सभा' स्थापित करके अपने गुरु द्वारा प्रारम्भ किए हुए कार्यको सुसम्पन्न करनेमें अग्रसर हुए। यंग बंगाल और धर्म-सभाके घात-प्रतिघातकी तीव्रताके बीच देवेन्द्रनाथ और तत्त्वबोधिनी सभाने बंगालके सामाजिक क्षेत्रमें संयम, शृङ्खला और मर्यादावाच उत्पन्न किया। सभाके मुखपत्र 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' की

समालोचनामें मिशनरी लोग भी संयत होकर लिखते थे। धर्मान्तरकी तेजी कम हो गई। सिर्फ दससे गुरु करके तत्त्वबोधिनी सभाके सदस्योंकी संख्या दो वर्षमें ही लगभग पाँच सौ हो गई। बंगालके शिक्षित और मध्यवित्त समाजके समस्त युवक इस सभामें शामिल हो गए। देवेन्द्रनाथके ब्राह्म-धर्मने जिनको आकर्षित नहीं किया, उनको भी सभाके उदार समाज-सुधार और शिक्षाके आदर्शने आकर्षित कर लिया। पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और अक्षयकुमार दत्त इसी सभा और पत्रिकाके साथ सयुक्त थे।

१९ वीं शताब्दिके मध्यमें पंचम दशकसे प० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर बंगालमें समाज-सुधार आंदोलनके सूत्रधार हुए। तृतीय और चतुर्थ दशकोका आन्दोलन प्रधानतया वाक्वितडा, तर्क-वितर्क और पत्र-पत्रिकाओंकी आलोचनाओंमें ही सीमाबद्ध था। व्यवस्थित रूपमें कोई किसी आंदोलनका प्रारम्भ नहीं कर सका था। स्त्री-शिक्षा और मातृभाषामें शिक्षाकी उन्नतिके लिए विद्यासागर एक विराट् परिकल्पना लेकर कर्मक्षेत्र में अग्रसर हुए। साथ-साथ सामाजिक-सुधार-कार्यकी दिशामें भी उनकी दृष्टि थी। सन् १८५१ में सस्कृत कॉलेजके अव्यक्त होनेके बाद दो महीनोमें ही उन्होंने ब्राह्मण और वैद्यके अतिरिक्त कायस्थ छात्रोको भी कॉलेजमें प्रवेशाधिकार दे दिया। केवल ब्राह्मण और वैद्य छात्रोको ही शास्त्रानुशीलनका एकाधिकार नहीं रहा। छ महीने वीतते-वीतते सभी हिन्दू छात्रोको सस्कृत कॉलेजमें अव्ययनका सुयोग दे दिया गया। तत्त्वबोधिनी पत्रिकाकी सन् १८५४ की फाल्गुन सख्यामें विद्यासागरने 'विधवा-विवाह प्रचलित होना उचित है कि नहीं?' शीर्षकसे अपने नामसे एक लेख लिखा। जनवरी सन् १८५५ में 'विधवा-विवाह प्रचलित होना उचित है कि नहीं, एतद् विषयक् प्रस्ताव' और अक्टूबर महीनेमें इस विषयकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई। ४ अक्टूबर, सन् १८५५ में उन्होंने विधवा-विवाहको वैध करानेके लिए सरकारके पास आवेदन-पत्र भेजा। १६ जुलाई, सन् १८५६ में विधवा-विवाह-सववी कानून पास हुआ।

७ दिसम्बर, सन् १८५६ को कलकत्तेमें बंगालका प्रथम कानून-सम्मत विधवा-विवाह सम्पन्न हुआ। प्रसिद्ध कथक रामधन तर्कवागीशके कनिष्ठ पुत्र श्री गिरीशचन्द्र विद्यारत्न और पलाशडाँगा-ग्राम निवासी ब्रह्मानन्द मुखोपाध्यायकी द्वादश वर्षीया विधवा-पुत्री कालीमतीका विवाह हुआ। इससे पुरातनवादी हिन्दू-समाजमें फिर शोरगुल उठा। इस दार पूर्वपेक्षा कई गुना अधिक शोरगुल हुआ क्योंकि सती-प्रथाके उच्छेद और विधवा-विवाहके प्रवर्तनके बीच काफी समयका फर्क था। विधवाओं द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य-पालनका सस्कार कई गुना ज्यादा बढ़मूल है। बाल-वैधव्य अथवा उम्रका सवाल सनातनी हिन्दू-समाजके सामने कुछ भी विचारणीय नहीं था। समस्त प्रतिवाद और वाधा-विपत्तिकी उपेक्षा करके विद्यासागर एकके बाद एक विधवा-विवाहका आयोजन और व्यवस्था करते रहें। एक सस्कृत पंडितकी ऐसी चारित्रिक दृढ़ता और उदारतासे साधारण लोक-समाज स्तम्भित हो गया। गभीर श्रद्धा विस्मय और विद्रूपके विचित्र भावावेगमें उद्वेलित हो बंगालके जन-साधारणमें उम समय विद्या-सागरके वारेमें कितने लोकगीतो और कहानियोकी रचना की गई, इसका कुछ ठिकाना नहीं।

बहु-विवाह और कुलीन-प्रथाके विरुद्ध भी विद्यानागरने यथेष्ट आंदोलन किया था। किंतु वह सफल नहीं हुआ। २७ दिसम्बर सन् १८५५ को उन्होंने बहु-विवाह बंद

करानेके लिए सरकारके पास निवेदन-पत्र भेजा था, परन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ । १६ फरवरी, सन् १८६६ को बहु-विवाह बंद करनेको उन्होने दूसरी बार भारतकी व्यवस्था-पिका सभाके पास निवेदन भेजा था और उस निवेदनका समर्थन करते हुए और भी कई लोगोंने पत्र लिखे थे, परन्तु उससे भी कुछ नहीं हुआ । सरकारने किसी आवेदनपर ध्यान नहीं दिया । सन् १८७१ में विद्यासागरने एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसका नाम था 'बहु विवाह बंद होना उचित है या नहीं, एतद् विषयक विचार' इस विषयमें उनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई सन् १८७३ में । विज्ञ पंडितोके साथ इस विषयपर यथेष्ट तर्क-वितर्क हुआ और दोनो पक्षोंके विचार पुस्तिकाकार प्रकाशित किए गए । तथापि कानून द्वारा बहु-विवाह बंद करना संभव नहीं हुआ ।

उन्नीसवी सदीके पञ्चम दशक अथवा मध्य कालमें विद्यासागरके नेतृत्वमें बंगालमें समाज-सुधार—आन्दोलनका स्वर्णयुग था । विधवा-विवाहका कानून पास हो जाने एवं विधि-सम्मत विधवा-विवाह प्रारंभ हो जानेके बाद बंगालके सामाजिक जीवनमें प्रतिक्रियाशीलताकी जो विक्षुब्ध तरंग उठी, उससे सुधार-आन्दोलनमें कुछ रुकावट-सी आई, ऐसा लगा । यह स्वाभाविक भी था क्योंकि तत्कालीन सुधार-आन्दोलनके पीछे संगठित और सचेतन जन-समर्थन नहीं था, हो भी नहीं सकता था । उस समय तक समाजमें जन-शिक्षा, और विशेषकर नवयुगकी शिक्षाका कोई उल्लेखयोग्य प्रचार नहीं हुआ था । स्त्री-शिक्षा और विधवा-विवाहके आन्दोलनमें काफी सफलता मिल चुकनेपर भी विद्यासागर थोड़े ही दिनोंमें उसकी सामाजिक व्यर्थताके कारण दुखी और हताश हो उठे । तथापि उन्होने विलकुल हाथ-पैर नहीं डाल दिये । जीवनकी अंतिम घड़ी तक वे समाज-सुधारके अपने निर्धारित लक्ष्यको पूरा करनेका प्रयास करते रहे । किन्तु उन्नीसवी सदीके पंचम दशकके बाद वे मुख्य तौरसे थोड़े समयमें ही समाजके अग्र-गामी दलके प्रेरणा-सूत्र बने रहे; प्रत्यक्ष रूपसे आन्दोलनके संचालन और नेतृत्वसे अवसर ग्रहण कर लिया । तत्पश्चात् उनका कार्य शिक्षाके क्षेत्रमें ही सीमाबद्ध रह गया । २६ जुलाई सन् १८९१ को उनकी मृत्यु हो गई ।

विद्यासागरके बाद जो लोग समाज-सुधारके कार्यमें आगे आए, वे ब्राह्म समाजके नये युवक गण थे । सन् १८६० से १८७० के बीच बंगालके समाज-जीवनमें ब्राह्म-समाजके तरुणोंने एक नई लहर पैदा की । विद्यासागरके आन्दोलनके एकदम शांत और स्थिर होनेके पूर्व ही उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी आगे आ गये । इन ब्राह्म तरुणों के अप्रतिम नेता थे केशवचन्द्र सेन । समाज-सुधारके इतिहासकी दृष्टिसे हम विद्यासागर-परवर्ती युगको "केशवचन्द्र युग" एवं "रामकृष्ण-विवेकानन्द युग" कह सकते हैं । समाज-सुधारके साथ-साथ धर्म-सुधारका आन्दोलन भी इस युगमें तीव्रतर हो उठा । "राम-मोहन—यंग बंगाल युग" के साथ बहुत कुछ सादृश्य होते हुए भी इस युगकी अपनी विशेषताएँ थी । केशवचन्द्र और रामकृष्ण—विवेकानन्दके युगमें धर्म-सुधार तीव्रता का पथ अतिक्रमण कर क्रमशः सुस्थिर समन्वयका पथ खोजने लगा । रामकृष्ण अपने सर्व-धर्म-समन्वयके आदर्शकी उपलब्धि में उसे व्यक्त करने लगे, विवेकानन्दने तेजोदीप्त कंठसे उसी सत्यकी वाणीका देश-विदेशमें प्रचार किया, केशवचन्द्र ब्राह्म-धर्म और ब्राह्म-समाजको नये रूपमें गढ़ने के लिये बद्ध-परिकर हुए; उसकी संकीर्णताकी प्राचीर

तोड़कर, क्षुद्र गोष्ठी से बाहर लाकर समस्त जातियोंके बीच प्रसारित करनेको प्रस्तुत हुए । साथ-साथ प्रत्यक्ष सुधार-कार्यमें भी उनको आगे आना पड़ा । ब्राह्म समाजमें दो दल हो गये । सुधारपंथी लोग केशवचन्द्रके नेतृत्वमें 'प्रगतिशील' कहलाने लगे और देशके अधिकांश नवशिक्षित युवक उनके दलमें आगये । देवेन्द्रनाथ ठाकुरका दल— जो विद्यासागर-युगके सुधार-आन्दोलनके पुरोभागमें था, अब पीछे रह गया । इतिहासके प्रत्येक युगमें नव-जाग्रत युवाशक्तिके सम्मुख पूर्वकालीन लोगोकी इसी प्रकार पराजय होती रही है । उनके आदर्शको लेकर समाजका नया दल आगे बढ़ता है, और कुछ दूर पहुँचकर वह भी रुक जाता है और प्रायः पिछड़ भी जाता है ।

केशवचन्द्र सेन और उनके अनुयायी वृन्द का सामाजिक सुधारके क्षेत्रमें सबसे बड़ा अवदान था स्त्री-शिक्षा और स्त्री-स्वतन्त्रताका प्रसार । स्त्री-शिक्षाके लिये आन्दोलन और विद्यालयादिकी प्रतिष्ठापना काफी पहलेसे ही आरम्भ हो गये थे और विद्यासागरने उनके लिए अविश्रान्त चेष्टा की थी किन्तु दीर्घकालीन कुसंस्कार और पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियोंका घरसे बाहर स्वतन्त्रतापूर्वक आने-जानेका अभी चलन नहीं हुआ था । ब्राह्म-समाजमें भी स्त्रियोंको उपासनाके लिये जानेका अधिकार नहीं था । किसी सामाजिक सभा अथवा अनुष्ठानमें पतिके साथ भी स्त्रीके सम्मिलित होनेका रिवाज नहीं था । केशवचन्द्रके दलके लोगोंने ही सर्वप्रथम इस सामाजिक कुप्रथाको दूर कर स्त्री-स्वाधीनताके लिये आन्दोलन किया । उपासना-मंदिरमें या सामाजिक सभा-सम्मेलनोमें प्रत्यक्ष रूपमें भाग लेनेका स्त्रियोंको अधिकार दिलानेके लिये उन्होंने आन्दोलन किया और आगे बढ़कर खुदका उदाहरण पेश किया । इससे कार्य-सिद्धिमें बड़ी सहायता मिली । इसी आन्दोलनके फलस्वरूप सन् १८७२ में सिविल मैरेज कानून बना । नारी के व्यक्तिगत अधिकारको सामाजिक क्षेत्रमें स्वीकृति मिली ।

धर्म-सुधार और समाज-सुधारका यह आदर्श और आन्दोलन राष्ट्रीय महासभा कांग्रेसकी प्रतिष्ठापनाके बाद सन् १८८५ में क्रमशः राजनीतिक स्वाधीनता-संग्राम और सामाजिक-आर्थिक स्वाधीनता-संग्रामके साथ संयुक्त हो गया । स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद आज भी उस संग्रामकी परिसमाप्ति नहीं हुई है । हमारा समाज आज भी अनेक कुसंस्कारोंसे ग्रस्त है । इसका परिचय हमें हिन्दू कोडविलको पास करनेके आन्दोलनके समय मिला था । दहेज प्रथा आज भी उसी रूपमें मौजूद है, यहाँ तक कि शिक्षित समाजमें भी उसका आधिपत्य बना हुआ है । देशका आर्थिक तंत्र बदल रहा है । सामन्तवाद के दिन लद चुके हैं । यात्रिक उद्योग-वधो और विज्ञानका प्रसार हो रहा है । स्त्री-पुरुषकी अर्थनीतिक स्वाधीनता समस्त क्षेत्रोंमें प्रतिष्ठित हो रही है । परिणामस्वरूप छोटे परिवारके घेरेसे बृहत्तर समाजका रूप बदल रहा है । स्त्री-पुरुष—सम्बन्धोंमें भी परिवर्तन हो रहा है । इस अवस्थामें सामाजिक कुसंस्कारोंका वजन बहुत दिन नहीं चल सकता । उनकी भित्ति ही जव नहीं रहेगी, तो वे अपने-आप खत्म हो जायेंगे और सामाजिक प्रगतिका पथ सुगम हो जायगा ।

—:०:—

दक्षिण भारत और समाज-सुधार

भारतमें समाज-सुधारका काम नया नहीं है। वह उतना ही पुराना है, जितना कि समाजका निर्माण। जैसा हमारा समाज बना है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि देशके समाज-सुधारकोने इसमें काफी परिवर्तन करनेका प्रयत्न किया है। वर्णाश्रम धर्म, फिरकावन्दी, तरह-तरहकी छोटी-छोटी जातियोंका निर्माण, उप-जातियोंका विकास तथा अन्य कितनी ही बातें हमारे समाजमें पाई जाती हैं। विज्ञान तथा उच्चकोटिके मनुष्यत्वकी दृष्टिका ज्ञान हमारा जितना ही बढ़ता जाता है, उतनी ही हमारे मनमें यह आतुरता उत्पन्न होती है कि हम अपनी दृष्टिसे जिसे सुधार मानते हैं, उसे अपने समाजमें भी प्रवेश करा दें और जिनको हम कुरीतियाँ समझते हैं, उनको दूर करनेका प्रबल प्रयत्न करें।

दक्षिण भारतमें समाज-सुधारका आन्दोलन बहुत ही पुराना कहा जा सकता है। यह विदित है कि दक्षिणमें कितने ही धर्माचार्योंका जन्म हुआ। उन्होंने अपने धर्म का बड़े जोरसे प्रचार किया। उनमें धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले कितने ही विषयोंके साथ साथ समाज-सुधारका विषय भी सम्बद्ध था। कितने ही धर्माचार्योंने समाजकी कुरीतियों को दूर कर और विषमताओंको तोड़कर मनुष्यको ईश्वरका अग्र मात्र सिद्ध कर मनुष्यत्वके महत्वको बढ़ानेका प्रयत्न किया, जैसे आदि गकराचार्यका अद्वैतवाद, रामानुजाचार्यका विनिष्ठाद्वैतवाद, माध्वाचार्यका द्वैतवाद। यद्यपि दर्शन और वेदान्त एकेश्वरवादकी तरफ मनुष्यकी दृष्टि आकृष्ट करने के लिए सबल साधन समझे जाते हैं, फिर भी उनमें समाज-सुधारके बीजोंकी कमी नहीं है। आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म लगभग १२०० साल पहले केरलमें हुआ था, के संवधमें यह कहा जाता है कि उन्हें समाज बड़े तिरस्कारकी दृष्टिसे देखता था। उनके सम्बन्धमें यह किंवदन्ती मशहूर है कि जब उनकी माताका देहान्त हुआ और वे उसके मृत शरीरकी दाह-व्यवस्था सम्पन्न करना चाहते थे, तब उनकी जात-विरादरीने कहा कि संन्यासी होनेके कारण—वह भी वाल संन्यासी होनेके कारण—उनको माता-पिताका दहन-संस्कार करनेका अधिकार नहीं है। कोई उस मृत शरीरको उठाने के लिए साथ देने को तैयार नहीं हुआ। तब उस शरीरको खण्ड-खण्डमें काट कर उनकी दहन-क्रिया करनी पड़ी।

केरल

केरलकी कट्टरता बहुत मशहूर है। वह कट्टरता उच्च जातियोंमें ही नहीं, बल्कि प्रायः सभी जातियोंमें पाई जाती है। केरलमें भिन्न-भिन्न जातिके लोग

अपने-अपने अधिकारोकी रक्षाके वहाने दूसरी जातियोको नीची दृष्टिसे देखा करते थे। वहाँ पिछले १५-२० वर्षोंके पहले तक यह कुरीति प्रचलित थी कि अग्र जाति के आदमी जहाँ-कहीं खड़े हो, उनसे दस गजकी दूरीपर ही उनके वादकी जातिके आदमी खड़े हो सकते थे और उसके वादकी जातिके आदमीका हक और दन गजके फासलेपर खड़ा होना माना जाता था। इसी तरहसे अपने-अपने सामाजिक अधिकार अपनेसे निम्न जातियोको कितने फासलेपर खड़ा रखना चाहिए, इसका हिसाब गिनकर आँकते थे। केरल प्रान्तमें अस्पृश्यता ही नहीं बल्कि अदृश्यता भी अमलमें थी। अग्र जातिके आदमी नीच जातिके आदमीको देखनेसे अपनेको अपवित्र ही नहीं मानते थे वरन् उस अपवित्रताको दूर करनेके लिए प्रायश्चित्त भी करते थे। केरल जैसे तो बहुत ही सुन्दर देश है, लोग भी बड़े हूट-मुट हैं लेकिन वहाँके ममाजका निर्माण सदियोंसे विचित्र-सा बना हुआ है। इसके लिए इतिहास बहुत हद तक जिम्मेदार है। सुदूर दक्षिणके एक कोनेमें स्थित रहनेके कारण यहीं कहा जा सकता है कि उत्तर-पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तरसे भिन्न-भिन्न जातिया केरलमें आकर बसी। वे अपने-अपने रत्न-रिवाज साथ ले आईं। वहाँकी आदिम जातियोके साथ हिल-मिलकर रहने और उनके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें काफी समय लग गया। बीसवीं सदीके प्रारम्भमें केरलमें समाज-सुधारका काम जिस द्रुत गतिसे चला, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज केरलका समाज किसी भी समाजसे पीछे नहीं रहा।

केरलमें अग्र जातियोने, विशेषकर ब्राह्मणोंने जिस तरह दूसरी जातियोको दबाकर रखा, उसकी भीषण प्रतिक्रिया दूसरे वर्गोंपर भी हुई। राजनीतिक, आर्थिक तथा शिक्षा के क्षेत्रोंमें बहुत पिछड़ जानेके कारण वहाँकी पिछड़ी हुई जातियोने बीसवीं सदीके प्रथम पादमें विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसके प्रतीक डा० नायर हैं जो दक्षिण भारतके अब्राह्मण आंदोलनके जन्मदाता हैं। डा० नायरने जिन तरह बीसवीं सदीकी दूसरी तथा तीसरी दशकके अन्त तक अब्राह्मण आंदोलनको जीवित रखा और भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें अग्रतम जातियोका धर्माधिपत्य तोड़नेका प्रयत्न किया, उसका इतिहास लिखा जाए तो बड़ा ही लम्बा होगा। एक जमाना था जब कि अब्राह्मण लोग राजनीतिक क्षेत्रमें और खासकर विधान-सभाओंमें अपने लिए स्थानोंको सुरक्षित चाहते थे, जब कि उनकी संख्या ९० प्रतिशतसे अधिक है और ब्राह्मणोंकी संख्या १० प्रतिशत से भी कम है। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज कोई भी जाति किसी भी जातिसे न डरती है, न अपने लिए कोई विशेष रक्षण ही चाहती है। इसका अधिकांश कारण शिक्षाका प्रचार और समाज-सुधारकोका कार्य कहा जा सकता है।

तमिलनाडु

डा० नायरके अब्राह्मण आंदोलनने कुछ दिनोंके बाद एक दूसरा रूप ग्रहण कर लिया जिसने तमिलनाडुमें आकर बहुत बड़ा जोर पकड़ लिया। इन आंदोलन का नाम स्वयं-मर्यादा आंदोलन है जिसे अंग्रेजीमें (Self-respect Movement) कहने हैं। इस आंदोलनके द्वारा पिछड़ी जातियोंमें आत्म-गौरवकी ज्योति जगायी गयी। किसी ऊँची जातिका आदमी सिर्फ जन्ममें बड़ा होनेके कारण अपनेको बड़ा माने और

विशेष अधिकारोको प्राप्त करना चाहे, इसके विरुद्ध स्वयं-मर्यादा आंदोलनने बलवा मचाया। जब स्वयं-मर्यादा आंदोलनने अपने कार्यमें सफलता पाई, उसने अपनेको द्रविड़ कडमके नामसे परिवर्तित किया। सन् १९५७ के आम चुनावोंमें उसकी एक शाखा द्रविड़ मुत्रेज कडमके नामसे निकल पड़ी। इस आंदोलनका उद्देश्य यह है कि अग्र जातियोंके आधिपत्यका अंत किया जाय जिसका आधार हिन्दू शास्त्रों तथा स्मृतियोंपर अवलंबित है और जो इसी उद्देश्यसे आर्यों द्वारा बनाई गई थी। जब तक लोगोंमें यह विश्वास बना रहेगा कि श्रुति, स्मृति, पुराण, शास्त्र आदि देवदत्त हैं और वड़े पवित्र हैं, तब तक उनमें उनके प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। इस श्रद्धाको नष्ट करनेसे ही आम जनता में अपने प्रति गौरव तथा आत्म-विश्वास पैदा हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस आन्दोलनका परिणाम क्या होगा, उसको सही रास्तेपर चलाया जा सकता है कि नहीं और उससे कितने नये दोष पैदा होंगे। लेकिन यह भविष्यके इतिहासकार अवश्य मानेंगे कि समाज-सुधारका यह एक बहुत ज़रूरत आन्दोलन है जिसके द्वारा लोगोंको अपनी-अपनी बुद्धिसे अपनेको पहचानने और अपने अधिकारोंको समझने तथा उनको अनुभव करनेके लिए मौका मिला है।

आन्ध्र

आन्ध्रके समाज-सुधार आन्दोलनका आधार अधिकतर ब्राह्मण-समाज ही कहा जा सकता है। दक्षिणमें जब समाज-सुधारका आन्दोलन गुरु हुआ, तब राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन आदि युगपुरुषोंके आन्दोलनने शिक्षित लोगोंको बहुत प्रभावित किया। जगह-जगहपर ब्राह्मण-समाज स्थापित हुए, ईश्वरमें आस्था बढ़ी, समाजमें जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, उनको प्रचार और शिक्षासे दूर करनेका प्रयत्न किया गया। स्वनाम-धन्य सर आर० वेन्कटरत्नम नायडू और कंदुकुरी विदेशलिंगम पंतुलु आदिके नाम इस सम्बन्धमें विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा चरित्र, साहित्य के निर्माण और प्रचारसे आन्ध्रके कितने ही युवकोंके हृदयमें साहस का प्रवेश कराया और उनको कुरीतियोंके जालसे लड़नेके लिए तैयार किया। देवदासी प्रथा, शुभ समारोहोंमें बैयाओंके द्वारा नाच, विधवाओंपर अन्याय व अत्याचार तथा छोटी-छोटी बालिकाओं का विवाह आदि कुरीतियोंसे बड़ा साहसपूर्ण युद्ध किया गया। आज ये सारी कुरीतियाँ आन्ध्र प्रदेशसे करीब-करीब गायब हो गई हैं।

कर्नाटक

जब समाज-सुधारके आन्दोलनका इतिहास लिखा जायेगा, तब कर्नाटकके बसवेश्वर का नाम सबसे पहले लिया जायगा। यद्यपि ये जातिके ब्राह्मण थे, तथापि उन्होंने अन्नाहणों को ऊपर उठानेके महान् प्रयत्न किए। उनमें ईश्वरके प्रति श्रद्धा पैदा करते हुए उन्होंने उन्हें अपनी आत्माको पहिचाननेके लिए काफ़ी सामग्री दी। बसवेश्वरके बचन कन्नड़ भाषामें बहुत मशहूर हैं। आज करीब-करीब आवा कर्नाटक बसवेश्वरके प्रभावके अन्तर्गत है। बसवेश्वरके धर्मानुयायी लिंगायत कहलाते हैं। इस धर्मको सुरक्षित रखनेके लिए लिंगायतोंके कितने ही धर्मपीठ तथा आचार्यपीठ कर्नाटक भरमें फैले हुए हैं। यद्यपि वैदिक धर्मका प्रचार भी कर्नाटकमें काफ़ी हुआ है और वैष्णव तथा शैव

सम्प्रदायोंके कारण उसकी बुनियाद हिली नहीं है फिर भी वैदिक धर्मके मानने वालोंके बीच में जात-पाँतके द्वारा जो कुरीतियाँ तथा विपमताएँ फैल सकती थी, उनको दूर करनेके लिए बसवेश्वरके धर्मानुयायियोंने बड़ा ज़बर्दस्त काम किया ।

समाज-सुधारका एक मात्र ध्येय स्वच्छ, जाग्रत, वलिष्ट तथा विपमताहीन नए समाज का निर्माण करना है । स्त्रियो और पुरुषोंके बीचमें अधिकारोंकी विशेष विपमता, जाति-जातिके बीचमें विभेद, ईश्वर तथा धर्मके नामसे होनेवाले अनुचित कार्य, मन्दिर तथा धर्मपीठोंका अड़्डा बनकर उनके द्वारा कुछ स्वार्थियोंकी तरफसे फैलाये जानेवाले सम्प्रदाय आदिके सम्बन्धमें अशिक्षित जनताको सचेत करनेका काम समाज-सुधारक करते आए हैं । उनकी सख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । महात्मा गांधीने भी अपने समाज-सुधार आन्दोलनसे दक्षिणके कोने-कोनेको प्रभावित किया । आज प्राय पुराने सभी समाज-सुधारके आन्दोलन या तो कांग्रेसके साथ मिल गए हैं, या रचनात्मक कार्यकर्त्ताओंके आश्रयमें आ गए हैं ।

—••—

उत्तर-प्रदेशमें समाज-सुधार

वर्तमान उत्तर प्रदेश कभी आर्यावर्तका मुख्य भाग था। बहुतसे लोग तो गंगा और यमुनाकी इस पवित्र त्रिडास्थली वद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन, प्रयाग और काशी आदि तीर्थोंकी इस पुण्य भूमि तथा राम, गौतम बुद्ध, और कृष्णके के इस परम पावन जन्म प्रदेश को ही आर्यावर्त मानते हैं। आर्यावर्तकी सारी धार्मिकता इस प्रदेशको प्राचीन आर्योंसे विरासतमें मिली है। अन्य सभी प्रदेशोसे इस की धार्मिक मान्यता अधिक है।

लेकिन, इसकी यह सब धार्मिकता धर्मान्धतामें परिणत होकर रूढ़ि, परंपरा और श्रद्धाविश्वासका रूप धारण कर चुकी है। वह जीवनके विकास, प्रगति और उन्नतिमें यत्किंचित भी सहायक न होकर ह्रास पतन और अवनतिका निमित्त बन गई है। धार्मिक मिथ्या विश्वासो और सामाजिक रूढियोंका वह गढ़ बन गया है। फडो, पुजारियों और पुरोहितोका मायाजाल यत्र तत्र विछा हुआ है। तीर्थ, मठ और मंदिर धर्मान्धता के आधार स्तम्भ बन गए हैं। अज्ञान और अविद्याके केन्द्र जहाँ-तहाँ कायम हैं। गतानुगतिकताका चारो ओर बोलवाला है। इस प्रकार आर्यावर्तकी यह भूमि अपना आर्यत्व प्रायः खो चुकी है।

उत्तर प्रदेश एक मध्यवर्ती प्रदेश है। भारतकी सीमाओंसे बहुत दूर, बंगालकी खाड़ीसे दूर, पंजावके पर्वतोसे दूर, हिन्द महासागरसे दूर, कुमारी अन्तरीपसे दूर, अतः भीमान्त प्रदेशोके सामाजिक या नैतिक परिवर्तनोकी तरफें वेगसे उठती हुई भी हमारे प्रान्त तक आते आते शान्त हो जाती हैं और उनका आतिक्षम्य मन्द पड़ जाता है। उत्तरी सीमा हिमालय तो इतना ऊँचा है कि वह अधिक उत्तरीय वायुको पहले ही रोक लेता है। इसलिये इस प्रदेशको मध्यवर्ती कहना अनुचित नहीं है। हम लोगोमें अधिक जोश भी नहीं और परले दर्जेकी सुस्ती भी नहीं। हमारे यहाँ समाज-सुधार-सम्बन्धी आन्दोलनों की भी वही अवस्था और वही व्यवस्था रही। "मुव्यवस्थित और मन्द" (Sure and Steady) यह हमारे प्रान्तकी विशेषता है। यह प्रश्न नहीं कि अच्छी बात है या बुरी। जो है सो है। समाज-सुधारका आधार है सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस (Social Justice) अर्थात् उन कुप्रथाओंको दूर करना जिनके कारण समाजके व्यक्तियोंको यथेष्ट रूपसे अपने वैयक्तिक विकासका अवसर नहीं मिलता। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के समाज-क्षेत्रमें तीन रूप हैं। पहला स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध

है। लाठी पुरुषके हाथमें रहती है। अतः वह स्त्रियोंको अपने वशमें रखता है। पुरुष एक वार भी कई विवाह कर सकता है और एक स्त्री के मरनेपर जब तक या जितने चाहे विवाह कर सकता है। स्त्री विधवा हो जाय और दो वर्षकी ही कयो न हो उसको आयुपर्यन्त विधवा ही रहना चाहिये। उत्तर प्रदेशमें अन्य प्रान्तोंके समान यह अत्याचार प्रचलित था। एक साथ कई पत्निया करना तो विधिवत् होते हुये भी बहुत कम प्रचलित था परन्तु कम आयुकी विधवाओंकी संख्या तो लाखों तक पहुँचती थी। कभी-कभी कोई सती भी हो जाती थी। परन्तु इटावे आदिके क्षत्रिय-प्रधान ग्रामोंमें तो लडकियोंको जनमत ही मार डालनेकी प्रथा जोरोंपर रही। बंगालके पुराने आदिकालीन सुधारको राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा उनके अनुयायियोंके काम की जो तीव्र गति उन प्रान्तोंमें रही उसका कोई तीव्र प्रभाव उत्तर-प्रदेशपर नहीं पडा।

इसके साथही एक बहुत बुरी प्रथा थी—विवाहोंमें “वेश्या-नृत्य”। यह “वेश्या-प्रथा” जिसका हम संस्कृत नाटकोंमें उल्लेख पाते हैं स्त्री जातिके साथ घोर अत्याचार था। इसका आरंभ भी ऐसे समय हुआ होगा जब पत्नियोंपर घोर नियंत्रण और पतियोंको खुली छुट्टी दे दी गई होगी। उपनिषद्में लिखा है “न स्वैरी स्वैरिणी कुत”, अर्थात् उस समय कोई स्वैरी नहीं था फिर स्वैरिणीका प्रश्न ही नहीं उठता। उपनिषद् के इस वाक्यमें एक सच्चाई है अर्थात् स्वैरी ही स्वैरिणीको बनाते हैं। वेश्याओंकी प्रथा उन लोगोंने चलाई हागी जो स्वयं तो स्वैरी बन गये परन्तु अपनी स्त्रियोंको सदैव सदेह की दृष्टिसे देखते रहे। मेरे बाल्य कालमें आर्यसमाजियोंकी ओरसे यह सुधार किया गया विवाहोंमें ‘वेश्या नृत्य’ बन्द किया जाय। मेरे विवाहमें मुख्य झगडा इसी बातपर हुआ था? उस समय लोगोंको यह सोचना भी कठिन प्रतीत होता था कि ‘वेश्या-नृत्य’ के बिना विवाह हो भी सकता है या नहीं। मेरे विवाहमें वेश्याका नृत्य हुआ। मैंने नृत्य नहीं देखा परन्तु मेरे बुजुर्ग लोग (मेरे पिता जीवित न थे) मेरे ऊपर टूट पडे। उन दिन मैंने अपने परिश्रमको विफल पाकर यह प्रण किया कि आगेसे अधिक सावधानी रखी जायगी। मैं आठ वर्ष तक अपने परिवारके किमी विवाहमें भी शरीक नहीं हुआ। मेरे मामाजीने अतमें तग आकर अपने एक लडकेके विवाहमें केवल मेरे बुलानेके लिए नाच बन्द कर दिया। और उस वारातमें मैंने विधवा-विवाहके औचित्यपर एक ओज-स्विनी वक्तृता दी। उन्ही दिनों मैंने एक ट्रेक्ट निकाला “विवाह और रडियाँ”, इसका प्रभाव अच्छा हुआ। वेश्या-नृत्यकी कुप्रथा बन्द हो गई। उस समय यह एक बडा सुधार था। आज तो लोग इसको सुधार कहते हुए भी हँसेंगे।

उन दिनों विधवा-विवाहके औचित्यपर व्याख्यान तथा शास्त्रार्थ तो होते थे परन्तु किसीको आगे आनेका साहस नहीं होता था। विजनौरमें एक सज्जन थे श्री श्रोत्रिय शकरलालजी। यह आर्यसमाजी न थे परन्तु विधवा-विवाहके पक्षपाती थे। उन्होने अपना विवाह एक बाल-विधवासे किया था। १९०४ ई० में जब मैं विजनौरके गवर्नमेंट स्कूलमें अध्यापक था श्रोत्रियजी बडे जोरसे प्रचार करते थे उनके घरवालोंने उनका वहिष्कार कर दिया था। उन्होने श्री विद्यामागरजीकी पुस्तकका बंगलासे हिन्दीमें शायद अनुवाद कराया था। वह केवल इस उद्देश्यसे कि सनातनियोंमें विधवा-विवाहका प्रचार हो जाय इसमें उनको बहुत सफलता मिली। फिर भी विधवा-

विवाहका विरोधभी कम नहीं हुआ । १९०७ में मेरे परिवारमें एक दुर्घटना हो गई । मेरे खास चाचाके लडकेका विवाह ११ वर्षकी आयुमें हुआ । मैंने सम्मिलित होनेसे इनकार कर दिया । उसी वर्ष उस लडकेकी मृत्यु हो गई । उन्ही दिनों उनकी लड़की भी जो वारह या तेरह सालकी थी विधवा हो गई । मेरे हृदयपर बड़ी चोट लगी । मैंने पुनर्विवाहका प्रश्न उठाया और छः सात साल बड़े जोरसे आन्दोलन करता रहा । अपने चाचाजीको बहुत समझाया आगा-पीछा सुझाया । शास्त्रकी बात कही, लोकलाज के नामपर अपील की, अपने संवधियोंको फुसलाया परन्तु कोई टस से मस नहीं हुआ । अन्तको १९१४ ई० में मैं अपनी माताजी तथा अपनी पत्नीजीके सहयोग और उद्योगसे अपने भाईका विवाह एक बाल-विधवासे करनेमें सफल हुआ । परन्तु विरोधका भी कुछ हाल सुनिए । हमने विवाहकी बातको गुप्त रखा था केवल वीसके लगभग युवक ही सम्मिलित थे । लडकीके माता-पिताको तैयार करनेमें एड़ी चोटी का पसीना बहाया गया था । यह भापा आलंकारिक नहीं है । १९१४ की जेठकी गर्मी और मेरी दौड़-धूप ! जब विवाहका हाल लोगोंको ज्ञात हुआ तो एक बहुत बड़ी सभा एट्टेमें की गई । इतनी बड़ी सभा मेरी विरादरीवालोंने न पहले देखी न सुनी । मुरादाबादके पंडित ज्वाला प्रसाद तथा अन्य सनातनी उपस्थित थे । इधर आर्य समाज एटाने भी भरसक कार्य किया । पंडित अखिलानन्द उन दिनों आर्य समाजमें ही थे । उनके शास्त्रार्थके लिये चैलेंज हुआ करते थे । सभाका पूरा हाल देना व्यर्थ है । मूझे विरादरीसे निकालनेका प्रस्ताव पास हो गया । मेरे मित्रोंने मेरे भाई को बघाई दी । मैं न शरीक हुआ न मैंने किंचित परवाह की । परन्तु विधवा-विवाहकी प्रथा जारी हो गई और शीघ्र ही विरोधी कैम्प तितर-वितर हो गया । अन्य क्षेत्रोंमें भी अब यह सुधार स्थायी रूपसे हो गया । इसका श्रेय आर्यसमाजको ही है ।

हमारे देशके पर्वती प्रान्तोंमें एक जाति है, जिसको 'नायक' कहते हैं । भुवाली के पास रामगढ़में एक ग्राम है 'नयकाना' । नायकलोग अपनी लडकियोंका विवाह नहीं करते थे । सनातनी पंडितोंने वहका रक्खा था कि उनकी जातिके लिये लडकियोंका विवाह वर्जित है । लडकियाँ खुल्लमखुल्ला बेव्यावृत्ति करती थी और मैदानके रईस लोगोंके छोकरे उनको ले आया करते थे ! कहते हैं कि बेव्यावृत्ति आरम्भ करनेके समय सनातनी पंडित संस्कार भी कराते थे और दान-दक्षिणा भी लेते थे । आर्यसमाज ने इस प्रश्नको उठाया । हमारे प्रदेशमें एक सज्जन थे श्री गजाधर प्रसादजी प्रयागके रहने वाले । परन्तु वह अल्मोडेमें अधिक रहते थे । उन्होंने इस कामको उठाया । गवर्नमेंटसे मिलकर एक कानून बनवाया, लडकियोंके विवाह करानेकी प्रथा डाली गई । उनकी शिक्षाके लिए हलद्वानी, मेरठ आदिमें स्कूल स्थापित हुए । इस सम्बन्धमें मेरठकी श्रीमती हीरादेवीजीने प्रशंसनीय कार्य किया । यह नायक जातिकी थी और आर्य प्रतिनिधि सभाकी बहुत दिनों तक सदस्या रही । इन्होंने नायक जाति-सुधारमें बहुत कार्य किया । जबसे श्री नारायण स्वामीजी महाराजने संन्यासी होनेपर रामगढ़की पहाडियोंमें अपना आश्रम बनाया तबसे वह कुप्रथा विल्कुल नष्ट हो गई । आज रामगढ़ में एक इण्टर कालेज है । और नायक जातिके शेष लोग मान और प्रतिष्ठाका जीवन व्यतीत करने लगे हैं ।

- सामाजिक मामलोंमें "जिसकी लाठी उसकी भैंस" का दूसरा रूप है अछूत जातियाँ। जिनके पास विद्याका बल था या बाहुबल था या धन-बल था वह उच्च बन गए। शेष जातियाँ नीच, दलित और अस्पृश्य बन गईं। पौराणिक कालके अत्याचारोका यह एक भीषण रूप था जिसने समाजको तो गदा किया ही, जीवनके अन्य विभागोंको भी दूषित कर दिया। जाति और देशकी पराजय तथा ह्रासमें इसका मुख्य हाथ है। मेरे बाल्यकालमें इस प्रदेशके आर्यसमाजोंमें इसपर बड़ा जोर दिया जाता था और सनातनियों की ओरसे तनातनी भी रहा करती थी। आर्यसमाजियोंके विरुद्ध किसी जाति, किसी विरादरी, किसी गाँव या किसी सम्प्रदायको भड़का देनेका एक सस्ता उपाय यह था कि यह लोग चमार-मेहतरकी रोटी खा लेते हैं। पजावके लोगोके समक्ष रोटीकी समस्या इतनी जटिल न थी। उत्तर प्रदेशमें तो 'आठ कनौजिया और नौ चूल्हे' की उक्ति प्रसिद्ध थी। सूलीपर चढ़ जाना आसान था, दूसरी विरादरीकी रोटी खाना कठिन था। क्योंकि सूलीपर चढ़नेवाला तो स्वयं ही मरता था परन्तु दूसरी विरादरीकी रोटी खाने वाला तो सन्तानके विवाह आदिके कठिन प्रश्नको उपस्थित कर देता था। मुझे अपना अनुभव है। दूसरे लोग इस कठिनाईको समझ नहीं सकते। मैं १८६६ ई० की बात कर रहा हूँ। मेरी माताजी और मेरे मामाजीको भड़का दिया गया। मेरी माता का प्रेम ही मेरा रक्षक बना! परन्तु धीरे-धीरे सुधार होता गया।

गढ़वाल और कमार्युके उच्च वर्गने निम्न वर्गको बहुत दबाया। यह प्रान्त बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग छोटे लोगोको विवाहके समय 'डोला पालकी' पर चढ़ने नहीं देते थे। सबसे पहले आर्यसमाजने इस प्रश्नको उठाया। उस समय न कांग्रेस आगे थी, न गांधीजी महाराज आये थे। श्री ठक्कर बापाका तो नाम भी न था। न जाने कितने सिर फूटे, कितनी लड़ाइयाँ हुई और कितने मुकद्दमे हुए। विजनौर और नजीबादके आर्य लोग गढ़वाल और कमार्युका साथ देते रहे। मुझे खेद हुआ जब मैंने श्री पट्टाभि सीतारमैयाकी पुस्तकमें डोला-पालकीके विषयपर उन आर्य वीरोका नाम तक न देखा जो इस युद्धके आदि लड़ाका थे। अब तो उस प्रश्नकी जटिलता इतनी नहीं रही। इस प्रान्तके ग्रामोंमें आर्योंने इस विषयमें क्या किया है, उसका एक उदाहरण दूंगा। मैं बारह वर्ष हुए अलीगढ़के "मई" ग्राममें गया। वहाँके आर्य समाजके प्रचारक थे एक क्षत्रिय। नाम नहीं याद है। मेरा गाडीवान था चमार। जब हम भोजन करने बैठे तो वह चमार सकोच करने लगा। उसे भय था कि ठाकुर साहेब कुपित न हो जायँ। परन्तु ठाकुर साहबने एक थाली उसके सामने रखदी और कहा कि हम आर्यसमाजी हैं छूतछात और भेद-भाव नहीं मानते। इसी प्रकार उन दिनों मैं हाथरसके निकट एक ग्राममें व्याख्यान दे रहा था। मैंने कहा कि आप लोगोको चाहिए कि अछूत चमारोंको अपनाने का यत्न करें। मुझे तुरन्त बताया गया कि श्रोतागणमें कई सौ चमार विद्यमान थे। इस उत्थान और सुधारकी तीव्रताका श्रेय महात्मा गांधी और कांग्रेसको है।

यह है उत्तर प्रदेशके समाज-सुधारकी पिछली शताब्दीकी कहानी। यह समाज-सुधार नहीं अपितु सुधारका आरम्भ मात्र है, कुछ आशिक सुधार केवल मनोवृत्तिमें हुआ है। असली काम तो पड़ा ही हुआ है। इसके-दुक्के विधवा विवाहको स्त्री-अधिकार-रक्षण नहीं कह सकते। इधर-उधरके धूम-धामपूर्वक मन्दिर प्रवेशको अछूतोंके प्रश्नका

समाधान नहीं कह सकते । समाज-सुधार एक अलग-थलग वस्तु नहीं है । आर्थिक सुधार, नैतिक सुधार, धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार सभी एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं । काली और खुरदरी जडसे सुन्दर फूलोको अलग कैसे किया जा सकता है , गुलाबके काँटे भी हैं फूल भी । काँटे भी फूलोके हितैषी ही हैं । अतः सन्त सुधारकोकी दृष्टि सर्वतो-मुखी होनी चाहिए ।

इधर समाज-सुधारकी ओर कुछ उदासीनता आ गई है । देश भर का ध्यान केंद्रित है राजनीतिपर । इसीको हम परमपद समझते हैं और स्वाभाविक भी, परन्तु क्या इतने मात्रसे ही भविष्य बन सकेगा यह भीमासनीय है । हमने गत कालमें जो परिश्रम किया है वह व्यर्थ तो नहीं हुआ परन्तु उसको पल्लवित कहते हुए भी पुष्पित या फलीभूत नहीं कह सकते । समाज-सुधारकी योजना को वैज्ञानिक रीतिपर सोचना और चलाना है ।

— . ०० : —

महाराष्ट्रमें समाज-सुधारके सौ वर्ष

सौभाग्यसे समझिए या दुर्भाग्यसे, महाराष्ट्रकी स्थिति भारतके अन्य राज्योंकी अपेक्षा कुछ भिन्न है। खैबर घाटीसे हो या सागरी मार्गसे, हमारे देशपर हुए विदेशी आक्रमणों का सबसे कड़ा मुकाबला महाराष्ट्रमें हुआ। देश-भरमें फैल जानेवाले मुगल साम्राज्य को महाराष्ट्रमें मुंहकी खानी पडी। “शिवाजी न होते, तो सुन्नत होत सबकी” कविवर भूपणके कथनानुसार छत्रपति शिवाजीने ही स्वाधीन राज्यकी स्थापना कर राजनीतिक ही नहीं धार्मिक एव सामाजिक दृष्टिसे भी देशकी अवनतिको रोका। पोर्तुगीज, फ्रेंच और ब्रिटिश आदि पश्चिमी देशोंके आक्रमणका भी पहले बंगालमें और अन्त तक महाराष्ट्रमें मुकाबला किया गया। लगभग १८१८ में पेशवाईका अन्त हुआ और नारे भारतमें अंगरेजी राज कायम हो गया। अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बंगाल और महाराष्ट्र अंगरेजोंसे अत तक लडे। अंगरेजोंके खिलाफ विद्रोहकी भावना इन दो प्रान्तों में ही सर्वप्रथम प्रज्वलित हुई। अंगरेजोंकी बराबरीमें, यहाँका समाज पिछड़ा हुआ था। हारसे समाजमें नैराश्यकी भावना फैल गई और उनकी लौकिक अमन-चैनकी सुविधाओं से जनता अंगरेजी राजकी ओर आकृष्ट होने लगी। कई लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि अंगरेजोंका आगमन इस देशमें यो ही नहीं हुआ उसके पीछे कोई दैवी प्रेरणा होगी। अंगरेजोंके साथ-साथ ईसाई धर्मोपदेशक भी आ धमके। ईसाई धर्मकी आडमें यह भी प्रचार होने लगा कि यहाँका धर्म, पुराण, इतिहास, ज्ञान-विज्ञान और सस्कृति आदि सब धिनौना है। यहाँके सामाजिक रीति-रस्म हेय है। इन धर्मोपदेशकोंके प्रचार तथा यहाँके अंगरेजी पढे-लिखे लोगोंके अंगरेज अधिकारियोंके साथ बटते हुए मम्पकंने यह धारणा पैदा होने लगी कि हमारी इस अवनति एव अनावस्थाका कारण सामाजिक एव धार्मिक हीनता और मुघारोंकी कमी है। उन कमजोरियोंको हटाना हमारा प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए।

अन्य प्रान्तोंसे महाराष्ट्रकी स्थिति भिन्न होनेके और भी अनेक कारण हैं। अंगरेजी राजके प्रारम्भमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्य तथा नगीत आदि जीवनके हर क्षेत्रमें उच्च कोटिके कार्यकर्ता मामने आए। काप्रेमकी स्थापना इन्हीं प्रान्तोंमें हुई और उनके कर्णधारोंमें न्यायमूर्ति रानाडे, नामदार गोखले, दादाभाई नौरोजी आदि प्रमुख थे। समाज-सुधारके क्षेत्रमें लोकहितवादी अर्थात् गोपाल हरि देशमुख, गोपालरावजी आगरकर, न्यायमूर्ति रानाडे डा० भाटारकर आदि अग्रवा थे। स्वर्गज्य

के जन्मसिद्ध अधिकारका अमरमंत्र देनेवाले लोकमान्य तिलक यही पैदा हुए। अपने नित्यानवे वर्षोंमें आज भी महिलाओंकी शिक्षाके लिए काममें जुटे हुए महर्षि अण्णा साहव कर्वे उन्हीं दिनोंकी देन हैं। अनाथ महिलाओंके सुधारके लिए "सेवा सदन" नामक संस्थाकी नींव डालनेवाले श्री गोपालराव देवघर, रंगमंचके संस्थापक श्री भावेजी तथा अण्णा साहव किलॉस्कर, भारतीय चित्रपट सृष्टिके जनक श्री फालके महाराष्ट्रमें ही पैदा हुए। इन महापुरुषोंकी मालिका मैंने महाराष्ट्रका वडप्पन प्रकट करनेके लिए उद्धृत नहीं की किन्तु इस का उद्देश्य इतना ही दिखाना है कि अगरेजोंके सम्पर्कसे जो नव विचार यहाँ प्रकट हुए उनसे तुरन्त लाभ उठानेवाले महान् नेताओंका ताँता यहाँ लगा रहा। इनके ही कारण जीवनके हर क्षेत्रमें महाराष्ट्र प्रगतिपथपर अग्रसर हुआ। किन्तु यहाँ हमें सिर्फ यही देखना है कि समाज-सुधारके मार्गपर महाराष्ट्रने किस प्रकार यात्रा की।

चारों ओर फैले हुए अंधेरेको दोप देनेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नहीं कि अपना-अपना दिया जलाकर उसको दूर करनेकी कोशिश की जाय। इस प्रकार बंगालमें ब्राह्म-समाज, पंजाबमें आर्य-समाज और महाराष्ट्रमें प्रार्थना-समाज, सत्यशोधक-समाज तथा आगरकर जीके सुधारकी-सम्प्रदाय आदिके द्वारा समाजकी कमजोरियाँ नष्ट करनेका प्रयत्न शुरू हुआ। वैसे १८७५ में इसी प्रान्तमें वम्बईमें आर्यसमाजकी सबसे पहले स्थापना हुई थी। हिन्दू-संस्कृतिके इतिहासमें स्फूर्तिप्रद एवं उल्लेखनीय बात यह है कि समय-समय पर उसको नया रूप देनेके लिए नव-विचारकी परिपाटी चलानेवाले सुधारक बराबर पैदा होते रहे। भागवतवर्मी संतोके बाद महाराष्ट्रमें सामाजिक क्रांतिकी जोत जलाने वाले पाँच महर्षि पैदा हुए। ज्योतिर्वाफुले, लोकहितवादी, रानाडे, आगरकर और विठ्ठलराव शिंदे, ये हैं वे महर्षि-पंचक। वम्बई हाईकोर्टके न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर जीके कथनानुसार आधुनिक महाराष्ट्रके सामाजिक जीवनमें क्रांति पैदा करनेके लिए किए गए प्रयत्नोका जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें सामाजिक क्रांति के अगुवा वीरोमें ज्योतिर्वा फुलेका ही नाम सर्वप्रथम होगा। जाति-व्यवस्थापर कडा प्रहार करनेवाले वे पहले विद्रोही थे। दिनाक २७ नवम्बर १८२७ में आपका जन्म हुआ। आप बहुत पढे-लिखे नहीं थे, फिर भी अन्न एव दीन जनताके उद्धारके लिए आपने बड़ी लगनसे काम किया। सामाजिक समताके लिए आपमें असामान्य निष्ठा थी। उसी निष्ठासे स्वार्थ त्यागपूर्ण समाज-सेवाका व्रत आपने लिया और आजीवन उस को निवाहा। १८५८में आपने ही पूनामें हरिजनोके लिए पाठशालाकी स्थापना की। सवर्ण हिन्दुओंके पनघट हरिजनोंके लिए खेलनेका आन्दोलन सबसे पहले आपने शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपदावस्थामें पडो कुमारी तथा विधवा महिलाओंके लिए जच्चा घर भी आपने स्थापित किया। जच्चा-घरकी विशेषता यह थी कि प्रसूतिके बाद बच्चा वही छोडकर महिलाचली जा सकती थी। इसीसे प्रेरणा पाकर न्यायमूर्ति रानाडेके प्रयत्नसे १८७८ में पेंडरपुरमें अनाथ बालकाश्रम की स्थापना की गई। विधवा विवाहके भी आप पुरस्कर्ता थे। मराठा समाजके आप उद्धारकर्ता माने गए। उसी उद्देश्यसे आपने २४ सितम्बर १८७३ को सत्य-शोधक-समाजकी नींव डाली। सत्यशोधक-समाजकी उद्देश्य-पत्रिकामें यह लिखा है कि ब्राह्मण

भट, जोशी एव उपाध्याय आदिकी गुलामीसे शूद्र जनताकी मुक्ति करानेके हेतु समाजकी स्थापना की जा रही है । अपने धर्मान्वितापूर्ण ग्रन्थो द्वारा लगभग हजार वर्ष तक, शूद्रो को नीच ठहराकर उनका हर प्रकारसे शोषण किया गया । उनको जाग्रत करनेके लिए इस समाजकी स्थापना की गई थी । महात्मा ज्योतिर्वा फुलेकी कार्यपद्धतिमें सामाजिक तत्वज्ञान स्पष्ट रूपमें विद्यमान था । किन्तु उसके लिए हिन्दू-धर्म-शास्त्र, सस्कृति तथा ब्राह्मण-वर्गकी बदनामी व निन्दा करनेका काम इस समाजके नामसे अनेकोने अपने हाथमें ले लिया । इससे ब्राह्मण-ब्राह्मणैतरवादाने महाराष्ट्र भरमे भयानक रूप धारण कर लिया । ज्योतिर्वा वास्तवमें सच्चे मानवतावादी थे । आपके धर्मकी परिभाषा यही थी कि जो धर्म एक ही घरमें बौद्धधर्म पत्नी, इसाई-धर्म पति, इस्लाम-धर्म कन्या, एव सार्वजनीन सत्यधर्म पुत्र आदि परिवारको प्रेमसे बरताव करनेकी सीख देगा वही वास्तविक धर्म है ।

वचनपत्रमें ब्राह्मणोसे अपमानित एव त्रसित किए जानेसे आपके मनमें 'ब्राह्मण-द्वेष' की भावना प्रज्वलित हुई, ब्राह्मण वर्गकी प्रभुताके सम्बन्धमें आपने जो कुछ युक्तायुक्त विवेचन किया है वह ईसाई धर्मोपदेशकोकी हिन्दू-धर्म विषयक पुस्तकें पढकर किया था । इस कारण हिन्दू-धर्मकी बुराइयोकी ओर ही आपका ध्यान अधिक आकृष्ट हुआ और उनके विरुद्ध आपने तीव्र आन्दोलन किया ।

महाराष्ट्रके महान विचारक लोकहितवादी गोपाल हरि देगमुखजी के कार्यकी चर्चा करनेसे पहले मराठी पत्रकारिताकी नीव डालने वाले श्री बालशास्त्री जात्रेकर का स्मरण होना स्वाभाविक है (इ० सन १८१० से १८४६) । पैतीस वर्षकी आयुमें ही आप चल बसे । किन्तु इन अल्पावधिमें "दर्पण" साप्ताहिक और "दिग्दर्शन" मासिक पत्रिका के द्वारा महाराष्ट्रके तीन महत्वपूर्ण आन्दोलनोका बीज आपने बोया । समाचार पत्र विधवा-विवाह, पतित-परिवर्तन इन तीन क्षेत्रोंमें महाराष्ट्रमें आज जो प्रगति दिखाई दे रही है उसका श्रेय आपको ही है ।

राजनीतिक कार्यके लिए भारतमें कई गुप्त मगठन स्थापित हुए हैं किन्तु यह क्या कभी किमीने सुना है कि जाति-भेद जैमी मामाजिक मस्या नष्ट करनेके लिए गुप्त मंगठन की स्थापना की गई । महाराष्ट्रमें १८५० के लगभग श्री दादोबा पाडुरग प्रभृतिने "परमहंस-मडल" नामक एक गुप्त मस्या बम्बईमें स्थापित की थी । लगभग १५ साल तक यह सस्था कार्य करती रही किन्तु मस्याके मदम्योकी सूची जब प्रकट हो गई तत्र मामाजिक वहिष्कारके डरसे सभी सदस्य मस्यामे अलग हो गए । इन्की भ्रममें मे १८६७ में प्रार्थना-समाजका प्रादुर्भाव हुआ ।

महाराष्ट्रमे बडे पैमानेपर समाज-सुधारका प्रचार लोकहितवादीने किया । (१८२३ से १८६२) "प्रभाकर" नामक समाचार-पत्रमें प्रकाशित 'शत पत्रों' द्वारा निद्रित समाजको जगानेकी भरमक कोशिश लोकहितवादीने की । एक पत्रमें आपने लिखा है कि हिन्दू समाजमें जो मूर्खता बढ गई है, उने हटानेके हेतु ही अंगरेजोका यहाँ आगमन हुआ । अब हमको चाहिए कि अंगरेजोको गुरु समझकर उनके चरणोंमें बैठकर उनने अक्लमदीके कुछ पाठ सीखें, हमारी जो मस्कृति नष्ट-भ्रष्टनी दीव पटनी है, उनको पूर्व रूप प्राप्त करनेके लिए मानो ईश्वरी प्रेम्णाने अंगरेज भारतमें पधारे है ।

महाराष्ट्रमें समाज-सुधारके सौ वर्ष

५१३

यह पूछा जा सकता है कि लोक-हितवादीके अँगरेजी राजके सम्बन्धमें प्रकट किए गए विचारोका समाज-सुधारके साथ क्या सम्बन्ध है ? कुछ अर्थोंमें यह आशंका ठीक है । किन्तु लोक हितवादीने इन विचारो द्वारा सिर्फ यही बतलानेकी कोशिश की है कि हमारी पराधीनताका कारण हमारी सामाजिक हीनता थी । समाजकी हर एक कुप्रथापर आपने प्रहार किया । “शास्त्रात् रुद्धिर्वलीयसी” इस परिपाटीको तोड़कर “वृद्धिरेव वलीयसी” का संदेश आपने दिया । “आपने एक स्थानपर कहा है कि मनुका वचन और याज्ञवल्क्य ही क्यों ब्रह्मदेवका कहना भी ज्योका त्यो माननेसे पहले उसे वृद्धिकी कसौटी पर परख लेना चाहिए ।

हरिजनोके सम्बन्धमें भी आपके विचार प्रगतिशील थे । हरिजनोके प्रति आपके मनमें सहानुभूति थी और उनपर होनेवाले अन्यायके प्रति चिढ़ थी । आपने कहा था कि ब्राह्मण हरिजनोकी निन्दा करते हैं । उन्हें छूते तक नहीं । किन्तु अँगरेजोके साथ बड़े प्रेमसे बैठकर बातचीत करते हैं । वास्तवमें यदि धर्म शास्त्रकी दृष्टिसे देखा जाय तो अँगरेजोसे हरिजन हमारे अधिक निकट हैं । आपकी विशेषता यह है कि यूरोपीय राजनीतिक एव लोकसत्तात्मक राज्यक्रांतिका विवेचन आपने किया और समाजको नव-विचारोसे परिचित कराते हुए उसमें स्वातंत्र्य भावना जाग्रत की । आपका यह स्पष्ट कहना था कि अँगरेज यहाँ दो सौ वर्षसे अधिक नहीं रह सकेंगे ।

समाज-सुधारके संगठित आन्दोलनका पुरस्कार तथा सामाजिक परिपक्की नीव डालनेवाले थे न्यायमूर्ति रानाडे (१८४२ से १९०१) । महाराष्ट्रके ही नहीं समूचे देशके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक आन्दोलनका मूत्रपात न्यायमूर्ति रानाडेने अपने लेखो तथा व्याख्यानो द्वारा किया । इस लिए लोकमान्यने रानाडेका अभिनन्दन किया । लोकमान्य तिलकने उसके सम्बन्धमें लिखा है कि उस जमानेमें महाराष्ट्रकी अवस्था ठंडे गोलके समान थी । उस ठंडे गोलको किस प्रकार एवं किस किस्मकी गरमी दी जाय जिससे वह फिर सजीव होकर अपने हाथ-पैर हिला सके, इस पर रात दिन विचार कर, कतिपय उपायोसे उसको सजीव करनेके कठिन काममें जुट जानेवालोमें सर्वप्रथम थे 'माधवरावजी रानाडे ।

पूनामें वक्तृत्वोत्तेजक सभा, वसन्त-व्याख्यान-माला, औद्योगिक परिपद्, फीमेल-हार्ड स्कूल, नेटिव-जनरल-लाइब्रेरी, प्रार्थना-समाज, सार्वजनिक सभा आदि कई संस्थाओ के सूत्रचालक न्यायमूर्ति रानाडे थे । सामाजिक परिपदकी स्थापना एव उस परिपद का आन्दोलन उन्होने गुरु किया था । परिपदके हर अधिवेशनमें विभिन्न सामाजिक विषयों पर अभ्यासपूर्ण चर्चा वे किया करते थे । अवलाओकी उन्नतिके जो प्रयत्न उन्होने किए, उनमें उनके प्रेमार्द मनकी बेचैनी दिखाई देती थी । महिलाओपर पुरुषवर्गकी ओरसे चलाई जानेवाली हुकूमतके वे विरोधी थे । उनके विचारोकी आधारगिला वृद्धिवादी नहीं थी; न्याय, दया एवं शास्त्राधार प्रमुख था । पुरानी परंपराके वे अभिमानी थे इसलिए जब कभी आधुनिक समाज-सुधारकी बात छेड़ी जाती, तो वे उसके लिए कोई ऐतिहासिक परम्परा ढूँढ निकालते थे ।

उनके समयमें महाराष्ट्रके इतिहासमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसमे महाराष्ट्र में ही नहीं समूचे देशमें नया वायुमंडल पैदा हुआ । अँगरेजी राज देशमें स्थापित होने

के बाद पहले पचासवर्षकी कालावधिमें (लगभग १८७५ तक) समाज-सुधारकोने समाज को नवविचारोसे जाग्रत करनेकी कोशिश की किन्तु जिस समाजकी जागृतिके लिए वह प्रयत्न किया गया उसका रूप क्या था ? वह उच्च श्रेणीके ब्राह्मण वर्ग तथा अंगरेजी पढे-लिखे चद लोगो एव सरकारी नौकरो तक ही सीमित था । मध्यमवर्ग तथा किसान-मजदूरोका बहुजन-समाज उन सुधारोसे कोसो दूर था । इन तथाकथित उच्च श्रेणी के लोगोमें समाज-सुधारकी भाषा केवल बोलने तक सीमित थी । आचरण करनेका समय आनेपर सब रूढिवादी बन जाते थे । यहाँ तक विधवा-विवाहका पुरस्कार करनेवाले श्री रानाडे भी अपने पुर्नविवाहके समय पूरे रूढिवादी बन गए । पिताजीके दु खका बहाना बनाकर , उन्होने अपने विवाहका समर्थन किया । सामाजिक परिपद के जनककी जब यह हालत थी तब औरोका तो क्या कहना ?

अंगरेजी राज्यके पैर जमा लेनेके बाद महाराष्ट्रमे वासुदेव बलवत फडकेके नेतृत्व मे एक सशस्त्र विप्लव का असफल प्रयत्न हुआ । इसी कारण समाज नेताओके विचारोको विशिष्ट विधायक ढाँचेमें ढालनेकी कोशिश शुरू हुई । १८८५ मे बम्बईमें कांग्रेसकी नीव डाली गई । कांग्रेसके जनक ह्यू म साहवका मत यह था कि कांग्रेस अपने कार्यका शुभारम्भ सामाजिक सुधारोसे ही करे । किन्तु आपका यह मत टिक न सका । सामाजिक सुधारोसे राजनीतिक सुधारोको ही अग्रस्थान देनेकी आवश्यकता लोकमान्य तिलक और उनके राष्ट्रवादी सम्प्रदायने बना दी । लोकमान्य तिलकका अपने सहकारी श्री आगरकर से इसी प्रश्नपर मतभेद हुआ और अन्तमें आगरकरको तिलकका साथ छोड देना पडा ।

समाज-सुधारके सम्बन्धमे लोकमान्य तिलकने अपनी सैद्धान्तिक भूमिको स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज-रचना चाहै जिस प्रकारकी क्यो न हो जब तक स्वाधीनता एव राष्ट्रीयताका जोश देशमें जाग्रत है, तब तक समाजकी कमजोरियाँ राष्ट्रकी उन्नति व उत्कर्षमें रोडे नही अटका सकती । किन्तु वह जोश ही अगर नष्ट हो गया, तो वे कमजोरियाँ रावणके धनुषके समान सीनेपर गिरकर हँसीका कारण बन जायेगी । इसलिए देशके हितके लिए काम करनेवाले कार्यकर्ता का पहला प्रयत्न यह होना चाहिए कि देशके प्रति तथा अपनी सामाजिक सस्थाओके सम्बन्धमें अभिमानकी भावना जाग्रत रहे, फिर समाज रचना चाहे जिस प्रकार की क्यो न हो ।

पेडपरके तोतेकी ओरतीर चलानेकी द्रोणाचार्यकी आज्ञा होते ही, वीर अर्जुनको तोतेकी आँखके सिवा अन्य कुछ भी नही दिखाई दिया । लोकमान्य तिलकके वारेमें भी यही कहा जा सकता है । अंगरेजी हुकूमतके विरुद्ध जनतामें अमत्तोपकी भावना प्रज्वलित कर उन्हें उसके विरुद्ध खडा करना उनका लक्ष्य था । हर मौके और साधनका उपयोग लोकमान्यने उसी लक्ष्यकी पूर्तिके लिए किया । समाज-सुधारकी ओर उन्होने उमी दृष्टिसे देखा ।

लोकमान्य समाज-सुधारके प्रतिकूल नही थे । रूढिवादी, कर्मठ और कट्टर मनातनी भी नही थे । "किसरी" का काम तथा जन जागृतिका प्रयत्न ही उनकी 'मध्या' थी । हरिजनोके सम्बन्धमें उनके विचार कट्टर सुधारकोने भी अधिक प्रगतिशील थे । उन्होने बम्बईमें अपने एक भाषणमें कहा था कि *If a God were to tolerate untouchability I would not recognize him as God at all.* अगर ईश्वरको अस्पृश्यता मजूर है, तो मैं उसे ईश्वर ही माननेको तैयार नही ।

लोकमान्य तिलकका यह भी विचार था कि वर्तमान स्थितिमें यह आवश्यक है कि सामाजिक सुधारका उत्तरदायित्व समाजको ही उठाना चाहिए। विदेशी शासनकी सहायतासे किसी कानून द्वारा आवश्यक सुधार तुरन्त किया जा सकता है किन्तु इससे घातक प्रथाका श्रीगणेश होकर समाजकी उससे हानि होगी क्योंकि हम अपने ही हाथोंसे विदेशी शासनको अपनी अन्तर्गत व्यवस्थामें हस्तक्षेप करनेका अधिकार दे देते हैं।

श्री गोपालराव आगरकर (१८५६ से १८९५) महाराष्ट्रके समाज-सुधारके स्फूर्ति-दाता थे। आप व्यक्तिवादी तथा बुद्धिप्रामाण्यवादी थे। सामाजिक क्षेत्रके समान ही राजनीतिक क्षेत्रमें भी आपके विचार क्रांतिकारी थे। समाजवादी समाज-रचना के जो नारे आज लगाए जा रहे हैं वे आगरकरके लेखोंमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। आप चाहते थे कि पहले घरमें सब तरहके सुधार हो जिससे जनताको अगरेजोंसे लड़ने के लिए बल प्राप्त होगा। पर तिलकका कहना था कि जिस घरकी बात आगरकर कर रहे हैं वह घर ही अपना नहीं है। अँगरेजोंको यहाँसे हटा देनेपर ही जनताको वह घर प्राप्त हो सकेगा और जनता फिर अपनी प्रगतिके लिए आवश्यक सुधार कर लेगी। एक था राजनीतिक नेता तथा राष्ट्रीय दल सगठनकर्ता और दूसरा था सैद्धांतिक संस्कृति सुधारक। लोकमान्य थे देशभक्त पंडित तो आगरकर सुधारवादी सुधारक कवि।

न्यायमूर्ति रानाडेका था नरम सर्वांगीण सुधारवाद, आगरकरका था गरम सर्वांगीण सुधारवाद और चिपलूणकर तथा लोकमान्य तिलकका था गरम राजनीतिक राष्ट्रवाद। इस प्रकार विचारोंके तीन स्वतंत्र प्रवाह उन दिनोंमें थे। १८९५ के पूर्व महाराष्ट्रमें १०-१५ साल जो विचार-मथन हुआ उसमें इन तीनों विचार प्रवाहोंकी त्रिधारा थी। बादमें आगरकरके विचारोंकी सरस्वती लुप्त हो गई। रानाडेका नरम दल और तिलक का गरम दल महाराष्ट्रमें कार्य करते रहे। पर उनमें भी आगे चलकर तिलकके गरम दलने सब और अपना सिक्का जमा लिया।

१८९८से १९०० तक की यात्रा अब हम कर चुके हैं। लोकमान्यके प्रभावशाली नेतृत्वसे अब राजनीतिक विचारोंकी प्रधानता होनेपर भी समाजमें फिरसे नव जागृति पैदा होने लगी। शुरूमें वह जागरण सिर्फ उच्च श्रेणीके ब्राह्मण वर्ग तक सीमित था। अब मध्यम श्रेणीका समाज भी उसमें शामिल हुआ। १८९४ में लोकमान्यने गणेशोत्सवको सामूहिक रूप दिया। १८९५ में शिवाजी-महोत्सवकी नींव डाली। इस प्रकार जनताकी धर्म-भावना एवं ऐतिहासिक विभूतिके प्रति होनेवाली पूज्य भावनाको परिष्कृत कर उसका उपयोग उन्होंने राजनीतिक आन्दोलनको बल-प्राप्त करानेके लिए किया।

१८८५ में स्थापित कांग्रेसके सूत्रचालकोंमें यह एक विचारधारा थी कि सामाजिक सुधारका ही कार्यक्रम पहले हाथमें लिया जाय। किन्तु वह विचारधारा टिक न सकी। दो साल बाद १८८७ में मद्रासमें कांग्रेसके साथ इन विचारोंके सूत्रचालकोंने सामाजिक परिपद्की स्थापना की। १९०१ तक यानी अपनी मृत्यु तक न्यायमूर्ति रानाडेने परिपद् का सूत्रचालन किया। १९१७ तक कांग्रेस अधिवेशनके साथ सामाजिक परिपद् होती रही। १९१८ में कांग्रेससे नरम दलके लोग अलग हो गए और उनके नेशनल लिबरल फेडरेशन के साथ भी सामाजिक परिपद् होने लगी। लगातार १० साल तक क्रम चला। उसके

वाद राजनीतिक आन्दोलनपर देशका ध्यान केन्द्रित हो जानेसे सामाजिक परिपद् फिर कांग्रेसके साथ होने लगी, परन्तु उसका सिलसिला अधिक वर्ष नहीं चल सका। अतर्जातीय भोज इस परिपद्का आवश्यक अंग होता था। नागपुरमें हुई सामाजिक परिपद् में भाषण करते हुए लोकमान्यके अन्यतम साथी दादा साहब खापर्डेने कहा था कि सुधारकी प्रेरणा दिलसे होनी चाहिए। सुधारोके लिए जब अन्य मार्ग खुले हैं, तो कानून का उपयोग करना लाभकारक नहीं होगा। उससे तो विरोधके लिए विरोध पैदा होता है। सुधारोको अपने बर्तवमें व्यक्त कर उससे व्यक्तके स्वावलम्बनको बढावा मिलना चाहिए। किन्तु सुधारकी यह उद्देश्यपूर्ति कानून द्वारा विलकुल भी नहीं हो सकती। लगभग २५ सालके बाद बम्बईमें १९१२ में प्रातिक समाज-सुधार-परिपद् हुई। ५० सालके समाज-सुधारके कार्यका सिंहावलोकन किया गया। सामाजिक सुधारोके आन्दोलनका लक्ष्य निश्चित करनेके हेतु एक उप-समिति बनाई गई।

१८९० में लोकमान्यकी ओरसे एक निवेदन प्रकट किया गया था जिसमें कहा गया था कि विवाहके लिए लडकी की आयु १६ और लडकेकी २० हो, उममे कम उम्रमें विवाह न किया जाय। ४० वर्षकी आयुके बाद पुरुष विवाह न करे। अगर उसे करना ही हो तो वह विधवा-विवाह करे। गराव पीना बंद किया जाय। दहेजकी प्रथा बंद हो। हर एक आदमी अपने आयका दमवाँ हिस्सा सार्वजनिक काममें लगाए। लगभग ६५ साल पूर्व व्यक्त किए गए तिलकके इन विचारोको आज स्वाधीनता प्राप्त हुए ९ साल बीतनेपर भी स्वीकार नहीं किया जा सका है। विवाहकी आयु-मर्यादाके बारेमें खीचतान बराबर चल रही है। शराबखोरी अब भी बन्द नहीं हुई। दहेज की कुप्रथा ने तो समाजके नाको दम कर रखा है और आचार्य दिनोवा समाजमें जीवन-दान, श्रमदान व सम्पत्तिदानका उपदेश आज भी कर रहे हैं। इन विचारोंसे स्पष्ट है कि तिलक समाज-सुधारके प्रतिकूल नहीं थे। उनका कहना सिर्फ यह था कि हमें जन-समूहमें सुधार करना है। पर कहीं सुधारके हेतु जन-समूहमें फूट न पड जाय।

चिपलूणकरकी प्रेरणासे तिलक और आगरकरने जिम राष्ट्रीय शिक्षाकी नींव डाली थी वह विकसित होती गई। महिलाओकी शिक्षाके लिए भी पाठशालाएँ खुली। १८९६ में पूनामें अनाथ-बालिकाश्रम (हिन्दू विडोज होम) की स्थापना की गई। १९०८ में श्री गोपाल कृष्ण देवघरने सेवासदनकी नींव डाली। राजनीतिक एव सामाजिक कार्यकर्ताओके साथ साहित्यिकोका भी समाज-सुधारमें बडा हाथ रहा। श्री हरि नारायण आपटेके सामाजिक उपन्यासोने मध्यम श्रेणीके समाजमें खलवली मचा दी। रग-मचने भी और खासकर 'शारदा' जैसे नाटकोने समाज-सुधारके कार्य में बडी मदद की। फिर भी यह सब जागरण मध्यम श्रेणीके समाज तक ही सीमित रहा। सामाजिक विचारोकी अपेक्षा तिलकके राजनीतिक विचारोसे सर्वप्रथम किमान मजदूरमें अर्थान् महाराष्ट्रके बहुजन-समाजमें जागृति पैदा हुई। १९०८ में लोकमान्यको राजद्रोहके अभियोगमें ६ सालकी सजा हुई और उनको माडने भेज दिया गया। बम्बईके मिल-मजदूरोंने लोकमान्यके प्रति अपना प्रेम तथा आननके विरुद्ध अपना अमनतोप प्रकट करनेके लिए हडताल की। राजनीतिक कारणसे हुई वह पहली स्वयं स्फूर्त हडताल थी जिसे मुनकर लेनिनने भी कहा था कि भारतके किमान मजदूरोंके जाग्रत होनेकी यह निगानी है।

~ चार साल पूर्व १९५३ में पूनामें महाराष्ट्र-सामाजिक परिषद्का फिरसे श्रीगणेश हुआ। उस परिषद्के सभापति थे वम्बई हाईकोर्टके न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गडकर। आपने अपने भाषणमें कहा था कि महाराष्ट्रमें आत्माभिमान तथा देशाभिमान जाग्रत करनेका काम चिपलूणकरने अपनी तेज लेखनीसे किया। उन्हें अगर स्वामी दयानन्द सरस्वती या ज्योतिर्वा फूलेके विचारोके ध्येयवादके लिए कुछ न कुछ सहानुभूति एवं श्रद्धा होती और तिलक आगरकर एक-दूसरेके प्रति स्पर्धा करनेके वजाय सहकारी होते और उनके सयुक्त नेतृत्वमें सामाजिक तथा राजनीतिक जागरणका आन्दोलन गुरु रहता, तो महाराष्ट्रका ही नहीं समूचे देशका इतिहास बदल जाता। देशके स्वाधीन होनेके बाद सामाजिक प्रगतिका रथ जो अटकका हुआ या बँसा हुआ दिखाई देता है, वह न दीखता पर "Of all sad words of pen and tongue the saddest are these : 'It might have been'". इस कविके वचनके अनुसार "अगर ऐसा होता तो" ऐसे विचारोको मनमें स्थान देना व्यर्थ है।

न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकरके इन विचारोकी तरह मन कभी-कभी सोचने लगता है कि महाराष्ट्रके आद्य क्रांतिकारी सुधारक महात्मा फुलेका वचन मे ब्राह्मणवर्ग से अपमान न होता, आप इसाई धर्मोपदेशकोके चगुलमें फँस न जाते और कोल्हापुरके छत्रपति महाराज के वेदोक्त प्रकरण में महाराष्ट्र के सुधारकोने उनका साथ दिया होता तो महाराष्ट्रमें ब्राह्मण ब्राह्मणेतर वाद कभी न पनप पाता और महाराष्ट्रका स्वरूप बदल जाता परन्तु होनी तो होकर ही रहती है।

मानवतावादी महात्मा ज्योतिर्वा फुलेने १८७३ में सत्यशोधक समाजकी नीव डाली और आजीवन समाजकी सेवा की किन्तु १८८६ में आप चल बसे और आपके साथ समाज-सुधारका कार्य रुक गया। १९१२ तक कोई प्रभावशाली नेता समाज-सुधार के क्षेत्रमें प्रकट नहीं हुआ। इसी बीच १९०२-३ में कोल्हापुरमें निर्माण हुए वेदोक्त प्रकरण से सत्यशोधक समाजको नया जीवन मिला। कोल्हापुर के साहू महाराजकी यह इच्छा थी कि मराठा क्षत्रिय होनेसे उसके सभी संस्कार ब्राह्मणोंके समान वेदोक्त विधिसे होने चाहिए, न कि पुराणोंकी पद्धतिसे। कोल्हापुरके साहू महाराजको जिस परिवारसे गोदमें लिया गया था वह मराठाओकी परम्पराके अनुसार 'कुलीन' क्षत्रिय घराना नहीं था। कोल्हापुरके ब्राह्मणोंके विरोधका कारण यही था। इसका निर्णय शंकराचार्यजी से करवानेका प्रस्ताव किया गया था पर करवीर स्थित पुरोहितोका यह कहना था कि इसमें दखल देनेका श्री शंकराचार्यको कोई अधिकार नहीं है। फिर भी सकेश्वर पीठके आचार्य ब्रह्मनाल स्वामीने यह आदेश दिया कि महाराज कोई भी संस्कार वेदोक्त विधिसे नहीं कर सकते। महाराजके आत्माभिमानपर सामाजिक विपमता की यह पहली चोट थी। कोल्हापुरमें स्वतंत्र धर्मपीठकी स्थापना की गई। संकेश्वर धर्मगुरुसे सम्बन्ध विच्छेद किया गया। ब्राह्मण आचार्य के बदले ब्राह्मणेतर धर्मगुरु की स्थापना करनेकी प्रार्थना महाराज से १९०४ में की गई। आगे चलकर करवीर में क्षत्रिय धर्मगुरु की स्थापना हुई और इसी आचार्य द्वारा वेदोक्त विधि गुरु करदी गई। १९१२ में २१ अगस्तको कोल्हापुरमें सत्यशोधक समाजकी स्थापना की गई और ब्राह्मण पुरोहितके बिना ही व्याह-विधि सम्पन्न करनेके आन्दोलनको बल मिला।

१९१३ में केवल कोल्हापुरमें १५१३ विवाह-संस्कार बिना ब्राह्मण-पुरोहितके, वेदोक्त पद्धतिसे किए गए ।

समाज-सुधारके आन्दोलनका केन्द्र पूनासे कोल्हापुर चला गया । साहू महाराज की सहायतासे समाज-सुधारका आन्दोलन तो पनपने लगा किन्तु उसका महान तत्व ही पैरो तले कुचल दिया गया । महात्मा जोतिबाकी विचारधारा यह थी कि शिव और जीवकी एकतामें किसी साध्यकी आवश्यकता नहीं या ईश्वर और भक्तके बीच किमी आदतिए व दलालकी जरूरत नहीं । केवल ब्राह्मण-पुरोहितके स्थानपर क्षत्रिय पुरोहित स्थानापन्न होनेसे सामाजिक समता प्रस्थापित नहीं हो सकती थी । १९१७ में खामगाँव (विदर्भ)में साहू महाराजकी अध्यक्षतामें मराठा-शिक्षा-परिषदका अधिवेशन हुआ । इसी ममय मान्टेग्यूके राजनीतिक सुधारकी घोषणा हुई थी । उसका निर्देश कर साहू महाराजने कहा था कि विशिष्ट लोगोके ही हाथमें अधिकार न चले जायँ, इसलिये करीब १० साल तक सभी जातिके प्रतिनिधि लिए जायँ । सत्य-शोधक समाजके आन्दोलनका खल प्रधानतया ब्राह्मणवर्गके विरुद्ध था । बहुजन-समाजमें यह धारणा पैदा करनेकी कोशिश की गई कि छत्रपति शिवाजी महाराजने स्वाधीन राज्यकी स्थापनाकी थी किन्तु पेशवाओंने उसे हडपकर अन्त में डुबा दिया । अंगरेजोका राज स्थापित होनेपर फिर वही ब्राह्मण-समाज उनके कारोबारमें अधिकारपद पर आसीन हो गया । मराठा-समाज के पिछड़ा रहनेका कारण भी ब्राह्मण वर्गको बताया गया । कुछ समय तक ब्राह्मण-विरोधका यह जहरीला प्रचार यहाँ तक बढ़ गया कि देहातोमें उनके लिए जीवन बिताना दूभर हो गया । किन्तु राजनीतिक विचारोके वायुमण्डलमें वह जहरीला प्रचार लुप्त हो गया । महात्माजीकी हत्याके बाद महाराष्ट्रमें जो अग्निकांड हुआ, उसका निशाना प्रधानतया ब्राह्मणवर्ग ही था । यह स्पष्ट है कि उम मौकेका उपयोग परम्परागत ढेप का बदला लेनेके हेतु किया गया ।

१८८५ में कांग्रेसकी स्थापना की गई । कांग्रेसके नेतृत्वकी बागडोर भी ब्राह्मण-वर्गके हाथोंमें चली गई । इस कारण कांग्रेसको ब्राह्मण-वर्गकी सस्था समझकर मराठा 'समाज' उससे दूर रहा । क्रांतिकारी आन्दोलन पेशवाईके पुनरुज्जीवनके लिए ही है इस आकांक्षासे मराठा-समाजके कार्यकर्ता उससे न केवल दूर रहे, किन्तु उमके विरुद्ध उन्होंने विदेशी शासनको सहायता देनेमें भी सकोच नहीं किया । लगभग १९२० तक यही स्थिति रही । तब देशका सामाजिक स्वरूप राजनीतिक स्वरूपमें परिणत हो गया । १९२०, १९२३ तथा १९२६ में कांसिलोके चुनावमें ब्राह्मणोतर दलको सफलता मिली । कांग्रेसकी असहकार नीतिके कारण अनेक प्रान्तोंमें इम दलके मन्त्रिमंडल, मुस्लिम प्रतिनिधियोंकी सहायतासे स्थापित हुए । श्री भास्करराव जाधव जैसे कार्यकर्ताके हाथ बम्बईका शिक्षा मन्त्रालय आ जानेसे ब्राह्मणोतर समाजमें आपने शिक्षा का विशेष प्रचार किया । अकेले मत्तारा जिलेमें छात्रोकी संख्या ३० हजारमें ६० हजार पर पहुँच गई । १९२० से ३० तकके १० सालके ममाज-मुधारके कार्यका मिहावलोकन किया जाय, तो यह दिखाई देता है कि अपने समाजके हितके लिए इस दलने बहुत मराहनीय कार्य किया । सरकार शासकीय नौकरियोंका दरवाजा खोल दिया गया । इम प्रकार आर्थिक एव शैक्षणिक दृष्टिसे ब्राह्मणोतर समाजमें विद्योप प्रगति हुई । उममें

आत्माभिमानकी भी प्रबल भावना पैदा हुई । ब्राह्मणेतर आन्दोलन दक्षिणमें बम्बई, नागपुर, पूना और मद्रासमें अधिक प्रबल था । इन सभीमें ऐसा ही हुआ ।

१९२० में देशके नेतृत्वकी वागडोर गाँधीजीके हाथोंमें आ गई । गाँधीजीने राजनीतिके साथ समाज-सुधारका अद्भुत मिश्रण इस ढंगसे किया कि लोकमान्यको उससे जनतामें बुद्धिभेद पैदा होनेकी जो आशका थी वह निर्मूल सिद्ध हो गई । अपने रचनात्मक कार्यक्रममें उसको उन्होंने प्रमुख स्थान दिया । ब्राह्मणेतर समाजपर भी इसका अद्भुत असर पड़ा । १९३८ के अक्तूबरमें नागपुरमें विदर्भ-मध्यप्रान्त-ब्राह्मणेतर-परिपट्ट हुई । लगभग २००० कार्यकर्ता परिपट्टमें उपस्थित थे । श्री केशवराव जेधेने अपने अग्र्यक्षीय भाषणमें कहा था कि सामाजिक समता प्रस्थापित करनेका कार्यक्रम सत्यशोधक समाजका था । किन्तु राजनीतिक क्षेत्रमें महात्माजीके आगमनसे सत्यशोधक समाजका कार्यक्रम ही मानो काग्रेसने स्वीकृत किया है । इसलिए अब काग्रेससे दूर रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं । १९३५ के कानूनसे हिन्दी जनताको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उनमें हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता । फिर भी भारतकी ३॥ करोड़ जनता को मतदानका हक प्राप्त हो गया । उन हिसाबसे महाराष्ट्रके ११ जिलोंमें लगभग २० लाख मतदाता होंगे । अब देशका कारोबार जनमतपर ही निर्भर है । अतः प्राप्त अधिकारका उपयोग बहुजन समाजके हितके लिए किया जा सकेगा । उसी दृष्टि में मैं अपने हमराहियोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे सब काग्रेसमें शामिल हो जायँ । सत्य-शोधक-समाजके तत्त्वाधानमें काम करनेवाला महाराष्ट्रका ब्राह्मणेतर समाज काग्रेसमें समाविष्ट हो गया ।

सत्यशोधक-समाजकी स्थापना जिस प्रकार मराठा-समाजकी प्रगतिके लिए थी उसी तरह हरिजनोके उद्धारके लिए भी थी । महात्मा फुलेने आजीवन अस्पृश्योद्धारके लिए प्रयत्न किया । महात्माजीके नेतृत्वमें भी महाराष्ट्रमें हरिजनोद्धारके लिए भरसक कोशिश की गई , मन्दिर-प्रवेशके लिए पूनाके इतिहास-प्रसिद्ध पर्वती-मन्दिरमें तथा नामिकके ल्यातनाम राम-मन्दिरमें सत्याग्रह हुए जिनमें महाराष्ट्रके कई कार्यकर्ता शामिल हुए थे । चंद साल पहले पंढरपुरमें मन्दिर प्रवेशके लिए स्वर्गीय साने गुरुजी ने तो अनगन गुरु कर अपने प्राणोकी बाजी लगा दी थी । हरिजनोद्धारके लिए आजीवन कष्ट उठाने वाले स्वर्गीय विठ्ठलरामजी गिंदेके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किए बिना आगे बढ़ना असम्भव है । एकही वाक्यमें कहा जाय, तो महाराष्ट्रमें महिला-शिक्षाके लिए महर्षि अण्णा-साहव कर्वेने जो तपस्याकी वही कर्मवीर गिंदेने हरिजनोकी सेवाके लिए की । अपना जीवन कार्य समझकर शिंदेने अपना तन, मन, धन उसमें लगा दिया । १९२४ से १९३७ तक क्रांति-वीर सावरकर रत्नगिरिमें नजरबन्द थे । उन्होंने उन दिनोंमें वहाँ हरिजनोके उद्धारका सराहनीय कार्य किया । वहाँ पतित-पावन-मन्दिरकी नीव डालकर उन्होंने मन्दिर-प्रवेश का सफल प्रयत्न किया । सार्वजनिक रूपमें हरिजनोके साथ मह-भोजनका आन्दोलन भी उन्होंने शुरू किया, जो आज भी बम्बईके श्री अनन्त हरि गर्द चला रहे हैं । सावरकरने "किलोस्कर" मासिक पत्रिकामें एक लेख-माला भी लिखी । उसमें अस्पृश्यता निवारण के अलावा हिन्दू-समाजकी रुढ़िवादी परम्पराओंके विरुद्ध भी विचार प्रकट किए ।

महर्षि कर्वेके कारण महाराष्ट्रमें महिलाओंने शिक्षाके क्षेत्रमें उल्लेखनीय प्रगति की । अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा महाराष्ट्रकी महिलाओंको बहुत अधिक स्वाधीनता है । यहाँ परदेकी प्रथा नहीं है । शिवाजी महाराजसे लेकर पेशवाओं तक महाराष्ट्रीय महिलाओं ने समाजमें ही नहीं समरभूमिमें भी अपना तेज प्रकट किया है । वही परिपाटी आज भी सुचारु रूपसे चालू है ।

हिन्दू-समाजकी कमजोरीके जो कतिपय कारण हैं, उनमें निवृत्ति भी एक है । साधु-महात्मा बनकर भोलीभाली जनताको अपने चगुलमें फँसानेवालोंके विरुद्ध भी आन्दोलन किया गया । श्री महादेवशास्त्री दिवेकरका इसमें प्रथम स्थान है । आपने "कि लॉस्कर" मासिक पत्रिकामें एक लेखमाला लिखकर इस गुरुडमपर कडा हमला किया । उसके पहले १९११ में श्री रंगकर पराजपेने "टाइम्स" में एक पत्र लिखकर इस आन्दोलन का सूत्रपात किया था । उसके बाद केसरीमें 'भोदू गुरुची साथ' इस शीर्षकसे टीका-टिप्पणी की गई । अज्ञान एवं दारिद्र्य इस कुप्रथाकी जडमें है उसे नष्ट करनेपर समाज इनके हाथोंसे छूटकारा पा सकेगा ।

महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे और न केवल मत ही थे । देशके नेतृत्वकी बागडोर अपने हाथोंमें लेनेपर १९२१ की "यग इंडिया" में *Neither a saint nor a politician* शीर्षकसे आपने लिखा था कि राजकरणको धर्म की पृष्ठभूमिपर स्थापित करनेका प्रयोग मैं अपने मित्रोंकी सहायतामें कर रहा हूँ । सब धर्मोंमें हिन्दू धर्म मुझे अधिक प्रिय है किन्तु मेरी धर्मकी परिभाषा हिन्दू धर्मसे भिन्न और श्रेष्ठ है । महात्माजीने सर्वश्रेष्ठ मानव-धर्मका अधिष्ठान अपनी राष्ट्रीयताको दिया । मानवके हृदयमें असत्यसे सत्यकी ओर, अज्ञानसे ज्ञानकी ओर तथा अपूर्णतासे पूर्णता की ओर जानेकी एक सनातन प्रवृत्ति है । उसीसे मनुष्यकी स्वार्थपूर्ण अहंकारकी भावना नष्ट होकर वह परार्थी लोकसेवक बन जाता है । उसीको महात्माजी धर्मप्रवृत्ति या धर्म कहते थे । हिन्दू-समाजकी विपमता नष्ट करनेके प्रतीक के रूपमें महात्माजीने अस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजनोद्धारको राष्ट्र निर्मितके रचनात्मक कार्यमें अग्रस्थान दिया । हिन्दुओंसे हरिजनोको अलग करनेकी विदेशी शासनकी चाल अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर महात्माजीने विफल करदी । लोकमान्य तिलक, महात्मागांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे एकके बाद एक प्रभावशाली नेता पानेवाला भारत जैसा कोई विरला ही देग होगा । इन भाग्य-विधाताओंके भगीरथ प्रयत्नसे १९४७ में देग स्वाधीन हुआ ।

१८७८ से देशके स्वाधीन होने तक की महाराष्ट्रकी समाज-सुधार मन्वन्धी प्रवृत्तियों का सरसरी तौरपर सिंहावलोकन करनेका प्रयत्न यहाँ किया गया है । देशको आजाद हुए अब ६ साल बीत चुके हैं । राजनीतिक क्रांति पूरी होनेपर भी सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति हुए बिना स्वाधीनता अधूरी ही ममझी जाएगी । इनीलिए तो अब समाजवादी-समाजकी स्थापना करने की कोशिश शुरू हुई है । विदेशी शासनको समाजके आन्तरिक व्यवहारमें हस्तक्षेप करनेका मौका न मिले इनी कारण कानूनमें समाज-सुधार करनेका विरोध किया गया था । अब जनताका शासन हो जानेमें समाज-सुधारके हेतु बनाये जानेवाले कानूनोका स्वागत किया जाता है । अस्पृश्यता-निवारण और मद्य-निषेधका उल्लेख मविधानमें कर दिया गया है । हिन्दू-

कोड जैसे विवेकों द्वारा महिलाओंको समान अधिकार देना सफल प्रयत्न किया गया है। इंग्लैंड राज्यमें कानूनसे शराब तथा वृद्धपत्नी विवाहपर प्रतिबन्ध लगाया गया है। सारांश यह है कि समाज-सुधारका प्रयत्न अब सुधारकोके द्वारा ही नहीं, शासनके द्वारा भी किया जा रहा है।

फिर भी यह कहना आवश्यक है कि आज भी समाज-सुधारकोके प्रयत्नकी वैसी ही परम आवश्यकता है। आजादीके बाद महाराष्ट्रकी सामाजिक स्थितिका विचार करने पर क्या दीख पडता है? समाज-सुधारका विचार करते समय प्रधानतया जाति-संस्था, विवाह-संस्था तथा कुटुम्ब संस्थाका विचार करना पडता है। जाति निर्मूलन का गुप्त या प्रकट प्रयत्न हुआ किन्तु आज भी समाज जाति बंधनोंमें पूर्ववत् जकडा हुआ है। लगभग ३०० जातियाँ महाराष्ट्रमें मौजूद हैं। विवाह-संस्थामें भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कई वर्षोंसे "रजिस्टर्ड" विवाह करनेकी सुविधा होनेपर भी परम्परागत संस्कारयुक्त विवाह ही होते हैं। विवाहके सवधमें व्यक्तिगत रूपसे पूर्ण स्वतंत्रता है जिसमें कुछ अतर्प्रा तीय तथा अंतर्जातीय विवाह हुए हैं, किन्तु उनके पीछे समाज-सुधारकी जैसी चाहिए वैसी भावना नहीं है। सुशिक्षित समझे जानेवाले ब्राह्मण-वर्ग में भी विवाहकी बात करते समय उप जातिका विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुजन समाजमें भी वही बात है। छुआछूत सार्वजनिक रूपसे बहुत कम हो गई है यहाँ तक कि पुनामें जूतोंका व्यापार ब्राह्मण करने लग गये हैं। फिर भी घरोंमें परंपरागत संस्कार कायम हैं। कानूनसे अस्पृश्यता नष्ट हो चुकी है किन्तु प्रत्यक्ष रूपमें वह आज भी विद्यमान है। विधवा-विवाहको सहूलियत होनेपर भी विधवा-विवाह मंडल द्वारा हुए विवाहों की संख्या उल्लेखनीय नहीं है। बाल-विवाह बढ़ हो चुका है। किन्तु अब नई समस्या प्रौढ-विवाहकी पैदा हो चुकी है। युवावस्थामें ठीक समयपर विवाह न होनेसे अनेक समस्याएँ समाजके सामने उपस्थित हो गई हैं। बाल-विवाह बन्द हो जानेसे विधवाओं की संख्या बढ़नी रक गई है। किन्तु प्रौढ विवाहोंसे अब परित्याक्ताओंकी नई समस्या पैदा हो गई है। कुटुम्ब-पद्धतिमें भी काफी अंतर पैदा हो गया है। व्यक्तिगत स्वा-तंत्र्यके इस जमानेमें विभक्त परिवारकी मस्या बढ़ती ही जाती है जिसमें समाज-संगठनमें एक प्रकारसे शिथिलता पैदा हो रही है।

तर्क तीर्थ श्री लक्ष्मणगास्त्री जोशीने कहा है कि महाराष्ट्रके सुशिक्षितोंके बीच जीवन की विशेषता यह है कि उनके विचार और व्यावहारिक जीवनमें विमंगल दिखाई देती है। महाराष्ट्रके सुशिक्षित आदमी के विचार बुद्धिवादी, व्यापक तथा मूर्तिभजक और क्रांतिकारी होते हैं, नए सुधार तथा विज्ञानका स्वागत करनेके लिए वह लालायित रहता है किन्तु उसका व्यावहारिक जीवन परम्परागत रूढ़ियोंमें ही घूमता रहता है। विचार और वर्तव में मेल नहीं है। मस्तक हस्तकके रूपमें काम नहीं करता। विचारोंसे प्रकट होनेवाली भावनाको कार्यमें परिणत करनेवाली सामाजिक स्थिति उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सामाजिक स्थितिमें सुधारके लिए प्रयत्न करनेवाली सामाजिक मस्या की महाराष्ट्रमें आज विशेष आवश्यकता है।

महाराष्ट्रके ख्यातनामा अर्थशास्त्री प्राचार्य धनंजयराव जी गाडगिलके अनुसार हमारी सामाजिक स्थिति ही भारतकी प्रगतिमें बाधक हो रही है। मराठा, महार

(अस्पृश्य जाति) और ब्राह्मण ये ही महाराष्ट्रके प्रमुख तीन घटक हैं। उनमें परस्पर स्नेहपूर्ण, सहृदय सम्बन्ध कायम हुए बिना महाराष्ट्रकी प्रगति असम्भव है। किन्तु महाराष्ट्रके हरिजनोके नेता स्वर्गीय श्री भीमराव अम्बेदकरने बौद्ध धर्म स्वीकार करने की नई प्रणाली चला दी है। बौद्ध धर्म स्वीकार करके भी हिन्दू-धर्मसे पृथक् नहीं हुआ जा सकता क्योंकि बौद्ध धर्म भी हिन्दू धर्मका ही एक अंग है। पहले भी अनेक हरिजनोने ईसाई तथा मुस्लिम धर्मोको स्वीकार किया किन्तु वहाँ भी उन्हें सतोप नहीं मिला क्योंकि धर्मान्तरके बाद भी उनमें जातिभेद ज्योका त्यो रह गया। इसीलिए तो सामाजिक सुधारकी आज भी आवश्यकता है। जडको सुधारे बिना शाखाओ और पत्तियोको सुधारना कुछ भी अर्थ नहीं रखता।

— ०० —

मध्य-प्रदेशमें समाज-सुधार

नवीन प्रदेशका निर्माण होनेसे पहले यह प्रदेश मुख्यतः तीन भागोंमें विभक्त था । एक वरार, दूसरा मराठी-भाषी नागपुर और तीसरा हिन्दी भाषी । सरकारी काम-काजके लिए केवल दो भाग थे । एक वरार और दूसरा सेंट्रल प्रोविन्सेज । अब वरार तथा विदर्भको उससे अलग करके बम्बई राज्यमें मिला दिया गया है । महाकोशल को मध्य भारत, भोपाल और विंध्य से मिलाकर नए मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया है ।

सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगतिका वरार तथा नागपुरका इतिहास महाराष्ट्रके इतिहासके साथ जुड़ा हुआ है । यहाँके नेता, कार्यकर्ता, समाचारपत्र तथा सार्वजनिक संस्थाएँ सबकी सब पूनासे स्फूर्ति, चेतना एवं प्रेरणा प्राप्त करती थी । अमरावती के दादा साहब खापर्डे, यवतमालके श्री माधव श्रीहरि अणे और नागपुरके डाक्टर मुजे आदि पूनासे ही प्रेरणा प्राप्त किया करते थे । इसलिए वरार अथवा विदर्भकी समाज-सुधार सम्बन्धी प्रवृत्तियोंका इतिहास महाराष्ट्रके इतिहाससे भिन्न अथवा स्वतंत्र नहीं है । सम्भवतः यही कारण है कि इस प्रदेशमें ज्योतिर्बा फूले, गोपालराव आगरकर, न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे तथा मर्ह्य अण्णा साहब कर्वे सरीखा कोई पहली श्रेणीका तेजस्वी समाज-सुधारक नेता पैदा नहीं हुआ । जो हुए वे सब पूनाके नेताओंके पद-चिन्होपर चलनेमें ही अपनेको कृतार्थ समझते रहे । शिक्षित उच्च वर्णिय ब्राह्मण समाजमें लोक-मान्यकी विचारधारा बहुत तेजीसे फैल गई और वही पूरी तरह राजनीतिमें रँग गई । समाज-सुधारके कार्यकी ओरसे उसका ध्यान प्रायः हट गया । हरिजनोमें सत्यशोधक समाजका फैलाव कुछ अवश्य हुआ और डा० भीमराव अम्बेदेकरका भी काफी प्रभाव रहा । ब्राह्मणोत्तर आन्दोलन ने मराठा समाजमें गहरी जड़ें जमाई थी और वह पूनाके ब्राह्मणोत्तर आन्दोलनके समानान्तर चलता रहा । १९२० में यहाँ भी ब्राह्मणोत्तर दलने चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता हस्तगत की परन्तु बादमें ब्राह्मणोत्तर नेता गांधीजीके आन्दोलनसे प्रभावित होकर सामूहिक रूपमें कांग्रेसमें सम्मिलित हो गए । इसका एक कारण यह भी था कि वरारके महा राष्ट्रीय ब्राह्मण नेता गांधीजीके विरोधी थे और वे उनपर तरह-तरहके आक्रमण सदा ही करते थे । उनके इस विरोधके कारण ब्राह्मणोत्तर समाज और उसके नेता गांधीजीके साथ होकर कांग्रेसमें सम्मिलित हो गए । प्रार्थना-समाजका कोई विशेष प्रभाव इस प्रदेशपर नहीं पड़ा । उसकी अपेक्षा आर्यसमाजका प्रभाव कुछ अधिक पड़ा और प्रायः सभी बड़े शहरोंमें आर्य-समाजकी स्थापना हुई ।

सार्वजनिक गणपति-उत्सव और शिवाजी-उत्सवकी परिपाटी भी विशाल और व्यापक रूपसे अपनाई गई। सार्वजनिक गणपति-उत्सवके अवसरपर सामाजिक विपयोकी चर्चा भी विशेष रूपसे की जाती थी। १९२० के बाद गाँधीजीके समाज-सुधार आन्दोलन का इस प्रदेशपर विशेष प्रभाव पड़ा। हरिजन-आन्दोलन उग्र रूपमें हुआ। गाधीजी के सावरमतीसे वर्धा आ जानेका भी विशेष प्रभाव पडा और वर्धाका सत्याग्रह आश्रम न केवल गाधीजीकी राजनीतिक किन्तु रचनात्मक प्रवृत्तियो और सर्वोदयी (समतावादी) विचारधाराका भी प्रेरणादायक और स्फूर्तिप्रद केन्द्र बन गया। सामाजिक क्षेत्रपर उसका विशेष प्रभाव पडा।

विदर्भ, महाकोसल तथा मध्य भारतमें भी राजस्थानी लोग अत्यधिक मख्यामें रहते हैं। सच तो यह है कि पिछले पचास वर्षोंका इस प्रदेशका समाज-सुधारका आन्दोलन मुख्यत इन प्रवासी राजस्थानियोसे ही सम्बन्ध रखता है। उनकी अनेक अखिल भारतीय समाज सुधारक सस्थाओंका प्रादुर्भाव अथवा जन्म इसी प्रदेशमें हुआ। जैसे कभी भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें लाल, पाल, बालकी त्रिमूर्तिका बोलवाना था वैसे ही १९२० के समाज-सुधार आन्दोलनके मुख्य नेता, वजाज, वियाणी, मालपाणी थे। इस त्रिमूर्तिका प्रभाव न केवल इस प्रदेशके राजस्थानी समाजपर, अपितु बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणपर भी पडा और यहाँ प्रादुर्भूत समाज-सुधार-मस्थाओंने इनके विशिष्ट व्यक्तित्वके कारण सहजमें अखिल भारतीय स्वरूप एव प्रतिष्ठा प्राप्त करली। वैसे सामान्य राजस्थानी समाज अन्य समाजोंसे तुलनात्मक दृष्टिसे समाज-सुधारके क्षेत्रमें यहाँ भी वैसे ही पिछडा हुआ था जैसा कि देशके अन्य भागोंमें। मराठी-भाषी महिलाओंमें परदा-प्रथा उतनी कठोर नहीं है, जितनी कि राजस्थानी महिलाओंमें थी। शिक्षा भी उनमें विशेष थी। विवाह-मवधी अनेक कुरीतियाँ भी उनमें जड पकडे हुए थी। दहेज और और मीसरकी अत्यधिक प्रचलता थी। इन और ऐसी ही अनेक सामाजिक कुरीतियोंके कारण दूसरोंकी तुलनामें राजस्थानी समाजको बहुत नीचा देखना पडता था और बडी दीनता व हीनता अनुभव करनी पडती थी। उसकी शक्ति, साधनो तथा व्यापार-बुद्धि और औद्योगिक प्रतिभाका यथेच्छ लाभ सारे राष्ट्रको इसी कारण नहीं मिल सकता था। उसका प्रदेश के सार्वजनिक जीवनमें सामाजिक चेतना के अभावके कारण कोई स्थान अथवा महत्व नहीं था। उसपर पास पटोमका प्रभाव पडना स्वाभाविक था। अन्य समाजोंकी प्रगतिशीलतासे राजस्थानी समाज भी प्रभावित हुआ और उसमें सामाजिक चेतना विकसित होनी शुरु हुई।

उसके फलस्वरूप १९०५ में माहे श्वरी महासभाकी स्थापना हुई। उसमें स्व० सेठ जमनालालजी वजाज भी उपस्थित थे जो तपोधन जाजूजीके शिक्षा-प्रचारमें योग दे रहे थे। शिक्षा-प्रचारका मुख्य केन्द्र वर्धा था परन्तु अर्थान्भावके कारण उसकी प्रगति रकी हुई थी। इन कोशमें उनी नमय करीव १ लाख रुपएका चन्दा हुआ और उसमें सबसे बडी धनराशि व्यावरके देशभक्त मेठ दामोदरदामजी राठीने प्रदान की थी। यही कोश आगे चलकर मारवाडी शिक्षा मण्डल वर्धाकी स्थापनाका निमित्त बना जिसके द्वारा अनेक स्थानो पर छात्रावास तथा विद्यालय स्थापित किए गए और उनमें अध्ययन करके अनेक होनहार मारवाडी नवयुवक निकले। आज यह मस्था इन प्रान्तमें अनेक वानिज

श्रीर स्कूलोका संचालन कर रही है। इसकी स्थापना पूनामें लोकमान्य तिलक श्रीर उनके साथियों द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटीके डंगपर की गई थी। इसके कारण समस्त राजस्थानी समाजमें शिक्षा और अध्ययनकी एक विशेष लहर बड़े वेगसे पैदा हो गई और अनेक नवयुवक शिक्षित होकर समाज-सुधारके क्षेत्रमें काम करने लग गए।

माहेश्वरी महा सभाका तीसरा अधिवेशन सेठ दामोदरदासजी राठीकी अध्यक्षतामें पालीमें होनेवाला था परन्तु उससे कुछ समय पूर्व ही उनका स्वर्गवास हो गया। उनके स्थानपर रा० सा० करोड़ीमल जी मालू महासभाके अध्यक्ष चुने गए। महासभाका चतुर्थ अधिवेशन पुन विदर्भ (अकोला) में १९२१ में हुआ। इस अधिवेशनके अध्यक्ष जवलपुरके दीवान बहादुर सेठ वल्लभदासजी मालपाणी थे और इसपर महात्मागांधीके नेतृत्वमें प्रारम्भ हुए असहयोग आन्दोलनकी छाया स्पष्ट रूपमें दीख पड़ती थी। अनेक नवयुवक उससे अनुप्राणित होकर समाज-सुधारके क्षेत्रमें काम करनेके लिए आगे बढ़े थे। और मीसरकी कुप्रथाके विरुद्ध इसमें विशेष आवाज उठाई गई और उसको त्यागनेके प्रतिज्ञापत्रोंपर हस्ताक्षर करवाए गए। स्व० श्री आइदानजी मोहता स्वागताध्यक्ष थे। वे और उनका घराना पुरातनपथी माना जाता था। इस कारण उनका इसमें सम्मिलित होना और समाज-सुधारकी प्रवृत्तियोंका उन द्वारा समर्थन किया जाना विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। श्री ब्रिजलालजी वियाणी वकालतकी अन्तिम वर्ष की पढ़ाई असहयोग आन्दोलनके कारण छोड़कर और श्री गोविन्ददासजी मालपाणी राजघरानेके से वैभवका परित्याग कर सामाजिक क्षेत्रमें आगे आए थे। उसका भी समाजपर विशेष प्रभाव पड़ा।

इस अधिवेशनमें माहेश्वरी महासभाको मंगठित रूप मिला और इसी समय इसने अखिल भारतीय रूप धारण किया। महासभाकी नियमावलीको व्यवस्थित तथा विस्तृत बनाया गया। उक्त चारो अधिवेशनोके पीछे तपोधन जाजूजी की बलवती प्रेरणा काम कर रही थी और उन्हीके प्रोत्साहनसे अनेक युवक समाज सेवाके कार्यमें अग्रसर हुए थे। श्रेष्ठ जाजूजी ही इस समय महासभाके सूत्रधार थे। उनके दो अन्य सहयोगी सेठ रामनारायणजी राठी और सेठ दामोदरदासजी राठी स्वर्गस्थ हो चुके थे। ये दोनों व्यक्ति मारवाडी समाजकी विभूति और सामाजिक जागरणके प्रबल स्तम्भ थे।

श्री रामनारायणजी राठीने नागपुरमें मारवाड़ी प्रेसकी स्थापना करके मारवाड़ी पत्रका प्रकाशन प्रारम्भ किया था। वह विगुद्ध रूपसे राष्ट्रीय पत्र था। समाजमें राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना पैदा करनेका उसने सराहनीय काम किया। बम्बईके "श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र" के बाद यह दूसरा पत्र था जिसका प्रकाशन उन दिनों में एक मारवाड़ी सज्जनने प्रारम्भ किया था। हिन्दीके अनेक ख्यातनामा विद्वान इसके सम्पादक रहे। उनके भाई स्वर्गीय श्री गिबनारायणजी राठी सुप्रसिद्ध गो-सेवक थे। स्वर्गीय श्री सतीसदासजी मूँदड़ाने भी नागपुरसे "प्रणवीर" और "समाज सेवक" नामसे राष्ट्रीय और सामाजिक पत्रोंका प्रकाशन स्व० श्री रावामोहन गोकुलजीके सम्पादकत्व में प्रारम्भ किया था। वे कट्टर समाज-सुधारक थे। कलकत्तेमें उन्होंने समाज-सुधारके कारण अनेक यातनाएँ सहन की थी।

यद्यपि १९०५ में माहेश्वरी महासभाके नामसे माहेश्वरी समाजका प्रथम सम्मेलन अमरावतीमें हुआ परन्तु माहेश्वरी समाजमें सामाजिक जागरणका शखनाद मन् १८८८ में ही अजमेरमें “माहेश्वरी महासभा” के नामसे हो चुका था । स्व० रा० व० श्याम-सुन्दरलालजी लोईवाल, रा० सा० रामविलासजी शारदा और स्व० मथुरा प्रसादजी भट्ट आदि महानुभावोके प्रयत्नसे अजमेरमें “माहेश्वरी महत सभा” का जन्म हुआ और इस मस्थाने उत्तर भारतके माहेश्वरी समाजमें समाज-सुधारके आन्दोलनका सूत्रपात किया था । इस सस्थाको “माहेश्वरी सदर सभा हिन्द” भी कहा जाता था । आरम्भ में इस सस्थाके विराट अधिवेशन नहीं हुए परन्तु इसके द्वारा जगह-जगह प्रचार किया गया, पचायतें गठित की गईं और स्थानिक परिस्थितिके अनुसार सामाजिक रीति-रिवाजो की मर्यादाएँ दाँधी गईं । आगे चलकर वैश्य महासभाके साथ माहेश्वरी महत सभाके विराट अधिवेशन हुए । महारनपुरमें वैश्य महासभाके साथ सन् १८९४ में प्रथम माहेश्वरी महासभा काफ़ेस हुई । इसमें देशके अनेक स्थानोसे करीब १००-१५० माहेश्वरी सज्जन पधारे और अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए । बाल-विवाह-निषेध के बारेमें भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ जिसमें समाजसे अनुरोध किया गया कि “लडकीका विवाह कम से कम १४ और लडके का १८ वर्षकी उम्रके बाद किया जाय । यदि माता-पिता इससे बड़ी उम्रमें विवाह करें, तो सराहनीय है ।” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लडके-लडकियों के १८-१४ से कम आयुके विवाहोको गैर-कानूनी करार देनेवाला शारदा-कानून जिसको राजस्थानी समाज सुधारक श्री हरविलामजी शारदाने प्रस्तुत किया था १९२९ में पास किया गया था जब कि उससे ३५ वर्ष पूर्व मन् १८९४ में ही माहेश्वरी महत सभा इस आशयका प्रस्ताव पास कर चुकी थी । हममें प्रकटहै कि माहेश्वरी समाजके नेता आजसे ३५ वर्ष पूर्व समाज-सुधारके लिए कितने मजग और प्रयत्नशील थे ।

स्व० रा० व० श्यामसुन्दरलालजी लोईवाल पहले व्यक्ति है, जिन्होंने राजस्थानी समाजमें सर्वप्रथम जन जागृतिका शखनाद किया । उन्हीकी प्रेरणासे सन् १८९२ में “माहेश्वरी पत्र” का प्रकाशन आरम्भ हुआ । माहेश्वरी महासभाके कार्यालयके साथ-साथ इसका प्रकाशन अलीगढ, कलकत्ता और बादमें १९३६ में बम्बईमें होता रहा । माहेश्वरी महत सभाकी अनेक स्थानोपर शाखाएँ स्थापित हुईं और अलीगढ, हायरम, मथुरा, देहली तथा अजमेरमें इसके अधिवेशन हुए । एक अधिवेशन इसका कलकत्ता में भी हुआ । बादमें यह सस्था गिथिल हो गई । कुछ वर्षोंकी शिथिलताके बाद माहेश्वरी समाजमें पुन सामाजिक चेतना जागी । १९०५ में अमरावतीमें श्री जाजूजी व श्री रामनारायणजी राठीके मधुद्योगमें माहेश्वरी महामहाने जन्म लिया । “माहेश्वरी” पत्रका प्रकाशन भी इसी समय स्व० भागीरथदामजी मूडडाने अलीगढमें पुन आरम्भ किया था ।

माहेश्वरी महत सभा और माहेश्वरी महामहानेके मगटनोको एक करके अकोनामें अ० भा० माहेश्वरी महासभाका चतुर्थ अधिवेशन १९२१ में किया गया, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । उसके बाद कलकत्ता, इन्दौर और बम्बईमें महामहानेके पंचम, षष्ठ और नप्तम अधिवेशन हुए । इन्दीर महामहाने नरु समाजमें समाज-सुधारके

प्रश्नोंपर कोई खास मतभेद नहीं था और सारा समाज महासभाके मंचपर संगठित था । इन्दौरके वाद समाजमें कोलवार प्रकरण उठ खड़ा हुआ । कोलवार सज्जन अपनेको माहेश्वरी कहते थे । उनकी जाँचके लिए महासभाने एक कमीशन विठाया था । इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी और उसपर बम्बई महासभामें विचार होनेवाला था । इसी बीच बम्बई महासभाके स्वागताध्यक्ष श्री रामेश्वरदासजी विड़लाने कोलवारोंके यहाँ अपना विवाह कर लिया । इसपर समाजमें एक भीषण संघर्ष उठ खड़ा हुआ । बम्बई महासभामें इस प्रकरणको शांत करनेकी बहुत कोशिश की गई परन्तु विरोध बढ़ता ही गया । यद्यपि महासभाकी विषय निर्वाचिनी समितिने कोलवारोंकी दोबारा जाँच करानेका प्रस्ताव पास कर दिया था परन्तु पंचायत पक्षके लोग इससे सतुष्ट न हुए । वे कोलवारोंको माहेश्वरी माननेको तैयार न थे और उन्हें तत्काल गैर-माहेश्वरी घोषित करनेपर तुले हुए थे । यही नहीं वह विड़लाजीका जाति-बहिष्कार करनेकी माँग कर रहे थे । इसी संघर्षमें महासभाका अधिवेशन स्थगित हो गया । पंचायत पक्षके लोगो ने वही अ० भा० डीडू माहेश्वरी महापंचायतकी स्थापना कर डाली । नागपुरके वयोवृद्ध सेठ शिवनारायणजी राठीको उसका अध्यक्ष चुना गया । कोलवारोंको गैर-माहेश्वरी घोषित करके उससे सम्बन्ध रखनेवालोंका जाति-बहिष्कार किया गया । दूसरे पक्षने अ० भा० माहेश्वरी युवक मण्डल स्थापित करके कोलवारोंको शुद्ध डीडू माहेश्वरी घोषित किया । इस संघर्षने व्यापक रूप धारण किया । और कोलवारोंसे संबंध करनेवालो तथा उनके सहायियोंका भी सामाजिक बहिष्कार करके समाजमें सर्वत्र भीषण सामाजिक कलह उत्पन्न कर दिया ।

यह संघर्ष काफी समय तक चला परन्तु अन्तमें सुधार पक्षकी विजय हुई । १९२७ में पंढरपुरमें महासभाने वयोवृद्ध सेठ रामगोपालजी मोहता, वीकानेर, की अध्यक्षता में कोलवारोंको माहेश्वरी घोषित कर दिया और सामाजिक बहिष्कारकी प्रथाका हमेशा के लिए अन्त हो गया । इसके परिणामस्वरूप न केवल कोलवारो बल्कि गुजराती एवं अन्य माहेश्वरी सज्जनोंके साथ भी सामाजिक सम्बन्ध खुल गए । इस संघर्षसे जहाँ सामाजिक मंगठनकी थोड़ी क्षति हुई वहाँ समाज-सुधारकी दृष्टिसे माहेश्वरी समाज बहुत आगे बढ़ गया । विलायत-यात्रा, विधवा-विवाह, अस्पृश्यता-निवारण, ओसर-मौसर त्याग, दहेज और परदा-प्रथा-बहिष्कारके संबंधमें प्रस्ताव स्वीकृत हुए । पंढरपुरके वाद महासभाके दो अधिवेशन लगातार विदर्भमें धामनगाँव और देवलगाँवमें हुए । इसके बाद महासभाके अधिवेशन अजमेर, कानपुर, सूरत और ग्वालियरमें होते रहे । ग्वालियरमें श्री दामोदरदासजी नागोरीकी अध्यक्षतामें उसका स्वर्णजयन्ती महोत्सव मनाया गया ।

माहेश्वरी महासभाने अपना दृष्टिकोण सदा राष्ट्रीय रखनेका प्रयत्न किया और कांग्रेसकी रीति-नीति तथा महात्मा गांधीजीके नेतृत्वमें अखंड निष्ठा रखी । इसका कारण माहेश्वरी महासभाके नेताओंका राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रमुख भाग लेना था । तपोधन जाजूजी, श्री ब्रिजलाल वियाणी और सेठ गोविन्ददासजी हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनके सम्मानित सूत्रधार रहे और यही महानुभाव महासभाके भी सूत्रधार थे । बा० गोविन्ददासजीने अजमेरमें महासभाका अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया । श्री वियाणीजी

देवलगाँव महासभाके अध्यक्ष थे। इन महानुभावोंके पथ-प्रदर्शनके कारण समाजके अनेक नवयुवक राष्ट्रीय आन्दोलनमें आगे आये और उसके लिए उत्सर्ग किया।

माहेश्वरी महासभाकी इस चहुँमुखी सफलताका एक बड़ा कारण यह भी था कि उसने धनकी पूजा नहीं की। यद्यपि कुछ करोड़पति भी माहेश्वरी महासभाके अध्यक्ष हुए परन्तु इमका नेतृत्व सदा उन्हीं महानुभावोंके हाथोंमें रहा जो राष्ट्र तथा समाजकी सेवामें तप चुके हैं। माहेश्वरी महासभाने न केवल माहेश्वरी समाजमें जीवन और जागृतिका संचार किया वल्कि इनर समाजोंमें भी समाज सुधारकी भावना जाग्रत की और इसके लिए सदा उसका स्मरण किया जायेगा।

माहेश्वरी समाजकी जन-जागृतिका प्रभाव प्रदेशके अन्य राजस्थानी समाजोंपर पडा। अग्रवाल, ओसवाल, खडेलवाल और ब्राह्मण- समाजोंमें भी सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। अग्रवाल महासभाकी जन्मभूमि भी यही प्रदेश है। १९१८ में स्व० मेठ जमनालालजी वजाजके शुभ प्रयत्नोंसे वर्धामें अ० भा० मारवाडी अग्रवाल महासभाकी स्थापना हुई और इसका प्रथम अधिवेशन श्रीमान मेठ खेमराज श्री कृष्णदास बम्बईकी अध्यक्षतामें संपन्न हुआ। १९२१ में दूसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन इन्दौरमें अमलनेरके श्रीमान प्रतापजी सेठकी अध्यक्षतामें हुआ जिससे मध्यभारतके अग्रवाल समाजमें विशेष जागृति पैदा हुई। छठा अधिवेशन १९२६ में श्री सेठ जमनालालजी वजाजकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें हुआ। १९२८ में अजमेरमें बम्बईके राजा गोविन्दलाल शिवलालजी पित्तीकी अध्यक्षतामें विशेष अधिवेशन हुआ। अग्रवाल महामभा भी सदा राष्ट्रीयताकी समर्थक रही और इसके द्वितीय अधिवेशन बम्बईमें महात्मा गांधीको राष्ट्र भाषा हिन्दीके प्रचारार्थ ५० हजार रुपयेकी थैली भेंट की गई।

माहेश्वरी समाजमें कोलवार माहेश्वरियोंके नाथ विवाह-सम्बन्धको लेकर जो सामाजिक संघर्ष हुआ था उससे अग्रवाल समाज भी बच नहीं सका। अग्रवाल-समाजमें इस संघर्षका सूत्रपात कलकत्तामें विधवा-विवाहको लेकर किया गया था। स्वर्गीय श्री पद्मराजजी जैन, श्री बमतलालजी मुरारका और विष्णुमिश्र-मन्चालक श्री मूलचन्द्र जी अग्रवाल विधवा-विवाहके अन्यतम समर्थक थे। उनके महित १२ मज्जनोंको अग्रवाल महापचायतने जाति बहिष्कृत किया था, परन्तु ये महानुभाव विधवा-विवाहके मन्थित आन्दोलनमें लगे रहे और कुछ विधवा-विवाह भी सम्पन्न किए गए। जिनमें सरियाके श्री नागरमल ल्हीलाका विवाह उल्लेखनीय था। अग्रवाल-पचायतकी स्थापना डीडू माहेश्वरी महापचायतके ढगपर की गई थी और उन्हींके पद-चिन्होंपर उनका मन्चानन किया गया था। कुछ समय तक कलकत्तामें भयानक संघर्ष मचा रहा था। परन्तु अतमें सुधारकोकी दृढता काम आई। मारवाडी-अग्रवाल-महामभापर इन संघर्षका अत्यन्त विपरीत असर पडा और उसका संगठन एवं कार्य बृहन गियिल पड गया। आठ वर्ष बाद १९३६ में सेठ रामकृष्णजी डालमियाकी अध्यक्षतामें कलकत्तामें उनका अधिवेशन सम्भव हो सका। इसमें एक बड़ा कदम यह उठाया गया कि महामभाकी नियमावली और नाममें संशोधन करके मारवाडी और देववालीक, भेदभाव मिटा दिया गया और उसके द्वार अग्रवाल मात्रके लिए खोल दिए गए। राजस्थानके अनिश्चित पञ्जाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश आदिमें रहनेवाले अग्रवालोंको मारवाडी नहीं माना जाता था

और वे प्रायः महासभासे उदासीन थे। महासभामें “अग्रवाल महासभा” के नामसे नई चेतनाका संचार किया गया। १९३७ में स्वर्गीय श्री मूलचन्द्रजी अग्रवालकी अध्यक्षतामें जवलपुरमें अखिलेशनका आयोजन किया गया और उनको सभापति मनी-नीत करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि महासभाके क्षेत्रमें अग्रवाल-मंत्रवी भेद-भाव मिटा दिया गया।

देहलीके मित्रोंके प्रयत्नसे १९४८ और १९५० में इसके अखिलेशन देहली तथा अयोध्या में हुए, परन्तु संगठनमें पहले-जैसी व्यापकता और तेजस्विता न आई। फिर १९५३ में महासभाका अखिलेशन नागपुरमें श्री ईश्वरदासजी जालानकी अध्यक्षतामें किया गया। इस अवसरपर अ० भ० अग्रवाल युवक सम्मेलन भी हुआ और इसका अध्यक्ष-स्थान श्री वसंतलालजी मुरारकाने, ग्रहण किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण द्वारा नवयुवकों को द्रुतगतिसे सामाजिक क्रान्तिकी ओर अग्रसर होनेकी प्रेरणा दी।

मध्य-प्रदेश राजस्थानी-समाज-सुधारकी दृष्टिमें बहुत आगे रहा है। कलकत्ते के बाद सबसे अधिक विना परदेके विवाह इसी प्रान्तके राजस्थानी समाजमें हुए हैं और दहेज आदि कुप्रथाओंका बहिष्कार किया गया है। श्री वियाणीजी के नेतृत्वमें १९२० में जिस मारवाड़ी-सेवा-मघकी स्थापना नागपुरमें कांग्रेसके अखिलेशनके अवसरपर हुई थी वह भी उल्लेखनीय है। इस संस्थाने अनेक वर्षों तक सामाजिक क्रान्तिका गंखनाद किया और मृतक भोजोंको बंद करनेके लिए पिकेटिंग किये। अग्रवाल और माहेश्वरियोंके पारस्परिक सम्बन्ध खोलनेमें सबसे पहले अग्रवाणी इमी प्रान्तने की और इस दिगामें तपोवन जाजूजीने अपनी सुपुत्रीका विवाह सेठ जमनालालकी वजाजके भतीजे श्री राधाकृष्ण वजाजके साथ करके आदर्श प्रस्थापित किया।

महासभाकी ओरसे “अग्रवाल” नामसे एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाता था, जो समाज-सुधारकी उग्र भावना एवं विचारोंमें श्रोत-श्रोत रहता था। एक लम्बे समय तक स्वर्गीय श्री पद्मराजजी जैन, श्री तुलसीदासजी सरावगी तथा श्री राधाकृष्ण जी नेवटिया उसका सम्पादन करते थे। विधवाविवाहके सधर्मसे छुट्टी पाकर महासभा की ओर से परदा निवारण आंदोलन हाथमें लिया गया। श्री पद्मराजजी जैन, श्री वसंतलालजी मुरारका और श्रीमती रमादेवी मुरारकाके एक शिष्ट मण्डलने विहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वरार और उड़ीसा आदिका व्यापक दौरा किया।

माहेश्वरी और अग्रवाल महामाओंकी तरह गोदियामें मारवाड़ी ब्राह्मण महासभा के अखिलेशनका आयोजन विशेष धूमधामसे किया गया और ओसवाल समाजके भी कुछ सम्मेलन प्रमुख स्थानोंमें हुए। वर्षोंमें श्री ऋषभदामजी रांकाकी अध्यक्षतामें स्थापित जैन महामण्डलने भी समाज-सुधारके क्षेत्रमें उल्लेखनीय काम किया।

इन महासभाओं द्वारा पैदा की गई सामाजिक चेतनाका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि राजस्थानी जनतामें विभिन्न समाजोंकी भावनाका अंत होकर राजस्थानी अथवा मारवाड़ीके नाते मामूहिक चेतनाका संचार हुआ। भिन्न-भिन्न समाजोंकी महासभाओं का स्थान अखिल समाजकी संस्थाने ले लिया। पहले मारवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन के नामसे और बादमें मारवाड़ी सम्मेलनके नामसे ऐसे मण्डल स्थापित किए गए जिनका

स्वरूप और कार्यक्षेत्र सारा राजस्थानी समाज बन गया । इस व्यापक भावनाके सम्मुख भिन्न-भिन्न समाजोकी महासभाओ सरीखी सस्थाएँ कायम न रह सकी, फिर भी वे सस्थाएँ सामाजिक चेतना पैदा करके जो काम कर गईं वह अपना ही महत्व रखता है । निस्संदेह मध्यप्रदेशको उसका अधिकांश श्रेय प्राप्त है ।

मध्य प्रदेशका एक बड़ा भाग विध्य, छत्तीसगढ़, भोपाल और मध्यभारतके रूपमे देशी नरेशोके आधीन रहा । जहाँ-तहाँ समाज-सुधार संवंधी कुछ थोड़ा-सा काम हुआ पर वह अंगरेजी राजमें बनाए गए समाज-सुधार सबधी कानूनोको लागू करने तक ही सीमित रहा, परन्तु उनका पालन भी पूरी सचाई, ईमानदारी और दृढताके साथ नहीं किया गया । बड़ौदा और कोल्हापुर सरीखे समाज-सुधारक और प्रगतिशील किसी राज्य का नाम मध्यप्रदेशमें नहीं लिया जा सकता । लेकिन मध्यप्रदेशके देगी राज्योंकी जनता राज्यके अन्य भागोंमें पैदा होनेवाली सामाजिक-चेतनासे अवश्य ही अनुप्राणित होती रही । इन्दौरमे अग्रवाल महासभा तथा माहेश्वरी महासभा और ग्वालियरमें माहेश्वरी महासभाके अधिवेशनका आयोजन इसीका सूचक है । इस महाप्रदेशमें महाराष्ट्रीय जनताकी विशेष सख्या है । मध्य भारतके ग्वालियर, इन्दौर, धार और दोनो देवास मराठी राज्य थे । इन राज्योंकी जनता महाराष्ट्रमे पैदा हुई सामाजिक जागृतिमे निरतर प्रभावित होती रही और अनेक महाराष्ट्रीय प्रवृत्तियोंमें इन राज्योंके राजाओ ने भी प्रमुख भाग लिया । शिक्षा सबधी कार्योंमें उन्होने मुक्त हस्त से आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया । शैक्षणिक, साहित्यिक एव सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंसे भी इन राज्योंकी जनतामें सामाजिक चेतनाका सचार हुआ । उनमें ग्वालियर, इंदौर तथा देवास का मुख्य स्थान था ।

इस प्रकार मध्यप्रदेशको न केवल वधकि महात्मा गांधीके सत्याग्रह आश्रमके कारण देशके सामाजिक एव राजनीतिक जीवनमें विशेष महत्व प्राप्त हुआ, अपितु उसकी अपनी भी सामाजिक एव राजनीतिक चेतना, जागृति एव प्रगतिकी पुरानी परम्परा रही, जिसके लिए वह यथेच्छ गर्व अनुभव कर सकता है ।

— ० —

प्रार्थना-समाज

भारतके अन्यान्य प्रदेशोंकी अपेक्षा गुजरातमें जाति-उपजातिकी बाडेवदी बहुत अधिक रही है। पजाव, राजस्थान और उत्तरप्रदेशमें घूँघट निकालनेका जितना रिवाज था, उतना तो गुजरातमें नहीं था, परन्तु दक्षिणकी अपेक्षा यह रिवाज भी कहीं अधिक था। गमीके मौकोपर आम सडको, गलियो और मोहल्लोमे छाती पीटनेका रिवाज जितना गुजरातमें था, उतना भारतके किसी दूसरे प्रदेशमें न था। मरनेके बाद वारहवी, वरसी वगैरह करने—जीमनवार और उसपर भारी खर्च करनेका रिवाज यहाँ जितना था, उतना अन्यत्र कहीं नहीं था। बाल-विवाह, विधवा-विवाहका प्रतिबन्ध, विदेश-यात्राके कारण जाति-बहिष्कार, एक पत्नीके होते दूसरा विवाह, कन्या-विक्रय, वय-विक्रय, अनमेल-विवाह और बहिन-भाईका आटा-साँटा—ये सारे रिवाज लगभग भारतवर्षके सभी प्रान्तोंमें प्रचलित थे। थोड़े दिनोंसे शहरोंमें ये ये उठ गये हैं। परन्तु गाँवोंमें अल्पाधिक रूपमें यह अभी भी चालू है, हालाँकि इनमेंसे कुछ रिवाजोंपर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून भी बन गये हैं।

इन सब सामाजिक रिवाजोंका एक जमानेमें बहुत जोर था। अग्रेज अध्यापकोंमें शिक्षा प्राप्त और मिल, स्पेन्सर जैसे निरीश्वरवादियों और अज्ञेयवादियोंकी पुस्तकोंके अध्ययनसे प्रभावित गुजरातके नवशिक्षित वर्गमें बहुतसे युवक नास्तिकता निरीश्वरवाद की तरफ ढलते जा रहे थे; कुछ युवक स्वच्छद और दुर्व्यसनी भी बन रहे थे, कुछेक इन सबके प्रत्याघातके फलस्वरूप जड और बहमी होकर मूर्ति-पूजा जैसे प्राचीन रिवाजों और रूढ़ियोंको अर्थहीन और केवल बहम बढानेवाली मानते हुए भी उनके प्राचीन होने के कारण ही दुराग्रहसे पकड़े हुए थे; पर धर्मके प्रति महिष्णुताका बडा अभाव था, प्राचीन आध्यात्मवाद, उपनिषदों तथा भक्ति-मार्गके ग्रंथोंका अध्ययन बहुत थोड़ा रह गया था, शाक्त मार्गके अघम और अनीतिमय अगोंका भी समाजके कतिपय भागोंमें प्रवेश हो गया था; बल्लभीय सम्प्रदायके कतिपय मन्दिरोंके गोस्वामी महाराजोंमें से कुछ लोग धर्म के नामपर दुराचार-लीलामें फँस गये थे—इस प्रकारके विषम संयोगोंमें अहमदावादमें प्रार्थना-समाजकी स्थापना हुई थी। बगालमें ब्राह्म-समाजकी स्थापना इस समयसे लगभग ४५ वर्ष पूर्व हो चुकी थी। बगालमें ब्राह्म-समाजकी और बम्बईमें प्रार्थना-समाजकी स्थापनाका असर अहमदावादके प्रार्थना-समाजपर हुआ माना जा सकता है। परन्तु जहाँ बगालमें और कुछ अंशोंमें बम्बईमें भी ईसाई-पादरियोंके सहवास और उपदेश

से कुछ नवशिक्षित युवक ईसाई-धर्म अंगीकार करनेकी दिशामे भी प्रेरित हुए थे । गुजरातमें वैसा भय नहीं था ।

अहमदाबादमें प्रार्थना-समाजके सस्थापकोंमें युवक नहीं थे । ४० वर्षमें ऊपर की उम्रके प्रौढ विचारवान, धीर-गंभीर, धर्मपरायण, मदाचारी, नीतिवान, सुशिक्षित और सस्कारी वर्गके लोग थे । स्वर्गीय डा० रा० व० भोलानाथ सारा भाई, रा० मा० महीपतराम रूपराम और रा० व० रणछोडलाल, इन तीनों मित्रोंने मिलकर सन् १९७२ में प्रार्थना-समाजकी स्थापना की थी ।

इस समाजकी स्थापना एक खास घटनाको लेकर हुई थी । मन् १८७१में महारानी विक्टोरियाके ज्येष्ठ पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बादमें सप्तम एडवर्डके नामसे सम्राट हुए, वे अत्यन्त बीमार हो गये । राज्यके अधिकारियों और स्थानीय अफसरोंकी ओरने प्रिंस ऑफ वेल्सके आरोग्य-लाभके लिए प्रार्थना करनेकी अपील की गई । उक्त तीनों मित्रोंने मिलकर विचार किया कि इस अवसरपर ऐसी प्रार्थनाकी व्यवस्था हो सके तो बहुत अच्छा हो जो समस्त जातियों और कौमोके लोगोको अनुकूल पड़े और जिसमे किसीके धर्म-सिद्धांत और मान्यतामे बाधा न आवे और जिसको सब साथ मिलकर समूह रूपमें कर सकें । इस प्रकारकी व्यवस्था की गई और प्रेमचन्द प्राथमिक ट्रेनिंग कालेज के मैदानमें सब जातियोंके लोगोने प्रार्थना की । गुजरातमें सामूहिक प्रार्थनाका यह सर्वप्रथम आयोजन था ।

इम प्रार्थनाका समारोह हो चुकनेके बाद तीनों मित्रोंने यह विचार स्थिर किया कि सामूहिक प्रार्थनाका क्रम प्रति सप्ताह चलता रहे और उसमें सब जातियोंके स्त्री-पुरुष भाग ले सकें, इसलिए एक सस्थाकी स्थापना की जाये । इस विचारको सक्रिय रूप मिला और ता० १७ सितम्बर सन् १८७१ में प्रार्थन-समाजकी स्थापना हुई । बादमें ३ मई सन् १८७६ को प्रार्थना-समाज अपने वर्तमान मन्दिरमें शुरू हुआ ।

प्रार्थना-समाजके सिद्धान्त मुख्यतया उपनिषदोंमें उल्लिखित धर्म और तत्त्व-ज्ञानके सिद्धान्तोंके अनुसार बनाये गये । अमूर्त, निराकार, अव्यय, अविकारी—ऐसे परमेश्वर की मानसिक उपासना करना इस समाजका उद्देश्य था ।

प्रार्थना-समाज थोड़े ही दिनोंमें साठे गुजरातमें एक लोकप्रिय मस्था बन गई । उस समयके अनेक उच्च शिक्षित विशिष्ट व्यक्ति समाजके सदस्य बने और वहाँ जाकर व्याख्यान भी दिए । जो सदस्य नौकरी-धधे करनेके लिए अहमदाबादके बाहर गये, उन्होंने उन-उन स्थानोंमें प्रार्थना समाजकी नाना रूपोंमें स्थापना की । इम तरह वडोदा, पेटलवाद, कपडवज, भडौच, सूरत, खेडा, आदि स्थानोंमें भी प्रार्थना-समाज स्थापित हो गया ।

धर्मके विषयमें उदार तथा विशाल दृष्टि होनेके परिणामस्वरूप मामाजिक विचारों और रूटियोंके विषयमे भी सकुचित और अर्थहीन प्राचीन प्रणालीका अनुभार चानू आचार विचारकी जगह स्वभावत ही विगल दृष्टि, न्याय-वृत्ति, ममताकी भावना, उदार मनो-वृत्ति उत्पन्न हो गई ।

अतएव अहमदाबादमें एव गुजरातमें हिन्दुओंमे प्रचलित रूटियों, अन्यायपूर्ण आचरण, ममानताके अभाव, रूटिके या दासत्व आदिको खत्म करनेका महान् कार्य भी प्रार्थना-समाजके सदस्योंने ही किया था । प्रार्थना-समाज बने तो मात्र धार्मिक सस्था ही थी

परन्तु उदार धर्म-भावनाके परिणामस्वरूप सामाजिक-सुधारकी प्रेरणा भी स्वभावतः ही उसमेंसे उत्पन्न हो गई ।

सामाजिक कुप्रथाओंको दूर करनेके लिए बाल-विवाह प्रतिबन्धक सभा, अनमेल और वृद्ध-विवाह रोकनेके लिए व्यवस्था विधवा-विवाहको प्रोत्साहन देनेवाली संस्था, मद्य-निषेधकी सभा, स्त्री-शिक्षाका प्रचार करनेवाली संस्था, मृत्युके वाद की क्रियाओं में जीमनवार करनेके रिवाजको बन्द करनेवाली संस्था, विदेश-यात्राको प्रोत्साहन देने वाला मण्डल, विवाह तथा दूसरे मागलिक अवसरों पर बेश्या-नृत्यकी प्रथाके विरुद्ध जात-पाँतकी सकुचित बाढावदीको तोड़नेकी प्रवृत्ति, चर्गरह अनेक प्रकारकी सामाजिक सुधारकी संस्थाएँ प्रार्थना-समाजके सदस्योंने अहमदावादमें शुरू की । इन विभिन्न संस्थाओंको मिलाकर वादमें 'गुजरात-ससार-सुधार-समाज' नामकी संस्था स्थापित करने वाले भी प्रार्थना-समाजके सदस्य ही थे ।

इन धर्मनिष्ठ और सामाजिक कल्याणका कार्य शुरू करनेवाले प्रार्थना-समाजके विशिष्ट सदस्योंके कार्योंका प्रभाव जन साधारणपर काफी पडा । गुजरातमें सामाजिक सुधारके क्षेत्रमें जो-कुछ हुआ है, उसको शुरू करनेका श्रेय प्रार्थना-समाजके मूल स्थापको और उनके परवर्ती अनुयायियोंको है ।

वर्तमान समयमें सामाजिक सुधार और धार्मिक-सुधार दोनों अलग-अलग प्रवृत्तियाँ हो गई हैं । सामाजिक सुधारके कार्य करनेवाले—जीवनमें इन सुधारोंको क्रियान्वित करनेवाले स्त्री-पुरुष आजकल धार्मिक सुधारकी संस्थाके या प्रार्थना-समाजके सदस्य नहीं हैं, उनमें भाग भी नहीं लेते परन्तु सामाजिक सुधारोंके प्रति जन-साधारणका ध्यान आकर्षित करनेवाले—इन प्रवृत्तियोंको शुरू करनेवाले अग्रग्रा (Pioneers) के रूपमें प्रार्थना-समाजके संस्थापकोंका स्थान सबसे ऊपर है, यह निर्विवाद है ।

— ० —

अष्टम खण्ड

नये समाजकी ओर

1000

1

नव-निर्माणका आधार

नये समाजका निर्माण नये व्यक्ति करते हैं। नये व्यक्ति पुराने व्यक्तियोंसे शारीरिक या प्राणिशास्त्रिक दृष्टिसे भिन्न नहीं होते हैं। प्राणी समाजमें रहकर ही सीखता है, उसीमें रहकर, उसके प्रशिक्षणसे प्रभावित होकर और उसकी प्रतिक्रियाके रूपमें वह अपने अंदर कुछ विशिष्टताओं और कुछ सामान्यताओंका अनुभव करता है; तभी धीरे-धीरे उसके व्यक्तित्वका विकास होता है, और वह व्यक्ति बनता है। व्यक्ति एक सामाजिक तत्व है और उसका विकास सामाजिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ज्यो-ज्यो वह अपने प्रति दूसरे लोगोंके व्यवहारोंका आभास पाता है, ज्यो-ज्यो वह इन बातोंकी चेतना प्राप्त करता है कि वह दूसरोंसे पृथक् कुछ है, त्यों-त्यों उसमें 'स्व'का विकास होने लगता है। वह अपने हितों, अपनी आवश्यकताओं और अपनी माँगोंके प्रति चेतन होता है। वह उनकी पूर्तिके लिए समाज द्वारा निहित व्यवहारोंको अपनाता है, और उन सामाजिक सस्थाओंसे अपनापन महसूस करता है, जो उसकी माँगोंको पूरा करती हैं या इस कार्यमें उसकी सहायता करती हैं। इसी प्रकार वह उन मान्यताओंको अपने आचारमें धारण कर लेता है जो समाज-द्वारा स्वीकृत होती हैं। प्राणी एक और व्यक्तित्वका विकास करके समाजका एक सदस्य भी होता जाता है और सामाजिक व्यवहारों, मूल्यों और सस्थाओंको मानने लगता है और दूसरी ओर वह अपने अनुभवों द्वारा समाजके ज्ञानकी वृद्धि भी करता है। समाजके दूसरे व्यक्तियोंके साथ वह एक धनियता, एक सामान्यता और एकता महसूस करता है, परन्तु वह समाज के किसी सदस्यसे एकत्र नहीं होता और चूँकि वह एक 'स्व' है एक व्यक्तित्व है, और दूसरे लोगोंसे कुछ विधिष्ट है, इसलिए वह समाजमें रहकर भी कुछ अलग रहता है।

समाजके प्रमाणित या विहित व्यवहारोंमें कुछ आधारभूत मान्यताएँ निहित होती हैं। ये मान्यताएँ उस समाजके सदस्योंके पुराने, मगृहीत और परंपरागत अनुभवोंके आधारपर बनती हैं। सामाजिक मस्याएँ जो सामाजिक मगटनकी ठोस, रीढ़की हड्डी-जैसी भित्तियाँ होती हैं, और जो व्यक्तियोंको समाजमें रहकर अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने, अपने प्रति दूसरोंके व्यवहार और अपने व्यवहारोंको ममजने, व्यक्तियोंको समाज-विरोधी-कार्योंसे रोकनेके महत्वपूर्ण कार्योंको पूर्ण करती हैं, इन आधारभूत मान्यताओंका प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राणी अपने व्यक्तित्वका विकास इन्हीं मस्याओंके अंतर्भावोंमें रहकर करता है, इन्हींके नाय वार-वार व्यवहार करके वह समाजका

सदस्य बना रहता है और इस घनिष्ट व्यवहारसे उसके व्यक्तित्वमें इन मान्यताओंकी एक घनिष्ट रूप-रेखा बन जाती है। कोई भी व्यक्ति इन मान्यताओं, इन सामाजिक संस्थाओं और समाजका तब तक अपमान नहीं करता, जब तक कि उसके व्यक्तित्व, उसकी माँगों और उसके स्वार्थोंका इनके साथ तादात्म्य बना रहता है।

व्यक्ति एक प्राणी है, एक विशिष्ट इकाई है। वह अनुभव करता है, और उस अनुभवसे ज्ञान प्राप्त करता है। वह प्रत्येक अनुभवको अपने पहले अनुभवकी रोशनी में देखता है। अपने अनुभवोंसे कुछ परिणाम निकालकर वह वर्तमान अनुभवकी इन परिणामोंके आधारपर परीक्षा करता है। अपने अनुभवोंके आधारपर, अपने बढ़ते हुए ज्ञानके आधारपर ही वह सामाजिक मूल्यों और मान्यताओंको स्वीकार करता है। यदि उसके अनुभव उस पर यह ज़ाहिर करने लगे कि सामाजिक मान्यताएँ या संस्थाएँ उसके हितोंको पूर्ण नहीं करती, उसकी आवश्यकताओंकी तृप्ति नहीं करती और उसके अनुभव जनित ज्ञानकी कसौटीपर पूरी नहीं उतरती, तो वह उन मान्यताओं और संस्थाओं का विरोध करने लगता है। वह पुराने समाजका विरोधी हो जाता है।

व्यक्तिकी माँगें, आवश्यकताएँ, हित, स्वार्थ और अनुभव-जनित ज्ञान, सभी उसके व्यक्तित्वमें समाहित होते हैं और उसके रुझानों, सवैगों और विचारोंमें संगठित होते हैं। उसकी कोई एक माँग पूरे व्यक्तित्वकी ही माँग होती है पूरे व्यक्तित्वकी ही प्रतिक्रिया होती है। कोई एक सामाजिक संस्था उसकी किसी एक खास माँगको पूरा करती हो; पर उस संस्थाके साथ व्यक्तिका सवैग अपनी उस खास माँग और उसकी पूर्तिपर ही आधारित नहीं रहता। वैसे भी व्यक्तित्वके अलग-अलग रुझान, भावनाएँ सवैग और माँगें एक-दूसरेसे संबन्धित होते हैं, उसी तरह सामाजिक संस्थाएँ भी एक-दूसरेसे सम्बन्धित होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञानके कारण समाज की त्रुटियोंके प्रति सचेत हो जाता है, तो वह केवल एक माँग या एक ही हितसे प्रेरित नहीं होता, न ही वह किसी एक संस्थाके विरुद्ध होता है। व्यक्ति न तो केवल आर्थिक है न प्राणिक और नहीं वह कुछ विचारोंका संघटन मात्र है। समाज भी केवल आर्थिक या प्राणिक संघटन नहीं है। समाज अपने पूर्ण रूपमें व्यक्तिके समक्ष होता है, व्यक्ति भी उसका अनुभव अपने सभी ज्ञान-अनुभवोंपर करता रहता है।

समाज और व्यक्तिके इस घनिष्ट अन्तर्संबन्धको न समझ पाकर समाजके नवनिर्माण के जो सिद्धांत उपस्थित किये गये हैं, उनमें एक है समाजको व्यक्तिके विशिष्ट, उच्च और आधारभूत मानकर उसे बदलनेका सिद्धांत। हम केवल सामाजिक संस्थाओंको या सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाको बदलनेकी बात करने लगते हैं और चूँकि व्यक्तिको समाज का अंग माना जाता है, इसलिए यह विचार करते हैं कि गायद समाजको बदलकर व्यक्ति को बदलेंगे। या हम सामाजिक परिस्थितियोंको पलट देना चाहते हैं, और चूँकि व्यक्तित्व इन परिस्थितियोंमें ही विकसित होता है, इसलिए यह मान लेते हैं कि इन परिस्थितियोंको पलटकर या सुधारकर हम व्यक्तिको भी सुधार लेंगे। किंतु क्या समाज-व्यक्तियोंके परस्पर अंतर्संबन्धोंका ही नाम नहीं है? क्या सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियोंकी सामाजिक मान्यताओं और विश्वासोंपर ही आधारित नहीं है? और क्या सामाजिक संस्थाएँ समाजके सदस्योंके महकरी उद्योगों और कार्य-व्यवहारोंके ठोस रूप नहीं हैं?

सामाजिक परिस्थितिको बदलनेके लिए उन मान्यताओं, रिवाजों, विद्वानों और सम्मानोंको बदलना जरूरी है जिनपर कि यह परिस्थिति टिकी हुई है, व्यक्तियोंके परस्पर सबंधोंके मूलमें जो मान्यताएँ विद्यमान हैं, उनको बदलकर ही मस्याओंका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। समाज-व्यक्तियोंका समूह-मात्र ही नहीं है, यह मान लेनेपर भी तो इस तथ्यकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि समाज व्यक्तियों द्वारा ही सम्भव है और समाजके रचयिता व्यक्ति ही होते हैं। कुछ समाज-शास्त्रियोंने समाज या व्यक्तियोंके समूहको व्यक्तिसे उच्च समझकर उसमें चेतना, मनस और चिंतनशक्तिको विद्यमान माना है। किन्तु चेतना और मनस और चिंतन शक्ति के लिए जिन भौतिक प्राणिक और रासायनिक तत्वोंका होना जरूरी है, वह समाजमें न होकर व्यक्तिमें ही विद्यमान होते हैं। 'सामाजिक चेतना' व्यक्तिगत चेतना का ही एक रूप हो सकती है।

समाजकी सम्पूर्णता और व्यक्तित्वकी सगठित सत्ता को भूलकर भी कुछ विद्वानोंने अधूरे सिद्धांतोंका प्रतिपादन किया है। यहाँ यह बात दुहराना जरूरी है कि समाजकी सभी सस्याएँ एक दूसरीसे सबंधित होती हैं और कुछ एक जैसी ही मौलिक मान्यताओंपर आधारित होती हैं, लेकिन चूँकि समाज एक प्रक्रिया है, एक गतिशील अवस्था है, इसलिए उसमें परिवर्तनका नियम सदा लागू होता है, अतः कई बार अलग और विरोधी मान्यताएँ उसमें उपस्थित रहती हैं। फिर भी एक समाजकी प्रमाणित-सस्याएँ एक जैसी ही मान्यताओंपर आधारित होती हैं। लेकिन जब केवल एक या दो सस्याओंका सुधार या परिवर्तन करनेकी चेष्टा की जाती है, एक या दो मान्यताओंपर कुठाराघात किया जाता है तब अकल्याण ही उसका परिणाम होता है। जिस प्रकार एक समाज संगठित होता है, उसी प्रकार व्यक्तित्वके अलग-अलग स्थान, आवश्यकताएँ, चाहें इत्यादि भी संगठित होती हैं। व्यक्तिकी किसी एक माँग या चाहको ही तृप्त करनेकी चेष्टा या उसीको सम्पूर्ण व्यक्तित्व और व्यवहारका आधार माननेकी प्रवृत्तिमें भी वही परिणाम निकलते हैं जो एक सस्या को पूरे सामाजिक व्यवहारका आधार माननेने निकलते हैं। मनुष्यकी आर्थिक माँगोंको ही उसके व्यवहारका मूल मानकर चलनेवाले आन्दोलनों ने भी मनुष्यकी दूसरी माँगों को कुचल कर व्यक्तित्व के विकास की दशाओं का लोप करके और व्यक्तिकी विशिष्टताको भूलकर जिस समाजकी रचना की है, वह समाज नया नहीं है, वह मानवके चिरतन सपनोंका समाज नहीं है। केवल राजनीतिक मस्याओं, धामन, दल या राज्यको ही जिन्होंने सामाजिक व्यवस्थाका आधार मानकर उसे महत्व प्रदान किया, वे भी व्यक्तिकी स्वतन्त्रतामें बाधक हुए, उन्होंने भी समाजके दूसरे अंगों और प्रक्रियाओं को सिकोड़कर, रोककर, समाजकी गतिमें अवरोध उत्पन्न किए।

यह भूलना नहीं चाहिए कि समाजमें परिवर्तन की माँग कहामे आती है। व्यक्ति सामाजिक जीवनके अनुभवोंमें अस्तित्व होकर परिवर्तन की माँग करते हैं। अपने अनुभवोंको अपने बटते हुए ज्ञानकी कमीटीपर परखकर वे कुछ परिणाम निकालने हैं। अतः परिवर्तनका मूल व्यक्तियोंके सामाजिक अनुभवों और सामाजिक ज्ञानमें ही तो निहित होता है।

नए सामाजिक निर्माणके लिए यह श्रेयस्कर है कि (१) केवल एक या दो मस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाय, या (२) व्यक्तिकी किसी एक माँगको नवने अधिक

महत्व दिया जाय; और (३) केवल समाजके ऊपरी ढाँचेको बदलनेकी चेष्टामें व्यक्तियों की उपेक्षा करके, व्यक्तियोंको समाजसे अलग करके, उसे नए ढाँचेका दास बना दिया जाय।

नई मान्यताओं, नए आधारभूत सिद्धांतों, नए चिंतनपर ही नई सामाजिक व्यवस्था का विकास हो सकेगा।

नये व्यक्तियों या नई मान्यताओं, नए विश्वासों और विचारों वाले व्यक्तियोंका विकास कैसे होगा ?

व्यक्तियोंके विचार और उनकी मान्यताएँ उनके अनुभवोंपर बनती हैं। वह अनुभव प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी। शिक्षकके यह वता देनेपर कि बम गिराने से लाखों लोगोंकी हत्या की जा सकती है, विद्यार्थी इसे मान लेगा, और बमके गिरनेके बाद उसके परिणामोंको देखकर भी। हाँ, यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष अनुभव अधिक स्पष्ट स्थायी और प्रभावोत्पादक हो। जब व्यक्ति अपने अनुभवोंसे संतुष्ट नहीं होते, तो वे उनका विश्लेषण करने लगते हैं, नए अनुभवोंकी खोज करते हैं, नई परिस्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं। यह सब-कुछ वह अपने पुराने अनुभवोंसे अर्जित ज्ञानके आधारपर ही करते हैं। यदि व्यक्तियोंके अनुभवों और उनके ज्ञानका एक नया सम्बन्ध एक नया सम्बन्ध स्थापित हो जाय, तो वे पुरानी मान्यताओंको छोड़कर नई मान्यताएँ मानने लगते हैं। अतः नई मान्यताएँ मनुष्योंके ज्ञान और अनुभवकी परिधिसे बाहरकी वस्तुएँ नहीं होती; वे किसी दैवी चमत्कार, कुशाग्र दार्शनिक बुद्धि या मसीहाई योग्यताके कारण प्रस्फुटित नहीं होती। अतः जब तक व्यक्तियोंके अनुभवोंमें से ही नई मान्यताएँ नहीं उभरती, तब तक न तो वे स्वयं उन मान्यताओंको स्वीकार करते हैं, और न वे मान्यताएँ एक सामाजिक व्यवस्थाका घरातल प्रस्तुत कर सकती हैं। नयी मान्यताओंका आधार, अनुभव, ज्ञान द्वारा, सुलझाया गया अनुभव ही हो सकता है। बुद्धि भी अनुभव की सहगामिनी होती है; वह उसीके साथ, उसीमें से विकसित होती है, और वही उसका पथ-प्रदर्शन भी करती चलती है।

इसका अर्थ यह है कि व्यक्तियोंके अनुभवोंका स्वतंत्र आदान-प्रदान, उनपर तर्क-वितर्क-युक्त विचार-विनिमय होना समाजके नवनिर्माणकी पहली शर्त है। जिस व्यवस्थामें इसपर प्रतिबन्ध लगा दिए जाते हैं, वह व्यवस्था न तो स्वयम् बदलनेकी क्षमता रखती है, न ही उसकी गति, चेतना और उसके प्राण सुरक्षित रह पाते हैं।

परन्तु चूँकि व्यक्तियोंके अनुभव सामाजिक सस्थाओंसे सम्बन्धित होते हैं, अतः उनके व्यक्तियों और उनकी बुद्धियोंपर भी उन संस्थाओंका प्रभाव पड़ता है। जिस व्यवस्थामें बच्चेकी ताड़ना होती है, उसमें वह असंतुष्ट, संवेग-ग्रस्त व्यक्तित्वको लेकर समाजमें विकसित होता है। क्या उसकी बुद्धि उमके शैशवके अनुभवोंसे प्रभावित नहीं होती ? इसी प्रकार एक व्यक्ति आर्थिक कठिनाईसे परेशान, बेकारी और भूखका शिकार होकर अपने व्यक्तित्वमें आक्रमणकारिता, आवेशभर समाज-विरोधी भावनाको प्रथम दे लेता है। क्या उसके चिंतन और ज्ञानका आधार यह और इसी प्रकारकी भावनाएँ न हो जायेंगी ? और क्या एक संतप्त व्यक्तित्व बुद्धिका ऐसा प्रयोग कर पायेगा जिससे कि वह कुछ सही नतीजोंपर पहुँच सके ? जाहिर है कि आधुनिक युगमें जब कि व्यक्ति

सवेगोपर अपनी बुद्धिका अधिकार स्थापित नहीं कर पा रहा है, नए समाजका निर्माण सवेग ग्रसित बुद्धिके आधारपर ही तो होगा। यदि मनुष्य अपनी बुद्धिपर ही चल सकता, तो क्या आजके से हालातसे मानवता दो चार होती? व्यक्ति जब अपने अनुभवोंके कुछ आर्थिक परिणाम नहीं निकाल पाता, तो वह सवेगोका, सहारा लेता है, सवेग अद्वैदिक नहीं होते, बल्कि वे बुद्धिके अपूर्ण, भ्रात प्रयोगोंकी उपज होते हैं।

व्यक्तियोंके अनुभवोंको बदलनेके लिए न केवल उन अनुभवोंके बारेमें उनका दृष्टिकोण बदलना होगा, बल्कि उन परिस्थितियोंको भी उस मात्रामें बदलते रहना होगा जिम मात्रामें व्यक्तियोंके दृष्टिकोण और उसकी मान्यताएँ बदलती रहें। यो तो ज्यो-ज्यो व्यक्ति अपनी मान्यताओंको बदलेंगे, लोगोंकी परिस्थितियोंको और सामाजिक संस्थाओंको भी बदलेंगे। तो भी समाजके निर्माणमें व्यक्तियोंके अनुभवोंको बदलनेके लिए धीरे-धीरे नीचेसे व्यक्तियोंके सहयोगके द्वारा नई संस्थाओंको विकसित करनेकी चेष्टा करनी होगी। नई मान्यताओंको परस्पर व्यक्तिगत व्यवहारोंमें समाविष्ट करना होगा। यदि सहयोग को नए समाजकी मान्यता बनाना अभीष्ट है, तो सहयोगी संस्थाओंका विकास करके ही व्यक्ति अपने अनुभवों, बुद्धि और ज्ञानको एक नई दिशा दे सकेंगे। व्यक्तिका व्यक्तित्व समाजमें ही विकसित होता है, संस्थाओंके माध्यमसे ही यह समाजके कार्यक्रम में भाग लेता है, अतः स्थापित संस्थाओंको बदलते रहना और नई संस्थाएँ विकसित करते रहना समाजके नवनिर्माणके लिए आवश्यक है।

नए व्यक्तियोंके विकासके लिए यह उपादेय है कि —

- (१) व्यक्ति अपने अनुभवोंके प्रति अपने रुख या दृष्टिकोणको बदले और बुद्धिको उनके समझनेमें महत्वपूर्ण स्थान दे।
- (२) वह धीरे-धीरे अपने बदलते हुए दृष्टिकोणको अपने व्यवहारमें समाविष्ट करे।
- (३) बदलते हुए दृष्टिकोणके साथ-साथ पुरानी संस्थाओंके परिवर्तन और नई संस्थाओंके विकासकी चेष्टा करे।

नए समाजकी मान्यताएँ क्या होगी ?

हमारे अनुभव आज सामाजिक वातावरणमें व्यक्तिकी घटती हुई प्रतिष्ठा, उसके अधिकारोंके सिकुडते हुए प्राणमें और उसकी सहायतामें चित्रोंको हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। आज साधारण व्यक्ति न तो कीमतोंके घटने-बढ़नेपर रोक लगा पा रहा है न ही युद्धों और शान्तिके प्रश्नोंका निदान कर पा रहा है, सैन्यीकरण, राजनीतिक दलोंके कार्यक्रम उत्पादन प्रक्रिया, गोया कि किसी भी सामाजिक क्षेत्रमें घटनेवाली घटनाओंको न तो वह प्रभावित कर पा रहा है और न ही समझ पा रहा है। हमारे अनुभव आज साधारण व्यक्तिके असतोप अतृप्त, सवेगात्मकता और भीड़ व्यवहारमें भी हमें अवगत कराते हैं और सांप्रदायिक दगों, भाषाके प्रश्नपर बलवों और सरकारके गोली-बारूद द्वारा जनताके दमन से भी हम यही परिणाम निकाल सकते हैं। एक दूमेरे पर अविश्वास और एक-दूमेरेके प्रति रोपपर हमारे परस्पर संबध आधारित हैं। परन्तु क्या नया समाज अविश्वास, हिंसा, रोप, संबेगात्मकता अज्ञान और उत्तेजनाकी मान्यताओंपर बनेगा? अपने अनुभवोंको मानवकी बुद्धिके अनुसार ममझनेकी चेष्टा घायट हमें यह बताएगी कि आजके युगमें जब कि हिंसा और अविश्वास मानवताको तहम नहम कर

रहे हैं सहयोग और परस्पर विश्वासके बिना काम न चलेगा। परन्तु सहयोग और परस्पर विश्वास स्वतंत्र और समानाधिकारवाले व्यक्तियोंमें होता है, न कि स्वामी-दास और उच्च-नीचके सम्बन्धोवाले व्यक्तियोंमें। सहयोग, स्वतंत्रता और समानतापर आधारित व्यवहार ही परस्पर विश्वासको जन्म दे सकेंगे। किन्तु जब तक सभी व्यक्ति स्वयम् पर और अपनी बुद्धिपर विश्वास न करेंगे, न तो वे स्वतंत्रताके मूल्यको पहचानेंगे, न ही उसका उपयोग कर सकेंगे और दूसरोपर भी विश्वास करना उनके लिए संभव न होगा। नए समाजकी मान्यताएँ यह हो सकती हैं—परस्पर सहयोग, वौद्धिक आचरण, समता, स्वतंत्रता और उदारता।

इन मान्यताओपर आधारित समाजकी व्यवस्थाका क्या रूप होगा? इसकी मस्थाएँ किस प्रकारकी होगी?—यह बातें तो इन मान्यताओको स्वीकार करनेवाले समाजके सदस्य ही बता सकेंगे। आज तो उनका निर्माण की प्रेरणाओकी बात ही मुख्य है।

---:o:---

नया समाज

एक दिन गाधीजीने मुझसे “हरिजन” के लिये एक लेख लिखनेको कहा । मैंने वह लिखकर उनके सामने पेश किया । लेखमें एक वाक्य इस तरहका आता था—“यदि हम करें तो इस देशको फिरसे स्वर्ग बना सकते हैं ।” गाधीजीने लेखको पढ़ा और ‘फिरसे’ इन शब्दोंके नीचे लकीर खींचकर मुझसे पूछा—“स्वर्ग कब था ?” चन्द मैकण्डके अन्दर हजारों बरसका इतिहास मेरी आँवोंके सामने से फिर गया । जग मोचकर मैंने जवाब दिया—“सचमुच, बापू ! स्वर्ग तो कभी नहीं था ।” उन्होंने फिर कहा—“तो ‘फिरसे’ शब्दोंको निकाल दो ।” मैंने ऐसा ही किया । अब वह वाक्य इस तरह रह गया—“यदि हम करें तो इस देशको स्वर्ग बना सकते हैं ।” उस मुघारके साथ वह लेख “हरिजन” में छप गया ।

वात छोटी-सी पर मारकेकी थी । देशमें जब कभी भावी समाजके निर्माणकी बात आती है, तो कई तरहके विचारोंके लोग मिलते हैं, उनमें दो तरहके लोग खाम हैं । एक वह जो देशमें वेदों या पुराणों, रामायण या महाभारतका समय फिरसे लाना चाहते हैं और दूसरे वह, जिन्हें देशकी हर पुरानी बात बुरी और निकम्मी मालूम होती है, और जो इसे यूरपके किसी न किसी देशकी एक नकल बनाना चाहते हैं ? यह दोनों विचार-धाराएँ गलत और खतरनाक हैं । पर इनमें पहली विचारधारा दूसरीकी अपेक्षा अधिक गलत और खतरनाक है ।

कुछ कट्टर या भोले लोग इस मामलेमें इतने बहके हुए हैं कि उन्हें यह ठीक-ठीक जाननेकी आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती कि हमारा भूतकाल कब, कैसा और क्या था । वेदोंके समय की मैं अधिक चर्चा करना नहीं चाहता । जिन्हें वैदिक कालके सामाजिक जीवनको जाननेका शौक हो, वह मनातन विचारके सबसे बड़े वेदवेत्ता नायनाचार्य के भाष्यको पढ़ें । कुछ बरस हुए दरभंगासे निकलनेवाली गायद “गंगा” नामकी हिन्दी पत्रिकाने अपना एक ‘वेदाक’ निकाला था । उसमें भारत-भरके बड़े से बड़े वैदिक पंडितोंके लेख वेदों और वैदिक कालके जीवनके बारेमें मकलित किये गए थे । ‘गंगा’ का वह विशेषांक भी इस बारेमें पढ़नेके योग्य है ।

आर्य-समाजके साथ मेरा बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है । इसमें मद्देह नहीं कि आर्य-समाजने अनेक बातोंमें देशका बहुत बड़ा उपकार किया है । अनेक जगहोंके देशके अन्दर आजादीकी भावनाको जगानेका मेहन भी आर्य-समाजके नर हैं ।

इसमें भी सदेह नहीं कि वेद बड़े मृत्यवान् ग्रथ हैं। दुनियाके साहित्यमें उनका बहुत ऊँचा और अमर स्थान है। वेदोके ज्ञान काण्ड यानी उपनिषदोंसे बढ़कर पुस्तकें दर्शन और आध्यात्मपर गायद अब तक दुनियामे नहीं लिखी गईं। लेकिन हर चीजकी एक हद होती है। जो आर्यसमाजी वेदोको “सव सत्यविद्याओकी पुस्तक” मानते थे और मानते हैं, वे अनेक गुरुकुलो और उनके सैकड़ो स्नातकोके होते हुए भी आज तक कोई नई वैज्ञानिक या दूसरी ईजाद वेदोमें से न निकाल पाए। हमारे गुरुकुलोमे भी हमे फिजिक्स और कैमिस्ट्री पढानेके लिये अँगरेजी पुस्तको या उनके अनुवादोका ही सहारा लेना पड़ता है।

जो भोले लोग वैदिक कालको फिरसे दुनियामें लानेका विचार रखते हैं, उनसे मैं केवल इतना कहूँगा कि यदि वैदिककालके कुछ ऋषियो और दूसरे लोगोका एक गिरोह उसी समयका खान-पान और रहन-सहन लिये हुए कही शून्यसे उतर आवे, तो आज उसे किसी मुसलमान, ईसाई, पारसी या सिख घरमें जगह भले ही मिल जावे, उत्तर-भारतके किसी धर्मनिष्ठ हिन्दूके घरमें जगह मिल सकना सर्वथा असम्भव है।

कुछ भारतवासी महाभारतके समयकी भी दुहाई देते हैं। महाभारत एक खुली पुस्तक है, जिसके अर्थो मे वहस की कोई गुजाइश नहीं। महाभारतका समय वह समय था, जब सव वर्णों और सव आश्रमोके लोगोमें लगभग सव तरहके पशुओका मास खाया जाता था, खुले तौरपर शराव पी जाती थी, दरवारोमें जुएँ खेले जाते थे, स्त्रियाँ, विवाहित स्त्रियाँ तक रुपयेकी थैलियोकी तरह बाजी पर लगाई जा सकती थी, एक पतिके कई स्त्रियाँ और एक स्त्रीके कई पति, दोनो रिवाज जायज थे, इत्यादि अनेक बातोमें समाजका तत्कालीन आदर्श आजके आदर्शसे कही गिरा हुआ था। स्वयं गीतामें श्रीकृष्णने उस समयको “धर्मकी ग्लानि और अधर्मके अभ्युत्थान” का समय कहा है। स्त्री-पुरुषके सम्बन्धके बारेमें तो समाज इतना गिरा हुआ था कि महाभारतमें एक स्थानपर महाभारतके लगभग सव पात्रोकी पैदाइश की जो चर्चा की गई है, वह अगर सच्ची है, तो महाभारतके सारे पात्रो में अधिकांश ऐसे थे, जिन्हें आजकलके अर्थोमें हलालकी पैदाइश नहीं कहा जा सकता।

कोई-कोई भोले लोग तो कभी-कभी बड़े गर्वके साथ कह बैठते हैं कि उनकी नाडियोमें भीम और अर्जुनका रक्त है। सुनकर अचरज और दुःख होता है। हमारे किसी पूर्वजमे यदि कोई दोष था, तो उसके कारण उस पूर्वजके वंशज होनेमें हमें शरमानेकी कोई बात नहीं। गुण-दोष सबमें होते हैं। पर उस आदमीका अपनेको वंशज माननेमें कोई विशेष अभिमान की भी बात नहीं है, जो सब तरहका मांस खाता था, शराव पीता था, जुआ खेलता था, जिम्ने चार और भाड्योके साथ मिलकर एक वीवी रख रखी थी, और जो अपनी वीवीको जुएमें लगा सकता था।

पुराणो या रामायणके समयकी, या बादके हिन्दू या मुसलमान राजाओके जमाने की चर्चा करना इस सम्बन्धमें और भी गलत और वेमानी है।

इसका यह मतलब नहीं है कि उस पुराने जमानेमें या किसी भी जमानेमें कोई बात अच्छी थी ही नहीं। अच्छी और बुरी बातें भी हर जमानेमें होती हैं। किनी बातमें कोई एक जमाना अच्छा और किसी दूसरी बातमें कोई दूसरा जमाना अच्छा, मतलब केवल

इतना है कि 'स्वर्ग' यह देश कभी नहीं था। शायद कभी कोई देग भी नहीं था। हमारे लिये इन बातोंमें न आँख बंद करके प्राचीनताको पूजना कल्याणकर है और न मब पुरानी बातोंको एक सिरेसे बुरा समझकर त्याग देना अवलमन्दी है। अपने आगे और पीछे, दाएँ और बाएँ, सब तरफ निगाह डालते हुए, विवेक, साहस और निष्पक्षताके साथ हमें अपना आगेका रास्ता तय करना चाहिए। पुरानी हो या नई, जो चीज अच्छी है और हितकर है उसे अपनाना चाहिए और जो आगेके विक्राममें बाधक है, उसे त्याग देना चाहिए।

इस सबधमें एक और बात ध्यानमें रखना जरूरी है। कोई भी एक विचार, रिवाज, या सस्था एक समय के लिये हितकर और अच्छी हो सकती है और दूसरे समय के लिये अहितकर और बुरी। एक संस्कृतके कविने इसे बड़ी सुन्दरतासे यो वयान किया है—
अगर किसीके दादाने कोई कुँआ खुदवाया था, जिसका पानी उस समय मीठा था और अब नीचे का मोटा बदल जानेके कारण खारी हो गया है, तो जो कोई यह समझकर कि कुँआ मेरे दादाका बनवाया हुआ है, उमी खारे पानीको पीता रहे, वह कायर और निकम्मा है। नए ममाजकी रचनाके लिये हमें अपनी इस समयकी हालतको ध्यानसे देखना और आगेकी जरूरतोंको समझना होगा।

पहली प्रश्न यह कि हमारे समाजका इस समयका रूप है क्या ?

सबसे पहली बात यह है कि इस देगमें अनेक धर्म और अनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमें हर धर्म या सम्प्रदायवाला अपनेको ठीक और दूसरोंको गलत मानता है। हर एक अपनी-अपनी विशेष रूढियों और रीति-रिवाजोंसे चिपटा हुआ है। जहाँ तक चरित्र या नेकी बढीका सम्बन्ध है, मोटे तौरपर, किसी धर्म या सम्प्रदायके लोग किमी दूसरे धर्म या सम्प्रदायवालोंसे अधिक अच्छे नहीं हैं।

सन् १९४७ के माप्रदायिक दगोंमें हमने भारतमें और पाकिस्तानमें, सरहदके इस पार और उस पार, हजारों मील घूमकर उन दगोंके रूपको देखा है। कोई बुरे-से बुरा पाप ऐसा नहीं था जो हिन्दुओंने न किया हो, जो मुसलमानोंने न किया हो या जो सिखोंने न किया हो, और तीनोंने जो-कुछ किया, वह अपने-अपने धर्मकी रक्षाके नामपर किया। यदि किसी ने यह सुन लिया कि किसी दूमरे गहर या गाँवमें किमी दूमरे धर्मवालेने मुनने-वालेके धर्मके किमी बच्चेको जिंदा भून डाला, या सुननेवालेके धर्मकी स्त्रीका सतीत्व नष्ट कर डाला, या और कोई इमी तरहकी बुरी हरकतकी तो सुननेवालेने अपना यह धर्म और अधिकार समझा कि वह अपने नगर या गाँवके अन्दर उम दूमरे धर्मके माननेवाले किमी भी बच्चे या स्त्रीको पकडकर उसके साथ वैना ही व्यवहार करे। तीनों धर्मवालोंने ऐसा ही किया भी।

तीनों धर्मोंके लोगोंमें इस तरहके नेक, इनसाफपनन्द और बहादुर लोग भी थे जिन्होंने स्वयं अपने धर्मवालोंमें लडकर, अपनी जान जोखममें डालकर, अपने धर्मवालोंके अत्याचारोंमें दूमरे धर्मवालोंकी रक्षाकी। ऐसा न होता तो परिणाम कहीं अधिक भयकर होता। मनुष्य के अन्दरसे न्याय और प्रेमका अश मिटा नहीं है। वास्तवमें उमी अशको जगाने और बटाने तथा अन्याय और नफरतके अशको मिटानेकी आवश्यकता है। पर इन मामलेमें भी तीनों लगभग एकमे नाबित हुए।

दूसरी ओर वुरेसे वुरे विचार और गन्दीसे गन्दी भावनाएँ भी हमारे अन्दर से अभी तक मिटी नहीं है। दूसरे धर्मवालोके खिलाफ़ जान-बूझकर झूठी खबरें उड़ाना, कोई वुरा काम खुद करके उनके सर थोप देना और उसे वहाना बनाकर उनपर हर तरहके अत्याचारोको दवा रखना और कर डालना आज भी हमारे सामाजिक जीवनका एक लज्जाजनक अंग बना हुआ है।

इसके अलावा हम अपने बाज़ारो, दूकानो, कचहरियो, अस्पतालो या नगरोके गन्दे कोनोमें कही भी जाकर देखे या सरकारी रिपोर्टोके आँकडोको पढ़ें, शायद कोई जुर्म या कोई पाप ऐसा नहीं है जिसमें अपनी आवादीके हिसाबसे किसी सम्प्रदायवाले दूसरे सम्प्रदायवालोसे कम हो। यदि अकस्मात किसी कारण एक जुर्ममें एक बढा हुआ है तो तो दूसरेमें दूसरा बढा हुआ है।

डेढ सौ बरस तक अँगरेजोकी खुफिया पुलिसमें हिन्दू, मुसलमान और सिखोमें से किसीने किसीसे कम भाग नहीं लिया। जिन लोगोने देश और देशवासियोके साथ विश्वासघात करके समय-समयपर विदेशियोका साथ दिया उनमें भी हिन्दू, मुसलमान, सिख और जैन सब धर्मवालोके नाम चमकते हुए मिलते है। साराश यह कि हम किसी पहलूसे देखें यह बात त्रिलकुल सच है कि इन धर्मो और सम्प्रदायोका उनके मानने-पालने वालोके चरित्रपर, उनकी नेकी और बदीपर कोई खास असर नहीं पडा। इन अलग-अलग धर्मोने किसी समयमे दुनियाको कितना ही लाभ पहुँचाया हो, और अवश्य पहुँचाया होगा, पर आज यह केवल मनुष्य समाजके टुकडे-टुकडे करके, दिलोको एक-दूसरेसे फाड़नेका ही काम दे रहे है।

दूसरी खास बात जो इस समय हमें अपने समाजमें दिखाई देती है, वह जात-पाँत, ऊँच-नीच और छुआछूत है। हिन्दू, जैन, मुसलमान, सिख और ईसाई कोई इस रोगसे खाली नहीं है, पर मुख्यकर यह रोग हिन्दुओका रोग है। हो संकता है किमी समय इस जात-पाँतका भी कुछ अर्थ रहा हो और यह किसी रूपमें किसी दरजे तक समाजके लिये हितकर भी रही हो; पर आज सैकडो बरससे इस जात-पाँतका नतीजा सिवाय समाज में फूट और विनाशके और कुछ नहीं। आज भी इन जातियोके नामोपर सगठन बढते और मजबूत होते जा रहे है। जगह-जगह ब्राह्मणो और अत्राह्मणोके भेदने एक खतरनाक सामाजिक, और राजनीतिक रूप धारण कर रखा है। यह हमारे समाजका एक बहुत जहरीला रोग है।

हमारा तीसरा बडा रोग इस समय समाजमें फैली हुई भयंकर आर्थिक असमता है। शहरो और गाँवोके जीवनमें तो आकाश-पातालका भेद है ही, स्वयं शहरोके अन्दर भी अमीरो और गरीबोमें वैसा ही अन्तर है। थोडे-से मुट्ठीभर लोगोके पास आवश्यकतामे कही अधिक है और करोडो जनता दरिद्रता और नादारीमें डूबी हुई है। ऊँचीमे ऊँची अटारियाँ, महल और बँगले और गन्दीसे गन्दी झोपड़ियाँ देगमें साथ साथ देखने को मिलती है।

इन तीन बडे रोगोके अलावा स्वार्थ, वैईमानी, चरित्रहीनता आदि और भी अनेक दोष है जो हमारे समाजके विकास और उन्नतिमें रुकावट डालते है पर इस तरहके दोषो की भी असली जट हमारे सामाजिक विभाजन और आर्थिक असमतामें ही है।

अब सवाल यह है कि हमारे नए समाजका रूप क्या होना चाहिये ? जवाब नाफ है—सबसे पहले वह सब दीवारें जिन्होंने देशकी मानवताके टुकड़े-टुकड़े कर रखे हैं, टूटे, अलग-अलग धर्मों और सम्प्रदायोंकी जगह एक मानव-धर्म हम सबका धर्म हो ।

गांधीजी 'सर्वधर्म समभाव' यानी 'सब धर्मोंका बराबर आदर' के सिद्धांतके मानने वाले थे । किसी भी पुस्तक या पद्धतिको स्वतः प्रमाण न मानते हुए भी वह कहा करते थे—“मैं हिन्दू हूँ, इसीलिए मैं मुसलमान भी हूँ, मैं इसाई भी हूँ, इत्यादि” वह सत्य और अहिंसा को सब धर्मोंका सार मानते थे । और “सत्य और अहिंसा” ही उनका धर्म था ।

नए चीनने “ईमानदारी, सादगी और जन सेवा” को अपना राष्ट्रीय धर्म बना रखा है । यही धर्म हम सबका असली और मुख्य धर्म होना चाहिये ।

इसका यह मतलब नहीं कि धार्मिक विचारों या क्रियाओंके मामलेमें किमीके साथ किसी तरहकी ज़बर्दस्ती की जावे । लोगोंके विचारों और विश्वासोंमें फरक रहेंगे और रहने चाहिए । व्यक्तिगत हैसियतसे हर एकको अपने ढंगसे, अपने इष्टदेवको पूजने या न पूजने और अपना रिवाज पालने या न पालनेकी पूरी आजादी होनी चाहिये, पर सामाजिक मामलों और सार्वजनिक जीवनमें हम अपनेको केवल आदमी समझें और केवल आदमी ही गिने जावें ।

इसके साथ ही हमें अपने अब तकके इतिहासको पढ़ने और समझनेके ढंगको भी बदलना होगा । हमें उन सब विचारों, भावों और व्यक्तियोंको अपना आदर्श बनाना होगा, जो हमें इन अलग-अलग धर्मों और सम्प्रदायोंकी दीवारोंसे निकलकर एक सयुक्त राष्ट्र और एक मानवताकी तरफ ले जानेकी कोशिश करते रहे हैं, और ऐसे विचारों, भावों और व्यक्तियोंके मोहको छोड़ना होगा, जो हमें एक-दूसरेसे अलग रखकर इन्हीं अलग-अलग धर्मों और सम्प्रदायोंके नाशकर घेरोमें बाँधकर रखना चाहते थे या चाहते हैं । जात-पाँत और छुआछूत जडसे मिटनी चाहिये । गुण, कर्म, स्वभाव और रुचिके अनुसार सबके साथ खान-पान और शादी-व्याहका खुला सम्बन्ध होना चाहिये । आर्थिक असमानताकी जड़ें भी एक दरजे तक जात-पाँतके अन्दर हैं, आर्थिक समानता लानेके लिए अलग आर्थिक योजनाएँ भी बनानी होंगी । मोच-समझकर हमें डम तरहकी नई आर्थिक व्यवस्था कायम करनी होगी जिसमें यह महलो, अटारियों और झोपड़ोंके फरक मिटें, एक बड़े दरजे तक आदमी आदमी बराबर दिखाई दें और सब सुखी और खुशहाल हो ।

जातियों, धर्मों या सम्प्रदायोंके नामपर स्कूलों कालिजों, यूनिवर्सिटियों और किमी भी तरहकी सार्वजनिक संस्थाओंका रहना और बनना बन्द होना चाहिये ।

देशकी सरकार, मरकारी महकमों और शासकोंकी हैसियतसे, किमी अलग धर्म या जातिके साथ किसी तरहका सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये । यही धर्म निरपेक्ष राज्य यानी सेकुलर राज्यका असली मतलब है ।

यही वह दिशा है, जिसकी ओर हमें हिम्मतके साथ बढ़ना है । हम ठटे दिलमें देगे, तो अपने देशके गांधीजीके सिद्धान्तों और पश्चिमके कार्लमार्क्सके आदर्शोंमें मिलाकर हमें इसके लिए काफी मार्गदर्शन मिल सकता है । कल्याणका हमारे लिए यही एक रास्ता है । नए समाजकी रचनाका यही रूप हो सकता है ।

सामाजिक समता और समानता

जहाँपर आर्य समाजका प्रवर्तक दयानन्द, और समानताकी गंगा बहानेवाला गांधी पैदा हो, वहाँ भी अस्पृश्यता रहे, इसका कारण जल्दी समझमें नहीं आता । लेकिन वह है । जिस दिन, जिस घड़ी छुआछूतका प्रादुर्भाव हुआ, उसी दिन, उसी घड़ी इसके विरुद्ध विद्रोह भी पैदा हुआ । हिन्दू-समाज और धर्मके इतिहासमें कोई भी काल ऐसा नहीं मिलता, जिसमें इस कलकके विरुद्ध विद्रोह नहीं चलता रहा हो । यह विद्रोह उन लोगोकी तरफसे अधिक रहा जो सवर्ण थे । यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जब तक वर्ण-व्यवस्था कायम रहेगी, तबतक छुआछूत कायम रहेगी । एक रहे, और दूसरा न रहे, यह असम्भव है । वर्णव्यवस्थाका आधार असमानता है और जाति-प्रथा उससे भी अधिक असमानताके ऊपर आधारित है । छुआछूतकी व्यवस्था भी इस असमानता का ही प्रतीक है । बहुतसे लोग कहते हैं कि जाति-प्रथाको भले ही मिटा दें, लेकिन व्यवस्था तो कर्मके अनुसार है । मुझे यह दलील मजाक-सी मालूम पडती है । आप हिन्दू-धर्मके इतिहासको पढ जायें तो कही यह नहीं मिलता कि किसीका वर्ण कर्मके अनुसार माना गया हो । विश्वामित्र क्षत्रिय थे पर उनकी तमन्ना थी कि ब्राह्मण बन जायें । क्षत्रियसे ब्राह्मण बननेमें सिर्फ एक सीढ़ी चढ़नी थी । वशिष्ठ मुनि विरोध करने लगे, तो पुराणोंमें पढ़नेको मिलता है, विश्वामित्रने कहा कि हम एक और सृष्टि बना लेंगे । उन्होंने अलग दुनिया बनानेकी ठान ली । यह सब होनेके बावजूद भी वे राजांपसे ब्रह्मर्षि नहीं बन सके । यदि कभी कोई अछूत जगजीवनराम जैसा हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि वह पिछले जन्ममें ब्राह्मण था, अब भ्रष्ट हो गया अर्थात् पिछले जन्मका ब्राह्मण था, अब पाप किया तो अछूत हो गया । इसका अर्थ यह कि ब्राह्मणके अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिभाशाली हो ही नहीं सकता ।

विचार परम्पराको बदले

भगवान् बुद्ध आये, महावीर आये; आजके युगमें राममोहन राय, दयानन्द, विवेकानन्द, रामतीर्थ, महात्मागांधी आदि आये । सबने इस कलकके विरुद्ध विद्रोह किया । सबसे अधिक सफलता मिली गांधीजीको । इसका क्या कारण है ? मैं तो कहता हूँ कि गांधीजी जितने बड़े राजनीतिक नेता थे, उमसे कही अधिक बड़े धार्मिक नेता थे । इस बातको हम लोग जानते हैं । उन्होंने हिन्दू-समाजको छिन्न-भिन्न होने से बचाया । मैं विस्तारमें न जाकर एक बात कह दूँ और वह यह है कि सब सुधारकोंका एक अलग

सम्प्रदाय बन गया लेकिन गाधीजीका कोई सम्प्रदाय नहीं बना । सब सम्प्रदाय रह गये और उनमें फिर पुरानी चीज वैसीकी वैसी ही रह गई । हिन्दू-धर्मकी वर्ण-व्यवस्था और जाति-प्रथाका प्रभाव इतना प्रबल रहा कि जो भी इसके सम्पर्कमें आया, इससे कलु-पित हो गया, । कोई वाकी नहीं बचा । इस्लाम व क्रिस्चियनिटी जैसे मजहब यहाँ आये, जिनके अनुयायियोंमें भेदभाव नहीं था लेकिन उनपर हिन्दू-धर्मने असर डाला और मुसलमान और ईसाइयोंमें भेदभाव पैदा हो गया । धर्म-परिवर्तनके मामलेमें विशेष कहना नहीं चाहता क्योंकि यह मेरी दृष्टिमें कोई महत्वकी चीज नहीं है । लेकिन जब तक हम बुनियादी चीज नहीं बदलते हैं, समाजका नव-संस्कार नहीं हो सकता । अगर हम नया मकान बनाना चाहें, और बुनियाद पुराने मकानकी ही रहने दें तो ऊपर की इमारत सुन्दर हो सकती है लेकिन नीव की जो खामियाँ रहेंगी, वे ऊपर भी आ जायेंगी । असुख्यता मिटानेके लिए जब तक हम विचारपरम्पराओंको नहीं बदलते हैं, तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी । हम तो आदमी की छुटाई-बडाई इससे देखते हैं कि उसने किस जातिमें जन्म लिया है । कुछ लोग कहते हैं 'हम भगीके हाथका जलपान कर लेते हैं ।' मैं कहता हूँ कि जब तक यह कहा जाता है तब तक हमारे अन्दर द्वेष है । यह तो कोई भी नहीं कहता कि मैं ब्राह्मणके हाथका पानी पी लेता हूँ । उसको मिटानेके लिए विचार से ही विचारका मुकाबला किया जाना जरूरी है । जो परम्परा चली आ रही है, उसके बदलनेके लिए नए दर्शनकी जरूरत है । गाधीजीने जो सबसे बड़ा काम किया, वह यह कि हमारे यहाँ मूल्यांकनका जो तराजू था, उसको उन्होंने बदला । भगी म्यूनिसिपल कमेटीका सबसे बुनियादी काम करनेवाला है । उसकी तनखाह बढ़ानेकी बात होती है तो लोग कहते हैं कि रुपया नहीं है । इनकी तनखाह बढ़ाई जाय, तो स्कूल बंद करने पडेगें । लेकिन हम जडको नहीं, पत्तोको सींचते हैं । सोचिये कि जहाँपर सफाई नहीं होगी, वहाँ स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है और जहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं, वहाँ स्कूल क्या चलेंगे ?

सफेदपोगोसे सघर्ष

इस दुनियामें हमेशा सफेदपोश और मेहनतकशका सघर्ष रहा है । सफेदपोग सदा तिकडमबाजीसे काम लेते हैं । अगर मेहनतकश वही तिकडमबाजी करने लगे, तो सफेदपोश खत्म हो जायेंगे । परन्तु मेहनतकशका समाजमें कोई स्थान नहीं है । उसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता । लेकिन यदि वही मेहनतकश काम करना बंद कर दें तो बड़े-बड़े कारखानेके धुँएँ बंद हो जायेंगे । और समाज-सेवाके जितने उपग्रम हैं, सब पर ताले लग जायेंगे । आज हम कहते हैं कि लोगोका जीवन-स्तर ऊँचा नहीं । लेकिन जीवनको ऊँचा उठानेवालेकी तरफ किसी का खयाल नहीं है । इसलिए मैं कह रहा था कि स्टैण्डर्डको बदलनेकी आवश्यकता होती है । और वह तभी बदला जा सकता है, जब कि विचारोंमें क्रांति आती है । जब तक हमारे विचारोंमें क्रांति नहीं आती है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते । जब तक हमारे दिमागमें पुनर्जात चीज भरी है तब तक नये समाजकी रचना कैसे हो सकती है ? हमारे विचारोंमें क्रांति नहीं है, इसलिए हम मरहम-पट्टी वाला काम करते हैं । गाधीजी और दूसरे लोगोंने यही मौलिक अन्तर था । गाधीजीका कहना था कि यदि जस्मको आराम कर सकते हैं,

तो आराम करें और यदि आराम नहीं हो सकता तो काटकर फेंक दें। लेकिन हम तो उसपर रेशमी पट्टी बाँधकर दूसरोंको धोखा देते हैं। हमारी नीति कहती है कि सत्य बोलो कटुसत्य न बोलो। लेकिन अगर सत्य है, तो कहना ही चाहिए। वर्ण-व्यवस्थाका सीधा मन्वन्व हिन्दू धर्मके मौलिक सिद्धान्तोंसे है और वह सिद्धान्त कर्म और पुनर्जन्मका है। मैंने अश्वर्ष या पाप किया तो हरिजनके घरमें पैदा हुआ और आपने पुण्य किया, तो ब्राह्मणके घरमें। लेकिन बातें तो इसमें उल्टी मिलती हैं। एक भगी वेद जानता है और ब्राह्मण यह भी नहीं जानता है कि वेद चार हैं या चौबीस।

पुनर्जन्मका सिद्धान्त

मुझे ऐसा मालूम होता है कि जिन लोगोंको दवाया गया, उनके अन्दर विद्रोहकी भवना न जगे इसलिए कर्म और पुनर्जन्मके सिद्धान्तका निर्माण किया गया था। हमें छुआछूत मिटानी है, वर्ण और जाति-व्यवस्था मिटानी है। एक बार जो परम्परा हमारे दिमागमें बैठ जाती है, उससे उल्टी बात हम सुननेको तैयार नहीं।

हमको अपने देशमें नवीन समाजकी रचना करनी है जिसकी बुनियाद समानताके ऊपर होगी। जब तक जाति-प्रथा रहेगी तब तक समाजवाद आ नहीं सकता। दोनों एक साथ चलनेवाली चीज नहीं है। दर्शनके जगतमें चल सकती है, 'बसुधैव कुटुम्बकम्' के नारेमें चल सकती है। सोगलिस्ट पैटर्नके माने क्या हैं? समाजवाद का अर्थ कि सब लोग बराबर हो जायें, गलत है। समाजवादके असली माने होते हैं कि हम सबको समान अवसर दें, अपना विकास करनेमें कोई कुठित न रहे।

समाज-सुधार और कानून

आज लोग कहते हैं कि धार्मिक और सामाजिक मामलोंमें कानून नहीं होना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि क्या कभी कानून या राजदण्ड के बिना व्यवस्था कायम रही? बराबर राजदण्डका भय रहा है। पहले तो भिन्न जातिकी सन्तानको दौलत आदिसे वंचित कर दिया जाता था लेकिन अब उनको अधिकार दे दिया गया है। एक ही जातिके स्त्री और पुरुष के विवाहकी परिपाटी यदि न रहे तो जाति-प्रथा बहुत जल्द खत्म हो जायगी। आज तो इस चीजकी आवश्यकता है और तभी हम उस बुनियादी कामको कर सकेंगे। जितना इस देशको जाति-व्यवस्थासे नुकसान है, उतना न तो मुसलमानोंके आक्रमणसे और न ईसाइयोंके आक्रमणसे हुआ है। प्राचीन परम्पराको तोड़ना होता है, तो कष्ट होता ही है।

अगर हम चाहते हैं कि हर इन्सानको अपनी योग्यताके विकासका अवसर प्राप्त हो सके तो इस बातको बदलना है और इस बातको बदलेंगे तो बहुत चीजें बदल जायेंगी। समाजका कोई क्षेत्र ले लें सबको समान अवसर प्राप्त नहीं है। मानलीजिए कि दो आदमी बेरोजगार हैं। एक सवर्ण है और दूसरा हरिजन। दोनोंके पाम दो रुपए हैं। नौकरी किसीको भी नहीं मिली। सवर्णने तेल-ब्रेसन आदि खरीदकर शहरमें मड़कके किनारे पकौड़ी-चाट बनाना शुरू कर दिया और दो रुपए से ८ आने कमा लिये लेकिन हरिजन ऐसा करें, तो उसपर डडे पड जायेंगे। तो समाजकी व्यवस्था उसके रास्तेमें रूकावट होती है। ऐसे कितने ही उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आर्थिक क्षेत्र में आप ले लीजिये। अमीर बापका बेटा फेल होकर भी पढ़ता है और गरीब बापका

बेटा पास करके भी टैक्सटाइल मिलका ब्लाक बनता है। अगर हम चाहते हैं कि समाज-वादी व्यवस्था समाजमें कायम हो और समाजके लोगोको समान अवसर मिल सकें, तो समान अवसरके रास्तेमें जो जो चीजें रूकावट पैदा करती हैं, उनको दूर करनेकी आवश्यकता होती है। रूसमें महान् क्रांति हुई, चीनमें महान् क्रांति हुई। उनके यहाँ केवल आर्थिक क्रांति थी। हमारे यहाँ केवल आर्थिक क्रांतिसे काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति गांधीजीने की। इसको और तेजीसे चलानेकी जरूरत है।

आजकी व्यवस्था सड गई है। इसको बदलना है। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, इनमें हमने अबतक जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसका मकसद यही है कि हम सभी लोगोको समान अवसर दे सकें। समाजमें परिवर्तनका जो भी कार्य होगा, वह सिर्फ सरकारके ऊपर छोड़ देनेसे ही नहीं होगा। सरकारी और गैर-सरकारी दोनोके सहयोगसे ही हो सकता है।

मैं यह चाहता हूँ कि जो शोपित वर्ग है, वह ऐसी क्रांति लाये जिससे सारे राष्ट्रका भला हो। चाहे वह गरीब ब्राह्मण है या भगी, दोनोमें कोई अन्तर नहीं है। दोनोका उत्थान करना है। जो जमानेसे शोपित रहा है, वह कष्टको जानता है। जिनपर अन्याय हुआ है वह किसीका शोपण नहीं करना चाहेगा। हम ऊपर उठना चाहते हैं किमीको गिरानेके लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उठें, तो सब उठ जायें।

—•••—

समाज-निर्माण और सर्वोदय

जिसे समाज कहते हैं, वह वस्तु हमारे देशमें आद्य तक बन नहीं पाई है। हमारे यहाँ परिवार है—एकसे एक बड़ा और समरस परिवार है। मगर 'समाज' के दर्शन नहीं मिलते। यो व्यक्तियोंके झुण्ड या परिवारोंके समूह तो मिलते हैं लेकिन उन्हें 'समाज' मानना न्यायसंगत नहीं है।

मान लीजिए धानका एक ढेर कही रखा है। उसमें से मुट्ठीभर दाने कोई निकालता है। हाथ लगते ही ढेरमें गढा पड़ जाता है। वह गढा भरता नहीं, गढा ही रह जाता है। कुछ महात्मा-वृत्तिके दाने गढेमें ढुलक पड़ते हैं—लेकिन दूसरे दाने अपनी जगह से टससे मम नहीं होते। इस वजहसे गढा सावित बना रहता है। इसके खिलाफ किसी वरतनमें पानी लीजिये। उस पानीमें से कटोरा-भर या चुल्लू-भर पानी निकाल लीजिये। पानी निकाल लेनेके बाद भी वरतन के पानीमें कोई गढा नहीं पड़ता। जैसे ही पानी निकाला, आसपासकी वूँदें गढेको तुरन्त भर देती है। वरतनके पानीकी सतह भले नीची हो जाए, मगर पानीके कणोंको असलमें गढा रखना वर्दाशत नहीं है। धानके दानोंकी वृत्ति झुण्डके जैसी है, पानीके कणोंकी समाज-जैसी। भारतकी हालत देखते हुए ऐसा लगता है कि हम अपनेको समाज भले कहलें, लेकिन दानोंकी जैमी व्यक्तिगत और दयनीय स्थितिमें हम हैं, पानीके कणोंकी जैसी समाजनिष्ठ और गौरवपूर्णमें नहीं।

यह सब देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत-भूमिमें 'समाज सुधार' का काम तो वादको होगा, पहली ज़रूरत 'समाज-निर्माण' की है। जिस देशमें लाखों-करोड़ों आदमी अछूत ममझे गये, दूसरे लोगोंको जिनकी हवा भी वर्दाशत न हो—उस देशके बारेमें क्या कहा जाय ? तमिलनादके तन्जौर जिलेमें ऐसे ब्राह्मण आज भी मिलते हैं, जिन्हें हरिजन की शकल दिखना अपशकुन है। यही नहीं जिनकी दृष्टिमें अब्राह्मण अछूत है। अछूतोंमें भी आपसमें छुआछूत चलती है। यानी अगर सबर्ण अछूतोंसे वचते हैं तो अछूत भी अछूतोंमें वचते हैं। इस तरह हमने जात-पाँत छुआछूत आदिके अनेक छोटेसे छोटे धरोरे बना लिये हैं और उन्हींमें पडे सडते रहते हैं। जिम तरह तालावका पानी न बहनेके कारण गन्धाता है, उमी तरह हमारी प्रेम-भावना परिवारके बाहर नहीं बहने के कारण अन्दर ही अन्दर गन्ध देने लग जाती है। यही हमारी असामाजिक प्रकृतिके न्यिे जिम्मेदार हैं।

हमारे देशके साधुओंने इस दोपको पहचान लिया । उन्होने इसके खिलाफ आवाज उठाई । कवीरने यहाँ तक कहा—

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय ।

ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ै सो पण्डित होय ॥

कवीरके अलावा दादू, नानक आदि अनेक सतोंने हमारी इस अमामाजिकतापर प्रहार किया । लेकिन हमने एक अनोखी चाल चली । वह यह कि जन-समूहको दो भागोमें बाँट लिया । एकमें साधु-सन्यासी, दूसरेमें गृहस्थ । हमने यह वँटवारा किया कि साधुकी मालकियत रहेगी नैतिक शक्तियोपर—जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि । और गृहस्थकी मालकियत रहेगी नैतिक शक्तियोपर—जैसे धन, धरती, सम्पत्ति, उद्योग-धन्धे आदि । हमने यह भी मान लिया कि साधुको श्रम या सेवा करनेकी जरूरत नहीं है । गृहस्थ उसका पालन-पोषण कर देगा । और गृहस्थको मत्य, अहिंसा, प्रेम, मयमकी पावन्दी रखनेकी जरूरत नहीं है । यही नहीं वल्कि यह भी मान लिया गया कि गृहस्थको असत्य, हिंसा, वैर, असयमसे कोई परहेज करनेकी जरूरत नहीं है । इसका परिणाम यह था कि सतोंके बधनोको 'आदर्श' या 'वास्तविकतासे परे' की चीज कहकर गृहस्थ हँसते हुए उडा देता था । चीजको अच्छी तो जरूर बतलाया, मगर उनपर "अव्यावहारिक" की मुहर लगा दी । इसका नतीजा यह हुआ कि—मर्ज बटता गया ज्यो-ज्यो दवा की ।

उन्नीसवी सदीके अंत तक देशकी यह दुर्दशा चलती रही । उन्नीसवी सदी के हमारे महापुरुषोंने—राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती और श्री रामकृष्ण परमहंसने जात-पाँत और छुआछूतके धरोदोको शैतानी और हँवानी कहकर उनको गलत बताया । इसके कारण कुछ लोगोकी, विशेषकर शिक्षितोकी मनस्थितिमें फर्क पडना शुरु हुआ । लेकिन अमली दुनियामें हालत वैसी ही बनी रही ।

उन्नीसवी वीसवी सदीके शुरुमें स्वामी विवेकानन्दने जोर की ललकार दी ऐसे धर्मको—जो भेद-भाव बढावे, निष्क्रियता पैदा करे, आलस्यको प्रोत्साहन दे—निपिद्ध बनाया । उन्होने "दरिद्र नारायण" शब्दका आविष्कार और उनकी सक्रिय सेवा करनेके निचे अपने देश-वासियोका आवाहन किया । इसमे शिक्षितोके बीच पूरी ग्लनवली मच गई और उनका मानस तैयार हो गया ।

इस गरम लोहेपर एकसे एक करारी चोटें महात्मागाधीने लगाई । जानकी बानी लगाकर अछूतोके अधिकारके लिये और सवर्णों के अन्यायके खिलाफ वह गूटे हों गए । जात-पाँत और छुआछूतकी बुनियादें हिल गई और मदियो पुगने कियेकी दीवारें टूटने लग गई । तिसपर भी साम्प्रदायिक भावना अन्दर धर बना चुकी थी और अंग्रेजी मन्तार ने उसे और जहरीला व गहरा कर दिया था । देश आजाद हुआ—नैतिन उमने श टुकडे हो गए ।

×

×

×

×

अब मवाल यह है कि आजादीके बाद अमामाजिकताको, बने मिटाया जाये 'धर्म' का 'समाज' में रूपान्तर कैसे हो ?

समाज-निर्माण और सर्वोदय

४५३

लोकतंत्रमें शासनका यह कर्तव्य होता है कि जनताको दुःख देनेवाले, उसके अन्दर असमानता और विषमताका बीज बोने वाले साधनोका पता लगाकर उन्हें नष्ट करे ताकि लोग सुखी जीवन बिता सकें। यही वजह है कि क्या हमारी पार्लियामेंटमें क्या प्रान्तीय विधान-सभाओंमें, आये दिन सुधार-संबंधी कानून बनते हैं। वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य अपना यह धर्म समझता है कि जनताकी सारी प्रवृत्तियोका भार वह खुद उठाकर जनताका संकट निवारण करे।

लेकिन कष्ट-निवारण एक बात है, समाज-निर्माण दूसरी। लोगोंका ऊपर-ऊपरसे दुःख मिटाना एक चीज है, दुःखकी जड़को ही उखाड़ फेंकना दूसरी। पिछले सौ सालमें देशमें जो बीता सो किसीसे छिपा नहीं है। जिस जाति-भेदपर राजा राम-मोहन रायसे लेकर महात्मागांधी तकने प्रहार किये, लोकतंत्रकी चुनाव-प्रणाली ने इस जातिवादको फिरसे जिला दिया। कौन नहीं जानता कि आज चुनावमें जात-पातका जोर और शराबकी बोटलें तक चलती हैं? सत्ताको अपने हाथमें रखनेके फेरमें सत्तारूढ़ पार्टीका कोई सिद्धान्त ही नहीं रहता—सिर्फ यह कि सत्ता उसकी चेरी रहे। इस वास्ते जा या वेजा, जात-पात या छुआछूत आदि का कोई परहेज उसे नहीं रहता। और जब सत्ताधारी यह करते हैं, तो सत्ताकाक्षी, विरोधी पक्षोके सामने तो कोई पैमाना रह ही नहीं जाय। सब एक ही देवताके—सत्ताके उपासक ठहरे। उसकी धारणा में प्रेम, सद्भावना, अभेद आदि सारे गुणोकी बलि दी जा सकती है। और दी जा रही है। सत्ता स्वामिनी बनी है—सब उसके दास-दासियाँ हैं !!

इसलिए यह घड़ी बड़ी नाजुक बन गई है।

कौन जाने कि आजके कायदे-कानून, आजकी सुधार योजनायें असामाजिक भारत को और भी ज्यादा अति-असामाजिक बना दें। देखनेमें तो ऊपरसे चोखा रंग दीखे, लेकिन अन्दर ही अन्दर मैला पड़ता सड़ता और फूलता जाये।

हमारे इस डरका एक विशेष कारण है। वह है भी स्पष्ट। यह कि नये-नये कायदे-कानून या सुधारक-प्रोग्रामोके कर्त्ता-धर्त्ता कौन है? वही है जिनके हाथमें सत्ता है, जिनके पास सम्पत्ति है, जिनका उत्पादनके साधनोपर कर्मोवेश स्वामित्व है। इनमेंसे ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि संघर्ष और प्रतियोगिताही जीवनके आधार है। वे यह भी मानते हैं कि कुछ लोगोका ज्यादासे ज्यादा भला हो सकता है, मगर सबका भला करना नामुमकिन है। दूसरे शब्दोमें—आजके अधिकांग सार्वजनिक कार्यकर्त्ता 'अल्पोदयवादी' हैं। उनकी सर्वोदयमें—सबके हितमें—श्रद्धा नहीं है। उनका विश्वास है कि सब अगोको तो सतुष्ट नहीं किया जा सकता, कुछको किया जा सकेगा और कुछकी खातिर बाकी थोड़े-सोकी अवहेलना करनी ही पड़ेगी। आज सारी दुनियामें अल्पोदय-वादियो का ही राज है—चाहे उनका रूप अमरीकाके जैसा पूंजीवादी हो, इंग्लैण्डके जैसा लोकतंत्रवादी हो या रूसके जैसा साम्यवादी हो। सबका गुरुमंत्र है, 'अल्पोदय'।

अनेक कारणोसे—सांसकर साम्राज्यवादी, गोचर या अगोचर, सुविधाओका इस अल्पोदयके आधारपर चलकर भी कुछ ज्यादा विगाड़ नहीं हुआ। वहाँकी साधारण जनता दुःखी है, वहाँ विषमता है, वहाँ शोषण चलता है। मगर साम्राज्यकी लूटकी

वदौलत वह दुखडा ज्यादा उग्र रूप नहीं ले सका । लेकिन आज हमारे देशको वह सहूलियत हासिल नहीं है—भगवान न करे कभी हो ।

फिर अल्पोदयके अनुसार, आठ-नौ वरसमें जो 'विकास' हुआ है, उससे विपमता और असमानता बढ़ी ही है । यही नहीं आपसमें दिल फटे हैं, दरारें चौड़ी हो गई है । बम्बई, कटक और अहमदाबादकी घटनायें रह-रहकर यह सन्देश दे रही है । ऐसी हालतमें कुछ दु खका सुधार भले हो जाये, समाज-निर्माण कैसे हो सकता है ? भगी को वेतन जरूर ज्यादा मिलने लगेगा, लेकिन भगीकी जाति नहीं मिट सकती । लोक-जीवनके विभिन्न अंगको जीवन-सामग्री आजसे अच्छी मिल सकती है, लेकिन 'समाज' रूपी फूल नहीं खिल सकेगा ।

हमारा विनम्र निवेदन है कि वर्तमान भयानक परिस्थितिका सफलतापूर्वक 'सामना' करनेका एक ही उपाय है । यह कि "अल्पोदय" की वजाय "सर्वोदय" को अपनी आधार-शिला बनायें । स्वराज्यप्राप्तिके पहले ही महात्मागांधीने "सर्वोदय" का मंत्र हमें दे दिया था । और उस दिशामें आर्थिक, सामाजिक व नैतिक दृष्टिसे कुछ रूपरेखा भी खींची थी । लेकिन विदेशी सत्ताकी मौजूदगीमें हम वह आगेका कदम रखनेसे मजबूर थे । उसकी विदाईके बाद जब नये कदम उठानेका समय आ रहा था कि हमारे बीच से वह चले गये । मगर करना क्या है—वह क्या चाहते थे—इसका चित्र तो वे बता ही चुके थे । वास्तवमें उनका जीवन ही उसका सर्वोत्तम दृष्टान्त था ।

तेज़ीके साथ देशका मानस बदल रहा है । अमामाजिकतासे तग आकर भारत अब नई करवट ले रहा है । अल्पोदयके नाटकके भयानक परिणाम विदेशमें और स्वदेशमें भी देखकर, भारतकी जनता अब सर्वोदयकी तरफ कदम रख रही है । हमें आशा और विश्वास है कि "वसुधैव कुटुम्बकम्" के मंत्रका प्रथम उच्चार करनेवाला भारत एक परिपूर्ण कुटुम्बके रूपमें निखर उठेगा । और फिर उस प्राचीन मंत्रको साकार रूप देनेमें भी समर्थ होगा । यही सच्चे सुधार और समाज-निर्माणका मुनिश्चित मार्ग है ।

— . ०० . —

सामाजिकताके नये मल्य

सामाजिकताके नये मूल्योपर विचार करते समय हम दो मार्गोंका अनुसरण कर सकते हैं। एक तो हम अपने देशके नवीन संविधानके निर्देश-सिद्धातों, मौलिक अधिकारों और अन्य संरक्षण-अधिकारोंको स्वीकार कर लें, साथ ही संसदने देशमें समाजवादकी स्थापनाका जो लक्ष्य घोषित किया है, उसको भी अपना आधार मान लें और वर्तमान समाजपर पडनेवाले विभिन्न प्रकारकी प्रतिछायाओंका मूल्यांकन करनेके चक्कर में ही न पड़ें और दूसरा रास्ता यह है कि हम वर्तमान समाजकी विवेचना करें। समाजकी धार्मिक निष्ठा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक शृङ्खलाएँ और भविष्यकी आशाओं और आकांक्षाओंको मूर्त करनेवाले विचारोंकी विवेचना करें, वर्तमान मनुष्य और उसकी सामाजिकताकी परीक्षा करें और मनुष्यके सम्यक् चरित्रके निर्धारणके लिए आवश्यक नियमोंकी खोज करें। एक लेखकी सीमामें दोनों प्रकारकी विवेचना के साथ पूर्ण न्याय किया जा सकेगा, इसमें सदेह है। हम विशद् विवेचना तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन नैतिक आचरणके नियमोंको ढूढ़नेके लिए इस प्रकारकी विवेचनाकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती।

सबसे पहले हम संविधानके निर्देश-सिद्धान्तोपर विचार करेंगे। संविधानकी १५ धाराओंमें (३६ से ५१) तक इनका उल्लेख है। इनमें कहा गया है कि राज्यको नागरिकोंके कल्याणके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिये, सभी नागरिकोंकी जीविकाका प्रबन्ध किया जाना चाहिये, जन्म-मरणकी समुचित व्यवस्था और सुविधाका प्रबन्ध करना चाहिये, राज्यको सभी नागरिकोंके लिए एक प्रकारका कानून बनाना चाहिए, १४ वर्षकी आयु तक सभी बच्चोंको निशुल्क शिक्षाकी व्यवस्था, मद्य-निषेधका प्रबन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें शान्ति और सुरक्षाका समर्थन करना राज्यका कर्तव्य होगा। स्मरण रहे कि निर्देश-सिद्धात मौलिक अधिकारोंसे भिन्न हैं और इनको लागू करानेकी माँग नहीं की जा सकती। राज्यको इनकी ओर अग्रसर होनेका अधिकार रहेगा।

भारतीय संविधानमें मौलिक अधिकारोंकी जो घोषणा की गयी है, उसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषणसे मुक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, मम्पनिका अधिकार; संस्कृति और शिक्षाके अधिकारका और इन अधिकारोंकी रक्षाकी विधिका उल्लेख है। संविधानकी धारा १७ के अन्तर्गत अस्पृश्यता समाप्त की गयी है। धारा १६ के अंतर्गत भाषण और

अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता, सभा और सभ बनानेकी स्वतंत्रता, आवागमनकी स्वतंत्रता, सम्पत्ति अर्जन और विसर्जनका अधिकार, पेसो और व्यापारकी स्वतंत्रताका उल्लेख है। राज्यकी ओरसे जिन नौकरियोंकी भर्ती की जायेगी उनमें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं किया जायेगा। विना किसी कानूनी अपराधके कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और किसी व्यक्तिका जीवन या उसकी सम्पत्तिका विना कानून अपहरण नहीं किया जायेगा।

सविधानके इन अशोको पढ़नेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतके प्रत्येक नागरिक को सामाजिकता, आर्थिक और राजनीतिक न्यायका अधिकार है। उमे अभिव्यक्ति, विश्वास, निष्ठा और उपासनाकी स्वतंत्रता है। सभी नागरिक समान हैं, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी सुरक्षित है। ससदने देशमें समाजवादी समाजकी स्थापनाका लक्ष्य घोषित किया है और पंचवर्षीय योजनाओंके माध्यमसे उमे स्थापित करनेका प्रयत्न किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमिपर हमें देखना चाहिये कि समाजवादी समाजमें सामाजिकता के क्या मूल्य होने चाहिये। इस प्रश्नका उत्तर देनेके पूर्व हमें दूसरी पद्धतिकी भी विवेचना कर लेनी चाहिये।

यह कहना तो निर्विवाद है कि मानव-समाज चिर-परिवर्तनशील है। मानव-समाजका अविच्छिन्न इतिहास विभिन्न युगोंमें बँटा हुआ है। प्रत्येक युगकी कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं और ये विशेषतायें उस युगके सामाजिक संगठन और आचार-विचार को भी प्रभावित करती हैं। इन आचार-विचारोंको ही युग-धर्म कहा जाता है। युग धर्ममें दार्शनिक सिद्धान्तकी आधारभूतपर निर्मित प्रामाद है जिनमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा धार्मिक चार खंड हैं। इनमेंसे कौन प्रथम और कौन द्वितीय है, इस सम्बन्धमें मतभेद चाहे भले हो लेकिन इनके अस्तित्व एवं महत्त्वमें अंतर नहीं किया जा सकता।

वर्तमान युग-धर्मका स्वरूप स्थिर करनेके लिए यह आवश्यक है कि हम वर्तमान समाजका विश्लेषण करें। आज धर्म और दर्शनकी भावनामें वैसा ही मकट है, जैसा हमें सामाजिकताके क्षेत्रमें दिखायी देता है। भारतीय धर्म और दर्शन की विविधता होने हुए भी उसका पुराना स्वरूप नष्ट हो गया है। प्रारम्भमें दर्शन समग्र ज्ञानके आधार पर निश्चित ऐसा सिद्धांत माना जाता था जिनसे नसारकी नमस्त नमन्याएँ मुनजायी जा सकती थी। धर्म उन्हें विश्वास मानकर आचरणके नियम स्थिर कर देता था। गीताके लिए तो स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि उसमें सभी दर्शनोका मार है। ज्ञान अनन्त है और नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान, अनेक दार्शनिक मान्यताएँ मित्रिल पत्नी जा रही हैं। भारतमें दर्शनके विकासका बहुत कम काम हुआ है। फिर धार्मिक क्षेत्रमें तो और भी कलह है। अनेक धर्म और उनकी विभिन्न अव्यंग्योंके बीचमें भी कुछ ऐसे नियम चले आते हैं, जिन्हें सभी धर्मोंमें आदर प्रदान किया गया है। उनमें दया, क्षमा, दान, धृति, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिहार्य, और नत्य धामिन हैं। गांधीजी ने अहिंसाको इसमें और जोड़ दिया है। विभिन्न धर्मोंकी विविधता तथा विगेरगो छोड़कर सामाजिकताके नियमोंके लिए इन्हें आधार बनाया जा सकता है।

राजनीतिक चेतनाके संबंधमें इतना कहा जा सकता है कि भारतने लम्बे सघर्षके बाद स्वतंत्रता प्राप्त की है। सघर्षके दिनमें प्रजातान्त्रिक चेतना और समाजवादी सिद्धान्त से हम प्रभावित हुए थे। राजनीतिक क्षेत्रमें व्यक्तियोंकी समानताका सिद्धान्त तो प्रजातंत्रमें ही स्वीकार कर लिया गया है। समाजवादमें तो आर्थिक क्षेत्रमें भी इसको माननेपर जोर दिया जाता है। विभिन्न राजनीतिक मतवादोको लें, तो उन सबमें मानवको केन्द्रमें रखे बिना काम नहीं चलता। अधिनायकशाहीमें अतिमानवकी ओर से यह घोषणा की जाती है कि वह मानव समाजके कल्याणके लिए शासन करता है। यह घोषणा भी राजाके शासनके ईश्वरीय अधिकारसे भिन्न नहीं है। प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों का आधार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय माना गया था लेकिन हमारे राष्ट्रपिता गांधीने तो इसे और अधिक विस्तृत करके सर्वजन हिताय बना दिया है और इसी आधारपर उन्होंने अपना सर्वोदय सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। वे कार्लमार्क्सकी वर्गकी लघु सीमासे आगे बढ़ गये हैं। स्वर्गीय श्री मानवेन्द्रनाथ रायने भी समस्त मानवसमाजके विकास का सिद्धान्त अपनाया। उन्होंने मानव-समाजके नैतिक आचरणके नियमोंके लिए धार्मिक विश्वासको अपना आधार नहीं बनाया। उनका कहना है कि मनुष्यमें सद्बुद्धि और सद्बिवेक है। इसी आधारपर वह अपना सम्यक् चरित्र बना सकता है। सम्यक् चरित्र का आधार धर्म या राजसत्ता हो ऐसा आवश्यक नहीं है क्योंकि इन दोनों का मूल भय है और भय मानवताके लिए लाछन है। मानवताको विकसित करने के लिए मानवकी स्वतंत्रताकी आवश्यकता है और सम्पूर्ण मानव इतिहास इसी स्वतंत्रता का संघर्ष है। वर्ग-रहित समाजकी स्थापनाके लिए भी वर्ग संघर्ष और उसके लिए वर्ग संगठनकी नहीं अपितु मानव चेतनाको उद्बुद्ध करनेकी आवश्यकता है। विवेक ही इसका एकमात्र मार्ग है। अतः मनुष्यमें सम्यक् ज्ञान, विवेक और आचरणके द्वारा ही स्वतंत्र मानवसमाजकी स्थापना हो सकती है जिसमें समाजकी वर्तमान विकृतियाँ नष्ट हो जायँ। आर्थिक शोषणका विषय तो नष्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि इससे दोहरी हानि होती है। यह मनुष्यको हीनतम दशामें ले जाती है। जिसका शोषण होता है और जो शोषण करता है वे दोनों ही मानवके सहज रूप स्वभावसे वंचित हो जाते हैं। लोभ और स्वार्थ एक को अर्था बना देता है और दूसरेके हाथ पाँव जकड़ देता है। फिर भी यदि मानव-समाजके विकासकी विभिन्नता स्थितियोंकी परिसीमाओंको भी स्वीकार कर लिया जाय, तो भी उन्हें शाश्वत नहीं माना जा सकता। अतः मनुष्यको अपनी युक्तिके लिए लोभ, स्वार्थ, मोह, वासना, घृणा और क्रोधको दया, क्षमा, दान, कृपा, अपरिग्रह, अस्तेयसे जीतना पड़ेगा।

ऊपरकी विवेचनाके विरोधमें कुछ क्षेत्रोंसे यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समाज का मनुष्य अग्रेज विचारक ह्राब्सके उस कथनसे भिन्न नहीं है, जिसे उसने मनुष्यकी प्राकृतिक स्थिति बतलायी है। व्यक्ति-स्वार्थ, वर्ग-स्वार्थ, जाति-स्वार्थ, धर्म-स्वार्थकी जड़ताने जीवनके सभी अंगोंको विकृत कर रखा है। सामाजिक जीवनमें ईमानदारी दिखलायी नहीं देती। अरक्षा और प्रतिस्पर्धाकी भावनामें ईमानदारी दिखलायी नहीं देती। अरक्षा और प्रतिस्पर्धाकी भावनाके कारण सामाजिकताके मूल्य-नीति अनीतिके विचार नष्ट हो गया है। सत्यका पालन तो दूर, लोग उसका अर्थ ही भूल गये

है और कुछ क्षेत्रोंमें तो स्वार्थका ही दूसरा नाम सत्य कर दिया गया है। इस प्रकारके मनुष्यको क्या सुधारा जा सकता है? उसको यदि राज-दंड और नरक-दंडका भय न रहे, तो क्या वह सुधर सकता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तरमें इतनाही निवेदन है कि राजदंड और नरकदंड इन दोनोंमें कोई पारलौकिक शक्ति नहीं है। अधिकतमसे अधिकतम सामाजिक चेतनाका नियंत्रण इन्हें कहा जा सकता है और यह सामाजिक चेतना भी वर्ग-स्वार्थ और निहित-स्वार्थोंकी रक्षा करने लगती है अतः नवीन सघर्षोंमें इनकी सत्ताका मूलोच्छेद हो गया है। वर्तमान समाजकी विशृंखलता तो इतनी बढ़ गयी है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक गुणोंसे वंचित हो गया है। विकृत मनुष्यको सामान्य मनुष्य मानना ही अनुचित है। अतः यह कहा जा सकता है कि यदि मानव-समाजको अमानवीय तत्वोंसे मुक्त कर दिया जाय, तो उसमें फिरसे सम्यक चरित्र उत्पन्न हो सकता है।

माधारणतया यह कहा जा सकता है कि भारतमें अधिकारकी अपेक्षा धर्म या कर्तव्य पर अधिक जोर दिया गया है। इस बातकी परीक्षा करें, तो हमें मालूम होगा कि कृषि समाज और सामन्त-समाजमें इस प्रकारकी मान्यताये समाजपर लाद दी जाती है। वैसे कर्तव्य और अधिकार एक ही प्रक्रियाके दो नाम हैं। नैतिक व्यवहारके नियमोंके सम्बन्धमें कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्तिको दूसरेके साथ सत्यव्यवहार करना चाहिये। यह कर्तव्य समझा जाता है लेकिन कानूनकी दृष्टिमें इसे थोड़े अन्तरके साथ स्वीकार कर लिया गया है कि दूसरेके साथ दुर्व्यवहार करना दंडनीय है। यहाँ दूसरेका अर्थ केवल उस व्यक्तिसे है, जो एकके दुर्व्यवहारसे कुछ क्षति या हानि उठाता है। इस उदाहरणमें नैतिक नियम कानूनका स्वरूप कैसे ग्रहण कर लेते हैं यह साफ हो जाता है।

समाजकी इस समयकी सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है समानता। इस मान्यताके पीछे इस अधिकारके लम्बे सघर्षकी कहानी है। इस्लाम, ईसाई धर्मोंमें मनुष्यको समान माना गया है। वेदान्तमें सभी व्यक्तियोंमें समान आत्मा मानी गयी है फिर भी तत्कालीन समाजमें वेदान्तके प्रतिपादकों ने श्रेष्ठ और हीन जातियोंका समर्थन किया। बौद्ध धर्म और सन्त परंपरामें व्यक्तिको समान माननेका प्रयास किया गया। प्रजातंत्रतो इसी आधारको लेकर चलता है। इसके पूर्व धार्मिक पुनर्जागरणके कालमें महर्षि दयानन्द सरस्वतीने अछूतोंद्वाराकी आवाज उठायी जिसे बादमें गांधीजीने आगे बढ़ाया। व्यक्ति की समानताके सिद्धान्तके आधारपर वर्ग, जाति, वर्ण, धर्म और लिंगकी असमानताका तिरस्कार किया जाने लगा है। पुरुष और स्त्रियोंके अधिकार समान होने चाहिये। समान कार्यके लिये समान पारिश्रमिक मिलना चाहिये। कानूनके ममक्ष मनीको समान सरक्षण मिलना चाहिए। इस दृष्टिसे देखा जाय, तो कहना पड़ेगा कि दो-तीन वर्ष पूर्व इलाहाबादके कुम्भ मेलेमें विशेष व्यक्तियोंकी ओर पुलिसने विशेष ध्यान देकर और सामान्य व्यक्तियोंकी उपेक्षा करके जिसके फलस्वरूप बहुतसे व्यक्ति मर गये जघन्य अपराध किया था।

नये नैतिक मूल्योंमें दो-तीन बातें स्पष्ट रूपसे सामने आ रही हैं। पहली तो यह कि सम्पत्तिके उत्तराधिकारमें पुत्रके समान पुत्रीका भी अधिकार माना जाने लगा है। पुरुष और स्त्रीके विवाह सम्बन्धमें अभी दोनोंका स्तर समान तो नहीं हो गया है फिर भी

समानताकी दिशामें ही प्रयास हो रहा है। अब पुरुष एकसे अधिक स्त्रियोंके सहवास का सुख लूटे इसे अनैतिक माना जाने लगा है और जहाँ एकको छोड़कर दूसरे साथीको टूटनेकी बात है, वह अधिकार पुरुषके समान स्त्रीको भी मिल गया है। अगिक्षा और आर्थिक दृष्टिसे पराश्रित होनेके कारण आज स्त्री चाहे अपने अधिकारका उपयोग न कर सके लेकिन भावी समाजमें उसे इन अधिकारोंसे वंचित नहीं रखा जा सकेगा। भविष्य में स्त्री और पुरुष समानताके आधारपर एक-दूसरेके साथ सहयोग करेंगे यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है।

इन बातोंके अतिरिक्त आचार, व्यवहार, आहार और विहारके नियमोंमें नवीन स्थितिमें परिवर्तन हो रहे हैं। व्यक्तिके निजी स्वार्थ और समाजके सम्बन्धोंमें जो नया संतुलन स्थापित करनेकी दिशामें हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें वर्तमान समाजकी विषमताजन्य दैन्य या अमानवीय लक्षणोंका ह्रास होगा और व्यक्ति अपनेको समाजके वडे कुटुम्ब का सदस्य समझ सकेगा। समाजको व्यक्तिके हितोंका संरक्षण करना है अतः पुराने बन्धन समाप्त होनेपर पुरानी क्षुद्र वृत्तियाँ भी नष्ट हो सकेंगी। आचार और व्यवहार में सम्यक ज्ञान, सम्यक् विवेक और सम्यक् चरित्रके आधारपर नवीन भ्रातृत्व भावना का उदय होगा।

आहार और विहारके सम्बन्धमें समाजकी वर्तमान मान्यताओंपर एक ओर अतीत की धार्मिक भावनाओंका प्रभाव है और दूसरी ओर नवीन ज्ञानका। दोनोंने वर्तमान मनुष्यको किकर्तव्यविमूढ़ बना दिया है। पुरानी मान्यताओंमें प्रत्येक धर्ममें खानपान पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे। प्रतिबन्ध लगानेके कारण की खोजका प्रयत्न तो इस लेख में नहीं किया जा सकता फिरभी भौगोलिक कारणोंके अतिरिक्त धार्मिक मूढाग्रहोंके कारण भी बहुत-सी मान्यताएँ स्थिर की गई थी। आधुनिक शोधोंमें खानपानकी मीमांस्ये—अमुक वस्तु खाओ और अमुक न खाओ यह माननेके लिए कोई सबल तर्क नहीं है। कहीं मांस खाया जाता है और अंडा नहीं खाया जाता। कहीं अंडा खाया जाता है मांस नहीं खाया जाता। कहीं मछली खायी जा सकती है और मांस तथा अंडा नहीं खाया जा सकता। कहीं हसेर डिम्ब (वत्तखका अंडा) खाया जा सकता और मुर्गीका अंडा नहीं खाया जा सकता। इन बातोंके सबधमें कोई आन्दोलन तो नहीं हुआ लेकिन पुराने प्रतिबन्ध गिथिल होते जा रहे हैं। पहले ये प्रतिबन्ध होटलो और रेस्टाओंमें टूट रहे हैं फिर छिपे रूपसे घरोंमें टूटेंगे और कुछ पीढ़ियों बाद शायद आसानी से टूट जायेंगे।

विहारके सम्बन्धमें कुछ कहना आवश्यक हो गया है! हमारे देशमें ब्रह्मचर्यपर अतिशय जोर दिया जाता रहा है, लेकिन फिर भी सृष्टिसर्जनमें भारत संसारके अन्य देशों से आगे है। ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विश्वासका आधार शरीर विज्ञान सम्बन्धी वह ज्ञान है जो हजारों वर्षों पुराना है। शरीर-विज्ञानने काफी प्रगति की है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि बालक या बालिका जब युवा होती है, तो उसमें कामेच्छा उत्पन्न होती है, कामेच्छा पुरुष और स्त्रीकी वयस्कताका लक्षण है। वयस्क होते समय जिस प्रकार स्त्री रजस्वला होती है उसी प्रकार युवकका भी वीर्य पात होता है। हमारे देशमें काम-संदंभी बात करना पाप समझा जाने लगा है और युवक और युवतीको जब रज या वीर्य

पात होता है तो वह धवडा उठती है और वह समझती है कि न मालूम किन पापोंका उदय हुआ । काम या यौन संबन्धी ज्ञान किसीको नहीं बताया जाता और उल्टे उसमें पाप की भावना दृढ कर दी जाती है । इसकी अपेक्षा आवश्यकता इस बातकी है कि हम युवक और युवतियोंको शरीर-विज्ञानकी मोटी-मोटी बातें उनके युवा होनेके पूर्व ही बतला दें । यौन और कामके सम्बन्धमें भी आवश्यक बातें स्वास्थ्य और सफाईके नियमोंके अनुसार बतला दें । इससे दो लाभ होंगे एक तो युवको और युवतियोंमें पाप-वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी और दूसरे वे इस प्रकारके सम्बन्धोंके लिए कुसगतिमें नहीं पड़ेंगे । वर्तमान चिकित्सकोंके मतानुसार युवक और युवतीके वयस्क होनेपर रज-दर्शन होने या स्वप्नदोष अथवा किसी अन्य प्रकारसे वीर्यपात हो जानेमें खतरेकी कोई बात नहीं है । कुछ डाक्टरोंका तो कहना है कि वीर्यपातसे उतना ही नुकसान होता है जितना थूक थूकनेसे होता है । यह सब कहनेके साथ ही कुसंगतिमें न पडनेकी चेतावनी दे देना आवश्यक है । इस सम्बन्धमें यह समझ लेना चाहिये कि युवक और युवतियोंको कुसगतिमें डालनेकी जिम्मेदारी बहुत कुछ अशमें माता-पिताकी होती है । वे अपनी निर्लज्जता छिपा नहीं पाते और लडकोपर उसका दुरा असर पडता है । फिर कुछ ऐसे पुरुष या स्त्रियाँ, जो स्वयं कुसगतिका शिकार हो चुकते हैं, उन्हें भी कुसगतिमें धसीटते हैं । इन सबसे बचनेका एक ही तरीका है कि युवक-युवतियोंको यौन अथवा काम संबन्धी बातें बतला दी जायँ । अज्ञान-मूलक ब्रह्मचर्यकी भावनासे स्वास्थ्य-रक्षा होने की अपेक्षा पाप-वृत्ति ही अधिक बढ़ती है । पाप-वृत्तिका एक ही लक्षण है । वह है उसको गुप्त रूपसे करना ।

विहारका हमें सकुचित अर्थ नहीं लेना चाहिये । युवक और युवतियोंके मिलने पर जो प्रतिबन्ध हमारे यहाँ थे, उनके पीछे भी असमानताकी ही भावना है । ब्रह्मचर्य के पालनकी बात तो दूर रही, यहाँ तो सयमका निर्वाह भी नहीं होता और छोटी आयुमें ही सन्तानोत्पत्ति आरम्भ हो जाती है । नवीन परिस्थितिमें युवक और युवतियोंके मिलने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए । इस प्रतिबन्धके कारण एक ओर आधी आवादीको पगु बना दिया जाता है और दूसरी ओर उसे केवल सन्तानोत्पत्तिकी मगिनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बनने दिया जाता । नवीन समाजमें पुरुष और स्त्री दोनोंको ममाजका सहभागीदार बनना है । स्त्रीको जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें पुरुषसे होड लेनी है । मेहनत और उत्पादनके कार्यमें उसे घरसे बाहर निकलना है । अतः उसे प्रतिबन्धोंमें बाँधना उचित नहीं है । युवक और युवतियोंमें परस्पर आकर्षण होना स्वाभाविक है । दोनोंमें मित्रता होना भी वैसा ही स्वाभाविक है । जहाँ कहीं युवक और युवती मिलें, वहीं यह आरोप करना कि वे दोनों कुसगतिमें पड गये हैं, मिथ्या और आधारहीन है । फिर वयस्क युवक-युवतियोंके मेलके बाद यदि उनमें दाम्पत्य सम्बन्ध विकसित हो, तो इनमें धवरानेसे काम नहीं चलेगा । अतीतके स्वयंवरोंकी कहानियाँ हमें अच्छी लगती हैं लेकिन अपनी आँखके सामने हम इसे बुरा समझते हैं । सामाजिकताके नामपर हम १४ वर्षकी युवतीको ६० वर्षीय बृद्धसे व्याहनेमें सकोच नहीं करते, विधवा-विवाहको बुरा कहते हैं और विधवाको आत्मनिर्भर बननेका अवसर न देकर उमें पापाचरणमें प्रवृत्त करने को तत्पर हो जाते हैं । ऐसी निष्ठा और विश्वास चूल्हा जलानेके काममें ही लाया जा

सकता है। इस विपमताके बीच नवीन सामाजिकताकी नवीन रश्मियाँ फूट रही हैं। अभी हालमें अहमदाबादमें एक युवक और युवतीपर एक पार्कमें चुम्बन लेने के अपराधमें निर्लज्जताका मुकदमा चला। मजिस्ट्रेटने उनपर जुर्माना किया। सेगन अदालतने उन्हें छोड़ दिया और वम्बई हाईकोर्टमें अपील हुई तो माननीय न्यायाधीश ने कहा कि सार्वजनिक स्थानमें चुम्बन लेना अपराध नहीं है क्योंकि सामाजिक चेतनाका आधार बदल चुका है। माता सार्वजनिक स्थानपर अपनी संतानका चुम्बन लेती है। विदाईके समय स्टेशनपर पिता अपनी पुत्रीका चुम्बन लेता है। फिर चुम्बन लेना मात्र अपराध नहीं समझा जाता। इस प्रकारके अनेक उदाहरण आगे और मिलेंगे।

नवीन सामाजिक चेतनाकी हवामें युवक और युवतियाँ सजग मनसे एक दूसरेका वरण करेंगी तो उससे जो दाम्पत्य जीवन आरम्भ होगा, उसमें दोनोंके व्यक्तित्वका विकास होगा और सच्चे अर्थमें एक-पति या एक-पत्नी भाव विकसित होगा। फिर औरत पैर की जूती नहीं समझी जाएगी, वह वास्तवमें घरकी लक्ष्मीका आसन ग्रहण करेगी। व्यक्ति-स्वातंत्र्यसे दोनो—पति और पत्नी—में स्नेह-वधन दृढ होंगे और वे दोनो एक-दूसरेका सम्मान कर सकेंगे। जहाँ यह स्पष्ट हो जायेगा कि दो व्यक्तियोंमें सामंजस्यके स्थान पर वैपम्य ही अधिक है, वहाँ निरन्तर एक-दूसरेकी छातीका पीपल बननेके वजाय, वे अलग हो जायेंगे और इस प्रकार के अलगावको कोई हीन दृष्टिसे नहीं देख सकेगा।

सामाजिकताके नये मूल्योका उदय नवीन समाजकी आवश्यकताओं, परिसीमाओं और आकांक्षाओंके त्रिविध-संतुलनसे ही हो सकेगा। इस संतुलनको किसी शोधशालामें बैठ कर निश्चित नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो समाजमें प्रत्येक व्यक्तिको सम्यक ज्ञान, सम्यक विवेक और सम्यक् चरित्रका अनुसरण करना चाहिये। प्रत्येक सामाजिक समस्याके निदानके लिए वर्तमान ज्ञान और उसके प्रयोगको आधार मानना चाहिये और साथ ही व्यक्ति-स्वार्थकी सीमाओंको छोड़कर उनका निराकरण करना चाहिए। इस प्रकारके आचरणको सम्यक् प्रज्ञापूर्ण या स्थितप्रज्ञ आचरण कहा जा सकता है। सामाजिकताके नये मूल्यों, नीति-अनीतिकी नयी मान्यताओंके निर्धारण के पूर्व समाजमें सामाजिकताकी शिक्षा के प्रसारकी नितान्त आवश्यकता है। इस प्रकारके सम्यक् ज्ञानसे सम्यक् विवेक और सम्यक् विवेकसे सम्यक् चरित्र विकसित होगा और सम्यक् चरित्रके नियमोंको समाजकी नवीन मान्यतायें कहा जा सकेगा।

—:०:—

समाजको बदल डालो !

“समाज परिवर्तनशील है। उसमें नित्य नयी बातें होना आवश्यक है। पुरानी बातें अनुपयोगी हो जाती हैं। उनका असली मतलब हम भूल जाते हैं या उनका स्वरूप बदल जाता है। उनका ठाट तो बना रहता है परन्तु प्राण निकल जाता है। जो रीतियाँ या प्रथाएँ अनावश्यक हैं, उन्हें दूर करना ही होगा।”

—प्लेटो

“रूढ़िका विनाश ही नीति और सदाचारका प्रथम सोपान है।”

—कान्त

“न केवल सदियोंका ज्ञान, बल्कि सदियोंका पागलपन भी हममें फूट निकलता है, वारिस होना खतरनाक है।”

—नीत्से

“अज्ञान और अन्ध-विश्वासकी कट्टरता युग-युगसे मानव-जातिको वीमार करती आ रही है।”

—वाल्टेयर

“ऐसा एक भी शास्त्र नहीं है, जिसको सदियों तक माननेके पश्चात् मानव-जातिने उससे अच्छे किसी दूसरे शास्त्रकी खोज और प्रचारमें भुला नहीं दिया हो और आज मानव-जाति अपने इस स्वभावको बदल देगी, यह माननेका कोई कारण नहीं दिखाई देता। .. मानव-जातिको प्रगतिकी ओर लेजानेवाले सब बड़े-बड़े सिद्धान्त आरम्भमें मानव-जातिके प्रचलित विश्वासोके प्रतिकूल ही थे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित किए गए थे जिनको तत्कालीन समाजने अपमानित किया, सताया और फाँसी तक पर चढाया है।”

—जोसेफ मैजिनी

“परम्परासे चली आनेवाली निर्जीव रूढ़ियाँ—मुर्दा बातें—किनी नजीव विद्याका का थोडा-सा भी धक्का लगनेसे चूर-चूर हो जायेंगी। वे उमे बरदास्त न कर सकेंगी। नई और जिन्दा बातोके चक्केको पुरानी मुर्दा बातें किन तरह बरदास्त कर सकती हैं ?”

—जॉन स्टुअर्ट मिल

समाजको बदल डालो !

“गुजरे वक्तपर गुजरे वक्तकी तह अपने आप बराबर जमती रहती है ।”

—वर्गसन

“जो इस समय नये काम कर रहे हैं, उन्होंने धीरे-धीरे टटोलते हुए वर्तमान नीति निश्चित की है । हमसे पहलेके लोग अपने समयके लोकमतका अनुकरण करते थे, किन्तु आजकल की ज्योतिमें वे बातें मन्द पड़ गयी हैं । हमने उन बातोंको कृत्रिम समझा और उन्हें छोड़ दिया । यह हमारे पूर्वजोपर आक्षेप नहीं है । जो काम वे अबूरा छोड़ गए हैं, हमें उसे हाथमें लेकर पूरा करना चाहिए । इस समय जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, वे शीघ्र नष्ट होंगे, और उनका स्थान लेने कोई दूसरा आयेगा ।”

—स्टेरेन्स मेक्स्वनी

“और निस्संदेह वह वक्त आयेगा, जब हम अपने मस्तिष्क और शरीरको इस रोगी-खानेसे, जहाँ हमने अपनेको कारागारमें डाल रखा है और खुद ही जेलके दरोगा बन बैठे हैं, मुक्ति प्रदान करेंगे ।”

—एडवर्ड कारपेन्टर

“जो वास्तविक सत्य है, उसकी प्रतिष्ठा और स्थापना तभी होगी, जब विचार स्वतन्त्र और निर्वन्व होंगे ।”

—टामस पेन

“सनातन सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं होती । प्रत्येक दर्शन या तत्वज्ञान सिर्फ अपने युगके भाव और विचारोकी व्याख्या होता है । किन्हीं भी दो कालो या युगोका तत्वज्ञान समान नहीं होता । जो अन्तर होता है, वह अमर और नाशवान सिद्धान्तोके बीच नहीं होता बल्कि जो सिद्धान्त अपने कालमें मनुष्यके जीवनमें उतरे और जो कभी नहीं उतरे, उनके बीचका फर्क है । अतएव मेरे निकट किसी भी विचारकके तत्वज्ञानकी कसौटी यह है कि उसने अपने कालकी समस्याओं और तथ्योकी कितनी व्याख्या की है । जो विचारक अपने युगकी वास्तविक समस्याओंको समझकर उनका हल नहीं बता सकता, वह महान हो ही नहीं सकता । जो सिद्धान्त अपने युगकी समस्याओंके निराकरणमें मदद नहीं देता, वह नितान्त फिजूल है और ऐसे सिद्धान्तके रहनेकी कल अगर कोई सम्भावना थी, तो आज विलकुल नहीं रही ।”

—ऑसवालड स्पेगलर

“संघर्ष करो ! संघर्षके मानी जिन्दगी है और जितना ही धोर संघर्ष होगा, उतना ही जीवन परिपूर्ण तथा गम्भीर बनेगा । तब तुम दरअसल जिन्दा बनोगे और इस तरहकी जिन्दगीके चन्द घण्टे घास-फूसकी तरह वर्षोंके जीवनसे ज्यादा गौरवयुक्त है ।

संघर्ष करो ! ताकि सारी दुनिया उभरता हुआ और भरापूरा जीवन बिता सके । विश्वास रखो कि इस संघर्षमें तुम्हें वह आनन्द मिलेगा, जो और कोई चीज नहीं दे सकती ।”

—क्रोपाटकिन

“सामाजिक जीवनके आदर्श, जिनके ऊपर मनुष्योंके सारे काम-काज होते हैं, बदलते रहते हैं और उन्हींके साथ-साथ मानव-जीवनका व्यवस्था-क्रम भी बदलता रहता है।”

—टाल्सटाय

“दार्शनिकोंने दुनियाकी व्याख्या की है, जरूरत इसको बदलनेकी है।

—कार्ल मार्क्स

“आदमीकी सबसे ज्यादा प्यारी दौलत जिन्दगी है, और चूँकि आदमीको जिन्दगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, इसलिए उसको यह जिन्दगी इस ढंगसे चितानी चाहिए कि उसको ओछेपन और बुजदिलीसे भरे हुए गुजरे जमानेकी शर्मकी तपन न हो, उसे इस तरह रहना चाहिए कि मरते वक्त कह सके—मैंने अपनी सारी ताकत, अपनी सारी जिन्दगी दुनियाके सबसे बड़े आदर्श—मानव-जातिकी आजादीके लिए न्योछावर करदी।”

—लेनिन

“संस्कृतिका पौधा बेहद नाजुक होता है। अनेक यत्नो और सावधानियोंके बाद ही वह किसी समाजमें फूलता-फलता है। उसके लिए व्यक्तिका अभिमान, राष्ट्रका अभिमान और कौम का अभिमान सबको तिलाञ्जलि देनी पडती है। मानव-जाति जिस दिन संस्कृतिके महत्व को समझेगी, उसी दिन वह अपनी आत्माके साथ साक्षात्कार करने के योग्य हो सकेगी। संस्कृति न तो भौगोलिक सीमा-बन्धनको महत्व देती है, न राजनीतिको ही। संस्कृतितो अखिल मानवताकी सम्मिलित पूंजी है।”

“पुराने जमानेमें समाजका उपयोगी सदस्य बननेके लिए व्यक्तिको केवल आत्मा-भिमान ही छोडना पडता था किन्तु आज उसे वर्ग और राष्ट्रका अभिमान भी छोडना पड़ेगा। इन थोथे अभिमानोको दूर करके ही मानव-संस्कृतिकी ठोम बुनियादें डाली जा सकती हैं और तभी मानवताको उन्नत बनाया जा सकता है। तभी उसका कल्याण हो सकता है।”

—आई स्टीन

“बढ़े चलो !

पुरानी दुनियाके गुजरे हुए ख्यालके आदर्शोंको छोडकर बढ़े चलो।

रुको मत, मुडो मत

अतीतकी मरी हुई आवाजोको सुननेके लिए थमो मत।

बढ़े चलो, बढ़े चलो।”

—रोमाँरोला

“आज जो घटनाएँ हो रही हैं, उनसे मुडकर हम पीछेकी ओर नहीं देख सकते। जो लोग ऐसे अवसरोंपर भूतकालीन अनुभवका आचार डूँटते हैं, वे यह नहीं जानते कि भूत-कालके अनुभवने ही तो इस स्थितिको उत्पन्न किया है। उनको नये विचारोंका उन

समाजको बदल डालो !

लगने लगता है; परिवर्तन उनको न केवल अवांछनीय ही, बल्कि अनावश्यक भी लगते हैं। पूर्वजोकी तरह वे यह धारणा बनाये रखते हैं कि हमारा सामाजिक विधान शाश्वत काल के लिए है। वे समाजके ऊपरी ढाँचेमें तो फिर भी परिवर्तन स्वीकार कर लेते हैं पर दुनियादी परिवर्तनको हमेशा आशंकाकी दृष्टिसे देखा करते हैं।”

—हैराल्ड जे० लास्की

“आज विचारकी महत्ता ही स्वीकार करनी होगी, जिसकी अग्निमें युगोंसे बटोरा हुआ कूड़ा जल जायगा। इसलिये आज युगानुकूल नये धर्मके लिए बहुत कुछ संहारका काम पडा है। संहार और विनाशके बाद ही नयी जीवन-संस्कृतिका विकास होगा।”

—वरट्रेन्ड रसल

“जब आजके शासन-तंत्र, जीवनके विचार, धर्म और राजनीतिक विचारधाराओ की प्रतिष्ठा मिट जायगी, तभी ससारमें नव-निर्माणका कार्य शुरू होगा। और इस निर्माणका कार्य वे ही कर सकेंगे, जिनमें नई दृष्टि और नई शक्ति एवं साधना होगी।”

—एच० जी० वेल्स

“जब हम लाखों पाँड खर्च करके और अथाह परिश्रम द्वारा किसी नये युद्ध-पोत अथवा दूसरे प्रकारके शस्त्रास्त्रोका निर्माण करते हैं और जब उसमें कोई भूल रह जाती है तो हम क्या करते हैं? विना जरा भी समय गँवाए उसको तोड़कर नया बनाते हैं। उसी तरह आज हमने धर्म और सदाचार और न मालूम दूसरे क्या-क्या नाम देकर जो कुछ गढ़ रखा है, वह जीवनके तथ्योंसे विपरीत है, परिस्थितियोंके जरा भी अनुकूल नहीं है। इन सबको तोड़ डालिये—तोड़ डालिये और नयेका निर्माण कीजिए। आजकी दुनियामें यही खराबी है कि वह अपने पुराने इजिनो—डायनेमोंको तोड़नेको तैयार है, लेकिन जो धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक विचार आजकी परिस्थितियोंकी दृष्टिसे बेमतलब है, उन्हें तोड़ने और बदलनेको तैयार नहीं।”

—वर्नार्ड शा

“जो सम्यता अपने सवाल हल हो जानेपर सुस्त बन जाती है, और नई परिस्थितिका मुकाबला नये ढंगसे नहीं करती, उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं।

हमारा अपना युग भयंकर हो गया। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमें अपने राष्ट्र, अपने झंडे और अपने इतिहासकी पूजा करना सिखाया गया है जब हम अपने भूतकालकी पूजा करने लगते हैं, तब मानो हम असफलताको न्योता देते हैं।”

—आर्नोल्ड टायन्वी

“इतिहास आज पहलेके किसी भी युगकी अपेक्षा अधिक तेज गतिसे बदल और बन रहा है। अगर हम भी इतनी ही गतिसे परिवर्तनशील हो जायेंतो हम इतिहासके निर्माण में योगदान करनेका गौरव पा सकते हैं। जो परिवर्तन और क्रांति अवश्यभावी है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसमें जितना विलम्ब करनेकी कोशिश की जायगी, उतनी ही दुनियामें हिंसा और रक्तपातकी वृद्धि होगी।”

—जूलियन हक्सले

“किसी धर्मको इसलिए अंगीकार मत करो कि वह सबसे प्राचीन है। इनका सबसे प्राचीन होना इसके सच्चे होनेका कोई प्रमाण नहीं है। कभी-कभी पुरानेसे पुराने धरोका गिराना उचित होता है और पुराने वस्त्र अवश्य बदलने पड़ते हैं।

यदि आप नई रोशनीको ग्रहण करनेको राजी और तैयार नहीं हैं, तो जाओ पितृ लोकमें पूर्व-पुरुषोके साथ निवास करो। यहाँ ठहरनेका कौन काम है ?

अपनी स्वतन्त्रताको बुद्ध, ईसा, मुहम्मद और कृष्णके हाथ न बेच डालो।”

—स्वामी रामतीर्थ

“आनेवाले समाजकी नव-रचनामें जो धर्म सकुचित रहेगा और बुद्धिकी कमीटी पर खरा नहीं उतरेगा, वह टिक न सकेगा क्योंकि उस नव-निर्माणमें हरेक चीजका मूल्य नये ढंगसे ही कूता जायगा।

कोई भी सुधार तब ही हुआ है, जब साहसी व्यक्तियोंने समाजमें प्रचलित अमानवीय प्रथाएँ और रस्में स्वयं ही तोड़ डाली हैं।”

—महात्मा गांधी

हमारी समस्याका समाधान कहाँसे आयेगा ? मनके परिवर्तनमें —युगके परिवर्तनसे। जिस तरह यूरोप सत्यकी साधना और ज्ञानकी व्याप्तिके द्वारा मध्य युगके भीतनमें गुजर कर आधुनिक युग तक आ पहुँचा है, उसी तरह हमको भी अपने सकीर्ण दायरोंमें निकलकर बाहर की ओर यात्रा करनी होगी, धर्मको कन्नकी तरह चुनकर समूची जाति को हमेशाके लिए भूतकालके भीतर दफना देनेसे उन्नतिके पथपर चलना असम्भव है। हमारी मानसिक प्रकृतिके भीतर जो अवरोध क्रमशः दृढ़ हो गया है, उसे मत्पूर्णतया मिटाए बिना हम किसी प्रकारकी कोई स्वाधीनता उपलब्ध नहीं कर सकेंगे। शिक्षाके द्वारा साधनाके द्वारा हमें यही दुनियादी परिवर्तन लाना होगा।”

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

“दुनियाके दूसरे राष्ट्रोंसे हमारी अलहदगी अथ पतनका कारण है और उनका जनाज सिर्फ यही है कि हम फिरसे बाकी दुनियाकी धारामें शामिल हो जायें। गति-शीलता जीवनका चिन्ह है।”

—दिवेकानन्द

“इस समूचे वीहड़के बीच विश्वासकी आँखें देख पा रही हैं कि एक अनगढ़ लेकिन विपुलाकार परिवर्तनका श्रीगणेश हो गया है। मनीषा और ज्ञान—अभी न मही मीन्द्रं, की वाणी अब सुनी जाने लगी हैं और तेजीके साथ किसी विस्तृत, बुँधनी लेकिन अन्नमें कार्यकरी सकल्प शक्तिको भी अपने उद्देश्य-साधनके लिए उत्पन्न करनेमें मग्न होने लगी हैं।”

“अगर उपनिषदों या बुद्धके जमानेका या वादके मन्वृति-युगका कोई पुराना हिन्दु-स्तानी आज के हिन्दुस्तानमें ला विठाय जाय, तो वह देखेगा कि उसकी जाति पुराने दान

समाजको बदल डालो !

के बाहरी रूपों, छिलकों और चिथड़ोंसे चिपटी हुई है, और उसके ऊँचे मतलबके दस हिस्सों में से नी को खो बैठे हैं। उसे अचरज होगा कि यहाँ इतना दिमागी लचरपन, इतनी जड़ता है, बातोंका दोहराते रहना है, जो हमें आगे नहीं बढ़ाता। विज्ञानका खात्मा हो गया है; कला बहुत दिनोंसे वाँझ हो रही है और रचनात्मक वृद्धि कितनी कमजोर हो गई है।”

—श्री अरविन्द

“शांति, शांति, शांति सुनते-सुनते कान बहरे हो गये। परन्तु इस असत्य का कौन लोग प्रचार करते हैं, जानते हो? इस मिथ्या मंत्रके ऋषि वही है, जो दूसरोंकी शांति लूटकर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ और प्रासाद बनाकर रास्ता रोके बैठे हैं। बँधी हुई गाय भूखे मरते देखी है? वह खड़ी-खड़ी मर जाती है मगर उस पुरानी कमजोर रस्तीको तोड़कर मालिककी शांति नष्ट नहीं करती? यही तो हुआ है। इसीसे तो दीन-दरिद्रोंके चलनेका रास्ता एक दम बन्द हो गया है। फिर भी उन्हींकी अट्टालिकाओं और प्रासादोंको तोड़नेके काममें अगर हम भी उन्हींके साथ स्वर मिलाकर अशान्ति, अशान्ति कहकर रोने लगें, तो रास्ता नहीं मिलेगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। वह संस्था चाहे जितनी प्राचीन हो चाहे जितनी पवित्र हो, चाहे जितनी भी सनातन हो, मनुष्यसे बड़ी नहीं हो सकती। आज हमें उसे तोड़ ही डालना होगा। धूल तो उड़ेगी ही, बालू-चूना तो झरेगा ही, इंट-पत्थर तो खिसक-खिसककर आदमीके सिरपर गिरेंगे ही, यह तो स्वाभाविक है।”

—शरत् चन्द्र चटर्जी

“ससारमें ऐसी कोई रचना हो ही नहीं सकती, जिसमें कोई क्रांतिकारी मंगोषन करना ही न पड़े, जो कभी क्षीण या जीर्ण ही न हो या जिसमें कोई अशुभ तत्व न हो। नव दर्शन हो जाने पर प्राचीन दर्शनको और उसपर खड़ी हुई धर्म-रचनाको पकड़े रहने में दोष है। उस नये दर्शनमें भी दोष तो होंगे ही, फिर भी नये युगमें वही काम दे सकेगा, पुराना नहीं। उस नयेमें पुरानेका समूचा स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता; परन्तु उसमें पुराना उती हृद तक रह सकता है, जिस हृद तक नये दर्शन और विवेचनने उसे स्वीकार किया होता है, अथवा अस्वीकार नहीं किया होता। वर्तमान धर्म-सम्प्रदायोंके स्थानपर अपने ही सत्यके बलको प्रमाण मानकर उसके आधारपर नये धर्मका निर्माण हुए बिना मुझे नहीं लगता कि शुभकी ओर हमारी कोई प्रगति हो सकेगी।”

—किशोरलाल घ० मशरूवाला

“दिश-काल-भेदसे आचार-विचार बदलते रहते हैं। समाजकी गति देनेवाला मूल तत्व यह है कि आर्थिक संगठनके बदलनेसे सामाजिक सम्बन्ध बदलते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि नवीन उद्देश्य और आकांक्षाओंका जन्म होता है। इनकी पूर्तिके लिए जीवनके नये मूल्योंको स्वीकार करना पड़ता है।”

—आचार्य नरेन्द्र देव

